और जिस ने रसूल का हुक्म माना तो यक़ीनन उस ने अल्लाह का हुक्म माना

जिल्द अव्वल

सहीह़ बुख़ारी

मुतर्जिम

मुरत्तिब

इमामुल मुहद्दसीन अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी
रहमतुल्लाह अलैहि



तर्जुमा अज़:-

फ़ाज़िल शहीर मौलाना
अब्दुल हकीम ख़ां अख़्तर
शाहजहांपुरी

जीलानी बुक डिपो
1229, चूड़ीवालान, जामा मस्जिद, दिल्ली-6

जिन हज़रात ने ये किताब स्केन की है उनके लिए
दुआं की गुजारिश है:

रब्बुल आलमीन उन हज़रात को ज्यादा से ज्यादा
रिज़्क़ ए ह़लाल अता फरमाए।
उनको हर क़िस्म के गुनाहों से बचाए।
उन्हें दुनिया व आख़िरत में कामयाबी अता फरमाएं।
जन्नतु फिरदौस में आला से आला मक़ाम अता
फरमाएं।
आमीन

الله
رسول
محمد

और जिस ने रसूल का हुक्म माना तो यक़ीनन उस ने अल्लाह का हुक्म माना

सहीह बुख़ारी

मुतर्जिम

1

मुरत्तिब

इमामुल मुहद्दसीन अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी
रहमतुल्लाह अलैहि

तर्जुमा आज़:-

फ़ाज़िल शहीर मौलाना
अब्दुल हकीम ख़ां अख़्तर
शाहजहांपुरी

जीलानी बुक डिपो

1229, चूड़ीवालान, जामा मस्जिद, दिल्ली-6

सहीह बुख़ारी

मुतर्जिम

Sahih BUKHARI

Vol.1

Author....
Imam ul Muhaddiseen Abu Abdullah
Muhammad bin Islmail Bukhari
Rahmatullah alaih

Translator....
Abdul Hakeem Khan Akhtar Shahjahanpuri

Arranged by....
– Hafiz Muhammad Mashkoor Ahmed Ashrafi

Proof & Typesetted by....
Muhammad Zubair Qadri

Pages.... 656

JILANI BOOK DEPOT

1229, Choori Walan Jama Masjid Delhi-6
Contacts- 011-23256577,9350046577,9212346577
E-mail, jilani.book.depot@gmail.com
jilanigraphic@gmail.com
₹

फेहरिस्ते अबवाब, बुख़ारी शरीफ़ मुतर्जम (हिन्दी) जिल्द अव्वल

अर्ज़े नाशिर

कुरआन व हदीस फ़हमे दीन के दो माख़ज़ हैं। इस्लाम ज़िन्दगी के तमाम हिस्सों में इन्सान की रहनुमाई करता है। इन्फ़िरादी और इज्तिमाई हैसियतों में पेश आमदा तमाम मसाइल का हल कुरआन व हदीस की तालीमात में मुज़मिर है। हुज़ूर फ़ख़्रे मौजूदात अलैहिस्सलामु वस्सलवात की हयाते तय्यबा का हर लमहा हमारे लिए कामिल नमूना और आप की ज़बाने हक़ तर्जमान का हर लफ़्ज़ कुरआने करीम की तफ़सीर की हैसियत रखता है। मुसलमान को ज़िन्दगी के तमाम मराहिल में हुज़ूर ﷺ ही के उसवए हसना और आप ही के इरशादाते आलिया से रौशनी हासिल होती है।

जीलानी बुक डिपो अब तक इस्लामियात के मौज़ूअ पर कुरआन व हदीस के हवाले से बहुत सी किताबें शाए कर चुकी है। अब इमाम अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की अज़ीम तालीफ़ "सहीह बुख़ारी" का तर्जमा क़ारईने किराम के इफ़ादा के लिये पेश किया जा रहा है। कुतुबे अहादीस में बुख़ारी शरीफ़ की हैसियत मुसल्लम है और इस की फ़ौक़ियत व अहमियत पर दो राएं नहीं हो सकतीं।

अदीबे शहीर अल्लामा अख़्तर शाहजहां पुरी का यह तर्जमा वसीउन्नज़री और जदीद उस्लूबे तहरीर का दिलकश नमूना है। हज़रते मुतर्जम जदीद व क़दीम उलूम के फ़ाज़िल हैं। उलूमे इस्लामिया पर उनकी गहरी नज़र है। अस्सुन्नए शर्क़िया के समुन्द्रों के ग़व्वास व शनावर हैं। यक़ीन है कि उनका यह तर्जमा हर तब्क़ए फ़िक्र के लोग पसंद करेंगे।

कुछ इस तर्जमें के बारे में

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا इस नाचीज़ ने 24 शव्वालुल मुअज़्ज़म 1400 हिजरी मुताबिक़ 5 सितम्बर 1980 ई० को बरोज़ जुम्अतुल मुबारक बाद नमाज़े अस्र जिस मुबारक सफ़र का आग़ाज़ किया था उसकी मंज़िले मक़सूद पर पहुंच गया हूं। यह मेरे ख़ालिक़ व मालिक का फ़ज़्ल व करम है कि अहक़र ने अपनी दाइमी अलालत और इल्मी बे-माइगी के बावुजूद आज 26 ज़िल हिज्जा 1401 हिजरी मुताबिक़ 25 अक्तूबर 1981 ई० बरोज़ इतवार सुबह के नौ बजे बुख़ारी शरीफ़ का तर्जमा मुकम्मल कर लिया।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

एक ज़बान के मफ़हूम व मतालिब को दूसरी ज़बान में मुन्तक़िल करना किस दरजा मुश्किल है उस का अंदाज़ा तो सिर्फ़ वही हज़रात कर सकते हैं जिन्हें इस दुश्वार गुज़ार घाटी से गुज़रना पड़ा हो। यह दुश्वारी तो रही अपनी जगह लेकिन यहां तो यह मरहला भी सामने था कि उस हस्ती का तर्जमान बनना है जिन के किसी फ़रमान में लफ़्ज़ी या मानवी तब्दीली कर देने पर مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ की वईद दिल को हिलाती और जिगर को पिघला देती है। सलामती का रास्ता यही था कि हज़रात अकाबिर का दामन थाम कर अपने रहवारे क़लम को मैदाने तर्जमा में इज़्ने ख़िराम दिया। अहक़र ने इस तर्जमे में हस्बे ज़ैल उमूर का एहतमाम किया है:-

1:- बिफ़ज़्लिही तआला पूरा तर्जमा बा-वज़ू किया है।

2:- तर्जमा करते वक़्त क़िब्ला रू बैठने का इहतमाम रखा है।

3:- दौराने तर्जमा यह तसव्वुर रखा है कि गोया रहमते दो आलम ﷺ के क़दमों में गुंबदे ख़िज़रा के सामने बैठा हूं जिस बारगाह में कंकरयों और जानवरों को भी बोलने का शुऊर आ जाता था।

4:- पूरी कोशिश की है कि आसान, शगुफ़्ता और ईमान अफ़रोज़ ज़बान में हिंदी तर्जमा हो जाए।

5:- हिफ़्ज़े मरातिब को बिसात भर मलहूज़ रखा है, जिस का मद्दे नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी है।

6:- पेश आमदा आयात का मुकम्मल हवाला दर्ज कर दिया है ताकि क़ारईन उसे क़ुरआने करीम में आसानी से तलाश कर सकें।

7:- आयात का ऐसा उर्दू तर्जमा पेश किया है जो तफ़ासीरे मुअतबरा के ऐन मुताबिक़ है।

8:- पेश आमदा अरबी अशआर का तर्जमा हिंदी अशआर की सूरत में पेश किया है।

9:- सनद को छोड़ कर सिर्फ़ रिवायत करने वाले सहाबी या ताबई से हर हदीस का तर्जमा शुरू किया है ताकि हर हदीस का तर्जमा मतन के बिल मुक़ाबिल लिखा जा सके।

10:- दौराने तर्जमा असलाफ़ की तसानीफ़े आलिया से फ़ैज़ुल बारी, उम्दतुल क़ारी और इरशादुस्सारी को ख़ास तौर पर मशअले राह बनाया है।

क़ारईने किराम और अहले इल्म हज़रात से इल्तिमास है कि अहक़र की जो ग़लतियां और फ़रो गुज़ाश्तें बवक़्ते मुतालआ उन के इल्म में आएं तो नाशिर की मअरिफ़त तहरीरी तौर पर उन से हमें

मुतलअ फ़रमाएं ताकि शुक्रिया के साथ अगले एडीशन में उन की तलाफ़ी की जा सके। नीज़ अपनी दअवाते सालेहा में इस के नाशिर और मुतर्जम को फ़रामोश न करें। खुदाए ज़ुल मनन इस काविश को शर्फ़े कुबूलियत से नवाज़े और अपने इस हक़ीर बन्दे के लिए कफ़्फ़ारए सय्यात, ज़रिए नजात और तोशाए आख़िरत बनाए।

ख़ाकपाए आकबिर

मुहम्मद अब्दुल हकीम ख़ां अख़्तर

मुजद्ददी मज़हरी शाहजहांपुरी

लाहौर

26 ज़िल हिज्जा 1401 हिजरी

मुताबिक़ 25 अक्तूबर 1981 ई०

हर्फ़े आग़ाज़

इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाहि अलैहि:- इमाम बुख़ारी अपने पेशरौ अइम्मा की आरज़ू, असातज़ा का फ़ख़ और मुआसरीन के लिए सरापा रश्क थे। उनके ज़माने में अहमद बिन हंबल, यहया बिन मुईन और अली बिन मदीनी का फ़न्ने हदीस में चर्चा था। लेकिन जब आसमाने इल्मे हदीस पर इमाम बुख़ारी का सूरज तुलूअ हुआ तो तमाम मुहद्दसीन सितारों की तरह छुपते चले गए। सहीह मुजर्रद में सब से पहले उन्हों ने मजमूआ हदीस पेश किया और फिर कुतुबे सिहाह की तस्नीफ़ का सिलसिला शुरू हो गया।

विलादत व सिलसिलए नसब:- नासिरुल अहादीसुन नबवीया व नाशिरुल मवारीतुल मुहम्मदिया अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस इमाम अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इस्माईल अल-बुख़ारी अल जअफ़ी 13 शव्वाल 194 हिजरी में मावराउल नहर के मशहूर शहर बुख़ारा में पैदा हुए। इमाम बुख़ारी के वालिद इस्माईल बिन इब्राहीम बिन मुग़ीरा अल जअफ़ी अज़ीम मुहद्दिस और एक सालेह बुज़ुर्ग थे। इब्ने हिब्बान ने उनको तब्क़ए अरबआ के सिक़ा रावियों में शुमार किया। (शहाबुद्दीन हाफ़िज़ इब्ने हजर अल-अस्क़लानी अल-मुतवफ़्फ़ी 852 तहज़ीबुत तहज़ीब जि: 1, स: 274) इमाम ज़हबी ने तारीख़े इस्लाम में और इमाम बुख़ारी ने तारीख़े कबीर में उनका मुफ़स्सल तज़्किरा लिखा। उन्हें इमाम मालिक, अब्दुल्लाह बिन मुबारक और हम्माद बिन ज़ैद जैसे यकताए रोज़गार हज़रात से रिवायते हदीस का शर्फ़ हासिल हुआ। और यहया बिन जाफ़र बैकंदी, अहमद बिन जाफ़र, नस्र बिन हुसैन और इराक़ियों की एक बड़ी जमाअत ने उन से अहादीस का समाअ किया। इमाम बुख़ारी के वालिद ख़ुशहाल और दौलतमंद थे और जिस क़द्र मालदार थे इतने ही परहेज़गार थे। अहमद बिन हफ़्स कहते हैं कि मैं अबुल हसन इस्माईल बिन इब्राहीम की मौत के वक़्त उनकी ख़िदमत में हाज़िर था, वह कहने लगे मेरे पास जिस क़द्र माल है उस में एक दिरहम भी मुश्तबा नहीं है। (शहाबुद्दीन अहमद बिन मुहम्मद अल-क़स्तलानी अल-मुतवफ़्फ़ी 923 हिजरी, इरशादुस्सारी, जि: 1, स: 31)

इमाम बुख़ारी के जद्दे अमजद मुग़ीरा बिन बरोज़ जअफ़ी मजूसी थे और उस ज़माने में बुख़ारा के हाकिम यमान जअफ़ी के हाथ पर मुशर्रफ़ ब-इस्लाम हुए और उसी निस्बत से जअफ़ी कहलाए। इमाम बुख़ारी को भी जअफ़ी उसी सबब से कहा जाता है। (शैख़ अब्दुल हक़ देहलवी अल-मुतवफ़्फ़ी 1052 हिजरी, अश्अतुल लम्आत, जि: 1, स: 9)

इब्तिदाई हालात:- बचपन ही में इमाम बुख़ारी के वालिद का इन्तिक़ाल हो गया था और परवरिश की तमाम-तर ज़िम्मेदारी आपकी वालिदा ने संभाल ली थी। सग़ीरे सन में ही इमाम बुख़ारी ना-बीना हो गए, उस वक़्त के मशहूर अतिब्बा और मुआलिजीन से रुजूअ किया गया मगर किसी की पेश न जा सकी। आप की वालिदा बड़ी आबिदा और ज़ाहिदा थीं, उन्होंने रो रोकर अल्लाह तआला से फ़रयाद की और दामन फैला कर अपने लख़्ते जिगर के लिए बसारत मांगी। बिल-आख़िर दरयाए रहमत जोश में आया और एक रात उन्हें ख़्वाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई और आपने फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने तुम्हारी आह व ज़ारी और दुआओं की कसरत के सबब तुम्हारे बेटे की बसारत लौटा दी है। सुबह जब इमाम बुख़ारी बिस्तर से उठे तो उन की आंखें रौशन थीं। (शैख़ अब्दुल हक़

देहलवी अल-मुतवफ़्फ़ी 1052 हिजरी, अश्अतुल लम्आत, जि: 1, स: 9)

ज़मानए तालीम:- इब्तिदाई और ज़रूरी तालीम हासिल करने के बाद जब इमाम बुख़ारी की उम्र दस साल को पहुंची तो अल्लाह तआला ने आपके दिल में इल्मे हदीस की तहसील का शौक़ पैदा किया और आपने बुख़ारा के दर्से हदीस में दाख़िला ले लिया। इल्मे हदीस को आपने इन्तिहाई काविश और मेहनत से हासिल किया। मतन को महफ़ूज़ रखा और सनद के एक एक रावी को ज़ब्त किया हत्ता कि एक साल बाद मतने हदीस और उसकी सनद पर आपके उबूर का यह आलम था कि बसा औक़ात असातज़ा भी आप से अपनी तसहीह करते थे। एक मर्तबा आपके उसताज़ दाख़िली ने हदीस बयान करते हुए कहा:- حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن ابراهيم. आपने फ़रमाया अबू ज़ुबैर की इब्राहीम से कोई रिवायत नहीं है। उसताज़ ने नाराज़ होकर इमाम बुख़ारी को तहदीद की। आपने कहा अगर आपके पास अस्ल है तो उस में देख लीजिए। उसताज़ ने अस्ल की तरफ़ रुजूअ किया और कहा अच्छा फिर बतलाओ यह रिवायत किस तरह है। आपने अर्ज़ किया حدثنا سفيان عن زبير بن عدى عن ابراهيم. और बतलाया कि यह लफ़्ज़ अबी ज़ुबैर नहीं ज़ुबैर बिन अदी है। उसताज़ हैरान रह गए और उन्होंने भरी मजलिस में इमाम बुख़ारी की तहसीन की। इमाम बुख़ारी यूंही तेज़ी और महारत से उलूमे दीनिया हासिल करते रहे, यहां तक कि सोलह साल की उम्र में इमाम बुख़ारी ने अब्दुल्लाह बिन मुबारक, वकीअ और दीगर असहाबे अबी हनीफ़ा की किताबों को अज़बर कर लिया था। (हाफ़िज़ इब्ने हजर अल-अस्क़लानी अल-मुतवफ़्फ़ी, 852 हिजरी, हदीउस्सारी जि: 2, स: 250)

ज़ियारते हरमैन व आग़ाज़े तस्नीफ़:- 18 बरस की उम्र में इमाम बुख़ारी अपने बड़े भाई अहमद बिन इस्माईल और अपनी वालिदा माजिदा के साथ हज करने के लिए हरमैन शरीफ़ैन हाज़िर हुए। हज के बाद उनके भाई तो वालिदा को लेकर वापस चले गए और इमाम बुख़ारी मज़ीद तालीम के हुसूल के लिए वहीं रह गए। उसी दौरान उन्होंने क़ज़ाया अस्सहाबा वत्ताबईन के उनवान से एक किताब लिखी और उसके बाद चांदनी रातों में रौज़ए अनवर के पहलू में बैठ कर तारीख़े कबीर तस्नीफ़ की। इमाम बुख़ारी कहते हैं कि मैंने तारीख़े कबीर में जितने लोगों के नाम ज़िक्र किए हैं मुझे उन में से हर एक के बारे में कोई न कोई क़िस्सा मालूम था, लेकिन इख़्तिसार के सबब मैंने उन तमाम क़िस्सों को दर्ज नहीं किया। तारीख़े कबीर की तकमील होते ही उसकी नक़्ल का सिलसिला शुरू हो गया था। मुहम्मद बिन यूसुफ़ फ़रयाबी कहते हैं कि मैंने तारीख़े कबीर को उस वक़्त नक़्ल किया जब अभी इमाम बुख़ारी को दाढ़ी भी नहीं आई थी। (शहाबुद्दीन अहमद अल-क़स्तलानी अल-मुतवफ़्फ़ी 923 हिजरी, इरशदुस्सारी जि: 1, स: 32)

हुसूले इल्म के लिए रहलत:- इमाम बुख़ारी ने तलबे हदीस के लिए पहला सफ़र मक्का की तरफ़ 216 हिजरी में किया था और अगर वह इस से पहले सफ़र करते तो उस ज़माने के तबक़ए आलिया के उन मुहद्दिसीन से रिवायत हासिल कर लेते जिन से उनके मआसरीन ने रिवायत की है अगर्चे उन्होंने तबक़ए आलिया के मुक़ारिब रवातन मसलन यज़ीद बिन हारून और अबू दाऊद तयालसी का ज़माना पा लिया था। (हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी ने यूंही लिखा है लेकिन इमाम बुख़ारी ने चूंकि अट्ठारह साल की उम्र में हज किया था इसलिये सफ़रे मक्का का सन 210 होना चाहिये।)

जिस ज़माने में इमाम बुख़ारी मक्का में वारिद हुए उस वक़्त यमन में इमाम अब्दुर्रज़्ज़ाक़ बक़ैदे हयात

मौजूद थे। इमाम बुख़ारी ने उन से रिवायते हदीस के लिए यमन जाने का कस्द किया। लेकिन किसी ने उन को ग़लत ख़बर दी कि इमाम अब्दुर्रज़्ज़ाक़ का इन्तिक़ाल हो गया, यह सुन कर उन्होंने सफ़र का इरादा मुल्तवी कर दिया और एक वास्ते के साथ इमाम अब्दुर्रज़्ज़ाक़ से रिवायते हदीस करने लगे।

इमाम बुख़ारी से रिवायते हदीस के सिलसिले में बारहा दूर दराज़ शहरों का सफ़र किया और बरसहा बरस वतन से दूर बैठे इक्तिसाबे इल्म करते रहे। उन्होंने ख़ुद बयान किया है कि मैं तलबे हदीस के लिए मिस्र और शाम दो मर्तबा गया। चार मर्तबा बसरा गया, छः साल हिजाज़े मुक़द्दस में रहा और अन-गिनत मर्तबा मुहद्दसीन के हमराह कूफ़ा और बग़दाद गया।

बे-मिसाल हाफ़िज़ा:– इमाम बुख़ारी बे-पनाह क़ुव्वते हाफ़िज़ा के मालिक थे। जब हम उनकी क़ुव्वते हिफ़्ज़ के कारनामे सफ़्हाते तारीख़ पर देखते हैं तो यूं गुमान होता है जैसे वह सर से पैर तक हाफ़िज़ा ही हाफ़िज़ा हों। उनके हाफ़िज़ा को देख कर लोगों के दिलों में अबू हुरैरा की याद ताज़ा हो जाती थी। आशद बिन इस्माईल बयान करते हैं कि इमाम बुख़ारी लड़कपन में हमारे साथ हदीस के समाअ के लिए मशाइख़े बसरा की ख़िदमत में हाज़िर होते थे। इमाम बुख़ारी के सिवा हम तमाम साथी अहादीस ज़ब्ते तहरीर में ले आते थे। सोलह दिन गुज़र जाने के बाद एक रोज़ हमें ख़्याल आया और हमने बुख़ारी को मलामत की और कहा कि तुम ने अहादीस ज़ब्त न करके इतने दिनों की मेहनत ज़ाए कर दी। इमाम बुख़ारी ने हम से कहा अच्छा तुम अपने ज़ब्त शुदा नोट ले आओ। हम अपने अपने नोट लेकर आए और इमाम बुख़ारी ने सिलसिला वार अहादीस सुनानी शुरू कर दीं। यहां तक कि उन्होंने 15 हज़ार से ज़्यादा अहादीस बयान कर डालीं और यह सुन कर हमें यूं गुमान होता था कि गोया यह रिवायात हमें इमाम बुख़ारी ने लिखवाई हैं।

मुहम्मद बिन अज़हर सजिस्तानी कहते हैं कि मैं इमाम बुख़ारी के साथ सुलैमान बिन हर्ब की ख़िदमत में समाअ हदीस के लिए हाज़िर होता था। मैं अहादीस लिखता था और इमाम बुख़ारी नहीं लिखते थे। किसी ने मुझ से कहा कि बुख़ारी अहादीस को नोट क्यों नहीं करते, मैंने कहा तुम से कोई हदीस अगर लिखने से रह जाए तो बुख़ारी के हाफ़िज़ा से लिख लेना।

मुहम्मद बिन हातिम कहते हैं कि एक दिन हम फ़रयाबी की मजलिस में बैठे हुए थे कि फ़रयाबी ने एक हदीस की सनद बयान करते हुए कहा:– حدثنا سفيان عن ابي عروة عن ابي الخطاب عن ابي حمزة. इस सनद में सुफ़यान के अलावा बाक़ी तमाम राविंयों की कुन्नियत ज़िक्र की गई थी। फ़रयाबी ने उन राविंयों के अस्ल नाम पूछे, तमाम मजलिस पर सकता छा गया और किसी को भी उनके नामों का पता न चल सका। बिल-आख़िर सबकी नज़रें इमाम बुख़ारी की तरफ़ उठीं और उन्होंने कहना शुरू किया, अबू उरवा का नाम मअमर बिन राशिद और अबुल ख़त्ताब का नाम क़तादा बिन दआमा है और अबू हमज़ा का नाम अनस बिन मालिक है, जैसे ही इमाम बुख़ारी ने यह असमा बयान किए तमाम हाज़िरीने मजलिस दम बख़ुद रह गए। (हाफ़िज़ इब्ने हजर अल-अस्क़लानी अल-मुतवफ़्फ़ी 852 हिजरी हदीउस्सारी, जि: 2, स: 251)

इमाम बुख़ारी की क़ुव्वते हिफ़्ज़ बयान करने के लिए यह अम्र काफ़ी है कि जिस किताब को वह एक नज़र देख लेते थे वह उन्हें हिफ़्ज़ हो जाती थी और बाद में जाकर यह अदद तीन लाख तक पहुंच गया जिन में से एक लाख अहादीस सहीह और दो लाख ग़ैर सहीह थीं। एक मर्तबा बलख़ गए तो वहां के लोगों ने फ़रमाइश की, आप अपने शुयूख़ से एक एक रिवायत बयान करें तो आपने एक हज़ार

शुयूख़ से एक हज़ार अहादीस ज़बानी बयान कर दीं।

सुलैमान बिन मुजाहिद कहते हैं कि एक दिन मैं मुहम्मद बिन सलाम बैकनदी की मजलिस में बैठा हुआ था। मुहम्मद बिन सलाम ने कहा अगर तुम कुछ देर पहले मेरे पास आते तो मैं तुम को वह बच्चा दिखलाता जिसको सत्तर हज़ार अहादीस याद हैं। सुलैमान ने उस मजलिस से उठकर इमाम बुख़ारी की तलाश शुरू कर दी, बिल-आख़िर सुलैमान ने इमाम बुख़ारी को ढूंढ निकाला और पूछा क्या तुम ही वह शख़्स हो जिस को सत्तर हज़ार अहादीस हिफ़्ज़ हैं। इमाम बुख़ारी ने कहा मुझे इस से भी ज़्यादा अहादीस याद हैं और मैं जिन सहाबा से अहादीस रिवायत करता हूं, उन में से अकसर की विलादत और वफ़ात की तारीख़ और उन की जाए सुकूनत पर इत्तिलाअ रखता हूं। नीज़ मैं किसी हदीस को रिवायत नहीं करता मगर किताब और सुन्नत से उस की अस्ल पर वाक़फ़ियत रखता हूं। (शहाबुद्दीन अहमद अल-क़स्तलानी अल-मुतवफ़्फ़ी 923 हिजरी, इरशादुस्सारी जि: 1, स: 34)

असातज़ा व मशाइख़:- इमाम बुख़ारी के असातज़ा और मशाइख़ की तादाद बहुत ज़्यादा है, उन्होंने शहर दर शहर और गावं दर गावं जाकर इल्मे हदीस हासिल किया। इमाम बुख़ारी ने हुसूले रिवायत में अकाबिर, अमासिल और असाग़िर के फ़र्क़ का कभी ख़्याल नहीं रखा। उन्हें जहां से भी रिवायत मिलती अख़ज़ कर लेते ख़्वाह बयान करने वाला उन से बरतर हो, मसावी हो या कमतर। इमाम बुख़ारी के असातज़ा व मशाइख़ की तादाद यूं तो एक हज़ार से ज़ायद है लेकिन उन्होंने अपने वक़्त के जिन अज़ीम मुहद्दिसीन से समाअ हदीस किया है उस की तफ़सील यह है।

बुख़ारा में मुहम्मद बिन सलाम बैकंदी, अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मस्नदी, मुहम्मद बिन उरवा और हारून बिन अश्शअफ़ से, बलख़ में मक्की बिन इब्राहीम, यहया बिन बशर अल ज़ाहिद और क़ुतीबा से। मरव में अली बिन शफ़ीक़ अबदान, मआज़ बिन असद और सदक़ा बिन फ़ज़्ल से, नीशापुर में यहया बिन यहया, बशीर बिन हकम और इसहाक़ से, रय में हाफ़िज़ इब्राहीम बिन मूसा वग़ैरा से, बग़दाद में मुहम्मद बिन ईसा, शुरैह बिन नोमान और मुअल्ला बिन मनसूर से, बसरा में अबू आसिम अलनबील, बदल बिन मुजर, मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह अन्सारी, अब्दुर्रहमान बिन मुहम्मद, उमर बिन आसिम और अब्दुल्लाह बिन रजाअ से, कूफ़ा में उबैदुललाह बिन मूसा, अबु नईम, तलक़ बिन ग़नाम, हसन बिन अतिया, ख़ल्लाद बिन यहया, ख़ालिद बिन मख़लिद और क़बीसा से, मक्का में अबू अब्दुर्रहमान मुक़री, हुमैदी और अहमद बिन मुहम्मद अज़रक़ी से, मदीना में अब्दुल अज़ीज़ उवैसी, मुतर्रफ़ बिन अब्दुल्लाह और अबू साबित मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह से, वासित में अम्र बिन मुहम्मद बिन औन वग़ैरा से, मिस्र में सईद बिन अबी मरयम, अब्दुल्लाह बिन सालेह, सईद बिन मलीद और अम्र बिन रबीअ बिन तारिक़ से, दमिश्क़ में अबू मुसहर और अबू नसर फ़रादीसी से, क़ैसारिया में मुहम्मद बिन यूसुफ़ फ़रयाबी से, अक़सलान में आदम बिन अबी अयास से, हमस में अबू मुग़ीरा, अबूल यमान, अली बिन अयाश, अहमद बिन ख़ालिद, वहबी और वहाज़ी से समाअ हदीस किया। (शहाबुद्दीन अहमद अल-क़स्तलानी अल-मुतवफ़्फ़ी 923 हिजरी, इरशादुस्सारी जि: 1, स: 32)

बाज़ मुहक़्क़िक़ीन ने इमाम बुख़ारी के असातज़ा और मशाइख़ के ज़ब्त का एक ख़ास तरीक़ा बयान किया है। उन्होंने लिखा है कि इमाम बुख़ारी के असातज़ा पांच तब्क़ों में मुन्हसिर हैं। अव्वल तब्क़े में वह मशाइख़ हैं जो सिक़ात ताबईन से रिवायत करते हैं जैसे मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह अन्सारी, मक्की बिन

इब्राहीम, अबू आसिम अनीस, उबैदुल्लाह बिन मूसा, इस्माईल बिन अबी ख़ालिद और अबू नईम वग़ैरा और दूसरे तब्क़े में वह मशाइख़ हैं जो अव्वल तब्क़ा के मुआसिर हैं लेकिन वह सिक़ात ताबईन से रिवायत नहीं करते जैसे आदम बिन अबी अयास, अबू मसहर, सईद बिन अबी मरयम और अय्यूब बिन सुलैमान वग़ैरा और तीसरे तब्क़े में वह मशाइख़ हैं जो कबारे तबअ ताबईन से रिवायत करते हैं जैसे सुलैमान बिन हर्ब, क़ुतैबा बिन सईद, नईम बिन हम्माद, अली बिन मदीनी, यहया बिन मुईन, अहमद बिन हंबल और इस्हाक़ बिन राहविया वग़ैरा। इस तब्क़ा से रिवायत करने में इमाम मुस्लिम भी इमाम बुख़ारी के शरीक हैं और चौथे तब्क़ा में वह मशाइख़ हैं जो तलबे हदीस के सिलसिले में इमाम बुख़ारी के रफ़ीक़ और शरीक थे लेकिन उन्होंने समाअ हदीस इमाम बुख़ारी से पहले शुरू किया था जैसे मुहम्मद बिन यहया ज़हली, अबू हातिम राज़ी, मुहम्मद बिन अब्दुर्रहीम, अब्द बिन हमीद और अहमद बिन नसर इस तब्क़े से इमाम बुख़ारी ने उस वक़्त अहादीस को रिवायत की जब उनके मशाइख़ फ़ौत हो चुके थे और जो अहादीस इस तब्क़े से रिवायत की हैं वह और किसी के पास नहीं थीं औत पांचवें तब्क़े में वह मशाइख़ हैं जो दरअस्ल इमाम बुख़ारी के तलामज़ा थे। (इमाम तिर्मिज़ी भी इसी तब्क़े में शुमार होते हैं।) जैसे अब्दुल्लाह बिन हम्माद आमली, अब्दुल्लाह बिन अब्बास ख़्वारज़्मी और हुसैन बिन मुहम्मद क़ब्बानी, इस तब्क़े से भी इमाम बुख़ारी ने ज़रूरत और फ़ायदे के पेशे नज़र अहादीस रिवायत की हैं, अगरचे उनकी तादाद बहुत कम है। बहर हाल इस तहक़ीक़ से यह ज़ाहिर हो गया कि इमाम बुख़ारी ने अपने अकाबिर, अमासिल और असाग़िर सबसे रिवायते हदीस की है और अपने इस क़ौल को सच्चा कर दिखाया कि उस वक़्त तक कोई शख़्स कामिले हदीस नहीं हो सकता जब तक कि ख़ुद से बरतर, मसावी और कमतर से हदीस रिवायत न करे। (हाफ़िज़ इब्ने हजर अल-अस्क़लानी अल-मुतवफ़्फ़ी 852 हिजरी, हदीउस्सारी जि: 2, स: 251)

ख़ुदादाद ज़हानत:– इमाम बुख़ारी का ज़हन बहुत बेदार और नुकता रस था, वह किरतास व क़लम पर इतना एतमाद नहीं करते थे जितना उन्हें अपने हाफ़िज़ा और ज़हन पर एतमाद था। लोगों ने बारहा फ़न्ने हदीस में इमाम बुख़ारी की क़ाबलियत का इम्तिहान लिया लेकिन वह अपनी ख़ुदादाद ज़हानत और बेमिसाल हाफ़िज़ा की वजह से हमेशा सुर्ख़रू रहे।

हाफ़िज़ अहमद बिन अदी बयान करते हैं कि जब अहले बग़दाद को मालूम हुआ कि इमाम बुख़ारी बग़दाद आ रहे हैं तो बग़दाद के मुहद्दिसीन ने इमाम बुख़ारी का इम्तिहान लेने के लिए एक सौ अहादीस के मुतव्विन और इसनाद में रद्दो बदल कर दिया, एक हदीस की सनद को दूसरी हदीस के साथ और उस की सनद को पहली हदीस के साथ लगा दिया और इस तरह एक सौ अहादीस के मतन और सनद उलट पलट कर दिए और दस आदमियों में यह अहादीस इस तरह तक़सीम कर दीं कि हर शख़्स एक एक करके दस अहादीस के बारे में इमाम बुख़ारी से सवाल करे।

इमाम बुख़ारी जब बग़दाद में दाख़िल हुए तो अहले बग़दाद ने उनके एज़ाज़ में एक मजलिसे मुज़ाकिरा मुन्अक़िद की जिस में उलमा, उमरा और अवाम की बहुत बड़ी अक्सरियत शामिल थी। तय शुदा प्रोग्राम के मुताबिक़ एक शख़्स उठा और उस ने सनदे मक्लूब के साथ पहली हदीस पढ़ी। इमाम बुख़ारी से पुछा था, क्या आपको यह हदीस मालूम है? आपने फ़रमाया नहीं। उस ने फिर दूसरी हदीस पढ़ी, फिर तीसरी, फिर चौथी यहां तक कि उस ने दस अहादीस पढ़ डालीं और इमाम बुख़ारी ने हर

बार नफ़ी में जवाब दिया। जानने वाले अस्ल सबब समझ कर इमाम बुख़ारी के इल्म पर हैरान हो रहे थे और अंजान लोग उस जवाब को इमाम बुख़ारी का इज्ज़ समझ कर परेशान हो रहे थे। पहले शख़्स के सवालात के बाद इसी तरह दूसरे शख़्स ने उठ कर सवालात किए और इमाम बुख़ारी ने इसी तरह जवाब दिए, फिर तीसरा उठा, फिर चौथा यहां तक कि दस आदमियों ने सौ अहादीस पूरी कर डालीं और इमाम बुख़ारी ने उन तमाम अहादीस के जवाब में यही कहा कि मैं इन्हें नहीं जानता। जब इमाम बुख़ारी ने देखा कि यह लोग सवालात से फ़ारिग़ हो गए और अब कोई शख़्स नहीं उठता तो आप खड़े हो गए और फ़रमाया कि पहले शख़्स ने जो हदीस पढ़ी उसकी उसने यह सनद बयान की थी और उसकी सनद यह है। इस तरह उन लोगों की पढ़ी हुई सौ की सौ अहादीस की ग़लत अस्नाद भी पढ़ कर सुनाई और उनकी अस्ल अस्नाद भी बयान कर दीं और हर हदीस को उसकी अस्ल सनद के साथ लाहिक़ कर दिया। जैसे ही इमाम बुख़ारी ने अपने बयान को ख़त्म किया तमाम मजलिस में तहसीन व मरहबा का ग़लग़ला और आफ़रीन आफ़रीन का शोर उठा और अवाम व ख़्वास सब ने इमाम बुख़ारी के फ़ज़्ल का एतेराफ़ और उनकी अज़्मत का इक़रार कर लिया। (हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी मुतवफ़्फ़ी 852 हिजरी, हदीउस्सारी जि: 2, स: 251)

हाफ़िज़ अबुल अज़हर रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा समरक़ंद में चार सौ मुहद्दिस जमा हुए और उन्हों ने इमाम बुख़ारी को मुग़ालता देने के लिए शाम की अस्नाद इराक़ की अस्नाद में दाख़िल कीं और इराक़ की शाम में, इसी तरह हरम की अस्नाद यमन में दाख़िल कीं और यमन की हरम में, वह लोग सात दिन तक लगातार इस क़िस्म के मुग़ालता आमेज़ मुतव्विन और असानीद इमाम बुख़ारी पर पेश करते रहे लेकिन एक बार भी वह इमाम बुख़ारी को न सनद में मुग़ालता दे सके न मतन में। (शहाबुद्दीन अहमद अल-क़स्तलानी मुतवफ़्फ़ी 923, इरशादुस्सारी जि: 1, स: 34)

कस्रते तुर्क़ पर इतलाक़:- इमाम बुख़ारी इल्मे हदीस में हमा क़िस्म की मालूमात के हामिल थे, हदीस के तमाम तुर्क़ उनकी नज़र में होते थे। एक रिवायत जितनी असानीद से मरवी थी इमाम बुख़ारी को उन तमाम पर उबूर होता था, उस ज़माने में तुर्क़ व असानीद पर उन से ज़्यादा किसी को दस्तरस नहीं थी।

यूसुफ़ बिन मूसा मरोज़ी बयान करते हैं कि मैं बसरा की जामिअ मस्जिद में बैठा हुआ था कि मुनादी की आवाज़ आई, ऐ इल्म के तलबगारो! इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल यहां आए हुए हैं, जिस ने उन से अहादीस की रिवायत लेनी हो वह उनकी ख़िदमत में हाज़िर हो जाए। मरोज़ी कहते हैं कि मैंने देखा एक दुबला पतला सा नौजवान सुतून के क़रीब इन्तिहाई सादगी और ख़ुज़ूअ व ख़ुशूअ से नमाज़ पढ़ रह है, यही इमाम बुख़ारी थे। एलान सुनते ही चारों तरफ़ से मुश्ताक़ इमाम बुख़ारी के गिर्द जमा हो गए। इमाम बुख़ारी ने उन्हें अगले रोज़ अहादीस लिखवाने का वादा किया और दूसरे रोज़ सुबह मजलिसे इमला मुन्अक़िद हो गई। आपने फ़रमाया मैं तुम को वही अहादीस लिखवाऊंगा जो तुम्हारे शहर के मुहद्दिसीन बयान करते हैं लेकिन नई सनद के साथ, फिर आपने एक हदीस मन्सूर की रिवायत से पढ़ी और फ़रमाया तुम्हारे शहर वाले इस हदीस को मन्सूर के ग़ैर से रिवायत करते हैं। इसी तरह इमाम बुख़ारी ने उनको कसीर तादाद में अहादीस लिखवाईं और हर हदीस के बारे में फ़रमाते तुम्हारे शहर वालों ने उसको फ़ुलां से रिवायत किया है और मैं इसको फ़ुलां से लिखवाता हूं। (शहाबुद्दीन अहमद

अल कस्तलानी अल-मुतवफ्फी 923 हिजरी, इरशादुस्सारी जि: 1, स: 34)

हाफ़िज़ अबू आहमद आमश बयान करते हैं कि एक मर्तबा नीशापूर की एक मजलिस में इमाम मुस्लिम बिन हिजाज भी इमाम बुख़ारी से मिलने आए, दौराने मजलिस किसी शख़्स ने यह हदीस पढ़ी। عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن اسمٰعيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة المجلس اذا قام العبد ان يقول سبحنك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को सुन कर कहा सुब्हानल्लाह! किस क़दर उम्दा हदीस है, दुनिया में इसका सानी नहीं है यानी यह हदीस सिर्फ़ इसी सनद से पाई जाती है। फिर इमाम बुख़ारी से पूछा क्या इस हदीस की आपको किसी और सनद का इल्म है? इमाम बुख़ारी ने फ़रमाया हां लेकिन वह सनद मअलूल है। इमाम मुस्लिम ने दरख़्वास्त की कि मुझे वह सनद बतलाएं। इमाम बुख़ारी ने फ़रमाया जिस चीज़ को अल्लाह तआला ने ज़ाहिर नहीं किया उसे मख़्फ़ी ही रहने दो। इमाम मुस्लिम ने उठ कर इमाम बुख़ारी के सर को बोसा दिया और इस आजिज़ी से मुतालबा किया कि अगर इमाम बुख़ारी न बतलाते तो क़रीब था कि इमाम मुस्लिम रो पड़ते, बिल-आख़िर इमाम बुख़ारी ने फ़रमाया अगर नहीं मानते तो लिखो। حدثنا موسى بن اسمعيل حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة عن عون بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة المجلس الحديث.

इमाम मुस्लिम इस हदीस को सुन कर बेहद मसरूर हुए और बे-इख़्तियार कहने लगे ऐ इमाम मैं शहादत देता हूं कि दुनिया में कोई शख़्स आपका ममासिल नहीं है और जो शख़्स आप से बुग़्ज़ रखे वह हासिद के सिवा और कुछ नहीं होगा। (शहाबुद्दीन अहमद अल-कस्तलानी अल-मुतवफ्फी 923 हिजरी, इरशादुस्सारी जि: 1, स: 34)

मारिफ़त इलले हदीस:– इलले हदीस की मारिफ़त को इल्मे उसूले हदीस में इन्तिहाई अहमियत दी जाती है। हदीसे मुअल्लल उस हदीस को कहते हैं जिस में कोई इल्लते ख़ुफ़िया क़ादहा हो यानी हदीस बज़ाहिर सहीह मालूम होती हो लेकिन दरअस्ल उस में कोई सक़म हो मस्लन मौक़ूफ़ को मरफ़ूअ क़रार दिया गया हो या बिल-अक्स, इसी तरह मुरसल को मौसूल क़रार दिया हो या बिल-अक्स या एक हदीस के मतन को दूसरी हदीस में दाख़िल कर दिया गया हो या और कोई वहम हो। इन इलले मज़कूरा में से कोई इल्लत भी सनद या मतन में पाई जाती हो तो वह हदीस मुअल्लल होती है। अइम्मए हदीस ने रिवायते मुअल्लल की मारिफ़त को बहुत मुश्किल क़रार दिया है, हत्ता कि अब्दुर्रहमान मेहदी ने कहा कि इलले हदीस की मारिफ़त इल्हाम के सिवा हासिल नहीं होती।

इमाम बुख़ारी हदीस के बाक़ी फ़ुनून की तरह इलले हदीस में भी इन्तिहाई माहिर और अपने वक़्त के इमाम गरदाने जाते हैं और बड़े बड़े मशहूर मुहद्दिस आपकी ख़िदमत में हाज़िर होकर आप से इलले हदीस के बारे में मालूमात हासिल करते थे।

वराक़ बयान करते हैं कि एक मर्तबा इमाम मुस्लिम बिन हिजाज, इमाम बुख़ारी की ख़िदमत में हाज़िर हुए और कहा ऐ उस्ताज़ुल उसातिज़ा, सय्यदुल मुहद्दिसीन और इलले हदीस के तबीब यह बतलाएं कि اخبرنا ابن جريج عن موسى عن عقبه عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة इस सनद में कौन सी इल्लत है? इमाम बुख़ारी ने फ़रमाया कि मूसा बिन अक़बा का सुहैल से समाअ नहीं है पस जो हदीस बज़ाहिर

मुत्तसिल थी वह दर हक़ीक़त मुन्कता साबित हुई। (ताहिर बिन सालेह बिन अहमद अलजज़ाइरी, तौजीहुन्नज़र, स 268)

हाफ़िज़ अहमद बिन हम्दून बयान करते हैं कि मैंने एक जनाज़े के मौके पर देखा कि मुहम्मद बिन यहया ज़हली, इमाम बुख़ारी से अस्मा और इलल के बारे में सवाल कर रहे थे और इमाम बुख़ारी इस तेज़ी और रवानी से जवाब दे रहे थे जैसे आपके मुंह से जवाब नहीं कमान से तीर निकल रहा हो। (हाफ़िज़ इब्ने हजर अल-अस्क़लानी, हदीउस्सारी, जि: 2, स: 260)

निजी हालात:- इमाम बुख़ारी के वालिद मुहद्दिस इस्माईल बिन इब्राहीम इन्तिहाई अमीर कबीर शख़्स थे और इमाम बुख़ारी ने उन से विरासत में माल व दौलत का बहुत बड़ा हिस्सा हासिल किया था। इमाम बुख़ारी अपना माल मज़ारबत पर देते थे, खुद बिनफ़्सिही तिजारत नहीं करते थे। एक शख़्स ने आपके पच्चीस हज़ार दिरहम देने थे, आपने फ़रमाया तुम दस दिरहम माहाना अदा कर दिया करो।

अबू सईद बकर बिन मुनीर कहते हैं, एक मर्तबा अबू हफ़्स ने इमाम बुख़ारी के पास कुछ सामान भेजा, तुज्जार को पता चला तो वह उस सामान को ख़रीदने के लिए पहुंच गए और पांच हज़ार दिरहम की पेशकश की, आपने फ़रमाया रात को आना। शाम को ताजिरों का दूसरा गिरोह आया और उसने दस हज़ार दिरहम की पेशकश कर दी। आपने फ़रमाया मैं पहले गिरोह के साथ बेचने की नियत कर चुका हूं। अब पांच हज़ार दिरहम की ख़ातिर मैं आनी नियत बदलना नहीं चाहिता।

सादगी और इन्किसारी:- इमाम बुख़ारी मिज़ाज और तबियत के एतेबार से बहुत सादा और जफ़ाकश थे, अपनी ज़रूरत के तमाम काम खुद कर लिया करते थे। माल व दौलत और जाह मर्तबत के बावुजूद कभी खुद्दाम और गुलामों का हश्म क़ायम नहीं रखा। मुहम्मद बिन हातिम वराक़ आपके ख़ुसूसी शागिर्द थे, वह बयान करते हैं कि एक मर्तबा इमाम बुख़ारी बुख़ारा के क़रीब सराए बना रहे थे और अपने हाथों से उठा उठा कर दीवार में ईंटें लगा रहे थे। मैंने आगे बढ़ कर कहा आप रहने दीजिए यह ईंटें मैं लगा देता हूं। आपने फ़रमाया क़यामत के दिन यह अमल मुझे नफ़ा देगा।

वराक़ कहतें हैं कि जब हम इमाम बुख़ारी के साथ किसी सफ़र में जाते तो आप हम सबको एक कमरे में जमा कर दिया करते और खुदं अलाहिदा रहते। एक बार मैंने देखा इमाम बुख़ारी रात को पंदरह बीस मर्तबा उठे और हर मर्तबा खुद अपने हाथ से आग जला कर चराग़ रौशन किया। कुछ अहादीस निकालीं उन पर निशानात लगाए फिर तकिया पर सर रख कर लेट गए। मैंने अर्ज़ किया आपने रात को उठ कर तन्हा मशक़्क़त बरदाश्त की मुझे उठा लेते। फ़रमाया तुम जवान हो और गहरी नींद सोते हो मैं तुम्हारी नींद ख़राब करना।

फ़य्याज़ी:- इमाम बुख़ारी जिस क़दर माल से ग़नी थे, उससे ज़्यादा उनका दिल ग़नी था। बाज़ औक़ात एक दिन में तीन तीन सौ दिरहम सदक़ा कर दिया करते थे। वराक़ कहते हैं इमाम बुख़ारी की माहाना आमदनी पांच सौ दिरहम थी और यह तमाम रक़म वह तलबा पर ख़र्च कर दिया करते थे।

ज़ुहद:- लज़ाइज़े दुनियाविया और ऐश व इश्रत से इमाम बुख़ारी कोसों दूर थे, तलबे इल्म में बसा औक़ात उन्होंने सूखी हुई घास खा कर भी वक़्त गुज़ारा है। एक दिन में आम तौर पर सिर्फ़ दो या तीन बादाम खाया करते थे। एक मर्तबा बीमार पड़ गए, अतिब्बा ने बतलाया कि सूखी रोटी खा खा कर उन की अंतड़ियां सूख चुकी हैं। उस वक़्त इमाम बुख़ारी ने बतलाया कि वह चालिस साल से खुश्क रोटी खा रहे हैं और इस तवील अर्से में सालन को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया।

ख़ुदा ख़ौफ़ी:- इमाम बुख़ारी तक़वा और परहेज़गारी के आला दर्जे पर फ़ाइज़ थे। ज़ाहिर व बातिन में ख़ुदा से बेहद डरते थे, मुश्तबहात से बचते, ग़ीबत से परहेज़ करते और लोगों के हुक़ूक़ का पूरा ख़्याल रखते थे। उन्हें तीर अंदाज़ी का बेहद शौक़ था। एक मर्तबा उनका तीर नहर के पुल पर लगा और उस की कील ख़राब हो गई। इमाम बुख़ारी बेहद परेशान हुए और पुल के मालिक हमीद बिन अख़ज़र के पास पैग़ाम भेजा कि या हम को कील बदलने की इजाज़त दो या कील की क़ीमत ले लो और या हमारी ग़लती माफ़ कर दो। हमीद बिन अख़ज़र ने सलाम भेजा और कहा ऐ अबू अब्दुल्लाह! मैं सिर्फ़ यह कील नहीं बल्कि अपनी तमाम इमलाक तुम्हारे तसर्रुफ़ में देता हूं जिस तरह चाहे उन में तसर्रुफ़ करो। इमाम बुख़ारी ने जब यह जवाब सुना तो उनका चेहरा खिल उठा, उसी ख़ुशी में उन्होंने पांच सौ अहादीस बयान कीं और तीन सौ दिरहम सदक़ा कर दिए।

एक शख़्स ने इमाम बुख़ारी से कहा आपने तारीख़े कबीर में लोगों के उयूब बयान किए हैं और उनकी ग़ीबत की है। इमाम बुख़ारी ने कहा मैंने किसी शख़्स पर कोई हुक्म नहीं लगाया सिर्फ़ रिवायत बयान की है। चुनान्चे काज़िब रावियों को आपने तारीख़े कबीर में कज़्ज़ाब लिखने के बजाए कज़बहु फ़ुलां या रमाहु फ़ुलां बिल-किज़्ब लिखा है। बकर बिन मुनीर से रिवायत है कि इमाम बुख़ारी कहते थे कि मुझे उम्मीद है कि जब मैं अल्लाह तआला से मुलाक़ात करूंगा तो अल्लाह तआला मुझ से हिसाब नहीं लेगा क्योंकि मैंने किसी की ग़ीबत नहीं की।

इबादत व रियाज़त:- इमाम बुख़ारी बेहद इबादत गुज़ार और शबे बेदार थे, कसरत से नवाफ़िल पढ़ते और रोज़े रखते थे। रमज़ान शरीफ़ में हर रोज़ एक कुरआन शरीफ़ का ख़त्म करते और रोज़ाना निस्फ़ शब को उठ कर कुरआने करीम के दस पारों की तिलावत करते। तरावीह में ख़त्मे कुरआन करते और हर रकअत में बीस आयात की तिलावत किया करते थे।

अबू बकर बिन मुनीर कहते हैं कि एक मर्तबा मुहम्मद बिन इस्माईल नमाज़ पढ़ रहे थे, नमाज़ के बाद उन्होंने क़मीस का दामन उठाया और अपने एक शागिर्द से कहा ज़रा देखना मेरी क़मीस के नीचे क्या है? शागिर्द ने देखा क़मीस के नीचे ज़ंबूर थी, जिस ने उनके बदन पर पन्द्रह सोलह जगह डंग लगाया हुआ था, जिसकी वजह से आपका बदन जगह जगह से सूझ गया था। इब्ने मुनीर ने पूछा जब आपको ज़ंबूर ने पहली मर्तबा काटा तो उस वक़्त आपने नमाज़ क्यों नहीं तोड़ी। आपने फ़रमाया मैं कुरआने करीम की जिस आयत की तिलावत कर रहा था, उस में इतना ज़ौक़ व शौक़ पा रहा था कि मैं उस वक़्त इस तकलीफ़ की तरफ़ मुतवज्जह न हो सका।

अख़लाक़े हसना:- इमाम बुख़ारी बड़े ख़लीक़, इन्तिहाई बुर्दबार और हलीम थे, किसी शख़्स की बदसुलूकी पर वह कभी ग़ैज़ व ग़ज़ब में न आते और बुराई का बदला हमेशा नेकी से दिया करते थे। किसी शख़्स की इस्लाह मक़सूद होती तो उसे बरसरे मजलिस कभी मलामत न करते, हर शख़्स की इज़्ज़ते नफ़्स का ख़्याल रखते और कभी किसी शख़्स को शर्मिंदा न होने देते।

अब्दुल्लाह मुहम्मद सयानी बयान करते हैं कि एक मर्तबा इमाम बुख़ारी लिख रहे थे। नागाह कनीज़ आगे से गुज़री और उस ने पैर की ठोकर से दवात गिरा दी। आपने फ़रमाया देख कर चला करो, उस ने तिनक कर बदतमीज़ी से जवाब दिया जब रास्ता न हो तो कैसे चलूं? आपने नज़र उठा कर उसे देखा और कहा जाओ तुम आज़ाद हो।

अली बिन मुहम्मद मन्सूर अपने बाप से रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा इमाम बुख़ारी मस्जिद के अंदर हल्क़ाए अस्हाब में बैठे हुए थे एक शख़्स की दाढ़ी में कोई गंदी चीज़ लगी हुई थी उस ने वह गंदगी दाढ़ी से निकाल कर मस्जिद के फ़र्श पर फेंक दी। अली बिन मुहम्मद कहते हैं कि मैंने देखा कि इमाम बुख़ारी ने लोगों की नज़रें बचा कर चुपके से वह गंदगी अपनी आसतीन में उठा कर रख ली और बाद में लोगों के जाने के बाद वह गंदगी मस्जिद के बाहर फेंक दी। इस तरह इमाम बुख़ारी ने मस्जिद के फ़र्श को भी गंदगी से साफ़ किया और उस शख़्स को भी बरसरे मजलिस शर्मिंदगी से बचा लिया। (सीरत के यह तमाम वाक़िआत हदीउस्सारी जि: 2, स: 4 से 252 से लिए गए हैं)

इमाम बुख़ारी बेहद साबिर व शाकिर थे और अपनी ज़ात का इन्तिक़ाम बिल्कुल नहीं लेते थे। उनके शुयूख़ में से मुहम्मद बिन यहया ज़ुहली ने नीशापूर में अल्फ़ाज़े क़ुरआन को ग़ैर मख़लूक़ न कहने पर इमाम बुख़ारी के ख़िलाफ़ महाज़ क़ायम कर दिया और इमाम बुख़ारी के दर्स पर पाबंदी लगा दी और बर-सरे आम कह दिया कि बुख़ारी इस शहर में नहीं रह सकते जिसकी वजह से इमाम बुख़ारी नीशापूर छोड़ने पर मजबूर हो गए। ज़ुहली की इस बद-सुलूकी से इमाम मुस्लिम इस क़दर बरहम हुए कि उन्होंने वह तमाम अहादीस जो ज़ुहली से इमला की थीं, एक बंडल में बांध कर वापस ज़ुहली को भिजवा दीं। लेकिन इमाम बुख़ारी ने ज़ुहली की रिवायत को नहीं छोड़ा और सहीह बुख़ारी में ज़ुहली की रिवायत को बरक़रार रखा अल्बत्ता पूरा नाम ज़िक्र करने की बजाए या फ़क़त मुहम्मद लिखते हैं या उसके दादा की तरफ़ निस्बत करके मुहम्मद बिन ख़ालिद लिखते। किसी ने इस इज्माल की वजह पूछी तो बतलाया कि ज़ुहली मुझ पर जिरह करता है, अगर मैं उसका नाम सराहतन ज़िक्र करूं तो वह मुतअय्यन हो जाएगा और लोग समझेंगे कि मैं अपने जारेह की तअदील कर रहा हूं और इससे मेरी सदाक़त और अदालत पर हर्फ़ आएगा जिसका असर मेरी रिवायत पर पड़ेगा।

इमाम बुख़ारी का फ़िक़्ही मस्लक:- इमाम बुख़ारी के अपने कलाम में इस बात की कोई तसरीह नहीं है कि उनका फ़िक़्ही मस्लक क्या था, अल्बत्ता जामेअ सहीह में इमाम बुख़ारी ऐसी अहादीस बकस्रत लाए हैं जो मस्लके शाफ़ई की मोइद हैं और ग़ालिबन इसी बिना पर बाज़ मशाहीर उलमा ने उनको इमाम शाफ़ई का मुक़ल्लिद गरदाना है, चुनान्चे इमाम क़स्तलानी ताजुद्दीन सुबकी के हवाले से लिखते हैं:-

"وقد ذکرہ ابو عاصم فی طبقات اصحابنا الشافعیہ" अबू आसिम ने इमाम बुख़ारी को हमारे तब्क़ाते शाफ़इया में बयान किया है। (इरशादुस्सारी जि: 1, स 36)

और ताजुद्दीन सुबकी इमाम बुख़ारी के बारे में लिखते हैं:- "وسمع بمكة عن الحميدى وعليه تفقه على الشافعي" यानी इमाम बुख़ारी ने मक्का में हुमैदी से समाअ किया और उन्हीं से फ़िक़्हे शाफ़ई पढ़ी। (इमाम ताजुद्दीन सुबकी अल-मुतवफ़्फ़ी 771 हिजरी, तब्क़ाते शाफ़इयतुल कुबरा जि: 2, स: 3)

एक और जगह लिखते हैं:- "ذکر ابو عاصم العبادی ابا عبداللہ فی کتابہ الطبقات وقال سمع من الزعفرانی و ابی ثور والکرابیسی قلت و تفقہ علی الحمیدی و کلھم من اصحاب الشافعی" अबू आसिम इबादी ने इमाम बुख़ारी का ज़िक्र अपनी किताब तब्क़ाते शाफ़इया में किया है और कहा है कि इमाम बुख़ारी ने ज़ाफ़रानी, अबू सौर और कराबीसी से समाअ किया है और मैं कहता हूं उन्होंने हुमैदी से फ़िक़्ह पढ़ी है और

यह सब इमाम शाफ़ई के शागिर्द थे। (इमाम ताजुद्दीन सुबकी अल-मुतवफ़्फ़ी 771 हिजरी, तबक़ाते शाफ़इयतुल कुबरा जि: 2, स: 4)

इमाम ताजुद्दीन सुबकी ने यह तमाम सुबूत हाफ़िज़ अबू आसिम के इस क़ौल को तक़्वियत पहुंचाने के लिए ज़िक्र किए हैं कि इमाम बुख़ारी शाफ़ई मज़हब थे। हाफ़िज़ अबू आसिम 357 हिजरी में इमाम बुख़ारी के विसाल के ठीक एक सौ एक साल बाद पैदा हुए, उनका ज़माना इमाम बुख़ारी के बहुत क़रीब था इस लिए उनकी बात पर एतमाद करने की वुजूह हैं।

और नवाब सिद्दीक़ हसन भोपाली मदीनतुल उलूम से नक़्ल करके लिखते हैं:-

"ولنذكر بعد ذلك نبذا من ائمة الشافعية ليكون الكتب كامل الطرفين حائز الشرفين وهؤلاء صنفان احدهما من تشرف بصحبته الامام الشافعي والاخر من تلاهم من الائمة اما الاول فمنهم احمد الخلال ابو جعفر البغدادى و اما الصنف الثانى فمنهم محمد بن ادريس ابو حاتم الرازى و محمد بن اسمعيل البخارى و محمد بن على الحكيم ترمذى."

और हमें चाहिए कि अब कुछ अइम्मए शाफ़इया का तज़्किरा करें ताकि हमारी किताब हनफ़ी और शाफ़ई दोनों तरफ़ों की जामेअ हो जाए और अइम्मए शाफ़इया दो क़िस्म पर हैं एक वह जो इमाम शाफ़ई की सोहबत से मुशर्रफ़ हैं जैसे अहमद ख़ालाल और अबू जाफ़र बग़दादी, दूसरी क़िस्म के अइम्मए शाफ़इया वह हैं जैसे मुहम्मद बिन इदरीस राज़ी, मुहम्मद बिन इस्माईल अल-बुख़ारी और हकीम तिर्मज़ी। (नवाब सिद्दीक़ हसन भोपाली अल-मुतवफ़्फ़ी, अब्जदुल उलूम स: 811)

इन ठोस हवाला-जात के पेशे नज़र उम्मत की अकसरियत इस तरफ़ गई है कि इमाम बुख़ारी शाफ़ई मज़हब थे।

बहर हाल इमाम बुख़ारी शाफ़ई होने की तक़दीर पर भी महज़ मुक़ल्लिद नहीं थे बल्कि मुज्तहिद फ़िल मसाइल थे और तब्क़ाते फ़ुक़हा में तीसरे दर्जे पर फ़ाइज़ थे, यही वजह है कि वह बाज़ मसाइल में इमाम शाफ़ई से इख़्तिलाफ़ करते हैं और उन मसाइल में खुद इज्तिहाद करते हैं। इसी लिए अहले इल्म के नज़्दीक इमाम बुख़ारी की मिसाल शवाफ़ेअ में ऐसी है जैसे अहनाफ़ में इमाम अबू जाफ़र तहावी की।

कलिमातुस्सना:- इमाम बुख़ारी के इल्मी और अमली कमालात और उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब का उनके ज़माने के तमाम अहले फ़ज़्ल हज़रात ने एतेराफ़ किया है। जिन लोगों ने आपकी इल्मी और अमली ख़िदमात को सराहा उन में आपके मशाइख़, मुआसिरीन और तलामज़ा की एक तवील फ़ेहरिस्त है। अगर इमाम बुख़ारी के हक़ में बयान किए गए तमाम तारीफ़ी कलिमात को जमा किया जाए तो एक ज़ख़ीम किताब मुरत्तब हो सकती है। अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी लिखते हैं कि इमाम बुख़ारी की इस क़दर मदह व सना की गई है कि क़िरतास व क़लम ख़त्म हो सकते हैं लेकिन उनके मनाक़िब का बयान ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि यह वह समुन्द्र है जो अपना साहिल नहीं रखता।

असातज़ा से:- इमाम बुख़ारी के उसताज़ अबू मुसअब अहमद बिन अबी बकर ने कहा, इमाम बुख़ारी हदीस में इमाम अहमद बिन हंबल से ज़्यादा बसीरत रखते हैं। किसी शख़्स ने इस बात पर तअज्जुब किया तो उन्होंने कहा अगर तुम इमाम मालिक को देखते तो उन में और बुख़ारी में सरे-मू फ़र्क़ न पाते। इमाम बुख़ारी के एक और उसताज़ क़तीबा बिन सईद ने कहा, मेरे पास मश्रिक़ व मग़्रिब

से बे-शुमार लोग इल्मे हदीस की तहसील के लिए आए लेकिन उन में बुख़ारी जैसा कोई न था। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, अर्ज़े खुरासान ने आज तक बुख़ारी की नज़ीर नहीं पैदा की। इस्हाक़ बिन राहविया ने कहा, बुख़ारी से अहादीस रिवायत करो और उनको लिख लिया करो। बिला रैब अगर बुख़ारी, हसन बसरी के ज़माने में होते तो वह इल्मे हदीस में उनकी तरफ़ रुजूअ करते।

मुआसिरीन से:- इमाम बुख़ारी के मुआसिरीन में से दारमी ने कहा, मैंने हिजाज़, शाम और इराक़ के उलमा देखे मगर बुख़ारी जैसा कोई नहीं देखा। इस्हाक़ बिन ख़ुज़ैमा ने कहा इस आसमान के नीचे मुहम्मद बिन इस्माईल से बढ़ कर कोई आलिमे बिल-हदीस नहीं है। हातिम बिन मन्सूर ने कहा, इमाम बुख़ारी अल्लाह तआला की आयात में से एक आयत हैं।

तलामज़ा से:- शागिर्दों में से इमाम तिर्मज़ी ने कहा, मैंने असानीद और इलल के इल्म में इमाम बुख़ारी से बढ़ कर किसी को नहीं पाया। इमाम मुस्लिम ने कहा, मैं शहादत देता हूं कि इमाम बुख़ारी का कोई ममासिल नहीं है और सलीम बिन मुजाहिद ने कहा, मैंने साठ साल से इमाम बुख़ारी जैसा कोई शख़्स न इल्म में देखा है न अमल में। (इब्ने हजर अस्क़लानी मुतवफ़्फ़ी 852 हिजरी, हदीउस्सारी, जि:2 स: 254)

तलामज़ा की तादाद:- इमाम बुख़ारी के ज़माने में बसरा, बग़दाद, नीशापूर, समरकंद और बुख़ारा उलूमे इस्लामिया के मरकज़ क़रार दिए जाते थे। इन शहरों में इमाम बुख़ारी बारहा गए और बे-हिसाब लोगों को अहादीस इमला कराईं। बुख़ारा से लेकर हिजाज़ तक इमाम बुख़ारी के तलामज़ा का सिलसिला फैला हुआ था। मुल्ला अली क़ारी हरवी और क़स्तलानी ने लिखा है कि इमाम बुख़ारी से एक लाख अश्ख़ास ने रिवायत की है लेकिन हक़ीक़त यह है कि अदद व शुमार उनके तलामज़ा का इहसार करने से क़ासिर है।

हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी ने इमाम बुख़ारी के तलामज़ा का इज्मालन ज़िक्र किया है। वह लिखते हैं कि इमाम बुख़ारी के मशाइख़ में से अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मस्नदी, अब्दुल्लाह बिन मुनीर, इस्हाक़ बिन अहमद सरमादी और मुहम्मद बिन ख़लफ़ बिन क़ुतैबा ने उन से रिवायत की है। (शहाबुद्दीन इब्ने हजर अस्क़लानी मुतवफ़्फ़ी 852 हिजरी, हदीउस्सारी जि: 2, स: 265)

मुआसिरीन में से अबू ज़रआ, अबू हातिम राज़यान, इब्राहीम हरबी, अबू बकर बिन अबी आसिम, मूसा बिन हारून जमाल, मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन मुतयिन, इस्हाक़ बिन अहमद बिन ज़ीरक फ़ारसी, मुहम्मद बिन क़ुतैबा बुख़ारी और अबू बकर बिन अमीन ने इमाम बुख़ारी से रिवायत की है।

अकाबिरीन में से हाफ़िज़ सालेह बिन मुहम्मद, मुस्लिम बिन हज्जाज, अबुल फ़ज़्ल अहमद बिन सलमा, अबू बकर बिन इस्हाक़ बिन ख़ुज़ैमा, मुहम्मद बिन नसर मरोज़ी, अबू अब्दुर्रहमान नसाई और अबू ईसा तिर्मज़ी ने इमाम बुख़ारी से रिवायत की है।

जिन लोगों ने बाक़ायदा शागिर्दी इख़्तियार की और इमाम बुख़ारी का एतमाद हासिल किया उनके नाम यह हैं:- उमर बिन मुहम्मद बुहैरी, अबू बकर बिन अबिहुनया, अबू बकर बज़्ज़ार, हुसैन बिन मुहम्मद बताई, याक़ूब बिन यूसुफ़ बिन अख़रम, अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन नाजिह, सहल बिन शाज़विया बुख़ारी, उबैदुल्लाह बिन वासिल, क़ासिम बिन ज़करिया मतरज़, अबू क़ुरैश मुहम्मद बिन जुम्आ, मुहम्मद बिन सुलैमान बाग़नदी, इब्राहीम बिन मूसा जौहरी, अली बिन अब्बास, अबू हामिद आमशी, अबू बकर अहमद बिन मुहम्मद बिन सदक़ा बग़दादी, इस्हाक़ बिन दाऊद, हाशिद बिन इस्माईल बुख़ारी, मुहम्मद बिन

अब्दुल्लाह बिन जुनैद, मुहम्मद बिन मूसा, जाफ़र बिन मुहम्मद नीशापूरी, अबू बकर बिन दाऊद, अबू क़ासिम बग़वी, अबू मुहम्मद बिन साइद, मुहम्मद बिन हारून हज़रमी और हुसैन बिन आमली बग़दादी।

तसानीफ़:- इमाम बुख़ारी की ज़िंदगी का अकसर हिस्सा अहादीस की तलाश में शहर दर शहर सफ़र में गुज़रा है और उन्हें किसी एक जगह सुकून से बैठ कर काम करने का मौक़ा बहुत कम मिला है। इस के बावुजूद उन्होंने ख़ातिर ख़्वाह तादाद में तसानीफ़ छोड़ी हैं। हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी और दीगर हज़रात ने जो इमाम बुख़ारी की तसानीफ़ गिनवाई हैं वह यह हैं:-

(1) अल-जामिउस्सहीह (2) अत्तारीख़ुल कबीर (3) अत्तारीख़ुल औसत (4) अत्तारीख़ुल सग़ीर (5) किताबुज्ज़ुअफ़ा (6) किताबुल कनी (7) अल-अदबुल मुफ़रद (8) जुज़ रफ़उल यदैन (9) जुज़ु क़िरातु ख़लफ़ुल इमाम (10) किताबुल अशरबा (11) कितबुल हिबा (12) किताबुल इलल (13) बरालउल वालिदैन (14) अल जामिउल कबीर (15) अत्तफ़सीरुल कबीर (16) अल मुस्नदुल कबीर (17) ख़ल्क़ अफ़आलुल इबाद (18) क़ज़ायतुस्सहाबा वत्ताबईन (19) किताबुल वहदान (20) किताबुल मबसूत (21) किताबुल फ़वाइद (22) असामिउस्सहाबा।

ख़ल्क़े क़ुरआन का मुनाक़शा:- 250 हिजरी में इमाम बुख़ारी ने नीशापूर आने का प्रोग्राम बनाया। इस ख़बर को सुनते ही अहालियाने नीशापूर में फ़रहत व मुसर्रत की लहर दौड़ गई। उस ज़माने में मुहम्मद बिन यहया ज़हली नीशापूर की इल्मी रियासत के वाली थे। मुहम्मद बिन यहया ज़हली ने शहर के लोगों को इमाम बुख़ारी के इस्तक़बाल की तल्क़ीन की, चुनान्चे लोगों की एक बड़ी तादाद ने मुहम्मद बिन यहया की क़यादत में शहर से तीन मरहला आगे जाकर इमाम बुख़ारी का इस्तक़बाल किया और इन्तिहाई तुज़क व इहतेशाम से इमाम बुख़ारी को शहर में लेकर आए। इमाम मुस्लिम बिन हिजाज कहते हैं, मैंने इससे पहले इतना अज़ीमुश्शान इस्तक़बाल न किसी आलिम का देखा था न किसी हाकिम का।

इमाम बुख़ारी ने नीशापूर में दर्से हदीस देना शुरू किया, उन के दर्स में हर वक़्त इज़्दहाम रहता था और बे-हिसाब लोग इमाम बुख़ारी से इल्मे हदीस का इस्तिफ़ादा करते थे। बाज़ हासिदीन को इमाम बुख़ारी की शोहरत और मक़बूलियत बुरी लगी और उन्होंने मुहम्मद यहया को इमाम बुख़ारी का मुख़ालिफ़ बना दिया। इसकी तफ़सील यह है कि मुहम्मद बिन यहया ज़हली क़ुरआने करीम के अल्फ़ाज़ को भी क़दीम मानते थे, इस पर बड़ी शिद्दत से क़ायम थे। किसी शख़्स ने जाकर इमाम बुख़ारी से पूछा कि क़ुरआन मख़लूक़ है या ग़ैर मख़लूक़? इमाम बुख़ारी टालते रहे, जब उस ने ज़्यादा इसरार किया तो आपने कहा: القرآن كلام الله غير مخلوق उस ने फिर इसरार किया क़ुरआन के अल्फ़ाज़ का हुक्म बतलाइए, तो आपने कहा افعالنا مخلوقة والفاظنا من افعالنا (हमारे अफ़आल मख़लूक़ हैं और अल्फ़ाज़ भी हमारे अफ़आल हैं) बस फिर क्या था शोर मच गया कि इमाम बुख़ारी अल्फ़ाज़े क़ुरआन को मख़लूक़ मानते हैं। जब ज़हली तक यह ख़बर पहुंची तो वह तमाम इनायात मुन्क़ता करके यकसर मुख़ालिफ़ हो गए और एलान कर दिया कि बुख़ारी के दर्स में कोई शख़्स न जाए। चुनान्चे मुस्लिम बिन हिजाज के सिवा तमाम लोगों ने इमाम बुख़ारी के दर्स में जाना बन्द कर दिया। आख़िर-कार जब इमाम बुख़ारी अहले नीशापूर से मायूस हो गए तो आपने नीशापूर से बुख़ारा की तरफ़ रवांगी का क़सद कर लिया। (हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी 852 हिजरी, हदीउस्सारी, जि: 2, स: 262)

वतन को वापसीः– जब अहले वतन को मालूम हुआ कि इमाम बुख़ारी वतन वापस लौट रहे हैं तो उनें बेहद ख़ुशी हुई। उन्होंने बुख़ारा से कई मंज़िल पहले इमाम बुख़ारी की पेशवाई के लिए ख़ेमे नस्ब कर दिए और बड़े तुज़को एहतमाम और शान व शौकत से इमाम बुख़ारी को शहर लेकर आए। इमाम बुख़ारी ने बुख़ारा में दर्स क़ायम कर दिया और इत्मिनान से पढ़ाने में मसरूफ़ हो गए।

हासिदीन ने यहां भी इमाम बुख़ारी का पीछा न छोड़ा, वह ख़िलाफ़ते अब्बासिया के नायब ख़ालिद बिन अहमद ज़हली वाली बुख़ारा के पास गए और उससे कहा कि इमाम बुख़ारी से कहिए कि वह आपके साहिबज़ादे को घर आकर पढ़ाया करें। जब वाली बुख़ारा ने इमाम बुख़ारी से यह फ़रमाइश की तो आपने फ़रमाया, मैं इल्म को सलातीन के दरवाज़े पर ले जाकर ज़लील करना नहीं चाहता। जिस शख़्स को पढ़ने की ज़रूरत है उसको मेरे दर्स में आना चाहिए। वालीए बुख़ारा ने कहा अगर मेरा लड़का दर्स में आए तो वह आम लोगों के साथ बैठ कर नहीं पढ़ेगा, आपको उसे अलाहिदा पढ़ाना होगा। इमाम बुख़ारी ने जवाब दिया, मैं किसी शख़्स को अहादीसे रसूल की समाअत से रोक नहीं सकता। यह जवाब सुन कर हाकिम नाराज़ हो गया और उस ने इब्नुल वक़्त उलमा से इमाम बुख़ारी के ख़िलाफ़ फ़तवा हासिल करके उन्हें शहर से निकल जाने का हुक्म दे दिया।

इमाम बुख़ारी अपने वतन में आकर बे-वतन होने पर बहुत आज़ुर्दा हुए। अभी एक माह भी न गुज़रा था कि ख़लीफ़ा ने वालीए बुख़ारा ख़ालिद बिन अहमद ज़हली को माज़ूल कर दिया और उसे गधे पर सवार करा के महल से निकाला गया और क़ैद-ख़ाने में बन्द कर दिया गया, जहां वह इन्तिहाई ज़िल्लत और रुस्वाई से चन्द दिन गुज़ारने के बाद हलाक हो गया। इसी तरह जिन लोगों ने अमीरे बुख़ारा की मुआविनत की थी वह सब मुख़्तलिफ़ बलाओं में गिरफ़्तार होकर हलाक हो गए। (हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी 852 हिजरी, हदीउस्सारी जिः 2, सः 265)

विसालः– बुख़ारा से वापस होने के बाद इमाम बुख़ारी ने समरक़ंद जाने का क़स्द किया। अभी समरक़ंद से कई मंज़िल दूर थे तो आपको इत्तिलाअ मिली कि अहले समरक़ंद में आपके बारे में दो राय हो गई हैं। यह सुन कर आप वहीं रास्ते में ख़रतंग नामी एक बस्ती में रुक गए और अल्लाह तआला से दुआ की, ऐ ख़ुदा! यह ज़मीन अपनी वुस्अत के बावुजूद मुझ पर तंग होती जा रही है, मुझे अपने पास वापस बुला ले। इस दुआ के बाद आप बीमार पड़ गए। इस असना में अहले समरक़ंद ने बुलाने के लिए आपके पास क़ासिद भेजा, आप जाने के लिए तय्यार हुए मगर ताक़त ने साथ न दिया। चन्द दुआएं पढ़ीं और लेट गए। जिस्म से पसीना बहना शुरू हुआ। अभी वह पसीना ख़ुश्क न हुआ था कि आपने जान, जाने आफ़रीन के सिपुर्द कर दी और इस तरह एक शव्वाल 256 हिजरी को 62 साल की ज़िन्दगी गुज़ार कर रात के वक़्त इल्म व फ़ज़्ल का वह अज़ीम आफ़ताब ग़ुरूब हो गया, जिसके इल्म व अमल की रौशनी से समरक़ंद, बुख़ारा, बग़दाद और नीशापूर के बे-शुमार अवाम व ख़्वास अपने दिल व दिमाग़ को मनव्वर कर रहे थे।। (हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी 852 हिजरी, हदीउस्सारी जिः 2, सः 266)

बारगाहे रिसालत में मक़बूलियतः– इमाम बुख़ारी ने सारी उम्र रसूलुल्लाह ﷺ के उसवा की तलाश, आपके अक़्वाल की ततब्बुअ और आपकी अहादीस की ख़िदमत में गुज़ारी। उनकी ज़िन्दगी का एक एक अमल मुताबिअते रसूल का मज़हर था। वराक़ कहते हैं, मैंने एक मर्तबा ख़्वाब में

देखा कि इमाम बुख़ारी हुज़ूर ﷺ के पीछे पीछे जा रहे हैं और हुज़ूर जिस जगह क़दम रखते हैं इमाम बुख़ारी भी उस जगह क़दम रखते हैं। (हाफ़िज़ इब्ने हजर असक़लानी 852 हिजरी, हदीउस्सारी जि: 2, स: 262)

नजम कहते हैं मैंने ख़्वाब में देखा कि मैं किसी जगह जा रहा हूं। हुज़ूर ﷺ ने पूछा कहां जा रहे हो? मैंने अर्ज़ किया, मुहम्मद बिन इस्माईल के पास। आपने फ़रमाया: "जाओ और उसे जाकर मेरा सलाम कहना।"

हुज़ूर ﷺ की यह इनायत जिस तरह ज़िन्दगी में इमाम बुख़ारी के शामिले हाल थी उसी तरह विसाल के बाद भी यह नवाज़िश उन पर साया फ़िगन रही। चुनान्चे अब्दुल वाहिद बिन आदम तवावीसी कहते हैं कि मैंने एक रात ख़्वाब देखा कि हुज़ूर ﷺ जमाअते सहाबा के साथ एक जगह खड़े हुए हैं। मैंने पूछा हुज़ूर किस का इन्तिज़ार है? फ़रमाया: "बुख़ारी का।" तवावीसी कहते हैं, चन्द दिन बाद मुझे बुख़ारी के विसाल की ख़बर पहुंची, मैंने तहक़ीक़ की तो मालूम हुआ कि इमाम बुख़ारी का उसी रात इन्तिक़ाल हुआ था, जिस रात मैंने ख़्वाब में हुज़ूर ﷺ की ज़ियारत की थी।

मज़ारे बुख़ारी की बरकात:- इमाम बुख़ारी की नमाज़े जनाज़ा के बाद जब उनकी क़ब्र पर मिट्टी डाली गई तो मुद्दतों तक उस मिट्टी से मुश्क की महक आती रही और अर्सए दराज़ तक लोग दूर दूर से आकर इमाम बुख़ारी की क़ब्र की मिट्टी को बतौर तबर्रुक ले जाते रहे। (हाफ़िज़ इब्ने हजर असक़लानी 852 हिजरी, हदीउस्सारी जि: 2, स: 266)

अबुल फ़तह समरकंदी बयान करते हैं कि इमाम बुख़ारी के विसाल के दो सौ साल बाद समरकंद में बारिश न होने की वजह से क़हत नमूदार हो गया। लोगों ने बारहा नमाज़े इस्तिस्क़ा पढ़ी, दुआएं मांगीं मगर बारिश न हुई। फिर एक नेक सालेह क़ाज़ीए शहर के पास गया और उसको मशवरा दिया कि तुम शहर के लोगों को लेकर इमाम बुख़ारी की क़ब्र पर जाओ और वहां जाकर अल्लाह तआला से बारिश की दुआ मांगो, शायद अल्लाह तआला तुम्हारी दुआ क़ुबूल करले। क़ाज़ीए शहर ने यह मशवरा क़ुबूल कर लिया और शहर के लोगों को लेकर इमाम बुख़ारी की क़ब्र पर हाज़िर हुआ। लोगों ने वहां गिर्या व ज़ारी का इज़हार किया और अल्लाह तआला से निहायत ख़ुज़ूअ व ख़ुशूअ से दुआ मांगी और इमाम बुख़ारी से क़ुबूलियते दुआ के लिए सिफ़ारिश की दरख़्वास्त की। उसी वक़्त आसमान पर बादल उमंड आए और सात दिन लगातार इस क़दर बारिश होती रही कि लोगों के लिए ख़रतंग से समरकंद पहुंचना मुश्किल हो गया। (शहाबुद्दीन अहमद क़स्तलानी मुतवफ़्फ़ा 923 हिजरी, इरशादुस्सारी जि: 1, स: 39)

हर्फ़े आख़िर:- इमाम बुख़ारी आलिम व फ़ाज़िल, आबिद व ज़ाहिद और फ़य्याज़ व जव्वाद थे। उन का सीना हमेशा ख़ौफ़े इलाही से ज़र्द और मुहब्बते रसूल से रौशन रहता था। उनके फ़ैज़ान का जो सिलसिला उनकी ज़िन्दगी में क़ायम हुआ था वह आज तक नहीं टूटा और आज उम्मते मुस्लिमा दीन के जिन अहकाम से वाक़िफ़ है उन में इमाम बुख़ारी की ख़िदमात का बहुत बड़ा हिस्सा है। उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ की अहादीस की इशाअत की, अल्लाह तआला ने उनके ज़िक्र को दुनिया में फैला दिया और हक़ यह है कि जब तक मदारिस और मकातिब में क़ौल व काले रसूल ﷺ की महफ़िल सजी रहेगी आसमाने रहमत से बुख़ारी की क़ब्र पर अनवार व तजल्लियात की बारिश होती रहेगी।

सहीह बुख़ारी

इमाम बुख़ारी की तसानीफ़ यूं तो बीस से ज़्यादा हैं लेकिन जो अज़मत, शोहरत और मक़बूलियत सहीह बुख़ारी के हिस्से में आई वह और किसी किताब को हासिल न हो सकी बल्कि हक़ यह है कि तमाम उम्महात कुतुबे हदीस में जो मक़ाम सहीह बुख़ारी को हासिल हुआ वह और किसी किताब ने नहीं पाया। नीज़ उलमाए उम्मत का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि किताबुल्लाह के बाद सहीह बुख़ारी से ज़्यादा कोई सहीह किताब रूए ज़मीन पर मौजूद नहीं है। इमाम शाफ़ई ने मोअत्ता इमाम मालिक को सहीह तरीन किताब क़रार दिया था लेकिन वह सहीह बुख़ारी की तस्नीफ़ से पहले की बात थी। वाक़िआ यह है कि सहीह बुख़ारी के मन्ज़रे वुजूद में आने के बाद मुतक़द्दमीन की तमाम किताबें पसे मंज़र में चली गईं।

मुताख़्ख़िरीन की किताबों में सहीह मुस्लिम ने बेशक बड़ा नाम कमाया बल्कि बाज़ मग़ारबा ने सहीह मुस्लिम को सहीह बुख़ारी पर तरजीह भी दे डाली लेकिन उन लोगों को जम्हूर की मुवाफ़िक़त हासिल न हो सकी और मुहक़्क़िक़ीन ने दलाइल व बराहीन से साबित कर दिखाया कि मुस्लिम की अहादीस का दर्जा सेहत और इत्तिसाल में बुख़ारी से बहुत कम है। हक़ीक़त ये है कि इमाम मुस्लिम ने अपनी सहीह में जिस क़दर अहादीस दर्ज की हैं वह सब इमाम बुख़ारी की तवज्जो और इनायत का समरा हैं, इसी लिए दारे क़ुतनी ने कह दिया कि अगर इमाम बुख़ारी न होते तो इमाम मुस्लिम से किसी हदीस का ज़ुहूर न होता।

सबबे तालीफ़:- अहदे सहाबा व ताबईन में तदवीने अहादीस का एहतमाम नहीं था, जिस की अस्ल वजह यह थी कि उन लोगों को अपने ज़ब्ते सदर और हाफ़िज़ा पर क़वी एतमाद था अल्बत्ता तबअ ताबईन के अहद में तदवीने हदीस का आम रिवाज हो चुका था और मुतादिद जलीलुल क़दर मुहद्दिसीन ने मजमूआ अहादीस तरतीब दे रखे थे। उन किताबों में इमाम अबू हनीफ़ा की किताबुल आसार, इमाम मालिक की मोअत्ता, जामेअ सुफ़्यान सौरी, मुसन्निफ़ इब्ने अबी शैबा, मुसन्निफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ और मुस्नदे अहमद की बहुत शोहरत थी लेकिन उस वक़्त तक हदीस के मौज़ूअ पर जिस क़दर किताबें मुअर्रिज़े वुजूद में आई थीं, उन में से किसी किताब में भी सिर्फ़ अहादीसे सहीहा लाने का इल्तिज़ाम नहीं किया गया था बल्कि उनमें शाज़, मुन्कर, मुदल्लस और मुअल्लल हर क़िस्म की रिवायात जमा करदी गई थीं। उस वक़्त इस बात की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की जा रही थी कि एक ऐसा मजमूआ अहादीस तरतीब दिया जाए जिस में सिर्फ़ अहादीसे सहीहा को जमा किया जाए। इसी ज़रूरत के पेशे नज़र इमाम बुख़ारी के उसताद इस्हाक़ बिन राहविया ने इमाम बुख़ारी से कहा, काश! तुम रसूलुल्लाह ﷺ की सुनन को असानीदे सहीहा के साथ जमा करलो ताकि सहीह मुजर्रद का मजमूआ तय्यार हो जाए।

उसी ज़माने में इमाम बुख़ारी ने ख़्वाब देखा कि वह हुज़ूर ﷺ के सामने खड़े हुए पंखा झल कर मक्खियां उड़ा रहे हैं। उस ख़्वाब की ताबीर यह बताई गई कि इमाम बुख़ारी हुज़ूर ﷺ की तरफ़ मन्सूब झूटी बातों को दूर करेंगे। इस ताबीर के बाद इमाम बुख़ारी ने अहादीसे सहीहा जमा करने का पुख़्ता अज़्म कर लिया। (मुल्ला अली क़ारी मुतवफ़्फ़ा, मिरक़ातुल मफ़ातीह जि: 1, स: 13)

बज़ाहिर मालूम होता है कि सहीह बुख़ारी की तालीफ़ के सिर्फ़ यही दो सबब थे लेकिन अगर नज़रे

गाइर से सहीह बुख़ारी का मुताला किया जाए तो पता चलता है कि तालीफ़े सहीह का मक़सद सिर्फ़ जमा अहादीस ही नहीं बल्कि तराजिम पर इस्तिदलाल और अहादीस से मसाइल का इस्तंबात भी है। क्योंकि बसा औक़ात इमाम बुख़ारी तर्जमा अबवाब क़ायम करते हैं और उसके तहत कोई हदीस ज़िक्र नहीं करते। मस्लन:- किताबुल इल्म में एक उनवान क़ायम किया। باب العلم قبل القول و العمل لقول الله عزوجل فعلم انه لا اله الا الله فبدء بالعلم الخ (मुहम्मद बिन इस्माईल अल-बुख़ारी मुतवफ़्फ़ी 256 हिजरी, अल-जामेउस्सहीह, जि: 1, स: 189) इस बाब के तहत इमाम बुख़ारी ने अपनी सनद के साथ हदीस ज़िक्र नहीं की बल्कि तर्जमतुल बाब पर सिर्फ़ मज़कूरा आयत से इस्तिदलाल किया है क्योंकि उस में अल्लाह तआला ने पहले इल्म का और फिर لا اله الا الله का ज़िक्र किया है। इसी तरह किताबुज़्ज़कात में एक बाब क़ायम किया:- لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل الا من كسب طيب لقوله تعالى قول معروف و مغفرة خير من صدقة يتبعها اذىً و الله غنى حليم (मुहम्मद इस्माईल अल-बुख़ारी मुतवफ़्फ़ी 256 हिजरी, अल-जामेउस्सहीह, जि: 1, स: 16)

इस आयते करीमा पर यह बाब ख़त्म कर दिया गया और इस बाब के इसबात के लिए इमाम बुख़ारी कोई हदीस नहीं लाए। बल्कि तर्जमतुल बाब को इस आयते करीमा से इल्तिज़ामन साबित किया है कि जब माले हलाल से सदक़ा भी बवज्हे एहसान मक़बूल नहीं है तो माले हराम से दिया हुआ सदक़ा कब क़ुबूल हो सकता है। इन शवाहिद से मालूम हुआ कि तालीफ़े सहीह से इमाम बुख़ारी का मक़सद सिर्फ़ जमा अहादीस ही नहीं बल्कि मसाइले फ़िक़्हिया में अपने मुख़्तार पर इस्तिदलाल भी है।

इस्तिदलाल अलल मसाइल के अलावा तालीफ़े सहीह की तीसरी ग़र्ज़ अहादीस से मसाइल का इस्तंबात है क्योंकि एक हदीस को इमाम बुख़ारी मुताद्दिद जगह लाते हैं और बाज़ दफ़ा तो एक हदीस को उन्होंने सोलह सोलह मक़ामात पर ज़िक्र किया है। अगर उनका मक़सद सिर्फ़ अहादीसे सहीहा का जमा करना होता तो वह एक बार हदीस के ज़िक्र कर देने से पूरा हो सकता था और जब वह एक हदीस को मुख़्तलिफ़ अबवाब के तहत मुताद्दिद जगह लाते हैं तो उस से उनका मक़सद उन मसाइल का इस्तंबात होता है जिनके तहत वह इस हदीस को ज़िक्र करते हैं। मस्लन एक मौक़ा पर बाज़ सहाबा ने उजलत की वजह से पैरों को धोने की बजाए फ़क़त मसह कर लिया तो हुज़ूर ﷺ ने बुलन्द आवाज़ से फ़रमाया:- "ويل للاعقاب من النار" इस हदीस का इमाम बुख़ारी ने दो बार ज़िक्र किया है। एक जगह बाब मन रफ़अह सौतिही बिल-इल्मे और दूसरी जगह बाबे ग़ुस्लुर रजलैन वला यमसउ अलल क़दमैन के तहत, गोया उस हदीस से इमाम बुख़ारी ने दो मस्अलों का इस्तंबात किया, एक बुलन्द आवाज़ से इल्म की बात कहने का, दूसरे पैरों पर मसह की अदमे किफ़ायत का।

बहर हाल इस तफ़सील से ज़ाहिर हो गया कि तालीफ़े सहीह से इमाम बुख़ारी का मक़सूद जमा अहादीस के अलावा मसाइले फ़िक़्हिया में अपने मुख़्तार पर इस्तिदलाल और अहादीस से मसाइल का इस्तंबात भी है।

तस्मिया:– इमाम बुख़ारी ने अपनी सहीह का नाम अल-जामिउस्सहीह अल-मुस्नदुल मुख़्तसर मिन उमूरे रसूलुल्लाह ﷺ रखा लेकिन अवाम व ख़्वास में यह किताब सहीह बुख़ारी के नाम से मशहूर हो गई। मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में जामिअ, हदीस की उस किताब को कहते हैं जिस में आठ मख़सूस उनवानों के तहत अहादीस ज़िक्र की जाएं जो यह हैं:- सियर, तफ़सीर, आदाब, अक़ायद, फ़तन,

अहकामुश्शरान, मनाक़िब और अल-मसीद का मतलब है कि उस मजमूआ की तमाम अहादीस सहीह हैं और अल-मुख़्तसर मिन उमूरि रसूलिल्लाह का मफ़ाद यह है कि इस किताब में हुज़ूर ﷺ के अक़्वाल, आफ़आल, अहवाल, सिफ़ात और अय्याम से मुताल्लिक़ अहादीस लाई जाएंगी।

अदब व एहतमाम:- इमाम बुख़ारी ने अपनी सहीह को छः लाख अहादीस में से इन्तिख़ाब किया है। हदीस शरीफ़ को किताब में जिक्र करने से पहले वह ग़ुस्ल करते, उसके बाद दो रकअत नफ़्ल पढ़ते, फिर उस हदीस की सेहत के बारे में इस्तिख़ारा करते, उसके बाद उस हदीस को अपनी सहीह में दर्ज करते। इमाम बुख़ारी फ़रमाते हैं कि मैंने अपनी इस किताब को सोलह साल की मुद्दत में मुकम्मल किया। मैंने इस किताब में सिर्फ़ सहीह अहादीस शामिल की हैं और जिन सहीह अहादीस को के तवालत की वजह से तर्क कर दिया है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है।

इमाम बुख़ारी ने अपनी सहीह का मुसव्वदा मक्का, बसरा और बुख़ारा में तय्यार किया और उसकी तबवीज़ मस्जिदे हराम में की और मदीना मुनव्वरा में रौज़ा शरीफ़ा के पहलू में बैठ कर तराजिमे अबवाब लिखे। इमाम बुख़ारी के शागिर्द मुहम्मद बिन अबी हातिम वराक़ कहते हैं कि मैंने इमाम बुख़ारी से पूछा क्या आप को वह तमाम अहादीस याद हैं जो आपने अपनी सहीह में वारिद की हैं? इमाम बुख़ारी ने फ़रमाया जामिअ सहीह की कोई हदीस मुझ से मख़्फ़ी नहीं है क्योंकि मैं ने उसको तीन मर्तबा लिखा है।

(हाफ़िज़ इब्ने हजर अल-अस्क़लानी अल-मुतवफ़्फ़ी 852 हिजरी, हदीउस्सारी, जि: 1, स: ...

तीन मर्तबा तस्नीफ़ से ग़ालिबन तसवीद, तबयीज़ और तन्क़ीह मुराद है और सहीह बुख़ारी के नुस्ख़ों का इख़्तिलाफ़ भी शायद इसी वजह से है। बाज़ सूफ़िया से यह भी मन्क़ूल है कि एक मर्तबा इमाम बुख़ारी ने मुसव्वदा लिखा, दूसरी मर्तबा मसौदा तय्यार किया, तीसरी बार हर हदीस को रसूलुल्लाह ﷺ की बारगाह में पेश किया और जिस हदीस के बारे में बिल-मुशाफ़ा या ख़्वाब के ज़रिए हुज़ूर से इजाज़त मिल गई और उसकी सेहत का यक़ीने कामिल हो गया उसको अपनी सहीह में दर्ज कर दिया।

(शैख़ अब्दुल हक़ अल-मुतवफ़्फ़ी 1052 हिजरी, अश्अतुल लम्आत जि: 1, स: 1...

मक़्बूलियत:- अल्लाह तआला ने इमाम बुख़ारी की सहीह को बे-पनाह मक़्बूलियत अता फ़रमाई। क़ुरआने करीम के बाद जिस किताब पर सब से ज़्यादा एतिमाद किया जाता है वह सहीह बुख़ारी है। सहीह बुख़ारी पर सबसे ज़्यादा काम किया गया। इसकी बे-शुमार शुरूह लिखी गई हैं। इसकी तालीक़ात, मुताबिआत, शवाहिद और रिजाल की तहक़ीक़ पर अलग अलग किताबें लिखी गईं और इमाम बुख़ारी के ज़माने से लेकर आज तक तमाम दीनी मदारिस में इन्तिहाई एहतमाम और शकोह के साथ सहीह बुख़ारी का दर्स दिया जाता है।

हुज़ूर ﷺ की बारगाह में जिस तरह इमाम बुख़ारी मक़्बूल थे, इसी तरह उनकी सहीह भी बारगाहे रिसालत में शर्फ़े पज़ीराई रखती है। अबू ज़ैद मरोज़ी बयान करते हैं कि एक दफ़ा मैं बैतुल हराम में रुक्न और मक़ाम के दरमियान सोया हुआ था, मैं ख़्वाब में हुज़ूर ﷺ की ज़ियारत से मुशर्रफ़ हुआ। हुज़ूर ﷺ ने फ़रमाया: "अबू ज़ैद! शाफ़ई की किताबें कब तक पढ़ते रहोगे, मेरी किताब क्यों नहीं पढ़ते।" मैंने अर्ज़ किया, हुज़ूर आपकी किताब कौन सी है? फ़रमाया: "मुहम्मद बिन इस्माईल की जामिअ" (हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी मुतवफ़्फ़ी 852 हिजरी, हदीउस्सारी जि: 2, स: 262) और अनवर शाह कश्मीरी बयान करते हैं कि इमाम अब्दुल वहाब शेअरानी ने लिखा है कि उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ के आगे

साथियों में से एक हनफ़ी था। (शैख़ मुहम्मद अकबर अल-मुत्तक़ी अल-मुलतानी 1052 हिजरी, फ़ैज़ुल बारी, जि: 1, स: 204)

अबू जमरा कहते हैं कि उनका से मन्कूल है कि अगर किसी मुश्किल में सहीह बुख़ारी को पढ़ा जाए, तो वह हल हो जाती है और जिस कश्ती में सहीह बुख़ारी हो वह ग़र्क़ नहीं होती और शैख़ुल इस्लाम कसीर लिखते हैं कि ख़ुश्क साली में सहीह बुख़ारी की क़िरअत से बारिश हो जाती है। (मुल्ला अली क़ारी अल-मुत्तक़ी 1014 हिजरी, मिरक़ातुल मफ़ातीह, जि: 1, स: 14)

मौज़ूअ:- सहीह बुख़ारी का अस्ल मौज़ूअ अहादीस मरफ़ूआ, मुस्नदा है और उन्हीं अहादीस की सेहत का इमाम बुख़ारी ने इल्तिज़ाम किया है। उनके अलावा जो मौक़ूफ़ात, मुअल्लक़ात, तआलीक़, आसारे सहाबा, अक़वाले ताबईन और अइम्मा फ़तावा के अहकाम ज़िक्र किए गए हैं वह सब ज़िम्नन हैं और इस ज़िम्न में जो अहादीस ज़िक्र की हैं वह इमाम बुख़ारी के मौज़ूअ से ख़ारिज हैं और न ही उनकी सेहत का इल्तिज़ाम किया गया है।

उस्लूब:- हम इससे पहले ज़िक्र कर चुके हैं कि तालीफ़े सहीह से इमाम बुख़ारी का मक़सद सिर्फ़ जमा अहादीस नहीं है बल्कि तराजिमे अबवाब पर इस्तिदलाल और अहादीस से मसाइल का इस्तंबात भी उन का मक़सूद था। चुनान्चे तर्जुमतुल बाब के इस्बात के लिए वह सबसे पहले क़ुरआने करीम की आयत पेश करते हैं, फिर कभी उसी पर इक्तिफ़ा कर लेते हैं और बाज़ औक़ात आसारे सहाबा, अक़वाले ताबईन और इरशादात अइम्मा फ़तावा से उसकी ताईद करते हैं। इसके बाद उस बाब के तहत अपनी पूरी सनद के साथ हदीस की रिवायत करते हैं और कभी सनदे मुअल्लक़ से हदीस वारिद करते हैं और कभी बग़ैर सनद के हदीस ज़िक्र कर देते हैं।

इमाम बुख़ारी कभी एक बाब के तहत अहादीसे कसीरा रिवायत करते हैं और कभी सिर्फ़ एक हदीस ज़िक्र करते हैं। यह उस सूरत में है जब उन्हें तर्जुमतुल बाब के लिए अपनी शराइत पर अहादीस मिल जाएं और कभी तर्जुमतुल बाब के तहत किसी हदीस का ज़िक्र नहीं करते बल्कि किसी हदीस के बाज़िन्दी अल्फ़ाज़ या उसके हम मअना अल्फ़ाज़ को उनवाने बाब बना कर यह इशारा करते हैं कि इस उनवान के तहत उनकी शराइत पर हदीस नहीं मिल सकी और उनवाने बाब को अल्फ़ाज़े हदीस के साथ तअबीर करके यह इशारा करते हैं कि यह हदीस फ़ी नफ़्सिही लायक़े हुज्जत है।

कभी इमाम बुख़ारी एक हदीस को मुतअद्दिद जगह ज़िक्र करते हैं कि इससे उनका मक़सूद उस हदीस से उन मुतअद्दिद मसाइल का इस्तंबात होता है जिन से मुतअल्लिक़ अबवाब के तहत वह उस हदीस को ज़िक्र करते हैं।

शराइत:- इमाम बुख़ारी ने अपनी सहीह में हदीस वारिद करने की यह शर्त मुक़र्रर की है कि उनके शैख़ से लेकर सहाबी तक तमाम रावी सिक़ा और मुत्तसिल हों। सिक़ा का मतलब यह है कि उस हदीस के तमाम रावी मुस्लिम, आदिल, कामिलुल-ज़ब्त वल-इत्क़ान और कसीरुल मुलाज़मत मअ़श्शैख़ हों। अगर रावी हदीस क़लीलुल मुलाज़मत मअ़श्शैख़ हों तो उसकी रिवायत भी अख़ज़ कर लेते हैं लेकिन ऐसे रावियों से इमाम बुख़ारी इन्तख़ाब करते हैं, इस्तेआब नहीं करते नीज़ सिक़ा रावियों के लिए यह शर्त भी है कि वह अपने से औसक़ रवात की मुख़ालिफ़त न करें और न ही उन में कोई इल्लते क़ादिहा हो। (अल्लामा ताहिर बिन सलाह अलजज़ाइरी, तौजीहुन्नज़र स: 94) और मुत्तसिल का मतलब यह है

कि हर रावी या तो अपने शैख़ से समिअतु या हद्दसना के सेग़ा के साथ समाअ हदीस की तसरीह करे और या ऐसा सेग़ा लाए जो बज़ाहिर समाअ पर दलालत करे। मस्लन अन फ़ुलां या अन फ़ुलाना काला इस दूसरी शक्ल में ज़रूरी है कि रावी की मरवी अन्हु से मुलाक़ात साबित हो और वह रावी मुदल्लिस न हो।

इमाम बुख़ारी की शर्ते मुलाक़ात पर इमाम मुस्लिम ने एतेराज़ किया कि फिर इमाम बुख़ारी को चाहिए कि वह हदीस मअनइन को बिल्कुल क़ुबूल न करें क्योंकि लिक़ा की शर्त तयक़्क़ुने समाअ के लिए लगाई गई है और महज़ लिक़ा से समाअ लाज़िम नहीं आता। क्योंकि जाइज़ है कि मुलाक़ात के बावुजूद रावी ने मरवी अन्हु से समाअ न किया हो। इस एतेराज़ के दो जवाब हैं, अव्वल यह कि लिक़ा के बावुजूद अगर समाअ न हो तो रावी मुदल्लिस होगा और मफ़रूज़ यह है कि रावी मुदल्लिस न हो, सानी यह कि इमाम बुख़ारी रावी और मरवी अन्हु में मुलाक़ात की शर्त लगाते हैं और इमाम मुस्लिम मुआसिरत की और अदम समाअ का एहतेमाल दोनों में जारी होता है और बिला रैब सुबूते लिक़ा की शर्त मुआसिरत की शर्त की बनिस्बत समाअ से ज़्यादा क़रीब है।

क़ाज़ी अबू बकर बिन अरबी ने बयान किया है कि इमाम बुख़ारी की शर्त यह है कि अव्वलन हदीस को दो सहाबी रिवायत करें या फिर हर एक सहाबी से दो शख़्स रिवायत करें। फिर उन में से हर एक से दो दो शख़्स रिवायत करें। लेकिन क़ाज़ी अबू बकर का यह क़ौल सही नहीं है, क्योंकि इमाम बुख़ारी ने अपनी सहीह में जो पहली हदीस انما الاعمال بالنيات दर्ज की है वह सिर्फ़ हज़रत उमर رضی से मरवी है और हज़रत उमर رضی से सिर्फ़ अलक़मा رضی ने रिवायत की और अलक़मा رضی से सिर्फ़ मुहम्मद बिन इब्राहीम ने और उन से सिर्फ़ यहया बिन सईद ने।

तालीक़ात और उनके असबाब व अक़साम:- हदीसे मुअल्लक़ उस हदीस को कहते हैं जिस में सनद के शुरू से रवात को हज़फ़ कर दिया जाए, ख़्वाह बाज़ को या सबको। सहीह बुख़ारी में अहादीसे मुअल्लक़ा की वाफ़र मिक़दार है। हाफ़िज़ इब्ने हजर लिखते हैं कि अहादीसे मुअल्लक़ा में सनद ज़िक्र न करने की एक वजह यह होती है कि उस हदीस की सनद पहले गुज़र चुकी होती है। दूसरी वजह यह है कि जिस शैख़ से उन्होंने समाअ किया होता है उस में उन्हें शक वाक़ेअ हो जाता है और तीसरी वजह यह है कि उन्होंने उस हदीस का बाक़ायदा समाअ नहीं किया होता बल्कि शैख़ से दौराने गुफ़्तगू ज़िमनन उस हदीस का समाअ हासिल होता है।

तालीक़ात दो क़िस्म की हैं, एक वह हैं जिनको इमाम बुख़ारी ने दूसरी जगह मौसूलन बयान किया है दूसरी वह हैं जिनको उन्होंने मौसूलन बिल्कुल ज़िक्र नहीं किया। क़िस्म अव्वल की सेहत यक़ीनी है और क़िस्म दोम की फिर दो क़िस्में हैं। अव्वल वह तालीक़ात हैं जो इमाम बुख़ारी की शराइत के मुताबिक़ नहीं हैं। उनकी फिर दो क़िस्में हैं। अव्वल वह जिनको इमाम बुख़ारी सेग़ा जज़्म मसलन क़ाल या ज़कर के साथ ज़िक्र करते हैं और सानी वह जिनको इमाम बुख़ारी सेग़ा तमरीज़ मस्लन रुवी या यज़करु के साथ ज़िक्र करते हैं। क़िस्म अव्वल में बाज़ रिवायात किसी और इमाम की शर्त पर, कभी सहीह, कभी हसन और कभी मामूली से ज़ुअफ़ की हामिल होती हैं। हसन सहीह की मिसाल किताबुत तहारत की यह तालीक़ है: وقال عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان. यह हदीस इमाम मुस्लिम की शर्त पर सहीह है। और हसन की मिसाल भी किताबुत तहारत की यह तालीक़

है: قال بهز بن حكيم عن ابيه عن جده الله احق ان يستحيى منه الناس और क़दरे ज़ईफ़ की मिसाल किताबुज़ ज़कात की यह तालीक़ है: قال طاؤس قال معاذ بن جبل لاهل اليمن ايتونى بعوض ثياب خميص اولبس فى الصدقة مكان الشعير والذرة اهون عليكم و خير لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم इस हदीस में ज़ुअफ़ यह है कि ताउस का मुआज़ से समाअ साबित नहीं है मगर यह ज़ुअफ़ मामूली है क्योंकि ताउस तक इसनाद सहीह है।

और जिन तालीक़ात को इमाम बुख़ारी ने सेग़ा तमरीज़ के साथ ज़िक्र किया है उनकी पांच क़िस्में हैं। अव्वल वह जो इमाम बुख़ारी की शर्त पर सहीह हैं। सानी वह जो ग़ैर की शर्त पर सहीह हैं, सालिस हसन राबेअ ज़ईफ़ मअल मोयद और ख़ामिस ऐसी ज़ईफ़ जिसका कोई मोयद नहीं है। अव्वल की मिसाल किताबुत तिब की यह तालीक़ है: ويذكر عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الرقى بفاتحة الكتاب यह सनद सहीह है और इसको इमाम बुख़ारी ने खुद दूसरी जगह सनदे मौसूल के साथ ज़िक्र किया है। और सानी की मिसाल किताबुस्सलात की यह तालीक़ है: ويذكر عن عبد الله بن سائب قال قراء النبى صلى الله عليه وسلم المؤمنون فى صلوة الصبح حتى اذا جاء ذكر موسى و هارون اخذته سلعة यह हदीस इमाम मुस्लिम की शर्त पर सहीह है और उन्होंने इसका अपनी सहीह में इख़राज भी किया है। और सालिस की मिसाल किताबुल बुयूअ की यह तालीक़ है। ويذكر عن عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا بعت فكل و اذا تبعت فاكتل यह हदीस हसन है और इसको दारे क़ुतनी ने रिवायत किया है और राबेअ की मिसाल किताबुल वसाया की यह तालीक़ है। ويذكر عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قضى بالدين قبل الوصية इस हदीस को इमाम तिर्मिज़ी ने मौसूलन रिवायत किया है मगर इसकी सनद में एक रावी है हारिस और वह ज़ईफ़ है मगर यह हदीस अहले इल्म के क़ौल की वजह से तक़्वियत पा गई और ख़ामिस की मिसाल किताबुस्सलात की यह तालीक़ है: ويذكر عن ابى هريرة دفعه لا يطوع الامام فى مكانه इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने अपनी सुनन में रिवायत किया है लेकिन इस में शदीद ज़ुअफ़ है क्योंकि इसकी सनद में एक रावी लैस बिन अबी सुलैम है और वह ज़ईफ़ है और उसका शैख़ुल शैख़ मजहूल है और इस ज़ुअफ़ के लिए कोई मुक़्वी नहीं है।

मज़कूरुस्सदर तफ़सील से यह ज़ाहिर हो गया कि तालीक़ाते बुख़ारी में ग़ैर सहीह अहादीस भी मौजूद हैं और इसी वजह से यह सवाल वारिद होता है कि इमाम बुख़ारी का यह क़ौल क्योंकर दुरुस्त होगा कि मैंने अपनी इस जामेअ में सिर्फ़ सहीह अहादीस मुन्दरिज की हैं। इसका जवाब यह है कि इमाम बुख़ारी ने उन अहादीस की सेहत का इल्तिज़ाम किया है जिनको उन्होंने पूरी सनद के साथ तर्जुमतुल बाब के इस्बात के क़स्द से ज़िक्र किया है और तालीक़ात चूंकि मुकम्मल सनद के साथ नहीं होतीं इस लिए उनके ग़ैर सहीह होने से जामेअ सहीह की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता।

मुकर्ररात:— इमाम बुख़ारी की सहीह में अगर्चे बज़ाहिर सूरतन तकरार बहुत ज़्यादा है लेकिन मअनवी लिहाज़ से इसको तकरार नहीं कहा जा सकता। जिस की कई वुजूहात हैं। इसकी तहक़ीक़ के वक़्त यह अम्र पेशे नज़र रखना चाहिए कि तकरार का ताल्लुक़ मतन और सनद दोनों के साथ है। मतन के लिहाज़ से तो इस लिए तकरार नहीं है कि इमाम बुख़ारी जब एक हदीस को कई जगह ज़िक्र फ़रमाते हैं तो इस से

उन का मक़सूद कई मसाइल का इस्तंबात होता है। वह एक हदीस को एक जगह एक उनवान के तहत और दूसरी जगह दूसरे उनवान के तहत लाते हैं, लिहाज़ा यह लफ़्ज़न तकरार है मअनन तकरार नहीं है और सनद के लिहाज़ से इस लिए तकरार नहीं है कि वह बाज़ औक़ात एक हदीस को दो मुख़्तलिफ़ सहाबा से दो जगह रिवायत करते हैं और कभी दो जगह दो मुख़्तलिफ़ ताबइयों से रिवायत करते हैं। कभी ताबई के दो शागिर्दों से रिवायत, तबअ ताबईन के दो शागिर्दों से रिवायत करते हैं। कभी इमाम बुख़ारी अपने दो उसताज़ों से, कभी अपने उसताज़ के दो उसताज़ों से रिवायत करते हैं। और इन मुख़्तलिफ़ तुर्क़ से हदीस की रिवायत से इमाम बुख़ारी का मक़सूद यह होता है कि हदीस ग़राबत से निकल जाए। नीज़ एक हदीस को बसा औक़ात एक रावी मुकम्मल ज़िक्र कर देता है और दूसरा इख़्तिसार करता है और बाज़ मर्तबा एक मअना को एक रावी एक लफ़्ज़ से ताबीर करता है और दूसरा किसी और लफ़्ज़ से और बाज़ दफ़ा एक रावी किसी हदीस को इरसालन रिवायत करता है और दूसरा उसी को इत्तिसालन रिवायत करता है। और कभी एक रावी एक हदीस को मरफ़ूअन रिवायत करता है और दूसरा उसी को मौक़ूफ़न बयान करता है और कभी एक रावी किसी हदीस को अनअन्ह के साथ रिवायत करता है और दूसरा तस्रीहे समाअ के साथ, ऐसी सूरतों में इमाम बुख़ारी तौज़ीहे मराम की ख़ातिर हदीस को दोनों तरीक़ों से रिवायत कर देते हैं। पस एक हदीस को इमाम बुख़ारी जब दोबारा ज़िक्र करते हैं तो वह मतन या सनद से मुताल्लिक़ इस नौअ के किसी न किसी मज़ीद फ़ायदे पर मुश्तमिल होती है। नीज़ एक हदीस जब मुताद्दिद असनाद से मरवी हो तो वह मुहद्दिसीन के नज़्दीक एक हदीस नहीं बल्कि कई अहादीस शुमार होती हैं। इस लिहाज़ से सहीह बुख़ारी में महज़ बज़ाहिर और बराए नाम तकरार रह जाता है।

तक़्तीअ:- तक़्तीअ हदीस का मतलब है एक हदीस के अज्ज़ा को अबवाब पर तक़सीम कर देना, इस बारे में इख़्तिलाफ़ रहा है कि तक़्तीअ हदीस जाइज़ है या नहीं। बाज़ क़दीम उलमा अदमे जवाज़ के क़ायल थे, वह कहते थे: لا يجوز تقطيع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم लेकिन इब्ने सलाह लिखते हैं कि तक़्तीअ के जवाज़ का क़ौल मना की बनिस्बत ज़्यादा सेहत के क़रीब है (इमाम अबू अम्र उस्मान बिन अब्दुर्रहमान अल-मुतवफ़्फ़ी 643 हिजरी, उलूमुल हदीस, स: 194) और इमाम बुख़ारी, इमाम मालिक और अक्सर मुहद्दिसीन जवाज़ ही के क़ायल थे।

इमाम बुख़ारी तक़्तीअ हदीस उस वक़्त करते हैं जब मतने हदीस दो हुक्मों पर मुश्तमल हो, एक हुक्म एक बाब के तहत और दूसरा हुक्म दूसरे बाब के तहत ज़िक्र करते हैं और जब उस हदीस के दूसरे जुज़ का ज़िक्र करते हैं तो सनद बदल देते हैं ताकि ज़िमनन कस्रते तुर्क़ का फ़ायदा हासिल जो जाए।

बाज़ औक़ात एक हदीस बज़ाहिर कई ग़ैर मरबूत जुम्लों पर मुश्तमल होती है, ऐसी सूरत में इमाम बुख़ारी हर जुम्ले को एक मुस्तक़िल बाब के तहत लाते हैं और उन तमाम जुमलों को यकजा करके एक बाब के तहत ज़िक्र कर देते हैं।

इख़्तिसार:- इख़्तिसारे हदीस का मतलब यह है कि मतने हदीस के किसी एक जुज़ का ज़िक्र किया जाए और बाक़ी अज्ज़ा को बिल्कुल छोड़ दिया जाए। इमाम बुख़ारी ने अपनी सहीह में इख़्तिसारे हदीस सिर्फ़ उस जगह किया है जहां मतने हदीस क़ौले सहाबी हो और उसका बाज़ हिस्सा हुक्मन मरफ़ूअ हो।

ऐसी सूरत में वह मतन का मरफ़ूअ हिस्सा ले लेते हैं और मौक़ूफ़ हिस्सा छोड़ देते हैं, मस्लन उन्होंने हुज़ैल बिन शरहबील की रिवायत ज़िक्र की: عن عبد الله بن مسعود قال ان اهل الاسلام لا يسيبون وان اهل الجاهلية كانوا يسيبون और पूरी रिवायत इस तरह है: جاء رجل الى عبد الله بن مسعود فقال انى اعتقت عبدا فى سائبة ضمات وترك مالا ولم يدع وارثا فقال عبد الله ان اهل الاسلام لا يسيبون وان اهل الجاهلية كانوا يسيبون ولى نعمة فلك ميراثه فان تاثمت وتحرجت فى شى فنحن نقبله منك ونجعله فى بيت المال हदीस के जिस हिस्से की इमाम बुख़ारी ने रिवायत की है वह अपने उमूम की वजह से हुज़ूर से नक़्ल का मुक़्तज़ी था इस वजह से इसको हुक्मन मरफ़ूअ क़रार दिया।

तादादे मरवियात:- सहीह बुख़ारी की तादादे मरवियात में उलमा का इख़्तिलाफ़ है। हाफ़िज़ इब्ने सलाह की तहक़ीक़ यह है कि सहीह की कुल अहादीस की तादाद सात हज़ार दो सौ पछहत्तर है और हज़फ़ मुकर्ररात के बाद यह तादाद चार हज़ार है और हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी की तहक़ीक़ के मुताबिक़ सहीह बुख़ारी की कुल अहादीस मुस्नदा बशमूल मुकर्ररात सात हज़ार तीन सौ सत्तानवे है और जुम्ला मुअल्लक़ात की तादाद एक हज़ार तीन सौ इक्तालीस है और जुम्ला मुतताबिआत की तादाद तीन सौ चवालीस है और कुल मीज़ान नौ हज़ार बयासी हैं। और हज़फ़ मुकर्ररात के बाद अहादीसे मरफ़ूआ की तादाद दो हज़ार छः सौ तेइस रह जाती है। (अल्लामा ताहिर बिन सलाह अलजज़ाइरी, तौजीहुन्नज़र स: 94) नीज़ इमाम बुख़ारी की जो अहादीस आला असानीद पर मुश्तमल हैं वह सलासियात हैं और उनकी तादाद बाईस है और हज़फ़ मुकर्ररात के बाद यह तादाद सोलह रह जाती है।

तराजिमे अबवाब:- सहीह बुख़ारी के तराजिमे अबवाब अपनी दिक़्क़त और ख़फ़ा के एतेबार से मशहूर हैं। अल्लामा इब्ने ख़लदून ने कहा है कि अहादीस की तराजिमे अबवाब से मुताबिक़त, इमाम बुख़ारी का उम्मते मुस्लिमा पर क़र्ज़ है लेकिन हक़ यह है कि अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी और हाफ़िज़ इब्ने हजर ने बड़ी हद तक यह क़र्ज़ उतार दिया है।

हाफ़िज़ इब्ने हजर लिखते हैं कि बसा औक़ात इमाम बुख़ारी तर्जमतुल बाब में दो चीज़ों का ज़िक्र करते हैं और हदीस में फ़क़त एक का ज़िक्र होता है। ऐसी सूरत में तर्जमा की हदीस से दलालत तज़म्मुनी के एतेबार से मुताबिक़त होती है और बाज़ मर्तबा तर्जमे में हुक्म आम होता है और हदीस में किसी ख़ास सूरत का बयान होता है और कभी हदीस मुताद्दिद उमूर की मुतहम्मिल होती है और तर्जमे में उन मुहतम्मिलात में किसी एक का तअय्युन होता है और कभी तर्जमतुल बाब और हदीस में इल्लत मुशतरका होती है। मस्लन इमाम बुख़ारी ने एक बाब फ़ी कम तक़सिरुस्सलात के उनवान से क़ायम किया और उसके तहत यह हदीस लाए: عن ابن عمر لا تسافر المراة ثلاثة ايام الا مع ذى محرم बज़ाहिर तर्जमा और हदीस में कोई मुताबिक़त नहीं है, क्योंकि उनवान है कितनी मुद्दत में नमाज़ क़स्र की जाए और हदीस में औरत को तीन दिन से ज़्यादा बग़ैर मुहरिम के सफ़र से मना किया गया है। लेकिन ग़ौर करने से मालूम होता है कि इस हदीस के मुताबिक़ सफ़रे शरई तीन दिन है लिहाज़ा नमाज़ की क़स्र में भी तीन दिन की मुसाफ़त का एतेबार होगा। इन तमाम बारीकियों तक पहुंचने के बावुजूद बाज़ ऐसे मक़ामात हैं जहां तर्जमतुल बाब की हदीस से मुताबिक़त तमाम फ़हम व इदराक से बाहर है। मसलन एक जगह इमाम बुख़ारी लिखते हैं: باب طول القيام فى صلوة الليل और इसके तहत हदीस लाए हैं। عن حذيفه

इसी तरह एक जगह ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قام للتہجد من اللیل یشوص فاہ بالسواک और इसके तहत باب اذا فاتہ العید یصلی رکعتین و کذلک النساء و من کان البیوت و القری लिखा है: यह हदीस लाए हैं: عن عائشۃ ان ابابکر دخل علیہا و عندہا جاریتان فی ایام منی تدفان و تضربان والنبی صلی اللہ علیہ وسلم متغش ثوبہ فانتہرہما ابو بکر فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن وجہہ فقال دعہما یا ابابکر فانہا ایام عید و تلک الایام منی पहली मिसाल में बाब रात को तवील क़याम का है और हदीस में मिस्वाक करने का ज़िक्र है और दूसरी मिसाल में बाब नमाज़े ईद की क़ज़ा का है और हदीस में लड़कियों के दफ़ बजाने का ज़िक्र है। इस क़िस्म की सहीह बुख़ारी में काफ़ी मिसालें हैं और उनकी मुताबिक़त मालूम करना उम्मते मुस्लिमा पर इमाम बुख़ारी का बहर-हाल क़र्ज़ बाक़ी है।

सहीह बुख़ारी और सहीह मुस्लिम का मवाज़ना:- हम इससे पहले ज़िक्र कर चुके हैं कि तमाम उलमा के नज़्दीक सहीह बुख़ारी का मर्तबा कुल कुतुबे हदीस में सबसे बुलन्द व बाला है, अल्बत्ता बाज़ मग़ारबा ने सहीह मुस्लिम को सहीह बुख़ारी पर तरजीह दी है और हाफ़िज़ अबू अली नीशापूरी ने कहा इस आसमान के नीचे सहीह मुस्लिम से बढ़ कर कोई हदीस की किताब नहीं है। इस लिए ज़रूरी मालूम होता है कि सहीह बुख़ारी और सहीह मुस्लिम का मवाज़ना कर लिया जाए।

अहले इल्म हज़रात पर मख़्फ़ी नहीं है कि हदीसे सहीह का रुजूअे इत्तिसाल, इतक़ान, रिजाल और अदमे शुज़ुदुज़ व अदमे इलल की तरफ़ होता है। इत्तिसाल के लिहाज़ से देखें तो सहीह बुख़ारी की अहादीस का इत्तिसाल ज़्यादा क़वी है क्योंकि इमाम बुख़ारी रावी आर मरवी अन्हु की मुलाक़ात की शर्त लगाते हैं और इमाम मुस्लिम सिर्फ़ मुआसिरत को कफ़ी समझते हैं।

इत्क़ाने रिजाल के लिहाज़ से देखें तब भी सहीह बुख़ारी की अहादीस ज़्यादा क़वी हैं, अव्वलन इस लिए कि इमाम बुख़ारी तब्क़ए सानिया यानी क़लीलुल मुलाज़मा मअश्शैख़ से रिवायात का सिर्फ़ इन्तिख़ाब करते हैं और इमाम मुस्लिम उस तब्क़े से तमाम रिवायात का इस्तेजाब करते हैं। दूसरे इस वजह से कि जिन लोगों से रिवायत में इमाम बुख़ारी मुन्फ़रिद हैं वह चार सौ तीस रावी हैं जिन में से अस्सी को ज़ईफ़ क़रार दिया गया है और इमाम मुस्लिम जिन लोगों से रिवायत में मुन्फ़रिद हैं वह छः सौ बीस रावी हैं जिन में से एक सौ साठ को ज़ईफ़ शुमार दिया गया है। तीसरा इस सबब से कि इमाम बुख़ारी के जिन रावियों को ज़ईफ़ क़रार दिया गया है उन में से अक्सर इमाम बुख़ारी के बिला वासता उसताज़ हैं और वह उनके हालात से अच्छी तरह वाक़िफ़ थे और उनकी रिवायात को जांच और परख सकते थे। बर-खिलाफ़ इमाम मुस्लिम के क्योंकि उनके जिन रावियों पर जिरह की गई है उन में से अक्सर इमाम मुस्लिम के बिल-वासता उसताज़ हैं और उनके लिए उन लोगों की रिवायात को ख़ुद परखने का कोई मौक़ा न था। चौथा इस वजह से कि इमाम बुख़ारी ने ऐसे रावियों से बहुत कम रिवायत की है और इमाम मुस्लिम ने उनसे बहुत ज़्यादा रिवायत की है।

और अदमे शुज़ुदुज़ और अदमे इलल के एतेबार से मुलाहिज़ा करें तब भी सहीह बुख़ारी, सहीह मुस्लिम पर फ़ौक़ियत रखती है क्योंकि सहीह बुख़ारी की जिन अहादीस में इल्लते ख़ुफ़या क़ादिहा निकाली गई है उन की तादाद अस्सी है और सहीह मुस्लिम में ऐसी अहादीस की तादाद एक सौ तीस है।

शुरूह:- कुतुबे हदीस में सबसे ज़्यादा सहीह बुख़ारी की शुरूह लिखी गई हैं। हाजी ख़लीफ़ा ने कश्फ़ुल ज़ुनून में 1012 हिजरी तक बुख़ारी की पचास से ज़्यादा शरह गिनवाई हैं। उन तमाम का ज़िक्र

[illegible] बुख़ारी [illegible] मशहूर और [illegible] शुरूह में शुमार किया जाता है।

(1) आलामुस्सुनन:- यह इमाम अबू सुलैमान [illegible] बिन मुहम्मद अल ख़त्ताबी अल-मुतवफ़्फ़ी 338 हिजरी की तस्नीफ़ है और यह बुख़ारी की सबसे पहली शरह है। इस शरह में अजीब व ग़रीब नुकात और [illegible] बयान किए गए हैं।

(2) शरहुल बुख़ारी:- यह इमाम अबुल हसन अली बिन ख़लफ़ अल-ग़रबी अल-मालिकी अल मुतवफ़्फ़ी 449 हिजरी की शरह है जो इब्ने बत्ताल के नाम से मशहूर है। इस शरह में उन्होंने फ़िक़्हे मालिकी को बयान किया है और बाद में आने वाले शारेहीन में से ब-मुश्किल कोई ऐसा होगा जो उनका ज़िक्र न करता हो।

(3) शरहुल बुख़ारी:- यह इमाम फ़ख़रुल इस्लाम अली मुहम्मद अल-बज़्दी अल-हनफ़ी अल मुतवफ़्फ़ी 482 हिजरी की तस्नीफ़ है और निहायत मुख़्तसर शरह है।

(4) शरहुल बुख़ारी:- यह शरह क़ाज़ी अबू बकर मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह इब्ने अल-अरबी अल मालिकी अल मुतवफ़्फ़ी 534 हिजरी की तालीफ़ है।

(5) किताबुन नजाह:- यह शरह इमाम नजमुद्दीन उमर बिन अल-नसफ़ी अल-हनफ़ी अल मुतवफ़्फ़ी 537 हिजरी की तस्नीफ़ है। यह शरह हदीस की रौशनी में मसाइले हनफ़िया की तहक़ीक़ के लिए बेहतरीन किताब है।

(6) शवाहिदुल तौज़ीह:- यह शैख़ जमालुद्दीन मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह अन-नहवी अल-मुतवफ़्फ़ी 672 हिजरी की तस्नीफ़ है। इस में मुश्किल अआरीबे नहविया की तौज़ीह की गई है।

(7) अत्तलवीह:- यह इमाम हाफ़िज़ अलाउद्दीन मुग़लताई अल-हंफ़ी अल-मुतवफ़्फ़ी 792 हिजरी की तस्नीफ़ है। यह नातमाम शरह है और इस में तालीक़ात पर बहस और मुश्किल अल्फ़ाज़ की वज़ाहत की गई है।

(8) अल-कवाकिबुल दरारी:- यह अल्लामा शमसुद्दीन मुहम्मद बिन यूसुफ़ बिन अली अल करमानी अल-मुतवफ़्फ़ी 786 हिजरी की तस्नीफ़ है। इस शरह के शुरूअ में इल्मे हदीस की फ़ज़ीलत और इमाम बुख़ारी का मुफ़स्सल तर्जमा ज़िक्र किया गया है नीज़ अल्फ़ाज़ के मआनी लुग़विया, अआरीबे नहविया, ज़ब्ते रिवायात, असमाए रिजाल और अल्क़ाबे रुवात बयान किए गए हैं और अहादीसे मुतआरिज़ा में तत्बीक़ दी गई है, बाद में आने वाले अक्सर शारेहीन ने इस से इस्तिफ़ादा किया है।

(9) मनहुल बारी:- यह शरह अल्लामा मुजद्दुद्दीन अबू ताहिर मुहम्मद बिन याक़ूब अल फ़ीरोज़ाबादी अश्शीराज़ी अल-मुतवफ़्फ़ी 817 हिजरी की तस्नीफ़ है। सिर्फ़ चार इबादात की शरह बीस जिल्दों में की गई है, इसमें आगे यह शरह नहीं लिखी जा सकी। इस शरह में मुहियुद्दीन इब्ने अरबी की फ़ुतूहाते मक्किया से इबारात बहुत ज़्यादा नक़्ल की गई हैं।

(10) मसाबीहुल जामेअ:- यह अल्लामा बदरुद्दीन मुहम्मद बिन अबी बकर अद्दमामीनी अल मुतवफ़्फ़ी 828 हिजरी की शरह है। यह बादशाहे हिंद अहमद शाह बिन मुहम्मद बिन मुज़फ़्फ़र की फ़रमाइश पर लिखी गई थी।

(11) फ़तहुल बारी:- यह शरह हाफ़िज़ शहाबुद्दीन इब्ने हजर अस्क़लानी अल-मुतवफ़्फ़ी 852 हिजरी की तस्नीफ़ है। इस शरह को सहीह बुख़ारी की अज़ीम तरीन शुरूह में शुमार किया जाता है।

हाफ़िज़ इब्ने हजर ने 813 हिजरी में इसकी तस्नीफ़ शुरू की और 842 हिजरी में इसको मुकम्मल किया। शरह के अलावा एक ज़ख़ीम जिल्द में इसका मुक़द्दमा लिखा जिसके दो जुज़्व हैं और दस फ़सलों पर मुश्तमल है। मुक़द्दमा में इमाम बुख़ारी की मुफ़स्सल सवानेह, सहीह बुख़ारी की ख़ुसूसियात और दीगर फ़वायदे हदीसिया बयान किए गए हैं।

इस शरह में हाफ़िज़ इब्ने हजर हदीस की फ़न्नी हैसियत और रिजाल पर गुफ़्तगू करते हैं। मुश्किल अल्फ़ाज़ की लुग़त, उनवाने बाब से मुनासिबत, इस्तंबाते मसाइल और फ़िक़्हे शाफ़ई बयान करते हैं। सवालाते वारिदा के जवाबात और मुतआरिज़ अहादीस में तत्बीक़ देते हैं जो हदीस मुताद्दिद बार आती है, उसकी शरह में उनका तरीक़ा यह है कि जिस बात पर हदीस की दलालत सराहतन और मुताबिक़तन होती है वहां उसकी मुफ़स्सल शरह करते हैं और जिन अबवाब पर उसकी दलालत ज़िम्नन बित्तबअ होती है वहां इज्माल से काम लेते हैं। बहर नौअ यह शरह मुताद्दिद ख़ूबियों की हामिल है और इसको क़ुबूले ख़ास व आम हासिल हुआ।

(12) उम्दतुल क़ारी:- यह शरह अश्शैख़ अल-इमाम हाफ़िज़ अल-ऐनी अल-मुतवफ़्फ़ी 855 हिजरी की तस्नीफ़ है। सहीह बुख़ारी की इससे बेहतर शरह आज तक नहीं लिखी गई। हाफ़िज़ बदरुद्दीन ऐनी ने इस शरह को 821 हिजरी में लिखना शुरू किया और 847 हिजरी में इसको पच्चीस अज्ज़ा में मुकम्मल किया जो बारह मुजल्लदात पर मुश्तमल है।

अल्लामा इब्ने हजर और हाफ़िज़ ऐनी में मुआसिराना चश्मक थी, अल्लामा ऐनी जामेअ मुवेदी में बुर्जे शुमाली पर बैठ कर दर्से हदीस दिया करते थे। उस मस्जिद का एक मिनारा बोसीदा हो चुका था, उसको तामीरे जदीद के लिये गिरा दिया गया। उस मौक़ा पर हाफ़िज़ इब्ने हजर ने यह अशआर कहे:

منارته تزهو بالحسن و بالذين   لجامع مولانا المويد رونق

فليس على حسنى اضر من العين   تقول و قد مألت عليهم امهلوا

(जामेअ मुवेद बड़ी बा-रौनक़ है, उसका मिनारा बहुत हसीन व जमील था, वह झुकते वक़्त ज़बाने हाल से कह रहा था कि मुझे छोड़ दो क्योंकि मेरे हुस्न व जमाल के लिये अस्ल नुक़सान-देह चीज़ नज़रे बद या अल्लामा ऐनी हैं, इसमें लफ़्ज़े ऐन से अल्लामा ऐनी का तौरिया किया गया है।)

अल्लामा ऐनी को जब इन अशआर का पता चला तो उन्होंने हाफ़िज़ इब्ने हजर की तरफ़ यह अशआर लिखवा कर भेजे:

منارة كعروس الحسن قد حليت   وهرمها بقضاء الله والقدر

قالوا اصيبت بعين قلت ذا غلط   ما افة الحجر الا خسته الحجر

(वह मिनारा दुल्हन की तरह हसीन और ख़ूबसूरत था जिसका गिरना हक़ीक़त में क़ज़ा व क़दर के सबब से था। लोगों ने कहा उसको नज़र लग गई, लेकिन उसको गिराने का सबब हजर (पत्थर या इब्ने हजर) की ख़स्ता हाली थी। इन अशआर में अल्लामा ऐनी ने जवाबन हजर के लफ़्ज़ से इब्ने हजर का किनाया किया है।)

जिस ज़माने में अल्लामा ऐनी शरह लिख रहे थे, हाफ़िज़ इब्ने हजर भी लिख रहे थे और वह अल्लामा ऐनी से पहले लिखना शुरू कर चुके थे। बुरहान इब्ने ख़िज़्र ने हाफ़िज़ इब्ने हजर की इजाज़त से उनका मुसव्वदा लिया और अल्लामा ऐनी ने उन से मुसव्वदा आरियतन मांग लिया। हाफ़िज़ ऐनी ने

अल्लामा इब्ने हजर के मुसव्वदा का मुताला किया और अपनी शरह में उसका साथ साथ रद्द लिखते गए। जब यह शरह मुकम्मल होकर लोगों के सामने आई तो हाफ़िज़ इब्ने हजर और उनके तलामिज़ा हैरान रह गए। हाफ़िज़ इब्ने हजर ने बाद में अल्लामा ऐनी के एतेराज़ात के जवाब में इन्तिफ़ाज़ुल एतेराज़ के नाम से एक किताब लिखनी शुरू की लेकिन उम्र ने वफ़ा न की और किताब की तक्मील से पहले ही इब्ने हजर का इन्तिक़ाल हो गया। बहर हाल उन्होंने जितनी किताब लिखी है उस में भी ऐनी के अकसर एतेराज़ के जवाबात नहीं बन सके।

हाफ़िज़ बदरुद्दीन ऐनी अपनी शरह में पहले हदीस की क़ुरआने करीम से मुताबिक़त बयान करते हैं, फिर किताब, तर्जमतुल बाब और हदीसे साबिक़ से उसकी मुनासिबत बयान करते हैं। इसके बाद रिजाल पर गुफ़्तगू करते हैं और जिस सहाबी से हदीस मरवी हो उसकी मुख़्तसर सवानेह लिखते हैं, अनवाए हदीस में से उस हदीस की नौअ बयान करते है, सहीह बुख़ारी में जिन अबवाब के तहत वह हदीस मुकर्रर आती है उनका ज़िक्र करते हैं। इमाम बुख़ारी के अलावा जिन मुहद्दिसीन ने अपनी तसानीफ़ में उस हदीस का इख़राज किया है उनका बयान करते हैं। फिर अल्फ़ाज़े हदीस की लुग़त, एअराब, मआनी, बयान और बदीअ के एतेबार से उस हदीस की शरह करते हैं। हदीस का मूरिद, उससे मुस्तंबित मसाइल और फ़वायद और उसके तहत मुख़्तलिफ़ फ़िक़्ही मसालिक बयान करते हैं। इमामे आज़म के मज़हब को दलाइल से साबित करते हैं और जिस जिस मकाम पर दीगर शरह लिखने वाले और बिल-ख़ुसूस इब्ने हजर से इख़्तिलाफ़ हो, उसका रद्द करते हैं।

ऐनी की एक ख़ास ख़ूबी जिस में वह तमाम शरह लिखने वालों से मुम्ताज़ हैं यह है कि वह हदीस की शरह को कई अज्ज़ा और अबहास में तक़सीम करते हैं और हर मबहस से पहले उसकी ज़ेली सुर्ख़ी और उनवान क़ायम करते हैं जिस की वजह से इस किताब से इस्तिफ़ादा में बहुत आसानी हो जाती है।

जो अहादीस मुकर्रर हैं उन में अल्लामा ऐनी का तरीक़ा यह है कि पहली बार जिस बाब के तहत वह हदीस आती है वहां उस की मुफ़स्सल शरह कर देते हैं और बाद में जब उस हदीस का दोबारा ज़िक्र आता है तो उस पर सरसरी गुफ़्तगू करते हैं यही वजह है कि सहीह बुख़ारी की पहली जिल्द की अल्लामा ऐनी ने सोलह अज्ज़ा में शरह की है और दूसरी जिल्द की शरह बाक़ी नौ अज्ज़ा में पूरी कर दी है।

(13) **अल-कौसरुल जारी:-** यह अहमद बिन इस्माईल अल-कोरानी अल-हनफ़ी अल-मुतवफ़्फ़ी 893 हिजरी की शरह है। इसके शुरू में हुज़ूर ﷺ की सीरत बयान की गई है। इस में हल्ले लुग़ात और ज़ब्ते अस्माए रवात पर ज़ोर दिया गया है और हाफ़िज़ इब्ने हजर और करमानी का बिल-ख़ुसूस रद्द किया गया है।

(14) **अत्तौशीह अलल जामेउस्सहीह:-** यह हाफ़िज़ जलालुद्दीन अल-सुयूती अल-मुतवफ़्फ़ी 911 हिजरी की शरह है।

(15) **इरशादुस्सारी:-** यह शरह शहाबुद्दीन अहमद बिन मुहम्मद अल-ख़तीब अल-कस्तलानी अश्शाफ़ई अल-मुतवफ़्फ़ी 923 हिजरी की तस्नीफ़ है। दस मुजल्लदात पर मुश्तमल है, किताब के शुरू में इमाम बुख़ारी की मुफ़स्सल सवानेह ज़िक्र की है। इस शरह में फ़तहुल बारी से बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा किया गया है।

मुतूरे बाला में जिन शुरूह का ज़िक्र किया गया है, हाजी ख़लीफ़ा ने कश्फ़ुज़्ज़ुनून में इनके अलावा और पैंतीस शुरूह का ज़िक्र किया है। (हाजी ख़लीफ़ा व कातिब चल्पी अल-मुतवफ़्फ़ी 1067 हिजरी, कश्फ़ुज़्ज़ुनून जि: 1, स: 545 से 554) यह वह शुरूह हैं जो 1012 हिजरी तक मुनस्सए शुहूद पर आ चुकी थीं। ग्यारहवीं हिजरी से लेकर अब तक चार सौ साल के इस तवील अरसे में अरबी, फ़ारसी और उर्दू ज़बान में और बहुत सी शुरूह लिखी जा चुकी हैं और हुनूज़ लिखी जा रही हैं और जब तक अहले इल्म के हाथों में क़िरतास व क़लम रहेगा सहीह बुख़ारी की अहादीस के फ़वायद और नुकात बयान होते रहेंगे।

मसामुहाते बुख़ारी:– इमाम बुख़ारी भी अपने तमाम-तर इल्मी और फ़न्नी कमालात के बावुजूद इन्सान और बशर थे इसलिये सहीह बुख़ारी की तस्नीफ़ में उन से सह्व, निस्यान और तसामुह का वाक़िआ हो जाना कोई अम्र मुस्तबअद नहीं है। इसके बर-ख़िलाफ़ बाज़ वह हज़रात जो सहीह बुख़ारी को हर्फ़े आख़िर क़रार देते हैं उनकी राए है कि बुख़ारी में मुन्दर्ज हर हर हदीस सहीह है और सनद और मतन के बयान में उन से किसी जगह ग़लती नहीं हुई। हमारी राए उन लोगों से बहर-हाल मुख़्तलिफ़ है। यह सहीह है कि सहीह बुख़ारी में दीगर तमाम कुतुबे हदीस की बनिस्बत सबसे ज़्यादा सहीह अहादीस हैं लेकिन यह सहीह नहीं है कि उस में मुन्दर्ज कोई हदीस भी ज़ईफ़ नहीं है।

सहीह बुख़ारी में ऐसे रावियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है जो जहमी, क़दरी, राफ़ज़ी या मरजिया अक़ायद के हामिल थे। इसके साथ साथ इस में ऐसे रावी भी हैं जो मुन्किरुल हदीस वाही और वहमी थे। चुनान्चे उन तमाम की तफ़सील हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी ने हदीउस्सारी मुक़द्दमा फ़त्हुल बारी में मुहय्या की है लेकिन उनके मजरूह और मतऊन रावियों के बारे में यह कह दिया जाता है कि उन रावियों पर जिरह दूसरे लोगों ने की है, इमाम बुख़ारी के नज़्दीक उन लोगों पर जिरह साबित नहीं हो सकी इसलिये उन्होंने उनकी अहादीस को अपनी सहीह में वारिद किया है।

यह उज़्र अपनी जगह सही है अगर्चे वह लोग दूसरों के हक़ में यह जवाब तसलीम नहीं करते, लेकिन अब इस बात को क्या किया जाए कि इमाम बुख़ारी ने जिन रावियों पर ख़ुद दूसरी किताबों में जिरह की है सहीह बुख़ारी में उन से भी रिवायात ले आए हैं। इस क़िस्म के मुशाहिद शवाहिद मौजूद हैं, हम उन में से आपके सामने चन्द मिसालें पेश करते हैं।

बाबुल इस्तिंजा बिल-माअ के तहत इमाम बुख़ारी ने एक रिवायत इस सनद के साथ ज़िक्र की है: حدثنا ابو سعيد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبه عن ابي معاذ و اسمه عطا بن ابي ميمونه قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجة الحديث. (मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी मुतवफ़्फ़ी 256 हिजरी, सहीह बुख़ारी जि: 1, स: 27)

इस हदीस की सनद में एक रावी है अता बिन अबी मैमूना उसके बारे में इमाम बुख़ारी फ़रमाते हैं: عطا بن ابي ميمونه ابو معاذ مولى انس، وقال يزيد بن هارون مولى عمران بن حصين وكان يرى القدر. (मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी मुतवफ़्फ़ी 256 हिजरी, किताबुल ज़ुअफ़ाउस्सग़ीर, स: 271) (यानी यह शख़्स अक़ायदे क़दरिया का हामिल था)

इसी तरह उन्होंने किताबुल मग़ाज़ी में एक हदीस ज़िक्र की है:- حدثني عباس والوليد قال حدثني عبد الواحد عن ايوب بن عائذ قال حدثنا قيس بن مسلم قال، سمعت طارق بن شهاب يقول حدثني ابو موسى الاشعري قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. (मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी मुतवफ़्फ़ी

256 हिजरी, सहीह बुख़ारी जि: 2, स: 623) इस हदीस में एक रावी है अय्यूब बिन आइज़ उसको भी उन्होंने किताबुल ज़ुअफ़ा में दर्ज किया है और फ़रमाते हैं: ايوب بن عائذ الطائى كان يرى الارجاء. (मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी मुतवफ़्फ़ी 256 हिजरी, किताबुल ज़ुअफ़ाउस्सग़ीर स: 253) (यह शख़्स मरजिया अक़ायद का हामिल था)

हाफ़िज़ ज़हबी अय्यूब बिन आइज़ के तर्जमा में लिखते हैं: وكان من المرجية قال له البخارى واوده فى الضعفاء لارجائه والعجب من البخارى يغمزه وقد احتج به इमाम बुख़ारी ने अय्यूब बिन आइज़ को मरजिया क़रार देकर उसका ज़ुअफ़ा में शुमार किया है और हैरत है कि उसको ज़ईफ़ क़रार देकर फिर उससे इस्तिदलाल करते हैं।

इस्माईल बिन अबान कूफ़ी एक रावी है, उसके बारे में इमाम बुख़ारी फ़रमाते हैं:- اسمٰعيل بن ابان عن هشام بن عروة متروك الحديث كنيته ابو اسحٰق كوفى (मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी मुतवफ़्फ़ी 256 हिजरी, किताबुल ज़ुअफ़ाउस्सग़ीर, स: 252) इस्माईल बिन अबान जो हिशाम बिन उरवा से रिवायत करता है मतरूकुल हदीस है।

उस मतरूकुल हदीस रावी से इमाम बुख़ारी ने अपनी सहीह में मुताद्दिद अहादीस रिवायत की हैं। चुनान्चे हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी फ़रमाते हैं:- اسمٰعيل بن ابان الوراق الكوفى احد شيوخ البخارى ولم يكثر عنه (हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी मुतवफ़्फ़ी 852 हिजरी, हदीउस्सारी जि: 2, स: 151) (इस्माईल बिन अबान इमाम बुख़ारी के उस्ताज़ हैं और इमाम बुख़ारी ने उन से बहुत ज़्यादा अहादीस रिवायत नहीं की हैं।)

उनके अलावा ज़ुबैर बिन मुहम्मद अत्तैमी, सईद बिन उरवा, अब्दुल्लाह बिन अबी लबीद, अब्दुल मलिक बिन अमीन, अब्दुल वारिस बिन सईद, अता बिन अस्साइब बिन यज़ीद, ख़स्स बिन मिन्हाल यह तमाम ज़ईफ़ रावी हैं और किताबुल ज़ुअफ़ा में इमाम बुख़ारी ने उनके ज़ुअफ़ की तस्रीह की है, इसके बावजूद सहीह बुख़ारी में उन लोगों की रिवायात को दर्ज किया है।

बयाने सनद में तसामुह:- ज़ईफ़ लोगों से रिवायत के अलावा कभी इमाम बुख़ारी से सनद में रावियों के नाम के सिलसिले में भी ख़ता वाक़ेअ हो जाती है। चुनान्चे इमाम बुख़ारी ने اذا اقيمت الصلوة فلا صلوة الا المكتوبة. के तहत एक हदीस इस सनद के साथ वारिद की है: حدثنا عبد العزيز بن عبدالله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن حفص بن عاصم عن عبدالله بن مالك بن بحنيه قال الخ. (मुहम्मद बिन इस्माईल अल-बुख़ारी मुतवफ़्फ़ी 256 हिजरी, किताबुल ज़ुअफ़ाउस्सग़ीर, स: 272)

इस सनद के बयान में इमाम बुख़ारी से दो ग़लतियां वाक़ेअ हुई हैं एक तो यह कि बुहैनह अब्दुल्लाह की वालिदा का नाम है न कि मालिक की। और इमाम बुख़ारी ने उसको मालिक की वालिदा क़रार दिया है, दूसरी यह कि आगे चल कर फ़रमाते हैं:- سمعت رجلا من الازد يقال له مالك بن بحينه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا الحديث. (इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी मुतवफ़्फ़ी 256 हिजरी, सहीह बुख़ारी जि: 1, स: 91) इस हदीस को उन्होंने मालिक से रिवायत किया है हालांकि यह हदीस मालिक के बेटे अब्दुल्लाह बिन मालिक से मरवी है। मालिक तो मुशर्रफ़ ब-इस्लाम भी नहीं हुए थे। मुस्लिम, नसाई और इब्ने माजा ने भी इस सनद को बयान किया है लेकिन उनकी सनद में यह ग़लतियां

नहीं हैं।

हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी लिखते हैं:- الوهم فيه موضعين احدهما ان بحينه والدة عبدالله لا مالك وثانيها ان الصحبة والرواية لعبدالله لا لمالك. (फ़त्हुल बारी जि: 1, स: 29)

इस रिवायत में दो जगह वहम है अव्वल यह कि बुहैनह अब्दुल्लाह की वालिदा है न कि मालिक की, दूसरे यह कि सहाबी और रावी अब्दुल्लाह हैं न कि मालिक।

मतने हदीस में तसामुह:- सनदे हदीस के अलावा नफ़्से हदीस के मतन में भी इमाम बुख़ारी से काफ़ी तसामुह वाक़ेअ हुए। सुतूरे ज़ेल में उन में से बाज़ ग़लतियों का ज़िक्र किया जाता है।

(1) किताबुज़्ज़कात में इमाम बुख़ारी ने एक हदीस वारिद की है।

"عن عائشة ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قلن للنبي صلى الله عليه وسلم قلن للنبي صلى الله عليه وسلم اينا اسرع بك لحوقًا قال اطولكن يدا فاخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة اطولهن يدا فعلمنا بعد انما كانت طول يدها الصدقة وكانت اسرعنا لحوقاً به صلى الله عليه وسلم وكانت تحب الصدقة." (मुहम्मद बिन इस्माईल अल-बुख़ारी मुतवफ़्फ़ी 256 हिजरी, सहीह बुख़ारी जि: 1, स: 191)

हज़रत आयशा सिद्दीक़ा رضی اللہ عنہا से मरवी है कि हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की बाज़ अज़्वाज ने आप से अर्ज़ किया कि हुज़ूर आपकी अज़्वाज में से कौन सबसे पहले आपके साथ वासिल होगी? फ़रमाया: "जिसके हाथ लम्बे होंगे।" यह सुन कर सब अपने अपने हाथ मापने लगीं और उन में लम्बे हाथ सौदह के थे और बाद में हम को मालूम हुआ कि हाथों की लम्बाई से सदक़ा मुराद है और सौदह का सबसे पहले इन्तिक़ाल हुआ और वह सदक़ा से मुहब्बत रखती थीं।

इस हदीस के जुम्ला "कानत अस्रअना लहू क़ाबह" में कानत की ज़मीर सौदह की तरफ़ राजेअ है। जिसका मफ़ाद यही है कि आपके बाद अज़्वाज में सबसे पहले सौदह का विसाल हुआ और यह बात तमाम असहाबे सियर और अरबाबे तारीख़ की शहादत से क़तअन बातिल है क्योंकि आपके बाद सबसे पहले हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश का 20 हिजरी में विसाल हुआ और हज़रत सौदह का विसाल तो उस के बहुत बाद 54 हिजरी में हुआ है। (अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी मुतवफ़्फ़ी 855 हिजरी, उम्दतुल क़ारी, जि: 8, स: 282) इस हदीस में रावी से ज़ैनब का लफ़्ज़ छूट गया है। इबारत यूँ होनी चाहिये थी: "وكانت زينب اسرع لحوقًا به." सहीह मुस्लिम में यह जुम्ला इस तरह है: "وكانت زينب اطول يدا لانها كانت تعمل و تتصدق." बहर-हाल यह इमाम बुख़ारी का काम था कि वह उस रावी की रिवायत को अपनी सहीह में दर्ज करते, जिसकी रिवायत में यह तारीख़ी ग़लती नहीं हुई जैसा कि इमाम मुस्लिम ने किया है। हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी ने भी एक तवील बहस के बाद यह फ़ैसला किया है कि इस रिवायत में अबू अवानह को वहम हुआ है। (फ़त्हुल बारी जि: 4, स: 30)

(2) बाब उहद वल-मरात अला ग़ैर ज़ौजहा के तहत इमाम बुख़ारी ने यह हदीस वारिद की है:

"عن زينب بنت ابي سلمة قالت لما جاء نعي ابي سفيان من الشام دعت ام حبيبة بصفرة في يوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها الحديث." (मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी मुतवफ़्फ़ी 256 हिजरी, सहीह बुख़ारी जि: 1, स: 170)

ज़ैनब बिन्ते सलमह का बयान है कि जब शाम से हज़रत अबू सुफ़यान رضی اللہ عنہ की मौत की ख़बर

आई तो हज़रत उम्मे हबीबह ने तीन दिन के बाद सोग ख़त्म कर दिया।

इस हदीस में इमाम बुख़ारी ने यह बयान किया है कि अबू सुफ़यान की वफ़ात की इत्तिलाअ शाम से आई थी हालांकि यह बात तारीख़ी तौर पर क़तअन ग़लत है क्योंकि ब-इत्तिफ़ाक़ मुअर्रिख़ीन अबू सुफ़यान का इन्तिक़ाल मदीना मुनव्वरा में हुआ था। चुनान्चे हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी लिखते हैं:

"وفی قوله من الشام نظر لان ابا سفیان مات بالمدینة بلا خلاف بین اهل العلم بالاخبار والجمهور علی انه مات اثنتین و ثلاثین و قبل سنة ثلاث ولم ار فی شیئ من طرق هذا الحدیث تقییده بذلك الا فی روایة سفیان بن عیینه هذه واظنها وهما". (हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी मुतवफ़्फ़ी 852 हिजरी, फ़त्हुल बारी जि: 3, स: 388)

इस रिवायत में शाम के लफ़्ज़ पर एतेराज़ है क्योंकि मुअर्रिख़ीन में से किसी का इस बात पर इख़्तिलाफ़ नहीं है कि अबू सुफ़यान का इन्तिक़ाल मदीना में 32 हिजरी या 33 हिजरी में हुआ था और इस वाक़िआ में शाम की क़ैद मैंने सुफ़यान बिन उयैनया की रिवायत के सिवा और कहीं नहीं देखी और मेरा गुमान यह है कि यह रावी का वहम है।

इस तफ़सील से मालूम होता है कि इस रिवायत को दर्ज करने में इमाम बुख़ारी ने कामिल ग़ौर व ख़ौज़ और तहक़ीक़ व ततब्बुअ से काम नहीं लिया।

(3) फ़ज़्ल मिन शहिदा बदरन और ग़ज़वए रजीअ में इमाम बुख़ारी ने एक तवील हदीस में फ़रमाया: "وقتل خبیب هو قتل الحارث بن عامر بن نوفل یوم بدر" यानी ख़बीब ने जंगे बदर में हारिस बिन आमिर को क़त्ल किया था। इस जगह भी इमाम बुख़ारी ने सख़्त मुग़ालिता खाया है क्योंकि ख़बीब नाम के दो शख़्स हैं, ख़बीब बिन अदी और ख़बीब बिन असाफ़ और तमाम-तर अहले मग़ाज़ी का इत्तिफ़ाक़ है कि जिस शख़्स ने जंगे बदर में हारिस बिन आमिर को क़त्ल किया था वह ख़बीब बिन असाफ़ हैं और इमाम बुख़ारी ने हदीस में जिस ख़बीब का वाक़िआ ज़िक्र किया है जिन को मुश्रिकीन ने गिरफ़्तार करके मक्का में सूली दे दी थी वह ख़बीब बिन अदी हैं। और ख़बीब बिन अदी न तो ग़ज़वए बदर में शरीक हुए न उन्होंने हारिस को क़त्ल किया लिहाज़ा उनके बारे में इमाम बुख़ारी का यह कहना सही नहीं हैं कि ख़बीब ने हारिस को क़त्ल किया था। चुनान्चे हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी लिखते हैं:

"ان اهل المغازی لم یذکر احد منهم ان خبیب بن عدی شهد بدرا ولا قتل الحارث بن عامر وانما ذکروا ان الذی قتل الحارث بن عامر ببدر خبیب بن اساف وهو خبیب بن عدی وهو خزرجی و خبیب بن عدی اوسی"۔ (हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी मुतवफ़्फ़ी 852 हिजरी, फ़त्हुल बारी जि: 8, स: 384)

अहले मग़ाज़ी में से किसी ने यह ज़िक्र नहीं किया कि ख़बीब बिन अदी जंगे बदर में हाज़िर हुए और न ही उन्होंने हारिस को क़त्ल किया था। उन्होंने यह ज़िक्र किया है कि जिस शख़्स ने हारिस को क़त्ल किया वह ख़बीब बिन असाफ़ थे और उस वाक़िआ में जिसका ज़िक्र है वह ख़बीब बिन अदी हैं और ख़बीब बिन अदी क़बीला ऊस के हैं और ख़बीब बिन असाफ़ क़बीला ख़िज़रज के।

यही एतेराज़ अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने भी उम्दतुल क़ारी शरह बुख़ारी जि: 17, स: 100 पर ज़िक्र किया है।

(4) बाब मनाक़िबे उस्मान में इमाम बुख़ारी ने एक हदीस वारिद की है जिस में ज़िक्र है:

"ثم دعا علیا فامره ان یجلد فجلده ثمانین" (मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी मुतवफ़्फ़ी 256 हिजरी, सहीह

बुख़ारी जि: 1, स: 522)

फिर हज़रत उस्मान ने हज़रत अली को बुला कर कोड़े लगाने का हुक्म दिया तो उन्होंने उसको अस्सी कोड़े लगाए।

इमाम बुख़ारी ने इस रिवायत में अस्सी कोड़े मारने का ज़िक्र किया है लेकिन सही बात यह है कि हज़रत अली ने चालीस कोड़े मारे थे, चुनान्चे हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं:

"فی روایة معمر فجلد الولید اربعین جلدة وهذه الروایة اصح من روایة یونس و الوهم فیه من الراوی"

(हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी मुतवफ़्फ़ी 852 हिजरी, फ़त्हुल बारी जि: 8, स: 57)

मअमर की रिवायत में है कि वलीद को चालीस कोड़े लगाए गए और सही-तर रिवायत यही है और इस रिवायत में रावी को वहम लाहिक़ हुआ है।

हाफ़िज़ बदरुद्दीन ऐनी भी (उम्दतुल क़ारी जि: 16, स: 204 में) यही फ़रमाते हैं। (बाद में इज्माए सहाबा से शराब की हद्द 80 कोड़े मुक़र्रर की गई)

(5) बाब मा ज़िक्र फ़िल असवाक़ के तहत इमाम बुख़ारी ने मज़कूरए ज़ेल हदीस वारिद की है:

"عن ابی هریرة الدوسی قال خرج النبی صلی الله علیه وسلم فی طائفة النهار لا یکلمنی ولا اکلمه حتی اتی سوق بنی قینقاع فجلس بفنا بیت فاطمة. الحدیث" (इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी मुतवफ़्फ़ी 256 हिजरी, सहीह बुख़ारी जि: 1, स: 285)

हज़रत अबू हुरैरा رضی اللہ عنہ बयान करते हैं कि हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم दिन के वक़्त बाहर निकले, मैं और आप दोनों ख़ामोश थे यहां तक कि आप बनू क़ैनुक़ाअ के बाज़ार में आए और हज़रत फ़ातिमा के घर सहन में जाकर बैठ गए।

इस हदीस से मालूम होता है कि हज़रत फ़ातिमा رضی اللہ عنہا का घर बनी क़ैनुक़ाअ के बाज़ार में था, हालांकि फ़िल-वाक़ेअ ऐसा नहीं था बल्कि उनका मकान हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم की अज़वाजे मुतहहरात के मकानों के दरमियान था। नाक़िल को इस रिवायत में वहम हुआ है। सहीह मुस्लिम की रिवायत में यह वहम नहीं है, उस में इस तरह है: "حتی جآء سوق بنی قینقاع ثم انصرف حتی اتی فناء فاطمة" यानी हुज़ूर बनू क़ैनुक़ाअ के बाज़ार तशरीफ़ लाए, फिर वापस तशरीफ़ ले गए हत्ता कि हज़रत फ़ातिमा رضی اللہ عنہا के सहन में दाख़िल हुए। चुनान्चे हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी लिखते हैं:

"قال الداؤدی سقط بعض الحدیث عن الناقل او ادخل حدیثا فی حدیث لان بیت فاطمة لیس فی سوق بنی قینقاع انتهی وما ذکره اولًا احتمالا هو الواقع." (फ़त्हुल बारी जि: 5, स: 244)

दाऊदी ने कहा कि नाक़िल से हदीस के बाज़ अल्फ़ाज़ साक़ित हो गए या उस ने एक हदीस को दूसरी में दाख़िल कर दिया क्योंकि हज़रत फ़ातिमा का मकान बनू क़ैनुक़ाअ के बाज़ार में नहीं था। अल्लामा इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि दाऊदी ने जो पहला एहतमाल ज़िक्र किया है (यानी नाक़िल से बाज़ अल्फ़ाज़ साक़ित हो गए हैं) अस्ल में वही वाक़िआ है।

मज़ीद तफ़सील के लिये उम्दतुल क़ारी जि: 11, स: 239 मुलाहिज़ा फ़रमाएं।

इस्तंबाते मसाइल में तसामुहः- शुरू में हम ने ज़िक्र किया था कि इस किताब की तदवीन से इमाम बुख़ारी का मक़सद सिर्फ़ अहादीस को जमा करना नहीं है बल्कि तराजिमे अबवाब पर इस्तिदलाल करना भी उनके मक़सद में शामिल है और बशरी तक़ाज़े से मसाइल के इस्तंबात में भी इमाम बुख़ारी से

ग़लतियां वाक़ेअ हुई हैं। हम यहां पर बाज़ मिसालें पेश करके उनकी निशानदही कर देते हैं।

(1) इमाम बुख़ारी ने तुक़्ज़िउल हाइज़ुल मनासिक कुल्लहा इल्लल तवाफ़ के उनवान से एक बाब ज़िक्र किया है और उसके तहत तअलीक़न यह हदीस लाए हैं:-

"كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه."

(इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी मुतवफ़्फ़ी 256 हिजरी, सहीह बुख़ारी जि: 1, स: 44)

हुज़ूर ﷺ हर हाल में अल्लाह तआला का ज़िक्र करते थे।

इस हदीस के लाने से इमाम बुख़ारी का मक़सद यह है कि जुन्बी शख़्स और हाइज़ा औरत क़ुरआने करीम की तिलावत कर सकते हैं हालांकि यह बात शरअन ममनूअ है। चुनान्चे अल्लामा ऐनी लिखते हैं:-

"اراد البخاری بایراد هذا وبما ذکر فی هذا الباب الاستدلال علی جواز قراٰۃ الجنب والحائض لان الذکر اعم من ان یکون بالقرآن اولغیرہ." (हाफ़िज़ बदरुद्दीन ऐनी मुतवफ़्फ़ी 855 हिजरी, उम्दतुल क़ारी जि: 3, स: 274)

इस हदीस को लाने से इमाम बुख़ारी का मक़सद यह है कि जुन्बी शख़्स और हाइज़ा औरत क़ुरआने मजीद की तिलावत कर सकते हैं क्योंकि ज़िक्र आम है और क़ुरआन और ग़ैर क़ुरआन दोनों को शामिल है।

और हाफ़िज़ इब्ने हजर इस बाब के तहत लिखते हैं:-

"ان مرادہ الاستدلال علی جواز قراٰۃ الحائض والجنب."

(हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी मुतवफ़्फ़ी 852 हिजरी, फ़त्हुल बारी जि: 1, स: 423)

इस हदीस से इमाम बुख़ारी की मुराद हाइज़ और जुन्बी की क़िरअते क़ुरआन पर इस्तिदलाल है।

(2) इज़ा शरिबल कल्ब फ़िल अनाअ इस उनवान के तहत इमाम बुख़ारी ने मुताद्दिद अहादीस ज़िक्र की हैं, एक हदीस यह है:-

"عن النبی صلی اللہ علیه وسلم ان رجلا رأی کلبا یأکل الثری من العطش فاخذ الرجل خفه فجعل یغرف له به حتی ارواہ فشکر اللہ له فادخله اللہ الجنة."

(इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी मुतवफ़्फ़ी 256 हिजरी, सहीह बुख़ारी जि: 1, स: 29)

हुज़ूर ﷺ ने बयान फ़रमाया कि एक शख़्स ने देखा कि एक बावला कुत्ता कीचड़ चाट रहा है, उस ने अपने मोज़े में पानी भर कर उसको चुल्लू से पानी पिलाया।

इस हदीस में इमाम बुख़ारी ने साबित किया है कि कुत्ते का जूठा पाक है, चुनान्चे हाफ़िज़ इब्ने हजर लिखते हैं:-

"استدلال به المصنف علی طهارۃ سؤر الکلب."

(हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी मुतवफ़्फ़ी 852 हिजरी, फ़त्हुल बारी जि: 1, स: 289)

मुसन्निफ़ ने इस हदीस से कुत्ते के जूठे की तहारत पर इसदिलाल किया है।

इसी बाब में एक और हदीस ज़िक्र की है। ..

"کانت الکلاب تبول و تقبل و تدبر فی المسجد فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم فلم یکونوا یرشون من ذالك." (इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी मुतवफ़्फ़ी 256 हिजरी, सहीह बुख़ारी जि: 1, स: 29)

अहदे रिसालत में कुत्ते मस्जिद में आ जाया करते थे और बसा औक़ात वह मस्जिद में पेशाब भी कर दिया करते थे और सहाबा उस पर पानी नहीं डालते थे।

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं, यह इब्तिदाई दौर की बात है जब मस्जिद में दरवाज़े न थे और बाद में मस्जिद की ततहीर व तकरीम का हुक्म वारिद हुआ और मस्जिद में दरवाज़े लगाए गए ताहम ज़मीन पर अगर पेशाब गिर जाए और धूप से वह खुश्क हो जाए तो ज़मीन पाक हो जाती है और उनके न धोने से यही साबित होता है कि ज़मीन की पाकीज़गी के लिये धोना ज़रूरी नहीं है। ज़मीन खुश्क होने से भी पाक हो जाती है और यही अहनाफ़ का मज़हब है लेकिन इमाम बुख़ारी ने इस हदीस से क्या साबित किया और कौन सा फ़िक़्ही मस्अला मुस्तंबित किया है। यह हाफ़िज़ बदरुद्दीन ऐनी से सुनिए फ़रमाते हैं:-

"احتج به البخاری علی طهارة بول الکلب" (हाफ़िज़ बदरुद्दीन ऐनी मुतवफ़्फ़ी 855 हिजरी, उम्दतुल क़ारी जि: 3, स: 44)

इस हदीस से इमाम बुख़ारी ने कुत्ते के पेशाब की तहारत पर इस्तिदलाल किया है।

एतेज़ारः- हम ने अपने इस मक़ाला में इमाम बुख़ारी के मसामुहात पर जो बहस की है इससे हरगिज़ हमारा यह मक़सद नहीं है कि इमाभ बुख़ारी के मर्तबा और मक़ाम को कम किया जाए बल्कि हम उन लोगों को हक़ीक़त की तरफ़ लाना चाहते हैं जो इमाम बुख़ारी को इमामे आज़म से ज़्यादा गर्दानते हैं और जो अहादीसे बुख़ारी को हर्फ़े आख़िर क़रार देते हैं।

अहादीस के परखने में इमाम बुख़ारी का गक़ाम सबसे ऊंचा है। चन्द मसामुहात से क़तअ नज़र कि कोई बशर इससे ख़ाली नहीं, इमाम बुख़ारी की फ़न्ने हदीस में इन्तिहाई अज़ीम हैसियत है। उन्हें अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस कहना बजा है लेकिन इसके बावुजूद बशरी तक़ाज़ा से उन से बहर-हाल कुछ तसामुह हुए हैं, जिनकी अइम्मए फ़न ने निशानदही की है। मजमूई तौर पर सहीह बुख़ारी को मुदव्वन करके इमाम बुख़ारी ने इस्लाम की एक अज़ीम ख़िदमत सर-अंजाम दी है। अल्लाह तआला ने इस किताब को बे-पनाह मक़बूलियत अता फ़रमाई है और उम्मत की अज़ीम अकसरियत क़ुरआने करीम के बाद सहीह बुख़ारी को तवातुर के साथ बतौर हुज्जत मानती चली आ रही है। अल्लाह तबारक व तआला इसके मुसन्निफ़ के दरजात बुलन्द फ़रमाए और हमें अहादीसे बुख़ारी के अनवार और फ़ुयूज़ व बरकात से बहरा-मन्द फ़रमाए। (आमीन)

ज़रूरते हदीसः- क़ुरआने करीम में अल्लाह तआला ने इन्सानी मईशत के उसूल और मुबादी इज्मालन बयान फ़रमाए हैं जिनकी तअबीर व तशरीह बग़ैर अहादीसे नबविया के मुमकिन नहीं है। नीज़ अहकाम की अमली सूरत बयान करने के लिये उस्वए रसूल की ज़रूरत है। अहादीसे रसूल हमें क़ुरआनी अहकाम की अमली तस्वीर मुहय्या करती हैं, अलावा अर्ज़ी मसलन सलात, ज़कात, तयम्मुम, हज और उमरा य महज़ अल्फ़ाज़ हैं। लग़ते अरबी इन अल्फ़ाज़ के वह मआनी नहीं बताती जो शरअ में मतलूब हैं, प अगर अहादीसे रसूल मौजूद न हों तो हमारे पास क़ुरआने करीम के मआनी शरइया मुतअय्यन करने क कोई ज़रिया नहीं रहेगा।

हुज्जियते हदीसः- अल्लाह तआला ने हुज़ूर ﷺ के अक़वाल और अफ़आल की पैरवी का हुक दिया है। चुनान्चे इरशाद फ़रमाता हैः-

(1) "اطیعوا اللہ واطیعوا الرّسول" अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो।

(2) "ما اٰتاکم الرسول فخذوہ وما نھاکم عنہ فانتھوا" रसूल तुम को जो हुक्म दें वह ले लो औ जिस चीज़ से रोकें उससे रुक जाओ।

(3) قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى - आप फ़रमा दीजिए कि तुम अल्लाह से मुहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो।

(4) - لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة तुम्हारे आमाल के लिये रसूलुल्लाह ﷺ की ज़िन्दगी में बेहतरीन नमूना है।

इन आयाते मुबारका से मालूम हुआ कि हुज़ूर ﷺ के अहकाम की इताअत करो, आपके अफ़आल की इत्तिबाअ क़यामत तक के मुसलमानों पर वाजिब है। अब सवाल यह है कि बाद के लोगों को हुज़ूर ﷺ के अहकाम और आप के अफ़आल का किस ज़रिये से इल्म होगा। अल्लाह तआला ने हुज़ूर ﷺ की ज़िन्दगी को हमारे लिये नमूना बनाया है पस जब तक हुज़ूर की ज़िन्दगी हमारे सामने न हो हम अपनी ज़िन्दगी को हुज़ूर के उस्वा में कैसे ढाल सकेंगे और जबकि हमें उस्वए रसूल पर इत्तिबाअ सिर्फ़ अहादीस से ही मुमकिन है तो मालूम हुआ कि अल्लाह तआला के नज़्दीक जिस तरह सहाबा के लिये बनफ़्से नफ़ीस हुज़ूर की ज़ात हिदायत थी, उसी तरह हमारे लिये हुज़ूर की अहादीस हिदायत हैं और अगर अहादीसे रसूल को हुज़ूर की दी हुई हिदायात और आपके नमूना के लिये मोतबर माख़ज़ न माना जाए तो अल्लाह तआला की हुज्जत बन्दों पर ना-तमाम रहेगी क्योंकि अल्लाह तआला ने रुश्द व हिदायत के लिये सिर्फ़ कुरआन को काफ़ी क़रार नहीं दिया बल्कि कुरआन के अहकाम के साथ साथ रसूल के अहकाम की इताअत और उनके अफ़आल की इत्तिबाअ को भी लाज़िम क़रार दिया है और उनके अक़्वाल और अफ़आल को जानने के लिये अहादीस के सिवा और कोई ज़रिया नहीं है।

अहादीसे शरीफ़ा को अगर मोतबर न माना जाए तो न सिर्फ़ यह कि हुज़ूर की दी हुई हिदायात से हम महरूम होंगे बल्कि कुरआने करीम की दी हुई हिदायात से भी हम मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे। क्योंकि अल्लाह तआला ने हिदायत के लिये कुरआन नाज़िल फ़रमाया लेकिन उसके मआनी का बयान और उसके अहकाम की तालीम हुज़ूर ﷺ के सिपुर्द कर दी चुनान्चे इरशाद फ़रमाया:

- وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم - हम ने आपकी तरफ़ ज़िक्र (कुरआने करीम) नाज़िल फ़रमाया ताकि आप लोगों को बयान करें कि उनकी तरफ़ क्या अहकाम नाज़िल किये गए हैं।

- ويعلمهم الكتاب والحكمة और रसूल मुसलमानों को किताब और हिकमत की तालीम देते हैं।

मुमकिन है कोई शख़्स यह कह दे कि आयात के मआनी का बयान और किताब व हिकमत की तालीम सिर्फ़ सहाबा के लिये थी तो मैं अव्वलन यह कहूंगा कि इस्लाम सिर्फ़ सहाबा का नहीं बल्कि क़यामत तक के मुसलमानों का दीन है इसलिये जिस हिदायत की उन्हें ज़रूरत थी हमें भी ज़रूरत है।

दूसरे सहाबा किराम जब अपनी बुलन्दी मक़ाम और जनाबे रिसालत मआब से कुर्ब के बावुजूद कुरआनी अहकाम को समझने के लिये हुज़ूर के बयान और आपकी तालीम के मुहताज थे तो बाद के लोग तो बदर्जए ऊला उस बयान और तालीम की तरफ़ मुहताज होंगे। तीसरे कुरआने करीम में अल्लाह तआला फ़रमाता है:

"هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم أيته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين واخرين منهم لما يلحقوا بهم" - वह ज़ात जिस ने अनपढ़ लोगों में उन्हीं में से एक बहुत बड़ा रसूल भेजा जो उन पर अल्लाह की आयात तिलावत करता है और उनका तज़्किया करता है और उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है जबकि वह लोग पहले खुली गुमराही में थे

और बाद के लोगों को जो अभी पहलों के साथ लाहिक़ नहीं हुए।

कुरआने करीम की इस आयते मुबारका से मालूम हुआ कि हुज़ूर ﷺ ने कुरआन की जो तालीम दी है वह सहाबा के लिये भी है और बाद के लोगों के लिये भी, पस साबित हुआ कि हुज़ूर ﷺ का कुरआने करीम की तालीम देना और आयात के मआनी बयान करना जिस तरह सहाबा के लिये था उसी तरह क़यामत तक के मुसलमानों के लिये भी है और अगर अहादीस को मोतबर न माना जाए तो बाद के लोगों के लिये हुज़ूर की तालीम और तज़्किया का किस तरह सुबूत होगा और इस आयत का सिदक़ कैसे ज़ाहिर होगा।

आप ही सोचिये अगर हुज़ूर न बतलाते तो हमें कैसे मालूम होता कि लफ़्ज़ सलात से यह हियते मख़सूसा मुराद है, मुअज़्ज़िन की अज़ान से लेकर इमाम के सलाम फेरने तक नमाज़ और जमाअत की तफ़सील क्यों कर मालूम होती। इस तरह हज और उमरा का बयान, इहराम कहां से और किस दिन बांधना है, वक़ूफ़े अरफ़ा, तवाफ़े ज़ियारत व बदाअ उन तमाम अहकाम की तफ़सील और तअयीन कुरआन में कहीं नहीं मिलती, हद यह है कि कुरआन में यह भी मज़कूर नहीं कि हज किस दिन अदा किया जाए, ज़कात का सिर्फ़ लफ़्ज़ कुरआन में मज़कूर है लेकिन उश्र और ज़कात की किसी तफ़सील का कुरआन में बयान नहीं, फिर उनकी शरई हियत कज़ाई जिस से फ़राइज़, वाजिबात और आदाब की तमीज़ हो कुरआन में कहीं नहीं मिलती।

कुरआने करीम के बयान करदा उन तमाम अहकाम की तफ़सील और तअयीन सिर्फ़ हुज़ूर से मिलती है। अहदे रिसालत में सहाबा को यह बयान ज़बाने रिसालत से हासिल हुआ और बाद के लोगों को यही बयान अहादीसे नबविया से हासिल हो रहा है और जो शख़्स उन अहादीस को मोतबर नहीं मानता उसके पास कुरआने करीम के मुज्मल और मुब्हम अहकाम की तफ़सील और तअयीन के लिये कोई ज़रिया नहीं होगा।

हुज़ूर ﷺ जिस तरह मआनी कुरआन के मुबीन और मुअल्लिम हैं उसी तरह आप बाज़ अहकाम के शारेअ भी हैं। कुरआने करीम में अल्लाह तआला आपकी इस हैसियत का ज़िक्र करते हुए फ़रमाता है: "يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث"

रसूलुल्लाह पाक चीज़ों को हलाल करते हैं और नापाक चीज़ों को हराम करते हैं।

हुज़ूर ﷺ ने जिन चीज़ों को हलाल और हराम किया कुरआन में कहीं उनका ज़िक्र नहीं है। उनका ज़िक्र सिर्फ़ अहादीसे रसूल से ही मुमकिन है, हुज़ूर ने शिकार करने वाले दरिन्दों और परिन्दों को हराम किया, दराज़गोश और हश्रातुल अर्ज़ को हराम किया और हमारे लिये उन अहकाम का इल्म सिर्फ़ अहादीसे रसूल से ही मुमकिन है और अगर अहादीसे रसूल को हुज्जत न माना जाए तो हिल्लत व हुर्मत के तमाम अहकाम के लिये शरीअते इस्लामिया मुतकफ़्फ़िल नहीं होगी।

कुरआने करीम के नफ़्से मुज़मून को समझने के लिये भी हमें अहादीस की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कुरआने मजीद की बाज़ आयात का नुज़ूल किसी ख़ास वाक़िआ से मुताल्लिक़ होता है, बाज़ दफ़ा किसी ख़ास सवाल के सबब से कोई आयत नाज़िल होती है और बाज़ मर्तबा मुश्रिकीन या मुनाफ़िक़ीन की किसी बात के रद्द में कोई आयत नाजिल होती है, कभी किसी आयत में अहदे रिसालत में होने वाले किसी वाक़िआ की तरफ़ इशारा होता है और कभी सहाबा के किसी अमल पर तंबीह या उसकी ताईद में

कोई आयत नाज़िल होती है, लिहाज़ा जब तक इस किस्म की तमाम आयात के पस मंज़र और असबाबे नुज़ूल का इल्म न हो उनका कोई वाज़ेह मआनी समझ में नहीं आता और अगर फ़हमे कुरआन के लिये अहादीसे नबविया को एक मोतबर मआख़ज़ और हुज्जत न माना जाए तो कुरआने मजीद की बाज़ आयात एक चेस्तान और मुअम्मा बन कर रह जाएंगी।

तदवीने हदीस:- आम तौर पर मुन्किरीने हदीस यह कहते हैं कि अहादीस की तदवीन हुज़ूर ﷺ की वफ़ात के ढाई सौ साल बाद की गई है इसलिये कुतुबे अहादीस क़ाबिले एतेबार नहीं हैं लेकिन उनका यह क़ौल सख़्त मुग़ालता आफ़रीनी पर मबनी है क्योंकि अहादीसे रसूल की हिफ़ाज़त और किताबत के सिलसिले में अहदे रिसालत से लेकर इत्तबाए तबअ ताबईन तक पूरे तसलसुल और तवातुर से काम होता रहा है और ढाई सौ साल के इस तवील अरसे के किसी वक़्फ़े में भी इस काम का इन्किताअ (रुकावट) नहीं हुआ।

हुज़ूर सय्यिदे आलम ﷺ के मुबारक ज़माने में मुतादिद सहाबा किराम ने अहादीस को क़लम-बन्द करना शुरू कर दिया था। इमाम बुख़ारी अपनी सहीह में रिवायत करते हैं कि फ़तह मक्का के मौक़े पर हुज़ूर ﷺ ने तवील ख़ुतबा दिया। यमन के एक शख़्स (अबू शाह) ने आकर अर्ज़ किया: "اكتب لى يارسول الله" मेरे लिये यह ख़ुत्बा लिख दीजिये। आपने हुक्म दिया: "اكتبوا لابى فلاں" इस शख़्स के लिये यह ख़ुत्बा लिख दो। (इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल अल-बुख़ारी अल-मुतवफ़्फ़ी 256 हिजरी, सहीह बुख़ारी जि: 1, स: 22)

इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस رضی اللہ عنہ को अहादीस लिखने की आम इजाज़त थी, उन्हीं से रिवायत है:

عن عبد الله بن عمر قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد حفظه فنهتنى وقالوا اتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم فى الغضب والرضا فامسكت عن الكتابة فذكرت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاوما باصبعه الى فيه فقال اكتب فوالذى نفسى بيده ما يخرج منه الا حق۔

(इमाम सुलैमान बिन अशअस अबू दाऊद अल-मुतवफ़्फ़ी 275 हिजरी, सुनने अबू दाऊद स: 514)

अब्दुल्लाह बिन अम्र رضی اللہ عنہ कहते हैं कि मैं हिफ़ाज़त के ख़्याल से रसूलुल्लाह ﷺ से सुन कर हर बात लिख लेता था। बाज़ लोगों ने मुझे मना किया और कहा तुम हुज़ूर से सुन कर हर बात लिख लेते हो हालांकि हुज़ूर भी एक बशर हैं, आप कभी ख़ुश होते हैं और कभी नाराज़, यह सुन कर मैंने लिखना छोड़ दिया। जब हुज़ूर से मैंने इस वाक़िआ का ज़िक्र किया तो आपने फ़रमाया: "लिखा करो, क़सम उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़ए क़ुदरत में मेरी जान है इस मुंह से हक़ के सिवा और कुछ नहीं निकलता।

हज़रत अबू हुरैरा رضی اللہ عنہ ने भी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस رضی اللہ عنہ के अहादीस लिखने का तज़्किरा किया है, फ़रमाते हैं:

مامن اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم احد اكثر حديثا عنه منى الا ما كان من عبد الله بن عمرو فانه كان يكتب ولا اكتب۔

(इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल अल-बुख़ारी अल-मुतवफ़्फ़ी 256 हिजरी, सहीह बुख़ारी जि: 1, स: 22)

सहाबा में मुझ से ज़्यादा किसी के पास हुज़ूर ﷺ की अहादीस महफ़ूज़ न थीं सिवा अब्दुल्लाह

बिन अम्र رضی اللہ عنہ के क्योंकि वह अहादीस लिखते थे और मैं नहीं लिखता था।

अबू दाऊद और बुख़ारी की रिवायतों से यह साबित हो गया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र رضی اللہ عنہ हुज़ूर ﷺ की तवज्जुह की वजह से अहादीस क़लम-बन्द किया करते थे, रहे हज़रत अबू हुरैरा رضی اللہ عنہ तो हुज़ूर ﷺ की तवज्जुह की वजह से उनका हाफ़िज़ा बहुत तेज़ हो गया था इस वजह से वह अहादीस नहीं लिखते थे ताहम उनके पास हुज़ूर ﷺ की अहादीस कुतुब और सहाइफ़ की शक्ल में भी महफ़ूज़ थीं। चुनान्चे अम्र बिन उमय्या बयान करते हैं:

"تحدث عند ابی ھریرۃ بحدیث فاخذ بیدی الی بیتہ فارانا کتبا من حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال ھذا ھو مکتوب عندی."

(हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी मुतवफ़्फ़ी 852 हिजरी, फ़तहुल बारी जि: 1, स: 217)

हज़रत अबू हुरैरा رضی اللہ عنہ के सामने एक हदीस पर गुफ़्तगू हुई तो वह मेरा हाथ पकड़ कर अपने घर ले गए और हमें अहादीस की किताबें दिखाईं और कहा देखो वह हदीस मेरे पास लिखी हुई है।

इस से मालूम हुआ कि हज़रत अबू हुरैरा رضی اللہ عنہ के पास उनकी तमाम मरवियात लिखी हुई महफ़ूज़ थीं। हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी फ़रमाते हैं कि अबू हुरैरा رضی اللہ عنہ इब्तिदअन ज़मानए रिसालत में अहादीस नहीं लिखते थे, हुज़ूर ﷺ के विसाल के बाद उन्होंने अहादीस को लिख लिया या उसी ज़माने में वह किसी और शख़्स से उन अहादीस को लिखवाते रहे होंगे और हज़रत अनस رضی اللہ عنہ ने तो अहादीस लिख कर हुज़ूर को सुनाने का शर्फ़ भी हासिल कर लिया था। चुनान्चे क़तादा رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं:

"کان یملی الحدیث حتی اذا کثر علیہ الناس جاء بمجال من کتب فالقاھا ثم قال ھذہ احادیث سمعتھا وکتبتھا عن رسول اللہ وعرضتھا علیہ." (तफ़्सीरुल इल्म स: 95-96)

हज़रत अनस رضی اللہ عنہ अहादीस लिखवाया करते थे और जब लोग ज़्यादा तादाद में आए तो अपना सहीफ़ा लेकर आए और उसको उनके आगे रख कर फ़रमाया, यह वह अहादीस हैं जिनको मैंने हुज़ूर ﷺ से सुन कर लिखा और उन्हें मैं आप पर पेश कर चुका हूं।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर رضی اللہ عنہ भी अहादीस को लिख कर सहाइफ़ में महफ़ूज़ रखा करते थे, चुनान्चे रिवायत है:

"یروی عن عبداللہ بن عمر وکان خرج الی السوق نظر فی کتبہ وقیل اکل الراوی ان کتبہ ھذہ کانت فی الحدیث."

(अल-जामेउल अख़्लाक़ अर्रावी व आदाबुस्सामेअ स: 100)

रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उमर رضی اللہ عنہ जब कभी बाज़ार जाते तो अपनी किताबों को देख लेते थे, रावी ताकीदन कहते हैं कि उनकी वह किताबें अहादीस पर मुश्तमल थीं।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अनस बिन मालिक और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर رضی اللہ عنہم के बारे में आपकी नज़र से मुस्तहकम हवाले गुज़र चुके हैं कि यह हज़रात अहदे रिसालत में अहादीस को सहाइफ़ में लिख कर महफ़ूज़ कर लिया करते थे। अब हम आपके मुताला में एक ऐसा हवाला पेश करते हैं जिस से ज़ाहिर होगा कि सरकार ﷺ के ज़मानए अक़्दस में बिलउमूम सहाबा किराम رضی اللہ عنہم अहादीस लिख कर महफ़ूज़ कर लिया करते थे चुनान्चे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र رضی اللہ عنہ फ़रमाते हैं:

"کان عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناس من اصحابہ وانا معھم وانا اصغر القوم فقال النبی صلی

الله علیه وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار فلما خرج القوم قلت کیف تحدثون عن رسول الله صلی الله علیه وسلم وقد سمعتم ماقال وانتم تنهمکون فی الحدیث عن رسول الله صلی الله علیه وسلم فضحکوا وقالوا یاابن اخینا ان کل ما سمعنا منه عندنا فی کتاب ۔ (हाफ़िज़ नूरुद्दीन अली बिन अबी बकर अल-हैतमी अल-मुतवफ़्फ़ी 807 हिजरी, मज्मउज़्ज़वायद जिः 1, सः 151-152)

मैं दूसरे सहाबा किराम ﷺ के साथ बारगाहे रिसालत ﷺ में हाज़िर था और मैं उन सब से उम्र मे कम था, हुजूर ﷺ ने फ़रमायाः "जो शख़्स मेरी तरफ़ झूट मन्सूब करे वह अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले।" जब लोग बाहर निकले तो मैंने उनसे कहा कि हुजूर ﷺ ने हदीस के मामले में कितनी शदीद वईद फ़रमाई है और आप लोग भी बकसरत अहादीस बयान करते हैं। यह सुन कर वह लोग हंसे और कहने लगे ऐ भतीजे हम लोग जो कुछ बयान करते हैं वह सब हमारे पास लिखा हुआ महफ़ूज़ है।

इन अहादीस से यह ज़ाहिर हो गया कि अहादीस को लिखने और महफ़ूज़ करने का काम अहदे रिसालत ﷺ में शुरू हो चुका था और सहाबा किराम ﷺ हुजूर ﷺ के इरशादात और आपके अफ़आल और अहवाल लिख कर क़लम-बन्द किया करते थे और इससे यह भी मालूम हो गया कि बाज़ अहादीस में लिखने की जो मुमानिअत आई है वह बाज़ मवाक़ेअ के साथ मख़सूस है, यानी हुजूर ﷺ ने उन सूरतों में लिखने से मना फ़रमाया था जिन में कुरआन और हदीस के इश्तिबाह का एहतेमाल था।

हुजूर ﷺ के विसाल के बाद दौरे सहाबा ﷺ में ताबईन ने सहाबा की मरवियात को लिख कर महफ़ूज़ करना शुरू किया। हज़रत अबू हुरैरा ﷺ जिन से पांच हज़ार तीन सौ चौहत्तर (5374) अहादीस मरवी हैं, उन्होंने बेशुमार शागिर्द पैदा किये और उन लोगों ने उन अहादीस को लिख कर महफ़ूज़ किया और यह सिलसिला रिवायत आगे बढ़ाया, चुनान्चे मुस्नदे दारमी में है कि आप के शागिर्दों में से बशीर बिन नुहैक ने आपकी रिवायात को लिख कर महफ़ूज़ कर लिया था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ﷺ से एक हज़ार छः सौ साठ (1660) अहादीस मरवी हैं, उनकी रिवायात को दूसरे शागिर्दों के अलावा कुरैब ने महफ़ूज़ कर लिया था। (मुहम्मद बिन सअद कातिब वाक़िदी, तब्क़ात इब्ने सअद जिः 5, सः 216) और हज़रत अनस ﷺ जो कि दो हज़ार दो सौ छियासी (2286) अहादीस के रावी हैं उनके बारे में मुस्नदे दारमी में है कि उनकी मरवियात को इबान ने लिख कर महफ़ूज़ कर लिया था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ﷺ जो दो हज़ार दो सौ दस (2210) अहादीस की रिवायत करती हैं उनकी अहादीस को उरवा बिन ज़ुबैर ने लिख कर महफ़ूज़ कर लिया था। (अल्लामा जलालुद्दीन अल-ख़्वारज़मी, अल-किफ़ाया सः 229) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ जो एक हज़ार छः सौ तीस अहादीस की रिवायत करते हैं, तब्क़ात इब्ने सअद और दारमी में है कि उनकी रिवायात को नाफ़ेअ ﷺ ने लिख कर महफ़ूज़ कर लिया था और हज़रत जाबिर ﷺ जो एक हज़ार पांच सौ चालीस (1540) अहादीस के रावी हैं, उनकी मरवियात को क़तादा बिन दआमा सरोसी ﷺ ने लिख कर महफ़ूज़ कर लिया था। (मुहम्मद बिन सअद कातिब वाक़िदी, तब्क़ात इब्ने सअद जिः 7, सः 72)

मज़कूरा सदर सुतूर में चन्द मिसालें पेश की हैं वरना सहाबा किराम ﷺ से अहादीस का समाअ और रिवायत करने वाले तमाम हज़रात अहादीस को ज़ब्ते तहरीर में ले आते थे। पहली सदी हिजरी के अख़ीर तक इसी तरह मुतफ़र्रिक़ तौर पर किताबत के सहारे तदवीने हदीस का काम आगे बढ़ता रहा। अहादीस के यह सहाइफ़ और नविश्ते किसी नुक़्ता पर मुश्तरक और किसी जिहत से मुज्तमअ न थे,

बगैर किसी तरतीब के ताबईने किराम ने अपनी अपनी मरवियात को अपने सीनों और सहीफ़ों में महफ़ूज़ कर रखा था। यहां तक कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ﷺ का ज़मानए ख़िलाफ़त आया और उन्होंने अहादीस को यकजा करने का इरादा किया। चुनान्चे इस काम के लिये उन्होंने मोतमद और मुस्तनद उलमा की एक कमेटी मुक़र्रर की जिन में अबू बकर बिन मुहम्मद बिन अम्र बिन हज़्म, क़ासिम बिन मुहम्मद बिन अबी बकर और अबू बकर मुहम्मद बिन मुस्लिम बिन उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन शहाब ज़ुहरी के अस्मा ख़ास तौर पर क़ाबिले ज़िक्र हैं।

उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ﷺ ने मुख़्तलिफ़ इलाक़ों से अहादीस का लिखा हुआ ज़ख़ीरा जमा किया और इब्ने शहाब ज़ुहरी ने उन अहादीस को तरतीब दिया, तहज़ीब से मुनज़्ज़म और मुन्ज़बत किया। (हाफ़िज़ जलालुद्दीन सुयूती मुतवफ़्फ़ी 911 हिजरी, तदरीबुर्रावी स: 73) अहादीस को जमा और मुनज़्ज़म करने के साथ साथ हदीस को सनद के साथ बयान करने की इब्तिदा भी इब्ने शहाब ज़ुहरी ने की है। (तक़्दमतुल मारिफ़तुल किताबुल जरह वत्तादील स: 20) इसी वजह से उनको इल्मे अस्नाद का वाज़ेअ कहा जाता है।

अहादीस की तरतीब और तहज़ीब का जो काम इब्ने शहाब ज़ुहरी ने शुरू किया था, उस काम को उनके मायए नाज़ तलामज़ा बराबर आगे बढ़ाते रहे, यहां तक कि दूसरी सदी के अख़ीर में उनके एक नामवर शागिर्द इमाम मालिक बिन अनस अस्बही ﷺ ने अहादीस को बाब-वार तरतीब देकर पहला मज्मूआ हदीस मोअत्ता के नाम से पेश कर दिया।

मोअत्ता इमाम मालिक के अलावा इमामे आज़म ﷺ ने अपनी मरवियात को किताबुल आसार के नाम से पेश किया जिसको उनके लायक़ और क़ाबिले सद फ़ख़ तलामज़ा ने अलग अलग रिवायत किया है। उन हज़रात के अलावा दूसरी सदी के जिन दूसरे मुताद्दिद बुज़ुर्ग मुसन्निफ़ीन ने फ़न्ने हदीस में किताबें पेश की हैं उन में से बाज़ की किताबें यह हैं: सुनने अबुल वलीद 151 हिजरी, जामेअ सुफ़यान सौरी 161 हिजरी, मुसन्निफ़ अबी सलमह 167 हिजरी, मुसन्निफ़ अबी सुफ़यान 197 हिजरी, जामेअ सुफ़यान बिन उयैनया 198 हिजरी और तीसरी सदी के जिन मुसन्निफ़ीन ने हदीस की किताबें तस्नीफ़ की हैं उन में से बाज़ हज़रात की किताबें यह हैं: किताबुल अम लिल-शाफ़ई 204 हिजरी, मुस्नदे अहमद बिन हंबल 241 हिजरी, अल-जामेउस्सहीह लिल-बुख़ारी 256 हिजरी, अल-जामेउल मुस्लिम 261 हिजरी, सुनने अबू दाऊद 275 हिजरी, अल-जामेअ तिर्मिज़ी 279 हिजरी, सुनने इब्ने माजा 273 हिजरी।

मज़बूत और मुस्तहकम हवाला-जात की रौशनी में हमने आपके सामने अहदे रिसालत ﷺ से लेकर सिहाहे सत्ता के मुसन्निफ़ीन तक तदवीने हदीस का एक मरबूत जाइज़ा पेश कर दिया है, जिस से ज़ाहिर होता है कि ज़मानए रिसालत ﷺ से लेकर इत्तिबाए तबअ ताबईन तक हर दौर में अहादीस को क़लम-बन्द किया जाता रहा और सीनों से लेकर सहीफ़ों तक हर तरह से हदीस की हिफ़ाज़त की जाती रही नीज़ हर दौर में लोगों ने अपने ज़माने के मख़सूस तक़ाज़ों और तस्नीफ़ व तालीफ़ के रुज्हानात को सामने रख कर अहादीस की तदवीन की। यहां तक कि तीसरी सदी में मुसन्निफ़ीने सिहाहे सत्ता ने पहले लोगों की ख़ूबियों को नए इज़ाफ़ों के साथ जम करके एक जामेअ उस्लूब के साथ अपनी तसानीफ़ को पेश किया जिनका तफ़सीली तआरुफ़ और तब्सिरा इस किताब के आइन्दा अबवाब में पेश किया जा रहा है। हदीस की ज़रूरत, हुज्जियत और तदवीन पर बहस करने के बाद ज़रूरी मालूम होता

है कि हदीस की तारीफ़ उसकी अक़्साम वग़ैरा पर भी गुफ़्तगू कर ली जाए।

तारीफ़े हदीस:- इल्मे हदीस की दो क़िस्में हैं। इल्मे हदीस रिवायतन और इल्मे हदीस दरायतन। इल्मे हदीस अज़ रूए रिवायत उस इल्म को कहते हैं जिस से हुज़ूर ﷺ के अक़्वाल, अफ़आल, अहवाल (हुज़ूर की तक़रीरात भी अहवाल में शामिल हैं) और औसाफ़ की मारिफ़त हासिल हो। इस इल्म का मौज़ूअ ख़ुद हुज़ूर की ज़ाते मुक़द्दसा है। और इल्मे हदीस अज़ रूए दरायत वह इल्म है जिस से रावी और मरवी अन्हु के हालात बहैसियत रद्द और क़ुबूल मालूम हों, इस इल्म का मौज़ूअ रावी और मरवी अन्हु है।

हदीस की क़िस्में:- हदीस की तारीफ़ के बाद उसकी बाज़ ज़रूरी क़िस्मों की तारीफ़ें पेश की जाती हैं।

मरफ़ूअ:- जिस हदीस में हुज़ूर ﷺ के अक़्वाल, अफ़आल और तक़रीरात का बयान हो।

मौक़ूफ़:- जिस हदीस में सहाबा किराम के अक़्वाल, अहवाल और तक़रीरात का बयान हो।

मक़्तूअ:- जिस हदीस में ताबईन के अक़्वाल, अफ़आल और तक़रीरात का बयान हो।

मुत्तसिल:- जिस हदीस की सनद से कोई रावी साक़ित न हो।

मुअल्लक़:- जिस हदीस की सनद के शुरू से रिवायत को हज़फ़ कर दिया जाए ख़्वाह यह हज़फ़ बाज़ का हो या कुल का।

मुर्सल:- जिस हदीस की सनद के आख़िर से रावी को साक़ित कर दिया जाए मसलन ताबई हुज़ूर से रिवायत करे और सहाबी को छोड़ दे।

मुअज़्ज़ल:- दरमियाने सनद से दो मुतवाली रावियों को छोड़ दिया जाए।

मुन्क़तअ बमअनी अख़स:- दो से ज़्यादा रावियों को सनद में एक जगह से या दो रावियों को मुतादिद जगह से छोड़ दिया जाए।

मुज़्तरब:- सनद या मतने हदीस में ज़ियादती, नुक़्सान या तक़दीम व ताख़ीर कर दी जाए।

मुदर्रज:- मतने हदीस में रावी अपना या ग़ैर का कलाम मिला दे।

शाज़:- जिस में सिक़ा रावी अपने से ज़्यादा सिक़ा रावी की मुख़ालिफ़त करे। (उसका मुक़ाबिल महफ़ूज़ है)

मुन्कर:- जिस रिवायत में ज़्यादा ज़ईफ़ रावी कम ज़ईफ़ की मुख़ालिफ़त करे। (उसका मुक़ाबिल मारूफ़ है।)

मुअल्लल:- जिस हदीस में इल्लते ख़ुफ़्या क़ादहा हो मसलन हदीसे मुर्सल को मौसूलन रिवायत किया जाए।

सहीह लिज़ातिही:- जिस हदीस के तमाम रावी मुत्तसिल, आदिल, तामुज़्ज़ब्त हों और वह हदीस ग़ैर शाज़ और ग़ैर मुअल्लल हो।

सहीह लिग़ैरिही:- जिस हदीस में कमाले ज़ब्त के सिवा सहीह लिज़ातिही की तमाम सिफ़ात हों और ज़ब्त की कमी तअद्दुदे तुर्क़ रिवायत से पूरी हो जाए।

हसन लिज़ातिही- जिस हदीस में कमाले ज़ब्त के सिवा सहीह लिज़ातिही की तमाम सिफ़ात हों और यह कमी तअद्दुदे तुर्क़ से पूरी न हो।

हसन लिग़ैरिही:- जो हदीस सहीह लिज़ातिही की एक से ज़्यादा सिफ़ात से क़ासिर हो लेकिन यह कमी तअद्दुदे तुर्क़ रिवायत से पूरी हो जाए।

ज़ईफ़:– जो हदीस सहीह लिज़ातिही की एक से ज़्यादा सिफ़ात से क़ासिर हो और तअद्दुदे तुर्क़ से भी कमी पूरी न हो।

मतरूक:– जिस हदीस की सनद में कोई रावी मुत्तहिम बिल-किज़्ब हो।

मौज़ूअ:– जिस हदीस की सनद में कोई ऐसा रावी हो जिस से बज़अ फ़िल-हदीस साबित हो।

ग़रीब:–जिस हदीस की सनद का कोई रावी सिलसिला सनद के किसी शैख़ से रिवायत में मुन्फ़रद हो।

अज़ीज़:– जिस हदीस के दो रावी हों फिर सिलसिला सनद के हर रावी से कम अज़ कम दो शख़्स रिवायत करते हों।

मशहूर:– जो हदीस दो से ज़्यादा तुर्क़ से मरवी हो, यानी सिलसिला सनद में किसी शख़्स से भी तीन से कम रावी न हों और यह ज़ियादती हदे तवातुर से कम हो। (ग़रीब, अज़ीज़ और मशहूर इन में से हर क़िस्म को ख़बरे वाहिद कहा जाता है।)

मुतवातिर:– जो हदीस हर दौर में इतने कसीर तुर्क़ से मरवी हो कि उन रिवायात का तवाफ़ुक़ अलल किज़्ब आदतन मुहाल हो।

अक़सामे कुतुबे हदीस:– कुतुबे हदीस की अनवाअ और अक़साम काफ़ी ज़्यादा हैं यहां पर बाज़ ज़रूरी अक़साम को बयान किया जा रहा है।

सहीह:– जिस किताब के मुसन्निफ़ ने सिर्फ़ अहादीसे सहीहा का इल्तिज़ाम किया हो जैसे सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम वग़ैरा।

जामेअ:– जिस किताब में आठ उनवानों के तहत अहादीस लाई जाएं और वह यह हैं: सियर, आदाब, तफ़सीर, अक़ायद, फ़तन, अहकाम, अशरात, मनाक़िब जैसे बुख़ारी और तिर्मिज़ी वग़ैरा।

सुनन:– जिस किताब में फ़क़त अहकाम से मुताल्लिक़ अहादीस हों जैसे सुनने अबू दाऊद व नसाई।

मुस्नद:– जिस किताब में तरतीबे सहाबा से अहादीस लाई जाएं, जैसे मुस्नदे अहमद बिन हंबल।

मोअजम:– जिस किताब में तरतीबे शुयूख़ से अहादीस लाई जाएं जैसे मोअजमे तबरानी।

मुस्तख़रज:– जिस किताब में किसी और किताब की अहादीस को साबित करने के लिये उन अहादीस को मुसन्निफ़ किताब के शैख़ या शैख़ुश शैख़ की दीगर अस्नाद से वारिद किया जाए। जैसे मुस्तख़्रज लिअबी नुऐम अलल बुख़ारी।

मुस्तदरक:- जिस किताब में मुख़्तलिफ़ अबवाब के तहत उन अहादीस को लाया जाए जो उन अबवाब में किसी और मुसन्निफ़ से रह गई हों जैसे हाकिम की मुस्तदरक अलस्-सहीहैन।

रिसाला:– जिस किताब में जामेअ के आठ उनवानों में से किसी एक उनवान के तहत अहादीस हों जैसे इमाम अहमद की किताबुज़्ज़ुहद आदाब में और इब्ने जरीर तबरी की किताब तफ़सीर में।

जुज़:–जिस किताब में सिर्फ़ एक मौज़ूअ पर अहादीस हों जैसे इमाम बुख़ारी की जुज़ुल किरात ख़लफ़ुल इमाम।

अरबईन:– जिस किताब में चालीस अहादीस हों जैसे अरबईने नौवी।

अमाली:– जिस किताब में शैख़ के इम्ला कराए हुए फ़वायदे हदीस हों जैसे अमाली इमाम मुहम्मद।

अतराफ़:- जिस किताब में हदीस का सिर्फ़ वह हिस्सा ज़िक्र किया जाए जो बक़िया पर दलालत करे और फिर उस हदीस के तमाम तरीक़ और असानीद बयान कर दिये जाएं या बाज़ कुतुबे मख़सूसा की

असानीद बयान की जाएं। जैसे अतराफुल कुतुबुल ख़म्सा लिअबील अब्बास और अतराफुल मज़ी।

तब्काते कुतुबे हदीसः- शाह वलीउल्लाहु ने कुतुबे हदीस की सेहत, शोहरत और मक्बूलियत के एतेबार से चार तब्क़े बयान किये हैं जिन को हम तल्ख़ीस के साथ पेश कर देते हैं।

(1) पहला तब्क़ा उन किताबों का है जिनकी सेहत, शोहरत और मक्बूलियत सबसे ज़्यादा है जैसे सहीह बुख़ारी, सहीह मुस्लिम और मोअत्ता इमाम मालिक।

(2) दूसरा तब्क़ा उन किताबों का है जो सेहत, शोहरत और मक्बूलियत में पहले तब्क़ा के क़रीब हैं। इस तब्क़ा की अकसर किताबों में अकसर अहादीस सहीह और हसन हैं, बाज़ ज़ईफ़ रिवायात भी आ गई हैं लेकिन उनका ज़ुअफ़ बयान कर दिया गया है। जैसे जामेअ तिर्मिज़ी, सुनने अबू दाऊद और सुनने नसाई।

(3) इस तब्क़ा में उन मुसन्निफ़ीन की किताबें हैं जो इमाम बुख़ारी और मुस्लिम पर मुक़द्दम, उनके मुआसिर या उनके मक़ारिब थे, हदीस में उनकी फ़न्नी महारत तो मुसल्लम थी लेकिन उनकी तसानीफ़ में दूसरे तब्क़ा की बनिस्बत ज़ईफ़ रिवायात ज़्यादा हैं। बल्कि बाज़ ऐसी अहादीस भी हैं जो मुतम्मम बिल-वज़अ हैं जैसे मुस्नदे शाफ़ई, सुनने इब्ने माजा, मुसन्निफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़, मुसन्निफ़ इब्ने अबी शैबा, सुनने दारमी, सुनने दारे क़ुतनी, सुनने बैहक़ी और तसानीफ़े तबरानी।

(4) चौथे तब्क़े में उन मुताख़्ख़िरीन उलमा की किताबें हैं जिनकी रिवायत करदा अहादीस का क़ुरूने ऊला में सुबूत नहीं मिलता। इसके दो ही मतलब हैं या तो मुतक़द्दिमीन को उन अहादीस की अस्ल नहीं मिल सकी और या उन्होंने उन रिवायात में कोई इल्लत ख़ुफ़्या देख कर तर्क कर दिया। जैसे दैलमी, अबू नुऐम और इब्ने असाकिर वग़ैरा की तसानीफ़।

मरातिब अरबाबे हदीसः- सुतूरे ज़ेल में मरातिब अरबाबे हदीस का बयान किया जाता है।

तालिबः- हदीस का मुतअल्लिम।

शैख़ः- हदीस के मुअल्लिम को मुहद्दिस या शैख़ कहते हैं।

हाफ़िज़ः- जिस शख़्स को एक लाख अहादीस मतनन व सनदन और उसके रिवायत के अहवाल जिरहन व तअदीलन महफ़ूज़ हों।

हुज्जतः- जिस शख़्स को तीन लाख अहादीस मतनन व सनदन और जिरहन व तअदीलन महफ़ूज़ हों।

हाकिमः- जिस शख़्स को तमाम अहादीसे मरविया मतनन व सनदन और जिरहन व तअदीलन महफ़ूज़ हों।

हदीसे ज़ईफ़ के अफ़रादः- जब हदीस की सनद में कोई तअन या हरज पाई जाए तो वह हदीस ब-एतेबारे सनद के मतऊन और मजरूह हो जाती है। सुतूरे साबिक़ा में इसकी चन्द अक़्साम बयान की गई हैं मसलन मुज़्तरब, मुन्क़तअ, मअलूल, मुन्कर, मतरूक, मुब्हम वग़ैरा। तअन की यह तमाम अक़्साम हदीसे ज़ईफ़ में दाख़िल हैं अल्बत्ता उनके मरातिब में फ़र्क़ होता है और हदीसे मतरूक यानी जिसका रावी मुत्तहिम बिल-किज़्ब हो, बाक़ी अक़्साम की बनिस्बत ज़्यादा शदीद ज़ुअफ़ की हामिल होती है और यह भी हो सकता है कि एक हदीस की सनद में मुताद्दिद वुजूहे तअन हों मसलन वह हदीस मअलूल भी हो मुन्कर भी और मतरूक भी लेकिन मुताद्दिद वुजूहे तअन जमा होने के बावुजूद भी वह हदीस ज़ईफ़ ही रहेगी अल्बत्ता जिस क़दर वुजूहे तअन ज़्यादा होंगे उसका ज़ुअफ़ बढ़ता जाएगा। बतलाना यह मक़सूद

है कि सनद में तअन और जिरह की ज़ियादती उसके वज़अ और बुतलान को मुस्तल्ज़िम नहीं होती, हदीस को सिर्फ़ उस वक़्त मौज़ूअ क़रार दिया जाएगा जब उसकी सनद में कोई वज़ाअ रावी आ जाए।

ग़ैर सहीह की तहक़ीक़:- बाज़ दफ़ा मुहद्दिसीन हज़रात किसी सनद के बारे में लिखते हैं ला युसह यानी यह सनद सहीह नहीं है, इस जुम्ला से बाज़ नावाक़िफ़ लोग यह मुग़ालता खाते हैं कि यह हदीस मौज़ूअ या बातिल है हालांकि इस्तिलाहे मुहद्दिसीन में सहीह, ग़लत या बातिल का मुक़ाबिल नहीं होता बल्कि सहीह के मुक़ाबला में सहीह लिग़ैरिही, हसन लिज़ातिही, हसन लिग़ैरिही और ज़ईफ़ यह सब शामिल हैं। और जब वह कहते हैं कि यह हदीस सहीह नहीं है तो इसका मतलब होता है यह सहीह लिज़ातिही नहीं है और ऐसी सूरत में यह सहीह लिग़ैरिही, हसन लिज़ातिही या हसन लिग़ैरिही हो सकती है। ख़ुलासा यह है कि सेहत की नफ़ी तो ज़ुअफ़ को भी मुस्तल्ज़िम नहीं चह जाइकि सेहत की नफ़ी से वज़अ या बुतलान का हुक्म लाज़िम आए इस मब्हस की नफ़ीस तहक़ीक़ आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी नें रिसाला मुनीरुल ऐनैन में बयान फ़रमाई है।

मतन और सनद में अहकाम का फ़र्क़:- रावी की मजरूहियत और वुजूहे तअन का ताल्लुक़ सनद से होता है, मतने हदीस का हुक्म दूसरे क़राइन के एतेबार से किया जाता है यह मुमकिन है कि किसी सहीह हदीस को एक वज़ाअ रावी बयान करे पस इस सनद के एतेबार से तो उस हदीस को मौज़ूअ कहा जाएगा लेकिन फ़ी नफ़्सिही वह हदीस मौज़ूअ नहीं कहलाएगी अल्बत्ता जब किसी हदीस की सनद में कोई वज़ाअ रावी हो और उस हदीस का मतन किसी तरीक़ा से साबित न हो तो वह हदीस मुतलक़न मौज़ूअ कहलाएगी। इसकी मिसाल यह है कि अल्लामा शम्सुद्दीन ज़हबी मीज़ानुल एतेदाल में बयान फ़रमाते हैं कि इमाम अहमद बिन हंबल ने "عن ابراهيم بن موسٰى المزورى عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما" हदीस तलबुल इल्म फ़रज़ह को मौज़ूअ फ़रमाया। अल्लामा ज़हबी फ़रमाते हैं कि यह हदीस इस सनद के एतेबार से मौज़ूअ है वरना नफ़्से हदीस दीगर तुर्क़े ज़ईफ़ा से साबित है। इसी तरह तम्हीद में हाफ़िज़ इब्ने अलबर ने "حديث الصّلوٰة بسواك خير من سبعين صلاة" को बातिल कहा है लेकिन अल्लामा सख़ावी फ़रमाते हैं कि यह हुक्म भी इस ख़ास सनद के एतेबार से है।

इसी तरह हदीसे ज़ईफ़ में भी ज़ुअफ़ का हुक्म ब-एतेबार सनद के होता है और यह भी हो सकता है कि किसी सहीह हदीस को एक ज़ईफ़ रावी बयान करे, उस सनद के एतेबार से वह हदीस ज़ईफ़ कहलाएगी लेकिन मतने हदीस का यह हुक्म नहीं होगा। अल्लामा नौवी फ़रमाते हैं:

"ان روايات الراوى الضعيف يكون فيه الصّحيح والضعيف والباطل فيكتبونها ثم يميز اهل الحفظ والاتقان بعض ذٰلك من بعض وذٰلك سهل عليهم معروف عندهم و بهٰذا احتج السّفيان الثورى حين نهٰى عن الرواية عن الكلبى فقيل له انت تروى عنه فقال انا اعرف صدقه من كذبه."

ज़ईफ़ रावी की रिवायात में सहीह, ज़ईफ़ और बातिल हर क़िस्म की अहादीस होती हैं। मुहद्दिसीन उन तमाम रिवायात को लिख लेते हैं। फिर अहले इल्म उनको तमीज़ देते हैं और यह उनके लिये आसान है, इसी दलील से सुफ़यान सौरी ने उस वक़्त इस्तिदलाल किया जब उन से कलबी की रिवायात क़ुबूल करने पर एतेराज़ किया गया तो उन्होंने कहा मैं उसके सिदक़ और किज़्ब में तमीज़ कर लेता हूं। (अबू ज़करिया यहया बिन शर्फ़ नौवी मुतवफ़्फ़ी 676 हिजरी, शरह मुस्लिम लिल-नौवी अला मुस्लिम जि: 1, स: 21)

हदीसे मौज़ूअ का हुक्म:- हदीसे मौज़ूअ से कोई हुक्म साबित नहीं होता और न ही हदीसे मौज़ूअ को बग़ैर बयाने वज़्अ के बयान करना जाइज़ है। एक हदीस मुताद्दिद ज़ईफ़ अस्नाद से बयान की जाए तो क़वी हो जाती है लेकिन अगर एक हदीस मुताद्दिद मौज़ूअ असानीद से बयान की जाए तो वह फिर भी मौज़ूअ रहती है क्योंकि शर के साथ शर मिल जाए तो वह फिर भी शर ही रहता है।

अहादीस से साबित होने वाले उमूर की तफ़सील:- अहादीस से जो मसाइल और अहकाम साबित होते हैं जिनका ताल्लुक़ हिल्लत और हुरमत के साथ हो वह चार क़िस्म पर हैं। (1) अक़ायदे क़तइया जैसे तौहीद व रिसालत और मब्द व मआद। (2) अक़ायदे ज़न्निया जैसे अंबिया की मलाइका पर फ़ज़ीलत और क़ब्र के अहवाल।

अक़ायदे क़तइया:- इनके इस्बात के लिये हदीसे मुतवातिर होनी चाहिये। आम अज़ीं कि तवातुर लफ़्ज़ी हो या मअनवी।

अक़ायदे ज़न्निया:- इनके इस्बात के लिये अख़बारे आहाद काफ़ी हैं।

(3) **अहकाम:-** इनके इस्बात के लिये हदीसे सहीह होनी चाहिये या कम अज़ कम यह कि वह हदीस हसन लिग़ैरिही से कम न हो।

(4) **फ़ज़ाइल व मनाक़िब:-** इस बाब में बिल-इत्तिफ़ाक़ अहादीसे ज़ईफ़ा का भी एतेबार कर लिया जाता है।

चुनान्चे अल्लामा नौवी फ़रमाते हैं:

انهم قد يرون عنهم احاديث الترغيب والترهيب و فضائل الاعمال والقصص و احاديث الزهد و مكارم الاخلاق و نحو ذلك مما لا تتعلق بالحلال والحرام و سائر الاحكام وهذا الضرب من الحديث يجوز عند اهل الحديث وغيرهم التساهل فيه و رواية ما سوے الموضوع منه والعمل به لان اصول ذلك صحيحة مقررة فى الشرع معروفة عند اهله وعلى كل حال فان الائمة لا يردون عن الضعفاء شيئًا يحتجون به على انفراده فى الاحكام۔

(अबू ज़करिया यहया बिन शर्फ़ नौवी मुतवफ़्फ़ी 676 हिजरी, शरह मुस्लिम लिल-नौवी अला मुस्लिम जि: 1, स: 21)

हज़रात मुहद्दिसीन ज़ईफ़ रावियों से तरग़ीब, तरहीब, फ़ज़ाइले आमाल, क़िसस, ज़ुहद और मकारिमे अख़लाक़ में अहादीस रिवायत करते हैं और हलाल व हराम के अहकाम में इन से अस्लन रिवायत नहीं करते। और इस क़िस्म की अहादीस में ज़ईफ़ रावियों से रिवायत करना और उन पर अमल करना सहीह और शरअ में साबित है और अहकाम से मुताल्लिक़ हदीस में जब कोई ज़ईफ़ रावी मुतफ़र्रद हो तो उसकी रिवायत से हरगिज़ इस्तिदलाल नहीं किया जाता।

अल्लामा नौवी की इस इबारत से ज़ाहिर हो गया कि फ़ज़ाइल और मनाक़िब में ज़ईफ़ रिवायात को क़ुबूल किया जाता है और उनके मुक़्तज़ी पर अमल भी होता है अल्बत्ता अहकाम में ज़आफ़ का एतेबार नहीं होता। लेकिन बाज़ सूरतों में एहतियात के पेशे नज़र अहकाम में भी ज़ईफ़ रिवायात का एतेबार कर लिया जाता है। चुनान्चे अल्लामा नौवी लिखते हैं:

قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم يجوز ويستحب العمل فى الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف مالم يكن موضوعا واما الاحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح وغير

ذلك فلا يعمل فيها الا بالحديث الصحيح او الحسن الا ان يكون في احتياط في شيء من ذلك كما اذا ورد حديث ضعيف بكراهية بعض البيوع او الانكحة.

(अबू ज़करिया यहया बिन शर्फ़ नौवी मुतवफ़्फ़ा 676 हिजरी, किताबुल अज़कार स: 67)

हज़रात मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा और दीगर उलमाए किराम फ़रमाते हैं कि फ़ज़ाइले आमाल और मनाक़िब में हदीसे ज़ईफ़ पर अमल करना मुस्तहब है जबकि वह मौज़ूअ न हो लेकिन हलाल और हराम के अहकाम मसलन बैअ, निकाह और तलाक़ वग़ैरा में हदीसे सहीह या हसन के सिवा और किसी पर अमल दुरुस्त नहीं। इल्ला यह कि उन में एहतियात हो मसलन बैअ या निकाह की कराहत में कोई हदीसे ज़ईफ़ वारिद हो।

हदीसे ज़ईफ़ की तक़्वियत:- फ़ज़ाइले आमाल और बाबे मनाक़िब में उमूमन अहादीसे ज़ईफ़ा का एतिबार किया जाता है इसलिये मुनासिब मालूम होता है कि यहां पर उन बाज़ क़राइन का ज़िक्र कर दिया जाए जिनकी बिना पर हदीसे ज़ईफ़ क़वी हो जाती है और उसका ज़ुअफ़ जाता रहता है। पहली सूरत यह है कि जब हदीसे ज़ईफ़ मुतअद्दिद असानीद से मरवी हो तो वह हसन लिग़ैरिही हो जाती है। चुनान्चे तमाम मुतदावल उसूले हदीस की किताबों में यह मस्अला मज़कूर है। मुहक़्क़िक़ अलल इतलाक़ इमाम इब्ने हुमाम ने भी फ़त्हुल क़दीर (जि: 1, स: 248) में इसको वज़ाहत से बयान फ़रमाया है और अल्लामा शेअरानी लिखते हैं:

وقد احتج جمهور المحدثين بالحديث الضعيف اذا كثرت طرقه والحقوه بالصحيح تارة وبالحسن اخرى.

(इमाम अब्दुल वह्हाब शेअरानी, मीज़ानुश्शरीअतुल कुबरा जि: 1, स: 68)

जब हदीसे ज़ईफ़ मुतअद्दिद असानीद से मरवी हो तो जम्हूर मुहद्दिसीन उससे इस्तिदलाल करते हैं और उसको कभी सहीह के साथ और कभी हसन के साथ लाहिक़ करते हैं।

दूसरी सूरत यह है कि जब किसी हदीसे ज़ईफ़ के मुवाफ़िक़ मुज्तहिदीन में से किसी का क़ौल मिल जाए तो उससे भी हदीसे ज़ईफ़ की तक़्वियत हो जाती है। चुनान्चे अल्लामा शामी लिखते हैं:

ان المجتهد اذا استدل بحديث كان تصحيحاً له كما في التحرير وغيره.

(अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी मुतवफ़्फ़ा 1252 हिजरी, रद्दुल मोहतार जि: 4, स: 1)

मुज्तहिद जब किसी हदीस से इस्तिदलाल करे तो उसका इस्तिदलाल भी हदीस के सहीह होने की दलील है जिस तरह तहरीर में इमाम इब्ने हुमाम ने तहक़ीक़ फ़रमाई है।

तीसरी सूरत यह है कि अगर किसी हदीसे ज़ईफ़ के मुवाफ़िक़ अहले इल्म में से किसी का क़ौल हो तो उस से भी हदीस की तक़्वियत हो जाती है। चुनान्चे इमाम तिर्मिज़ी हदीस: اذا اتى احدكم الصلوة والامام على حال الحديث के तहत लिखते हैं: هذا حديث غريب لا نعرف احدا اسنده الا ما روى من هذا الوجه والعمل على هذا عند اهل العلم. मुल्ला अली क़ारी इसकी शरह में लिखते हैं:

قال النووي اسناده ضعيف نقله ميرك فكان الترمذي يريد تقوية الحديث بعمل اهل العلم.

अल्लामा नौवी फ़रमाते हैं कि यह हदीस ज़ईफ़ है और इमाम तिर्मिज़ी अहले इल्म के अमल से इस हदीस की तक़्वियत का इरादा फ़रमा रहे हैं। (मुल्ला अली क़ारी मुतवफ़्फ़ा 1014 हिजरी, मिरक़ात जि: 3, स: 98)

चौथी सूरत यह है कि बाज़ औक़ात सालेहीन के अमल से भी हदीस की तक़्वियत हो जाती है।

चुनान्चे सलातुत तस्बीह जिस रिवायत से साबित है वह हदीस ज़ईफ़ है और हाकिम और बैहक़ी ने इसकी तक़्वियत की वजह यह बतलाई है कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक के अमल की वजह से यह हदीस तक़्वियत पा गई। चुनान्चे मौलाना अब्दुल हयि लिखते हैं:

قال البیھقی کان عبداللہ بن المبارک یصلیھا وتداولھا الصالحون بعضھم عن بعض وفی ذلک تقویۃ للحدیث المرفوع

(मौलाना अब्दुल हयि लखनवी मुतवफ़्फ़ी 1304 हिजरी, अल-आसारुल मरफ़ूआ स: 23)

अल्लामा बैहक़ी लिखते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक सलाते तस्बीह पढ़ा करते थे और बाद के तमाम उलमा उसको एक दूसरे से नक़्ल करके पढ़ते रहे इस वजह से इस हदीसे मरफ़ूअ को तक़्वियत हासिल हो गई।

इसके अलावा तजर्बा और कश्फ़ से भी हदीसे ज़ईफ़ की तक़्वियत हो जाती है। चुनान्चे मुल्ला अली क़ारी ने इसी बहस में इब्ने अरबी के कश्फ़ से एक हदीस की तक़्वियत का वाक़िआ बयान किया है।

रिवायाते मुख़्तलिफ़ा में मज़ाइके अइम्मा:- जब किसी एक मस्अला पर मुताद्दिद मुतआरिज़ रिवायात वारिद हों तो इस सिलसिले में ततब्बुअ और तलाश से जो अइम्मए अरबआ का मस्लक मालूम हो सका है वह यह है कि इमामे आज़म ﷺ ऐसी सूरत में रिवायात के दरमियान ततबीक़ देते हैं और हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि हर रिवायत पर किसी न किसी सूरत में अमल हो जाए और जब ततबीक़ न हो सके तो उस रिवायत को तरजीह देते हैं जो इस्लाम और उसूले रिवायत के क़रीब-तर हो। इमाम शाफ़ई ऐसी शक्ल में कुव्वते सनद के लिहाज़ से किसी एक रिवायत को लेते हैं और बाक़ी को छोड़ देते हैं। इमाम मालिक तआरुज़ की सूरत में उस रिवायत को तरजीह देते हैं जो अहले मदीना के तआमुल के मुवाफ़िक़ हो और इमाम अहमद मुतक़द्दिमीन की अकसरियत का लिहाज़ करते हैं।

मशहूर हुफ़्फ़ाज़:- सुतूरे ज़ेल में हम चारों मस्लकों के मशाहीर हुफ़्फ़ाज़ के अस्मा पेश कर रहे हैं।

अहनाफ़:- हाफ़िज़ अबू बशर दोलाबी, हाफ़िज़ इस्हाक़ बिन राहविया, हाफ़िज़ अबू जाफ़र तहावी, हाफ़िज़ इब्ने अली अवाम सअदी, हाफ़िज़ अबू मुहम्मद हारसी, हाफ़िज़ अब्दुल बाक़ी, हाफ़िज़ अबू बकर राज़ी जसास, हाफ़िज़ अबू नस्र कलाबाज़ी, हाफ़िज़ अबू मुहम्मद समरक़ंदी, हाफ़िज़ शम्सुद्दीन सरोजी, हाफ़िज़ कुतुबुद्दीन हलबी, हाफ़िज़ अलाउद्दीन मारदीनी, हाफ़िज़ जमालुद्दीन ज़ैलई, हाफ़िज़ अलाउद्दीन मुग़लताई, हाफ़िज़ बदरुद्दीन ऐनी, हाफ़िज़ क़ासिम बिन क़ुतलू बग़ा वग़ैरहुम।

शवाफ़ेअ:- हाफ़िज़ दारे क़ुतनी, हाफ़िज़ बैहक़ी, हाफ़िज़ ख़ताबी, हाफ़िज़ इज़्ज़ुद्दीन इब्ने सलाम, हाफ़िज़ इब्ने दक़ीक़ुल ईद, हाफ़िज़ इराक़ी, हाफ़िज़ ज़हबी, हाफ़िज़ मज़ी, हाफ़िज़ इब्ने असीर जज़्वी, सुबकी, हैतमी, इब्ने हजर अस्क़लानी वग़ैरहुम।

मालकिया:- हाफ़िज़ हुसैन बिन इस्माईल, हाफ़िज़ रहेली, हाफ़िज़ इब्ने अब्दुल बर, हाफ़िज़ अबुल वलीद अलबाजी, हाफ़िज़ क़ाज़ी अबू बकर अल-अरबी, हाफ़िज़ अब्दुल हक़, हाफ़िज़ क़ाज़ी अयाज़, हाफ़िज़ माज़री, हाफ़िज़ इब्ने रुश्द, हाफ़िज़ अबुल क़ासिम सहेली वग़ैरहुम।

हनाबला:- हाफ़िज़ अब्दुल ग़नी अल-मुक़द्दसी, हाफ़िज़ अबुल फ़रज बिन अल-जोज़ी, हाफ़िज़ इब्ने क़ुदामा, हाफ़िज़ इब्ने रजब वग़ैरहुम।

मौलाना गुलाम रसूल सईदी

पारह अव्वल

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

वही का बयान

बाब 1:- रसूलुल्लाह ﷺ पर नुज़ूले वही कब और कैसे हुआ? और अल्लाह तआला का यह फ़रमान कि हम ने तुम पर वही उतारी जिस तरह हज़रत नूह عليه السلام और उनके बाद दूसरे पैग़म्बरों पर नाज़िल की।

हदीस 1:- हज़रत उमर बिन ख़त्ताब رضي الله عنه से रिवायत है, रसूलल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "आमाल का दारो मदार नियत पर है हर शख़्स को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की चुनांचे जिस ने हिजरत दुनिया कमाने या किसी औरत से निकाह करने के लिए की तो उसकी हिजरत उसके लिए है जिस मक़सद के लिए हिजरत की।"

फ़ायदा:- यह किताबुल वही है और इस में वही से मुताल्लिक़ा ही अगली पांच हदीसें हैं लेकिन यह पहली हदीस नियत के मुताल्लिक़ है जिस का लुब्बे लुबाब यह है कि आमाल का दारो मदार नियत पर है। बात दाअस्ल यह है कि इल्म मंज़िले मक़सूद नहीं बल्कि अमल के लिये ब-मंज़िला ज़ीना के है। अमल भी बिज़ातिही मंज़िले मक़सूद नहीं बल्कि इख़लास और रज़ाए इलाही के हुसूल में ज़ीने का काम देता है। यही "وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ" (2: 45) का मफ़ाद है। गोया हर अमल में रज़ाए इलाही की नियत होना ही हमेशा अहले कमाल का शेवा रहा है। बुख़ारी शरीफ़ की जमा व तदवीन से इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाहि अलैहि का मक़सूद भी यही होगा जिसके बाइस वही के बयान में इस हदीस को बुख़ारी शरीफ़ की सबसे पहली हदीस के तौर पर दर्ज किया। हो सकता है कि बुख़ारी शरीफ़ की इस दर्जा शोहरत और मक़्बूलियत का बाइस यही ख़ुलूसे नियत हो। वल्लाह तआला आलम।

हदीस 2:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها फ़रमाती हैं कि हारिस बिन हिशाम ने पूछा या रसूलल्लाह! आप पर वही किस तरह नाज़िल होती है? फ़रमाया: "कभी तो घन्टे की आवाज़ की मानिन्द और वह मेरी तबियत पर बहुत गिरां होती है, फिर वह पैग़ाम जब याद कर लेता हूं तो यह कैफ़ियत ख़त्म हो जाती है और कभी फ़रिश्ता इन्सान की सूरत में मेरे पास आता है और मुझ से हम कलाम होता है और जो वह कहता है उसे याद कर लेता हूं।" सय्यदा आयशा رضي الله عنها का कहना है कि मैंने कड़ाके की सर्दियों में आप पर वही नाज़िल होते देखी। जब वही मौक़ूफ़ हो जाती तो आप की पेशानी से पसीना बह निकलता।

हदीस 3:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ पर पहले पहल जो वही उतरनी शुरू हुई वह अच्छे ख़्वाब होते थे, जब कभी ख़्वाब देखते वह सुब्ह की रौशनी की तरह ज़ाहिर हो जाता, फिर आप ख़लवत पसंद बनते गए और ग़ारे हिरा में क़याम करने लगे। वहां कई रातें इबादत में बसर करते यहां तक कि घर आने का ख़्याल आता। खाने पीने के लिए सामान ले जाते (फिर जब वह ख़त्म होता) तो हज़रत ख़दीजा رضي الله عنها के पास आते और तोशा ले जाते हत्ता कि उसी ग़ारे हिरा में क़याम के दौरान आप पर वही का नुज़ूल हुआ। फ़रिश्ता आया और उसने कहा पढ़िए, आप फ़रमाते हैं: "मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं।" आप फ़रमाते हैं: "फ़रिश्ते ने मुझे इस ज़ोर से भैंचा कि मेरी ताक़त जवाब दे

गई फिर मुझे छोड़ा और कहा पढ़िए मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं फिर दूसरी बार मुझे पकड़ा और ज़ोर से दबाया यहां तक कि मेरी ताक़त जवाब देने लगी, फिर मुझे छोड़ा और कहा पढ़िये, मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं, उसने फिर मुझे पकड़ा और तीसरी बार दबोचा फिर मुझे छोड़ दिया और कहा पढ़ अपने रब के नाम से जिस ने इन्सान को जमे हुए ख़ून के लोथड़े से पैदा किया। पढ़ और तुम्हारा रब बड़ी इज़्ज़तों वाला है।" रसूलुल्लाह ﷺ ने उन आयतों को दोहराया और आप का दिल कांप रहा था। आप ख़दीजा बिन्ते ख़ुवैलद رضي الله عنها (उम्मुल मोमिनीन) के पास आए और फ़रमाया: "मुझे कम्बल उढ़ा दो।" उन्होंने कम्बल उढ़ा दिया, हत्ता कि आप का ख़ौफ़ जाता रहा, हज़रत ख़दीजा رضي الله عنها को सारा वाक़िआ सुनाया और फ़रमाया: "मेरी जान ख़तरे में है।" हज़रत ख़दीजा رضي الله عنها ने कहा हरगिज़ नहीं, ख़ुदा की क़सम अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा, आप तो सिला रहमी करने वाले, कमज़ोरों का बोझ उठाने वाले, मुहताजों के लिए कमाने वाले, मेहमान नवाज़ी करने वाले, राहे हक़ में मसाइब सहने वाले हैं। हज़रत ख़दीजा رضي الله عنها आपको लेकर वरक़ा बिन नौफ़ल के पास गईं जो सय्यदा ख़दीजा رضي الله عنها के चचा ज़ाद भाई थे। जाहिलियत के दिनों में नसरानी हो गए थे और इबरानी में किताब लिखा करते थे, चुनान्चे इंजील से इबरानी में लिखते जितना अल्लाह तआला उन से लिखवाना चाहता, वरक़ा बहुत बूढ़े और नाबीना हो गए थे। हज़रत ख़दीजा رضي الله عنها ने कहा मेरे चचा-ज़ाद अपने भतीजे मुहम्मद (ﷺ) की बात सुनो। वरक़ा ने आपसे दरयाफ़्त किया, बरादर-ज़ादे! तुम क्या देखते हो? आपने जो कुछ देखा सुना वह सब बयान कर दिया। वरक़ा ने आपसे कहा यही वह नामूस है जो अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा عليه السلام पर उतारा, काश! मैं जवान होता, काश! मैं ज़िन्दा रहता, जब आपको आपकी क़ौम शहर बदर कर देगी। रसूलुल्लाह ﷺ ने सुन कर फ़रमाया: "क्या मुझे मेरी क़ौम निकाल देगी?" वरक़ा ने कहा हां! जो पैग़ाम आप लेकर आए हैं, ऐसा पैग़ाम जब भी कोई लाया, उस से अदावत बढ़ती गई, अगर मैं आपका ज़माना पाऊं तो आपसे पूरी तरह तआवुन करूंगा। फिर कोई ज़्यादा वक़्त नहीं गुज़रा था कि वरक़ा इन्तिक़ाल कर गए और वही का नुज़ूल भी कुछ दिनों के लिए बन्द हो गया। इब्ने शहाब जाबिर बिन अब्दुल्लाह अन्सारी رضي الله عنهما के हवाले से बयान करते हैं कि उन्होंने वही की बंदिश का वाक़िआ बयान करते हुए कहा कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मैं एक बार जा रहा थ तो आसमान से एक आवाज़ सुनी, ऊपर देखा तो वही फ़रिश्ता था जो ग़ारे हिरा में मेरे पास आता था। आसमान और ज़मीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा था, मैं देख कर ख़ौफ़-ज़दा हो गया और वापस घर चला आया। मैंने कहा: "मुझे कम्बल उढ़ा दो, मुझे कम्बल उढ़ा दो, तब अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फ़रमाई:

ऐ कम्बल पोश पैग़म्बर! उठो और लोगों को डराओ, अपने रब की अज़मत बयान कर, अपने लिबास को साफ़ सुथरा रखो, और बुतों से अलग रहो, फिर वही का सिलसिला तेज़ तर हो गया और लगातार आने लगी।"

हदीस 4:- अब्दुल्लाह बिन अब्बास رضي الله عنهما لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (वही को याद करने के सिलसिले में ज़ुबान को जल्द न हिलाइए) के ज़िम्न में फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ नुज़ूले क़ुरआन के वक़्त सख़्त मशक़्क़त उठाते थे अज़ाँ जुम्ला यह भी था कि आपके होंट मुसलसल हिलते रहते थे। सईद कहते हैं कि ऐसे होंट हिला कर दिखाता हूं जिस तरह अब्दुल्लाह बिन अब्बास رضي الله عنهما अपने होंटों को हिलाया करते थे चुनान्चे अपने दोनों होंट हिला कर दिखाए तब अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल

फ़रमाई: "ऐ मुहम्मद (ﷺ) वही के याद करने में अपने होंटों को ज़्यादा जुंबिश मत दिया करो" उसका जमा करना और पढ़ाना हमारी ज़िम्मेदारी है। हज़रत इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہ कहते हैं, कुरआन को तुम्हारे सीने में महफ़ूज़ कर देना और उसको तुम्हारा पढ़ना फिर जब हम पढ़ लें तो उसकी पैरवी करो। इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہ मज़ीद फ़रमाते हैं, यानी उसको सुनो और ख़ामोश रहो, फिर उसका मफ़हूम समझाना यक़ीनन हमारे ज़िम्मे है, फिर बिला शुब्हा यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि तुम उसे पढ़ो, चुनान्चे बाद में जब कभी जिब्रईल علیہ السلام आपके पास आए तो आप निहायत तवज्जह से सुनते। जिब्रईल علیہ السلام जब चले जाते तो उसे नबी ﷺ पढ़ते जैसा कि जिब्रईल علیہ السلام ने उसे पढ़ा था।

हदीस 5:- अब्दुल्लाह बिन अब्बास رضی اللہ عنہ फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ रमज़ान के दिनों जब जिब्रईल علیہ السلام से मुलाक़ात होती थी तो ग़ैर मामूली सख़ी होते और जिब्रईल علیہ السلام रमज़ान में हर रात आप से मिलते और कुरआने मजीद का दौर करते। रसूलुल्लाह ﷺ ख़ैर ख़्वाही में तेज़ हवा से भी ज़्यादा फ़य्याज़ थे।

हदीस 6:- उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہ से अबू सुफ़यान बिन हरब رضی اللہ عنہ ने कहा कि हिरक़्ल ने उनके पास एक आदमी भेजा जबकि वह क़ुरैश के इज्तिमा में शरीक थे और वह लोग ताजिरों की हैसियत में शाम गए हुए थे। यह बात उस दौर की है जब रसूलुल्लाह ﷺ ने अबू सुफ़यान और दीगर कुफ़्फ़ारे क़ुरैश से एक मेहदूद पैमाने पर मुआहिदा कर रखा था। अल मुख़्तसर सब क़ुरैश हिरक़्ल के पास आए, लोग उस वक़्त एलिया में थे तो हिरक़्ल ने उनको दरबार में बुलां भेजा और उसके दाएं बाएं सरदाराने रूम फ़रोकश थे। फिर उन सब क़ुरैशियों को अपने क़रीब बुलाया और तर्जमान को तलब किया। (क़ुरैश से मुख़ातब होते हुए) तुम में से उस शख़्स का क़रीबी रिश्तेदार कौन है जो नुबुव्वत का मुद्दई है? अबू सुफ़यान رضی اللہ عنہ कहते हैं कि मैंने कहा मैं उसका क़रीब तरीन रिश्तेदार हूं। हिरक़्ल ने कहा अबू सुफ़यान को मेरे क़रीब करदो और उसके दीगर साथियों को भी उसके क़रीब ही रखो और उन्हें अबू सुफ़यान की पीठ पीछे करदो। फिर अपने तर्जमान से कहा इन्हें बताओ कि मैं उनसे उस शख़्स का हाल दरयाफ़्त करना चाहता हूं (जो मुद्दई नुबुव्वत है) अगर यह ग़लत बयानी से काम ले तो फ़ौरन उसे झुटला देना (अबू सुफ़यान कहते हैं) कि बा-ख़ुदा अगर मुझे इसका एहसास न होता कि लोग मुझे झूटा कहेंगे तो मैं ज़रूर हालात के बयान करने में झूट का सहारा लेता, ग़र्ज़ हिरक़्ल ने मुझ से सबसे पहले यह सवाल किया वह तुम लोगों में नसब के लिहाज़ से कैसा है? मैंने कहा वह हम में ऊंचे नसब का आदमी है। हिरक़्ल ने पूछा तुम में से इससे पहले भी किसी ने ऐसा दावा किया? मैंने जवाब दिया नहीं। हिरक़्ल ने कहा उसके आबा व अजदाद में कोई बादशाह गुज़रा है? मेरा जवाब था नहीं। हिरक़्ल ने दरयाफ़्त किया क्या उसके पैरोकारो में बड़े लोग शामिल हैं या कमज़ोर? मैंने कहा कमज़ोर लोग। हिरक़्ल बोला उसके पैरोकारों की तादाद बढ़ रही है या कम हो रही है? मैंने कहा बढ़ रही है। हिरक़्ल ने पूछा, उसके दीन में दाख़िल होने के बाद कोई उस से मुन्हरिफ़ भी हुआ है या नहीं? मैंने जवाब दिया नहीं। हिरक़्ल ने कहा कभी उसने वादा ख़िलाफ़ी भी की? मैंने कहा नहीं, हां अलबत्ता आज कल उसके साथ एक मुआहिदा चल रहा है देखें वह क्या करता है? अबू सुफ़यान कहते हैं, मुझे इन बातों के अलावा चारा न था कि कुछ और कहूं। हिरक़्ल बोला, कभी उस से जंग भी हुई है? मैंने कहा हां। बोला कैसी रही? मैंने कहा हमारे दरमियान जंग डोल की तरह

रहती है कभी वह भर लेते हैं और कभी हम (यानी कभी वह फतह पाते हैं और कभी हम) हिरक़्ल ने कहा, वह तुम्हें क्या कहता है? मैंने कहा वह एक ख़ुदा की बन्दगी के लिए कहते हैं और शिर्क से बचने की तल्क़ीन करते हैं, और कहते हैं शिर्क आमेज़ बातें जो तुम्हारे आबा व अजदाद करते थे उन्हें छोड़ दो, वह हमें नमाज़, रास्तबाज़ी, परहेज़गारी और सिला रहमी का हुक्म देते हैं। बादे अज़ाँ हिरक़्ल ने तर्जुमान से कहा कि अबू सुफ़यान से कहो मैंने तुम से उसका नसब पूछा तो तुम ने उसे शरीफ़ुन-नसब बताया और वाक़ई तमाम अंबिया अपनी क़ौम में आली नसब मबऊस हुआ करते हैं। मैंने तुम से दरयाफ़्त किया कि तुम्हारी क़ौम में उस से पहले किसी ने दावा नुबुव्वत किया तो तुम ने कहा नहीं, मैंने (दिल ही दिल में) कहा अगर ऐसा दावा उनसे पहले कोई कर चुका हो तो मैं समझता कि यह एक ऐसा शख़्स है जो इस बात की महज़ नक़्ल करता है जो उस से पहले कही जा चुकी है। मैंने तुम से पूछा उनके बाप दादा में कोई बादशाह हो गुज़रा है, तुम ने कहा नहीं, चुनान्चे मैंने (अपने दिल में) तय किया कि अगर उनके बाप दादा में कोई बादशाह गुज़रा हो तो कहीं कह दूंगा कि यह बाप दादा की सल्तनत हासिल करना चाहता है। मैंने तुम से पूछा कि क्या इस दावा से पहले कभी उसे झूट बोलते देखा गया तो तुम ने कहा नहीं, पस मुझे यक़ीन हो गया कि कोई भी ऐसा शख़्स नहीं जो लोगों पर झूट तो न बोले लेकिन ख़ुदा पर झूट बांधे। मैंने तुम से पूछा कि उसके पैरोकारों में अमीर लोग शामिल हैं या ग़रीब, तो तुम ने बताया कि कमज़ोर लोगों ने उसकी इताअत की है (दरअस्ल) जुम्ला पैग़म्बरों की पैरवी करने वाले कमज़ोर लोग ही होते हैं। मैंने तुम से सवाल किया कि पैरोकार बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? तो तुम ने बताया कि रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं, (हक़ीक़तन्) ईमान के दरजए कमाल तक पहुंचने की यही कैफ़ियत होती है। मैंने तुम से पूछा कि कोई उनके दीन में दाख़िल होने के बाद बाहर भी आता है? तो तुम ने कहा नहीं, ईमान की यही सूरत है जबकि उसकी मुसर्रत दिल में जज़्ब हो जाती है। मैंने तुम से पूछा क्या वह वादा ख़िलाफ़ी करते हैं तुम्हारा जवाब था नहीं, वाक़ई पैग़म्बर वादा ख़िलाफ़ी नहीं करते। मैंने तुम से पूछा वह क्या कहते हैं, तुमने कहा वह तुम्हें हुक्म देते है, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, वह तुम्हें बुतों की इबादत से मना करते हैं, तुम्हें नमाज़ पढ़ने, रास्तबाज़ी इख़्तियार करने और परहेज़गारी की तालीम देते हैं। अगर तो तुम्हारी बयान की हुई बात सच है तो अनक़रीब इस जगह का वह मालिक हो जाएगा, जहां यह मेरे पावं हैं। मुझे साबिक़ा किताबों से मालूम हुआ कि वह ज़ाहिर होने वाले हैं अलबत्ता यह इल्म न था कि वह तुम में से हैं, अगर मुझे इल्म होता कि मैं उन तक पहुंच सकूंगा तो मैं उनसे ज़रूर मिलता, अगर मैं उनके पास होता तो उनके पांव धोकर पीता (यानी ख़िदमत बजा लाता) फिर हिरक़्ल ने रसूलुल्लाह ﷺ का वह ख़त जो आपने दिहयह कलबी के हाथ अमीरे बसरा के पास रवाना किया था और अमीरे बसरा ने उसे हिरक़्ल के पास भेज दिया था, मंगाया और उसे पढ़वाया, उसमें लिखा हुआ था: "अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और बहुत रहम वाला है, अल्लाह के बन्दे और पैग़म्बर मुहम्मद (ﷺ) की तरफ़ से रूम के फ़रमांरवा की तरफ़, सलामती है उसके लिए जो हिदायत की पैरवी करे, बादे अज़ाँ मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूं, इस्लाम क़ुबूल कर लोगे तो अमन में रहोगे और अल्लाह तुम्हें तुम्हारा दुगना सवाब देगा, अगर तुम मेरी (दावत से) मुंह फेरोगे तो बिला शुब्हा तुम पर पूरी रइय्यत (के ईमान न लाने) का गुनाह होगा, और ऐ अहले किताब तुम एक ऐसी क़दर की तरफ़ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है यानी हम

सब एक ख़ुदा के अलावा किसी की बन्दगी न करें और उसके साथ किसी को शरीक न बनाएं और ख़ुदा को छोड़ कर किसी दूसरे को अपना ख़ुदा न करार दें (इरशादे ख़ुदावन्दी है) अगर अहले किताब इस बात को न मानें तो तुम उनसे कह दो कि गवाह रहना हम एक ख़ुदा के फ़रमांबरदार हैं। अबू सुफ़यान बयान करते हैं कि हिरक़्ल ने जो कहना था कह चुका और ख़त पढ़ कर फ़ारिग़ हुआ तो उसके इर्द गिर्द हलचल सी मच गई और आवाज़ें बुलन्द होती गईं। फिर हम लोग वहां से उठा दिए गए, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जब हम बाहर निकाल दिए गए तो अबू कब्शह के बेटे (मुहम्मद ﷺ) का मक़ाम तो बहुत बढ़ गया कि रूम का बादशाह भी उससे डरता है। पस उस वक़्त से मुझे यक़ीन हो चला कि मुहम्मद (ﷺ) ज़रूर ग़ालिब आएंगे यहां तक कि ख़ुदा ने मुझे भी हल्क़ाए इस्लाम में दाख़िल कर दिया। इब्ने नातूर जो एलिया का हाकिम और हिरक़्ल का दरबारी और शाम के नसारा का पीर पादरी था, उसका बयान है कि हिरक़्ल जब एलिया (बैतुल मक़्दिस) में आया तो एक दिन सुबह को बहुत अफ़सुरदा होकर बेदार हुआ। उसके बाज़ मसाहिबीन ने उससे कहा कि (चश्मे बद्दूर) हम आपको रंजीदा ख़ातिर महसूस कर रहे हैं। इब्ने नातूर का कहना है कि हिरक़्ल ख़ुद ही काहिन और माहिरे नुजूम था। अपने मसाहिबीन के इस्तिफ़सार पर बताया कि मैंने जब रात को तारों पर निगाह डाली तो देखा कि एक ख़तना करने वाला बादशाह ग़ालिब आ गया है, (यह पता चलाओ) कि इस ज़माने में कौन ख़तना करवाता है? लोगों ने कहा यहूदियों का तरीक़ा है लेकिन यहूद से आप कोई ख़तरा महसूस न करें और अपने मुल्क के तमाम बड़े शहरों में इत्तिला कर दीजिए कि तमाम यहूदी क़त्ल कर दिए जाएं। अभी वह लोग इसी सोच विचार में थे कि हिरक़्ल की ख़िदमत में एक शख़्स हाज़िर किया गया जिसे वालिए ग़स्सान ने भेजा था। उसने रसूलुल्लाह ﷺ के बारे में कुछ बयान किया तो हिरक़्ल बोला जाओ और देखो कि उनमें ख़तना किए हुए हैं? लोगों ने उसको देखा तो बयान किया कि वह ख़तना किए हुए है। हिरक़्ल ने उससे अरब के बारे में दरयाफ़्त किया कि वह लोग भी ख़तना करते हैं? उसने बताया कि हां, तब हिरक़्ल बोला कि यही रसूल (ﷺ) आज के दौर का बादशाह है जो ज़ाहिर हो गया है। हिरक़्ल ने यह तमाम तफ़सीलात अपने एक दोस्त को लिख भेजीं, वह इल्मे नुजूम में हिरक़्ल का हम पल्ला था। हिरक़्ल हम्स की तरफ़ रवाना हो गया। वह अभी हम्स से बाहर नहीं निकला था कि उसके दोस्त का जवाब आ गया कि वह नबी (ﷺ) के ज़ुहूर के सिलसिले में हिरक़्ल की राए से मुत्तफ़िक़ है और यह कि वह नबी हैं। बादे अज़ाँ हिरक़्ल ने सरदाराने रूम को जो हम्स में मौजूद थे, तलब किया और कहा कि महल के दरवाज़े बन्द कर दिए जाएं, दरवाज़े चढ़ा दिए गए। हिरक़्ल बाहर आया और कहा रूमियो! क्या हिदायत और कामयाबी में कुछ तुम्हारा हिस्सा भी है और तुम पसंद करते हो कि तुम्हारी हुकूमत भी बाक़ी रहे, अगर यह सब तुम्हें मंज़ूर है तो उस नबी की बैअत करलो। यह सुनना था कि सब हाज़िरीन वहशी गधों की तरह दरवाज़ों की तरफ़ लपके तो उन्हें बन्द पाया। हिरक़्ल ने उन्हें इस दरजा मुतनफ़्फ़र पाया तो उनके ईमान लाने से मायूस हो गया, कहने लगा उन्हें फिर मेरे पास लाओ, उन्हें लाया गया तो कहने लगा मैंने अभी जो कुछ तुम से कहा वह महज़ तुम्हें आज़माने के लिए था कि देखूं तुम अपने अक़ीदे में मज़बूत हो जो मैंने देख ली। पस उन्होंने उसके सज्दा किया और उससे राज़ी हो गए। हिरक़्ल का आख़िरी हाल यह है। इमाम बुख़ारी ने फ़रमाया कि रिवायत किया है इसे सालेह बिन केसान और यूनुस और मअमर ने ज़ुहरी से।

फ़ायदा:- मज़कूरा सवालात व जवाबात से जहां हिरक़ल क़ैसरे रूम की दानाई का सुबूत मिलता है, वहां इन वाक़िआत से बाज़ ने उसका मुसलमान हो जाना भी साबित किया है जबकि अकसर हज़रात को इस बात से इत्तिफ़ाक़ नहीं है। बेहतर यही है कि इस मामले में ख़ुदाए अलीम व ख़बीर के सिपुर्द करके अपनी ज़बान व क़लम को रोका ही जाए और कह दिया जाए कि वल्लाहु तआला आलम।

ईमान का बयान

बाब 2: फ़रमाने रसूल कि इस्लाम की बुन्याद पाँच चीज़ों पर है:

और ईमान क़ौल और फ़ेअ़ल का नाम है बढ़ता भी है और घटता भी। इरशादे ख़ुदा-वन्दी है: "ताकि ईमान वालों का ईमान बढ़ जाए और हम ने उनके लिए हिदायत को ज़्यादा कर दिया और अल्लाह तआला हिदायत-याफ़्ता लोगों की हिदायत को बढ़ा देता है जो लोग हिदायत-याब हैं अल्लाह ने उनकी हिदायत बढ़ा दी और उन्हें परहेज़गारी अता की और उन लोगों का ईमान बढ़ जाए।" फ़रमाने इलाही है कि तुम में से किसी के ईमान को उस ने बढ़ा दिया सो जो लोग ईमानदार हैं उनका ईमान उसने बढ़ा दिया है। इरशादे बारी तआला है: "(लोगों ने मुसलमानों से कहा) काफ़िरों से डरो तो उनका ईमान और बढ़ गया।" अल्लाह तआला फ़रमाता है: "उनका ईमान और ख़ूए तस्लीम बढ़ती ही जाती है अल्लाह के लिए मुहब्बत और अल्लाह ही के लिए नफ़रत भी ईमान है।

हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ رضي الله عنه ने अ़दी बिन अ़दी को लिख भेजा कि ईमान के कुछ फ़राइज़ हैं, कुछ अक़ाइद, कुछ हुदूद और कुछ सुनन हैं जो कोई उन्हें पूरी तरह अदा न करेगा तो अपना ईमान अधूरा छोड़ेगा, अगर ज़िन्दगी बाक़ी है तो मैं तुम्हें यह सब बातें लिख भेजूंगा ताकि तुम उन पर अमल दर-आमद करो, अगर मौत ने आ लिया तो मुझे यहां तुम्हारे हां रहने की चन्दाँ ख़्वाहिश नहीं। इब्राहीम عليه السلام ने कहा था: "ताकि मेरा दिल मुत्मइन हो जाए।" मुआज़ बिन जबल رضي الله عنه ने एक बार अस्वद رضي الله عنه से कहा था: "हमारे पास बैठो कि लम्हे भर को सच्चे मोमिन हो जाएं।" इब्ने मसऊद رضي الله عنه ने फ़रमाया: "यक़ीन कुल्लियह ईमान है।" अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنهما फ़रमाते हैं: "तक़्वा की किनह तक पहुंचना बहुत मुश्किल है जब तक मशकूक चीज़ों को इस ख़्याल से न छोड़ दिया जाए कि शायद यह ममनूअ हों।" मुजाहिद رضي الله عنه ने شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا की तशरीह करते हुए कहा है कि: "हम ने तुम्हें और नूह को एक तालीम दी है।" इब्ने अब्बास" رضي الله عنهما का कहना है कि: "शिरअतन और मिन्हाजन के माना राह और तरीक़ा के हैं और तुम्हारा दुआ़ करना तुम्हारा ईमान है।

फ़ायदा:- इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाहि अलैहि के नज़्दीक दीगर मुहद्दिसीन की तरह आमाल भी ईमान में दाख़िल हैं। ईमान का लफ़्ज़ अमन से मुश्तक़ है जिस की वजहे तस्मिया यह है कि ईमान लाकर आदमी अपने आप को आख़िरत के अ़ज़ाब से बचा लेता है। ईमान से मुराद अल्लाह तआला के वुजूदए उस की उलूहियत व वहदानियत को तसलीम करना नीज़ रसूलुल्लाह ﷺ को बरहक़ रसूल और सारे अंबिया व मुर्सलीन में सबसे आख़िरी नबी व रसूल तसलीम करने को कहते हैं। अलावा बरीं सारे इस्लामी अक़ायद को क़ुबूल करना और उनके साथ ही सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह ﷺ ने जो अहकाम और ख़बरें लोगों तक पहुंचाई और वह क़तई तौर पर या तो अल्लाह से साबित हैं उन को दुरुस्त मान कर क़ुबूल किया जाए ऐसा करने वाला साहिबे ईमान कहलाता है।

इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हंबल और मुहद्दिसीन हज़रात के नज़्दीक जहां तस्दीक़ और इक़रार दोनों ईमान के अज्ज़ा हैं वहां यह बुज़ुर्ग आमाल को भी ईमान के अज्ज़ा में शामिल करते हैं। इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाहि अलैहि का मोक़िफ़ भी यही है। इसी लिये यह जुम्ला बुज़ुर्ग ईमान में कमी और ज़ियादती के क़ायल हैं लेकिन इसके बावुजूद बे-अमल और बद-अमल को मोतज़ला की तरह ईमान से ख़ारिज नहीं करते बल्कि उसे फ़ासिक़ कहते हैं। इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि के नज़्दीक ईमान के सिर्फ़ दो अज्ज़ा हैं यानी दिल से तस्दीक़ और ज़बान से इक़रार। लेकिन इज़्तिरारी हालत में उनके नज़्दीक इक़रार भी साक़ित हो जाता है गोया इक़रार सिर्फ़ सूरतन ईमान का जुज़्व है वरना इक़रार शर्त है जिसके बाइस ऐसे फ़र्द पर इस्लामी अहकाम जारी होते हैं।

इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि के नज़्दीक आमाल शामिले ईमान नहीं हैं बल्कि यह ईमान का हुस्न व जमाल और ज़ेब व ज़ीनत हैं नीज़ ईमान में उनके नज़्दीक कमी और ज़ियादती वाक़े नहीं होती क्योंकि वह तस्दीक़ और इक़रार पर मौक़ूफ़ है और तस्दीक़ व इक़रार के अन्दर कमी बेशी मुतसव्वुर नहीं है। हां उनके नज़्दीक ईमान क़वी और ज़ईफ़ होता है कमी और बेशी उसी सूरत में तसलीम हो सकती है जब आमाल को शामिले ईमान समझा जाए। इल्मे कलाम के दोनों इमामों यानी इमाम अबुल हसन अशअरी और इमाम अबू मन्सूर मातुरीदी रहमतुल्लाहि अलैहिमा का मोक़िफ़ भी इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि के मोक़िफ़ से मुताबिक़त रखता है और कितने ही उलमाए मुहक़्क़िक़ीन की यही राए है वल्लाहु तआला आलम।

हदीस 7:- अब्दुल्लाह बिन उमर رضی اللہ عنہما फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ का इरशाद है: "इस्लाम की इमारत पाँच चीज़ों पर इस्तिवार है: इस अम्र की गवाही कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के रसूल हैं, इक़ामते सलात, ज़कात की अदायगी, हज करना और माहे रमज़ान के रोज़े रखना।"

बाब 3:- उमूरे ईमान: इरशादे ख़ुदावन्दी कि नेकी महज़ यह नहीं कि तुम अपने रुख़ मश्रिक़ और मग़्रिब की तरफ़ फेरो बल्कि हक़ीक़ी नेकी यह है कि जो अल्लाह पर ईमान लाए अल मुत्तक़ून तक (और) बिल यक़ीन ईमान वाले फ़लाहयाब होंगे।

हदीस 8:- हज़रत अबू हुरैरह رضی اللہ عنہ रावी हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "ईमान की साठ से कुछ ऊपर शाख़ें हैं और हया भी उन्हीं में से है।"

बाब 4:- मुसलमान वह है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफ़ूज़ रहें:

हदीस 9:- अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस رضی اللہ عنہما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मुसलमान वह है जिस की ज़बान और हाथ (के गज़िन्द) से मुसलमान महफ़ूज़ रहें, हक़ीक़ी मुहाजिर वह है जो उन तमाम चीज़ों से परहेज़ करे जिनसे अल्लाह ने मना किया है।"

बाब 5:- अफ़ज़ल इस्लाम क्या है?

हदीस 10:- अबू मूसा رضی اللہ عنہ फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ से कहा गया क्या इस्लाम बेहतर है? फ़रमाया: "(उस शख़्स का इस्लाम) जिस की ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफ़ूज़ रहें।"

बाब 6:- खाना खिलाना भी इस्लाम है:

हदीस 11:- अब्दुल्लाह बिन अम्र رضی اللہ عنہما फ़रमाते हैं, किसी ने रसूलुल्लाह ﷺ से पूछा किस

किस्म का इस्लाम अच्छा है? फ़रमायाः "खाना खिलाओ और जिसे जानते हो या नहीं उसे सलाम करो।"

बाब 7:– अपने मुसलमान भाई के लिए वही पसंद करना जो ख़ुद पसंद करे ईमान है:

हदीस 12:– हज़रत अनस ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "तुम में से कोई शख़्स मोमिन नहीं हो सकता यहां तक कि अपने भाई के लिए भी वही कुछ पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है।"

बाब 8:– रसूलुल्लाह ﷺ की मुहब्बत ईमान है:

हदीस 13:– हज़रत अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "मुझे उस ज़ाते अक़्दस की क़सम जिस के क़ब्ज़ए (क़ुदरत) में मेरी जान है, तुम में से कोई उस वक़्त तक मोमिन नहीं बन सकता जब तक मैं उसे उसके वालिदैन और उसकी औलाद से अज़ीज़ तर न हूं।"

हदीस 14:– हज़रत अनस ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "तुम में से कोई शख़्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसे वालिदैन, औलाद और दुनिया भर के लोगों से ज़्यादा महबूब न हूं।"

बाब 9:– ईमान की लज़्ज़त:

हदीस 15:– हज़रत अनस ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "जिस किसी में यह तीन बातें होंगी वह ईमान की लज़्ज़त से बहरा अंदोज़ होगा एक यह कि अल्लाह और रसूल उसे सबसे ज़्यादा मेहबूब हों, दूसरे यह कि महज़ अल्लाह के लिए किसी से दोस्ती रखे, तीसरे यह कि उसे दोबारा काफ़िर बनना इस क़दर नागवार हो जैसे आग में झोंका जाना।"

बाब 10:– अन्सार से मुहब्बत ईमान की अलामत है:

हदीस 16:– हज़रत अनस बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "ईमान की अलामत अन्सार से मुहब्बत करना और निफ़ाक़ की अलामत अन्सार से बुग्ज़ रखना है।"

बाब 11:– हुज़ूर की एक बैअत का ज़िक्र:

हदीस 17:– हज़रत उबादह बिन सामित ﷺ फ़रमाते हैं, यह उबादा वह हैं जो बदर की लड़ाई में शरीक थे और अक़बह की रात एक नक़ीब थे। रसूलुल्लाह ﷺ ने (सहाबा से) फ़रमाया जबकि आपके इर्द गिर्द सहाबा की एक जमाअत मौजूद थी किः "तुम लोग मुझ से इस बात पर बैअत करो कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करोगे, चोरी न करोगे, ज़िना न करोगे, अपनी औलाद को क़त्ल न करोगे, (दीदा व दानिस्ता) किसी पर बोहतान नहीं लगाओगे, नेक कामों में ना-फ़रमानी न करोगे, पस जो कोई तुम में से इस अहद को पूरा करेगा उसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे है और जो कोई इन में से किसी में मुब्तला हो जाएगा और दुनिया में उसे उसकी सज़ा मिल जाए तो उसका कफ़्फ़ारा बन जाएगी और अगर कोई ग़लत कामों में मुब्तला हुआ और ख़ुदा उसका पर्दा रख ले तो वह अल्लाह के सिपुर्द हो गया चाहे तो आख़िरत में अज़ाब दे और चाहे माफ़ फ़रमा दे।" फिर हम ने इन बातों पर आपसे बैअत कर ली।

बाब 12:– (दीन को बचाने के लिए) फ़ितनों से भागना दीनदारी है:

हदीस 18:– हज़रत अबू सईद ख़ुदरी ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया

कि "वह ज़माना क़रीब है कि मुसलमान की बेहतरीन मताअ़ बकरियां होंगी जिन्हें लेकर वह पहाड़ की चोटियों और चटयल मैदानों में चला जाएगा ताकि वह अपने ईमान को बचा सके।"

बाब 13:- यह इरशादे नबवी कि मैं तुम सब से ज़्यादा ख़ुदा आगाह हूं:

और इस बात का सुबूत कि मारिफ़त सरासर दिल का फ़ेअ़ल है क्योंकि फ़रमाने इलाही है "लेकिन अल्लाह तुम्हें उस पर पकड़ेगा जो तुम्हारे दिलों ने किया।"

हदीस 19:- सय्यदा आयशा ﵂ फ़रमाती हैं, जब कभी रसूलुल्लाह ﷺ लोगों को अच्छे कामों का हुक्म देते तो ऐसे आमाल बताते जिन्हें वह ब-आसानी कर सकते। वह अर्ज़ करते या रसूलल्लाह हम आपकी तरह तो नहीं जिन के अगले और पिछले क़ुसूर ख़ुदा ने माफ़ कर दिए। इस पर आप नाराज़ हुए हत्ता कि आपके चेहरे पर ग़ुस्से के आसार ज़ाहिर होने लगे, फिर आपने फ़रमाया: "मैं तुम सब से ज़्यादा ख़ुदा तरस और उस का जानने वाला हूं।"

बाब 14:- यह भी ईमान है कि कोई शख़्स कुफ़्र में वापस जाने को यूं मकरूह जाने जिस तरह आग में झोंके जाने को बुरा समझता है:

हदीस 20:- हज़रत अनस ﵁ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस में तीन बातें होंगी वह ईमान की लज़्ज़त से बहरा अन्दोज़ होगा। जो अल्लाह व रसूल को दुनिया भर की चीज़ों से मेहबूब जाने, किसी से अल्लाह ही के लिए मुहब्बत रखे और कुफ़्र में लौट कर जाने को यूं बुरा समझे जिस तरह आग में झोंके जाने को बुरा समझता है।"

बाब 15:- अहले ईमान की आमाल के लिहाज़ से एक दूसरे पर फ़ज़ीलत:

हदीस 21:- अबू सईद ख़ुदरी ﵁ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जन्नती जन्नत और दोज़ख़ी दोज़ख़ में चले जाएंगे, फिर अल्लाह तआला फ़रमाएगा: जिस शख़्स के दिल में राई बराबर भी ईमान हो उसे दोज़ख़ से निकाल लो, ऐसे लोगों को जहन्नम से निकाल लिया जाएगा और वह जल कर स्याह हो चुके होंगे, फिर वह नहरे हया या (नहरे) हयात में डाल दिए जाएंगे (यहां इमाम मालिक को शक है) वह यूं तरो ताज़ा हो जाएंगे जिस तरह दाना (तरो ताज़गी के साथ) पानी की रवानी की जानिब उगता है क्या तूने नहीं देखा सब्ज़ कन्चल ज़रदी मायल निकलता है।" वुहैब ने कहा कि हम से हदीस बयान करते हुए अम्र ने नहरे हयात कहा नीज़ कहा कि राई के बराबर भलाई।

हदीस 22:- अबू सईद ख़ुदरी ﵁ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मैं सो रहा था और उसी हालत में ख़्वाब देखा कि लोगों को मेरे सामने लाया जाता है, उन्होंने कुर्ते पहन रखे हैं। बाज़ के कुर्ते सीने तक और बाज़ के ज़रा नीचे हैं, इसी इस्ना में उमर बिन ख़त्ताब ﵁ मेरे सामने पेश किए गए, उनका कुर्ता इस क़दर नीचा है कि वह उसे घसीट रहे हैं।" सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! आपने उसकी क्या ताबीर ली? आपने फ़रमाया: "दीन।"

बाब 16:- हया ईमान का हिस्सा है:

हदीस 23:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ﵄ फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ एक बार किसी अन्सारी के पास से गुज़रे, वह अपने भाई को नसीहत कर रहे थे कि इस क़दर ग़ैर मामूली हया के क्या मअ़ना? रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जाने दो क्योंकि हया तो ईमान में शामिल है।"

बाब 17:- (इस आयत की तशरीह में) "अगर वह तौबा करें, नमाज़ पढ़ें

और ज़कात दें तो उनका रास्ता छोड़ दो":

हदीस 24:- अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنهما रावी हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मुझे ख़ुदा तआला ने इस पर मामूर किया है कि मैं लोगों से उस वक़्त तक लड़ूं जब तक वह यह गवाही न दें कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और मुहम्मद (ﷺ) ख़ुदा के सच्चे रसूल हैं, ठीक तरह से नमाज़ अदा करें, ज़कात दें, पस अगर ऐसा कर लें तो मुझ से उनके माल और जानें महफ़ूज़ हो जाएंगे बजुज़ उस सज़ा के जो इस्लाम ने (किसी हद के सिलसिले में) उन पर लाज़िम कर दी हो।"

बाब 18:- जो शख़्स कहता है कि ईमान एक अमल है क्योंकि इरशादे ख़ुदावन्दी है: "यह जन्नत जिस के तुम वारिस हो यह तुम्हारे आमाल का सिला है।" बाज़ उलमा का कहना है कि فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ से मुराद लाइलाह इल्लल्लाह कहना है। अल्लाह तआला ने इसी तरह फ़रमाया कि "अमल करने वालों को अमल करना चाहिए।"

हदीस 25:- हज़रत अबू हुरैरह رضي الله عنه फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ से पूछा गया कौन सा अमल बेहतर है? फ़रमाया: "अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना।" दरयाफ़्त किया गया फिर? फ़रमाया: "अल्लाह की राह में जिहाद करना।" कहा गया फिर? फ़रमाया: "हज्जे मुबरूर।"

बाब 19:- कभी इस्लाम के हक़ीक़ी मआना मुराद नहीं होते बल्कि उससे मुराद महज़ ज़ाहिरी ताबेदारी या जान के ख़ौफ़ से मान लिया। जिस तरह इरशादे रब्बानी है: "बद्दू कहते हैं हम ईमान लाए आप उनसे कहिए कि तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि कहो इस्लाम लाए।" लेकिन अगर कोई हक़ीक़ी तौर पर इस्लाम क़ुबूल करले तो वह मोमिन है जैसा कि अल्लाह तआला फ़रमाता है: اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ अल्लाह के नज़्दीक सही दीन इस्लाम ही है।

हदीस 26:- सअद बिन अबी वक़्क़ास رضي الله عنه फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने कुछ लोगों को माल दिया। सअद رضي الله عنه भी बैठे हुए थे, आपने एक शख़्स को छोड़ दिया (यानी कुछ न दिया) वह मुझे सब लोगों से ज़्यादा पसंद था। मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! आपने फ़ुलां शख़्स से ऐराज़ क्यों फ़रमाया? हालांकि ख़ुदा की क़सम मैं उसे मोमिन समझता हूं। तो आपने फ़रमाया: "मुस्लिम (या मोमिन)? मैं कुछ देर चुप रहा, बादे अज़ां जो कुछ मैं उसके मुताल्लिक़ जानता था उसने मजबूर किया और फिर वही बात कही। रसूलुल्लाह ﷺ ने फिर वही फ़रमाया। फिर तीसरी बार अर्ज़ किया तो हुज़ूर ने फिर वही जवाब दिया, बिल-आख़िर आपने फ़रमाया: "ऐ सअद! मैं किसी शख़्स को माल इस डर से कुछ दे देता हूं (मुबादा कुछ न मिलने से वह काफ़िर हो जाए) और ख़ुदा उसे आग में रुस्वा करके न डाल दे हालांकि दूसरा शख़्स मुझे उस से कहीं अज़ीज़ होता है।"

बाब 20:- सलाम को आ़म करना इस्लाम में दाख़िल है: और हज़रत अम्मार رضي الله عنه ने कहा है जिस शख़्स ने तीन बातों को इख़्तियार कर लिया वह इस्लाम के तमाम शोअ़बों पर हावी हो गया: अपनी ज़ात के मुक़ाबले में इन्साफ़ करना, हर आशना और ना-आशना को सलाम कहना और अफ़्लास के बावुजूद ख़र्च करना।

हदीस 27:- अब्दुल्लाह बिन अम्र رضي الله عنهما फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ से पूछा गया बेहतर इस्लाम कौन सा है? फ़रमाया: "खाना खिलाना और हर आशना और ना-आशना को सलाम करना।"

बाब 21:- शौहर की ना-शुक्री करना एक तरह का कुफ़्र है और एक कुफ़्र

दूसरे से कमतर होता है। इस बाब में अबू सईद ﷺ ने रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत बयान की।

हदीस 28:- अब्दुल्लाह बिन अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "मुझे दोज़ख़ दिखलाई गई और वहां मैंने औरतों को बकस्रत पाया, वजह यह है कि वह कुफ़्र करती हैं।" अर्ज़ किया गया कि वह अल्लाह के साथ कुफ़्र करती हैं? फ़रमायाः "नहीं वह शौहर की ना-शुक्री करती है और एहसान नहीं मानतीं, अगर तू किसी औरत से उम्र भर एहसान और नेकी का सुलूक करे लेकिन एक बात ख़िलाफ़े तबअ़ हो जाए तो झट कह देगी मैंने तुझ से कभी आराम और सुकून नहीं पाया।"

बाब 22:- गुनाह जाहिलियत के काम हैं और उनका मुर्तकिब बजुज़ शिर्क के काफ़िर नहीं: फ़रमाने रसूल हैः तू एक ऐसा शख़्स है जिस में जाहिलियत (की ख़ू-बू) बाक़ी है, और इरशादे ख़ुदा-वन्दी हैः "और हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा जिस ने शिर्क का इर्तिकाब किया हां उसके अलावा जिसे चाहे बख़्श दे।" और "अगर मुसलमान के दो गिरोह आपस में बरसरे पैकार हों तो उनके दरमियान मुसालेहत करा दो।" अल्लाह तआला ने दोनों को मुसलमान कहा।

फ़ायदा:- इस बाब में इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने तस्रीहन लिख दिया कि शिर्क के सिवा किसी भी गुनाह के मुर्तकिब की तकफ़ीर नहीं की जाएगी तो साबित हुआ कि आमाल ईमान में शामिल नहीं हैं और साथ ही एक आयत से इस्तिदलाल करके बताया कि मुसलमानों के दो गिरोह अगर आपस में लड़ पड़ें तो उन में से किसी गिरोह को काफ़िर क़रार नहीं दिया जाएगा क्योंकि अल्लाह तआला ने इस आयत में फ़रीक़ैन को मोमिनीन कहा है। जैसा कि ख़ुद इमाम बुख़ारी अलैहिर्रहमा ने आयत के मफ़ाद को فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِيْنَ से ज़ाहिर किया है। इससे मालूम हुआ कि इस बारे में मोक़िफ़ वही ज़्यादा सहीह है जिस पर इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि हैं कि आमाल ईमान में दाख़िल नहीं बल्कि उसका हुस्न व जमाल हैं। वल्लाहु तआला आलम।

हदीस 29:- अहनफ़ बिन क़ैस ﷺ फ़रमाते हैं कि (जंगे सिफ़्फ़ीन के दौरान) मैं उस मर्द (यानी अली अल मुर्तज़ा ﷺ) की मदद को चला तो सरे राह हज़रत अबू बकरह ﷺ से मुलाक़ात हो गई। उन्होंने मुझसे पूछा कहां का इरादा है? मैंने कहा मैं उस मर्द (अली अल मुर्तज़ा ﷺ) की मदद का इरादा रखता हूं। उन्होंने कहा यहीं से लौट जाओ क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से सुना, फ़रमाते थे किः "जब मुसलमान अपनी तलवारों के साथ मुक़ाबला करें तो क़ातिल व मक़्तूल दोनों जहन्नमी हैं।" मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! क़ातिल की बात तो वाज़ेह है मगर मक़्तूल का क्या मतलब? आपने फ़रमायाः "वह भी तो अपने हरीफ़ के क़त्ल का ख़्वाहिश मंद था।"

हदीस 30:- हज़रत मअ़रूर ﷺ फ़रमाते हैं, अबू ज़र ﷺ से रब्ज़ह (एक गावं जवारे मदीना) में मिला, उनका लिबास और ग़ुलाम का लिबास एक जैसा था। मैंने अबू ज़र ﷺ से इसका सबब पुछा तो फ़रमाने लगेः मैंने एक बार किसी को गाली दी और उसकी मां की आ़र दिलाई, यह ख़बर रसूलुल्लाह ﷺ तक पहुंच गई। आपने मुझसे फ़रमायाः "अबू ज़र! तुमने उसे वाक़ई गाली दी? तुम ऐसे आदमी हो जिस में अभी तक जाहिलियत (की ख़ू-बू) बाक़ी है, तुम्हारे ग़ुलाम तुम्हारे भाई ही हैं, अल्लाह ने तुम को उन पर इख़्तियार दिया, जिस शख़्स का भाई उसके मातहत हो उसे चाहिए कि ख़ुद खाए वही उसे खिलाए, जो ख़ुद पहने उसे भी वही पहनाए और हां ग़ुलाम को ऐसा काम मत बताओ जिस के करने से उसे ग़ैर मामूली तकलीफ़ हो, अगर ऐसा करना ज़रूरी हो तो तुम ख़ुद उसका हाथ बटाओ।"

बाब 23:- एक गुनाह दूसरे गुनाह से कम होता है:

हदीस 31:- हज़रत अब्दुल्लाह (बिन मसऊद) ﷺ फ़रमाते हैं जब (आयत) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ (वह लोग जो ईमान लाए और अपने ईमान को ज़ुल्म से आलूदा न किया) नाज़िल हुई तो अस्हाबे रसूल परेशान हुए और कहने लगे या रसूलल्लाह! हम में से कौन ऐसा है जिस ने ज़ुल्म न किया हो। तब अल्लाह तआला ने (यह आयत) नाज़िल फ़रमाई: اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ (शिर्क बड़ा ज़ुल्म है)

बाब 24:- मुनाफ़िक़ की अलामत:

हदीस 32:- हज़रत अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मुनाफ़िक़ की तीन निशानियां हैं, जब बात करे तो झूट बोले, जब वादा करे तो ख़िलाफ़-वर्ज़ी करे और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें ख़्यानत करे।"

हदीस 33:- अब्दुल्लाह बिन अम्र ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस में यह चार बातें होंगी वह पक्का मुनाफ़िक़ है और जिस में उन में से कोई एक होगी तो उसमें निफ़ाक़ की अलामत होगी यहां तक कि उसे तर्क न करदे जब अमीन बनाया जाए तो ख़ाइन साबित हो, जब बात करे तो झूटी करे, जब वादा करे तो उसकी ख़िलाफ़-वर्ज़ी करे और जब झगड़े तो गालम गुलूच पर उतर आए।" इसी तरह शुअ़्बा ﷺ ने अअ़्मश से रिवायत की है।

बाब 25:- शबे क़द्र में क़ियाम करना ईमान है:

हदीस 34:- हज़रत अबू हुरैरह ﷺ रावी हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो शख़्स मोमिन होते हुए सवाब की नियत से शबे क़द्र में जागे तो उसके अगले गुनाह बख़्श दिए जाएं।"

बाब 26:- जिहाद करना ईमान है:

हदीस 35:- हज़रत अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह तआला उस शख़्स के लिए जो ख़ुदा की राह में जिहाद को निकले और ख़ुदा पर ईमान और रसूल की तस्दीक़ ही ने उसे जिहाद पर आमादा किया हो उसका ज़िम्मा ले लेता है कि या तो मैं उसे सवाब और माले ग़नीमत के साथ वापस लौटाऊंगा या (शहीद हो तो) उसे जन्नत में दाख़िल करूंगा।" (हुज़ूर फ़रमाते हैं) "अगर यह अम्र मेरी उम्मत पर गिरां न होता तो किसी छोटे लश्कर के साथ जाने में भी ताम्मुल न करता क्योंकि यह बात मुझे अज़हद पसंद है कि ख़ुदा की राह में शहीद किया जाऊं, फिर उठाया जाऊं फिर क़त्ल किया जाऊं और फिर जिन्दा किया जाऊं।"

बाब 27:- रमज़ानुल मुबारक की रातों में नवाफ़िल का एहतमाम ईमान है:

हदीस 36:- हज़रत अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो शख़्स ईमान और यक़ीन के साथ रमज़ान में क़याम करेगा तो उसके अगले गुनाह बख़्श दिए जाएंगे।"

बाब 28:- हुसूले सवाब की नियत से रमज़ान के रोज़े रखना ईमान है:

हदीस 37:- हज़रत अबू हुरैरह ﷺ से रिवायत है, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो शख़्स ईमान और यक़ीन के साथ रमज़ान के रोज़े रखेगा तो उसके अगले गुनाह बख़्श दिये जाएंगे।"

बाब 29:- (दीने इस्लाम) आसान है:

इरशादे नबवी है: "ख़ुदा का पसंदीदा दीन वह है जो सीधा और मोतदिल हो।"

हदीस 38:- हज़रत अबू हुरैरह ﷺ से रिवायत है, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "दीन बहुत आसान है जो इस में नारवा सख़्ती बरतेगा तो दीन उस पर ग़ालिब आ जाएगा, पस तुम मियाना-रौ रहो, क़रीब-तर रहो, (दीने हनीफ़ मिलने पर) ख़ुश रहो, सुबह व शाम की इबादत गुज़ारी और ख़ैरात से दीनी क़ुव्वत हासिल करो।"

बाब 30:- नमाज़ ईमान में दाख़िल है।

इरशादे रब्बानी है: "अल्लाह ऐसा नहीं कि तुम्हारा ईमान (नमाज़) ज़ाए करदे।" (यानी) जो नमाज़ें बैतुल मक़्दिस के रुख़ अदा की थीं, इस आयत में नमाज़ को ईमान बतलाया गया)

फ़ायदा:- यहां इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने नमाज़ को ईमान का हिस्सा बताया है हालांकि बाब 22 में वह ख़ुद तस्रीह कर चुके हैं कि तर्के अमल तो क्या तर्के आमाल पर भी तकफ़ीर नहीं की जाएगी और ऐसे आदमी को साहिबे ईमान ही शुमार किया जाएगा तो मोक़िफ़ वही ज़्यादा दुरुस्त साबित हुआ जो इस बारे में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि और अइम्मए इल्मे कलाम का है कि आमाल ईमान में दाख़िल नहीं बल्कि उसकी ज़ेब व ज़ीनत हैं। वल्लाहु तआला आलम।

हदीस 39:- हज़रत बराअ (बिन आज़िब) ﷺ फ़रमाते हैं, जब (हिजरत करके) रसूलुल्लाह ﷺ मदीना तशरीफ़ लाए तो अपने ननिहाल के हां फ़रोकश हुए जो अन्सार थे, और आपने सोलह या सतरह माह बैतुल मक़्दिस की तरफ़ मुंह करके नमाज़ पढ़ी, और आपको यह पसंद था कि कअ़बा आपका क़िब्ला हो। आपने (कअ़बे की तरफ़ मुंह करके) पहली नमाज़ नमाज़े अस्र अदा की और आपके साथ और लोग भी थे। उनमें एक शख़्स बाहर गया और उसका गुज़र किसी मस्जिद की जमाअत पर हुआ, वह बैतुल मक़्दिस के रुख़ नमाज़ अदा कर रहे थे। उसने कहा मैं ख़ुदा को गवाह बना कर कहता हूं कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह मक्का के रुख़ नमाज़ अदा की है, वह लोग उसी हालत में कअ़बे की तरफ़ घूम गए। जब रसूलुल्लाह ﷺ बैतुल मक़्दिस की तरफ़ नमाज़ पढ़ते थे तो यहूदी और दूसरे अहले किताब (नसारा) बहुत ख़ुश थे मगर जब आपने अपना रुख़ तब्दील कर लिया तो यह उन पर शाक़ गुज़रा। ज़ुहैर, अबू इस्हाक़, बराअ बिन आज़िब ﷺ के हवाले से इसी हदीस में यह भी नक़्ल किया है कि तहवीले क़िब्ला से पहले कुछ लोग ऐसे भी थे कि बैतुल मक़्दिस की तरफ़ नमाज़ पढ़ते पढ़ते वफ़ात पा गए। हमें ख़्याल आया कि उनकी नमाज़ों का क्या बनेगा? इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ नाज़िल फ़रमाई।

बाब 31:- किसी का बेहतरीन इस्लाम:

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी ﷺ ने रसूलुल्लाह ﷺ को यह फ़रमाते हुए सुना: "जब कोई मुसलमान हो जाता और हक़ीक़ी मुसलमान बन जाता है तो अल्लाह तआला उसके तमाम गुनाहों को जिनका मुर्तकिब हुआ माफ़ कर देता है, फिर उसके बाद अदले का बदला शुरू हो जाता है कि नेकी का बदला दस (10) से सात सौ (700) गुना तक और बदी का सिर्फ़ एक बुराई की सूरत में दिया जाता है और वह भी ख़ुदा चाहे तो माफ़ कर देता है।"

हदीस 40:- हज़रत अबू हुरैरह ﷺ से रिवायत है, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो शख़्स तुम में से अपने अन्दर इस्लाम का हुस्न पैदा कर लेता है तो वह जो नेकी करता है उसके लिए दस से सात सौ गुना तक नेकियां लिखी जाती हैं और जो बुराई वह करता है तो बस उतनी ही लिखी जाती है

(जितनी कि उसने की)।

बाब 32:- खुदा के नज़्दीक पसंदीदा अमल वह है जो हमेशा किया जाए:

हदीस 41:- सय्यदा आयशा ﷺ फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ एक मरतबा उनके पास तशरीफ़ लाए, उस वक़्त कोई औरत बैठी हुई थी। फ़रमाया: "यह कौन है?" आयशा ﷺ बोलीं, यह फ़ुलां है और उसकी कसरते नमाज़ का ज़िक्र छेड़ दिया। आपने फ़रमाया: "ठहरो सिर्फ़ इतना अमल करो जितना हमेशा कर सकती हो, खुदा की क़सम अल्लाह तआला अज्र देते हुए नहीं थकेगा मगर तुम (इबादत से) थक जाओगी और अल्लाह के नज़्दीक पसंदीदा अमल वह है जिस का करने वाला उसे हमेशा करे।"

बाब 33:- ईमान का ज़्यादा या कम होना:

इरशादे खुदावन्दी है: "हम ने उनको और ज़्यादा हिदायत दी।" नीज़: "ईमान वालों का ईमान और बढ़े।" और "आज मैंने तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया क्योंकि मुकम्मल चीज़ से कुछ कम हो तो नुक़सान कहलाएगा।"

हदीस 42:- हज़रत अनस ﷺ से रिवायत है, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो शख़्स ला इलाहा इल्लल्लाह का क़रार करे और उसके दिल में जौ के बराबर नेकी (ईमान) हो वह दोज़ख़ से ज़रूर आज़ाद किया जाएगा और जो शख़्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और उसके दिल में गेहूं के दाना के बराबर नेकी हो वह भी दोज़ख़ से निकाला जाएगा और जिस ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया और उसके दिल में ज़र्रा बराबर नेकी हो वह (भी) दोज़ख़ से निकाला जाएगा।" हज़रत अबान ﷺ का कहना है (क़तादह और अनस ﷺ के हवाले से) नबी ﷺ ने "ख़ैर" के बजाए "ईमान" फ़रमाया।

हदीस 43:- हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ﷺ फ़रमाते हैं कि एक यहूदी ने उनसे कहा कि या अमीर! तुम्हारी किताब में एक ऐसी आयत है अगर हम पर वह आयत उतरती तो हम उस (नुज़ूल के) दिन को अपने लिए ईद क़रार दे लेते (हज़रत उमर ﷺ ने) फ़रमाया वह कौन सी आयत है? (यहूदी) बोला اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا (आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल और तुम पर अपनी नेअ्मत को तमाम कर दिया और तुम्हारे लिए दीने इस्लाम के इन्तख़ाब पर राज़ी हो गया) उमर ﷺ (यह सुन कर) फ़रमाने लगे बिला शुब्हा हमने उस दिन (की अहमियत) और उसके मक़ामे (नुज़ूल) को याद कर लिया, आप उस दिन अरफ़ात में मुक़ीम थे और जुम्आ का दिन था।

बाब 34:- ज़कात अदा करना इस्लाम है: इरशादे खुदावन्दी है: "वह सिर्फ़ इस बात पर मामूर किए गए कि अल्लाह ही की इबादत करें और अपने दीन को खुदा के लिए ख़ालिस और यकसू करदें, नमाज़ क़ायम करें और ज़कात अदा करें यही मुस्तहकम दीन है।"

हदीस 44:- तल्हा बिन उबैदुल्लाह ﷺ फ़रमाते हैं, नज्द का एक आदमी रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, जिसके बाल उल्झे हुए थे, उसकी आवाज़ की गुनगुनाहट तो सुनाई देती थी लेकिन उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन जब क़रीब हुआ तो (पता चला) इस्लाम के बारे में कुछ दरयाफ़्त कर रहा है। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "दिन रात में पाँच नमाज़ें हैं। बोला, इस से ज़्यादा भी मुझ पर फ़र्ज़ है? फ़रमाया: "नहीं, हां यह कि तुम अपनी खुशी से कुछ पढ़ो।" रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "रमज़ान के रोज़े।" अर्ज़ किया, इनके अलावा भी मुझ पर लाज़िम हैं? फ़रमाया:

कहते हैं) रसूलुल्लाह ﷺ ने उसे ज़कात के बारे में बताया। उसने पूछा इसके अलावा भी (कोई सदक़ा) मुझ पर वाजिब है? फ़रमाया: "नहीं, हां दिल चाहे तो दे दो।" फिर वह शख़्स यह कहता हुआ चल दिया क़सम ख़ुदा की न मैं उसमें इज़ाफ़ा करूंगा और न कमी। रसूलुल्लाह ﷺ ने (यह सुन कर) फ़रमाया: "अगर यह सच कह रहा है तो अपनी मुराद को पहुंच गया।"

बाब 35:- जनाज़े के साथ जाना ईमान है:

हदीस 45:- हज़रत अबू हुरैरह رضي الله عنه से रिवायत है, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो शख़्स किसी मुसलमान के जनाज़े के हमराह ईमान के साथ और सवाब की नियत से जाए और नमाज़ और तदफ़ीन तक वहां रहे तो वह दो हिस्सा सवाब लेकर आता है और हर हिस्सा उहुद के बराबर होता है और जो शख़्स नमाज़े (जनाज़ा) में तो शरीक हो लेकिन दफ़न किए जाने से पहले लौट आए तो एक क़ीरात सवाब का मुस्तहिक़ बन कर लौटता है।"

बाब 36:- मोमिन का इस बात से ख़ौफ़ खाना कि उसके आमाल ज़ाए हो जाएं और उसे इसकी ख़बर भी न हो। इब्राहीम तैमी का कहना है कि जब मैं अपने क़ौल और फ़ेअ़ल पर नज़र डालता हूं तो मुझे डर लगता है कि कहीं मैं झुटलाने वालों में न हूं। इब्ने अबी मुलैकह رضي الله عنه कहते हैं कि मैं तीस (30) अस्हाबे रसूल ﷺ से मिला हूं, उन में से हर एक अपने बारे में मुनाफ़िक़ होने का ख़दशा रखते थे। और उन में से एक भी नहीं कहता था कि वह जिब्रईल और मीकाईल عليهم السلام के ईमान पर है। हसन बसरी رضي الله عنه फ़रमाते हैं: निफ़ाक़ का डर उसे है जो मोमिन है और इस मामले में निडर वह है जो मुनाफ़िक़ है। इस बाब में बाहमी जंग व जिदाल, गुनाहों पर इस्रार और तौबा न करने से भी डराया गया है क्योंकि अल्लाह तआला फ़रमाता है: وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ (वह अपने कामों पर दानिस्ता नहीं अड़े रहते) (सूरए आले इमरान, पः 3 आयतः 135)

हदीस 46:- हज़रत ज़ुबैद رضي الله عنه फ़रमाते हैं, मैंने अबू वाइल رضي الله عنه से (फ़िर्क़ए) मुरजिआ के बारे में पूछा तो उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद رضي الله عنه के हवाले से बताया, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया कि: "मुसलमान को गाली बकना फ़िस्क़ और उस से लड़ना कुफ़्र (के मुतरादिफ़) है।"

हदीस 47:- हज़रत अनस رضي الله عنه से रिवायत है कि मुझे उ़बादा बिन सामित رضي الله عنه ने बताया, रसूलुल्लाह ﷺ लोगों को शबे क़द्र के मुताल्लिक़ इत्तिलाअ करने के लिए निकले, देखा कि दो मुसलमान आपस में गुत्थम गुत्था हैं, आपने फ़रमाया: "मैं तुम्हें शबे क़द्र के बारे में आगाह करने को निकला था मगर (चूंकि) फ़ुलां और फ़ुलां आपस में लड़ रहे थे बिना बरीं (यह ख़बर दुनिया से) उठा ली गई है और शायद यही तुम्हारे हक़ में बेहतर हो, (हां) तुम शबे क़द्र को रमज़ान की सत्ताइसवीं, उन्तीसवीं और पच्चीसवीं (तारीख़) में तलाश करो।"

बाब 37:- जिब्रईल عليه السلام का रसूलुल्लाह ﷺ से ईमान, इस्लाम, एहसान और क़यामत के बारे में सवाल करना और आपका उनको जवाब देना, बाद में आपने फ़रमाया कि: "जिब्रईल عليه السلام तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे और आपने उन सबको दीन क़रार दिया (नीज़) दीन की वह बातें जो आपने (क़बीला) अब्दुल क़ैस के लोगों को बताईं और अल्लाह तआला का यह फ़रमान: "जो शख़्स इस्लाम के अलावा किसी दीन को पसंद करेगा वह क़ाबिले क़ुबूल न होगा।" (सूरए आले

इमरान, प: 3 आयत: 85)

हदीस 48:- हज़रत अबू हुरैरह ﷺ फ़रमाते हैं, एक दिन रसूलुल्लाह ﷺ लोगों के पास तशरीफ़ फ़रमा थे, इतने में एक शख़्स आया और पूछा ईमान किसे कहते हैं? फ़रमाया: "ईमान यह है कि तुम अल्लाह, उसके फ़रिश्तों, (आख़िरत में अल्लाह के) मिलने, रसूलों और बअस (बादल मौत) पर ईमान ले आओ।" दरयाफ़्त किया, इस्लाम क्या है? फ़रमाया: "इस्लाम यह है कि सिर्फ़ उसकी बन्दगी करो, किसी को उसका शरीक न ठहराओ, नमाज़ क़ायम करो, ज़कात अदा करो और रमज़ान के रोज़े रखो।" (उसने फिर) कहा एहसान का मतलब? फ़रमाया: "तुम अल्लाह की इबादत (इस हुज़ूरे क़ल्ब से) करो गोया तुम उसे देख रहे हो, अगर ऐसा नहीं तो (यक़ीन रखो) वह तुम्हें देख रहा है।" कहा, क़यामत कब क़ायम होगी? फ़रमाया: "जिस से यह पूछा जा रहा है वह पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता अल्बत्ता मैं उसकी अलामतें बताए देता हूं, जब लौंडी अपने मालिक को जन्म देने लगे, जब चरवाहे आली-शान इमारतों में क़याम पज़ीर हों (अगर ऐसा हो तो यह क़ुर्बे क़यामत की अलामात हैं) (और हां क़यामत का इल्म) उन पाँच चीज़ों में से है जिन्हें बजुज़ अल्लाह तआला के कोई नहीं जानता।" फिर आपने यह आयत पढ़ी: إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ (अल्लाह ही के पास क़यामत का इल्म है), बादे अज़ां वह शख़्स चला गया तो आपने (सहाबा ﷺ से) फ़रमाया: "उसे वापस बुलाओ लेकिन वहां कोई न था। फ़रमाया: "यह जिब्रईल ﷺ थे और लोगों को उनका दीन सिखाने आए थे।"

बाब 38:- ईमान की खुसूसियत:

हदीस 49:- अब्दुल्लाह बिन अब्बास ﷺ फ़रमाते हैं, मुझ से अबू सुफ़यान बिन हरब ﷺ ने बयान किया कि हिरक़ल ने मुझ से कहा कि मैंने तुम से पूछा था कि इस (पैग़म्बर) के पैरोकार बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं तो तुम ने कहा कि (आए दिन) इज़ाफ़ा हो रहा है और ईमान की भी यही कैफ़ियत है यहां तक कि वह दरजए कमाल को पहुंच जाए। मैंने तुम से यह भी दरयाफ़्त किया था कि कोई उसके (हल्क़ए) दीन में दाख़िल होकर फिर उसे बुरा समझते हुए कोई निकल भी जाता है? तो तुमने कहा नहीं, पस ईमान की भी यही हालत है जब उसकी ख़ुशी दिल में रच बस जाए तो फिर कोई शख़्स उसे बुरा नहीं समझता। (यानी उसे तर्क करने पर आमादा नहीं होता।)

बाब 39:- उस शख़्स की फ़ज़ीलत जो अपने दीन को क़ायम करने के लिए गुनाहों से मुज्तनिब रहे:

हदीस 50:- हज़रत नोमान बिन बशीर ﷺ फ़रमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को यह फ़रमाते सुना: "हलाल भी वाज़ेह है और हराम भी, और उन दोनों के माबैन मश्कूक (और मुश्तबह) चीज़ें हैं जिन का इल्म अक्सर लोगों को नहीं, पस जो शख़्स मुश्तबह चीज़ों से बचे उसने अपना दीन और अपनी इज़्ज़त बचा ली और जो शख़्स मुश्तबह चीज़ों में पड़ गया वह उस चरवाहे की मानिन्द है जो अपना रेवड़ शाही चरागाह के क़रीब चराए, अन्देशा है कि वह शाही चरागाह में घुस जाए। (लोगो) हर बादशाह की एक चरागाह है (इसी तरह) अल्लाह की भी चरागाह है जो उसकी ज़मीन में हराम की हुई चीज़ें हैं। आगाह रहो कि जिस्म में एक लोथड़ा गोश्त का है जब वह संवरे तो पूरा जिस्म संवर जाता है अगर वह बिगड़े तो पूरा (निज़ामे) जिस्म बिगड़ जाता है हां वह दिल है।"

बाब 40:- खुम्स का अदा करना ईमान है:

हदीस 51:- अबू जम्रह ﷺ का बयान है कि मैं हज़रत इब्ने अब्बास ﷺ के पास बैठता तो वह मुझे अपने तख़्त (ख़ास) पर बिठा लेते। उन्होंने (एक बार) मुझ से फ़रमायाः तुम मेरे पास रह जाओ, मैं तुम्हें अपने माल में से कुछ दे दूंगा। ग़र्ज़ मैं दो माह उनके पास रहा, फिर फ़रमाने लगे: (क़बीला) अब्दुल क़ैस के लोग जब रसूलुल्लाह ﷺ के पास आए तो आपने उनसे फ़रमायाः "तुम किस क़ौम के हो या किस जमाअत के हो?" बोले, हम रबीअह के ख़ानदान से हैं। फ़रमायाः "ख़ुश आमदीद" غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى फिर उन्होंने अर्ज़ किया, हम बजुज़ माहे हराम के (किसी और वक़्त) आपके पास हाज़िर नहीं हो सकते, (क्योंकि) हमारे और आपके दरमियान मुज़र्र (काफ़िर) क़बीला है, लिहाज़ा आप हमें कोई ऐसी चीज़ बता दें जो हम अपने उन साथियों को बता दें जो यहां नहीं आए और हम सब उस पर अमल पैरा होकर जन्नत में जा सकें और उन्होंने मशरूबात की बाबत भी पूछा। आपने उन्हें चार चीज़ों का हुक्म दिया और चार चीज़ों से मना फ़रमाया। उन्हें हुक्म यह दिया कि एक ख़ुदा पर ईमान लाने का और फ़रमायाः "तुम जानते हो एक ख़ुदा पर ईमान किस तरह होता है?" उन्होंने कहा, अल्लाह और रसूल बेहतर जानते हैं। फ़रमायाः "इस बात की गवाही देना कि बजुज़ अल्लाह के कोई लायक़े बन्दगी नहीं और मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के रसूल हैं।" (और उन्हें हुक्म दिया) नमाज़ पढ़ने, ज़कात देने और रमज़ान के रोज़े रखने का और यह कि माले ग़नीमत का पाँचवाँ हिस्सा (ख़ुम्स) निकाला करो और चार चीज़ों (अज़ क़िस्म मशरूबात) से मना फ़रमायाः हन्तम, दुबा, नक़ीर और मुज़फ़्फ़त या मुक़य्यर से (यह ख़ास क़िस्म के ज़ुरूफ़ हैं जिन में शराब-नोशी हुआ करती थी) आपने फ़रमायाः "इन बातों को याद कर लो और दूसरों को तालीम दो।"

बाब 41:- इस बात की वज़ाहत कि अमल का दारो मदार नियत और ख़ुलूस पर है:

हर आदमी को उसकी नियत का फल मिलेगा, बिना बरीं ईमान, वुज़ू, नमाज़, ज़कात, हज, रोज़ा और (दीगर) अहकामे (शरइया) आमाल में दाख़िल हो गए। फ़रमाने इलाही है: "ऐ नबी कह दो हर शख़्स अपने तरीक़े यानी नियत के मुताबिक़ अमल करता है (हत्ता कि) अपनी ज़ौजा का नान नफ़क़ा देना भी सवाब की नियत से हो तो सदक़ा है।" और फ़रमाने रसूल है: "(फ़तह मक्का के बाद अब हिजरत नहीं) लेकिन जिहाद और नियत बाक़ी है।"

हदीस 52:- हज़रत उमर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "आमाल का इन्हेसार नियत पर है, हर एक के लिए वही है जिस की उसने नियत की। पस जो कोई अल्लाह व रसूल के लिए अपना घर-बार छोड़े तो उसकी हिजरत अल्लाह व रसूल के लिए होगी और जो कोई जल्बे मन्फ़अत और किसी औरत से निकाह के लिए हिजरत करेगा तो उसकी हिजरत उन्हीं कामों के लिए शुमार होगी।"

हदीस 53:- हज़रत अबू मस्ऊद ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "जो शख़्स अपने घर वालों पर सवाब की नियत से ख़र्च करे वह उसके लिए सदक़ा ही समझा जाएगा।"

हदीस 54:- सअद बिन अबी वक़्क़ास ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "जो कुछ तुम ख़ुदा की ख़ुश-नूदी के हुसूल के लिए ख़र्च करोगे उसका तुम्हें अज्र मिलेगा हत्ता कि बीवी के मुंह में लुक़्मा भी डालो (तो सवाब पा लोगे)

बाब 42:- फ़रमाने नबवी कि दीने ख़ुदा, रसूल, अइम्मए मुस्लिमीन और आम्मा मुस्लिमीन के लिए ख़ैर ख़्वाही का नाम है और अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि: "जब वह अल्लाह व रसूल की ख़ैर ख़्वाही में रहें।" (सूरए अत तौबह, पः 9 आयतः 91)

हदीस 55:- जरीर बिन अब्दुल्लाह अल बख़ल्ली ﷺ से रिवायत है, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ के हाथ पर नमाज़ पढ़ने, ज़कात देने और हर मुसलमान की ख़ैर चाहने की बैअत की।

हदीस 56:- ज़ियाद बिन इलाक़ह कहते हैं कि जिस दिन मुग़ीरह बिन शुअबह ﷺ का इन्तिक़ाल हुआ, उस दिन मैंने जरीर बिन अब्दुल्लाह ﷺ से सुना वह खड़े हुए, खुदा तआला की हम्दो सना की और कहा तुम पर खुदा-तरसी, वक़ार और मुतमानत लाज़िम है, यहां तक कि अमीर तुम्हारे पास आ जाए और तुम्हारा अमीर अभी आया चाहता है। फिर कहा तुम अपने (वफ़ात पाने वाले) अमीर के लिए (खुदा से) मग़फ़िरत चाहो क्योंकि वह खुद (क़ुसूर) बख़्श देने को पसंद करते थे। फिर बोले, इसके बाद तुम्हें मालूम हो कि मैं रसूलुल्लाह ﷺ के पास आया और दरख़्वास्त पेश की कि इस्लाम पर बैअत करना चाहता हूं। आपने मुझे मुसलमान रहने और मुसलमानों की ख़ैर ख़्वाही की ज़मानत चाही पस उसी पर मैं आप से बैअत हुआ। क़सम उस मस्जिद के रब की मैं तुम्हारा ख़ैर ख़्वाह हूं, फिर आपने इस्तिग़फ़ार किया और (मिंम्बर से) उतर आए।

इल्म का बयान

बाब 43:- इल्म की फ़ज़ीलत (के मुताल्लिक़) अल्लाह तआला का इरशाद है: "जो लोग तुम में से ईमान लाए और उन्हें इल्म अता हुआ अल्लाह तआला उनके दरजात बुलन्द कर देगा और अल्लाह तुम्हारे हर किए से बा-ख़बर है।" और (यह दुआ कि) "ए मेरे परवरदिगार! मेरे इल्म में इज़ाफ़ा कर।"

बाब 44:- जिस शख़्स से कोई इल्मी (मस्अला) पूछा जाए और वह गुफ़्तगू में मशगूल हो तो पहले अपनी बात पूरी करे और फिर साइल को जवाब दे।

हदीस 57:- हज़रत अबू हुरैरह ﷺ फ़रमाते हैं, एक मरतबा रसूलुल्लाह ﷺ लोगों में बैठे बातें कर रहे थे। इतने में एक आराबी आया और उसने दरयाफ़्त किया क़यामत कब आएगी? रसूलुल्लाह ﷺ ने अपनी बात जारी रखी, उस पर बाज़ लोगों ने कहा आपको आराबी की बात पसंद न थी इस लिए सुनी अन सुनी कर दी, बाज़ का ख़्याल था कि आपने उसकी बात सुनी ही नहीं। जब आप अपनी बात मुकम्मल कर चुके तो फ़रमायाः "कहां है (मैं समझता हूं कि आपने ऐसे ही फ़रमाया) क़यामत के बारे में पूछने वाला?" साइल बोला मैं हूं या रसूलल्लाह! फ़रमायाः "जब अमानतों का ज़ियाअ आम हो जाए तो क़यामत को क़रीब समझो।" उसने कहा अमानत के ज़ियाअ का क्या मतलब? फ़रमायाः "जब ज़िम्मेदारियां ना-अहलों को सौंप दी जाएं तो क़यामत का इन्तिज़ार करो।"

बाब 45:- जो शख़्स इल्म के बयान में अपनी आवाज़ बुलन्द करेः

हदीस 58:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र ﷺ फ़रमाते हैं, एक सफ़र में जो हमने (इकट्ठे) किया था, उस में रसूलुल्लाह ﷺ हम से बिछड़ गए। आप हमसे उस वक़्त मिले जब नमाज़ का वक़्त तंग हो रहा था और हम जल्द जल्द वुज़ू कर रहे थे और पांव पर पानी बस मल ही रहे थे। आपने

फ़रमाया और बुलंद आवाज़ से फ़रमाया: "एड़ियों की ख़राबी दोज़ख़ से होने वाली है।"

बाब 46:- मुहद्दिस का यूं कहना कि "हम से बयान किया" "हमें ख़बर दी" "हमें बतलाया" हुमैदी ने कहा कि इब्ने उयैनह के नज़्दीक हम से बयान किया, हमें ख़बर दी, हमें बताया और मैंने सुना इन सब अल्फ़ाज़ का एक ही मतलब है। इब्ने मसऊद رضی اللہ عنہ फ़रमाते हैं, हम से रसूलुल्लाह ﷺ ने बयान किया और आप सच्चे थे जो आपसे कहा गया वह भी दुरुस्त था और शक़ीक़ ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद رضی اللہ عنہ से नक़्ल किया, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से यह बात सुनी और हुज़ैफ़ह رضی اللہ عنہ ने कहा, हम से रसूलुल्लाह ﷺ ने दो हदीसें बयान कीं। अबुल आलियह ने इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہما और उन्होंने नबी करीम ﷺ से रिवायत की जो वह अपने रब से रिवायत करते हैं। हज़रत अनस رضی اللہ عنہ ने नबी करीम ﷺ से रिवायत की जो वह अपने रब से रिवायत करते हैं और हज़रत अबू हुरैरह رضی اللہ عنہ ने नबी करीम ﷺ से रिवायत की जो वह अपने रब तबारक व तआला से रिवायत करते हैं।

हदीस 59:- इब्ने उमर رضی اللہ عنہما से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने (सहाबा رضی اللہ عنہم से) फ़रमाया: "दरख़्तों में से एक दरख़्त है जिस के पत्ते नहीं झड़ते और मुसलमान की मिसाल भी ऐसी ही है, तुम मुझे बताओ वह कौन दरख़्त है? लोगों ने जंगली दरख़्तों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अब्दुल्लाह (इब्ने उमर رضی اللہ عنہما) फ़रमाते हैं, मेरे ज़हन में आ गया कि वह खजूर का दरख़्त है मगर मैंने अज़राहे शर्म (कि वहां अकाबिर मौजूद थे) न बताया, बिल-आख़िर सहाबा رضی اللہ عنہم बोले या रसूलल्लाह! आप ही बताइए। फ़रमाया: "वह खजूर का दरख़्त है।"

बाब 47:- इल्मी आज़माइश के तौर पर इमाम का अपने साथियों से सवाल करना:

हदीस 60:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर رضی اللہ عنہما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "दरख़्तों में एक दरख़्त ऐसा है जिस पर पत-झड़ नहीं आता और वह मुसलमान की मानिन्द है, मुझे बताओ वह कौन दरख़्त है? इब्ने उमर رضی اللہ عنہما का कहना है कि लोगों का ध्यान जंगली दरख़्तों की तरफ़ चला गया। अब्दुल्लाह (इब्ने उमर رضی اللہ عنہما) फ़रमाते हैं, मेरे ज़हन में आ गया कि (हो न हो) खजूर का दरख़्त है मगर हया (आड़े) आई आख़िर-कार सहाबा किराम رضی اللہ عنہم ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! आप ही बतलाइए वह कौन दरख़्त है। फ़रमाया: "खजूर।"

बाब 48:- मुहद्दिस के रूबरू हदीस पढ़ना और पेश करना:

इमाम हसन (बसरी) (सुफ़यान) सौरी और (इमाम) मालिक ने हदीस पढ़ने को जाइज़ रखा। बाज़ अइम्मए हदीस ने आलिम के सामने हदीस पढ़ने की दलील हज़रत ज़माम बिन सअलबह رضی اللہ عنہ की हदीस से ली है। उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ से अर्ज़ किया, क्या अल्लाह तआला ने आपको हुक्म दिया है कि हम नमाज़ पढ़ें? आपने इस्बात में जवाब दिया पस यही रसूलुल्लाह ﷺ के सामने पढ़ना ठहरा। ज़माम ने अपनी जमाअत को बताया और उन्होंने उसे काफ़ी समझा। इमाम मालिक ने सक से दलील ली है जो पढ़ कर लोगों को सुनाई जाती है तो हाज़िरीन कहते हैं हमें फ़ुलां शख़्स ने पढ़ कर सुनाया और उस्ताद के सामने पढ़ी जाती है तो पढ़ने वाला कहता है कि मुझे फ़ुलां शख़्स ने पढ़ाया।

हदीस 61:- हज़रत हसन बसरी رضی اللہ عنہ से रिवायत है, फ़रमाया कि आलिम के सामने पढ़ने में कोई हर्ज नहीं और उबैदुल्लाह बिन मूसा ने सुफ़यान से नक़्ल किया, वह कहते थे जब कोई मुहद्दिस के सामने

हदीस पढ़ कर सुनाए तो कुछ क़बाहत नहीं अगर वह हद्दसनी कहे। (मुहम्मद बिन सलाम का कहना है) कि मैंने अबू आसिम से सुना, वह मालिक और सुफ़यान के हवाले कहते थे कि आलिम के सामने पढ़ना या खुद आलिम का पढ़ना दोनों बराबर हैं।

हदीस 62:- हज़रत अनस बिन मालिक ؓ फ़रमाते हैं, हम मस्जिद में रसूलुल्लाह ﷺ के साथ बैठे हुए थे। एक शुत्र सवार आया और उसने अपने ऊँट को मस्जिद में बिठाया और वहीं बांध दिया। फिर बोला तुम में मुहम्मद (ﷺ) कौन हैं? जबकि आप तकिया लगाए बैठे थे। हम ने कहा तकिया लगाए सीमीं बदन शख़्स (मुहम्मद ﷺ) हैं। बोला, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे! आप ने फ़रमाया: "कहो।" कहने लगे, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं और पूछने में सख़्ती बरतूंगा, आप बुरा न मानइएगा। फ़रमाया: "जो जी में आए।" तब वह बोला, मैं आपको आपके परवरदिगार और आपसे पहले लोगों के परवरदिगार की क़सम है क्या अल्लाह ने वाक़ई आपको सब के लिए मब्ऊस किया है? आपने फ़रमाया: "हां ऐ मेरे अल्लाह।" फिर बोला, मैं आपको अल्लाह की क़सम देता हूं क्या अल्लाह ने दिन रात में पाँच नमाज़ों का हुक्म दिया है? फ़रमाया: "हां अल्लाह जानता है।" फिर कहा, मैं आपको अल्लाह की क़सम देकर पूछता हूं क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि हम साल में इस महीने के रोज़े रखा करें? फ़रमाया: हां खुदा गवाह है। फिर कहा, मैं आपको अल्लाह की क़सम देकर पूछता हूं क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि आप मालदारों से सदक़ा लें और उसे हमारे मुहताजों में बांट दें? आपने फ़रमाया: "हां खुदा शाहिद है।" बादे अज़ां वह बोला, मैं इस पर ईमान लाया जो आप लाए, मैं अपनी क़ौम जो मेरे पीछे है का फ़रिस्तादा हूं और क़बीला सअद बिन बकर में से ज़माम बिन सअलबह ؓ हूं जो बनू सअद बिन बकर के भाई हैं।

इसकी मूसा और अली बिन अब्दुल हमीद, सुलैमान, साबित, हज़रत अनस ؓ ने नबी करीम ﷺ से रिवायत की है।

हदीस 63:- हज़रत अनस ؓ फ़रमाते हैं, हमें तो अज़-रूए क़ुरआन हुज़ूर से मसाइल दरयाफ़्त करना मना कर दिया गया था (बिना बरीं) हमारी ख़्वाहिश होती थी कि कोई आराबी आए और कुछ पूछे और हम सुनते रहें। (एक दिन) एक आदमी आया, वह बोला हमारे पास आप का क़ासिद पहुंचा, उसने हमें बताया कि आप कहते हैं खुदा ने मुझे पैग़म्बर बनाया। आपने फ़रमाया: "उसने सच कहा।" वह बोला, आसमान किस ने बनाया? आपने फ़रमाया: "अल्लाह ने।" उसने कहा, ज़मीन किस ने बनाई और पहाड़ किस ने बनाए? फ़रमाया: "अल्लाह तआला ने।" वह कहने लगा, पहाड़ों में मुनाफ़ा किस ने रखे? फ़रमाया: "अल्लाह ने।" तब उसने कहा, आपको क़सम उस ज़ात की जिस ने आसमान, ज़मीन और पहाड़ बनाए क्या अल्लाह ने आपको पैग़म्बर बनाया? आपने फ़रमाया: "हां।" उसने कहा, आपके एलची ने हमें बताया था कि हम पर पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ हैं और हमारे मालों में ज़कात है? आपने फ़रमाया: "उसने दुरुस्त कहा।" उसने कहा, आपके क़ासिद ने बताया कि हम पर साल में एक महीने के रोज़े हैं। फ़रमाया: उस सच कहा। उसने कहा, आपको उसकी क़सम जिस ने आप को पैग़म्बर बनाया वाक़ई अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है? फ़रमाया: "हां।" उसने कहा, कि आपके क़ासिद ने बताया कि हम पर बैतुल्लाह का हज करना ज़रूरी है जिस को उसकी तरफ़ तौफ़ीक़ हों। फ़रमाया कि सच कहा। उसने कहा, मुझे उसकी क़सम जिस ने आपको हक़ के साथ भेजा मैं इन बातों में न कुछ इज़ाफ़ा करूंगा

न कमी। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अगर यह सच कहता है तो बिला शुब्हा जन्नत में जाएगा।"

फ़ायदा:- मालूम हुआ कि अगर मज़्कूरा चन्द फ़राइज़ का भी आदमी पूरी तरह पाबन्द हो जाए तो यह उमूर भी नजात के लिये काफ़ी हो जाते हैं क्योंकि एक साहिबे ईमान के लिये यह इस्लाम के अहम तरीन अरकात हैं। अक़ाइद के बाद यह उमूर दीगर तमाम आमाले हसना से ज़्यादा अहम हैं इस ज़माने में मामला बड़ी हद तक मुख़्तलिफ़ हो गया है कि इन अरकान की अहमियत को नज़र अंदाज़ कर दिया गया है। अवाम तो फिर अवाम हैं लेकिन ख़्वास के ज़ुमरे में शामिल होने वाले इन अरकान की अहतियम को नज़र अंदाज़ किये रखते हैं और इस सिलसिले में बड़ी सहल पसन्दी से काम लेते हैं जबकि बाज़ इन्तिहाई सानवी और ग़ैर ज़रूरी उमूर का बड़ा एहतमाम मल्हूज़ रखा जाता है हालांकि दीगर आमाल व अश्ग़ाल पर मज़्कूरा कामों को फ़ौक़ियत देना ज़रूरी है। अल्लाह तआला हर साहिबे ईमान को इन उमूर की कमा-हक़्हु पाबन्दी करने की तौफ़ीक़ मर्हमत फ़रमाए। आमीन।

बाब 49:- मनावलह और अहले इल्म का इल्मी बातें लिख कर शहरों में भेजने का बयान:

हज़रत अनस रज़ि० का कहना है कि हज़रत उस्मान रज़ि० ने मसाहिफ़ लिखवाए और दूसरे मुल्कों को भिजवाए। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि०, यहया बिन सईद और इमाम मालिक ने भी उसे जाइज़ समझा है। बाज़ हिजाज़ी उल्मा ने (मनावलह के ज़िम्न में) रसूलुल्लाह ﷺ की इस हदीस को अपने इस्तिदलाल की बुन्याद बनाया है। जब आपने सालारे लश्कर के लिए एक ख़त लिखा और फ़रमाया: "उसे जब तक फ़ुलां जगह न पहुंचो, न पढ़ना।" जब वह मत्लूबा मक़ाम पर पहुंचा तो लोगों के रूबरू उसे पढ़ दिया और रसूलुल्लाह ﷺ का हुक्म सब को बता दिया।

हदीस 64:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने एक ख़त किसी के सिपुर्द किया कि उसे बहरैन के हाकिम को पहुंचा दे। हाकिमे बहरैन ने वह ख़त किसरा (परवेज़) को भेज दिया, जब किसरा ने उसे पढ़ा तो उसको फाड़ डाला। (इब्ने शहाब जो इस हदीस के रावी हैं कहते हैं) कि मेरा ख़्याल यह है कि इब्ने मुसय्यब रज़ि० ने मुझ से कहा कि रसूलुल्लाह ने उन लोगों को बद्दुआ दी कि वह टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं।

फ़ायदा:- शाहे ईरान ने रसूलुल्लाह ﷺ के नामए मुबारक को अहमियत न दी और उसे फाड़ कर शाने रिसालत की तौहीन का इर्तिकाब किया तो रसूलुल्लाह ﷺ की दुआ के मुताबिक़ परवरदिगारे आलम ने उस की सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दिये और किसरा की फ़ौजों को हर मैदान में ग़ाज़ियाने इस्लाम के हाथों ज़िल्लत आमेज़ और इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस हदीस से इस्लाम के पर्दे में छुपे हुए गुस्ताख़ाने रसूल को सबक़ हासिल करना चाहिये कि रसूलुल्लाह ﷺ के ज़िक्र को मिटाने वाले हत्ता कि क़ैसर व किसरा जैसी सुपर पावर सल्तनतें तक मिट गईं तो कोई दूसरा किस शुमार में है जबकि:

मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे अअ़दा तेरे
न मिटा है, न मिटेगा कभी चर्चा तेरा!

हदीस 65:- हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने एक ख़त (रूम या ईरान के बादशाह को) लिखा तो आपको बतलाया गया कि वह लोग (सिर्फ़) वही ख़त पढ़ते हैं जिस पर

मुहर सब्त हो, तो आपने चाँदी की एक अंगूठी बनवाई और उस पर यह कुंदा था "मुहम्मद रसूलुल्लाह" अनस ﷺ कहते हैं गोया मैं उस अंगूठी की चमक (अब भी) आपके हाथों में देख रहा हूं। मैं (शुअबह) ने क़तादा से कहा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किस ने लिखा था? फ़रमाया कि हज़रत अनस ने।

फ़ायदा:- रसूलुल्लाह ﷺ की अंगूठी मुबारक के मुतल्लिक़ हज़रत अनस ﷺ ने फ़रमाया कि आपके दस्ते मुबारक में गोया मैं अब भी उसकी सफ़ेदी देख रहा हूं।" तसव्वुरे शैख़ जिस को तसव्वुफ़ की इस्तिलाह में शुग़ले बरज़ख़ कहते हैं, उसकी अस्ल भी ऐसी ही अहादीस हैं। मालूम हुआ कि सहाबए किराम ﷺ की तवज्जुह रसूलुल्लाह ﷺ की तरफ़ मबज़ूल रहती थी यानी:

उनकी धुन, उनकी लगन, उनकी तमन्ना, उनकी याद
मुख़्तसर सा है मगर काफ़ी है सामाने हयात!

बाब 50:- उस शख़्स का बयान जो मज्लिस के अख़ीर में बैठे या जो मज्लिस के दरमियान जगह पाए और बैठ रहे:

हदीस 66:- अबू वाक़िद लैसी ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ मस्जिद में तशरीफ़ फ़रमा थे और लोग भी मौजूद थे, ऐसे में तीन आदमी आए। उन में दो तो रसूलुल्लाह ﷺ के पास आ गए और एक चल दिया। (अबू वाक़िद ﷺ) कहते हैं कि वह दोनों कुछ देर रसूलुल्लाह ﷺ के पास ठहरे, फिर उन में से एक ने मज्लिस में गुंजाइश देखी और वह वहां बैठ गया और दूसरा मज्लिस के आख़िरी सिरे पर बैठ गया और तीसरा वापस चला गया। जब रसूलुल्लाह ﷺ (ख़ुत्बे से) फ़ारिग़ हुए तो फ़रमाया: "क्या मैं तुम्हें उन तीनों के हाल से आगाह न करूं, उन में से एक अल्लाह की तरफ़ मुतवज्जह हुआ और अल्लाह ने उसको जगह दे दी, दूसरा (ज़रा) शर्माया तो अल्लाह ने भी हया की और तीसरे ने मुंह फेरा और अल्लाह ने भी उस से मुंह फेर लिया।"

बाब 51:- इरशादे नबवी कि "बसा औक़ात वह शख़्स जिस तक मेरी बात पहुंचे वह उसकी निस्बत ज़्यादा याद रखने वाला होता है जिस ने (ख़ुद) मुझ से सुना।"

हदीस 67:- हज़रत अबू बकरह ﷺ फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ अपने ऊँट पर सवार थे, एक आदमी ऊँट की नकेल थामे हुए था। आपने दरयाफ़्त फ़रमाया: "आज कौन सा दिन है?" हम चुप रहे यहां तक कि हमारा ख़्याल था कि आप उसका कोई और नाम बताएंगे, फिर आप गोया हुए: "क्या यह क़ुर्बानी का दिन नहीं?" हम बोले हां। (फिर) आपने पूछा: "यह कौन महीना है?" हम ख़ामोश रहे यहां तक कि शायद उसका दूसरा नाम बताएं। आपने फ़रमाया: "क्या यह ज़ुल हिज्जह नहीं है?" हम अर्ज़ परदाज़ हुए हां! (बादे अज़ां) आपने फ़रमाया: "तुम्हारे ख़ून, माल और आबरू आपस में तुम्हारे लिए ऐसे ही हराम हैं जैसे आज के दिन इस महीने और इस शहर में हराम हैं (तुम में) जो यहां है वह उसे बता दे जो यहां नहीं है शायद वह (तुम्हारी ब-निस्बत) उसे ज़्यादा याद रखे।"

बाब 52:- इल्म, क़ौल और अमल पर मुक़द्दम है:

इसकी दलील अल्लाह तआला का (यह) इरशाद है: "जान लो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं" (मालूम हुआ) अल्लाह ने इल्म से आग़ाज़ किया है।" और उलमा ही अंबिया के वारिस ठहरे हैं, उन्होंने इल्म को बतौरे विरसा पाया। जिस ने इल्म हासिल किया उसने बड़ी दौलत पाली, जो हुसूले इल्म के लिए किसी राह पर चले अल्लाह उस के लिए जन्नत की राह आसान कर देता है। इरशादे ख़ुदा-वन्दी

है: "ख़ुदा-तरस वह हैं जो इल्म वाले हैं।" और फ़रमाया है: "उसको उलमा के अलावा कोई नहीं समझता।" और फ़रमाया है: "वह कहते हैं काश हम सुनते और समझते होते तो दोज़ख़ियों में से न होते।" और फ़रमाया: "क्या आलिम और जाहिल बराबर हैं।" इरशादे नबवी है: "अल्लाह जिस का भला चाहता है उसे दीन की फ़हम बख़्शता है और दीन तो सीखने ही से आता है।" हज़रत अबूज़र ﷺ कहते हैं कि तुम मेरी गर्दन (इशारह करते हुए) पर तलवार रख दो लेकिन मुझे मालूम हो कि तलवार चलाने से पहले मैं कोई बात जो रसूलुल्लाह ﷺ से सुनी हो उसे बयान कर सकता हूं तो ज़रूर बयान करूंगा और फ़रमाने नबवी - لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ भी (इज़्हारे इल्म की तरफ़ इशारा है) इब्ने अब्बास ﷺ फ़रमाते हैं कि كُونُوا رَبَّانِيِّينَ से हुकमा और उलमा और फ़ुक़हा (मुराद हैं) और कहा गया है कि आलिमे रब्बानी वह है जो इल्म की बड़ी बातों से पहले छोटी और मुख़्तसर बातें बताए।

बाब 53:- वक़्त और मौक़ा की मुनासिबत से रसूलुल्लाह ﷺ का लोगों को वअज़ व नसीहत करना ताकि वह उकता न जाएं:

हदीस 68:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद ﷺ फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने वअज़ व नसीहत के लिए कुछ दिन मुक़र्रर कर रखे थे कि कहीं हम उकता न जाएं।

फ़ायदा:- मालूम हुआ कि लोगों के हालात को मद्दे नज़र रख कर उनकी सहूलत का ख़्याल रखा जाए और वअज़ व तक़रीर का सिलसिला इतना दराज़ न किया जाए और इस दरजा न किया जाए कि लोग उकता जाएं। कोशिश यह की जाए कि लोग दीन की तरफ़ राग़िब हों और उस में दिलचस्पी लेने लगें। ऐसा बिल्कुल न किया जाए कि वह उकता कर परे हटने लगें। साथ ही यह भी मालूम हुआ कि सहूलत आसानी की ख़ातिर अगर कोई दिन मुक़र्रर कर लिया जाए तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है। ख़्वाह उस के मुताल्लिक़ अल्लाह और उसके रसूल ने कोई दिन मुक़र्रर न किया हो। यहां इतना ही काफ़ी होगा कि अल्लाह और रसूल ने किसी काम के लिये सहूलत की ख़ातिर कोई दिन मुक़र्रर कर लेने को मना नहीं फ़रमाया है लेकिन यह ख़्याल रहे कि उस दिन मुक़र्रर करने को महज़ मुबाह या जाइज़ ही समझे और शरअन ज़रूरी ख़्याल न करे वरना जाइज़ नहीं रहेगा। वल्लाहु तआला आलम।

हदीस 69:- हज़रत अनस ﷺ से रिवायत है, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमया: "(दीन में) आसानी पैदा करो, सख़्ती न बरतो, लोगों को ख़ुश ख़बरी सुनाओ, उन्हें मुतनफ़्फ़र न करो।"

बाब 54:- जो शख़्स तालिबाने इल्म के लिए कुछ दिन मुक़र्रर करे:

हदीस 70:- हज़रत अबू वाइल ﷺ फ़रमाते हैं कि अब्दुल्लाह (बिन मसऊद) ﷺ हर जुमेरात को लोगों में वअज़ करते। उनसे एक शख़्स ने कहा, अबू अब्दुर्रहमान! मेरी ख़्वाहिश है कि आप हमें हर रोज़ वअज़ किया करें। फ़रमाया: रोज़ाना वअज़ में यह अम्र मानेअ है कहीं तुम उकता न जाओ और मैंने तुम्हारी नसीहत के लिए इसी तरह मुक़र्रर किया है जिस तरह रसूलुल्लाह ﷺ ने लोगों को वअज़ के लिए वक़्त मुक़र्रर किया हुआ था कि कहीं हम उकता न जाएं।

बाब 55:- अल्लाह तआला जिस का भला चाहता है उसे दीन की समझ अता कर देता है:

हदीस 71:- हुमैद बिन अब्दुर्रहमान ﷺ रिवायत करते हैं कि मैंने हज़रत मुआवियह ﷺ को दौराने ख़ुत्बा यह कहते सुना कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को यह फ़रमाते हुए सुना कि: "अल्लाह जिस

का भला चाहता है उसे दीन की फ़हम बख़्श देता है, मैं तो (महज़) बांटने वाला हूं देने वाला तो अल्लाह है, यह उम्मत हमेशा अल्लाह के कलिमा पर क़ायम रहेगी कोई मुख़ालिफ़ इन्हें ज़िरर (नुक़सान) न पहुंचा सकेगा यहां तक कि क़यामत आ जाए।"

फ़ायदा:- यहां चार बातों का मल्हूज़े ख़ातिर रखना ज़रूरी है। पहली बात यह कि हज़रत मुआविया भी दीगर जुम्ला सहाबए किराम की तरह सिक़ा और क़ाबिले ताज़ीम हैं। अगर वह ऐसे न होते तो इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाहि अलैहि उनकी रिवायत को क़ुबूल न करते। दूसरी बात यह कि फ़िक़ह (दीन की सूझ बूझ) अल्लाह तआला उसी को अता फ़रमाता है जिसकी भलाई मंज़ूर होती है, फ़िक़ह से चिढ़ना गोया ख़ुद को भलाई से महरूम रखना है। तीसरी बात यह कि हर चीज़ का देने वाला रब्बुल इज़्ज़त है क्योंकि मालिक वही है लेकिन रहमते दो आलम को उस ने नेअमतें बांटने वाला बनाया है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस ख़ुदादा मक़ाम व मन्सब का इन्कार करने में जहां मक़ामे मुस्तफ़ा की तौहीन है वहां इस में ख़ुदा की तौहीन भी है कि मुन्किर ख़ुदा के उस करम का इन्कार कर रहा है जो उस ने अपने महबूब पर फ़रमाया हुआ है। चौथी बात यह है कि इस उम्मत में चाहे जितने फ़िरक़े पैदा हो जाएं लेकिन हक़ पर एक जमाअत ज़रूर क़ायम रहेगी और बातिल फ़िरक़े ख़्वाह जितना ज़ोर बांध लें लेकिन अहले हक़ की उस जमाअत को ख़त्म नहीं कर सकेंगे। वह जमाअत औलिया अल्लाह की है जो सिर्फ़ अहले सुन्नत व जमाअत में हुए हैं और क़यामत तक उसी में होंगे। इस नाजी गिरोह और मुसलमानों के सवादे आज़म को गुमराह फ़िरक़ों ने बरेलवी फ़िरक़े का नाम दिया हुआ है ताकि अहले हक़ को भी नौज़ायदा फ़िरक़ों में से एक बता कर लोगों के दिलों में उसके ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा कर सकें। अल्लाह तआला सब को सच्ची हिदायत से नवाज़े। आमीन।

बाब 56:- इल्म की सूझ बूझ:

हदीस 72:- मुजाहिद का बयान है कि मैं मदीना तक अब्दुल्लाह बिन उमर के साथ रहा (इस दौरान) उन से रसूलुल्लाह की एक ही हदीस सुनी। उन्होंने फ़रमाया कि हम रसूलुल्लाह के हमराह थे, इतने में एक शख़्स खजूर का गाभा लाया तो आप बोले: "दरख़्तों में एक दरख़्त ऐसा है कि वह मुसलमान की मानिन्द है।" (इब्ने उमर फ़रमाते हैं) दिल चाहा कि कह दूं कि वह खजूर का दरख़्त है लेकिन मैं सबसे कम उम्र था इस लिए ख़ामोश रहा तो रसूलुल्लाह ने (ख़ुद) बता दिया कि वह खजूर का दरख़्त है।

बाब 57:- इल्म व हिकमत में रश्क करना:

हज़रत उमर फ़रमाते हैं कि पेशवा बनने से पहले इल्म हासिल कर लो। अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी) फ़रमाते हैं सरदार बनाए जाने के बाद भी (क्योंकि) असहाबे रसूल बूढ़े होने के बाद भी हुसूले इल्म में लगे रहे।

हदीस 73:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह ने फ़रमाया: "रश्क बजुज़ दो आदमियों के किसी पर जाइज़ नहीं, उस शख़्स पर जिसे ख़ुदा ने माल दिया हो और वह उस माल पर उन लोगों को क़ुदरत दे जो उसे (राहे) हक़ में सर्फ़ करें, और उस शख़्स पर जिसको अल्लाह ने इल्म अता फ़रमाया और वह उसके ज़रिए फ़ैसले करता और (लोगों को) तालीम देता हो।"

बाब 58:- हज़रत मूसा का दरिया में हज़रत ख़िज़्र के पास जाने का

वाकिआ और अल्लाह तआला का (हज़रत मूसा का) कौल (नक़्ल करना) "क्या मैं तुम्हारे साथ रहूं कि तुम मुझे इल्म सिखाओ।" (14:66)

हदीस 74:- उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह का बयान है कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास और हुर बिन कैस बिन फ़ज़ारी ने हज़रत मूसा के हमसफ़र के बारे में इख़्तिलाफ़ात किया। इब्ने अब्बास का कहना है कि वह ख़िज़्र हैं, उबइ बिन कअब का अचानक उन दोनों पर गुज़र हुआ, तो इब्ने अब्बास ने उन्हें बुलाया और कहा, मेरे और मेरे दोस्त के दरमियान मूसा के हमसफ़र के बारे में इख़्तिलाफ़े राए है जिनसे मिलने का रास्ता मूसा ने (अल्लाह तआला से) पूछा था, क्या आपने रसूलुल्लाह से इस बारे में सुना है। उन्होंने कहा, हां मैंने रसूलुल्लाह को फ़रमाते हुए सुना कि मूसा एक मर्तबा बनी इस्राईल में तशरीफ़ रखते थे। एक शख़्स आया और उसने आप से पूछा क्या आपको ऐसे शख़्स के बारे में इल्म है जो आप से ज़्यादा आलिम हो? आपने कहा, नहीं। (इतने में) अल्लाह तआला ने वही फ़रमाई हमारा एक बन्दा है "ख़िज़्र" (जो तुम से ज़्यादा आलिम है) मूसा ने अल्लाह तआला से उम से मिलने का रास्ता पूछा तो अल्लाह तआला ने मछली को उनके लिए अलामत बना दिया और उन्हें बता दिया गया कि जब तुम मछली न पाओ तो लौट आना, उनसे मुलाक़ात हो जाएगी। पस मूसा उनसे मुलाक़ात को चल पड़े और मछली के (बताए हुए) निशान पर रवाना हुए। (एक जगह) मूसा के ख़ादिम ने कहा क्या आपने देखा है कि जब हम पत्थर के पास बैठे थे तो मैं मछली को भूल गया और शैतान ही ने मुझ पर निस्यान तारी कर दिया। मूसा फ़रमाने लगे: हमें उसी जगह की तलाश थी, वह (उल्टे पावं) अपने क़दमों के निशान पर लौटे, तब उनकी हज़रत ख़िज़्र से मुलाक़ात हुई, फिर वही माजरा हुआ जो अल्लाह तआला ने अपनी किताब (कुरआने मजीद) में बयान किया।

बाब 59:- इरशादे नबवी: "ऐ मेरे अल्लाह! उसे अपनी किताब का इल्म अता फ़रमा:

हदीस 75:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह ने मुझे (अपने सीने से) चिम्टा लिया और कहा: "ऐ अल्लाह! इसको अपनी किताब (कुरआने मजीद) का इल्म अता फ़रमा।"

फ़ायदा:- मालूम हुआ कि बुज़ुर्गों के जिस्म से किसी चीज़ का लगना बाइसे बरकत है और हज़रत इब्ने अब्बास बड़े ख़ुश नसीब थे कि रसूलुल्लाह ने उन्हें अज़-राहे शफ़क़त सीने से लगा लिया था। यह तो परवरदिगारे आलम ही जाने कि उसके महबूब ने अपने चचाज़ाद भाई को सीने से चिम्टा कर क्या अता फ़रमाया? यानी वह जानें जिन्होंने अता फ़रमाया और जिन्होंने उनके दरियाए करम से ख़ुसूसी इक्तिसाबे फ़ैज़ किया। यह रहमते दो आलम की उसी दुआ का असर था कि हज़रत इब्ने अब्बास को हर दौर में रईसुल मुफ़स्सिरीन माना गया है। वल्लाहु तआला आलम।

बाब 60:- बच्चे का किस उम्र में (हदीस) सुनना सहीह (और लायके एतेमाद) है:

हदीस 76:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फ़रमाते हैं, मैं एक गधी पर सवार होकर निकला, मैं उस वक़्त सिने बुलूग़ को पहुंचने वाला था और रसूलुल्लाह मिना में बग़ैर किसी

दीवार (आड़) के नमाज़ पढ़ रहे थे। मैं किसी सफ़ के आगे से गुज़रा और गधी को छोड़ दिया, वह चरती रही और मैं सफ़ में शामिल हो गया, मुझे (किसी ने) नहीं रोका।

हदीस 77:– महमूद बिन रबीअ रज़ि॰ फ़रमाते हैं, मुझे अभी तक याद है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने मेरे मुंह में कुल्ली की थी और मैं पाँच साल का था।

बाब 61:– हुसूले इल्म के लिए घर से निकलना:

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि॰ एक हदीस जानने की ग़र्ज़ से एक माह का सफ़र करके अब्दुल्लाह बिन उनैस रज़ि॰ के पास गए थे।

हदीस 78:– हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि उनका और हुर बिन क़ैस बिन हिस्न फ़ज़ारी रज़ि॰ का मूसा अलै॰ के साथी के बारे में इख़्तिलाफ़े राए था। इत्तिफ़ाक़न उबइ बिन कअब रज़ि॰ का उन दोनों के पास से गुज़र हुआ तो उन्हें इब्ने अब्बास रज़ि॰ ने बुलाया और कहा मेरा और मेरे दोस्त का मूसा अलै॰ के साथी के बारे में इख़्तिलाफ़े राए है, जिन से मिलने का रास्ता मूसा अलै॰ ने (अल्लाह तआला से) पूछा था। क्या आपने (इस सिलसिले में) रसूलुल्लाह ﷺ से कुछ सुना था? उबइ रज़ि॰ बोले, हां रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते सुना कि मूसा अलै॰ बनी इस्राईल की एक जमाअत में बैठे थे, अचानक एक शख़्स उनके पास आया और उनसे पूछा, आप जानते हैं कि आप से बड़ा आलिम भी कोई है? मूसा अलै॰ बोले नहीं। आपने फ़रमाया पस अल्लाह तआला ने वही भेजी कि हां हमारा बन्दा ख़िज़्र अलै॰ (तुम से बड़ा आलिम है) मूसा अलै॰ ने उनसे मिलने का रास्ता पूछा तो अल्लाह तआला ने मछली को उनके लिए निशानी क़रार दिया और उनसे कह दिया गया कि जब तुम मछली को न पाओ तो वहीं से लौट पड़ना, वही मिलने का मक़ाम है। मूसा अलै॰ चल दिए और (रास्ता भर) मछली की अलामत के मुन्तज़िर रहे। इतने में मूसा अलै॰ के ख़ादिम ने आप से कहा, जब हम पत्थर के क़रीब बैठे थे तो मैं मछली को भूल गया और यह निस्यान शैतान की तरफ़ से था। मूसा अलै॰ ने कहा यही वह जगह थी जिस की हमें तलाश है, पस वह दोनों अपने क़दमों के निशान देखते हुए लौटे, फिर दोनों ने ख़िज़्र अलै॰ को पा लिया। आगे उन दोनों की दास्तान वही है जो अल्लाह तआला ने अपनी किताब (क़ुरआने मजीद) में बयान की है।

बाब 62:– इल्म सीखने और सिखाने वाले शख़्स की फ़ज़ीलत:

हदीस 79:– हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ि॰ से रिवायत है, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस इल्म और हिदायत के साथ अल्लाह तआला ने मुझे मबऊस किया इसकी मिसाल उस बारिश की सी है जो छमा छम बरसे। जो ज़मीन उम्दा होती है उसे जज़्ब कर लेती है और घास और सब्ज़ा उगाती है और जो ज़मीन सख़्त होती है वह पानी रोक लेती है, फिर अल्लाह तआला उससे लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है। लोग (ख़ुद भी) पीते और (जानवरों को भी) पिलाते हैं और ज़िराअत को सैराब करते हैं और कुछ बारिश (ज़मीन के) दूसरे हिस्से पर हुई जो बिल्कुल चटयल था न पानी को रोकता है न सब्ज़ी उगाता है। पस ऐसी ही मिसाल उस शख़्स की है जिस ने ख़ुदा के दीन में तफ़क़्क़ुह हासिल किया पढ़े और पढ़ाए और (दूसरी) मिसाल उस शख़्स की है जिस ने उसकी तरफ़ सर (तक) न उठाया (यानी ध्यान न दिया) और अल्लाह ने जो हिदायत मुझे दी उसे क़ुबूल न किया।" इमाम बुख़ारी ने फ़रमाया कि इस्हाक़ ने अबू उसामा से रिवायत की है कि ज़मीन का एक हिस्सा वह है जो पानी का ज़ख़ीरा जमा

करता जाता है यहां तक कि वह सतहे ज़मीन के बराबर हो जाता है।

बाब 63:- इल्म के ख़ातमे और जहालत के फैलने का बयानः

रबीआ फ़रमाते हैं, जिस के पास इल्म हो उसको हरगिज़ मुनासिब नहीं कि अपने आपको (दूसरे धन्दों में उलझा कर) ज़ाए करदे।

हदीस 80:- हज़रत अनस ﷺ से रिवायत है, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "क़यामत की निशानियों में से एक यह है कि इल्म उठ जाएगा और जहालत क़ायम हो जाएगी, शराब नोशी होने लगेगी और खुल्लम खुल्ला ज़िना होगा।"

हदीस 81:- हज़रत अनस ﷺ फ़रमाते हैं, आज मैं तुम से एक ऐसी हदीस बयान करूंगा कि मेरे बाद कोई तुम से बयान नहीं करेगा। मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से सुना, फ़रमाते थेः "क़यामत की अलामात में से एक यह है कि इल्म कम हो जाएगा और जहालत छा जाएगी, एलानिया ज़िना होगा, औरतों की कसरत और मर्दों की क़िल्लत होगी हत्ता कि पचास औरतों की निगरानी करने वाला एक ही मर्द होगा।"

बाब 64: इल्म की फ़ज़ीलतः

हदीस 82:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ का बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते हुए सुना किः "मैं सो रहा था, मुझे दूध का प्याला दियां गया। मैंने (उसे) पी लिया (यूं लगा) कि तरावत मेरे नाखुनों से निकल रही है। मैंने बचा हुआ दूध उमर बिन ख़त्ताब ﷺ को दे दिया।" सहाबा ﷺ बोले या रसूलल्लाह! इसकी क्या तअ़बीर है? फ़रमायाः "इल्म।"

फ़ायदाः- इस हदीस से मालूम हुआ कि उम्मते मुहम्मदिया में से हज़रत फ़ारूक़े आज़म ﷺ की इल्मी मैदान में निराली ही शान है। कितने ही मवाक़े ऐसे भी आए कि हज़रत उमर ﷺ की राए को वही व किताब से मुताबिक़त का शर्फ़ हासिल हुआ। रहमते दो आलम ﷺ ने यहां तक फ़रमाया है कि अगर मेरे बाद कोई नबी पैदा होता तो वह उमर होते। यह वह मुबारक हस्ती थे जिन से शैतान भी ख़ौफ़ खाता था और दुनिया की बड़ी से बड़ी ताक़त भी इनके ख़ौफ़ से लरज़ा बर-अंदाम रहती थी। यह मिल्लते इस्लामिया के बहुत बड़े मुहसिन हुए हैं और उम्मते मुहम्मदिया को हमेशा उनके वुजूद पर नाज़ रहेगा। अल्लाह तआला हमें उनके गुलामों में शुमार फ़रमाए। आमीन।

बाब 65:- सवारी या किसी चीज़ पर खड़े खड़े फ़तवा देनाः

हदीस 83:- अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस ﷺ से रिवायत है, रसूलुल्लाह ﷺ हज्जतुल वदाअ़ (के मौक़े पर) लोगों के लिए मिना में ठहर गए। एक शख़्स आया और दरयाफ़्त किया मुझे ख़्याल न रहा क़ुरबानी से पहले सर मुंडवा लिया, आपने फ़रमायाः "(अब) ज़िब्ह करलो कोई मुज़ायक़ा नहीं।" एक और शख़्स आया और कहा भूले से रमी जमार (शैतान को पत्थर मारने) से पहले क़ुरबानी करली। फ़रमायाः "(अब) रमी जमार करले और कोई मुज़ायक़ा नहीं।" (अब्दुल्लाह बिन अम्र ﷺ) कहते हैं आप से जिस चीज़ के मुताल्लिक़ पूछा गया और वह आगे पीछे हो गई तो आपने यही फ़रमायाः "अब कर लो कोई ऐसी बात नहीं।"

बाब 66:- जो शख़्स हाथ या सर के इशारे से फ़तवे का जवाब दे:

हदीस 84:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ﷺ फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ से आप के

(आख़िरी) हज (के मौक़े) पर सवालात किए गए। (कोई बोला) रमी से पहले क़ुरबानी करली तो आपने हाथ के इशारे से फ़रमाया: "कोई हर्ज नहीं।" (किसी ने कहा) क़ुरबानी से पहले सर मुंडवा लिया तो हाथ के इशारे से बताया कि कोई मुज़ायक़ा नहीं।

हदीस 85:- अबू हुरैरह ﷺ से रिवायत है, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "इल्म उठ जाएगा, जहालत आम हो जाएगी, फ़ितनों का ज़ुहूर होगा और बहुत "हर्ज" होगा।" अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह! हर्ज क्या है? आप ने अपने हाथ से तिर्छा इशारा किया, इस तरह गोया आप की मुराद (हर्ज से) क़त्ल थी।

हदीस 86:- सय्यदा अस्मा (बिन्ते अबू बक्र) ﷺ फ़रमाती हैं, मैं सय्यदा आयशा ﷺ के पास आई, वह नमाज़ पढ़ रही थीं। मैंने कहा लोगों को क्या हुआ? उन्होंने आसमान की तरफ़ इशारा किया (सूरज ग्रहन था) इतने में लोग (नमाज़ के लिए) खड़े हो गए। सय्यदा आयशा ﷺ ने कहा, सुब्हानल्लाह! मैं बोली क्या कोई (अज़ाब की) निशानी है? उन्होंने सर हिला कर कहा हां, फिर मैं भी (नमाज़ के लिए) खड़ी हो गई। मुझ पर ग़शी तारी हो गई तो मैं अपने सर पर पानी डालने लगी (जब ग्रहन ख़त्म हो चुका) रसूलुल्लाह ﷺ ने ख़ुदा की हम्दो सना बयान की, फिर फ़रमाया: "जो चीज़ मुझे (अब तक) नहीं दिखाई गई थी उसे मैंने इसी जगह देख लिया यहां तक कि जन्नत व दोज़ख़ को (भी) और मेरी तरफ़ यह वही भेजी गई कि तुम क़ब्रों में इस तरह या इसके क़रीब आज़माए जाओगे (फ़ातिमा को याद नहीं कि अस्मा ﷺ ने कौन कलिमा कहा) जैसे मसीह दज्जाल से आज़माए जाओगे (तुम्हें) कहा जाएगा कि उस शख़्स के बारे में क्या जानते हो? तो जो मोमिन है या मोक़िन (फ़ातिमा कहती हैं कि मालूम नहीं) अस्मा ﷺ ने क्या कहा? तो वह कहेगा यह मुहम्मद हैं अल्लाह के पैग़म्बर हमारे पास मोजिज़ात और हिदायत लेकर आए लिहाज़ा हम ने इनका कहा माना और इनकी पैरवी की, यह मुहम्मद (ﷺ) हैं। तीन बार (कहेगा) फिर उससे कहा जाएगा कि आराम से सोओ बिला शुब्हा हमें मालूम हो गया कि तुम्हें मुहम्मद (ﷺ) पर मुकम्मल ईमान है लेकिन मुनाफ़िक़ या शक्की। फ़ातिमा ने कहा मुझे याद नहीं अस्मा ﷺ ने दोनों में से कौन सा फ़रमाया। वह कहेगा कि नहीं जानता, लोगों को कुछ कहते हुए सुनता तो वही कह देता।

फ़ायदा:- इस हदीस से मालूम हो रहा है कि जब सूरज या चांद को ग्रहन लगे तो नमाज़ पढ़नी चाहिये। यह नमाज़ फ़ुक़हा के नज़्दीक मुस्तहब है। दूसरी बात यह भी मालूम हुई कि उस नमाज़े कुसूफ़ के दौरान परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब ﷺ को कायनात की हर चीज़ का मुशाहिदा करवाया और मुम्किन है कि परवरदिगार ने अपना दीदार भी करवाया हो जैसा कि अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस हदीस की शरह में बयान किया है: "कायनात में से जन्नत व दोज़ख़ तक का मुशाहिदा भी करवाया।" और इसी मौक़ा की बाज़ दूसरी हदीसों में है कि आप ﷺ ने फलों से लदी हुई जन्नत की एक टहनी को तोड़ना चाहा था। इन हदीसों से वाज़ेह हो रहा है कि निगाहे मुस्तफ़ा ﷺ कहां तक देखती है और आप के हाथ कहां तक की चीज़ों को पकड़ सकते हैं। आप ﷺ के ऐनी मुशाहिदे की दो सूरतें हैं कि हमा वक़्त मुशाहिदए हक़ में मशग़ूल रहने के बावुजूद जब चाहें कायनात के बाज़ हिस्से या सारी कायनात का मुशाहिदा कर लें जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ से रिवायत है कि सरवरे कौन व मकान ﷺ ने फ़रमाया:

"إِنَّ اللهَ قَدْ رَفَعَ لِيَ الدُّنْيَا فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى كَفِّي هَذِهِ"

(तबरानी, बैहक़ी, दारमी, मवाहिब लदुनिया)

बेशक अल्लाह तआला ने मेरे लिये दुनिया के पर्दे उठा दिये हैं तो मैं इसे देख रहा हूं और उसे भी जो इस में क़यामत तक होने वाला है, जैसे मैं इस हथेली को देख रहा हूं।

गोया हथेली का देखना और पूरी दुनिया को देखना निगाहे मुस्तफ़ा के सामने एक जैसी बात है क्योंकि ख़ुदाए ज़ुल-मनन ने अपने फ़ज़्लो करम से अपने महबूब को निगाहें ही ऐसी अता फ़रमाई हैं कि उनसे दुनिया और उसकी कोई चीज़ भला कैसे पोशीदा रह सकती है जबकि दुनिया का ख़ालिक़ व मालिक भी दस्ते क़ुदरत के उस शहकार से पोशीदा नहीं है। इसी लिये एक आरिफ़े कामिल ने फ़रमाया है:

और कोई ग़ैब क्या तुम से निहां हो भला
जब न ख़ुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद

इस मुशाहिदे की दूसरी सूरत यह है कि महबूब तो मुशाहिदए हक़ में मशग़ूल हो और क़ादिरे मुतलक़ जब चाहे तो पूरी कायनात को थोड़ी जगह में समेट कर रसूलुल्लाह ﷺ को मुशाहिदा करवा दे और बयक वक़्त मुशाहिदए हक़ भी हो और मुशाहिदए कायनात भी और दोनों में से कोई सा मुशाहिदा दूसरे के रास्ते में रुकावट भी न बने जैसा कि नमाज़े कुसूफ़ से मुताल्लिक़ा इन हदीसों से साबित है और यह मुशाहिदए कायनात ख़ुद परवरदिगारे आलम ने हालते नमाज़ में ऐन मुशाहिदए हक़ के दौरान करवाया। क़ुरआन व हदीस से तो ऐसा ही साबित है और इसके बरअक्स जो निगाहे मुस्तफ़ा को दीवार के परे वाले हालात से बेख़बर बताए तो यह मक़ामे मुस्तफ़ा से बेख़बरी का करिश्मा है।

तीसरी बात इस हदीस से यह भी मालूम हुई कि क़ब्र में मुर्दे से सवालात होते हैं और हर एक की कामयाबी रसूलुल्लाह ﷺ को पहचानने पर मौक़ूफ़ है। इस हदीस में "بِهَذَا الرَّجُلِ" है और दूसरी हदीसों में "مَا تَقُولُ فِي حَقِّ هَذَا الرَّجُلِ" आया है। इन तस्रीहात से वाज़ेह है कि रहमते दो आलम ﷺ हर एक की क़ब्र में जल्वागर होते हैं। आप के इस हाज़िर व नाज़िर होने को सर की आंखों से नहीं देखा जा सकता बल्कि उसके लिये ईमानी आंखें यानी चश्मे बसीरत ही दरकार है जिसके मुताल्लिक़ नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया है: "اِتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ" यह फ़िरासत हर मोमिन को अला क़दरे मरातिब मिली हुई होती है और इसी से क़ब्र में आप को पहचाना जाता है। काफ़िर और मुनाफ़िक़ चूंकि इस नज़र से महरूम होते हैं लिहाज़ा वह आप को क़ब्र में पहचान नहीं सकेंगे ख़्वाह उन्होंने आप को दुनिया में देखा हो। ख़ुदाए ज़ुल-मनन अपने महबूब ﷺ के सदक़े हमें भी ईमानी निगाहें और फ़िरासते मोमिनाना अता फ़रमाए। आमीन

बाब 67:- क़बीला अब्दुल क़ैस के वफ़्द को रसूलुल्लाह ﷺ का तर्ग़ीब दिलाना कि ईमान और इल्म की हिफ़ाज़त करें और जो लोग पीछे रह गए हैं उन्हें ख़बर कर दें और मालिक बिन हुवैरिस رضي الله عنه ने कहा कि हम से रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया था कि अपने घर वालों के पास जाओ और उन्हें दीन सिखाओ।

हदीस 87:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास رضي الله عنهما फ़रमाते हैं कि अब्दुल क़ैस के क़ासिद रसूलुल्लाह ﷺ के पास आए। आपने फ़रमाया कि यह लोग किस के भेजे हुए हैं। वह बोले हम

(क़बीला) रबीआ से ताल्लुक़ रखते हैं। आपने फ़रमाया वह वफ़्द ख़ुश आमदीद जिन्हें रुस्वाई और नदामत नहीं। उन्होंने अर्ज़ किया हम लोग दूर से आए हैं और हमारे और आपके दरमियान एक कुफ़्फ़ार का मुज़र (क़बीला) हाइल है। हमारे लिए मुम्किन नहीं कि माहे हराम के अलावा आपके पास आ सकें लिहाज़ा हमें कोई ऐसी बातें बताएं जो हम अपने पीछे वालों को बता सकें और हम जन्नत में दाख़िल हो जाएं। आपने उन्हें चार चीज़ों का हुक्म दिया एक ख़ुदा पर ईमान लाने का (यह कह कर) आपने फ़रमाया: "तुम्हें मालूम है एक ख़ुदा पर ईमान लाने का क्या मतलब है?" उन्होंने कहा अल्लाह और रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फ़रमाया (इसका मतलब यह है कि) इस बात की गवाही कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के रसूल हैं और (उन्हें हुक्म दिया) नमाज़ पढ़ने, ज़कात देने और रमज़ान के रोज़े रखने का और (यह भी फ़रमाया) कि ख़ुम्स निकालें और उन्हें दुबा, हन्तम और मुज़फ़्फ़त से मना फ़रमाया। शुअ़बा رضي الله عنه फ़रमाते हैं, अबू जमरह رضي الله عنه कभी नक़ीरु और कभी मुक़ियरू कहते। (रोग़नी बरतन)

आपने इरशाद फ़रमाया कि इन बातों को याद करलो और अपने पीछे वालों को मुत्तला करदो।

बाब 68:- कोई मस्अला दरपेश हो तो उसके लिए सफ़र करना:

हदीस 88:- उक़्बह बिन हारिस رضي الله عنه कहते हैं कि उन्होंने अबू इहाब बिन अज़ीज़ की लड़की से निकाह किया, अज़ां बाद एक औरत आई और उसने बताया उक़्बह और उस लड़की को जिस से उक़्बह ने निकाह किया है, दोनों को मैंने दूध पिलाया है (लिहाज़ा यह दोनों दूध शरीक बहन भाई हैं) उक़्बह رضي الله عنه बोले मुझे मालूम नहीं कि तूने मुझे दूध पिलाया है न तूने पहले बताया। फिर उक़्बह رضي الله عنه सवार होकर रसूलुल्लाह ﷺ के पास गए (आपसे पूछा) तो आपने फ़रमाया किस तरह तुम उससे मुसाहिबत करोगे? (क्योंकि इस तरह हुरमत का शुब्हा पैदा होता है) उक़्बह رضي الله عنه ने उस (औरत) को छोड़ दिया और उसने किसी और से निकाह कर लिया।

बाब 69:- इल्म के हुसूल के लिए बारी मुक़र्रर करना:

हदीस 89:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास رضي الله عنهما से रिवायत है कि हज़रत उमर رضي الله عنه फ़रमाते हैं, मैं और मेरा अन्सारी पड़ोसी जो बनी उमय्यह बिन ज़ैद से था, हम दोनों मदीना मुनव्वरा के अवाली में रहते थे। यह (गावं) मदीना की बुलन्दी पर था और हम रसूलुल्लाह ﷺ के पास बारी बारी आते। एक दिन वह और एक दिन मैं आता। जिस दिन मेरा आना होता तो मैं वह़ी की नई सूरते हाल से आगाह करता और जिस दिन वह आता वह भी ऐसा ही करता। एक दिन अपनी बारी के मुताबिक़ मेरा पड़ोसी आया, उस ने (वापस आकर) मेरा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया और (मेरा नाम लेकर) पूछा वह यहां है। मैं घबरा गया और बाहर निकल आया। बोले आज बड़ा सानिहा हो गया (रसूलुल्लाह ﷺ ने अपनी अज़्वाज को तलाक़ दे दी) मैं हफ़्सह رضي الله عنها के पास गया तो वह रो रही थीं। मैंने उनसे कहा क्या रसूलुल्लाह ﷺ ने तुम सबको तलाक़ दे दी? बोलीं मुझे मालूम नहीं। बादे अज़ां मैं रसूलुल्लाह ﷺ के पास गया और वहीं खड़े खड़े अर्ज़ किया आपने अपनी अज़्वाज को तलाक़ दे दी? आपने फ़रमाया नहीं। मैंने (ज़ोर से) कहा अल्लाहु अकबर।

बाब 70:- जब कोई बुरी बात नज़र आए तो वअज़ व तालीम में ग़ुस्सा करना:

हदीस 90:- अबू मसऊद अंसारी رضي الله عنه से मन्क़ूल है कि एक शख़्स ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह!

मुम्किन है मैं नमाज़े बा-जमाअत अदा न कर सकूं क्योंकि फुलां बड़ी लम्बी नमाज़ पढ़ाता है। (अबू मसऊद ﷺ कहते हैं) मैंने वअज़ व नसीहत में उस दिन से ज़्यादा आपको ग़ज़बनाक नहीं देखा। फ़रमाया: "लोगो! तुम (ग़ैर ज़रूरी सख़्ती करके) दीन से मुतनफ़्फ़र करते हो, जो कोई नमाज़ पढ़ाए तो रुक्न हल्का फुल्का हो क्योंकि मुक़्तदियों में मरीज़, कमज़ोर और काम काज वाले लोग भी होते हैं।

हदीस 91:– ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी ﷺ से रिवायत है कि किसी ने रसूलुल्लाह ﷺ से गिरी पड़ी चीज़ का हुक्म पूछा। फ़रमाया: "उसकी बंदिश को पहचान ले या उसके ज़र्फ़ और थैली को पहचान ले फिर साल भर उसे मुश्तहिर करे (फिर भी मालिक न मिले तो) फिर फ़ायदा उठा ले। अगर उसका मालिक मिल जाए तो उसे वापस कर दे।" फिर वही शख़्स बोला अगर गुम-शुदा ऊँट मिल जाए? तो आप (यह सुन कर) ख़फ़ा हो गए, हत्ता कि आपके दोनों गाल सुर्ख़ हो गए या आपका चेहरा लाल हो गया। आपने फ़रमाया: "तुझे ऊँट से क्या मतलब? उसकी मशक और उसके पांव उसके साथ हैं, वह ख़ुद घाट पर जाकर पानी पी लेता है, दरख़्त (के पत्ते) चर लेता है उसको खुला रहने दे यहां तक कि उसका मालिक मिल जाए।" फिर वह बोला गुम-शुदा बकरी के मुताल्लिक़ (क्या ख़्याल है) फ़रमाया: "(उसे पकड़ लो) वह तुम्हारी है या तुम्हारे भाई की, अगर (किसी के) हाथ न लगी तो भेड़िए की।"

हदीस 92:– अबू मूसा (अश्अरी ﷺ) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ से चन्द बातें पूछी गईं जो मिज़ाजे (अक़दस) के मुवाफ़िक़ न थीं। जब पूछने पर इसरार किया गया तो आपको गुस्सा आ गया और आपने लोगों से फ़रमाया: "अब जो चाहिए हो पूछते जाओ।" एक शख़्स बोला मेरा बाप कौन है? फ़रमाया: "हुज़ाफ़ह, फिर दूसरा खड़ा हुआ उसने पूछा मेरा बाप कौन है? फ़रमाया: "सालिम है शीबह का ग़ुलाम।" जब हज़रत उमर ﷺ ने चेहरे पर जलाल के आसार देखे तो अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! हम अल्लाह तआला (के हुज़ूर) तौबा करते हैं।

बाब 71:– इमाम या मुहद्दिस के पास (अदब से) दो ज़ानू बैठनाः

हदीस 93:– हज़रत अनस बिन मालिक ﷺ फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ बरआमद हुए तो अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ह ﷺ ने खड़े होकर पूछा मेरा बाप कौन है? फ़रमाया: "तुम्हारा बाप हुज़ाफ़ह है।" फिर आप बार बार फ़रमाने लगे कि (जो जी में आए) पूछो। आख़िरुल अम्र हज़रत उमर ﷺ दो ज़ानू होकर बैठ गए और तीन बार कहा, हम ख़ुदा के रब होने और इस्लाम के दीन होने और मुहम्मद (ﷺ) के नबी होने पर राज़ी हैं, तब आप का गुस्सा ठंडा हुआ और चुप हो रहे।

बाब 72:– जो कोई किसी बात को अच्छी तरह समझने के लिए तीन बार कहे:

रसूलुल्लाह ﷺ ने أَلَا وَقَوْلَ الزُّوْرِ (झूटी बात से परहेज़ करना) और कई बार उसे दोहराया। इब्ने उमर ﷺ का कहना है कि आप ने هَلْ بَلَّغْتُ (क्या मैंने पहुंचा दिये) तीन बार फ़रमाया।

हदीस 94:– हज़रत अनस ﷺ फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ जब कोई बात कहते तो तीन मर्तबा उसको दोहराते ताकि अच्छी तरह ज़ेहन नशीन हो जाए और जब किसी जमाअत में तशरीफ़ लाते और सलाम करते तो तीन बार अस्सलामु अलैकुम फ़रमाते।

हदीस 95:– हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र ﷺ फ़रमाते हैं, एक सफ़र में रसूलुल्लाह ﷺ हम से बिछड़ गए। फिर जब आप हमें आ मिले तो नमाज़े अस्र का वक़्त तंग हो चुका था। हम (जल्दी में) पानी पांव पर मलने लगे। आपने बुलन्द आवाज़ से दो या तीन बार फ़रमाया: "आग से इन टख़नों की

जानते है।" (जानी न होने से दहकते आग में डाले जाएंगे)

बाब 73:- अपनी लौंडी और घर वालों को (दीन की) तालीम देना:

हदीस 96:- अबू बुरदह رضي الله عنه ने अपने वालिद हज़रत अबू मूसा رضي الله عنه से रिवायत की कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तीन शख़्स है जिनके लिए दो गुना सवाब है एक वह जो अहले किताब हो, अपने नबी को भी माना और मुहम्मद (ﷺ) पर भी ईमान लाया, दूसरा गुलाम जो खुदा और अपने आका के हुकूक अदा करता रहे, तीसरा वह जिसके पास लौंडी हो, वह उससे सोहबत करता और उसे अच्छी तहज़ीब सिखाता और अच्छी तालीम देता है, फिर उसे आज़ाद करके उसके साथ निकाह करले तो उसके लिए दो गुना सवाब है। फिर आमिर ने कहा कि हम ने तुम्हें यह हदीस दे दी हालांकि इससे छोटी हदीस के लिए मदीना तक सफ़र करना पड़ता है।

बाब 74:- इमाम का औरतों को नसीहत करना और तालीम देना:

हदीस 97:- अता बिन अबी रिबाह رضي الله عنه फ़रमाते है, मैंने इब्ने अब्बास رضي الله عنهما से सुना, उन्होंने कहा है क़सम खाकर कहता हूं (या अता رضي الله عنه कहते हैं मैं इब्ने अब्बास رضي الله عنهما पर गवाही देता हूं) ईद के मौके पर (जब) रसूलुल्लाह ﷺ (मर्दों की सफ़ में) निकले, आपके हमराह बिलाल رضي الله عنه थे। आपने सोचा कि औरतों ने (ख़ुत्बा) नहीं सुना फिर आपने उन्हें नसीहत की और उन्हें सदका देने का हुक्म दिया। किसी औरत ने बाली फेंकी, किसी ने अंगूठी और बिलाल رضي الله عنه उन्हें चादर के पल्लू में लेने लगे। इस्माईल, अय्यूब, अता से रिवायत है कि हज़रत इब्ने अब्बास رضي الله عنهما ने - اَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - फ़रमाया था।

बाब 75:- हदीस का शग़फ़ रखना:

हदीस 98:- हज़रत अबू हुरैरह رضي الله عنه से रिवायत है कि उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! क़यामत के दिन आपकी शफ़ाअत का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन होगा? फ़रमाया: "मुझे यक़ीन था कि तुम से पहले इस बारे में कोई मुझ से नहीं पूछेगा क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हें हदीस का कितना शग़फ़ है। मेरी शफ़ाअत से फ़ैज़ पाने का सब से ज़्यादा हक़दार वह होगा जिस ने सिदक़े दिल और ख़ुलूसे क़ल्ब से लाइलाहा इल्लल्लाह (मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह) पढ़ा।"

बाब 76:- इल्म क्यों कर उठ जाएगा:

और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ رضي الله عنه ने अबू बकर बिन हज़्म को यह लिख भेजा कि तुम्हारे पास अहादीसे रसूल जितनी तादाद में हैं लिख लो क्योंकि मुझे इल्म के उठ जाने और उलमा के चल बसने का ख़ौफ़ (दामनगीर) है और हां रसूलुल्लाह ﷺ की हदीस के अलावा किसी चीज़ को न मानना अम्रे लाजिम है कि सब लोग इल्म को आम करें और (उलमा) मज्लिस आराई करें ताकि जो नहीं जानता वह जान ले क्योंकि इल्म उस वक़्त तक नहीं मिटता जब तक उसे छुपा कर न रखा जाए।

हदीस 99:- अला बिन अब्दुल जब्बार ने अब्दुल अज़ीज़ बिन मुस्लिम से उन्होंने अब्दुल्लाह बिन दीनार से और उन्होंने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से नक़्ल किया यहां तक कि उलमा मादूम हो जाएं।

हदीस 100:- अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल आस رضي الله عنهما फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को यह फ़रमाते सुना: "अल्लाह तआला इल्म को यूं नहीं उठाएगा कि बन्दों (के सीनों) से निकाल ले बल्कि उलमा को मौत देकर इल्म को उठा लेगा। जब कोई अहले इल्म बाक़ी न रहेगा तो लोग जाहिलों

को अपना मुक़्तदा बना लेंगे और उन से (मसाइल) दरयाफ़्त किए जाएंगे तो वह इल्म के बग़ैर (बिला झिझक) फ़तवे जारी करेंगे, यूं खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह बनाएंगे।”

बाब 77:- क्या औरतों की तालीम के लिए कोई दिन मुक़र्रर किया जा सकता है:

हदीस 101:- हज़रत अबू सईद खुदरी फ़रमाते हैं, औरतों ने रसूलुल्लाह से अर्ज़ किया, मर्द (आप से इस्तिफ़ादा के लिहाज़ से) हम से बढ़ गए, हमारे लिए भी कोई ख़ास दिन मुक़र्रर फ़रमा दें। आप ने उन से एक दिन का वादा कर लिया, उस दिन आप उनसे मिले उन्हें नसीहत फ़रमाई और उन्हें अहकामे (शरअ) बतलाए, मिनजुम्ला और बातों के आप ने उनसे यह भी फ़रमाया: “तुम में से जो औरत अपने तीन बच्चे आगे भेजे (यानी उसकी आंखों के सामने फ़ौत हों) तो वह उसके लिए दोज़ख़ से आड़ बन जाएंगे।” एक औरत बोली अगर दो बच्चे आगे भेज चुकी हो? आपने फ़रमाया: “हां दो भी।” (यानी उनका भी यही हुक्म है)

हदीस 102:- अबू सईद ने इसे रसूलुल्लाह से रिवायत किया, अब्दुर्रहमान बिन अस्बहानी ने रिवायत किया कि उन्होंने अबू हाज़िम को अबू हुरैरह से रिवायत करते सुना, उन्होंने फ़रमाया: “ऐसे तीन बच्चे जो अभी बालिग़ न हुए हों।”

बाब 78:- जो शख़्स कोई चीज़ सुने और समझ न पाए तो फिर सुने यहां तक कि अच्छी तरह समझ ले:

हदीस 103:- इब्ने अबी मुलैकह फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह की ज़ौजए (मोहतरमा) जब कोई बात सुनतीं और न समझ पातीं तो दोबारा पूछतीं यहां तक कि अच्छी तरह समझ लेतीं चुनान्चे (एक बार) रसूलुल्लाह ने फ़रमाया: “जिसका हिसाब होगा उसे (ज़रूर) अज़ाब होगा।” आयशा फ़रमाती हैं मैं बोली क्या अल्लाह तआला नहीं फ़रमाता “पस अनक़रीब उससे आसान हिसाब लिया जाएगा।” आप ने फ़रमाया: “यह (हिसाब नहीं) महज़ आमाल पेश कर देना है लेकिन जिस शख़्स की तफ़्तीशे (हाल) होगी वह हलाक हो जाएगा।”

बाब 79:- जो लोग मौजूद हैं वह ऐसे लोगों तक (यह बात) पहुंचाएं जो यहां मौजूद नहीं: इसे इब्ने अब्बास ने रसूलुल्लाह से रिवायत किया है।

हदीस 104:- अबू शुरैह से रिवायत है कि अम्र बिन सईद बिन आस जब (इब्ने ज़ुबैर से लड़ने की ग़र्ज़ से) लश्करों को मक्का की तरफ़ रवाना कर चुका था तो मैंने उससे कहा, मुझे वह कहने की इजाज़त दो जो रसूलुल्लाह ने फ़तेह (मक्का) के दूसरे दिन फ़रमाया, उसे मेरे कानों ने सुना और दिल ने याद रखा और मेरी आंखों ने आपको देखा जब आप ख़िताब फ़रमा रहे थे। आप ने अल्लाह तआला की हम्दो सना बयान की, फिर फ़रमाया: “मक्का में अल्लाह तआला ने (जिदाल व क़िताल को) हराम क़रार दिया है, लोगों ने नहीं। जो कोई अल्लाह और यौमे आख़िरत पर ईमान रखता है उसके लिए रवा नहीं कि वह ख़ून-रेज़ी करे और दरख़्त काटे। अगर कोई ऐसा करने की दलील यह पेश करे कि रसूलुल्लाह ने ऐसा किया तो तुम कहो कि अल्लाह तआला ने अपने रसूल को इस बात की इजाज़त दी थी लेकिन तुम्हें नहीं दी और मुझे भी सिर्फ़ एक घड़ी भर की इजाज़त थी, फिर उसकी आज हुरमत ऐसी है जैसी कल थी, फिर हाज़िर को चाहिए कि ग़ायब तक यह बात पहुंचा दे।।

अबू शुरैह ؓ से कहा गया, अम्र ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा हरम किसी बाग़ी और खून करके भाग जाने वाले को पनाह नहीं देता।

हदीस 105:- हज़रत अबू बकरह ؓ ने रसूलुल्लाह ﷺ का ज़िक्र किया कि आपने फ़रमाया: "तुम्हारे ख़ून और तुम्हारे माल और (मुहम्मद जो रावी हैं का ख़्याल है कि आपने यह भी फ़रमाया) तुम्हारी आबरुएं तुम पर हराम हैं जैसे उनकी हुरमत इस महीने में है। सुन लो! जो शख़्स (यहां) हाज़िर है वह ग़ायब तक (यह बात) पहुंचा दे।" (मुहम्मद कहते हैं) हां रसूलुल्लाह ﷺ ने सच फ़रमाया (हाज़िरीन ने ग़ायबीन तक यह हदीस पहुंचा दी) (फिर) दोबारा फ़रमाया: "क्या मैंने तुक तक (यह बात) पहुंचा दी।"

बाब 80:- जो शख़्स रसूलुल्लाह ﷺ पर झूट बांधे (उसका) गुनाह (किस क़दर) है:

हदीस 106:- हज़रत अली ؓ से रिवायत है, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मेरी तरफ़ झूट मन्सूब न करना क्योंकि जो मुझ पर झूट गढ़ेगा वह आग में डाला जाएगा।"

हदीस 107:- अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ؓ रिवायत करते हैं, मैने अपने वालिद से कहा आप दूसरों की तरह अहादीसे रसूल रिवायत नहीं करते। फ़रमाया मैं रसूलुल्लाह ﷺ से कभी जुदा नहीं रहा (कि हदीसें न सुनी हों) लेकिन मैंने आपको फ़रमाते सुना: "जो शख़्स मुझ पर झूट बांधे वह अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले।"

हदीस 108:- हज़रत अनस ؓ फ़रमाते हैं, मैं तुम से बकसरत अहादीस इस लिए बयान नहीं करता कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया है: "जो शख़्स दानिस्ता मुझ पर झूट बांधे वह अपना ठिकाना दोज़ख़ में बना ले।"

हदीस 109:- हज़रत सलमह बिन अकवअ ؓ से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते सुना: "जो शख़्स कोई बात मेरी तरफ़ मंन्सूब करे जो मैंने नहीं कही तो वह अपना ठिकाना जहन्नम में ढूंड ले।"

हदीस 110:- हज़रत अबू हुरैरह ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मेरे नाम पर नाम रखो लेकिन कुन्नियत इख़्तियार न करो और जिस ने मुझे ख़्वाब में देखा उसने (वाक़ई) मुझे देखा क्योंकि शैतान मेरा रूप इख़्तियार नहीं कर सकता और जो जान बूझ कर मुझ पर झूट बोले वह अपना ठिकाना दोज़ख़ में समझे।"

बाब 81:- इल्म की बातें लिखना:

हदीस 111:- हज़रत अबू जुहैफ़ह ؓ फ़रमाते हैं, मैंने हज़रत अली ؓ से पूछा आप के पास कोई किताब भी है? हज़रत अली ؓ ने फ़रमया: बजुज़ अल्लाह की किताब (कुरआने मजीद) के (और कोई नहीं) और या वह बसीरत जो बन्दए मोमिन को दी जाती है या जो इस सहीफ़े में क़लमबन्द है (अबू जुहैफ़ह ؓ कहते हैं) मैंने कहा इसमें क्या है? फ़रमाया: दियत, क़ैदी की रिहाई के अहकाम और (यह कि) कोई मुसलमान काफ़िर के बदले में क़त्ल न किया जाए।

हदीस 112:- हज़रत अबू हुरैरह ؓ फ़रमाते हैं कि खुज़ाआ वालों ने बनी लैस के एक शख़्स को फ़तेह मक्का के साल अपने एक मक़्तूल जिसे बनी लैस ने क़त्ल कर दिया था, के बदले में मार

डाला। इसकी इत्तिला रसूलुल्लाह ﷺ को दी गई, आप अपनी सवारी पर चढ़े और ख़िताब किया फ़रमायाः "अल्लाह तआला ने मक्का से "क़त्ल या फ़ील" को रोक दिया (मुहम्मद रावी कहते हैं कि उसे इसी तरह रखो, अबू नईम ने यूंही कहा क़त्ल या फ़ील मगर उनके अलावा सब ने फ़ील कहा है) (उसने) अपने रसूल और मुसलमानों को उन पर ग़ालिब कर दिया। याद रखो! (मक्का) मुझ से पहले किसी पर हलाल नहीं हुआ और न मेरे बाद किसी पर हलाल होगा, मेरे लिए भी एक घड़ी के लिए हलाल हुआ, वह इस वक़्त हराम है। उसका कांटा न तोड़ा जाए, उसका दरख़्त न काटा जाए, उसकी गिरी पड़ी चीज़ न उठाई जाए, मगर यह कि उसे मालिक तक पहुंचा दिया जाए। जिसका कोई (अज़ीज़) क़त्ल हो जाए उसे दो में से एक चीज़ का इख़्तियार है या ख़ून बहा ले या क़िसास।" ऐसे में अहले यमन से एक शख़्स आया, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! (आपने जो कुछ फ़रमाया) मुझे लिख दीजिए, आपने फ़रमायाः "अबू फ़ुलां के लिए लिख दो।" क़ुरैश में से एक शख़्स ने कहा इज़्ख़िर के काटने की इजाज़त दीजिए कि हम उसे घरों और क़ब्रों में इस्तेमाल करते हैं। आपने फ़रमायाः "(हां हां) इज़्ख़िर के सिवा, इज़्ख़िर के सिवा।" (बाक़ी दरख़्त काटने ममनूअ हैं)

हदीस 113:– हज़रत अबू हुरैरह رضی اللہ عنہ फ़रमाते हैं, असहाबे रसूल में से कोई शख़्स मुझ से ज़्यादा बजुज़ अब्दुल्लाह बिन अम्र رضی اللہ عنہ के हदीस रिवायत करने वाला नहीं, वह लिख लेते और मैं न लिखता। (बल्कि हिफ़्ज़ कर लेता)

हदीस 114:– हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास رضی اللہ عنہ फ़रमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह ﷺ की बीमारी बढ़ गई तो फ़रमायाः "लिखने का सामान लाओ मैं तुम्हें एक दस्तावेज़ लिखवा दूं उसके बाद तुम नहीं भटकोगे।" हज़रत उमर رضی اللہ عنہ बोले, रसूलुल्लाह ﷺ पर बीमारी का ग़ल्बा है, हमारे पास अल्लाह की किताब काफ़ी है। लोगों में इख़्तिलाफ़े राए पैदा हो गया और शोर मच गया। आपने फ़रमायाः "मेरे हां से चले जाओ, यहां लड़ना झगड़ना क्या माना?" इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہ (इस हदीस की रिवायत बयान करके) बाहर निकले और हाए मुसीबत वाए मुसीबत जो रसूलुल्लाह ﷺ को किताब लिखवाने में आड़ बन गई।

बाब 82:– रात के वक़्त तालीम व तज़कीरः

हदीस 115:– सय्यदा उम्मे सलमह رضی اللہ عنہا फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ एक रात नींद से बेदार हुए तो फ़रमायाः "सुब्हानल्लाह! आज रात क्या क्या फ़ितने नाज़िल हुए और क्या क्या (रहमत के) ख़ज़ाने खोले गए। (लोगो) इन हुजरे वालियों (औरतों) को जगा दो (कि कुछ इबादत कर लें) बहुत सी लिबास वाली ऐसी हैं कि क़यामत में नंगी होंगी।"

फ़ायदाः– इस हदीस से मालूम हुआ कि निगाहे मुस्तफ़ा दूसरे इन्सानों की निगाहों जैसी नहीं है बल्कि आप की निगाहें तमाम कामिलीन की निगाहों से भी तेज़तर हैं, जिसके बाइस नबी करीम ﷺ को नाज़िल होने वाले फ़ितने अपनी अस्ल शक्ल व सूरत में नज़र आ जाते हैं और रहमत के जो ख़ज़ाने खोले जाते हैं हालांकि उन चीज़ों को आम निगाहें नहीं देख सकतीं क्योंकि आम निगाहों के लिए उनकी कोई ऐसी सूरत नहीं है जिन से यह महसूस हो सकें। परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब ﷺ को सारी कायनात से अफ़ज़ल व आला बनाया है तो उन्हें हवास भी ऐसे अता फ़रमाए हैं जो किसी दूसरे को अता नहीं फ़रमाए। आपके ऐसे ख़साइस का इन्कार करना गोया आपके मन्सब का इन्कार

करना है। वल्लाहु तआला आलम।

बाब 83:- रात को इल्मी मुज़ाकरा:

हदीस 116:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنه फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने अपनी ज़िन्दगी के आख़िरी दिनों में हमें इशा की नमाज़ पढ़ाई। जब सलाम फेरा तो खड़े हो गए और फ़रमाया: "तुम ने इस रात को देखा, आज से सौ बरस के आख़िर तक कोई शख़्स जो ज़मीन पर है ज़िन्दा न रहेगा।"

हदीस 117:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास رضي الله عنه फ़रमाते हैं, एक रात मैं अपनी ख़ाला मैमूनह बिन्ते हारिस رضي الله عنها ज़ौजए रसूल के घर में सोया। रसूलुल्लाह ﷺ (भी) उस रात उनके हां क़ियाम पज़ीर थे। आपने इशा की नमाज़ पढ़ी, फिर घर तशरीफ़ लाए और चार रकअतें पढ़ कर सो रहे। फिर जागे और फ़रमाया: बच्चा सो गया या कुछ ऐसा ही लफ़्ज़ कहा, फिर (नमाज़ के लिए) खड़े हो गए और मैं बाएं जानिब खड़ा हो गया, आप ने दाहिनी जानिब कर लिया और पाँच रकअतें अदा कीं, बादे अज़ां दो रकअतें (सुन्नते फ़ज्र) पढ़ीं, फिर आप सो गए यहां तक आप के ख़र्राटों की आवाज़ सुनी, फिर नमाज़े (फ़ज्र) के लिए बरआमद हुए।

बाब 84:- इल्म का याद रखना:

हदीस 118:- हज़रत आरज رضي الله عنه फ़रमाते हैं कि उन्होंने अबू हुरैरह رضي الله عنه से कहा कि लोग कहते हैं कि अबू हुरैरह ने बहुत ज़्यादा अहादीस रिवायत कीं। (फ़रमाया) अगर किताबुल्लाह में यह दो आयतें न होतीं तो मैं कोई हदीस बयान न करता फिर आप (यह आयत) पढ़ते "जो लोग हमारी नाज़िल करदा खुली हुई बातों और हिदायात को छुपाते हैं।" (अनत्तव्वाबुर्रहीम तक पढ़ा) हमारे मुहाजिर भाई तो बाज़ार में ख़रीद व फ़रोख़्त में उलझे रहते और अन्सार खेती बाड़ी के काम में लगे रहते और अबू हुरैरह पेट भर (मिल जाने के बाद) रसूलुल्लाह ﷺ के हां हाज़िर रहता और ऐसे मौक़ों पर हाज़िर रहता जहां यह लोग न होते और वह बातें याद रखता जिसे यह याद न रखते।

हदीस 119:- हज़रत अबू हुरैरह رضي الله عنه फ़रमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में अर्ज़ किया कि मैं आपसे बहुत सारी बातें सुनता हूं लेकिन भूल जाता हूं। आप ने फ़रमाया: "अपनी चादर फैलाओ।" मैंने (चादर) बिछा दी, आप ने अपने दोनों हाथों से लप बनाई और उसे उस चादर में डाल दिया और फ़रमाया: "इसे लपेट लो।" मैंने लपेट ली, उसके बाद मैं कोई बात न भूला। इब्राहीम बिन मुंज़िर ने इब्ने अबी फुदैक से भी इसे रिवायत किया और कहा कि दोनों हाथों से उस में लप डाली।

फ़ायदा:- हज़रत अबू हुरैरा رضي الله عنه ने बारगाहे रिसालत में अपने हाफ़िज़े की कमज़ोरी (निस्यान) का हाल अर्ज़ किया। इससे मालूम हुआ कि बारगाहे रिसालत में अपना दुखड़ा पेश करना और मुदावा चाहना तौहीद के मनाफ़ी और शिर्क नहीं हैं क्योंकि परवरदिगारे आलम ने उन्हें अपनी नेअमतों के तक़सीम करने पर मामूर फ़रमाया है। रहमते दो आलम ﷺ ने उनकी चादर में एक लप ऐसी चीज़ की डाली जो किसी को नज़र नहीं आती थी। इसके बाद हज़रत अबू हुरैरा رضي الله عنه का हाफ़िज़ा बहुत तेज़ हो गया और वह किसी चीज़ को भूलते नहीं थे। मालूम हुआ कि महबूबे परवरदिगार ने चादर में एक लप चीज़ डाल कर ग़ैर महसूस तरीक़े पर उनकी हाजत रवाई फ़रमा दी थी। इसी लिये तो एक दानाए राज़ ने इस इस्लामी व ईमानी अक़ीदे को यूं बयान किया है:

कौन देता है देने को मुंह चाहिये
देने वाला है सच्चा हमारा नबी

हदीस 120:- हज़रत अबू हुरैरह ﷺ फ़रमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से दो थैले (इल्म के) सीखे, एक को मैंने आम कर दिया दूसरे को अगर ज़ाहिर करूं तो लोग मेरा नरख़रा काट डालें। (इमाम बुख़ारी फ़रमाते हैं नरख़रा जहां से खाना उतरता है।)

बाब 85:- उलमा के रूबरू ख़ामोश रहना:

हदीस 121:- हज़रत जरीर ﷺ फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने हज्जतुल वदाअ में उनसे फ़रमाया कि लोगों को ख़ामोश कराओ तो फ़रमाया: "मेरे बाद एक दूसरे की गर्दनें मार कर काफ़िर न बन जाना।"

बाब 86:- जब किसी आलिम से पूछा जाए कि सब से बड़ा आलिम कौन है तो उसे चाहिए कि इल्म की निस्बत अल्लाह की तरफ़ करे।

हदीस 122:- हज़रत सईद बिन जुबैर ﷺ कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास ﷺ से कहा, नौफ़ बकाली का कहना है कि वह मूसा (जो ख़िज़्र ﷺ के हमसफ़र थे) बनी इस्राईल के मूसा ﷺ नहीं कोई और मूसा है। उन्होंने कहा दुश्मने खुदा झूट कहता है हमें उबइ बिन कअब ﷺ ने बताया कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मूसा ﷺ बनी इस्राईल से ख़िताब के लिए खड़े हुए तो उनसे पूछा गया कि सबसे बड़ा आलिम कौन है? मूसा ﷺ ने कहा मैं बड़ा आलिम हूं। (जिस पर) अल्लाह ने उन पर इताब किया क्योंकि उन्होंने यह क्यों न कहा कि अल्लाह जानता है। फिर अल्लाह तआला ने उनकी तरफ़ वही भेजी कि मेरे बन्दों में से एक बन्दा मज्मउल बहरैन में है वह तुम से ज़्यादा आलिम है। मूसा ﷺ ने कहा मैं उनसे क्यों कर मिल सकता हूं? उन्हें कहा गया कि एक मछली जंबील में रख लो जहां वह मछली गुम हो जाए वहीं वह मिलेगा। मूसा ﷺ अपने ख़ादिम युशअ़ बिन नून ﷺ के साथ चल दिए। दोनों ने जंबील में मछली रखली, जब दोनों एक पत्थर के पास पहुंचे तो दोनों सर जंबील पर रख कर सो गए, मछली जंबील से निकल गई और दरिया में अपना रास्ता बना लिया। मूसा ﷺ और आप का ख़ादिम मुतअज्जिब हुए, फिर वह दोनों बाक़ी दिन और रात चलते रहे, सुब्ह हुई तो मूसा ﷺ ने अपने ख़ादिम से कहा हमारा नाश्ता लाओ, हमें बड़ी थकावट हो गई है और मूसा ﷺ जब तक उस मक़ाम से आगे नहीं निकल गए जो उन्हें बताया गया था हरगिज़ न थके। उस वक़्त आपका ख़ादिम बोला आपको पता नहीं जब हम पत्थर के पास पहुंचे तो मैं उसका ज़िक्र करना भूल गया (वह तो निकल भागी थी) मूसा ﷺ ने कहा बस वही वह जगह थी जिसकी हमें तलाश थी, वह दोनों अपने क़दमों पर लौट गए। जब उस पत्थर के पास पहुंचे तो देखा कि एक शख़्स कपड़ा ओढ़े हुए (सो रहा) है। मूसा ﷺ ने सलाम किया, ख़िज़्र ﷺ ने कहा आपकी ज़मीन में सलाम कहां से आया? मूसा ﷺ बोले मैं मूसा हूं। (ख़िज़्र ﷺ) बोले बनी इस्राईल वाले मूसा? कहा हां, फिर कहा क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं कि आप मुझे वह कुछ सिखाएं जो आपको सिखाया गया है? (ख़िज़्र ﷺ ने) कहा आप मेरे साथ बर्दाश्त (का मुज़ाहिरा) नहीं कर सकेंगे, ऐ मूसा! खुदा ने मुझे ऐसा इल्म दिया है जो आपके पास नहीं और खुदा ने जो आपको इल्म सिखाया है उस पर मुझे कुदरत नहीं। (मूसा ﷺ) बोले मैं इन शा अल्लाह कुव्वते बर्दाश्त का मुज़ाहिरा करूंगा और मैं आपके किसी हुक्म की ख़िलाफ़ वर्ज़ी नहीं करूंगा।

दोनों समुन्द्र के किनारे चल दिए, उनके पास कोई कश्ती न थी, इतने में एक कश्ती का उधर से गुज़र हुआ। कश्ती वालों से उन्होंने कहा हमें बिठा लो और ख़िज़्र को पहचान लिया और दोनों को बग़ैर किराया लिए सवार कर लिया गया। एक चिड़िया आई और कश्ती के किनारे पर बैठ कर उसने एक या दो चोंचें समुन्द्र में मारीं। ख़िज़्र बोले मूसा! मेरा और आपका इल्म अल्लाह के इल्म के मुक़ाबले में ऐसा ही है, चिड़िया ने समुन्द्र में दो चोंचें मारीं। फिर ख़िज़्र कश्ती के एक तख़्ते की तरफ़ गए और उसे उखेड़ डाला। मूसा बोले इन्होंने बिला मुआवज़ा हमें बिठा लिया और आपने इनकी कश्ती को फाड़ डाला और कश्ती वालों को डुबो देना चाहा। ख़िज़्र बोले मैंने नहीं कहा था कि आप सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा बोले मेरी भूल चूक पर मेरी गिरिफ़्त न करो और मेरे काम में तंगी पैदा न करो।" (रसूलुल्लाह ﷺ) फ़रमाते हैं: "यह एतेराज़ मूसा ने भूले से कर दिया, फिर वह दोनों चले तो एक लड़का खेल रहा था। ख़िज़्र ने उसका सर ऊपर से पकड़ लिया और अपने हाथ से उसको तन से जुदा कर दिया। मूसा बोले आपने बिला वजह एक बे-क़ुसूर बच्चे को क़त्ल कर दिया। ख़िज़्र ने कहा मैंने आप से (पहले ही) कहा था कि सब्र नहीं कर सकोगे। फिर वह दोनों (आगे) चले यहां तक कि एक गावं में जा पहुंचे, लोगों ने उनकी मेज़बानी से इन्कार कर दिया, फिर वहां दीवार देखी जो बोसीदा और गिरने वाली थी। ख़िज़्र ने उसे हाथ से सहारा दिया और (उसकी मरम्मत करके) उसे खड़ा कर दिया। मूसा ने कहा तुम चाहते तो इसका मुआवज़ा ले सकते थे। ख़िज़्र बोले बस अब मुझ में और आप में जुदाई का लम्हा आन पहुंचा।" रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह तआला मूसा पर रहम फ़रमाए हम यह चाहते थे कि काश मूसा सब्र करते तो अल्लाह तआला उनके और हालात भी हमें बता देता।"

बाब 87:- जो शख़्स खड़े खड़े बैठे हुए आलिम से (इल्मी) सवाल (व जवाब) करे:

हदीस 123:- हज़रत अबू मूसा (अश्अरी) फ़रमाते हैं कि एक शख़्स रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में आया और कहा या रसूलल्लाह! अल्लाह की राह में लड़ने की क्या सूरत है? क्योंकि हम में से कोई तो गुस्से की वजह से लड़ता है और कोई ग़ैरत के बाइस। आपने सर उठा कर (उसकी तरफ़) देखा क्योंकि वह खड़ा हुआ था, आप ने फ़रमाया: "जो शख़्स इस मक़सद के लिए लड़े कि अल्लाह का कलिमा बुलंन्द हो जाए तो वह (वाक़ई) अल्लाह की राह में (लड़ता) है।"

बाब 88:- रमी जमार के वक़्त मस्अला पूछना:

हदीस 124:- अब्दुल्लाह बिन अम्र फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को जमरह के पास देखा, आपसे लोग मसाइल दरयाफ़्त करते जाते थे। एक शख़्स बोला मैंने रमी से पहले कुरबानी करली, फ़रमाया: "(अब) पत्थर मारो कोई मुज़ायक़ा नहीं," दूसरे ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने कुरबानी से पहले सर मुंडवा लिया। फ़रमाया: "(अब) कुरबानी करलो कोई बात नहीं," आप से जो चीज़ पूछी गई और वह आगे पीछे हो गई थी तो आपने यही फ़रमया: "अब करलो कोई हर्ज नहीं।"

बाब 89:- इरशादे बारी तआला कि तुम्हें थोड़ा इल्म दिया गया:

हदीस 125:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद फ़रमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह ﷺ के साथ मदीना के खन्डरों में चल रहा था। आप खजूर की छड़ी को (ज़मीन पर) टिका कर चलते थे कि कुछ

यहूदियों पर आप का गुज़र हुआ। उन में से एक ने कहा कि इन से रूह के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त करो। कुछ बोले इनसे मत पूछो शायद ऐसी बात कह दें जो तुम पर गिरां गुज़रे। बाज़ बोले हम ज़रूर पूछेंगे चुनान्चे उन में से एक शख़्स खड़ा हो गया और कहा ऐ अबुल क़ासिम! रूह क्या है? आप चुप रहे, मैं समझ गया कि वही उतर रही है। मैं खड़ा हो गया, जब यह कैफ़ियत ख़त्म हुई तो आपने फ़रमाया: "तुम से पूछते हैं कि रूह क्या है? कह दो यह अम्रे ख़ुदा-वन्दी है और इन लोगों को थोड़ा ही इल्म मिला है।" आमश का बयान है कि हमारी क़िरअत में वमा ऊतू है।

बाब 90:- जिस ने बाज़ जाइज़ चीज़ों को इस ख़ौफ़ से छोड़ दिया कि कहीं ना-समझ लोग इस से ज़्यादा सख़्त बात में मुब्तला न हो जाएं:

हदीस 126:- अस्वद का बयान है कि मुझ से इब्ने ज़ुबैर ﷺ ने कहा कि हज़रत आयशा ﷺ आप से राज़ की बातें किया करती थीं तो कअबा के बारे में उन्होंने क्या फ़रमाया? मैंने कहा उन्होंने यह फ़रमाया था कि रसूलुल्लाह ﷺ ने मुझ से फ़रमाया कि ऐ आयशा! अगर तुम्हारी क़ौम नई नई मुसलमान न हुई होती, इब्ने ज़ुबैर ﷺ कहते हैं कि कुफ़्र का ज़माना अभी अभी न गुज़रा होता तो मैं कअबे को तोड़ कर उस में दो दरवाज़े लगाता, एक से अन्दर जाते और दूसरे से बाहर निकलते फिर इब्ने ज़ुबैर ﷺ ने अपने दौरे हुकूमत में ऐसा ही किया।

बाब 91:- जिस शख़्स ने कुछ बातें बाज़ लोगों को बताईं और बाज़ को इस ख़्याल से कि न समझ पाएंगे न बताईं (तो मसलेहतन ऐसा करना बेहतर है) हज़रते अली ﷺ फ़रमाते हैं: लोगों को वही बातें बताओ जो वह समझ सकें, क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह और उसके रसूल को झुटलाया जाए।

हदीस 127:- हम से इस हदीस को उबैदुल्लाह बिन मूसा ने बयान किया, उन्हों ने मारूफ़ और अबुत्-तुफ़ैल के हवाले से हज़रते अली ﷺ से रिवायत किया।

हदीस 128:- हज़रत अनस बिन मालिक ﷺ फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने मुआज़ ﷺ से फ़रमाया और वह आप के साथ सवार थे। मुआज़! उन्होंने कहा लब्बैक या रसूलल्लाह! व सअ़दैक। आपने (फिर) फ़रमाया: मुआज़! बोले लब्बैक या रसूलल्लाह! व सअ़दैक। तीन बार (ऐसा कहा) फ़रमाया: "जो शख़्स सच्चे दिल से गवाही दे कि अल्लाह के अलावा कोई मअ़बूद नहीं और मुहम्मद (ﷺ) (सच्चे) रसूल हैं, अल्लाह तआ़ला उस पर जहन्नम की आग हराम कर देता है।" मुआज़ ﷺ ने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं यह बात लोगों को न बता दूं कि वह ख़ुश हो जाएं? फ़रमाया: "अगर ऐसा करेगा तो वह इसी पर इक्तिफ़ा कर लेंगे।" मुआज़ ﷺ ने इसे अपनी मौत के वक़्त (हदीस छुपाने के) मुज्रिम बनने के ख़ौफ़ से बता दिया।

हदीस 129:- हज़रत अनस ﷺ फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने मुआज़ ﷺ से फ़रमाया था कि: "जो शख़्स अल्लाह से इस हाल में मिले कि उसके साथ किसी को शरीक न समझता था तो वह (ज़रूर) जन्नत में दाख़िल होगा।" (मुआज़ ﷺ) बोले मैं इस बशारत से लोगों को मुत्तला न कर दूं? आप ने फ़रमाया: "नहीं, मुझे ख़दशा है कि वह कहीं इसी पर तकिया न कर लें।"

बाब 92:- इल्म में शर्माना:

मुजाहिद ﷺ फ़रमाते हैं, जो शख़्स शरमाए या इतराए, इल्म हासिल न कर सकेगा। हज़रत आयशा

رضی اللہ عنہا फ़रमाती हैं: अन्सारी औरतें क्या ख़ूब हैं कि उन्हें दीन समझने में हया मानेअ़ (रुकावट) नहीं होती।

हदीस 130:- सय्यदा उम्मे सलमा رضی اللہ عنہا फ़रमाती हैं कि उम्मे सुलैम رضی اللہ عنہا (वालिदए अनस رضی اللہ عنہ) रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में आईं और पूछने लगीं: अल्लाह के रसूल! ख़ुदा तआला हक़ (बात बयान करने) में नहीं शरमाता, क्या औरत को एहतेलाम हो तो ग़ुस्ल (फ़र्ज़) है? फ़रमाया: "हां जब वह बेदारी में रतूबत देखे।" उम्मे सलमा رضی اللہ عنہا ने (हया से) मुंह ढांक लिया और बोलीं: या रसूलुल्लाह! औरत को भी एहतेलाम होता है? आप ने फ़रमाया: "हां, तुम्हारा दाहिना हाथ ख़ाक आलूद हो, (अगर औरत को इन्ज़ाल न हो तो) बच्चा उस का हम-शक्ल क्यों होता है।"

हदीस 131:- अब्दुल्लाह बिन उमर رضی اللہ عنہما फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "दरख़्तों में एक दरख़्त ऐसा है जिस पर पत-झड़ का असर नहीं होता, मुसलमान भी उसी की मानिन्द है, बताओ वह कौन दरख़्त है?" लोगों का ध्यान जंगली दरख़्तों की तरफ़ रहा, मेरे जी में आया कि वह खजूर का दरख़्त है, मगर मैं (कम-उम्री के बाइस) शर्मा गया, बिल-आख़िर लोगों ने कहा: या रसूलल्लाह! आप फ़रमाइये, वह कौन दरख़्त है? रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "वह खजूर का दरख़्त है।" अब्दुल्लाह رضی اللہ عنہ फ़रमाते हैं कि मैंने अपने वालिद से कहा जो मेरे दिल में था। वह बोले अगर तुम उस वक़्त बता देते तो मुझे इस से भी ज़्यादा ख़ुशी होती।

बाब 93:- जो ख़ुद पूछने से झिझके दूसरे शख़्स से सवाल करने को कहे:

हदीस 132:- हज़रत अली رضی اللہ عنہ फ़रमाते हैं (मुझे जिरयान था, जिस से) मेरी मज़ी निकला करती थी, मैंने मिक़दाद رضی اللہ عنہ से कहा, वह रसूलुल्लाह ﷺ से इसके मुताल्लिक़ (हुक्मे शरई) पूछे। चुनांचे उन्होंने पूछा। आप ने फ़रमाया: "इसके लिये (सिर्फ़) वुज़ू ज़रूरी है।"

बाब 94:- मस्जिद में इल्मी गुफ़्तगू और इफ़्ता:

हदीस 133:- अब्दुल्लाह बिन उमर رضی اللہ عنہما रिवायत करते हैं कि एक शख़्स मस्जिद में खड़ा हुआ और कहने लगा: या रसूलल्लाह! आप क्या हुक्म देते हैं कि इहराम कहां से बांधें? आप ने फ़रमाया: "अहले मदीना ज़ुल हुलैफ़ा, शाम वाले जुहफ़ा और नज्द वाले क़र्न से इहराम बांधें।" (इब्ने उमर رضی اللہ عنہما फ़रमाते हैं) लोग कहते हैं कि अहले यमन यलमलम से इहराम बांधें। इब्ने उमर رضی اللہ عنہما फ़रमाते हैं कि मैं यह बात हुज़ूर से पूरी तरह समझ न सका।

बाब 95:- जिस ने साइल को उसके सवाल से ज़्यादा बताया:

हदीस 134:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर رضی اللہ عنہما फ़रमाते हैं, एक शख़्स ने रसूलुल्लाह ﷺ से दरयाफ़्त किया: जो शख़्स इहराम बांधे हुए हो, वह क्या पहने? फ़रमाया: "न कुर्ता पहने न अमामा, पायजामा और टोपी पहने और वर्स (ज़र्द रंग की घास) और ज़ाफ़रान में रंगा हुआ कपड़ा न पहने। अगर जूता न मिले तो मोज़े टख़्नों से नीचे तक काट कर पहन ले।"

वुज़ू का बयान

बाब 96:- इरशादे ख़ुदावन्दी है: जब तुम नमाज़ के लिये खड़े हो तो अपना मुंह धोओ, अपने हाथ कोहनियों तक और अपने सरों पर मसह करो और अपने पांव टख़्नों तक (धोओ)। इमाम बुख़ारी का कहना है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने बयान फ़रमा दिया कि वुज़ू में एक एक बार (आज़ा धोना) फ़र्ज़

है, आप ने दो दो और तीन तीन बार भी धोया (अलबत्ता) तीन बार से ज़्यादा नहीं धोया। उलमा ने (वुज़ू में) पानी का इस्राफ़ और आप ने जितना किया उस से ज़्यादा करना मकरूह क़रार दिया है।

बाब 97:- वुज़ू के बग़ैर नमाज़ क़ुबूल नहीं होती:

हदीस 135:- हज़रत अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो बे-वुज़ू हो, उसकी नमाज़ बग़ैर वुज़ू किए क़ुबूल न होगी।" हज़र-मौत के एक शख़्स ने पूछा: अबू हुरैरा ﷺ! हदस क्या चीज़ है? फ़रमाया: फुसा या ज़ुरात (हवा का ख़ारिज होना)

बाब 98:- वुज़ू की फ़ज़ीलत और (क़यामत में) लोगों के आज़ाए वुज़ू रौशन होंगे:

हदीस 136:- नुऐम मुजमिर ﷺ फ़रमाते हैं, मैं अबू हुरैरह ﷺ के साथ मस्जिदे (नबवी) की छत पर चढ़ा। उन्होंने वुज़ू किया, फिर कहा मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से सुना: "मेरी उम्मत के लोग अलामाते वुज़ू के सबब से "ग़ुर्रन मुहज्जलीन" (पंज कलयान) कह कर बुलाए जाएंगे तो तुम में से जो शख़्स अपनी चमक में इज़ाफ़ा करना चाहता है तो ऐसा करे।" (यानी वुज़ू अच्छे तरीक़े से करे)

फ़ायदा:- इस हदीस और इसी मज़मून की दीगर अहादीस से वाज़ेह है कि क़यामत में उम्मते मुहम्मदिया के अफ़राद को आसारे वुज़ू के बाइस आम लोग भी पहचान लेंगे क्योंकि वह चमक रहे होंगे। इसके बावुजूद हदीस में आया है कि उम्मते मुहम्मदिया के बाज़ अफ़राद हौज़े कौसर की तरफ़ आएंगे, तो उन्हें फ़रिश्ते हटाने लगेंगे, हुज़ूर फ़रमाएंगे कि उन्हें न हटाओ क्योंकि यह तो मेरे हैं। फ़रिश्ते अर्ज़ करेंगे कि क्या आप को मालूम नहीं कि उन्होंने क्या नई बातें ईजाद की थीं। आप सुहक़न सुहक़न फ़रमाएंगे। यह हदीस इस बात की दलील नहीं है कि आप को उनकी बेदीनी का इल्म न होगा। क्योंकि अफ़रादे उम्मते मुहम्मदिया के मुताल्लिक़ बेख़बरी तो क़यामत में अवामुन्नास को भी नहीं होगी, फिर महबूबे परवरदिगार के बारे में ऐसा ख़िलाफ़े अक़ीदा लिखा जाए। हुज़ूर अलैस्सिलातु वस्सलाम क़यामत में उनके मुताल्लिक़ जो फ़रमाएंगे कि यह तो मेरे हैं, यह महज़ उन धोके-बाज़ों को जलाने के लिये इरशाद होगा, वरना निगाहे मुस्तफ़ा से किस की करतूत पोशीदा हैं। वल्लाहु तआला आलम बिस्सवाब।

बाब 99:- शक से वुज़ू नहीं टूटता जब तक (हदस का) यक़ीन न हो:

हदीस 137:- अब्बाद बिन तमीम ﷺ फ़रमाते हैं, उनके चचा (अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ﷺ) ने रसूलुल्लाह ﷺ से शिकायत की कि एक शख़्स को नमाज़ में यह शुब्हा होता है कि कोई चीज़ ख़ारिज हुई है। आप ने फ़रमाया: "वह उस वक़्त तक नमाज़ न तोड़े जब तक (हवा निकलने की) आवाज़ न सुन ले या बदबू मेहसूस न करे।"

बाब 100:- हल्का वुज़ू करना:

हदीस 138:- हज़रत इब्ने अब्बास ﷺ फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ सोए यहां तक कि ख़र्राटों की आवाज़ आई, फिर आप ने नमाज़ पढ़ी; कभी सुफ़यान (इस हदीस के एक रावी) ने कहा कि आप करवट पर लेटे रहे यहां तक कि ख़र्राटे लेने लगे फिर नमाज़ पढ़ी।

अली बिन अब्दुल्लाह रावी ने कहा हम से सुफ़यान ने कभी कभी हदीस बयान की और कभी मुख़्तसर, अम्र (बिन दीनार) ने कुरैब और उन्होंने इब्ने अब्बास ﷺ से रिवायत की, मैंने एक रात अपनी ख़ाला (उम्मुल मोमिनीन) मैमूनह ﷺ के हां क़ियाम किया। रसूलुल्लाह ﷺ रात के किसी हिस्से

में उठे और आपने लटकी हुई मशक से हल्का सा वुज़ू बनाया और नमाज़ के लिए खड़े हो गए। मैंने भी वुज़ू किया, उसी के क़रीब जैसा कि आप ने किया था। मैं आया और बाएं तरफ़ खड़ा हो गया और कभी सुफ़यान कहते थे कि शुमाल की तरफ़ खड़ा हो गया, आप ने मुझे फेर कर दाएं जानिब खड़ा कर लिया, फिर जिस क़दर अल्लाह ने चाहा आपने नमाज़ पढ़ी, फिर आप लेटे रहे और सो गए, यहां तक कि ख़र्राटों की आवाज़ आई। इतने में आप के पास मुअज़्ज़िन आया और उसने आपको नमाज़ के लिए कहा, आप उसके साथ होकर चल दिए। फिर आप ने नमाज़ पढ़ी (लेकिन) वुज़ू नहीं किया। (सुफ़यान कहते हैं) हम ने अम्र से कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ की आंख सोती है मगर दिल नहीं सोता, तो अम्र ने कहा कि मैंने उबैद बिन उमैर को यह कहते हुए सुना है कि अंबिया का ख़्वाब (भी) वही है, फिर उन्होंने اِنّی اَرٰی فِی الْمَنَامِ اَنِّی اَذْبَحُكَ (बेशक मैंने ख़्वाब में देखा कि तुम्हें ज़िब्ह करता हूं। (37/102) की तिलावत की।

फ़ायदा:– अंबियाए किराम عليهم السلام का ख़्वाब वही होता है जैसा कि इमाम बुख़ारी رحمۃ اللہ علیہ ने इस बात पर हज़रत उबैद बिन उमैर رحمۃ اللہ علیہ का कुरआने करीम से इस्तिदलाल भी नक़्ल फ़रमाया है। हज़रात अंबियाए किराम عليهم السلام ख़्वाब में अपनी उम्मत के हालात से बाख़बर नहीं हुआ करते बल्कि बेदारी की तरह बाख़बर रहा करते थे। सरमायए मिल्लत के एक अदीमुल मिसाल निगहबान यानी हज़रत मुजद्दिद अलफ़ सानी رحمۃ اللہ علیہ (मुतवफ़्फ़ी 1034 हिजरी/1624 ई०) ने इस हक़ीक़त को यूं बयान किया है:

"تَنَامُ عَيْنَایَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِی۔ (हदीस)

تحریر یافتہ بود اشارت بدوام آگاہی نیست بلکہ اخبارست از عدم غفلت از جریانِ احوالِ خویش وامتِ خویش، لہٰذا نوم در حق آں سرور علیہ الصلوٰۃ والسلام ناقضِ طہارت نگشت وچون نبی دررنگِ شبان است درمحافظتِ اُمت خود غفلت شایان منصب نبوت اُو نباشد۔

हदीस मेरी आंखें होती हैं और मेरा दिल नहीं सोता जो तहरीर की, उस में दवाम आगाही का इशारा नहीं है बल्कि यह इस बात की ख़बर है कि हुज़ूर अपने और अपनी उम्मत के अहवाल से बेख़बर नहीं हैं। लिहाज़ा नींद आप के हक़ में वुज़ू तोड़ने वाली न थी और नबी चूंकि मुहाफ़िज़ के रंग में होता है लिहाज़ा अपनी उम्मत की मुहाफ़ज़त से ग़ाफ़िल होना उसकी शान के शायान नहीं है। (मकतूबाते इमामे रब्बानी, दफ़्तर अव्वल, मकतूब 99)

बाब 101:– वुज़ू पूरा करना और इब्ने उमर رضی اللہ عنہما ने फ़रमाया वुज़ू पूरा करना (यानी) अच्छी तरह (आज़ा धोना):

हदीस 139:– हज़रत उसामह बिन ज़ैद رضی اللہ عنہما फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ अरफ़ात से वापस आए, जब घाटी में पहुंचे तो आप उतरे और पेशाब किया। फिर वुज़ू किया लेकिन पूरा वुज़ू न किया। मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! नमाज़ (का वक़्त हो गया है) फ़रमाया: "नमाज़ आगे है।" (यानी मुज़्दलिफ़ह में पढ़ेंगे) फिर आप सवार हुए, जब मुज़्दलिफ़ह पहुंचे तो उतरे और वुज़ू किया और पूरा वुज़ू किया, फिर नमाज़ की तक्बीर कही गई। आप ने मग़रिब की नमाज़ पढ़ी, बादे अज़ां हर एक ने अपना अपना ऊँट बिठाया, फिर इशा की नमाज़ पढ़ी गई और दोनों के दरमियान कोई नमाज़ नहीं पढ़ी।

बाब 102:– पानी के एक चुल्लू के साथ दोनों हाथों से मुंह धोना:

हदीस 140:– अता बिन यसार رحمۃ اللہ علیہ का बयान है कि हज़रत इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہما ने वुज़ू किया और अपना मुंह धोया और एक चुल्लू पानी लेकर उससे कुल्ली कि और नाक में पानी डाला, फिर एक

और चुल्लू लिया और उससे इसी तरह किया यानी दूसरे हाथ को मला, उससे मुंह धोया, फिर एक चुल्लू पानी लिया और उससे अपना दाहिना हाथ धोया, फिर एक चुल्लू पानी लिया और उससे अपना बायां हाथ धोया, फिर अपने सर का मसह किया, फिर एक चुल्लू पानी लिया और अपने दाहिने पांव पर डाला, फिर एक और चुल्लू पानी लिया उससे बाएं पांव को धोया, फिर कहा: मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को इसी तरह वुज़ू करते देखा।

बाब 103:- हर हाल में बिस्मिल्लाह कहना चाहिए यहां तक कि सोहबत करते वक़्त भी:

हदीस 141:- हज़रत इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہ रसूलुल्लाह ﷺ तक इस रिवायत को पहुंचाते हैं कि आप ने फ़रमाया: "तुम में से जब कोई आदमी अपनी बीवी के पास आए तो कहे "बिस्मिल्लाह" या ऐ अल्लाह! हम को शैतान से महफ़ूज़ रख और जो तू हमें अता फ़रमाए उस से भी शैतान को दूर रख और कोई औलाद हो तो शैतान उसे नुक़सान न पहुंचा सकेगा।"

बाब 104:- बैतुल ख़ला जाते वक़्त क्या पढ़े:

हदीस 142:- हज़रत अनस رضی اللہ عنہ फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ बैतुल ख़ला जाते वक़्त यह कहते: اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ "ऐ अल्लाह! मैं नापाक चीज़ों और नापाकियों से तेरी पनाह मांगता हूं।" मुताबिअत की इसकी इब्ने अरअरह ने शुअबा से और गुंदर ने शुअबा के हवाले से कहा जब बैतुल ख़ला जाते। मूसा ने हम्माद के हवाले से कहा कि जब दाख़िल होते। सईद बिन ज़ैद ने कहा कि हम से हदीस बयान की अब्दुल अज़ीज़ ने कि जब दाख़िल होने का इरादा फ़रमाते।

बाब 105:- रफ़ए हाजत के वक़्त पानी रखना:

हदीस 143:- हज़रत इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہ फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ बैतुल ख़ला में गए, मैंने आपके लिए वुज़ू का पानी रख दिया। (बाहर निकल कर) पूछा: "यह पानी किस ने रखा?" आपको बताया गया (इब्ने अब्बास ने रखा) आपने फ़रमाया: "या अल्लाह! उसे दीन की समझ अता फ़रमा।"

फ़ायदा:- इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर कोई अपने साथ नेकी करे तो उसे नेकी के साथ बदला देना चाहिये और नेकी करने से पहले सरे-दस्त उसके लिये दुआ करनी चाहिये क्योंकि यह उसकी ख़ैर ख़्वाही और नेकी का बदला है। वल्लाहु तआला आलम।

बाब 106:- पाख़ाने या पेशाब के वक़्त क़िब्ला की तरफ़ रुख़ न करे (हां) मगर इमारत या दीवार हो:

हदीस 144:- हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी رضی اللہ عنہ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब कोई तुम में से पाख़ाने में जाए तो क़िब्ले की तरफ़ मुंह न करे और न उसकी तरफ़ पुश्त, मश्रिक़ की तरफ़ मुंह करे या मग़्रिब की जानिब।" (वाज़ेह रहे यह हुक्म मदीना वालों के लिए है क्योंकि उनका क़िब्ला जुनूब की तरफ़ बनता है, मुतर्जिम)

बाब 107:- दो ईंटों पर बैठ कर पाख़ाना करना:

हदीस 145:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर رضی اللہ عنہ फ़रमाते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जब तुम (रफ़ए हाजत) के लिए बैठो तो न कअबे की तरफ़ मुंह करो और न बैतुल मक़्दिस की तरफ़। अब्दुल्लाह बिन उमर رضی اللہ عنہ फ़रमाते हैं, एक दिन मैं अपने घर की छत पर चढ़ा तो मैंने देखा कि

रसूलुल्लाह ﷺ बैतुल मक़दिस की तरफ़ मुंह किए दो कच्ची ईंटों पर (रफ़ए) हाजत के लिए बैठे हैं। (और इब्ने उमर رضی اللہ عنہما ने वासेअ رضی اللہ عنہ से कहा) शायद तुम उनमें से हो जो अपनी रानों पर (सीना रख कर) नमाज़ पढ़ते हैं। (उन्होंने कहा) मैं वल्लाह नहीं जानता। इमाम मालिक رضی اللہ عنہ का कहना है कि इस से वह शख़्स मुराद है जो सज्दे के वक़्त अपनी रानों को पेट से मिलाता है।

बाब 108:- रफ़ए हाजत की ग़र्ज़ से औरतों का बाहर निकलना:

हदीस 146:- हज़रत आयशा رضی اللہ عنہا फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ की अज़्वाज रफ़ए हाजत के लिए रात को मनासेअ की तरफ़ जातीं। (मनासेअ का मतलब कुशादा टीला है) हज़रत उमर رضی اللہ عنہ रसूलुल्लाह ﷺ को कहा करते थे कि अपनी अज़्वाज को पर्दे में बिठाइये लेकिन आप ऐसा न करते। एक रात इशा के वक़्त ज़ौजए रसूल सौदह बिन्ते ज़म्आ رضی اللہ عنہا रफ़ए हाजत के लिए निकलीं, आप दराज़ क़द औरत थीं, हज़रत उमर رضی اللہ عنہ ने इस ख़्याल से कि पर्दे के अहकाम नाज़िल हों पुकार कर कहा, सौदह! हम ने आपको पहचान लिया, तब अल्लाह तआला ने पर्दे के अहकाम नाज़िल फ़रमाए।

हदीस 147:- हज़रत आयशा رضی اللہ عنہا फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने (अपनी अज़्वाज से) फ़रमाया: "तुम्हें हाजत के लिए घर से बाहर निकलने की इजाज़त है।" हिशाम का कहना है कि हाजत से मुराद बोल व बराज़ है।

बाब 109:- घरों में रफ़ए हाजत करना:

हदीस 148:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर رضی اللہ عنہما फ़रमाते हैं कि मैं किसी काम की ग़र्ज़ से हफ़्सह رضی اللہ عنہا (उम्मुल मोमिनीन) के घर की छत पर चढ़ा, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को क़िब्ले की तरफ़ पीठ और शाम की तरफ़ मुंह किए रफ़ए हाजत करते देखा।

हदीस 149:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर رضی اللہ عنہما ने वासेअ बिन हब्बान को बताया कि मैं एक दिन अपने घर की छत पर चढ़ा और रसूलुल्लाह ﷺ को दो कच्ची ईंटों पर बैठे बैतुल मक़दिस की तरफ़ मुंह किए रफ़ए हाजत करते देखा।

बाब 110:- पानी से इस्तिन्जा करना:

हदीस 150:- हज़रत अनस رضی اللہ عنہ फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ जब रफ़ए हाजत करते तो मैं और एक लड़का पानी का एक डोल ले आते, आप उस से इस्तिन्जा करते।

बाब 111:- जो शख़्स तहारत के वक़्त उस के लिए पानी ले जाए:

हज़रत अबू दर्दा رضی اللہ عنہ ने फ़रमाया, क्या तुम में वह शख़्स नहीं है (यानी अब्दुल्लाह बिन मसऊद رضی اللہ عنہ) जो साहिबुन नअलैन वत्तहूर वल विसाद है (यानी जो रसूलुल्लाह ﷺ की जूतियां, वुज़ू का पानी और तकिया अपने साथ रखता था।)

हदीस 151:- हज़रत अनस رضی اللہ عنہ फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ जब रफ़ए हाजत के लिए (जंगल को) जाते तो मैं और एक लड़का एक डोल पानी ले कर आपके पीछे जाते।

बाब 112:- इस्तिन्जा के लिए पानी के साथ नेज़ा लेना:

हदीस 152:- हज़रत अनस رضی اللہ عنہ फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ जब रफ़ए हाजत के लिए जाते तो मैं और एक लड़का एक डोल पानी और नेज़ा ले जाते, आप पानी से इस्तिन्जा करते।

बाब 113:- दाएं हाथ से इस्तिन्जा करने की मुमानिअत:

हदीस 153:- हज़रत इब्ने क़तादह अपने बाप (अबू क़तादह अन्सारी) के हवाले से कहते हैं कि उन्होंने फ़रमाया, रसूलुल्लाह का फ़रमान है कि: "तुम में कोई शख़्स जब (पानी) पिए तो बरतन में सांस न ले, जब कोई रफ़्ए हाजत को जाए तो शर्मगाह को दाहिना हाथ न लगाए और न दाएं हाथ से इस्तिन्जा करे।"

बाब 114:- पेशाब करते वक़्त उज़्वे ख़ास को दाहिने हाथ से न पकड़े:

हदीस 154:- अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादह के वालिद अबू क़तादह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फ़रमाया: "जब कोई तुम में से पेशाब करे तो उज़्वे ख़ास को अपने दाहिने हाथ से न पकड़े और न दाएं हाथ से इस्तिन्जा करे और न बरतन में सांस ले।"

बाब 115:- ढेलों से इस्तिन्जा करना:

हदीस 155:- हज़रत अबू हुरैरह फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह रफ़्ए हाजत के लिए निकले तो मैं भी उनके पीछे चल दिया, आप (चलत वक़्त) इधर उधर नहीं देखते थे। आप ने फ़रमाया: (कोई) पत्थर ढूंढ दो, मैं उस से इस्तिन्जा करूंगा या ऐसा ही कोई लफ़्ज़ फ़रमाया और (हां) हड्डी और गोबर न लाना। मैं अपने कपड़े में पत्थर (इकट्ठे करके) लाया और उन्हें आप के पहलू में रख दिया। मैं आपके पास से हट आया, जब आप रफ़्ए हाजत से फ़ारिग़ हुए तो उन पत्थरों को (इस्तिन्जा के लिए) इस्तेमाल किया।

बाब 116:- गोबर से इस्तिन्जा न करना:

हदीस 156:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह रफ़्ए हाजत के लिए गए और मुझे तीन ढेले लाने को कहा। मैंने दो पत्थर तो ढूंढ लिए तीसरा ढूंढे से भी न मिला तो मैंने गोबर का (ख़ुश्क) टुकड़ा उठा लिया। आपने पत्थर उठाए और गोबर फेंक दिया और फ़रमाया: "यह नापाक है।" इब्राहीम बिन यूसुफ़, उनके वालिद, अबू इस्हाक़ फ़रमाते हैं कि मुझ से अब्दुर्रहमान ने इसी तरह हदीस बयान की।

बाब 117:- वुज़ू में आज़ा एक एक बार धोना:

हदीस 157:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने वुज़ू के दौरान हर उज़्व को एक एक बार धोया।

बाब 118:- वुज़ू में आज़ा को दो दो बार धेना:

हदीस 158:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने वुज़ू के दौरान हर उज़्व को दो दो बार धोया।

बाब 119:- वुज़ू में आज़ा को तीन तीन बार धेना:

हदीस 159:- हज़रत हुमरान (हज़रत उसमान के आज़ाद करदा ग़ुलाम) से रिवायत है, उन्होंने हज़रत उसमान को देखा, उन्होंने (पानी का) बरतन मंगवाया। (पहले) अपने दोनों पहुंचों पर तीन बार पानी डाला, कुल्ली की, नाक साफ़ की, फिर अपने चेहरे को और दोनों हाथों को कोहनियों तक तीन बार धोया, फिर अपने सर का मसह करके अपने दोनों पावं टख़नों तक तीन मरतबा धोए, फिर फ़रमाया कि रसूलुल्लाह का इरशाद है कि: "जो शख़्स मेरी तरह वुज़ू करे और दो रकअत पढ़े और दिल में कोई दुनियवी ख़्याल न लाए तो उसके अगले गुनाह बख़्श दिए जाएंगे।" उरवह

इस हदीस को हुमरान ﷺ के हवाले से यूं नक़्ल करते हैं कि जब हज़रत उसमान ﷺ वुज़ू कर चुके तो कहने लगे मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूं, अगर (कुरआने मजीद की) एक आयत न होती तो मैं तुम्हें हदीस (भी) न सुनाता। मैंने रसूलुल्लाह ﷺ की ज़बानी सुना: "जो शख़्स अच्छी तरह वुज़ू करके नमाज़ अदा करे तो उस नमाज़ और आइन्दा नमाज़ तक के गुनाह बख़्श दिए जाते हैं।" उरवह ﷺ कहते हैं कि आयत यह थी: "और जो लोग हमारी उतारी हुई आयात को छुपाते हैं।" (सूरए अल बक़रह, आयत: 159)

बाब 120:- वुज़ू में नाक साफ़ करने का बयान: इसे उसमान, अब्दुल्लाह बिन ज़ैद और इब्ने अब्बास ﷺ ने रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत किया।

हदीस 160:- हज़रत अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, आप ने फ़रमाया: "जो शख़्स वुज़ू करे, वह नाक साफ़ करे और इस्तिन्जा के लिए ताक़ ढेले ले।"

बाब 121:- इस्तिन्जा के लिए ताक़ ढेले लेना:

हदीस 161:- हज़रत अबू हुरैरह ﷺ से रिवायत है, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब कोई शख़्स वुज़ू करे तो नाक में पानी डाले, फिर (उसे) साफ़ करे। जो कोई पत्थरों से इस्तिन्जा करे तो ताक़ पत्थर इस्तेमाल करे और जो कोई सो कर उठे तो क़ब्ल इसके कि वुज़ू के पानी में हाथ डाले (उन्हें) धोले, क्योंकि कोई नहीं जानता कि रात को उसका हाथ कहां (कहां) रहा।"

बाब 122:- दोनों पावं धोए, मसह न करे:

हदीस 162:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र ﷺ से रिवायत है कि किसी सफ़र में रसूलुल्लाह ﷺ हम से पीछे रह गए, फिर आप हम से मिल गए। हमें नमाज़े अस्र में देर हो गई थी, हम (जल्दी के बाइस) पावं पर मसह कर रहे थे। आप ने बुलन्द आवाज़ से पुकारा और दो या तीन मरतबा फ़रमाया: "एड़ियों के लिए आग से तबाही होगी।"

बाब 123:- वुज़ू में कुल्ली करना:

इसे इब्ने अब्बास और अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ﷺ ने रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत किया।

हदीस 163:- हुमरान ﷺ (हज़रत उसमान ﷺ के आज़ाद करदा गुलाम) से मन्क़ूल है कि हज़रत उसमान ﷺ ने वुज़ू के लिए पानी मंगवाया और अपने दोनों हाथों पर बरतन से (पानी) डाला और उन दोनों को तीन बार धोया, फिर अपना दाहिना हाथ पानी में डाला, फिर कुल्ली की, नाक में पानी डाला नाक साफ़ की, फिर अपने मुंह को और हाथों को कोहनियों तक तीन बार धोया, सर का मसह किया और अपने पावं को तीन बार धोया, बादे अज़ां फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को इसी तरह वुज़ू करते देखा। आप ने फ़रमाया था कि: "जो कोई मेरे वुज़ू की तरह वुज़ू करे और दो रकअत नमाज़ ख़ुलूसे क़ल्ब के साथ पढ़े तो उसके अगले गुनाह बख़्श दिए जाएंगे।"

बाब 124:- एड़ियां धोना:

इब्ने सीरीन ﷺ जब वुज़ू करते तो अंगूठी की जगह भी धोते।

हदीस 164:- मुहम्मद बिन ज़ियाद का बयान है कि मैंने अबू हुरैरह ﷺ से सुना, जबकि वह हमारे पास से गुज़र रहे थे और लोग बरतन से वुज़ू कर रहे थे, तो उन्होंने फ़रमाया वुज़ू ठीक तरह किया करो क्योंकि अबुल क़ासिम (ﷺ) ने फ़रमाया: "दोज़ख़ की आग से एड़ियों की तबाही है।"

बाब 125:- जूता पहने हुए दोनों पावं का धोना ज़रूरी है, मसह काफ़ी नहीं

हदीस 165:- उबैद बिन जुरैज फ़रमाते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर رضی اللہ عنہ से कहा, अब्दुर्रहमान! आप चार बातें ऐसी करते हैं जिन्हें आपके (दीगर) साथियों को करते नहीं देखा। उन्होंने कहा, इब्ने जुरैज! वह कौन सी बातें हैं? मैंने कहा, मैंने देखा कि आप (हज में) रुक्ने यमानी और हजरे असवद के वग़ैर किसी और रुक्न को हाथ नहीं लगाते, आप साफ़ सिब्ती जूतियां पहनते हैं, आप ज़र्द खिज़ाब इस्तेमाल करते हैं और मैंने देखा जब आप (अय्यामे हज में) मक्का में होते हैं, लोग चाँद देखते ही इहराम बांध लेते हैं और आप तरवियह यानी आठवीं तारीख़ तक नहीं बांधते। अब्दुल्लाह बिन उमर رضی اللہ عنہ ने जवाब दिया: कअबे के अरकान का जहां तक तअल्लुक है तो मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को रुक्ने यमानी और हजरे असवद के अलावा किसी रुक्न को हाथ लगाते नहीं देखा। निरी साफ़ जूतियां मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को पहने हुए देखा और आप उन्हें पहने हुए वुज़ू फ़रमाते। मैं भी उन्हें पहनना पसंद करता हूं, रहा ज़र्द रंग तो मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को ज़र्द रंगते हुए देखा, बिना बरीं मैं भी इस रंग को महबूब रखता हूं। बाक़ी रही बात इहराम बांधने की तो मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को (इहराम बांधते) नहीं देखा जब तक कि आप की ऊँटनी न चल पड़ती।

बाब 126:- वुज़ू और ग़ुस्ल दाएं तरफ़ से शुरू करना:

हदीस 166:- हज़रत उम्मे अतियह رضی اللہ عنہا फ़रमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह ﷺ की साहिबज़ादी (सय्यदा ज़ैनब رضی اللہ عنہا) को ग़ुस्ल दिया जाने लगा तो आप ने ग़ुस्ल देने वाली औरतों से फ़रमाया: "दाएं तरफ़ से और वुज़ू की जगहों से शुरू करो।"

हदीस 167:- सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ को हर काम का आग़ाज़ दाहिनी तरफ़ से अच्छा लगता जूता पहनना हो, कंघी करना या तहारत करना वग़ैरह उमूर हैं।

बाब 127:- जब नमाज़ का वक़्त आ जाए तो पानी की तलाश करना:

सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا फ़रमाती हैं कि सुबह की नमाज़ का वक़्त आ गया तो पानी ख़ूब ढूंढा गया जब न मिला तो आयते तयम्मुम नाज़िल हुई।

हदीस 168:- हज़रत अनस बिन मालिक رضی اللہ عنہ फ़रमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को देखा कि नमाज़े अस्र का वक़्त हो गया, सहाबा رضی اللہ عنہم ने वुज़ू के लिए पानी ढूंढा मगर न मिला, तब रसूलुल्लाह ﷺ के पास (थोड़ा सा) वुज़ू का पानी लाया गया। उस बरतन में आप ने अपना हाथ रख दिया और लोगों से फ़रमाया: वुज़ू शुरू करो। अनस رضی اللہ عنہ कहते हैं मैंने देखा कि पानी आपकी उंगलियों के नीचे से उबल रहा था यहां तक कि आख़िरी आदमी तक सब ने वुज़ू कर लिया।

बाब 128:- वह पानी जिस से आदमी के बाल धोए जाएं:

अता رحمہ اللہ इंसानों के बालों से डोरियां या रस्सियां बनाना जाइज़ समझते थे (और इस बाब में) कुत्तों के झूटे और उनके मस्जिद में आने जाने (की तशरीह है)। ज़ुहरी का कहना है कि (कुत्ता) किसी बरतन में मुंह डाले और उसके अलावा कोई पानी न हो तो उससे वुज़ू कर लिया जाए। सुफ़यान सौरी ने कहा कि क़ुरआने मजीद के इस हुक्म से भी यही मुस्तंबत होता है कि जब पानी न मिले तो तयम्मुम करलो और यह तो फिर भी पानी है, अगर दिल में ख़दशा सा रहता है लिहाज़ा उससे वुज़ू के साथ साथ (एहतियातन) तयम्मुम भी कर लिया जाए।

हदीस 169:- इब्ने सीरीन ﷺ कहते हैं कि मैंने उबैदह ﷺ से कहा कि हमारे पास रसूलुल्लाह ﷺ के कुछ मूए अक़दस हैं, हम ने उन्हें अनस ﷺ के पास से या उनके घर वालों से पाया है। अबू उबैदह ﷺ ने फ़रमाया अगर उन बालों में से मुझे एक बाल भी मिल जाए तो वह मुझे दुनिया व मा फ़ीहा से अज़ीज़ होगा।

हदीस 170:- हज़रत अनस ﷺ फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने जब अपना सर मुंडवाया था तो सब से पहले अबू तलहा ﷺ ने आप के बाल लिए थे।

फ़ायदा:- मालूम हुआ कि रहमते दो आलम ﷺ के मूए मुबारक बड़ी बरकत वाली चीज़ हैं। उन्हें हासिल करना और उनके फ़ुयूज़ व बरकात से मुस्तफ़ीद होना सहाबए किराम ﷺ के शिआर में शामिल था। ख़ुद सरवरे कौन व मकान ﷺ की रज़ामन्दी इस फ़ेअल के अन्दर शामिल है लिहाज़ा इसके मुअस्सर और मुतबर्रक होने में कोई शक न रहा और उम्मते मुहम्मदिया ने आपके आसारे मुक़द्दसा से जो फ़ुयूज़ व बरकात पाए, उनके बयान से दीनी किताबें भरी पड़ी हैं। गुज़िश्ता हदीस में इनकी अहमियत का वाज़ेह सुबूत मौजूद है कि आंख वालों की नज़र में इन आसारे मुक़द्दसा की क्या क़दर व क़ीमत है। इसी लिये तो हज़रत उबैदा ﷺ ने हज़रत इब्ने सीरीन ﷺ से कहा कि अगर मेरे पास उन में से रसूलुल्लाह ﷺ का एक बाल मुबारक भी होता तो वह मुझे दुनिया और उसकी सारी दौलत से अज़ीज़ होता। परवरदिगारे आलम हमें अपने महबूब के आसारे मुक़द्दसा से दारैन में मुस्तफ़ीद फ़रमाए, आमीन।

बाब 129:- जब कुत्ता बरतन में मुंह डाल कर पी ले:

हदीस 171:- हज़रत अबू हुरैरह ﷺ से रिवायत है, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब कुत्ता किसी शख़्स के बरतन में पानी पी ले तो उसे सात बार धोए।"

हदीस 172:- हज़रत अबू हुरैरह ﷺ से रिवायत है, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "एक शख़्स ने एक (प्यासे) कुत्ते को देखा जो प्यास के मारे गीली मिट्टी चाट रहा था। उसने अपना मोज़ा उतारा और उसमें पानी भर कर (उसे पिलाने लगा) यहां तक कि वह सेर हो गया। अल्लाह तआला ने उसके बदले में उस (शख़्स) को जन्नत में दाख़िल फ़रमा दिया।"

अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ के अहद में कुत्ते मस्जिद में आते जाते, फिर वहां किसी जगह पर पानी नहीं छिड़कते थे।

हदीस 173:- अदी बिन हातिम ﷺ फ़रमाते हैं कि मैंने (कुत्ते के शिकार का मस्अला) रसूलुल्लाह ﷺ से पूछा। आपने फ़रमाया: "जब तुम अपने सिधाए हुए कुत्ते को छोड़ो, वह शिकार मारे तो खालो और जब (वह ख़ुद) उस शिकार से खाले तुम उसे न खाओ क्योंकि वह अपने लिए शिकार करता है।" मैंने कहा (कभी) मैं अपने कुत्ते को छोड़ता हूं और (शिकार की जगह) उसके साथ दूसरा कुत्ता देखता हूं। आप ने फ़रमाया: "(उस शिकार को) न खाओ इस लिए कि तुम ने "बिस्मिल्लाह" अपने कुत्ते पर पढ़ी थी, दूसरे पर नहीं।"

बाब 130:- जो लोग वुज़ू सिर्फ़ पाख़ाना और पेशाब के बाद फ़र्ज़ समझते हैं:

इरशादे ख़ुदावन्दी है: "या कोई तुम में से जाए ज़रूरत से आए।" अता ﷺ का कहना है कि जिस की दुबुर से कोई कीड़ा ख़ारिज हो या क़ब्ल (उज़्वे मख़सूस) से कोई जूं वग़ैरा तो वह फिर वुज़ू करे।

जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضي الله عنه ने कहा कि अगर कोई नमाज़ में हंस पड़े तो वह नमाज़ का इआदा करे, दोबारा वुज़ू न करे। इमाम हसन बसरी رحمه الله ने कहा जिस ने अपने बाल मूंडे, नाखुन तरशवाए या मोज़े उतार दिए तो उस पर (दोबारा) वुज़ू लाज़िम नहीं। अबू हुरैरह رضي الله عنه ने कहा हदस के बगै़र वुज़ू लाज़िम नहीं होता। जाबिर رضي الله عنه से मन्कूल है कि रसूलुल्लाह صلى الله عليه وسلم गज़वए ज़ातिर रिक़ाअ में थे। एक शख़्स को तीर मारा गया, उसके जिस्म से ख़ासा ख़ून बहा, उसने रुकूअ किया और बराबर नमाज़ पढ़ता रहा। हसन बसरी رحمه الله कहते हैं कि मुसलमान अपने ज़ख़्मी होने के दौरान भी नमाज़ जारी रखते थे। ताऊस, इमाम मुहम्मद बाक़र, अता رحمه الله और अहले हिजाज़ ने कहा कि ख़ून (बहने) से वुज़ू (लाज़िम) नहीं होता। इब्ने उमर رضي الله عنهما ने अपनी फुन्सी को दबाया और उससे ख़ून निकला मगर उन्होंने वुज़ू नहीं किया। इब्ने अबी औफ़ा رضي الله عنه ने ख़ून थूका लेकिन बराबर नमाज़ पढ़ते रहे। इब्ने उमर رضي الله عنهما और हसन बसरी رحمه الله फ़रमाते हैं जो कोई पुछने लगवाए वह सिर्फ़ पुछनियों की जगह धो ले।

हदीस 174:– हज़रत अबू हुरैरह رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صلى الله عليه وسلم फ़रमाते हैं, बन्दा बराबर नमाज़ में समझा जाता है जब तक वह मस्जिद में नमाज़ का मुन्तज़िर रहे यहां तक कि उसका वुज़ू न टूट जाए। एक अजमी बोला हदस क्या है? (अबू हुरैरह رضي الله عنه ने) कहा: आवाज़ (यानी हवा का आवाज़ से ख़ारिज होना।)

हदीस 175:– हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर رضي الله عنه फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह صلى الله عليه وسلم ने फ़रमाया: "नमाज़ न छोड़े जब तक (हवा के ख़ारिज होने की) आवाज़ न सुन ले या बदबू न महसूस हो।"

हदीस 176:– हज़रत अली رضي الله عنه फ़रमाते हैं, मेरी मज़ी निकलती रहती थी, शर्म के मारे रसूलुल्लाह صلى الله عليه وسلم से पूछ न सका। मैंने मिक़दाद बिन असवद رضي الله عنه से कहा तुम पूछो। उन्होंने पूछा, आपने फ़रमाया: "इसमें (सिर्फ़) वुज़ू है।" शुअबह ने भी अअमश से इसी तरह रिवायत की है।

हदीस 177:– ज़ैद इब्ने ख़ालिद कहते हैं, मैंने हज़रत उसमान رضي الله عنه से पूछा, फ़रमाइये कोई शख़्स जिमाअ (तो) करे मगर इन्ज़ाल न हो तो? हज़रत उसमान رضي الله عنه ने फ़रमाया: सिर्फ़ वुज़ू करे और आलए तनासुल धो डाले। हज़रत उसमान رضي الله عنه ने फ़रमाया: मैंने यह रसूलुल्लाह صلى الله عليه وسلم से सुना। फिर मैंने यह मस्अला हज़रत अली, ज़ुबैर, तलहा और उबइ बिन कअब رضي الله عنهم से पूछा तो उन्होंने भी यही फ़रमाया।

हदीस 178:– हज़रत अबू सईद ख़ुदरी رضي الله عنه फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह صلى الله عليه وسلم ने एक अन्सारी को बुला भेजा। जिस वक़्त वह आए तो उनके सर से पानी टपक रहा था। आप ने फ़रमाया: "मालूम होता है कि तुम हमारे बुलाने पर जल्दी से चले आए।" वह बोले हां। रसूलुल्लाह صلى الله عليه وسلم ने फ़रमाया: "जब ऐसा मौक़ा हो, जब तुम्हें जल्दी हो या इन्ज़ाल न हो तो (सिर्फ़) वुज़ू कर लिया करो।"

बाब 131:– जो शख़्स अपने साथी को वुज़ू करवाए:

हदीस 179:– हज़रत उसामह बिन ज़ैद رضي الله عنهما फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह صلى الله عليه وسلم जब अरफ़ात से वापस हुए तो घाटी की तरफ़ मुड़ गए। वहां रफ़ए हाजत की (और फ़ारिग़ होने के बाद) उसामह رضي الله عنه कहते हैं कि मैं पानी डालता रहा और आप वुज़ू करते रहे। मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! आप नमाज़ यहीं पढ़ेंगे? फ़रमाया: "नमाज़ तुम्हारे आगे है।" (यानी मुज़्दलिफ़ा में)

हदीस 180:– मुग़ीरह बिन शुअबह رضي الله عنه फ़रमाते हैं, मैं एक सफ़र में रसूलुल्लाह صلى الله عليه وسلم के साथ था। आप रफ़ए हाजत के लिए चले गए (वापस आए) तो मुग़ीरह رضي الله عنه (मैं) आप पर पानी डालने लगे

और आप वुज़ू करते रहे, आपने अपना मुंह और हाथ धोए, सर और मोज़ों पर मसह किया।

बाब 132:- बग़ैर वुज़ू तिलावते कुरआने मजीद करना:

मन्सूर ने इब्राहीम नख़ई ﷺ से नक़्ल किया कि हम्माम में तिलावत करना और बे-वुज़ू ख़त लिखना जाइज़ है। हम्माद ﷺ ने इब्राहीम ﷺ से रिवायत किया, अगर नहाने वाले के जिस्म पर इज़ार हो तो सलाम करे वरना सलाम न करे।

हदीस 181:- कुरैब ﷺ मौला इब्ने अब्बास ﷺ का बयान है कि उन्हें हज़रत इब्ने अब्बास ﷺ ने बताया कि वह एक रात ज़ौजए रसूल और अपनी ख़ाला सय्यदा मैमूनह ﷺ के घर रहे। मैं तकिया के अर्ज़ में लेट गया और रसूलुल्लाह ﷺ और ज़ौजए मोहतरमा उसके तूल में लेट गए। रसूलुल्लाह ﷺ को नींद आ गई, आधी रात या उससे (कुछ देर) पहले या बाद रसूलुल्लाह ﷺ जागे और नींद (ही) में अपने चेहरे को हाथ से मलते हुए बैठ गए। सूरए आले इमरान की आख़िरी दस आयात तिलावत कीं, बादे अज़ां लटकी हुई मशक की तरफ़ उठे और उससे वुज़ू किया और नमाज़ के लिए खड़े हो गए। इब्ने अब्बास ﷺ कहते हैं: मैं (भी) उठा और रसूलुल्लाह ﷺ की तरह वुज़ू किया फिर गया और आप के पहलू में खड़ा हो गया। आपने अपना दायां हाथ मेरे सर पर रखा और मेरा दाहिना कान पकड़ा (गोया इशारा था दाएं जाजिब खड़े होने का) फिर दो रकअत नमाज़ अदा की, फिर दो रकअतें पढ़ीं, फिर दो रकअतें पढ़ीं, फिर दो रकअतें पढ़ीं, फिर दो रकअतें पढ़ीं, फिर दो रकअतें पढ़ीं, बाद में आप ने वित्र पढ़े और सो रहे हत्ता कि मुअज़्ज़िन आया और आप खड़े हुए, फिर हल्की सी दो रकअतें पढ़ीं, फिर आप गए और सुबह की नमाज़ अदा की।

बाब 133:- ग़शी का शदीद दौरा हो तो वुज़ू करना ज़रूरी है:

हदीस 182:- हज़रत अस्मा ﷺ (बिन्ते अबू बकर) फ़रमाती हैं कि मैं ज़ौजए रसूल सय्यदा आयशा ﷺ के पास आई, उस वक़्त सूरज ग्रहन था, लोग खड़े नमाज़ पढ़ रहे थे (और आयशा ﷺ भी) नमाज़ पढ़ रही थीं। मैं बोली, लोगों को क्या हुआ? (यानी मैं बे-वक़्त नमाज़ पर चौंकी) उन्होंने हाथ से आसमान की तरफ़ इशारा किया और कहा सुब्हानल्लाह! मैंने कहा कोई (अज़ाब की) अलामत है? उन्होंने इशारा किया हां! तो मैं भी (नमाज़ के लिये) खड़ी हो गई यहां तक कि मुझ पर ग़शी तारी होने लगी और मैं अपने सर पर पानी डालने लगी। जब रसूलुल्लाह ﷺ फ़ारिग़ हुए तो आप ने अल्लाह की हम्दो सना बयान की, बादे अज़ां फ़रमाया: "जो चीज़ आज तक मुझे नहीं दिखाई गई थी वह मैंने आज इसी जगह देख ली है हत्ता कि जन्नत और दोज़ख़ को भी देख लिया और मुझ पर वह़ी उतरी कि तुम लोग क़ब्रों में आज़माए जाओगे मिस्ल या क़रीब या आज़माइश के।" (फ़ातिमा कहती हैं) कि मुझे (अच्छी तरह) याद नहीं कि अस्मा ﷺ ने उन दो में से कौन सा लफ़्ज़ इस्तेमाल किया था। तुम्हारे हर एक के पास (फ़रिश्ते) भेजे जाएंगे और उससे कहा जाएगा उस शख़्स के बारे में तुम्हारा क्या ख़्याल है मोमिन या मोक़िन। (फ़ातिमा फ़रमाती हैं मुझे याद नहीं अस्मा ﷺ ने इन दो में से कौन लफ़्ज़ इस्तेमाल किया था। तो कहेगा कि यह मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के रसूल हैं, हमारे पास मोजिज़ात और हिदायत लेकर आए थे, हम ने उनकी बात मानी, ईमान लाए और पैरवी की। उससे कहा जाएगा सो जा, हमें मालूम है कि तू सालेह इन्सान है। लेकिन मुनाफ़िक़ या शक करने वाला (फ़ातिमा कहती हैं) मुझे याद नहीं रहा कि इन दो लफ़्ज़ों में से अस्मा ﷺ ने कौन सा लफ़्ज़ इस्तेमाल किया था, कहेगा मैं (ज़्यादा तो)

नहीं जानता (बस) लोगों को कहते सुना पस वही मैंने भी कह दिया।

फ़ायदा:– इस हदीस से चन्द बातें मालूम हुई जिन्हें ज़हन में रखना चाहिये। पहली बात यह कि उस नमाज़े कुसूफ़ के दौरान रसूलुल्लाह ﷺ ने दुनिया की हर चीज़ का मुशाहिदा फ़रमा लिया था यहां तक कि जन्नत व दोज़ख़ को भी देख लिया था। आप का यह देखना मोजिज़े के तौर पर था यानी ख़ुदा ने आप को एक ही वक़्त में कायनात की हर चीज़ दिखा दी। अगर यह कमाल हमेशा के लिये अता फ़रमा दिया हो तो इसे शिर्क क़रार नहीं दिया जा सकता। एक तो इस वजह से कि यह कमाल परवरदिगारे आलम ने अता फ़रमाया है। ज़ाती वस्फ़ से अताई वस्फ़ का मुक़ाबला क्या? दूसरे यूं भी यह बात शिर्क नहीं हो सकती कि जब ख़ुदा थोड़ी देर के लिये यह कमाल आप को अता फ़रमा देता था जैसा कि मुताद्दिद अहादीस में वाज़ेह तौर पर मौजूद है तो ज़्यादा देर के लिये अता फ़रमाना शिर्क कैसे होगा? अगर यह शिर्क हो तो लाज़िम आएगा कि ख़ुदा थोड़ी देर के लिये तो अपना शरीक ख़ुद बना लेता है लेकिन ज़्यादा देर के लिये नहीं बनाता और यह ख़्याल सिरे से ही ग़लत है।

दूसरी बात ما علمك بهذا الرجل के लफ़्ज़ों से यह सामने आई कि नकीरैन के सवालात के वक़्त उस मरने वाले की क़ब्र में रसूलुल्लाह ﷺ की जल्वागरी भी होती है। मुम्किन है कि उस लम्हे के अन्दर पूरी दुनिया में हज़ारों आदमी क़ब्र में रखे जाएं तो आप की हर क़ब्र में जल्वागरी होगी। इससे मालूम हुआ कि ख़ुदाए ज़ुल-मनन ने अपने महबूब को ऐसी मोअजिज़ नुमा शान अता फ़रमाई हुई है कि एक ही वक़्त में आप हज़ारों जगहों पर तशरीफ़ फ़रमा हो सकते हैं और देखने वाले आप को देख सकते हैं, वल्लाहु तआला आलम।

बाब 134:– पूरे सर का मसह करना:

इरशादे ख़ुदावन्दी है: "और अपने सरों का मसह करो।" इब्ने मुसय्यब رضي الله عنه का कहना है, औरत भी मर्द की तरह सर का मसह करे। इमाम मालिक رضي الله عنه से पूछा गया कि सर के कुछ हिस्से का मसह काफ़ी है? तो उन्होंने अब्दुल्लाह बिन ज़ैद رضي الله عنه की हदीस को दलील बनाया (यानी काफ़ी नहीं)

हदीस 183:– यहया माज़िनी अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि एक शख़्स ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद رضي الله عنه से कहा। वह हज़रत अम्र बिन यहया (इस हदीस के एक रावी) के दादा थे कि क्या आप मुझे बतला सकते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ वुज़ू किस तरह करते थे? अब्दुल्लाह बिन ज़ैद رضي الله عنه ने कहा हां। फिर उन्होंने पानी मंगाया, अपने हाथ पर डाला, दो मर्तबा हाथ धोए, तीन बार कुल्ली की और नाक में पानी डाला, फिर अपना मुंह तीन बार धोया, फिर दोनों हाथ कोहनियों तक दो बार धोए, फिर अपने सर का हाथ से मसह किया यानी (पहले) आगे और फिर पीछे ले गए। सर के पहले हिस्से से शुरू किया और दोनों हाथ गुद्दी तक ले गए, फिर उन दोनों को वहां तक वापस लाए, फिर अपने दोनों पांव धोए।

बाब 135:– दोनों पावं टख़नों तक धोना:

हदीस 184:– हज़रत अम्र अपने बाप (अबी हसन) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने अब्दुल्लाह बिन ज़ैद رضي الله عنه से रसूलुल्लाह ﷺ के वुज़ू के बारे में पूछा। उन्होंने पानी का बरतन मंगाया और उन लोगों को रसूलुल्लाह ﷺ जैसा वुज़ू करके दिखाया (यानी) अपने दोनों हाथों पर बरतन से पानी गिराया (पहले) दोनों हाथ तीन मर्तबा धोए, फिर अपने हाथ बरतन में डाले, कुल्ली की, नाक में पानी

डाला और साफ़ किया तीन चुल्लू (पानी ले कर), फिर अपना हाथ डाला और अपना मुंह तीन मर्तबा धोया, फिर आपने पानी में हाथ डाला और दोनों हाथ कोहनियों तक दो मर्तबा धोए, फिर पानी में हाथ डाला और अपने सर का मसह किया (यानी) उनको एक मर्तबा आगे लाए और पीछे ले गए और फिर अपने दोनों पांव टख़नो तक धोए।

बाब 136:- लोगों के वुज़ू से बचे हुए पानी को इस्तेमाल करना:

जरीर बिन अब्दुल्लाह ﷺ ने अपने घर वालों से कहा था कि उनके वुज़ू से बचे हुए पानी के साथ वुज़ू करें।

हदीस 185:- अबू हुजैफ़ह ﷺ फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ दोपहर के वक़्त हमारे पास तशरीफ़ लाए तो वुज़ू के लिए आप के पास पानी लाया गया। आपने वुज़ू किया, लोग आपके वुज़ू का बचा हुआ पानी लेकर उसे (अपने चेहरों और आँखों पर) मलने लगे। रसूलुल्लाह ﷺ ने ज़ुहर की दो रकअतें और अस्र की दो रकअतें पढ़ीं और आप के सामने अन्ज़ह (नेज़ा) था। अबू मूसा ﷺ कहते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने एक प्याला मंगाया जिस में पानी था। पहले आपने अपने दोनों हाथ और अपना मुंह उसमें धोया और उसी में कुल्ली की और फिर उन दोनों (अबू मूसा और बिलाल ﷺ) से कहा: इस में से कुछ पी लो और कुछ अपने चेहरों और सीनों पर डाल लो।

हदीस 186:- इब्ने शहाब फ़रमाते हैं, मुझ से महमूद बिन रबीअ ﷺ ने कहा और महमूद बिन रबीअ ﷺ वह हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने उनके मुंह में बचपने के वक़्त कुल्ली की थी, उन्हीं के कुवें से (पानी लेकर) उरवह ﷺ ने (यह हदीस) मिस्वर ﷺ से रिवायत की है और यह दोनों रिवायतें एक दूसरे की तस्दीक़ करती हैं कि जब रसूलुल्लाह ﷺ वुज़ू फ़रमाते तो आपके ग़ुसालह (को हासिल करने) के लिए सहाबा ﷺ लड़ने मरने पर आमादा हो जाते।

बाब 137:- बराए बरकत हुज़ूर के वुज़ू के मुस्तअमल पानी को पीना:

हदीस 187:- साइब बिन यज़ीद ﷺ कहते हैं कि मुझे मेरी ख़ाला रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में ले गईं। अर्ज़ की या रसूलल्लाह! यह मेरा भांजा बीमार है। आपने मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे लिए बरकत की दुआ की। फिर आपने वुज़ू फ़रमाया और मैंने आपके वुज़ू का ग़ुसालह पी लिया। बादे अज़ां मैं आपके पीछे खड़ा हो गया तो मैंने मुहरे नुबुव्वत को देख लिया जो आपके दोनों कांधों के दरमियान थी जैसे छप्परखट की घुन्डी।

बाब 138:- एक ही चुल्लू से वुज़ू करना और नाक में पानी डालना:

हदीस 188:- अम्र बिन यहया के वालिदे माजिद से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ﷺ ने अपने दोनों हाथों पर बरतन से पानी गिराया और उनको धोया, फिर एक चुल्लू से कुल्ली की और नाक में पानी डाला, बस इसी तरह तीन बार किया। फिर अपने दोनों हाथ कोहनियों तक दो दो बार धोए और अपने सर का मसह किया, आगे के हिस्से का भी और पीछे का भी। और अपने दोनों पांव टख़नों तक धोए और फ़रमाया कि यह रसूलुल्लाह ﷺ का वुज़ू है।

बाब 139:- सर का मसह एक बार है:

हदीस 189:- अम्र बिन अबी हसन कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ﷺ से रसूलुल्लाह ﷺ के वुज़ू की कैफ़ियत पूछी, तो उन्होंने पानी का एक तश्त मंगाया, फिर वुज़ू किया। अपने दोनों

हाथों पर पानी गिराया और उन्हें तीन मर्तबा धोया: फिर अपना हाथ बरतन में डाला और तीन चुल्लू पानी से तीन मर्तबा कुल्ली की। नाक में पानी डाला और नाक साफ़ की। फिर अपना हाथ बरतन में डाला और फिर अपने दोनों हाथ कोहनियों तक दो दो मर्तबा धोए, फिर बरतन में हाथ डाला और अपने सर का मसह किया। अपने हाथों को (पहले) आगे लाए और फिर पीछे ले गए। फिर अपना हाथ बरतन में डाला और दोनों पांव धोए। (इमाम बुख़ारी कहते हैं) हम से मूसा और उन से वुहैब ने हदीस बयान की कि आप ने अपने सर का एक दफ़ा मसह किया।

बाब 140:- मर्द का अपनी बीवी के साथ वुज़ू करना और औरत के वुज़ू का बचा हुआ पानी इस्तेमाल करना: हज़रत उमर ﷺ ने गर्म और नसरानिया के घर (के पानी) से वुज़ू किया।

हदीस 190:- इब्ने उमर ﷺ फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ के ज़माने में मर्द और औरत सब (एक बरतन से) वुज़ू करते थे।

बाब 141:- रसूलुल्लाह ﷺ का अपने वुज़ू के गुसाला को बेहोश शख़्स पर छिड़कना:

हदीस 191:- हज़रत जाबिर ﷺ फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए और मैं बीमार था (कोई बात) समझ न पाता। आपने वुज़ू किया और अपने वुज़ू से बचा हुआ पानी मेरे ऊपर डाला तो मैं होश में आ गया। मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! (मेरा) तर्का किस के लिए है, मेरी तो सिर्फ़ एक कलालह ही वारिस है, उस पर फ़राइज़ की आयात नाज़िल हुईं।

बाब 142:- लगन, प्याले, लकड़ी और पत्थरों के बरतन से गुस्ल और वुज़ू करना:

हदीस 192:- हज़रत अनस ﷺ फ़रमाते हैं कि नमाज़ का वक़्त हो गया, जिस का घर वहां से क़रीब था वह चला गया और कुछ लोग रह गए। रसूलुल्लाह ﷺ के पास पत्थर का एक लगन लाया गया जिस में पानी था, लगन में यह गुन्जाइश न थी कि आप अपनी हथेली उस में फैला सकें, चुनान्चे तमाम लोगों ने (उसी थोड़े से पानी से) वुज़ू कर लिया। हम अर्ज़ गुज़ार हुए कि आप कितने थे? फ़रमाया कि अस्सी या ज़्यादा।

हदीस 193:- अबू मूसा (अश्अरी ﷺ) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने एक प्याला मंगवाया, जिस में पानी था। फिर उसी में आप ने अपने दोनों हाथों और चेहरे को धोया और उसी में कुल्ली की।

हदीस 194:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ﷺ फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ तशरीफ़ लाए। हम ने पीतल के लगन में आप के लिए पानी रखा, आप ने वुज़ू किया, आप ने अपना मुंह तीन बार धोया और दोनों हाथ दो दो बार धोए और सर का मसह किया (हाथ) आगे से ले गए और पीछे से लाए और दोनों पांव धोए।

हदीस 195:- सय्यदा आयशा ﷺ फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ जब बीमार हुए और बीमारी शिद्दत पकड़ गई तो आपने दूसरी अज़्वाज से मेरे घर में तीमादारी की इजाज़त मांगी तो तमाम अज़्वाज ने इजाज़त देदी। रसूलुल्लाह ﷺ दो आदमियों के दरमियान (सहारा लेकर) निकले। आपके दोनों पांव ज़मीन पर घसिटते हुए जाते थे। हज़रत अब्बास ﷺ और एक और आदमी के दरमियान आप निकले।

थे, उबैदुल्लाह (जो इस हदीस के एक रावी हैं) कहते हैं कि मैंने इसकी अब्दुल्लाह बिन अब्बास को ख़बर दी तो फ़रमाया तुम को मालूम है वह दूसरा शख़्स कौन था? मैंने कहा मुझे मालूम नहीं। फ़रमाया: वह अली इब्ने अबी तालिब थे। सय्यदा आयशा फ़रमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह उनके घर आ चुके और आपका मर्ज़ शिद्दत इख़्तियार कर गया तो आपने फ़रमाया: "मुझ पर ऐसी सात मशकें (पानी की) बहाओ जिन के बन्द न खोले गए हों ताकि मैं लोगों को वसियत करूं। फिर आपको उम्मुल मोमिनीन हफ़सह के एक लगन में बिठाया और हम ने आप पर मशकें बहाना शुरू कीं यहां तक कि आप हमें इशारा करने लगे, बस तामील हो चुकी बादे अज़ां आप लोगों के पास तशरीफ़ लाए।

बाब 143:- तश्त से वुज़ू करना:

हदीस 196:- अम्र बिन यहया के वालिद (यहया) रिवायत करते हैं कि मेरे चचा वुज़ू में बहुत पानी बहाते थे। उन्होंने अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से कहा मुझे बताओ कि रसूलुल्लाह किस तरह वुज़ू करते थे? उन्होंने पानी का एक तश्त मंगवाया (पहले) उसे अपने दोनों हाथों पर झुकाया और उन दोनों को तीन मर्तबा धोया, फिर अपना हाथ तश्त में डाला और कुल्ली की और नाक साफ़ की और ऐसा एक ही चुल्लू से तीन बार किया, फिर अपना हाथ तश्त में डाला और चुल्लू भर कर निकाला, तीन बार अपना मुंह धोया, फिर दो दो मर्तबा अपने दोनों हाथ कोहनियों तक धोए, फिर अपने दोनों हाथों में पानी लेकर अपने सर का मसह किया, दोनों हाथ पीछे ले गए और पीछे से आगे लाए, फिर अपने दोनों पांव धोए और बोले इसी तरह मैंने रसूलुल्लाह को वुज़ू करते देखा।

हदीस 197:- हज़रत अनस फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह ने पानी का एक बरतन मंगाया, तो खुले चौड़े मुंह का एक प्याला लाया गया जिस में थोड़ा सा पानी था। आपने अपनी उंगलियां उसमें रखीं। अनस कहते हैं, मैंने पानी को देखा वह आपकी उंगलियों के दरमियान बह रहा था। मैंने उन लोगों का जिन्होंने वुज़ू किया अंदाज़ा लगाया कोई सत्तर अस्सी के लग भग थे।

फ़ायदा:- रहमते दो आलम का दरियाए करम जोश में आया तो अपने जांनिसारों और शमए रिसालत के परवानों की इस अंदाज़ से मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई फ़रमाई कि चश्मे फ़लके कुहन ने इससे पहले ऐसा मंज़र कभी देखा नहीं होगा। वुज़ू के लिये पानी दिया और वह भी अपनी उंगलियों से पंजाबे रहमत जारी करके। क्यों न हो कि परवरदिगारे आलम ने अपने महबूबे अकरम, नायबे आज़म को शान ही निराली अता फ़रमाई है। इख़्तियारात ही सबसे बढ़ कर दिये हैं। एक दानाए राज़ ने इस हक़ीक़त का इज़हार इन लफ़्ज़ों में किया है:

मेरे करीम से गर क़तरा किसी ने मांगा
दरिया बहा दिये हैं, दुर्रे बय बहा दिये हैं

बाब 144:- एक मुद पानी से वुज़ू करना:

हदीस 198:- हज़रत अनस फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह जब गुस्ल फ़रमाते तो एक साअ पानी से लेकर पाँच मुद तक ख़र्च करते और एक मुद पानी से वुज़ू फ़रमा लिया करते थे।

बाब 145:- मोज़ों पर मसह करना:

हदीस 199:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने सअद बिन अबी वक़ास से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह ने मोज़ों पर मसह फ़रमाया। अब्दुल्लाह बिन उमर ने हज़रत उमर

से पूछा तो फ़रमायाः हां, और जब सअद ﷺ रसूलुल्लाह ﷺ की कोई हदीस तुम से बयान करें तो फिर दूसरों से पूछने की ज़रूरत नहीं।

हदीस 200:- मुग़ीरह बिन शुअबह ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ रफ़ए हाजत के लिए निकले तो मुग़ीरह ﷺ पानी का एक डोल लेकर आप के पीछे हुए, जब आप फ़ारिग़ हुए तो मुग़ीरह ने आप पर पानी डाला, आपने वुज़ू किया और मोज़ों पर मसह किया।

हदीस 201:- जाफ़र बिन अम्र बिन उमय्यह ज़मरी ﷺ को उनके वालिदे माजिद ने बताया कि उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ को मोज़ों पर मसह करते हुए देखा।

हदीस 202:- जाफ़र बिन अम्र बिन उमय्यह ज़मरी ﷺ से रिवायत हैं कि उनके वालिदे माजिद ने फ़रमाया, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को अपने अमामा पर मसह करते हुए देखा और मोज़ों पर भी।

बाब 146:- पाक पैरों पर मोज़े पहननाः

हदीस 203:- उरवह बिन मुग़ीरह ﷺ अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि मैं एक सफ़र में रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह था। मैंने चाहा कि आप के मोज़े उतार डालूं लेकिन आप ने फ़रमायाः रहने दो, मैंने इन्हें पाक हालत में पहना, फिर आप ने उन पर मसह किया।

बाब 147:- बकरी का गोश्त और सत्तू खाने से वुज़ू नहीं जाताः

हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और उसमान ﷺ ने गोश्त खाया और उसके बाद वुज़ू नहीं किया।

हदीस 204:- अब्दुल्लाह बिन अब्बास ﷺ फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने बकरी का शाना खाया और नमाज़ पढ़ी (मगर नया) वुज़ू नहीं किया।

हदीस 205:- जाफ़र बिन अम्र बिन उमय्यह ﷺ के वालिद रावी हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को देखा कि बकरी के शाने का गोश्त काट काट कर खा रहे, फिर नमाज़ के लिए बुलाए गए और नमाज़ अदा की लेकिन (ताज़ा) वुज़ू न किया।

बाब 148:- अगर किसी ने सत्तू खा कर कुल्ली (तो) की लेकिन वुज़ू न कियाः

हदीस 206:- सुवैद बिन नोमान ﷺ से रिवायत है कि वह (फ़तेह) ख़ैबर के साल रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह थे। जब सहबा ﷺ पहुंचे जो ख़ैबर के नशेब में (वाक़ेअ) है, वहां आपने नमाज़े अस्र अदा की, फिर खाने पीने का सामान मंगाया तो सिर्फ़ सत्तू लाए गए। उन्हें भिगोया गया, फिर रसूलुल्लाह ﷺ और हम आपके साथियों ने खाए। बादे अज़ां आप नमाज़े मग़्रिब के लिए खड़े हो गए और (सिर्फ़) कुल्ली करली और हमने भी कुल्ली की। आपने नमाज़ पढ़ी (लेकिन) आपने वुज़ू नहीं फ़रमाया।

हदीस 207:- सय्यदा मैमूनह ﷺ फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने उनके हां बकरी का शाना खाया, उसके बाद नमाज़ पढ़ी और (ताज़ा) वुज़ू नहीं किया।

फ़ायदाः- मज़्कूरा चारों हदीसों नीज़ बाब 147, 148 की इबारतों से साफ़ ज़ाहिर है कि आग से पकाई हुई चीज़ खाने से वुज़ू नहीं टूटता। अगर पहले वुज़ू था तो ऐसी चीज़ खा लेने के बाद दोबारा वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं बल्कि सिर्फ़ कुल्ली कर लेना काफ़ी है। वल्लाहु तआला आलम।

बाब 149:- क्या दूध पीने के बाद कुल्ली करनी चाहिएः

हदीस 208:- हज़रत (अब्दुल्लाह) इब्ने अब्बास ﷺ फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने दूध नोश

फ़रमाया तो कुल्ली की और फ़रमायाः "इस में चिकनाहट होती है।"

बाब 150:- नींद से वुज़ू करना और जो लोग एक दो मर्तबा ऊंघ लेने या एक आध झोंका लेने से वुज़ू ज़रूरी नहीं समझतेः

हदीस 209:- सय्यदा आयशा से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फ़रमायाः "जब कोई शख़्स नमाज़ में ऊंघ जाए तो उसे चाहिए कि लेट जाए ताकि नींद पूरी हो जाए क्योंकि ऊंघ की हालत में अगर कोई नमाज़ पढ़े तो न मालूम मुंह से क्या निकले, मुम्किन है कि वह दुआए मग़्फ़िरत के बजाए अपने आप को बुरा भला कहने लग जाए।"

हदीस 210:- हज़रत अनस से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फ़रमायाः "जब कोई शख़्स नमाज़ में ऊंघने लग जाए तो उसे सो जाना चाहिए यहां तक कि वह समझने लग जाए कि क्या पढ़ रहा हूं।"

बाब 151:- बग़ैर हदस के वुज़ू करनाः

हदीस 211:- अम्र बिन आमिर ने हज़रत अनस से सुना, वह फ़रमाया करते थे कि रसूलुल्लाह हर नमाज़ के लिए (ताज़ा) वुज़ू किया करते। मैंने कहा आप लोग क्या करते थे? वह बोलेः हम तो एक ही वुज़ू को काफ़ी जानते जब तक हदस लाहिक़ न हो।

हदीस 212:- सुवैद बिन नोमान फ़रमाते हैं कि हम लोग (फ़तेह) ख़ैबर के साल रसूलुल्लाह के हमराह थे। जब हम (मक़ामे) सहबा पर पहुंचे तो आपने हमें नमाज़े अस्र पढ़ाई, बादे अज़ां खाना मंगाया तो सत्तू के अलावा कुछ न खाया, हम ने उन्हें खाया, पिया। फिर आप नमाज़े मग़्रिब के लिए खड़े हो गए और (सिर्फ़) कुल्ली की, बादे अज़ां नमाज़े मग़्रिब पढ़ाई (मगर ताज़ा) वुज़ू न किया।

बाब 152:- पेशाब के क़तरो से परहेज़ न करना गुनाहे कबीरा हैः

हदीस 213:- हज़रत इब्ने अब्बास फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह मदीना या मक्का के बाग़ात से गुज़रे तो आपने दो इन्सानों की आवाज़ सुनी, जिन को क़ब्र में अज़ाब हो रहा था। आपने फ़रमायाः "इन पर अज़ाब हो रहा है लेकिन कोई बड़े गुनाह में नहीं।" फ़रमायाः "हां उन में से एक तो पेशाब (के छींटों) से परहेज़ न करता था और दूसरा चुग़लियां खाता था।" फिर आपने एक (हरी) शाख़ मंगाई, उसके दो टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा दोनों क़ब्रो पर रख दिया। अर्ज़ किया गयाः या रसूलल्लाह! यह आपने किस लिए किया? फ़रमायाः "(उम्मीद है) जब तक सरसब्ज़ रहेंगी, अज़ाब में (भी) तख़्फ़ीफ़ होती रहेगी।"

बाब 153:- पेशाब को धोनाः

रसूलुल्लाह ने एक क़ब्र वाले के बारे में बताया कि वह पेशाब (के छींटों) से न बचता था तो आपने आदमी ही के पेशाब का ज़िक्र फ़रमायाः

हदीस 214:- अनस बिन मालिक फ़रमाते हैं, जब रसूलुल्लाह रफ़ए हाजत के लिए तशरीफ़ ले जाते तो मैं पानी लेकर आता और आप उस से इस्तिन्जा करते।

बाब 154:- अज़ाबे क़ब्रः

हदीस 215:- इब्ने अब्बास फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह दो क़ब्रों पर से गुज़रे। आप ने फ़रमायाः "उन दोनों पर अज़ाब हो रहा है (लेकिन) किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं। उन में एक तो

पेशाब से एहतियात नहीं करता था और दूसरा चुग़लख़ोर था।" फिर आपने एक हरी शाख़ ली और उस के दो टुकड़े करके एक एक क़ब्र पर रख दिए। लोगों ने अर्ज़ किया: या रसूलल्लाह! आप ने ऐसा क्यों किया? फ़रमाया: "जब तक सूखेंगे नहीं (शायद) अज़ाब में तख़फ़ीफ़ होती रहेगी।"

फ़ायदा:- यह हदीस अजायबात में से है कि निगाहे मुस्तफ़ा का हाल बयान कर रही है कि परवरदिगारे आलम के महबूबे अकरम, नायबे आज़म ﷺ की निगाहों से क़ब्र और बरज़ख़ के हालात भी पोशीदा नहीं हैं। दो क़ब्र वालों को मुलाहिज़ा फ़रमा लिया कि उन्हें अज़ाब हो रहा है और यह भी आप को मालूम हो गया कि किन बुराइयों के बाइस उन्हें अज़ाब हो रहा था। ग़ौर तलब बात है कि उन दोनों के मुताल्लिक़ जो ख़ुदा ने फ़ैसला किया उसका महबूबे ख़ुदा को कैसे पता लगा? जब इस हक़ीक़त को जान और मान लिया जाएगा, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ुदादा कमालात का इन्कार करने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। दूसरी बात यह भी मालूम हो गई कि मुर्दे को क़ब्र में अज़ाब या राहत होती है। तीसरी बात यह मालूम हुई कि जब मुर्दा बरज़ख़ में अज़ाब या राहत दिया जाता है तो यह उसी सूरत में हो सकता है कि उसके हवास बाक़ी रहते हैं। यानी मुर्दा सुनता और देखता है जैसा कि मुताद्दिद अहादीस में इसका वाज़ेह बयान मौजूद है, जिनका इन्कार करना ज़िन्दा हक़ीक़त को झुटलाना है। ख़ुदाए ज़ुल-मनन हर मुद्दईए इस्लाम को क़ुबूले हक़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए आमीन।

बाब 155:- रसूलुल्लाह ﷺ ने उस आराबी को ढील दी (जो मस्जिद में पेशाब कर रहा था) ताकि वह पेशाब से फ़ारिग़ हो जाए:

हदीस 216:- अनस बिन मालिक رضي الله عنه फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने एक बद्दू को देखा कि मस्जिद में पेशाब कर रहा है, (लोग पकड़ने को दौड़े) फ़रमाया: "उसे छोड़ दो।" जब वह पेशाब से फ़ारिग़ हुआ तो आप ने पानी मंगाया और उस जगह पर बहा दिया।

बाब 156:- मस्जिद में पेशाब पर पानी बहा देना:

हदीस 217:- अबू हुरैरह رضي الله عنه फ़रमाते हैं, एक बद्दू मस्जिद में खड़े होकर पेशाब करने लगा, तो लोगों ने उसे पकड़ना चाहा। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "छोड़ दो, जहां उस ने पेशाब किया वहां पानी का डोल बहा दो, क्योंकि तुम आसानी के लिए भेजे गए हो सख़्ती करने को नहीं।"

हदीस 218:- अनस बिन मालिक رضي الله عنه फ़रमाते हैं कि एक बद्दू आया और मस्जिद के किसी कोने में पेशाब करने लगा। लोगों ने डांटा तो रसूलुल्लाह ﷺ ने लोगों को रोका। जब वह पेशाब कर चुका तो रसूलुल्लाह ﷺ ने पानी का एक डोल बहाने का हुक्म दिया चुनान्चे उस जगह पर बहा दिया गया।

फ़ायदा:- इस हदीस में अख़लाक़ियात का बेहतरीन सबक़ दिया गया है कि एक आराबी अज़मते मस्जिद से बेख़बर होने के बाइस मस्जिद में पेशाब करने लगा तो बाज़ सहाबए किराम رضي الله عنهم उसे डांटने लगे। इस पर रहमते दो आलम ﷺ ने ऐसा करने पर सहाबए किराम رضي الله عنهم ही को रोका क्योंकि मुम्किन है कि दरमियान में पेशाब रोकने पर आराबी को कोई तकलीफ़ हो जाती। लिहाज़ा उसे पेशाब करने का पूरा मौक़ा दिया। फिर उस पेशाब पर आप के हुक्म से एक डोल पानी बहा दिया गया। इसी सिलसिले की दूसरी रिवायत में है कि बाद में आप ने आराबी को समझाया कि मस्जिद में ऐसा काम नहीं किया करते।

बाब 157:- बच्चों के पेशाब का बयानः

हदीस 219:- सय्यदा आयशा ﷺ फ़रमाती हैं, एक बच्चा रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में लाया गया, उसने आपके कपड़ों पर पेशाब कर दिया, आप ने पानी मंगा कर उस पर डाल दिया।

हदीस 220:- उम्मे क़ैस बिन्ते मिहसन ﷺ फ़रमाती हैं, वह अपने छोटे बच्चे को जो अभी खाना खाने के क़ाबिल न था, रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में लाईं। आप ने उसे गोद में बिठा लिया, उसने आपके कपड़े पर पेशाब कर दिया। आप ने पानी मंगा कर उस पर छिड़क दिया (मगर) धोया नहीं।

बाब 158:- खड़े हुए और बैठ कर पेशाब करनाः

हदीस 221:- हुज़ैफ़ह ﷺ फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ किसी क़ौम की कूड़ी (जहां कूड़ा करकट डाला जाता है) पर तशरीफ़ लाए और खड़े होकर पेशाब किया, फिर पानी मंगाया, मैं पानी लाया और आप ने वुज़ू किया।

बाब 159:- अपने साथी के साथ पेशाब करना, और दीवार की आड़ लेनाः

हदीस 222:- हुज़ैफ़ह ﷺ फ़रमाते हैं, मुझे याद है कि मैं रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह चला आ रहा था। आप एक क़ौम की कूड़ी पर दीवार के पीछे यूं खड़े हुए जैसे तुम में से कोई खड़ा होता है, फिर आप पेशाब करने लगे। मैं आप से ज़रा हट गया, आप ने इशारा किया, मैं आप के पास गया और आप की एड़ियों के क़रीब खड़ा हो गया. यहां तक कि आप (पेशाब से) फ़ारिग़ हो गए।

बाब 160:- किसी आबादी की कूड़ी पर पेशाब करनाः

हदीस 223:- अबू वाइल ﷺ कहते हैं कि अबू मूसा अशअरी ﷺ पेशाब करने के बारे में मुतशद्दिद थे कि बनी इस्राईल में जब किसी के कपड़े पर पेशाब लग जाता तो वह (हिस्सा) कुतर डालता। हुज़ैफ़ह ﷺ कहते, काश! अबू मूसा ﷺ इस (क़दर) सख़्ती से बाज़ रहें, (क्योंकि) रसूलुल्लाह ﷺ एक क़ौम के घूरे पर आए और वहीं खड़े खड़े पेशाब किया।

फ़ायदाः- रसूलुल्लाह ﷺ ने खड़े होकर पेशाब करने से मना फ़रमाया है और खुद भी आपने कभी खड़े होकर पेशाब नहीं किया। पूरी ज़िन्दगी में यही एक मौक़ा है कि आपने खड़े होकर पेशाब किया और ऐसा आपने उज़्र के बाइस किया था। अगर एक दफ़ा भी आप ऐसा न करते तो उम्मते मुहम्मदिया को मजबूरी में भी खड़े होकर पेशाब करने की इजाज़त न होती और गुनाह शुमार होता। वल्लाहु तआला आलम।

बाब 161:- ख़ून का धोनाः

हदीस 224:- हज़रत अस्मा ﷺ से रिवायत है कि एक औरत रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में आई और उसने कहाः बताइये हम में से किसी को कपड़े में हैज़ आए तो वह क्या करे? (फ़रमाया): "उसे मल डाले, फिर पानी से रगड़ कर और धो कर साफ़ करे और नमाज़ पढ़ ले।"

हदीस 225:- सय्यदा आयशा ﷺ फ़रमाती हैं कि फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश ﷺ रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में आईं, बोलीः मैं ऐसी औरत हूं जिसे इस्तिहाज़ा है और (कभी) पाक नहीं होती, क्या मैं नमाज़ छोड़ दूं? फ़रमायाः "नमाज़ मत छोड़, यह एक रग का ख़ून है और हैज़ नहीं है। जब तुम्हें हैज़ शुरू हो तो नमाज़ छोड़ दो और जब ख़त्म हो जाए तो (लगा हुआ) ख़ून धो डालो और फिर नमाज़ पढ़ो।" (हिशाम अपने वालिद उरवह ﷺ के हवाले से कहते हैं कि आप ने फ़रमाया): "फिर हर

नमाज़ के लिए वुज़ू करती रहो यहां तक कि फिर हैज़ के अय्याम आ जाएं।"

बाब 162:- मनी धोने और उसके खुरचने और उस रतूबत के धोने का बयान जो औरत की शर्मगाह से लग जाए:

हदीस 226:- सय्यदा आयशा ﷺ फ़रमाती हैं, मैं रसूलुल्लाह ﷺ के कपड़े की जनाबत को धो डालती, फिर आप नमाज़ के लिए निकलते और पानी की तरी आप के कपड़ों पर बाक़ी होती।

हदीस 227:- सुलैमान बिन यसार ﷺ कहते हैं, उन्होंने सय्यदा आयशा ﷺ से पूछा, कपड़े को मनी लग जाए तो? उन्होंने कहा: मैं रसूलुल्लाह ﷺ के कपड़े से (मनी) धो डालती, फिर आप नमाज़ के लिए जाते तो धोने का असर बाक़ी होता था।

बाब 163:- जब कोई मनी वग़ैरा धोए (मगर) उस का निशान न जाए:

हदीस 228:- सुलैमान बिन यसार ﷺ कहते हैं, अगर कपड़े वग़ैरा पर मनी लग जाए तो (इस सिलसिले में) सय्यदा आयशा ﷺ ने फ़रमाया: मैं रसूलुल्लाह ﷺ के कपड़े से उसे धो डालती, फिर आप नमाज़ के लिए जाते तो पानी (से धोने) के निशानात होते।

हदीस 229:- सय्यदा आयशा ﷺ फ़रमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह ﷺ के कपड़े से मनी धो डालती, फिर (भी) उसका एक धब्बा या कई धब्बे देखती।

बाब 164:- ऊँट, चौपायों और बकरी के पेशाब और उनके रहने की जगहों का बयान:

अबू मूसा (अशअरी) ﷺ ने दारुल बरीद और सिरक़ीन में नमाज़ पढ़ी और वहां गोबर था और उस तरफ़ जंगल था, उन्हों ने कहा: यह और वह दोनों जगहें बराबर हैं।

हदीस 230:- हज़रत अनस ﷺ फ़रमाते हैं, उक्ल या उरैनह क़बीले के कुछ लोग मदीना में आए, मगर वह मदीने में बीमार हो गए तो आपने उन्हें सदक़े के ऊँटों के पास चले जाने का हुक्म दिया और फ़रमाया: "यह लोग उनका दूध और पेशाब पिएं।" चुनान्चे वह चले गए, जब तन्दरुस्त हो गए तो रसूलुल्लाह ﷺ के (भेजे हुए) चरवाहे को क़त्ल कर दिया और जानवर हांक कर ले गए। सुबह जब यह ख़बर पहुंची तो उनके तआक़ुब में (सवारों का एक दस्ता) भेजा और दिन चढ़े (गिरफ़्तार करके) लाए गए। आपने हुक्म दिया और उनके हाथ पावं काट डाले गए और उनकी आंखों में तपती हुई सलाइयां फेरी गईं और वह गर्म पथरीली ज़मीन पर फेंक दिए गए, पानी मांगते थे मगर उन्हें पानी नहीं दिया जाता था। (अबू क़िलाबह ﷺ जो इस हदीस के एक रावी हैं कहते हैं) कि इसकी वजह यह थी कि उन्होंने चोरी की, क़त्ल किया, ईमान लाने के बाद काफ़िर हो गए और अल्लाह और उसके रसूल के साथ लड़े।

हदीस 231:- हज़रत अनस ﷺ फ़रमाते हैं कि मस्जिद बनाए जाने से पहले रसूलुल्लाह ﷺ बकरियों के थानों में नमाज़ पढ़ लिया करते थे।

बाब 165:- घी और पानी में नजासत गिर जाए (तो क्या हुक्म है):

जुहरी ﷺ कहते हैं कि पानी का जब तक रंग, बू या मज़ा न बदले तो क़ाबिले इस्तेमाल है। हम्माद बिन अबी सुलैमान ﷺ कहते हैं: मुरदार के बाल और पर पाक हैं। जुहरी ﷺ का कहना है कि मुर्दों की हड्डियां जैसे हाथी वग़ैरा तो अगले उलमा में से कुछ लोगों ने उनकी कंघियां करते और

रौग़न दान बनाते हुए देखा है, वह उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं समझते थे। मुहम्मद बिन सीरीन और इब्राहीम नख़ई رحمة الله कहते हैं कि हाथी दांत की तिजारत जाइज़ है।

हदीस 232:- हज़रत इब्ने अब्बास رضي الله عنه ने सय्यदा मैमूनह رضي الله عنها से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह ﷺ से चूहिया के बारे में पूछा गया, जो घी में गिर गई थी। फ़रमायाः "उसे निकाल लो और उसके इर्द गिर्द का घी फेंक दो और (बाक़ी) घी इस्तेमाल में लाओ।"

हदीस 233:- सय्यदा मैमूनह رضي الله عنها फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ से उस चूहे के बारे में पूछा गया जो घी में गिर पड़े तो फ़रमायाः "उसे निकाल लो और आस पास का घी फेंक दो।"

हदीस 234:- अबू हुरैरह رضي الله عنه फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "जो मुसलमान को जो ज़ख़्म अल्लाह की राह में लगेगा, वह क़यामत के दिन तरो ताज़ा होगा जैसे उस दिन कि लगा था, ख़ून बह रहा होगा, उसका रंग तो ख़ून जैसा लेकिन ख़ुश्बू मुश्क की ख़ुश्बू।" (जैसी होगी)

बाब 166:- ठहरे हुए पानी में पेशाब करनाः

हदीस 235:- अबू हुरैरह رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "हम (गो दुनिया में) पिछले हैं (मगर आख़िरत में) अगले होंगे (और इसी इस्नाद के साथ) तुम में से कोई ठहरे हुए पानी में जो दाइमी हो, पेशाब न करे, (शायद) उस में (फिर) नहाना पड़ जाए।"

बाब 167:- जब नमाज़ी की पीठ पर (हालते नमाज़ में) नजासत या मुरदार डाल दिया जाए तो उसकी नमाज़ फ़ासिद न होगीः .

अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنه जब (नमाज़ के दौरान) अपने कपड़े पर ख़ून (का निशान) देखते तो उसे उतार कर फेंक देते और नमाज़ जारी रखते। सईद बिन मुसय्यब और शअबी رحمة الله ने कहा हैः जब कोई शख़्स नमाज़ पढ़े और उसके कपड़े में ख़ून या नजासत लगी हो या क़िब्ला के ख़िलाफ़ नमाज़ अदा की हो या तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ी हो, फिर नमाज़ के वक़्त के अन्दर पानी मिल जाए (या बाद में सिम्ते क़िब्ला मालूम हो जाए) तो (इन सब हालतों में) नमाज़ न लौटाए।

हदीस 236:- अब्दुल्लाह बिन मसऊद رضي الله عنه फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ कअबा के नज़्दीक नमाज़ अदा फ़रमा रहे थे, (वहां) अबू जहल और उसके चन्द साथी (भी) बैठे हुए थे। उन में से एक दूसरे को कहने लगेः कौन है जो फ़ुलां क़बीले की ऊँटनी की ओझरी लाकर मुहम्मद (ﷺ) पर डाल दे, जब वह सज्दे में हों? उस जत्थे का बदबख़्त तरीन इन्सान (उक़्बह बिन अबी मुईत) उठा और उसे ले आया और देखता रहा, जब रसूलुल्लाह ﷺ सज्दे में गए, उसने उसे आप के दोनों कंधों के दरमियान (गर्दन पर) रख दिया। मैं (यह सब कुछ) देख रहा था लेकिन कुछ न कर सकता था, काश कोई मेरे साथ होता। (अब्दुल्लाह رضي الله عنه) कहते हैं, फिर वह लोग (शैतानी) हंसी हंसने लगे और (लोट पोट होकर) एक दूसरे पर गिरने लगे। रसूलुल्लाह ﷺ सज्दे में ही पड़े रहे, अपना सर नहीं उठा सके। इतने में फ़ातिमा رضي الله عنها आईं, उन्होंने आपकी पीठ से (उसे) उतारा, तब (आप) अपना सर उठा सके और फ़रमायाः "अल्लाह क़ुरैश से ख़ुद ही निपट ले।" तीन बार कहा, उन पर यह (बद्दुआ) गिरां गुज़री। अब्दुल्लाह رضي الله عنه कहते हैं कि वह जानते थे कि इस शहर में दुआ (ज़रूर) क़ुबूल होती है। फिर आपने (बाक़ायदा) नाम लेकर बद्दुआ की किः ऐ अल्लाह! अबू जहल को हलाक कर और उत्बह बिन अबी रबीअह, शैबह बिन रबीअह, वलीद बिन उतबह, उमय्यह बिन ख़लफ़ और उक़्बह बिन अबी मुईत को

हलाक करदे और सातों को गिना मगर मुझे याद नहीं। उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है मैंने उन लोगों (की लाशों) को जिनका नाम रसूलुल्लाह ﷺ ने लिया था बदर के कुवें में गिरा हुआ देखा।

फ़ायदाः– रसूलुल्लाह ﷺ के चाहने पर परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब के उन दुशमनों को ग़ज़वए बदर में मुसलमानों के हाथों ज़िल्लत के साथ मारा, लिहाज़ा यूं नहीं कहना चाहिये कि रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता बल्कि खुदा वही कर देता है जो उसका महबूब चाहता है क्योंकिः

खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम
खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मद

बाब 168:– कपड़े पर थूक या रेंठ लेने का बयानः

उर्वह बिन ज़ुबैर رضی اللہ عنہ फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने जब (भी) थूका उसे लोगें में से किसी न किसी ने अपने हाथों पर ले लिया और उसे मुंह और जिस्म पर मल लिया।

फ़ायदाः– रहमते दो आलम ﷺ के लुआबे दहन को सहाबए किराम رضی اللہ عنہم ज़मीन पर न गिरने देते बल्कि पूरी कोशिश करते कि वह किसी न किसी के हाथ पर गिरे। फिर उसे अपने चहरों और जिस्मों पर मल लिया करते थे। जाए ग़ौर है कि परवरदिगारे आलम ने क़ुरआने मजीद में ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया है और न रसूलुल्लाह ﷺ ने ही सहाबए किराम رضی اللہ عنہم से यह फ़रमाया कि तुम मेरे लुआबे दहन के साथ ऐसा किया करो। क़ुरआन व हदीस में इसका हुक्म न होने के बावुजूद सहाबए किराम رضی اللہ عنہم ऐसा कर रहे थे और कर भी खुद हुज़ूर के सामने रहे थे और आप ने भी उन्हें ऐसा करने से मना नहीं फ़रमाया था। मालूम हुआ कि क़ुरआन व हदीस में हर बात का तस्रीहन हुक्म होना ज़रूरी नहीं बल्कि कुछ अहकाम दलीले मुतबिक़ी से भी साबित होते हैं। अलावा बरीं ताज़ीमे रसूल तो ईमानियात में शामिल बल्कि जाने ईमान है। यहां तो किसी फ़ेअल का ताज़ीमे शाने रिसालत पर मबनी होना ही उसके सेहत का ज़ामिन है। सरीहन कोई दलील हो या न हो वह खुद ही "تُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ" के हुक्म की तामील और खुशनूदीए रब्बे ज़लील है। वल्लाहु तआला आलम।

हदीस 237:– हज़रत अनस رضی اللہ عنہ फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने (एक बार) अपने कपड़े पर थूका।

बाब 169:– नबीज़ (खजूर का निचोड़) और (किसी भी) नशा आवर चीज़ से वुज़ू जाइज़ नहीं:

हसन (बसरी) और अबुल आलियह رحمہم اللہ ने उसे मकरूह जाना, अता رضی اللہ عنہ फ़रमाते हैं, मुझे नबीज़ और दूध की ब-निस्बत वुज़ू से तयम्मुम बेहतर मालूम होता है।

हदीस 238:– सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "हर नशा आवर मशरूब हराम है।"

बाब 170:– औरत का अपने बाप के चेहरे से खून धोनाः

अबुल आलियह رضی اللہ عنہ ने कहाः मेरे पावं पर मालिश कर दो और वह बीमार थे।

हदीस 239:– अबू हाज़िम से रिवायत है कि सहल बिन सअद साअदी رضی اللہ عنہ से लोगों ने दरयाफ़्त किया, उस वक़्त मैं भी वहां मौजूद था कि रसूलुल्लाह ﷺ को उहुद में जो ज़ख़्म आए थे, उसमें कौन

सी दवा इस्तेमाल हुई थी? सहल رضي الله عنه बोले: उसका जानने वाला मुझ से ज़्यादा अब कोई नहीं रहा, हज़रत अली رضي الله عنه अपनी ढाल में पानी लाते और हज़रत फ़ातिमा رضي الله عنها आपके चेहरे से ख़ून साफ़ करती थीं, आख़िर एक चटाई जला कर (उसकी राख) आप के ज़ख़्म में भर दी गई।

बाब 171:- मिस्वाक करना:

हज़रत इब्ने अब्बास رضي الله عنهما फ़रमाते हैं कि मैं एक रात रसूलुल्लाह ﷺ के पास रहा और आप ने मिस्वाक की।

हदीस 240:- अबू बुरदह رضي الله عنه अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि वह रसूलुल्लाह ﷺ के पास आए तो आप हाथ में लिए हुए मिस्वाक कर रहे थे (जिस से) उअ उअ की आवाज़ निकलती, गोया कय कर रहे हैं।

हदीस 241:- हुज़ैफ़ह رضي الله عنه कहते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ जब कभी रात को उठते तो अपने मुंह को मिस्वाक से साफ़ फ़रमाया करते थे।

बाब 172:- बड़े को (पहले) मिस्वाक देना:

(अब्दुल्लाह) इब्ने उमर رضي الله عنهما फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ फ़रमाते थे कि: "(मैं ख़्वाब में) मिस्वाक कर रहा था, मेरे पास दो आदमी आए, उन में एक बड़ी उम्र का था तो मैंने छोटी उम्र वाले को मिस्वाक दे दी तो मुझे कहा गया कि बड़े को दे दीजिए, मैंने वह मिस्वाक बड़े को दे दी।"

बाब 173:- रात को बा-वुज़ू सोने की फ़ज़ीलत:

हदीस 242:- बरा बिन आज़िब رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम अपनी ख़्वाबगाह में आओ तो नमाज़ की तरह वुज़ू करो, फिर तुम दाहिनी करवट के बल सो जाओ, बादे अज़ां कहो: "اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ وَجْهِيْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِيْ اِلَيْكَ وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ اَللّٰهُمَّ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ۔"

या अल्लाह! मैं (तेरी रहमत का) उम्मीदवार और (तेरे अज़ाब से) ख़ाइफ़ होकर अपने आप को तेरी जानिब मुतवज्जह कर दिया, और सारे उमूर तुझे सौंप दिए, तुझी पर भरोसा किया, तेरे अलावा कोई जाए पनाह नहीं, या अल्लाह! मैं तेरी नाज़िल की हुई किताब (कुरआने मजीद) पर ईमान लाया और तेरे इस रसूल पर ईमान लाया।" (आप ने फ़रमाया) "अगर तुम्हें उसी रात मौत आ गई तो तुम ईमान पर मरोगे और उसे अपना आख़िरी कलाम बनाओ।" बरा رضي الله عنه कहते हैं: मैंने यह जुम्ले रसूलुल्लाह ﷺ के सामने दोहराए तो जब मैं اَللّٰهُمَّ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ पर पहुंचा तो मैंने कहा وَرَسُوْلِكَ۔ आप ने फ़रमाया बल्कि وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ۔

फ़ायदा:- हमें चाहिये कि इस दुआ को अपना ज़रूरी वज़ीफ़ा बना लें और सोते वक़्त यह अल्फ़ाज़ ज़रूर कह लिया करें ताकि अगर उस रात हमें मौत की आग़ोश में जाना पड़ जाए तो फ़रमाने रिसालत के मुताबिक़ हम ईमान साथ लेकर अपने पैदा करने वाले की बारगाह में हाज़िर होंगे। यह कितनी बड़ी बशारत है जबकि एक मुसलमान की ज़िन्दगी भर की सारी तग व दौ है भी इसी मक़सद के लिये। ख़ुदा करे कि हम जब इस दुनिया से जाएं तो ईमान साथ लेकर जाएं। आमीन

पारह दोम

بسم الله الرحمٰن الرحيم

गुस्ल का बयान

अल्लाह तआला का इरशाद है: (तर्जमा) "अगर तुम्हें नहाना लाज़मी हो तो नहा लो (ताकि तुम शुक्र गुज़ार बन जाओ" तक। (नीज़) फ़रमाया: "मुसलमानो! जब तुम नशे की हालत में हो।" (अल्लाह) बहुत माफ़ करने वाला और बख़्शने वाला है।" तक।

बाब 174:- गुस्ल से पहले वुज़ू करना:

हदीस 243:- ज़ौजए रसूल सय्यदा आयशा ﵂ फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ जब गुस्ले जनाबत फ़रमाते तो आग़ाज़ में दोनों हाथ धोते, फिर नमाज़ के वुज़ू की तरह वुज़ू करते, फिर अपनी उंगलियां पानी में डालते और उन से बालों की जड़ों में ख़िलाल करते, फिर अपने सर पर दोनों हाथों से तीन चुल्लू पानी डालते, फिर अपने सारे जिस्मे अतहर पर पानी बहाया करते थे।

हदीस 244:- ज़ौजए रसूल सय्यदा मैमूनह ﵂ फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने नमाज़ के वुज़ू की तरह वुज़ू किया लेकिन दोनों पांव नहीं धोए, अपनी शर्मगाह और लगी हुई नजासत को साफ़ किया, फिर उस पर पानी बहाया, फिर दोनों पांव हटा कर उन्हें धोया, यह आप का गुस्ले जनाबत था।

बाब 175:- मियां बीवी का एक ही बरतन से गुस्ल करना:

हदीस 245:- सय्यदा आयशा ﵂ फ़रमाती हैं, मैं और रसूलुल्लाह ﷺ एक (ही) बरतन से गुस्ल करते, वह बरतन एक कून्डा था जिसे फ़र्क़ कहते हैं।

बाब 176:- साअ या इतने ही पानी से गुस्ल करना:

हदीस 246:- अबू सलमह ﵁ से रिवायत है कि मैं और सय्यदा आयशा ﵂ के भाई सय्यदा आयशा ﵂ के पास गए और उनसे रसूलुल्लाह ﷺ के गुस्ले जनाबत में पूछा, उन्होंने एक साअ की तरह एक बरतन मंगवाया, फिर उन्होंने गुस्ल किया और अपने सर पर पानी बहाया, हमारे और उनके दरमियान एक पर्दा हाइल था।

हदीस 247:- अबू जाफ़र (इमाम बाक़िर) ﵁ फ़रमाते हैं कि मैं और मेरे वालिद (इमाम ज़ैनुल आबिदीन ﵁) जाबिर बिन अब्दुल्लाह ﵄ के पास थे, उनके पास कुछ और लोग भी थे। उन्होंने उनसे गुस्ले (जनाबत) के मुताल्लिक़ पूछा। उन्होंने कहा कि एक साअ (पानी) तुझे काफ़ी है। एक शख़्स बोला मुझे तो काफ़ी नहीं। जाबिर ﵄ ने कहा कि उस शख़्स को काफ़ी था जिस के बाल तुम से ज़्यादा घने थे और वह तुम से बेहतर थे (यानी रसूलुल्लाह ﷺ) फिर (जाबिर ﵄ ने) सिर्फ़ एक कपड़ा पहन कर हमारी इमामत की।

हदीस 248:- हज़रत इब्ने अब्बास ﵄ फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ और सय्यदा मैमूनह ﵂ दोनों एक ही बरतन में गुस्ल कर लिया करते थे।

फ़ायदा:- इस बाब की मज़्कूरा तीनों हदीसों से हस्बे ज़ेल बातें सामने आती हैं: (1) गुसल करते वक़्त पर्दा होना ज़रूरी है। (2) सत्र अगर छुपा लिया गया हो तो एक कपड़े से भी नमाज़ हो जाएगी।

लेकिन यह मजबूरी के दौर की बात है जबकि आज भी मजबूरी में ऐसा किया जा सकता है। (3) तक़रीबन साअ यानी चार सेर के लग भग पानी से ग़ुस्ल किया जा सकता है। यह भी पानी की क़िल्लत के वक़्त की बात है। हां ख़्वाह मख़्वाह पानी ज़रूरत से ज़्यादा बहा देना भी मुनासिब नहीं। इतना पानी इस्तेमाल किया जाए जिससे क़ाबिले इत्मिनान ग़ुस्ल हो जाए।

बाब 177:- जिस ने अपने सर पर तीन बार पानी बहाया:

हदीस 249:- ज़ुबैर बिन मुतअम رضي الله عنه कहते हैं कि रसूलुल्लाह صلى الله عليه وسلم ने फ़रमाया: मैं तो (ग़ुस्ल में) अपने सर पर तीन दफ़ा पानी बहाता हूं और अपने दोनों हाथों से इशारा किया।

हदीस 250:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضي الله عنه फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह صلى الله عليه وسلم अपने सर पर तीन बार पानी बहाते थे।

हदीस 251:- अबू जाफ़र (इमाम मोहम्मद बाक़िर) رضي الله عنه ने जाबिर رضي الله عنه से रिवायत की कि उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास तुम्हारे चचा के बेटे हसन बिन मुहम्मद बिन हनफ़िया رضي الله عنه आए। उन्होंने पूछा ग़ुस्ले जनाबत किस तरह करना चाहिए। मैंने कहा: रसूलुल्लाह صلى الله عليه وسلم तीन चुल्लू पानी लेकर अपने सर पर डालते, फिर अपने बाक़ी जिस्म पर बहाते थे। तो मुझ से हसन ने कहा कि मैं बहुत बालों वाला आदमी हूं। मैंने कहा कि रसूलुल्लाह صلى الله عليه وسلم के बाल तुम से (भी) ज़्यादा थे।

बाब 178:- एक ही बार ग़ुस्ल करना:

हदीस 252:- हज़रत इब्ने अब्बास رضي الله عنهما से रिवायत है कि सय्यदा मैमूनह رضي الله عنها ने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह صلى الله عليه وسلم के नहाने के लिए पानी रखा, आप ने अपने हाथ दो तीन बार धोए। फिर अपने बाएं हाथ में पानी लेकर अपनी शर्मगाह को धोया। फिर अपना हाथ ज़मीन पर रगड़ा। उसके बाद कुल्ली की और नाक में पानी लिया और मुंह और दोनों हाथ धोए, फिर अपने (बाक़ी) जिस्म पर पानी बहा लिया। फिर उस जगह से हट गए और दोनों पांव को धो डाले।

बाब 179:- ग़ुस्ल करते वक़्त हिलाब और ख़ुश्बू से इब्तिदा करना:

हदीस 253:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह صلى الله عليه وسلم ग़ुस्ले जनाबत के वक़्त कोई चीज़ हिलाब की तरह की मंगवाते (एक क़िस्म की ख़ुश्बू) और उसे अपने हाथ में लेकर पहले सर के दाएं हिस्से से इब्तिदा करते। फिर बाएं में, फिर दोनों हाथ अपने सर के दरमियान रगड़ते।

बाब 180:- ग़ुस्ले जनाबत में कुल्ली करना और नाक में पानी डालना:

हदीस 254:- हज़रत इब्ने अब्बास رضي الله عنهما फ़रमाते हैं कि हम से सय्यदा मैमूनह رضي الله عنها ने बयान फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह صلى الله عليه وسلم के लिए ग़ुस्ल का पानी रखा। आपने पहले अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डाला और दोनों हाथ धोए। फिर अपनी शर्मगाह को धोया, बादे अज़ां अपने हाथ ज़मीन पर रख कर दोनों को मिट्टी से मल कर धोया और कुल्ली की और नाक में पानी डाला, फिर अपने मुंह को धो कर अपने सर पर पानी बहाया। फिर वहां से हट गए और अपने पावं धोए। फिर आपके पास तौलिया लाया गया मगर आप ने उस से नहीं पोंछा।

बाब 181:- हाथ ख़ूब साफ़ करने के लिए मिट्टी पर रगड़ना:

हदीस 255:- सय्यदा मैमूनह رضي الله عنها ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह صلى الله عليه وسلم ने ग़ुस्ले जनाबत किया तो अपनी शर्मगाह को अपने हाथ से साफ़ किया। फिर हाथ दीवार पर रगड़ कर धो डाला। जिस तरह

नमाज़ के लिए वुजू करते थे, फिर गुस्ल से फ़ारिग़ होने के बाद अपने दोनों पांव धोए।

बाब 182:- क्या जुनुबी अपना हाथ धोने से पहले बरतन में डाल सकता है:

जबकि उसके हाथ पर जनाबत के अलावा कोई नजासत न हो। इब्ने उमर और बरा बिन आज़िब ने अपना हाथ पानी में डाला, हालांकि उसे धोया न था, फिर वुजू किया। इब्ने उमर और इब्ने अब्बास ने उन छींटों के बारे में कोई मुज़ायका न समझा जो गुस्ले जनाबत में उड़ें।

हदीस 256:- सय्यदा आयशा फ़रमाती हैं कि मैं और रसूलुल्लाह एक बरतन से गुस्ल करते थे और हमारे हाथ उसमें पड़ते थे।

हदीस 257:- हज़रत आयशा फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह जब गुस्ले जनाबत फ़रमाते थे, तो अपना हाथ (पहले) धो लेते थे।

हदीस 258:- सय्यदा आयशा फ़रमाती हैं कि मैं और रसूलुल्लाह एक बरतन से गुस्ले जनाबत करते थे।

हदीस 259:- हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह और आप की अज़्वाज में से एक ज़ौजह एक ही बरतन में गुस्ल किया करते थे।

बाब 183:- गुस्ल के वक़्त दाहिने हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालना:

हदीस 260:- सय्यदा मैमूनह बिन्ते हारिस फ़रमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह के गुस्ल के लिए पानी रखा और आप पर आड़ की। आपने अपने हाथ पर पानी डाला, उसको एक या दो बार धोया। आमश (इस हदीस के एक रावी) ने कहा, मुझे मालूम नहीं कि सालिम बिन अबिल जअद (इस हदीस के एक रावी) ने हाथ के तीसरी बार धोने के मुताल्लिक़ बताया या नहीं। फिर दाहने हाथ से बाएं हाथ पर पानी डाला और अपनी शर्मगाह को साफ़ किया, बादे अज़ां अपना हाथ ज़मीन पर या दीवार पर रगड़ा, फिर कुल्ली की और नाक में पानी दिया और मुंह और दोनों हाथों को धोया और अपना सर (भी) धोया। फिर अपने जिस्म पर पानी बहाया, फिर एक तरफ़ को होकर दोनों पांव धोए। मैंने आप को (जिस्म पोंछने के लिए) कपड़ा दिया तो आप ने हाथ से इशारा किया और उसे नहीं लिया।

बाब 184:- गुस्ल और वुजू के दरमियान वक़्फ़ा:

इब्ने उमर ने अपने पांव को वुजू खुश्क हो जाने के बाद धोया।

हदीस 261:- सय्यदा मैमूनह फ़रमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह के लिए पानी रख दिया, ताकि आप उससे नहाएं। आपने अपने दोनों हाथों पर पानी डाला, उन्हें दो या तीन मर्तबा धोया। फिर दाहिने हाथ से बाएं हाथ पर पानी डाला, शर्मगाह को धोया। फिर अपना हाथ ज़मीन पर रगड़ा। फिर कुल्ली की और नाक में पानी डाला। फिर मुंह धोया और दोनों हाथ धोए, फिर अपना सर तीन बार धोया। फिर अपने (बाक़ी) जिस्म पर पानी बहाया। फिर वहां से हट गए और दोनों पांव धोए।

बाब 185:- जिमाअ के बाद फिर जिमाअ करे और जो कोई एक ही गुस्ल से अपनी तमाम बीवियों के पास हो आए:

हदीस 262:- हज़रत मुन्तशिर रिवायत करते हैं कि मैंने यह बात सय्यदा आयशा से बयान की (यानी क़ौले अब्दुल्लाह बिन उमर जो आगे आ रहा है) तो उन्होंने कहा: अल्लाह अबू

अब्दुर्रहमान पर रहम करे। मैं रसूलुल्लाह ﷺ को खुश्बू लगाती थी और आप अपनी अज़्वाज के पास जाते थे। फिर सुबह को इहराम बांध लेते (और) महक निकलती रहती।

हदीस 263:– अनस बिन मालिक رضي الله عنه फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ अपनी (जुम्ला) अज़्वाज के पास एक ही वक़्त के अन्दर रात और दिन में दौरा फ़रमा लेते थे और वह ग्यारह थीं। (क़तादह इस हदीस के एक रावी) कहते हैं कि मैंने अनस رضي الله عنه से पूछाः क्या आप के अन्दर इस क़दर ताक़त थी? उन्होंने कहा (हां) आपके अन्दर तीस मर्दों की ताक़त थी। सईद ने क़तादा से रिवायत की कि हज़रत अनस رضي الله عنه ने उन से नौ अज़्वाजे मुतह्हरात बयान फ़रमाईं।

बाब 186:– मज़ी का धोना और उस से वुज़ू का लाज़िम होनाः

हदीस 264:– हज़रत अली رضي الله عنه फ़रमाते हैं कि मैं मज़ी का मरीज़ था, मैंने एक शख़्स (मिक़्दाद رضي الله عنه) से कहा कि वह इसके मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह ﷺ से पूछे। मैं शर्माता था क्योंकि रसूलुल्लाह ﷺ की साहिबज़ादी मेरे निकाह में थीं। उस शख़्स ने पूछा तो आपने फ़रमायाः "(बस) वुज़ू कर लो और अपनी शर्मगाह को धो लो।"

बाब 187:– जो शख़्स ख़ुश्बू लगाए, फिर गुस्ल करे और ख़ुश्बू का असर बाक़ी रह जाएः

हदीस 265:– हज़रत मुन्तशिर رضي الله عنه रिवायत करते हैं कि मैंने सय्यदा आयशा رضي الله عنها से पूछा और उनसे अब्दुल्लाह इब्ने उमर رضي الله عنهما का यह क़ौल बयान किया कि मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि सुबह को इहराम बांधूं, इस हाल में कि (मेरा बदन खुश्बू से) महक रहा हो, तो सय्यदा आयशा رضي الله عنها ने फ़रमायाः मैंने (ख़ुद) रसूलुल्लाह ﷺ को ख़ुश्बू लगाई, बादे अज़ां आप ने अपनी अज़्वाज का दौरा किया (और) फिर सुबह को इहराम बांध लिया।

हदीस 266:– सय्यदा आयशा رضي الله عنها फ़रमाती हैं, मैं गोया रसूलुल्लाह ﷺ की मांग में ख़ुश्बू की चमक देख रही हूं, जबकि आप इहराम बांधे हुए थे।

फ़ायदाः– इस हदीस से दो बातें ख़ुसूसन सामने आती हैं। पहली बात यह कि इहराम बांधने से पहले अगर किसी ने ख़ुश्बू लगाई हो और हालते इहराम में उसकी चमक या रंगत नज़र आती हो तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है और दूसरी बात यह कि रसूलुल्लाह ﷺ की सूरते मुक़द्दसा या किसी अदा का तसव्वुर बंधना या बांध लेना मुहब्बते रसूल की अलामत और सआदत-मन्दी है। वल्लाहु तआला औलम।

बाब 188:– बालों का ख़िलाल करना, जब उसे यक़ीन हो जाए कि वह खाल तर कर चुका तो फिर उस पर पानी बहा देः

हदीस 267:– सय्यदा आयशा رضي الله عنها फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ जब गुस्ले जनाबत फ़रमाते तो अपने दोनों हाथ धोते और वुज़ू फ़रमाते नमाज़ के वुज़ू की तरह। फिर गुस्ल शुरू करते तो बालों का ख़िलाल करते। जब आप को यक़ीन हो जाता कि खाल तर हो गई है तो उस पर पानी बहाते, फिर अपने बदन पर पानी बहाते, फिर अपने बदन को धोते। सय्यदा आयशा رضي الله عنها फ़रमाती हैं, मैं और रसूलुल्लाह ﷺ एक (ही) बरतन से गुस्ल करते (और) दोनों उस से चुल्लू भर भर कर लेते थे।

बाब 189:– जो हालते जनाबत में वुज़ू करे और फिर बाक़ी जिस्म को धो ले (मगर) वुज़ू के आज़ा दोबारा न धोएः

हदीस 268:- सय्यदा मैमूनह ﷺ फ़रमाती हैं कि (उन्होंने) रसूलुल्लाह ﷺ के गुस्ले जनाबत के लिए पानी रखा। आपने अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ पर दो या तीन बार पानी डाला और अपनी शर्मगाह धोई, फिर अपना हाथ दो या तीन बार ज़मीन पर या दीवार पर मारा, फिर कुल्ली की और नाक में पानी डाला, फिर अपने दोनों हाथ और कोहनियां धोईं, फिर अपना बाक़ी जिस्म धोया और (एक तरफ़) हट गए और अपने दोनों पावं धोए। फ़रमाती हैं, मैं आप के पास एक कपड़ा (पोंछने के लिए) ले गई तो आप ने नहीं लिया और अपने हाथ से पानी पोंछते रहे।

बाब 190:- जब मस्जिद में याद आए कि वह हालते जनाबत में है तो उसी हाल में (बाहर) निकल जाए और तयम्मुम न करे:

हदीस 269:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं कि (एक बार) नमाज़ खड़ी हुई और सफ़ें बराबर की गईं, इतने में रसूलुल्लाह ﷺ हमारी जानिब तशरीफ़ लाए। जब आप जाए नमाज़ पर खड़े हुए तो आप को याद आया कि वह जुनुबी हैं, (आपने) हम से फ़रमाया: "तुम यहीं रहो और आप लौट गए, गुस्ल किया, बादे अज़ां तशरीफ़ लाए और आपके सर से पानी टपक रहा था, फिर आप ने तकबीर कही और हम सब ने आप के साथ नमाज़ अदा की।

बाब 191:- गुस्ले जनाबत के बाद दोनों हाथ झाड़ना:

हदीस 270:- सय्यदा मैमूनह ﷺ फ़रमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ के गुस्ल के लिए पानी रखा और आपके लिए आड़ बना दी। आपने अपने हाथों पर पानी डाला और इस्तिन्जा किया, फिर अपना हाथ ज़मीन पर मारा और उसे रगड़ा, फिर उसे धोया, अज़ां बाद कुल्ली की, नाक में पानी डाला और मुंह और हाथों को धोया, फिर अपने सर पर पानी बहाया और (बाक़ी) जिस्म पर पानी डाला, उस के बाद (वहां से) एक तरफ़ हो गए और अपने दोनों पावं धोए, फिर मैंने एक कपड़ा (बदन पोंछने के लिए) बढ़ाया मगर आप ने उसे नहीं लिया और अपने हाथ झाड़ते हुए चले गए।

बाब 192:- जो सर की दाहिनी जानिब से गुस्ल करना शुरू करे:

हदीस 271:- सय्यदा आयशा ﷺ फ़रमाती हैं, हम में से किसी को जब जनाबत लाहिक़ हो जाती, तो पहले अपने दोनों हाथों से तीन बार अपने सर पर (पानी) डालती, फिर अपने हाथ से सर के दाहिने हिस्से को (मलती) और दूसरे हाथ से सर के बाएं हिस्से को (मलती)।

बाब 193:- तन्हाई में नंगे होकर नहाना और जिस ने पर्दा कर लिया तो बेहतर है:

बहज़ ने अपने वालिद और उन्होंने उनके दादा से और उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत की कि आपने फ़रमाया: "अल्लाह तआला बाक़ी लोगों की निस्बत इस का ज़्यादा हक़दार है कि उस से शर्म की जाए।

हदीस 272:- अबू हुरैरह ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "बनी इस्राईल वाले बरहना होकर गुस्ल किया करते थे, एक दूसरे को देखते (लेकिन) मूसा ﷺ अकेले गुस्ल करते। बनी इस्राईल बोले, खुदा की क़सम! मूसा ﷺ हमारे साथ इस लिए नहीं नहाते कि उनके ख़ुसिये फूले हुए हैं। एक बार आप नहा रहे थे और कपड़े एक पत्थर पर रखे हुए थे, वह पत्थर आपके कपड़े लेकर भाग निकला, आप भी उसके तआक़ुब में दौड़े और यह कहते जाते: "ऐ पत्थर! मेरे कपड़े देदे, ऐ

पत्थर! मेरे कपड़े देदे।" यहां तक कि बनी इस्राईल ने मूसा को देख लिया और बोले, वल्लाह! मूसा को कोई बीमारी नहीं। मूसा ने अपने कपड़े लिए और पत्थर को मारने लगे।" अबू हुरैरह कहते हैं कि मूसा की मार के पत्थर पर (अब तक) छ या सात निशान बाक़ी हैं। (इसी सनद से) अबू हुरैरह रसूलुल्लाह से रिवायत करते हैं कि अय्यूब बरहना नहा रहे थे, उन पर सोने की टिड्डियां बरसने लगीं तो आप उन्हें अपने कपड़े में समेटने लगे। उन्हें उनके परवरदिगार ने आवाज़ दी: "ऐ अय्यूब! क्या मैंने तुम्हें उस से कि जो तुम देख रहे हो, बे नियाज़ नहीं कर दिया? बोले हां! तेरी इज़्ज़त की क़सम! लेकिन मैं तेरी बरकत से बे परवाह नहीं हो सकता।

फ़ायदा:- इस हदीस से तीन बातें ख़ास तौर पर सामने आती हैं। एक यह कि अगर कोई अल्लाह के दोस्तों पर इल्ज़ाम तराशी करता और उन में नुक़्स बताता है तो अल्लाह तआला अपने प्यारों को अकसर औक़ात जवाब देने से भी बेनियाज़ कर देता है और वक़्त आने पर अपने मुक़र्रबीन को उस इल्ज़ाम और नुक़्स से बरी करके दिखा देता है। दूसरी बात यह कि अल्लाह तआला अपने प्यारों की बाज़ निशानियां दुनिया में बाक़ी रखता है ताकि लोगों के दिलों में बुज़ुर्गों की अज़मत पैदा होती और बढ़ती रहे। जो हस्तियां लोगों को उनके परवरदिगार से मिलाते और उसके सामने झुकाते हैं तो उन हस्तियों का अल्लाह तआला भी लोगों को अक़ीदत-मन्द बना देता है जो उन बुज़ुर्गों की मेहनत का दुनियावी सिला होता है और तीसरी बात यह मालूम हुई कि कोई बड़ी से बड़ी हस्ती भी अल्लाह तआला की रहमत से बेनियाज़ और मुस्तग़नी नहीं हो सकती क्योंकि उन हज़रात की सारी बुज़ुर्गी और अज़मत ख़ुदाए रहमान व रहीम के फ़ज़्ल व करम ही से तो है। लिहाज़ा उससे बेनियाज़ी कैसी? ग़ैर से बेनियाज़ तो सिर्फ़ परवरदिगारे आलम की ज़ाते अक़दस है और बाक़ी जिस के पास जो कुछ है वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की रहमत व बरकत का करिश्ता है।

बाब 194:- लोगों के सामने नहाते वक़्त पर्दा कर लेना:

हदीस 273:- उम्मे हानी बिन्ते अबू तालिब रिवायत करती हैं कि मैं रसूलुल्लाह के पास फ़तेह (मक्का) के साल गई तो मैंने आपको ग़ुस्ल करते हुए देखा और फ़ातिमा आप पर पर्दा किए हुए थीं, आप ने फ़रमाया कौन? मैं बोली, उम्मे हानी हूं।

हदीस 274:- सय्यदा मैमूनह फ़रमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह के लिए ग़ुस्ले जनाबत के वक़्त पर्दा किया। पस आपने अपने दोनों हाथ धोए, फिर अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ पर पानी गिराया और अपनी शर्मगाह और जहां भी कुछ लगा था उसे धोया। फिर अपना हाथ दीवार पर या ज़मीन पर मला। फिर नमाज़ के वुज़ू की तरह वुज़ू किया, मगर पांव न धोए, फिर आप ने जिस्म पर पानी बहाया और वहां से हट गए और अपने दोनो पावं धोए।

बाब 195:- जब औरत को एहतेलाम हो जाए:

हदीस 275:- उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमह फ़रमाती हैं कि अबू तलहा की ज़ौजह उम्मे सुलैम रसूलुल्लाह के पास आईं, अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह तआला हक़ बयान करने से नहीं शर्माता, जब औरत को एहतेलाम हो तो उसके लिए भी ग़ुस्ल ज़रूरी है? फ़रमाया: "हां, अगर (मनी की) तरी देखे।"

बाब 196:– जुनुबी का पसीना और यह कि मुसलमान नापाक नहीं होता:

हदीस 276:– अबू हुरैरह ﷺ फ़रमाते हैं कि मदीना की किसी गली में उन्हें रसूलुल्लाह ﷺ मिल गए और मैं उस वक़्त हालते जनाबत में था। मैं आप से अलग हो गया और जा कर गुस्ल किया, फिर आया तो आपने फ़रमायाः "अबू हुरैरह! तुम कहां (चले गए) थे।" मैंने अर्ज़ किया मैं हालते जनाबत में था और इस हालत में आपके पास बैठना मुनासिब न समझा। आप ने फ़रमाया: "सुबहानल्लाह! मोमिन (किसी हालत में) नापाक नहीं होता।

बाब 197:– हालते जनाबत में (घर से) निकलना और बाज़ार में चलना फिरना:

अता ﷺ कहते हैं कि जुनुबी ने वुज़ू न भी किया हो तो पुछने लगवा सकता है, नाखुन कटवा सकता है और सर मुंडवा सकता है।

हदीस 277:– अनस बिन मालिक ﷺ ने लोगों से बयान किया कि रसूलुल्लाह ﷺ एक (ही) रात में अपनी तमाम अज़्वाज के पास दौरा कर लेते थे और उस वक़्त आप की नौ बीवियां थीं।

फ़ायदा:– बुख़ारी शरीफ़, जिल्द अव्वल की हदीस 263 के लफ़्ज़ "يَدُوْرُ" और इस हदीस के लफ़्ज़ "كَانَ يَطُوْفُ" से यूं महसूस होने लगता है कि रसूलुल्लाह ﷺ का हर रात में अपनी अज़्वाजे मुतह्हरात के पास तशरीफ़ ले जाना मामूल था लेकिन हक़ीक़त में यह बात नहीं है बल्कि आप सिर्फ़ हज्जतुल वदाअ के मौक़े पर एक रात में अपनी जुम्ला अज़्वाजे मुतह्हरात के पास तशरीफ़ ले गए और उन्हें नवाज़ा था। हां आप को परवरदिगारे आलम ने तीस मर्दों की यह ताक़त ज़रूर मर्हमत फ़रमाई थी बल्कि इमाम बदरुद्दीन ऐनी رحمة الله عليه ने तो उम्दतुल क़ारी, जिल्द अव्वल, सफ़्हा 20 पर फ़रमाया है कि रसूलुल्लाह ﷺ को चालीस जन्नती मर्दों के बराबर यह ताक़त मर्हमत फ़रमाई गई थी और तिर्मिज़ी शरीफ़ की एक रिवायत के मुताबिक़ हर जन्नती मर्द को दुनिया के सौ मर्दों के बराबर यह ताक़त अता फ़रमाई जाएगी। इससे मालूम हुआ कि आपको चार हज़ार दुनियावी मर्दों के बराबर यह ताक़त व कुव्वत मर्हमत हुई थी। दूसरी बात यह भी मद्दे नज़र रहनी चाहिये कि हदीस 263 में ग्यारह अज़्वाजे मुतह्हरात के पास एक ही रात में तशरीफ़ ले जाने का ज़िक्र भी मौजूद है लेकिन सहीह क़ौल नौ है क्योंकि तारीख़ी लिहाज़ से एक वक़्त में नौ से ज़्यादा अज़्वाजे मुतह्हरात का आप के निकाह में रहना साबित नहीं है।

हदीस 278:– अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ मुझे (सरे राह) मिल गए। मैं हालते जनाबत में था, आप ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैं आपके साथ (साथ) चलता रहा। आप एक जगह बैठे तो मैं चुपके से निकल गया और अपने घर जाकर गुस्ल किया। फिर आया, आप तशरीफ़ फ़रमा थे, फ़रमायाः "अबू हुरैरह कहां (चले) गए थे।" मैंने आप को बताया तो फ़रमायाः "सुबहानल्लाह! मोमिन (कभी) नापाक नहीं होता।"

बाब 198:– गुस्ल से पहले जुनुबी घर में रह सकता है:

हदीस 279:– अबू सलमह ﷺ कहते हैं मैंने सय्यदा आयशा رضي الله عنها से पूछा क्या रसूलुल्लाह ﷺ हालते जनाबत में सो जाते थे? सय्यदा आयशा ने फ़रमायाः हां, सिर्फ़ वुज़ू कर लेते थे।

बाब 199:– हालते जनाबत में सोना:

हदीस 280:– इब्ने उमर رضي الله عنهما से रिवायत है कि उमर बिन ख़त्ताब ﷺ ने रसूलुल्लाह ﷺ से पूछा, क्या हम में से कोई हालते जनाबत में सो सकता है? फ़रमायाः "हां, कोई जुनुबी हो तो वुज़ू करे

और सो जाए।"

बाब 200:- जुनुबी सिर्फ़ वुज़ू करके सो जाए:

हदीस 281:- सय्यदा आयशा ﵂ फ़रमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह ﷺ हालते जनाबत में सोने का इरादा करते तो अपनी शर्मगाह धो कर नमाज़ जैसा वुज़ू कर लेते।

हदीस 282:- अब्दुल्लाह बिन उमर ﵄ रिवायत करते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब ﵁ ने रसूलुल्लाह ﷺ से इस्तिफ़्ता किया कि क्या हम में से कोई शख़्स जनाबत की हालत में सो सकता है? फ़रमाया: "हां जबकि वुज़ू करे।"

हदीस 283:- अब्दुल्लाह बिन उमर ﵄ से रिवायत है कि उमर बिन ख़त्ताब ﵁ ने रसूलुल्लाह ﷺ से अर्ज़ किया, मुझे रात को जनाबत लाहिक़ हो जाती है (तो क्या करूं?) फ़रमाया: "वुज़ू करके अपनी शर्मगाह धो डालो और सो रहो।"

बाब 201:- जब मर्द औरत के ख़तने मिल जाएं:

हदीस 284:- अबू हुरैरह ﵁ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब (कोई) मर्द औरत की चौकड़ी के दरमियान बैठे और ज़ोर लगाए (तो उस पर) ग़ुस्ल वाजिब हो गया।" मुताबिअत की इसकी अम्र ने शुअबह से और मूसा, अबान, क़तादह, हसन से इसी तरह मरवी है। इमाम अबू अब्दुल्लाह बुख़ारी ﵀ ने फ़रमाया कि यही ज़्यादा उम्दा और मज़बूत बात है और हम ने आख़िरी हदीस को लोगों के इख़्तिलाफ़ की वजह से बयान किया है और ग़ुस्ल में ही ज़्यादा एहतियात है।

बाब 202:- औरत की शर्मगाह से जो तरी लग जाए उसे धोना:

हदीस 285:- अता बिन यसार ﵁ ने हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी ﵁ से रिवायत की है कि उन्होंने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ﵁ से पूछा, बताइए जब मर्द अपनी औरत से जिमाअ करे और इन्ज़ाल न हो तो? उस्मान ﵁ ने फ़रमाया: नमाज़ के वुज़ू की तरह वुज़ू कर ले और अपनी शर्मगाह को धो डाले। उस्मान ﵁ फ़रमाते हैं: मैंने यही रसूलुल्लाह ﷺ से सुना है। फिर मैंने उसके बारे में अली बिन अबी तालिब, ज़ुबैर बिन अवाम, तलहा बिन उबैदुल्लाह और उबइ बिन कअब ﵃ से दरयाफ़्त किया, उन्होंने भी यही बताया।

हदीस 286:- हज़रत अय्यूब ﵁ से रिवायत है कि उबइ बिन कअब ﵁ ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! जब कोई मर्द अपनी औरत से सोहबत करे और मनी का इख़राज न हो (तो वह क्या करे?) फ़रमाया: "जो हिस्सा औरत के जिस्म से मिस हुआ है उसे धो ले, फिर वुज़ू करे और नमाज़ पढ़े।" इमाम अबू अब्दुल्लाह बुख़ारी ﵀ ने फ़रमाया कि ग़ुस्ल में ज़्यादा एहतियात है और यही आख़िरी हुक्म है। हम ने इसे लोगों के इख़्तिलाफ़ के बाइस बयान किया है और पानी ज़्यादा पाक करने वाला है।

फ़ायदा:- इस हदीस से यही बात साबित हो रही है कि अगर औरत से सोहबत की और इन्ज़ाल न हुआ तो शर्मगाह को धोकर वुज़ू करे और बग़ैर ग़ुस्ल किये नमाज़ पढ़ सकता है। इस मोक़िफ़ की और भी मुताद्दिद अहादीस सिहाहे सित्ता और खुद बुख़री शरीफ़ में मौजूद हैं, लेकिन यह बात इस्लाम के इब्तिदाई ज़माने की है और इस मज़मून की जुम्ला अहादीस उन हदीसों से मन्सूख़ हैं जिन में वारिद हुआ है कि जब मर्द और औरत का हश्फ़े से हश्फ़ा मिल गया तो दोनों पर ग़ुस्ल वाजिब हो गया। हज़रत इमाम बुख़ारी ﵀ ने जो इख़्तिलाफ़े सहाबा के बाइस "هٰذَا اَجْوَدُ وَاَوْكَدُ" फ़रमाया है, यह दुरुस्त

नहीं क्योंकि सहाबए किराम ﷺ का इस बारे में इख़्तिलाफ़ नहीं था बल्कि यह हदीसें शुरूए इस्लाम से मुताल्लिका और मन्सूख़ हैं जबकि वुजूबे गुस्ल वाली हदीसें इनकी नासिख़ हैं।

हैज़ का बयान

अल्लाह तआला का इरशाद है: "तुम से लोग हैज़ के (मसाइल के) बारे में पूछते हैं, तुम फ़रमा दो वह नजासत है इस लिए अय्यामे हैज़ में औरतों से अलग रहो और उनके क़रीब न जाओ जब तक कि वह पाक हो जाएं, तो तुम उनके पास उसी तरह आओ, जिस तरह तुम्हें अल्लाह तआला ने हुक्म दिया है, बेशक अल्लाह तआला तौबा करने वालों और साफ़ सुथरा रहने वालों को पसंद करता है।"

बाब 203:– हैज़ आना किस तरह शुरू हुआ:

फ़रमाने नबवी ﷺ है: (हैज़) एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह तआला ने आदम की बेटियों की क़िस्मत में लिख दी। बाज़ लोगों का कहना है कि सब से पहले हैज़ बनी इस्राईल (की औरतों) पर भेजा गया। अबू अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ की हदीस जुम्ला औरतों को शामिल है।

हदीस 287:– सय्यदा आयशा ؓ फ़रमाती हैं कि हम सब लोग मदीना से महज़ हज के इरादे से निकले, जब सरिफ़ (एक जगह का नाम) पहुंचे तो मुझे हैज़ आ गया। रसूलुल्लाह ﷺ मेरे पास तशरीफ़ लाए, मैं रो रही थी। आप बोले: "क्यों क्या हुआ? क्या तुम्हें माहवारी आ गई?" मैंने कहा हां। आप ने फ़रमाया: "यह तो वह अम्र है जो आदम की बेटियों के लिए लिख दिया, तुम हज के तमाम काम करती रहो, सिर्फ़ तवाफ़े कअबा से गुरेज़ करो।" सय्यदा आयशा ؓ फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने अपनी अज़्वाज की तरफ़ से गाय की क़ुरबानी दी थी।

फ़ायदा:– यह पूरी हदीस बुख़ारी शरीफ़ की किताबुल हज में है। यहां उसी तवील हदीस का एक हिस्सा इस किताबुल हैज़ में पेश किया गया है। यह हदीस मामूली से लफ़्ज़ी इख़्तिलाफ़ के साथ मुस्लिम शरीफ़, नसाई शरीफ़ और इब्ने माजा शरीफ़ की किताबुल हज में भी मौजूद है। जबकि नसाई शरीफ़ की किताबुत्तहारत में भी है, मज़मून वाज़ेह है। हदीस के आख़िरी अल्फ़ाज़ ग़ौर तलब हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने अपनी अज़्वाजे मुतह्हरात की तरफ़ से गाय की क़ुरबानी की। चूंकि यह फ़ेअले रसूल है लिहाज़ा हज़रत मुजद्दिद अलफ़ सानी ؒ ने फ़रमाया कि गाय की क़ुरबानी शिआइरे इस्लाम से है कि हिन्दुस्तान में इसका बाक़ी रखना मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। उन गांधवी उलमा ने इस्लाम पर ज़ुल्म किया था जिन्होंने अपनी मुत्तहिदा क़ौमियत के जाल को तक़्वियत पहुचाने नीज़ अल्लाह और रसूल के दुश्मनों को खुश करने की ख़ातिर क़ुरबानीए गाव के ख़िलाफ़ फ़तवे दिये और इस इस्लामी शिआर को बन्द कराने पर अपना पूरा ज़ोर लगा दिया था। अल्लाह तआला जुम्ले मुद्दइयाने इस्लाम को तौफ़ीक़ दे कि वह अल्लाह और अल्लाह के रसूल को खुश करने में कोशां रहें। दुश्मनाने इस्लाम को राज़ी करने वाले से अल्लाह तआला नाराज़ हो जाता है।

बाब 204:– हाइज़ा का अपने शौहर का सर धोना और कंघी करना:

हदीस 288:– सय्यदा आयशा ؓ फ़रमाती हैं कि मैं हालते हैज़ में रसूलुल्लाह ﷺ के सर में कंघी किया करती थी।

हदीस 289:– उरवह ؓ से रिवायत है कि उन से पूछा गया, क्या हाइज़ा औरत मेरी ख़िदमत

कर सकती है या औरत जनाबत की हालत में मेरे क़रीब आ सकती है? तो उरवह ﷺ ने कहा: यह दोनों बातें मेरे लिए आसान हैं और यह सब औरतें मेरी ख़िदमत करती हैं और (इस में) मेरे लिए ही क्या तख़्सीस, किसी के लिए कोई हर्ज नहीं। मुझे सय्यदा आयशा ﷺ ने बताया है कि वह अय्यामे हैज़ में रसूलुल्लाह ﷺ के सर में कंघी करती थीं और रसूलुल्लाह ﷺ मस्जिद के अन्दर एतेकाफ़ में होते थे, आप अपना सर आयशा ﷺ के क़रीब कर देते और आयशा ﷺ अपने हुजरे में होती थीं और हैज़ की हालत में कंघी कर देती थीं।

बाब 205:– मर्द अपनी हाइज़ा औरत की गोद में (सर रख कर) तिलावते कुरआने मजीद कर सकता है:

अबू वाइल ﷺ अपनी ख़ादिमा को हालते हैज़ में अबू रज़ीं ﷺ के पास भेज देते थे और वह कुरआने मजीद का फ़ीता पकड़ कर ला देती थी।

हदीस 290:– सय्यदा आयशा ﷺ फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ मेरी गोद में तकिया लगा लेते हालांकि मैं हालते हैज़ में होती थी, फिर आप तिलावते कुरआने मजीद करते।

बाब 206:– हैज़ को निफ़ास कहना:

हदीस 291:– सय्यदा उम्मे सलमह ﷺ फ़रमाती हैं, मैं रसूलुल्लाह ﷺ के साथ एक चादर में लेटी हुई थी, यकायक मुझे हैज़ आ गया और मैंने अपने हैज़ के कपड़े पहन लिए। आप ने फ़रमाया: "तुम्हें निफ़ास आ गया" मैं बोली, हां। आप ने मुझे बुलाया और मैं (उसी) चादर में लेट गई।

बाब 207:– हाइज़ा औरत से इख़्तिलात करना:

हदीस 292:– सय्यदा आयशा ﷺ फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ और मैं एक ही बरतन में नहाते थे, जब हम दोनों हालते जनाबत में होते और हालते हैज़ में मुझे फ़रमाते (इज़ार बांध ले) तो मैं इज़ार बांध लेती और मुझ से इख़्तिलात करते (और कभी) हालते एतेकाफ़ में अपना सर मेरी तरफ़ निकाल देते तो उसे धो देती हालांकि मैं हालते हैज़ में होती।

हदीस 293:– सय्यदा आयशा ﷺ फ़रमाती हैं, हम में से जब किसी को हैज़ आता और रसूलुल्लाह ﷺ इख़्तिलात करना चाहते तो उसको इज़ार बांधने का हुक्म देते। उस वक़्त हैज़ का ग़लबा होता, अज़ां बाद आप इख़्तिलात फ़रमाते। (सय्यदा आयशा ﷺ) फ़रमाती हैं, तुम में से कोई अपनी ख़्वाहिश पर क़ाबू नहीं रखता जिस क़दर रसूलुल्लाह ﷺ को अपनी ख़्वाहिश पर कन्ट्रोल था।

हदीस 294:– सय्यदा मैमूनह ﷺ फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जब (कभी) अपनी अज़्वाज से इख़्तिलात करना चाहते तो उसे फ़रमाते और वह इज़ार बांध लेती जबकि वह हाइज़ा होती।

बाब 208:– हाइज़ा औरत का रोज़ा छोड़ देना:

हदीस 295:– अबू सईद ख़ुदरी ﷺ फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ईदुल अज़्हा या ईदुल फ़ित्र को ईदगाह की तरफ़ निकले, औरतों की एक जमाअत पर आपका गुज़र हुआ तो आप ने फ़रमाया: "बीबियो! सदक़ा दो, क्योंकि मैंने दोज़ख़ में तुम्हें बकसरत पाया है।" उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! ऐसा क्यों? फ़रमाया: "तुम बहुत लअन तअन और ख़ाविंद की नाशुक्री करती हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं जो नाक़िसुल अक़्ल वालिदैन होने के बावुजूद अक़्लमन्द आदमी पर ग़ालिब आ सके।" बोलीं, या रसूलल्लाह! हमारे दीन और हमारी अक़्ल में क्या नुक़्स है? आप ने फ़रमाया: "क्या औरत की गवाही

मर्द की निस्फ़ शहादत के बराबर नहीं?" बोलीं, हां। फ़रमाया: "यही उसकी अक़्ल का नुक़्स है और देखो जब औरत हाइज़ा होती है तो वह नमाज़ नहीं पढ़ती और रोज़ा नहीं रख सकती।" उन्होंने कहा हां। आप ने फ़रमाया: "बस यही उसके दीन का नुक़सान है।"

बाब 209:- हाइज़ा औरत तवाफ़े कअबा के अलावा तमाम मनासिके हज अदा कर सकती है:

इब्राहीम (नख़्ई) ﷺ कहते हैं, हाइज़ा औरत को अगर (एक) आयत पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। इब्ने अब्बास ﷺ के नज़्दीक जुनुबी के लिए तिलावत करने में कोई मुज़ायक़ा नहीं, रसूलुल्लाह ﷺ अपने तमाम औक़ात में अल्लाह की याद किया करते थे। उम्मे अतियह ﷺ कहती हैं कि हमें (ईद के मौक़े पर) कहा जाता कि हम हाइज़ा औरतों को बाहर लाएं ताकि वह (भी) मर्दों के साथ तकबीर कहें और दुआ करें। इब्ने अब्बास ﷺ फ़रमाते हैं कि मुझे अबू सुफ़यान ﷺ ने बताया कि हिरक़्ल ने रसूलुल्लाह ﷺ का वह नामए गिरामी (जो उसे लिखा गया था) मंगवाया और उसे पढ़ा तो उस में यह लिखा था: अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है और ऐ अहले किताब! एक बात की तरफ़ आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है कि हम ख़ुदा के सिवा किसी की इबादत न करें और किसी को उसका शरीक न ठहराएं, "मुस्लिमून" तक। अता ﷺ जाबिर ﷺ से नक़्ल करते हैं कि सय्यदा आयशा ﷺ हाइज़ा हुईं तो उन्होंने तवाफ़े कअबा के अलावा तमाम मनासिके हज अदा किए (मगर) नमाज़ नहीं पढ़ती थीं और हक्म ने कहा कि मैं हालते जनाबत में ज़िब्ह कर देता हूं। अल्लाह तआला फ़रमाता है: "वह चीज़ न खाओ जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो।" (लिहाज़ा मैं "इस्मे अल्लाह" ज़रूर पढ़ता हूं।)

हदीस 296:- सय्यदा आयशा ﷺ फ़रमाती हैं, हम इरादए हज के साथ निकले, जब (मक़ामे) सरिफ़ पर पहुंचे तो मुझे हैज़ शुरू हो गया। रसूलुल्लाह ﷺ मेरे पास आए (तो) मैं उस वक़्त रो रही थी। फ़रमाया: "क्या हुआ?" मैंने अर्ज़ किया, काश मैं इस साल हज (का इरादा) न करती। आप ने फ़रमाया: "शायद तुम्हें निफ़ास आ गया है।" मैंने अर्ज़ किया हां। आप ने फ़रमाया: "यह तो एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह तआला ने आदम ﷺ की तमाम बेटियों के लिए लिख दी है। जो भी अफ़आले हज हैं तुम वह करो, सिर्फ़ तवाफ़े कअबा न करो जब तक कि पाक न हो जाओ।"

बाब 110:- इस्तिहाज़ा क्या है:

हदीस 297:- सय्यदा आयशा ﷺ फ़रमाती हैं कि फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश ﷺ ने रसूलुल्लाह ﷺ से पूछा, मैं हमेशा नापाक रहती हूं तो क्या मैं नमाज़ छोड़ दूं? फ़रमाया: "यह तो सिर्फ़ एक रग का ख़ून है और हैज़ नहीं। जब माहवारी के अय्याम हों तो नमाज़ छोड़ दो और जब अय्यामे हैज़ का दौर गुज़र जाए तो अपने जिस्म से ख़ून को धो डालो और नमाज़ पढ़ लो।"

बाब 211:- हैज़ का ख़ून धोना:

हदीस 298:- अस्मा बिन्ते अबू बकर सद्दीक़ ﷺ से रिवायत है कि एक औरत ने रसूलुल्लाह ﷺ से पूछा, जब हम में से किसी के कपड़े पर हैज़ का ख़ून लग जाए तो वह क्या करे? रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब किसी के कपड़े में हैज़ का ख़ून लग जाए तो उसे मल डाले, फिर उसे पानी से धो ले और उसी में नमाज़ पढ़े।"

हदीस 299:- सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا फ़रमाती हैं कि हम में से किसी के कपड़े हैज़ के ख़ून से आलूदा हो जाते तो पाक होने के बाद ख़ून खुरच डालती और वह जगह पानी से धो डालती और सारे कपड़ों पर पानी छिड़क कर उसी में नमाज़ अदा कर लेती।

बाब 212:- मुस्तहाज़ा औरत का एतेकाफ़ करना:

हदीस 300:- सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم के साथ आप की किसी ज़ौजा ने भी एतेकाफ़ किया जबकि वह इस्तिहाज़ा से थीं, ख़ून (बहता हुआ) देखती थीं। कभी ख़ून की वजह से अपने नीचे तश्त रख लेतीं। इकरमह رضی اللہ عنہ (इस हदीस के एक रावी) कहते हैं सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا ने कुसुम का पानी देखा तो फ़रमाया: यह रंग वैसा ही है जैसा फ़ुलां ज़ौजए (रसूल) (इस्तिहाज़ा के वक़्त) देखतीं।

हदीस 301:- सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم के हमराह आपकी किसी ज़ौजा ने एतेकाफ़ किया और वह ख़ून और ज़र्दी को देखती थीं और नमाज़ के दौरान एक तश्त उन के नीचे रहता।

हदीस 302:- सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا फ़रमाती हैं, अज़्वाजे (रसूल) में से बाज़ हालते इस्तिहाज़ा के बावुजूद एतेकाफ़ बैठती थीं।

बाब 213:- जिस कपड़े में औरत हाइज़ा हुई थी, क्या उसी कपड़े में नमाज़ पढ़ सकती है:

हदीस 303:- सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا फ़रमाती हैं, हमारे पास एक कपड़े से ज़ाइद न होता था, उसी में हाइज़ा होतीं, फिर जब उस में ख़ून लग जाता तो उस पर थूक देती और नाख़ुन से छील डालती।

बाब 214:- औरत का ग़ुस्ले हैज़ के वक़्त ख़ुश्बू लगाना:

हदीस 304:- उम्मे अतियह رضی اللہ عنہا रिवायत करती हैं, (रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم के दौरे गिरामी में) हम किसी मय्यत पर तीन दिन से ज़्यादा सोग नहीं मनाती थीं, मगर ख़ाविन्द पर चार माह और दस दिन तक (सोग की इजाज़त थी) और न हम सुर्मा लगातीं, न ख़ुश्बू इस्तेमाल करतीं और न असब के अलावा रंगदार कपड़ा पहनतीं। हम में से जब कोई हैज़ से पाक होती तो कुस्ते अज़्फ़ार लगाने की इजाज़त थी और हमें जनाज़ों के साथ जाने से रोक दिया गया।

बाब 215:- औरत जब हैज़ से पाक हो तो अपना जिस्म ग़ुस्ल के वक़्त कैसे मले और कैसे ग़ुस्ल करे और मुश्क लगा हुआ कपड़ा (कैसे) ख़ून वाली जगह पर फेरे:

हदीस 305:- सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا से रिवायत है कि एक औरत ने रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم से हैज़ के ग़ुस्ल के मुताल्लिक़ पूछा। आपने उसे बताया यूं ग़ुस्ल करे और (फिर) फ़रमाया: "मुश्क लगा हुआ रुई का फ़ाया ले और उससे तहारत कर।" बोली किस तरह तहारत करूं? फ़रमाया: "सुब्हानल्लाह! उस से तहारत करो।" (सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا फ़रमाती हैं) मैंने उस औरत को अपनी तरफ़ खींच लिया और उसे बताया कि उसे ख़ून के मक़ाम पर फेरे।

बाब 216:- हाइज़ा का ग़ुस्ल:

हदीस 306:- सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا फ़रमाती हैं, एक अन्सारी औरत ने रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم से ग़ुस्ले

हैज़ के मुतल्लिक़ दरयाफ़्त किया। आपने फ़रमायाः "मुश्क में बसा हुआ फाया लो और तीन बार वुज़ू करो।" फिर रसूलुल्लाह शर्मा गए और अपना मुंह एक तरफ़ कर लिया और फ़रमायाः "उससे तहारत करो।" पस मैंने उसे अपनी तरफ़ कर लिया और रसूलुल्लाह का मक़सद उसे समझा दिया।

बाब 217:– हैज़ के ग़ुस्ल में कंघी करनाः

हदीस 307:– सय्यदा आयशा फ़रमाती हैं, मैंने हज्जतुल वदाअ में रसूलुल्लाह के साथ इहराम बांधा। मैं तमत्तुअ करने वालों में थी जो क़ुरबानी नहीं ले गए थे। (फिर कहती हैं कि) मैं हाइज़ा हो गई और नवीं ज़िल हिज्जा की रात तक पाक न हुई। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! यह अरफ़ा के दिन की रात है और मैंने उमरे के साथ तमत्तुअ किया था, तो रसूलुल्लाह ने फ़रमायाः "अपना सर खोल डालो और कंघी करो और अपना उमरा मौक़ूफ़ कर दो।" मैंने ऐसा किया, जब मैंने हज अदा कर लिया तो आप ने अब्दुर्रहमान (इब्ने अबू बकर) को हस्बह की रात फ़रमायाः वह मेरे इस उमरे के बदले जिस का मैं इहराम बांध चुकी थी, मुझे तन्ईम से उमरा करा लाए।

बाब 218:– हैज़ का ग़ुस्ल करते वक़्त औरत का अपने बाल खोलनाः

हदीस 308:– सय्यदा आयशा फ़रमाती हैं, हम ज़िल हिज्जा का चाँद देखते ही (मदीना से) निकल पड़े। रसूलुल्लाह ने फ़रमायाः "अगर मैं क़ुरबानी न लाया होता तो उमरे का इहराम बांधता (अल्बत्ता) जिसका जी चाहे वह इहराम बांध ले।" बाज़ ने उमरे का और बाज़ ने हज का इहराम बांधा, मैं उन में शामिल थी जिन्होंने उमरे का इहराम बांधा था। जब अरफ़े का दिन आया तो मुझे हैज़ शुरू हो गया। मैंने रसूलुल्लाह से इसकी शिकायत की तो फ़रमायाः "अपना उमरा मौक़ूफ़ कर दो, अपना सर खोल डालो और कंघी करो और हज का इहराम बांध लो।" जब हस्बह की रात आई तो आपने मेरे भाई अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर को मेरे हमराह कर दिया। मैं तन्ईम तक गई तो मैंने अपने उमरे के क़ायम मक़ाम उमरे का इहराम बांधा। हिशाम (इस हदीस के एक रावी) कहते हैं, उन में से किसी बात पर न क़ुरबानी लाज़िम होती और न रोज़ा और सदक़ा।

बाब 219:– अल्लाह तआला का यह इरशादः "مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ" (इसका क्या मफ़हूम है):

हदीस 309:– अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने फ़रमायाः "अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर ने रहम पर एक फ़रिश्ता मुक़र्रर किया है, जो कहता हैः परवरदिगार नुत्फ़ा पड़ गया, परवरदिगार अब ख़ून बन गया, परवरदिगार अब गोश्त का लोथड़ा हो गया। जब अल्लाह तआला अपनी मर्ज़ी से तख़्लीक़ मुकम्मल कर लेता है तो वह फ़रिश्ता कहता है मर्द (हो) या औरत, बदबख़्त (बने) या नेक बख़्त, रिज़्क़ और उम्र कितनी हो।" फ़रमायाः "फिर वह फ़रिश्ता (सब कुछ) मां के पेट (ही) में लिख देता है।"

फ़ायदाः– इस हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह तआला जब बच्चे की तख़लीक़ यानी शक्ल व सूरत मुकम्मल कर देता है तो एक फ़रिश्ते को मुक़र्रर फ़रमाता है जो रब तआला से मालूम करके उस बच्चे के मुतल्लिक़ चार बातें लिख देता है हालांकि बच्चा अभी मां के पेट में होता है। वह चार बातें यह हैं: (1) यह बच्चा नर है या मादा यानी लड़का है या लड़की। (2) बदबख़्त है या नेक बख़्त यानी जन्नती है या जहन्नमी। (3)इसका दुनियावी रिज़्क़ कितना है। (4) इसकी दुनियावी उम्र कितनी है जिसके बाद मौत आ जाएगी।

जो बातें वह फ़रिश्ता लिखता है, उसी की तरह आज तक करोड़ दर करोड़ दर करोड़ फ़रिश्ते हर पैदा होने वाले इन्सान के मुताल्लिक़ लिखते रहे होंगे हालांकि यह चारों बातें उन ग़ुयूबे ख़म्सा से हैं जिन के मुताल्लिक़ अल्लाह तआला ने सूरए लक़्मान की आख़िरी आयत में फ़रमाया: اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ (अल-आयह) इस आयते मुक़द्दसा के पेशे नज़र मुसलमानों का एक गिरोह इस बात पर मुसिर है और डंके की चोट दावा करता है कि अल्लाह तआला इन ग़ुयूबे ख़म्सा का इल्म मुतलक़न किसी को नहीं देता ख़्वाह कोई वली हो या नबी। हत्ता कि सारी मख़लूक़ के सरदार सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह ﷺ को भी ग़ुयूबे ख़म्सा का इल्म नहीं दिया और वह कहते हैं कि इन पांच बातों का इल्म बअताए इलाही मानने वाला ख़ाती बल्कि मुश्रिक है और इस अक़ीदे का इज़्हार उन्होंने अपनी मुताद्दिद किताबों में पूरे ज़ोर शोर से दलाइल देते हुए किया है।

लेकिन इस हदीस और ऐसी ही बेशुमार अहादीस को देखें तो उन लोगों का दावा दुरुस्त नज़र नहीं आता क्योंकि मज़्कूरा चारों बातें जो बच्चे के मुताल्लिक़ फ़रिश्ता शिकमे मादर में लिखता है, यह चारों बातें ग़ुयूबे ख़म्सा ही की जुज़्इयात हैं। जब फ़रिश्ते को अल्लाह तआला ग़ुयूबे ख़म्सा की बाज़ जुज़्इयात का इल्म अता फ़रमा देता है तो औलिया व अंबिया को बताने में क्या रुकावट पेश आ जाती है? मालूम हुआ कि इस आयत का वही मफ़हूम दुरुस्त है, जो मुफ़स्सिरीने किराम और दीगर अकाबिरे उम्मत ने बताया कि यह मुसिर सिर्फ़ बईं वजह है कि इन पांच बातों का इल्म किसी को भी तालीमे इलाही के बग़ैर नहीं होता। लिहाज़ा अंबियाए किराम में से जिस को अल्लाह तआला ने जितना चाहा ग़ुयूबे ख़म्सा का इल्म अता फ़रमाया और उनके तवस्सुत से औलियाए किराम को भी अला क़दरे मरातिब, जबकि अपने महबूब, सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह ﷺ को तो सारी कायनात के मज्मूई इल्म से भी ज़ाइद मर्हमत फ़रमाया और उनसे कोई चीज़ छुपाई ही नहीं जैसा कि एक दानाए राज़ ने क्या ख़ूब फ़रमाया है:

औरत कोई ग़ैब क्या, तुम से निहां हो भला
जब न ख़ुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद

बाब 220:- हाइज़ा औरत हज या उमरा का इहराम किस तरह बांधे:

हदीस 310:- सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا फ़रमाती हैं, हम हज्जतुल वदाअ के मौक़े पर रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह निकले। हम में से कुछ ने उमरा और कुछ ने हज का इहराम बांध रखा था। जब हम मक्का पहुंचे तो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस ने उमरे का इहराम (तो) बांधा लेकिन क़ुरबानी (साथ) न लाया वह इहराम खोल दे और जिस ने उमरे का इहराम बांधा और क़ुरबानी (भी) साथ लाया तो जब तक उसे ज़िब्ह न करले, अपना इहराम न खोले, जिस ने हज का इहराम बांधा वह अपना हज पूरा करे।" सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا कहती हैं, मुझे हैज़ शुरू हो गया और अरफ़ा का दिन आने तक हैज़ जारी रहा और मैंने उमरे का इहराम बांध रखा था। रसूलुल्लाह ﷺ ने मुझे फ़रमाया: "अपना सर खोल डालो, कंघी कर लो, हज का इहराम बांधो और उमरे को (वक़्ती तौर पर) मौक़ूफ़ कर दो।" मैंने ऐसा ही किया हत्ता कि हज से फ़ारिग़ हो गई। उस वक़्त आपने अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर رضی اللہ عنہ को मेरे साथ कर दिया और मुझे फ़रमाया कि: "मैं अपने उमरे के बदले तन्ईम से उमरा कर आऊं।"

बाब 221:- हैज़ का शुरू और बन्द होना:

औरतें लकड़ी की डिबिया में रुई रख कर सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا के पास भेजतीं, उसमें ज़र्दी होती थी

तो आप कह देतीं, जल्दी मत करो जब तक साफ़ शफ़्फ़ाफ़ (पानी) न देख लो। उनकी इस से मुराद है से तहारत है। ज़ैद बिन साबित ﷺ की साहिबज़ादी को यह ख़बर पहुंची कि बाज़ ख़्वातीन आधी रात को चराग़ मंगवा कर देखतीं कि वह पाक हुईं (या नहीं?) तो उन्होंने फ़रमाया कि औरतों को ऐसा नहीं करना चाहिए और उन्हें मलामत की।

हदीस 311:- सय्यदा आयशा ﷺ फ़रमाती हैं कि फ़ातिमा बिन्ते अबू हुबैश ﷺ को इस्तिहाज़ा हुआ तो उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ से इस्तिफ़्सार किया। आप ने फ़रमायाः "यह (एक) रग का ख़ून है, हैज़ नहीं है, फिर जब हैज़ शुरू हो तो नमाज़ छोड़ दो, जब बन्द हो जाए तो नहा धोकर नमाज़ पढ़ो।"

बाब 222:- हाइज़ा औरत नमाज़ की क़ज़ा न करेः

जाबिर बिन अब्दुल्लाह और अबू सईद (ख़ुदरी) ﷺ ने रसूलुल्लाह ﷺ के हवाले से कहा है कि (हाइज़ा) नमाज़ छोड़ दे।

हदीस 312:- मुआज़ह बिन्ते अब्दुल्लाह ﷺ रिवायत करती हैं कि किसी ख़ातून ने सय्यदा आयशा ﷺ से कहा, जब हम में से कोई औरत हैज़ से पाक हो तो नमाज़ की क़ज़ा पढ़े? फ़रमायाः क्या तू हरूरिया (ख़रिजी) है, हम रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह होते और हैज़ शुरू हो जाता मगर हमें नमाज़ की क़ज़ा पढ़ने को नहीं कहा जाता था या हम क़ज़ा नहीं पढ़ते थे।

फ़ायदाः- ख़वारिज का फ़िरक़ा जो मुख़्तलिफ़ सूरतों और रंगों में क़यामत तक जाएगा। वह सहाबए किराम ﷺ के दौर में रूनुमा हो गया था। चूंकि उन दिनों उसका हेडक्वार्टर हरूरह में था इसलिये उन्हें हरूरी और हरूरियह कहा जाता था। सहाबए किराम ﷺ उन्हें अच्छी निगाहों से नहीं देखते थे क्योंकि अस्ली मुसलमान हमेशा उन्हें मुश्रिक ही नज़र आते रहे हैं। अतमामे हुज्जत के बाद अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली ने उनके ख़िलाफ़ जिहाद किया था। ख़वारिज हज़रत अली जैसी हस्ती को भी मुश्रिक शुमार करते हैं। अल्लाह तआला मौजूद ख़रजियों को इस बीमारी से बचा कर सच्ची हिदायत नसीब फ़रमाए और सब मुसलमानों को इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद से रहने की तौफ़ीक़ मर्हमत फ़रमाए। आमीन

बाब 223:- हाइज़ा औरत के साथ सोना जबकि वह हैज़ के कपड़े पहने हुए होः

हदीस 313:- उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमह ﷺ फ़रमाती हैं, मैं रसूलुल्लाह ﷺ के साथ एक चादर में लेटी हुई थी। मुझे हैज़ आना शुरू हो गया, मैं चुपके से बाहर आ गई और मैंने हैज़ का लिबास पहन लिया। मुझे रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "तुम्हें निफ़ास शुरू हो गया?" मैं बोली हां। आप ने मुझे बुलाया और मुझे चादर के अन्दर दाखिल कर लिया। ज़ैनब इसे उम्मे सलमह ﷺ के हवाले से कहती हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ रोज़े की हालत में मुझे बोसे देते और मैं और रसूलुल्लाह ﷺ एक ही बरतन में गुस्ले जनाबत कर लिया करते थे।

बाब 224:- जिस ने हैज़ के कपड़े पाकी के कपड़ों से अलग कर लिएः

हदीस 314:- सय्यदा उम्मे सलमह ﷺ फ़रमाती हैं, मैं रसूलुल्लाह ﷺ के साथ चादर में लेटी हुई थी, इतने में मुझे हैज़ शुरू हो गया। मैं वहां से निकली और जाकर हैज़ के कपड़े पहन लिए। आप ने फ़रमायाः "क्या तुझे निफ़ास शुरू हो गया है?" मैंने कहा हां। आपने मुझे बुलाया और मैं आपकी

चादर में लेट गई।

बाब 225:- हाइज़ा औरत का ईदैन में आना और मुसलमानों की दुआ में शामिल होना और ईदगाह से अलग रहना:

हदीस 315:- सय्यदा हफ़सह ﷞ फ़रमाती हैं, हम अपनी जवान औरतों को ईदैन में जाने से मना किया करते थे। (एक मर्तबा) एक औरत आई और कसरे बनी ख़लफ़ में पड़ाओ किया। उसने अपनी बहन से रिवायत बयान की कि उसके बहनोई ने रसूलुल्लाह ﷺ के साथ बारह ग़ज़वात में जिहाद किया और छ ग़ज़वात में मेरी बहन भी उनके साथ थी। उन्होंने कहा हम ज़ख़्मियों की मरहम पट्टी किया करतीं और बीमारों की तीमादारी के फ़राइज़ सर अन्जाम देतीं। एक बार मेरी बहन ने रसूलुल्लाह ﷺ से पूछा, हम में से अगर किसी के पास बुरक़ा न हो तो उसे निकलने में क्या हर्ज है? आपने फ़रमाया: "सहेली को चाहिए वह उसे अपना बुरक़ा उढ़ा दे और उसे चाहिए कि ख़ैर और मुसलमानों की दुआ में शरीक हो।" (हफ़सह ﷞ फ़रमाती हैं) जब उम्मे अतियह ﷞ आईं तो मैंने उन से पूछा क्या यह हदीस तुम ने रसूलुल्लाह ﷺ से सुनी है? वह बोलीं हां मेरे बाप आप पर कुरबान और उम्मे अतियह ﷞ (जब कभी आप का ज़िक्र करतीं तो) ज़रूर कहतीं मेरे बाप आप पर कुरबान, मैंने आपको फ़रमाते हुए सुना: "जवान, पर्दा नशीन और हाइज़ा औरतें बाहर निकलें और (महाफ़िले) ख़ैर और मुसलमानों की दुआ में शरीक हों, सिर्फ़ हाइज़ा औरतें नमाज़ से अलग रहें।" हफ़सह ﷞ कहती हैं: हैज़ वाली औरतें भी निकलें? (उम्मे अतियह ﷞ ने) कहा क्या अरफ़ात और फ़ुलां फ़ुलां काम में नहीं आतीं?

बाब 226:- अगर एक ही माह में औरत को तीन बार हैज़ आ जाए और हैज़ और हमल के बारे में जबकि हैज़ का आना मुमकिन हो, औरतों की बात का एतेबार किया जाए। और इरशादे ख़ुदावन्दी है: "औरतों को मुनासिब नहीं कि अल्लाह ने जो कुछ उनके रहमों में पैदा किया है उसे छुपाएं।" हज़रत अली और क़ाज़ी शुरैह ﷞ से मन्क़ूल है, अगर औरत के रिश्तेदारों में ऐसा शख़्स गवाही दे जो मुतदय्यन हो कि वह महीने में तीन बार हाइज़ा हुई तो उसे सच माना जाए। अता ﷞ का कहना है, उसके हैज़ उसी क़दर होंगे जिस क़दर पहले थे और इब्राहीम (नख़ई) ﷫ भी इसी के क़ायल हैं। अता ﷞ का कहना है कि हैज़ एक दिन से पन्दरह दिन तक होता है। मुअमिर अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि मैंने मुहम्मद बिन सीरीन ﷞ से पूछा, अगर औरत पाक होने के पाँच दिन बाद फिर ख़ून देखे तो उन्होंने कहा, औरतें इन बातों को बेहतर तौर पर जानती हैं।

हदीस 316:- सय्यदा आयशा ﷞ फ़रमाती हैं: फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश ﷞ ने रसूलुल्लाह ﷺ से इस्तिफ़्सार किया, मुझे इस्तिहाज़ा रहता है और मैं पाक ही नहीं होती, क्या मैं नमाज़ छोड़ दूं? फ़रमाया: "नहीं यह तो एक रग का ख़ून है, अल्बत्ता हैज़ के दिनों के मुताबिक़ नमाज़ छोड़ दिया करो (फिर) ग़ुस्ल करो और नमाज़ पढ़ो।"

बाब 227:- अय्यामे हैज़ के अलावा ख़ाकी और ज़र्द रंग देखना (और उसका हुक्म):

हदीस 317:- उम्मे अतियह ﷞ फ़रमाती हैं, हम ख़ाकी और ज़र्द रंग को कोई चीज़ नहीं समझते थे, (यानी) हम उसे हैज़ नहीं गर्दानते थे।

बाब 228:- इस्तिहाज़ा की रगः

हदीस 318:- ज़ौजए रसूलुल्लाह ﷺ सय्यदा आयशा رضي الله عنها फ़रमाती हैं, उम्मे हबीबह رضي الله عنها (मुसलसल) सात बरस तक मुस्तहाज़ा रहीं। उन्होंने इसके मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह ﷺ से पूछा तो आप ने उन्हें नहाने का हुक्म दिया और फ़रमायाः "यह एक रग का ख़ून है।" बिना बरीं वह हर नमाज़ के वक़्त गुस्ल किया करती थीं।

बाब 229:- तवाफ़े ज़्यारत के बाद अगर औरत हाइज़ा हो जाएः

हदीस 319:- ज़ौजए रसूलुल्लाह ﷺ सय्यदा आयशा رضي الله عنها फ़रमाती हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में अर्ज़ किया कि सफ़ियह बिन्ते हुय्य رضي الله عنها हाइज़ा हो गई हैं। आपने फ़रमायाः "शायद वह हमें (मदीना जाने से) रोकेगी, क्या उसने तुम्हारे साथ तवाफ़े (ज़्यारत) किया है?" उन्होंने कहाः तवाफ़ तो कर चुकी हैं। फ़रमायाः "तो अब चल खड़ी हो।"

हदीस 320:- अब्दुल्लाह बिन अब्बास رضي الله عنهما से रिवायत है, जब औरत को हैज़ शुरू हो जाए तो उसे (अपने घर) वापस जाने की इजाज़त है। अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنهما अपने दौर में वापस लौटने की इजाज़त नहीं देते थे। ताऊस (इस हदीस के एक रावी) कहते हैं कि मैंने उन से (बाद में) सुना, वह कहा करते थे कि लौट जाए क्योंकि रसूलुल्लाह ﷺ ने इसकी इजाज़त दी है।

बाब 230:- जब मुस्तहाज़ा हैज़ से पाक हो जाएः

इब्ने अब्बास رضي الله عنهما कहते हैं, वह नहा कर नमाज़ पढ़े ख़्वाह एक घड़ी दिन बाक़ी हो और उसका ख़ाविन्द उसके पास आ सकता है जबकि वह नमाज़ अदा कर चुकी हो (क्योंकि) नमाज़ बड़ी चीज़ है।

हदीस 321:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "जब हैज़ आना शुरू हो तो नमाज़ छोड़ो, जब बन्द हो जाए तो ख़ून धो डालो और नमाज़ पढ़ो।

बाब 231:- निफ़ास वाली औरत की नमाज़े जनाज़ा और उसका तरीक़ाः

हदीस 322:- समुरह बिन जुन्दुब رضي الله عنه से रिवायत है कि एक औरत ज़च्गी की हालत में फ़ौत हो गई तो रसूलुल्लाह ﷺ ने उसके दरमियान में खड़े हो कर उसकी नमाज़े (जनाज़ा) पढ़ी।

बाब 232:- हाइज़ा के लिए अहकामः

हदीस 323:- अब्दुल्लाह बिन शद्दाद رضي الله عنه रावी हैं, मैंने अपनी ख़ाला यानी ज़ौजए रसूलुल्लाह ﷺ सय्यदा मैमूनह رضي الله عنها से सुना कि जब वह हाइज़ा होतीं तो नमाज़ नहीं पढ़ती थीं (लेकिन) रसूलुल्लाह ﷺ की जाए नमाज़ के सामने लेटी रहतीं। जब आप अपनी चादर पर नमाज़ अदा करते हुए सज्दे में जाते तो आप का कुछ कपड़ा मेरे जिस्म से मस हो जाता था।

तयम्मुम का बयान

बाब 233:- इरशादे ख़ुदावन्दी हैः "जब तुम पानी न पाओ तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो और उस से अपने मुंह और हाथों पर मसह करो।"

हदीस 324:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, हम किसी सफ़र में रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह थे। जब हम बैदा या ज़ातुल जैश में पहुंचे तो मेरा हार टूट (कर गिर) गया। रसूलुल्लाह ﷺ उसकी तलाश की ग़र्ज़ से वहीं ठहर गए, वहां कोई पानी न था। लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ رضي الله عنه के

पास गए और कहा आपको मालूम है कि आयशा ने रसूलुल्लाह और दीगर लोगों को यहां ठहराया हुआ है (जबकि) उनके पास पीनी भी नहीं। आयशा फ़रमाती हैं, हज़रत अबू बकर मुझ पर बरहम हुए और मेरे पास आए। रसूलुल्लाह मेरे ज़ानू पर सर रख कर आराम फ़रमा रहे थे। बोले, तुम ने रसूलुल्लाह और दीगर लोगों को यहां अटका रखा है जबकि यहां पनी नहीं और उनके पास भी पानी नहीं और जो अल्लाह को मन्ज़ूर था उन्होंने मुझे कहा और अपने हाथ से मेरी कोख में कोंचा मारने लगे। मैं ज़रूर इधर उधर होती मगर चूंकि रसूलुल्लाह मेरे ज़ानू पर सो रहे थे (इस लिए हरकत न कर सकी)। सुबह के वक़्त रसूलुल्लाह बेदार हुए लेकिन पानी न था, तब अल्लाह तआला ने आयते तयम्मुम नाज़िल फ़रमाई, लोगों ने तयम्मुम किया। इस मौके पर उसैद बिन हुज़ैर ने कहा, ऐ आले अबू बकर! यह कोई तुम्हारी पहली बरकत नहीं (इससे पहले भी तुम्हारी बरकात से अहले ईमान फ़ैज़याब होते रहे हैं)। सय्यदा आयशा फ़रमाती हैं, जिस ऊँट पर मैं सवार थी, उसे उठाया तो उसके नीचे से हमें हार मिल गया।

हदीस 325:– जाबिर बिन अब्दुल्लाह रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने फ़रमायाः "मुझे पाँच चीज़ें ऐसी अता हुईं जो मुझ से पहले किसी पैग़म्बर को नहीं मिलीं, मुझे एक महीने की राह तक रोअब के ज़रिए मेरी मदद फ़रमाई गई, मेरे लिए तमाम रूए ज़मीन को मस्जिद और पाक बना दिया गया, मेरी उम्मत में से जिस शख़्स पर नमाज़ का वक़्त आ जाए वह वहीं पढ़ ले, मेरे लिए माले ग़नीमत हलाल कर दिया गया, हालांकि मुझ से पहले किसी पैग़म्बर पर हलाल न था, मुझे शफ़ाअत करने की इजाज़त दी गई और हर नबी अपनी क़ौम की तरफ़ मबऊस होता था और मैं तमाम इंन्सानों की तरफ़ मबऊस हुआ हूं।

फ़ायदाः– मालूम हुआ कि खुदाए ज़ुल-मनन ने हज़रात अंबियाए किराम को जो फ़ज़ाइल व कमालात मर्हमत फ़रमाए वह अपने महबूब को भी अता किये और महबूब को बाज़ वह फ़ज़ाइल व कमालात भी अता फ़रमाए जो अंबियाए किराम में से किसी नबी को भी अता नहीं फ़रमाए थे। ऐसे ही पांच ख़साइस का इस हदीस में रहमते दो आलम ने ज़िक्र फ़रमाया है जबकि बाज़ दीगर हदीसों में इन ख़साइस की तादाद ज़्यादा भी बयान फ़रमाई गई है। सरवरे कौन व मकान के फ़ज़ाइल व ख़साइस को उलमाए मुहक़्क़िक़ीन व फ़ुज़लाए कामिलीन ने अपनी अपनी तसानीफ़े आलिया में यूं तो ख़ूब शरह व बसत से बयान करके दादे तहक़ीक़ दी है लेकिन इमाम जलालुद्दीन सुयूती (मुतवफ़्फ़ी 911) की ख़साइसे कुबरा का इस मैदान में जवाब नहीं है। अल्लाह तआला जुम्ला मुसलमानों को अपने महबूब की सच्ची मुहब्बत नसीब फ़रमाए, आमीन।

बाब 234:– अगर किसी शख़्स को पानी और मिट्टी दोनों न मिलें (तो क्या करे):

हदीस 326:– सय्यदा आयशा फ़रमाती हैं, उन्होंने (अपनी हमशीरा) अस्मा से हार मुस्तआर लिया और वह (कहीं) गिर गया तो रसूलुल्लाह ने उसे तलाश करने के लिए किसी को भेजा। हार तो मिल गया लेकिन (इतने में) नमाज़ का वक़्त हो गया। लोगों के पास (चूंकि) पानी नहीं था इस लिए उन्होंने बे-वुज़ू नमाज़ पढ़ ली। लोगों ने रसूलुल्लाह से शिकायत की तो अल्लाह तआला ने तयम्मुम की आयत उतारी। (उस पर) उसैद बिन हुज़ैर ने कहा आयशा! अल्लाह आपको जज़ाए

ख़ैर दे, क़सम बख़ुदा अगर कोई ऐसी चीज़ वाक़े हो गई जिसे आप बुरा समझती थीं तो अल्लाह तआला ने उस में आप और जुम्ला अहले इस्लाम के लिए बेहतरी (पैदा) कर दी।

फ़ायदा:- इस हदीस और हदीस 324 में आयते तयम्मुम का शाने नुज़ूल है जो 6 हिजरी में ग़ज़वए मुरीसीअ के दौरान सफ़रे बैदा या ज़ातुल जैश नामी मक़ाम पर नाज़िल हुई। इस ग़ज़वे को ग़ज़वए बनी मुस्तलक़ भी कहते हैं। मज़्कूरा मक़ाम पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा رضی اللہ عنہا का हार टूट कर गिर गया और उस पर वह ऊंट बैठ गया जिस पर यह सवार थी। रसूलुल्लाह ﷺ रात के वक़्त हार के बाइस वहीं ठहर गए हालांकि वहां पानी न था, यहां तक कि नमाज़े फ़ज्र का वक़्त आ गया। वुज़ू के लिये पानी न मिला तो आयते तयम्मुम नाज़िल हुई।

हिकमते इलाहिया और मन्शाए एज़दी यही थी कि लशकरे इस्लाम उसी मक़ाम पर ठहरा रहे ताकि "فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً" का मंज़र क़ायम रहे और आयते तयम्मुम बर-मौक़ा नाज़िल हो। यही हक़ीक़त हदीस 324 में इन लफ़्ज़ों में बयान फ़रमाई गई है। "فَاَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْتِمَاسِهٖ" यानी रसूलुल्लाह ﷺ उसकी तलाश के लिये वहीं ठहर गए। अगय यहा लशकरे इस्लाम का ठहराना ख़ुदा की मर्ज़ी न होती तो हार का ख़्याल छोड़ कर रसूलुल्लाह ﷺ वहां से चल देते और सिर्फ़ हार की ख़ातिर अपने साथ पूरे लशकरे इस्लाम को इस परेशानी में मुब्तला न रखते।

महसूस कुछ यूं होता है कि वहां ठहरने का आप को ख़ुदा की तरफ़ से हुक्म आया होगा। या हुक्म तो न आया हो लेकिन आपने क़ुरआन से मन्शाए एज़दी को जान लिया हो और उसके मुताबिक़ आप उस जगह ठहरे हों। अब रही हार की बात तो अगर आप बता देते कि हार फ़ुलां जगह पड़ा है तो वहां ठहरने का कोई जवाज़ न रहता और मुम्किन है कि चलते हुए किसी पानी वाली जगह तक पहुंच जाते और इस तरह आयते तयम्मुम के "فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً" वाले जुम्ले का ताज़ा सूरते हाल से कोई जोड़ न रहता और दोनों में कोई मुताबिक़त ही न रहती। इन हालात में हार के मुताल्लिक़ न बताना और उसी जगह ठहरना ज़रूरी हो गया होगा ताकि आयते तयम्मुम की सूरते हाल से मुताबिक़त बरक़रार रहे जो हिकमते रब्बानी का तक़ाज़ा था।

इस सफ़र और इस वाक़िअए हार से दो बुहतानों का रिश्ता जुड़ा हुआ है। एक वह बुहतान जो मुनाफ़िक़ीने मदीना ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा رضی اللہ عنہا पर लगाया और इनकी पाक दामनी ख़ुद परवरदिगारे आलम ने सूरए नूर में नाज़िल फ़रमाई। दूसरा बुहतान मुनाफ़िक़ीने मदीना के जानशीन आज तक महबूबे परवरदिगार ﷺ पर जड़ते आ रहे हैं कि रसूलल्लाह ﷺ को उस हार के मुताल्लिक़ मुतलक़न कोई इल्म नहीं था कि वह कहां है। बात दरअस्ल यह है कि मुनाफ़िक़ों ने जब हज़रत सिद्दीक़ा رضی اللہ عنہا वाले महाज़ पर वही के बाइस मुंह की खाई और रूस्याही की ज़िल्लत उठाई तो उनके जानशीनों ने अपने बड़ों का भरम रखने की ग़र्ज़ से ख़ुद शाने रिसालत पर हम्ला कर दिया हालांकि इस वाक़िए को इस बात से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है कि रसूलुल्लाह ﷺ को उस हार के मुताल्लिक़ इल्म था भी या नहीं। बहरहाल हर साहिबे ईमान को अपने भले की ख़ातिर इन दोनों में से हर बुहतान के मुताल्लिक़ "سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ" ही कहना चाहिये कि इसी में ईमान की सलामती है और शाने रिसालत पर हम्ला करने से ईमान की तबाही और आख़िरत की रूस्वाई के सिवा और क्या हासिल हो सकता है।

बाब 235:- हज़र में पानी न मिलने की सूरत में नमाज़ फ़ौत हो जाने के ख़ौफ़ से तयम्मुम कर लेना: अता ﷺ भी यही कहते हैं, हसन बसरी ﷺ फ़रमाते हैं, अगर कोई (इन्तिहाई) बीमार (और लाग़र) हो, पानी उसके मौजूद हो लेकिन उसे देने वाला न हो तो तयम्मुम करले। इब्ने उमर ﷺ अपनी ज़मीन से जो जुरुफ़ में थी वापस आए, मरबदे नअम में अस्र का वक़्त हो गया तो आपने (तयम्मुम करके) नमाज़ पढ़ ली। जब मदीना में पहुंचे सूरज (अभी) काफ़ी ऊँचा था लेकिन नमाज़ का इआदा नहीं किया।

हदीस 327:- इब्ने अब्बास ﷺ के आज़ाद करदा गुलाम उमैर ﷺ से रिवायत है, मैं और अब्दुल्लाह बिन यसार ﷺ उम्मुल मोमिनीन मैमूनह ﷺ के आज़ाद करदा गुलाम, अबू जुहैम बिन हारिस बिन सम्मह अन्सारी ﷺ के पास गए। अबू जुहैम ﷺ ने कहा कि रसूलुल्लाह ﷺ बिअरे जमल की तरफ़ से आ रहे थे, (इस इस्ना में) एक शख़्स मिला, उसने आपको सलाम किया मगर आपने जवाब न दिया और एक दीवार की तरफ़ बढ़ गए, मुंह और हाथों पर मसह किया फिर उसके सलाम का जवाब दिया।

बाब 236:- तयम्मुम करते वक़्त दोनों हाथ मिट्टी पर मारने के बाद उन्हें फूंक कर मिट्टी झाड़ना:

हदीस 328:- सईद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा ﷺ अपने वालिद से रिवायत करते हैं, एक शख़्स हज़रत उमर ﷺ के पास आया और कहा, मुझे जनाबत लाहिक़ है मगर पानी नहीं मिल रहा (क्या करूं?) हज़रत अम्मार बिन यासिर ﷺ ने हज़रत उमर ﷺ से कहा, आपको याद नहीं हम सफ़र में थे और हमें जनाबत लाहिक़ हो गई थी। आपने तो नमाज़ ही नहीं पढ़ी थी और मैं मिट्टी में लोटा और नमाज़ अदा कर ली। फिर मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को बताया तो आपने फ़रमाया: तुम्हारे लिए बस इतना ही काफ़ी था कि (यह कह कर) आपने दोनों हथेलियां ज़मीन पर मारीं और उन्हें झाड़ दिया, फिर मुंह और दोनों हाथ पर मसह किया।

बाब 237:- तयम्मुम सिर्फ़ मुंह और हाथों का है:

हदीस 329:- सईद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा ﷺ अपने वालिद से रिवायत करते हैं, अम्मार बिन यासिर ﷺ ने यह (सब मुतज़क्करा सदर वाक़िआ) बयान किया और शुअबह (जो इस हदीस के एक रावी हैं) ने दोनों हाथ ज़मीन पर मारे, फिर उन्हें अपने मुंह के नज़्दीक ले गए और उससे अपने मुंह और हाथों का मसह किया। नज़र, शुअबह, हकम, ज़र्र, इब्ने अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा, उनके वालिद ने हज़रत अम्मार ﷺ से रिवायत की।

हदीस 330:- सईद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा ﷺ से रिवायत है, वह हज़रत उमर ﷺ के पास मौजूद थे, अम्मार ﷺ ने उनसे कहा, हम एक लश्कर में थे और हमें जनाबत लाहिक़ हो गई, इस रिवायत में बजाए "नफ़ख़" के "तफ़ल फ़ीहिमा" कहा।

हदीस 331:- इब्ने अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा ﷺ अपने वालिद से रिवायत करते हैं, अम्मार ﷺ ने हज़रत उमर ﷺ से कहा, मैं (मिट्टी में) लोटा, फिर रसूलुल्लाह ﷺ के पास आया, आपने फ़रमाया: "तुझे मुंह और दोनों हाथों पर मसह करना काफ़ी था।"

हदीस 332:- इब्ने अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा ﷺ अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा मैं हज़रत उमर ﷺ के पास हाज़िर था और फिर (मुतज़क्करा सदर) पूरी हदीस बयान की।

हदीस 333:- सईद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा ﷺ ने अपने वालिद से रिवायत की है, अम्मार ﷺ ने कहा, फिर रसूलुल्लाह ﷺ ने अपना हाथ ज़मीन पर मारा और अपने मुंह और दोनों हाथों पर मसह किया था।

बाब 238:- पाक मिट्टी मुसलमान के लिए पानी के साथ वुज़ू करने का काम देती है:

हसन (बसरी) ﷺ फ़रमाते हैं, जब तक बे-वुज़ू न हो (यही) तयम्मुम काफ़ी है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास ﷺ ने तयम्मुम के साथ इमामत कराई। यहया इब्ने सईद (अन्सारी) कहते हैं, शूर ज़मीन पर नमाज़ अदा करना और उस से तयम्मुम करने में कोई मुज़ायक़ा नहीं।

हदीस 334:- हज़रत इमरान ﷺ रिवायत करते हैं, हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह थे। हम रात भर चलते रहे, रात के आख़िरी हिस्से में हमने पड़ाओ किया और मुसाफ़िर के लिए (रात के आख़िरी पहर में) नींद के अलावा और कोई मीठी चीज़ नहीं। हमारी आंख उस वक़्त खुली जब सूरज की गर्मी पहुंची, सबसे पहले जो उठा वह फ़ुलां था फिर फ़ुलां और फिर फ़ुलां। (अबू रजा ने उन सब के नाम लिए थे मगर औफ़ भूल गए) उमर बिन ख़त्ताब ﷺ जागने वालों में चौथे आदमी थे। रसूलुल्लाह ﷺ जब आराम फ़रमा होते तो हम आपको बेदार न करते जब तक कि आप ख़ुद न जागते क्योंकि हमें मालूम न था कि आपको ख़्वाब में क्या उमूर पेश आने वाले हैं, लेकिन हज़रत उमर ﷺ जब जागे तो जो हालत लोगों पर तारी थी वह देखी। आप (चूंकि) सख़्त मिज़ाज आदमी थे (इस लिए आपसे रहा न गया) और आपने तकबीर कही और तकबीर के साथ अपनी आवाज़ बुलन्द की और मुसलसल तकबीर कहते रहे और अपनी आवाज़ बुलन्द करते रहे हत्ता कि आपकी आवाज़ सुन कर रसूलुल्लाह ﷺ जाग उठे। जब आप बेदार हुए तो लोगों ने उस आफ़त के बारे में रसूलुल्लाह ﷺ से शिकवा किया। आपने फ़रमायाः "उसकी चन्दां परवाह नहीं या उससे कोई नुक़सान न होगा, चलो।" थोड़ी देर चलने के बाद उतरे, वुज़ू के लिए पानी तलब किया, वुज़ू किया। नमाज़ के लिए अज़ान कही गई, आपने लोगों को नमाज़ पढ़ाई। जब नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो एक शख़्स को देखा वह एक तरफ़ होकर बैठा था, उसने लोगों के साथ नमाज़ न पढ़ी थी। आपने फ़रमायाः "ऐ फ़ुलां! तुझे लोगों के साथ नमाज़ पढ़ने से किस चीज़ ने रोक दिया?" वह बोला मुझे गुस्ल की ज़रूरत थी और पानी नहीं है। आपने फ़रमायाः "मिट्टी लेले वह तुझे काफ़ी है।" फिर रसूलुल्लाह ﷺ चल दिए, लोगों ने आपसे प्यास का शिकवा किया। आप उतरे और फ़ुलां शख़्स को बुलाया था (अबू रजा ने उसका नाम लिया था मगर औफ़ भूल गए) और हज़रत अली ﷺ को भी फ़रमाया कि दोनों जाओ और पानी ढूंढ कर लाओ। यह दोनों चल दिए तो एक औरत मिली जिस ने पानी के दो थैले या मिश्कीज़े लटका रखे थे और ख़ुद दरमियान में बैठी हुई जा रही थी। उन दोनों ने उस से पूछा कि पानी कहां है? उसने कहा कल मुझे पानी इसी वक़्त मिला था और हमारे मर्द पीछे रह गए हैं। उन्होंने उससे कहा चलो, उसने कहा कहां? उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह ﷺ के पास चलो। उसने कहा वही जो नए दीन का बानी (साबी) कहलाता है। उन्होंने कहा हां वही हैं जिनको तुम यह कहती हो तो चलो। वह दोनों उसे

रसूलुल्लाह ﷺ के पास ले आए और आपको सारा माजरा कह सुनाया। इमरान رضي الله عنه बयान करते हैं कि लोगों ने उसे ऊँट से उतारा और रसूलुल्लाह ﷺ ने एक बरतन मंगवाया और दोनों थैलों या मिश्कीज़ों का मुंह खोल कर उन से पानी डालना शुरू कर दिया और फिर ऊपर का मुंह वन्द करके नीचे का मुंह खोल दिया और लोगों में मुनादी कर दी गई, पानी पियो और (जानवरों को) पिलाओ। पस जिस ने चाहा (खुद) पिया और जिसने चाहा पिलाया, आख़िर में आपने यूं कहा कि जिसे नहाने धोने की ज़रूरत थी उसे भी पानी का एक बरतन भर कर दिया और फ़रमायाः "जाओ इसे अपने ऊपर वहा दो।" वह औरत (हैरान) खड़ी थी कि उसके पानी के साथ क्या हो रहा है? खुदा की क़सम जब पानी लेना बन्द कर दिया गया (तो) हमें ऐसा दिखाई देता था कि अब वह मिश्कीज़े पहले से भी ज़्यादा भरे हुए हैं। फिर रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "कुछ इसके लिए जमा करो।" लोगों ने आटा, खजूर और सत्तू वग़ैरा इकट्ठे करने शुरू किए, यहां तक कि (काफ़ी मिक़दार में) खाना इकट्ठा हो गया और खाना एक कपड़े में बांध कर उसे ऊंट पर सवार कर दिया। आपने उससे फ़रमायाः "हमने तुम्हारे पानी से कुछ भी कम न किया, अल्लाह ही ने हमें पिलाया है।" फिर वह औरत अपने घर वालों के पास गई, चूंकि उस की वापसी में ताख़ीर हो गई थी तो उन्होंने पूछा, ऐ फुलां तुझे किसने रोक लिया? वह बोली, एक तअज्जुब अंगेज़ (वाक़िआ) है, मुझे दो आदमी मिले, वह मुझे उस शख़्स के पास ले गए जिसे साबी कहा जाता है, उसने इस तरह किया। खुदा की क़सम जितने लोग उसके और उसके दरमियान हैं और उसने अपनी बीच की उंगली और शहादत की उंगली से आसमान और ज़मीन की तरफ़ इशारा किया। उन सब में वह बड़ा जादूगर है या सच मुच खुदा का रसूल है। फिर मुसलमान अपने इर्द गिर्द मुश्रिकों को क़त्ल करते मगर जिन मक़ामात में वह औरत रहती थी उसे हाथ भी न लगाते। एक दिन उसने अपनी क़ौम से कहा, मैं समझती हूं कि यह अमदन तुम्हें छोड़ देते हैं तो कहा अब भी तुम्हें इस्लाम के क़ुबूल करने में ताम्मुल है। उन्होंने उसकी बात मान ली और हल्क़ा बगोशे इस्लाम हो गए। इमाम बुख़ारी कहते हैं, सबा का मतलब एक दीन से दूसरे दीन में चले जाना है। अबुल आलियह कहते हैं कि साबिईन अहले किताब का एक फ़िरक़ा है जो ज़बूर पढ़ते हैं। अस्बु का मतलब है कि मैं माइल हुआ।

बाब 239:- अगर किसी जुनुबी को बीमारी, मौत या प्यास का डर हो तो वह तयम्मुम करलेः

बयान किया जाता है कि अम्र बिन आस رضي الله عنه को सख़्त सर्दी की रात में जनाबत लाहिक़ हो गई तो उन्होंने तयम्मुम कर लिया और उन्होंने यह आयत पढ़ीः "तुम अपने आपको हलाक न करो अल्लाह तआला बिला शुब्हा तुम पर मेहरबान है।" उसके बारे में रसूलुल्लाह ﷺ को आगाह किया गया तो आपने कुछ नहीं फ़रमाया।

हदीस 335:- अबू वाइल رضي الله عنه रिवायत करते हैं कि अबू मूसा अश्अरी رضي الله عنه ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद رضي الله عنه से कहा, अगर नहाने की ज़रूरत हो और पानी मयस्सर न हो तो नमाज़ न पढ़े। उन्होंने कहा हां, अगर पूरा एक महीना पानी न मिले तब भी नमाज़ न पढ़े। अगर मैं उन्हें (खुली) रुख़्सत दे दूं तो जब भी उन्हें सर्दी लगेगी यह तयम्मुम कर लेंगे। अबू मूसा رضي الله عنه कहते हैं, मैंने अब्दुल्लाह (बिन मसऊद) رضي الله عنه से कहा, अम्मार رضي الله عنه का उमर رضي الله عنه से रिवायत बयान करना क्या हुआ? बोले, उमर رضي الله عنه ने अम्मार رضي الله عنه की बात पर इक्तिफ़ा नहीं किया।

हदीस 336:- शक़ीक़ बिन सलमह ﷺ रिवायत करते हैं, मैं अब्दुल्लाह बिन मसऊद और अबू मूसा अशअरी ﷺ के पास था। अबू मूसा ﷺ ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद ﷺ से कहा, अबू अब्दुर्रहमान! जब किसी को जनाबत लाहिक़ हो मगर उसे पानी न मिल सके तो क्या करे? अब्दुल्लाह बिन मसऊद ﷺ ने फ़रमाया: नमाज़ न पढ़े जब तक पानी मयस्सर न हो। अबू मूसा ﷺ बोले, फिर अम्मार ﷺ की इस रिवायत का क्या करेंगे, जब रसूलुल्लाह ﷺ ने उनसे फ़रमाया था: "तुम्हारे लिए बस इतना ही काफ़ी था।" (यानी मुंह और हाथ का मसह) अब्दुल्लाह बिन मसऊद ﷺ ने फ़रमाया: क्या आपको मालूम नहीं कि हज़रत उमर ﷺ ने अम्मार ﷺ के इस क़ौल पर इक्तिफ़ा नहीं किया। अबू मूसा ﷺ बोले, अम्मार ﷺ की बात को रहने दें मगर इस आयते (तयम्मुम) के मुताल्लिक आप क्या कहेंगे तो अब्दुल्लाह ﷺ से जवाब न बन पड़ा तो कहने लगे अगर हम लोगों को इसकी (आम) इजाज़त देदें तो ऐन मुम्किन है कि जब उन्हें पानी (ज़रा) ठन्डा लगेगा तो गुस्ल छोड़ कर तयम्मुम शुरू कर देंगे। सुलैमान अल आमश (इस हदीस के एक रावी) ने शक़ीक़ ﷺ से कहा, क्या अब्दुल्लाह ﷺ ने जुनुबी के लिए तयम्मुम इस बिना पर बुरा समझा, उन्होंने कहा हां।

बाब 240:- तयम्मुम में एक (ही) ज़र्ब (काफ़ी) है:

हदीस 337:- शक़ीक़ (बिन सलमह) ﷺ रिवायत करते हैं, मैं अब्दुल्लाह बिन मसऊद और अबू मूसा अशअरी ﷺ के पास बैठा था। अबू मूसा ﷺ ने उनसे कहा: अगर एक शख़्स जुनुबी हो और उसे एक माह तक पानी मयस्सर न हो तो वह तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ले? अब्दुल्लाह बिन मसऊद ﷺ बोले: वह तयम्मुम न करे ख़्वाह एक माह तक पानी न मिले। अबू मूसा ﷺ ने कहा: फिर इस आयत का क्या बनेगा? "अगर तुम पानी न पाओ तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो।" अब्दुल्लाह बिन मसऊद ﷺ ने कहा: अगर लोगों को इस सिलसिले में (खुली) इजाज़त दे दी जाए तो अन्क़रीब ऐसा होने लगेगा कि जब किसी को पानी ठन्डा लगा फ़ौरन वह तयम्मुम कर लेगा। (सुलैमान) अल आमश कहते हैं, मैंने शक़ीक़ ﷺ से कहा, तो (गोया) तुम नें जुनुबी के लिए तयम्मुम इस लिए ना-मुनासिब समझा। उन्होंने कहा हां, फिर अबू मूसा ﷺ ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद ﷺ से कहा, आप ने अम्मार ﷺ की वह बात नहीं सुनी जो उन्होंने हज़रत उमर ﷺ को बताई थी कि मुझे रसूलुल्लाह ﷺ ने एक काम की ग़र्ज़ से भेजा। मुझे (इस्नाए सफ़र में) नहाने की ज़रूरत पेश आ गई और मुझे पानी न मिल सका तो मैंने पानी की तरह ज़मीन पर लोटनियां लेनी शुरू कर दीं, बादे अज़ां मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से इसका ज़िक्र किया तो आपने फ़रमाया: "तुम्हारे लिए बस इतना काफ़ी था।" और आपने अपना हाथ ज़मीन पर मारा, फिर उसे झाड़ दिया, फिर बायां हाथ दाएं हाथ की पुश्त से मिलाया और दाहिने हाथ से बाएं हाथ की पुश्त को, फिर अपने मुंह पर दोनों हाथों से मसह किया। अब्दुल्लाह बिन मसऊद ﷺ ने कहा: आप को मालूम नहीं कि हज़रत उमर ﷺ ने अम्मार ﷺ के इस क़ौल पर क़नाअत नहीं की। यअला ने आमश के हवाले से शक़ीक़ ﷺ ने इतनी ज़्यादा रिवायत की कि शक़ीक़ ﷺ ने कहा: मैं अब्दुल्लाह बिन मसऊद और अबू मूसा अश्अरी ﷺ के पास था। अबू मूसा ﷺ ने (अब्दुल्लाह ﷺ से) कहा: क्या आपने अम्मार ﷺ का वह क़ौल जो उन्होंने उमर ﷺ से बयान किया था नहीं सुना कि रसूलुल्लाह ﷺ ने मुझे एक सफ़र पर भेजा। मुझे जनाबत लाहिक़ हो गई, मैं मिट्टी

में लौट गया, फिर रसूलुल्लाह ﷺ के पास आए, आपको बताया तो फ़रमायाः "बस इतना काफ़ी था।" और आपने अपने मुंह और अपने हाथों पर एक बार मसह किया।

बाब 241:- जनाबत के लिए तयम्मुम:

हदीस 338:- इमरान बिन हुसैन رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने एक शख़्स को कोने में बैठा हुआ देखा कि उसने लोगों के साथ नमाज़ अदा नहीं की, तो आपने फ़रमायाः "ऐ फ़ुलां! तुम्हें लोगों के साथ नमाज़ पढ़ने से किस चीज़ ने रोक दिया?" अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! मुझे जनाबत लाहिक़ हो गई और पानी नहीं मिल रहा। फ़रमायाः "तुम्हारे लिए मिट्टी (से तयम्मुम कर लेना) काफ़ी है।"

नमाज़ का बयान

बाब 242:- मेअराज में नमाज़ किस तरह फ़र्ज़ हुई?

इब्ने अब्बास رضي الله عنهما फ़रमाते हैं, मुझ से अबू सुफ़यान बिन हरब رضي الله عنه ने हिरक़ल की हदीस में बयान किया कि वह यानी रसूलुल्लाह ﷺ हमें नमाज़ पढ़ने, सच बोलने और हराम से बचे रहने का हुक्म देते हैं।

हदीस 339:- अनस बिन मालिक رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "मैं मक्का में था, मेरे घर की छत शक़ हुई, फिर हज़रत जिब्राईल عليه السلام उतरे। मेरा सीना चीर कर उसे आबे ज़मज़म से धोया गया, फिर एक तश्त सोने का हिकमत व ईमान से भरा हुआ लाकर मेरे सीने में डाल दिया, फिर सीना बन्द कर दिया, फिर मेरा हाथ पकड़ कर मुझे आसमानों पर ले गए। जब मैं आसमाने दुनिया पर पहुंचा तो जिब्राईल عليه السلام ने आसमान के दारोग़ा से कहा खोल दो, दारोग़ा ने पूछा कौन है? जवाब दिया जिब्राईल, पूछा तुम्हारे साथ कोई और भी है? जिब्राईल عليه السلام बोले हां मुहम्मद (ﷺ) मेरे हमराह हैं। उसने कहा क्या वह बुलाए गए हैं? जिब्राईल عليه السلام ने कहा हां। जब (दरवाज़ा) खोल दिया गया तो हम पहले आसमान पर चढ़े। हमने एक शख़्स बैठा हुआ देखा, उसके दाएं बाएं लोग बैठे थे। जब वह दाहिनी जानिब देखते तो हंस पड़ते और जब बाएं जानिब देखते तो रो पड़ते। उन्होंने (मुझे देख कर) कहा खुश आमदीद सालेह पैग़म्बर और सआदत मन्द बेटे। मैंने जिब्राईल से कहा यह कौन हैं? उन्होंने कहा यह आदम عليه السلام हैं, जो इनके दाएं बाएं लोगों का हुजूम है वह इनकी औलाद है। दाएं वाले बहिश्ती और बाएं वाले दोज़ख़ी हैं (बिना बरीं) जब वह दाहिनी जानिब देखते हैं तो मुस्कुरा देते हैं और बाएं जानिब देखते हैं तो रो देते हैं। फिर मुझे जिब्राईल عليه السلام दूसरे आसमान पर ले गए, वहां के दारोग़ा से कहा (दरवाज़ा) खोलो, उसने भी वही पूछा जो पहले दारोग़ा ने पूछा था, आख़िरुल अम्र दरवाज़ा खोला।" अनस رضي الله عنه कहते हैं, फिर अबू ज़र رضي الله عنه ने बयान किया कि आपने आसमानों पर आदम, इद्रीस, मूसा, ईसा और इब्राहीम عليهم السلام को पाया। हर एक का मक़ाम बयान नहीं किया (सिर्फ़) इतना फ़रमाया कि पहले आसमान पर आदम عليه السلام को पाया और छटे पर इब्राहीम عليه السلام मिले। अनस رضي الله عنه कहते हैं, जब जिब्राईल عليه السلام रसूलुल्लाह ﷺ को साथ लेकर इद्रीस عليه السلام के पास से गुज़रे तो उन्होंने कहाः खुश आमदीद! ऐ पैग़म्बरे सालेह! ऐ बरादरे सालेह! मैंने जिब्राईल عليه السلام से दरयाफ़्त किया यह कौन हैं? उन्होंने बताया, यह इद्रीस عليه السلام हैं। फ़िर मेरा हज़रत मूसा عليه السلام पर गुज़र हुआ, उन्होंने कहा आइए नेक पैग़म्बर और नेक भाई! मैंने पूछा यह कौन हैं? बताया यह मूसा عليه السلام हैं। फिर मैं ईसा عليه السلام के पास से गुज़रा तो उन्होंने

मरहबा पैग़म्बरे सालेह और बिरादरे सालेह कहा, मैंने पूछा यह कौन हैं, उन्होंने कहा यह ईसा ﷺ हैं। फिर मेरा इब्राहीम ﷺ पर गुज़र हुआ, उन्होंने कहा नेक पैग़म्बर और नेक भाई खुश आमदीद! मैंने पूछा यह कौन हैं? जिब्रईल ﷺ बोले यह इब्राहीम ﷺ हैं। इब्ने शहाब ﷺ कहते हैं, मुझे इब्ने हज़्म ने बताया कि इब्ने अब्बास और अबू हब्बह अन्सारी ﷺ कहते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "फिर जिब्रईल ﷺ मुझे लेकर चल दिए और मैं हमवार और बुलन्द मक़ाम पर जा पहुंचा जहां मैंने क़लम चलाने की आवाज़ सुनी।" इब्ने हज़्म और अनस बिन मालिक ﷺ कहते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "फिर अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत पर पचास नमाज़ें फ़र्ज़ कीं। जब मैं यह हुक्म लेकर पलटा और मूसा ﷺ के पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा अल्लाह तआला ने आपकी उम्मत पर क्या कुछ फ़र्ज़ किया? मैंने कहा पचास नमाज़ें फ़र्ज़ क़रार दीं। उन्होंने कहा अल्लाह अताला के पास वापस लौट जाइए क्योंकि आपकी उम्मत में (इसके अदा करने की) ताक़त नहीं। मैं वापस गया तो अल्लाह तआला ने एक हिस्सा माफ़ कर दिया, फिर मैं मूसा ﷺ के पास आया और कहा कुछ नमाज़ें माफ़ हो गईं। उन्होंने कहा: अपने रब के पास लौट जाइए क्योंकि आपकी उम्मत इसकी ताक़त नहीं रखती। मैं लौट गया अल्लाह तआला ने (मज़ीद) कुछ माफ़ कर दीं। फिर मैं मूसा ﷺ के पास आया, उन्होंने (हस्बे साबिक़) कहा वापस जाइए आपकी उम्मत में इतनी ताक़त नहीं। फिर मैं लौट गया, आख़िरकार अल्लाह तआला ने फ़रमाया (बाक़ी) पाँच नमाज़ें हैं और (सवाब के लिहाज़ से) पचास नमाज़ें हैं, हमारे यहां बात तब्दील नहीं की जाती। फिर मूसा ﷺ के पास आया, उन्होंने कहा (अब भी) लौट जाइए। मैंने कहा मुझे अपने रब से कुछ कहते हुए शर्म आती है। फिर जिब्रईल ﷺ मुझे लेकर चले और सिदरतुल मुन्तहा तक पहुंचा दिया और उस पर बहुत से रंग छाए हुए थे, फिर मैं जन्नत में दाख़िल हुआ, क्या देखता हूं कि वहां मोतियों के हार हैं और वहां की मिट्टी मुश्क (जैसी) है।

हदीस 340:– उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं कि अल्लाह तआला ने (पहले पहल) जब नमाज़ फ़र्ज़ की थी तो दो रकअतें थीं, हज़र और सफ़र (दोनों) में सफ़र की नमाज़ तो बरक़रार रही मगर हज़र में इज़ाफ़ा कर दिया गया।

बाब 243:– कपड़े पहन कर नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है:

इरशादे बारी तआला है: "तुम हर नमाज़ के वक़्त आराइश कर लिया करो।" (यानी लिबास पहन लिया करो) जिस ने एक कपड़ा ओढ़ कर नमाज़ पढ़ी (वह दुरुस्त है)। सलमह बिन अकवअ ﷺ से मरवी है, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "(अपने कपड़े को) टांक लो ख़्वाह कांटे से ही।" और इसकी सनद मश्कूक है। जो शख़्स जिमाअ के लिबास से नमाज़ पढ़ता है उस वक़्त तक कि कपड़े पर नजासत न हो (तो जाइज़ है) और रसूलुल्लाह ﷺ का हुक्म था कि कोई शख़्स बरहना हो कर कअबे का तवाफ़ न करे।

हदीस 341:– उम्मे अतियह ﷺ से रिवायत है, हमें हुक्म दिया गया था ईदैन में हाइज़ा और पर्दादार ख़्वातीन मुसलमानों के इज्तिमा और दुआ में शरीक हों (अल्बत्ता) हाइज़ा औरतें नमाज़ की जगह से अलग रहें। एक औरत ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल! अगर किसी के पास (ओढ़ने को) चादर न हो, तो फ़रमाया: "सहेली उसे चादर उढ़ा दे।"

बाब 244:– तहमद का नमाज़ के दौरान अपनी गुद्दी पर बांध लेना:

अबू हाज़िम ने सहल बिन सअद رضي الله عنه से रिवायत की कि उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह तहमद को अपने कन्धों पर बांध कर नमाज़ अदा की।

हदीस 342:- मुहम्मद बिन मुन्कदिर رحمه الله रिवायत करते हैं कि जाबिर رضي الله عنه ने (ऐसे) तहमद में नमाज़ पढ़ी जिसे उन्होंने गुद्दी पर बांध रखा था और उनके कपड़े खूंटी पर थे। एक कहने वाले ने कहा कि आप (कपड़ों के होते साते) एक कपड़े में नमाज़ पढ़ते हैं। वह बोले यह तुम जैसे बेवक़ूफ़ को दिखाने के लिए कि उसे मालूम हो कि रसूलुल्लाह ﷺ के ज़माने में हम में से किसी के पास दो कपड़े नहीं (होते) थे।

हदीस 343:- मुहम्मद बिन मुन्कदिर رحمه الله रावी हैं कि मैंने जाबिर رضي الله عنه को एक कपड़ा पहन कर नमाज़ पढ़ते देखा और उन्होंने कहा मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को एक कपड़ा पहन कर नमाज़ पढ़ते हुए देखा।

बाब 245:- एक कपड़ा ओढ़ कर नमाज़ पढ़नाः

ज़ुहरी رحمه الله के मुताबिक़ "अत्तहाफ़" "तौशीह" को कहते हैं यानी चादर के दोनों सिरे उलट कर कांधे पर डाल लेना और यही "इश्तिमाल अला मन्किबैह" है। उम्मे हानी رضي الله عنها फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने एक कपड़ा लपेटा और उसके दोनों किनारों को कांधों पर उलट लिया था।

हदीस 344:- उमर बिन अबी सलमह رضي الله عنه रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने एक कपड़े में नमाज़ पढ़ी और उसके दोनों किनारे उलट कर डाल लिए थे।

हदीस 345:- उमर बिन अबी सलमह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ को उम्मे हानी رضي الله عنها के घर एक कपड़े में नमाज़ पढ़ते देखा, आप ने उसके दोनों सिरे शानों पर डाल रखे थे।

हदीस 346:- उमर बिन अबी सलमह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ को उम्मे सलमा رضي الله عنها (उम्मुल मोमिनीन) के घर एक कपड़े में नमाज़ पढ़ते हुए देखा, आप ने दोनों किनारों को अपने शानों पर डाल लिया था।

हदीस 347:- उम्मे हानी बिन्ते अबू तालिब رضي الله عنها फ़रमाती हैं, मैं फ़तहे (मक्का) के साल रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुई। आप गुस्ल फ़रमा रहे थे और आपकी साहिबज़ादी फ़ातिमा رضي الله عنها आप पर पर्दा किए हुए थीं। मैं सलाम बजा लाई, आपने फ़रमाया कौन है? मैं बोली, अबू तालिब की बेटी उम्मे हानी हूं। आपने फ़रमायाः उम्मे हानी खुश आमदीद। जब आप गुस्ल से फ़ारिग़ हुए तो खड़े हो गए। एक कपड़ा लपेटे हुए आठ रकअतें अदा कीं, जब नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! मेरे बाप जाए (अली मुरतज़ा رضي الله عنه) कहते हैं, मैं एक शख़्स को मार डालूंगा हालांकि मैंने उसे पनाह दे रखी है, हुबैरह के फ़ुलां बेटे को। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "उम्मे हानी जिसे तुम ने पनाह दी है, हम ने भी पनाह दी।" उम्मे हानी رضي الله عنها का कहना है कि वह नमाज़े चाश्त थी।

हदीस 348:- अबू हुरैरह رضي الله عنه से रिवायत है, किसी ने रसूलुल्लाह ﷺ से एक कपड़े में नमाज़ पढ़ने के मुताल्लिक़ इस्तिफ़सार किया तो रसूलुल्लाह ﷺ ने (पलट कर उस से) फ़रमायाः "क्या तुम में से हर एक के पास दो कपड़े हैं।"

बाब 246:- जब एक कपड़े में नमाज़ पढ़ना चाहे तो उसे अपने कांधे पर डाल लेः

हदीस 349:– अबू हुरैरह ﷺ से रिवायत है, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "तुम में से कोई एक कपड़े में नमाज़ न पढ़े जिस का एक हिस्सा उसके शानों पर न हो।"

हदीस 350:– अबू हुरैरह ﷺ से रिवायत है कि मैं गवाही देता हूं कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से सुना था, आपने फ़रमाया थाः "जो कोई एक कपड़े में नमाज़ पढ़े तो दूसरे सिरों को शाने पर डाल ले।"

बाब 247:– जब कपड़ा तंग होः

हदीस 351:– सईद बिन हारिस कहते हैं, हम ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह ﷺ से एक कपड़े में नमाज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने कहाः मैं रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह एक सफ़र में निकला, रात को किसी ग़र्ज़ से आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ। आप नमाज़ में मश्गूल थे, उस वक़्त मेरे जिस्म पर एक ही कपड़ा था, मैंने उसे ओढ़ लिया और आपके पहलू में नमाज़ अदा की। जब आप फ़ारिग़ हुए तो फ़रमायाः "रात को किस लिए आना हुआ?" मैंने अपनी ज़रूरत बयान की। आपने फ़रमायाः यह कपड़े का लपेटना सीखा जो मैंने देखा, मैंने अर्ज़ किया (सिर्फ़) एक ही कपड़ा था। आपने फ़रमायाः "अगर वह खुला हो तो उसमें इल्तिहाफ़ कर लिया करो और अगर तंग हो तो उसे तहबन्द बना लो।

हदीस 352:– सहल ﷺ से रिवायत है, कुछ लोग रसूलुल्लाह ﷺ के साथ नमाज़ में अपने तहबन्द गर्दनों में बांध लिया करते थे। (उस दौर में) औरतों को हुक्म था वह अपने सर उस वक़्त तक न उठाएं जब तक मर्द सीधे हो कर बैठ न जाएं।

फ़ायदाः– इस हदीस से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह ﷺ के मुबारक ज़माने में औरतें भी बा-जमाअत नमाज़ पढ़ने के लिये मस्जिद में हाज़िर होती थीं और उन की सफ़ें मर्दों से पीछे होती थीं। हज़रत उमर ﷺ के दौरे ख़िलाफ़त में इज्माए सहाबा से इस अमल को रोक दिया गया था। यह रसूलुल्लाह ﷺ की मुख़ालिफ़त नहीं है बल्कि बाज़ अहकाम मुरूरे ज़माना के साथ तब्दील करने ज़रूरी हो जाते हैं लेकिन ऐसी तब्दीली के लिये इज्माए उम्मत ज़रूरी है जो आलमे इस्लाम की सरकर्दा इल्मी हस्तियों के इत्तिफ़ाक़ का नाम है। दूसरे इस हदीस में सहाबए किराम के मुक़द्दस दौर की माली हालत का नक़्शा भी सामने आ जाता है और साहिब नज़ यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वह दौर दुनियावी लिहाज़ से कितनी तंगदस्ती का था लेकिन ईमान की दौलत से मालामाल होने के बाइस वह हज़रात पूरी दुनिया पर छा गए और कुफ़्र की ताक़तें उन से लरज़ां व तरसां थीं लेकिन आज हम माद्दी लिहाज़ से बदरजहा खुशहल हैं, मगर ग़ैर मुस्लिम ताक़तों ने हमें पामाल कर रखा है, हम कुफ़्र की किसी छोटी सी ताक़त से टकराने की जुर्रात भी नहीं रखते।

मालूम हुआ कि मुसलमानों की तरक़्क़ी व कामरानी का राज़ माद्दी वसाइल और दुनियावी साज़ व सामान में नहीं बल्कि दारैन की कामयाबी व कामरानी का अस्ल राज़ ईमानी कुव्वत के अन्दर पिन्हां है और ईमान को तक़्वियत और ज़ेब व ज़ीनत नेक आमाल से मिलती है। परवरदिगारे आलम ने इस हक़ीक़त का राज़ यूं खोला हुआ है:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (3/139)

और न सुस्ती करो और न ग़म खाओ और तुम्हीं ग़ालिब आओगे अगर तुम ईमान रखते हो।

सरबुलन्दी है मुसलमानों के लिये है जबकि वह ईमान की दौलत से मालामाल रहें। आज जबकि सरबुलन्दी व सरफ़राज़ी मुसलमानों के लिये क़िस्सए पारीना होकर रह गई है तो मालूम हो रहा है कि

हम क़ौमी लिहाज़ से अपनी मताए दीन व दानिश को गंवा बैठे हैं। इसी सूरते हाल पर शाएरे मशरिक़ यूं नौहा कुनां हुए थे:

मताए दीन व दानिश लुट गई अल्लाह वालों की
यह किस काफ़िर अदा का ग़मज़ए ख़ूं रेज़ है साक़ी

बाब 248:- शामी जुब्बे में नमाज़ पढ़नाः

हसन बसरी कहते हैं कि वह कपड़े जिन्हें पारसी बुन्ते हैं, उन से (नमाज़ पढ़ने में) कोई क़बाहत नहीं। मअमर कहते हैं, मैंने ज़ुहरी को देखा कि वह यमन का पेशाब में रंगा हुआ कपड़ा पहनते थे। हज़रत अली ने एक कोरे कपड़े में नमाज़ पढ़ी।

हदीस 353:- मुग़ीरह बिन शुअबह से रिवायत है, मैं एक सफ़र में रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह था। आपने फ़रमायाः "मुग़ीरह! पानी का बरतन उठा दो।" मैंने उठा दिया, आप चल दिए हत्ता कि मेरी नज़रों से ग़ायब हो गए और आपने रफ़ए हाजत की। उस वक़्त आप शामी जुब्बा ज़ेबे तन किए हुए थे, आपने उस की आस्तीन से हाथ निकालना चाहा तो वह तंग था, आप ने नीचे से हाथ निकाल लिया। मैंने आप (के आज़ा पर) पानी डाला, आपने नमाज़ के वुज़ू की तरह वुज़ू किया और दोनों मोज़ों पर मसह किया, फिर नमाज़ पढ़ी।

बाब 249:- नमाज़ में और नमाज़ के अलावा नंगे होने की कराहतः

हदीस 354:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ कअबे (की तामीर) के सिलसिले में पत्थर उठा रहे थे और आपने तहमद बांध रखा था। आपके अम्मे मोहतरम अब्बास ने आप से कहाः अच्छा होता तुम अपना तहमद कांधों पर पत्थरों के नीचे रख लेते। जाबिर कहते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने (ऐसा ही किया) अपना तहमद खोल कर कांधों पर रख लिया, आप उसी वक़्त बेहोश होकर गिर पड़े, उसके बाद आपको कभी भी नंगे बदन नहीं देखा गया।

बाब 250:- क़मीज़, पाजामा, जांगिया और चुग़े में नमाज़ पढ़नाः

हदीस 355:- अबू हुरैरह रिवायत करते हैं, एक शख़्स रसूलुल्लाह ﷺ की तरफ़ (मुतवज्जह हो कर) खड़ा हुआ और उसने आप से एक कपड़े में नमाज़ पढ़ने का हुक्म पूछा। आप ने फ़रमायाः "क्या तुम में से हर एक को दो दो कपड़े मयस्सर हैं।" फिर एक शख़्स ने हज़रत उमर से दरयाफ़्त किया, आप ने फ़रमायाः जब अल्लाह वुसअत दे तो तुम भी वुसअत से काम लो। (अब) मुनासिब यह है कि दो कपड़ों में नमाज़ पढ़ी जाए। कोई तहमद और चादर में, कोई चादर और क़मीज़ में, कोई चादर और क़ुबा में, कोई पाजामा और चादर में, कोई शलवार और क़मीज़ में, कोई पाजामा और क़ुबा में, कोई जांगिया और क़ुबा में और कोई जांगिया और क़मीज़ में नमाज़ पढ़े। (अबू हुरैरह का ख़्याल है कि) हज़रत उमर ने यह भी कहा कोई तुबान और चादर में।

हदीस 356:- इब्ने उमर रिवायत करते हैं कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह ﷺ से पूछा, इहराम वाला शख़्स क्या पहने? आप ने फ़रमाया "न क़मीज़ पहने, न पाजामा, न बुरक़ा और न कोई ऐसा कपड़ा जिसे ज़ाफ़रान लगा हुआ हो और न उस में वरस लगा हुआ हो, फिर जिसे जूता न मिले वह मोज़े पहन ले जो कटे हुए हों ताकि टख़नों से नीचे हो जाएं।"

बाब 251:– सत्रे औरत

हदीस 357:– अबू सईद ख़ुदरी رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने इश्तिमाले समा और इस तरह कपड़ा लपेटने से कि शर्मगाह खुली रह जाए मना फ़रमाया है।

हदीस 358:– अबू हुरैरह رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने दो क़िस्म की बैअ से मना फ़रमाया है, लिमास (छूने) निबाज़ (फेंके)। इश्तिमाले समा (माना गुज़र चुका है) और ऐहतमा (मफ़हूम गुज़र चुका है) से और यह कि आदमी एक कपड़े मे लिपट जाए।

हदीस 359:– अबू हुरैरह رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, हज़रत अबू बकर رضی اللہ عنہ ने मुझे उस हज (यानी जिसमें हज़रत अबू बकर सद्दीक़ رضی اللہ عنہ अमीरे हज थे और हज्जतुल वदाअ से पहला हज था) में कुरबानी के दिन मुनादी करने वालों के साथ भेजा ताकि हम मिना में यह एलान करें, इस साल के बाद कोई मुश्रिक हज न करे और कोई बरहना कअबे का तवाफ़ न करे। हुमैद बिन अब्दुर्रहमान (इस हदीस के एक रावी) कहते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने (हज़रत अबू बकर رضی اللہ عنہ के पीछे) हजरत अली رضی اللہ عنہ को रवाना किया और उन्हें फ़रमाया कि वह सूरए बराअत (तौबा) का एलान करें। हज़रत अली رضی اللہ عنہ ने कुरबानी के दिन हमारे साथ लोगों के सामने एलान किया कि इस साल के बाद कोई मुश्रिक हज़ न करे और कोई बरहना तवाफ़ न करे।

बाब 252:– चादर के बग़ैर नमाज़ पढ़ना:

हदीस 360:– मुहम्मद बिन मुन्कदिर رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, मैं जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضی اللہ عنہما के पास गया, वह चादर लपेटे नमाज़ पढ़ रहे थे और उनकी चादर (अलग) रखी हुई थी। जब नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो हम ने उनसे कहा अबू अब्दुल्लाह! आप चादर के होते हुए एक कपड़े से नमाज़ पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, हां मेरा ख़्याल था कि तुम जैसे जाहिल लोग मुझे देख लें (क्योंकि) मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को इसी तरह नमाज़ पढ़ते देखा।

बाब 253:– रान के (ढांकने के) बारे में जो रिवायतें आई हैं:

इमाम बुख़ारी कहते हैं, इब्ने अब्बास और जरहद और मुहम्मद बिन जहश رضی اللہ عنہم ने रसूलुल्लाह ﷺ से नक़्ल किया है कि रान सत्र है। अनस رضی اللہ عنہ फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने अपनी रान खोल दी थी, इमाम बुख़ारी का कहना है कि अनस رضی اللہ عنہ की रिवायत सनद के एतेबार से क़वी है और जरहद की रिवायत में एहतियात ज़्यादा है। (इससे) हम इख़्तिलाफ़ से निकल जाते हैं। अबू मूसा अश्अरी رضی اللہ عنہ कहते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ घुटने खोले बैठें थे, हज़रत उस्मान رضی اللہ عنہ आए तो आपने उन्हें ढांक दिया। ज़ैद बिन साबित رضی اللہ عنہ कहते हैं, अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह ﷺ पर वह़ी की, आप की रान मेरी रान पर थी। वह इतनी बोझल हो गई कि मैं डरने लगा कहीं मेरी रान की हड्डी न टूट जाए।

हदीस 361:– अनस बिन मालिक رضی اللہ عنہ से रिवायत है, रसूलुल्लाह ﷺ ने ख़ैबर की तरफ़ जिहाद किया। हमने सुबह की नमाज़ ख़ैबर के क़रीब अंधेरे मुंह पहुंच कर पढ़ी, ~~फिर~~ रसूलुल्लाह ﷺ और अबू तलहा رضی اللہ عنہ सवार हुए और मैं अबू तलहा رضی اللہ عنہ के पीछे एक सवारी पर था। रसूलुल्लाह ﷺ ख़ैबर की गलियों में चले जा रहे थे, मेरा घुटना रसूलुल्लाह ﷺ की रान से टकराता जाता था। आपने चादर अपनी रान से हटा दी, यहां तक कि मैंने आपकी रान की सफ़ेदी देखी। जब आप ख़ैबर की बस्ती में पहुंचे तो फ़रमाया: "अल्लाहु अकबर! ख़ैबर बरबाद हो गया, जब हम किसी क़ौम के

सेहन में उतर पड़ें और वह डराए गए हों तो उनकी सुबह मन्हूस होती है।" आप ने यह तीन बार फ़रमाया। अनस رضي الله عنه कहते हैं, यहूद उस वक़्त अपने काम काज को निकले तो उन्होंने कहा: मुहम्मद (आ गए) अब्दुल अज़ीज़ (इस हदीस के एक रावी) कहते हैं और हमारे बाज़ साथियों ने यह इज़ाफ़ा किया है (कि उन लोगों ने यह भी कहा था) और जैश (यानी लशकर भी आ गया) चुनान्चे हम ने ख़ैबर हासिल कर लिया। फिर क़ैदी जमा किए गए तो दिहयह कलबी رضي الله عنه आया और कहने लगा: ऐ खुदा के रसूल! इन क़ैदियों में से एक लौंडी मुझे भी अता कीजिए। आपने फ़रमाया: "जाओ एक लौंडी ले जाओ।" उन्होंने सफ़ियह बिन्ते हुय्य رضي الله عنها को ले लिया। एक और शख़्स आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने (बनी) क़ुरैज़ह और (बनी) नज़ीर की सरदार सफ़ियह बिन्ते हुय्य दिहयह رضي الله عنه को दे दी जबकि वह आपके शायाने शान थी। आपने फ़रमाया: "उसे मअ सफ़ियह के ले आओ।" आपने सफ़ियह رضي الله عنها को देख कर दिहयह से फ़रमाया: "तुम कोई और लौंडी ले लो।" अनस رضي الله عنه कहते हैं, फिर रसूलुल्लाह ﷺ ने सफ़ियह رضي الله عنها को आज़ाद करके उससे निकाह कर लिया। साबित ने अनस رضي الله عنه से पूछा, ऐ अबू हमज़ह! भला रसूलुल्लाह ﷺ ने सफ़ियह رضي الله عنها के लिए क्या महर मुक़र्रर किया था? अनस رضي الله عنه ने कहा, आज़ाद कर देना ही हक़्क़ुल महर था। जब आप रास्ते ही में थे तो उम्मे सुलैम رضي الله عنها ने सफ़ियह رضي الله عنها को आपके लिए बनाया संवारा और रात को आपके पास भेज दिया। सुबह को आप दूल्हा थे, आपने फ़रमाया: "जिसके पास जो खाना हो वह ले आए।" और आपने दस्तरख़्वान बिछा दिया, कोई खजूर ले आया और कोई घी। अब्दुल अज़ीज़ कहते हैं, अनस رضي الله عنه ने कहा, मैं समझता हूं कोई सत्तू भी ले आया था। अनस رضي الله عنه कहते हैं, फिर सब ने उसका मलीदा बनाया और यह रसूलुल्लाह ﷺ का वलीमा था।

बाब 254:- औरत कितने कपड़ों में नमाज़ पढ़े:

इकरमह رضي الله عنه कहते हैं, अगर औरत एक ही कपड़े में अपना बदन (पूरी तरह) छुपाले तो जाइज़ है।

हदीस 362:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह कई औरतें भी फ़ज्र की नमाज़ में शरीक होतीं और चादरों में लिपटी हुई होतीं, जब वह (फ़ारिग़ होकर) घरों को रवाना होतीं तो इस क़दर अंधेरा होता कि कोई शख़्स उन औरतों को न पहचान सकता।

बाब 255:- ऐसे कपड़ों में नमाज़ पढ़ना जिन पर बेल बूटे हों और उन्हें देखना:

हदीस 363:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने एक ऐसी चादर में नमाज़ पढ़ी जिस में कशीदाकारी की गई थी। आपने उसके नक़्शो निगार पर नज़र डाली और जब आप फ़ारिग़ हुए तो फ़रमाया: "मेरी यह चादर अबू जहम के पास ले जाओ और मुझे उसकी सादा चादर ला दो क्योंकि इस चादर ने मुझे नमाज़ से ग़ाफ़िल कर दिया था।" हिशाम बिन उरवह अपने वालिद से और उन्होंने हज़रत आयशा رضي الله عنها से नक़्ल किया कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मैं नमाज़ में उसके बेल बूटे देख रहा था, मुझे डर है कहीं वह मुझे फ़ितने में न डाल दे।"

बाब 256:- अगर किसी कपड़े पर सलीब या कोई और तस्वीरें बनी हुई हों तो उस में नमाज़ फ़ासिद होगी या न और उसकी मुमानिअत:

हदीस 364:- अनस رضي الله عنه रिवायत करते हैं, सय्यदा आयशा رضي الله عنها के पास एक पर्दा था जो घर के एक हिस्से में लटकाया हुआ था, तो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "हमारे सामने से यह पर्दा हटा दो

इस लिए कि उसकी तस्वीरें बराबर मेरी नमाज़ में आती रहती हैं।"

बाब 257:- रेशमी जुब्बे में नमाज़ पढ़ना, फिर उसका उतार फेंकना:

हदीस 365:- उक़्बह बिन आमिर ﷺ रिवायत करते हैं कि किसी ने रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में एक रेशमी जुब्बा तोहफ़े के तौर पर भेजा। आपने उसे पहन कर नमाज़ पढ़ी, जब नमाज़ पढ़ ली तो उसे ज़ोर से खींच कर उतार डाला गोया उसे मकरूह जाना और फ़रमायाः "(ऐसा कपड़ा) परहेज़गारों को ज़ेब नहीं देता।"

बाब 258:- सुर्ख़ रंग के कपड़े में नमाज़ पढ़ना:

हदीस 366:- अबू हुजैफ़ह ﷺ से रिवायत है, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को चमड़े के एक सुर्ख़ ख़ेमे में देखा। बिलाल ﷺ आपके वुज़ू का पानी ले आए और लोगों को देखा कि वह आप के वुज़ू (का गुसाला) हाथों हाथ ले रहे हैं, चुनान्चे जिसको उससे मिल जाता वह उसे मुंह पर मल लेता और जिसे न मिलता वह अपने साथ वाले से तरी ले लेता। फिर मैंने बिलाल ﷺ को देखा कि उन्होंने आप का नेज़ा लेकर उसे गाड़ दिया। रसूलुल्लाह ﷺ सुर्ख़ जोड़ा ज़ेबे तन किए बरआमद हुए, तहमद उठा रखा था। आपने नेज़े की तरफ़ लोगों के साथ दो रकअत नमाज़ पढ़ी। मैंने लोगों और जानवरों को देखा कि वह नेज़े के आगे से गुज़रते जाते थे (और आप बदस्तूर नमाज़ अदा करते रहे।)

बाब 259:- छत, मिम्बर और लकड़ी पर नमाज़ पढ़ना:

इमाम बुख़ारी कहते हैं कि (इमाम) हसन (बसरी) ﷺ ने बर्फ़ और पत्तों पर नमाज़ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं समझा, चाहे उनके नीचे, ऊपर या सामने पेशाब बहता हो, शर्त यह है कि नमाज़ी और उसके दरमियान कोई आड़ हो। अबू हुरैरह ﷺ ने मस्जिद की छत पर इमाम के पीछे नमाज़ अदा की और इब्ने उमर ﷺ ने बर्फ़ पर नमाज़ पढ़ी।

हदीस 367:- अबू हाज़िम का बयान है कि लोगों ने हज़रत सहल बिन सअद ﷺ से पूछा कि मिम्बरे (नबवी) किस चीज़ का बना हुआ था? बोले उसे मुझ से ज़्यादा जानने वाला कोई नहीं रहा। वह ग़ाबह (एक जगह) के झाओ का बना हुआ था और फ़ुलां औरत के फ़ुलां गुलाम ने उसे रसूलुल्लाह ﷺ के लिए बनाया था। जब वह तय्यार हो गया तो रसूलुल्लाह ﷺ उस पर खड़े हुए और क़िब्ला रू होकर तकबीर कही और लोग आपके पीछे खड़े हो गए। फिर आपने क़िरअत की और रुकूअ में चले गए और लोगों ने आपके पीछे रुकू किया। फिर आपने अपना सर उठाया और पिछले पावं वापस लौटे यहां तक कि ज़मीन पर सज्दा किया। अ़ली बिन अब्दुल्लाह ने कहा कि अहमद बिन हंबल ﷺ ने मुझ से यह हदीस दरयाफ़्त की और कहा मेरा मक़सद यह है कि रसूलुल्लाह ﷺ लोगों से ऊँचे थे तो यह हदीस इसकी दलील है कि अगर इमाम लोगों से ऊँचा हो तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं। मैंने कहा कि इमाम सुफ़यान बिन उयैनह से इस बारे में बारहा पूछा गया तो आपने उन से नहीं सुना? फ़रमायाः नहीं।

हदीस 368:- अनस बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ एक बार घोड़े से गिर पड़े तो आपकी पिंडली या शाना छिल गया और आपने अपनी अज़्वाज के पास एक माह तक न जाने की क़सम खा ली। एक बाला-ख़ाने पर बैठ रहे जिस का ज़ीना खजूर की शाख़ों का था। सहाबए किराम ﷺ आपकी इयादत के लिए आपके पास आए। आपने बैठे बैठे उन्हें नमाज़ पढ़ाई (जबकि) वह (सहाबा ﷺ) खड़े हुए थे। जब आपने सलाम फेरा तो फ़रमायाः "इमाम का मक़सद यही है कि उसकी

पैरवी की जाए लिहाज़ा जब वह तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो और जब वह रुकूअ करे तो तुम भी रुकूअ करो, जब वह सज्दा करे तुम भी सज्दा करो और वह खड़े होकर नमाज़ पढ़े तो तुम भी खड़े होकर नमाज़ पढ़ो।" और आप उन्तीसवें दिन उतर आए। लोगों ने कहा या रसूलल्लाह! आपने क़सम तो एक माह की खाई थी। फ़रमाया: "महीना उन्तीस रोज़ का भी होता है।"

बाब 260:–जब नमाज़ी का कपड़ा सज्दे के दौरान उसकी बीवी को लग जाए:

हदीस 369:– सय्यदा मैमूनह ﵂ फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़ पढ़ते थे और मैं हैज़ की हालत के दौरान आपके बराबर लेटी होती और जब आप सज्दा करते तो अकसर आपका कपड़ा मुझ से छू जाता था। मैमूनह ﵂ फ़रमाती हैं: आप सज्दा-गाह पर नमाज़ पढ़ते थे।

बाब 261:– चटाई पर नमाज़ पढ़ना:

जाबिर बिन अब्दुल्लाह और अबू सईद खुदरी ﵄ ने कश्ती में खड़े होकर नमाज़ पढ़ी। हसन (बसरी) ﵀ फ़रमाते हैं कि कश्ती में खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकते हो जब तक कि तुम्हारे साथियों को नागवार न गुज़रे, कश्ती के साथ घूमते जाओ वरना बैठ कर (पढ़ो)।

हदीस 370:– अनस बिन मालिक ﵁ फ़रमाते हैं कि उनकी दादी हज़रत मुलैकह ﵂ ने रसूलुल्लाह ﷺ को खाने की दावत की जो आप ही के लिए तय्यार हुआ था। जब आप (खाना) तनावुल फ़रमा चुके तो फ़रमाया: "खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें नमाज़ पढ़ाऊं।" अनस ﵁ कहते हैं, मैं एक चटाई की तरफ़ गया जो अकसर इस्तेमाल में रहने के बाइस स्याह हो चुकी थी। मैंने उसे पानी से धोया, फिर (उस पर) रसूलुल्लाह ﷺ खड़े हुए, मैं और एक यतीम बच्चे ने आपके पीछे सफ़ बना ली और बूढ़ी अम्मां हमारे पीछे खड़ी हो गईं और रसूलुल्लाह ﷺ ने हम सब के हमराह नमाज़ अदा फ़रमाई और आप वापस तशरीफ़ ले गए।

बाब 262:– जाए नमाज़ पर नमाज़ पढ़ना:

हदीस 371:– सय्यदा मैमूनह ﵂ फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जाए नमाज़ पर नमाज़ अदा फ़रमाया करते थे।

बाब 263:– फ़र्श पर नमाज़ पढ़ना:

अनस बिन मालिक ﵁ ने अपने बिछौने पर नमाज़ पढ़ी और कहा, हम रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह नमाज़ पढ़ते थे तो कोई हम में से अपने कपड़े पर सज्दा कर लिया करता था।

हदीस 372:– सय्यदा आयशा ﵂ फ़रमाती हैं, मैं रसूलुल्लाह ﷺ के सामने लेटी होती थी और मेरे पावं आपके क़िब्ले की तरफ़ होते थे, जब आप सज्दे में जाते तो मुझे दबा देते और मैं अपने पावं सुकेड़ लेती और जब आप क़ियाम में चले जाते तो मैं (फिर) उन्हें फैला देती। आयशा ﵂ कहती हैं, उस वक़्त घरों में दिए का रिवाज न था।

हदीस 373:– सय्यदा आयशा ﵂ फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़ पढ़ते और मैं आपके और क़िब्ले के दरमियान आपके घर के फ़र्श पर जनाज़े की तरह पड़ी होती थी।

हदीस 374:– उरवह ﵀ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़ पढ़ते होते और हज़रत आयशा ﵂ आपके और क़िब्ले के दरमियान में उस फ़र्श पर जहां दोनों सोते थे, अर्ज़ (चौड़ाई) की जानिब लेटी होतीं।

बाब 264:- गर्मी की शिद्दत में कपड़े पर सज्दा करना:

हसन (बसरी) ﷺ फ़रमाते हैं कि सहाबा ﷺ पगड़ी और टोपी पर सज्दा करते और उनके हाथ उनकी आस्तीन में होते।

हदीस 375:- अनस बिन मालिक ﷺ फ़रमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह नमाज़ पढ़ते तो बाज़ लोग गर्मी की शिद्दत की वजह से सज्दे की जगह पर कपड़े का किनारा बिछा लेते थे।

बाब 265:- जूतों समेत नमाज़ पढ़ना:

हदीस 376:- सईद बिन यज़ीद अज़्दी ﷺ रिवायत करते हैं, मैंने अनस बिन मालिक ﷺ से पूछा, क्या रसूलुल्लाह ﷺ जूतों समेत नमाज़ पढ़ते थे? उन्होंने जवाब दिया, हां।

बाब 266:- मोज़े पहन कर नमाज़ पढ़ना:

हदीस 377:- हम्माम बिन हारिस रिवायत करते हैं कि मैंने जरीर बिन अब्दुल्लाह ﷺ को देखा, उन्होंने पेशाब किया, फिर वुज़ू किया और मोज़ों पर मसह किया, बादे अज़ां (मोज़ों समेत) खड़े होकर नमाज़ पढ़ी। एक शख़्स ने उन से (इस सिलसिले में) दरयाफ़्त किया तो कहा: मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को इसी तरह करते देखा। इब्राहीम (नख़ई) ﷺ कहते हैं कि यह हदीस लोगों को बहुत पसंद थी क्योंकि जरीर ﷺ आख़िर में इस्लाम लाए थे।

हदीस 378:- मुग़ीरह बिन शुअबह ﷺ से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को वुज़ू कराया तो आप ने मोज़ों पर मसह किया और नमाज़ पढ़ी।

बाब 267:- जब कोई शख़्स पूरा सज्दा न करे:

हदीस 379:- हुज़ैफ़ह ﷺ रिवायत करते हैं कि उन्होंने एक (ऐसे) शख़्स को देखा जो अपना रुकूअ और सज्दा पूरी तरह नहीं करता था। जब वह नमाज़ पढ़ चुका तो उससे हुज़ैफ़ह ﷺ ने कहा, तुम्हारी नमाज़ नहीं हुई। अबू वाइल ﷺ (इस हदीस के एक रावी) कहते हैं कि मैं समझता हूं, उन्होंने यह भी कहा था अगर तू मरा तो रसूलुल्लाह ﷺ की तरीक़े पर नहीं मरेगा।

बाब 268:- सज्दे में अपने बाज़ुओं को खुला रखे और अपने दोनों पहलू भी अलाहिदा रखे:

हदीस 380:- अब्दुल्लाह बिन मालिक इब्ने बुहैनह ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़ पढ़ते तो अपने दोनों हाथों को इतना खुला रखते कि आप की बग़लों की सफ़ेदी ज़ाहिर होती थी।

बाब 269:- क़िब्ला रुख़ होने की फ़ज़ीलत, अपने पावं की उंगलियां भी क़िब्ला रुख़ रखनी चाहिएं:

इसे अबू हुमैद ﷺ ने रसूलुल्लाह ﷺ से नक़्ल किया है।

हदीस 381:- अनस बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो शख़्स हमारी तरह नमाज़ पढ़े, हमारे क़िब्ले की तरफ़ मुंह करे, हमारा ज़बीहा खाए तो वही मुसलमान है, जिसके लिए अल्लाह और उसके रसूल की ज़मानत है सो तुम अल्लाह की ज़मानत में ख़्यानत न करो।"

हदीस 382:- अनस बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मैं उस वक़्त तक लड़ने पर मामूर हूं जब तक कि लोग लाइलाह इल्लल्लाह न कह दें। फिर जब वह इस तरह

कह दें और हमारी तरह नमाज़ पढ़ें, हमारे क़िब्ले की तरफ़ मुंह करें और हमारा ज़िब्ह किया हुआ खाएं तो यक़ीनन उनके ख़ून और माल (हम पर) हराम हो गए, मगर हक़ की बिना पर (जिसे इस्लाम ने उन पर मुक़र्रर किया) और उनका हिसाब अल्लाह पर है।" अली बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि हम से ख़ालिद बिन हारिस ने बयान किया, उनका कहना है कि हमें हुमैद तवील ने बताया कि मैमून बिन स्याह ने अनस बिन मालिक رضي الله عنه से पूछा, अबू हमज़ह! वह कौन सी चीज़ है जिस से आदमी का ख़ून और माल दोनों हराम हैं? फ़रमायाः जो कोई यह गवाही दे कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और हमारे क़िब्ले की तरफ़ मुंह करे, हमारी तरह नमाज़ अदा करे, हमारा ज़बीहा खाए पस वही मुसलमान है और उसके वही हुक़ूक़ हैं जो एक मुसलमान के हैं और उसकी वही ज़िम्मेदारियां हैं जो एक मुसलमान की हैं।

बाब 270:- अहले मदीना और अहले शाम का क़िब्ला और मश्रिक़ वालों का (क़िब्ला) न मश्रिक़ में है न मग़्रिब में:

रसूलुल्लाह ﷺ के क़ौल के मुताबिक़ किः "पाख़ाना और पेशाब करते वक़्त क़िब्ले की तरफ़ मुंह न करो, मश्रिक़ या मग़्रिब की तरफ़ कर लो।"

हदीस 383:- अबू अय्यूब अन्सारी رضي الله عنه रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "जब तुम पाख़ाने के लिए जाओ तो तुम न क़िब्ले की तरफ़ मुंह करो और न पुश्त बल्कि मश्रिक़ या मग़्रिब की तरफ़ मुंह कर लो।" अबू अय्यूब رضي الله عنه कहते हैं, जब हम शाम में आए तो हम ने कुछ बैतुल ख़ला ऐसे देखे जो क़िब्ला रुख़ बनाए गए थे तो हम बहालते मजबूरी रफ़्ए हाजत के लिए जाते थे और अल्लाह तआला से इस्तिग़फ़ार करते थे।

फ़ायदा:- बाज़ अहादीस ऐसी भी हैं जिनके अन्दर हुक्म तो आम होता है लेकिन हक़ीक़त में वह आम नहीं होता बल्कि वह हुक्म किसी एक फ़र्द या चन्द अफ़राद से मुताल्लिक़ होता है। या किसी ख़ास वक़्त तक या किसी ख़ास जगह से मुताल्लिक़ होता है। इस बात की छान बीन अह्ले इल्म हज़रात ही करते हैं। उम्मते मुहम्मदिया की इल्मी हस्तियों ने क़ुरआन व हदीस के ऐसे अहकामात की छान बीन करने और उनकी अस्ल मुराद को मुतअय्यन करने में हैरत अंगेज़ ज़िम्मेदारी का सुबूत दिया और मिल्लते इस्लामिया की ख़ैर ख़्वाही में कोई दक़ीक़ा फ़रोगुज़ाश्त नहीं किया।

उम्मते मुहम्मदिया के ऐसे जुम्ला ख़ैर ख़्वाहों में चारों अइम्मए मुज्तहिदीन का इल्मी व तहक़ीक़ी कारनामा सरे-फ़ेहरिस्त है। वह चारों इमामे आज़म अबू हनीफ़ा (मुतवफ़्फ़ी 150 हिजरी), इमाम मालिक (मुतवफ़्फ़ी 179 हिजरी), इमाम मुहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई (मुतवफ़्फ़ी 204 हिजरी) और इमाम अहमद बिन हंबल (मुतवफ़्फ़ी 241 हिजरी) रहमतुल्लाहि तआला अलैहिम हैं। उम्मते मुहम्मदिया को इकट्ठा रखने की ख़ातिर उन चारों हज़रात की तक़लीद पर मिल्लते इस्लामिया का इज्माअ है। अगर वह इन चारों में से किसी एक की तक़लीद नहीं करता तो वह अहले हक़ की जमाअत से जुदा होने वाला और गुमराह बेदीन है ख़्वाह किसी के नज़्दीक वह ऊंचे पाए का मुहक़्क़िक़ व मुफ़क्किर ही क्यों न शुमार होता हो।

इसी हदीस को देखिये कि सरवरे कौन व मकां ﷺ ने दो हुक्म फ़रमाए हैं: (1) पेशाब या पाख़ाना करते वक़्त क़िब्ले की जानिब मुंह नहीं करना चाहिये और न पुश्त करो। (2) पेशाब या पाख़ाना

करते वक़्त मशरिक़ मग़रिब को मुंह करना चाहिये। क्या सरज़मीने पाक व हिन्द में कोई ऐसा शख़्स है जो सिर्फ़ इस हदीस के मफ़हूम व मानी को सामने रख कर उस पर अमल करके दिखा दे कि ऐसे वक़्त किब्ले की जानिब मुंह और पीठ न हो और मशरिक़ या मग़रिब की तरफ़ मुंह भी हो जाए। अपने मुल्क में रहते हुए इस दूसरे हुक्म पर किसी पाकिस्तानी या भारती से अमल नहीं हो सकेगा। इन हालात में हदीस के मानी व मफ़हूम से आगे बढ़ते हुए उसकी मुराद तलाश करना ज़रूरी है और यह ज़रूरत बाद के तमाम मुसलमानों को अइम्मए मज्तहिदीन के क़दमों तक पहुंचा देती है क्योंकि فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ लिहाज़ा हर न जानने वाला जानने वाले तक पहुंचा और बात मुज्तहिदीने इज़ाम तक पहुंची। وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى ذٰلِكَ

बाब 271:- इरशादे ख़ुदावन्दी कि मक़ामे इब्राहीम को मुसल्ला बनाओ:

हदीस 384:- अम्र बिन दीनार से रिवायत है, किसी ने इब्ने उमर رضی اللہ عنہ से एक ऐसे शख़्स के मुताल्लिक़ पूछा जिस ने उमरे की ग़र्ज़ से कअबे का तवाफ़ किया और सफ़ा और मरवह में सई नहीं की, क्या वह अपनी औरत के पास जा सकता है (या नहीं)? उन्होंने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह ﷺ तशरीफ़ लाए, सात मर्तबा बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और मक़ामे (इब्राहीमी) के पीछे दो रकअत नमाज़ पढ़ी और सफ़ा और मरवह के दरमियान सई फ़रमाई (लिहाज़ा) रसूलुल्लाह ﷺ (की ज़ात) में बेहतरीन पैरवी है। हम ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضی اللہ عنہ से (यही मस्अला) पूछा तो उन्होंने जवाब में कहा: उस वक़्त तक औरत के पास न जाए जब तक सफ़ा और मरवह का तवाफ़ न करले।

हदीस 385:- मुजाहिद से रिवायत है कि इब्ने उमर رضی اللہ عنہ के पास एक शख़्स आया और उन से कहा कि रसूलुल्लाह ﷺ कअबा के अन्दर दाख़िल हुए हैं। इब्ने उमर رضی اللہ عنہ कहते हैं, मैं भी वहां पहुंचा लेकिन रसूलुल्लाह ﷺ बाहर जा चुके थे। मैंने बिलाल رضی اللہ عنہ को दोनों दरवाज़ों के दरमियान खड़ा हुआ पाया, मैंने बिलाल رضی اللہ عنہ से पूछा, क्या रसूलुल्लाह ﷺ ने कअबे के अन्दर नमाज़ पढ़ी? बोले हां, उन दोनों सुतूनों के दरमियान दो रकअत नमाज़ अदा की जो कअबा में दाख़िल होते वक़्त बाएं हाथ वाक़े हैं, फिर आप बाहर तशरीफ़ लाए और कअबे के सामने दो रकअत नमाज़ पढ़ी।

हदीस 386:- इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہ से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह ﷺ कअबा में दाख़िल हुए तो उसके चारों कोनों में दुआ की और नमाज़ नहीं पढ़ी यहां तक कि आप कअबा से निकल आए तो जब आप वहां से निकल आए तो कअबा के सामने दो रकअत नमाज़ अदा की और फ़रमाया: "यही क़िब्ला है।"

बाब 272:- जहां भी हो क़िब्ला रुख़ होना चाहिए:

अबू हुरैरह رضی اللہ عنہ के मुताबिक़ रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "क़िब्ला की तरफ़ मुंह करो और तकबीर कहो।"

हदीस 387:- बराअ (इब्ने आज़िब) رضی اللہ عنہ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने बैतुल मक़दिस की जानिब सोलह या सतरह माह (मुंह करके) नमाज़ पढ़ी और रसूलुल्लाह ﷺ की ख़्वाहिश यह थी कि कअबे की तरफ़ मुंह किया जाए, तब अल्लाह तआला ने (तहवीले क़िब्ला का हुक्म) नाज़िल फ़रमाया: "हम तुम्हारा बार बार आसमान की तरफ़ मुतवज्जह होना देख रहे थे।" पस आप (नए) क़िब्ले की

तरफ़ मुड़ गए। बाज़ ना-समझ लोगों ने जो यहूद थे, कहने लगे: मुसलमानों को किस चीज़ ने अगले क़िब्ले से फेर दिया। (तो अल्लाह तआला ने फ़रमाया) "कह दीजिए अल्लाह ही के लिए मशिरक़ व मग़रिब हैं वह जिसे चाहता है राहे रास्त की हिदायत देता है।" एक शख़्स ने रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह नमाज़ पढ़ी, नमाज़ के बाद गया तो अन्सार के कुछ लोगों की नमाज़े अस्र पर उसका गुज़र हुआ जो बैतुल मक़दिस की तरफ़ मुंह करके नमाज़ पढ़ रहे थे तो कहा वह (अपनी तरफ़ निस्बत करके) गवाही देता है कि उसने रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह कअबा (इब्राहीमी) की तरफ़ मुंह करके नमाज़ पढ़ी है, तब सब लोग कअबे की तरफ़ मुड़ गए।

हदीस 388:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضي الله عنه से रिवायत है, रसूलुल्लाह ﷺ अपनी सवारी पर, जिस तरफ़ वह आपको लेकर चलती (उसी सिम्त मुंह करके) नमाज़ पढ़ते (हां अल्बत्ता) जब फ़र्ज़ नमाज़ का इरादा करते तो (ऊँटनी से) उतर कर क़िब्ला रुख़ होते।

हदीस 389:- अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद رضي الله عنه रिवायत कहते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने नमाज़ पढ़ी। इब्राहीम (इस हदीस के एक रावी) कहते हैं, मुझे याद नहीं कि आपने उस में कुछ कमी बेशी कर दी। जब सलाम फेरा तो लोगों ने अर्ज़ किया, क्या नमाज़ में कोई नया हुक्म आया? आप ने फ़रमाया: "क्या हुआ?" कहा गया, आप ने इतनी रकअतें पढ़ीं, यह सुन कर आप अपने पांव फेर कर क़िब्ला-रू हो गए और दो सज्दे किए फिर सलाम फेर दिया। फिर हमारी तरफ़ मुतवज्जह होकर फ़रमाया: "अगर नमाज़ में नया हुक्म होता तो तुम्हें बता देता, मैं भी तुम्हारी तरह इन्सान हूं जिस तरह तुम भूलते हो मैं भी भूल जाता हूं, लिहाज़ा जब मुझ से सह्व हो तो मुझे याद दिला दिया करो और जब तुम में से किसी शख़्स को अपनी नमाज़ में शक पड़ जाए तो उसे दुरुस्त करने की कोशिश करे और उसी पर नमाज़ ख़त्म करे, फिर सलाम फेर कर (सह्व के) दो सज्दे कर ले।"

बाब 273:- क़िब्ला के मुताल्लिक़ बातें, जो लोग भूल कर ग़ैर क़िब्ला की तरफ़ नमाज़ पढ़ लेने वाले के लिए(नमाज़ का) इआदा ज़रूरी ख़्याल नहीं करते:

रसूलुल्लाह ﷺ ने ज़ुहर की दो रकअत पढ़ कर सलाम फेर दिया और लोगों की तरफ़ मुतवज्जह हो गए, याद दिलाने पर आप ने (बाक़ी) नमाज़ पूरी की।

हदीस 390:- अनस बिन मालिक رضي الله عنه रिवायत करते हैं कि उमर رضي الله عنه ने फ़रमाया: मैंने अपने परवरदिगार से तीन बातों में मुवाफ़िक़त की। मैंने कहा या रसूलल्लाह! काश हम मक़ामे इब्राहीम को अपना मुसल्ला बना लें, उस पर यह हुक्म नाज़िल हुआ: "और मक़ामे इब्राहीम को अपना मुसल्ला बनाओ।" और पर्दे की आयत भी (मेरी ख़्वाहिश पर) नाज़िल हुई, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया था या रसूलल्लाह! क्या ही अच्छा हो कि आप अपनी अज़्वाज को पर्दे का हुक्म दें इस लिए कि उनसे हर नेक व बद बात चीत करता है। इस पर "आयते हिजाब" नाज़िल हुई। (और एक बार) आपकी अज़्वाज (बतक़ाज़ाए निस्वानियत) रश्क से आकर जमा हुई तो मैंने कहा "बईद नहीं कि हुज़ूर तुम्हें तलाक़ दे दें और आप को अल्लाह तआला तुम से बेहतर औरतें अता फ़रमाए जो मुसलमान होंगी" तब यह आयत नाज़िल हुई।

हदीस 391:- अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنه रिवायत करते हैं, कुछ लोग (मस्जिदे) क़ुबा में सुबह की

नमाज़ अदा कर रहे थे, अचानक उनके पास एक आने वाला आया और कहा (गुज़िश्ता) रात रसूलुल्लाह ﷺ पर कुरआन नाज़िल हुआ और आप को कअबए (इब्राहीमी) की तरफ़ मुंह करने को कहा गया यह सुनते ही उन लोगों ने अपने रुख़ कअबे की तरफ़ सीधे कर लिये, पहले उनके रुख़ शाम की तरफ़ थे, फिर उन्होंने कअबे की तरफ़ कर लिये।

हदीस 392:- अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद رضي الله عنه फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने (एक बार) जुहर की पांच रकअतें पढ़ीं। सहाबा رضي الله عنهم ने अर्ज़ किया: क्या नमाज़ बढ़ा दी गई है? आपने फ़रमाया: "क्या हुआ?" अर्ज़ किया, पांच रकअतें पढ़ी गईं हैं। (अब्दुल्लाह رضي الله عنه) कहते हैं: आप ने पांव मोड़ कर दो सज्दे किये।

बाब 274:- मस्जिद में थूक को हाथ से साफ़ करना:

हदीस 393:- अनस बिन मालिक رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने बलग़म क़िब्ले की तरफ़ देखी तो यह बात आप को नागवार गुज़री, हत्ता कि (आसारे ग़ज़ब) चेहरे पर नमूदार हुए चुनान्चे आप खड़े हो गए और उसे अपने हाथ से साफ़ कर दिया। फिर फ़रमाया: "जब तुम में से कोई शख़्स नमाज़ के लिए खड़ा होता है तो वह अपने रब से मुनाजात कर रहा होता है या उस का परवरदिगार उसके और क़िब्ले के दरमियान होता है लिहाज़ा उसे सामने थूकने से गुरेज़ करना चाहिए। उसे या तो बाएं जानिब या फिर पांव के नीचे थूक देना चाहिए।" फिर आप ने अपनी चादर का पल्लू लिया और उसमें थूक कर उसे उलट पलट किया और फ़रमाया: "या इस तरह करे।"

हदीस 394:- अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنهما से रिवायत है, रसूलुल्लाह ﷺ ने क़िब्ले की दीवार पर थूक (लगा) देखा तो आप उसे (बज़ाते ख़ुद) साफ़ करके लोगों की तरफ़ मुतवज्जेह हुए और फ़रमाया: "जब तुम में से कोई शख़्स नमाज़ पढ़े तो वह अपने मुंह के सामने न थूके इस लिए कि जब वह नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह तआला उस के सामने होता है।"

हदीस 395:- उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा رضي الله عنها फ़रमाती हैं रसूलुल्लाह ﷺ ने क़िब्ले की दीवार पर रेंठ, थूक और बलग़म (लगा) देखा तो उसे साफ़ कर दिया।

बाब 275:- मस्जिद में रेंठ को कंकरियों से साफ़ कर देना:

इब्ने अब्बास رضي الله عنهما फ़रमाते हैं, अगर तुम तर नजासत पर चलो तो उसे धो डालो, अगर वह ख़ुश्क है तो धोना ज़रूरी नहीं।

हदीस 396:- हुमैद बिन अब्दुर्रहमान رضي الله عنه से रिवायत है कि उन्हें अबू हुरैरह और अबू सईद ख़ुदरी رضي الله عنهما ने बताया, रसूलुल्लाह ﷺ ने मस्जिद की दीवार पर बलग़म (लगा) देखा तो आप ने कंकरियां लेकर उसे खुरच डाला। फिर फ़रमाया: "जब तुम में से कोई बलग़म निकाले तो उसे मुंह के सामने या दाएं जानिब न फेंके बल्कि (या तो) उसे बाएं तरफ़ या (फिर) अपने बाएं पावं के नीचे फेंक दे।"

बाब 276:- दौराने नमाज़ दाएं जानिब न थूके:

हदीस 397:- हुमैद बिन अब्दुर्रहमान رضي الله عنه से रिवायत है कि उन्हें अबू हुरैरह और अबू सईद (ख़ुदरी) رضي الله عنهما ने बताया, रसूलुल्लाह ﷺ ने दीवारे मस्जिद पर थूक लगा देखा तो कन्करी लेकर उसे खुरच डाला और फ़रमाया: "जब तुम में से कोई शख़्स बलग़म थूके तो न अपने मुंह के सामने और न

बाएं जानिब थूके (बल्कि) बाएं जानिब या पांव के नीचे थूक दे।"

हदीस 398:- अनस ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तुम में से कोई (भी) अपने सामने या दाहिनी जानिब न थूके बल्कि अपने बाएं तरफ़ या बाएं पांव के नीचे थूके।"

बाब 277:- (दौराने नमाज़ थूकना पड़े तो) बाएं जानिब या बाएं पांव के नीचे थूके:

हदीस 399:- अनस बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मोमिन नमाज़ में अपने रब से मुनाजात करता है बिना बरीं वह न अपने सामने और न दाहिनी जानिब थूके बल्कि अपने बाएं जानिब या बाएं पांव के नीचे थूके।"

हदीस 400:- अबू सईद (खुदरी) ﷺ से रिवायत है, रसूलुल्लाह ﷺ ने मस्जिद के क़िब्ला रुख़ बलग़म लगी देखी तो उसे कन्करी से खुरच डाला, फिर आपने मना कर दिया कि कोई शख़्स अपने आगे या दाहिने न थूके बल्कि अपनी बाएं तरफ़ या बाएं पांव के नीचे (थूके)

बाब 278:- मस्जिद में थूकने का कफ़्फ़ारा:

हदीस 401:- अनस बिन मालिक ﷺ से रिवायत है, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मस्जिद में थूकना गुनाह है और उसका कफ़्फ़ारा उसे दफ़न कर देना है।"

बाब 279:- मस्जिद में बलग़म को दफ़न कर देना:

हदीस 402:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "(जब) कोई शख़्स नमाज़ के लिए खड़ा हो तो वह अपने सामने न थूके क्योंकि जब तक वह नमाज़ की जगह पर है, अपने रब से मुनाजात कर रहा होता है और न अपनी दाहिनी जानिब थूके क्योंकि उसकी दाहिनी तरफ़ फ़रिश्ता होता है। वह अपनी बाएं जानिब या बाएं पावं के नीचे थूक दे और उसे दफ़न करदे।"

बाब 280:- (हालते नमाज़ में) थूकना पड़ जाए तो उसे अपने कपड़े के पल्लू में ले लेना चाहिए:

हदीस 403:- अनस बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने क़िब्ले की तरफ़ बलग़म लगी देखी तो उसे अपने हाथ से साफ़ कर दिया और आपकी ना-पसन्दीदगी मालूम हुई या यह कि आपने इस हरकत को नापसन्द किया और यह आपको गिरां गुज़रा। आपने फ़रमाया: "जब तुम में से कोई नमाज़ के लिए खड़ा होता है तो वह अपने रब से मुनाजात कर रहा होता है या उसका रब उसके और क़िब्ले के दरमियान होता है, लिहाज़ा वह अपने क़िब्ले (की सिम्त) न थूके बल्कि अपनी बाईं जानिब या बाएं पावं के नीचे (थूके)।" फिर आप ने अपनी चादर का पल्लू लिया, उसमें थूक कर उसे मल दिया और फ़रमाया: "या फिर इस तरह करे।"

फ़ायदा:- हदीस 393 से हदीस 403 तक की ग्यारह हदीसों में अहकाम बयान हुए हैं कि मस्जिद में जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ते हुए नमाज़ी को अपने सामने यानी क़िब्ले की जानिब नहीं थूकना चाहिये और न दाएं जानिब थूके बल्कि ज़रूरत पेश आए तो किसी कपड़े में ऐसा करे या फिर बाएं जानिब या बाएं पैर के नीचे थूके और रेंठ वग़ैरा को डाले और मस्जिद में उसको डालने का कफ़्फ़ारा यह है कि उसे वहां दफ़न करदे और किसी ने ग़लती से दीवारे मस्जिद से यह चीज़ें लगा दी हैं तो वह से इन चीज़ों को खुरच दिया जाए। आज जबकि अहले इस्लाम ने अकसर पुख़्ता मस्जिदें तामीर कर ल

हैं तो थूक और रेंठ को उनकी चटाइयों और दिरयों पर बाएं जानब और बाएं पैर के नीचे डालना और मस्जिद में दफ़न करके कफ़्फ़ारा अदा करना दायए कार से ख़ारिज सा होकर रह गया है। जिससे मालूम हो रहा है कि शरीअते मुतह्हरा में बाज़ अहकाम ऐसे भी हैं जिन में बदले हुए हालत के तहत तब्दीली आ जाती है। वल्लाहु तआला आलम।

बाब 281:- इमाम का लोगों को नसीहत करना कि वह नमाज़ पूरी तरह अदा करें और क़िब्ले का ज़िक्रः

हदीस 404:- अबू हुरैरह رضي الله عنه से रिवायत है, रसूलुल्लाह صلى الله عليه وسلم ने फ़रमायाः "तुम देखते हो कि मेरा मुंह इस तरफ़ है जबकि ख़ुदा की क़सम! मुझ पर तुम्हारा ख़ुशूअ और रुकूअ हरगिज़ पोशीदा नहीं, मैं तुम्हें अपनी पीठ के पीछे से भी देखता हूं।"

फ़ायदा:- रहमते दो आलम صلى الله عليه وسلم का फ़रमाना कि मुझ पर तुम्हारे ख़ुशूअ व रुकूअ पोशीदा नहीं हैं। इस में आप ने खुद निगाहे मुस्तफ़ा का आलम बयान फ़रमाया है क्योंकि रुकूअ तो ज़ाहिरी और जिस्मानी फ़ेअल का नाम है जो दूसरों को भी नज़र आ जाता है लेकिन ख़ुशूअ तो दिल की एक कैफ़ियत का नाम है जो ख़ौफ़े ख़ुदा से पैदा होती है। इस हदीस में निगाहे मुसतफ़ा के दो मोअजिज़े बयान फ़रमाए गए कि आप पीठ पीछे से सहाबए किराम رضي الله عنهم के रुकूअ भी मुलाज़िा फ़रमा लेते और उनके दिलों की ख़ुशूअ व ख़ज़ूअ वाली कैफ़ियत भी उन की निगाहों से पोशीदा नहीं रहती थी, जिन में दस्ते क़ुदरत ने "مَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى" वाला सुर्मा लगाया हुआ था। यह हर शख़्स जानता है कि देखना उस नूर का काम है जो परवरदिगारे आलम ने हर देखने वाले की आंखों में रखा हुआ है। ख़ुदाए ज़ुल-मनन उस नूर से किसी को महरूम न करे, आमीन। लेकिन जिस हस्ती को ख़ुदा ने अपनी क़ुदरते कामिला से सरापा नूर बनाया हो वह देखने के लिये अपनी आंखों के नूर के मुहताज न थे बल्कि आंखों की तरह हर तरफ़ से देखते थे। और ख़ुदा ने उनके लिये आगे पीछे और नज़्दीक व दूर वग़ैरा के फ़र्क़ हटा दिये थे। वह पीछे की चीज़ों को भी उसी तरह देखते थे जैसे उन चीज़ों को जो आगे होती। दूर वाली चीज़ों को नज़्दीक वाली चीज़ों की तरह मुलाज़िा फ़रमा लेते। अंधेरे में भी उसी तरह देख लेते जैसे उजाले में देखते, दिलों की कैफ़ियतों का भी उसी तरह मुआइना फ़रमा लेते जैसे ज़ाहिरी और जिस्मानी आमाल व अफ़आल को देखते नीज़ माज़ी और मुस्तक़बिल के हालात भी ख़ुदा ने आप पर उसी तरह रौशन फ़रमा दिये थे जैसे हाल में निगाहों के सामने वुक़ूअ पज़ीर होने वाले हालात व वाक़िआत। इन तमाम बातों पर बकसरत अहादीस दलालत करती हैं और उनका इन्कार करने की कोई मुसलमान जुर्रात नहीं कर सकता। वल्लाहु तआला आलम।

हदीस 405:- अनस बिन मालिक رضي الله عنه से रिवायत है, रसूलुल्लाह صلى الله عليه وسلم ने नमाज़ अदा की और मिम्बर पर तशरीफ़ ले गए, आप ने नमाज़ और रुकू के बारे में फ़रमाया किः "मैं तुम्हें पीछे भी इस तरह देखता हूं जिस तरह (अपने सामने से) देखता हूं।"

बाब 282:- क्या बनी फ़ुलां की मस्जिद कह सकते हैं?

हदीस 406:- अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह صلى الله عليه وسلم ने सधाए हुए घोड़ों की (मक़ामे) हफ़्या से दौड़ करवाई और उसकी इन्तिहा सन्यितुल वदाअ मुक़र्रर की और बिन सधाए घोड़ों की दौड़ सन्यिह और बनी ज़ुरैक़ की मस्जिद तक कराई और अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنهما उन लोगों

में थे जिन्होंने इस घुड़ दौड़ में हिस्सा लिया था।

बाब 283:- मस्जिद में तक़सीम करना और (खजूर के) ख़ोशे लटकाना:

इमाम बुख़ारी का कहना है क़िनू, यानी गि़दक़ (ख़ोशा) उसका तस्निया और जमा क़िनवान है, जैसे सिन्व और सिन्वान है। इब्राहीम यानी इब्ने तहान ने अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहैब और उन्होंने अनस ؓ से नक़्ल किया कि बहरैन से कुछ माल रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में लाया गया। आपने फ़रमाया: "उसे मस्जिद में फैला दो।" रसूलुल्लाह ﷺ के पास आने वाले तमाम अमवाल से यह माल ज़्यादा था। आप नमाज़ के लिए चल दिए और उसकी तरफ़ मुतवज्जह न हुए। जब आप नमाज़ अदा कर चुके तो आए और उसके पास बैठ गए, फिर जो भी नज़र पड़ा उसे ज़रूर दिया। इतने में अब्बास ؓ (अम्मे रसूल) आपके पास आए, कहा, ए अल्लाह के रसूल! मुझे भी अता हो, क्योंकि मैंने अपना भी और अक़ील का भी फ़िदिया दिया। आपने फ़रमाया: "ले लो।" उन्होंने अपने कपड़े में दोनों हाथों से लिया और फिर उसे उठाने लगे तो उठाया न जा सका। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! किसी से कहिए मुझे उठवा दे। आपने फ़रमाया: "नहीं:" कहा, आप ख़ुद ही उठवा दीजिए। आपने इन्कार कर दिया तो उन्हों ने कुछ माल गिरा दिया, फिर उठाया तो भी न उठ सका, कहा किसी से कह कर मुझे उठवा दीजिए। आपने फ़रमाया: "नहीं।" बोले, आप ख़ुद ही उठवा दीजिए।" आप ने फ़रमाया: "नहीं।" फिर अब्बास ؓ ने उसमें से कुछ (माल) निकाल दिया तो फिर उसे उठा कर अपने कंधे पर रख लिया और चल दिए। रसूलुल्लाह ﷺ उनकी हिर्स पर इज़्हारे तअज्जुब के तौर पर उनके पीछे बराबर देखते रहे यहां तक कि वह हमारी नज़रों से ओझल हो गए। फिर रसूलुल्लाह ﷺ उस जगह से उस वक़्त उठे जब सारा माल ख़त्म हो गया और उसमें से एक दिरहम भी बाक़ी न रहा।

बाब 284:- मस्जिद में दावते तआम देना और उसे मस्जिद ही में कुबूल करना:

हदीस 407:- अनस ؓ रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को मस्जिद में कुछ और लोगों के हमराह देखा, मैं खड़ा हो गया। आपने पूछा: "तुम्हें अबू तलहा ؓ ने भेजा है?" अर्ज़ किया हां। फ़रमाया: "खाने पर बुलाया है?" मैं बोला जी हां। तब आप ने गिर्दो पेश बैठने वालों से फ़रमाया: "उठो।" और आप चल दिए और मैं सबसे आगे चला।

बाब 285:- मस्जिद में मुकद्दमात निमटाना और मर्दों और औरतों के दरमियान लिआन कराना:

हदीस 408:- सहल बिन सअद ؓ रिवायत करते हैं, एक शख़्स ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! फ़रमाइए अगर कोई शख़्स अपनी औरत को किसी ग़ैर मर्द के साथ देखे तो क्या वह उसको क़त्ल कर दे? आख़िरकार उस शख़्स और उसकी बीवी ने मस्जिद में लिआन किया और मैं वहां मौजूद था।

बाब 286:- जब किसी घर में जाना हो तो जहां चाहे नमाज़ पढ़ ले या जहां उसे कहा जाए और (मज़ीद) खोज कुरेद न करे:

हदीस 409:- इतबान बिन मालिक ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ उनके घर तशरीफ़ लाए और फ़रमाया: "तुम्हारा क्या इरादा है कि मैं तुम्हारे घर में कहां नमाज़ पढ़ूं?" मैंने एक जगह की तरफ़ इशारा कर दिया। रसूलुल्लाह ﷺ ने तकबीर कही, हम ने आपके पीछे सफ़ बांध ली और आप

ने दो रकअत (नमाज़) अदा की।

बाब 287:– घरों में मस्जिदें बनाना, बराअ बिन आज़िब ने अपने घर की मस्जिद में बा–जमाअत नमाज़ पढ़ी:

हदीस 410:– महमूद बिन रबीअ अन्सारी से रिवायत है, इतबान बिन मालिक जो अन्सारी बदरी सहाबी थे, रसूलुल्लाह के पास आए और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! मेरी बीनाई मुतास्सिर मालूम होती है और मैं अपनी क़ौम को नमाज़ पढ़ाता हूं। जब बारिश होती है और नाला बह निकलता है जो मेरे और उनके दरमियान है तो उनकी मस्जिद में नहीं जा सकता ताकि उन्हें नमाज़ पढ़ा सकूं, या रसूलल्लाह! मेरी ख़्वाहिश है कि आप मेरे हां तशरीफ़ लाएं और मेरे घर में नमाज़ पढ़ें ताकि मैं उसे नमाज़ की जगह बना लूं। इतबान का कहना है कि रसूलुल्लाह ने फ़रमायाः "अनक़रीब ऐसा करूंगा।" इतबान कहते हैं कि आप (दूसरे रोज़) सुबह के वक़्त अबू बकर के हमराह दिन चढ़े तशरीफ़ लाए और अन्दर आने की इजाज़त चाही। मैंने इजाज़त दी आप अन्दर तशरीफ़ लाए और बैठे भी नहीं कि आपने फ़रमायाः "तुम किस जगह चाहते हो कि मैं वहां नमाज़ पढ़ूं।" मैंने घर का एक गोशा बता दिया। आप खड़े हुए और अल्लाहु अक्बर कहा, हम भी खड़े हो गए और सफ़ बांध ली। आपने दो रकअत नमाज़ अदा की और सलाम फेर दिया। इतबान कहते हैं हम ने आपके लिए कुछ हलीम तय्यार किया हुआ था, उसके लिए आपको रोक लिया, फिर मुहल्ले में से भी कुछ लोग जमा हो गए, उन में से किसी ने कहा मालिक बिन दुख़ैशन या मालिक बिन दुख़शन कहां है? किसी ने कहा वह (तो) मुनाफ़िक़ है, अल्लाह और उसके रसूल को दोस्त नहीं रखता। रसूलुल्लाह ने फ़रमायाः "यूं न कहो क्या तुम ने नहीं देखा कि उसने ख़ुदा की ख़ुशनूदी के लिए लाइलाहा इल्लल्लाह कहा।" वह बोला अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। उसने कहा हम उसका इन्हेमाक और दिलचस्पी मुनाफ़िक़ों की तरफ़ देखते हैं। रसूलुल्लाह ने फ़रमायाः "अल्लाह तआला ने उस शख़्स पर आग हराम कर दी जो लाइलाहा इल्लल्लाह कह दे और उसका मक़सद रब की ख़ुशनूदी हो। इब्ने शहाब का बयान है कि फिर मैंने हुसैन बिन मुहम्मद से पूछा, जो बनी सालिम के एक फ़र्द और उसके सरदारों से थे तो उन्हों ने इसकी तस्दीक़ कर दी।

फ़ायदा:– इस हदीस में एक बदरी सहाबी हज़रत इतबान बिन मालिक की उस परवानावार मुहब्बत और वालिहाना अक़ीदत का ज़िक्र है जो उन्हें ख़ालिक़ व मख़लूक़ के महबूब यानी सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह से थी। उसी के तक़ाज़े के तहत उन्होंने बारगाहे रिसालत में एक इल्तिमास की और दरबारे रिसालत से उनकी गुज़ारिश को ऐसा शर्फ़े क़ुबूलियत हासिल हुआ कि रहमते दो आलम ने उनके दौलत ख़ाने को हक़ीक़त में दौलत का बेमिसाल घर और रश्के जन्नत बना दिया।

बाज़ हज़रात अपने ज़हन की नारसाई और तंग नज़री के बाइस अक़ीदत के ऐसे मुस्तहसन तक़ाज़ों को समझने से क़ासिर रह जाते हैं और अक़ीदत के तहत ऐसे काम करने को वह इबादत ठहरा कर शिर्क के फ़तवे जड़ देते हैं। वह हज़रात ज़बान व क़लम से बरमला ऐसे काम करने वालों को मुश्रिक क़रार देते हैं। अक़ीदत व इबादत के इसी वाज़ेह फ़र्क़ को नुमायां करने की ग़र्ज़ से 1402 हिज़री/ 1982 ई० में मुअत्ता इमाम मालिक की इसी हदीस पर हाशिया लिखते हुए एक लतीफ़ा पेश किया था जो वहां सफ़्हा 170, 171 पर है। अफ़ादियत के पेशे नज़र वह लतीफ़ा मअ तम्हीद यहां दर्ज किया

जाता है, व बिल्लाहित तौफ़ीक़।

हज़रत इतबान बिन मालिक ﷺ बारगाहे रिसालत में अर्ज़ गुज़ार हुए कि मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है जिसके बाइस बाज़ औक़ात मुझे अपने घर में ही नमाज़ पढ़नी पड़ जाती है। आक़ा अगर अज़ राहे करम मेरे ग़रीब ख़ाने में किसी जगह नमाज़ अदा फ़रमा दें तो मैं उसी जगह को अपने लिये नमाज़गाह बनालूं और मजबूरी के वक़्त उसी जगह नमाज़ पढ़ा करूं। सरवरे कौन व मकां ﷺ ने उन से यह नहीं फ़रमाया कि क्या ख़ुदा ने तुम्हें ऐसा कोई हुक्म दिया है कि अपने घरों में उसी जगह नमाज़ पढ़ा करो जहां मेरे महबूब ने नमाज़ पढ़ी हो या मैंने तुम्हें कभी कोई ऐसा हुक्म दिया है? इसके बरअक्स आप ने उन की दरख़्वास्त को शर्फ़े कुबूलियत बख़्शा और सय्यिदिना अबू बकर सिद्दीक़ ﷺ को साथ लेकर अगले रोज़ सुबह सवेरे उनके घर में नमाज़ अदा फ़रमाई।

लतीफ़ा:- एक दफ़ा मदर्सा अनवारुत तौहीद में शिर्क फ़रोश टोले के दो मौलवी साहिबात बैठे हुए तौहीद को फैलाने और शिर्क को पूरी दुनिया से मिटाने की तदाबीर पर ग़ौर फ़रमा रहे थे। एक का नाम मौलाना शिर्क फोड़ साहब और दूसरे मौलाना बिदअत तोड़ साहब के नाम से मौसूम थे, गुफ़्तगू के दौरान मौलाना शिर्क फोड़ साहब फ़रमाने लगे: भाई बिदअत तोड़ साहब! दिल चाहता है कि आज आप से अपने दिल की बात कह दूं। यार क्या कहूं! बाज़ अहादीस को पढ़ कर तो मैं हैरान रह जाता हूं और सोचता हूं कि जिन को हम पूरी उम्मते मुहम्मदिया में से बेहतरीन और मिसाली मुसलमान शुमार करते हैं उन्हें हो क्या गया था? यानी सहाबए किराम को।

पूरा कुरआने करीम पढ़ जाइये, इस में किसी जगह भी अल्लाह तआला ने उन बुज़ुर्गों को हुक्म नहीं दिया था कि जब मेरा आख़िरी रसूल थूके तो तुम उसे हासिल करके अपने चहरों और कपड़ों पर मल लेना। जब वह वुज़ू करें तो मुस्तअमल पानी के क़तरों को हासिल करने की ख़ातिर एड़ी चोटी का ज़ोर लगा देना। अगर न मिल सके तो जिस जगह वह मुस्तअमल पानी गिरा हो वहां की गीली मिट्टी को लेकर अपने चहरों और कपड़ों पर मल लेना। अगर वह हजामत बनवाएं तो एक एक बाल के लिये ऐसे सरतोड़ कोशिश करना कि देखने वाले यही महसूस करें कि गोया यह आपस में लड़ पड़े हैं। अगर किसी को एक बाल भी मिल जाए तो वह उसे अपनी जान से भी अज़ीज़ रखे और हद दर्जा उस का एहतेराम करे। कमाल बात तो यह है कि अपने घरों में नमाज़ भी उसी जगह पढ़ना ज़्यादा पसन्द करते थे जहां हुज़ूर से नमाज़ पढ़वा लेते थे। लुत्फ़ तो यह है कि अल्लाह के नबी ने भी ऐसा करने का उन्हें हुक्म नहीं दिया था। हमने हदीस की तमाम किताबें खंगाल डालीं लेकिन हमें तो उन में कहीं ऐसा हुक्म नज़र नहीं आया। मालूम नहीं फिर सहाबए किराम किस के हुक्म से शब व रोज़ ऐसा करते रहते थे और ग़ज़ब तो यह है कि कोई एक भी उन्हें इस धंदे से रोकने वाला नहीं था।

भाई बिदअत तोड़! अगर सच्ची बात कह दूं तो सारे मुसलमान लठ लेकर हमारे पीछे पड़ जाएंगे। जाने बरादर! हक़ीक़त यह है कि मुझे तो सहाबए किराम भी बिल्कुल बरेलवी ही नज़र आते हैं। अक़ीदत के पर्दे में जो कुछ वह करते रहते थे क्या यह बरेलवियत नहीं है? ज़ावियए नज़र उन का भी मोहदाना कम और शिर्क पसन्दाना ही ज़्यादा महसूस होता है। हाए अफ़सोस! जब उम्मत की बुन्याद ही ग़लत रखी गई तो सारी इमारत ग़लत तामीर न होगी तो और क्या होगा?

इसके बाद थोड़ी देर तो उन्होंने अपने मुंह पर सुकूत की मुहर लगाए रखी और फिर एक सर्द आह

भर कर क़ुफ़्ले दहन खोलते हुए यूं गौहर अफ़शानी फ़रमाते हैं: मौलाना बिदअत तोड़ साहब! हो सकता है कि सहाबए किराम अक़ीदत के पर्दे में ऐसे काम इसलिये कर रहे हों कि क़यामत तक उनके आशिक़े रसूल होने की शोहरत रहेगी और रहती दुनिया तक उनके आशिक़े रसूल के डंके बजते रहेंगे लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि हुज़ूर ने ऐसा करने से उन्हें मना क्यों न फ़रमाया? यह क्यों न कहा कि ऐ मुसलमानो! जब ऐसा करने का पूरे क़ुरआने मजीद में किसी जगह भी हुक्म नहीं दिया गया? अलावा बरीं ख़ुद मैंने भी तुम्हें ऐसा करने के लिये नहीं कहा। इसके बावुजूद तुम ऐसा क्यों करते हो? क्या कहूं मुझे तो यूं लगता है कि हुज़ूर पर भी बरेली वाले मौलवी का शायद जादू चल गया था। हो सकता है कि हुज़ूर भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए हों। क्योंकि लाख वह शिर्क पसन्द सही लेकिन कमबख़्त की बातों में मिठास बहुत है। मौलान बिदअत तोड़ साहब ने लुक़्मा देते हुए फ़रमाया कि भाई शिर्क फोड़ साहब! बरेली वाला मौलवी तो अभी कल परसों पैदा हुआ था, वह हुज़ूर के ज़माने में कब था? मौलाना शिर्क फोड़ साहब ने फ़रमाया कि बात कुछ भी हो लेकिन यार मैं तो यही समझ सका हूं कि तौहीद की अलमबरदारी के साथ साथ बरेलवियत भी ख़ुद हुज़ूर ने ही फैलाई थी।

इसके बाद एक सर्द आह भरते हुए मौलाना शिर्क फोड़ साहब ने दर्दनाक लहजे में कहा: अच्छा यार सब कुछ जाने दो, सहाबा ऐसा करते रहे, हुज़ूर भी इस धंदे को ताज़ीम के पर्दे में छुपा कर ख़ुश होते रहे कि मेरा क़ैसर व किसरा से भी बढ़ कर एहतेराम किया जा रहा है क्योंकि यह एहतेराम दिल की गहराइयों और पूरे ख़ुलूस के साथ हो रहा था, लेकिन मालूम नहीं ऐसे जुम्ला मवाक़े पर ख़ुदा को क्या हो गया था कि दूसरे हज़ारों अहकाम तो नाज़िल करता रहा लेकिन एक दफ़ा भी यह वही नाज़िल नहीं फ़रमाई कि ताज़ीम के पर्दे में जो पूजा पाट का कारोबार कर रहे हो, उसे बन्द कर दो। साथ ही न अपने नबी को हुक्म दिया कि अपने साथियों को ऐसा करने से रोक दो। मौलाना बिदअत तोड़ साहब! मुझे तो यूं महसूस होता है कि ख़ुदा ख़ुद ही शिर्क पसन्द और बरेलवियत का बानी है और ग़ालिबन इसी लिये फ़रिश्तों को हुक्म दिया था कि आदम अलैहिस्सलाम के लिये सज्दा करो। मौलाना शिर्क फोड़ साहब अभी यह ज़ुम्ला ख़त्म करने ही पाए थे कि किसी के आने की आहट महसूस हुई। आने वाले की सूरत तो नज़र न आई लेकिन बुलन्द आवाज़ से कोई यह कह रहा था:

शिर्क ठहरे जिस में ताज़ीमे हबीब
उस बुरे मज़हब पे लअनत कीजिये

बाब 288:- मस्जिद में दाख़िल होते और दीगर कामों के वक़्त दाएं जानिब से इब्तिदा करना:

इब्ने उमर رضي الله عنهما जब मस्जिद में दाख़िल होते तो अपना दायां पांव पहले रखते और जब निकलते तो बायां पांव पहले निकालते।

हदीस 411:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जहां तक हो सकता अपना हर काम दाएं तरफ़ से करना पसंद फ़रमाते, मसलन तहारत, कंघा करने और जूता पहनने में।

बाब 289:- क्या दौरे जाहिलियत के मुश्रिकों की क़ब्रें खोद कर वहां मस्जिद बनाना जाइज़ है?

क्योंकि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "ख़ुदा यहूदियों पर लानत करे, उन्होंने क़ुबूरे अंबिया को

मस्जिद बना डाला, और (कहा) क़ब्रों में नमाज़ मकरूह है?" उमर बिन ख़त्ताब ﷺ ने अनस बिन मालिक ﷺ को एक क़ब्र के पास नमाज़ पढ़ते देखा तो फ़रमायाः क़ब्र, क़ब्र और (अल्बत्ता) उन्हें नमाज़ लौटाने का हुक्म न दिया।

हदीस 412:- सय्यदा आयशा ﷺ फ़रमाती हैं, उम्मे हबीबह और उम्मे सलमह ﷺ ने हबशा में एक गिर्जा देखा, उसमें मूर्तियां थीं। उन्होंने उसका ज़िक्र रसूलुल्लाह ﷺ से किया तो आप ने फ़रमायाः "अगर उन में कोई नेक शख़्स होता और वह फ़ौत हो जाता तो उसकी क़ब्र पर मस्जिद बना लेते और उसमें मूर्तियां सजा देते, यह लोग क़यामत के दिन ख़ुदा के नज़्दीक बदतरीन मख़्लूक़ शुमार किए जाएंगे।"

हदीस 413:- अनस बिन मालिक ﷺ से रिवायत है, रसूलुल्लाह ﷺ जब मदीना में तशरीफ़ लाए तो मदीना की बुलन्दी की जानिब बनी अम्र बिन औफ़ नामी क़बीला के हां उतरे और उनके हां रसूलुल्लाह ﷺ चौबीस रातें ठहरे, फिर आपने बनी नज्जार के लोगों को बुला भेजा तो वह तलवारें आवेज़ां किए हुए हाज़िर हुए। (अनस ﷺ कहते हैं) मैं गोया रसूलुल्लाह ﷺ को देख रहा हूं। आप सवारी पर हैं और अबू बकर ﷺ आपके पीछे बैठे हैं और बनी नज्जार के लोग आपके इर्द गिर्द हैं हत्ता कि आपने अपना सामान अबू अय्यूब (अन्सारी) ﷺ के घर उतारा। आपको यह पसन्द था कि जहां नमाज़ का वक़्त हो जाए, उसे वहीं अदा कर लिया जाए और आप (कभी कभी तो) बकरियों के बाड़े में भी नमाज़ पढ़ लेते। आपने (जब) मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया तो बनी नज्जार के लोगों को बुलवा भेजा और फ़रमायाः "बनी नज्जार! तुम अपना यह बाग़ मेरे हाथ बेच दो।" वह बोले क़सम ख़ुदा की! हम इसका मुआवज़ा न लेंगे, मगर अल्लाह तआला से (इसका अज्र लेंगे)। अनस ﷺ का कहना है, मैं तुम्हें बतलाता हूं कि उस (बाग़) में क्या कुछ था। उसमें क़ुबूरे मुश्रिकीन, खंन्डरात और खजूरों के दरख़्त थे। आपने हुक्म दिया और मुश्रिकीन की क़ब्रें खोद डाली गईं, फिर खन्डरात बराबर कर दिए गए, खजूर काट कर उनकी लकड़ियां मस्जिद के अन्दर क़िब्ला रुख़ गाड़ दी गईं और उनकी तब्दीली पत्थरों से कर दी गई। सहाबा ﷺ पत्थर ढोते जाते और रजज़िया अशआर पढ़ते जाते और (साथ साथ) रसूलुल्लाह ﷺ फ़रमाते जातेः "भलाई तो दरअस्ल आख़िरत की भलाई है, ऐ अल्लाह! मुहाजिरीन और अन्सार की मग़फ़िरत फ़रमा।"

बाब 290:- बकरियों के बाड़े में नमाज़ पढ़नाः

हदीस 414:- अनस बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ बकरियों के बाड़े में नमाज़ पढ़ लेते थे। अबू तयाह (इस हदीस के एक रावी) ने उन्हीं (अनस ﷺ) को यह कहते सुना कि रसूलुल्लाह ﷺ मस्जिद बनने से पहले बकरियों के बाड़े में नमाज़ पढ़ लेते थे।

बाब 291:- ऊँटों के थानों में नमाज़ पढ़नाः

हदीस 415:- उबैदुल्लाह का बयान है कि नाफ़ेअ ﷺ ने फ़रमाया, मैंने इब्ने उमर ﷺ को अपने ऊँट की तरफ़ नमाज़ पढ़ते हुए देखा। उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को ऐसा करते हुए देखा।

बाब 292:- किसी शख़्स ने तन्नूर, आग या किसी ऐसी चीज़ की तरफ़ जिसकी पूजा की जाती है नमाज़ पढ़ी और उसकी नियत ख़ुदा के लिए थीः

ज़ुहरी कहते हैं कि मुझे अनस बिन मालिक ﷺ ने बताया कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मैं जब नमाज़ में था तो मुझे दोज़ख़ दिखाई गई।"

हदीस 416:- अब्दुल्लाह बिन अब्बास ﷺ से रिवायत है, सूरज ग्रहन हुआ, रसूलुल्लाह ﷺ ने नमाज़ पढ़ी, फिर फ़रमाया: "मुझे दोज़ख़ दिखाई गई और मैंने आज तक ऐसा ख़ौफ़नाक मन्ज़र नहीं देखा।"

बाब 293:- मक़बरों में नमाज़ पढ़ने में कराहत है:

हदीस 417:- इब्ने उमर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "घरों में भी नमाज़ पढ़ लिया करो और उन्हें क़ब्रें न बनाओ।"

बाब 294:- ज़मीन के धंसने या अज़ाब की जगह पर नमाज़ पढ़ना:

कहा जाता है कि हज़रत अली ﷺ ने बाबिल के खंन्डरात में नमाज़ पढ़ना मकरूह जाना है।

हदीस 418:- अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अज़ाब दिए गए लोगों के मक़ामात पर मत्त जाओ, हां अल्बत्ता रोते हुए जाओ, अगर तुम रोने वाले नहीं तो न जाओ कहीं उनका सा अज़ाब तुम्हें अपनी लपेट में ले ले।"

बाब 295:- गिर्जे में नमाज़ पढ़ना:

हज़रत उमर ﷺ फ़रमाते हैं, हम तुम्हारे गिर्जाओं में इस वजह से नहीं जाएंगे कि वहां तस्वीरें होती हैं। इब्ने अब्बास ﷺ ऐसे गिर्जे में नमाज़ पढ़ लेते जहां मूर्तियां न होतीं।

हदीस 419:- सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, उम्मे सलमह ﷺ ने रसूलुल्लाह ﷺ से एक गिर्जे का ज़िक्र किया जो उन्होंने हबशह की सरज़मीन पर देखा था जिसे मारियह कहा जाता। उन्होंने जो मूर्तियां वहां देखीं उन्हें आपकी ख़िदमत में बयान किया। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "यह वह लोग हैं जिन में कोई अगर नेक बन्दा या सालेह आदमी मर जाता तो उसकी क़ब्र पर मस्जिद बना देते और वहां उनकी मूर्तियां बना डालते, यह अल्लाह के नज़्दीक बदतरीन मख़्लूक़ हैं।"

बाब 296:- अंबिया की क़ब्रों को मस्जिदें बनाना:

हदीस 420:- सय्यदा आयशा ﷺ और अब्दुल्लाह बिन अब्बास ﷺ (दोनों) रावी हैं, जब रसूलुल्लाह ﷺ को मर्ज़ (मौत) लाहिक़ हुआ तो आप अपनी चादर बार बार अपने मुंह पर डालते, जब घबराते तो उसे चेहरे से हटा देते और उसी हाल में फ़रमाते: "यहूद और नसारा पर ख़ुदा की लानत! उन्होंने अपने अंबिया की क़ब्रों को मस्जिद बना डाला।" आप उन जैसे कामों से बचने का हुक्म फ़रमाते थे।

हदीस 421:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "ख़ुदा यहूद को ग़ारत करे, उन्होंने अपने अंबिया की क़ब्रों को मस्जिद बना डाला।"

बाब 297:- रसूलुल्लाह ﷺ का यह इरशादे गिरामी कि मेरे लिए सारी ज़मीन मस्जिद और पाक करने वाली बनाई गई है:

हदीस 422:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ﷺ से रिवायत है, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मुझे पांच चीज़ें ऐसी अता हुईं जो मुझ से पहले किसी नबी को न मिलीं, एक माह की मसाफ़त तक मेरी मदद रोअब से की गई, सारी ज़मीन मेरे लिए मस्जिद और पाक करने वाली बना दी गई, मेरी उम्मत में

से जिस शख़्स को जहां नमाज़ का वक़्त आ जाए वहीं अदा कर ले, मेरे लिए माले ग़नीमत को हलाल क़रार दिया गया, दूसरे नबी ख़ास क़ौमों की तरफ़ मबऊस होते, मैं तमाम बनी नौऐ इनसान के लिए नबी बना कर भेजा गया हूं और मुझे शफ़ाअत की इजाज़त दी गई है।"

बाब 298:- औरत का मस्जिद में सोना:

हदीस 423:- सय्यदा आयशा ؓ रिवायत करती हैं, अरब के किसी क़बीले की एक हब्शी लौंडी थी, उन्होंने उसे आज़ाद कर दिया मगर वह उनके साथ रहती थी। उसका बयान है कि उस क़बीले की एक दोशीज़ा बाहर निकली, उस (के बदन) पर सुर्ख़ चमड़े एक हार पहना हुआ था जिस में मोती जड़े हुए थे। उसका कहना है कि या तो उसने उसे ख़ुद उतारा या वह गिर पड़ा, फिर एक चील का वहां से गुज़र हुआ, चील ने उसे गोश्त समझ कर उचक लिया। लोगों ने उसे बहुत तलाश किया मगर न मिला और मुझे उसमें मुलव्विस कर दिया गया। वह लोग मेरी तलाशी लेने लगे यहां तक कि मेरी शर्मगाह को देखा। लौंडी कहती है, ख़ुदा की क़सम! मैं उनके पास खड़ी ही थी कि नागाह वह चील गुज़री और उसने उसे फेंक दिया और वह उनके दरमियान आकर गिरा। मैं बोली यही तो वह है जिस में तुमने मुझे मुलव्विस किया, तुमने बद-गुमानी की जबकि मैं इस मामले में बे-क़ुसूर थी। सय्यदा आयशा ؓ फ़रमाती हैं, फिर वह रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर होकर मुशर्रफ़ ब-इस्लाम हुई। सय्यदा आयशा ؓ फ़रमाती हैं, मस्जिद में उसका एक ख़ेमा था या एक मुख़्तसर हुजरा था। वह मेरे पास आया करती और बातें किया करती, मेरे पास वह जब भी आती तो यह ज़रूर कहती कि "हार का दिन ख़ुदा के अजाइब में से है, उसी ने मुझे कुफ़्र के शहर से नजात बख़्शी।" सय्यदा आयशा ؓ फ़रमाती हैं, मैंने उससे कहा, क्या वजह है जब तुम मेरे पास बैठती हो तो यह ज़रूर कहती हो? फ़रमाती हैं, इस पर उसने मुझे क़िस्सा सुनाया।

बाब 299:- मर्दों का मस्जिद में सोना:

अबू क़िलाबह अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ؓ ने अनस बिन मालिक ؓ से रिवायत की, उक्ल (एक क़बीले) के कुछ लोग रसूलुल्लाह ﷺ के पास आए और सुफ़्फ़ह में क़ियाम किया, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ؓ फ़रमाते हैं, कि अस्हाबे सुफ़्फ़ह फ़ुक़रा थे।

हदीस 424:- अब्दुल्लाह बिन उमर ؓ रिवायत करते हैं कि वह मस्जिदे नबवी में सो रहते थे जबकि वह कुंवारे नौजवान थे।

हदीस 425:- सहल बिन सअद ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ (सय्यदा) फ़ातिमा ؓ के घर तशरीफ़ लाए तो (हज़रत) अली ؓ को घर में न पाया। फ़रमाया: "तुम्हारे चचा का बेटा कहां है?" कहा, मेरे और उनके दरमियान कुछ चिपक़लिश है तो आप मुझ पर गुस्से होकर चले गए और मेरे हां क़ियाम न फ़रमाया। रसूलुल्लाह ﷺ ने किसी से फ़रमाया: "देखो अली कहां हैं?" वह गया और (आकर) बताया, वह मस्जिद में सो रहे हैं। यह सुन कर रसूलुल्लाह ﷺ आए, अली ؓ लेटे हुए थे, उनकी चादर उनके पहलू से गिर गई थी और उनके जिस्म पर मिट्टी लग गई थी। रसूलुल्लाह ﷺ अपने हाथ से मिट्टी झाड़ने लगे और फ़रमाने लगे: "उठो अबू तुराब, उठो अबू तुराब।"

हदीस 426:- अबु हुरैरह ؓ कहते हैं, मैंने अस्हाबे सुफ़्फ़ह में से सत्तर आदमी ऐसे देखे जिनके पास चादर तक न थी या तो फ़क़त तहमद था या फिर कम्बल जिसे उन्होंने गर्दन से बांधा हुआ था।

किसी के पिंडलियों और किसी के टख़नों तक पहुंचता और वह उसे अपने हाथ से पकड़े रहता कि उस का सत्र न खुल जाए।

फ़ायदा:- असहाबे सुफ़्फ़ह उस मुक़द्दस गिरोह का नाम है जो सरवरे कौन व मकां ﷺ के अहदे मुबारक में मस्जिदे नबवी के सामने एक चबूतरे पर बैठे रहते थे। यह हज़रात दुनियादारी से किनाराकश और फ़िक्रे आख़िरत के लिये वक़्फ़ होकर रह गए थे। हज़रत अबू हुरैरा رضي الله عنه उसी मुबारक जमाअत की नामवर हस्ती हुए हैं। सूफ़ियाए किराम की रूहानी जमाअत उन बुज़ुर्गों ही की यादगार है।

बाब 300:- सफ़र से वापसी पर नमाज़ पढ़ना:

कअब बिन मालिक رضي الله عنه कहते हैं, जब रसूलुल्लाह ﷺ सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो मस्जिद में आते और नमाज़ पढ़ते।

हदीस 427:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضي الله عنهما से रिवायत है, मैं रसूलुल्लाह ﷺ के पास आया, आप मस्जिद में थे। मिस्अर (इस हदीस के एक रावी) कहते हैं, मैं समझता हूं मुहारिब (इस हदीस के एक रावी) ने यह कहा चाश्त का वक़्त था। फ़रमाया: "दो रकअत नमाज़ पढ़ लो।" आप पर मेरा कुछ क़र्ज़ा था, वह आने पर मुझे अदा कर दिया और कुछ ज़्यादा भी अता फ़रमाया।

बाब 301:- जब कोई मस्जिद में दाख़िल हो तो बैठने से पहले दो रकअतें पढ़ ले:

हदीस 428:- अबू क़तादह सलमी رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब कोई शख़्स मस्जिद में जाए तो बैठने से पहले दो रकअतें पढ़ ले।"

बाब 302:- मस्जिद में हदस लाहिक़ होना:

हदीस 429:- अबू हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "फ़रिश्ते उस शख़्स के लिए दुआ करते रहते हैं, जब तक वह अपनी नमाज़ की जगह पर बैठा रहे यहां तक कि उसे हदस लाहिक़ न हो। फ़रिश्ते कहते हैं: "या अल्लाह! उसे बख़्श दे, ऐ अल्लाह! उस पर रहम फ़रमा।"

बाब 303:- मस्जिदे (नबवी) की तामीर:

अबू सईद (ख़ुदरी) رضي الله عنه कहते हैं, मस्जिदे (नबवी) की छत खजूर की शाख़ों की थी। हज़रत उमर رضي الله عنه ने मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया और फ़रमाया: मैं लोगों को बारिश से बचाना चाहता हूं लेकिन ज़र्दी या सुर्ख़ी का इस्तेमाल न हो कि लोग फ़ितने में पड़ जाएं। अनस رضي الله عنه फ़रमाते हैं, (हज़रत उमर رضي الله عنه का मक़सद यह था) कि लोग मस्जिदों पर फ़ख़्र ज़्यादा करेंगे मगर उसे आबाद करने पर कम तवज्जह देंगे। इब्ने अब्बास رضي الله عنهما फ़रमाते हैं, तुम मस्जिदों को वैसा आरास्ता पैरास्ता न बनाओगे जैसे यहूद व नसारा ने (अपने गिर्जाओं को) आरास्ता किया।

हदीस 430:- अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ के अहद में मस्जिदे (नबवी) कच्ची ईंटों की थी, छत पर खजूर की शाख़ें और सुतून खजूर की लकड़ी के थे। फिर अबू बकर رضي الله عنه ने उसमें कुछ इज़ाफ़ा न किया (अल्बत्ता) हज़रत उमर رضي الله عنه ने तौसीअ की लेकिन बुन्याद वही रखी जो रसूलुल्लाह ﷺ के दौर में थी यानी कच्ची ईंटों और शाख़ों की और (नए) सुतून खजूर (ही) की लकड़ी के बनवाए। फिर हज़रत उस्मान رضي الله عنه ने उसे बदल दिया और उसमें बहुत सी तरामीम

कीं। उसकी दीवारें मुनक़्क़श पत्थरों और चूने से बनवाईं और सागवान की छत बनवाई।

बाब 304:- तामीरे मस्जिद में एक दूसरे से तआवुन करना:

इरशादे बारी तआला है: "मुश्रिकों का यह काम नहीं कि ख़ुदा की मस्जिदों को आबाद करें।" (9/17)

हदीस-431:- इकरमह ﷺ रिवायत करते हैं, इब्ने अब्बास ﷺ ने मुझे और अपने बेटे अली से कहा: अबू सईद (ख़ुदरी) ﷺ के पास चलो और उनकी बातें सुनो, देखा कि वह अपने बाग़ को दुरुस्त कर रहे हैं। जब हम पहुंचे तो उन्होंने अपनी चादर उठाई और उसे ओढ़ कर बातें शुरू कर दीं। मस्जिदे (नबवी) की तामीर का ज़िक्र आया तो कहने लगे, हम एक ईंट उठाते और अम्मार ﷺ दो, तो रसूलुल्लाह ﷺ ने उन्हें देखा तो आप उनकी मिट्टी झाड़ने लगे और फ़रमाते जाते: "अम्मार पर कड़ा वक़्त आएगा, उन्हें एक बाग़ी गिरोह क़त्ल करेगा, यह उन्हें जन्नत की तरफ़ बुलाते होंगे और वह इन्हें दोज़ख़ की तरफ़।" अबू सईद ﷺ ने कहा, अम्मार ﷺ कहा करते थे, मैं फ़ितनों से अल्लाह की पनाह मांगता हूं।

बाब 305:- मिम्बर और मस्जिद के बनाने में बढ़ई और मेअमार की मदद लेना:

हदीस 432:- सहल ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने एक औरत को कहला भेजा: "अपने गुलाम बढ़ई से कहो कि मेरे लिए (मिम्बर की) कुछ लकड़ियां दुरुस्त करदे, जिस पर मैं बैठा करूं।"

हदीस 433:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ﷺ रिवायत करते हैं एक ख़ातून ने रसूलुल्लाह ﷺ से कहा, या रसूलल्लाह! मैं आपके लिए एक चीज़ बनवा दूं जिस पर आप बैठा करें क्योंकि मेरा एक गुलाम बढ़ई है। आपने फ़रमाया: "तुम चाहो तो मिम्बर बनवा दो।"

बाब 306:- जिस ने मस्जिद बनाई:

हदीस 434:- उबैदुल्लाह ख़ूलानी ﷺ रिवायत करते हैं, हज़रत उस्मान ﷺ ने जब मस्जिद तामीर की तो लोग इस ज़िम्न में बातें करने लगे। उन्होंने कहा, तुम मेरे बारे में बहुत कुछ कह रहे हो, लेकिन मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को यह फ़रमाते सुना: "जो शख़्स ख़ुदा की ख़ुश्नूदी के लिए मस्जिद बनाए, अल्लाह तआला उस के बदले में इसी तरह का एक मकान जन्नत में बना देता है।"

बाब 307:- जब मस्जिद में गुज़रे तो तीर का फल थामे रहे:

हदीस 435:- सुफ़यान ﷺ रिवायत करते हैं, मैंने अम्र से कहा कि क्या तुम ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह ﷺ को यह कहते सुना कि एक शख़्स मस्जिद में गुज़रा और उसके पास कुछ तीर थे तो उस से रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "उसका फल पकड़ लो।"

बाब 308:- (तीर लेकर) मस्जिद में से गुज़रना:

हदीस 436:- अबू बुर्दह ﷺ अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो शख़्स हमारी मस्जिदों या हमारे बाज़ारों में तीर लेकर गुज़रे तो उसके फल थामे रखे (शायद) अपने तीरों की अनियों से किसी मुसलमान को ज़ख़्मी करदे।"

बाब 309:- मस्जिद में शेअर पढ़नाः

हदीस 437:- अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ﷺ रिवायत करते हैं कि उन्होंने हस्सान बिन साबित अन्सारी ﷺ से सुना, वह अबू हुरैरह ﷺ को क़सम देकर कह रहे थे कि तुम्हें खुदा की क़सम! क्या तुम ने रसूलुल्लाह ﷺ से सुना है कि वह (मुझे) फ़रमाते थेः "हस्सान खुदा के रसूल की तरफ़ से (मुशिरकों को) जवाब दो, ऐ अल्लाह! हस्सान की रूहुल क़ुदुस से ताईद फ़रमा।" अबू हुरैरह ﷺ ने कहा, हां। (यानी मैंने सुना)

फ़ायदाः- हज़रत हस्सान बिन सावित अन्सारी ﷺ की बड़ी शान है। यह दरबारे रिसालत के शाएर थे। मुशिरकीने मक्का शाने रिसालत की तन्क़ीस में जो कुछ कहते, यह अपने शेअरों में उन्हें जवाब देते और शाने रिसालत का दिफ़ाअ करते। इसी कारगुज़ारी के सिले में बारगाहे रिसालत से हज़रत हस्सान "اَللّٰهُمَّ اَيِّدْهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ" की दुआ से नवाज़े गए थे। इस दुआ में हज़रते हस्सान के रास्ते पर चलने वाले बारगाहे मुस्तफ़वी के हर सना ख़्वां के लिये बशरत है और शाने रिसालत का दिफ़ाअ तो आज़म तरीन जिहाद, जाने ईमान और सुन्नते इलाहिया है। वल्लाहु तआला आलम।

बाब 310:- मस्जिद में नेज़ा बाज़ों का जानाः

हदीस 438:- सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को अपने हुजरे के दरवाज़े पर देखा और हब्शी मस्जिद में (हथियारों के साथ मश्क़ के तौर पर) खेल रहे थे। आपने मुझे भी अपनी चादर की ओट में खड़ा करके खेल दिखाया।

फ़ायदाः- हब्शियों का यह खेल देखने का वाक़िआ सिर्फ़ एक दफ़ा पेश आया। हब्शी भी नीज़ों से मस्जिदे नबवी में खेल रहे थे। हज़रत आयशा ﷺ अव्वलन अपने हुजरे के अन्दर थीं, दूसरे किसी ग़ैर मर्द को नज़र नहीं आ रही थीं। तीसरे नबी करीम ﷺ के पीछे खड़ी थीं। चौथे रहमते दो आलम ﷺ ने उन्हें अपनी चादर में छुपाया हुआ था। पांचवें यह वाक़िआ पर्दे का हुक्म नाज़िल होने से पहले का है। पर्दे का हुक्म नाज़िल हो जाने के बाद तो एक नाबीना सहाबी जब बारगाहे रिसालत में हाज़िर हुए तो जो अज़्वाजे मुतह्हरात आप की ख़िदमत में मौजूद थीं, उन से आप ने फ़रमाया कि इन से पर्दा करो। अर्ज़ गुज़ार हुई कि या रसूलल्लाह! यह तो नाबीना हैं। फ़रमायाः तुम तो नाबीना नहीं हो।" मालूम हुआ कि जिस तरह मर्द के लिये हुक्म है कि वह ग़ैर महरम औरतों को न देखे इसी तरह औरतों के लिये भी हुक्म है कि वह ग़ैर महरम मर्दों को न देखें। ग़र्ज़ बाज़ मग़रिब ज़दा औरतें जो इस हदीस को अपनी बेराह रवी की ताईद में पेश करती हैं तो यह हदीस ज़रा भी उनके तरज़े अमल की ताईद नहीं करती। वल्लाहु तआला आलम।

बाब 311:- मस्जिद में मिम्बर पर ख़रीद व फ़रोख़्त का तज़्किराः

हदीस 439:- सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, बरीरह ﷺ अपनी किताबत के बारे में मुझ से इस्तिफ़सार की ग़र्ज़ से मेरे पास आई। सय्यदा आयशा ﷺ ने उससे कहा, अगर तुम पसन्द करो तो मैं (तुम्हारी क़ीमत) तुम्हारे मालिकों को दे दूं लेकिन हक़्क़े मिलकियत मुझे हासिल रहेगा। बरीरह ﷺ के मालिकों ने कहा, अगर आप चाहें तो जो कुछ बाक़ी है उसे रहने दें। अबू सुफ़यान कभी यूं कहते, अगर आप चाहें तो उसे आज़ाद करदें लेकिन वला (का हक़) हमें हासिल रहेगा। जब रसूलुल्लाह ﷺ आए

तो मैंने आप से इसका तज़्किरा किया। फ़रमायाः "तुम उसे ख़रीद लो फिर उसे आज़ाद कर दो और वला तो उसी के लिए है जो आज़ाद करे।" फिर रसूलुल्लाह ﷺ मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा हुए, अबू सुफ़यान कभी कहते कि आप मिम्बर पर चढ़ गए। फिर फ़रमायाः "इन लोगों को क्या हुआ कि ऐसी शराइत पेश करते हैं जो ख़ुदा की किताब में नहीं हैं (आगाह रहो) जो शख़्स ऐसी शर्त रखे जो "किताबुल्लाह" में न हो वह उसको (हरगिज़) नहीं मिलेगी ख़्वाह सौ बार शर्त रखे।"

बाब 312:- मस्जिद में (क़र्ज़ का) तक़ाज़ा करना और (क़र्ज़दार का) तआक़ुब करनाः

हदीस 440:- कअब رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं कि उन्होंने मस्जिद में इब्ने अबी हदरद رضی اللہ عنہ से उस क़र्ज़ का तक़ाज़ा किया जो उन पर था। (तक़ाज़े के बाइस) दोनों की आवाज़ें बुलन्द हुईं जिसे रसूलुल्लाह ﷺ ने अपने घर में सुना और हुजरे का पर्दा उलट कर उनके क़रीब आए और आवाज़ दीः "ऐ कअब!" उन्होंने अर्ज़ किया, लब्बैक या रसूलल्लाह! फ़रमायाः "तुम अपने क़र्ज़ से उसको कुछ तख़्फ़ीफ़ कर दो।" और उनको इशारा किया यानी निस्फ़ कर दो। कअब رضی اللہ عنہ बोले, या रसूलुल्लाह! मैंने तख़्फ़ीफ़ कर दी। आपने (इब्ने अबी हदरद رضی اللہ عنہ से) फ़रमायाः "उठो और (बाक़ी) अदा करदो।"

बाब 313:- मस्जिद में झाड़ू देना, चीथड़े, कूड़ा करकट और लकड़ियां चुन लेनाः

हदीस 441:- अबू हुरैरह رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, एक हब्शी मर्द या औरत मस्जिद में झाड़ू दिया करती, वह मरा या मरी तो रसूलुल्लाह ﷺ ने उसके बारे में दरयाफ़्त फ़रमाया। लोगों ने अर्ज़ किया, वह तो मर गई। फ़रमायाः "तुम ने मुझे क्यों न बताया, मुझे उसकी क़ब्र बताओ।" चुनान्चे लोगों ने उसकी क़ब्र की निशान-दही की, फिर आपने उस पर नमाज़ पढ़ी।

बाब 314:- तिजारते शराब की हुर्मत का मस्जिद में ज़िक्र करनाः

हदीस 442:- सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا रिवायत करती हैं, जब सूद के सिलसिले में सूरए बक़रह की आयात नाज़िल हुईं तो रसूलुल्लाह ﷺ मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और यह आयात लोगों को पढ़ कर सुनाई और फिर आप ने शराब की तिजारत हराम क़रार दे दी।

बाब 315:- मस्जिद का ख़ादिम मुक़र्रर करनाः

इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہما फ़रमाते हैंः نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا (का मतलब यह है) मैंने उसे मस्जिद के लिए आज़ाद करने की नज़र मान ली ताकि मस्जिद की ख़िदमत करे।

हदीस 443:- अबू हुरैरह رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, कोई मर्द या औरत्त मस्जिद में झाड़ू दिया करते। (अबू राफ़ेअ رضی اللہ عنہ कहते हैं) मेरा ख़याल है कि वह औरत थी। फिर वही (मुतज़क्किरा सदर) हदीस बयान की कि रसूलुल्लाह ﷺ ने उसकी क़ब्र पर नमाज़ पढ़ी।

बाब 316:- क़ैदी और क़र्ज़दार को मस्जिद में बांध कर रखनाः

हदीस 444:- अबू हुरैरह رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "गुज़िश्ता रात एक सरकश जिन्न मेरे पास आया (या इसी तरह का कोई कलिमा इरशाद फ़रमाया) कि मेरी नमाज़ में ख़लल अन्दाज़ हुआ। अल्लाह ने उस पर मुझे क़ाबू दे दिया, मैंने चाहा कि तुम भी उसे देखो (यानी उसे पकड़ रखूं) फिर मुझे भाई सुलैमान علیہ السلام का क़ौल याद आयाः "رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي

(ऐ मेरे परवरदिगार! मुझे ऐसी ममलिकत अता फ़रमा जो मेरे बाद किसी को न मिले)।" रौह (इस हदीस के एक रावी) कहते हैं, फिर आपने उसे ज़लील करके वापस कर दिया।

बाब 317:—कुबूले इस्लाम के वक़्त ग़ुस्ल करना और मस्जिद में क़ैदी को बांधना:

(क़ाज़ी) शुरैह رحمه الله क़र्ज़दार के बारे में कहते थे कि उसे मस्जिद के सुतून के साथ चराग़ बांध दिया जाए।

हदीस 445:— अबू हुरैरा رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने कुछ सवार नज्द की तरफ़ भेजे, वह बनी हनीफ़ह के एक शख़्स को पकड़ लाए। उसका नाम सुमामह बिन उसाल था। उसे मस्जिद के सुतूनों में से एक के साथ बांध दिया गया। फिर रसूलुल्लाह ﷺ उसके पास तशरीफ़ लाए और फ़रमायाः "सुमामह को छोड़ दो।" वह मस्जिद के क़रीबी दरख़्त के पास गया, फिर ग़ुस्ल करके मस्जिद में गया और कहा कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं और मुहम्मद वाक़ई अल्लाह के रसूल हैं।

बाब 318:— मस्जिद में बीमारों वग़ैरा के लिए ख़ेमा लगानाः

हदीस 446:— सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, (ग़ज़वए) ख़न्दक़ में सअद बिन मुआज़ رضي الله عنه के हफ़्ते इन्दाम की रग में ज़ख़्म लगा। रसूलुल्लाह ﷺ ने मस्जिद में एक ख़ेमा लगवाया ताकि नज़्दीक ही से उसकी तीमादारी किया करें। चूंकि मस्जिद में बनी ग़िफ़ार का ख़ेमा था, उनकी तरफ़ ख़ून बह कर जाने लगा तो वह बोले, ख़ेमा वालो! यह (ख़ून) कैसा है जो उधर से बह बह कर हमारी तरफ़ आ रहा है? देखा तो सअद رضي الله عنه के ज़ख़्म से ख़ून रिस रहा था और वह उसी से इन्तिक़ाल कर गए।

बाब 319:— बर-बिनाए ज़रूरत मस्जिद में ऊँट ले जानाः

इब्ने अब्बास رضي الله عنهما कहते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने अपने ऊँट पर तवाफ़ भी किया।

हदीस 447:— उम्मे सलमह رضي الله عنها रिवायत करती हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से अपनी बीमारी की शिकायत की तो फ़रमायाः "तुम सवार होकर लोगों के पीछे तवाफ़ करो।" पस मैंने तवाफ़ किया और रसूलुल्लाह ﷺ कअबा के एक कोने में नमाज़ अदा कर रहे थे और सूरए तूर की तिलावत अता फ़रमा रहे थे।

बाब 320:— मस्जिद से जाने वालों के साथः

हदीस 448:— अनस رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ के अस्हाब में से दो आदमी आपके पास से गए। उन में एक अब्बाद बिन बिश्र رضي الله عنه और दूसरे मेरे ख़्याल में उसैद बिन हुज़ैर رضي الله عنه थे। उनके साथ दो चराग़ थे जो उनके आगे आगे चमक रहे थे, फिर जब वह दोनों अलग हो गए तो उन में से हर एक के साथ एक (चराग़) हो गया हत्ता कि अपने घरों को पहुंच गए।

बाब 321:— मस्जिद में खिड़की और गुज़रगाह रखनाः

हदीस 449:— अबू सईद ख़ुदरी رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने ख़िताब फ़रमायाः "(जान रखो) अल्लाह तआला ने अपने बन्दे को दुनिया और आख़िरत के सिलसिले में इख़्तियार दिया, उसने वह कुछ पसंद किया जो अल्लाह के पास है।" (यह सुन कर) अबू बकर رضي الله عنه रो दिए। मैंने दिल में सोचा, इस बुज़ुर्ग को किस चीज़ ने रुलाया, इसे क्या हुआ अगर अल्लाह ने अपने बन्दे को दुनिया व

आख़िरत में (किसी एक के इन्तिख़ाब का) इख़्तियार दिया और उसने वह पसंद किया जो अल्लाह तआला के पास है। (बाद में मामला खुला) बन्दे से मुराद रसूलुल्लाह ﷺ थे और अबू बकर رضي الله عنه हम सब में ज़्यादा जानने वाले थे। फिर आपने फ़रमायाः "अबू बकर! तुम मत रोओ, तमाम लोगों में रिफ़ाक़त और माल के ज़िम्न में मुझ पर ज़्यादातर एहसानात अबू बकर के हैं, अगर मैं अपनी उम्मत से किसी को ख़लील बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन इस्लाम की उख़ुव्वत और मुहब्बत (काफ़ी) है। मस्जिद में अबू बकर के दरवाज़े के अलावा किसी का दरवाज़ा न रहने दिया जाए।"

हदीस 450:- इब्ने अब्बास رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ मर्ज़ुल मौत में अपना सर एक पट्टी से बांधे हुए बाहर निकले, मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा कर अल्लाह तआला की हम्द व सना बयान की, फिर फ़रमायाः "तमाम लोगों में अबू बकर बिन अबी क़ुहाफ़ह से बढ़ कर मुझ पर माल और जान के एहसानात नहीं, अगर मैं लोगों में से किसी को अपना ख़लील बनाता तो बिला शुब्हा अबू बकर को अपना ख़लील बनाता, लेकिन इस्लाम की दोस्ती बेहतर है। मेरी तरफ़ हर वह खिड़की बन्द कर दो जो इस मस्जिद में है मगर अबू बकर رضي الله عنه की खिड़की रहने दो।"

फ़ायदाः- यह दोनों हदीसें रहमते दो आलम ﷺ के यारे ग़ार सय्यिदिना अबू बकर सिद्दीक़ رضي الله عنه की अफ़ज़लियत का वाज़ेह सुबूत हैं। हज़रत अबू सईद ख़ुदरी رضي الله عنه का फ़रमाना कि हज़रत अबू बकर رضي الله عنه हम में सबसे ज़्यादा इल्म वाले थे। फिर रसूलुल्लाह ﷺ का फ़रमाना कि जानी और माली लिहाज़ से अबू बकर के एहसानात मुझ पर दूसरों से ज़्यादा हैं। फिर फ़रमाया कि मैं अगर अपनी उम्मत में से किस को ख़लील बनात तो अबू बकर को बनाता। अलावा बरीं मस्जिदे नबवी से मुल्हिक़ा जितने घर थे और उन्होंने मस्जिद में बराहे रास्त आने के लिये दरवाज़े खोल दिये थे तो आप ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ رضي الله عنه के सिवा बाक़ी तमाम हज़रात के ऐसे दरवाज़े बन्द करवा दिये। सुब्हानल्लाहु।

बाब 322:- कअबा और मस्जिद में दरवाज़े रखना और उन्हें बन्द करनाः

(इमाम) बुख़ारी कहते हैं, मुझ से अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद ने सुफ़यान के हवाले से और उन्होंने इब्ने जुरैह رحمه الله से नक़्ल किया, उनका कहना है कि उनसे इब्ने अबी मुलैकह رحمه الله ने कहा, ऐ अब्दुल मलिक काश! तुम इब्ने अब्बास رضي الله عنهما की मस्जिदों को और उनके दरवाज़ों को देखते (कि कितने थे और किस तरह बन्द किए जाते थे)।

हदीस 451:- इब्ने उमर رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ (फ़तह के मौक़ा पर) मक्का में तशरीफ़ लाए तो उस्मान बिन तलहा رضي الله عنه को बुलाया। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। रसूलुल्लाह ﷺ, बिलाल, उसामह बिन ज़ैद और उस्मान बिन तलहा رضي الله عنهم अन्दर दाख़िल हुए, बादे अज़ां दरवाज़ा बन्द कर दिया गया। आप थोड़ी देर अन्दर रहे, उसके बाद सब लोग बाहर निकले। इब्ने उमर رضي الله عنهما का कहना है, मैंने जल्दी से बिलाल رضي الله عنه से पूछाः क्या आप ने अन्दर नमाज़ पढ़ी? तो उन्होंने कहाः आपने अन्दर नमाज़ पढ़ी। मैंने कहा कहां? बोलेः दोनों सुतूनों के दरमियान। इब्ने उमर رضي الله عنهما कहते हैं, मुझ से (यह बात पूछनी) रह गई कि आपने कितनी नमाज़ पढ़ी?

बाब 323:- मुश्रिक का मस्जिद में दाख़िल होनाः

हदीस 452:- अबू हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने नज्द की तरफ़ कुछ सवार

भेजे जो बनी हनीफ़ह के सुमामह बिन उसाल को गिरफ़्तार करके लाए, फिर उसे मस्जिद के सुतून के साथ बांध दिया गया।

बाब 324:– मस्जिद में आवाज़ बुलन्द करना:

हदीस 453:– साइब बिन यज़ीद رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मैं मस्जिद में खड़ा था, किसी ने मुझे कंकरी मारी। मैंने उधर देखा तो वह उमर बिन ख़त्ताब رضي الله عنه थे। कहा, जाओ और उन दोनों को मेरे पास ले आओ। चुनान्चे मैं उन दोनों के पास गया और उनसे पूछा, तुम कौन हो? कहां से आए हो? बोले ताइफ़ के बाशिंदे हैं। उमर رضي الله عنه ने कहा: अगर तुम इस शहर के बासी होते तो तुम्हें सज़ा देता, तुम रसूलुल्लाह ﷺ की मस्जिद में आवाज़ बुलन्द करते हो।

हदीस 454:– कअब बिन मालिक رضي الله عنه रिवायत करते हैं, उन्होंने इब्ने अबी हदरद رضي الله عنه से जो उनके मक़रूज़ थे, तक़ाज़ा किया। दोनों की आवाज़ बुलंन्द हुई जिसे रसूलुल्लाह ﷺ ने भी सुना हालांकि आप अपने घर में थे। रसूलुल्लाह ﷺ उनके नज़्दीक आए, आपने अपने हुजरे का पर्दा उठा दिया और कअब बिन मालिक رضي الله عنه को आवाज़ दी: "ऐ कअब!" अर्ज़ किया लब्बैक या रसूलल्लाह! आपने हाथ से इशारा करते हुए फ़रमाया: "निस्फ़ क़र्ज़ा माफ़ करदो।" कअब رضي الله عنه बोले या रसूलल्लाह! (माफ़) कर दिया। तब आप ने (इब्ने अबी हदरद رضي الله عنه से) फ़रमाया: "उठो और (बाक़ी) अदा करो।"

बाब 325:– हल्क़ा बनाना और मस्जिद में बैठना:

हदीस 455:– इब्ने उमर رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, एक शख़्स ने रसूलुल्लाह ﷺ से जब आप मिम्बर पर थे, पूछा रात की नमाज़ के मुताल्लिक़ आप क्या फ़रमाते हैं? फ़रमाया: "दो, दो रकअत (हां) अगर तुम्हें अन्देशा हो कि सुबह हो जाएगी तो एक रकअत और पढ़ लो, वह सारी नमाज़ को ताक़ बना देगी।" (अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنهما) कहते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने रात को अपनी आख़िरी नमाज़ वित्र बनाने का हुक्म दिया।

हदीस 456:– इब्ने उमर رضي الله عنهما से रिवायत है, रसूलुल्लाह ﷺ ख़िताब फ़रमा रहे थे। एक शख़्स आया और अर्ज़ किया, रात की नमाज़ किस तरह पढ़ी जाए? आपने फ़रमाया: "दो दो रकअत, जिस वक़्त तुम्हें सुबह हो जाने का अन्देशा हो तो एक रकअत (और) पढ़ लो, वह तुम्हारे लिए सारी पढ़ी हुई नामज़ को वित्र बना देगी।" वलीद बिन कसीर कहते हैं कि मुझ से उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने कहा, इब्ने उमर رضي الله عنهما ने उन्हें बताया, एक शख़्स ने रसूलुल्लाह ﷺ को पुकारा और आप मस्जिद में तशरीफ़ रखते थे।

हदीस 457:– अबू वाक़िद लैसी رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ मस्जिद में थे, तीन आदमी हाज़िर हुए, दो तो रसूलुल्लाह ﷺ के पास आ गए और एक चला गया। फिर उन दो में से एक ने मजलिस में जगह देखी तो वहां बैठ गया, दूसरा सब से पीछे जा बैठा। जब रसूलुल्लाह ﷺ फ़ारिग़ हुए तो आप ने फ़रमाया: "क्या मैं तुम्हें इन तीन आदमियों के बारे में न बताऊँ? इन में से एक अल्लाह की तरफ़ से आया अल्लाह ने उसे जगह दी, दूसरा शर्माया अल्लाह ने भी उस से हया की, तीसरे ने मुंह मोड़ा, अल्लाह तआला ने भी उस से मुंह मोड़ लिया।"

बाब 326:– मस्जिद में चित लेटना:

हदीस 458:- अब्बाद बिन तमीम ﷺ अपने चचा से रिवायत करते हैं कि उन्हों ने रसूलुल्लाह ﷺ को मस्जिद में चित लेटे अपने पावं पर पावं रखे हुए देखा और इब्ने शहाब, सईद बिन मुसय्यब ﷺ से रिवायत करते हैं कि उमर और उस्मान ﷺ इसी तरह करते थे।

बाब 327:- अगर मस्जिद में रास्ता हो और लोगों का उस में कुछ नुक़सान न हो (तो चन्दां मुज़ायक़ा नहीं):

हसन (बसरी), अय्यूब और (इमाम) मालिक इसी बात के क़ायल हैं।

हदीस 459:- जौजए रसूल आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, मुझे जब से शुऊर आया मैंने अपने वालिदैन को दीने (इस्लाम) का पैरोकार पाया। कोई दिन ऐसा न गुज़रा जिस में रसूलुल्लाह ﷺ सुबह और शाम हमारे पास न आते हों। एक बार अबू बकर ﷺ ने सोचा और उन्होंने अपने घर पर एक मस्जिद बनाई और वह उसमें नमाज़ पढ़ने लगे और तिलावते कुरआन करने लगे। मुश्रिकों की औरतें और बच्चे उनके पास खड़े रहते और इज़्हारे तअज्जुब करते और देखा करते। चूंकि अबू बकर ﷺ बहुत गिरया व ज़ारी करने वाले थे, जब वह कुरआन पढ़ते तो वह अपनी आंखों पर ज़ब्त न कर सकते (वह छलक पड़तीं)। इस बात से कुरैश बहुत सरासीमा हुए (कि लोग इस से मुतास्सिर न हों)।

बाब 328:- बाज़ार की मस्जिद में नमाज़ पढ़ना:

(अब्दुल्लाह) इब्ने औन ने एक घर में नमाज़ पढ़ी जिस का दरवाज़ा लोगों पर बन्द कर लिया जाता था।

हदीस 460:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "नमाज़ बा-जमाअत घर और बाज़ार में नमाज़ पढ़ने से पच्चीस गुना ज़्यादा फ़ज़ीलत रखती है, अगर तुम में से कोई शख़्स अच्छी तरह वुज़ू करके नमाज़ ही के इरादे से मस्जिद में जाए तो अल्लाह तआला हर एक क़दम पर उसका एक दरजा बढ़ाता और एक गुनाह कम कर देता है यहां तक कि वह मस्जिद में दाख़िल हो जाता है, तो नमाज़ में (शुमार किया जाता) है जब तक कि वह नमाज़ की वजह से मस्जिद में रहे और फ़रिश्ते उस के लिए दुआ करते रहते हैं जब तक कि वह उस मक़ाम में रहे, जहां वह नमाज़ पढ़ता है। ऐ अल्लाह! इसे बख़्श दे, ऐ अल्लाह! इस पर रहम फ़रमा (यह सिलसिला उस वक़्त तक जारी रहता है) जब तक कि वह बे-वुज़ू न हो।"

बाब 329:- मस्जिद के अन्दर उंगलियों में पंन्जा डालना:

हदीस 461:- इब्ने उमर या इब्ने अम्र ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने अपनी उंगलियों में पंन्जा डाला। आसिम बिन अली ने आसिम बिन मुहम्मद के हवाले से बयान किया कि मैंने यह हदीस अपने बाप से सुनी थी मगर मुझे याद न रहा, फिर वाक़िद ﷺ ने अपने बाप से नक़्ल करके मुझे याद करा दिया। वह कहते हैं, मैंने अपने बाप से सुना वह कहते थे कि अब्दुल्लाह बिन अम्र ﷺ ने कहा, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "ऐ अब्दुल्लाह बिन अम्र! तुम्हारा क्या बनेगा, जब तुम ख़राब लोगों में रह जाओगे।"

हदीस 462:- अबू मूसा (अशअरी ﷺ) रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए एक इमारत की तरह है कि उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से के लिए बाइसे तक़्वियत होता है।" और आप ने अपनी उंगलियों में पंन्जा डाल कर बतलाया।

हदीस 463:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने हमें ज़वाल के बाद की दो नमाज़ों में से एक नमाज़ पढ़ाई। इब्ने सीरीन ﷺ कहते हैं, अबू हुरैरह ﷺ ने उसका नाम लिया था मगर मुझे याद न रहा। आप ने दो रकअत नमाज़ पढ़ा कर सलाम फेर दिया, फिर आप एक लकड़ी के पास खड़े हो गए जो चौड़ाई में मस्जिद के अन्दर रखी हुई थी। आपने आसरा लिया (यूं लगता था कि) आप ग़ुस्से में हैं। आप दोनों हाथों में पंन्जा डाले और अपना दाहिना रुख़सार अपनी बाएं हथेली की पुश्त पर रखे हुए थे। जल्द बाज़ लोग मस्जिद के दरवाज़ों से निकल गए तो सहाबा ﷺ ने अर्ज़ किया क्या नमाज़ कम कर दी गई? उन लोगों में अबू बकर और उमर ﷺ भी थे मगर वह दोनों आप से कहते हुए डरे। उन लोगों में वह शख़्स भी था जो हाथों की लम्बाई के बाइस ज़ुल यदैन ﷺ के नाम से मारूफ़ था। वह बोला ऐ ख़ुदा के रसूल! आप भूल गए या नमाज़ कम कर दी गई? फ़रमायाः "न भूला हूं न नमाज़ कम कर दी गई है।" फिर आप ने फ़रमायाः "क्या ऐसा ही हुआ जैसे ज़ुल यदैन कह रहा है?" लोगों ने अर्ज़ किया हां। तब आप आगे बढ़ गए और जिस क़दर नमाज़ रह गई थी पढ़ ली। उस के बाद सलाम फेर कर तकबीर कही और पहले सज्दों की तरह सज्दा किया या कुछ ज़्यादा लम्बा था। फिर आपने अपना सर उठाया और तकबीर कही, बादे अज़ां फिर तकबीर कही और अपने पहले सज्दों की तरह या उस से कुछ ज़्यादा लम्बा सज्दा किया, फिर सर उठाया और तकबीर कही। (इब्ने सीरीन ﷺ से) कुछ लोगों ने पूछा उसके बाद रसूलुल्लाह ﷺ ने सलाम फेरा? बोले हां, इमरान बिन हुसैन ﷺ ने बताया है कि आपने सलाम फेर दिया।

बाब 330:- वह मसाजिद जो मदीना के रास्तों पर हैं और वह मक़ामात जहां रसूलुल्लाह ﷺ ने नमाज़ पढ़ीः

हदीस 464:- मूसा बिन उक़्बह ﷺ रिवायत करते हैं, मैंने सालिम बिन अब्दुल्लाह ﷺ को देखा, वह रास्ते में कुछ मक़ामात ढूंढते और वहीं नमाज़ अदा करते और बताते थे कि उनके वालिद वहीं नमाज़ पढ़ा करते थे और उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ को इन मक़ामात पर नमाज़ पढ़ते हुए देखा। (मूसा बिन उक़्बह ﷺ) कहते हैं, मुझ से नाफ़ेअ ﷺ ने इब्ने उमर ﷺ के हवाले से कहा कि वह उन्हीं जगहों पर नमाज़ पढ़ते और मैंने सालिम ﷺ से पूछा तो कहा मैं जानता हूं कि उन्होंने भी इन तमाम मक़ामात में नाफ़ेअ ﷺ की मुवाफ़िक़त की, अल्बत्ता रौहा की बुलन्दी पर जो मस्जिद थी उस में दोनों का इख़्तिलाफ़ था।

हदीस 465:- अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जब हज या उमरा करते तो ज़ुल हुलैफ़ह में उतरते और इसी तरह हज्जतुल वदाअ में उस बबूल के दरख़्त के नीचे उतरे जहां अब मस्जिदे ज़ुल हुलैफ़ह है और आप जब जिहाद, हज या उमरे से वापस होते और उस रास्ते में होते तो वादी के नशेब में उतरते। फिर जब वादी की गहराई से ऊपर जाते तो अपनी ऊँटनी को बतहा में बिठाते जो वादी के किनारे मश्रिक़ की जानिब है और रात को सुबह तक वहीं क़याम फ़रमाते। यह मक़ाम उस मस्जिद के पास नहीं है जो पत्थर से बनी हुई है और न उस टीले पर जहां मस्जिद है उस जगह (तो) एक नाला था। अब्दुल्लाह ﷺ उसके पास नमाज़ पढ़ा करते थे, उसके अन्दर कुछ तोदे थे। रसूलुल्लाह ﷺ वहीं नमाज़ पढ़ा करते थे। फिर उसमें बतहा से सैलाब आया यहां तक कि वह जगह

जहां अब्दुल्लाह رضي الله عنه नमाज़ पढ़ते थे, भर गया और अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنه ने (नाफ़ेअ رضي الله عنه) से बयान किया: रसूलुल्लाह ﷺ ने उस जगह भी नमाज़ पढ़ी जहां छोटी मस्जिद है, जो रौहा की बुलन्दी पर वाक़ेअ मस्जिद से क़रीब है। अब्दुल्लाह رضي الله عنه को उस मक़ाम का इल्म था जहां रसूलुल्लाह ﷺ ने नमाज़ पढ़ी थी। वह कहते थे वहां तुम्हारे दाएं जानिब है, जब तुम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने खड़े हो और यह मस्जिद रास्ते के दाहिने किनारे पर है, जब तुम मक्का की तरफ़ जा रहे हो। उसके और बड़ी मस्जिद के दरमियान एक पत्थर का निशान है या उसके क़रीब। अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنه उस पहाड़ी के पास भी नमाज़ पढ़ा करते जो रौहा के आख़िरी किनारे पर है और उस पहाड़ी का किनारा मस्जिद के क़रीब है। वह मस्जिद जो उस पहाड़ी और रौहा के आख़िरी हिस्से की बीच है मक्का को जाते हुए अब वहां एक मस्जिद बन गई है। अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنه उस मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़ते थे, उसको अपने पीछे बाएं जानिब छोड़ देते थे और उससे आगे ख़ास पहाड़ी के पास नमाज़ पढ़ा करते। अब्दुल्लाह رضي الله عنه रौहा से सुबह के वक़्त चलते, फिर ज़ुहर की नमाज़ न पढ़ते यहां तक कि उस जगह पहुंच जाते, पस वहीं ज़ुहर की नमाज़ पढ़ते और जब मक्का से आते तो अगर सुबह से कुछ पहले या आख़िर शब में उस मक़ाम पर पहुंचते तो सुबह तक वहीं ठहर कर सुबह की नमाज़ वहीं अदा करते। और अब्दुल्लाह رضي الله عنه ने (नाफ़ेअ رضي الله عنه से) यह भी बयान किया कि रसूलुल्लाह ﷺ (मक़ामे) रुवसयह के क़रीब रास्ते की दाएं जानिब और रास्ते के सामने किसी घने दरख़्त के नीचे किसी वसीअ और नर्म मक़ाम में उतरते थे यहां तक कि आप उस टीले से जो रुवसयह से दो मील के लग भग है, से बाहर आते। उस दरख़्त के ऊपर का हिस्सा टूट गया है और बीच में से दोहरा हो गया है और सिर्फ़ जड़ पर क़ायम है, उसकी जड़ में बहुत से टीले हैं। अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنه ने (नाफ़ेअ رضي الله عنه से) यह बयान किया: रसूलुल्लाह ﷺ ने उस टीले पर नमाज़ पढ़ी है जो अरज के पीछे है, जब तुम हज़बह की तरफ़ जा रहे हो। उस मस्जिद के क़रीब दो तीन क़ब्रें हैं और क़ब्रों पर पत्थर हैं। (वहां) रास्ते की दाहिनी जानिब पत्थरों के पास नमाज़ पढ़ी। उन्हीं पत्थरों के दरमियान अब्दुल्लाह आते थे बादे अज़ां ज़वाल हो जाता, फिर वह ज़ुहर उसी मस्जिद में पढ़ते थे। अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنه ने (नाफ़ेअ رضي الله عنه से) यह भी बयान किया: रसूलुल्लाह ﷺ उन बड़े दरख़्तों के पास उतरे जो रास्ते से बाएं तरफ़ हरशा (पहाड़) के नाले पर वाक़ेअ हैं और रास्ते के दरमियान तीर की मार का फ़ासिला है और अब्दुल्लाह رضي الله عنه उस दरख़्त के पास नमाज़ पढ़ते थे जो सब दरख़्तो से रास्ते के ज़्यादा क़रीब था और उन सब से ज़्यादा लम्बा था। अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنه ने (नाफ़ेअ رضي الله عنه से) यह भी बयान किया: रसूलुल्लाह ﷺ उस नाले में उतरते थे जो (मक़ामे) मर्रिज़ ज़हरान के अख़ीर में मदीना की तरफ़ है, जब कोई शख़्स सफ़रावात (पहाड़) से उतरे, आप उस नाले की गहराई में रास्ते की बाएं जानिब, जब तुम मक्के को जा रहे हो। और रसूलुल्लाह ﷺ के मक़ामे नुज़ूल और रास्ते के दरमियान सिर्फ़ एक पत्थर का निशान है। अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنه ने (नाफ़ेअ رضي الله عنه से) यह भी बयान किया: रसूलुल्लाह ﷺ ज़ी तवा में उतरते थे और रात को वहीं क़याम फ़रमाते, जब सुबह होती और सुबह की नमाज़ पढ़ते जबकि मक्का तशरीफ़ लाते। और रसूलुल्लाह ﷺ के नमाज़ पढ़ने की जगह एक सख़्त टीले पर है, न उस मस्जिद में जो वहां बनाई गई है बल्कि उस से नीचे उसी सख़्त टीले पर। अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنه ने (नाफ़ेअ

ﷺ से) यह भी बयान कियाः रसूलुल्लाह ﷺ उस पहाड़ की घाटी के सामने आए, वह घाटी जो उस पहाड़ और उस बड़े पहाड़ के दरमियान कअबे की तरफ़ है, फिर आपने उस मस्जिद को जो वहां बनाई गई है, बाएं जानिब छोड़ दिया जो टीले की तरफ़ है और रसूलुल्लाह ﷺ के नमाज़ पढ़ने की जगह उससे नीचे स्याह टीला के ऊपर है, टीले से दस गज़ या उसके क़रीब छोड़ दो। फिर पहाड़ की उस घाटी की तरफ़ जो तुम्हारे और कअबे के दरमियान है, मुंह करके नमाज़ पढ़ो।

फ़ायदाः- इस हदीस से मालूम हो रहा है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنه उन मस्जिदों और मक़ामाम में नमाज़ पढ़ने की पूरी कोशिश किया करते जहां रहमते दो आलम ﷺ ने नमाज़ पढ़ी होती। इस से सहाबए किराम رضي الله عنهم के ज़ावियए नज़र का बख़ूबी पता चल रहा है नीज़ यह भी बख़ूबी मालूम हो रहा है कि उन बुजुर्गों की नज़र में हजूर अलैस्सलातु वस्सलाम के आसारे मुक़द्दसा का मक़ाम क्या था। यही वजह कि तुर्कों ने अपने दौरे इक़्तिदार में आसारे मुक़द्दसा की उसी तरह हिफ़ाज़ की जैसे मुसलमानों को करनी चाहिये और ऐसे जुम्ला मक़ामात पर उन्होंने यादगारें तामीर करके एक जानिब उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ से सच्ची मुहब्बत रखने का सुबूत दिया और दूसरी जानिब मुसलमानों की रहनुमाई का सामान फ़राहम कर दिया। उनके बाद गवर्नमेंट बरतानिया ने हिजाज़े मुक़द्दस पर गंदुम नुमा जौ फ़रोश मुसलमानों को मुसल्लत कर दिया तो उन्होंने मुहब्बत की ऐसी तमाम निशानियों को मिटा दिया और आसारे मुक़द्दसा के साथ वह सुलूक किया जिस की ग़ैर मुस्लिम भी कभी जुर्रात नहीं कर सकते थे। अल्लाह तआला जुम्ला मुद्दइयाने इस्लाम को इस्लाम की हक़ीक़ी रूह से लज़्ज़तयाब होने की सआदत बख़्शे। आमीन।

बाब 331:- इमाम का सुतरह मुक़्तदियों के लिए (भी काफ़ी है):

हदीस 466:- अब्दुल्लाह बिन अब्बास رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मैं अपनी गधी पर सवार होकर आया, उस वक़्त मैं क़रीबुल बुलूग़ था। रसूलुल्लाह ﷺ मिना में बग़ैर दीवार के लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे थे। मैं सफ़ के कुछ हिस्सा के सामने से सवारी की हालत में गुज़र गया और फिर उतर कर गधी को छोड़ दिया और मैं सफ़ में शामिल हो गया लेकिन किसी ने मुझ पर एतेराज़ नहीं किया।

हदीस 467:- इब्ने उमर رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जब ईद के दिन निकलते तो हुक्म देते कि नेज़ा उनके सामने गाड़ दिया जाए। आप उसकी तरफ़ नमाज़ पढ़ाते और लोग आपके पीछे होते। सफ़र में आप यही करते, इसी वजह से उमरा ने उसे (यानी नेज़ा साथ रखने को) अपना लिया।

हदीस 468:- औन बिन अबी हुजैफ़ह रिवायत करते हैं, मैंने अपने वालिद को यह कहते सुना कि रसूलुल्लाह ﷺ ने बतहा में लोगों को नमाज़ पढ़ाई और सामने नेज़ा गड़ा था। जुहर की दो रकअत और अस्र की दो रकअत (आप हालत सफ़र में थे) आप के सामने से औरतें और गधे गुज़र रहे थे।

बाब 332:- नमाज़ी और सुतरह में फ़ासिला किस क़दर हो?

हदीस 469:- सहल बिन सअद رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ की जाए नमाज़ और दीवार के दरमियान एक बकरी के निकल जाने के बक़दर (फ़ासिला होता) था।

हदीस 470:- सलमह बिन अकवअ رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मस्जिद की दीवार मिम्बर के पास थी और दोनों के दरमियान इस क़दर फ़ासिला था कि एक बकरी निकल जाए।

बाब 333:- नेज़े की तरफ़ नमाज़ पढ़ना:

हदीस 471:- अब्दुल्लाह इब्ने उमर ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ के लिए नेज़ा गाड़ दिया जाता और आप उसकी तरफ़ (मुंह करके) नमाज़ पढ़ते।

बाब 334:- अनज़ह की तरफ़ नमाज़ पढ़ना:

हदीस 472:- औन बिन अबी हुजैफ़ह अपने वालिद से रिवायत करते हैं, दोपहर के वक़्त रसूलुल्लाह ﷺ हमारे पास तशरीफ़ लाए। आपके लिए वुज़ू का पानी लाया गया। आप ने वुज़ू फ़रमा कर हमें ज़ुहर और अस्र की नमाज़ पढ़ाई। उस वक़्त आप के सामने नेज़ा गाड़ दिया गया, औरतें और गधे उसकी दूसरी तरफ़ से गुज़र रहे थे।

हदीस 473:- अनस बिन मालिक ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जब रफ़ए हाजत के लिए बाहर तशरीफ़ ले जाते तो मैं और एक लड़का आपके पीछे जाते। हमारे पास छड़ी, लाठी या छोटा सा नेज़ा होता और पानी की एक छागल भी, जब आप फ़ारिग़ होते तो वह बरतन आपको दे देते।

बाब 335:- मक्का (मुकर्रमा) और दूसरे मक़ामात में सुतरह करना:

हदीस 474:- अबू हुजैफ़ह ؓ रिवायत करते हैं, दोपहर के वक़्त रसूलुल्लाह ﷺ हमारे पास तशरीफ़ लाए। बतहा में आप ने ज़ुहर और अस्र की दो रकअतें अदा कीं और आप के आगे नेज़ा गाड़ दिया गया, आप ने वुज़ू फ़रमाया और लोग वुज़ू का ग़ुसाला (जिस्म पर) मलने लगे।

फ़ायदा:- रसूलुल्लाह ﷺ जिस पानी से वुज़ू फ़रमाते और उसे आपके जिस्मे अतहर को मस करने का शर्फ़ हासिल होता, उस पानी की सहाबए किराम ؓ की निगाहों में क्या क़द्र व क़ीमत थी वह इस हदीस और इस मज़मून की दीगर अहादीस से वाज़ेह है। सहाबए किराम ؓ के इस नुक्तए नज़र को जानने की ग़र्ज़ से हदीस 410 का हाशिया फिर मुलाहिज़ा फ़रमा लीजिये ताकि हक़ीक़ते नफ़्सुल अम्री निगाहों के सामने आ जाए। वैसे وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ۔

बाब 336:- सुतून की आड़ में नमाज़ पढ़ना:

उमर ؓ कहते हैं, किसी बात चीत में मसरूफ़ इंसान के पसे पुश्त नमाज़ पढ़ने से बेहतर है कि सुतून की आड़ में नमाज़ पढ़ी जाए। इब्ने उमर ؓ ने (एक मर्तबा) किसी को दो सुतूनों के दरमियान नमाज़ पढ़ते देखा तो उसे एक सुतून के क़रीब कर दिया और फ़रमाया: इसकी आड़ में नमाज़ पढ़ो।

हदीस 475:- यज़ीद बिन अबी उबैद ؓ रिवायत करते हैं, मैं सलमह बिन अकवअ ؓ के हमराह (मस्जिदे नबवी में) आया करता, वह सुतून के पास नमाज़ पढ़ा करते जो मुसहफ़ के क़रीब था। मैंने कहा, ऐ अबू मुस्लिम! मैं हमेशा आपको इस सुतून के सामने इरादतन नमाज़ पढ़ते हुए देखता हूं। बोले, इस लिए कि रसूलुल्लाह ﷺ को मैंने इस सुतून के सामने ख़ास तौर पर नमाज़ पढ़ते हुए देखा है।

हदीस 476:- अनस बिन मालिक ؓ रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ के अकाबिर सहाबा ؓ से मुलाक़ात की, वह मग़्रिब के वक़्त सुतूनों की तरफ़ लपकते थे।

बाब 337:- सुतूनों के दरमियान अकेले नमाज़ पढ़ना:

हदीस 477:- अब्दुल्लाह बिन उमर ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ उसामह बिन ज़ैद, उस्मान बिन तलहा और बिलाल ؓ कअबा में दाख़िल हुए, आप देर तक अन्दर रहे, फिर बाहर आए

और मैं आपके बाद सबसे पहले दाख़िल हुआ तो मैंने बिलाल ﷺ से पूछा, आप ने कहां नमाज़ पढ़ी? बिलाल ﷺ बोले, अगले दो सुतूनों के दरमियान।

हदीस 478:– अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ, उसामह बिन ज़ैद, बिलाल और उस्मान बिन तलहा हजबी ﷺ कअबा के अन्दर गए तो उस्मान ﷺ ने कअबे का दरवाज़ा बन्द कर दिया। आप कुछ देर वहां रहे, जब आप बाहर निकल आए तो मैंने बिलाल ﷺ से पूछा, रसूलुल्लाह ﷺ ने कअबे के अन्दर क्या किया? बिलाल ﷺ ने कहा, आप ने एक सुतून को अपनी दाहिनी जानिब, एक को बाएं जानिब और तीन सुतूनों को अपने पीछे कर लिया। उस वक़्त कअबे में छ सुतून थे, फिर आप ने नमाज़ पढ़ी। हम से इस्माईल ने इमाम मालिक के हवाले से बयान किया कि दो सुतूनों को अपनी दाएं जानिब कर लिया।

बाब 338:– हुज़ूर के नमाज़ पढ़ने की जगह पर नमाज़ पढ़ना:

हदीस 479:– नाफ़ेअ ﷺ रिवायत करते हैं, अब्दुल्लाह (इब्ने उमर ﷺ) जब कअबे में जाते तो दाख़िल होते वक़्त सीधे चले जाते, जब अन्दर चले जाते और दरवाज़े को अपनी पुश्त की जानिब कर लेते तो आगे बढ़ जाते, यहां तक कि जब उनके और उस दीवार के दरमियान जो उनके मुंह के सामने होती थी तीन गज़ (का फ़ासिला) रह जाता था तो नमाज़ पढ़ते। वह उसी जगह (नमाज़ पढ़ने की) कोशिश करते जिस की निस्बत बिलाल ﷺ ने उन्हें बताया था कि रसूलुल्लाह ﷺ ने वहां नमाज़ पढ़ी है। इब्ने उमर ﷺ कहते हैं, तुम पर कोई लाज़िम नहीं कअबा की जिस सिम्त चाहो नमाज़ पढ़ो।

फ़ायदा:– हदीस 475 से 479 और बाब 336 के तर्जमतुल बाब वाली हदीस से इस बात की वज़ाहत हो रही है कि सहाबए किराम ﷺ उन जगहों पर नमाज़ पढ़ने की पूरी कोशिश किया करते थे जिन मक़ामात पर रसूलुल्लाह ﷺ ने कभी नमाज़ अदा फ़रमाई हो। आख़िर क्यों? क्या परवरदिगारे आलम ने क़ुरआने करीम में उन्हें ऐसा करने का हुक्म फ़रमाया था? क्या रहमते दो आलम ﷺ ने फ़रमाया था कि ऐसा किया करो? जवाब नफ़ी में होगा क्योंकि किसी आयत या हदीस के अन्दर वाज़ेह तौर पर ऐसा हुक्म वारिद नहीं हुआ है। फिर सहाबए किराम ﷺ जैसी तालीमाते इस्लामिया की पैकर हस्तियां ऐसा क्यों करती थीं। उन बुज़ुर्गों के इस ईमान अफ़रोज़ ख़ारजियत सोज़ नज़रिया को समझने की ग़र्ज़ से हदीस 410 का हाशिया ज़हन में रखना चाहिये। وَاللّٰهُ وَلِيُّ التَّوْفِيْق

बाब 339:– सवारी, ऊँट, दरख़्त और कजावह (को आड़ बना कर) नमाज़ पढ़ना:

हदीस 480:– इब्ने उमर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ अपनी सवारी को तिरछा बिठाते और उसकी तरफ़ नमाज़ पढ़ते। (नाफ़ेअ ﷺ कहते हैं) मैंने कहा क्या आप ने देखा है जब सवारियां चल पढ़तीं तो? जवाब दिया: आप कजावे को ले लेते थे, फिर उसके पिछले हिस्से की तरफ़ (या) उसके मुअख़्ख़र (की तरफ़) नमाज़ पढ़ लेते थे और इब्ने उमर ﷺ भी इसी तरह करते थे।

बाब 340:– चारपाई की तरफ़ नमाज़ पढ़ना:

हदीस 481:– सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं कि उन्होंने (लोगों से) कहा: क्या तुमने हमें कुत्तों और गधों के बराबर कर दिया (जबकि) मैंने तो यह देखा कि रसूलुल्लाह ﷺ तशरीफ़ लाते तो

चारपाई के दरमियान में खड़े होकर नमाज़ पढ़ते, मुझे आपके सामने लेटा रहना बुरा मालूम होता तो मैं पाइंती की तरफ़ से खिसक कर लिहाफ़ से बाहर निकल जाती।

बाब 341:- नमाज़ी को चाहिए कि सामने से गुज़रने वाले को रोक दे:

इब्ने उमर ﷺ ने तशह्हुद में जबकि वह कअ़वे में थे, (एक शख़्स को) वापस कर दिया और कहा: अगर वह बग़ैर लड़े न माने तो उस से लड़े।

हदीस 482:- अबू सालेह समान ﷺ रिवायत करते हैं, मैंने अबू सईद ख़ुदरी ﷺ को जुम्आ के दिन देखा, वह किसी चीज़ की तरफ़ मुंह करके नमाज़ पढ़ रहे थे। (क़बीला) बनी अबी मुईत के एक जवान ने इरादा किया कि वह उनके सामने से निकल जाए तो अबू सईद ﷺ ने उसके सीने में ठोका दिया लेकिन उसे और कोई रास्ता निकलने को न मिला तो (दोबारा) निकल जाना चाहा। अबू सईद ﷺ ने उसे पहले की निस्बत ज़्यादा सख़्त धक्का दिया। इस पर उसने अबू सईद ﷺ की बे-हुर्मती की, बादे अज़ां वह मरवान के पास गया और अबू सईद ﷺ के साथ जो कुछ हुआ था उसकी शिकायत की और उसके तआक़ुब में अबू सईद ﷺ भी मरवान के पास पहुंच गए। मरवान बोला: आप का और आपके भतीजे का क्या मस्अला है? अबू सईद ﷺ बोले: मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को यह फ़रमाते हुए सुना: "जब तुम में से कोई शख़्स किसी ऐसी चीज़ की तरफ़ नमाज़ पढ़ रहा है, जो उसे लोगों से ओझल करदे और फिर कोई उस के आगे से गुज़रना चाहे तो उसे चाहिए कि उसे हटा दे, अगर वह न माने तो उस से लड़े क्योंकि वह शैतान है।

बाब 342:- नमाज़ी के सामने से गुज़रने का गुनाह:

हदीस 483:- बुसर बिन सईद ﷺ रिवायत करते हैं कि ज़ैद बिन ख़ालिद ﷺ ने उन्हें अबू जुहैम ﷺ के पास भेजा ताकि वह उन से पूछें कि उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ से नमाज़ी के आगे गुज़र जाने वाले के मुताल्लिक़ क्या सुना है। अबू जुहैम ﷺ ने कहा, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अगर नमाज़ी के सामने से गुज़रने वाला यह जानता कि उस पर किस क़दर गुनाह है तो उसको नमाज़ी के सामने से गुज़रने से चालीस साल (वहीं) खड़ा रहना पसंद होता।" अबू नज़र (इस हदीस के एक रावी) कहते हैं, मुझे मालूम नहीं चालीस दिन कहा, चालीस माह या चालीस साल कहा।

बाब 343:- नमाज़ की हालत में एक शख़्स का दूसरे की तरफ़ मुंह करना:

हज़रत उस्मान ﷺ ने इसे मकरूह जाना है कि नमाज़ पढ़ने की हालत में उसके सामने मुंह करके बैठे। इमाम बुख़ारी के मुताबिक़ यह कराहत तब है जब नमाज़ी का ध्यान उस तरफ़ हो जाए, अगर ध्यान न बंटे तो ज़ैद बिन साबित ﷺ कहते हैं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं क्योंकि कोई आदमी किसी आदमी की नमाज़ फ़ासिद नहीं करता।

हदीस 484:- सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं कि उनके सामने उन चीज़ों का ज़िक्र किया गया, जिन से नमाज़ फ़ासिद हो जाती है। लोगों ने कहा, कुत्ते, गधे और औरत के सामने आ जाने से नमाज़ फ़ासिद हो जाती है। सय्यदा आयशा ﷺ कहने लगीं: तुम ने हमें कुत्ता बना दिया, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को नमाज़ पढ़ते देखा है, मैं आप और क़िब्ले के दरमियान चारपाई पर लेटी रहती। मुझे कोई ज़रूरत पड़ जाती, मैं इसको मुनासिब न समझती कि आपके आगे से गुज़रूं तो मैं आहिस्ता से निकल

जाती।

बाब 344:- सोए हुए आदमी के सामने नमाज़ पढ़नाः

हदीस 485:- सय्यदा आयशा ﷺ फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़ पढ़ते और मैं आप के सामने फ़र्श पर तिरछी सोई हुई होती थी। जब आप चाहते कि वित्र पढ़ें तो मुझे जगा लेते और मैं वित्र पढ़ लेती।

बाब 345:- औरत के सामने होते हुए नफ़्ल पढ़नाः

हदीस 486:- ज़ौजए रसूल सय्यदा आयशा ﷺ फ़रमाती हैं, मैं रसूलुल्लाह ﷺ के सामने सोई हुई थी और मेरे पांव आपके क़िब्ले (की जानिब) में होते थे। जब आप सज्दे में जाते तो मुझे दबा देते और मैं अपने पांव समेट लेती, जब आप खड़े हो जाते तो पांव फैला देती। आयशा ﷺ फ़रमाती हैं, उस वक़्त घरों में दिए नहीं (जलते) थे।

बाब 346:- जो कहता है नमाज़ को कोई चीज़ नहीं तोड़तीः

हदीस 487:- सय्यदा आयशा ﷺ फ़रमाती हैं, उनके सामने उन चीज़ों का ज़िक्र किया गया जो नाक़िसे सलात हैं यानी कुत्ता, गधा और औरत वग़ैरा। मैंने कहा, तुमने हमें कुत्तों और गधों की मानिन्द बना दिया। क़सम बख़ुदा! मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को नमाज़ पढ़ते देखा, मैं चारपाई पर आपके और क़िब्ले के दरमियान लेटी होती, फिर मुझे काम पड़ जाता चूंकि मुझे यह ना-पसन्द था कि उठ बैठूं और आप को तकलीफ़ दूं, लिहाज़ा मैं आपके पां के पास से खिसक जाती थी।

हदीस 488:- इबने शहाब ﷺ के भतीजे ने अपने चचा (इब्ने शहाब) से नमाज़ के मुताल्लिक़ पूछा कि उसे कोई चीज़ फ़ासिद करती है तो उन्होंने कहा, उसे कोई चीज़ नहीं तोड़ती। मुझे उरवह बिन ज़ुबैर ﷺ ने बताया, ज़ौजए रसूल सय्यदा आयशा ﷺ ने फ़रमाया, रसूलुल्लाह ﷺ रात को खड़े होते और नमाज़ पढ़ते, मैं आपके और क़िब्ले के दरमियान आपके घर के फ़र्श पर तिरछी लेटी होती थी।

बाब 347:- नमाज़ के दौरान छोटी बच्ची को अपनी गर्दन पर उठानाः

हदीस 489:- अबू क़तादह अन्सारी ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़ पढ़ते और उसी दौरान में ज़ैनब ﷺ बिन्ते रसूल, अबुल आस बिन रबीअह बिन अब्दुश्शम्स की बेटी उमामह ﷺ को उठाए हुए होते थे, जब सज्दा करते तो उतार देते और जब खड़े होने लगते तो उन्हें (भी) उठा लेते।

बाब 348:- ऐसे बिस्तर की तरफ़ नमाज़ पढ़ना जिस पर हाइज़ा औरत लेटी होः

हदीस 490:- मैमूनह ﷺ बिन्ते हारिस (ज़ौजए रसूल) रिवायत करती हैं, मेरा बिछौना रसूलुल्लाह ﷺ के मुसल्ले के बराबर होता, अक्सर आपका कपड़ा पड़ जाता था और मैं अपने बिछौने पर होती थी।

हदीस 491:- सय्यदा मैमूनह ﷺ फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़ पढ़ते होते, मैं आपके बराबर सोई होती थी। जब आप सज्दे में जाने लगते तो आप का कपड़ा मुझे लग जाता था हालांकि मैं हाइज़ा होती थी।

बाब 349:- क्या मर्द अपनी औरत को दबा सकता है ताकि वह सज्दा करले?:

हदीस 492:- सय्यदा आयशा ﵂ फ़रमाती हैं, तुम ने बहुत बुरा किया जो हमें कुत्तों और गधों के बराबर कर दिया। मैंने देखा कि रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़ पढ़ रहे होते और मैं आप के और क़िब्ले के दरमियान लेटी होती थी, जब आप सज्दे में जाना चाहते तो मेरे पांव दबा देते तो मैं उन्हें हटा लेती।

फ़ायदा:- शुरू इस्लाम में नमाज़ी के सामने से कुत्ता, गधा गुज़र जाता तो इसे नाक़िसे नमाज़ शुमार किया जाता। इसी तरह औरत के गुज़रने को भी। इमाम बुख़ारी ﵀ ने हदीस 484 से 492 तक इस ग़र्ज़ से पेश की हैं कि नमाज़ी के सामने से कुत्ता, गधा या औरत गुज़र जाए तो उसकी नमाज़ क़तअन मुतास्सिर नहीं होती। वल्लाहु तआला आलम।

बाब 350:- औरत अगर नमाज़ी के जिस्म से तकलीफ़ देह चीज़ दूर करदे:

हदीस 493:- अब्दुल्लाह ﵁ (बिन मसऊद) रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ कअबे के पास खड़े नमाज़ पढ़ रहे थे। कुरैश की एक जमाअत मजलिस आरा थी, इतने में उन में से किसी ने कहा, क्या तुम इस रियाकार को नहीं देखते, तुम में से कोई है जो फ़ुलां क़बीले के मज़बूहा ऊँट के पास जाए और उसका गोबर, खून और बच्चा दानी लेकर आए, फिर ताक में रहे, जब यह सज्दे में जाएं तो उसे उनके दोनों कंधों के दरमियान रख दे। चुनान्चे उन में सब से बड़ा बदबख़्त उठा और जाकर ले आया। जब रसूलुल्लाह ﷺ सज्दे में गए तो उसने आपके दोनों कंधों के दरमियान रख दिया, बिना बरीं रसूलुल्लाह ﷺ सज्दे (ही) में रह गए तो वह हंसने लगे, यहां तक कि हंसी के मारे एक दूसरे पर गिरने लगे। उन में एक जाने वाला फ़ातिमा ﵂ (बिन्ते रसूल) के पास गया। उस वक़्त आप बच्ची थीं, वह दौड़ती हुई आईं और रसूलुल्लाह ﷺ सज्दे में थे हत्ता कि फ़ातिमा ﵂ ने उसे आप से हटा दिया और कुरैश के पास उन्हें कोस्ती हुई आईं। जब रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़ पूरी कर चुके तो कहा: "ऐ अल्लाह! कुरैश को हलाक फ़रमा, फिर नाम लेना शुरू किए, अम्र बिन हिशाम, उतबह बिन रबीअह, शैबह बिन रबीअह, वलीद बिन उतबह, उमय्यह बिन ख़लफ़, उक़्बह बिन अबी मुईत और उमारह बिन वलीद को हलाक फ़रमा।" अब्दुल्लाह ﵁ (बिन मसऊद) कहते हैं, मैंने उन लोगों को यौमे बदर में ज़मीन पर गिरा हुआ देखा, उसके बाद घसीट कर कुंएं में डाल दिए गए, फिर रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "इस कुंएं वालों पर लानत की गई है।"

फ़ायदा:- मुश्रिकीने मक्का के सरदारों ने जब रसूलुल्लाह ﷺ को ईज़ा पहुंचाने की हद कर दी तो रहमते दो आलम ﷺ ने उनकी हलाकत के लिये दुआ फ़रमाई। परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब की दरख़्वास्त को शर्फ़े क़ुबूलियत बख़्शते हुए काफ़िरों के उन सरदारों को ग़ज़वए बदर के दौरान हलाक कर दिया। फ़तह के बाद सहाबए किराम ﵃ ने उन लोगों को कुत्तों की तरह घसीट कर एक गढ़े में डाल दिया था। फिर भी अगर कोई यूं कहे कि रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, तो ऐसे लोगों से यही कहा जा सकता है:

मांग लो हक़ से तौफ़ीक़े दीं मांग लो
नूरे ईमान सिदक़े यक़ीन मांग लो

पारह तीसरा

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

नमाज़ के औक़ात

बाब 351:- नमाज़ के औक़ात और उनकी फ़ज़ीलत:

इरशादे रब्बानी है: "बेशक मुसलमानों पर अपने वक़्त पर नमाज़ फ़र्ज़ की गई है।" यानी उनके लिए वक़्त मुक़र्रर कर दिया गया है।

हदीस 494:- मालिक ﷺ, इब्ने शहाब ﷺ से रिवायत करते हैं, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ﷺ ने एक नमाज़ (ज़रा) ताख़ीर से पढ़ी, तो उनके पास उर्वह बिन ज़ुबैर ﷺ आए और उन्हें बताया, मुग़ीरह बिन शुअबह ﷺ ने एक दिन जब वह इराक़ में थे ताख़ीर से नमाज़ पढ़ी तो उनके पास अबू मसऊद अन्सारी ﷺ आए और कहा मुग़ीरह! यह क्या, तुम्हें मालूम नहीं जिब्रईल ﷺ आए और उन्होंने नमाज़ पढ़ी, तो रसूलुल्लाह ﷺ ने नमाज़ पढ़ी, फिर उन्होंने नमाज़ पढ़ी तो रसूलुल्लाह ﷺ ने नमाज़ पढ़ी, फिर उन्होंने नमाज़ पढ़ी तो रसूलुल्लाह ﷺ ने नमाज़ पढ़ी, फिर जिब्रईल ﷺ बोले: मुझे इसी तरह हुक्म दिया गया है, तो उमर ﷺ (बिन अब्दुल अज़ीज़) ने उर्वह ﷺ (बिन ज़ुबैर) से कहा ज़रा ग़ौर कर लो क्या बयान कर रहे हो? क्या जिब्रईल ﷺ ने रसूलुल्लाह ﷺ की नमाज़ के औक़ात मुक़र्रर किए? उर्वह ﷺ ने कहा, बशीर बिन मसऊद अपने वालिद से इसी तरह हदीस बयान करते थे। उर्वह ﷺ ने कहा मुझ से सय्यदा आयशा ﷺ ने बयान फ़रमाया कि रसूलुल्लाह ﷺ अस्र की नमाज़ उस वक़्त पढ़ते, जब धूप उनके हुजरे में रहती थी क़ब्ल इसके कि ख़त्म हो जाए।

बाब 352:- इरशादे ख़ुदावन्दी कि: "अल्लाह की तरफ़ मुतवज्जह हो और उस से डरते रहो और नमाज़ क़ायम करो और मुशिरकों में से न हो जाओ।"

हदीस 495:- इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, अब्दुल क़ैस का वफ़्द रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। वह लोग बोले हम क़बीला रबीअह से ताल्लुक़ रखते हैं, हम आप से सिर्फ़ हुरमत वाले महीनों में मिल सकते हैं इस लिए आप हमें वह कुछ बताइए जिस पर हम अमल करें और अपने पीछे रह जाने वालों को उसकी दावत दें। आप ने फ़रमाया: "तुम्हें चार चीज़ों का हुक्म देता हूं और चार चीज़ों से रोकता हूं, अल्लाह तआला पर ईमान लाना और उसकी तशरीह की कि इस बात की शहादत देना, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूं, नमाज़ क़ायम करना, ज़कात अदा करना और माले ग़नीमत में से ख़ुम्स देना और मैं तुम्हें दुबा, हन्तम, मुक़य्यर और नक़ीर से मना करता हूं। (यह शराब नोशी के बरतनों के नाम हैं)।

बाब 353:- नमाज़ के क़ायम रखने पर बैअत:

हदीस 496:- जरीर बिन अब्दुल्लाह ﷺ रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से नमाज़ पढ़ने, ज़कात देने और हर मुसलमान से ख़ैर ख़्वाही पर बैअत की थी।

बाब 354:- नमाज़ गुनाहों का कफ़्फ़ारा है:

हदीस 497:- हुज़ैफ़ह ﷺ रिवायत करते हैं, हम हज़रत उमर ﷺ के पास बैठे थे, कहने लगे

तुम में से फ़ितने के मुतात्लिक़ रसूलुल्लाह ﷺ की हदीस किस को याद है? मैं बोला, मुझे उसी तरह याद है जिस तरह आपने फ़रमाया। हज़रत उमर ؓ ने फ़रमाया कि तुम रसूलुल्लाह ﷺ या आप की हदीस के बयान करने पर जरी हो। मैंने कहा, इन्सान का वह फ़ितना जो उसकी बीवी और उसके माल और औलाद और हमसायों में होता है, उसको नमाज़, रोज़ा, सदक़ा और अम्र (बिल मारूफ़) नही (अनिल मुन्कर) मिटा देते हैं। हज़रत उमर ؓ बोले, मैं यह नहीं (पूछना) चाह रहा था बल्कि वह फ़ितना जो दरिया की तरह उबल पड़ेगा। (हुज़ैफ़ह ؓ ने) कहा, अमीरुल मोमिनीन! इससे आप को कुछ अन्देशा नहीं, क्योंकि आप के और उसके दरमियान एक बन्द दरवाज़ा है। उमर ؓ बोले, वह दरवाज़ा तोड़ डाला या खोल दिया जाएगा। हुज़ैफ़ह ؓ ने कहा, तोड़ डाला जाएगा। उमर ؓ ने कहा, तो फिर कभी बन्द न होगा। हम लोगों ने (हुज़ैफ़ह ؓ से) कहा, क्या उमर ؓ उस दरवाज़े को जानते थे? उन्होंने कहा हां, जैसे (तुम) कल के बाद रात होने को जानते हो। मैंने उन से वह हदीस बयान की जो ग़लत न थी। हमें हुज़ैफ़ह ؓ से पूछते हुए डर लगा लेकिन मसरूक़ ؓ ने हुज़ैफ़ह ؓ से पूछा, हुज़ैफ़ह ؓ ने कहा वह दरवाज़ा (ख़ुद) उमर ؓ थे।

हदीस 498:- इब्ने मसऊद ؓ रिवायत करते हैं, एक शख़्स ने किसी औरत का बोसा ले लिया, बादे अज़ां वह रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आप को बताया, तब अल्लाह तआला ने (आयत का यह हिस्सा) नाज़िल फ़रमाया: "नमाज़ को दिन के दोनों सिरों और कुछ रात गए क़ायम करो, बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं।" वह शख़्स बोला, या रसूलल्लाह! क्या यह मेरे ही लिए है? फ़रमाया: "मेरी तमाम उम्मत के लिए है।"

बाब 355:- बर-वक़्त नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत:

हदीस 499:- अबू अम्र शैबानी ؓ ने अब्दुल्लाह ؓ (बिन मसऊद) के घर की तरफ़ इशारा करते हुए कहा, हम से इस घर के मालिक ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से पूछा, अल्लाह के नज़्दीक कौन सा अमल सबसे ज़्यादा महबूब है? फ़रमाया: "बर-वक़्त नमाज़ अदा करना।" इब्ने मसऊद ؓ ने कहा, फिर? फ़रमाया: "वालिदैन की इताअत करना।" इब्ने मसऊद ؓ बोले, उसके बाद कौन सा? फ़रमाया: "जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह।" इब्ने मसऊद ؓ कहते हैं, आप ने मुझ को यही बातें बताईं, अगर और पूछता तो आप और ज़्यादा बयान फ़रमाते।

बाब 356:- जब पाँचों नमाज़ें बर-वक़्त जमाअत से या अकेले पढ़ी जाएं तो यह नमाज़ें नमाज़ी के गुनाहों का कफ़्फ़ारा बन जाती हैं:

हदीस 500:- अबू हुरैरह ؓ रिवायत करते हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते हुए सुना: "अगर तुम में से किसी के दरवाज़े पर नहर हो और वह हर रोज़ उस में पाँच मर्तबा नहाए धोए, तुम्हारा क्या ख़्याल है कोई मैल कुचैल बाक़ी रह जाएगा?" सहाबा ؓ बोले, कुछ भी मैल कुचैल बाक़ी न रहेगा। फ़रमाया: "पाँचों नमाज़ों की यही मिसाल है, अल्लाह तआला उनके ज़रिये से गुनाहों को मिटाता है।"

बाब 357:- बे-वक़्त नमाज़ पढ़ना:

हदीस 501:- अनस ؓ रिवायत करते हैं, जो रसूलुल्लाह ﷺ के अहदे मुबारक में था, वह अब नज़र नहीं आता। कहा गया, नमाज़ तो (बाक़ी) है। अनस ؓ ने कहा: क्या नमाज़ में जो कुछ तुम

ने किया है, तुम्हें मालूम नहीं?

हदीस 502:- ज़ुहरी रिवायत करते हैं, मैं दमिश्क़ में अनस बिन मालिक के पास आया, आप रो रहे थे। मैंने कहा क्यों रो रहे हैं? फ़रमायाः जो कुछ रसूलुल्लाह के ज़माने में था, वह अब मैं नहीं पाता, बस एक नमाज़ है तो वह (भी तक़रीबन) ज़ाए हो चुकी है।

बाब 358:- नमाज़ी अपने परवरदिगार से मुनाजात करता हैः

हदीस 503:- अनस रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने फ़रमायाः "जब तुम में से कोई नमाज़ पढ़ता है, उस वक़्त वह अपने परवरदिगार से मुनाजात करता है। उसे चाहिए कि वह अपने दाहिने जानिब न थूके बल्कि अपने बाएं पांव के नीचे थूके।"

हदीस 504:- अनस रसूलुल्लाह से रिवायत करते हैं, आपने फ़रमायाः "सज्दों में एतेदाल करो और तुम में से कोई शख़्स अपने दोनों हाथ कुत्ते की तरह न बिछाए और जब थूके तो न सामने थूके और न अपने दाएं जानिब इस लिए कि वह अपने परवरदिगार से मुनाजात कर रहा होता है।" सईद, क़तादा के हवाले से कहते हैं, अपने आगे या सामने न थूके बल्कि अपने बाएं जानिब या अपने पांव के नीचे (थूके)। शुअबह कहते हैं, न अपने सामने और न दाहिनी जानिब थूके लेकिन अपनी बाएं जानिब या पांव के नीचे (थूके)। हुमैद, अनस और वह रसूलुल्लाह से रिवायत करते हैं कि क़िब्ला रुख़ न थूके और न अपनी दाहिनी जानिब, बल्कि अपनी बाएं जानिब या अपने पांव के नीचे थूके।

फ़ायदा:- इन दोनों हदीसों में भी नमाज़ी को वही हुक्म दिया गया है जो हदीस 393 से 403 तक की ग्यारह हदीसों में दिया गया था। हदीस 503 और 504 का मफ़हूम समझने की ग़र्ज़ से हदीस 403 का हाशिया फिर मुलाहिज़ा फ़रमा लिया जाए।

बाब 359:- सख़्त गर्मी में ज़ुहर ठंडी करके पढ़नाः

हदीस 505:- अबू हुरैरह और अब्दुल्लाह बिन उमर रसूलुल्लाह से रिवायत करते हैं, आप ने फ़रमायाः "जब गर्मी ज़्यादा हो जाए, तो नमाज़ को ठंडे वक़्त में पढ़ो, इस लिए कि गर्मी में शिद्दत जहन्नम के जोश के बाइस होती है।"

हदीस 506:- अबू ज़र रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह के मुअज़्ज़िन ने ज़ुहर की अज़ान कहनी चाही तो आपने फ़रमायाः "ठंडा हो जाने दो।" या फ़रमायाः "ठहर जाओ, गर्मी की शिद्दत जहन्नम के जोश से होती है लिहाज़ा जब गर्मी सख़्त हो जाए तो नमाज़ ठंडी करके अदा किया करो।" यहां तक कि हमें टीलों का साया नज़र आने लगा।

हदीस 507:- अबू हुरैरह रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने फ़रमायाः "जब गर्मी की शिद्दत बढ़ जाए तो नमाज़ को ठंडे वक़्त में पढ़ा करो, इस लिए कि गर्मी की शिद्दत जहन्नम के जोश से होती है और आग ने अपने परवरदिगार से शिकायत की, मेरे परवरदिगार! मेरे एक पहलू ने दूसरे को खा लिया। अल्लाह तआला ने उसे दो मर्तबा सांस लेने की इजाज़त दी, एक सर्दी और एक गर्मी में और वही सख़्त गर्मी है जिसे तुम महसूस करते हो, और सख़्त सर्दी है जो तुम्हें लगती है।"

हदीस 508:- अबू सईद रिवायत करते हैं, ज़ुहर की नमाज़ ठंडे वक़्त में पढ़ो क्योंकि गर्मी की शिद्दत जहन्नम के जोश से होती है।

बाब 360:- सफ़र के दौरान नमाज़े ज़ुहर ठंडे वक़्त में अदा करना:

हदीस 509:- अबू ज़र ग़िफ़ारी ﷺ रिवायत करते हैं, हम रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह किसी सफ़र में थे। मुअज़्ज़िन ने ज़ुहर के लिए अज़ान देनी चाही, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "ठंडा हो जाने दो।" उसने फिर अज़ान देनी चाही, आपने उससे फ़रमाया: "ठंडा हो जाने दो।" यहां तक कि हमें टीलों का साया नज़र आने लगा, तब रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "गर्मी की शिद्दत जहन्नम के जोश से होती है, लिहाज़ा जब गर्मी में तल्ख़ी आ जाए तो नमाज़ को ठंडा करके पढ़ो।"

फ़ायदा:- हदीस 505 से 509 तक की पांचों हदीसों में यही हुक्म फ़रमाया गया है कि जब गर्मी की शिद्दत हो तो ज़ुहर की नमाज़ को दोपहर की गर्मी में न पढ़ा जाए बल्कि दिन को ज़रा ठंडा हो लेने दिया जाए। इमाम अबू हनीफ़ ﷺ का मोक़िफ़ भी यही है।

बाब 361:- ज़ुहर का वक़्त ज़वाल के बाद है:

जाबिर ﷺ कहते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ठीक दोपहर को नमाज़ पढ़ते थे।

हदीस 510:- अनस बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं, जब सूरज ढल गया, रसूलुल्लाह ﷺ बाहर तशरीफ़ लाए, फिर आपने नमाज़े ज़ुहर अदा की और मिम्बर पर जल्वा अफ़रोज़ हो गए और आपने क़यामत का ज़िक्र शुरू किया। फ़रमाया: "उस में बड़ी संगीन चीज़ें होंगी।" बादे अज़ां फ़रमाया: "जो शख़्स कुछ पूछना चाहता है पूछ ले जब तक मैं यहां हूं, जो मुझ से पूछना चाहेगा मैं उसे बताऊंगा।" लोगों ने कसरत से गिरया व ज़ारी शुरू कर दी और आपने बार बार यही फ़रमाया: "मुझ से पूछो।" अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ह सहमी ﷺ खड़े हुए और पूछा, मेरा बाप कौन है? फ़रमाया: "तुम्हारा बाप हुज़ाफ़ह है।" आपने फिर कहना शुरू कर दिया: "मुझ से पूछो।" तब उमर ﷺ अपने घुटनों के बल बैठ गए और गोया हुए, हम अल्लाह के परवरदिगार, इस्लाम के दीन और मुहम्मद रसूलुल्लाह ﷺ के रसूल होने पर (पूरी तरह) राज़ी हैं। उस वक़्त आप ख़ामोश हो गए, अज़ां बाद फ़रमाया: "जन्नत और दोज़ख़ मेरे सामने अभी इस दीवार के गोशे में लाई गईं, ऐसी उम्दा और ऐसी मकरूह चीज़ कभी नज़र नहीं पड़ी।"

फ़ायदा:- यह हदीस इस जगह पर अगर्चे पूरी बयान नहीं की गई है, फिर भी रसूलुल्लाह ﷺ की इल्मी ख़ुसूसियत ज़ाहिर कर रहीं है। हुज़ूर का सहाबए किराम ﷺ के सामने एलान फ़रमाना कि तुम मुझ से इस जगह में कोई चीज़ नहीं पूछोगे मगर मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा सहमी ﷺ के बाप का नाम उनके सवाल पर बताया नीज़ मस्जिदे नबवी की एक दीवार के अन्दर जन्नत व दोज़ख़ आप को मिसाली सूरत में दिखाई गई। इन तीनों बातों पर अगर ठंडे दिल व दिमाग़ से ग़ौर किया जाए तो इल्मे मुस्तफ़ा की ख़ुदादाद वुस्अतों की झलक सामने आ जाती है और कोई मुसलमान उसका इन्कार करने की जुर्रात नहीं कर सकता। हां अंजामकार हिदायत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है।

हदीस 511:- अबू बर्ज़ह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ सुबह की नमाज़ उस वक़्त पढ़ते, जब हम में से हर कोई अपने पास बैठने वाले को पहचान लेता, उस में साठ या सौ आयात की तिलावत की, नमाज़े ज़ुहर ज़वाले आफ़ताब के वक़्त पढ़ी जाती और अस्र उस वक़्त कि हम में से कोई शख़्स मदीना के किनारे तक जाकर हो आए और सूरज अपनी जगह रौशन होता। अबू मिन्हाल (इस

हदीस के एक रावी) कहते हैं मग़रिब के बारे में अबू बर्ज़ह ﷺ ने जो बताया वह मैं भूल गया। इशा की नमाज़ में तिहाई रात की ताख़ीर की भी कुछ परवाह न करते। बादे अज़ाँ अबू बर्ज़ह ने कहा, निस्फ़ शब तक। मुआज़ ﷺ कहते हैं कि शुअबह ﷺ ने बयान किया उसके बाद एक बार मैंने (अबू मिन्हाल से) मुलाक़ात की तो उन्होंने कहा, या तिहाई रात तक।

हदीस 512:- अनस बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं, हम रसूलुल्लाह ﷺ के पीछे नमाज़े ज़ुहर पढ़ते तो गर्मी से बचने के लिए अपने कपड़ों पर सज्दा किया करते थे।

बाब 362:- ज़ुहर को अस्र तक मुअख़्ख़र कर देना:

हदीस 513:- इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने मदीना में ज़ुहर और अस्र की आठ और मग़रिब व इशा की सात रकअतें (एक साथ) पढ़ीं, तो अय्यूब ने जाबिर से कहा ऐसा बारिश की रात हुआ होगा। जाबिर बोले शायद (ऐसा हुआ हो)।

बाब 363:- अस्र का वक़्त:

हदीस 514:- सय्यदा आयशा ﷺ फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने नमाज़े अस्र ऐसे वक़्त में पढ़ी कि सूरज आप के हुजरे से निकला नहीं होता था।

हदीस 515:- सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने नमाज़े अस्र ऐसे वक़्त में अदा की कि सूरज आपके हुजरे में होता और साया उनके हुजरे से बुलन्द होता था।

हदीस 516:- सय्यदा आयशा ﷺ फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़े अस्र ऐसे वक़्त में पढ़ते कि सूरज मेरे हुजरे में होता और हुनूज़ साया बुलन्द न हुआ होता था।

हदीस 517:- सय्यार बिन सलामह रिवायत करते हैं, मैं और मेरे वालिद, अबू बरज़ह अस्लमी ﷺ के पास गए, उन से मेरे वालिद ने पूछा, रसूलुल्लाह ﷺ फ़र्ज़ नमाज़ किस तरह पढ़ते थे? कहा हजीर (यानी ज़ुहर) जिसे तुम अव्वल कहते हो उस वक़्त पढ़ते जब सूरज ढल जाता और अस्र पढ़ते कि उसके बाद हम में से कोई अपनी जगह जो मदीना के किनारे पर होती, वापस पहुंच जाता और सूरज की तमाज़त बाक़ी होती थी। (सय्यार कहते हैं) मग़रिब के बारे में मैं भूल गया (कि उन्होंने क्या कहा था) और आपको यह पसन्द था कि इशा जिसे तुम अतमह कहते हो, देर करके पढ़ें और उस से पहले सोने और उसके बाद गुफ़्तगू करने को ना-मुनासिब समझते थे और नमाज़े फ़ज्र से ऐसे वक़्त लौटते कि आदमी अपने पास वाले को पहचान लेता और नमाज़े फ़ज्र में आप साठ से सौ आयात तक की तिलावत फ़रमाते थे।

हदीस 518:- अनस बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं, हम नमाज़े अस्र पढ़ चुके होते, उसके बाद आदमी बनी अम्र बिन औफ़ तक जाता तो उन्हें (अभी) नमाज़े अस्र पढ़ते हुए पाता।

हदीस 519:- अबू उमामह ﷺ रिवायत करते हैं, हम उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ﷺ के हमराह नमाज़े ज़ुहर पढ़ कर निकले और अनस बिन मालिक ﷺ के पास गए तो उन्हें नमाज़े अस्र पढ़ते हुए पाया। मैंने कहा, ऐ अम्मे कौम! यह कौन सी नमाज़ आप ने पढ़ी? कहा अस्र, यही रसूलुल्लाह ﷺ की नमाज़ (का वक़्त) है जो हम आपके साथ पढ़ते थे।

हदीस 520:- अनस बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं, हम नमाज़े अस्र पढ़ चुके थे, फिर हम में से कोई जाने वाला क़ुबा तक जाता और वहां ऐसे वक़्त पहुंच जाता कि सूरज (ख़ासा) बुलन्द होता था।

हदीस 521:- अनस बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़े अस्र ऐसे वक़्त में पढ़ते थे कि सूरज बुलन्द और तेज़ होता था। फिर जाने वाला अवाली तक जाता था वह वहां पहुंच जाता और सूरज (हुनूज़) बुलन्द होता था, अवाली, मदीना से कोई चार मील या उस के लग भग था।

बाब 364:- उस शख़्स का गुनाह जिस की नमाज़े अस्र फ़ौत हो जाए:

हदीस 522:- अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस की नमाज़े अस्र फ़ौत हो जाए, गोया उसके अहल व माल बरबाद हो गए।" अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी) कहते हैं, यतिरकुम यह वतरतुर रजुल से माख़ूज़ है, यानी किसी का आदमी मार डालना या माल छीन लेना।

बाब 365:- उस शख़्स का गुनाह जो नमाज़े अस्र तर्क करदे:

हदीस 523:- अबू मलीह ﷺ रिवायत करते हैं कि हम किसी ग़ज़वे में बुरैदह ﷺ के हमराह थे। उस दिन बादल छाए हुए थे, उन्होंने कहा अस्र की नमाज़ जल्द पढ़ लो क्योंकि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस ने अस्र की नमाज़ छोड़ दी उस का अमल अकारत गया।"

बाब 366:- नमाज़े अस्र की फ़ज़ीलत:

हदीस 524:- जरीर बिन अब्दुल्लाह ﷺ रिवायत करते हैं, हम रसूलुल्लाह ﷺ के हां हाज़िर थे। आपने रात को चाँद की तरफ़ देखा और फ़रमाया: "तुम अपने रब को यूं देखोगे जिस तरह इस चाँद को देख रहे हो, उसके देखने में तुम्हें कोई दिक़्क़त न होगी लिहाज़ा अगर तुम यह कर सकते हो कि सूरज तुलू होने से पहले और सूरज गुरूब होने से पहले की नमाज़ अदा कर लिया करो तो करो।" फिर आपने (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ) (पाकी बयान कर अपने की तारीफ़ के साथ सूरज तुलू होने से पहले और गुरूब होने से पहले) पढ़ी।

हदीस 525:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "(रात दिन में फ़रिश्तों के फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियां बदलती रहती हैं) फ़रिश्ते तुम्हारे पास आगे पीछे आते जाते हैं, रात और दिन के फ़रिश्ते फ़ज्र और अस्र की नमाज़ में इकट्ठे होते हैं। जो फ़रिश्ते तुम्हारे पास रहे थे, (जब) ऊपर जाते हैं तो उनका परवरदिगार पूछता है हालांकि वह ख़ुद अपने बन्दों (के अहवाल) से ज़्यादा वाक़िफ़ है: तुम ने मेरे बन्दों को किस हाल में छोड़ा? वह कहते हैं, हम ने उन्हें नमाज़ पढ़ते हुए छोड़ा और (जब) हम उनके पास गए थे तो (वह उस वक़्त भी) नमाज़ पढ़ रहे थे।"

बाब 367:- जिस ने सूरज डूबने से पहले अस्र की एक रकअत पाई:

हदीस 526:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम में से किसी को नमाज़े अस्र की एक रकअत सूरज डूबने से पहले मिल गई तो वह अपनी नमाज़ पूरी करे और जब नमाज़े फ़ज्र की एक रकअत तुलूए आफ़ताब से पहले मिल गई तो वह बाक़ी नमाज़ पूरी करे।"

फ़ायदा:- जो नमाज़ शुरू कर दी और मालूम हुआ कि सूरज गुरूब हो रहा है या तुलू हो रहा है तो वह नमाज़ पूरी कर ली जाए और उसे दरमियान में तोड़ा न जाए। हां ऐसी नमाज़ वाजिबुल इआदा होती है कि कराहत का वक़्त गुज़रने के बाद उसे दोबारा अदा किया जाए। वल्लाह तआला आलम

हदीस 527:- सालिम बिन अब्दुल्लाह ﷺ अपने वालिद (इब्ने उमर ﷺ) से रिवायत करते हैं,

उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते हुए सुनाः "तुम्हारा दुनिया में रहना पहली उम्मतों के मुक़ाबले में इस तरह है जैसे नमाज़े अस्र से ग़ुरूबे आफ़ताब तक। तौरात वालों को तौरात दी गई और उन्होंने अमल किया यहां तक कि दोपहर हो गई और वह थक गए और उन्हें एक एक क़ीरात (एक सिक्का) दे दिया गया। बादे अज़ां इंन्जील वालों को इंन्जील दी गई, उन्होंने अस्र की नमाज़ तक काम किया फिर वह थक गए, उन्हें (भी) एक एक क़ीरात दिया गया। उसके बाद हमें क़ुरआने (मजीद) दिया गया और हम ने (इस पर) ग़ुरूबे आफ़ताब तक अमल किया तो हमें दो क़ीरात दिए गए। इस पर दोनों अहले किताब ने कहा, ऐ हमारे परवरदिगार! तूने उन्हें दो क़ीरात दिए और हमें एक क़ीरात जबकि हम ने ज़्यादा वक़्त काम किया। अल्लाह तआला ने फ़रमायाः क्या मैंने तुम्हारे मुआवज़े में कुछ कमी की? उन्होंने कहा नहीं, तो फ़रमायाः यह मेरा फ़ज़्ल है जिसे चाहता हूं अता करता हूं।"

हदीस 528:- अबू मूसा (अशअरी) ؓ रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत करते हैं, आपने फ़रमायाः "मुसलमान और यहूद व नसारा की मिसाल इस तरह है जैसे एक शख़्स ने कुछ लोगों को मज़दूरी पर रखा ताकि रात तक उसका काम करें, चुनाँचे उन्होंने दोपहर तक काम किया और कहा हमें तुम्हारी मज़दूरी की कोई ज़रूरत नहीं, लिहाज़ा उसने दूसरे मज़दूर लगाए और कहा बाक़ी दिन पूरा करो और जो कुछ मुआवज़ा मुक़र्रर किया है तुम्हें दूंगा यहां तक कि नमाज़े अस्र का वक़्त हो गया। उन्होंने कहा जो कुछ हम ने किया वह तुम्हारा (हमें छुट्टी दो)। फिर उस ने औरों को मज़दूरी पर लगा दिया तो उन्होंने बाक़ी दिन काम किया यहां तक कि सूरज डूब गया और उन्होंने दोनों फ़रीक़ों के बराबर मुआवज़ा हासिल कर लिया।"

बाब 368:- मग़रिब का वक़्तः

अता कहते हैं, बीमार मग़रिब और इशा की नमाज़ मिला कर पढ़ सकता हैः

हदीस 529:- राफ़ेअ बिन ख़ुदैज ؓ के आज़ाद करदा ग़ुलाम अता बिन सुहैब रिवायत करते हैं कि मैंने राफ़ेअ बिन ख़ुदैज ؓ को कहते सुना कि हम रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह मग़रिब की नमाज़ पढ़ते थे तो हम में से हर एक ऐसे वक़्त लौट जाता कि वह अपने तीर के हदफ़ के मक़ामात देख सकता था।

हदीस 530:- मुहम्मद बिन अम्र बिन हसन बिन अली ؓ रिवायत करते हैं कि हज्जाज नमाज़ में बहुत ताख़ीर कर देता था। हमने जाबिर बिन अब्दुल्लाह ؓ से पूछा, उन्होंने बताया रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़े ज़ुहर दोपहर को पढ़ते थे और अस्र की उस वक़्त कि सूरज निखरा होता था और मग़रिब, जब सूरज ग़ुरूब हो जाता और इशा कभी किसी वक़्त और कभी किसी वक़्त, जब देखते कि लोग इकट्ठे हो गए तो जल्द पढ़ लेते और जब देखते कि लोगों ने देर करदी तो देर से पढ़ते, और नमाज़े फ़ज्र वह लोग या यह कहा कि रसूलुल्लाह ﷺ अंधेरे में पढ़ते थे।

हदीस 531:- सलमह (बिन अकवअ) ؓ रिवायत करते हैं, सूरज के ग़ुरूब होते ही हम रसूलुल्लाह ﷺ के साथ नमाज़े मग़रिब पढ़ लिया करते थे।

हदीस 532:- इब्ने अब्बास ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने (मग़रिब और इशा की) सात रकअतें और (ज़ुहर व अस्र की) आठ रकअतें मिला कर पढ़ीं।

बाब 369:- जो शख़्स मग़रिब को इशा कहना मकरूह जानेः

हदीस 533:- अब्दुल्लाह मुज़नी رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "कहीं बद्दू तुम पर मग़रिब की नमाज़ के नाम के ज़िम्न में ग़ालिब न आजाएं वह उसे (मग़रिब को) इशा कहते हैं।"

बाब 370:- इशा और अतमह का ज़िक्र:

जिस ने दोनों कहना जाइज़ ख़्याल किया है। अबू हुरैरह رضي الله عنه ने रसूलुल्लाह ﷺ से नक़्ल किया है, मुनाफ़िक़ीन पर इशा और फ़ज्र की नमाज़ भारी है और फ़रमाया: "काश वह जान लें कि अतमह और फ़ज्र में क्या कुछ है।" अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी) कहते हैं, मुनासिब है कि (अतमह के बजाए) इशा कहे, क्योंकि इरशादे ख़ुदावन्दी है "مِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ" "नमाज़े इशा के बाद।" अबू मूसा رضي الله عنه से मरवी है, हम रसूलुल्लाह ﷺ के पास इशा की नमाज़ में बारी बारी जाते थे, (एक बार) आपने उसे अतमह (देर में) पढ़ा। इब्ने अब्बास رضي الله عنهما और सय्यदा आयशा رضي الله عنها कहती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने इशा की नमाज़ अतमह (देर) से पढ़ी। बाज़ ने हज़रत आयशा رضي الله عنها से रिवायत की कि नबी करीम ﷺ ने अतमा में देर की और हज़रत जाबिर رضي الله عنه ने फ़रमाया कि नबी करीम ﷺ नमाज़े इशा पढ़ा करते। अबू बरज़ह رضي الله عنه का कहना है, रसूलुल्लाह ﷺ इशा में ताख़ीर करते थे। अनस رضي الله عنه कहते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने पिछली इशा ताख़ीर से पढ़ी। इब्ने उमर, अबू अय्यूब और इब्ने अब्बास رضي الله عنهم ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ﷺ ने मग़रिब और इशा की नमाज़ पढ़ी।

हदीस 534:- अब्दुल्लाह (बिन उमर) رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, एक रात रसूलुल्लाह ﷺ ने हमें इशा की नमाज़ पढ़ाई और यह वही है जिसे लोग अतमह कहते हैं। नमाज़ पढ़ कर आप हमारी जानिब मुतवज्जह हुए और फ़रमाया: "मैं तुम्हें तुम्हारी इस रात की ख़बर दूं, इसकी सदी के शुरू होने पर जो लोग ज़मीन पर हैं, उन में से कोई बाक़ी न रहेगा।"

बाब 371:- इशा का वक़्त लोगों के जमा होने पर है, अगर देर से जमा हों तो देर से पढ़ें:

हदीस 535:- मुहम्मद बिन अम्र बिन हसन बिन अली बिन अबी तालिब رضي الله عنه रिवायत करते हैं, हम ने जाबिर رضي الله عنهما से रसूलुल्लाह ﷺ की नमाज़ की कैफ़ियत दरयाफ़्त की। कहा नमाज़े ज़ुहर दोपहर को पढ़ते थे, अस्र उस वक़्त कि सूरज निखरा होता था, मग़रिब जब सूरज ग़ुरूब हो जाता और नमाज़े इशा जब आदमी इकट्ठे हो जाते तो जल्द पढ़ लेते और जब कम होते तो देर से पढ़ते और नमाज़े फ़ज्र अंधेरे में (पढ़ते)।

बाब 372:- नमाज़े इशा की फ़ज़ीलत:

हदीस 536:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, एक रात इशा की नमाज़ में रसूलुल्लाह ﷺ ने देर कर दी, यह इस्लाम की (वसीअ पैमाने पर) नश्रो इशाअत से पहले का वाक़िया है, चुनान्चे उस वक़्त बरआमद हुए जिस वक़्त उमर رضي الله عنه ने आकर कहा, औरतें और बच्चे सो चुके। आप बाहर तशरीफ़ लाए और फ़रमाया: "अहले ज़मीन में तुम्हारे अलावा कोई इस नमाज़ का मुंतज़िर नहीं।"

हदीस 537:- अबू मूसा (अशअरी) رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मैं और मेरे साथी जो कश्ती में मेरे हमराह आए थे, बक़ीअ बुतहान में इक़ामत पज़ीर थे, और रसूलुल्लाह ﷺ मदीना में थे। तो उन में से बारी बारी एक एक आदमी नमाज़े इशा के वक़्त रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर होता। (एक दिन) हम सब मैं और मेरे साथी रसूलुल्लाह ﷺ के पास गए, आप किसी काम में ऐसे मसरूफ़

थे कि नमाज़े इशा में ताख़ीर कर दी, यहां तक कि आधी रात हो गई। उसके बाद रसूलुल्लाह ﷺ तशरीफ़ लाए और लोगों को नमाज़ पढ़ाई। जब नमाज़ पढ़ा चुके तो जो लोग वहां हाज़िर थे, उनसे फ़रमायः "ठहरो, ख़ुश हो जाओ, क्योंकि तुम पर अल्लाह का (ख़ास) एहसान है कि तुम्हारे अलावा कोई इस वक़्त नमाज़ नहीं पढ़ता।" या यह फ़रमायाः "इस वक़्त तुम्हारे अलावा किसी ने नहीं पढ़ी।" ने मालूम आप ने (उन दो जुम्लों में से) क्या फ़रमाया। अबू मूसा رضي الله عنه कहते हैं, हम वापस लौटे और रसूलुल्लाह ﷺ की इस बात से जो हमें कही थी बेहद ख़ुश हुए।

बाब 373:– इशा से पहले सोना मकरूह है:

हदीस 538:– अबू बरज़ह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ इशा से पहले सोना और इशा के बाद गुफ़्तगू करना नापसन्द फ़रमाते थे।

बाब 374:– नींद के सख़्त ग़लबा की सूरत में इशा से पहले सोना:

हदीस 539:– सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने इशा की नमाज़ में (ग़ैर मामूली) ताख़ीर कर दी, हत्ता कि हज़रत उमर رضي الله عنه ने आवाज़ दी, नमाज़ (तय्यार है) औरतें और बच्चे सो गए हैं, तब आप बरआमद हुए और फ़रमायाः "अहले ज़मीन में से कोई तुम्हारे अलावा नमाज़ का मुन्तज़िर नहीं।" (अबू बरज़ह رضي الله عنه) कहते हैं, उस वक़्त मदीना के अलावा कहीं नमाज़ नहीं पढ़ी जाती थी। उनका कहना है, सहाबा (नामज़े इशा) शफ़क़ के ग़ायब हो जाने के बाद रात की पहली तिहाई तक पढ़ लेते थे।

हदीस 540:– अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, एक रात रसूलुल्लाह ﷺ को एक काम पड़ गया, बिन बरीं आप को नमाज़े इशा में (ग़ैर मामूली) ताख़ीर हो गई, हत्ता कि हम मस्जिद में सो रहे, फिर जागे और फिर सो रहे। बादे अज़ां रसूलुल्लाह ﷺ तशरीफ़ लाए और फ़रमायाः "अहले ज़मीन में से इस वक़्त तुम्हारे अलावा कोई नमाज़ का मुन्तज़िर नहीं।" और इब्ने उमर رضي الله عنهما नमाज़े इशा में देर सवेर की परवाह नहीं करते थे, जब तक कि नींद के ग़लबा से नमाज़ फ़ौत हो जाने का अन्देशा न होता तो वह नमाज़ से पहले सो लिया करते थे। इब्ने जुरैज कहते हैं, मैंने अता से यह हदीस बयान की तो उन्होंने कहा, मैंने इब्ने अब्बास رضي الله عنهما से सुना कि रसूलुल्लाह ﷺ ने एक रात इशा की नमाज़ में इस हद तक देर कर दी कि लोग सो रहे, फिर जागे और फिर सो रहे, और फिर जागे, तो उमर बिन ख़त्ताब رضي الله عنه खड़े हो गए और उन्होंने कहा, नमाज़ (तय्यार है)। अता के मुताबिक़ इब्ने अब्बास رضي الله عنهما कहते हैं, फिर रसूलुल्लाह ﷺ बाहर तशरीफ़ लाए, गोया कि मैं उस वक़्त आप की तरफ़ देख रहा हूं कि आपके सर से पानी टपक रहा है और अपना हाथ सर पर रखे हुए हैं। आपने फ़रमायाः "अगर मैं अपनी उम्मत पर बोझ न समझता तो मैं हुक्म देता कि नमाज़े इशा इसी तरह (यानी इस वक़्त) पढ़ा करें।" (इब्ने जुरैज कहते हैं) मैंने अता से पूछा, आपने अपने सर पर कैसे हाथ रखा हुआ था? जैसा कि इब्ने अब्बास رضي الله عنهما ने उन्हें बताया तो अता ने अपनी उंगलियों के दरमियान कुछ तफ़रीक़ कर दी, उसके बाद उंगलियों के पोरे सर के एक तरफ़ रख दिए, फिर उनको मिला कर इस तरह सर पर खींच लाए, यहां तक कि उनका अंगूठा उनके कान की लौ से जो चेहरे के नज़्दीक है दाढ़ी का किनारा मिल गया, आप जब पानी बालों से निचोड़ते और जल्दी करना चाहते तो इसी तरह किया करते। आप ने फ़रमायाः "अगर मेरी उम्मत पर बोझ न पड़ता तो उन्हें हुक्म देता कि वह नमाज़ इसी तरह

(यानी देर से) पढ़ा करें।"

बाब 375:- इशा का वक़्त निस्फ़ शब तब है:

अबू बरज़ह رضي الله عنه कहते हैं रसूलुल्लाह ﷺ (इशा की नमाज़ में) ताख़ीर बेहतर समझते थे:

हदीस 541:- अनस رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने नमाज़े इशा में निस्फ़ शब तक ताख़ीर कर दी, उसके बाद नमाज़ पढ़ी और फ़रमायाः "लोग तो नमाज़ पढ़ कर सो रहे और तुम नमाज़ ही में रहे जब तक उसके इन्तिज़ार में रहे।" इब्ने मरयम ने उसमें यह इज़ाफ़ा किया कि हमें यहया बिन अय्यूब ने कहा और उन्हें हुमैद ने बताया और उन्होंने अनस رضي الله عنه से सुना कि गोया मैं उस रात में आपकी अंगूठी की चमक देख रहा हूं।

बाब 376:- नमाज़े फ़ज्र की फ़ज़ीलतः

हदीस 542:- जरीर बिन अब्दुल्लाह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, हम रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर थे, आपने चौदहवीं की रात चाँद की तरफ़ नज़र उठाई और फ़रमायाः "अनक़रीब तुम लोग अपने परवरदिगार को बग़ैर किसी दिक़्क़त के देखोगे जिस तरह चाँद को देख रहे हो लिहाज़ा अगर तुम से यह हो सके कि तुम तुलूए आफ़ताब और ग़ुरूबे आफ़ताब से क़ब्ल की नमाज़ में (शैतान से) मग़लूब न हो तो ऐसा ज़रूर करो।" फिर आपने फ़रमायाः فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا "पस पाकी बयान करो अपने रब की तारीफ़ के साथ सूरज तुलू होने से पहले और उसके ग़ुरूब होने के बाद।" इमाम बुख़ारी कहते हैं, इब्ने शहाब ने इस्माईल के हवाले से और उन्हों ने क़ैस और उन्होंने जरीर رضي الله عنه से इतना इज़ाफ़ा किया कि "अनक़रीब तुम अपने रब को एलानिया देखोगे।"

हदीस 543:- अबू बकर बिन अबू मूसा رضي الله عنه (अशअरी) अपने वालिद से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "जो शख़्स दो ठन्डी नमाज़ें (फ़ज्र और अस्र) पढ़े, वह बहिश्त में जाएगा।"

हदीस 544:- अबू बकर बिन अब्दुल्लाह رضي الله عنه ने अपने वालिद से और उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ से इस हदीस को बयान किया।

बाब 377:- नमाज़े फ़ज्र का वक़्तः

हदीस 545:- अनस رضي الله عنه रिवायत करते हैं कि ज़ैद बिन साबित رضي الله عنه ने मुझे बताया, सहाबा رضي الله عنهم ने रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह सेहरी खाई, फिर (सुबह की) नमाज़ के लिए खड़े हुए। मैंने पूछा, उन दोनों में कितना वक़्फ़ा था? कहा, अन्दाज़न पचास साठ आयात (की तिलावत) का।

हदीस 546:- अनस رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ और ज़ैद निब साबित رضي الله عنه दोनों ने सेहरी खाई, जब सेहरी से फ़ारिग़ हुए तो रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़ के लिए खड़े हो गए और नमाज़ पढ़ी। हम ने अनस رضي الله عنه से पूछा, सेहरी से फ़राग़त और नमाज़ में कितना वक़्फ़ा था? कहा, बस इतना कि आदमी पचास आयतें पढ़ ले।

हदीस 547:- सहल बिन सअद رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मैं अपने घर वालों के हमराह सेहरी करता था और मुझे इस बात की जल्दी होती थी कि किसी तरह मैं नमाज़े फ़ज्र रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह पढ़ूं।

हदीस 548:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها फ़रमाती हैं, कि हम मुसलमान ख़्वातीन रसूलुल्लाह ﷺ के

हमराह फ़ज्र की नमाज़ के लिए अपनी चादरों में लिपट कर हाज़िर होती थीं। जब नमाज़ से फ़ारिग़ होतीं और अपने घरों को लौट कर जातीं तो कोई शख़्स (अंन्धेरे के सबब) उन्हें पहचान न सकता था।

फ़ायदाः- हज़रत उमर ने सहाबए किराम के मशवरे से औरतों का मर्दों के साथ मस्जिद में बा-जमाअत नमाज़ पढ़ना बन्द किया था वरना नबी करीम के अहदे मुबारक में औरतें भी मस्जिद में आप के पीछे मर्दों के पीछे खड़ी होकर बा-जमाअत नमाज़ पढ़ा करती थीं। इससे मालूम हुआ कि बाज़ अहकाम हालते ज़माना के साथ तब्दील भी हो जाते हैं।

इस हदीस से यह भी मालूम हो रहा है कि उस वक़्त नमाज़े फ़ज्र अंधेरे में पढ़ी जाती थी। यही वजह है कि इमाम मालिक और इमाम शाफ़ई के नज़्दीक फ़ज्र की नमाज़ को अंधेरे में पढ़ना अफ़ज़ल है जबकि बाज़ दीगर अहादीस व आसार के पेशे नज़र इमामे आज़म अबू हनीफ़ा के नज़्दीक फ़ज्र की नमाज़ को उजाले में पढ़ना अफ़ज़ल है यानी उजाले में पढ़ने का सवाब ज़्यादा है। मालूम होना चाहिये कि अइम्मए मुज्तहिदीन का यह इख़्तिलाफ़ सिर्फ़ इसकी अफ़ज़लियत में है।

वाज़ेह हो कि जिन अहादीस के अन्दर अंधेरे में नमाज़े फ़ज्र पढ़ना वारिद हुआ है वह फ़ेअली हैं जबकि इस अम्र की क़ौली हदीस एक भी नहीं है जिस में रसूलुल्लाह ने हुक्म फ़रमाया हो कि नमाज़े फ़ज्र अंधेरे में पढ़ा करो या यह फ़रमाया हो कि अंधेरे में नमाज़े फ़ज्र अदा करने का सवाब ज़्यादा है। हां मुताद्दिद सहीह, मरफ़ूअ और मुत्तसिल हदीसें ऐसी मौजूद हैं जिन में नबी करीम ने हुक्म फ़रमाया है कि नमाज़े फ़ज्र को उजाले में पढ़ा करो क्योंकि इस में सवाब ज़्यादा है। सहाबए किराम का भी इसी पर इत्तिफ़ाक़ हो गया था कि नमाज़े फ़ज्र उजाले में पढ़ी जाए। वल्लाहु तआला आलम।

बाब 378:- जो फ़ज्र की एक रकअत पाएः

हदीस 549:- अबू हुरैरह रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने फ़रमायाः "जो शख़्स सूरज निकलने से पहले सुबह की एक रकअत पा ले तो उसे सुबह की नमाज़ मिल गई और जो कोई सूरज ग़ुरूब होने से पहले अस्र की एक रकअत पा ले तो उसे अस्र की नमाज़ मिल गई।"

बाब 379:- जिसे नमाज़ की एक रकअत मिलेः

हदीस 550:- अबू हुरैरह रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने फ़रमायाः "जो शख़्स नमाज़ की एक रकअत पा ले उस ने (पूरी) नमाज़ पा ली।"

बाब 380:- सुबह के बाद सूरज बुलन्द होने तक नमाज़ पढ़नाः

हदीस 551:- इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं, मेरे पसंदीदा तरीन लोगों में सबसे ज़्यादा उमर थे। उन्होंने यह बयान किया कि रसूलुल्लाह ने सुबह के बाद सूरज निकलने से पहले और अस्र के बाद सूरज ग़ुरूब होने से पहले नमाज़ पढ़ने से मना फ़रमाया।

हदीस 552:- इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं, मुझ से कई आदमियों ने इस हदीस को बयान किया।

हदीस 553:- इब्ने उमर रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने फ़रमायाः "तुम सूरज निकलते और डूबते वक़्त नमाज़ न पढ़ो।" (उर्वह कहते हैं) मुझ से इब्ने उमर ने कहा कि रसूलुल्लाह ने फ़रमाया कि: "जब सूरज का किनारा निकल आए तो सूरज बुलन्द होने तक नमाज़ न पढ़ो, और जब सूरज का किनारा डूब जाए तो जब तक पूरा न डूबे नमाज़ न पढ़ो।"

हदीस 554:- अबू हुरैरह रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने दो क़िस्म की तिजारत, दो तरह के लिबास और दो वक़्तों की नमाज़ से मना फ़रमाया। जब तक सूरज न निकले सुबह के बाद नमाज़ पढ़ने से मना फ़रमाया और अस्र के बाद जब तक सूरज गुरूब न हो जाए, और इश्तिमाल समा और एहतिबा से जो कि पूरी तरह शर्मगाह के लिए पर्दा नहीं और मनाबज़ह और मुलामसह से (तिजारत की अक़्साम)।

बाब 381:- गुरूबे आफ़ताब से पहले नमाज़ का क़सद न करें:

हदीस 555:- इब्ने उमर रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने फ़रमाया: "तुम में से कोई भी तुलूअ और गुरूबे आफ़ताब के वक़्त नमाज़ पढ़ने का इरादा न करे।"

हदीस 556:- अबू सईद ख़ुदरी रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह को यह फ़रमाते सुना कि: "सुबह की नमाज़ के बाद कोई नमाज़ नहीं जब तक कि सूरज बुलन्द न हो जाए और न नमाज़े अस्र के बाद कोई नमाज़ है जब तक कि सूरज डूब न जाए।"

हदीस 557:- मुआवियह रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा: तुम ऐसी नमाज़ पढ़ते हो कि हम रसूलुल्लाह की सोहबत में रहे, उसके बावुजूद आप को यह नमाज़ पढ़ते नहीं देखा और यक़ीनन आप ने उस से मना फ़रमाया यानी अस्र के बाद दो रकअतें।

हदीस 558:- अबू हुरैरह रिवायत करते है कि रसूलुल्लाह ने दो नमाज़ों से मना फ़रमाया: "फ़ज्र के बाद सूरज निकलने तक और अस्र के बाद सूरज गुरूब होने तक।"

बाब 382:- जिस ने सिर्फ अस्र और फ़ज्र के बाद नमाज़ पढ़ना मकरूह जाना, इसे उमर, इब्ने उमर, अबू सईद और अबू हुरैरह ने रिवायत किया:

हदीस 559:- इब्ने उमर रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहा, जैसे मैंने अपने साथियों को नमाज़ पढ़ते देखा उसी तरह मैं पढ़ता हूं। मैं किसी को नहीं रोकता, रात और दिन में जितनी चाहे नमाज़ पढ़े, हां तुलूए आफ़ताब और गुरूबे आफ़ताब के वक़्त (नमाज़ का) क़सद न करें।

फ़ायदा:- इस हदीस और हदीस 555 से साबित हो रहा है कि आफ़ताब तुलू या गुरूब होते वक़्त नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिये। अगर किसी ने भूल कर यानी बेख़बरी में ऐसे वक़्त में नमाज़ पढ़ ली तो वह वाजिबुल इआदा है, वह ज़रूर दोबारा पढ़ी जाए। जिन हदीसों में है कि जिस ने सूरज तुलू होने से पहले एक रकअत पढ़ ली उस ने नमाज़े फ़ज्र पा ली और जिस ने सूरज गुरूब होने से पहले एक रकअत पढ़ ली उस ने नमाज़े अस्र को पा लिया। वाज़ेह रहे कि इससे सिर्फ़ फ़र्ज़ियत का अदा होना मुराद है वरना ऐसे वक़्त पर पढ़ी हुई नमाज़ वाजिबुल इआदा होती है यानी दोबारा पढ़नी चाहिये। यही मज़हब इमामे आज़म अबू हनीफ़ का है जो इस मज़मून की जुम्ला अहादीस के पेशे नज़र बेहतरीन इज्तिहादी फ़ैसला है। वल्लाहु तआला आलम।

बाब 383:- अस्र के बाद क़ज़ा और इसी तरह की नमाज़ें पढ़ना: कुरैब ने उम्मे सलमह से नक़्ल किया है, रसूलुल्लाह ने अस्र के बाद दो रकअतें पढ़ीं और फ़रमाया: मुझे अब्दुल क़ैस के लोगों ने ज़ुहर के बाद दो रकअतें न पढ़ने दीं:

हदीस 560:- ऐमन ने सय्यदा आयशा को फ़रमाते हुए सुना, उसकी क़सम जिस ने रसूलुल्लाह को उठा लिया, आपने अपनी वफ़ात के वक़्त तक अस्र के बाद दो रकअतें कभी तर्क

नहीं कीं। और जब आप अल्लाह से मिले हैं उस वक़्त (ज़ुअफ़े उम्र के बाइस) आप नमाज़ से थक जाते थे और आप अपनी अकसर नमाज़ें बैठ कर पढ़ते और रसूलुल्लाह ﷺ उन दोनों को यानी अस्र के बाद दो रकअतें पढ़ा करते थे लेकिन मस्जिद में नहीं पढ़ते थे, इस ख़दशे के पेशे नज़र कि आप की उम्मत पर गिरां गुज़रे, क्योंकि आपको वहीं पसन्द था जो आप की उम्मत पर आसान हो।

हदीस 561:- उर्वह رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا ने फ़रमाया, ऐ मेरे भांजे! रसूलुल्लाह ﷺ ने अस्र के बाद दो रकअतें कभी तर्क नहीं कीं।

हदीस 562:- सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने दो रकअतों को ख़लवत और जलवत में कभी तर्क न फ़रमाया, दो रकअतें फ़ज्र की नमाज़ से पहले और दो रकअतें अस्र की नमाज़ के बाद।

हदीस 563:- अबू इस्हाक़ रिवायत करते हैं कि मैंने असवद और मसरूक़ رضی اللہ عنہما को सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا के इस क़ौल की गवाही देते हुए देखा कि रसूलुल्लाह ﷺ जब किसी दिन मेरे पास आते थे तो ज़रूर दो रकअतें पढ़ते थे।

फ़ायदा:- इस बाब की चारों हदीसों से वाज़ेह हो रहा है कि नबी करीम ﷺ अस्र के बाद दो रकअतें ज़रूर पढ़ा करते थे। इसी के पेशे नज़र उलमा की एक जमाअत ने अस्र के बाद नवाफ़िल पढ़ने को जाइज़ क़रार दिया है जबकि अहनाफ़ के नज़्दीक नमाज़े फ़ज्र और नमाज़े अस्र पढ़ लेने के बाद नवाफ़िल पढ़ना जाइज़ नहीं। हां नमाज़े अस्र के बाद क़ज़ा नमाज़ या नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जा सकती है। मुम्किन है कि इमाम बुख़ारी رحمہ اللہ भी अस्र के बाद दो रकअतें पढ़ना ज़रूरी समझते हों और मुम्किन है कि यह चारों हदीसें उन्होंने इसी ग़र्ज़ से पेश की हों।

मालूम होना चाहिये कि मज़्कूरा चारों हज़रत आयशा सिद्दीक़ा رضی اللہ عنہا के इरशादा हैं। इनकी बेहतरीन शरह इनका वह इरशादे गिरामी है जिस को अबू दाऊद शरीफ़ में इनके आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत ज़कवान رضی اللہ عنہ के हवाले से पेश किया गया है कि रहमते दो आलम ﷺ ख़ुद तो अस्र के बाद दो रकअतें पढ़ते लेकिन दूसरों को मना फ़रमाते थे और ख़ुद तो विसाल के रोज़े रखते लेकिन दूसरों को मना फ़रमाते। लिहाज़ा अस्र के बाद दो रकअतें पढ़ने को रसूलुल्लाह ﷺ के ख़साइस में शुमार करना चाहिये। वल्लाहु तआला आलम।

बाब 384:- अब्र आलूद दिन में नमाज़ में जल्दी करना:

हदीस 564:- अबुल मलीह रिवायत करते हैं, हम बुरैदह رضی اللہ عنہ के हमराह थे। वह अब्र आलूद दिन था, बोले जल्दी नमाज़ पढ़ लो, क्योंकि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस ने नमाज़े अस्र छोड़ दी, उसके आमाल अकारत हो गए।"

बाब 385:- वक़्त गुज़र जाने के बाद अज़ान कहना:

हदीस 565:- अबू क़तादह رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, हम ने रसूलुल्लाह ﷺ के साथ इस रात सफ़र किया। बाज़ लोगों ने कहा काश! आप हम सब लोगों के साथ आराम फ़रमाते। आपने फ़रमाया: "मुझे ख़दशा है, तुम नमाज़ से (ग़ाफ़िल होकर) सो न जाओ।" बिलाल رضی اللہ عنہ ने कहा: मैं तुम सबको जगा दूंगा, लिहाज़ा सब लोग लेट गए और बिलाल رضی اللہ عنہ अपनी पीठ ऊँट से टेक कर बैठ गए, मगर उन पर भी नींद ने ग़लबा कर लिया और सो गए। रसूलुल्लाह ﷺ उस वक़्त बेदार हुए, जब सूरज का

किनारा निकल आया था और फ़रमायाः "बिलाल तुम ने कहा था।" अर्ज़ किया मुझे ऐसी नींद कभी नहीं आई। आपने फ़रमायाः "अल्लाह तआला ने तुम्हारी रूहें जब चाहीं क़ब्ज़ कर लीं और जब चाहीं लौटा दीं। बिलाल! उठो और नमाज़ के लिए अज़ान कहो।" फिर आपने वुज़ू फ़रमाया, जब सूरज बुलन्द हुआ और चकमा तो आप खड़े हुए और नमाज़ पढ़ी।

बाब 386:- वक़्त गुज़रने के बाद लोगों को बा-जमाअत नमाज़ पढ़ानाः

हदीस 566:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ﷺ रिवायत करते हैं, (ग़ज़वए) खन्दक़ में आफ़ताब ग़ुरूब होने के बाद हज़रत उमर ﷺ ने क़ुरैश को कोस्ते हुए कहा, या रसूलल्लाह! मैंने अस्र की नमाज़ अभी तक नहीं पढ़ी। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "वल्लाह! मैंने भी अस्र की नहीं पढ़ी।" फिर हम सब (मक़ामे) बुतहान में ठहर गए, आप और हम ने नमाज़ के लिए वुज़ू किया, फिर सूरज डूबने के बाद पहले अस्र की नमाज़ पढ़ी, फिर मग़रिब की नमाज़ पढ़ी।

बाब 387:- जो शख़्स नमाज़ भूल जाए तो जब याद आए पढ़ ले और फ़क़त वही नमाज़ पढ़ेः इब्राहीम नख़ई ﷺ कहते हैं, जो शख़्स एक नमाज़ छोड़ दे और बीस बरस तक (उसे अदा न कर पाए) तो सिर्फ़ उसी नमाज़ का 'इआदा करे।

हदीस 567:- अनस बिन मालिक ﷺ रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत करते हैं, आपने फ़रमायाः "जो शख़्स कोई नमाज़ भूल जाए तो उसे चाहिए जब याद आए पढ़ ले, यही उसका कफ़्फ़ारा है। (इरशादे खुदावन्दी है) मेरी याद के लिए नमाज़ क़ायम करो।"

बाब 388:- क़ज़ा नमाज़ों को तरतीब के साथ पढ़नाः

हदीस 568:- जाबिर ﷺ रिवायत करते हैं, उमर ﷺ (ग़ज़वए) ख़न्दक़ के दिन कुफ़्फ़ारे क़ुरैश को कोसने लगे और कहा, मैं सूरज डूबने तक अस्र की नमाज़ न पढ़ सका। जाबिर ﷺ कहते हैं, फिर हम लोग बुतहान गए, तब आप ने सूरज ग़ुरूब होने के बाद नमाज़े अस्र पढ़ी और बाद में नमाज़े मग़रिब पढ़ी।

बाब 389:- नमाज़े इशा के बाद गुफ़्तगू मकरूह हैः सामिर, समर से माख़ूज़ है और इसकी जमा सुम्मारु है और सामिर यहां जमा के मानों में है।

हदीस 569:- अबू मिन्हाल रिवायत करते हैं, मैं अपने वालिद के हमराह अबू बरज़ह अस्लमी ﷺ के पास गया। उन से मेरे वालिद ने कहा, हमें रसूलुल्लाह ﷺ की नमाज़ के बारे में बताइए। वह बोले "हजीर" जिसे तुम पहली नमाज़ कहते हो सूरज के ज़वाल के साथ ही पढ़ लेते थे और अस्र की नमाज़ (ऐसे वक़्त) पढ़ते जब हम में से कोई शख़्स आपके हमराह नमाज़ पढ़ कर मदीना के आख़िरी हिस्से में अपने घर को जाता तो आफ़ताब (अभी तक) चमक रहा होता था। (अबू मिन्हाल कहते हैं) मुझे याद नहीं रहा कि मग़रिब के बारे में उन्होंने क्या कहा? अबू बरज़ह ﷺ कहते हैं आप इशा की नमाज़ ताख़ीर से अदा करना महबूब रखते थे और कहा इशा से पहले सोना और इशा के बाद गुफ़्तगू करना मकरूह ख़्याल फ़रमाते थे और सुबह की नमाज़ से फ़ारिग़ होकर आप ऐसे वक़्त लौटते कि हम में से हर एक अपने पास वाले को पहचान लेता और उस में आप साठ से सौ आयात तिलावत फ़रमाते थे।

बाब 390:- इशा के बाद दीनी मसाइल और नेकी की बातें करनाः

हदीस 570:- कुर्रह बिन ख़ालिद रिवायत करते हैं, हम हसन (बसरी) ﷺ का इन्तिज़ार कर रहे

थे, उन्होंने इस क़दर देर कर दी कि उनके (मस्जिद से) उठ जाने का वक़्त हो गया, तब वह आए और कहने लगे मुझे मेरे हमसायों ने बुलाया था, इस वजह से देर हो गई। फिर उन्होंने बयान किया कि अनस बिन मालिक ﷺ ने मुझे बताया, हम ने एक रात रसूलुल्लाह ﷺ का इन्तिज़ार किया हत्ता कि आधी रात हो गई तब आप आए और हमें नमाज़ पढ़ाई, बादे अज़ां आपने हमारी तरफ़ मुतवज्जह होकर फ़रमाया: "देखो लोग नमाज़ पढ़ कर सो चुके और तुम बराबर नामज़ में रहे जब तक कि तुम नमाज़ के इन्तिज़ार में रहे।" हसन ﷺ कहते हैं कि जब तक लोग नेकी के इन्तिज़ार में रहते हैं, वह (बजाए खुद) नेकी में रहतें हैं। कुर्रह का कहना है कि हसन बसरी ﷺ का यह क़ौल अनस ﷺ की हदीस में दाख़िल है।

हदीस 571:- अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने अपनी ज़िन्दगी के आख़िरी दौर में नमाज़े इशा पढ़ी, जब सलाम फेरा तो रसूलुल्लाह ﷺ खड़े हो गए और फ़रमाया: "तुम अपनी इस रात की बारे में सुनो, जो शख़्स आज इस ज़मीन पर जिन्दा है, एक सदी के बाद कोई इन में से बाक़ी न रहेगा।" इब्ने उमर ﷺ कहते हैं, लोगों ने रसूलुल्लाह ﷺ के इस इरशाद (को समझने) में गलती की, और सौ बरस की (तशरीह में) दूसरी बातों की तरफ़ ख़्याल दौड़ाना शुरू कर दिया, हालांकि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया था कि जो आज ज़मीन के ऊपर हैं, उन में से कोई बाक़ी न रहेगा उस से मुराद यह थी कि यह क़रन (यानी ज़माना) गुज़र जाएगा।

बाब 391:- अहले ख़ाना और मेहमानों के साथ इशा के बाद गुफ़्तगू करना:

हदीस 572:- अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ﷺ रिवायत करते हैं, अस्हाबे सुफ़्फ़ह दुरवेश लोग थे। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया हुआ था कि: "जिसके पास दो का खाना हो तो तीसरा उन में से ले जाए, अगर चार का हो तो पाँचवां या छटा (उन में से ले जाए)।" अबू बकर ﷺ तीन आदमी ले गए, और (खुद) रसूलुल्लाह ﷺ दस आदमी ले गए। (अब्दुर्रहमान ﷺ) कहते हैं, मैं, मेरे वालिद और मेरी वालिदा थीं। (अबू उसमान) कहते हैं, मुझे मालूम नहीं उन्होंने अपनी बीवी और ख़ादिम का ज़िक्र किया था या नहीं, जो हमारे और अबू बकर ﷺ के घर मुश्तरक था। अबू बकर ﷺ ने रसूलुल्लाह ﷺ के साथ शाम का खाना खाया और वहीं इशा की नमाज़ अदा की। उसके बाद भी वहीं ठहरे हत्ता कि रसूलुल्लाह ﷺ ने आराम भी फ़रमा लिया। बादे अज़ां (अपने घर) आए, उन से उनकी ज़ौजा ने कहा, तुम्हें तुम्हारे मेहमानों से किसने रोका? या मेहमान से किसने रोका? बोले, क्या (अभी तक) तुम ने उन्हें खाना नहीं खिलाया? बोलीं, आपके आए बग़ैर उन्होंने खाना खाने से इन्कार कर दिया, खाना रखा गया था लेकिन नहीं माने। (अब्दुर्रहमान ﷺ) कहते हैं, मैं तो चला गया। अबू बकर ﷺ ने गुस्से में कहा, ओ अहमक़, शरीर! मुझे बहुत सख़्त सुस्त कहा और कहा, खाओ तुम्हें गवारा न हो, अज़ां बाद कहा, क़सम बखुदा मैं हरगिज़ न खाऊंगा। कहते हैं, हम जब लुक़्मा उठाते तो नीचे से और बढ़ जाता। कहते हैं, मेहमान सब के सब सैर हो गए और खाना जितना था उस से (भी) ज़्यादा रह गया, तो अबू बकर ﷺ ने उसकी तरफ़ देखा, वह उतना ही था जितना पहले था या उस से भी ज़्यादा। अपनी ज़ौजह से कहा, बनी फ़राश की बहन! क्या क़िस्सा है? (बोलीं) आंखों की ठंन्डक की क़सम! यह तो पहले की निस्बत तिगना है। तब अबू बकर ﷺ ने भी उस में से कुछ खाया और कहने लगे, मैंने जो क़सम खा ली थी वह शैतान का बहकावा था। फिर उस में से एक लुक़्मा खा लिया और उसे उठा कर रसूलुल्लाह

ﷺ के पास ले गए, वह सुबह तक वहीं रखा रहा। (अब्दुर्रहमान رضي الله عنه) कहते हैं, हमारे और एक (काफ़िर) क़ौम के दरमियान मुआहिदा था, उसकी मीआद गुज़र चुकी थी तो हम ने बारह आदमी अलाहिदा कर दिए। उन में से हर एक के साथ कुछ और आदमी थे, वल्लाहु आलम! हर एक के साथ कितने आदमी थे, ग़र्ज़ उस से सब ने खाया, (या जिस तरह बयान किया गया)।

अज़ान का बयान

बाब 392:- अज़ान की इब्तिदाः

इरशादे बारी तआला हैः "जब तुम नमाज़ का एलान करते हो वह तमस्ख़र करते हैं इस लिए कि वह नादान लोग हैं।" और फ़रमाने इलाही हैः "जब जुम्आ के दिन नमाज़ की अज़ान दी जाए।"

हदीस 573:- अनस رضي الله عنه रिवायत करते हैं, (नमाज़ के एलान के लिए) लोगों ने आग (जलाना) और नाक़ूस (बजाना) तज्वीज़ किया, फिर यहूद व नसारा की तरफ़ ज़हन मुन्तक़िल हो गया, तब बिलाल رضي الله عنه को कहा गया कि अज़ान के कलिमात दो दो मर्तबा और इक़ामत के एक एक मर्तबा कहें।

हदीस 574:- इब्ने उमर رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, जब मुसलमान मदीना मुन्तक़िल हुए तो नमाज़ के लिए नमाज़ के वक़्त का अन्दाज़ा करके जमा हो जाते थे, उस वक़्त तक नमाज़ के लिए एलान न होता था। इस ज़िम्न में गुफ़्तगू की गई, बाज़ ने कहा नसारा की तरह नाक़ूस बजाया जाए, कुछ कहने लगे यहूद की तरह सन्ख बना लो। उमर رضي الله عنه बोले, क्यों न किसी को मुक़र्रर कर दिया जाए कि वह नमाज़ का एलान कर दिया करे। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "ऐ बिलाल! उठो और नमाज़ की इत्तिला कर दो।"

बाब 393:- अज़ान के अल्फ़ाज़ दो दो बार हैंः

हदीस 575:- अनस رضي الله عنه रिवायत करते हैं, बिलाल رضي الله عنه को यह हुक्म दिया गया कि वह अज़ान में (कलिमात) दो दो बार और इक़ामत में मा सिवा "क़द क़ामतिस्सलात" के एक एक बार कहें।

हदीस 576:- अनस बिन मालिक رضي الله عنه रिवायत करते हैं, जब (मुसलमान) लोग बढ़ गए तो उन्होंने कहा नमाज़ के लिए कोई अलामत मुक़र्रर कर दी जाए जिस से वह पहचान जाएं (कि नमाज़ का वक़्त हो गया है)। बाज़ ने कहा आग जलाई जाए, कुछ ने नाक़ूस बजाने की तज्वीज़ पेश की तो बिलाल رضي الله عنه को हुक्म दिया गया कि वह अज़ान में (कलिमात) दो दो दफ़ा और इक़ामत में एक एक बार कहें।

बाब 394:- "क़द क़ामतिस्सलात" के अलावा इक़ामत के अल्फ़ाज़ एक एक बार हैंः

हदीस 577:- अनस رضي الله عنه रिवायत करते हैं, बिलाल رضي الله عنه को मामूर किया गया था कि वह अज़ान में जुफ़्त और इक़ामत में ताक़ (कलिमात) कहें। इस्माईल (इस हदीस के एक रावी) ने अय्यूब के हवाले से कहा कि उन्होंने बताया कि इक़ामत अकेहरी हो ताहम "क़द क़ामतिस्सलात" दो बार (पढ़ा जाए)।

बाब 395:- अज़ान कहने की फ़ज़ीलतः

हदीस 578:- अबू हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "जब नमाज़ के लिए अज़ान दी जाती है तो शैतान पीठ फेर कर भागता है और पादता हुआ जाता है, ताकि अज़ान की आवाज़ न सुने। जब अज़ान ख़त्म होती है तो वापस आ जाता है यहां तक कि जब इक़ामत कही जाती

है तो फिर भाग जाता है, जब इक़ामत ख़त्म हो जाती है तो फिर वापस आ जाता है, ताकि आदमी के दिल में वसवसा पैदा करे कि फ़ुलां बात याद करो, फ़ुलां याद करो, वह बातें जो उसे याद नहीं होतीं उसे याद दिलाता है यहां तक कि आदमी को पता नहीं चलता कि कितनी नमाज़ पढ़ी।"

बाब 396:- अज़ान में आवाज़ बुलन्द करना:

उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ رحمه الله ने (अपने मुअज़्ज़िन से) कहा था, साफ़ और सीधी अज़ान कहो, वरना हट जाओ।

हदीस 579:- अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान رحمه الله रिवायत करते हैं कि उन्हें अबू सईद ख़ुदरी رضي الله عنه ने कहा, मैं तुम्हें देखता हूं कि तुम बकरियों और जंगल को पसन्द करते हो, जब तुम बकरियों के पास या जंगल में हो और नमाज़ के लिए अज़ान कहो तो अपनी आवाज़ बुलन्द रखो क्योंकि मुअज़्ज़िन की आवाज़ जो भी जिन्न या इन्सान या कोई और सुनेगा तो वह क़यामत के दिन उसके हक़ में गवाही देगा। अबू सईद رضي الله عنه कहते हैं, मैंने यह बात रसूलुल्लाह ﷺ से सुनी थी।

बाब 397:- अज़ान के बाइस ख़ून-रेज़ी से रुक जाना:

हदीस 580:- अनस رضي الله عنه, रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत करते हैं, जब आप हमारे साथ किसी क़ौम से जिहाद करते तो लूट मार न करवाते जब तक कि सुबह न हो जाती और इन्तिज़ार में रहते। अगर तो अज़ान की आवाज़ सुन लेते तो उन से (हाथ) रोक लेते, अगर अज़ान न सुनते तो हम्ला कर देते। (अनस رضي الله عنه) कहते हैं, हम ख़ैबर को रवाना हुए तो रात को उनके हां पहुंचे। जब सुबह हुई तो आप को अज़ान सुनाई न दी, आप सवार हो गए और मैं अबू तलहा رضي الله عنه के पीछे बैठ गया, मेरा पांव रसूलुल्लाह ﷺ के पांव को छू रहा था। कहते हैं, अहले ख़ैबर हमारी तरफ़ थैले और कुल्हाड़ियां लिए हुए आए, जब उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ को देखा तो बोले मुहम्मद, अल्लाह की क़सम मुहम्मद और उसका लश्कर। जब उन्हें रसूलुल्लाह ﷺ ने देखा तो फ़रमाया: "अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर ख़ैबर बरबाद हो गया, बेशक जब हम किसी क़ौम के मैदान में उतरते हैं तो जो लोग डराए गए उनकी सुबह ख़राब हो जाती है।"

बाब 398:- अज़ान सुनते वक़्त क्या कहना चाहिए?

हदीस 581:- अबू सईद ख़ुदरी رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम अज़ान सुनो तो वही कहो जो मुअज़्ज़िन कह रहा है।"

हदीस 582:- ईसा बिन तलहा رحمه الله रिवायत करते हैं, मैंने एक दिन मुआवियह رضي الله عنه को اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ तक वही कहते सुना जो मुअज़्ज़िन कह रहा था।

हदीस 583:- यहया का बयान है कि मुझे बाज़ भाइयों ने बताया, मुअज़्ज़िन ने जब حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ। कहा तो मुआवियह رضي الله عنه ने لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ पढ़ा और बोले मैंने तुम्हारे रसूलुल्लाह ﷺ को यूं कहते सुना।

बाब 399:- अज़ान के बाद की दुआ:

हदीस 584:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो शख़्स अज़ान के वक़्त यह दुआ पढ़े اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَانِ الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ "ऐ अल्लाह! इस कामिल दावत और क़ायम होने वाली

नमाज़ के रब! मुहम्मद मुस्तफ़ा को वसीला और फ़ज़ीलत अता फ़रमा और उन्हें मक़ामे महमूद पर खड़े करना।" उसे क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत हासिल होगी।"

फ़ायदा:- क़ुरआने करीम में परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब ﷺ पर अपने एक ख़ास इनआम का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया है: "عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا" (17: 79) क़रीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें मक़ामे महमूद पर खड़ा करेगा।

यह मक़ामे महमूद मैदाने महशर में एक आला मक़ाम होगा जिस पर तमाम मुक़र्रबीने बारगाहे इलाहिया में से सिर्फ़ एक बन्दे को फ़ाइज़ किया जाएगा और वह हस्ती पूरी कायनात में से सिर्फ़ मुहम्मद मुस्तफ़ा ﷺ की है। उस मक़ाम पर आप को देख कर सब अव्वलीन व आख़िरीन आप की तारीफ़ करेंगे। यही तो वह मक़ाम है जस पर जल्वा अफ़रोज़ होकर दरे शफ़ाअत खोला जाएगा। यही शफ़ाअते कुबरा है और इस मक़ाम पर सिर्फ़ रहमते दो आलम ﷺ ही फ़ाइज़ हैं, आज भी और कल भी। आज तक़र्रुरी हो चुकी है के कल को मैदाने महशर में उसका ज़ुहूर होगा। आप की शफ़ाअते कुबरा के बग़ैर और आप से पहले कोई बड़ी से बड़ी हस्ती भी किसी की शफ़ाअत के लिये लब-कुशा नहीं हो सकेगी। अज़ीमुश्शान हस्तियां भी किसी को बख़्शवाने की ख़ातिर एक लफ़्ज़ भी ज़बान पर लाने की हिम्मत न कर सकेंगी।

जब आप शफ़ाअते कुबरा करके दरे शफ़ाअत खोल देंगे, तो उसके बाद शफ़ाअत का दूसरा दौर शुरू होगा और उस वक़्त आपके साथ तमाम मुक़र्रबीने बारगाहे इलाहिया अपने अपने मन्सब के मुताबिक़ शफ़ाअत करेंगे और यह हिकमते इलाहिया के तहत उसी के फ़ज़्ल व करम के असबाब होंगे। इस मक़ामे महमूद को मक़ामे वसीला और मक़ामे फ़ज़ीलत भी कहते हैं। जो हज़रात अज़ान के बाद मज़्कूरा लफ़्ज़ों में दुआ करेंगे उनके लिये आप की शफ़ाअत लाज़िम हो जाएगी शर्त यह कि वह दुनिया से अपनी दौलते ईमान सलामती के साथ ले जाने में कामयाब हो गए हों। जो ख़ुश नसीब आप को शफ़ीउल मुज़्निबीन मानते और आप की शफ़ाअत पर यक़ीन रखते हैं उन्हें इन शा अल्लाहु तआला आप की शफ़ाअत से हिस्सा नसीब होगा और जो आप की शफ़ाअत बिल-इज़्न, शफ़ाअते बिल-मुहब्बत और शफ़ाअते बिल-वजाहत के मुन्किर हैं उन्होंने अपने लिये शफ़ाअत के दरवाज़े ख़ुद ही बन्द कर लिये हैं। "اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا شَفَاعَةَ حَبِيْبِكَ"

बाब 400:- अज़ान देने के लिए क़ुरआ डालना: कहा जाता है कुछ लोगों ने अज़ान के लिए झगड़ा किया तो सअद رضی اللہ عنہ ने उनके दरमियान क़ुरआ अन्दाज़ी की:

हदीस 585:- अबू हुरैरह رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अगर लोगों को पता हो कि अज़ान (कहने) और अगली सफ़ में शामिल होने का किस क़दर सवाब है और यह (चीज़) बग़ैर क़ुरआ के हासिल न हो तो ज़रूर क़ुरआ अन्दाज़ी करें। अगर यह इल्म हो कि अव्वल वक़्त (ज़ुहर) नमाज़ पढ़ने का कितना सवाब है तो ख़ास एहतेमाम से आएं। अगर उन्हें मालूम हो सुबह और इशा (बा-जमाअत) पढ़ने पर कितना अज्र है तो ज़रूर उन दोनों में हाज़िर हों ख़्वाह घुटनों के बल चल कर आना पड़े।"

बाब 401:- अज़ान के दौरान बात चीत करना: सुलैमान बिन सुरद ने अज़ान के दौरान गुफ़्तगू की, हसन (बसरी) رحمہ اللہ का कहना है, अज़ान या इक़ामत कहते वक़्त हंस देने में कोई

मुज़ायका नहीं।

हदीस 586:- अब्दुल्लाह बिन हारिस रिवायत करते हैं, सर्दियों के मौसम और अब्र आलूद दिन में इब्ने अब्बास ﷺ नें हमें ख़िताब किया कि (इतने में अज़ान शुरू हो गई) जब मुअज़्ज़िन हय्या अलस्सलाह पर पहुंचा तो उन्होंने उसे हुक्म दिया कि वह लोगों से कहे कि अपने अपने ठिकानों पर नमाज़ पढ़ लें। लोग एक दूसरे को तकने लगे। इब्ने अब्बास ﷺ ने कहा ऐसा उस शख़्स ने कहा है जो मुझ से बेहतर था, यानी रसूलुल्लाह ﷺ और यही अफ़ज़ल है।

बाब 402:- नाबीना की अज़ान दुरुस्त है जब कोई उसे वक़्त बतला दे:

हदीस 587:- अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "बिलाल ﷺ रात के वक़्त अज़ान देते हैं पस तुम लोग खाओ और पियो, यहां तक कि इब्ने उम्मे मकतूम ﷺ अज़ान दें। वह नाबीना आदमी थे, वह उस वक़्त तक अज़ान नहीं देते थे जब तक लोग यह न कह दें कि सुबह हो गई, सुबह हो गई।"

बाब 403:- सुबह सादिक़ के बाद अज़ान कहना:

हदीस 588:- अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ रिवायत करते हैं कि मुझे हफ़सह ﷺ ने बताया, रसूलुल्लाह ﷺ का तरीक़ा था जब मुअज़्ज़िन सुबह की अज़ान कहने खड़ा होता और सुबह की अज़ान हो जाती तो फ़र्ज़ से पहले हल्की सी दो रकअतें पढ़ लेते।

हदीस 589:- सय्यदा आयशा ﷺ फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़े सुबह के वक़्त अज़ान व इक़ामत के दरमियान दो रकअतें हल्की सी पढ़ लेते थे।

हदीस 590:- अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "बिलाल ﷺ रात को अज़ान देते हैं तो तुम लोग खाओ और पियो, यहां तक इब्ने उम्मे मकतूम ﷺ अज़ान दें।"

बाब 404:- सुबह होने से पहले अज़ान कहना:

हदीस 591:- अब्दुल्लाह बिन मसऊद ﷺ रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत करते हैं, आपने फ़रमाया: "तुम में कोई भी बिलाल ﷺ की अज़ान सुन कर सेहरी खाना न छोड़े क्योंकि वह रात को अज़ान कहते हैं ताकि तुम में से तहज्जुद पढ़ने वाला फ़ारिग़ हो जाए और सोने वाला बेदार हो जाए और यह नहीं कोई उसे सुबह समझ ले।" आपने अपनी उंगलियों से इशारा किया और उन्हें ऊपर उठाया और फिर नीचे की तरफ़ ले आए यहां तक कि इस तरह (यानी सफ़ेदी फैल जाए) ज़ुहैर ने अपनी दोनों शहादत की उंगलियां एक दूसरी के ऊपर रखीं, और फिर दोनों को अपने दाएं और बाएं फैला दिया, (यानी इस तरह हर तरफ़ सफ़ेदी फैल जाए) तब समझो कि सुबह हो गई।

हदीस 592:- सय्यदा आयशा ﷺ रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत करती हैं, आपने फ़रमाया: "बिलाल ﷺ रात को अज़ान कह देते हैं लिहाज़ा तुम इब्ने उम्मे मकतूम ﷺ की अज़ान तक खाया पिया करो।"

बाब 405:- अज़ान और इक़ामत में कितना वक़्फ़ा हो?

हदीस 593:- अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल अल-मुज़न्नी ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने तीन बार फ़रमाया: "अगर कोई पढ़ना चाहे तो दो अज़ानों के दरमियान एक नमाज़ के बराबर वक़्फ़ा

होना चाहिए।"

हदीस 594:- अनस बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं, जब मुअज़्ज़िन अज़ान कहता तो अस्हाबे रसूल ﷺ सुतूनों के पास चले जाते, यहां तक कि रसूलुल्लाह ﷺ तशरीफ़ लाते, वह उसी तरह मग़रिब से पहले दो रकअत नमाज़ पढ़ते होते, और अज़ान व इक़ामत के दरमियान कोई वक़्फ़ा नहीं होता था। उस्मान बिन जबलह और अबू दाऊद, शुअबा से रिवायत है कि उन दोनों (अज़ान व इक़ामत) के दरमियान वक़्फ़ा न होता मगर थोड़ा।

बाब 406:- इक़ामत का इन्तिज़ार करते रहना:

हदीस 595:- सय्यदा आयशा ﷺ फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जब मुअज़्ज़िन फ़ज्र की अज़ान कह कर चुप हो जाता तो सुबहे सादिक़ के बाद हल्की दो रकअतें पढ़ते और मुअज़्ज़िन के इक़ामत कहने तक अपने बाएं पहलू पर आराम फ़रमा रहते।

बाब 407:- अगर कोई चाहे तो हर अज़ान व इक़ामत के दरमियान नमाज़ पढ़ सकता है:

हदीस 596:- अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "हर दो अज़ानों के दरमियान नमाज़ है।" (दो मर्तबा यह फ़रमाया और) तीसरी बार कहा: "अगर कोई पढ़ना चाहे।"

बाब 408:- क्या सफ़र में एक ही शख़्स अज़ान दे:

हदीस 597:- मालिक बिन हुवैरिस ﷺ रिवायत करते हैं, मैं अपनी क़ौम के एक वफ़्द के साथ रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और बीस रातें क़याम किया। आप बेहद मेहरबान और मुश्फ़िक़ थे। जब आपने हमें वापसी का ख़्वाहिश-मन्द देखा तो फ़रमाया: "तुम लौट जाओ और अपने अहलो अयाल में रहो और उन्हें तालीम दो और नमाज़ पढ़ा करो। जब जमाज़ का वक़्त हो तो तुम में से कोई शख़्स अज़ान दिया करे और तुम में जो मुअम्मर हो वह नमाज़ पढ़ा दिया करे।"

बाब 409:- जब कई मुसाफ़िर हों तो अज़ान और इक़ामत कहें और अरफ़ात और मुज़दलिफ़ह में भी ऐसा ही करें: और जब सर्दी और बारिश की रात हो तो मुअज़्ज़िन का यह कहना "اَلصَّلٰوةُ فِى الرِّحَالِ" (यानी अपनी क़यामगाहों में नमाज़ अदा करो)

हदीस 598:- अबू ज़र (ग़िफ़ारी) ﷺ रिवायत करते हैं, हम किसी सफ़र में रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह थे। मुअज़्ज़िन ने (ज़ुहर की) अज़ान देनी चाही, आपने फ़रमाया: "ठन्डक हो जाने दो।" फिर उस ने देना चाही, आपने फिर यही फ़रमाया, उसने फिर इरादा किया, आपने फिर यही कहा, यहां तक कि साया टीलों के बराबर हो गया, बादे अज़ां आपने फ़रमाया: "गर्मी की शिद्दत दोज़ख़ के शोअले से होती है।

हदीस 599:- मालिक बिन हुवैरिस ﷺ कहते हैं, दो शख़्स रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में आए, वह सफ़र करना चाहते थे। आपने फ़रमाया: "जब तुम सफ़र को निकलो (और नमाज़ का वक़्त हो जाए) तो अज़ान और इक़ामत कहो और जो तुम में बड़ी उम्र का हो, इमामत कराए।"

हदीस 600:- मालिक (बिन हुवैरिस) ﷺ रिवायत करते हैं, हम रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुए और हम कुछ हम उम्र नौजवान थे। हम बीस दिन और रात आपके पास क़याम पज़ीर रहे।

आप बेहद मेहरबान और शफ़ीक़ थे, जब आपने देखा कि हम घर जाने के ख़्वाहिश-मन्द हैं तो आपने हम से उनका हाल पूछा जिन्हें हम पीछे छोड़ आए थे। हम ने आप को सब कुछ बताया, पस आपने फ़रमाया: "तुम वापस लौट जाओ और उन्हीं लोगों में रहो और उन्हें तालीम दो, और (नेकी का) हुक्म दो।" और चन्द बातें आपने इरशाद फ़रमाईं, मुझे याद हैं या याद नहीं रहीं, "जिस तरह तुम ने मुझे नमाज़ पढ़ते देखा उसी तरह नमाज़ पढ़ना और जब नमाज़ का वक़्त हो जाए तो तुम में से कोई अज़ान दे और तुम में से उम्र रसीदा इमाम बने।"

हदीस 601:- नाफ़ेअ رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, इब्ने उमर رضی اللہ عنہما ने सर्दी की रात को ज़ज्नान (एक पहाड़ी) पर अज़ान दी और उसके बाद कहा, अपनी क़यामगाहों पर नमाज़ पढ़ लो, और हमें बताया, रसूलुल्लाह ﷺ सर्द रातों और बारिश के बाइस मुअज़्ज़िन को हुक्म देते थे कि अज़ान से पहले और अज़ान के बाद यह कह दे, अपने ठिकानों पर नमाज़ पढ़ लो, सर्दी या बारिश की रातों में ऐसा करते।

हदीस 602:- अबू हुजैफ़ह رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को अब्तह (एक वादी) में देखा, आपको बिलाल رضی اللہ عنہ ने आकर नमाज़ की इत्तिला दी, फिर बिलाल رضی اللہ عنہ तीर लेकर चले और उसे रसूलुल्लाह ﷺ के सामने गाड़ दिया और आपने नमाज़ पढ़ाई।

बाब 410:- क्या मुअज़्ज़िन अज़ान के दौरान अपना मुंह इधर उधर फेरे और इधर उधर देख सकता है: बिलाल رضی اللہ عنہ से मन्क़ूल है उन्होंने अपनी दो उंगलियां कानों में डालीं। और इब्ने उमर رضی اللہ عنہما अपनी उंगलियां कानों में नहीं डालते थे। इब्राहीम कहते हैं, बग़ैर वुज़ू अज़ान कहने में कोई हर्ज नहीं। अता का क़ौल है, (अज़ान में) वुज़ू लाज़िम है और मसनून है। सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ तमाम औक़ात में अल्लाह की याद किया करते थे।

हदीस 603:- अबू हुजैफ़ह رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, उन्होंने बिलाल رضی اللہ عنہ को अज़ान के दौरान अपना मुंह इधर उधर करते देखा है।

बाब 411:- किसी का यह कना हमारी नमाज़ जाती रही:

इब्ने सीरीन رضی اللہ عنہ ने इस कहने को कि हमारी नमाज़ जाती रही, मकरूह गर्दाना है। इस तरह कहना चाहिए, हम ने नमाज़ नहीं पाई, मगर रसूलुल्लाह ﷺ का इरशाद दुरुस्त है।

हदीस 604:- अबू क़तादह رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, हम रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह नमाज़ पढ़ रहे थे। आपने कुछ लोगों की आवाज़ सुनी, आपने फ़रमाया: "क्या हुआ?" अर्ज़ किया, नमाज़ में उजलत के बाइस। फ़रमाया: "आइन्दा ऐसा न करना, जब तुम नमाज़ में आओ तो निहायत सुकून (और वक़ार) से आओ, फिर जिस क़दर नमाज़ पाओ उसी क़दर पढ़ लो और जितनी रह जाए उतनी पूरी करलो।"

बाब 412:- जिस क़दर नमाज़ पाओ पढ़ लो और जितनी रह जाए पूरी करलो: इसे अबू क़तादह رضی اللہ عنہ ने रसूलुल्लाह ﷺ के हवाले से बयान किया।

हदीस 605:- अबू हुरैरह رضی اللہ عنہ रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत करते हैं, आपने फ़रमाया: "जब तुम इक़ामत सुनो तो नमाज़ के लिए वक़ार और इत्मिनान के साथ चलो, दौड़ो नहीं, फिर जिस क़दर मिल जाए पढ़ लो और जिस क़दर रह जाए उसे पूरी कर लो।"

बाब 413:- तकबीर के वक़्त जब लोग इमाम को देख लें तो किस वक़्त

खड़े हों:

हदीस 606:- अबू क़तादह रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने फ़रमायाः "जब इक़ामत हो तो जब तक मुझे न देखो उस वक़्त तक खड़े न हो।"

बाब 414:- नमाज़ के लिए उजलत से न उठे बल्कि इत्मिनान और वक़ार के साथ उठे:

हदीस 607:- अबू क़तादह रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने फ़रमायाः "जब नमाज़ के लिए तकबीर पढ़ी जाए तो तुम उस वक़्त तक न उठो जब तक मुझे न देख लो और वक़ार इख़्तियार करो।

बाब 415:- क्या बर बिनाए ज़रूरत (अज़ान और इक़ामत के बाद) मस्जिद से बाहर निकल सकता है:

हदीस 608:- अबू हुरैरह रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (मस्जिद से) बाहर चले गए हालांकि इक़ामत कही जा चुकी थी और सफ़ें दुरुस्त कर ली गई थीं। जब आप (वापस आकर) मुसल्ले पर खड़े हुए, हम इन्तिज़ार में थे कि आप तकबीर कहेंगे तो आप (दोबारा) चले गए और फ़रमायाः "यहीं ठहरे रहो।" हम खड़े रहे। आप वापस आए तो आप के सर से पानी टपक रहा था, आप ने ग़ुस्ल किया था।

बाब 416:- अगर इमाम मुक़्तदियों से कहे ठहरे रहो जब तक मैं न आऊं तो मुक़्तदी उसका इन्तिज़ार करें:

हदीस 609:- अबू हुरैरह रिवायत करते हैं, नमाज़ के लिए इक़ामत कही जा चुकी और सफ़ें दुरुस्त कर ली गई थीं। रसूलुल्लाह बाहर निकले और आगे बढ़े (ताकि नमाज़ पढ़ाएं), आप हालते जनाबत में थे (लेकिन याद न रहा)। फ़रमायाः तुम यहीं ठहरो और चले गए। ग़ुस्ल किया, फिर बरआमद हुए, आपके सर से पानी टपक रहा था और लोगों को नमाज़ पढ़ाई।

बाब 417:- किसी का यह कहना कि हम ने नमाज़ नहीं पढ़ी:

हदीस 610:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह रिवायत करते हैं, (ग़ज़वए) ख़न्दक़ के दिन हज़रत उमर रसूलुल्लाह की ख़िदमत में हाज़िर हुए। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! वल्लाह मैंने अभी तक अस्र की नमाज़ नहीं पढ़ी और सूरज डूब गया। (उन्होंने यह) उस वक़्त कहा जब इफ़्तार का वक़्त होता है। रसूलुल्लाह ने फ़रमायाः "क़सम बख़ुदा! मैंने भी अस्र की नमाज़ नहीं पढ़ी।" पस रसूलुल्लाह बुतहान में उतरे और मैं आपके हमराह था। आपने वुज़ू फ़रमाया और सूरज डूब जाने के बाद (पहले) नमाज़े अस्र पढ़ी और बाद में नमाज़े मग़रिब अदा की।

बाब 418:- इक़ामत के बाद इमाम को ज़रूरत पेश आ जाए:

हदीस 611:- अनस रिवायत करते हैं, नमाज़ की इक़ामत हो चुकी, रसूलुल्लाह मस्जिद के एक कोने में किसी से सरगोशी कर रहे थे, जब आप नमाज़ के लिए खड़े हुए तो लोग (देर के बाइस) ऊँघ रहे थे।

बाब 419:- इक़ामत के वक़्त बातें करना:

हदीस 612:- हुमैद रिवायत करते हैं, मैंने साबित बनानी से उस शख़्स के बारे में पूछा जो इक़ामत हो जाने के बाद बात चीत करे। उन्होंने मुझ से अनस बिन मालिक की हदीस बयान की,

उन्हों ने कहा, (एक दफ़ा) इक़ामत हो चुकी थी, इतने में रसूलुल्लाह ﷺ के पास एक शख़्स आ गया। उसने इक़ामत हो जाने के बावुजूद रोक लिया और बातें करता रहा।

बाब 420:- नमाज़ बा-जमाअत वाजिब है: हसन (बसरी) رحمه الله कहते हैं, अगर किसी की वालिदा अज़ राहे मुहब्बत इशा की नमाज़ बा-जमाअत पढ़ने से रोके तो उसका कहा न माने।

हदीस 613:- अबू हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "उस ज़ात की क़सम जिस के क़ब्ज़ाए क़ुदरत में मेरी जान है, मैंने यह इरादा किया कि लकड़ियां जमा करूं और हुक्म दूं कि इशा की नमाज़ कोई दूसरा पढ़ाए और मैं ऐसे लोगों के घरों को जाऊँ (जो इशा की नमाज़ बा-जमाअत नहीं पढ़ते) और उनके घर जला डालूं। मुझे क़सम है उस ज़ात की जिस के क़ब्ज़ाए क़ुदरत में मेरी जान है, अगर उन में से किसी को मालूम हो कि उसे गोश्त की मोटी हड्डी और दो उम्दा गोश्त भरी हड्डियां मिलेंगी तो यक़ीनन इशा की नमाज़ में आएं।"

बाब 421:- नमाज़े बा-जमाअत की फ़ज़ीलत: असवद رحمه الله जमाअत से रह जाते तो दूसरी मस्जिद में जाते। अनस बिन मालिक رضي الله عنه एक मस्जिद में आए, नमाज़ हो चुकी थी तो उन्होंने अज़ान और इक़ामत कह कर नमाज़ बा-जमाअत पढ़ी।

हदीस 614:- अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "नमाज़ बा-जमाअत तन्हा नमाज़ पर सत्ताईस दरजे फ़ौक़ियत रखती है।"

हदीस 615:- अबू सईद رضي الله عنه रिवायत करते हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते सुना: "नमाज़ बा-जमाअत अकेले शख़्स की नमाज़ से पच्चीस गुना अफ़ज़ल है।"

हदीस 616:- अबू हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "किसी का नमाज़ बा-जमाअत अदा करना उसी के अपने घर और बाज़ार में नमाज़ पढ़ने से पच्चीस गुना बेहतर है। जब अच्छी तरह वुज़ू करके मस्जिद की तरफ़ चले और महज़ नमाज़ ही के लिए चले तो जो क़दम उठाएगा उसके बदले में उसका एक दरजा बुलन्द और एक गुनाह माफ़ होगा। फिर जब वह नमाज़ पढ़ लेगा तो फ़रिश्ते बराबर उसके लिए दुआए (ख़ैर) करते रहेंगे जब तक वह अपनी नमाज़ की जगह पर रहेगा, कि या अल्लाह! इस पर रहम फ़रमा, या अल्लाह! इस पर मेहरबानी फ़रमा, तुम में से जो कोई नमाज़ के इन्तिज़ार में रहता है, नमाज़ में शुमार किया जाता है।

बाब 422:- नमाज़े फ़ज्र बा-जमाअत पढ़ने की फ़ज़ीलत:

हदीस 617:- अबू हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से सुना, फ़रमाते थे: "तुम में से हर एक की नमाज़ बा-जमाअत, तन्हा नमाज़ पर पच्चीस दरजे फ़ौक़ियत रखती है, रात और दिन के फ़रिश्ते फ़ज्र की नमाज़ में इकट्ठे होते हैं।" अबू हुरैरह رضي الله عنه (इसकी दलील में) कहते थे पढ़ो: إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا शुऐब कहते हैं, मुझ से नाफ़ेअ رحمه الله ने अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنهما के हवाले से बयान किया, कि नमाज़े बा-जमाअत अकेली नमाज़ से सत्ताईस गुना अफ़ज़ल है।

हदीस 618:- सालिम رحمه الله रिवायत करते हैं, मैंने उम्मे दरदा رضي الله عنها को यह कहते सुना कि अबू दरदा رضي الله عنه मेरे पास गुस्से की हालत में आए। मैं बोली, इतना गुस्सा क्यों कर? बोले, वल्लाह! रसूलुल्लाह ﷺ के दीन की कोई बात नज़र नहीं आती बजुज़ इसके कि नमाज़े बा-जमाअत पढ़ लेते हैं।

हदीस 619:- अबू मूसा (अश्अरी) رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "सब

लोगों से ज्यादा सवाब उन लोगों को मिलता है जिन की मसाफ़त (मस्जिद से) दूर है, फिर जिन की उनसे दूर है और जो शख़्स जमाअत का मुन्तज़िर रहे ताकि नमाज़ इमाम के हमराह पढ़े, सवाब के लिहाज़ से उस से ज़्यादा है जो नमाज़ पढ़ कर सो जाता है।"

बाब 423:- जुहर अव्वल वक़्त पढ़ने की फ़ज़ीलतः

हदीस 620:- अबू हुरैरह रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने फ़रमाया: "एक शख़्स रास्ते पर जा रहा था, रास्ते में कांटों भरी एक शाख़ देखी और उसे हटा दिया। अल्लाह तआला को यह काम पसन्द आया और उसे बख़्श दिया।" फिर आपने फ़रमाया: "शुहदा पांच हैं, जो ताऊन, पेट के मर्ज़, डूबने और दब जाने से मरे और जो अल्लाह की राह में शहीद हो, अगर लोगों को मालूम हो कि अज़ान देने और पहली सफ़ (में शामिल होने) का कितना अज्र है तो कुरआ अन्दाज़ी के बग़ैर नसीब न हो तो यकीनन उस पर कुरआ अन्दाज़ी हो और अगर लोगों को पता चल जाए कि सवेरे नमाज़ पढ़ने में क्या फ़ज़ीलत है तो बेशक उसकी तरफ़ लपकें, और अगर उन्हें इल्म हो कि इशा और सुबह की नमाज़ (बा-जमाअत) पढ़ने की क्या फ़ज़ीलत है तो यक़ीनन उस में शरीक हों ख़्वाह घुटनों के बल (घिसट कर आना पड़े)।"

बाब 424:- (नेकी में) हर क़दम पर सवाब हैः

हदीस 621:- अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने फ़रमाया: "ऐ बनी सलमह! क्या तुम अपने क़दमों (यानी चल कर मस्जिद आने) का सवाब नहीं जानते?" इब्ने अबी मरयम ने यहया के साथ अनस से इस क़दर ज़्यादा रिवायत की है, बनी सलमह की ख़्वाहिश थी कि अपने मकानों से उठ कर रसूलुल्लाह के कुर्ब व जवार में आ बसें। रसूलुल्लाह ने उसे ना-पसन्द किया कि मदीना को बे-आबाद करदें। (इस मौक़े पर) आपने फ़रमाया: "तुम अपने क़दमों का सवाब नहीं जानते?" मुजाहिद कहते हैं, "खुताहुम" का मतलब ज़मीन पर पांव से चलने के निशानात है।

बाब 425:- नमाज़े इशा बा-जमाअत पढ़ने की फ़ज़ीलतः

हदीस 622:- अबू हुरैरह रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने फ़रमाया: "फ़ज्र और इशा से बढ़ कर मुनाफ़िक़ों पर और कोई नमाज़ गिरां नहीं, लेकिन अगर उन्हें मालूम हो कि उन दोनों में कितना अज्र है तो ज़रूर आएं ख़्वाह उन्हें घुटनों के बल आना पड़े, मैं (रसूलुल्लाह) ने यह इरादा किया कि मुअज़्ज़िन को अज़ान देने को कहूं और किसी को कहूं कि वह लोगों की इमामत करे और मैं आग के शोले लेकर जो लोग अब तक घर से नमाज़ के लिए न निकले हों उन के घर जला डालूं।"

बाब 426:- दो (आदमी) या ज़्यादा जमाअत हैं:

हदीस 623:- मालिक बिन हुवैरिस रिवायत करते हैं, दो शख़्स आप से रुख़्सत होने लगे तो आपने फ़रमाया: "जब नमाज़ का वक़्त हो जाए तो अज़ान देना, और तुम दोनों में जो (उम्र में) बड़ा हो वह तुम्हारा इमाम बन जाए।"

बाब 427:- जो शख़्स मस्जिद में नमाज़ के लिए मुन्तज़िर रहे और मसाजिद की फ़ज़ीलतः

हदीस 624:- अबू हुरैरह रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने फ़रमाया: "जब कोई शख़्स

अपनी जाए नमाज़ पर बा-वुज़ू बैठा रहे तो फ़रिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत चाहते हैं, ऐ अल्लाह! इसे बख़्श दे, ऐ अल्लाह! इस पर रहम कर। तुम में से हर शख़्स (गोया) नमाज़ ही में है यहां तक कि घर जाए और मस्जिद में बैठने का नमाज़ के अलावा कोई सबब न हो।"

हदीस 625:- अबू हुरैरह ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "सात आदमियों को अल्लाह तआला उस दिन अपने सायए (रहमत) में जगह देगा, जब अल्लाह के सायए (रहमत) के अलावा किसी का साया न होगा। हाकिमे आदिल, वह नौजवान जिसकी नशो नुमा अल्लाह की इबादत में हुई हो, और वह जिसका दिल मस्जिदों में अटका रहे, और वह दो इशख़ास जिन का ताल्लुके मुहब्बत सिर्फ़ ख़ुदा के लिए हो, मिलें तो उसी के लिए और जुदा हों तो उसी के लिए, और वह जिसे हुस्न और मन्सब वाली औरत दावते (गुनाह) दे और वह यह कहे, मैं अल्लाह से डरता हूं, और वह जो छुपा कर सदक़ा दे हत्ता कि बाएं हाथ को ख़बर ही न हो कि दाएं ने क्या कुछ दिया, और वह जो तन्हाइयों में अल्लाह को याद करे और उसकी आँखें भीग जाएं।"

हदीस 626:- हुमैद रिवायत करते हैं, अनस ؓ से पूछा गया क्या रसूलुल्लाह ﷺ ने अंगूठी पहनी थी? कहा हां, एक रात आपने नमाज़े इशा में (ग़ैर मामूली) ताख़ीर कर दी, फिर नमाज़ अदा करने के बाद आप हमारी तरफ़ मुतवज्जह हुए। फ़रमायाः "लोग नमाज़ पढ़ कर सो भी चुके, (लेकिन) जब तक इन्तिज़ार में रहे नमाज़ (ही) में रहे गोया मैं (अब भी) आपकी अंगूठी की चमक देख रहा हूं।"

बाब 428:- सुबह व शाम मस्जिद जाने वाले की फ़ज़ीलतः

हदीस 627:- अबू हुरैरह ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "जो शख़्स सुबह व शाम मस्जिद में जाए, अल्लाह तआला उस के लिए जन्नत में सुबह व शाम मेहमानी का एहतमाम करेगा।"

बाब 429:- जब नमाज़ के लिए इक़ामत हो जाए तो बजुज़ फ़र्ज़ नमाज़ के और कोई नमाज़ नहीं:

हदीस 628:- मालिक बिन बुहैनह ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने एक शख़्स को नमाज़ पढ़ते देखा जबकि नमाज़ के लिए तकबीर कही जा चुकी थी। जब रसूलुल्लाह ﷺ फ़ारिग़ हुए तो लोग इर्द गिर्द बैठ गए, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "सुबह की चार रकअतें पढ़ता है, सुबह की चार रकअतें।"

बाब 430:- बीमार को किस हद तक जमाअत में शामिल होना चाहिएः

हदीस 629:- असवद रिवायत करते हैं, हम सय्यदा आयशा ؓ के पास नमाज़ की पाबन्दी और उसकी अज़मत व अहमियत का ज़िक्र कर रहे थे, तो उन्होंने कहाः जब रसूलुल्लाह ﷺ मर्ज़ुल मौत में थे, नमाज़ का वक़्त आया और अज़ान हुई तो आपने फ़रमायाः "अबू बकर ؓ से कहो, वह लोगों को नमाज़ पढ़ा दें।" अर्ज़ किया गया, अबू बकर ؓ रक़ीक़ुल क़ल्ब हैं, जब आप की जगह खड़े होंगे तो (तास्सुरे ग़म से) नमाज़ नहीं पढ़ा सकेंगे। दोबारा आपने फ़रमायाः "लोगों ने फिर वही कहा, तीसरी बार आपने फिर फ़रमाया और कहाः "तुम यूसुफ़ عليه السلام (को घेरे में लेने) वाली औरतें हो, अबू बकर से कहो वह लोगों को नमाज़ पढ़ा दें।" चुनान्चे अबू बकर ؓ नमाज़ पढ़ाने चले, ऐसे में रसूलुल्लाह ﷺ ने कुछ तबियत में इफ़ाक़ा महसूस किया तो आप दो आदमियों के दरमियान सहारे के साथ निकले, गोया मैं

(अब भी) आपके पांव को देख रही हूं कि मर्ज़ के बाइस ज़मीन पर घिसटते जाते थे। अबू बकर ﷺ ने चाहा कि पीछे हट जाएं, रसूलुल्लाह ﷺ ने इशारे से उन्हें अपनी जगह पर रहने का इशारा किया। फिर आप लाए गए और अबू बकर ﷺ के पहलू में बैठ गए। आमश से पूछा गया, क्या रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़ पढ़ाते और अबू बकर ﷺ आपकी नमाज़ की इक़्तिदा करते थे और लोग अबू बकर ﷺ की, तो आमश ने सर के इशारे से कहा हां। अबू मुआवियह ने इस क़दर ज़ाइद लफ़्ज़ नक़्ल किए कि आप अबू बकर ﷺ की बाएं जानिब बैठे और अबू बकर खड़े हुए नमाज़ पढ़ते थे।

हदीस 630:- सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, जब रसूलुल्लाह ﷺ बीमार हुए और बीमारी शिद्दत इख़्तियार कर गई, तो आपने अपनी (दीगर) अज़्वाज से इजाज़त चाही कि आप मेरे घर में रहें, सब ने इजाज़त दे दी। पस दो आदमियों के सहारे (नमाज़ के लिए) निकले, आपके दोनों पांव ज़मीन से लगते जाते थे। आप अब्बास ﷺ और एक और शख़्स के दरमियान (सहारा लिए हुए) थे। उबैदुल्लाह कहते हैं, मुझे जो कुछ आयशा ﷺ ने बताया, उसका ज़िक्र मैंने इब्ने अब्बास ﷺ से किया, उन्होंने कहा, तुम्हें मालूम है वह दूसरा शख़्स कौन था, जिस का नाम सय्यदा आयशा ﷺ ने नहीं लिया। मैंने कहा नहीं। बोले, वह अली इब्ने अबी तालिब ﷺ थे।

बाब 431:- बारिश या किसी और उज़्र की बिना पर घर पर नमाज़ पढ़ लेने की इजाज़त है:

हदीस 631:- नाफ़ेअ ﷺ रिवायत करते हैं, इब्ने उमर ﷺ ने एक सर्द और हवादार रात को अज़ान दी, जिस में यह भी कह दिया: "अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ो।" बादे अज़ां कहा, रसूलुल्लाह ﷺ मुअज़्ज़िन को हुक्म देते थे, जब रात ठन्डी और बारिश वाली हो तो कह दो "अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ लो।"

हदीस 632:- महमूद बिन रबीअ अन्सारी रिवायत करते हैं, इतबान ﷺ अपनी क़ौम की इमामत करते थे, वह नाबीना थे। उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में कहा, या रसूलल्लाह! (कभी) अन्धेरा और पानी होता है और मैं नाबीना हूं (लिहाज़ा मैं नहीं आ सकता) आप मेरे घर में किसी जगह नमाज़ पढ़ा दीजिए ताकि मैं उसे जाए नमाज़ बना लूं। रसूलुल्लाह ﷺ उनके हां तशरीफ़ लाए और फ़रमाया: "जहां तुम कहो वहीं नमाज़ पढ़ूं।" उन्होंने घर में एक जगह इशारा कर दिया, वहां आप ने नमाज़ पढ़ी।

बाब 432:- क्या इमाम उनके साथ नमाज़ पढ़ ले जो लोग मस्जिद में आ जाएं और जुम्आ के दिन बारिश के बावुजूद भी खुत्बा पढ़े:

हदीस 633:- अब्दुल्लाह बिन हारिस कहते हैं, इब्ने अब्बास ﷺ ने (बारिश के सबब) कीचड़ वाले दिन भी खुत्बा इरशाद फ़रमाया और मुअज़्ज़िन से कहा कि अज़ान के बाद यह कह दे कि अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ लो। (यह सुना) तो लोग एक दूसरे की तरफ़ देखने लगे, गोया उन्होंने उसे अजीब तसव्वुर किया। इब्ने अब्बास ﷺ ने कहा, ऐसा मालूम होता है कि तुम ने इसे बुरा महसूस किया बेशक ऐसा उसने किया जो मुझ से बेहतर थे यानी रसूलुल्लाह ﷺ ने, यह यक़ीनी बात है (कि अज़ान से मस्जिद में आना लाज़मी हो जाता है) और मैंने इसे पसन्द न किया कि तुम्हें तकलीफ़ में डालूं। आसिम ने भी इब्ने अब्बास ﷺ से इसी तरह नक़्ल किया सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है, उन्होंने कहा मुझे अच्छा न लगा कि तुम्हें गुनहगार करूं, और घुटनों तक मिट्टी रौंदते आओ।

हदीस 634:- अबू सलमह रिवायत करते हैं, मैंने अबू सईद ख़ुदरी ﷺ से पूछा, उन्होंने कहा बादल आया और बरसने लगा, यहां तक कि छत टपकने लगी और छत खजूर की शाख़ों से बनी हुई थी। फिर नमाज़ की तकबीर हुई तो मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को देखा कि आप पानी और मिट्टी में सज्दा करते थे यहां तक कि मिट्टी का असर मैंने आपकी पेशानी पर देखा।

हदीस 635:- अनस ﷺ रिवायत करते हैं कि अन्सार में से एक शख़्स ने अर्ज़ किया, मैं आप के हमराह नमाज़ नहीं पढ़ सकता और वह बहुत फरबा जिस्म थे। उसने रसूलुल्लाह ﷺ के लिए खाना तय्यार किया और आपको अपने मकान पर बुलाया और आप के लिए चटाई बिछा दी, और चटाई के एक किनारे को धो दिया, उस पर आपने दो रकअत नमाज़ पढ़ी। आले जारूद में से किसी ने अनस ﷺ से कहा, क्या रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़े चाश्त पढ़ा करते थे? अनस ﷺ ने कहा, मैंने बजुज़ उस दिन के और कभी आपको पढ़ते नहीं देखा।

बाब 433:- जब खाना आ जाए और (उधर) नमाज़ की इक़ामत हो जाए:

इब्ने उमर ﷺ पहले खाना खा लेते। अबू दरदा ﷺ का कहना है, आदमी के दानिश्मन्द होने की अलामत यह है कि पहले अपनी ज़रूरत पूरी कर ले ताकि हुज़ूरे क़ल्ब के साथ नमाज़ में शामिल हो।

हदीस 636:- सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब खाना चुन दिया जाए और नमाज़ की तकबीर हो जाए तो पहले खाना खा लो।"

हदीस 637:- अनस बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब खाना सामने रख दिया जाए तो नमाज़े मग़रिब से पहले खाना खा लो, और अपने खाने में जल्दी न करो।"

हदीस 638:- इब्ने उमर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम में से किसी का खाना चुन दिया जाए और (उधर) नमाज़ की तकबीर भी पढ़ी जाने लगे तो पहले खाना खाए और जल्दी न करे यहां तक कि उस से फ़ारिग़ न हो जाए। इब्ने उमर ﷺ की आदत थी जब उनके सामने खाना रख दिया जाता और जमाअत भी खड़ी हो जाती तो जब तक खाने से फ़ारिग़ न हो जाते, नमाज़ में शामिल न होते, हालांकि वह यक़ीनन इमाम की क़िरअत सुनते होते थे। ज़ुहैर और वहब बिन उस्मान ने मूसा बिन उक़बह और नाफ़ेअ ﷺ के हवाले से इब्ने उमर ﷺ से नक़्ल किया है, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम में से कोई खाने पर हो तो जल्दी न करे यहां तक कि अपनी भूक ज़ाइल करले अगर्चे जमाअत खड़ी हो गई हो।"

बाब 434:- जब इमाम को नमाज़ के लिए बुलाया जाए और वह हाथ में लिए (कुछ) खा रहा हो:

हदीस 639:- अम्र बिन उमय्यह ﷺ रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को दस्तह (बकरी का शाना) खाते देखा, आप उस में से गोश्त काट रहे थे। इतने में आपको नमाज़ के लिए बुलाया गया तो आप उठ खड़े हुए और छुरी आप ने नीचे डाल दी, फिर आप ने नमाज़ पढ़ी (लेकिन ताज़ा) वुज़ू नहीं किया।

फ़ायदा:- इस मज़मून की मुताद्दिद अहादीस हैं जिन से वाज़ेह है कि आग पर पकी हुई चीज़ खाने से वुज़ू नहीं टूटता बल्कि नमाज़ पढ़ने के लिये सिर्फ़ कुल्ली कर लेना काफ़ी है। जिन हदीसों में यह

वारिद हुआ है कि आग पर पकी हुई चीज़ें खाने से दोबारा वुज़ू करना लाज़िम हो जाता है, वह हदीसें इन हदीसों से मन्सूख़ हैं। वल्लाहु तआला आलम।

बाब 435:- जब कोई घर के धन्दों में मश्गूल हो और इक़ामत हो जाए तो चला आए:

हदीस 640:- असवद रिवायत करते हैं, मैंने सय्यदा आयशा ﵂ से पूछा रसूलुल्लाह ﷺ अपने घर में क्या करते थे? बोलीं, अपने घर वालों के काम में लगे रहते, जब नमाज़ का वक़्त हो जाता तो नमाज़ के लिए चले जाते।

बाब 436:- जो कोई मसनून तरीक़े पर नमाज़ अदा करने की तालीम के तौर पर नमाज़ पढ़ाए:

हदीस 641:- अबू क़िलाबह रिवायत करते हैं, हमारे हां मालिक बिन हुवैरिस ﵁ हमारी उसी मस्जिद में आए, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे सामने नमाज़ पढ़ता हूं। मेरा मक़सद नमाज़ पढ़ना नहीं बल्कि जिस तरह मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को नमाज़ पढ़ते देखा उसी तरह पढ़ता हूं। अय्यूब कहते हैं, मैंने अबू क़िलाबह से पूछा, वह किस तरह नमाज़ पढ़ते थे? क्या हमारे इस बुज़ुर्ग की तरह, वह जब पहली रकअत में दूसरे सज्दे से सर उठाते तो (सीधे) खड़े होने से पहले (ज़रा) बैठ जाते।

बाब 437:- साहिबे इल्म व फ़ज़ल इमामत का ज़्यादा मुस्तहिक़ है:

हदीस 642:- अबू मूसा (अशअरी) ﵁ रिवायत करते हैं, जब रसूलुल्लाह ﷺ बीमार हुए और बीमारी शिद्दत इख़्तियार कर गई तो आपने फ़रमाया: "अबू बकर से कहो वह लोगों की नमाज़ पढ़ा दें।" सय्यदा आयशा ﵂ ने कहा, वह रक़ीकुल क़ल्ब आदमी हैं, जब आप की जगह खड़े होंगे तो (शिद्दते तास्सुर से) लोगों को नमाज़ न पढ़ा सकेंगे। आपने फिर फ़रमाया: "अबू बकर से कहो लोगों को नमाज़ पढ़ा दें और तुम तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम (को घेरने) वाली औरतें हो।" पस अबू बकर ﵁ के पास आपका पैग़ाम ले जाने वाला गया, उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ की ज़िन्दगी में लोगों को नमाज़ पढ़ाई।

हदीस 643:- सय्यदा आयशा ﵂ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने अपनी बीमारी के दौरान फ़रमाया: "अबू बकर ﵁ से कहो वह लोगों को नमाज़ पढ़ा दें।" आयशा ﵂ कहती हैं, मैंने हफ़सह ﵂ से कहा, तुम अर्ज़ करो जब अबू बकर ﵁ आपकी जगह पर खड़े होंगे तो रिक़्क़त के बाइस लोगों को (अपनी क़िरअत) न सुना सकेंगे, लिहाज़ा आप उमर को हुक्म दीजिए कि वह लोगों को नमाज़ पढ़ाएं। हफ़सह ﵂ ने आप से कहा, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "ठहरो तुम यूसुफ़ ﵇ (को घेरने) वाली औरतें हो, अबू बकर ﵁ को हुक्म दो कि वह लोगों को नमाज़ पढ़ाएं।" हफ़सह ﵂ ने आयशा ﵂ से कहा, मैंने आप से कोई ख़ैर नहीं पाई।

हदीस 644:- अनस बिन मालिक ﵁ रसूलुल्लाह ﷺ के पैरोकार ख़ादिम और सहाबी थे। रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ के मर्ज़ुल मौत में अबू बकर ﵁ लोगों को नमाज़ पढ़ाते थे। जब पीर का दिन हुआ और लोग नमाज़ में सफ़ें बांधे खड़े थे, रसूलुल्लाह ﷺ ने हुजरे का पर्दा उठाया और हमें खड़े होकर देखने लगे। उस वक़्त आपका चेहरा मुस्हफ़ का एक वरक़ था, फिर आप बशाशत से मुस्कुरा दिए। हम ने चाहा अज़ रहे मुसर्रत रसूलुल्लाह ﷺ के दीदार में मश्गूल हो जाएं और अबू बकर ﵁ पीछे हटे ताकि सफ़ में मिल जाएं, उन्होंने समझा कि रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़ के लिए आने

वाले हैं, लेकिन आप ने हमारी तरफ़ इशारा किया कि अपनी नमाज़ पूरी कर लो और आप ने पर्दा गिरा दिया, उसी दिन आप ने वफ़ात पाई।

हदीस 645:- अनस ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ (मर्जुल मौत में) तीन दिन तक बाहर तशरीफ़ न लाए। एक दिन नमाज़ की इक़ामत हुई और अबू बकर (नमाज़ पढ़ाने की ग़र्ज़ से) आगे बढ़ने लगे, इतने में रसूलुल्लाह ﷺ ने पर्दा पकड़ा और उसे (ऊपर) उठा दिया। रसूलुल्लाह ﷺ का चेहरए अनवर देखते ही ऐसा शानदार मन्ज़र देखा कि उस से पहले कभी न देखा, फिर रसूलुल्लाह ﷺ ने अपने हाथ से अबू बकर ﷺ को इशारा किया कि आगे बढ़ें, रसूलुल्लाह ﷺ ने पर्दा गिरा दिया, फिर आप ऐसा न कर सके और आप की वफ़ात हो गई।

हदीस 646:- हमज़ह बिन अब्दुल्लाह अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा जब रसूलुल्लाह ﷺ की बीमारी शिद्दत पकड़ गई तो आप को नमाज़ के बारे में कहा गया, फ़रमाया: "अबू बकर ﷺ से कहो वह लोगों को नमाज़ पढ़ाएं।" सय्यदा आयशा ﷺ बोलीं, वह रक़ीकुल क़ल्ब हैं, जब क़िराअत करेंगे तो रिक़्क़त तारी हो जाएगी। आपने (फिर) फ़रमाया: "उन्हीं से कहो कि वह नमाज़ पढ़ाए।" फिर दोबारा सय्यदा आयशा ﷺ ने वही कहा, फिर आपने फ़रमाया: "उन्हीं से कहो कि वह लोगों को नमाज़ पढ़ाएं, तुम तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम (के दौर) की औरतें हो।"

बाब 438:- बर बिनाए उज़्र मुक़्तदी का इमाम के पहलू में खड़ा होना:

हदीस 647:- सय्यदा आयशा ﷺ अपने वालिद (अबू बकर ﷺ) से रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने अपनी बीमारी के दौरान हुक्म दिया कि वह लोगों को नमाज़ पढ़ाएं, चुनान्चे वह लोगों को नमाज़ पढ़ाते रहे। उरवह (इस हदीस के एक रावी) कहते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने अपने तौर पर बीमारी में इफ़ाक़ा महसूस किया तो बाहर तशरीफ़ लाए। उस वक़्त अबू बकर ﷺ लोगों की इमामत कर रहे थे लेकिन जब अबू बकर ﷺ ने आप को देखा तो पीछे होना चाहा, आप ने इशारे से उन्हें अपनी जगह पर रहने को कहा, फिर रसूलुल्लाह ﷺ अबू बकर ﷺ के पहलू में खड़े हो गए। पस अबू बकर रसूलुल्लाह ﷺ की इक़्तिदा में और लोग अबू बकर ﷺ की इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ते रहे।

बाब 439:- एक शख़्स लोगों का इमाम बना, फिर पहला इमाम आ गया तो पहला हटे या न हटे उसकी नमाज़ हो जाएगी:

इस मज़मून की एक रिवायत सय्यदा आयशा ﷺ ने रसूलुल्लाह ﷺ से बयान की।

हदीस 648:- सहल बिन सअद साअदी ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ बनी अम्र बिन औफ़ के हां तशरीफ़ ले गए ताकि उन (के किसी तनाज़आ) की सुलह करा दें। इतने में नमाज़ का वक़्त हो गया, मुअज़्ज़िन अबू बकर ﷺ के पास आया और कहा, अगर आप लोगों को नमाज़ पढ़ा दें तो मैं इक़ामत कह दूं। फ़रमाया हां, अबू बकर ﷺ नमाज़ पढ़ाने लगे तो इसी इसना में रसूलुल्लाह ﷺ तशरीफ़ ले आए और लोग नमाज़ में थे, पस आप सफ़ों में घुसे और पहली सफ़ में जाकर ठहर गए। लोगों ने ताली की आवाज़ से उन्हें मुतवज्जह करना चाहा मगर चूंकि अबू बकर ﷺ नमाज़ के दौरान इधर उधर नहीं देखते थे (इस लिए न चौंके) लेकिन लोगों ने बहुत ज़ोर से तालियां बजाईं तो अबू बकर ﷺ मुतवज्जह हुए और रसूलुल्लाह ﷺ को देखा। रसूलुल्लाह ﷺ ने इशारे से उन्हें अपनी जगह पर क़ायम रहने को कहा। अबू बकर ﷺ ने दोनों हाथ उठा कर अल्लाह तआला का शुक्र अदा किया

कि रसूलुल्लाह ﷺ ने उन्हें इक़ामत जारी रखने को कहा, फिर वह पीछे हट कर सफ़ में मिल गए। रसूलुल्लाह ﷺ आगे बढ़े और नमाज़ पढ़ाई। जब आप फ़ारिग़ हुए तो फ़रमायाः "अबू बकर! जब मैंने तुम्हें कहा था तो तुम क्यों न ठहरे रहे।" अबू बकर رضي الله عنه बोले, अबू क़हाफ़ह के बेटे की क्या मजाल कि रसूलुल्लाह ﷺ के आगे नमाज़ पढ़ाए। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "क्या हुआ तुम ने तालियां क्यों पीटीं, (देखो) जब किसी को नमाज़ में कोई ज़रूरत पेश आए तो उसे चाहिए कि सुब्हानल्लाह कह दे क्योंकि जब वह सुब्हानल्लाह कहेगा तो उसकी तरफ़ तवज्जह होगी ताली (का इशारा) सिर्फ़ औरतों के लिए है।

बाब 440:- अगर कुछ लोग (इल्म और) क़िरअत में बराबर हों तो सिन रसीदा इमामत कराए:

हदीस 649:- मालिक बिन हुवैरिस رضي الله عنه रिवायत करते हैं, हम रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुए, हम सब जवान थे, हम ने कोई बीस दिन तक क़याम किया। रसूलुल्लाह ﷺ हद दरजा मेहरबान थे, फ़रमायाः "अगर तुम अपने घर जाओ तो उन्हें तालीम दो, उन्हें कहना इस तरह इस वक़्त और इस तरीक़े से इस वक़्त नमाज़ पढ़ें और जब नमाज़ का वक़्त हो तो तुम में से एक शख़्स अज़ान कहे और जो उम्र में बड़ा हो वह इमामत कराए।"

बाब 441:- अगर इमाम कुछ लोगों से मिलने जाए तो उनका इमाम हो सकता है:

हदीस 650:- इतबान बिन मालिक अन्सारी رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने (मेरे घर में आने की) इजाज़त मांगी। मैंने इजाज़त दी, फ़रमायाः "तुम अपने घर में किस जगह नमाज़ पढ़वाना पसन्द करते हो।" उस जगह की तरफ़ मैंने इशारा कर दिया। आप खड़े हुए, हम ने आपके पीछे सफ़ बांधी उसके बाद आप ने और हम ने सलाम फेरा।

बाब 442:- इमाम का तक़र्रुर इस लिए होता है कि उसकी पैरवी की जाएः

रसूलुल्लाह ﷺ ने मर्ज़ुल मौत में लोगों को बैठ कर नमाज़ पढ़ाई। अब्दुल्लाह बिन मसऊद رضي الله عنه ने फ़रमायाः जब कोई इमाम से पहले सर उठाए, उसे चाहिए कि फिर लौट जाए और जितनी देर कि सर उठाए रहा वहां ठहरे, उसके बाद इमाम की पैरवी करे। और हसन (बसरी) رحمه الله ने कहा, अगर कोई इमाम के साथ दो रकअतें पढ़े और सज्दा न कर सके तो आख़िरी रकअत में दो सज्दे कर ले बादे अज़ां पहली रकअत मअ सज्दों के अदा करे और जो शख़्स सज्दा भूल कर खड़ा हो जाए उसके बारे में कहा है कि वह सज्दा कर ले।

हदीस 651:- उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उतबह रिवायत करते हैं, मैं सय्यदा आयशा رضي الله عنها के पास गया, मैंने कहा आप मुझे रसूलुल्लाह ﷺ के मर्ज़ का हाल क्यों नहीं बयान करतीं। बोलीं, अच्छा (सुनो) रसूलुल्लाह ﷺ बीमार हुए, आपने दरयाफ़्त फ़रमायाः "क्या लोग नमाज़ पढ़ चुके?" हम ने अर्ज़ किया नहीं, या रसूलल्लाह! वह आपके मुन्तज़िर हैं। आपने फ़रमायाः "मेरे लिए तश्त में पानी रख दो।" कहती हैं, हम ने इस तरह किया, पस आपने ग़ुस्ल फ़रमाया, फिर खड़े होना चाहा मगर ग़शी तारी हो गई। जब होश आया तो फिर फ़रमायाः "लोग नमाज़ पढ़ चुके?" हम बोले नहीं या रसूलल्लाह! वह आपके मुन्तज़िर हैं। आपने फ़रमायाः "मेरे लिए तश्त में पानी रख दो, हमने ऐसा किया, पस आपने

गुस्ल फ़रमाया, फिर खड़े होना चाहा लेकिन बेहोश हो गए। फिर जब इफ़ाक़ा हुआ तो फ़रमायाः "क्या लोग नमाज़ पढ़ चुके?" हमने अर्ज़ किया नहीं या रसूलल्लाह! वह आपके इन्तिज़ार में हैं। फ़रमायाः "मेरे लिए तश्त में पानी रख दो।" पस उठ बैठे, गुस्ल किया और जाने लगे तो ग़शी का दौरा पड़ गया। इफ़ाक़ा हुआ तो फ़रमायाः "क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली?" हमने कहा नहीं या रसूलुल्लाह! वह आपके इन्तिज़ार में हैं और लोग मस्जिद में रसूलुल्लाह ﷺ का इशा की नमाज़ में इन्तिज़ार कर रहे थे, बिल-आख़िर आपने अबू बकर رضی اللہ عنہ को कहला भेजा कि लोगों को नमाज़ पढ़ाएं, चुनान्चे क़ासिद उनके पास गया और कहा, रसूलुल्लाह ﷺ आपको लोगों को नमाज़ पढ़ाने का हुक्म देते हैं। अबू बकर رضی اللہ عنہ ने कहा और वह बहुत रक़ीक़ुल क़ल्ब थे, उमर رضی اللہ عنہ तुम लोगों को नमाज़ पढ़ा दो। उमर رضی اللہ عنہ ने उन से कहा, तुम इसके ज़्यादा मुस्तहिक़ हो, तब अबू बकर अ ने उन अय्याम में नमाज़ पढ़ाई। उसके बाद रसूलुल्लाह ﷺ ने अपने मर्ज़ में इफ़ाक़ा महसूस किया तो आप दो आदमियों के दरमियान (सहारा लेकर) नमाज़े ज़ुहर के लिए निकले और उन में से एक अब्बास رضی اللہ عنہ थे। उस वक़्त अबू बकर رضی اللہ عنہ लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे थे। जब आपको अबू बकर رضی اللہ عنہ ने देखा तो पीछे हटने लगे मगर आपने इशारा किया कि पीछे न हटें, फिर आपने फ़रमायाः "मुझे इनके पहलू में बिठा दो।" चुनान्चे उन दोनों ने आपको अबू बकर رضی اللہ عنہ के पहलू में बिठा दिया। (उबैदुल्लाह) कहते हैं, अबू बकर رضی اللہ عنہ उस वक़्त इस तरह नमाज़ पढ़ने लगे कि वह (खुद) तो रसूलुल्लाह ﷺ की नमाज़ की इक़्तिदा करते थे और लोग अबू बकर رضی اللہ عنہ की नमाज़ की इक़्तिदा करते थे। रसूलुल्लाह ﷺ बैठे हुए थे। (उबैदुल्लाह) कहते हैं, फिर मैं अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہما के पास गया और उन्हें कहा, मैं आपको वह हदीस न सुनाऊँ जो मुझ से सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا ने रसूलुल्लाह ﷺ के मर्ज़ के मुताल्लिक़ बयान की। बोले सुनाओ, मैंने उनके सामने वह हदीस बयान की। इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہما ने उस में से किसी बात का इन्कार न किया, सिर्फ़ इतना कहा, आयशा رضی اللہ عنہا ने तुम्हें उसका नाम भी बताया जो अब्बास رضی اللہ عنہ के हमराह था? मैंने कहा नहीं, कहा वह अली رضی اللہ عنہ थे।

हदीस 652:- सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने बीमारी के दौरान बैठ कर अपने घर में नमाज़ अदा की, और लोगों ने खड़े होकर आपके पीछे नमाज़ अदा की। तो आपने इरशाद फ़रमायाः "बैठ जाओ।" जब आप फ़ारिग़ हुए तो फ़रमायाः "इमाम इसी लिए बनाया जाता है कि उसकी पैरवी की जाए लिहाज़ा जब वह रुकूअ करे तुम भी रुकूअ करो, जब वह सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ, जब वह "سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ" कहे तुम "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" कहो और जब वह बैठ कर नमाज़ पढ़े तो तुम सब भी बैठ कर नमाज़ पढ़ो।"

हदीस 653:- अनस बिन मालिक رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ घोड़े पर सवार हुए और उससे गिर गए जिससे आपके जिस्म का दायां पहलू ज़ख़्मी हो गया, बिना बरीं आपने नमाज़ों में से एक नमाज़ बैठ कर पढ़ी और हमने भी आपके पीछे बैठ कर नमाज़ पढ़ी। फिर जब फ़ारिग़ हुए तो आपने फ़रमायाः "इमाम इसी लिए बनाया जाता है कि उसकी इक़्तिदा की जाए, जब वह खड़ा होकर नमाज़ पढ़े तुम भी खड़े होकर नमाज़ पढ़ो और जब वह रुकूअ करे तुम भी रुकूअ करो, जब वह सर उठाए तुम भी सर उठाओ, जब वह "سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ" कहे तुम "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" कहो और जब वह बैठ कर पढ़े तो तुम बैठ कर पढ़ो।" इमाम बुख़ारी ने हुमैदी के हवाले से कहा है कि आप का यह

फ़रमाना कि "जब वह बैठ कर पढ़े तुम भी बैठ कर पढ़ो" यह आपकी पहली बीमारी से मुताल्लिक़ है। बादे अज़ां रसूलुल्लाह ﷺ ने बैठ कर नमाज़ पढ़ी तो लोग आपके पीछे खड़े हुए थे और आपने उन्हें बैठने को नहीं कहा, और यह मुसल्लमा अम्र है कि रसूलुल्लाह ﷺ के सब से आख़िरी फ़ेअल पर अमल किया जाता है।

बाब 443:- मुक़्तदी कब सज्दा करें:

अनस رضي الله عنه के मुताबिक़ रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब इमाम सज्दा करे तो तुम भी सज्दा करो।"

हदीस 654:- अब्दुल्लाह बिन यज़ीद रिवायत करते हैं कि मुझ से बराअ बिन आज़िब رضي الله عنه ने बयान किया (और वह ग़लत बयानी करने वाले नहीं थे) जब रसूलुल्लाह ﷺ ने سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ कहा तो हम में से कोई शख़्स उस वक़्त तक अपनी पीठ न झुकाता यहां तक कि आप सज्दे में न चले जाते, आप के बाद हम लोग सज्दे में जाते।

बाब 444:- उस शख़्स का गुनाह जो इमाम से पहले सर उठाए:

हदीस 655:- अबू हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तुम में से जो शख़्स अपना सर इमाम से पहले उठाता है, क्या इस अम्र का डर नहीं कि ख़ुदा उस का सर गधे का बना दे और या उसे गधे का हम-शक्ल बना दे।"

बाब 445:- ग़ुलाम और आज़ाद करदा ग़ुलाम की इमामत:

आयशा رضي الله عنها की इमामत (उनका) ज़कवान नामी ग़ुलाम क़ुरआने मजीद (देख कर) करता था और वलदुज़्ज़िना, गंवार और नाबालिग़ की इमामत क्योंकि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया है: "लोगों की इमामत वह कराए जो किताबुल्लाह का ज़्यादा पढ़ने वाला हो और ग़ुलाम को बिला वजह जमाअत से न रोका जाए।"

हदीस 656:- अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ की तशरीफ़ आवरी से पहले जब मुहाजिर कुबा के मुहल्ले अस्बह में क़याम पज़ीर थे, तो उनकी इमामत हुज़ैफ़ह رضي الله عنه के आज़ाद करदा ग़ुलाम सालिम رضي الله عنه किया करते थे क्योंकि वह क़ुरआन का इल्म सब से ज़्यादा रखते थे।

हदीस 657:- अनस बिन मालिक رضي الله عنه रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत करते हैं: "अगर कोई हब्शी हाकिम बना दिया जाए और उसका सर अंगूर जैसा हो तो उसकी बात सुनो और इताअत करो।"

बाब 446:- अगर इमाम ने अपनी नमाज़ पूरी न की हो और मुक़्तदी ने पूरी करली:

हदीस 658:- अबू हुरैरह رضي الله عنه से रिवायत से है, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "यह लोग जो तुम्हें नमाज़ पढ़ाते हैं अगर दुरुस्त पढ़ाएं तो तुम्हारे लिए (सवाब) है, अगर ग़लत करेंगे तो तुम्हारे लिए (सवाब) और उन पर (इताब होगा)।

बाब 447:- बाग़ी और बिदअती की इमामत:

हसन (बसरी) رحمه الله कहते हैं, (बिदअती के पीछे) नमाज़ पढ़ लो, बिदअत (का गुनाह) उस पर है। हम से मुहम्मद बिन यूसुफ़ ने औज़ाई के हवाले से ज़ुहरी, हुमैद बिन अब्दुर्रहमान, उबैदुल्लाह बिन अदी बिन ख़्यार से रिवायत की है कि वह उस्मान बिन अफ़्फ़ान رضي الله عنه के पास उस वक़्त गए जब वह महसूर

हो चुके थे। उन से कहा, आप मुसलमानों के इमाम हैं और जो कुछ आपके साथ हो रहा है वह आप देख रहे हैं, अब हमें बाग़ी नमाज़ पढ़ाता है और हमें इन्क़िबाज़ महसूस होता है। हज़रत उस्मान ﷺ ने फ़रमायाः नमाज़ आदमी के बेहतरीन कामों में से है, जब लोग अच्छा काम करें तो तुम भी करो और जब वह बुरा काम करें तो तुम बुराई से अलग रहो। ज़ुबैदी के मुताबिक़ ज़ुहरी का क़ौल है, हम हिजड़े के पीछे नमाज़ जाइज़ नहीं समझते अल्बत्ता बअम्रे मजबूरी।

हदीस 659:- अनस बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने अबूज़र ﷺ से फ़रमायाः "सुनो और इताअत करो अगर्चे वह हब्शी हो जिस का सर अंगूर की मानिन्द हो।"

बाब 448:- जब दो नमाज़ी हों तो मुक़्तदी इमाम के दाएं पहलू उसके बराबर खड़ा हो:

हदीस 660:- इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, मैं एक रात अपनी ख़ाला मैमूनह ﷺ के घर रहा। रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़े इशा पढ़ कर तशरीफ़ लाए, चार रकअतें पढ़ीं और फिर सो रहे। फिर उठे और (नमाज़ के लिए) खड़े हो गए, मैं आया और आपके बाएं पहलू खड़ा हो गया। आपने मुझे दाएं तरफ़ कर लिया, फिर आपने पांच रकअतें अदा कीं, और मज़ीद दो रकअतें, बादे अज़ां सो रहे और मैंने ख़र्राटे की आवाज़ सुनी, उसके बाद आप नमाज़े (फ़ज्र) के लिए बाहर तशरीफ़ ले गए।

बाब 449:- अगर कोई शख़्स इमाम के बाएं पहलू में खड़ा हो और इमाम उसे अपनी दाहिनी जानिब करले तो किसी की नमाज़ फ़ासिद न होगी:

हदीस 661:- इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, मैं एक रात सय्यदा मैमूनह ﷺ के घर गया, रसूलुल्लाह ﷺ उस रात को उनके हां थे। आपने वुज़ू किया, उसके बाद खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे। मैं भी आपके बाएं पहलू में खड़ा हो गया तो आपने मुझे पकड़ कर दाहिनी तरफ़ कर लिया, फिर आपने तेरह रकअतें पढ़ीं, फिर सो रहे हत्ता कि ख़र्राटे लेने लगे और जब आप सोते तो ख़र्राटे लेते थे, फिर मुअज़्ज़िन आया और आप तशरीफ़ ले गए और नमाज़े (फ़ज्र) पढ़ी।

बाब 450:- अगर इमाम ने (शुरू में) इमामत की नियत न की हो, फिर कुछ लोग आ गए और वह उनकी इमामत करे:

हदीस 662:- इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, मैं एक रात अपनी ख़ाला (उम्मुल मोमिनीन) मैमूनह ﷺ के हां लेटा। रसूलुल्लाह ﷺ रात की नमाज़ पढ़ने खड़े हुए, मैं भी आपके साथ बाएं पहलू में खड़ा हो गया, आपने मेरा सर पकड़ कर मुझे अपनी दाहिनी जानिब कर लिया।

बाब 451:- अगर इमाम (नमाज़ को) लम्बा करदे और किसी को काम हो तो वह अकेला नमाज़ पढ़ कर निकल जाए:

हदीस 663:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ﷺ रिवायत करते हैं, मुआज़ बिन जबल ﷺ नमाज़ रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह पढ़ते, बादे अज़ां घर जाकर अपनी क़ौम की इमामत करते। उन्होंने इशा की नमाज़ पढ़ाई और सूरए बक़रह पढ़ डाली, एक शख़्स चला गया, बदीं सबब मुआज़ ﷺ को दुख हुआ। यह बात रसूलुल्लाह ﷺ तक जा पहुंची तो आपने मुआज़ ﷺ से तीन मर्तबा फ़रमायाः "يَا فَتَّانُ" (आज़माइश में डालने वाला) या फ़रमायाः "فَاتِنًا" आपने उन्हें मुफ़स्सल की दरमियानी दो सूरतें पढ़ने का हुक्म दिया। अम्र ﷺ (इस हदीस के एक रावी) कहते हैं, वह मुझे याद नहीं रहीं।

बाब 452:– कयाम में इमाम का तख़्फ़ीफ़ करना और रुकूअ व सुजूद पूरा करना:

हदीस 664:– अबू मसऊद ؓ रिवायत करते हैं, एक शख़्स ने कहा या रसूलल्लाह! क़सम बख़ुदा, मैं सुबह की जमाअत से इस लिए रह जाता हूं कि फ़ुलां साहब उसे बहुत लम्बा कर देते हैं। पस मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को नसीहत व तल्क़ीन के वक़्त इस क़दर नाराज़ नहीं देखा, बादे अज़ां आपने फ़रमाया: "तुम में से कुछ लोग नफ़रत दिलाते हैं, लिहाज़ा तुम में से जो शख़्स लोगों को नमाज़ पढ़ाए तो हल्की पढ़ाए क्योंकि मुक़्तदियों में ज़ईफ़, सिन रसीदा और काम काज वाले लोग होते हैं।"

बाब 453:– जो शख़्स अपने तौर पर नमाज़ पढ़े जिस क़दर चाहे उसे लम्बा करे:

हदीस 665:– अबू हुरैरा ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब कोई शख़्स लोगों को नमाज़ पढ़ाए तो उसे तख़्फ़ीफ़ करना चाहिए, क्योंकि मुक़्तदियों में कमज़ोर, बीमार और उम्र रसीदा लोग होते हैं (अल्बत्ता) तुम में से जो कोई अपने तौर पर नमाज़ पढ़े तो जिस क़दर चाहे उसे तूल दे।"

बाब 454:– जिस ने अपने इमाम की नमाज़ लम्बी करने पर शिकायत की:

अबू उसैद ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम ने हमारी नमाज़ को लम्बा कर दिया।

हदीस 666:– अबू मसऊद ؓ रिवायत करते हैं, एक शख़्स ने रसूलुल्लाह ﷺ से कहा, मैं सुबह की जमाअत से सिर्फ़ इस लिए रह जाता हूं कि फ़ुलां साहब उसे बहुत लम्बा कर देते हैं। रसूलुल्लाह ﷺ हद दरजा नाराज़ हुए। मैंने नसीहत व तल्क़ीन के मौक़ा पर आपको उससे बढ़ कर कभी नाराज़ नहीं देखा। उसके बाद आपने फ़रमाया: "लोगो! तुम में से कुछ लोग नफ़रत दिलाते हैं, तुम में से जो शख़्स लोगों की इमामत करे उसे चाहिए कि तख़्फ़ीफ़ करे, क्योंकि उसके पीछे कमज़ोर, बूढ़े और काम काज वाले होते हैं।"

हदीस 667:– जाबिर बिन अब्दुल्लाह ؓ रिवायत करते हैं, एक शख़्स दो ऊँट पानी से भरे हुए ला रहा था। रात का पहला पहर था, उसने मुआज़ ؓ को नमाज़ पढ़ते देखा तो अपने ऊँटों को बिठा कर मुआज़ ؓ की तरफ़ आया। मुआज़ ؓ ने अल-बक़रह या अल-निसा शुरू कर दी। वह शख़्स (नमाज़ तोड़ कर) चला गया। फिर उसे पता चला कि मुआज़ ؓ नाराज़ हैं तो वह रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आपसे मुआज़ ؓ की शिकायत की। रसूलुल्लाह ﷺ ने तीन बार फ़रमाया: "ऐ मुआज़! क्या तू (लोगों को) आज़माइश में डालने वाला है? तुम ने क्यों न سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى। और وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشٰى पढ़ी, क्योंकि तेरे पीछे बूढ़े, कमज़ोर और काम काज वाले नमाज़ पढ़ते हैं।"

बाब 455:– नमाज़ मुख़्तसर और पूरी पढ़ना:

हदीस 668:– अनस बिन मालिक ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़ मुख़्तसर और पूरी पढ़ते थे।

बाब 456:– जो शख़्स बच्चे के रोने की आवाज़ सुन कर नमाज़ को मुख़्तसर करदे:

हदीस 669:– अबू क़तादह ؓ रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत करते हैं, आपने फ़रमाया: "मैं

नमाज़ के लिए खड़ा होता हूं, दिल चाहता है उसे लम्बा करूं लेकिन बच्चे के रोने की आवाज़ सुन कर मैं अपनी नमाज़ मुख़्तसर कर लेता हूं, उसकी मां को ज़हमत देना बुरा समझता हूं।"

हदीस 670:- अनस बिन मालिक ﷺ रिवायात करते हैं, मैंने किसी इमाम के पीछे रसूलुल्लाह ﷺ से बढ़ कर हल्की और मुकम्मल नमाज़ नहीं पढ़ी। बिला शुब्हा आप बच्चे के रोने की आवाज़ सुन कर इस डर के पेशे नज़र कि उसकी मां आज़माइश में पड़ जाएगी, मुख़्तसर कर देते थे।

हदीस 671:- अनस बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मैं जब नमाज़ में दाख़िल होता हूं तो ख़्याल आता है उसे लम्बा कर दूं, मगर बच्चे का रोना सुन कर अपनी नमाज़ मुख़्तसर कर लेता हूं क्योंकि मैं जानता हूं उसकी मां किस क़दर परेशान हो रही होगी।"

हदीस 672:- अनस बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मैं नमाज़ शुरू करता हूं तो उसे तूल देना चाहता हूं लेकिन बच्चे के रोने की आवाज़ सुन कर उसे मुख़्तसर कर देता हूं क्योंकि मुझे मालूम है बच्चे के रोने से उसकी मां किस क़दर बेचैन होगी।"

बाब 457:- जब ख़ुद नमाज़ पढ़ चुका हो फिर लोगों का इमाम बनना:

हदीस 673:- जाबिर ﷺ रिवायत करते हैं, मुआज़ ﷺ रसूलुल्लाह ﷺ के साथ पढ़ लेते और उसके बाद अपनी क़ौम के पास जाते और उनकी इमामत कराते थे।

बाब 458:- इमाम की तकबीर लोगों को सुनाना:

हदीस 674:- सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, जब रसूलुल्लाह ﷺ मर्ज़ुल मौत में मुब्तला हुए तो बिलाल ﷺ आप को नमाज़ की इत्तिला देने आए। आपने फ़रमाया: "अबू बकर से कहो वह लोगों को नमाज़ पढ़ा दें।" मैंने अर्ज़ किया अबू बकर नर्म दिल हैं, जब वह आपकी जगह खड़े होंगे तो उन पर रिक़्क़त तारी हो जाएगी और क़िरअत नहीं कर सकेंगे। आपने फ़रमाया: "जाओ अबू बकर से कहो नमाज़ पढ़ाएं।" मैंने फिर वही अर्ज़ दोहराई, तो तीसरी या चौथी बार आपने फ़रमाया: "तुम तो यूसुफ़ ﷺ (को घेरने) वाली औरतें हो, अबू बकर से कहो वह नमाज़ पढ़ाएं।" तो अबू बकर ﷺ ने नमाज़ शुरू की, रसूलुल्लाह ﷺ दो आदमियों का सहारा लेकर निकले गोया मैं इस वक़्त भी आपको देख रहीं हूं, आपके दोनों पांव ज़मीन से घिसटते जाते हैं। जब अबू बकर ﷺ ने आपको देखा तो पीछे हटने लगे मगर आपने उन्हें नमाज़ जारी रखने का इशारा फ़रमाया चुनाँचे अबू बकर कुछ पीछे हट गए और रसूलुल्लाह ﷺ उनके पहलू में बैठ गए और अबू बकर ﷺ लोगों को तकबीर सुनाते जाते हैं।

बाब 459:- अगर एक शख़्स इमाम की इक़्तिदा करे और (दूसरे) लोग उस मुक़्तदी की इक़्तिदा करें:

रसूलुल्लाह ﷺ से मन्क़ूल है, आपने फ़रमाया: "तुम मेरी पैरवी करो, बाद वाले तुम्हारी पैरवी करें।"

हदीस 675:- सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, जब रसूलुल्लाह ﷺ बीमार हुए तो बिलाल ﷺ आपके पास नमाज़ की इत्तिला के लिए आए। आपने फ़रमाया: "अबू बकर से कहो वह लोगों को नमाज़ पढ़ा दें।" मैं बोली, या रसूलल्लाह! अबू बकर नर्म दिल आमदमी हैं, जब वह आपकी जगह पर खड़े होंगे तो लोगों को (अपनी आवाज़) न सुना सकेंगे, हां अल्बत्ता आप उमर ﷺ को हुक्म देते। फिर आपने फ़रमाया: "अबू बकर से कहो वह लोगों को नमाज़ पढ़ाएं।" पस मैंने हफ़सह ﷺ से कहा, तुम अर्ज़ करो कि अबू बकर नर्म दिल आदमी हैं, जब वह आपकी जगह खड़े होंगे तो लोगों को

अपनी आवाज़ न सुना सकेंगे, अच्छा होता आप उमर رضي الله عنه को हुक्म दें। इस पर आपने फ़रमायाः "तुम यूसुफ़ عليه السلام (को घेरने) वाली औरतें हो, अबू बकर से कहो, वह लोगों को नमाज़ पढ़ाएं।" फिर जब उन्होंने नमाज़ शुरू की तो रसूलुल्लाह ﷺ को कुछ इफ़ाक़ा महसूस हुआ, आप दो आदमियों का सहारा लेकर बाहर तशरीफ़ ले गए, और आपके दोनों पांव ज़मीन से घिसटते जाते थे यहां तक कि आप मस्जिद में दाख़िल हुए। जब अबू बकर رضي الله عنه ने आपकी आहट सुनी तो अबू बकर पीछे हटने लगे लेकिन रसूलुल्लाह ﷺ ने इशारा किया (कि खड़े रहो) फिर आप तशरीफ़ लाए और अबू बकर رضي الله عنه के बाएं पहलू में बैठ गए। अबू बकर رضي الله عنه खड़े हुए नमाज़ पढ़ रहे थे और रसूलुल्लाह ﷺ बैठे हुए, अबू बकर رضي الله عنه रसूलुल्लाह ﷺ की इक्तिदा और (दूसरे) लोग अबू बकर की इक्तिदा करते थे।

बाब 460:- इमाम जब शक में पड़ जाए तो क्या मुक़्तदियों के कहे पर अमल करे:

हदीस 676:- अबू हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ दो रकअत नमाज़ पढ़ कर फ़ारिग़ हुए तो ज़ुल यदैन رضي الله عنه ने आप से अर्ज़ किया, क्या नमाज़ कम कर दी गई है या आप भूल गए? रसूलुल्लाह ﷺ ने दूसरों से फ़रमायाः "ज़ुल यदैन दुरुस्त कहते हैं?" लोग बोले हां, पस रसूलुल्लाह ﷺ खड़े हो गए और दो रकअतें और पढ़ लीं। फिर सलाम फेर कर फिर अल्लाहु अकबर कहा और (मामूल के मुताबिक़) अपने सज्दे की तरह सज्दा किया या उस से ज़रा लम्बा किया।

हदीस 677:- अबू हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने ज़ुहर की दो रकअतें पढ़ीं तो कहा गया, आपने दो रकअतें पढ़ी हैं। पस आपने (और) दो रकअतें पढ़ लीं, फिर सलाम फेर कर आपने (सहूव के) दो सज्दे किए।

बाब 461:- जब इमाम नमाज़ में रो दे:

अब्दुल्लाह बिन शद्दाद कहते हैं, मैंने उमर رضي الله عنه के रोने की आवाज़ सुनी जबकि मैं बिल्कुल पिछली सफ़ों में था। वह إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ की तिलावत कर रहे थे।

हदीस 678:- उम्मुल मोमिनीन आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने अपनी बीमारी के दौरान फ़रमायाः "अबू बकर से कहो वह लोगों को नमाज़ पढ़ाएं।" आयशा رضي الله عنها कहती हैं, मैंने आपसे कहा, अबू बकर رضي الله عنه जब आपकी जगह पर खड़े होंगे तो रोने के बाइस लोगों को (अपनी क़िरअत) न सुना सकेंगे लिहाज़ा आप उमर رضي الله عنه को हुक्म दीजिए कि वह लोगों को नमाज़ पढ़ाएं। फिर आपने फ़रमायाः "अबू बकर से कहो वह लोगों को नमाज़ पढ़ाएं" आयशा رضي الله عنها कहती हैं, मैंने हफ़सह رضي الله عنها से कहा, तुम हुज़ूर से कहो कि अबू बकर رضي الله عنه जब आपकी जगह खड़े होंगे तो रोने के बाइस लोगों को अपनी (क़िरअत की) आवाज़ नहीं सुना सकेंगे लिहाज़ा आप उमर رضي الله عنه को हुक्म दें कि लोगों को नमाज़ पढ़ाएं। हफ़सह رضي الله عنها ने इस तरह कहा, इस पर रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "तुम यूसुफ़ (को बहकाने) वाली औरतें हो, अबू बकर से कहो वह लोगों को नमाज़ पढ़ाएं।" हफ़सह رضي الله عنها ने सय्यदा आयशा رضي الله عنها से कहा, मुझे आपसे कभी भलाई नसीब नहीं हुई।

फ़ायदाः- यह वाक़िआ किसी क़दर कमी या बेशी के साथ हदीस ६४२, ६४८, ६५१, ६७४ और ६७५ में भी गुज़र चुका है। जब रसूलुल्लाह ﷺ ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ رضي الله عنه को सहाबए किराम رضي الله عنهم का अपनी मौजूदगी में इमाम मुक़र्रर फ़रमा दिया था तो आपके बाद उनकी इमामत का कौन इन्कार

कर सकता था। यह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ख़लीफ़ा अव्वल और जानशीने रसूल होने का बहुत बड़ा सुबूत है। वल्लाहु तआला आलम।

बाब 462:- इक़ामत के वक़्त और उसके बाद सफ़ों को दुरुस्त करना:

हदीस 679:- नोमान बिन बशीर कहते हैं, रसूलुल्लाह ने फ़रमाया: "अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लिया करो वरना अल्लाह तआला तुम्हारे चेहरे उलट देगा।"

हदीस 680:- अनस कहते हैं, रसूलुल्लाह ने फ़रमाया: "सफ़ों को दुरुस्त करो क्योंकि मैं तुम्हें अपनी पीठ पीछे से (भी) देखता हूं।"

बाब 463:- सफ़ों को दुरुस्त करते वक़्त इमाम का लोगों की तरफ़ मुतवज्जह होना:

हदीस 681:- अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, एक मर्तबा नमाज़ खड़ी की गई तो रसूलुल्लाह ने अपना मुंह हमारी तरफ़ करके फ़रमाया: "तुम लोग अपनी सफ़ें दुरुस्त रखो और जम कर खड़े हो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पीछे से देखता हूं।"

बाब 464:- पहली सफ़ (की फ़ज़ीलत):

हदीस 682:- अबू हुरैरह रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने फ़रमाया: "शुहदा यह हैं: जो डूबने, पेट के मर्ज़, ताऊन और दबने से मर जाए।" और फ़रमाया: "अगर लोगों को मालूम हो कि अव्वल वक़्त में नमाज़ अदा करने में क्या कुछ (फ़ज़ीलत) है तो बिला शुब्हा उसकी तरफ़ दौड़ें, अगर उन्हें इल्म हो इशा और सुबह की नमाज़ (बा-जमाअत) में क्या है तो यक़ीनन उन नमाज़ों में (हर सूरत) शरीक हों, ख़्वाह घुटनों के बल (आना पड़े) अगर वह जान लें कि पहली सफ़ में क्या (और किस क़दर) फ़ज़ीलत है तो क़ुरआ डालें।"

बाब 465:- सफ़ें दुरुस्त करना (गोया) नमाज़ को पूरा करना है:

हदीस 683:- अबू हुरैरह रसूलुल्लाह से रिवायत करते हैं, आपने फ़रमाया: "इमाम इसी लिए मुक़र्रर किया गया है कि उसकी पैरवी की जाए लिहाज़ा उससे इख़्तिलाफ़ न करो, जब वह रुकूअ करे तुम भी रुकूअ करो, जब वह سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ कहे तुम رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ कहो, जब वह सज्दा करे तुम भी सजदा करो, जब वह बैठ कर (नमाज़) पढ़े तुम भी बैठ कर पढ़ो, और नमाज़ में सफ़ें दुरुस्त रखो क्योंकि सफ़ों की दुरुस्तगी नमाज़ की ज़ीनत है।"

हदीस 684:- अनस रसूलुल्लाह से रिवायत करते हैं, आपने फ़रमाया: "अपनी सफ़ें बराबर रखो इस लिए कि सफ़ों को बराबर करना नमाज़ के क़ायम करने में शामिल है।"

बाब 466:- उस शख़्स पर गुनाह जो सफ़ें पूरी न करे:

हदीस 685:- अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, जब वह मदीना में आए, तो उनसे कहा गया आपने रसूलुल्लाह के अहदे मुबारक के बरअक्स कौन सी चीज़ हमारे अन्दर पाई? उन्होंने कहा बस एक चीज़ कि तुम अपनी सफ़ें दुरुस्त नहीं करते।

बाब 467:- सफ़ में कंधे से कंधा और क़दम से क़दम मिला कर खड़े होना: नोमान बिन बशीर कहते हैं, मैंने देखा है कि हम में हर आदमी टख़ने से टख़ना मिला कर खड़ा होता था।

हदीस 686:- अनस रसूलुल्लाह से रिवायत करते हैं: "अपनी सफ़ें ठीक कर लिया

करो क्योंकि मैं अपनी पीठ पीछे भी देखता हूं, और हम में से हर आदमी अपना कंधा अपने साथ वाले आदमी के कंधे और अपना क़दम उसके क़दम से मिल देता है।"

बाब 468:- अगर एक शख़्स इमाम के बाएं तरफ़ खड़ा हो और इमाम उसे अपने पीछे से दाएं तरफ़ ले आए तो उसकी नामज़ सही हो जाएगी:

हदीस 687:- इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, मैंने एक रात रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह नमाज़े (तहज्जुद) अदा की, तो मैं आपके बाएं जानिब खड़ा हो गया। रसूलुल्लाह ﷺ ने मेरा सर मेरे पीछे से पकड़ कर मुझे अपनी दाहिनी जानिब कर लिया और आपने नमाज़ अदा की और सो रहे, फिर आप के पास मुअज़्ज़िन आया तो आप नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो गए और वुज़ू नहीं किया।

बाब 469:- तन्हा औरत एक सफ़ (है):

हदीस 688:- अनस बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं, मैं और एक बच्चे ने अपने घर के अन्दर रसूलुल्लाह ﷺ के पीछे नमाज़ पढ़ी तो मेरी वालिदा उम्मे सुलैम ﷺ हम सब के पीछे थीं।

बाब 470:- एक मुक़्तदी (हो तो) इमाम के दाएं जानिब खड़ा हो:

हदीस 689:- इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, एक रात नमाज़े (तहज्जुद) पढ़ने के लिए मैं रसूलुल्लाह ﷺ के बाएं जानिब खड़ा हो गया तो आपने मेरा हाथ या कंधा पकड़ कर मुझे अपनी दाएं जानिब कर लिया और हाथ से इशारा किया कि पीछे से आओ।

बाब 471:- अगर इमाम और मुक़्तदियों के दरमियान दीवार या सुतरह हो:

हसन (बसरी) ﷺ कहते हैं, अगर तुम्हारे और इमाम के दरमियान नहर हाइल हो, तो भी इक़्तिदा करो, इस में कोई मुज़ायक़ा नहीं। अबू मिज्लज़ का कहना है, इमामं की इक़्तिदा करो ख़्वाह दोनों के दरमियान कोई रास्ता या दीवार हो शर्त यह कि इमाम की तकबीर सुन रहा हो।

हदीस 690:- सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़े शब अपने हुजरे में अदा फ़रमाते थे और हुजरे की दीवार छोटी थी। कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह ﷺ का जिस्म देख लिया और कुछ लोगों ने आपकी इक़्तिदा शुरू कर दी। सुबह हुई तो लोगों ने उसका चर्चा किया, दूसरी रात फिर आप खड़े हुए, लोगों ने फिर उसी तरह आपके साथ नमाज़ अदा की। ऐसा उन्होंने दो या तीन रातें किया, बाद में रसूलुल्लाह ﷺ बैठ रहे और नमाज़ के लिए निकले ही नहीं। सुबह हुई तो लोगों ने उसका तज़्किरा किया, आपने फ़रमाया: "मुझे डर लगा कहीं इस तरह नमाज़े शब तुम पर फ़र्ज़ न कर दी जाए।"

बाब 472:- रात की नमाज़:

हदीस 691:- सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ के पास एक टाट था जिसे आप दिन में बिछा लेते और रात को उस से पर्दा डालते थे। कुछ लोगों ने आपके पास इकट्ठे हो कर आपके पीछे नमाज़ शुरू कर दी।

हदीस 692:- ज़ैद बिन साबित ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने रमज़ान में एक हुजरा बनाया था। (सईद) कहते हैं, मेरा ख़्याल है कि उन्हों (ज़ैद) ने कहा था कि वह चटाई का था और उसमें कुछ रातें आपने नमाज़ पढ़ी। सहाबा ﷺ में से कुछ ने आपके साथ नमाज़ पढ़ना शुरू करदी, मगर जब आप को पता चला तो आप बैठ रहे। फिर उनके पास तशरीफ़ लाए और फ़रमाया: "तुम ने जो

कुछ किया मैं समझ गया हूं, तो ऐ लोगो! अपने घरों में नमाज़ पढ़ो क्योंकि फ़र्ज़ नमाज़ के अलावा आदमी की अफ़ज़ल नमाज़ वह है जो घर में पढ़ी जाए।"

बाब 473:– तकबीरे (तहरीमा) का वुजूब और नमाज़ की इब्तिदा:

हदीस 693:– अनस बिन मालिक अन्सारी رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ घोड़े पर सवार हुए और (गिर पड़े), आप का बायां पहलू ज़ख़्मी हो गया। अनस رضی اللہ عنہ कहते हैं, उस दिन आपने एक नमाज़ बैठ कर पढ़ाई; हम ने भी आपके पीछे बैठ कर नमाज़ पढ़ी। जब आपने सलाम फेरा तो फ़रमाया: "इमाम इसी मक़सद के लिए होता है कि उसकी पैरवी की जाए, लिहाज़ा जब वह खड़े होकर नमाज़ पढ़े तो तुम भी खड़े होकर नमाज़ पढ़ो, जब वह रुकूअ में जाए तुम भी रुकूअ में जाओ, जब वह उठे तुम भी उठो, जब वह सज्दा करे तुम भी सज्दा करो, और जब वह سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ कहे तुम رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ कहो।"

हदीस 694:– अनस बिन मालिक رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ घोड़े से गिर पड़े तो ख़राश सी आ गई, बिना बरीं आपने बैठ कर नमाज़ पढ़ाई। हम ने भी आपके हमराह बैठ कर नमाज़ पढ़ी। जब आप फ़ारिग़ हुए तो फ़रमाया: "इमाम इसी मक़सद के लिए होता है कि उसकी पैरवी की जाए जब वह तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, जब वह रुकूअ करे तुम भी रुकूअ करो, जब वह उठे तुम भी उठो, जब वह سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ कहे तो तुम رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ कहो और जब वह सज्दा करे तुम भी सज्दा करो।"

हदीस 695:– अबू हुरैरह رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "इमाम इसी लिए बनाया गया है कि उसकी पैरवी की जाए लिहाज़ा जब वह तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो, जब रुकूअ करे तुम भी रुकूअ करो, जब वह سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ कहे तुम رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ कहो, जब वह बैठ कर (नमाज़) पढ़े तुम भी बैठ कर नमाज़ पढ़ो।"

बाब 474:– तकबीरे ऊला में हाथ उठाना और नमाज़ की इब्तिदा एक साथ हो:

हदीस 696:– अब्दुल्लाह बिन उमर رضی اللہ عنہما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जब नमाज़ शुरू करते तो अपने दोनों हाथ अपने कंधों के बराबर ले जाते, जब रुकूअ के लिए तकबीर कहते और जब अपना सर रुकूअ से उठाते तब भी दोनों हाथ इसी तरह से उठाते और سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ और رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ दोनों कहते (अल्बत्ता) सज्दे में यूं न करते।

बाब 475:– तकबीरे (तहरीमा) और रुकूअ और रुकूअ से सर उठाते वक़्त हाथ उठाना:

हदीस 697:– अब्दुल्लाह बिन उमर رضی اللہ عنہما रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को देखा, आप नमाज़ में अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के बराबर तक उठाते और जब रुकूअ के लिए तकबीर कहते तो इसी तरह, जब आप सर उठाते और سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ कहते (अल्बत्ता) सज्दे में हाथ न उठाते थे।

हदीस 698:– अबू क़िलाबह رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, उन्होंने मालिक बिन हुवैरिस رضی اللہ عنہ को देखा, जब वह नमाज़ शुरू करते तो अल्लाहु अकबर कहते और वह अपने दोनों हाथ उठाते, जब रुकूअ करना चाहते तो भी अपने दोनों हाथ उठाते और जब रुकूअ से अपना सर उठाते तो अपने दोनों हाथ

उठाते। मालिक बिन हुवैरिस رضي الله عنه ने कहा, रसूलुल्लाह ﷺ ने ऐसा ही किया था।

बाब 476:- हाथों को कहां तक उठाना चाहिए:

हुमैद رضي الله عنه ने अपने दोस्तों को बताया, रसूलुल्लाह ﷺ अपने दोनों हाथ कंधों के मुक़ाबिल तक उठाते थे।

हदीस 699:- अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को देखा, आपने नमाज़ में तकबीर शुरू की तो अल्लाहु अकबर कहते वक़्त आपने अपने दोनों हाथ इतने उठाए कि उनको अपने कंधों के बराबर कर लिया, जब आपने रुकूअ के लिए तकबीर कही, तब भी इसी तरह किया और जब سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ कहा तब भी इसी तरह किया और "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" कहा (अल्बत्ता) आप सज्दे और उस से सर उठाते वक़्त ऐसा न करते।

बाब 477:- दो रकअत के बाद उठते वक़्त दोनों हाथ उठाना:

हदीस 700:- नाफ़ेअ رحمه الله रिवायत करते हैं, इब्ने उमर رضي الله عنهما जब नमाज़ के आग़ाज़ में अल्लाहु अकबर कहते तो अपने दोनों हाथ उठाते और जब रुकूअ करते तो अपने दोनों हाथ उठाते और जब سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ कहते तो अपने दोनों हाथ उठाते और जब दो रकअतों से खड़े होते तो हाथों को उठाते और इसे इब्ने उमर رضي الله عنهما ने रसूलुल्लाह ﷺ की तरफ़ मन्सूब किया।

बाब 478:- नमाज़ में दायां हाथ बाएं हाथ पर रखना:

हदीस 701:- सहल बिन सअद رضي الله عنه रिवायत करते हैं, लोगों को कहा जाता था कि नमाज़ में दायां हाथ बाएं हाथ की कलाई पर रखें और अबू हाज़िम رحمه الله कहते हैं, मुझे मालूम है यह बात रसूलुल्लाह ﷺ से मन्कूल है।

बाब 479:- नमाज़ में ख़ुशूअ:

हदीस 702:- अबू हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तुम देखते हो कि मैं क़िब्ला-रू हूं, ख़ुदा की क़सम तुम्हारा रुकूअ, सज्दा और ख़ुशूअ मुझ से पोशीदा नहीं रहता, मैं पीठ पीछे भी देखता हूं।"

फ़ायदा:- यह मज़मून कुछ कमी बेशी के साथ हदीस 680, 681, 686 और 702 में भी मौजूद है। इस हदीस में रसूलुल्लाह ﷺ ने यह भी फ़रमाया कि मैं तुम्हें पीठ पीछे से भी देखता हूं और मुझ पर न तुम्हारे रुकूअ पोशीदा हैं और न तुम्हारा ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ। वाज़ेह रहे कि रुकूअ तो जिस्मानी फ़ेअल का नाम है लेकिन ख़ुशूअ तो क़ल्बी कैफ़ियत होती है। मालूम हुआ कि सरवरे कौन व मकान ﷺ से तो ज़ाहिरी आमाल पोशीदा थे न क़ल्बी कैफ़ियतें। इस मज़मून का तफ़सीली हाशिया हदीस ४०४ के नीचे गुज़र चुका है, मज़ीद वहां से मुलाहिज़ा फ़रमा लिया जाए।

हदीस 703:- अनस बिन मालिक رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "रुकूअ और सुजूद अच्छी तरह किया करो क्योंकि क़सम बख़ुदा मैं पीछे से या बाज़ के मुताबिक़ पीठ पीछे से भी देखता हूं जब तुम रुकूअ और सुजूद करते हो।"

बाब 480:- तकबीरे (ऊला) के बाद क्या पढ़े:

हदीस 704:- अनस رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ और अबू बकर व उमर رضي الله عنهما अपनी नमाज़ का आग़ाज़ "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ" से करते थे।

हदीस 705:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ तकबीर और किरअत के दरमियान थोड़ी देर ठहरा करते थे। (अबू ज़रआ) कहते हैं, मेरा ख़याल है (अबू हुरैरह ﷺ ने) कहा था थोड़ी सी देर। मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! मेरे मां बाप आप पर क़ुर्बान, तकबीर और किरअत के दरमियान आप क्या पढ़ते हैं? फ़रमायाः "मैं पढ़ता हूं या अल्लाह! मुझे गुनाहों से इस क़दर दूर करदे जिस क़दर मशिरक़ और मग़रिब (का फ़ासिला है) या अल्लाह! मुझे गुनाहों से यूं पाक करदे जैसे सफ़ेद कपड़ा मैल कुचैल से साफ़ किया जाता है, या अल्लाह! मेरे गुनाहों को पानी, बर्फ़ और ओलों से धो दे।"

बाब 481:- हुज़ूर की नमाज़ का आलमः

हदीस 706:- अस्मा ﷺ बिन्ते अबू बकर रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़े कुसूफ़ के लिए खड़े हुए तो आपने लम्बा क़याम और लम्बा रुकूअ किया, बादे अज़ां क़याम किया और उसे तूल दिया, फिर रुकू किया उसे भी लम्बा किया, फिर सर उठाया, फिर लम्बा सज्दा किया, फिर सर उठाया और लम्बा सज्दा किया, फिर उठे और तवील क़याम किया, फिर लम्बा रुकू किया, फिर सर उठाया और लम्बा क़याम किया, फिर सर उठाया और लम्बा रुकूअ और लम्बा सज्दा किया, फिर सर उठाया और लम्बा सज्दा किया, फिर फ़ारिग़ हुए और फ़रमायाः "जन्नत मेरे क़रीब कर दी गई थी, अगर चाहता तो उसके ख़ोशों में से कोई ख़ोशा (तोड़ कर) तुम्हारे पास लाता, और दोज़ख़ भी क़रीब की गई कि मैंने कहा, मेरे परवरदिगार! क्या मैं भी उनके साथ हूं? यकायक देखता हूं, एक औरत है।" (नाफ़ेअ ﷺ का ख़्याल है कि इब्ने अबी मुलैकह ﷺ ने यूं कहा था) आपने फ़रमायाः "उस औरत को बिल्ली पन्जों से नोच रही थी, मैंने पूछा इसे क्या हुआ? लोगों ने बताया, इसने एक बिल्ली बांध रखी थी न उसे (खुद) खिलाती थी और न उसे छोड़ती ताकि वह (अज़ ख़ुद) खाले।" नाफ़ेअ ﷺ की रिवायत में है, ताकि ज़मीन के कीड़े मकोड़े (खा लेती)।

बाब 482:- नमाज़ में इमाम की तरफ़ देखनाः

सय्यदा आयशा ﷺ कहती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने नमाज़े कुसूफ़ के बारे में फ़रमायाः "मैंने दोज़ख़ को देखा, उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खा रहा है, जब तुम ने मुझे पीछे सरकते देखा।"

हदीस 707:- अबू मअमरह ﷺ रिवायत करते हैं, हम ने ख़ब्बाब ﷺ से कहा, क्या रसूलुल्लाह ﷺ ज़ुहर और अस्र में कुछ पढ़ते थे? ख़ब्बाब ﷺ बोले, हां। हम ने कहा आपको कैसे पता चला? ख़ब्बाब ﷺ ने कहा, आपकी दाढ़ी हिलती थी।

हदीस 708:- अबू इस्हाक़ रिवायत करते हैं, मैंने अब्दुल्लाह बिन यज़ीद ﷺ को ख़ुत्बे के दौरान सुना, हम से बराअ बिन आज़िब ﷺ (और वह झूटे न थे) ने कहा, सहाबा ﷺ जब रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह नमाज़ पढ़ते तो सहाबा ﷺ खड़े रहते यहां तक कि जब आप अपना सर रुकूअ से उठा लेते और वह आपको सज्दा करते हुए देख लेते।

हदीस 709:- अब्दुल्लाह बिन अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ के दौर में सूरज ग्रहन हुआ तो आपने नमाज़े कुसूफ़ पढ़ी। सहाबा ﷺ ने अर्ज़ किया, हम ने आपको देखा कि आपने अपनी जगह कोई चीज़ पकड़ी, फिर हमने आपको देखा कि आप पीछे हटे। आपने फ़रमायाः "मैंने जन्नत को देखा तो उससे एक ख़ोशा तोड़ना चाहा अगर मैं ले लेता तो तुम उसे रहती दुनिया तक खाते रहते।"

फ़ायदा:- इस हदीस से निगाहे मुस्तफ़ा की झलक सामने आती है कि आप ज़मीन पर मस्जिद

नबवी में खड़े होकर नमाज़ पढ़ा रहे थे लेकिन निगाहे मुस्तफ़ा सातों आसमानों को चीर कर जन्नत के अन्दर भी पहुंच गई। मालूम हुआ कि उनकी निगाहों के सामने एक आथ दीवार तो क्या हज़ारों दीवारें बल्कि सातों आसमान भी रुकावट नहीं बनते जबकि हर आसमान की मोटाई पांच सौ बरस के रास्ते के बराबर है। इन हालात में वह मदीना मुनव्वरा में जल्वा अफ़रोज़ होते हुए अगर मश्रिक़ व मग़रिब और शुमाल व जुनूब तक देखना चाहें तो रुकावट क्या है जबकि ज़मीन से जन्नत का जो फ़ासिला है यह उस फ़ासिले से बहुत ज़्यादा है जो मदीना मुनव्वरा से मज़्कूरा चारों अतराफ़ का इन्तिहाई फ़ासिला है। मालूम हुआ कि निगाहे मुस्तफ़ा के सामने दूर और नज़्दीक का मुआमला यकसां है और जिस तरह आप नज़्दीक की चीज़ों को देखते थे, उसी तरह दूर की चीज़ों का भी मुशाहिदा फ़रमा लिया करते थे और अब भी सारी दुनिया कफ़े दस्त की तरह आपके सामने है।

दूसरे यह बात भी मालूम हुई कि उस नमाज़ में जन्नत के जिस ख़ोशे को आप तोड़ना चाहते थे, उसके मुताल्लिक़ फ़रमाया कि अगर मैं तोड़ लाता तो तुम उस में से रहती दुनिया तक खाते रहते। यह बात मआशियात के माहिरीन ही बता सकते हैं कि पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान रोज़ाना कितने फल खाते हैं और अगर सारी दुनिया के मुसलमानों का हिसाब लगाएं तो वह रोज़ान कितने फल खाते होंगे। अब यूं हिसाब लगा लिया जाए कि उम्मते मुहम्मदिया उस वक़्त से अब तक कितने करोड़ दर करोड़ टन फल खा लेती। क़यामत तक की बात छोड़िये कि मालूम नहीं कब आएगी लेकिन उस टहनी में इससे तो यक़ीनन ज़्यादा फल होंगे जितने उम्मते मुहम्मदिया अब तक खा लेती। महबूबे परवरदिगार (जल्ल जलालहु व ﷺ) उस टहनी को तोड़ कर लाने लगे थे। क्या इस हदीस की रौशन में कोई हक़ीक़ी ताक़ते मुस्तफ़ा का अंदाज़ा कर सकता है? सुब्हानल्लाह!

आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे
दीदए कोर को क्या नज़र आए, क्या देखे

हदीस 710:– अनस बिन मालिकं رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने हमें नमाज़ पढ़ाई और बादे अज़ां मिम्बर पर तशरीफ़ ले गए और अपने हाथों से मस्जिद के क़िब्ले की तरफ़ इशारा किया, फिर फ़रमायाः "मैंने उस वक़्त जैसे ही तुम्हें नमाज़ पढ़ानी शुरू की तो जन्नत और दोज़ख़ की तस्वीर इस दीवार के क़िब्ला में देखी और मैंने आज तक न ऐसी भलाई देखी और न बुराई देखी।"

बाब 483:– नमाज़ में आसमान की तरफ़ नज़र उठानाः

हदीस 711:– अनस बिन मालिक رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया किः "लोग यह क्या करते हैं कि नमाज़ में नज़रें आसमान की तरफ़ उठाते हैं।" पस उसके बारे में आपकी गुफ़्तगू तुन्द व तेज़ होती चली गई हत्ता कि आपने फ़रमायाः "उस से बाज़ आ जाना चाहिए वरना उनकी बीनाई उचक ली जाएगी।"

बाब 484:– नमाज़ में इधर उधर देखनाः

हदीस 712:– सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से नमाज़ में इधर उधर देखने के बारे में पूछा तो फ़रमायाः "यह एक तरह की चोरी है जो शैतान बन्दे की नमाज़ में से कर लेता है।"

हदीस 713:– सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने एक ऐसे कपड़े में

नमाज़ पढ़ी जिस पर नक़्शकारी की गई थी। आपने फ़रमाया: "मुझे इस कपड़े के नक़्श व निगार ने बहला लिया, इसे अबू जहम के पास ले जाओ और मुझे चादर ला दो।"

बाब 485:- अगर (नमाज़ में) कोई वाक़िआ पेश आ जाए: या सामने थूक या कोई और चीज़ देखे तो क्या यह मुनासिब है कि उसकी जानिब मुतवज्जह हो। सहल बिन सअद ﷺ कहते हैं, अबू बकर ﷺ मुल्तफ़ित हुए तो रसूलुल्लाह ﷺ को देखा।

हदीस 714:- इब्ने उमर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने मस्जिद के क़िब्ला की तरफ़ थूक (लगा) देखा, उस वक़्त आप लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे थे। आपने उसे खुरच डाला, बादे अज़ां जब फ़ारिग़ हुए तो फ़रमाया: "जब तुम में से कोई नमाज़ में होता है तो अल्लाह तआला ऐन उसके सामने होता है, उसे चाहिए कि सामने थूक न फेंके।"

हदीस 715:- अनस बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं, मुसलमान सुबह की नमाज़ में थे, यकायक रसूलुल्लाह ﷺ सामने आ गए। आपने सय्यदा आयशा ﷺ के हुजरे का पर्दा उठाया और उनकी तरफ़ देखा। उस वक़्त वह सफ़ बस्ता थे, आप ख़ुशी से मुस्कुरा दिए। अबू बकर ﷺ अपने पिछले पांव हटने लगे ताकि आपके लिए जगह ख़ाली करके ख़ुद सफ़ में चले जाएं क्योंकि उनका ख़्याल था कि आप बाहर आना चाहते हैं। मुसलमानों ने इरादा किया कि वह अपनी नमाज़ें तोड़ दें, मगर आपने इशारे से कहा, अपनी नमाज़ पूरी करो और आपने पर्दा गिरा दिया और आपने उसी दिन के आख़िरी पहर में वफ़ात पाई।

बाब 486:- इमाम और मुक़्तदी के लिए हर नमाज़ में क़िरअत वाजिब है, ख़्वाह नमाज़ सिर्री हो या जेहरी, (हालते) सफ़र हो या हज़र:

हदीस 716:- जाबिर बिन समुरह ﷺ रिवायत करते हैं, अहले कूफ़ा ने उमर ﷺ से सअद ﷺ की शिकायत की, हज़रत उमर ﷺ ने सअद ﷺ को माज़ूल कर दिया और अम्मार ﷺ को उनका गवरनर मुक़र्रर किया। उन्होंने (सअद ﷺ की) बहुत ज़्यादा शिकायतें कीं यहां तक कि वह नमाज़ (भी) अच्छी तरह से नहीं पढ़ते। उमर ﷺ ने उन्हें बुला भेजा और कहा, ऐ अबू इस्हाक़! उन लोगों का कहना है कि तुम नमाज़ अच्छी तरह से नहीं पढ़ते? बोले ख़ुदा की क़सम! मैंने उनके साथ वैसी नमाज़ पढ़ी जिस तरह रसूलुल्लाह ﷺ की नमाज़ होती थी, चुनान्चे पहली दो रकअतों में ज़्यादा देर लगाता था और आख़िरी दो हल्की पढ़ता था। उमर ﷺ ने फ़रमाया: अबू इस्हाक़! तुम से मुझे यही तवक़्क़ो थी। फिर उमर ﷺ ने एक या कई अश्ख़ास को सअद ﷺ के साथ कूफ़ा भेजा, ताकि वह अहले कूफ़ा से सअद ﷺ के बारे में पूछें। उन्होंने कोई मस्जिद न छोड़ी जिस में सअद ﷺ की कैफ़ियत न पूछी हो और सब लोग उनकी तारीफ़ करते थे यहां तक कि बनी अबस की मस्जिद में गए, तो उन में से एक शख़्स खड़ा हो गया जिस का नाम उसामह बिन क़तादह और कुन्नियत अबू सअदह थी। वह बोला, जब तुमने क़सम दी (तो मैं कहने पर मजबूर हूं) सअद ﷺ कभी लश्कर के हमराह नहीं जाते थे, (माले ग़नीमत) बराबर तक़सीम नहीं करते और फ़ैसले इन्साफ़ से नहीं करते थे। सअद ﷺ कहने लगे, मैं तीन बद-दुआएं तुझे देता हूं, ऐ अल्लाह! अगर यह तेरा बन्दा झूटा है और महज़ दिखावे को खड़ा है तो इसे लम्बी उम्र दे, इसे तंगदस्ती में मुब्तला कर और फ़ितनों में डाल दे। (चुनान्चे ऐसा ही हुआ) जब उस से पूछा जाता तो कहता मैं एक बूढ़ा हूं फ़ितनों में मुब्तला, मुझे सअद ﷺ की बद-दुआ लग गई। अब्दुल

मालिक (इस हदीस के एक रावी) कहते हैं, मैंने उसे अब देखा है बुढ़ापे के बाइस भवें आंखों पर झुकी पड़ी हैं, वह रास्तों में लड़कियों को छेड़ता और उन्हें इशारे करता है।

हदीस 717:– उबादह बिन सामित रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने फ़रमाया: "उसकी नमाज़ ही नहीं जो (सूरए) फ़ातिहा न पढ़े।"

हदीस 718:– अबू हुरैरह रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह मस्जिद में तशरीफ़ ले गए, उस वक़्त एक शख़्स आया और उसने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद उसने रसूलुल्लाह को सलाम किया। आपने जवाब दिया और फ़रमाया: "जाओ नमाज़ पढ़ो, तुम ने नमाज़ नहीं पढ़ी।" वह गया और नमाज़ पढ़ी जिस तरह उसने पढ़ी थी, फिर आया और रसूलुल्लाह को सलाम किया। आपने फ़रमाया: "जाओ नमाज़ पढ़ो, तुम ने नमाज़ नहीं पढ़ी।" तीन बार (ऐसा हुआ) तब उसने कहा, उस ज़ात की क़सम जिस ने आपको हक़ देकर भेजा है, मैं इससे बेहतर (नमाज़) नहीं पढ़ सकता, मुझे सिखा दीजिए। आपने फ़रमाया: "जब तुम नमाज़ के लिए खड़े हो, तो तकबीर कहो, उसके बाद जिस क़दर तुम्हें कुरआने मजीद याद हो पढ़ो, फिर रुकूअ करो यहां तक कि रुकूअ में इत्मिनान से हो जाओ, फिर सर उठाओ यहां तक कि सज्दे में इत्मिनान से हो जाओ, फिर सर उठाओ हत्ता कि इत्मिनान से बैठ जाओ और पूरी नमाज़ में इसी तरह करो।"

बाब 487:– (नमाज़े) ज़ुहर में क़िरअत:

हदीस 719:– जाबिर बिन समुरह रिवायत करते हैं, सअद ने (अपनी शिकायत के ज़िम्न में) कहा, मैं तो अहले कूफ़ा को रसूलुल्लाह की तरह दिन की दोनों नमाज़ें (ज़ुहर और अस्र) पढ़ाता था, उसमें कोई कोताही न करता था। पहली दो रकअतों में देर लगाता और पिछली दो में तख़्फ़ीफ़ करता था तो उमर ने कहा मुझे तुम से यही तवक़्क़ो थी।

हदीस 720:– अबू क़तादह रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ज़ुहर की पहली दो रकअतों में सूरए फ़ातिहा के अलावा कोई और दो सूरतें पढ़ते थे। पहली रकअत में बड़ी सूरत पढ़ते और दूसरी में छोटी रखते और किसी आयत को क़स्दन सुना भी देते और नमाज़े अस्र की पहली रकअत में भी बड़ी सूरत पढ़ते थे और दूसरी में (ज़रा) छोटी सूरत पढ़ते थे।

हदीस 721:– अबू मअमर रिवायत करते हैं, हम ने ख़ब्बाब से पूछा, क्या रसूलुल्लाह ज़ुहर और अस्र में क़िरअत करते थे? बोले हां। पूछा गया, आप को कैसे पता चला? कहा कि आपकी दाढ़ी हिलती थी।

बाब 488:– (नमाज़) अस्र में क़िरअत:

हदीस 722:– अबू मअमर रिवायत करते हैं, मैंने ख़ब्बाब बिन अरत से पूछा, रसूलुल्लाह ज़ुहर और अस्र में क़िरअत करते थे? बोले हां। मैंने कहा, आपको कैसे मालूम हुआ? कहा, आपकी दाढ़ी के हिलने से।

हदीस 723:– अबू क़तादह रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ज़ुहर और अस्र की दो रकअतों में फ़ातिहा के अलावा कोई एक सूरह पढ़ते और कभी कभार हमें कोई आयत सुनाई दे जाती थी।

बाब 489:– (नमाज़े) मग़रिब में क़िरअत:

हदीस 724:– इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं, उम्मुल फ़ज़्ल (वालिदा इब्ने अब्बास) ने

मुझे (नमाज़ में) وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا पढ़ते सुना तो बोलीं, मेरे बेटे तूने यह सूरह पढ़ कर मुझे याद दिला दिया। यही वह आख़िरी सूरत है जो मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से सुनी, आप इसको मग़रिब में पढ़ते थे।

हदीस 725:- मरवान बिन हकम रिवायत करते हैं, मुझ से ज़ैद बिन साबित رضي الله عنه ने कहा, तुम्हीं हो कि मग़रिब में छोटी छोटी सूरतें पढ़ते हो जबकि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को दो बड़ी सूरतों से भी बड़ी सूरत पढ़ते होते सुना है।

बाब 490:- (नमाज़े) मग़रिब में जहर करना:

हदीस 726:- जुबैर बिन मुतइम رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को मग़रिब में "وَالطُّورِ" पढ़ते हुए सुना।

बाब 491:- (नमाज़े) इशा में जहर से पढ़ना:

हदीस 727:- अबू राफ़ेअ رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मैंने अबू हुरैरह رضي الله عنه के साथ इशा की नमाज़ पढ़ी, तो उन्होंने إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ की तिलावत की, और सज्दा किया। मैंने कहा, (यह क्या?) बोले, मैंने अबुल क़ासिम रसूलुल्लाह ﷺ के पीछे (इस जगह) सज्दा किया है लिहाज़ा मैं हमेशा सज्दा करता रहूंगा यहां तक कि आपसे जा मिलूं।

हदीस 728:- अदी رضي الله عنه कहते हैं, मैंने बराअ رضي الله عنه (बिन आज़िब) से सुना, रसूलुल्लाह ﷺ किसी सफ़र में थे तो आपने इशा की किसी एक रकअत में "وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ" तिलावत की।

बाब 492:- इशा में सज्दे वाली सूरत पढ़ना:

हदीस 729:- अबू राफ़ेअ رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मैंने अबू हुरैरह رضي الله عنه के साथ इशा की नमाज़ पढ़ी, उन्होंने إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ पढ़ी और सज्दा किया। मैंने कहा यह क्या? बोले, मैंने अबुल क़ासिम रसूलुल्लाह ﷺ के साथ (इस सूरत में) सज्दा किया, मैं हमेशा सज्दा करूंगा यहां तक कि आपसे जा मिलूं।

बाब 493:- (नमाज़े) इशा में क़िरअत:

हदीस 730:- बराअ बिन आज़िब رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को इशा में "وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ" पढ़ते हुए सुना, मैंने आप से (बढ़ कर) ख़ुश आवाज़ या बेहतरीन क़ारी नहीं सुना।

बाब 494:- पहली दो रकअतों को लम्बा और आख़िरी दो को मुख़्तसर करे:

हदीस 731:- जाबिर बिन समुरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, उमर رضي الله عنه ने सअद رضي الله عنه (बिन अबी वक़्क़ास) से कहा, अहले कूफ़ा ने तुम्हारी हर बात पर एतेराज़ किया है हत्ता कि नमाज़ में भी। सअद رضي الله عنه बोले, सुनिए मैं पहली दो रकअतों को लम्बा और आख़िरी दो को मुख़्तसर करता था और मैं (किसी की) परवाह न करता था जबकि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ की नमाज़ की पैरवी की है। उमर رضي الله عنه ने कहा, सच कहते हो, मेरा भी तुम्हारे मुताल्लिक़ यही गुमान था।

बाब 495:- फ़ज्र (की नमाज़) में क़िरअत:

उम्मे सलमह رضي الله عنها कहती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने (सुबह के वक़्त) وَالطُّورِ पढ़ी।

हदीस 732:- सय्यार बिन सलामह कहते हैं, मैं और मेरे वालिद अबू बरज़ह अस्लमी رضي الله عنه के पास गए और उनसे नमाज़ों के औक़ात पूछे। उन्होंने बताया, रसूलुल्लाह ﷺ ज़ुहर जब सूरज ढल

जाता उस वक़्त पढ़ते थे, और अस्र (उस वक़्त) कि आदमी मदीना के आख़िरी किनारे तक वापस जा सके और सूरज में ज़र्दी न आई हो। (सय्यार कहते हैं मुझे याद नहीं रहा अबू बरज़ह ﷺ ने मग़रिब के बारे में क्या कहा था) आप इशा को ताख़ीर (से पढ़ने) में एक तिहाई रात की (भी) परवाह न करते, आप इशा से पहले सोने और बाद में गुफ़्तगू को ना-पसन्द फ़रमाते थे, सुबह की नमाज़ (ऐसे वक़्त में) पढ़ते कि आदमी फ़ारिग़ हो कर अपने पास वाले को पहचान लेता था, आप दोनों या हर एक में साठ से सौ आयात तक की तिलावत फ़रमाते थे।

हदीस 733:- अबू हुरैरह ﷺ कहते हैं, तमाम नमाज़ों में क़िरअत लाज़मी है। रसूलुल्लाह ﷺ ने हमें सुनाया, वह हम तुम्हें सुनाते हैं। जिन में हम से (आहिस्तह पढ़ कर) छुपाया हम तुम से छुपाते हैं, अगर फ़ातिहा से ज़्यादा न पढ़ो तो काफ़ी है, अगर ज़्यादा (भी) पढ़ लो तो बेहतर है।

बाब 496:- नमाज़े फ़ज्र में बुलन्द आवाज़ से क़िरअत करना:

उम्मे सलमह ﷺ फ़रमाती हैं, हम ने लोगों के पीछे से तवाफ़ किया, उस वक़्त रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़े (फ़ज्र) अदा कर रहे थे और सूरह (वत्तूर) पढ़ रहे थे।

हदीस 734:- इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ अपने चन्द दोस्तों के हमराह बाज़ारे उकाज़ की तरफ़ चले। उन दिनों शयातीन को आसमान की ख़बरें लेने से रोक दिया गया था और उन पर शोअलों की मार पड़ती थी, पस शयातीन अपनी क़ौम के पास लौट आए। क़ौम बोली क्या हाल है? शयातीन ने कहा, अब हमारा आसमान तक जाना ममनूअ क़रार दे दिया गया है और हमारे ऊपर शोअले बरसाए जाते हैं। क़ौम ने कहा, तुम्हारे आसमान तक जाने की रुकावट किस वजह से हुई, जो अब ज़ाहिर हुई है लिहाज़ा मश्रिक़ व मग़रिब के तमाम कोनों में फिर कर देखो वह क्या है जिसने तुम्हारे और आसमानी ख़बर के दरमियान रुकावट पैदा कर दी। वह तिहामह की तरफ़ आए तो रसूलुल्लाह ﷺ के पास पहुंचे, आप नख़ला में बाज़ारे उकाज़ जा रहे थे। (जब यह जिन्नात वहां पहुंचे तो) आप सहाबा ﷺ के हमराह सुबह की नमाज़ पढ़ रहे थे। जब जिन्नों ने क़ुरआन सुना तो उसको सुनते रहे और कहने लगे, क़सम बख़ुदा यही है वह जिस ने तुम्हारे और आसमानी ख़बरों के दरमियान रुकावट पैदा कर दी, पस वहीं से अपनी क़ौम के पास लौट कर गए, तो कहने लगे (ऐ हमारी क़ौम!) हम ने एक अजीब क़ुरआन सुना है जो हिदायत की राह दिखाता है, हम उस पर ईमान लाए और हम हरगिज़ अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। पस अल्लाह तआला ने अपने रसूल पर यह वही उतारी "قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ" और जिन्नों की बात आप को बज़रिया वही बता दी गई।

हदीस 735:- इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ को जिन नमाज़ों में जहर का हुक्म मिला था, उन में आपने क़िरअत की और जिन में आहिस्ता पढ़ने का हुक्म दिया गया, उस में आहिस्ता पढ़ा और तुम्हारा परवरदिगार भूलने वाला नहीं, और बिला शुब्हा तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह ﷺ (की सीरत) में बेहतरीन नमूना है।

बाब 497:- एक रकअत में दो सूरतें मिला कर पढ़ना:

सूरतों की आख़िरी आयात, एक सूरत (पढ़ने के बाद) उस से पहली सूरत और सूरत की इब्तिदाई आयात पढ़ना। अब्दुल्लाह बिन साइब ﷺ से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह ﷺ ने नमाज़े सुबह में सूरए

मोमिनून पढ़ी यहां तक कि जब आप मूसा और हारून ﷺ के ज़िक्र पर पहुंचे तो आप को खांसी आ गई और (वहीं) रुकूअ कर दिया। उमर رضي الله عنه ने पहली रकअत में सूरए बक़रह की एक सौ बीस और दूसरी में एक सौ मसानी की आयात पढ़ीं। अहनफ़ ने पहली रकअत में कहफ़ और दूसरी रकअत में यूसुफ़ या यूनुस पढ़ी, और बताया मैंने उमर رضي الله عنه के हमराह सुबह की नमाज़ इन्हीं दो सूरतों के साथ पढ़ी है। इब्ने मसऊद رضي الله عنه ने (पहली रकअत में) अन्फ़ाल की चालीस आयात और दूसरी में मुफ़स्सल की एक सूरत पढ़ी। क़तादह رضي الله عنه ने उस शख़्स के बारे में जिस ने एक सूरत (के दो हिस्से करके) दो रकअतों में पढ़ा या एक ही सूरत पूरी पूरी दोनों रकअतों में पढ़ी, कहा सब ख़ुदा तआला की किताब है। उबैदुल्लाह ने साबित के हवाले से अनस رضي الله عنه से रिवायत की कि एक अन्सारी मस्जिदे क़ुबा में अन्सार की इमामत किया करता था। उसकी आदत थी कि जिन नमाज़ों में क़िरअत की जाती है उन में जब कोई सूरत पढ़ना चाहता तो "قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ" से शुरू करता, उसे पढ़ कर फिर कोई सूरह शुरू करता, वह हर रकअत में यही करता। लोगों ने उस से बात की तुम इस सूरह से इब्तिदा करते हो, फिर तुम इसे काफ़ी क्यों नहीं समझते और फिर दूसरी सूरत पढ़ते हो, या तो तुम इसे पढ़ो यो इसे छोड़ दो और दूसरी सूरत पढ़ा करो। वह बोला, मैं इसका पढ़ना तर्क नहीं कर सकता, अगर तुम मुझे इसके साथ इमाम बनाना पसन्द करते हो तो बेहतर वरना मैं छोड़ दूंगा, और उन लोगों को मालूम था कि वह उन सबसे अफ़ज़ल है, वह इसे पसन्द न करते थे कि कोई और इमाम बने। रसूलुल्लाह ﷺ उनके पास तशरीफ़ ले गए, उन लोगों ने सूरते हाल से आपको आगाह किया। आपने फ़रमायाः "ऐ फ़ुलां! तुम्हें कौन सी चीज़ मानेअ है जो यह कहते हैं वही तुम करो, और तुम्हें हर रकअत में यह सूरत पढ़ने पर किस चीज़ ने आमादा किया?" वह शख़्स बोला, मैं इससे मुहब्बत करता हूं। आपने फ़रमायाः "इसकी मुहब्बत तुम्हें जन्नत में दाख़िल कर देगी।"

हदीस 736:- इब्ने मसऊद رضي الله عنه के पास एक शख़्स आया कि मैंने रात को मुफ़स्सल की एक (पूरी) सूरत एक रकअत में पढ़ी और उसे इस क़दर जल्द पढ़ा जिस तरह शेअर ख़्वानी की जाती है। मैं उन हम-शक्ल सूरतों को जानता हूं जिन्हें रसूलुल्लाह ﷺ एक साथ पढ़ लिया करते थे, फिर उन्हों ने तफ़सील के साथ बीस सूरतें बताईं कि रसूलुल्लाह ﷺ हर रकअत में दो सूरतें पढ़ा करते थे।

बाब 498:- आख़िरी दो रकअतों में (सिर्फ़) सूरए फ़ातिहा पढ़ी जाएः

हदीस 737:- अबू क़तादह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ज़ुहर की पहली दो रकअतों में फ़ातिहा के अलावा और दो सूरतें पढ़ते थे और पिछली दो रकअतों में (सिर्फ़) फ़ातिहा पढ़ते थे और कभी एक आध आयत हमें सुनाई देती। आप पहली रकअत को तूल देते और दूसरी को तूल न देते थे, अस्र और सुबह में भी ऐसा ही करते।

बाब 499:- जिस ने ज़ुहर और अस्र में आहिस्ता क़िरअत कीः

हदीस 738:- अबू मअमर رضي الله عنه रिवायत करते हैं, हम ने ख़ब्बाब رضي الله عنه से पूछा, क्या रसूलुल्लाह ﷺ ज़ुहर और अस्र में क़िरअत करते थे? ख़ब्बाब رضي الله عنه बोले, हां। हम ने पूछा, आपको कैसे इल्म हुआ? ख़ब्बाब رضي الله عنه ने कहा आप की दाढ़ी हिलती थी।

बाब 500:- इमाम अगर (मुक़्तदियों को) कोई आयत सुना देः

हदीस 739:- अबू क़तादह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ज़ुहर और अस्र की पहली दो रकअतों में फ़ातिहा और उसके हमराह एक और सूरत पढ़ते थे और कभी कभी कोई आयत हमें सुना देते और पहली रकअत (क़दरे) लम्बी करते थे।

बाब 501:- पहली रकअत लम्बी करना:

हदीस 740:- अबू क़तादह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ज़ुहर की पहली रकअत लम्बी करते और दूसरी (निस्बतन) कम होती थी और सुबह की नमाज़ में भी ऐसा ही करते।

बाब 502:- इमाम का आमीन बिलजहर कहना:

अता कहते हैं, आमीन एक दुआ है। इब्ने ज़ुबैर ﷺ और उनके मुक़्तदियों ने इस क़दर (ज़ोर से) आमीन कही कि मस्जिद गूंज उठी। अबू हुरैरह ﷺ इमाम से कह दिया करते कि मेरी आमीन ज़ाए न जाने पाए। नाफ़ेअ ﷺ का कहना है, इब्ने उमर ﷺ आमीन को न छोड़ते और लोगों को तरग़ीब देते थे और उनसे उसके मुताल्लिक़ मैंने एक हदीस सुनी है।

हदीस 741:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: जब इमाम आमीन कहे तुम भी आमीन कहो, इस लिए कि जिस की आमीन मलाइका की आमीन से मिल जाएगी उसके अगले गुनाह बख़्श दिए जाएंगे।" इब्ने शहाब ﷺ कहते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ आमीन कहा करते थे।

बाब 503:- आमीन कहने की फ़ज़ीलत:

हदीस 742:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम में से कोई आमीन कहता है तो फ़रिश्ते आसमान में आमीन कहते हैं, फिर उन दोनों में मुवाफ़िक़त हो गई तो उसके अगले गुनाह बख़्श दिए जाएंगे।"

बाब 504:- मुक़्तदी का आमीन बिलजहर कहना:

हदीस 743:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब इमाम "غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" कहे तो तुम आमीन कहो क्यों कि जिस का कहना फ़रिश्तों के कहने से मिल जाएगा तो उसके अगले गुनाह बख़्श दिए जाएंगे।"

फ़ायदा:- इमाम बुख़ारी ﷺ ने यहां बाब क़ायम किया है: "جَهْرِ الْمَأْمُومِ بِالتَّأْمِينِ" यानी मुक़्तदी का आवाज़ से आमीन कहना। इस बात के तहत ताईद में सिर्फ़ एक हदीस पेश की लेकिन उस आवाज़ से आमीन कहने के मुताल्लिक़ हमें तो एक लफ़्ज़ भी नज़र नहीं आता। हां हदीस में यह बात है कि जब इमाम "غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" कहे तो तुम आमीन कहो क्योंकि जिस का आमीन कहना फ़रिश्तों के कहने से मवाफ़िक़त कर गया उसके अगले गुनाह बख़्श दिये जाएंगे। बज़ाहिर तो इससे आहिस्ता आमीन कहना निकलता है क्योंकि फ़रिश्ते आहिस्ता आमीन कहते हैं और फ़रिश्तों से इसकी मवाफ़िक़त पर अगले गुनाहों की मग़फ़िरत का मुज़दा सुनाया गया है। वल्लाहु तआला आलम।

बाब 505:- सफ़ में पहुंचने से पहले रुकू कर लेना:

हदीस 744:- अबू बकरह ﷺ रिवायत करते हैं, वह रसूलुल्लाह ﷺ के नज़्दीक उस वक़्त पहुंचे जब आप रुकूअ में थे, उन्होंने इससे पहले कि सफ़ में शामिल हों रुकू कर दिया। इस का ज़िक्र रसूलुल्लाह ﷺ से किया गया तो आपने फ़रमाया: "अल्लाह तआला तुम्हारा शौक़ बढ़ाए मगर अब

ऐसा न करना।"

बाब 506:- रुकूअ में तकबीर पूरी करना:

इसे इब्ने अब्बास رضي الله عنهما ने रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत किया और इस के (रावियों में) मालिक बिन हुवैरिस رضي الله عنه भी हैं।

हदीस 745:- इमरान बिन हुसैन رضي الله عنه का बयान है, मैंने बसरा में अली رضي الله عنه के साथ नमाज़ पढ़ी। इमरान رضي الله عنه का कहना है, उन्होंने हमें वह नमाज़ याद दिला दी जो रसूलुल्लाह ﷺ के साथ पढ़ा करते थे। इमरान رضي الله عنه कहते हैं, जब वह उठते या जब झुकते थे तो तकबीर कहते थे।

हदीस 746:- अबू सलमह رضي الله عنه, अबू हुरैरह رضي الله عنه के मुताल्लिक़ बयान करते हैं, वह लोगों को नमाज़ पढ़ाते थे तो जब झुकते और उठते तो तकबीर कहते थे और जब फ़ारिग़ होते तो कहते मैं नमाज़ में तुम्हारी ब-निस्बत रसूलुल्लाह ﷺ के ज़्यादा मुशाबह हूं।

बाब 507:- सज्दों में तकबीर को पूरा करना:

हदीस 747:- मुतर्रिफ़ बिन अब्दुल्लाह रिवायत करते हैं, मैंने और इमरान बिन हुसैन رضي الله عنه ने अली رضي الله عنه बिन अबी तालिब के पीछे नमाज़ पढ़ी। जब वह सज्दा करते तकबीर कहते थे, जब सर उठाते तकबीर कहते, जब दो रकअतों से उठते तकबीर कहते थे, चुनान्चे जब हम नमाज़ पढ़ चुके, तो इमरान बिन हुसैन رضي الله عنه ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा इस शख़्स ने मुझे रसूलुल्लाह ﷺ की नमाज़ याद दिला दी या उन्होंने हमें रसूलुल्लाह ﷺ जैसी नमाज़ पढ़ाई।

हदीस 748:- इकरमह رضي الله عنه कहते हैं, मैंने एक शख़्स को मक़ामे इब्राहीम के पास देखा वह झुकते, उठते और खड़े होते और बैठते वक़्त तकबीर कहता था। मैंने इब्ने अब्बास رضي الله عنهما से बयान किया (यह कैसी नमाज़ है) क्या यह रसूलुल्लाह ﷺ की नमाज़ नहीं है?

बाब 508:- सज्दे से खड़ा हो तो उस वक़्त तकबीर कहना:

हदीस 749:- इकरमह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मैंने एक शख़्स के पीछे नमाज़ पढ़ी तो उसने बाईस तकबीरें कहीं। मैंने इब्ने अब्बास رضي الله عنهما से कहा, वह अहमक़ है। इब्ने अब्बास رضي الله عنهما बोले, तेरी मां तुझे रोए, अबुल क़ासिम ﷺ की सुन्नत यही है।

हदीस 750:- अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान बिन हारिस रिवायत करते हैं, मैंने अबू हुरैरह رضي الله عنه को यह कहते हुए सुना, रसूलुल्लाह ﷺ जब नमाज़ के लिए खड़े होते थे तो खड़े होते वक़्त तकबीर कहते, फिर जिस वक़्त रुकूअ में जाते तो तकबीर कहते, फिर जब रुकूअ से अपनी पीठ उठाते तो "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" कहते, फिर खड़े होते "رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" कहते, फिर जब झुकने लगते तो तकबीर कहते थे, फिर जब अपना सर उठाते तो तकबीर कहते थे। फिर सज्दा करते वक़्त तकबीर कहते। फिर सज्दे से सर उठाते वक़्त तकबीर कहते। फिर सज्दा करते वक़्त तकबीर कहते।। फिर सज्दे से सर उठाते वक़्त तकबीर कहते। पूरी नमाज़ में इसी तरह करके उसे ख़त्म कर देते और जब दो रकअतों से बैठकर उठते थे, तकबीर कहते थे। अब्दुल्लाह बिन सालेह ने लैस से रिवायत की कि "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ"

बाब 509:- रुकूअ में हथेलियां घुटनों पर रखना:

अबू हुमैद رضي الله عنه ने अपने दोस्तों के इज्तिमा में बताया, रसूलुल्लाह ﷺ (रुकूअ में) अपने दोनों

हाथ घुटनों पर जमा देते थे।

हदीस 751:– मुस्अब बिन सअद रिवायत करते हैं, मैंने अपने बाप के पहलू में नमाज़ पढ़ी तो मैंने अपनी दोनों हथेलियां मिला कर अपने घुटनों में दबा लिया। मेरे बाप ने मना किया और कहा हम (भी) ऐसा करते थे तो हमें मना कर दिया गया था और हमें हुक्म दिया गया कि हम अपने हाथ घुटनों पर रख लिया करें।

बाब 510:– अगर कोई शख़्स पूरी तरह रुकू न करे:

हदीस 752:– ज़ैद बिन वहब का बयान है, हुज़ैफ़ह ﵁ ने एक शख़्स को देखा वह रुकूअ और सज्दों को पूरा न करता था। उन्होंने कहा तुम ने नमाज़ नहीं पढ़ी, अगर तू मरा तो इस दीन पर नहीं मरेगा जिस पर अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह ﷺ को पैदा किया।

बाब 511:– रुकूअ में पीठ हमवार रखना:

हुमैद ﵁ ने अपने दोस्तों के इज्तिमा में बयान किया, रसूलुल्लाह ﷺ ने रुकूअ फ़रमाया तो अपनी पीठ को झुका दिया।

बाब 512:– रुकूअ पूरी तरह करना और उसमें मियाना रवी और इत्मिनान इख़्तियार करना:

हदीस 753:– बराअ बिन आज़िब ﵁ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ का रुकूअ, आप के सज्दे, सज्दों का दरमियानी क़अदा और क़ौमा तक़रीबन बराबर थे, अल्बत्ता क़याम और (तशह्हुद का) क़ुऊद तवील होता।

बाब 513:– रसूलुल्लाह ﷺ का उस शख़्स को दोबारा नमाज़ पढ़ने का हुक्म देना जिस ने अपना रुकूअ पूरा नहीं किया था:

हदीस 754:– अबू हुरैरह ﵁ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ मस्जिद में तशरीफ़ ले गए, एक शख़्स आया और उसने नमाज़ पढ़ी। बादे अज़ां रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर होकर सलाम अर्ज़ किया। आपने जवाब दिया और फ़रमाया: "जाओ नमाज़ पढ़ो, तुम ने नमाज़ नहीं पढ़ी।" उसने फिर नमाज़ पढ़ी और आपके पास आया और आपको सलाम किया। आपने फ़रमाया: "जाओ नमाज़ पढ़ो क्योंकि तुम ने नमाज़ पढ़ी।" तीन बार ऐसे फ़रमाया, तब उसने अर्ज़ किया, उस ज़ात की क़सम! जिसने आपको हक़ के साथ भेजा, मैं इससे बेहतर (नमाज़) नहीं पढ़ सकता, आप मुझे सिखा दीजिए। आपने फ़रमाया: "जब नमाज़ के लिए खड़े हो तो तकबीर कहो और जिस क़दर कुरआने मजीद याद हो, बादे अज़ां रुकूअ करो, जब इत्मिनान से रुकूअ कर लो तो सर उठा कर सीधे खड़े हो जाओ, उसके बाद सज्दा करो, जब सज्दा इत्मिनान के साथ कर चुको तो सर उठाओ और इत्मिनान से बैठ जाओ तो (दूसरा) सज्दा पूरे इत्मिनान से करो और अपनी नमाज़ इसी तरह पूरी करो।"

बाब 514:– रुकूअ में दुआ करना:

हदीस 755:– सय्यदा आयशा ﵂ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ अपने रुकूअ और सज्दों में दुआ करते थे। سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ "तू पाक है, ऐ अल्लाह! हमारे रब! और अपनी तारीफ़ के साथ है। ऐ अल्लाह! मेरी मग़फ़िरत फ़रमा।"

बाब 515:- इमाम और मुक़्तदी जब रुकूअ से सर उठाएं तो क्या कहें?

हदीस 756:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जब "سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ" कहते थे "اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" भी कहते। रसूलुल्लाह ﷺ जब रुकूअ करते और जब सर उठाते तो तकबीर कहते और जब दोनो सज्दों से सर उठाते तो अल्लाहु अकबर कहते थे।

बाब 516:- "اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" कहने की फ़ज़ीलतः

हदीस 757:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "जब इमाम "سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ" कहे तो तुम "اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" कहो क्योंकि जिसकी बात फ़रिश्तों की बात से मुवाफ़िक़त करेगी, उसके अगले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे।"

बाब 517:- हुज़ूर का कुनूत पढ़नाः

हदीस 758:- अबू सलमह रिवायत करते हैं, अबू हुरैरह ﷺ ने फ़रमायाः मैं तुम्हारी नमाज़ रसूलुल्लाह ﷺ की नमाज़ के क़रीब कर दूंगा, चुनान्चे अबू हुरैरह नमाज़े ज़ुहर और अस्र और इशा की आख़िरी रकअतों में "سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ" कहने के बाद कुनूत पढ़ते थे, मुसलमानों के हक़ में दुआ (ख़ैर) और कुफ़्फ़ार पर लानत करते थे।

हदीस 759:- अबू क़िलाबह ﷺ रिवायत करते हैं, अनस ﷺ ने फ़रमायाः (अहदे रिसालत में) फ़ज्र और मग़रिब में दुआए कुनूत पढ़ी जाती थी।

हदीस 760:- यहया बिन ख़ल्लाद रिवायत करते हैं, रिफ़ाअह बिन राफ़ेअ ज़ुरक़ी ﷺ ने कहा, हम एक दिन रसूलुल्लाह ﷺ के पीछे नमाज़ अदा कर रहे थे। जब आपने अपना सर रुकूअ से उठाया तो कहा "سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ" तो एक शख़्स ने पीछे से कहा "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ" "ऐ हमारे रब! और तेरे ही लिये तारीफ़ है, बहुत ज़्यादा तारीफ़, पाकीज़ा और बरकत वाली।" आप फ़ारिग़ हुए तो फ़रमायाः "यह कलिमात किस ने कहे?" वह बोला, मैं था। फ़रमायाः "मैंने तीस से कुछ ऊपर फ़रिश्तों को देखा कि वह इन कलिमात के लिखने में एक दूसरे से बढ़ जाना चाहते थे।'

फ़ायदा:- नबी करीम ﷺ नमाज़ पढ़ा रहे थे कि एक सहाबी ने رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ के साथ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ भी कहा तो कुछ फ़रिश्ते उन कलिमात का सवाब लिखने के लिये लपके। आप ने नमाज़ पढ़ाते हुए उन फ़रिश्तों को देख लिया, उनकी तादाद भी जान ली कि तीस से कुछ ज़्यादा हैं और यह भी जान लिया कि यह इन कलिमात का सवाब लिखने के लिये एक दूसरे पर सबक़त ले जाने में कोशां थे। यह सब कुछ मुलाहिज़ा फ़रमाने के साथ ही आप नमाज़ में अपने ख़ालिक़ व मालिक की तरफ़ भी मुतवज्जह रहे और पूरी तवज्जुह से नमाज़ भी पढ़ाते रहे। इससे मालूम हो रहा है कि आप बयक वक़्त कई तरफ़ मुतवज्जह हो सकते थे और एक तरफ़ की तवज्जुह दूसरी के दरमियान रुकावट नहीं होती थी। अब आप का यह हाल पहले से भी उज़ीद अरफ़अ व आला होगा क्योंकि वादए इलाही है कि "وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى" यानी ऐ महबूब! तुम्हारे लिये हर अगली घड़ी पिछली से बेहतर है। वल्लाहु तआला आलम।

बाब 518:- रुकूअ से सर उठा कर इत्मिनान से खड़ा होनाः

अबू हुमैद ﷺ कहते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने सर उठाया और सीधे (खड़े) हो गए हत्ता कि

आपका हर जोड़ अपनी जगह पर आ गया।

हदीस 761:– साबित रिवायत करते हैं, अनस ﷺ हमारे सामने रसूलुल्लाह ﷺ की नमाज़ बयान करते थे, तो नमाज़ पढ़ कर बताते थे। पस जब वह अपना सर रुकूअ से उठाते तो इतनी देर खड़े रहते कि हमें गुमान होता (सज्दे में जाना) भूल गए।

हदीस 762:– बरा बिन आज़िब ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ का रुकूअ, सज्दे, रुकूअ से सर उठाना और सज्दों का दरमियानी क़अदह तक़रीबन बराबर होते थे।

हदीस 763:– अबू किलाबह ﷺ रिवायत करते हैं, मालिक बिन हुवैरस ﷺ नमाज़ के (मुअय्यन) वक़्त से हट कर यह दिखाया करते थे कि रसूलुल्लाह ﷺ की नमाज़ इस तरह होती थी। (एक दिन) वह खड़े हुए और उन्होंने पूरा क़याम किया, उसके बाद रुकूअ किया और पूरा रुकूअ किया, उसके वाद सर उठाया और थोड़ी देर सीधे खड़े रहे। अबू क़िलाबह ﷺ कहते हैं, मालिक बिन हुवैरस ﷺ ने हमें हमारे उस बुजुर्ग अबू यज़ीद की तरह नमाज़ पढ़ाई और अबू यज़ीद जब अपना सर दूसरे सज्दे से उठाते थे तो सीधे बैठ जाते, उसके बाद खड़े होते थे।

बाब 519:– सज्दा करते वक़्त अल्लाहु अकबर कहता हुआ झुके:

नाफ़ेअ ﷺ कहते हैं, इब्ने उमर ﷺ (सज्दे में जाते वक़्त) अपने दोनों हाथ घुटनों से पहले रखते थे।

हदीस 764:– अबू सलमह बिन अब्दुर्रहमान रिवायत करते हैं, अबू हुरैरह ﷺ हर नमाज़ ख़्वाह फ़र्ज़ हो या कोई और में तकबीर कहते थे, रमज़ान और ग़ैर रमज़ान में (भी)। पस जब खड़े होते तो तकबीर कहते, फिर रुकूअ करते तो तकबीर कहते, फिर सज्दा करने से पहले "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" और फिर "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" कहते थे, बादे अज़ां जब सज्दा करने के लिए झुकते अल्लाहु अकबर कहते, फिर जब सज्दे से अपना सर उठाते तो तकबीर कहते, फिर जब दूसरा सज्दा करते तो तकबीर कहते, फिर जब दो रकअतों में बैठ कर उठते तकबीर कहते, अपनी हर रकअत इसी तरह करके नमाज़ से फ़ारिग़ हो जाते। बादे अज़ां जब नमाज़ ख़त्म कर चुकते तो कहते, उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्ज़ए कुदरत में मेरी जान है बिला शुब्हा मैं तुम सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह ﷺ की नमाज़ के मुशाबेह हूं। आपकी नमाज़ उस वक़्त तक बिल्कुल इस तरह थी जब आपने दुनिया को ख़ैर बाद कहा। अब्दुर्रहमान और अबू सलमह कहते हैं, अबू हुरैरह ﷺ ने कहा, रसूलुल्लाह ﷺ जब अपना सर उठाते तो "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" और "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" कहते थे। कुछ लोगों के लिए दुआ करते और उनके नाम लेते थे, फ़रमाते थे: "ऐ अल्लाह! वलीद बिन वलीद, सलमह बिन हिशाम, अयाश बिन अबी रबीअह और कमज़ोर मुसलमानों को नजात दे, ऐ अल्लाह! अपनी गिरफ़्त (क़बीला) मुज़र पर सख़्त कर और उन पर क़हत साली मुसल्लत करदे जैसे (दौरे) यूसुफ़ ﷺ की क़हत साली।" उस वक़्त मुज़र के मशरिक़ी लोग आपके मुख़ालिफ़ थे।

हदीस 765:– ज़ुहरी रिवायत करते हैं, मैंने अनस बिन मालिक ﷺ को फ़रमाते हुए सुना, रसूलुल्लाह ﷺ घोड़े से गिर पड़े और सुफ़यान कभी इस रिवायत को यूं बयान करते कि घोड़े पर गिर पड़े और आप का दायां पहलू छिल गया। हम आपकी इयादत के लिए गए, इसी इस्ना में नमाज़ का वक़्त हो गया तो आपने हमें बैठ कर नमाज़ पढ़ाई और हम बैठ गए। सुफ़यान ने कभी यूं कहा, हम ने

बैठ कर नमाज़ पढ़ी। जब आप नमाज़ पढ़ चुके तो फ़रमायाः "इमाम इसी मक़सद के लिए होता है कि उसकी पैरवी की जाए, लिहाज़ा जब वह तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो, जब वह रुकूअ करे तुम भी रुकूअ करो, जब वह उठे तुम भी उठो और जब वह "سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ" कहे तो तुम "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" कहो, जब वह सज्दा करे तो तुम सज्दा करो।"

बाब 520:- सज्दे की फ़ज़ीलतः

हदीस 766:- अता बिन यज़ीद लैसी रिवायत करते हैं, अबू हुरैरह رضي الله عنه ने उन दोनों से बयान किया कि लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! क्या हम क़यामत के दिन अपने परवरदिगार को देख सकेंगे? फ़रमायाः "चौदहवीं रात को जब कोई बादल न हो तो तुम्हें चाँद के नज़र आने में शक होता है?" बोले नहीं या रसूलल्लाह! आपने फ़रमायाः "अगर मतलअ बिल्कुल साफ़ हो तो क्या सूरज के देखने में कोई शुबहा होता है?" लोगों ने कहा नहीं। फ़रमायाः "बस तुम इसी तरह अपने परवरदिगार को देखोगे, क़यामत के दिन लोग उठाए जाएं, फिर अल्लाह तआला फ़रमाएगाः जो जिस की परस्तिश करता था वह उसी के साथ हो जाए। चुनान्चे कोई उन में से सूरज के साथ हो जाएगा और कोई चाँद के साथ, और कोई बुतों के साथ हो लेगा और यही उम्मत (अहले ईमान) बाक़ी रह जाएगी जिस में मुनाफ़िक़ीन भी होंगे। अल्लाह तआला उस सूरत के साथ जिसे यह नहीं पहचानते (सामने) आएगा और फ़रमाएगाः मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, तो कहेंगे, हम यहीं रहेंगे जब हमारा मालिक आएगा तो हम उसे पहचानेंगे। फिर अल्लाह तआला (किसी और सूरत में) उनके पास आएगा और फ़रमाएगाः मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, तो वह कहेंगे हां तू हमारा परवरदिगार है, पस अल्लाह ताअला उन्हें बुलाएगा और जहन्नम की पीठ पर एक रास्ता बनाया जाएगा।" (रसूलुल्लाह फ़रमाते हैं): "मैं सबसे पहला पैग़म्बर हूंगा जो अपनी उम्मत के साथ उसे उबूर करूंगा और उस रोज़ बजुज़ अंबिया के कोई बोलने की जुर्रात नहीं कर सकेगा और जुम्ला पैग़म्बर "اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ" "ऐ अल्लाह! बचा, बचा" कह रहे होंगे। जहन्नम में सअदान के कांटों के मुशबह आंकड़े होंगे। क्या तुम लोगों ने सअदान के कांटें देखे हैं?" अर्ज़ किया हां। फ़रमायाः "वह सअदान के कांटों के मुशाबह होंगे अलबत्ता उनकी बड़ाई की मिक़दार सिवाए अल्लाह के किसी को मालूम नहीं। वह आंकड़े उनके आमाल के मुताबिक़ उन्हें झपट लेंगे। कोई अपने अमल के बाइस हलाक हो जाएगा और कोई उन में रेज़ा रेज़ा हो जाएगा, बादे अज़ां नजात पाएगा, यहां तक कि अल्लाह अहले जहन्नम में से जिन पर मेहरबानी फ़रमाएगा तो अल्लाह तआला फ़रिश्तों को हुक्म देगा जो अल्लाह की बन्दगी करते थे, वह निकाल लिए जाएंगे और फ़रिश्ते उन्हें सज्दों के निशानात से पहचान लेंगे। अल्लाह ने आग पर हराम क़रार दे दिया है कि वह सज्दे के निशान को खाए चुनान्चे सज्दों के निशान के अलावा जहन्नम की आग बनी आदम के तमाम जिस्म को खा जाएगी। (जब लोग) निकाले जाएंगे तो वह सियाह कोयला हो चुके होंगे, फिर उन पर आबे हयात डाला जाएगा, वह ऐसे निकलेंगे जैसे दाना सैलाब के बहाव में फूटता है। अज़ां बाद अल्लाह तआला बन्दों के मुक़द्दमात से फ़ारिग़ हो जाएगा, और एक शख़्स जन्नत और दोज़ख़ के दरमियान रह जाएगा और वह जन्नत में सब दोज़ख़ियों के आख़िर में दाख़िल होगा। उसका मुंह दोज़ख़ की तरफ़ होगा और कहेगाः ऐ मेरे परवरदिगार! मेरा मुँह दोज़ख़ से फेर दे क्योंकि मुझे उसके तअफ़्फ़ुन ने मार दिया और उसके शोअलों ने

ख़ुलासा दिया है। अल्लाह तआला फ़रमाएगा: अगर तेरे साथ ऐहसान कर दिया जाए तो उसके अलावा और तू कुछ नहीं मांगेगा। वह कहेगा, तेरी इज़्ज़त व जलालत की क़सम! नहीं, और जिस तरह अल्लाह तआला चाहेगा वह वादा करेगा। अल्लाह तआला उसका मुंह दोज़ख़ से हटा देगा, फिर जब वह जन्नत की तरफ़ मुंह करेगा और वह उसकी शादाबी व ताज़गी देखेगा तो जितना अल्लाह चाहेगा चुप रहेगा और उसके बाद कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार! मुझे जन्नत के दरवाज़े के क़रीब करदे, तो अल्लाह तआला उससे फ़रमाएगा: क्या तूने इस बात का वादा न किया था कि उसके बाद जो कुछ मांग चुका अब सवाल न करेगा। वह अर्ज़ करेगा, मेरे परवरदिगार! मुझे तेरी मख़लूक़ में सबसे ज़्यादा बदनसीब न होना चाहिए। अल्लाह तआला फ़रमाएगा: हो सकता है अगर तुझे यह भी मिल जाए तो तू कोई और सवाल करदे। वह अर्ज़ करेगा, मुझे तेरी इज़्ज़त की क़सम! नहीं मैं कोई और सवाल नहीं करूंगा, फिर अपने रब से जिस क़दर वादे चाहेगा देगा, तब अल्लाह तआला उसको जन्नत के क़रीब कर देगा। जब उसके दरवाज़े पर पहुंच जाएगा और उसकी शगुफ़्तगी, ताज़गी और लज़्ज़त जो उसके अन्दर है महसूस करेगा तो जितनी देर अल्लाह चाहेगा ख़ामोश रहे (फ़िर बोल पड़ेगा) और कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार! मुझे जन्नत में दाख़िल करदे। अल्लाह तआला फ़रमाएगा: ऐ इब्ने आदम! अफ़सोस है तू किस क़दर वादा शिकन है, क्या तूने यह वादा नहीं किया था कि जो तुझे मिल चुका उससे मज़ीद किसी चीज़ की तलब नहीं करेगा। वह कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार! मुझे अपनी मख़लूक़ में सब से ज़्यादा महरूमुल किस्मत न बना, पस अल्लाह तआला (उसकी सादगी पर) मुस्कुराएगा और उसे जन्नत में दाख़िल होने की इजाज़त देगा और फ़रमाएगा: अब जितना चाहे मांग ले, चुनान्चे वह ख़्वाहिश करने लगेगा, यहां तक कि उसकी ख़्वाहिशें ख़त्म हो जाएंगी तो अल्लाह तआला फ़रमाएगा: तुझे यह भी दिया जाता है और इस जैसा भी।" अबू सईद ख़ुदरी رضي الله عنه ने अबू हुरैरह رضي الله عنه के हवाले से कहा, रसूलुल्लाह ﷺ ने इस मक़ाम पर यह फ़रमाया कि: "उस से ज़्यादा दस गुना दिया जाता है।" अबू हुरैरह رضي الله عنه ने जवाब में कहा, मुझे इस हदीस में रसूलुल्लाह ﷺ से सिर्फ़ आपका यही फ़रमाना याद है कि तुझे यह भी दिया जाता है और इसके मिस्ल और भी। अबू सईद رضي الله عنه ने कहा, मैंने खुद आपको यह फ़रमाते सुना कि तुझे यह भी दिया जाता है और इससे दस गुना (ज़्यादा) और भी दिया जाता है।

बाब 521:- सज्दे में दोनों पहलू खुले और पेट रान से अलग रखे:

हदीस 767:- अब्दुल्लाह बिन मालिक बिन बुहैनह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जब नमाज़ पढ़ते थे तो अपने दोनों हाथों को इस क़दर खुला रखते कि आप की बग़लों की सफ़ेदी ज़ाहिर हो जाती थी।

बाब 522:- सज्दे में उंगलियां क़िब्ला रुख़ रखना: इसे अबू हुमैद رضي الله عنه ने रसूलुल्लाह ﷺ से नक़्ल किया है।

बाब 523:- अगर कोई शख़्स अपना सज्दा पूरा न करे:

हदीस 768:- अबू वाइल, हुज़ैफ़ह رضي الله عنه के बारे में कहते हैं, उन्होंने एक शख़्स को देखा, वह न अपना रुकूअ दुरुस्त करता है और न सज्दा। जब वह अपनी नमाज़ ख़त्म कर चुका तो उससे हुज़ैफ़ह رضي الله عنه ने कहा तूने (सिरे से) नमाज़ ही नहीं पढ़ी। मुझे ख़्याल है हुज़ैफ़ह رضي الله عنه ने यह भी कहा, अगर तू

मर जाएगा तो रसूलुल्लाह ﷺ के तरीक़े पर नहीं मरेगा।

बाब 524:– सज्दा सात हड्डियों (यानी आज़ा) पर करना चाहिए:

हदीस 769:– ताऊस, इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہ के मुताल्लिक़ रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने सात आज़ा पर सज्दा करने और बालों और कपड़ों के न समेटने का हुक्म दिया है। वह सात आज़ा यह हैं: पेशानी, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पांव।

हदीस 770:– इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہ रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत करते हैं कि आपने हमें हुक्म दिया है कि हम सात हड्डियों पर सज्दा करें, न बालों को रोकें और न कपड़ों को।

हदीस 771:– अब्दुल्लाह बिन यज़ीद कहते हैं, हमें बराअ बिन आज़िब رضی اللہ عنہ (जो झूटे नहीं थे) ने बताया, हम रसूलुल्लाह ﷺ के पीछे नमाज़ पढ़ते थे तो जब "سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ" कहते तो कोई शख़्स पीठ न झुकाता जब तक कि रसूलुल्लाह ﷺ अपनी पेशानी ज़मीन पर (न) रख देते।

बाब 525:– नाक के बल सज्दा करना:

हदीस 772:– इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मुझे मामूर किया गया है कि मैं सात हड्डियों के बल पर सज्दा करूं। पेशानी के बल और आपने अपने हाथ से अपनी नाक, दोनो हाथों, दोनों घुटनों और पावं की उंगलियों की तरफ़ इशारा किया, और कपड़ों और बालों को न समेटें।"

बाब 526:– कीचड़ में भी नाक के बल सज्दा करना:

हदीस 773:– अबू सलमह रिवायत करते हैं, मैं अबू सईद खुदरी رضی اللہ عنہ के पास गया। मैंने कहा, आप हमारे साथ फुलां दरख़्त तक क्यों नहीं चलते ताकि कोई बात चीत करें। वह निकले, अबू सलमह कहते हैं, मैंने उन्हें कहा मुझे बताइए कि रसूलुल्लाह ﷺ से शबे क़दर के बारे में आपने क्या सुना है? बोले रसूलुल्लाह ﷺ ने रमज़ान के पहले अशरे में एतेकाफ़ किया और हमने भी आपके साथ एतेकाफ़ किया। जिब्रईल علیہ السلام आपके पास आए और कहा: जिसकी आपको तलाश है वह इस अशरे के आगे है, लिहाज़ा आपने दरमियानी अशरा (भी) एतेकाफ़ किया, और हमने भी आपके साथ एतेकाफ़ किया। फिर जिब्रईल علیہ السلام आपके पास आए और कहा: जिसकी आपको तलाश है वह अगले अशरे में है, पस बीसवीं रमज़ान की सुबह को आपने ख़िताब फ़रमाया: "जिस ने रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह एतेकाफ़ किया वह दोबारा फिर करे क्योंकि मैंने शबे क़द्र को पा लिया, लेकिन मैं उसे भूल गया और अब सिर्फ़ इतना याद है कि वह आख़िरी अशरे की ताक़ रात में है, और मैंने (ख़्वाब में) यह देखा कि पानी और मिट्टी में सज्दा कर रहा हूं।" और मस्जिद की छत खजूर की शाख़ों से बनी हुई थी और हम आसमान में कोई चीज़ नहीं देखते थे। इतने में एक टुकड़ा बादल का आया और हम पर बरसा, रसूलुल्लाह ﷺ ने हमें नमाज़ पढ़ाई हत्ता कि कीचड़ का निशान रसूलुल्लाह ﷺ की पेशानी और आपकी नाक पर देखा, यह आपके ख़्वाब की तस्दीक़ थी।

पारह चौथा

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

बाब 527:– कपड़ों में गिरह लगाना और उनका बांधना और सत्र खुलने के ख़ौफ़ से कोई शख़्स अपना कपड़ा लपेट लेः

हदीस 774:– सहल बिन सअद رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, उन्होंने फ़रमाया, लोग रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم के साथ नमाज़ पढ़ते थे और वह अपने तहबन्द छोटे होने के बाइस अपनी गर्दनों पर बांध लेते थे। औरतों से कह दिया गया था, तुम उस वक़्त तक सर न उठाओ जब तक लोग सीधे होकर बैठ न जाएं।

बाब 528:– (नमाज़ में) बाल दुरुस्त न करेः

हदीस 775:– इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم सात हड्डियों के बल सज्दा करने पर मामूर किए गए थे और (नमाज़ में) न अपने बाल समेटें और न कपड़ा।

बाब 529:– कपड़ा न समेटेः

हदीस 776:– इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہما रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم से रिवायत करते हैं, आपने फ़रमायाः "मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं सात हड्डियों पर सज्दा करूं और बाल और कपड़े दुरुस्त न करूं।"

बाब 530:– सज्दों में दुआ और तस्बीहः

हदीस 777:– सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم अपने रुकूअ और सज्दे में कहा करते थे "سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ" "ऐ अल्लाह, हमारे रब! और साथ अपनी तारीफ़ के। ऐ अल्लाह! मुझे बख़्श दे।" और आप कुरआने मजीद के हुक्म की तामील करते थे।

बाब 531:– दोनों सज्दों के दरमियान बैठनाः

हदीस 778:– अबू क़िलाबह रिवायत करते हैं, मालिक बिन हुवैरिस رضی اللہ عنہ ने अपने दोस्तों से कहा, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم की नमाज़ के बारे में न बताऊं? अबू क़िलाबह के मुताबिक़ वह वक़्त किसी नमाज़ का न था। वह खड़े हो गए फिर उन्होंने रुकूअ किया और तकबीर कही, अज़ां बाद अपना सर उठाया और थोड़ी देर खड़े रहे, उसके बाद सज्दा किया, फिर थोड़ी देर अपना सर उठाए रखा, फिर सज्दा किया, फिर थोड़ी देर सर उठाए रखा। उन्होंने हमारे बुज़ुर्ग अम्र बिन सलमह की तरह नमाज़ पढ़ी। अय्यूब का कहना है कि वह एक बात ऐसी करते थे जो हम ने किसी और को करते नहीं देखा, दूसरी या चौथी रकअत में बैठते थे। (मालिक बिन हुवैरिस رضی اللہ عنہ) कहते हैं, हम कुबूले इस्लाम के बाद रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم की ख़िदमत में हाज़िर हुए और क़याम किया तो आपने फ़रमायाः "अगर तुम अपने अहल व अयाल के पास लौट जाओ तो इस तरह इन औक़ात में नमाज़ अदा किया करना लिहाज़ा जब नमाज़ का वक़्त आ जाए तो तुम में से कोई अज़ान कह दे और तुम में से बड़ी उम्र का इमामत करे।"

हदीस 779:– बरा رضی اللہ عنہ (बिन आज़िब) रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم का सज्दा, रुकूअ और क़अदह तक़रीबन बराबर होता है।

हदीस 780:– साबित ने अनस बिन मालिक رضی اللہ عنہ से रिवायत की है, उन्होंने कहा, मैं इस बात में कमी न करूंगा, तुम्हें वैसी ही नमाज़ पढ़ाऊंगा जैसी कि रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم को पढ़ाते हुए देखा। साबित कहते हैं, अनस رضی اللہ عنہ वह बात करते थे जो (बिल उमूम) मैं तुम्हें करते हुए नहीं देखता। जब वह अपना

सर रुकूअ से उठाते तो इतना तवक्कुफ़ करते कि कहने वाला कहता कि वह भूल गए और दोनों सज्दों के दरमियान इस क़दर बैठते कि कहने वाला कहता शायद भूल गए।

बाब 532:- सज्दे में अपनी कोहनियां न बिछाए:

अबू हुमैद رضی اللہ عنہ कहते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने सज्दा किया और अपने दोनों हाथ (ज़मीन पर) रख दिए, न उनको बिछाते और न समेटते।

हदीस 781:- अनस बिन मालिक رضی اللہ عنہ रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत करते हैं, आपने फ़रमाया: "सज्दों में मियाना रवी क़ायम रखो, कोई शख़्स अपनी कोहनियां कुत्ते की तरह न बिछाए।"

बाब 533:- नमाज़ में ताक़ रकअत के बाद सीधे बैठना और फिर खड़े होना:

हदीस 782:- मालिक बिन हुवैरिस लैसी رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ को नमाज़ पढ़ते देखा, जब आप अपनी नमाज़ की ताक़ रकअत में होते थे तो जब तक सीधे न बैठ जाते खड़े न होते थे।

बाब 534:- जब रकअत पढ़ कर उठे तो किस तरह टेक लगाए:

हदीस 783:- अबू क़िलाबह رضی اللہ عنہ बयान करते हैं, मालिक बिन हुवैरिस رضی اللہ عنہ हमारे पास आए और हमारी इसी मस्जिद में हमें नमाज़ पढ़ाई और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें नमाज़ पढ़ाता हूं लेकिन मैं नमाज़ पढ़ना नहीं चाहता बल्कि मैं तुम्हें यह दिखाना चाहता हूं कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को किस तरह नमाज़ पढ़ते देखा। अय्यूब कहते हैं, मैंने अबू क़िलाबह से कहा, मालिक बिन हुवैरिस رضی اللہ عنہ की नमाज़ कैसी थी? उन्होंने कहा, हमारे बुज़ुर्ग अम्र बिन सलमह की नमाज़ की तरह। अय्यूब कहते हैं, वह बुज़ुर्ग पूरी तकबीर कहते थे और जब अपना सर दूसरे सज्दे से उठाते तो बैठ जाते और ज़मीन पर तवक्कुफ़ करते थे, उसके बाद खड़े होते थे।

बाब 535:- दोनों सज्दों से उठते वक़्त अल्लाहु अकबर कहे:

इब्ने ज़ुबैर رضی اللہ عنہ उठते वक़्त तकबीर कहते थे:

हदीस 784:- सईद बिन हारिस رضی اللہ عنہ कहते हैं, हमें अबू सईद رضی اللہ عنہ ने नमाज़ पढ़ाई। जब उन्होंने अपना सर सज्दे से उठाया और जब सज्दा किया, जब (दूसरे) सज्दे से सर उठाया और जब दो रकअतों के बाद उठे तो बुलन्द आवाज़ से तकबीर कही और कहा, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को इस तरह करते देखा।

हदीस 785:- मुतर्रिफ़ رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, मैंने और इमरान बिन हुसैन رضی اللہ عنہ ने अली رضی اللہ عنہ बिन अबी तालिब के पीछे नमाज़ पढ़ी तो जब वह सज्दा करते थे तकबीर कहते थे, जब वह दो रकअतों से उठते थे तकबीर कहते थे, सलाम फेरने के बाद इमरान رضی اللہ عنہ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, इसने हमें रसूलुल्लाह ﷺ की नमाज़ पढ़ाई या यह कहा कि हमें रसूलुल्लाह ﷺ की नमाज़ याद दिला दी।

बाब 536:- अत्तहियात में बैठने का तरीक़ा:

उम्मे दरदा رضی اللہ عنہا नमाज़ में मर्दों की तरह बैठती थीं और वह फ़क़ीहा (ख़ातून) थीं।

हदीस 786:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर رضی اللہ عنہما के साहिबज़ादे अब्दुल्लाह رضی اللہ عنہ कहते हैं, वह अब्दुल्लाह बिन उमर رضی اللہ عنہما को देखते थे, जब वह नमाज़ में बैठते तो चार ज़ानू बैठते लिहाज़ा मैंने भी

ऐसा ही किया, मैं उस ज़माने में कमसिन था। मुझे अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنهما ने रोका और कहा, नमाज़ का तरीक़ा तो यही है कि तुम अपना दाहिना पावं खड़ा रखो और बायां दोहरा कर लो। मैंने कहा, आप जो ऐसा करते हैं? फ़रमाया कि मेरे पांव कमज़ोर हो गए हैं मेरा बोझ नहीं सहार सकते।

हदीस 787:- मुहम्मद बिन अम्र बिन अता रिवायत करते हैं, कि मैं चन्द अस्हाबे रसूलुल्लाह ﷺ के पास बैठा था। हमने रसूलुल्लाह ﷺ की नमाज़ का तज़्किरा किया। अबू हुमैद साअदी رضي الله عنه ने कहा, मुझे तुम सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह ﷺ की नमाज़ याद है। मैंने आपको देखा जब आपने तकबीरे (तहरीमा) कही तो अपने दोनों हाथ अपने दोनों कंधों के बराबर उठाए और जब आपने रुकूअ किया तो अपने दोनों हाथ घुटनों पर जमाए, अपनी पीठ को झुका दिया, जब आपने अपना सर उठाया तो इस हद तक सीधे हो गए कि हर एक जोड़ अपनी जगह पर आ गया। और जब आपने सज्दा किया तो दोनों हाथ ज़मीन पर रखते, न उनको (बिल्कुल) बिछाते और न समेटे होते और पांव की उंगलियां क़िब्ला रुख़ करली थीं, फिर जिस वक़्त आप दो रकअतों के बाद बाएं पावं पर बैठे तो दाहिना पावं खड़ा रखते, जब आख़िरी रकअत में बैठे तो आपने अपना बायां पांव आगे कर दिया और दूसरे पांव को खड़ा कर लिया और अपनी सुरीन के बल बैठ गए।

बाब 537:- जो पहले तशह्हुद को वाजिब नहीं समझते:

इस लिए कि रसूलुल्लाह ﷺ दो रकअतों के बाद खड़े हो गए और तशह्हुद की तरफ़ वापस नहीं हुए।

हदीस 788:- अब्दुल्लाह बिन बुहैनह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, (जो क़बीला अज़्दिशनूअह और बनी अब्दे मनाफ़ के हलीफ़ हैं और अस्हाबे रसूल में से हैं) रसूलुल्लाह ﷺ ने लोगों को ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई तो पहली दो रकअतों (के इख़्तिताम) पर खड़े हो गए और बैठे नहीं तो आपके साथ लोग भी खड़े हो गए। यहां तक कि जब आप नमाज़ मुकम्मल कर चुके और लोग आपके सलाम फेरने के इन्तिज़ार में थे तो आपने बैठे बैठे तकबीर कही और सलाम से पहले दो सज्दे किए और बाद में सलाम फेरा।

बाब 538:- पहले क़अदा में तशह्हुद पढ़ना:

हदीस 789:- अब्दुल्लाह बिन मालिक, इब्ने बुहैनह رضي الله عنه से रिवायत करते हैं, हमें रसूलुल्लाह ﷺ ने नमाज़े ज़ुहर पढ़ाई। आपको (दो रकअतों के बाद) बैठना था मगर खड़े हो गए लेकिन जब आपने नमाज़ का आख़िरी क़अदह किया तो (सह्व के) दो सज्दे किए।

बाब 539:- क़अदए आख़िर में तशह्हुद पढ़ना:

हदीस 790:- शक़ीक़ बिन सलमह, अब्दुल्लाह رضي الله عنه (बिन मसऊद) से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा, जब हम रसूलुल्लाह ﷺ के पीछे यह दुआ पढ़ते अस्सलामु अला जिब्राईल व मीकाईल अस्सलामु अला फ़ुलां व फ़लां, तो रसूलुल्लाह ﷺ ने हमारी तरफ़ देखा और फ़रमाया: "अल्लाह तो ख़ुद ही सलाम है लिहाज़ा जब तुम में से कोई नमाज़ पढ़े तो कहे "اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰةُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ" "तमाम ज़बानी, बदनी और माली इबादतें अल्लाह के लिये हैं सलाम हो आप पर ऐ नबी! और अल्लाह की रहमत और उसकी

बरकतें। सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बन्दों पर।" तो यह दुआ अल्लाह के हर नेक बन्दे को पहुंच जाएगी, चाहे वह आसमान में हो या ज़मीन में "اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ" "मैं गवाही देता हूं कि नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह और मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद मुस्तफ़ा उसके बन्दे और रसूल हैं।"

बाब 540:- सलाम से पहले (की) दुआः

हदीस 791:- उरवह बिन ज़ुबैर ﷺ ज़ौजए रसूल सय्यदा आयशा ﷺ से रिवायत करते हैं, वह फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़ में यह दुआ किया करते थेः "اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ فِتْنَةِ الْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ" "ऐ अल्लाह! मैं अज़ाबे क़ब्र से तेरी पनाह लेता हूं और मसीह दज्जाल के फ़ितने से तेरी पनाह लेता हूं और ज़िन्दगी और मौत के फ़ितने से तेरी पनाह लेता हूं। ऐ अल्लाह! गुनाहों और क़र्ज़ से तेरी पनाह लेता हूं।" तो आप से किसी ने कहा, आप क़र्ज़ से बहुत पनाह मांगते हैं? फ़रमायाः "जब आदमी मक़रूज़ हो तो जो बोलता है झूट बोलता है, जब वादा करता है तो वादा शिकनी करता है।" ज़ुहरी ने उरवह बिन ज़ुबैर ﷺ के हवाले से कहा कि सय्यदा आयशा ﷺ फ़रमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को दज्जाल के फ़ितने से पनाह मांगते हुए सुना।

हदीस 792:- अब्दुल्लाह बिन अम्र ﷺ, अबू बकर सिद्दीक़ ﷺ के बारे में कहते हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ से कहा, मुझे कोई ऐसी दुआ बताइए जो मैं अपनी नमाज़ में पढ़ा करूं। आपने फ़रमायाः "इसे पढ़ा करो।" "اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِیْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِیْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ" "ऐ अल्लाह! मैंने अपनी जान पर बहुत ज़ुल्म किया है और गुनाहों को माफ़ नहीं करता मगर तू। पस अपने करम से मुझे माफ़ करदे और मुझ पर रहम फ़रमा क्योंकि तू ही बख़्शने वाला मेहरबान है।"

बाब 541:- जो दुआ पसंद हो तशह्हुद के बाद पढ़ ले, दुआ पढ़ना कोई वाजिब नहीं:

हदीस 793:- शक़ीक़, अब्दुल्लाह ﷺ (बिन मसऊद) से रिवायत करते हैं, जब हम रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह नमाज़ में कहा करते थेः "اَلسَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلٰى فُلَانٍ وَّفُلَانٍ" "अल्लाह तआला पर सलाम और उसके बन्दों से फ़ुलां फ़ुलां पर।" तो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "اَلسَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ" न कहो क्योंकि अल्लाह तो ख़ुद सलाम है बल्कि यूं कहो "اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ" "तमाम ज़बानी इबादतें अल्लाह के लिये हैं नीज़ सब बदनी और माली भी। सलाम हो आप पर ऐ नबी! और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें। सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बन्दों पर।" क्योंकि जब तुम यह कह दोगे तो यह दुआ अल्लाह के हर बन्दे को, ख़्वाह आसमान में हो या ज़मीन में पहुंच जाएगी, "اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ" "मैं गवाही देता हूं कि नहीं कोई माबूद मगर अल्लाह और मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद मुस्तफ़ा उसके बन्दे और रसूल हैं।" फिर उसके बाद जो दुआ अच्छी लगे पढ़ ले।"

फायदा:- इस हदीस के अन्दर वह तशह्हुद वारिद हुआ है जो नमाज़ के अन्दर क़ाअदे में पढ़ा जाएगा, उम्मते मुहम्मदिया की अकसरियत का यही मामूल है। इस में नमाज़ी नमाज़ के दौरान रसूलुल्लाह ﷺ को मुख़ातब करके यूं बारगाहे रिसालत में सलाम अर्ज़ करता है: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ यह सलाम मुख़ातबे के साथ है और मुख़ातबा उसी से किया जा सकता है जो ज़िन्दा और मौजूद हो। इस हदीस की शरह में अश्अतुल्लम्आत जिल्द अव्वल के अन्दर ख़ातमुल मुहक़्क़िक़ीन सय्यिदिना शाह अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी رحمه الله (मुतवफ़्फ़ी 1052 हिजरी) ने फ़रमाया है: "बाज़ आरिफ़ों ने फ़रमाया कि यह ख़िताब इस वजह से है कि हक़ीक़ते मुहम्मदिया मौजूदात के ज़र्रों और कायनात के अफ़राद के अन्दर सरायत किये हुए है। पस आंहज़रत ﷺ नमाज़ियों की ज़ात के अन्दर भी मौजूद व हाज़िर हैं। लिहाज़ा नमाज़ी को चाहिये कि इस बात से ख़बरदार रहे और इस शुहूद से ग़ाफ़िल न हो ताकि क़ुर्ब के असरार और मारिफ़त के अनवार से मुनव्वर और मुस्तफ़ीद हो सके। बुज़ुर्गों ने फ़रमाया है कि अत्तहिय्यात को मेअराज वाले वाक़िये की नक़्ल के तौर पर न पढ़े बल्कि अपनी तरफ़ से मुख़ातबे के साथ बारगाहे रिसालत में सलाम अर्ज़ करे। वल्लाहु तआला आलम।

बाब 542:- अपनी पेशानी और नाक नमाज़ ख़त्म होने तक न पोंछे:

अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी) कहते हैं, हुमैदी رحمه الله मुतज़क्किरा ज़ेल हदीस से इस पर दलील क़ायम करते थे कि नमाज़ में पेशानी साफ़ नहीं करनी चाहिए।

हदीस 794:- यहया, अबू सलमह رضي الله عنه से रिवायत करते हैं, मैंने अबू सईद ख़ुदरी رضي الله عنه से पूछा तो उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को पानी और मिट्टी में सज्दा करते देखा हत्ता कि मिट्टी का दाग़ पेशानी पर नज़र आया।

बाब 543:- सलाम फेरना:

हदीस 795:- हिन्द बिन्ते हारिस रिवायत करती हैं, उम्मे सलमह رضي الله عنها ने फ़रमाया: जब रसूलुल्लाह ﷺ सलाम फेरते और अपना सलाम पूरा कर चुके और औरतें खड़ी हो जातीं, आप खड़े होने से पहले थोड़ी देर ठहरे रहते। इब्ने शहाब कहते हैं, मेरा ख़्याल यह है वैसे अल्लाह तआला बेहतर जानता है कि आप इस मक़सद के लिए ठहरते होंगे ताकि औरतें चली जाएं और जो लोग नमाज़ पढ़ चुके वह उनसे अलग (रहें)।

बाब 544:- जब इमाम सलाम फेरे तो मुक़्तदी भी सलाम फेरे,

इब्ने उमर رضي الله عنهما के नज़्दीक यह बेहतर था कि ज़ब इमाम सलाम फेर चुके तो मुक़्तदी उस वक़्त सलाम फेरें।

हदीस 796:- इतबान बिन मालिक رضي الله عنه रिवायत करते हैं, हम ने रसूलुल्लाह ﷺ के साथ नमाज़ पढ़ी और आपके साथ सलाम फेरा।

बाब 545:- जो शख़्स इमाम को (अलाहिदा) सलाम न करे और नमाज़ के सलाम को काफ़ी समझे:

हदीस 797:- महमूद बिन रबीअ رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मुझे रसूलुल्लाह ﷺ पूरी तरह याद हैं और मेरे घर में डोल से कुल्ली करके मेरे मुंह पर डालना (भी अच्छी तरह से) याद है। उनका कहना है

कि मैंने इतबान बिन मालिक ﷺ और बनी सालिम के किसी शख़्स से यह सुना, वह कहते थे, मैं अपने क़बीला बनी सालिम की इमामत करता था तो मैं रसूलुल्लाह ﷺ के पास आया और अर्ज़ किया, मेरी नज़र कमज़ोर (हो चली) है। मेरे और मेरे क़बीले की मस्जिद के दरमियान बहुत से नाले बहते हैं, मेरी ख़्वाहिश है आप तशरीफ़ लाते और मेरे घर में किसी जगह नमाज़ पढ़ लेते तो मैं उसे जाए नमाज़ बना लेता। फ़रमाया: "इन शा अल्लाह मैं ऐसा करूंगा।" पस दूसरे रोज़ दिन चढ़े रसूलुल्लाह ﷺ मेरे घर तशरीफ़ ले आए, आपके साथ अबू बकर ﷺ भी थे। रसूलुल्लाह ﷺ ने इजाज़त मांगी, मैंने आपको इजाज़त दी। बैठने से पहले आपने फ़रमाया: "तुम घर में किस जगह नमाज़ पढ़वाना चाहते हो ताकि मैं वहीं नमाज़ पढ़ूं।" मैंने उस मक़ाम की तरफ़ इशारा किया, जहां नमाज़ पढ़वाना पसन्द था। आप खड़े हुए, हम ने पीछे सफ़ बांध ली, बादे अज़ां आपने सलाम फेरा और हमने भी सलाम फेरा।

फ़ायदा:- हज़रत इतबान बिन मालिक ﷺ के इस वाक़िआ और ऐन इस्लामी नज़रिया पर पीछे हदीस 410 के तहत ईमान अफ़रोज़ ख़ारजियत सोज़ हाशिया लिखा जा चुका। क़ारईने किराम उसे फिर मुलाहिज़ा फ़रमा लें। व बिल्लाहित तौफ़ीक़।

बाब 546:- नमाज़ के बाद ज़िक्र:

हदीस 798:- अबू मअबद ﷺ, इब्ने अब्बास ﷺ से रिवायत करते हैं, जब लोग फ़र्ज़ नमाज़ से फ़ारिग़ हों तो अहदे रिसालत मआब ﷺ में बुलन्द आवाज़ से ज़िक्र करना राइज था। इब्ने अब्बास ﷺ कहते हैं, जब मैं सुनता कि लोग ज़िक्र करते हुए लौटे (तो पता चल जाता कि नमाज़ ख़त्म हो गई)।

हदीस 799:- इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं कि मुझे तकबीर से मालूम हो जाता कि नमाज़ ख़त्म हो गई।

फ़ायदा:- इन दोनों हदीसों से मालूम हो रहा है कि रसूलुल्लाह ﷺ के अहदे मुबारक में भी फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद बुलन्द आवाज़ से ज़िक्र करने का मामूल था। बाज़ लोगों का इसे नाजाइज़ और बिदअत बताना नीज़ रोकने की कोशिश करना अच्छी बात नहीं। ऐसे लोगों को कुरआनी वईद "وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِىْ خَرَابِهَا ط اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَآئِفِيْنَ ط لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ" से डरना चाहिये क्योंकि परवरदिगारे आलम ने सूरए बक़रह की इस आयत नम्बर 114 में उन लोगों को जो मस्जिदों में ज़िक्रे इलाही से रोकते हैं, दुनिया में रुसवाई व ज़िल्लत और आख़िरत में अज़ाबे अज़ीम की वईद सुनाई है। बुलन्द आवाज़ से ज़िक्र करने वालों को भी यह मल्हूज़ रखना चाहिये कि उनके ज़िक्र की वजह से किसी की नमाज़ में ख़लल वाक़े होने का ख़दशा न हो वरना यह उनकी तरफ़ से ज़िक्रे इलाही से रोकना हो जाएगा। परवरदिगारे आलम फ़रीक़ैन को शरई तक़ाज़े मल्हूज़ रखने की तौफ़ीक़ मर्हमत फ़रमाए। आमीन।

हदीस 800:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ के पास कुछ ग़रीब लोग आए और उन्होंने कहा, मालदार लोग बड़े बड़े रुतबे और दाइमी नेअमतें हासिल कर रहे हैं क्योंकि वह भी नमाज़ पढ़ते हैं जिस तरह हम पढ़ते हैं और रोज़े भी रखते हैं जिस तरह हम रखते हैं लेकिन उनके

पास माल ज़्यादा है जिससे वह हज, उमरा, जिहाद करते और सदक़ा देते हैं। आपने फ़रमायाः "क्या तुम्हें ऐसी बात न बता दूं, अगर तुम उस पर अमल करो तो तुम सबक़त ले जाने वालों को पा लो लेकिन तुम्हारे बाद तुम्हें कोई नहीं पहुंच पाएगा और तुम सब लोगों में बेहतर हो जाओगे, बजुज़ उसके जो इस तरह अमल करे। तुम नमाज़ के बाद तैंतीस बार तस्बीह (सुबहानल्लाह) तैंतीस मर्तबा तहमीद (अलहम्दु लिल्लाह) और तैंतीस दफ़ा तकबीर (अल्लाहु अकबर) पढ़ लिया करो।" उसके बाद हमने इख़्तिलाफ़ किया, कुछ ने कहा, हम तैंतीस बार तस्बीह और तहमीद पढ़ेंगे और तकबीर चौंतीस बार पढ़ेंगे तो मैंने फिर आपसे पूछा। आपने फ़रमायाः "सुबहानल्लाह, अलहम्दु लिल्लाह और अल्लाहु अकबर पढ़ा करो यहां तक कि हर एक तैंतीस बार हो जाए।"

हदीस 801:– मुग़ीरह बिन शुअबह ؓ के मुन्शी वर्राद रिवायत करते हैं, मुग़ीरह बिन शुअबह ؓ ने मुझ से एक ख़त में मुआविया ؓ को यह लिखवाया कि रसूलुल्लाह ﷺ हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद पढ़ते थेः "لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَآ اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ" "नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह, वह अकेला है उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाही है और उसी के लिये सब तारीफ़ें है और वह हर चीज़ पर क़ुदरत रखता है। ऐ अल्लाह! जो तू दे उसे कोई रोकने वाला नहीं और जो तू रोके उसे कोई देने वाला नहीं और किसी दौलतमन्द को तेरे मुक़ाबले पर दौलत नफ़ा नहीं देगी।"

बाब 547:– जब इमाम सलाम फेरे तो लोगों की तरफ़ मुंह करलेः

हदीस 802:– समुरह बिन जुन्दुब ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जब नमाज़ पढ़ चुके तो अपना मुंह हमारी तरफ़ कर लेते थे।

हदीस 803:– ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी ؓ रिवायत करते हैं, हमें हुदैबियह में रसूलुल्लाह ﷺ ने नमाज़े सुबह पढ़ाई और रात को बारिश हो चुकी थी। जब नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो लोगों की तरफ़ मुतवज्जेह होकर फ़रमायाः "तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या फ़रमाया है?" बोले, अल्लाह व रसूल बेहतर जानते हैं। (फ़रमाया): "उसने इरशाद फ़रमाया हैः मेरे बन्दों में कुछ लोगा मोमिन हुए और कुछ काफ़िर, जिन्होंने कहा हम पर अल्लाह के फ़ज़्ल और रहमत से बारिश हुई तो ऐसे लोग ईमान वाले और सितारों का इन्कार करने वाले बने और जिस ने कहा फ़ुलां सितारे के फ़ुलां जगह आ जाने से बारिश हुई, वह मेरे मुन्किर और सितारों पर ईमान लाने वाले बने।"

हदीस 804:– अनस बिन मालिक ؓ रिवायत करते हैं, एक रात रसूलुल्लाह ﷺ ने नमाज़ में निस्फ़ शब तक ताख़ीर कर दी, बादे अज़ां तशरीफ़ लाए, फिर जब नमाज़ पढ़ चुके तो आपने हमारी तरफ़ मुंह कर लिया और फ़रमाया किः "लोग नमाज़ पढ़ कर सो रहे और तुम लोग जब तक नमाज़ के मुन्तज़िर रहे (गोया) नमाज़ ही में रहे।"

बाब 548:– इमाम का सलाम के बाद अपने मुसल्ले पर ठहरनाः

हमसे आदम ने बहवाला शुअबह, अय्यूब और नाफ़ेअ बयान किया कि इब्ने उमर ؓ उसी जगह पर नमाज़े (नफ़्ल) पढ़ते जहां फ़र्ज़ नमाज़ अदा करते थे और क़ासिम ने भी ऐसा ही किया है। अबू हुरैरह ؓ से मरफ़ूअन मन्कूल है, इमाम अपनी जगह पर नफ़्ल न पढ़े मगर यह (रिवायत) दुरुस्त नहीं।

हदीस 805:- उम्मे सलमह رضي الله عنها रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ सलाम के बाद थोड़ी देर अपनी जगह पर ठहरे रहते। इब्ने शहाब कहते हैं, मेरा ख़्याल है, वैसे अल्लाह तआला बेहतर जानता है यह इस लिए ताकि औरतें नमाज़ से फ़ारिग़ होकर चली जाएं। और इब्ने अबी मरयम कहते हैं, हमें नाफ़ेअ رضي الله عنه ने बताया, वह कहते हैं मुझे जाफ़र बिन रबीअह ने ख़बर दी कि मुझे इब्ने शहाब ने लिख भेजा कि मुझ से हिन्द ने उम्मे सलमह رضي الله عنها के हवाले से नक़्ल किया और यह हिन्द आपकी सहेलियों में से थी, आप सलाम फेर देते थे तो (पहले) औरतें लौट कर घरों में दाख़िल हो जाती थीं क़ब्ल इसके कि रसूलुल्लाह ﷺ वापस हों।

बाब 549:- नमाज़ के बाद अगर किसी को काम पड़ जाए तो लोगों को फलांगता हुआ चला जाए:

हदीस 806:- उक़बह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ के पीछे नमाज़े अस्र पढ़ी तो आप सलाम फेर कर जल्दी से उठ खड़े हुए और लोगों की गर्दनें फलांग कर आप अपनी अज़्वाज में से किसी के हुजरे में तशरीफ़ ले गए। लोग आपकी यह (नागहानी) जल्दी देख कर सरासीमा हो गए, फिर आप उनके पास तशरीफ़ लाए तो लोगों को इस उजलत से मुताज्जिब पाया। आपने फ़रमया: "मुझे कुछ सोना याद आया जो हमारे हां था, मैंने यह ना-मुनासिब जाना कि वह मुझे ख़ुदा की याद से रोके लिहाज़ा मैंने उसे तक़्सीम करने का हुक्म दे दिया।"

बाब 550:- नमाज़ के बाद दाएं या बाएं मुंह कर लेना:

अनस बिन मालिक رضي الله عنه कभी दाएं और कभी बाएं मुंह फेर लेते जो (बतौरे ख़ास) दाएं तरफ़ फिरने का इरादा करता तो उसे मायूब समझते थे।

हदीस 807:- असवद رضي الله عنه रिवायत करते हैं, अब्दुल्लाह رضي الله عنه (बिन मसऊद) ने कहा, तुम में से कोई भी अपनी नमाज़ में शैतान का हिस्सा न लगाए कि वह यह लाज़िम समझे कि दाएं जानिब ही फिरे मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को बाएं जानिब भी फिरते देखा है।

बाब 551:- लेहसन, प्याज़ और गनदना के मुताल्लिक़ जो रिवायात आई हैं:

रसूलुल्लाह ﷺ का इरशाद जिसने भूक या बग़ैर भूक के लेहसन या प्याज़ खाई वह हमारी मस्जिद के क़रीब न आए:

हदीस 808:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो शख़्स इस दरख़्त यानी लेहसन से (कुछ) खाए वह हमारी मस्जिद में हम से न मिले।" (अता कहते हैं) मैंने कहा किस क़िस्म का लेहसन मुराद है? जाबिर رضي الله عنهما ने कहा, मेरे ख़्याल में कच्चा लेहसन मुराद है। मख़लद बिन यज़ीद ने इब्ने जुरैज से नक़्ल किया कि उसकी बू मुराद है।

हदीस 809:- नाफ़ेअ رضي الله عنه, इब्ने उमर رضي الله عنهما से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने ग़ज़वए ख़ैबर में फ़रमाया: "जो यह दरख़्त यानी लेहसन खाए वह हमारी मस्जिद के क़रीब न आए।"

हदीस 810:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो शख़्स लेहसन या प्याज़ खाए वह हम से अलग रहे या हमारी मस्जिद से अलग रहे और अपने घर में बैठे।" रसूलुल्लाह ﷺ के पास तश्तरी लाई गई, जिस में कुछ सब्ज़ तरकारियां थीं। आपने उनमें कुछ बू महसूस की तो फ़रमाया: "इसमें क्या है?" तो जो कुछ उसमें था, बता दिया गया। आपने फ़रमाया:

"इसे मेरे बाज़ अस्हाब जो आपके पास थे के क़रीब करदो क्योंकि जब आपने उसे देखा तो उसका खाना पसन्द न किया और फ़रमायाः "तुम (ही) खाओ क्योंकि मैं उस ज़ात से सरगोशी करता हूं जिससे तुम नहीं करते।" अहमद बिन सालेह ने इब्ने वहब से नक़्ल किया कि आपके सामने एक तबाक़ लाया गया जिसमें तरकारियां थीं। लैस और अबू सफ़वान ने यूनुस से हांडी का क़िस्सा बयान नहीं किया। इमाम बुख़ारी कहते हैं, मुझे मालूम नहीं यह ज़ुहरी की बात है या हदीस है।

हदीस 811:– अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहैब ؒ रिवायत करते हैं, अनस बिन मालिक ؓ से एक शख़्स ने पूछा, आपने रसूलुल्लाह ﷺ से लेहसन के बारे में क्या कुछ सुना है? बोले, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "जो शख़्स यह दरख़्त खाए वह न हमारे क़रीब आए और न हमारे साथ नमाज़ पढ़े।"

बाब 552:– बच्चों का वुज़ू करनाः

उन पर ग़ुस्ल, तहारत, जमाअत, ईदैन और जनाज़ों में हाज़िर होना कब वाजिब होता है और उनकी सफ़ें।

हदीस 812:– शअबी रिवायत करते हैं, मुझ से उस शख़्स ने कहा जो रसूलुल्लाह ﷺ के साथ एक अलग थलग क़ब्र पर गया था। आपने लोगों की इमामत की और लोगों ने आपके पीछे सफ़ बांधी और नमाज़ पढ़ी। सुलैमान कहते हैं, मैंने कहा अबू अम्र तुम्हें यह किस ने बताया? कहा, इब्ने अब्बास ؓ ने।

हदीस 813:– अबू सईद ख़ुदरी ؓ रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत करते हैं, आपने फ़रमायाः "जुमुआ के रोज़ हर बालिग़ पर ग़ुस्ल वाजिब है।"

हदीस 814:– इब्ने अब्बास ؓ रिवायत करते हैं, मैंने एक रात अपनी ख़ाला मैमूनह ؓ के पास बसर की। मैंने देखा जब कुछ रात रह गई, रसूलुल्लाह ﷺ उठे और एक (पास ही) लटकी हुई मशक से हल्का वुज़ू किया। अम्र इस वुज़ू को बहुत हल्का और क़लील बताते थे। बादे अज़ां आप नमाज़ के लिए खड़े हो गए। मैं भी उठा और आपकी तरह वुज़ू किया, फिर मैं आया और आपके बाएं जानिब खड़ा हो गया, मुझे आपने अपनी दाहिनी जानिब खड़ा कर लिया, फिर जिस क़दर अल्लाह तआला ने चाहा आपने नमाज़ पढ़ी, बादे अज़ां सो गए यहां तक कि ख़र्राटों की आवाज़ आने लगी। फिर मुअज़्ज़िन नमाज़ की ग़र्ज़ से आपके पास आया और आप उसके साथ नमाज़ के लिए तशरीफ़ ले गए और आपने वुज़ू नहीं फ़रमाया। सुफ़यान कहते हैं, हम ने अम्र बिन दीनार से कहा, लोगों का कहना है रसूलुल्लाह ﷺ की आंख सोती थी मगर दिल नहीं सोता था। अम्र कहते हैं, मैंने उबैदुल्लाह बिन उमैर को कहते सुना, अंबिया का ख़्वाब भी वही (की एक शक्ल) है, फिर उन्होंने "إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ" "बेशक मैंने ख़्वाब में देखा कि तुम्हें ज़िब्ह करता हूं।" पढ़ा।

फ़ायदाः– नबी करीम ﷺ जब सो जाते तो इससे आपका वुज़ू नहीं टूटता था और यही हाल सारे अंबियाए किराम ؑ का था कि नींद उन हज़रात के हक़ में नाक़िसे वुज़ू न थी क्योंकि अंबिया आलमे ख़्वाब में भी बेख़बर नहीं होते थे। उनकी आंखें सो जातीं लेकिन दिल नहीं सोते थे और वह ख़्वाब में भी बेदारी की तरह बाख़बर रहते थे। हज़रत मुजद्दिद अलफ़ सानी ؒ (मुतवफ़्फ़ी 1024 हिजरी) ने फ़रमाया कि नबी अपनी उम्मत का निगरान होता है, लिहाज़ा अंबियाए किराम ؑ को ख़्वाब

की हालत में भी अहवाले उम्मत से बेख़बर नहीं रखा जाता था। वल्लाहु तआला आलम।

हदीस 815:- अनस बिन मालिक ؓ रिवायत करते हैं, उनकी दादी मुलैकह ؓ ने रसूलुल्लाह ﷺ को खाने पर बुलाया जो (बतौरे ख़ास) आपके लिए तय्यार किया गया था। आपने उसमें से खाया और फ़रमायाः "उठो ताकि तुम्हें मैं नमाज़ पढ़ाऊं।" तो मैं अपनी एक चटाई पर खड़ा हो गया जो बकसरत इस्तेमाल करने से स्याह हो गई थी। उसे पानी से धोया, फिर रसूलुल्लाह ﷺ खड़े हुए और एक बच्चा मेरे हमराह था और बुढ़िया हमारे पीछे पस आपने हमारे साथ दो रकअत नमाज़ अदा की।

हदीस 816:- अब्दुल्लाह बिन अब्बास ؓ रिवायत करते हैं, मैं एक गधी पर सवार होकर सामने आया। मैं उस वक़्त बालिग़ होने के क़रीब था। रसूलुल्लाह ﷺ मिना में बग़ैर दीवार की आड़ के लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे थे तो मैं कुछ सफ़ों के आगे से गुज़रा। मैं नीचे उतरा और गधी को छोड़ दिया ताकि वह चरे और मैं सफ़ में आकर खड़ा हुआ, फिर किसी ने मुझ पर एतेराज़ नहीं किया।

हदीस 817:- सय्यदा आयशा ؓ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने इशा में (ग़ैर मामूली) ताख़ीर करदी, यहां तक कि उमर ؓ ने आपको आवाज़ दी कि औरतें और बच्चे सो गए। (आयशा ؓ) कहती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ बाहर तशरीफ़ ले गए और फ़रमायाः "अहले ज़मीन में से तुम्हारे अलावा कोई नहीं जो नमाज़ पढ़े।" और उस दौर में मदीना वालों के सिवा कोई नमाज़ नहीं पढ़ता था।

हदीस 818:- अब्दुर्रहमान बिन आबिस रिवायत करते हैं, इब्ने अब्बास ؓ से एक शख़्स ने कहा आप रसूलुल्लाह ﷺ के साथ (ईदगाह) गए हो? बोले, हां अगर मेरी क़राबतदारी न होती तो मैं न जा सकता था, यानी कमसिनी के बाइस। आप उस निशान के पास आए जो कसीर बिन सलत के घर पर था। आपने ख़िताब फ़रमाया, उसके बाद औरतों के पास तशरीफ़ ले गए, उन्हें नसीहत की और तल्क़ीन की। उन्हें हुक्म दिया कि सदक़ा दें, पस कोई औरत अपना हाथ अंगूठी, कोई बाली और कोई किसी ज़ेवर की तरफ़ बढ़ाने लगी और उन्हें उतार कर बिलाल ؓ की चादर में डालने लगीं, फिर बिलाल ؓ और आप घर तक साथ साथ आए।

बाब 553:- औरतों का रात और अंधेरे में मस्जिद में जानाः

हदीस 819:- हज़रत आयशा ؓ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने इशा में ताख़ीर करदी हत्ता कि उमर ؓ ने आपको आवाज़ दी कि औरतें और बच्चे सो गए। पस रसूलुल्लाह ﷺ बाहर तशरीफ़ ले गए और फ़रमायाः "अहले ज़मीन में तुम्हारे अलावा कोई इस नमाज़ के इन्तिज़ार में नहीं।" और उस वक़्त मदीना के अलावा कहीं नमाज़ नहीं पढ़ी जाती थी और नमाज़े इशा शफ़क़ के ग़ायब हो जाने के बाद तिहाई रात तक पढ़ लेते थे।

हदीस 820:- इब्ने उमर ؓ रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत करते हैं, आपने फ़रमायाः "जब तुम से तुम्हारी औरतें रात को मस्जिद में जाने की इजाज़त मांगें तो इजाज़त दे दिया करो।"

हदीस 821:- ज़ौजए रसूल उम्मे सलमह ؓ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ के दौर में औरतें जब फ़र्ज़ नमाज़ का सलाम फेरतीं तो उठ खड़ी होतीं और रसूलुल्लाह ﷺ और दीगर नमाज़ी जितनी देर अल्लाह चाहता ठहर जाते, फिर जब रसूलुल्लाह ﷺ खड़े होते तो सब लोग खड़े हो जाते।

हदीस 822:- सय्यदा आयशा ؓ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जब नमाज़े सुबह पढ़ लेते तो औरतें अपनी चादरों में लिपटी हुई लौटती थीं और तारीकी के बाइस पहचानी नहीं जाती थीं।

हदीस 823:- अब्दुल्लाह बिन अबू क़तादह अन्सारी अपने वालिद अबू क़तादह ﷺ से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "मैं नमाज़ के लिए खड़ा होता हूं और जी चाहता है कि लम्बा करूं, मगर बच्चों के रोने की आवाज़ सुन कर हल्की कर देता हूं, इसको ना-मुनासिब ख़्याल करते हुए कि उसकी मां पर मशक़्क़त डालूं।"

हदीस 824:- सय्यदा आयशा ﷺ फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ को अगर उन करतूतों का पता चल जाता जो औरतों ने बाद में कीं, तो उन्हें मस्जिद में जाने से रोक देते, जिस तरह बनी इस्राईल की औरतें रोक दी गई थीं। यहया कहते हैं, मैंने अम्रह से कहा, क्या बनी इस्राईल की औरतों को वाक़ई मना कर दिया गया था? बोलीं हां।

बाब 554:- औरतों का मर्दों की पीछे नमाज़ पढ़नाः

हदीस 825:- उम्मे सलमह ﷺ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जब सलाम फेरते थे तो फ़ौरन औरतें उठ खड़ी होतीं और आप उठने से पहले अपनी जगह पर थोड़ी देर ठहर जाते। ज़ुहरी कहते हैं, हमारा ख़्याल है वल्लाहु आलम यह इस लिए था ताकि औरतें मर्दों के मिलने से पहले चली जाएं।

हदीस 826:- इस्हाक़, अनस ﷺ से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने उम्मे सुलैम ﷺ (वालिदा अनस ﷺ) के घर नमाज़ पढ़ी तो मैं और एक लड़का आपके पीछे खड़े हो गए और उम्मे सुलैम ﷺ हमारे पीछे।

बाब 555:- नमाज़े सुबह पढ़ कर औरतों का जल्द वापस होना और मस्जिद में कम ठहरनाः

हदीस 827:- सय्यदा आशा ﷺ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़े सुबह अंधेरे मुंह पढ़ते थे तो मुसलमानों की औरतें (ऐसे वक़्त) लौटतीं कि तारीकी के बाइस पहचानी न जाती थीं या बाहम एक दूसरे को न पहचान सकती थीं।

बाब 556:- औरत का ख़ाविन्द से मस्जिद जाने की इजाज़त मांगनाः

हदीस 828:- इब्ने उमर ﷺ रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत करते हैं, आपने फ़रमायाः "जब तुम में से किसी की बीवी मस्जिद जाने की इजाज़त मांगे तो वह उसे न रोके।"

जुम्आ का बयान

बाब 557:- जुम्आ की फ़र्ज़ियतः

अल्लाह तआला का इरशाद हैः "जब जुम्आ की नमाज़ के लिए अज़ान कही जाए तो अल्लाह की याद के लिए लपको और ख़रीद व फ़रोख़्त छोड़ दो यही तुम्हारे हक़ में बेहतर है अगर तुम समझो।" "فَاسْعَوْا" का मतलब "فَامْضُوْا" यानी "चले आओ" है।

हदीस 829:- (रबीअह बिन हारिस के आज़ाद करदा गुलाम) आरज अबू हुरैरह ﷺ से रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते हुए सुनाः "हम (बेअसत के एतेबार से) आख़िरी लेकिन क़यामत के दिन आगे (आगे) होंगे, सिर्फ़ इतनी बात है कि उन्हें (यहूद व नसारा) हम से पहले किताब दी गई, फिर यही उनका दिन है जिस में उन पर (जुम्आ) फ़र्ज़ किया गया लेकिन उन्होंने उसमें इख़्तिलाफ़ किया लेकिन अल्लाह तआला ने इस मामले में हमारी रहनुमाई फ़रमाई जिस से यह लोग

हमारे पीछे रह गए। कल यहूद (की इबादत) का दिन है और परसों नसारा का।"

बाब 558:- जुम्आ के दिन गुस्ल की फज़ीलतः

और क्या बच्चों और औरतों पर जुम्आ की हाज़िरी फर्ज़ है।

हदीस 830:- नाफ़ेअ ﵁, इब्ने उमर ﵄ से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ फरमाते हैं: "जब तुम में कोई नमाज़ जुम्आ के लिए आना चाहे तो नहा ले।"

हदीस 831:- इब्ने उमर ﵄ रिवायत करते हैं, उमर बिन ख़त्ताब ﵁ जुम्आ के दिन खुत्बा पढ़ रहे थे। अस्हाबे रसूल में से एक "मुहाजिरे साबिक़" आए, उमर ﵁ ने पुकारा, यह क्या (आने का) वक़्त है? उन्होंने कहा, मैं एक काम में लग गया और अभी घर भी नहीं गया, अज़ान की आवाज़ सुनी और बस वुज़ू ही कर पाया। उमर ﵁ ने कहा, सिर्फ़ वुज़ू किया जबकि आपको मालूम है रसूलुल्लाह ﷺ गुस्ल का हुक्म दिया करते थे।

हदीस 832:- अबू सईद खुदरी ﵁ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "हर बालिग़ पर जुम्आ के दिन गुस्ल करना वाजिब है।"

बाब 559:- जुम्आ को खुश्बू लगानाः

हदीस 833:- अम्र बिन सुलैम अन्सारी ﵁ कहते हैं, मैं अबू सईद ﵁ (खुदरी) पर गवाही देता हूं और वह रसूलुल्लाह ﷺ पर गवाही देते हैं, आपने फ़रमाया: "जुम्आ के रोज़ हर बालिग़ पर गुस्ल करना वाजिब है और मिस्वाक करे और मिल जाए तो खुश्बू लगाए।" अम्र बिन सुलैम ﵁ कहते हैं, गुस्ल के मुताल्लिक़ गवाही देता हूं कि यह वाजिब है, अल्बत्ता मिस्वाक और खुश्बू खुदा बेहतर जानता है कि वह वाजिब है या नहीं? लेकिन हदीस में ऐसे ही है।

बाब 560:- जुम्आ की फज़ीलतः

हदीस 834:- अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान ﵁ के आज़ाद करदा गुलाम अबी सालेह सम्मान, अबू हुरैरह ﵁ से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस ने जुम्आ को गुस्ले जनाबत किया, फिर नमाज़ के लिए गया तो गोया उस ने ऊँट की कुरबानी की और जो शख़्स दूसरी घड़ी में गया तो गोया एक गाय की कुरबानी की और जो तीसरी घड़ी में गया तो गोया सींग वाले दुंबे की कुरबानी की और जो चौथी घड़ी में गया तो उसने एक मुर्ग़ी की कुरबानी की और जो पाँचवीं घड़ी में गया तो गोया उसने अन्डा (अल्लाह की राह में) ख़र्च किया, फिर जब इमाम खुत्बे के लिए चला जाता है तो फ़रिश्ते खुत्बा सुनने की ग़र्ज़ से हाज़िर हो जाते हैं।"

बाब 561:- जुम्आ के रोज़ गुस्ल करना चाहिएः

हदीस 835:- अबू हुरैरह ﵁ रिवायत करते हैं, उमर बिन ख़त्ताब ﵁ जुम्आ के दिन खुत्बा दे रहे थे, इसी दौरान एक शख़्स आया तो उमर बिन ख़त्ताब ﵁ ने कहा, तुम नमाज़ से क्यों रुक जाते हो? कहा, अज़ान की आवाज़ सुनते ही मैंने वुज़ू कर लिया। उमर ﵁ ने कहा, क्या तुम ने रसूलुल्लाह ﷺ को यह फ़रमाते नहीं सुना कि तुम में से जो भी जुम्आ के लिए निकले तो नहा ले।

बाब 562:- जुम्आ को तेल लगानाः

हदीस 836:- सलमान अल फ़ारसी ﵁ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो शख़्स जुम्आ को नहाता और मुमकिन हद तक सफ़ाई का एहतेमाम करता है और अपने तेल में से तेल

लगाता या घर की खुश्बू में से खुश्बू इस्तेमाल करता है और फिर नमाज़ को चल दे और दो आदमियों के दरमियान न घुसे और जितना हो सकता है नमाज़े (नफ़्ल) पढ़े और जब इमाम ख़ुत्बा शुरू करे तो ख़ामोश रहे तो इस जुम्आ से दूसरे जुम्आ तक के गुनाह बख़्श दिए जाते हैं।"

हदीस 837:– ताऊस ﷺ रिवायत करते हैं, मैंने इब्ने अब्बास ﷺ से कहा, लोगों का कहना है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया जुम्आ के दिन ग़ुस्ल करो, फिर सरों को धोओ, ख़्वाह तुम्हें नहाने की ज़रूरत न हो और खुश्बू लगाओ। इब्ने अब्बास ﷺ बोले, ग़ुस्ल की बात तो दुरुस्त है अल्बत्ता खुश्बू के बारे में मैं नहीं जानता।

हदीस 838:– ताऊस ﷺ, इब्ने अब्बास ﷺ के मुताल्लिक़ रिवायत करते हैं, उन्होंने जुम्आ के दिन ग़ुस्ल करने के मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह ﷺ का इरशाद बयान किया तो मैंने इब्ने अब्बास ﷺ से दरयाफ़्त किया, क्या वह खुश्बू या तेल लगाए अगर उस के घर वालों के पास हो, तो बोले मुझे नहीं मालूम!

बाब 563:– मयस्सर हो तो उम्दा लिबास पहननाः

हदीस 839:– अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ रिवायत करते हैं, उमर बिन ख़त्ताब ﷺ ने मस्जिदे नबवी के क़रीब एक रेशमी दोशाला बिकते देखा तो कहा, या रसूलल्लाह! क्या ही अच्छा हो अगर इसे आप ख़रीद लें ताकि जुम्आ को और वफ़ूद से मुलाक़ात के दौरान आप पहनें, तो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "इसे वही पहने जिस का आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं।" फिर उसी तरह कई रेशमी दोशाले रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में आए तो आपने उन में से एक उमर बिन ख़त्ताब ﷺ को दे दिया। उमर ﷺ ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! आपने यह मुझे पहनने को दिया जबकि आप इस हुल्लए अतारिद के बारे में (तब्सिरा) फ़रमा चुके हैं। (इस पर) रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "मैंने यह तुम्हें पहनने को नहीं दिया।" तो उमर बिन ख़त्ताब ﷺ ने वह अपने एक मुश्रिक भाई को जो मक्का में था, पहनने को दे दिया।

बाब 564:– जुम्आ के दिन मिस्वाक करनाः

अबू सईद ख़ुदरी ﷺ ने रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत किया कि मिस्वाक करे।

हदीस 840:– आरज, अबू हुरैरह ﷺ से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "अगर अपनी पर गिरां न समझता तो उन्हें हर नमाज़ के साथ मिस्वाक का हुक्म देता।"

फ़ायदाः– इस हदीस से मालूम हो रहा है कि परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब, सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह ﷺ को तशरीई अहकाम की इजाज़त भी मर्हमत फ़रमा दी थी कि अपनी उम्मत के लिये जो बात मुनासिब समझते उसका हुक्म फ़रमा देते और वही हुक्म ख़ुदा का क़ानून और शरीअते मुतह्हरा का एक हिस्सा बन जाता। इस अम्र पर दलालत करने वाली अकसर अहादीस को चौधवीं सदी के मुजद्दिदे बरहक़, इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ बरेलवी ﷺ (मुतवफ़्फ़ी 1240 हिजरी / 1921 ई०) ने अपने ईमान अफ़रोज़ ख़ारजियत सोज़ रिसाला अलअमन वल-उला में पेश फ़रमाया है। रासिख़ुल अक़ीदा मुसलमानों को उस रिसाले का मुताला बहुत सूदमन्द साबित होगा। वल्लाहु तआला आलम।

हदीस 841:– शुऐब बिन हबहाब ﷺ, अनस ﷺ से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "मैंने तुम लोगों से मिस्वाक के मुताल्लिक़ बहुत कुछ बयान किया है।"

हदीस 842:- हुज़ैफ़ह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जब रात को सोकर उठते तो अपना मुंह मिस्वाक से साफ़ करते।

बाब 565:- दूसरे की मिस्वाक इस्तेमाल करना:

हदीस 843:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर رضي الله عنهما आए और उनकी एक मिस्वाक थी जो उनके ज़ेरे इस्तेमाल थी। रसूलुल्लाह ﷺ ने उस मिस्वाक को देखा तो मैंने उनसे कहा अब्दुर्रहमान! यह मिस्वाक मुझे दे दो। उन्होंने वह मिस्वाक मुझे दे दी, उसे तोड़ा और चबा कर रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में पेश कर दी आपने उसे इस्तेमाल फ़रमाया, इस तरह कि मेरे सीने से टेक लगाए हुए थे।

बाब 566:- जुम्आ के दिन नमाज़े फ़ज्र में कौन सी सूरतें पढ़ी जाएं:

हदीस 844:- अबू हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जुम्आ के रोज़ नमाज़े फ़ज्र में "الٓمّٓ تَنْزِيْلُ" (सज्दा) और "هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ" (दहर) तिलावत किया करते थे।

बाब 567:- देहात और शहर में जुम्आ पढ़ना:

हदीस 845:- अबू जमरह ज़ैई رضي الله عنه, इब्ने अब्बास رضي الله عنهما से रिवायत करते हैं, उन्होंने फ़रमाया, मस्जिदे नबवी के बाद सबसे पहला जुम्आ बहरैन के मक़ाम जुवासा में मस्जिदे अब्दुल क़ैस में पढ़ा गया।

हदीस 846:- सालिम, इब्ने उमर رضي الله عنهما से रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते हुए सुना: "तुम में से हर शख़्स निगरां है।" लैस ने इस में इज़ाफ़ा करते हुए कहा, यूनुस का क़ौल है, मैं उन दिनों वादीउल कुरा में इब्ने शहाब के साथ था तो रुज़ैक़ बिन हकीम ने इब्ने शहाब को लिख भेजा, आप की क्या राए है मैं यहां जुम्आ क़ायम करूं और रुज़ैक़ एक ज़मीन में काश्त कराते थे और वहां हब्शियों और दूसरे लोगों की एक जमाअत थी। रुज़ैक़ उन दिनों ऐलह में हाकिम थे। तो इब्ने शहाब ने लिखा और मैं यह हुक्म देते हुए सुन रहा था कि जुम्आ क़ायम करें। वह बताते हैं सालिम ने उन से कहा अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنهما फ़रमाते थे, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते हुए सुना: "तुम में हर शख़्स निगरां है और हर शख़्स से उसकी रइयत के मुताल्लिक़ पूछा जाएगा। आदमी अपने अहल व अयाल पर निगरां है उससे उसकी रिआया के बारे में पूछा जाएगा। औरत अपने शौहर के घर में निगरां है उससे उसकी रिआया के मुताल्लिक़ पूछा जाएगा। ख़ादिम अपने आक़ा के माल का निगरां है और उससे उसकी रिआया के मुताल्लिक़ पूछा जाएगा।" इब्ने शहाब का ख़्याल है शायद यह भी फ़रमाया: "मर्द अपने बाप के माल का निगरां है और उससे उसकी रिआया के बारे में पूछा जाएगा और तुम में से हर शख़्स निगरां है और हर एक से उसकी रिआया के मुताल्लिक़ पूछा जाएगा।"

बाब 568:- जो (इज्तिमाआते) जुम्आ में हाज़िर न हो जैस औरतें और बच्चे वग़ैरा तो क्या उन पर गुस्ल वाजिब है?:

इब्ने उमर رضي الله عنهما के मुताबिक़ गुस्ल उसी पर वाजिब है जिस पर जुम्आ वाजिब है।

हदीस 847:- सालिम बिन अब्दुल्लाह رضي الله عنه, अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنهما से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते हुए सुना: "तुम में से जो भी नमाज़े जुम्आ के लिए आए वह गुस्ल करे।"

हदीस 848:- अबू सईद ख़ुदरी رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "गुस्ले

जुम्आ हर बालिग़ (मर्द) पर वाजिब है।"

हदीस 849:– ताऊस, अबू हुरैरह ﷺ से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "हम (बेअसत में) आख़िरी मगर क़यामत के दिन सबसे आगे होंगे, हां अल्बत्ता उन्हें (यहूद व नसारा) हम से पहले किताब दी गई और हमें उनके बाद मिली चुनान्चे यही वह दिन है जिस में उन्होंने इख़्तिलाफ़ किया लेकिन अल्लाह ने हमें समझा दिया तो कल (सनीचर) का दिन यहूद और परसों (इत्वार) का दिन नसारा के लिए है।" थोड़ी देर तवक़्क़ुफ़ किया और फ़रमाया: "हर मुसलमान पर लाज़िम है कि हर सात दिन में गुस्ल करे इस तरह कि अपना सर और अपना जिस्म धोए।" यह हदीस अबान इब्ने सालेह ने भी मुजाहिद, ताऊस के हवाले के साथ अबू हुरैरह से रिवायत की। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "हर मुसलमान पर अल्लाह का यह हक़ है कि सात दिन में (ज़रूर) एक दिन गुस्ल करे।"

हदीस 850:– इब्ने उमर ﷺ रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत करते हैं, आपने फ़रमाया: "औरतों को रात के वक़्त मस्जिद में ज़ाने की इजाज़त दे दो।"

हदीस 851:– नाफ़ेअ ﷺ, इब्ने उमर ﷺ से रिवायत करते हैं, उमर ﷺ की एक बीवी फ़ज्र और इशा की बाजमाअत नमाज़ के लिए मस्जिद में जाती थीं। उनसे कहा गया तुम बाहर क्यों निकलती हो? जबकि तुम्हें मालूम है उमर ﷺ इसे ना-पसन्द करते हैं और उन्हें इस पर ग़ैरत दिलाई जाती है। तो उन्होंने कहा उन्हें फिर किसने रोका है कि वह मुझे मना करदें। लोगों ने कहा रसूलुल्लाह ﷺ का यह इरशाद उन्हें रोके हुए है कि अल्लाह की बन्दियों को अल्लाह की मस्जिदों से न रोको।

बाब 569:– बारिश के दौरान जुम्आ में हाज़िर न होने की इजाज़त है:

हदीस 852:– मुहम्मद बिन सीरीन के चचेरे भाई अब्दुल्लाह बिन हारिस ﷺ रिवायत करते हैं, इब्ने अब्बास ﷺ ने बारिश के दिन अपने मुअज़्ज़िन से कहा, जब तुम "أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ" कह चुको तो बाद में "حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ" न कहो बल्कि "صَلُّوْا فِيْ بُيُوْتِكُمْ" (यानी अपने अपने घरों में नमाज़ अदा कर लो) पुकारो। लोगों ने इस पर इज़्हारे तअज्जुब किया, तो आप बोले, ऐसा उस ज़ाते गिरामी ने कहा जो मुझ से (बदरजा) बेहतर थी और नमाज़े जुम्आ अगर्चे फ़र्ज़ है लेकिन यह मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता कि तुम्हें कीचड़ और फिसलन में निकलने पर मजबूर करूं।

बाब 570:– जुम्आ के लिए कहां से आना चाहिए और किन पर वाजिब है:

अल्लाह तआला के इस क़ौल के मुताबिक़ कि "जब जुम्आ के दिन नमाज़ के लिए अज़ान कही जाए।" अता का कहना है, जब तुम किसी ऐसे शहर में हो जहां नमाज़े जुम्आ होती है वहां नमाज़े जुम्आ के लिए हाज़िर होना वाजिब है, ख़्वाह तुम अज़ान की आवाज़ सुनो या न। अनस ﷺ कभी अपने मकान में नमाज़े जुम्आ पढ़ते और कभी न पढ़ते और उनका घर शहर के एक कोने में दो मील के फ़ासिले पर था।

हदीस 853:– ज़ौजए रसूलुल्लाह ﷺ सय्यदा आयशा ﷺ फ़रमाती हैं, लोग जुम्आ के दिन अपने घरों और अतराफ़े मदीना से बारी बारी आते और गर्द में चलने के बाइस गर्द से अट जाते और पसीना बह निकलता। उनमें से एक शख़्स रसूलुल्लाह ﷺ के पास आया, आप मेरे पास तशरीफ़ फ़रमा थे। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अच्छा होता तुम आज के दिन नहा धो लेते।"

बाब 571:– जुम्आ का वक़्त ज़वाले आफ़ताब से शुरू होता है:

उमर, अली, नोमान बिन बशीर और अम्र बिन हुरैस ﷺ से इसी तरह मन्कूल है।

हदीस 854:- यहया बिन सईद ﷺ रिवायत करते हैं, उन्होंने उमरह ﷺ से गुस्ले जुम्आ के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया। बोले, सय्यदा आयशा ﷺ फ़रमाती थीं, लोग अपने काम काज में लगे रहते, जब नमाज़े जुम्आ के लिए जाते तो उसी हालत में चले जाते तो उन्हें कहा गया अच्छा होता कि नहा धो लेते।

हदीस 855:- अनस बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ उस वक़्त नमाज़े जुम्आ पढ़ते जब सूरज ढल जाता।

हदीस 856:- अनस बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं, हम लोग जुम्आ के दिन सुबह जल्दी निकलते और जुम्आ की नमाज़ के बाद लेटते थे।

बाब 572:- जब जुम्आ के दिन सख़्त गर्मी हो:

हदीस 857:- अनस बिन मालिक ﷺ कहते हैं, जब सर्दी ज़्यादा होती तो रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़ जल्दी पढ़ते और जब गर्मी ज़्यादा होती तो नमाज़ ठन्डे वक़्त में अदा करते।

यूनुस बिन बुकैर के मुताबिक़ अबू ख़लदह ने बिस्सलात का लफ़्ज़ बयान किया जुम्आ का ज़िक्र नहीं किया। बिशर बिन साबित के मुताबिक़ हम से अबू ख़लदह ने बयान किया, हमें (एक) अमीर ने नमाज़े जुम्आ पढ़ाई, फिर अनस ﷺ से दरयाफ़्त किया रसूलुल्लाह ﷺ जुहर की नमाज़ किस वक़्त पढ़ते थे।

बाब 573:- जुम्आ की नमाज़ के लिए जाना:

इरशादे खुदावन्दी है: "खुदा की याद की तरफ़ लपको।" बाज़ कहते हैं "सई" से मुराद अमल करना और चलना है। फ़रमाने इलाही के ब-मुताबिक़ "وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا" इब्ने अब्बास ﷺ ने फ़रमाया, उस वक़्त लेन देन हराम है। अता का कहना है, तमाम काम हराम हैं। इब्राहीम बिन सअद से नक़्ल किया गया, जब मुअज़्ज़िन जुम्आ के दिन अज़ान दे और कोई मुसाफ़िर हो तो उस पर जुम्आ की नमाज़ में शिरकत लाज़िम है।

हदीस 858:- अबायह बिन रिफ़ाअह ﷺ रिवायत करते हैं, मैं जुम्आ के लिए जा रहा था तो मुझे अबू अबस ﷺ मिले और कहा, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते हुए सुना: "जिस के दोनों पांव खुदा की राह में गर्द आलूद हों अल्लाह तआला उस पर दोज़ख़ हराम कर देता है।"

हदीस 859:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से सुना फ़रमाते थे: "जब नमाज़ खड़ी हो जाए तो दौड़ते हुए न जाओ बल्कि चल कर आओ और वक़ार व सुकून मल्हूज़ रखो, जितनी नमाज़ पाओ पढ़ लो जितनी रह जाए उसे पूरा कर लो।"

हदीस 860:- अबू क़तादह ﷺ रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत करते हैं, आपने फ़रमाया: "जब तक तुम मुझे न देख लो उस वक़्त तक (नमाज़ के लिए) खड़े न हो और तुम पर इत्मिनान लाज़िम है।"

बाब 574:- जुम्आ के दिन दो आदमियों के दरमियान (घुस कर) न बैठे:

हदीस 861:- सलमान फ़ारसी ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस ने जुम्आ के दिन गुस्ल किया और मुमकिन हद तक पाकीज़गी (और नज़ाफ़त) का मुज़ाहिरा किया, तेल और खुश्बू लगाए और मस्जिद में इस तरह जाए कि दो आदमियों में घुस कर न बैठे और जिस क़दर उस पर फ़र्ज़ है नमाज़ पढ़े, फिर जब इमाम आए (और खुत्बा दे) तो ख़ामोशी से सुने तो उसके एक से

दूसरे जुम्आ तक के गुनाह बख़्श दिए जाते हैं।"

बाब 575:- जुम्आ के दिन कोई अपने (दीनी) भाई को उठा कर उसकी जगह पर न बैठे:

हदीस 862:- इब्न उमर रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने इस बात से मना फ़रमाया कि कोई अपने (मुसलमान) भाई को उसकी जगह से हटा कर खुद बैठ जाए। मैं (इब्ने जुरैज) ने नाफ़ेअ से पूछा, क्या यह जुम्आ के लिए है? जवाब दिया, जुम्आ और जुम्आ के अलावा सब (नमाज़ों) का यही हुक्म है।

बाब 576:- जुम्आ के दिन अज़ान देना:

हदीस 863:- साइब बिन यज़ीद रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह, अबू बकर और उमर के दौर में जुम्आ की पहली अज़ान इमाम के मिम्बर पर बैठ जाने के बाद दी जाती थी। जब उसमान का ज़माना आया और लोग बढ़ गए तो तीसरी अज़ान बढ़ा दी गई जो मक़ामे ज़ोरा पर कही जाती थी। (इमाम बुख़ारी के मुताबिक़) ज़ोरा मदीना के बाज़ार में एक जगह है।

बाब 577:- जुम्आ के दिन एक ही मुअज़्ज़िन हो:

हदीस 864:- साइब बिन यज़ीद रिवायत करते हैं, जब अहले मदीना की तादाद ज़्यादा हो गई, उस वक़्त जिन्होंने तीसरी अज़ान का इज़ाफ़ा किया वह उसमान थे और रसूलुल्लाह के दौर में बजुज़ एक के कोई मुअज़्ज़िन न होता था और जुम्आ के दिन अज़ान इमाम के मिम्बर पर बैठ जाने के बाद होती थी।

बाब 578:- इमाम मिम्बर पर अज़ान सुन कर जवाब दे:

हदीस 865:- अबू उमामह बिन सहल बिन हुनैफ़ बयान करते हैं, जब मुअज़्ज़िन ने अज़ान कही तो मैंने मुआवियह बिन सुफ़यान को मिम्बर पर जवाब देते सुना चुनान्चे जब मुअज़्ज़िन ने अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहा तो मुआवियह ने भी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहा फिर मुअज़्ज़िन ने अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो मुआवियह ने कहा अना (यानी मैं भी गवाही देता हूं) फिर मुअज़्ज़िन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह कहा, मुआवियह ने (फिर) अना कहा, जब अज़ान ख़त्म हुई तो मुआवियह ने कहा मैंने रसूलुल्लाह से इस जगह पर मुअज़्ज़िन के अज़ान देते वक़्त सुना जो तुम ने मुझ से सुना।

बाब 579:- अज़ान तक मिम्बर पर बैठ रहना:

हदीस 866:- इब्ने शहाब रिवायत करते हैं, उन्हें साइब बिन यज़ीद ने बताया जुम्आ के दिन दूसरी अज़ान का हुक्म उसमान ने दिया जबकि मुक़्तदियों की तादाद बहुत बढ़ गई और जुम्आ के दिन अज़ान उस वक़्त होती थी जब इमाम (मिम्बर पर) बैठ जाता।

बाब 580:- खुत्बा के वक़्त अज़ान कहना:

हदीस 867:- जुहरी रिवायत करते हैं, मैंने यज़ीद बिन साइब को कहते हुए सुना, जुम्आ के दिन पहली अज़ान उस वक़्त होती थी जब इमाम मिम्बर पर बैठ जाता। रसूलुल्लाह, अबू बकर और उमर के ज़माने तक इस तरह हुआ। जब ख़िलाफ़ते उसमान शुरू हुई तो लोग बहुत ज़्यादा हो गए तो उसमान ने जुम्आ के दिन तीसरी अज़ान ज़ौरा पर देने का हुक्म दिया और फिर यह

सिलसिला चलता रहा।

बाब 581:- मिम्बर पर खुत्बा पढ़नाः

अनस ﷺ के मुताबिक़ रसूलुल्लाह ﷺ ने मिम्बर पर खुत्बा पढ़ा।

हदीस 868:- अबू हाज़िम बिन दीनार ﷺ रिवायत करते हैं, कुछ लोग सहल बिन सअद साअदी ﷺ के पास आए। वह मिम्बर के मुताल्लिक़ गुफ़्तगू कर रहे थे कि उसकी लकड़ी किस दरख़्त की थी। तो उन्होंने उनसे पूछा तो कहा क़सम बख़ुदा, मुझे खूब मालूम है कि वह किस का था। मैंने ही पहले दिन देखा जब वह रखा गया और सब से पहले दिन रसूलुल्लाह ﷺ तशरीफ़ फ़रमा हुए। रसूलुल्लाह ﷺ ने फुलां अन्सारी औरत (जिस का नाम सहल ने बताया था) को कहला भेजाः "तुम अपने बढ़ई लड़के को कहो वह मुझे ऐसी लकड़िया बना दे जब मैं लोगों से मुख़ातब हूं तो उस पर बैठूं।" चुनान्चे उस औरत ने लड़के को उस के बनाने का हुक्म दिया तो ग़ाबह (एक मक़ाम) के झाओ के दरख़्त का बनाया, फिर उसे उस औरत के पास ले आया तो उसे रसूलुल्लाह ﷺ के पास भेज दिया गया। आप के हुक्म के मुताबिक़ रखा गया, फिर मैंने देखा कि रसूलुल्लाह ﷺ ने उस पर नमाज़ पढ़ी और तकबीर कही, फिर उस पर रुकूअ भी किया, अज़ां बाद उल्टे पांव फिर कर उसकी जड़ में सज्दा किया, फिर वापस अपनी जगह पर चले गए। जब फ़ारिग़ हुए तो लोगों को मुतवज्जह करके फ़रमायाः "ऐ लोगो! मैंने इस तरह इस लिए किया ताकि तुम मेरी पैरवी करो और मेरी नमाज़ सीखो।

हदीस 869:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ﷺ रिवायत करते हैं, खजूर के एक तने पर रसूलुल्लाह ﷺ खड़े होकर खुत्बा इरशाद फ़रमाते थे। जब आप के लिए मिम्बर तय्यार हो गया तो हम ने उस तने से यूं आवाज़ सुनी जिस तरह दस माह की हामिला ऊँटनी की आवाज़ होती है यहां तक कि रसूलुल्लाह ﷺ उतरे और अपना दस्ते शफ़क़त उस पर रखा।

फ़ायदाः- रसूलुल्लाह ﷺ लकड़ी के एक खुश्क तने से टेक लगा कर खुत्बा दिया करते थे। जब मिम्बर तय्यार करके आप की ख़िदमत में पेश किया गया और खुत्बा देने के लिये आप उस पर जल्वा अफ़रोज़ हुए तो लकड़ी का वह तना ज़ार व क़तार रोने लगा क्योंकि उससे हुज़ूर की यह जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जब वह बेजान तना मुहब्बते रसूल के बाइस इस तरह रो रहा था तो शमए रिसालत के जितने भी अदीमुल मिसाल परवाने मस्जिदे नबवी में मौजूद थे वह भी आहें मार कर रोने लगे। न वह ख़ामोश हो रहा था और न यह हज़रात ही चुप कर रहे थे। न उसे क़रार आ रहा था और न उनकी बेक़रारी दूर हो रही थे। इसी गिर्या व ज़ारी के बाइस उस लकड़ी का नाम उस्तुने हनाना पड़ गया। जब सरकार ने मिम्बर से उतर कर उस पर दस्ते शफ़क़त फेरा और अपने ख़्वाने करम से उसे कुछ मर्हमत फ़रमाया तब वह ख़ामोश हुआ था। वल्लाहु तआला आलम।

हदीस 870:- सालिम अपने वालिद अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ से रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को मिम्बर पर खुत्बा देते हुए सुना। उसमे आपने यह फ़रमायाः "जो शख़्स नमाजे जुम्आ की ग़र्ज़ से आए तो ग़ुस्ल करे।"

बाब 582:- खड़े होकर खुत्बा देनाः

अनस ﷺ कहते हैं रसूलुल्लाह ﷺ खड़े होकर खुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे।

हदीस 871:- नाफ़ेअ ﷺ, इब्ने उमर ﷺ से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ खड़े होकर

ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते थे, फिर बैठते, फिर खड़े होते थे जैसा कि तुम करते हो।

बाब 583:- लोगों का इमाम की तरफ़ मुतवज्जह होकर बैठना जब वह ख़ुत्बा पढ़े: इब्ने उमर और अनस ﷺ इमाम की तरफ़ रहते।

हदीस 872:- अबू सईद ख़ुदरी ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ एक दिन मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा हुए और हम लोग आप के इर्द गिर्द बैठे थे।

बाब 584:- जिस ने सना के बाद ख़ुत्बा में "अम्मा बअ़्द" कहा:

इसे इकरमह ﷺ ने इब्ने अब्बास ﷺ और उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ से नक़्ल किया।

हदीस 873:- अस्मा बिन्ते अबी बकर ﷺ रिवायत करती हैं, मैं सय्यदा आयशा ﷺ के पास आई, लोग नमाज़ पढ़ रहे थे मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने आसमान की तरफ़ अपने सर से इशारा किया। मैंने कहा, कोई (अज़ाब की) निशानी है, तो उन्होंने सर के इशारे से हां कहा। फिर बोलीं, रसूलुल्लाह ﷺ ने बहुत लम्बी नमाज़ पढ़ी यहां तक कि मुझे ग़शी आने लगी। मेरे पहलू में पानी की एक मशक रखी थी, उसे मैंने खोला और उससे पानी लेकर अपने सर पर डालने लगी। रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो (ग्रहन ख़त्म होकर) सूरज निखर चुका था। फिर ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया, अल्लाह की हम्द व सना बयान की जिस का वह मुस्तहिक़ है। फिर अम्मा बाद फ़रमाया। अन्सार की कुछ ख़्वातीन ने शोर मचाया तो मैं उन्हें चुप कराने के लिए उनकी तरफ़ मुतवज्जह हुई। अस्मा ﷺ का कहना है, मैंने आयशा ﷺ से कहा, रसूलुल्लाह ﷺ ने क्या फ़रमाया है? आयशा ﷺ ने कहा, आपने फ़रमाया: "कोई ऐसी चीज़ जो मुझे नहीं दिखाई गई आज इसी जगह पर देख ली, यहां तक कि जन्नत और दोज़ख़ भी और मुझे वही की गई कि तुम्हें क़ब्र में मसीह दज्जाल के फ़ितना या उसकी मानिन्द आज़माया जाएगा। तुम्हारे पास एक शख़्स लाया जाएगा और उसके मुताल्लिक़ पूछा जाएगा कि तुम्हारा इसके बारे में क्या ख़्याल है? जो शख़्स मोमिन या मोक़िन (हिशाम को शक है कि मोमिन या मोक़िन के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए) होगा वह कहेगा यह अल्लाह के रसूल मुहम्मद ﷺ हैं, हमारे पास हिदायत और वाज़ेह दलायल लेकर आए थे तो हमने ईमान क़ुबूल किया, उनकी इताअत और तस्दीक़ की। फिर उससे कहा जाएगा, ऐ नेक बन्दे! सोजा हमें मालूम था कि तुम मोमिन हो और जो लोग मुनाफ़िक़ या शक में मुब्तला होंगे (हिशाम को तरद्दुद है कि मुनाफ़िक़ का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया या मुरताब का) उनसे पूछा जाएगा कि तुम इस शख़्स के मुताल्लिक़ क्या जानते हो, कहेगा जो कुछ लोगों से सुना वही कह दिया, ज़्यादा कुछ नहीं जानता।" हिशाम कहते हैं, फ़ातिमह (बिन्ते मुन्ज़िर इस हदीस की एक रावी) ने जो कुछ कहा उसे याद रखा अलावा उन सख़्तियों की तफ़सील के जो मुनाफ़िक़ों पर रवा रखी जाएंगी।

हदीस 874:- अम्र बिन तग़लिब ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ के पास माल या इसी तरह की कोई चीज़ (क़ैदी वग़ैरा) लाई गई। आपने उसमें से बाज़ को दिया और बाज़ को न दिया, आपको इल्म हुआ कि जिन्हें नहीं मिला वह नाख़ुश हैं। आपने अल्लाह तआला की हम्द व सना बयान की, फिर फ़रमाया: "अम्मा बाद बख़ुदा कुछ को मैं देता हूं और कुछ को नहीं, जिसे मैं नहीं देता वह मुझे उससे अज़ीज़ है जिस को कुछ दिया, मैं उन्हें देता हूं जिन के दिलों में बे-सब्री और हिर्स देखता हूं (और न दिए जाने वालों को) मैं इस्तिग़ना और ख़ैर के हवाले करता हूं जो अल्लाह तआला ने उनके

दिलों में रखी है और उन में से अम्र बिन तग़लिब भी है।" (अम्र ﷺ कहते हैं) वल्लाह रसूलुल्लाह ﷺ के इस इरशादे मुबारक के बदले में मुझे सुर्ख़ ऊँट (ज़रा भी) अज़ीज़ नहीं।

हदीस 875:- सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ आधी रात को निकले और मस्जिद में नमाज़ पढ़ी तो लोगों ने भी आपके साथ नमाज़ पढ़ी। लोगों ने उसे सुबह को बयान किया तो (दूसरी रात) उस से ज़्यादा लोग आ गए और लोगों ने आपके साथ नमाज़ पढ़ी तो तीसरी रात लोग और ज़्यादा जमा हो गए। रसूलुल्लाह ﷺ तशरीफ़ लाए और लोगों ने आपके साथ नमाज़ अदा की। जब चौथी रात आई तो मस्जिद में जगह न रही यहां तक कि सुबह की नमाज़ के लिए बरआमद हुए। जब नमाज़े सुबह पढ़ चुके तो लोगों की तरफ़ मुतवज्जह हुए, तशह्हुद पढ़ कर फ़रमाया: "अम्मा बाद तुम्हारी यहां की मौजूदगी हमसे मख़्फ़ी नहीं थी लेकिन मुझे ख़दशा लाहिक़ हो गया कि कहीं (यह नमाज़) तुम पर फ़र्ज़ न हो जाए और तुम उसे अदा न कर सको।"

हदीस 876:- अबू हुमैद साअदी ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ एक रात इशा के बाद खड़े हुए और तशह्हुद पढ़ा, अल्लाह की हम्द व सना जिसका कि वह मुस्तहिक़ है बयान की, फिर फ़रमाया: "अम्मा बाद।"

हदीस 877:- मिस्वर बिन मख़रमह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ खड़े हो कर तशह्हुद पढ़ते तो आप अम्मा बाद कहते।

हदीस 878:- इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ मिम्बर पर तशरीफ़ ले गए और यह आप की आख़िरी मज्लिस थी। आप इस हाल में बैठे कि अपने दोनों कंधों पर चादर लपेटे हुए थे और सर पर रुमाल बांध रखा था। अल्लाह की हम्द व सना बयान की, फिर फ़रमाया: "अम्मा बाद, यह जमाअते अन्सार कम होती चली जाएगी और (दीगर) लोग बढ़ते जाएंगे, जो शख़्स उम्मते मुहम्मदिया में से हाकिम बने वह किसी को नुक़सान या नफ़ा पहुंचाने पर क़ादिर हो तो अन्सार के नेक लोगों की नेकी और भलाई को क़ुबूल करे और बुरों की बुराई से दरगुज़र करे।"

बाब 585:- जुम्आ में दो खुत्बों के दरमियान बैठना:

हदीस 879:- अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ दो ख़ुत्बे पढ़ते थे जिन के दरमियान बैठते थे।

बाब 586:- ख़ुत्बा ग़ौर से सुनना:

हदीस 880:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब जुम्आ का दिन आता है तो फ़रिश्ते मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े हो जाते हैं और पहले और बाद में आने वालों के नाम लिखते रहते हैं और जल्द जाने वाला उस शख़्स की तरह है जो ऊँट की क़ुरबानी करे, फिर उसकी मानिन्द जो गाय की क़ुरबानी दे और बादे अज़ां दुंबा, फिर मुर्ग़ी और (आख़िरी) अन्डा सदक़ा करने वाले की तरह है, जब इमाम ख़ुत्बे के लिए खड़ा होता है तो वह अपने दफ़्तर लपेट कर ख़ुत्बा सुनने में मशग़ूल हो जाते हैं।"

बाब 587:- जब इमाम दौराने ख़ुत्बा किसी को आते हुए देखे तो उसे (हल्की फुल्की) दो रकअतें पढ़ने का हुक्म दे:

हदीस 881:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ﷺ रिवायत करते है, एक शख़्स आया और रसूलुल्लाह

लोगों को जुम्आ के दिन खुत्बा दे रहे थे। आपने फ़रमाया: "ऐ फ़ुलां तू ने नमाज़ पढ़ली?" अर्ज़ किया नहीं। फ़रमाया: "खड़े हो और नमाज़ पढ़ लो।"

बाब 588:- इमाम के खुत्बा देते वक़्त जब कोई आए तो हल्की सी दो रकअतें पढ़ले:

हदीस 882:- अम्र बिन दीनार रिवायत करते हैं, उन्होंने जाबिर को कहते सुना, एक शख़्स जुम्आ के दिन मस्जिद में दाख़िल हुआ और रसूलुल्लाह खुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे। आपने फ़रमाया: "क्या तुमने नमाज़ पढ़ ली?" अर्ज़ किया नहीं। फ़रमाया: "खड़ा हो और दो रकअतें पढ़लो।"

बाब 589:- खुत्बा के दौरान (दुआ के लिए) दोनों हाथ उठाना:

हदीस 883:- साबित, अनस से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह के खुत्बा इरशाद फ़रमाने के दौरान एक शख़्स आया और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! घोड़े तबाह हो गए, बकरियां मर गईं अल्लाह से दुआ कीजिए बाराने रहमत नाज़िल फ़रमाए। आपने दोनों हाथ फैला दिए और दुआ की।

बाब 590:- खुत्बए जुम्आ में बारिश के लिए दुआ करना:

हदीस 884:- अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, अह्दे रिसालत मआब में एक साल लोग क़हत में मुब्तला हो गए। रसूलुल्लाह के खुत्बा पढ़ने के दौरान एक आराबी उठा और बोला, या रसूलल्लाह! माल तबाह हो गया, बच्चे फ़ाक़ों मर गए अल्लाह तआला से हमारे हक़ में दुआ कीजिए। आपने अपने दोनों हाथ उठाए, उस वक़्त (पूरे) आसमान पर बादल का एक भी टुकड़ा न था। उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्ज़ए कुदरत में मेरी जान है, हाथ उठाने की देर थी पहाड़ों की तरह बड़े बड़े बादलों के टुकड़े उमडे। आप मिम्बर से अभी उतरे भी न थे कि बारिश (के पानी) को आपकी दाढ़ी से टपकते हुए देखा। उस दिन, दूसरे रोज़ और तीसरे दिन हत्ता कि अगले जुम्आ के दिन तक बारिश होती रही तो वही आराबी या कोई और शख़्स खड़ा हुआ और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह! मकानात गिर गए, माल मवेशी डूब गए, खुदा से हमारे हक़ में दुआ कीजिए। आपने अपने दोनों हाथ उठाए और फ़रमाया: "ऐ मेरे अल्लाह! हमारे इर्द गिर्द बरसा, हमारे ऊपर न बरसा।" और जिस तरफ़ इशारा करते जाते बादल उसी तरफ़ से छटते जाते और मदीना गोया एक दायरा स बन गया। क़नात का नाला महीने भर बहता रहा और जो भी किसी इलाके से आता उस बारिश का हाल बयान करता।

बाब 591:- जुम्आ के दिन इमाम के खुत्बा पढ़ते वक़्त ख़ामोश रहना और जब किसी ने अपने साथी से कहा ख़ामोश रहो तो उसने बेहूदा हरकत की:

सलमान ने रसूलुल्लाह से रिवायत किया जब इमाम खुत्बा दे तो ख़ामोश रहे।

हदीस 885:- सईद बिन मुसय्यब, अबू हुरैरह से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने फ़रमाया: "जब तुम ने अपने साथी से जुम्आ के दिन इमाम के खुत्बा पढ़ते वक़्त कहा ख़ामोश रह तो तुम ने लग्व काम किया।"

बाब 592:- जुम्आ की वह साअत (जिस में दुआ कुबूल होती है):

हदीस 886:- अबू हुरैरह रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने जुम्आ के दिन का तज़्किरा किया तो आपने फ़रमाया: "इस दिन में एक ऐसी घड़ी है कि कोई मुसलमान खड़ा होकर नमाज़ पढ़े

और उस घड़ी में जो भी अल्लाह से मांगे, अल्लाह तआला उसे अता करता है।" और अपने हाथों से उस (साअत) की कमी की तरफ़ इशारा किया।

बाब 593:- अगर नमाज़े जुम्आ में कुछ मुक़्तदी इमाम को छोड़ कर चल दें तो इमाम और बाक़ी मांदा लोगों की नमाज़ जाइज़ है:

हदीस 887:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, हम लोग रसूलुल्लाह ﷺ के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे तो एक क़ाफ़िला आया जिस के साथ ऊँटों पर ग़ल्ला लदा हुआ था तो लोग उस क़ाफ़िले की तरफ़ दौड़ पड़े और रसूलुल्लाह ﷺ के साथ सिर्फ़ बारह आदमी रह गए। उस मौक़े पर यह आयत नाज़िल हुई: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا जब लोग तिजारत का माल या लहू लइब की चीज़ें देखते हैं तो उसकी तरफ़ दौड़ पड़ते हैं और तुम्हें अकेले खड़ा छोड़ कर चल देते हैं।

बाब 594:- जुम्आ के बाद और उस से पहले नमाज़ (सुन्नत) पढ़ना:

हदीस 888:- अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ज़ुहर से पहले दो रकअत और उसके बाद दो रकअत और मग़रिब के बाद दो रकअतें अपने घर में और बाद नमाज़े इशा दो रकअतें पढ़ते थे और जुम्आ के बाद नमाज़ नहीं पढ़ते थे हत्ता कि घर वापस तशरीफ़ लाते और दो रकअतें अदा करते थे।

बाब 595:- इरशादे ख़ुदावन्दी कि: "जब नमाज़ पूरी हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़्ल तलाश करो।"

हदीस 889:- सहल बिन सअद साअदी رضي الله عنه रिवायत करते हैं, हम में एक औरत थी जो अपने खेत में नहर के किनारे चुक़न्दर बोती, जब जुम्आ का दिन आता तो चुक़न्दर की जड़ों को उखाड़ती और उसे हांडी में पकाती, फिर जौ का आटा पीस कर उस हांडी में डालती तो चुक़न्दर की जड़ें गोया बोटियां होतीं और हम जब नमाज़े जुम्आ से फ़ारिग़ होते तो उसके पास आकर सलाम करते। वह खाना हमारे पास लाकर रख देती और हम उसे खा लेते थे और हमें उस खाने के सबब जुम्आ के दिन का इन्तिज़ार रहता।

हदीस 890:- अबू हाज़िम ने सहल बिन सअद رضي الله عنه से इस हदीस को बयान किया कि हम न तो आराम करते और न दोपहर का खाना खाते मगर नमाज़े जुम्आ के बाद।

बाब 596:- नमाज़े जुम्आ के बाद लेटना:

हदीस 891:- हुमैद رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मैंने अनस رضي الله عنه को कहते हुए सुना, हम जुम्आ के दिन जल्दी जाते फिर (बाद नमाज़े जुम्आ) लेटते थे।

हदीस 892:- सहल رضي الله عنه रिवायत करते हैं, हम रसूलुल्लाह ﷺ के साथ जुम्आ की नमाज़ पढ़ते और उसके बाद क़ैलूला करते थे।

नमाज़े ख़ौफ़ का बयान

बाब 597:- अल्लाह तआला ने फ़रमाया: "जब तुम ज़मीन में सफ़र करो तो कोई मुज़ायक़ा नहीं कि नमाज़ में क़सर कर लिया करो अज़ाबन मुहीना तक।"

हदीस 893:- शुऐब رضي الله عنه बयान करते हैं, मैंने ज़ुहरी से पूछा क्या रसूलुल्लाह ﷺ ने कभी

नमाज़े ख़ौफ़ अदा की है? उन्होंने कहा मुझे सालिम ने बताया अब्दुल्लाह बिन उमर ने फ़रमाया कि मैंने अतराफ़े नज्द में रसूलुल्लाह के हमराह जिहाद किया। हम लोग दुश्मन से सफ़ आरा हुए। रसूलुल्लाह खड़े हुए और हमें नमाज़ पढ़ाई तो एक गिरोह आपके साथ और एक दुश्मन के सामने। रसूलुल्लाह ने अपने साथियों के हमराह रुकूअ और दो सज्दे किए फिर वह लोग उस गिरोह की जगह वापस आए जिसने नमाज़ नहीं पढ़ी थी, वह आए तो रसूलुल्लाह ने एक रुकूअ और दो सज्दे किए, फिर सलाम फेर लिया और हर एक ने एक रुकू और दो सज्दे अकेले अकेले किए।

बाब 598:- नमाज़े ख़ौफ़ पैदल या सवार होकर पढ़ना: "राजिल" का मतलब पैदल है।

हदीस 894:- नाफ़ेअ इब्ने उमर से मुजाहिद के क़ौल की तरह रिवायत करते हैं, जब लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाएं तो खड़े होकर पढ़ लें और इब्ने उमर ने रसूलुल्लाह से (इन अल्फ़ाज़ के) इज़ाफ़ा के साथ कहा, रिवायत किया अगर कुफ़्फ़ार ज़्यादा तादाद में हों तो मुसलमान खड़े होकर और सवार (नमाज़े ख़ौफ़) पढ़ लें।

बाब 599:- नमाज़े ख़ौफ़ में एक दूसरे की हिफ़ाज़त करना:

हदीस 895:- इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह खड़े हुए और लोग भी उनके साथ खड़े हुए। आपने तकबीर कही तो लोगों ने भी आपके साथ तकबीर कही, आपने रुकूअ किया और लोगों ने भी आपके साथ रुकूअ किया, फिर आपने सज्दा किया और लोगों ने भी आपके साथ सज्दा किया। फिर दूसरी रकअत के लिए खड़े हुए, जिन्होंने सज्दा किया था वह खड़े हुए और अपने भाइयों की हिफ़ाज़त करने लगे, दूसरा गिरोह आया जिसने आपके साथ रुकूअ और सज्दे किए और सब लोग नमाज़ ही में थे लेकिन एक दूसरे की हिफ़ाज़त कर रहे थे।

बाब 600:- क़िलों पर यलग़ार और दुश्मन से मुक़ाबले के वक़्त नमाज़ पढ़ना:

औज़ाई कहते हैं, अगर फ़तेह क़रीब (और यक़ीनी) हो और लोग नमाज़ पर क़ादिर न हों तो हर शख़्स अकेले अकेले इशारे से नमाज़ पढ़े और अगर इशारे पर क़ादिर न हों तो नमाज़ को मुअख़्ख़र कर लें हत्ता कि जंग का फ़ैसला हो जाए या लोग महफ़ूज़ हो जाएं तो दो रकअतें अदा करें। अगर इस पर भी क़ादिर न हों तो एक रुकूअ और दो सज्दे करलें और उस पर भी क़ादिर न हों तो उनके लिए महज़ तकबीर काफ़ी नहीं बल्कि अमन होने तक उसे मौक़ूफ़ रखें। मकहूल भी यही कहते हैं, अनस बिन मालिक फ़रमाते हैं, मैं सुबह के वक़्त जब क़िलए तुस्तर पर चढ़ाई हो रही थी मौजूद था और जंग की आग भड़की हुई थी। लोगों को नमाज़ का मौक़ा न मिल सका, आफ़ताब बुलन्द होने के बाद ही हम नमाज़ पर क़ादिर हो सके। हम ने नमाज़ें पढ़ीं, हम लोग अबू मूसा के साथ थे, फिर वह क़िला फ़तेह हो गया। अनस कहते हैं, इस नमाज़ के बदले में हमें दुनिया व माफ़ीहा के मिलने पर भी ख़ुशी न होगी।

हदीस 896:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह रिवायत करते हैं, उमर ग़ज़वए ख़न्दक़ के दिन आए और कुफ़्फ़ारे क़ुरैश को कोसने लगे और कहने लगे, या रसूलल्लाह! हम अस्र की नमाज़ न पढ़ सके हत्ता कि सूरज डूबने लगा। रसूलुल्लाह ने फ़रमाया: "ब-ख़ुदा मैंने भी अभी तक नमाज़ नहीं

पढ़ी।" फिर आप बुतहान में उतरे और वुज़ू किया और नमाज़े अस्र पढ़ी जबकि सूरज डूब चुका था बादे अज़ाँ मग़रिब की नमाज़ अदा की।

बाब 601:- जो दुश्मन के तआक़ुब में हो या दुश्मन उसके तआक़ुब में:

तो वह सवारी पर ही इशारे से नमाज़ पढ़ सकता है। वलीद कहते हैं, मैंने औज़ाई से शरजील बिन समत और उनके साथियों के सवारी पर नमाज़ पढ़ने का ज़िक्र किया तो बोले, मेरे नज़्दीक यही सही है शर्त यह कि नमाज़ के फ़ौत होने का अन्देशा हो और वलीद ने रसूलुल्लाह ﷺ के इस क़ौल से इस्तिदलाल किया: "कोई शख़्स नमाज़े अस्र अदा न करे मगर यह कि बनी क़ुरेज़ह न पहुंच जाए।"

हदीस 897:- नाफ़ेअ رضي الله عنه इब्ने उमर رضي الله عنهما से रिवायत करते हैं, जब रसूलुल्लाह ﷺ जंगे अहज़ाब से वापस हुए तो हम से फ़रमाया: "कोई अस्र की नमाज़ न पढ़े मगर यह कि बनी क़ुरेज़ह पहुंच जाए।" चुनान्चे रास्ते में ही अस्र का वक़्त हो गया। बाज़ ने कहा हम नमाज़ नहीं पढ़ेंगे जब तक कि वहां न पहुंच जाएं और बाज़ बोले हम तो ज़रूर नमाज़ पढ़ेंगे, आपका मतलब हरगिज़ नमाज़ क़ज़ा कर देने का न था। जब इसका तज़्किरा रसूलुल्लाह ﷺ से किया गया तो आपने किसी को मलामत न की।

फ़ायदा:- आप ने फ़रीक़ैन में से किसी फ़रीक़ को भी इसलिये मलामत न की कि एक फ़रीक़ ने आपके मज़्कूरा इरशादे गिरामी के ज़ाहिरी मफ़हूम पर अमल किया और दूसरे फ़रीक़ ने आपके इरशादे आली की मुराद पर अमल किया। हर फ़रीक़ ने चूंकि अपनी अपनी सूझ बूझ के मुताबिक़ आप ही के हुक्म की तामील की लिहाज़ा क़ाबिले मलामत कोई फ़रीक़ न ठहरा। यही हाल अइम्मए मुज्तहिदीन के इज्तिहादी इख़्तिलाफ़ात का है, उन में से किसी भी मस्अले में कोई सा इमाम भी क़ाबिले मलामत नहीं बल्कि सारे सवाब पाने वाले और राहे हक़ पर हैं। चारों में से जिस की पैरवी भी की जाए दुरुस्त है लेकिन जहां जिस की पैरवी का रिवाज हो जैसे पाकिस्तान, भारत और बंगलादेश में इमामे आज़म अबू हनीफ़ा की पैरवी का रिवाज है लिहाज़ा यहां मज़हबे हनफ़ी पर ही अमल किया जाए। जो अहले हक़ के चारों इमामों की तक़्लीद से बाहर हो वह गुमराह, बेदीन है। वल्लाहु तआला आलम।

बाब 602:- नमाज़ सुबह सवेरे और अंधेरे में पढ़ना और इसी तरह क़त्ल व ग़ारत में नमाज़ पढ़ना:

हदीस 898:- अनस बिन मालिक رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने सुबह की नमाज़ अंधेरे मुंह पढ़ी, फिर सवार होकर फ़रमाया: "अल्लाहु अकबर! ख़ैबर वीरान हो जाए, जब हम किसी मैदान में उतरते हैं तो मुन्ज़रीन (जो ख़बरदार कर दिए गए हों) की सुबह मन्हूस होती है।" चुनान्चे वह (यहूद) गलियों में यह कहते हुए दौड़ने लगे, मुहम्मद (ﷺ) लश्कर के साथ आ गए। (रावी के मुताबिक़ ख़मीस लश्कर को कहते हैं) रसूलुल्लाह ﷺ उन पर ग़ालिब आगए, लड़ने वालों को क़त्ल और औरतों और बच्चों को क़ैद कर लिया। सफ़ियह رضي الله عنها, दिहयह कल्बी के हिस्से में आईं, फिर रसूलुल्लाह ﷺ को मिलीं, जिन से बाद में आपने निकाह कर लिया और उनकी आज़ादी ही उनका हक़े महर बनी। अब्दुल अज़ीज़ ने साबित से कहा, ऐ अबू मुहम्मद! क्या तुम ने अनस رضي الله عنه से दरयाफ़्त किया था, आपने उनका क्या महर मुक़र्रर किया था? तो साबित ने कहा, आपने (ख़ुद) उन्हीं को उनका महर क़रार दिया। अब्दुल अज़ीज़ कहते हैं, अबू मुहम्मद (यानी साबित) उस पर मुस्कुरा दिए।

ईदैन

बाब 603:- ईदैन और उनमें बनाओ सिंघार करना:

हदीस 899:- अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, उमर رضي الله عنه ने एक रेशमी दोशाला लिया जो बाज़ार में बिक रहा था और उसे रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में लाए और कहा आप इसे ख़रीद लें और ईद और वफ़ूद से मिलते वक़्त पहन कर अपने आप को आरास्ता फ़रमाएं। आपने फ़रमाया: "यह उस शख़्स का लिबास है जिस का आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं।" उमर رضي الله عنه रुके रहे जब तक अल्लाह ने चाहा, फिर रसूलुल्लाह ﷺ ने उनके पास एक रेशमी चुग़ह रवाना किया। उसे उमर رضي الله عنه ने ले लिया और रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में पहुंच गए। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! आपने फ़रमाया था यह उस शख़्स का लिबास है जिस का आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं (लेकिन) आपने यह मेरे पास भेज दिया, तो उनसे रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "उसे बेच कर अपनी ज़रूरियात पूरी कर लो।"

बाब 604:- ईद के दिन ढालों और बरछियों से खेलना:

हदीस 900:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, मेरे पास रसूलुल्लाह ﷺ तशरीफ़ लाए और मेरे हां दो लड़कियां जंगे बुआस के मुताल्लिक़ गीत अलाप रही थीं। आप बिस्तर पर लेट गए और अपना मुंह फेर लिया। अबू बकर رضي الله عنه आए तो मुझे डांटा और फ़रमाया, यह शैतानी साज़ और फिर रसूलुल्लाह ﷺ की मौजूदगी में। आपने फ़रमाया: "जाने दो।" जब अबू बकर رضي الله عنه दूसरी जानिब मुतवज्जह हुए तो मैंने उन दोनों लौंडियों को चले जाने का इशारा किया। (वह चली गईं) ईद के दिन हब्शी ढालों और बरछियों से खेलते थे या तो मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से कहा या फिर आपने फ़रमाया: "क्या तमाशा देखने का इरादा है।" मैं बोली हां, तो आपने मुझे अपने पीछे खड़ा कर लिया, मेरा रुख़्सार आप के दोश पर था। आपने फ़रमाया: "ए बनी अरफ़िदह! तमाशा दिखाओ।" यहां तक कि जब दिल भर गया तो आपने फ़रमाया: बस! मैंने कहा जी हां। फ़रमाया: तो चली जाओ।

बाब 605:- मुसलमानों के लिए ईद का तरीक़ा:

हदीस 901:- बराअ رضي الله عنه (बिन आज़िब) रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को ख़ुत्बा देते हुए सुना। आपने फ़रमाया: "पहली बात जिस से हम आज के दिन की इब्तिदा करें वह यह कि नमाज़ पढ़ें, फिर घर लौटें और क़ुरबानी करें और जिसने इस तरह किया तो उसने मेरे तरीक़े की पैरवी की।"

हदीस 902:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, अबू बकर رضي الله عنه (मेरे घर) आए, मेरे पास दो अन्सारी लड़कियां जंगे बुआस के (रज़मियह) शेअर पढ़ रही थीं और यह लड़कियां पेशावर गाने वालियां न थीं। अबू बकर رضي الله عنه ने फ़रमाया, यह शैतानी साज़ और फिर रसूलुल्लाह ﷺ की मौजूदगी में। और वह ईद का दिन था, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "हर क़ौम की ईद होती है और आज हमारी ईद है।"

बाब 606:- (नमाज़ के लिए) निकलने से पहले ईदुल फ़ित्र को कुछ खा लेना:

हदीस 903:- अनस बिन मालिक رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ईदुल फ़ित्र के दिन

जब तक चन्द छुहारे न खा लेते ईदगाह की तरफ़ न जाते। मुरज्जी बिन रजा ने उबैदुल्लाह बिन अबू बकर के हवाले से अनस ﷺ से रिवायत की और उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ से कि आप छुहारे ताक़ अदद में खाते थे।

बाब 607:- कुरबानी के दिन खानाः

हदीस 904:- अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "जो शख़्स नमाज़ से पहले कुरबानी करे तो वह दोबारा कुरबानी करे।" एक शख़्स ने खड़े होकर अर्ज़ किया, आज के दिन गोश्त की शदीद ख़्वाहिश होती है और उसने पड़ोसियों का हाल बयान किया। रसूलुल्लाह ﷺ ने उसकी तस्दीक़ की और उसने कहा मेरे पास भेड़ का एक साला बच्चा है, गोश्त की दो बकरियों से मुझे अज़ीज़ है। और उसे रसूलुल्लाह ﷺ ने इजाज़त दे दी। मैं नहीं जानता कि उसके अलावा भी किसी को इजाज़त है या नहीं?

हदीस 905:- बराअ बिन आज़िब रिवायत ﷺ करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने हमारे सामने बक़र ईद के दिन नमाज़ के बाद खुत्बा पढ़ा और फ़रमायाः "जिसने हमारी तरह नमाज़ पढ़ी और हमारी तरह कुरबानी की तो उसकी कुरबानी दुरुस्त हो गई और जिसने नमाज़ से पहले कुरबानी की तो वह नमाज़ से पहले है और वह कुरबानी नहीं (बल्कि गोश्त है)।" बराअ ﷺ के मामूं अबू बुरदह ﷺ ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! मैंने अपनी बकरी नमाज़ से पहले ज़िब्ह कर डाली और मैं समझा आज खाने पीने का दिन है और मैंने सोचा मेरी बकरी मेरे घर में सबसे पहले ज़िब्ह हो चुनान्चे मैंने अपनी बकरी ज़िब्ह करली और ईदगाह जाने से पहले उसे खा भी चुका। तो आपने फ़रमायाः "तुम्हारी बकरी गोश्त की बकरी है।" अबू बुरदह ﷺ ने अर्ज़ किया, मेरे पास एक साला भेड़ का बच्चा है जो दो बकरियों से ज़्यादा महबूब है, क्या मेरे लिए काफ़ी हो जाएगा? फ़रमायाः "हां लेकिन तुम्हारे बाद किसी के लिए काफ़ी (जाइज़) न होगा।"

बाब 608:- ईदगाह की तरफ़ बग़ैर मिम्बर के जानाः

हदीस 906:- अबू सईद खुदरी ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ईदुल फ़ित्र और ईदुल जुहा के दिन ईदगाह तशरीफ़ ले जाते और सबसे पहला काम यह होता कि नमाज़ पढ़ते और नमाज़ के बाद लोगों के सामने खड़े होते। लोग अपनी सफ़ों पर बैठे रहते, आप उन्हें नसीहत करते, अच्छे कामों का हुक्म देते, अगर कोई लश्कर भेजना मक़सूद होता तो उसे अलग कर लेते और जो अहकाम जारी करने होते, करते फिर वापस तशरीफ़ लाते। अबू सईद ﷺ कहते हैं, लोग हमेशा इसी तरीक़े पर कारबन्द रहे हत्ता कि मैं मदीना के गवरनर मरवान के साथ बक़र ईद या ईदुल फ़ित्र में निकला। जब हम लोग वहां पहुंचे तो मिम्बर रखा था जो कसीर बिन सुलत ने बनाया था। मरवान ने नमाज़ से पहले मिम्बर पर जाने का इरादा किया, तो मैंने उसका कपड़ा पकड़ कर खींचा और उसने मुझे खींचा और मिम्बर पर चला गया और नमाज़ से पहले खुत्बा पढ़ा। मैंने उसे कहा, वल्लाह! तुम ने सुन्नते (नबवी) को बदल डाला। मरवान बोला, वह गुज़र चुका जो तुम जानते हो। मैंने कहा, बखुदा वह चीज़ बदरजहा बेहतर है जो मैं जानता हूं, उससे कि जिसे नहीं जानता। मरवान ने कहा, नमाज़ के बाद लोग मेरी बात सुनने को आमादा नहीं होते इस लिए मैंने नमाज़ से पहले खुत्बा दिया।

बाब 609:- (नमाज़े) ईद के लिए पैदल या सवार होकर जाना और अज़ान

व तकबीर न होना:

हदीस 907:- अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ बक़र ईद और ईदुल फ़ित्र की नमाज़ पढ़ते और बादे अज़ां खुत्बा इरशाद फ़रमाते।

हदीस 908:- अता, जाबिर बिन अब्दुल्लाह ﷺ से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह ﷺ ईदुल फ़ित्र के दिन ईदगाह तशरीफ़ ले गए और खुत्बे से पहले नमाज़ पढ़ी। इब्ने जुरैज कहते हैं, मुझे अता ने बताया इब्ने अब्बास ﷺ ने इब्ने जुबैर ﷺ को जब उन के लिए बैअत ली जा रही थी, कहला भेजा ईदुल फ़ित्र के दिन नमाज़ के लिए अज़ान नहीं कही जाती थी और खुत्बा नमाज़ के बाद होता था। अता ने मुझ से इब्ने अब्बास और जाबिर बिन अब्दुल्लाह ﷺ के हवाले से बयान किया, अज़ान न तो ईदुल फ़ित्र में दी जाती थी और न ईदुल जुहा में। जाबिर बिन अब्दुल्लाह ﷺ से रिवायत है, रसूलुल्लाह ﷺ खड़े हुए, पहले नमाज़ पढ़ी, बादे अज़ां लोगों से ख़िताब फ़रमाया। जब रसूलुल्लाह ﷺ फ़ारिग़ हुए तो औरतों के पास तशरीफ़ लाए और उन्हें तल्क़ीन और नसीहत की। आप बिलाल ﷺ का आसरा लिए हुए थे और बिलाल ﷺ ने अपना कपड़ा फैला रखा था, औरतें उसमें अतियात डाल रही थीं। मैंने अता से पूछा, क्या आप इमाम के लिए ज़रूरी ख़्याल करते हैं कि वह औरतों के पास आए और उन्हें वअज़ व नसीहत करे जब वह नमाज़ से फ़ारिग़ हो? उन्होंने कहा बिला शुब्हा यह उनकी ज़िम्मेदारी है (न मालूम) उन्हें क्या हो गया है कि वह ऐसा नहीं करते।

बाब 610:- नमाज़े ईद के बाद खुत्बा पढ़ना:

हदीस 909:- इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, मैं ईद की नमाज़ में रसूलुल्लाह ﷺ, अबू बकर, उमर और उस्मान ﷺ के साथ शरीक रहा हूं, यह सब खुत्बा से पहले नमाज़ पढ़ा करते थे।

हदीस 910:- इब्ने उमर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ, अबू बकर और उमर ﷺ ईद की नमाज़ खुत्बा देने से क़ब्ल अदा करते थे।

हदीस 911:- इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने ईदुल फ़ित्र के दिन दो रकअत नमाज़ पढ़ी (और आपने) न तो उससे पहले और न बाद में नमाज़ (नफ़्ल) पढ़ी। फिर औरतों के पास आए और बिलाल ﷺ आपके साथ थे। आपने औरतों को सदक़ा करने का हुक्म दिया तो उन औरतों में से कोई अपनी बाली और कोई अपना हार देने लगी।

हदीस 912:- बराअ बिन आज़िब ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "सब से पहली चीज़ जिस से हम आज के दिन की इब्तिदा करें वह यह कि नमाज़ पढ़ें, फिर घरों को लौटें और क़ुरबानी करें, जिस ने इस तरह किया उसने मेरी सुन्नत को पा लिया जिस ने नमाज़ से पहले क़ुरबानी की तो वह सिर्फ़ गोश्त है जो उसने अपने अहलो अयाल के लिए तय्यार किया क़ुरबानी में उस का कोई हिस्सा नहीं।" एक अन्सारी अबू बुरदा बिन नियार ﷺ ने अर्ज़ किया, मैंने तो नमाज़ से पहले ज़िब्ह कर लिया (हां अलबत्ता) मेरे पास भेड़ का एक साला बच्चा है जो दो साल के बच्चे से बेहतर है, तो आपने फ़रमाया: "उसे उसकी जगह ज़िब्ह करदो और तुम्हारे बाद किसी को काफ़ी (जाइज़) न होगा।" या फ़रमाया: "किसी की क़ुरबानी न होगी।"

बाब 611:- ईद के दिन और हरम में हथियार ले जाना मकरूह है:

हसन बसरी कहते हैं, लोगों को ईद के दिन हथियार लेकर जाने से मना किया गया है शर्त यह कि

दुश्मन का ख़ौफ़ न हो।

हदीस 913:- सईद बिन जुबैर रिवायत करते हैं, मैं इब्ने उमर رضی اللہ عنہ के साथ था, जब उनके तलवे में नेज़े की नोक चुभ गई और उनका पांव रिकाब से चिमट गया। मैंने सवारी से उतर कर नेज़ा उनके पावं से निकाला। यह वाक़िया मिना में पेश आया था, जब हज्जाज को पता चला तो मिज़ाज पुर्सी के लिए आया। हज्जाज बोला, काश हमें पता चल जाता कि आपको यह तकलीफ़ किस ने पहुंचाई। इब्ने उमर رضی اللہ عنہ ने फ़रमाया, यह तकलीफ़ तुम्हारे सबब से पहुंची। हज्जाज बोला, वह कैसे? फ़रमाया, तू ऐसे दिन हथियार लाया जिस दिन हथियार लेकर नहीं आया जाता, तूने हथियार हरम में दाख़िल किया हालांकि हरम में हथियार दाख़िल नहीं किया जाता।

हदीस 914:- सईद रिवायत करते हैं, हज्जाज इब्ने उमर رضی اللہ عنہ के पास आया और मैं (उस वक़्त) उन के पास था। उसने मिज़ाज पुर्सी की। इब्ने उमर رضی اللہ عنہ ने फ़रमाया, अच्छा हूं। हज्जाज ने इस्तिफ़्सार किया आपको किसने यह तकलीफ़ पहुंचाई? फ़रमायाः उस ने जिस शख़्स ने ऐसे दिन हथियार उठाने की इजाज़त दी जिस दिन हथियार उठाना जाइज़ न था यानी हज्जाज ने।

बाब 612:- नमाज़े ईद के लिए सवेरे जानाः

अब्दुल्लाह बिन बुसर कहते हैं हम तस्बीह (व नफ़्ल पढ़ने के वक़्त तक) नमाज़े (ईद) से फ़ारिग़ हो जाते थे।

हदीस 915:- बराअ बिन आज़िब رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने क़ुरबानी के दिन हमें ख़ुत्बा दिया। फ़रमायाः "सबसे पहला काम जो इस दिन करें वह यह कि नमाज़ पढ़ें, फिर लौटें और क़ुरबानी करें, जो इसी तरह करे उसने मेरा तरीक़ा समझ लिया। जिस ने नमाज़ से पहले क़ुरबानी की तो वह (निरा) गोश्त है जो उसने अपने अहल व अयाल के लिए जल्दी से तय्यार कर लिया, क़ुरबानी नहीं।" मेरे मामूं अबू बुरदह رضی اللہ عنہ खड़े हुए और बोले, या रसूलल्लाह! मैंने पहले ज़िब्ह कर लिया, मेरे पास भेड़ का एक साला बच्चा है जो दो साल के बच्चे से अच्छा है। आप ने फ़रमायाः "उसे उसकी जगह ज़िब्ह करले लेकिन तेरे बाद किसी के लिए काफ़ी (जाइज़) न होगा।"

बाब 613:- अय्यामे तशरीक़ में अमल की फ़ज़ीलतः

इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہ कहते हैं, "وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ" से मुराद दस दिन (ज़िल हिज्जह के) और अय्यामे मअदूदात से मुराद "अय्यामे तशरीक़" हैं। इब्ने उमर और अबू हुरैरह رضی اللہ عنہما उन दस दिनों में बाज़ार निकलते तो तकबीर कहते जाते और लोग उनके साथ साथ तकबीर कहते और मुहम्मद बिन अली नवाफ़िल के बाद भी तकबीर कहते।

हदीस 916:- इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "जो अमल उस दिन में किया जाए उस से बढ़ कर कोई अफ़ज़ल अमल नहीं।" लोगों ने सवाल किया जिहाद भी नहीं? फ़रमायाः "जिहाद भी नहीं, अलावा उस शख़्स के जिस ने (जिहाद में) अपनी जान व माल को ख़तरे में डाला और कोई चीज़ (अज़ क़िस्म माले ग़नीमत) वापस लेकर न लौटे।"

बाब 614:- मिना के दिनों में तकबीर कहना और जब यौमे अर्फ़ह को मक़ामे अरफ़ात जाएः

इब्ने उमर رضی اللہ عنہ अपने ख़ेमे ही में तकबीर कहते, जब मस्जिद वाले उसे सुनते तो वह भी कहते

यहां तक कि मिना की सरज़मीन तकबीर से गूंज उठती। इब्ने उमर ﷺ मिना में उन दिनों में तकबीर कहते और तमाम नमाज़ों के बाद अपने बिस्तर, ख़ेमा, मजलिस और रास्ता और उन तमाम अय्याम में (तकबीर कहते थे) और मैमूनह ﷺ यौमे नहर में तकबीर कहती थीं और औरतें अबान बिन उसमान और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ﷺ के पीछे तश्रीक़ के अय्याम में मर्दों के साथ तकबीर कहती थीं।

हदीस 917:- मुहम्मद बिन अबी बकर सक़फ़ी रिवायत करते हैं, हम सुबह के वक़्त मिना से अरफ़ात जा रहे थे। मैंने अनस बिन मालिक ﷺ से तलबीह के मुताल्लिक़ पूछा कि आप लोग रसूलुल्लाह ﷺ के साथ किस तरह करते थे, तो उन्होंने जवाब दिया लब्बैक कहने वाला लब्बैक कहता तो उस पर कोई एतेराज़ न करता, तकबीर कहने वाला तकबीर कहता तो कोई बुरा न मनाता।

हदीस 918:- सय्यदा हफ़सह ﷺ, उम्मे अतियह ﷺ से रिवायत करती हैं, उन्होंने कहा हमें हुक्म दिया जाता था कि ईद के दिन घर से निकलें यहां तक कि कुंवारी लड़कियां भी पर्दे से बाहर निकलतीं और हाइज़ा औरतें भी, पस वह मर्दों के पीछे रहतीं और मर्दों की तकबीर के साथ तकबीर कहतीं और उनकी दुआओं के साथ दुआ करतीं, उस दिन की बरकत और पाकीज़गी के हुसूल की तवक़्क़ो रखतीं।

बाब 615:- बरछी की आड़ में ईद के दिन नमाज़ पढ़ना:

हदीस 919:- इब्ने उमर ﷺ रिवायत करते हैं, ईदुल फ़ित्र और ईदुल बक़र के रोज़ रसूलुल्लाह ﷺ के सामने बरछी गाड़ी जाती और आप उसके सामने नमाज़ पढ़ते।

बाब 616:- नेज़ा और बरछी ईद के दिन इमाम के सामने ले जाना:

हदीस 920:- इब्ने उमर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ईदगाह की तरफ़ सुबह को जाते और आप के आगे नेज़ा लेकर चलते और उसे ईदगाह में आप के सामने नसब कर दिया जाता, फिर उसके सामने आप नमाज़ पढ़ा करते थे।

बाब 617:- (आम) औरतों और हाइज़ा औरतों का ईदगाह में जाना:

हदीस 921:- उम्मे अतियह ﷺ रिवायत करती हैं, हमें हुक्म दिया जाता कि हम जवान पर्दे वाली औरतों को निकालें और अय्यूब, सय्यदा हफ़सह ﷺ के तवस्सुत से रिवायत करते हैं और हफ़सह ﷺ की रिवायत में इस क़दर इज़ाफ़ा है कि जवान और बा-पर्दा औरतें (निकाली जाएं) और हाइज़ा औरतें नमाज़ की जगह से अलग रहती थीं।

बाब 618:- ईदगाह में बच्चों का जाना:

हदीस 922:- अब्दुर्रहमान बिन आबिस ﷺ रिवायत करते हैं, मैंने (अब्दुल्लाह) इब्ने अब्बास ﷺ को फ़रमाते सुना कि मैं रसूलुल्लाह ﷺ के साथ ईदुल फ़ित्र या ईदुल ज़ुहा के मौक़े पर निकला तो आपने नमाज़ पढ़ी, फिर ख़ुत्बा दिया और औरतों के पास आए। उन्हें वअज़ नसीहत की और उन्हें सदक़ा देने का हुक्म दिया।

बाब 619:- ईद के ख़ुत्बे में इमाम का लोगो की तरफ़ मुतवज्जह होना:

अबू सईद ﷺ कहते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ अपना चेहरए मुबारक लोगों की तरफ़ करके खड़े होते थे।

हदीस 923:- बराअ बिन आज़िब ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ईदुल ज़ुहा के दिन बक़ीअ तशरीफ़ ले गए और दो रकअत नमाज़ पढ़ी। फिर हमारी तरफ़ मुतवज्जह हो कर खड़े हुए और

फ़रमायाः "इस दिन सबसे पहली हमारी इबादत यह हो कि पहले हम नमाज़ पढ़ें, फिर वापस लौट कर कुरबानी करें। जिस ने ऐसा किया तो मेरी सुन्नत पर अमल किया और जिस ने उस से पहले ज़िब्ह कर लिया तो यह वह है जिसे (सिर्फ़) अपने अहल व अयाल के लिए बनाया, कुर्बानी नहीं है।" एक शख़्स खड़ा हुआ और अर्ज़ किया, मैंने नमाज़ से पहले कुरबानी कर डाली और मेरे पास भेड़ का एक साला बच्चा है जो दो साला बच्चे से बेहतर है, तो फ़रमायाः "उसे ज़िब्ह कर दो लेकिन तुम्हारे बाद यह किसी के लिए काफ़ी (जाइज़) नहीं।"

बाब 620:- ईदगाह में निशान लगानाः

हदीस 924:- अब्दुर्रहमान बिन आबिस रज़ि॰ रिवायत करते हैं, मैंने इब्ने अब्बास रज़ि॰ से सुना, उन से दरयाफ़्त किया गया क्या आप रसूलुल्लाह ﷺ के हमाराह नमाज़ में शरीक हुए हैं? फ़रमाया, हां अगर बचपन की वजह से शौक़ न होता तो मैं आपको न देख पाता। उस निशान के पास आए जो कसीर बिन सुलत के घर के पास था, आपने नमाज़ पढ़ी और फिर ख़ुत्बा दिया, बादे अज़ां औरतों के पास तशरीफ़ लाए। आपके साथ बिलाल रज़ि॰ थे, आपने औरतों को नसीहत की और सदक़े का हुक्म दिया। मैंने औरतों को देखा, अपना हाथ झुकातीं और बिलाल रज़ि॰ के कपड़े में डालती जातीं, फिर आप और बिलाल रज़ि॰ अपने घर की तरफ़ रवाना हो गए।

बाब 621:- इमाम का ईद के दिन औरतों को नसीहत करनाः

हदीस 925:- अता जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत करते हैं, मैंने उन्हें कहते सुना, रसूलुल्लाह ﷺ ईदुल फ़ित्र के दिन खड़े हुए और नमाज़ अदा की। पहले तो नमाज़ पढ़ी और फिर ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया। जब फ़ारिग़ हुए तो मिम्बर से नीचे उतर कर औरतों के पास आए और उन्हें नसीहत की। बिलाल रज़ि॰ के हाथ पर आसरा लिए हुए थे और बिलाल रज़ि॰ ने एक कपड़ा फैला रखा था जिस में औरतें अपने अतियात जमा करा रही थीं। (इब्ने जुरैज) कहते हैं, मैंने अता से दरयाफ़्त किया, सदक़ए फ़ित्र दे रही थीं? कहा नहीं (वैसे) सदक़ा दे रही थीं। उस वक़्त अगर एक औरत ने छल्ला पेश किया तो दूसरी ने भी ऐसा ही किया। मैंने अता से पूछा क्या इमाम के लिए ज़रूरी है कि वह औरतों को नसीहत करे? बोले, बिला शुब्हा (ऐसा करना) लाज़िम है उन्हें क्या हुआ कि ऐसा नहीं करते। इब्ने जुरैज कहते हैं, मुझ से हसन बिन मुस्लिम ने ताऊस के हवाले से कहा कि इब्ने अब्बास रज़ि॰ ने फ़रमाया, मैं ईदुल फ़ित्र में रसूलुल्लाह ﷺ, अबू बकर, उमर और उसमान रज़ि॰ के साथ शरीक हुआ, यह सब ख़ुत्बे से पहले नमाज़ पढ़ते और फिर ख़ुत्बा देते। रसूलुल्लाह ﷺ तशरीफ़ ले गए गोया मैं (अब भी) रसूलुल्लाह ﷺ को देख रहा हूं। आप लोगों को अपने हाथों के इशारे से बिठा रहे थे, फिर आप उन सफ़ों को चीरते हुए आगे बढ़े यहां तक कि औरतों के पास पहुंच गए और आपके साथ बिलाल रज़ि॰ थे। आपने (यह) आयत "ऐ नबी! जब ईमान वालियां तुम्हारे पास बैअत की ग़र्ज़ से हाज़िर हों।" आख़िर तक पढ़ी। आपने फ़रमायाः "क्या तुम इन बातों पर क़ायम रहने का अहद करती हो।" तो औरतों में से सिर्फ़ एक ने कहा हां और कोई भी नहीं बोली। हसन नहीं जानते कि वह औरत कौन थी। आपने फ़रमायाः "तुम ख़ैरात करो, बिलाल रज़ि॰ ने कपड़ा फैला दिया और कहा लाओ तुम पर मेरे मां बाप कुरबान।" वह छल्ले और अगूंठियां बिलाल रज़ि॰ के कपड़े में डालने लगीं। अब्दुर्रज़्ज़ाक़ के मुताबिक़ फ़तख़ से मुराद वह बड़ी अंगूठियां हैं जिन का रिवाज अहदे जाहिलियत में था।

बाब 622:- अगर औरत के पास दुपट्टा न हो:

हदीस 926:- हफ़सह बिन्ते सीरीन रिवायत करती हैं, हम अपनी लड़कियों को ईद के दिन निकलने से रोकती थीं। एक औरत आई और क़सरे बनी ख़लफ़ में क़याम किया। मैं वहां गई तो उसने बताया कि उसके बहनोई ने रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह बारह ग़ज़वात में शिरकत की, उसकी बहन छः ग़ज़वात में अपने ख़ाविन्द के साथ थी। उसने बताया कि वह बीमारों के इलाज और ज़ख़्मियों की मरहम पट्टी पर मामूर थीं। उस ने कहा, या रसूलल्लाह! क्या हमारे लिए कोई हर्ज है कि वह (ईद के दिन) न निकले, अगर उसके पास चादर न हो? आपने फ़रमाया: "उसकी सहेली उसे अपनी चादर उढ़ा दे और चाहिए कि वह लोग नेक काम में शरीक हों और मोमिनीन की दुआ में शामिल हों।" हफ़सह फ़रमाती हैं, जब उम्मे अतियह رضی اللہ عنہا आईं तो मैं उनके पास पहुंची और उनसे दरयाफ़्त किया कि आपने इस मस्अला में कुछ सुना है। बोलीं, हां आप पर मेरे मां बाप कुरबान हों और जब कभी भी वह रसूलुल्लाह ﷺ का नाम लेतीं तो ज़रूर कहतीं कि मेरे मां बाप आप पर कुरबान हों। आपने फ़रमाया पर्दादार ख़्वातीन बाहर निकलें या यह फ़रमाया कि पर्दादार और जवान ख़्वातीन निकलें। अय्यूब (राविए हदीस) को शक हुआ है, हाइज़ा औरतें भी निकलें लेकिन नमाज़ की जगह से अलाहिदा रहें और नेक काम और अहले ईमान की दुआ में शरीक हों। हफ़सह फ़रमाती हैं, मैंने उससे कहा हाइज़ा भी निकलें। उन्होंने कहा हाइज़ा अरफ़ात और फ़ुलां फ़ुलां जगह नहीं जातीं?

बाब 623:- हाइज़ा औरतों का नमाज़ की जगह से अलग रहना:

हदीस 927:- उम्मे अतियह رضی اللہ عنہا रिवायत करती हैं, हमें हुक्म दिया गया कि बाहर निकलें, चुनान्चे हाइज़ा, जवान और पर्दादार ख़्वातीन बाहर निकलीं, चुनान्चे हाइज़ा औरतें मुसलमानों के इज्तिमाआत और दुआओं में शरीक होतीं और उनकी नमाज़ पढ़ने की जगहों से अलाहिदा रहीं।

बाब 624:- ईदगाह में ऊँट और (दीगर जानवर) ज़िब्ह करना:

हदीस 928:- इब्ने उमर رضی اللہ عنہما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ऊँट या (दीगर जानवरों की) क़ुरबानी ईदगाह में करते थे।

बाब 625:- ख़ुत्बए ईद में इमाम और मुक़्तदियों का बात चीत करना और जब इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो तो उस से कुछ पूछना:

हदीस 929:- बराअ बिन आज़िब رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, हमें यौमे नहर में रसूलुल्लाह ﷺ ने नमाज़ के बाद ख़ुत्बा दिया। आपने फ़रमाया: "जिस ने मेरी नमाज़ की तरह नमाज़ पढ़ी और हमारी क़ुरबानी की तरह क़ुरबानी दी तो उसकी क़ुरबानी सही हुई, जिस ने नमाज़ से पहले क़ुरबानी करली तो वह गोश्त की बकरी हुई।" (क़ुरबानी न हुई) अबू बुरदह बिन नयार رضی اللہ عنہ खड़े हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह! मैंने तो ईदगाह जाने से पहले ही क़ुरबानी कर दी और मैंने सोचा आज खाने पीने का दिन है इस लिए मैंने जल्दी की, मैंने ख़ुद खाया और अपने अहल व अयाल और पड़ोसियों को खिलाया, तो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "यह तो गोश्त की बकरी है।" अबू बुरदह رضی اللہ عنہ ने कहा, मेरे पास एक साल का बच्चा है जो गोश्त की दो बकरियों से बेहतर है, क्या वह मेरी तरफ़ से काफ़ी हो जाएगा? आपने फ़रमाया: "हां लेकिन तुम्हारे बाद फिर किसी दूसरे के लिए काफ़ी (जाइज़) न होगा।"

फ़ायदा:- इस हदीस का मज़मून किसी क़दर कमी बेशी के साथ क़ब्ल अज़ीं हदीस 905, 912,

915 और 923 में भी गुज़र चुका है और अगली हदीस में भी है। एक साला बकरी के बच्चे की कुरबानी इरशादे रसूल की रौशनी में दुरुस्त नहीं है लेकिन रसूलुल्लाह ﷺ ने उस मौक़ा पर हज़रत अबू बुरदा رضی اللہ عنہ को बकरी का एक साला बच्चा कुरबानी के तौर पर ज़िब्ह करने का मजाज़ बना दिया। यह रहमते दो आलम ﷺ के ख़साइस मे है कि परवरदिगारे आलम ने अहकामे तशरीइया में भी आप को इतना मजाज़ व मुख़्तार बनाया है। अगर कोई इस अम्र का रौशन सुबूत अहादीसे मुतहर्रा की रौशनी में देखना चाहे तो चौधवीं सदी के मुजद्दिदे बरहक़ इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ बरेलवी رحمۃ اللہ علیہ (मुतवफ़्फ़ी 1340 हिजरी/ 1921 ई०) का ईमान अफ़रोज़ रिसाला अलअमन वल उला पढ़े और अपने ईमान की हिफ़ाज़त करे।

हदीस 930:- अनस बिन मालिक رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने ईदुल जुहा के दिन नमाज़ पढ़ाई, फिर ख़ुत्बा दिया तो उसमें आपने हुक्म दिया: "जिसने नमाज़ से पहले कुरबानी की है वह दोबारा कुरबानी करे।" अन्सार में से एक शख़्स खड़ा हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! यह हमारे पड़ोसी और मुहताज हैं इस लिए मैंने नमाज़ से पहले कुरबानी करली अलबत्ता मेरे पास साल का एक भेड़ का बच्चा है जो गोश्त की दो बकरियों से बेहतर है। आपने उसकी इजाज़त दे दी।

हदीस 931:- जुन्दुब رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने ईदुल जुहा के दिन नमाज़ पढ़ी, फिर ख़ुत्बा दिया, फिर ज़िब्ह किया और फ़रमाया: "जिसने नमाज़ से पहले कुरबानी की वह दूसरी करे और जिसने नहीं की वह अल्लाह के नाम पर ज़िब्ह करे।"

बाब 626:- जो शख़्स ईद को एक रास्ते से जाए वह दूसरे से वापस आए:

हदीस 932:- जाबिर رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, जब ईद का दिन होता, रसूलुल्लाह ﷺ वापसी पर रास्ता बदल कर आते।

बाब 627:- जब ईद की नमाज़ फ़ौत हो जाए तो दो रकअतें पढ़ ले:

(इसी तरह) औरतें और जो लोग घरों और गावं में हों तो वह भी ऐसा ही करें। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया है: "मुसलमानो! यह हमारी ईद का दिन है।" अनस बिन मालिक رضی اللہ عنہ ने अपने ग़ुलाम इब्ने अबी उत्बह को ज़ावियह (एक गावं) में हुक्म दिया तो उन्होंने उनके घर वालों और बेटों को जमा किया और शहर वालों की नमाज़ और तकबीर की तरह नमाज़ पढ़ी। इकरमह कहते हैं, देहात के लोग ईद के दिन जमा हों और दो रकअतें पढ़ें जिस तरह इमाम पढ़ता है। अता का कहना है, जब उसकी नमाज़े ईद फ़ौत हो जाए तो दो रकअतें पढ़ ले।

हदीस 933:- उरवह رضی اللہ عنہ, सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا से रिवायत करते हैं, अबू बकर رضی اللہ عنہ सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا के पास आए और उनके पास अय्यामे मिना में दो लड़कियां थीं जो दफ़ बजा कर गा रही थीं और रसूलुल्लाह ﷺ अपने चेहरे पर कपड़ा रख कर लेटे हुए थे। अबू बकर رضی اللہ عنہ ने उन्हें झिड़का, उस वक़्त आपने अपना मुंह खोला और फ़रमाया: "अबू बकर जाने दो यह ईद का दिन है और यह दिन मिना के हैं।" आयशा رضی اللہ عنہا फ़रमाती हैं, मैंने देखा रसूलुल्लाह ﷺ मुझे ओट में कर रहे है, मैं हब्शियों की तरफ़ देख रही हूं कि वह मस्जिद में खेल रहे हैं। उन्हें उमर رضی اللہ عنہ ने झिड़का, तो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जाने दो, ऐ बनी अरफ़दह तुम इत्मिनान से खेलते रहो।"

फ़ायदा:- यह मज़मून पीछे हदीस 900 में भी गुज़र चुका है और हदीस 428 में भी है। हदीस

428 के तहत हमने हाशिये में हज़रत आयशा सिद्दीका رضي الله عنها के इस फ़ेअल पर बहस की है। इस हदीस का मज़मून समझने के लिये हदीस 428 का हाशिया देखना चाहिये। परवरदिगारे आलम हमें बेराह रवी और दौर हाज़िर के जुम्ला फ़ितनों से महफ़ूज़ व मामून रखे। आमीन।

बाब 628:- नमाज़े ईद से पहले और बाद में नमाज़ पढ़ना:

अबुल मुअल्ला कहते है मैंने सईद को इब्ने अब्बास رضي الله عنهما के मुताल्लिक़ कहते हुए सुना, उन्होंने नमाज़े ईद से पहले नमाज़ को मकरूह समझा।

हदीस 934:- इब्ने अब्बास رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ईदुल फ़ित्र के दिन निकले और दो रकअत नमाज़ इस तरह पढ़ी कि न तो उस से पहले कोई नमाज़ पढ़ी और न बाद में और आप के साथ बिलाल رضي الله عنه थे।

अबवाबे वित्र

बाब 629:- वित्र के मुताल्लिक़ जो कुछ (मन्कूल) है:

हदीस 935:- इब्ने उमर رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, किसी ने रसूलुल्लाह ﷺ से रात की नमाज़ के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया। आपने फ़रमाया: "रात की नमाज़ दो दो रकअत है, जब तुम में से किसी को सुबह हो जाने का अन्देशा हो तो एक रकअत और पढ़ ले, जो उसकी पढ़ी हुई नमाज़ को ताक़ बना देगी।" नाफ़ेअ رضي الله عنه कहते हैं, अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنهما एक रकअत और दो रकअतों के दरमियान सलाम फेरते और अपने बाज़ कामों का हुक्म देते।

हदीस 936:- कुरैब, इब्ने अब्बास رضي الله عنهما से रिवायत करते हैं, इब्ने अब्बास رضي الله عنهما ने एक रात अपनी ख़ाला मैमूनह के पास बसर की। कहते हैं कि मैं बिस्तर के अर्ज़ में लेटा और रसूलुल्लाह ﷺ और उनकी ज़ौजा बिस्तर के तूल में लेटे हत्ता कि निस्फ़ शब या उसके लगभग गुज़री होगी कि आप चेहरा मलते हुए बेदार हुए। फिर सूरए आले इमरान की दस आयात तिलावत कीं, बादे अज़ां आप लटकी हुई मशक के पास गए और अच्छी तरह वुज़ू किया, फिर नमाज़ पढ़ने को खड़े हुए। मैंने भी आपकी तरह किया और आपके पहलू में खड़ा हो गया। आपने दायां हाथ मेरे सर पर रखा और मेरा कान मलने लगे, फिर आपने दो रकअत नमाज़ पढ़ी, फिर दो रकअत, फिर दो रकअत, फिर दो रकअत, फिर दो रकअत, फिर दो रकअत और फिर एक रकअत से ताक़ बना दिया, फिर लेट रहे हत्ता कि मुअज़्ज़िन आया। आप उठ खड़े हुए, दो रकअतें पढ़ीं, फिर बाहर निकले तो सुबह की नमाज़ पढ़ी।

हदीस 937:- अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "रात की नमाज़ दो दो रकअत है, फिर जब तुम नमाज़ से फ़ारिग़ होना चाहो तो एक रकअत (मज़ीद) पढ़ लो जो तुम्हारी पूरी नमाज़ को वित्र बना देगी।" क़ासिम कहते हैं, जब से शुऊर संभाला लोगों को तीन रकअत वित्र पढ़ते हुए देखा और दोनों सूरतें मेरे ख़्याल में जाइज़ हैं, उम्मीद है इसमें कोई हर्ज नहीं।

हदीस 938:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ग्यारह रकअतें नमाज़ पढ़ते थे और यह नमाज़ आपकी "सलातुल लैल" होती थी। आप सज्दा इतनी देर तक करते कि कोई सर उठाने तक पचास आयतें पढ़ डाले और नमाज़े फ़ज्र से पहले दो रकअतें पढ़ते, फिर अपने दाएं बाज़ू के बल लेट जाते यहां तक कि मुअज़्ज़िन नमाज़ के लिए बुलाने आ जाता।

बाब 630:– औक़ाते वित्रः

अबू हुरैरह رضي الله عنه कहते हैं, मुझे रसूलुल्लाह ﷺ ने सोने से पहले वित्र पढ़ने की तल्क़ीन फ़रमाई।

हदीस 939:– अनस बिन सीरीन बयान करते हैं, मैंने इब्ने उमर رضي الله عنهما से कहा, आपका क्या ख़्याल है मैं नमाज़े फ़ज्र से पहले की दो रकअतों में लम्बी क़िरअत करूं। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह ﷺ रात को दो रकअत नमाज़ पढ़ते और एक रकअत (साथ मिलाने) से उसे ताक़ बना लेते और नमाज़े फ़ज्र से पहले दो रकअतें पढ़ते, गोया अज़ान आपके कान में हो रही है। हम्माद कहते हैं (इसका मतलब है) जल्दी (पढ़ लेते थे)।

हदीस 940:– सय्यदा आयशा رضي الله عنها फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने वित्र रात के तमाम हिस्सों में पढ़े हैं और उनका वित्र सुबह तक ख़त्म होता था।

बाब 631:– रसूलुल्लाह ﷺ का वित्र (पढ़ने) के लिए अपने अहले ख़ाना को बेदार करनाः

हदीस 941:– सय्यदा आयशा رضي الله عنها फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़ पढ़ते और मैं आपके बिस्तर पर तिरछी लेटी होती, जब वित्र पढ़ने का ख़्याल आता, मुझे जगा देते, फिर मैं भी वित्र पढ़ती।

बाब 632:– आख़िरी नमाज़ वित्र को होना चाहिएः

हदीस 942:– इब्ने उमर رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "वित्र को रात की आख़िरी नमाज़ क़रार दो।"

बाब 633:– सवारी पर वित्र पढ़नाः

हदीस 943:– सईद बिन यसार رضي الله عنه से रिवायत है, कहते हैं मैं अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنهما के साथ मक्का के रास्ते चल रहा था। जब मुझे सुबह होने का अन्देशा हुआ तो उतर कर वित्र पढ़े और उनसे जा मिला। उन्होंने पूछा कहां रह गए थे? मैंने कहा मुझे सुबह होने का अन्देशा हो रहा था इस लिए उतर कर वित्र पढ़ लिए। अब्दुल्लाह رضي الله عنهما ने कहा, क्या तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह ﷺ (की जिन्दगी) में अच्छा नमूना नहीं? मैंने कहा हां (है)। क़सम बख़ुदा तो कहा रसूलुल्लाह ﷺ ऊँट पर (बैठे बैठे) वित्र पढ़ लेते थे।

बाब 634:– सफ़र में वित्र पढ़नाः

हदीस 944:– इब्ने उमर رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ सफ़र के दौरान सवारी पर नमाज़ अदा कर लिया करते थे, ख़्वाह सवारी का रुख़ जिधर भी हो और रात की नमाज़ बजुज़ फ़राइज़ के इशारे से पढ़ते और वित्र सवारी पर पढ़ते थे।

बाब 635:– रुकूअ से पहले और बाद में (दुआए) कुनूत पढ़नाः

हदीस 945:– मुहम्मद बिन सीरीन रिवायत करते हैं, अनस बिन मालिक رضي الله عنه से दरयाफ़्त किया गया क्या रसूलुल्लाह ﷺ ने नमाज़े फ़ज्र में (भी कभी) कुनूत पढ़ी है? जवाब दिया हां। पूछा गया, क्या रुकूअ से पहले कुनूत पढ़ी है? फ़रमाया रुकूअ के बाद थोड़े दिनों तक।

हदीस 946:– आसिम बयान करते हैं, मैंने अनस बिन मालिक رضي الله عنه से दुआए कुनूत के मुताल्लिक़ पूछा कहा दुआए कुनूत पढ़ी जाती थी। मैंने पूछा रुकूअ से पहले या बाद में? कहा पहले। (आसिम) बोले कहते हैं, फुलां ने मुझ से आप के बारे में बताया कि आप से रुकूअ के बाद रिवायत मन्क़ूल है।

वह झूटा है, रसूलुल्लाह ﷺ ने रुकूअ के बाद कुनूत एक माह तक पढ़ी। मेरा ख़्याल है रसूलुल्लाह ﷺ ने सत्तर कुर्रा को उनके अलावा मुश्रिकीन के पास भेजा, जिनके लिए आपने बद दुआ फ़रमाई थी और उनके और रसूलुल्लाह ﷺ के माबैन एक मुआहिदा था (जिसे उन्होंने तोड़ दिया) रसूलुल्लाह ﷺ ने एक माह तक दुआए कुनूत पढ़ी और उनके हक़ में बद दुआ की।

हदीस 947:- अनस बिन मालिक رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने रिअल और ज़िकवान के लिए बद दुआ करते हुए एक माह तक दुआए कुनूत पढ़ी।

हदीस 948:- अनस बिन मालिक رضي الله عنه रिवायत करते हैं, दुआए कुनूत मग़रिब और फ़ज्र में पढ़ी जाती है।

अब्वाबे इस्तिस्क़ा

बाब 636:- इस्तिस्क़ा और इस्तिस्क़ा (पानी के लिए दुआ) की ग़र्ज़ से रसूलुल्लाह ﷺ का तशरीफ़ ले जाना:

हदीस 949:- अब्बाद बिन तमीम अपने चचा से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह ﷺ बारिश के लिए दुआ की ग़र्ज़ से बाहर निकले और अपनी चादर उलट दी।

बाब 637:- रसूलुल्लाह ﷺ का (कुफ़्फ़ारे क़ुरैश के लिए) यह दुआ करना:

"उनके साल यूसुफ़ عليه السلام के (क़हत के) साल की तरह बना दे।"

हदीस 950:- अबू हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जब अपना सर आख़िरी रकअत से उठाते तो कहते: "या अल्लाह! अय्याश बिन अबी रबीअह को नजात दिला, ऐ अल्लाह! सलमह बिन हिशाम को छुटकारा दिला, ऐ अल्लाह! वलीद बिन वलीद को रिहाई दिला, ऐ अल्लाह! कमज़ोर मुसलमानों को ख़लासी अता फ़रमा, ऐ अल्लाह! कुफ़्फ़ारे मुज़र पर अपनी गिरफ़्त सख़्त कर, ऐ अल्लाह! उनके साल को यूसुफ़ के (क़हत वाले) साल की तरह बना दे।" और रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "(क़बीला) ग़िफ़ार की अल्लाह ने बख़्शिश करदी, (बनी) असलम को अल्लाह ने बचा लिया।" इब्ने अबी ज़िनाद ने अपने वालिद से बयान किया, यह तमाम दुआएं नमाज़े सुबह के मुताल्लिक़ ही मन्क़ूल हैं।

हदीस 951:- मसरूक़ رضي الله عنه रिवायत करते हैं, हम लोग अब्दुल्लाह बिन मसऊद رضي الله عنه के पास थे। उन्होंने बताया रसूलुल्लाह ﷺ ने जब लोगों की सरकशी को देखा तो आपने फ़रमाया: "ऐ अल्लाह! यूसुफ़ के (दौर की तरह) सात बरस का क़हत उन पर मुसल्लत फ़रमा।" चुनान्चे वह क़हत का शिकार हो गए, तमाम अशिया तबाह व बरबाद हो गईं, लोग खाल और मुरदार तक खा गए और कोई आसमान की तरफ़ देखता तो भूक के मारे उसे धुआं दिखाई देता। (आख़िरुल अम्र) अबू सुफ़यान आपके पास आया और कहा, ऐ मुहम्मद (ﷺ)! तुम बन्दगीए रब और सिलए रहमी का हुक्म देते हो और तुम्हारी क़ौम हलाक हो गई, बिना बरीं अल्लाह से उनके लिए दुआ करो। अल्लाह तआला ने फ़रमाया: "उस दिन का इन्तिज़ार करो जब आसमान खुला धुआं लाएगा।" "إِنَّكُمْ عَائِدُونَ" तक, जिस दिन हम बहुत सख़्त गिरफ़्त करेंगे। बतशह से मुराद यौमे बदर है (अलग़र्ज़) धुआं, गिरफ़्त और तसल्लुत और आयते रूम सब कुछ वाक़ेअ हो कर रहा।

बाब 638:– कहत के दिनो में लोगों का इमाम से बारिश के लिए दुआ की ग़र्ज़ से दरख़्वास्त करना:

हदीस 952:– अब्दुल्लाह बिन दीनार रिवायत करते हैं, मैंने इब्ने उमर رضی اللہ عنہما को अबू तालिब का यह शेअर पढ़ते सुना।

وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامٰى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ

(गोरी रंगत कि उनके चेहरे के सदके में बारिश की दुआ की जाती है, वह यतीमों के हामी और बेवाओं के आसरा हैं) उमर बिन हमज़ह कहते हैं, मुझ से सालिम ने अपने वालिद इब्ने उमर رضی اللہ عنہما के हवाले से बताया कभी मैं यह शेअर ज़ेहन में लाता और कभी रसूलुल्लाह ﷺ के चेहराए अनवर को तकता कि आप पानी की दुआ करते और आप मिम्बर से उतर भी न पाते थे कि नदी नाले फूट निकलते, यह शेअर अबू तालिब का है।

हदीस 953:– अनस बिन मालिक رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, जब लोग कहत का शिकार होते तो उमर बिन ख़त्ताब رضی اللہ عنہ, अब्बास رضی اللہ عنہ बिन अब्दुल मुत्तलिब के तवस्सुल से दुआ करते और कहते: "ऐ अल्लाह! हम तेरे पास तेरे रसूल को वसीला के तौर पर पेश करते थे तो तू हमें सैराब कर देता था, अब हम तेरे रसूल के चचा का वसीला लेकर आए हैं हमें सैराब फ़रमा।" रावी का बयान है कि पानी बरस पड़ता।

फ़ायदा:– जहां नेक आमाल बारगाहे खुदावन्दी में वसीला हैं जैसा कि "وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ" (2:45) से मालूम हो रहा है। यह सब्र और नमाज़ से इस्तिआनत करना यानी मदद हासिल करना गोया उन्हें वसीला बनाना है। इसी तरह मुक़र्रबीने बारगाहे इलाहिया को भी वसीला बनाया जा सकता है। सहाबए किराम رضی اللہ عنہم रहमते दो आलम ﷺ को वसीला बना कर परवरदिगारे आलम से बारिश मांगा करते और फिर हुजूर ﷺ के चचाजान हज़रत अब्बास رضی اللہ عنہ को वसीला बना कर बारिश की दुआ किया करते और उनकी वह दुआ बारगाहे खुदावन्दी में शर्फ़े कुबूलियत हासिल किया करती थी। सहाबए किराम رضی اللہ عنہم का अमल इस फ़ेअल की हक़्क़ानियत पर मुहर तस्दीक़ कर रहा है और हम उन बुज़ुर्गों की पैरवी पर मामूर हैं क्योंकि वह इस्लामी तालीमात पर अमल करने की मुंह बोलती तस्वीरें थीं और उन में से हर बुज़ुर्ग की पैरवी में नजात की ज़मानत मौजूद है। वल्लाहु तआला आलम।

बाब 639:– इस्तिस्क़ा में चादर उलटना:

हदीस 954:– अब्दुल्लाह बिन ज़ैद رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने बारिश के लिए दुआ की तो आपने अपनी चादर उलट दी।

हदीस 955:– अब्बाद बिन तमीम अपने वालिद और वह अपने चचा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद رضی اللہ عنہ से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ईदगाह की तरफ़ तशरीफ़ ले गए और बारिश के लिए दुआ की, फिर क़िब्ला रुख़ होकर अपनी चादर उलट दी और दो रकअत नमाज़ पढ़ी। अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी) कहते हैं, इब्ने उयैनह कहा करते थे, यह अब्दुल्लाह बिन ज़ैद رضی اللہ عنہ वही अज़ान वाले हैं लेकिन यह उनका गुमान है। यह अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम माज़िनी हैं जो अन्सार के एक क़बीले माज़िन से ताल्लुक़ रखते थे।

बाब 640:– जब हरामकारियां इन्तिहा को पहुंच जाएं तो अल्लाह तआला

कहत के ज़रिये लोगों से इन्तिक़ाम लेता है:

बाब 641:- जामा मस्जिद में बारिश के लिए दुआ करना:

हदीस 956:- शरीक बिन अब्दुल्लाह बिन अबी नम्र रिवायत करते हैं, उन्होंने अनस बिन मालिक ﷺ को कहते हुए सुना, एक शख़्स मिम्बर के सामने वाले दरवाज़े से मस्जिद में दाख़िल हुआ। रसूलुल्लाह ﷺ खड़े खुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे। उसने (वहीं) खड़े खड़े रसूलुल्लाह ﷺ की तरफ़ मुंह किया और कहा, या रसूलल्लाह! लोगों का माल तबाह हो गया, रास्ते बन्द हो गए, आप अल्लाह से बारिश की दुआ फ़रमाइए। अनस ﷺ कहते हैं, आपने अपने दोनों हाथ उठाए और कहा: "ऐ मेरे अल्लाह! हमें सैराब फ़रमा, ऐ अल्लाह हमें सैराब फ़रमा, ऐ अल्लाह हमें सैराब फ़रमा।" अनस ﷺ के मुताबिक़ बखुदा उस वक़्त आसमान पर न तो कोई बादल का टुकड़ा और न कोई चीज़ नज़र आती थी और न हमारे और सिलह (एक पहाड़) के दरमियान कोई घर या मकान था, सिलह के पीछे से ढाल के बराबर बादल का एक टुकड़ा नमूदार हुआ। जब वह आसमान के दरमियान पहुंचा तो फैल गया, फिर बारिश होने लगी, बखुदा फिर हम ने हफ़्ता भर सूरज नहीं देखा। फिर एक शख़्स उसी दरवाज़े से दूसरे जुम्आ के दिन मस्जिद में दाख़िल हुआ और रसूलुल्लाह ﷺ खड़े हुए खुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे। वह आपकी जानिब मुंह करके खड़ा हुआ और कहा, या रसूलल्लाह! लोगों का माल बरबाद हो गया, रास्ते बन्द हो गए अल्लाह तआला से दुआ कीजिए बारिश बन्द हो जाए। तो रसूलुल्लाह ﷺ ने अपने दोनों हाथ उठाए, फिर फ़रमाया: "ऐ अल्लाह! हमारे इर्द गिर्द बरसा, हमारे ऊपर न बरसा, ऐ मेरे अल्लाह! पहाड़ों, टीलों, टेकरियों, वादियों और दरख़्त उगने की जगहों पर बरसा।" रावी कहता है, बारिश रुक गई हम धूप में चलते हुए बाहर निकले। शरीक का बयान है, मैंने अनस ﷺ से पूछा, वही पहला आदमी था? अनस ﷺ कहते हैं, मुझे मालूम नहीं।

बाब 642:- खुत्बए जुम्आ में क़िब्ला रुख़ हुए बग़ैर बारिश की दुआ करना:

हदीस 957:- अनस बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं, जुम्आ के दिन एक शख़्स उस दरवाज़े से अन्दर आया जो दारुल क़ज़ा की तरफ़ था। रसूलुल्लाह ﷺ खड़े होकर खुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे। वह आपकी जानिब मुतवज्जह होकर खड़ा हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! लोगों का माल तबाह हो गया है और रास्ते बन्द हो गए, आप अल्लाह से बारिश की दुआ कीजिए। आपने अपने दोनों हाथ उठा दिए, फिर कहा: "ऐ अल्लाह! हम पर बारिश बरसा, ऐ अल्लाह! हम पर बारिश बरसा।" अनस ﷺ कहते है, उस वक़्त आसमान पर बादल या उसका नाम व निशान तक नज़र न आता था और न हमारे और सिलह (एक पहाड़) के दरमियान कोई मकान या घर हाइल था। (यकायक) सिलह के पीछे से ढाल के बराबर बादल का एक टुकड़ा दिखाई दिया। जब वह दरमियान में आया तो फैल गया, फिर तो बखुदा (वह बारिश हुई कि) हफ़्ता भर सूरज नज़र न आया। फिर दूसरे जुम्आ को उसी दरवाज़े से एक शख़्स मस्जिद में आया और रसूलुल्लाह ﷺ खुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे। वह खड़े खड़े आपकी तरफ़ मुतवज्जह हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! लोगों का माल बरबाद हो गया और रास्ते मसदूद हो गए, अल्लाह से दुआ कीजिए वह बारिश रोक दे। रावी के मुताबिक़ रसूलुल्लाह ﷺ ने अपने दोनों हाथ उठाए और कहा: "ऐ अल्लाह! हमारे इर्द गिर्द बरसा, हमारे ऊपर न बरसा, ऐ मेरे अल्लाह! पहाड़ों, टीलों, वादियों और दरख़्तों के उगने की जगहों पर बरसा, चुनान्चे बारिश बन्द हो गई

और हम निकले और धूप में चले। शरीक कहते हैं, मैंने अनस ﷺ से पूछा, क्या यह वही आदमी था? कहा, मुझे इल्म नहीं।

बाब 643:- मिम्बर पर बारिश की दुआ करना:

हदीस 958:- अनस बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ खुत्बए जुम्आ दे रहे थे, इस अस्ना में एक शख़्स आया और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! बारिश नहीं हुई दुआ कीजिए अल्लाह तआला हमें सैराब करदे। चुनान्चे आपने दुआ की और बारिश शुरू हो गई और हम अपने घरों को बड़ी मुश्किल से लौटे (हत्ता कि) दूसरे जुम्आ तक बारिश होती रही। रावी कहता है, वही या कोई और आदमी खड़ा हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! अल्लाह से बारशि थमने की दुआ कीजिए। चुनान्चे रसूलुल्लाह ﷺ ने कहा: "ऐ अल्लाह! हमारे इर्द गिर्द बरसा, हम पर न बरसा।" अनस ﷺ कहते हैं, मैंने देखा बादल फट गए और दाएं बाएं हो गए, इधर उधर बारिश थी मगर अहले मदीना पर बारिश नहीं हो रही थी।

बाब 644:- (नमाज़े) इस्तिस्क़ा के लिए नमाज़े जुम्आ को काफ़ी जानना:

हदीस 959:- अनस ﷺ रिवायत करते हैं, एक शख़्स रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में आया और अर्ज़ किया, लोगों के माल मवेशी ज़ाए हो गए और रास्ते बन्द हो गए। आपने दुआ की तो एक जुम्आ से दूसरे जुम्आ तक (लगातार) बारिश होती रही। फिर वह शख़्स आया और अर्ज़ किया, लोगों के मकानात मुन्हदिम हो गए, रास्ते बन्द हो गए और लोगों के जानवर तबाह हो गए। आप उठे और कहा: "ऐ अल्लाह! पहाड़ो, टीलों, वादियों और दरख़्तों के उगने की जगहों पर बरसा, चुनान्चे मदीना के ऊपर से बादल फट गया जिस तरह कपड़ा फट जाता है।

बाब 645:- बारिश की कसरत के बाइस जब रास्ते मसदूद हो जाएं तो दुआ करना:

हदीस 960:- अनस बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं, एक शख़्स रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में आया और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! लोगों के जानवर मर गए, रास्ते बन्द हो गए आप अल्लाह से दुआ कीजिए। चुनान्चे रसूलल्लाह ﷺ ने दुआ की तो एक जुम्आ से दूसरे जुम्आ तक बारिश होती रही। एक शख़्स रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में आया और कहा, या रसूलल्लाह! लोगों के मकानात मुन्हदिम हो गए, रास्ते बन्द हो गए, जानवर हलाक हो गए तो रसूलुल्लाह ﷺ ने कहा: "ऐ अल्लाह! पहाड़ों की चोटियों, टीलों, वादियों और दरख़्तों के उगने की जगहों पर बारिश बरसा, चुनान्चे मदीना (के ऊपर) से बादल फट गया जिस तरह कपड़ा फट जाता है।

बाब 646:- रसूलुल्लाह ﷺ ने जुम्आ के दिन दुआए इस्तिस्क़ा में अपनी चादर नहीं उलटी:

हदीस 961:- अनस ﷺ रिवायत करते हैं, एक शख़्स ने रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में माल तबाह होने और बच्चों के ज़हमत उठाने की शिकायत की। आपने अल्लाह के हुज़ूर दुआ की लेकिन (रावी ने) यह बयान नहीं किया कि आपने चादर उलटी थी और न इसका ज़िक्र किया कि क़िब्ला की तरफ़ मुंह किया था।

बाब 647:- जब लोग इमाम से बारिश की दुआ के लिए दरख़्वास्त करें तो

वह उसे मुस्तरद न करे:

हदीस 962:- अनस बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं, एक शख़्स रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! लोगों के जानवर हलाक हो गए, रास्ते मुन्कता हो गए आप अल्लाह से बारिश की दुआ कीजिए। आपने दुआ की तो एक जुम्आ से दूसरे जुम्आ तक बारिश होती रही, फिर एक शख़्स रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में आया और कहा, या रसूलल्लाह! लोगों के मकानात मुन्हदिम हो गए और रास्ते मसदूद हो गए और मवेशी हलाक हो गए। रसूलुल्लाह ﷺ ने कहा: "ऐ अल्लाह! पहाड़ों की पुश्त, टीलों, वादियों और दरख़्तों के उगने की जगह पर बारिश बरसा चुनान्चे मदीना से यूं बादल फटे जिस तरह कपड़ा फट जाता है।

बाब 648:- जब मुश्रिकों ने कहत के वक़्त मुसलमानों से दुआ करने की सिफ़ारिश की:

हदीस 963:- मसरूक़ ﷺ रिवायत करते हैं, मैं इब्ने मसऊद ﷺ के पास आया तो उन्होंने बयान किया, कुफ़्फ़ारे कुरैश ने ईमान लाने में (हद दरजा) ताख़ीर की तो उनके लिए रसूलुल्लाह ﷺ ने बद-दुआ की और वह कहत में मुब्तला कर दिए गए यहां तक कि वह मरने लगे और मुरदार और हड्डियां खाने पर मजबूर हो गए। तो आपके पास अबू सुफ़यान आया और कहा ऐ मुहम्मद (ﷺ)! तुम सिला रहमी का हुक्म देते हो और तुम्हारी कौम मर रही है, अल्लाह से दुआ करो, तो आपने यह आयत आख़िर तक पढ़ी: "उस दिन का इन्तिज़ार करो जब खुला धुआं नमूदार होगा फिर वह अपने कुफ़्र की तरफ़ लौट गए।" अल्लाह तआला का यह इरशाद: "जिस दिन हम उन पर सख़्त गिरफ़्त करेंगे।" में बतशह (गिरफ़्त) से मुराद यौमे बदर है। अस्बात ने मनसूर के हवाले से रिवायत में यह इज़ाफ़ा किया, रसूलुल्लाह ﷺ ने दुआ फ़रमाई तो बारिश हुई और लगातार सात दिन तक बारिश होती रही और लोगों ने बारिश की कसरत की शिकायत की तो आपने कहा: "ऐ अल्लाह! हमारे गिर्दो पेश में बरसा, हम पर न बरसा चुनान्चे बादल आपके सर से हट गए और उनके इर्द गिर्द बारिश जारी रही।

बाब 649:- बारिश की कसरत के बाइस यह दुआ करना कि हमारे इर्द गिर्द बरसा, हमारे ऊपर न बरसा:

हदीस 964:- अनस ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जुम्आ के दिन खुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे तो लोग खड़े हो गए और वावेला शुरू कर दिया, या रसूलल्लाह! बारिश रुक गई, दरख़्त सुर्ख़ हो गए, जानवर हलाक हो गए इस लिए आप अल्लाह से बारिश की दुआ कीजिए। आपने दोबार फ़रमाया: "ऐ अल्लाह! हमें सैराब फ़रमा।" बख़ुदा उस वक़्त आसमान पर एक भी टुकड़ा बादल का न था (अचानक) बादल का एक टुकड़ा नमूदार हुआ और बारिश होने लगी। आप मिम्बर से उतरे, फिर नमाज़ पढ़ी। जब फ़ारिग़ हुए तो उसके बाद दूसरे जुम्आ तक बारिश होती रही। जब रसूलुल्लाह ﷺ खुत्बा के लिए खड़े हुए तो लोगों ने वावेला किया, लोगों के मकानात मुन्हदिम हो गए, रास्ते बन्द हो गए, दुआ कीजिए खुदा बारिश रोक दे। रसूलुल्लाह ﷺ मुस्कुराए और कहा: "ऐ मेरे अल्लाह! हमारे गिर्द व पेश में बरसा, हम पर न बरसा।" मदीना से बादल हट गए और गिर्दो पेश मे बारिश हो रही थी लेकिन मदीना में एक कतरा भी नहीं बरस रहा था। मैंने मदीना को देखा, नाखुन की तरह चमक रहा था।

बाब 650:- इस्तिस्का के लिए खड़े होकर दुआ करना:

अबू नुऐम ने बवास्ता जुहैर, अबू इस्हाक़ से रिवायत की कि अब्दुल्लाह बिन यज़ीद अन्सारी ﷺ निकले, उनके हमराह बराअ बिन आज़िब और ज़ैद बिन अरक़म ﷺ भी निकले और बारिश की दुआ की तो मिम्बर के बग़ैर पांव के बल खड़े होकर दुआ की, फिर दो रकअत जहर के साथ पढ़ीं, न तो अज़ान पढ़ी गई और न इक़ामत। अबू इस्हाक़ के मुताबिक़ अब्दुल्लाह बिन यज़ीद ﷺ ने रसूलुल्लाह ﷺ की ज़ियारत की थी।

हदीस 965:- अब्बाद बिन तमीम ﷺ अपने चचा और रसूलुल्लाह ﷺ के सहाबी अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ﷺ से रिवायत की, कि रसूलुल्लाह ﷺ लोगों को लेकर नमाज़े इस्तिस्क़ा के लिए तशरीफ़ ले गए। खड़े हुए और खड़े खड़े अल्लाह से दुआ की, फिर क़िब्ला रुख़ हुए और अपनी चादर उलट दी तो बारिश हुई।

बाब 651:- (नमाज़े) इस्तिस्क़ा में क़िरअत बिल-जहर:

हदीस 966:- अब्बाद बिन तमीम ﷺ ने अपने चचा (अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ﷺ) से रिवायत की, रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़े इस्तिस्क़ा के लिए निकले, क़िब्ला-रू होकर दुआ की और अपनी चादर उलट दी। फिर दो रकअत नमाज़ अदा की और उन दोनों रकअतों में बुलन्द आवाज़ से क़िरअत की।

बाब 652:- रसूलुल्लाह ﷺ ने अपनी पीठ लोगों की तरफ़ किस तरह फेरी:

हदीस 967:- अब्बाद बिन तमीम ﷺ अपने चचा से रिवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को उस दिन देखा जब आप (नमाज़े) इस्तिस्क़ा के लिए निकले तो लोगों की तरफ़ अपनी पीठ और क़िब्ला-रू होकर दुआ करने लगे। फिर अपनी चादर उलट दी, फिर हमें दो रकअत नमाज़ पढ़ाई और दोनों रकअतों में बुलन्द आवाज़ से क़िरअत की।

बाब 653:- इस्तिस्क़ा की दो रकअतें हैं:

हदीस 968:- अब्बाद बिन तमीम ﷺ अपने चचा से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने नमाज़े इस्तिस्क़ा पढ़ी तो दो रकअतें पढ़ीं और फिर अपनी चादर उलटी।

बाब 654:- ईदगाह में नमाज़े इस्तिस्क़ा पढ़ना:

हदीस 969:- अब्बाद बिन तमीम ﷺ अपने चचा से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ईदगाह की तरफ़ नमाज़े इस्तिस्क़ा के लिए निकले और क़िब्ला-रू होकर दो रकअत नमाज़ पढ़ी और अपनी चादर उलटाई। सुफ़्यान कहते हैं, मसऊदी ने अबू बकर ﷺ के हवाले से बताया, आपने दाएं कोने को बाएं कंधे पर डाला।

बाब 655:- (नमाज़े) इस्तिस्क़ा में क़िब्ला रुख़ होना:

हदीस 970:- अब्बाद बिन तमीम ﷺ, अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अन्सारी ﷺ से रिवायत करते हैं, वह बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ईदगाह की तरफ़ नमाज़ पढ़ने के लिए निकले। जब दुआ या दुआ का इरादा फ़रमाया तो क़िब्ला की तरफ़ मुंह किया और अपनी चादर उलटी। अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी) कहते हैं, यह अब्दुल्लाह बिन ज़ैद माज़िनी हैं और पहले अब्दुल्लाह बिन यज़ीद कूफ़ी हैं।

बाब 656:- इस्तिस्क़ा में इमाम के साथ लोगों का भी हाथ उठाना:

अबू अय्यूब बिन सुलैमान ﷺ ने अबू बकर बिन उवैस, सुलैमान बिन बिलाल और यहया बिन सईद के हवाले से बयान किया, अनस बिन मालिक ﷺ फ़रमाते हैं, एक बदवी जुम्आ के रोज़

रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! मवेशी हलाक हो गए, लोग और बच्चे मर गए। रसूलुल्लाह ﷺ ने हाथ उठा कर दुआ की और लोगों ने भी आपके साथ हाथ उठाए और दुआ करने लगे। अनस رضي الله عنه कहते हैं, हम अभी मस्जिद से निकल भी नहीं पाए थे कि बारिश शुरू हो गई और बारिश जारी रही यहां तक कि अगला जुम्आ आ गया तो एक शख़्स रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में आया और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! मुसाफ़िर घबरा गए, रास्ते मसदूद हो गए, बशक़ के माने हैं मल्ला यानी उकता गए। उवैसी कहते हैं, मुझ से मुहम्मद बिन जाफ़र ने यहया बिन सईद और शरीक के हवाले बयान किया कि उन्होंने अनस رضي الله عنه को रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत करते सुना, आपने दोनों हाथ उठाए यहां तक कि आपकी बग़लों की सफ़ेदी नज़र आने लगी।

बाब 657:- इमाम का इस्तिस्क़ा में दुआ को हाथ उठाना:

हदीस 971:- मुहम्मद बिन बशार, यहया, इब्ने अदी, सईद, क़तादह, अनस बिन मालिक رضي الله عنه से, रिवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया रसूलुल्लाह ﷺ बजुज़ नमाज़े इस्तिस्क़ा के किसी और दुआ में अपने हाथ ऊँचे नहीं उठाते थे और उसमें इतने हाथ उठाते कि बग़लों की सफ़ेदी नज़र आने लगी।

बाब 658:- बारिश के वक़्त क्या कहे:

इब्ने अब्बास رضي الله عنهما कहते हैं सय्यिब से मुराद बारिश है, दीगर लोगों का ख़्याल है साबा, असाब, यसूबु से माख़ूज़ है।

हदीस 972:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जब बारिश देखते तो कहते: "ऐ अल्लाह! उसे नफ़ा बख़्श बारिश बना।"

बाब 659:- जो शख़्स बारिश में ठहरा रहे यहां तक कि दाढ़ी टपकने लगे:

हदीस 973:- अनस बिन मालिक رضي الله عنه रिवायत करते हैं, अहदे रिसालत मआब ﷺ में एक साल लोग क़हत की लपेट में आ गए। जुम्आ के दिन रसूलुल्लाह ﷺ मिम्बर पर ख़ुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे। एक देहाती खड़े होकर अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह! माल तबाह हो गया, बच्चे फ़ाक़ों से हैं आप हमारे लिए अल्लाह से बारिश की दुआ करें। अनस رضي الله عنه कहते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने अपने दोनों हाथ उठा दिए, उस वक़्त आसमान पर बादल का एक टुकड़ा भी न था। अनस رضي الله عنه के मुताबिक़ बादल पहाड़ों की तरफ़ से उमड आए, अभी आप मिम्बर से उतरे भी नहीं थे कि मैंने देखा बारिश के क़तरे आपकी दाढ़ी पर टपक रहे हैं। अनस رضي الله عنه का बयान है उस दिन ख़ूब बारिश होती रही, बादे अज़ां दूसरे और तीसरे दिन हत्ता कि दूसरे जुम्आ तक बारिश जारी रही। वह देहाती खड़ा हुआ या उसके अलावा कोई और आदमी था, कहा या रसूलल्लाह! मकानात मुन्हदिम हो गए, मवेशी ग़र्क़ हो गए आप अल्लाह से हमारे लिए दुआ करें, चुनान्चे रसूलुल्लाह ﷺ ने अपने दोनों हाथ उठाए और कहा: "ऐ मेरे अल्लाह! हमारे इर्द गिर्द बरसा, हमारे ऊपर न बरसा।" अनस رضي الله عنه कहते हैं, आप आसमान की जिस जानिब अपने हाथों से इशारा फ़रमाते उस तरफ़ के बादल हट जाते यहां तक कि मदीना एक कटोरे की मानिन्द हो गया और नालों का पानी एक माह तक बहता रहा और जो शख़्स भी वहां से आया बारिश की अफ़ादियत का तज़्किरा किया।

बाब 660:- जब आंधी आए:

हदीस 974:- अनस बिन मालिक رضي الله عنه रिवायत करते हैं, जब हवा (मामूल से हट कर) ज़ोर से

चलती तो उसका असर रसूलुल्लाह ﷺ के चेहरे से ज़ाहिर होता था।

बाब 661:- इरशादे नबवी कि बादे सबा के ज़रिये मेरी मदद की गई:

हदीस 975:- इब्ने अब्बास رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "बादे सबा के ज़रिये मेरी मदद की गई है और क़ौमे आद पछवा हवा से तबाह की गई।"

बाब 662:- ज़लज़ले और क़यामत की निशानियां:

हदीस 976:- अबू हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "क़यामत उस वक़्त तक बरपा न होगी जब तक इल्म उठा न लिया जाएगा, बकसरत ज़लज़ले आएंगे, एक ज़माना दूसरे से क़रीब-तर होगा, फ़ितना व फ़साद ज़ाहिर होगा (हर्ज) में इज़ाफ़ा होगा, हर्ज से मुराद क़त्ल है यहां तक तुम्हारे अन्दर माल की फ़रावानी होगी इस तरह कि उबल पड़ेगा।

हदीस 977:- नाफ़ेअ رضي الله عنه, इब्ने उमर رضي الله عنهما से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने कहा: "ऐ अल्लाह! हमारे शाम और यमन में बरकत अता फ़रमा।" लोगों ने कहा और नज्द में, तो उन्होंने फिर कहा: "ऐ अल्लाह! हमारे शाम और हमारे यमन में बरकत नाज़िल फ़रमा।" लोगों ने कहा हमारे नज्द में भी, तो फ़रमाया: "वहां ज़लज़ले और फ़ितने होंगे और वहीं से शैतान का गिरोह भी निकलेगा।"

फ़ायदा:- इस हदीस से मालूम हो रहा है कि शाम और यमन के सूबे बाबरकत थे, जिन में मज़ीद बरकत के लिये रसूलुल्लाह ﷺ ने दुआ भी फ़रमाई और नज्द का सूबा मन्हूस है जिस को आपने दुआए बरकत से महरूम रखा। नबी करीम ﷺ ने उस की नहूसत की तीन वुजूहात बयान फ़रमाईं: (1) ज़लज़ले आना (2) फ़ितने उठना (3) वहां से शैतान की संगत का निकलना। निगाहे मुस्तफ़ा ने उन की यह तीनों ख़राबियां क़ब्ल अज़ वक़्त देख ली थीं और पहले ही यह मुलाहिज़ा फ़रमा लिया था कि शैतान जैसी तौहीद के अलमबरदार यहीं से निकलेंगे, जो अंबियाए किराम عليهم السلام के गुस्ताख़ बन कर शैतान की तरह बड़े ज़ौक़ व शौक़ से लअनत के तौक़ ज़ेबे गिलो करेंगे। इन नहूसतों के बाइस यज़ीद और यज़ीदियत की तरह नज्द और नज्दियत के अल्फ़ाज़ भी मुसलमानों में गाली के मुतरादिफ़ होकर रह गए हैं। शैतान वाली तौहीद की अलमबरदारी और अंबियाए किराम عليهم السلام के खुदादाद उलूम व इख़्तियारात का इन्कार तन्क़ीस आमेज़ लहजे में करना उन लोगों का तुर्रए इम्तियाज़ है। खुदाए ज़ुलमनन सब मुसलमानों को सच्ची हिदायत नसीब फ़रमाए। आमीन।

बाब 663:- इरशादे खुदावन्दी कि "तुम झुटलाने को अपना रिज़्क़ बनाते हो"

इब्ने अब्बास رضي الله عنهما फ़रमाते हैं, रिज़्क़ से मुराद शुक्र है।

हदीस 978:- ज़ैद बिन ख़ालिद अलजुहनी رضي الله عنه से रिवायत है, कहते हैं हमें रसूलुल्लाह ﷺ ने सुबह की नमाज़ हुदैबियह में पढ़ाई। रात को बारिश हुई, रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़ से फ़ारिग़ होकर लोगों की तरफ़ मुतवज्जह हुए और फ़रमाया: "तुम्हें मालूम है तुम्हारे रब ने क्या फ़रमाया?" लोगों ने कहा अल्लाह व रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फ़रमाया: "अल्लाह ने कहा: मेरे बन्दों में मोमिनों और काफ़िरों ने सुबह की (यानी) जिसने कहा मुझ पर अल्लाह के फ़ज़्ल और रहमत से बारिश हुई तो वह मुझ पर ईमान रखने वाला और सितारों का मुन्किर है और जिसने कहा फ़ुलां फ़ुलां सितारे की वजह से बारिश हुई तो वह मेरा मुन्किर और सितारों पर ईमान रखने वाला है।"

बाब 664:- अल्लाह तआला के अलावा कोई नहीं जानता कि बारिश कब होगी?

अबू हुरैरह رضي الله عنه ने रिवायत की, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "पाँच चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह तआला के अलावा कोई नहीं जानता।

हदीस 979:- इब्ने उमर رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "ग़ैब की कुंजियां पाँच हैं जिन्हें अल्लाह तआला के सिवा कोई नहीं जानता, किसी को यह मालूम नहीं कि कल क्या होने वाला है? न यह जानता है कि मादा के रहम में क्या है? न किसी को यह इल्म है कि वह कल क्या करेगा? न किसी को यह पता है कि वह कहां मरेगा? और न किसी को यह ख़बर है कि बारिश कब होगी?"

फ़ायदा:- इससे मुराद यह है कि इन पांच चीज़ों का इल्म ख़ुदा के बताए बग़ैर किसी को हासिल नहीं हो सकता। इस का यह मतलब नहीं है कि ख़ुदा ने इन पांच चीज़ों का इल्म मुतलक़न किसी को दिया ही नहीं है क्योंकि ख़ुद रसूलुल्लाह ﷺ ने इन ग़ुयूबे ख़म्सा में से कितनी ही जुज़्इयात की ख़बरें दी हैं जैसा कि हदीसों में मौजूद हैं।

अबवाबे कुसूफ़ (सूरज ग्रहन)

बाब 665:- सूरज ग्रहन के वक़्त नमाज़ पढ़ना:

हदीस 980:- अबू बकरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, हम लोग रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह थे तो सूरज को ग्रहन लग गया। रसूलुल्लाह ﷺ अपनी चादर को खींचते हुए खड़े हुए यहां तक कि मस्जिद में दाख़िल हुए, फिर आपने हमें नमाज़ पढ़ाई हत्ता कि सूरज साफ़ हो गया और आपने फ़रमाया: "सूरज और चाँद किसी के मरने की वजह से नहीं गहनाए जाते, जब तुम ग्रहन देखो तो नमाज़ पढ़ो और दुआ करो यहां तक कि ग्रहन दूर हो जाए।"

हदीस 981:- क़ैस رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मैंने अबू मसऊद رضي الله عنه को फ़रमाते हुए सुना, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "सूरज और चाँद किसी की मौत के सबब नहीं गहनाते बल्कि वह ख़ुदा की निशानियों में से एक निशानी है, जब तुम ग्रहन देखो तो नमाज़ पढ़ो।"

हदीस 982:- इब्ने उमर رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "सूरज और चाँद किसी के मरने से ग्रहन में नहीं आते, गहनाना ख़ुदा की निशानियों में से है, जब तुम उसे देखो तो नमाज़ पढ़ो।"

हदीस 983:- मुग़ीरह बिन शुअबह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, अहदे रिसालत मआब ﷺ में जिस दिन इब्राहीम (फ़रज़न्दे रसूल) का इन्तिक़ाल हुआ सूरज को ग्रहन लग गया। लोगों ने कहा, यह इब्राहीम رضي الله عنه के इन्तिक़ाल की वजह से है तो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "सूरज और चाँद किसी की मौत या हयात की वजह से नहीं गहनाते, जब तुम उसे देखो तो नमाज़ पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो।"

बाब 666:- सूरज ग्रहन के वक़्त सदक़ा देना:

हदीस 984:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها फ़रमाती हैं, अहदे रिसालत मआब ﷺ में सूरज ग्रहन हुआ तो रसूलुल्लाह ﷺ ने लोगों को नमाज़ पढ़ाई और खड़े हुए तो देर तक क़याम किया, फिर रुकूअ किया तो लम्बा रुकूअ किया, फिर खड़े हुए तो देर तक खड़े रहे लेकिन वह पहले क़याम से कम था, फिर रुकूअ किया तो लम्बा रुकूअ किया अल्बत्ता पहले रुकूअ से कम था, फिर सज्दा किया तो लम्बा सज्दा किया, फिर दूसरी रकअत में भी उसी तरह किया जिस तरह पहली रकअत में किया था, फिर

नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो सूरज साफ़ हो चुका था। फिर आपने लोगों से ख़िताब फ़रमाया। अल्लाह तआला की हमदो सना के बाद फ़रमायाः "सूरज और चाँद दोनों खुदा की निशानियां हैं, किसी की मौत या हयात के सबब नहीं गहनाते, फिर जब तुम यह देखो तो अल्लाह से दुआ करो, तकबीर कहो, नमाज़ पढ़ो और सदक़ा दो।" फिर फ़रमायाः "ऐ उम्मते मुहम्मद (ﷺ)! खुदा से ज़्यादा ग़यूर कोई नहीं कि उसका बन्दा या उसकी लौंडी ज़िना करे। ऐ उम्मते मुहम्मद (ﷺ)! जो मुझे मालूम है वह तुम जान लो तो बहुत कम हंसो और बहुत ज़्यादा रोओ।"

बाब 667:- सूरज ग्रहन के वक़्त नमाज़ के लिए पुकारनाः

हदीस 985:- अब्दुल्लाह बिन अम्र رضي الله عنه फ़रमाते हैं, जब रसूलुल्लाह ﷺ के ज़माने में सूरज गहना गया तो पुकारा गया कि नमाज़ के लिए जमा हो जाओ।

बाब 668:- सूरज ग्रहन में इमाम का खुत्बा पढ़नाः

सय्यदा आयशा और अस्मा رضي الله عنهما फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने खुत्बा इरशाद फ़रमाया।

हदीस 986:- उरवह رحمه الله, सय्यदा आयशा رضي الله عنها से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ की ज़िन्दगी में सूरज ग्रहन हुआ तो आप मस्जिद की तरफ़ निकले और लोग आपके पीछे सफ़ बस्ता हुए। आपने तकबीर कही और रसूलुल्लाह ﷺ ने लम्बी क़िरअत की, फिर तकबीर कह कर रुकूअ किया और लम्बा रुकू किया, फिर "سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ" कहा और खड़े हुए लेकिन सज्दा नहीं किया और लम्बी क़िरअत की जो पहली क़िरअत से कम थी, फिर तकबीर कह कर तवील रुकूअ किया जो पहले रुकूअ की निस्बत कम था, फिर "سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ", "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" कहा और सज्दा किया और दूसरी रकअत में भी इसी तरह किया और पूरे चार रुकूअ और चाह सज्दे किए और सूरज नमाज़ से फ़ारिग़ होने से पहले साफ़ हो गया। फिर खड़े हुए और अल्लाह तआला की हम्द व सना बयान की जिसका वह मुस्तहिक़ है, फिर फ़रमायाः "यह सूरज और चाँद दोनों खुदा की निशानियां हैं, किसी की मौत व हयात के बाइस नहीं गहनाते। जब तुम ऐसा देखो तो नमाज़ की तरफ़ लपको।" कसीर बिन अब्बास के मुताबिक़ इब्ने अब्बास رضي الله عنهما ने सूरज ग्रहन का वाक़िआ उरवह رحمه الله की हदीस की तरह बतरीक़े आयशा رضي الله عنها बयान किया। मैंने उरवह رحمه الله से कहा, तुम्हारे भाई ने जिस दिन सूरज को मदीना में ग्रहन लगा था नमाज़े फ़ज्र की तरह दो रकअतों से ज़्यादा नहीं पढ़ीं। कहा यहां इस लिए कि उन्होंने सुन्नत में ग़लती की।

बाब 669:- क्या सूरज का कुसूफ़ और खुसूफ़ कह सकते हैं:

अल्लाह तआला ने "ख़सफ़ल क़मर" फ़रमाया है।

हदीस 987:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها फ़रमाती हैं, जिस दिन सूरज ग्रहन हुआ रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़ के लिए खड़े हुए और तकबीर कही, फिर लम्बी क़िरअत और लम्बा रुकूअ किया, फिर सर उठा कर "سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ" कहा और खड़े रहे, फिर लम्बी क़िरअत की जो पहले से निस्बतन कम थी, फिर तवील रुकूअ किया जो पहले रुकूअ से कम था, फिर तवील सज्दा किया, फिर दूसरी रकअत में इसी तरह किया जिस तरह पहली रकअत में किया था, फिर सलाम फेरा और सूरज साफ़ हो चुका था। आपने लोगों से ख़िताब फ़रमायाः "कुसूफ़े शम्स व क़मर खुदा की दो निशानियां हैं जो किसी की मौत या हयात के बाइस नहीं गहनाते, जब तुम यह देखो तो नमाज़ के लिए लपको।

बाब 670:- इरशादे नबवी कि अल्लाह तआला अपने बन्दों को सूरज ग्रहन

के ज़रिए डराता है:

इसे अबू मूसा ﷺ (अशअरी) ने रसूलुल्लाह ﷺ से नक़्ल किया।

हदीस 988:- अबू बकरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "सूरज और चाँद अल्लाह की निशानियां हैं. जो किसी की मौत की वजह से नहीं गहनाते लेकिन अल्लाह तआला अपने बन्दों को इसके ज़रिए से डराता है।"

बाब 671:- सूरज ग्रहन के दौरान अज़ाबे क़ब्र से पनाह मांगना:

हदीस 989:- उमरह बिन्ते अब्दुर्रहमान ने ज़ौजए रसूल सय्यदा आयशा ﷺ से रिवायत की है, एक यहूदी औरत सय्यदा आयशा ﷺ के पास कुछ मांगने को आई और कहा अल्लाह तआला तुम्हें अज़ाबे क़ब्र से महफ़ूज़ रखे, तो सय्यदा आयशा ﷺ ने रसूलुल्लाह ﷺ से पूछा, क्या लोग अपनी क़ब्रों में अज़ाब दिए जाते हैं? आपने फ़रमाया: "खुदा की पनाह!" फिर एक सुबह अलिस्सुबह आप सवार हुए तो सूरज ग्रहन शुरू हो गया। आप चाश्त के वक़्त वापस हुए और अपने हुजरों के दरमियान से गुज़रे, फिर नमाज़ पढ़ाने खड़े हुए तो लोग आपके पीछे खड़े हो गए। आपने लम्बा क़याम और लम्बा रुकूअ किया, फिर लम्बा क़याम किया जो पहले से निस्बतन कम था, फिर लम्बा रुकूअ किया जो पहले की निस्बत कम था, फिर सर उठा कर सज्दे में गए, फिर खड़े हुए तो देर तक खड़े रहे जो पहले क़याम से कम था, फिर लम्बा रुकूअ जो (अल्बत्ता) पहले से कम था, फिर सर उठाया तो देर तक खड़े रहे जो पहले क़याम से कम था, फिर तवील रुकूअ किया जो पहले से कम था, फिर सर उठाया और सज्दा किया और नमाज़ से फ़रागत के बाद वह कुछ कहा जो अल्लाह तआला ने आपसे कहलवाया, फिर उन्हें हुक्म दिया कि अज़ाबे क़ब्र से पनाह मांगें।

बाब 672:- (नमाज़े) कुसूफ़ में सज्दा लम्बा करना:

हदीस 990:- अब्दुल्लाह बिन अम्र ﷺ रिवायत करते हैं, जब अहदे रिसालत मआब ﷺ में सूरज ग्रहन हुआ तो एलान किया गया नमाज़ होने वाली है, चुनान्चे रसूलुल्लाह ﷺ ने एक रकअत में दो रुकूअ किए, फिर खड़े हुए और फिर एक रकअत में दो रुकूअ किए, फिर बैठे रहे यहां तक कि सूरज खुल गया। रावी के मुताबिक़ सय्यदा आयशा ﷺ ने फ़रमाया, मैंने कभी उससे ज़्यादा लम्बा सज्दा नहीं किया।

बाब 673:- नमाज़े कुसूफ़ बा-जमाअत अदा करना:

इब्ने अब्बास ﷺ ने लोगों को सुफ़्फ़ह ज़मज़म में नमाज़े कुसूफ़ पढ़ाई और अली बिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने लोगों को इकट्ठा किया और अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ ने नमाज़ पढ़ाई।

हदीस 991:- अब्दुल्लाह बिन अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, अहदे रिसालत मआब ﷺ में सूरज गहनाया तो रसूलुल्लाह ﷺ ने नमाज़ पढ़ाई। सूरए बक़रह की क़िरअत के लगभग क़याम किया, फिर लम्बा रुकूअ करके सर उठाया और काफ़ी देर तक खड़े रहे जो पहले से निस्बतन कम था, फिर लम्बा रुकूअ किया जो पहले से कम था, फिर सज्दा किया और खड़े हुए और देर तक खड़े रहे लेकिन यह पहले क़याम से कम था, फिर तवील रुकूअ किया जो पहले रुकूअ से कम था, फिर सर उठाया और देर तक खड़े रहे लेकिन यह पहले क़याम से कम था, फिर तवील रुकूअ किया और यह पहले

रुकूअ से कम था, फिर सज्दा किया। जब नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो सूरज खुल चुका था, आपने फ़रमायाः "सूरज और चाँद दोनों अल्लाह की निशानियां हैं, किसी की मौत व हयात के बाइस नहीं गहनाते, जब तुम यह (मन्ज़र) देखो तो अल्लाह तआला को याद करो।" लोग बोले, या रसूलल्लाह! हमने आपको (नमाज़ के दौरान) देखा, आप कोई चीज़ ले रहे थे, फिर आपको पीछे हटते हुए देखा। आपने फ़रमायाः "मैंने जन्नत देखी उसमें से एक ख़ोशा तोड़ लेना चाहा, अगर मैं तोड़ लेता तो तुम उसे रहती दुनिया तक खाते रहते और मैंने दोज़ख़ देखी कि आज की तरह का मन्ज़र कभी नज़र नहीं पड़ा और उस में ज़्यादा-तर औरतों को देखा।" लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! क्या वजह? फ़रमायाः "उनके कुफ़्र के बाइस।" अर्ज़ किया गया, वह ख़ुदा के साथ कुफ़्र करती हैं? फ़रमायाः "नहीं बल्कि शौहरों के साथ कुफ़्र (यानी नाशुक्री) करती हैं और एहसान फ़रामोशी करती हैं, अगर उनके साथ तुम जिन्दगी भर एहसान करते रहो और वह (एक बार) तुम से कोई चीज़ देख ले तो झट कह देगी, मैंने तुम से कोई ख़ैर (सुख) नहीं पाई।"

फ़ायदाः- इस हदीस से यह बात भी मालूम हुई कि नमाज़ पढ़ाते हुए रसूलुल्लाह ﷺ ने जन्नत और दोज़ख़ का मुशाहिदा भी फ़रमा लिया और वहां के हालात भी मुशाहिदा फ़रमाए। इससे मालूम हो रहा है कि आप की यह शान है कि एक ही वक़्त में कई तरफ़ तवज्जुह हो सकती है। दूसरी बात यह भी मालूम हुई कि जो निगाहें जन्नत और दोज़ख़ तक पहुंच जाती हैं उन से ज़मीन व आसमान की कौन सी चीज़ छुप सकती है? निगाहे मुस्तफ़ा यक़ीनन शुमाल, जुनूब, मश्रिक़ और मग़रिब तक देखती है जो जन्नत की निस्बत दूर नहीं हैं। तीसरी बात यह भी मालूम हुई कि जब नबी करीम ﷺ का दस्ते अक़्दस जन्नत की टहनी तक पहुंच जाता था तो ज़मीन व आसमान की कौन सी चीज़ तक नहीं पहुंच सकता। चौथी बात यह भी मालूम हुई कि परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब को जन्नत अता फ़रमा दी है वरना आप "تَنَاوَلْتُ عُنْقُوْدًا" और "لَوْ اَصَبْتُهٗ" न फ़रमाते। वल्लाहु तआला आलम।

बाब 674:- नमाज़े कुसूफ़ में मर्दों के साथ औरतों का (भी) शामिल होनाः

हदीस 992:- अस्मा رضی اللہ عنہا बिन्ते अबू बकर रिवायत करती हैं, मैं सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا के पास आई तो सूरज ग्रहन था, तो देखा लोग खड़े नमाज़ पढ़ रहे हैं और आयशा رضی اللہ عنہا भी मसरूफ़े नमाज़ हैं। बोलीं, लोगों को क्या हुआ? तो उन्होंने आसमान की तरफ़ अपने हाथ से इशारा किया और सुब्हानल्लाह कहा। मैंने कहा, कोई अज़ाब की अलामत है? तो उन्होंने इशारे से कहा हां। मैं खड़ी रही, क़रीब था कि मुझे ग़शी आ जाए, मैं अपने सर पर पानी डालने लगी। रसूलुल्लाह ﷺ जब नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो अल्लाह तआला की हमदो सना बयान की, फिर फ़रमायाः "वह कुछ यहां देखा जो पहले कभी न देखा था यहां तक जन्नत और दोज़ख़ भी देखी और मुझे वह़ी की गई कि क़ब्र में फ़ितनए दज्जाल की मानिन्द या उसके क़रीब क़रीब आज़माइश होगी।" अस्मा رضی اللہ عنہا कहती हैं मुझे मालूम नहीं मिस्ल फ़ितनतिद्दज्जाल कहा या क़रीब मिन फ़ितनतिद्दज्जाल फ़रमाया। अस्मा رضی اللہ عنہا कहती हैं, तुम में से हर एक के पास फ़रिश्ता लाया जाता है और उससे कहा जाता है, तुम इस शख़्स के बारे में क्या जानते हो? जो शख़्स मोमिन या मोक़िन होगा, मुझे नहीं मालूम अस्मा رضی اللہ عنہا ने मोमिन कहा या मोक़िन? वह कहेगा, यह मुहम्मद हैं अल्लाह के रसूल जो हमारे पास खुले दलाइल और वाज़ेह हिदायत लाए हैं, हम ने उसे क़ुबूल किया, उन पर ईमान लाए और पैरवी की तो उससे कहा जाएगाः ऐ नेक इन्सान सोजा हमें मालूम था तुम मोमिन

हो। फिर जो शख़्स मुनाफ़िक़ या मुरताब (शक में मुब्तला) होगा, मालूम नहीं अस्मा ने मुनाफ़िक़ या मुरताब में से कौन सा लफ़्ज़ इस्तेमाल किया, वह कहेगा मैं नहीं जानता जो कुछ लोगों ने कहा मैंने भी कह दिया।

बाब 675:- सूरज ग्रहन में गुलाम आज़ाद करना:

हदीस 993:- अस्मा रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ने सूरज ग्रहन के दौरान गुलाम आज़ाद करने का हुक्म दिया है।

बाब 676:- नमाज़े कुसूफ़ मस्जिद में अदा करना:

हदीस 994:- अमरह बिन्ते अब्दुर्रहमान, सय्यदा आयशा से रिवायत करती हैं, एक यहूदी औरत उनके पास कुछ मांगने को आई तो उसने कहा खुदा तुम्हे अज़ाबे क़ब्र से बचाए। सय्यदा आयशा ने रसूलुल्लाह से पूछा क्या लोग क़ब्र में अज़ाब दिए जाते हैं? तो रसूलुल्लाह ने फ़रमाया: "खुदा की पनाह!" आप एक सुबह को सवार हुए और सूरज ग्रहन हो गया और दिन चढ़े वापस आए। रसूलुल्लाह अपने हुजरों के दरमियान से गुज़रे, फिर खड़े हुए, नमाज़ पढ़ी और लोग आपके पीछे खड़े हुए। आप ने तवील क़याम फ़रमाया, फिर आपने तवील रुकूअ किया, फिर आपने सर उठाया तो देर तक खड़े रहे लेकिन यह पहले से कम था, फिर तवील रुकूअ किया लेकिन पहले से कम, फिर सर उठाया और लम्बा सज्दा किया, फिर देर तक खड़े रहे लेकिन पहले क़याम से कम, फिर तवील रुकूअ किया लेकिन पहले से कम, फिर देर तक खड़े रहे लेकिन पहले से कम, फिर तवील रुकूअ किया लेकिन पहले रुकूअ से कम, फिर सज्दा किया लेकिन पहले सज्दा से कम, फिर जब नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो रसूलुल्लाह ने जो कुछ आपसे अल्लाह ने कहलाना चाहा फ़रमाया, फिर आपने लोगों को फ़रमाया: "अज़ाबे क़ब्र से पनाह मांगो।"

बाब 677:- किसी के मरने जीने से सूरज ग्रहन नहीं होता,

इसे अबू बकर, मुग़ीरह, अबू मूसा, इब्ने अब्बास और इब्ने उमर ने रिवायत किया है।

हदीस 995:- अबू मसऊद रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने फ़रमाया: "सूरज और चाँद किसी की मौत व ज़ीस्त से नहीं गहनाते, यह दोनों खुदा की निशानियां हैं, जब तुम उन्हें गहनाया हुआ देखो तो नमाज़ पढ़ो।"

हदीस 996:- सय्यदा आयशा रिवायत करती हैं, अहदे रिसालत मआब में सूरज ग्रहन हुआ तो रसूलुल्लाह खड़े हुए और लोगों को नमाज़ पढ़ाई और लम्बी क़िरअत की, फिर रुकूअ किया, फिर अपना सर उठाया तो तवील क़िरअत की जो पहली से कम थी, फिर रुकूअ किया तो लम्बा रुकूअ किया लेकिन पहले से कम था, फिर अपना सर उठाया और दो सज्दे किए और फिर खड़े हुए और दूसरी रकअत में भी इसी तरह किया। फिर खड़े हुए और फ़रमाया: "सूरज और चाँद किसी के मरने जीने की वजह से नहीं गहनाते लेकिन यह दोनों खुदा के निशान हैं जिन्हें अल्लाह तआला अपने बन्दों को दिखाता है, जब तुम यह (मन्ज़र) देखो तो नमाज़ की तरफ़ लपको।"

बाब 678:- सूरज ग्रहन में अल्लाह तआला का ज़िक्र करना: इसे इब्ने अब्बास ने रिवायत किया।

हदीस 997:- अबू मूसा رضي الله عنه (अश्अरी) रिवायत करते हैं, सूरज ग्रहन हुआ तो रसूलुल्लाह ﷺ यूं घबरा कर उठे जैसे क़यामत बरपा हो गई हो। आप मस्जिद में तश्रीफ़ लाए और बहुत लम्बे चौड़े क़याम, रुकूअ और सुजूद के साथ नमाज़ पढ़ी, उससे क़ब्ल आपको ऐसा करते नहीं देखा गया। फ़रमाया: "यह निशानियां हैं जिन्हें अल्लाह तआला ज़ाहिर करता है, यह किसी की मौत व ज़ीस्त के बाइस नहीं होता बल्कि उसके ज़रिए अल्लाह तआला अपने बन्दों को मुतनब्बेह करता है, जब तुम उन्हें देखो तो ज़िक्र, दुआ और इस्तिग़फ़ार की तरफ़ लपको।"

बाब 679:- सूरज ग्रहन में दुआ करना:

इसे अबू मूसा رضي الله عنه (अश्अरी) और सय्यदा आयशा رضي الله عنها ने रसूलुल्लाह ﷺ से नक़्ल किया।

हदीस 998:- मुग़ीरह बिन शुअबह रिवायत رضي الله عنه करते हैं, जब इब्राहीम (फ़रज़न्दे रसूल) का इन्तिक़ाल हुआ तो उस दिन सूरज ग्रहन हुआ। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "सूरज और चाँद अल्लाह की निशानियां हैं किसी की मौत और हयात से नहीं गहनाते, जब तुम गहन देखो तो अल्लाह से दुआ करो, नमाज़ें पढ़ो यहां तक कि सूरज खुल जाए।"

बाब 680:- ख़ुत्बए कुसूफ़ में इमाम का "अम्मा बाद" कहना:

अबू उसामह ने हिशाम, फ़ातिमह बिन्ते मुन्ज़िर और अस्मा से नक़्ल किया। अस्मा رضي الله عنها फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो सूरज खुल चुका था। आपने ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया, अल्लाह की हम्दो सना जो उसके लायक़ है, बयान की और फिर, "अम्मा बाद" फ़रमाया।

बाब 681:- चाँद ग्रहन में नमाज़ पढ़ना:

हदीस 999:- अबू बकरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, अहदे रिसालत मआब रसूलुल्लाह ﷺ में सूरज ग्रहन हुआ तो आपने दो रकअत नमाज़ पढ़ी (यह रिवायत) अगली रिवायत का इख़्तिसार है जिस में चाँद ग्रहन की बात है।

हदीस 1000:- अबू बकरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ के ज़माने में सूरज ग्रहन हुआ तो आप चादर घसीटते हुए बाहर निकले। मस्जिद में तश्रीफ़ ले गए और लोग भी आपकी तरफ़ मुतवज्जह हो गए। आपने लोगों को दो रकअत नमाज़ पढ़ाई, जब सूरज साफ़ हो गया तो फ़रमाया: "सूरज और चाँद दोनों अल्लाह की निशानियां हैं और यह किसी के मरने जीने से नहीं गहनाते, जब ऐसा हो तो नमाज़ पढ़ो हत्ता कि यह (गहन) दूर हो जाए जो तुम्हारे साथ है।" और यह इस लिए फ़रमाया कि रसूलुल्लाह ﷺ के साहिबज़ादे जनाब इब्राहीम رضي الله عنه उसी दिन फ़ौत हुए थे और लोगों के अन्दर इस ज़िम्न में चेह मिगोइयां शुरू हो गई थीं।

बाब 682:- नमाज़े कुसूफ़ में पहली रकअत का लम्बा करना:

हदीस 1001:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने लोगों को नमाज़े कुसूफ़ पढ़ाई और दो रकअतें चार रुकूओं के साथ अदा कीं, जिन में पहली रकअत दूसरी की ब-निस्बत तवील थी।

बाब 683:- नमाज़े कुसूफ़ में बुलन्द आवाज़ से क़िरअत करना:

हदीस 1002:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने चाँद ग्रहन की

नमाज़ में बुलन्द आवाज़ से किरअत की। जब किरअत से फ़ारिग़ हुए तो तकबीर कही, फिर रुकूअ किया और जब रुकूअ से सर उठाया तो "سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ", "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" कहा, फिर दूसरी बार क़िरअत की, सूरज ग्रहन की नमाज़ की दो रकअतें चार रुकूओं और चार सज्दों के साथ पढ़ीं। औज़ाई वग़ैरा कहते हैं, मैंने ज़ुहरी से उरवह के हवाले से सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا को फ़रमाते सुना, अहदे रिसालत मआब ﷺ में सूरज ग्रहन हुआ तो आपने एक मुनादी करने वाले को भेजा कि अस्सलातु जामिअह का एलान करदे, फिर आप आगे बढ़े और दो रकअतें चार रुकूओं और चार सज्दों के साथ अदा फ़रमाईं।

सज्दए तिलावत का बयान

अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है।

बाब 684:- सूजूदे कुरआन और उनके मसनून होने के मुताल्लिक़ रिवायातः

हदीस 1003:- अब्दुल्लाह رضی اللہ عنہ (बिन मसऊद) रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने मक्का में सूरह अन्नज्म पढ़ी और सज्दा किया तो सिवाए एक बूढ़े के सब ने सज्दा किया। उसने कन्करियों या मिट्टी की मुट्ठी ली और उसे पेशानी से लगा कर कहा, मेरे लिए बस इस क़दर काफ़ी है। मैंने देखा, वह बूढ़ा उमय्यह बिन ख़लफ़ काफ़िर ही मारा गया।

बाब 685:- अलिफ़ लाम मीम तन्ज़ील अस्सज्दा में सज्दा करनाः

हदीस 1004:- अबू हुरैरह رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जुम्आ को नमाज़े सुबह में सूरह अलिफ़ लाम मीम तन्ज़ील अस्सज्दा और हल अता अलल इन्साने (यानी सूरए अद्दहर) पढ़ते थे।

बाब 686:- सूरए "सॉद" में सज्दा करनाः

हदीस 1005:- इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہما रिवायत करते हैं, सूरए सॉद ताकीदी सज्दों में नहीं है और मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को उसमें सज्दा करते (भी) देखा।

बाब 687:- सूरए अन्नज्म में सज्दा करनाः

इसे हज़रत इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہما ने नबी करीम ﷺ से रिवायत किया है।

हदीस 1006:- अब्दुल्लाह बिन मसऊद رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने सूरए नज्म की तिलावत की तो उसमें सज्दा किया, तमाम लोगों ने सज्दा किया। उस जमाअत में से एक शख़्स ने कन्करियां या मिट्टी उठाई और उसे पेशानी की तरफ़ ले गया और कहा मुझे बसी इसी क़दर काफ़ी है। अब्दुल्लाह رضی اللہ عنہ फ़रमाते हैं, मैंने बादे अज़ां उसे (उमय्या बिन ख़लफ़) हालते कुफ़्र में मक़्तूल देखा।

बाब 688:- मुसलमानों का मुश्रिकों के साथ सज्दा करना और मुश्रिक (सरापा) नजिस है उसका वुज़ू नहीं होताः

इब्ने उमर رضی اللہ عنہما बग़ैर वुज़ू के सज्दा (तिलावत) करते थे।

हदीस 1007:- इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने सूरए नज्म में सज्दा किया, आपके साथ मुसलमानों और मुश्रिकों दोनों ने सज्दा किया हत्ता कि जिन्न व इन्स ने सज्दा किया।

बाब 689:- जो आयते सज्दा (तो) पढ़े (लेकिन) सज्दा न करेः

हदीस 1008:- अता बिन यसार कहते हैं, उन्होंने ज़ैद बिन साबित رضی اللہ عنہ से पूछा तो उन्होंने दावे

के अन्दाज़ में कहा, उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ को सूरए नज्म सुनाई, आपने सज्दा नहीं किया।

हदीस 1009:- ज़ैद बिन साबित رضي الله عنه से रिवायत है, कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह ﷺ के सामने सूरए नज्म पढ़ी लेकिन आपने सज्दा नहीं किया।

बाब 690:- सूरह "إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ" में सज्दा करना:

हदीस 1010:- अबू सलमह रिवायत करते हैं, मैंने अबू हुरैरह رضي الله عنه को "إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ" पढ़ते देखा तो उन्होंने उसमें सज्दा किया। मैंने कहा, अबू हुरैरह! क्या मैंने आपको सज्दा करते नहीं देखा? कहा, अगर मैं रसूलुल्लाह ﷺ को सज्दा करते न देखता तो मैं सज्दा न करता।

बाब 691:- क़ारी के सज्दे पर सज्दा करना:

तमीम बिन जज़्लम رضي الله عنه ने जो एक नौजवान लड़का था, आयते सज्दा तिलावत की तो इब्ने अब्बास رضي الله عنهما ने उसे कहा, तू सज्दा कर इस लिए कि तू हमारा इमाम है।

हदीस 1011:- इब्ने उमर رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ हमारे सामने वह सूरत तिलावत फ़रमाते, जिसमें सज्दा होता तो आप भी सज्दा करते और हम भी, यहां तक कि हम में से बाज़ को पेशानी टिकानी की जगह न मिल्ती।

बाब 692:- इमाम जब आयते सज्दा पढ़े और लोग हुजूम कर आएं:

हदीस 1012:- इब्ने उमर رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ आयते सज्दा पढ़ते, हम आपके पास होते। आप सज्दा करते तो हम भी सज्दा करते तो इतना हुजूम हो जाता कि हम में से बाज़ को माथा टिकाने की जगह न मिलती।

बाब 693:- जिस शख़्स की यह राए है अल्लाह तआला ने सज्दए तिलावत वाजिब क़रार नहीं दिया:

इमरान बिन हुसैन رضي الله عنه से पूछा गया, किसी ने आयते सज्दा सुनी और उसके लिए नहीं बैठा। इमरान رضي الله عنه ने जवाब दिया, अगर उसके लिए बैठता तो क्या सज्दा करता, गोया उनके नज़्दीक (सज्दए तिलावत) वाजिब नहीं। सलमान कहते हैं, हम उसके लिए नहीं आए। उसमान رضي الله عنه के मुताबिक़ सज्दा उस पर वाजिब है जो आयते सज्दा को सुने। ज़ुहरी कहते हैं, सज्दा तहारत पर करे और जब तुम मुसाफ़िर न हो, हज़र में हो और सज्दा करो तो क़िब्ला-रू होकर करो, अगर तुम सवार हो तो फिर क़िब्ला रुख़ होना वाजिब नहीं, जिस तरफ़ भी सवारी का रुख़ हो। साइब बिन यज़ीद رضي الله عنه क़िस्सा-गो के सज्दा पर सज्दा न करते थे।

हदीस 1013:- रबीअह बिन अब्दुल्लाह बिन हुदैर तैमी رضي الله عنه रिवायत करते हैं, (अबू बकर बिन अबी मुलैकह رضي الله عنه कहते हैं रबीअह बेहतर लोगों मे थे) उन्होंने उमर बिन ख़त्ताब رضي الله عنه की उस मज्लिस के बारे में बताया, जिसे उन्होंने देखा। उन्होंने मिम्बर पर सूरए नहल पढ़ी, जब आयते सज्दा पर पहुंचे तो उतर कर सज्दा किया और लोगों ने भी सज्दा किया। जब अगला जुम्आ आया और आपने वही सूरत पढ़ी, जब आयते सज्दा आई तो फ़रमाया: ऐ लोगो! हम आयते सज्दा पढ़ते चले जाते हैं, जिसने सज्दा किया तो अच्छा किया और जिसने नहीं किया उस पर कोई गुनाह नहीं और उमर رضي الله عنه ने सज्दा न किया। नाफ़अ رضي الله عنه, इब्ने उमर رضي الله عنهما से रिवायत करते हैं, अल्लाह तआला ने सज्दा लाज़िम क़रार

नहीं दिया, यह हमारी मर्ज़ी पर मौक़ूफ़ है।

बाब 694:- जिसने नमाज़ में आयते सज्दा पढ़ी और सज्दा किया:

हदीस 1014:- अबू राफ़ेअ रिवायत करते हैं, मैंने अबू हुरैरह के साथ नमाज़ पढ़ी तो उन्होंने "इज़स्समाउन शक़्क़त" पढ़ी और सज्दा किया। मैं बोला, यह क्या? फ़रमाया, मैंने इस में अबुल क़ासिम (हज़रत मुहम्मद) के पीछे सज्दा किया इस लिए बराबर सज्दा करता रहूंगा यहां तक कि आपसे जा मिलूं।

बाब 695:- हुजूम के बाइस सज्दा की जगह न मिले तो क्या किया जाए:

हदीस 1015:- इब्ने उमर रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह वह सूरत पढ़ते जिसमें सज्दा होता तो सज्दा करते और हम भी सज्दा करते हत्ता कि हमें पेशानी टिकाने को जगह न मिलती।

नमाज़े क़सर का बयान

बाब 696:- नमाज़े क़सर के मुताल्लिक़ जो कुछ आया है और क़याम की सूरत में कितने अर्से तक क़सर कर सकता है:

हदीस 1016:- इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह उन्नीस दिन ठहरे और क़सर करते रहे चुनान्चे हम भी सफ़र में उन्नीस दिन तक क़सर करते रहे, अगर ज़्यादा दिन क़याम होता तो पूरी पढ़ते थे।

हदीस 1017:- यहया बिन अबी इस्हाक़ रिवायत करते हैं, मैंने अनस को कहते सुना, हम रसूलुल्लाह के हमराह मदीना से मक्का की तरफ़ निकले तो दो दो रकअत पढ़ते यहां तक कि हम मदीना वापस हुए। मैंने पूछा मक्का में कितने दिन क़याम रहा? कहा दस दिन।

बाब 697:- मिना में नमाज़:

हदीस 1018:- अब्दुल्लाह (बिन उमर) रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह के हमराह और अबू बकर, उमर और उस्मान के इब्तिदाई दौरे ख़िलाफ़त में मिना में दो रकअतें पढ़ीं, फिर उसमान पूरी नमाज़ पढ़ने लगे।

हदीस 1019:- वहब रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने मिना में हालते अमन में हमें दो रकअत नमाज़ पढ़ाई।

हदीस 1020:- अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद से रिवायत है, हमें उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने मिना में चार रकअत नमाज़ पढ़ाई। उसके मुताल्लिक़ जब अब्दुल्लाह बिन मसऊद को बताया गया तो कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर फ़रमाया, मैंने रसूलुल्लाह के साथ मिना में दो रकअतें पढ़ीं और अबू बकर और उमर के साथ मिना में दो रकअतें पढ़ीं, काश इन चार रकअतों में से दो मक़्बूल रकअतें हमारे हिस्से में आतीं।

बाब 698:- हज में रसूलुल्लाह ने कितने दिन क़याम फ़रमाया:

हदीस 1021:- इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह और अस्हाबे रसूल ज़िल हिज्जह की चौथी की सुबह को तलबीह कहते हुए आए तो उन्हें हुक्म दिया गया कि इसे उमरह बनालें

मगर यह कि किसी के पास क़ुरबानी का जानवर हो।

बाब 699:- कितनी मसाफ़त में नमाज़ क़सर करे:

रसूलुल्लाह ﷺ ने एक दिन रात को सफ़र कहा है। इब्ने उमर और इब्ने अब्बास رضي الله عنه चार बुरीद के सफ़र में क़सर करते और चार बुरीद सोलह फ़रसख़ (तक़रीबन 48 मील) होते हैं।

हदीस 1022:- इस्हाक़ रिवायत करते हैं, मैंने अबू उसामह رضي الله عنه से पूछा, क्या आपसे उबैदुल्लाह ने नाफ़ेअ رضي الله عنه के हवाले से इब्ने उमर رضي الله عنهما से रिवायत किया कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस औरत के साथ उसका कोई महरम रिश्तेदार साथ न हो वह तीन दिन तक मसाफ़त न करे।"

हदीस 1023:- इब्ने उमर رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "कोई औरत तीन दिन का सफ़र न करे मगर यह कि कोई महरम रिश्तेदार उसके साथ हो।"

हदीस 1024:- अबू हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह और यौमे आख़िरत पर ईमान रखने वाली किसी भी ख़ातून के लिए रवा नहीं कि एक रात किसी महरम रिश्तेदार की हमराही के बग़ैर सफ़र करे।"

बाब 700:- जब घर से निकले तो क़स्र करे:

अली बिन अबी तालिब رضي الله عنه घर से निकले तो नमाज़ में क़सर किया जबकि अभी वह अपने घरों को देख रहे थे। जब वह वापस लौटे तो कहा गया, यह तो कूफ़ा है। फ़रमाया, नहीं जब तक हम उसमें दाख़िल न हों।

हदीस 1025:- अनस बिन मालिक رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ के साथ मदीना में ज़ुहर की चार और ज़िल हुलैफ़ह में अस्र की दो रकअतें पढ़ीं।

हदीस 1026:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, इब्तिदा में नमाज़ दो रकअत फ़र्ज़ की गई, फिर सफ़र में तो बरक़रार रही लेकिन हज़र में पूरी (चार) करदी गईं। मैंने उरवह رضي الله عنه से कहा, आयशा رضي الله عنها ने यह क्या कहा? जवाब दिया, तावील की है जिस तरह उसमान رضي الله عنه ने की थी।

बाब 701:- नमाज़े मग़रिब सफ़र में भी तीन रकअत ही पढ़े:

हदीस 1027:- इब्न उमर رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को देखा जब आप को सफ़र में जल्दी पहुंचना होता तो मग़रिब में ज़रा ताख़ीर फ़रमा देते हत्ता कि मग़रिब और इशा मिला कर पढ़ते। सालिम رضي الله عنه के मुताबिक़ अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنهما भी ऐसा ही करते थे जब उन्हें जल्दी पहुंचना होता। सालिम رضي الله عنه कहते हैं, इब्ने उमर رضي الله عنهما मुज़्दलफ़ह में पहुंच कर मग़रिब और इशा की नमाज़ मिला कर पढ़ते। सालिम رضي الله عنه ने बयान किया, जब अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنهما को अपनी ज़ौजा सफ़ियह बिन्ते अबू उबैद के शदीद अलील होने की इत्तिला मिली तो मग़रिब को मुअख़्ख़र कर दिया था। मैंने उनसे कहा नमाज़ का वक़्त हो गया, कहा चले चलो, मैंने (फिर) कहा नमाज़ का वक़्त हो गया। फ़रमाया चलते रहो, हत्ता कि दो या तीन मील आगे निकल गए, फिर उतरे और नमाज़ पढ़ी, फिर कहा मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को इस तरह नमाज़ पढ़ते देखा जब आपको जाने की जल्दी होती। अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنهما के मुताबिक़ जब रसूलुल्लाह ﷺ को कहीं ज़ल्द पहुंचना होता तो मग़रिब की तकबीर कहते और तीन रकअत नमाज़ पढ़ कर सलाम फेरते, फिर मामूली सा वक़्फ़ा देकर इशा की तकबीर कह कर दो रकअतें

पढ़ते, फिर सलाम फेरते और नमाज़े इशा के बाद सुन्नत, नफ़्ल न पढ़ते यहां तक कि आधी रात को खड़े हो जाते।

बाब 702:- सवारी का रुख़ जिस तरफ़ भी हो उस पर नफ़्ल पढ़ना:

हदीस 1028:- अब्दुल्लाह बिन आमिर रज़ि० अपने वालिद (रबीअह) से रिवायत करते हैं, उनके मुताबिक़ मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को सवारी पर नमाज़ पढ़ते हुए देखा, जिधर भी सवारी का रुख़ होता।

हदीस 1029:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि० रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ सवारी की सूरत में नफ़्ली नमाज़ क़िब्ले से हट कर दूसरे रुख़ पर (भी) पढ़ लेते थे।

हदीस 1030:- नाफ़ेअ रह० रिवायत करते हैं, इब्ने उमर रज़ि० अपनी सवारी पर नमाज़ पढ़ते और वित्र भी पढ़ लेते और बताते थे कि रसूलुल्लाह ﷺ ऐसा ही किया करते थे।

बाब 703:- सवारी पर इशारे से नमाज़ पढ़ना:

हदीस 1031:- अब्दुल्लाह बिन दीनार रह० रिवायत करते हैं, इब्ने उमर रज़ि० अपनी सवारी पर नमाज़ पढ़ते, सवारी का रुख़ जिधर भी होता, इशारा करते और बयान करते कि रसूलुल्लाह ﷺ ने ऐसा ही किया।

बाब 704:- फ़र्ज़ नमाज़ के लिए सवारी से उतरना:

हदीस 1032:- आमिर बिन रबीअह रज़ि० रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को सवारी पर नमाज़ पढ़ते देखा, अपने सर से इशारा करते सवारी का रुख़ जिधर भी होता (अल्बत्ता) फ़र्ज़ नमाज़ों में रसूलुल्लाह ﷺ ऐसा न करते। लैस कहते हैं, मुझ से यूनुस और उन्होंने इब्ने शहाब और उन्होंने सालिम रह० से रिवायत किया, सालिम रह० कहते हैं, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० सफ़र की हालत में रात की नमाज़ अपनी सवारी पर पढ़ लेते और इसका ख़्याल न रखा जाता कि सवारी का रुख़ किस तरफ़ है। इब्ने उमर रज़ि० बयान करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ सवारी पर नमाज़ पढ़ते, जिस तरफ़ सवारी का रुख़ होता और उसी पर वित्र पढ़ते, हां अल्बत्ता फ़र्ज़ नमाज़ सवारी पर न पढ़ते।

हदीस 1033:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि० रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ सवारी पर मश्रिक़ की तरफ़ मुंह करके नमाज़ पढ़ते, जब फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने का इरादा फ़रमाते तो उतर आते और क़िब्ला-रू हो जाते।

फ़ायदा:- सवारी पर नमाज़ पढ़ने के बारे में चन्द बातें याद रखना ज़रूरी है। (1) नफ़्ल नमाज़ चलती हुई सवारी पर भी हो जाती है ख़्वाह सवारी ऊंट, घोड़ा वग़ैरा हो या हवाई जहाज़ और रेल गाड़ी वग़ैरा। उस सूरत में जिधर सवारी का मुंह है उधर मुंह करके नमाज़ पढ़े क़िब्ला-रू होना ज़रूरी नहीं। (2) फ़र्ज़ नमाज़ चलती हुई सवारी पर नहीं होती, हां ठहरी हुई सवारी पर हो जाती है लेकिन क़िब्ला-रू होना ज़रूरी है वरना सवारी से उतर कर नमाज़ पढ़े। (3) नमाज़े वित्र चलती हुई सवारी पर पढ़ने मन्सूख़ हैं, इन का हुक्म अब फ़र्ज़ों जैसा है। (4) इस हालत में मुअक्कदा सुन्नतों का हुक्म फ़र्ज़ों के साथ और ग़ैर मुअक्कदा का नवाफ़िल के साथ है। वल्लाहु तआला आलम।

पारह पाँचवां

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

बाब 705:- गधे पर नफ़्ल नमाज़ पढ़ना:

हदीस 1034:- अनस बिन सीरीन रिवायत करते हैं, जब अनस رضي الله عنه (बिन मालिक) शाम से लौटे तो हम उनके इस्तिक़बाल के लिए गए। वह हमें ऐनुत्तमर में मिले, मैंने उन्हें गधे पर सवार नमाज़ पढ़ते देखा, उनका रुख़ उस जानिब यानी क़िब्ले से हट कर बाएं तरफ़ था। मैंने उन्हें कहा, मैंने आपको क़िब्ले से हट कर नमाज़ पढ़ते देखा, तो उन्होंने जवाब दिया, अगर मैं रसूलुल्लाह ﷺ को इस तरह करते न देखता तो मैं ऐसा न करता।

बाब 706:- जो हालते सफ़र में फ़र्ज़ नमाज़ से पहले और उसके बाद नफ़्ल न पढ़े:

हदीस 1035:- हफ़्स बिन आसिम रिवायत करते हैं, इब्ने उमर رضي الله عنهما ने सफ़र किया, फ़रमाया, मैं रसूलुल्लाह ﷺ के साथ रहा तो आपको सफ़र में नफ़्ल पढ़ते हुए नहीं देखा, और अल्लाह तआला ने फ़रमाया: तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है।

हदीस 1036:- हफ़्स बिन आसिम रिवायत करते हैं, उन्होंने इब्ने उमर رضي الله عنهما को कहते हुए सुना, मैं रसूलुल्लाह ﷺ के साथ रहा, आप सफ़र में दो रकअत से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे और अबू बक्र, उमर और उस्मान رضي الله عنهم भी ऐसा ही किया करते थे।

बाब 707:- जिस ने सफ़र के दौरान फ़र्ज़ नमाज़ से पहले और बाद में नफ़्ल पढ़े: रसूलुल्लाह ﷺ ने दौराने सफ़र फ़ज्र की नमाज़ दो रकअत पढ़ी।

हदीस 1037:- इब्ने अबी लैला रिवायत करते हैं, उम्मे हानी رضي الله عنها के सिवा किसी ने रसूलुल्लाह ﷺ के चाश्त पढ़ने का ज़िक्र नहीं किया। उम्मे हानी رضي الله عنها बयान करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़तेह मक्का के दिन उनके घर में ग़ुस्ल किया, फिर आठ रकअतें पढ़ीं। मैंने आपको उससे ज़्यादा कोई भी हल्की नमाज़ पढ़ते नहीं देखा, हां अल्बत्ता आप रुकूअ व सुजूद पूरा करते थे। लैस कहते हैं, मुझ से यूनुस, उन्होंने इब्ने शहाब, उन्होंने अब्दुल्लाह और उन्होंने अपने वालिद (आमिर رضي الله عنه) से रिवायत किया कि उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ को सफ़र में नवाफ़िले शब पढ़ते हुए देखा, सवारी का रुख़ जिस तरफ़ भी होता।

हदीस 1038:- इब्ने उमर رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ सवारी की पीठ पर नवाफ़िल अदा करते थे। सवारी का रुख़ जिधर भी होता आप अपने सर से इशारा करते, और इब्ने उमर رضي الله عنهما भी इसी तरह किया करते थे।

फ़ायदा:- इस हदीस से मालूम हो रहा है कि दौराने सफ़र भी नफ़्ल पढ़ना रसूलुल्लाह ﷺ का मामूल था लिहाज़ा जो हज़रात दौराने सफ़र सिर्फ़ फ़र्ज़ों का पढ़ना ज़रूरी बताते हैं कि बाक़ी नमाज़ों की माफ़ी का एलान कर देते हैं उनकी बात दुरुस्त नहीं है। दौराने सफ़र भी पूरी नमाज़ पढ़ी जाए। हां इज़्तिरारी हालत में नफ़्ल नमाज़ तर्क की जा सकती है। वल्लाहु तआला आलम।

बाब 708:- सफ़र में मग़रिब और इशा मिला कर पढ़ना:

हदीस 1039:- सालिम رضي الله عنه अपने वालिद (अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنهما) से रिवायत करते हैं,

रसूलुल्लाह ﷺ जब सफ़र में होते तो मग़रिब और इशा मिला कर पढ़ते थे।

इब्ने अब्बास رضي الله عنهما बयान करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जुहर और अस्र की नमाज़ मिला कर पढ़ते थे जबकि आप सफ़र में होते और मग़रिब और इशा भी मिला कर पढ़ते।

अनस बिन मालिक رضي الله عنه बयान करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ सफ़र के दौरान मग़रिब और इशा की नमाज़ इकट्ठी पढ़ते थे।

बाब 709:- जब मग़रिब और इशा की नमाज़ मिला कर पढ़े तो क्या अज़ान कहे या इक़ामत भी?

हदीस 1040:- अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को देखा, जब आप को सफ़र की जल्दी होती तो मग़रिब की नमाज़ में ताख़ीर करते, हत्ता कि मग़रिब और इशा एक साथ पढ़ते। सालिम رضي الله عنه (इस हदीस के एक रावी) कहते हैं, अब्दुल्लाह رضي الله عنهما भी यही किया करते थे। जब उन्हें सफ़र में जल्दी होती तो मग़रिब की इक़ामत कहलवा कर तीन रकअत पढ़ते, सलाम फेर कर बहुत थोड़ी देर ठहरते और इशा की इक़ामत कह दी जाती और दो रकअत नमाज़े इशा पढ़ते, फिर सलाम फेरते, न तो उन दोनों के दरमियान और न ही इशा के बाद नवाफ़िल पढ़ते हत्ता कि निस्फ़ शब में क़याम करते।

हदीस 1041:- अनस رضي الله عنه बयान करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ उन दोनों नमाज़ों यानी मग़रिब और इशा को सफ़र में इकट्ठा करके पढ़ते।

बाब 710:- ज़वाले आफ़ताब से पहले सफ़र की सूरत में जुहर को अस्र तक मुअख़्ख़र किया जाए:

इस सिलसिले में इब्ने अब्बास رضي الله عنهما का एक क़ौल रसूलुल्लाह ﷺ से मन्क़ूल है।

हदीस 1042:- अनस बिन मालिक رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ज़वाले आफ़ताब से पहले सफ़र के लिए रवाना होते तो जुहर को अस्र तक मुअख़्ख़र कर देते, फिर उन्हें इकट्ठा करके पढ़ते, जब सूरज ढल जाता तो जुहर की नमाज़ पढ़ कर सवार होते।

फ़ायदा:- चूंकि फ़रमाने ख़ुदावन्दी है: "اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا" (4:103) लिहाज़ा हर नमाज़ उसके मुक़र्ररा वक़्त के अन्दर पढ़नी ज़रूरी है। हां हज के दौरान मजबूरन नमाज़ों को मिलाना पड़ता है जो फ़ेअले रसूल के तहत है बाक़ी किसी वक़्त किसी ज़रूरत या मजबूरी के तहत दो नमाज़ों को एक नमाज़ के वक़्त में अदा करना जाइज़ नहीं है। इस हदीस में भी यही है कि जुहर की नमाज़ उसके आख़िरी वक़्त में पढ़ी और अस्र की नमाज़ उसके इब्तिदाई वक़्त में अदा की। गोया दोनों नमाज़ें अपने अपने वक़्त के अन्दर अदा की गईं। यह नहीं हुआ कि दोनों नमाज़ों को एक ही नमाज़ के वक़्त के अन्दर अदा किया जाता। इस सिलसिले में बाज़ उलमा ने बड़ी ग़लत फ़हमी पैदा कर रखी है जिस को मिटाने की ग़र्ज़ से सरमायए मिल्लत के एक तगहबान और चौधवीं सदी के मुजद्दिद, इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ बरेलवी رحمه الله (मुतवफ़्फ़ी 1340 हिजरी/ 1921 ई०) ने इस मस्अले की बड़ी मुहक़्क़िक़ाना और अदीमुल मिसाल तहक़ीक़ पेश करते हुए माजजुल बहरैन के नाम से एक तारीख़ी रिसाला लिखा था। यह रिसाला फ़तावा रिज़विया, जिल्द दोम के अन्दर मौजूद है।

बाब 711:- ज़वाले आफ़ताब के बाद सफ़र शुरू करे तो जुहर की नमाज़

पढ़ कर सवार होः

हदीस 1043:- अनस बिन मालिक رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जब ज़वाले आफ़ताब से पहले सफ़र शुरू करते तो ज़ुहर में अस्र तक ताख़ीर फ़रमाते, फिर सवारी से उतर कर उन दोनों को इकट्ठा करके पढ़ते, अगर आग़ाज़े सफ़र से पहले ज़वाल हो जाता तो ज़ुहर की नमाज़ पढ़ कर सवार होते।

बाब 712:- बैठ कर नमाज़ पढ़नाः

हदीस 1044:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने बीमारी के दौरान घर पर नमाज़ पढ़ी तो बैठ कर पढ़ी और लोगों ने आपके पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ी। आपने उन्हें इशारा किया कि बैठ कर पढ़ो। जब आप फ़ारिग़ हुए तो फ़रमायाः "इमाम बनाने का मक़सद यही है कि उसकी पैरवी की जाए जब वह झुके तो तुम झुको और जब वह सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ।"

हदीस 1045:- अनस رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ (एक बार) घोड़े से गिर पड़े तो आपके दाएं बाज़ू में ख़राश आगई। हम मिज़ाज पुर्सी के लिए हाज़िर हुए तो नमाज़ का वक़्त हो गया। आपने बैठ कर नमाज़ पढ़ी तो हम ने भी बैठ कर नमाज़ पढ़ी। आपने फ़रमायाः "इमाम इसी लिए बनाया जाता है कि उसकी इक़्तिदा की जाए जब वह तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो, जब वह रुकूअ में जाए तुम भी रुकूअ में जाओ, जब वह सर उठाए तुम भी सर उठाओ, जब वह "समिअल्लाहु लिमन हमिदह" कहे तो तुम "रब्बना वलकल हम्द कहो।"

हदीस 1046:- इमरान बिन हुसैन رضي الله عنه रिवायत करते हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ से सवाल किया। इब्ने बुरैदह, इमरान बिन हुसैन رضي الله عنه से रिवायत करते हैं, जो (बवासीर में मुब्तला थे) वह कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से बैठ कर नमाज़ पढ़ने के बारे में पूछा, तो आपने फ़रमायाः "अगर खड़ा होकर पढ़े तो बेहतर है और जिस ने बैठ कर नमाज़ पढ़ी तो उसे खड़े होने वाले की ब-निस्बत आधा सवाब मिलेगा और जिसने लेट कर नमाज़ पढ़ी तो उसे बैठ कर पढ़ने वाले का आधा सवाब मिलेगा।"

बाब 713:- बैठ कर इशारे से नमाज़ पढ़नाः

हदीस 1047:- अबू मअमर, इमरान बिन हुसैन رضي الله عنه से रिवायत करते हैं, इमरान ने कहा मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से बैठ कर नमाज़ पढ़ने के मुताल्लिक़ पूछा, तो आपने फ़रमायाः "जिसने खड़े होकर नमाज़ पढ़ी वह बेहतर है और जिसने बैठ कर नमाज़ पढ़ी तो उसे खड़े होकर नमाज़ पढ़ने वाले का निस्फ़ अज्र मिलेगा, जिसने लेट कर नमाज़ पढ़ी तो उसे बैठने वाले का निस्फ़।" अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी) कहते हैं, मेरे नज़्दीक "नाइमन" से मुराद "मुज़्तजिअन" है।

बाब 714:- जब बैठ कर नमाज़ पढ़ने की ताक़त न हो तो करवट के बल पढ़ेः

अता कहते हैं अगर कोई क़िब्ला की तरफ़ मुंह न कर सके तो जिधर भी उस का मुंह हो नमाज़ पढ़ले।

हदीस 1048:- इमरान बिन हुसैन رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मुझे बवासीर का मर्ज़ था। मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से नमाज़ के मुताल्लिक़ पूछा तो आपने फ़रमायाः "खड़े होकर पढ़ो अगर इसकी ताक़त नहीं तो बैठ कर वरना करवट के बल पढ़ लो।"

बाब 715:- बैठ कर नमाज़ पढ़ने की हालत में तन्दुरुस्त हो जाए या कुछ सहूलत महसूस करे तो बाक़ी नमाज़ (खड़े होकर) पूरी करेः

हसन ﷺ (बसरी) कहते हैं, अगर मरीज़ चाहे तो दो रकअत खड़े होकर और दो बैठ कर पढ़ले।

हदीस 1049:- सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ को रात की नमाज़ कभी बैठ कर पढ़ते नहीं देखा हत्ता कि आप ज़ईफ़ुल उम्र हो गए तो बैठ कर क़िरअत करते थे और जब रुकूअ का इरादा करते तो खड़े हो जाते और तक़रीबन तीस या चालीस आयतें पढ़ते, फिर रुकूअ में जाते।

हदीस 1050:- उम्मुल मुमिनीन सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जब बैठ कर नमाज़ पढ़ते तो बैठे बैठे क़िरअत करते, फिर जब तक़रीबन तीस या चालीस आयात क़िरअत की बाक़ी रह जातीं तो आप खड़े हो जाते और खड़े होकर तिलावत करते, फिर रुकूअ करते और सज्दा करते, फिर दूसरी रकअत में इसी तरह करते। जब अपनी नमाज़ ख़त्म कर लेते तो मुझ से बातें करते, अगर मैं बेदार होती अगर सोई होती तो लेट जाते।

बाब 716:- रात को तहज्जुद पढ़नाः

इरशादे ख़ुदावन्दी हैः "रात को तहज्जुद पढ़ो जो तुम्हारे लिए इज़ाफ़ी (हुक्म) है।"

हदीस 1051:- इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जब रात को तहज्जुद के लिए खड़े होते तो कहतेः "ऐ अल्लाह! तेरी ही हम्द है, तू आसमानों और ज़मीन और उनके दरमियान की जुम्ला अशिया का निगरां है, तेरे ही लिए तारीफ़ है, आसमानों और ज़मीन और उनके दरमियान तेरी ही हुकूमत है, तेरे ही लिए हम्द है, तू आसमानों और ज़मीन का नूर है, तेरे ही लिए हम्द है, तू (ख़ुद) हक़ है, तेरा वादा हक़ है, तेरी मुलाक़ात हक़ है, तेरा क़ौल हक़ है, जन्नत हक़ है, जहन्नम हक़ है, जुम्ला अंबिया हक़ हैं, मुहम्मद रसूलुल्लाह ﷺ हक़ हैं और क़यामत हक़ है, ऐ अल्लाह मैंने ख़ुद को तेरे सामने झुकाया, तुझ पर ईमान लाया, तुझ पर भरोसा किया, तेरी तरफ़ मुतवज्जह हुआ, तेरे ही लिए (काफ़िरों से) झगड़ता हूं, तेरे हुज़ूर अपना मुक़द्दमा पेश किया, मेरे अगले पिछले और ज़ाहिरी बातिनी गुनाह माफ़ करदे, तू ही मुकद्दम और मुअख़्ख़र करने वाला है, तू ही लायक़े इबादत है, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं।"

बाब 717:- क़यामे लैल की फ़ज़ीलतः

हदीस 1052:- सालिम ﷺ अपने वालिद से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ के ज़माने में लोग जब ख़्वाब देखते तो उसे रसूलुल्लाह ﷺ के सामने बयान करते। मुझे तमन्ना थी कि मैं भी कोई ख़्वाब देखता तो उसे रसूलुल्लाह ﷺ के सामने बयान करता। मैं नौजवान था और अहदे रिसालत मआब ﷺ में मस्जिदे नबवी में सोता था। मैंने ख़्वाब में देखा कि मुझे दो फ़रिश्ते पकड़ कर जहन्नम की तरफ़ ले गए और वह पेचदार कुंवें की तरह थी, जिसके दो सुतून थे और उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें मैं जानता था। मैं जहन्नम से ख़ुदा के साथ पनाह मांगने लगा, फिर मुझ से दूसरा फ़रिश्ता मिला और कहा डरो नहीं, मैंने यह हफ़सह ﷺ से बयान किया और उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ को बताया। आपने फ़रमायाः "अब्दुल्लाह! क्या ही अच्छा आदमी है, काश वह रात की नमाज़ पढ़ता चुनान्चे उसके बाद रात को बहुत कम ही सोया करते थे।

बाब 718:- क़यामे लैल में तवील सज्देः

हदीस 1053:- सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ग्यारह रकअतें नमाज़

पढ़ते थे। उस नमाज़ में आपका सज्दा इस क़दर तवील होता कि तुम में से कोई भी पचास आयतें पढ़ ले और आप नमाज़े फ़ज्र से पहले दो रकअतें पढ़ा करते, फिर अपने दाएं पहलू या करवट पर लेट जाते, यहां तक कि नमाज़ के लिए बुलाने वाला आपके पास आ जाता।

बाब 719:- मरीज़ क़यामे (लैल) तर्क करदे:

हदीस 1054:- जुन्दुब ﵁ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ बीमार हुए तो एक या दो रातें (तहज्जुद के लिए) खड़े नहीं हुए।

हदीस 1055:- जुन्दुब बिन अब्दुल्लाह ﵁ रिवायत करते हैं, जिब्रईल ﵇ रसूलुल्लाह ﷺ के हां आने से रुक गए तो एक क़ुरैशी औरत ने कहा, उसके शैतान ने ताख़ीर करदी। तो इस पर यह सूरत नाज़िल हुई (वज़्ज़ुहा अलख़) "क़सम है चाश्त और रात की जब छा जाए तुम्हें तुम्हारे रब ने न तो छोड़ा और न तुम पर नाराज़ हुआ।"

बाब 720:- रसूलुल्लाह ﷺ का नवाफ़िले शब की तरग़ीब देना लेकिन लाज़िम क़रार न देना:

रसूलुल्लाह ﷺ एक रात सय्यदा फ़ातिमह ﵂ और जनाब अली ﵁ के पास नमाज़े (शब) के लिए (जगाने) तशरीफ़ लाए थे।

हदीस 1056:- उम्मे सलमह ﵂ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ एक रात बेदार हुए तो फ़रमायाः "सुब्हानल्लह! क्या क्या चीज़ें आज़माइश के लिए और क्या क्या ख़ज़ाने रात को उतारे गए हैं, कोई है जो इन हुजरे वाली औरतों को जगा दे, बहुत सी औरतें जो दुनिया में मलबूस हैं मगर क़यामत में उरयां (नंगी) होंगी।"

फ़ायदा:- इस हदीस से तीन बातें मालूम हो रही हैं। पहली बात यह कि फ़ितनों और रहमते इलाहिया के ख़ज़ानों को नाज़िल होते हुए कोई नहीं देख सकता क्योंकि यह नज़र आने वाली चीज़ें नहीं हैं। लेकिन निगाहे मुस्तफ़ा से वह भी पोशीदा नहीं और आप उन्हें भी नाज़िल होते हुए देख लिया करते थे। दूसरी बात यह कि शब बेदारी आप को बहुत मरग़ूब थी जिस की आप तरग़ीब दिया करते थे। तीसरी बात यह कि औरतें अगर ऐसा लिबास पहनें जिस में उनके जिस्म कि हियत नज़र आए, ख़्वाह बारीक होने के बाइस या तंग होने की वजह से तो वह क़यामत में नंगी होंगी। वल्लाहु तआला आलम।

हदीस 1057:- अली ﵁ बिन अबी तालिब रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ एक रात उनके और फ़ातिमह ﵂ (बिन्ते रसूल) के हां तशरीफ़ लाए और फ़रमायाः "तुम दोनों नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते?" मैं बोला, हमारी रूहें ख़ुदा के क़ब्ज़े में हैं जब वह हमें उठाना चाहेगा, तो हम उठ खड़े होंगे। जब हमने यह कहा तो आप चले गए और हमारी तरफ़ मुतवज्जह न हुए। जब आप पीठ फेर कर जा रहे थे तो मैंने सुना, अपनी रान पर हाथ मारते हुए फ़रमा रहे थेः "इन्सान सबसे ज़्यादा झगड़ालू है।"

हदीस 1058:- सय्यदा आयशा ﵂ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ (बाज़ औक़ात) किसी अमल को तर्क फ़रमा देते जबकि वह अमल आपको महबूब होता था। इस ख़दशे के पेशे नज़र कि लोग इसे (बिल इल्तिज़ाम) न करने लगें और वह फ़र्ज़ न हो जाए। (सय्यदा आयशा ﵂ फ़रमाती हैं) रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़े चाश्त पाबन्दी से नहीं पढ़ते थे जबकि मैं पढ़ती हूं।

हदीस 1059:- उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा ﵂ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने एक

रात मस्जिद में नमाज़ पढ़ी तो आपके साथ लोगों ने भी नमाज़ पढ़ी, फिर दूसरी रात आपने नमाज़ पढ़ी तो लोगों की हाज़िरी बढ़ गई, फिर तीसरी या चौथी रात को लोग जमा हुए तो रसूलुल्लाह ﷺ उनके पास न आए। सुबह हुई तो फ़रमाया: "मैंने उसे देखा जो तुम ने किया, मुझे इस चीज़ के ख़ौफ़ ने बाहर आने से रोका कि कहीं तुम पर फ़र्ज़ न हो जाए।" और यह रमज़ान का वाक़िआ है।

फ़ायदा:- इस हदीस से वाज़ेह हो रहा है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने यह दो या तीन रोज़ नमाज़ मस्जिद में पढ़ी जिस में बाज़ सहाबए किराम رضی اللہ عنہم भी आप के पीछे आ पढ़ते थे, वह नमाज़े तहज्जुद थी इसे ख़्वाह मख़्वाह नमाज़े तरावीह साबित करने और फिर तरावीह की आठ रकअतें मनवाने पर ज़ोर लगाना दुरुस्त नहीं है। यह उन हज़रात की ऐसी काविश है जिस की ताईद इन लोगों से पहले उम्मते मुहम्मदिया के किसी फ़रीक़ ने भी नहीं की। तरावीह का मामला अलग है जो अगर्चे सुन्नत से साबित है लेकिन उसका मस्जिद में बाजमाअत पढ़ना, हमेशा पढ़ना और बिल-इत्तिफ़ाक़ बीस रकअत पढ़ना, यह ख़ुलफ़ाए राशिदीन और सहाबए किराम رضی اللہ عنہم की सुन्नत है। वल्लाहु तआला आलम।

बाब 721:- रसूलुल्लाह ﷺ का इस क़दर क़याम लम्बा करना कि पांव का मुतवर्रम हो जाना: सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا फ़रमाती हैं, यहां तक कि दोनों पांव फट जाते "फ़ुतूर" से मुराद फट जाना है, इन्फ़तरत "इन्शक़्क़त" के मफ़हूम में है।

हदीस 1060:- मुग़ीरह رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़ के लिए खड़े होते तो आप के पांव या पिंडलियां सूज जातीं, इस ज़िम्न में आपसे कहा जाता तो आप फ़रमाते: "क्या मैं शुक्र गुज़ार बन्दा न बनूं।"

बाब 722:- जो सुबह के वक़्त सो जाए:

हदीस 1061:- अब्दुल्लाह बिन अम्र رضی اللہ عنہما रिवायत करते हैं, उनसे रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह तआला के नज़्दीक महबूब तरीन नमाज़ दाऊद علیہ السلام की नमाज़ है और ख़ुदा तआला के नज़्दीक पसन्दीदा रोज़ा दाऊद علیہ السلام का है, वह निस्फ़ रात सोते, तिहाई रात क़याम करते और (फिर) छटा हिस्सा सोते, एक रोज़ा रखते और एक दिन इफ़्तार करते।"

हदीस 1062:- अश्अस अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने मसरूक़ رضی اللہ عنہ से सुना, मैंने सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا से पूछा रसूलुल्लाह ﷺ को कौन सा अमल महबूब था? उन्होंने कहा, जिस की पाबन्दी की जाए। मैंने पूछा आप रात को किस वक़्त उठते थे? जवाब दिया, जब मुर्ग़ की आवाज़ सुनते तो उठ बैठते।

हदीस 1063:- अश्अस रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जब मुर्ग़ की आवाज़ सुनते तो उठ कर नमाज़ पढ़ते थे।

हदीस 1064:- सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا रिवायत करती हैं, मैंने उन्हें (यानी रसूलुल्लाह ﷺ को) सुबह के वक़्त अपने पास सोया ही पाया।

बाब 723:- जो सेहरी खा कर सुबह की नमाज़ पढ़ने तक न सोया:

हदीस 1065:- अनस बिन मालिक رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ और ज़ैद बिन साबित رضی اللہ عنہ ने सेहरी खाई। सेहरी से फ़ारिग़ होते ही रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़ के लिए उठ खड़े हुए और नमाज़ अदा की। (क़तादह رضی اللہ عنہ कहते हैं), मैंने अनस رضی اللہ عنہ से पूछा, दोनों की सेहरी और नमाज़ में

कितना वक़्फ़ा था? अनस ﷺ ने कहा, जितनी देर में एक शख़्स पचास आयतें पढ़ले।

बाब 724:– रात की नमाज़ में तवील क़याम करना:

हदीस 1066:– अब्दुल्लाह ﷺ (बिन मसऊद) रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ के साथ नमाज़ पढ़ी, तो आप बराबर खड़े रहे, यहां तक कि मैंने एक ना-पसन्दीदा अम्र का इरादा किया। हम ने पूछा काहे का? मैंने सोचा रसूलुल्लाह ﷺ को (उनके हाल पर) छोड़ कर खुद बैठ रहूं।

हदीस 1066:– हुज़ैफ़ह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जब रात को तहज्जुद के लिए खड़े होते तो अपना मुंह मिस्वाक से साफ़ करते।

बाब 725:– रसूलुल्लाह ﷺ की नमाज़ कैसी थी? और रात को किस क़दर नमाज़ पढ़ते थे:

हदीस 1068:– अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ रिवायत करते हैं, एक शख़्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! (कोई शख़्स) रात की नमाज़ किस तरह पढ़े? फ़रमाया: "दो दो रकअतें, फिर जब सुबह हो जाने का ख़दशा लाहिक़ हो तो एक रकअत और मिलाकर उसे वित्र बनालो।"

हदीस 1069:– इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ की नमाज़े शब तेरह रकअतें थी।

हदीस 1070:– मसरूक़ ﷺ रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ की नमाज़ के मुताल्लिक़ सय्यदा आयशा ﷺ से दरयाफ़्त किया तो उन्होंने फ़रमाया, सात, नौ और ग्यारह रकअतें (और यह) सुबह की दो रकअत के अलावा थीं।

हदीस 1071:– सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ रात को तेरह रकअतें पढ़ते थे, उनमें वित्र और सुबह की दो रकअतें भी शामिल थीं।

फ़ायदा:– शुरू में वित्र के बारे में यही मामूल था कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ कर उसके साथ वित्र की एक रकअत मिला सब को वित्र बना लिया जाता था। उस वक़्त दीगर नवाफ़िल की तरह नमाज़े वित्र भी नफ़्ली शुमार होती थी। इसी लिये वित्र की रकअतें रिवायात में मुख़्तलिफ़ आई हैं. इस रिवायत की रू से वित्र की तीन रकअतें साबित होती हैं यानी तहज्जुद की आठ रकअतें, वित्र की तीन रकअतें और सुन्नते फ़ज्र की दो रकअतें। आख़िर में वित्र की नमाज़ नफ़्ली नहीं बल्कि फ़र्ज़ों से मुल्हिक़ यानी वाजिब क़रार पाई और वित्र की तीन रकअतें पढ़ी जाती थीं, जैसा कि दीगर रिवायात से साबित है। वल्लाहु तआला आलम।

बाब 726:– रसूलुल्लाह ﷺ का रातों का क़याम, नींद और (इबादते शब में से) जो कुछ मन्सूख़ हुआ:

इरशादे खुदावन्दी है: "ऐ कम्बल पोश, रात को खड़े हो मगर थोड़ी देर आधी रात या उससे (भी) कुछ कम या उससे कुछ ज़्यादा, और कुरआने मजीद को ठहर ठहर कर पढ़ो, हम तुम पर एक भारी बात डालने वाले हैं, बेशक रात का क़याम नफ़्स पर क़ाबू पाने के लिए बहुत कारगर और तिलावत के लिए मौज़ूं है, बिला शुब्हा तुम्हें दिन में बहुत मसरूफ़ियात हैं।" इरशादे खुदावन्दी है: "उसे मालूम है तुम औक़ात का ठीक शुमार नहीं कर सकते लिहाज़ा उसने तुम पर मेहरबानी की जिस क़दर आसान हो कुरआन पढ़ो अल्लाह जानता है तुम में कुछ मरीज़ हैं और कुछ ज़मीन में अल्लाह का फ़ज़्ल तलाश

करते हुए सफ़र करते हैं और कुछ लोग अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं पस जिस क़दर आसान हो पढ़ो और नमाज़ पढ़ो, ज़कात दो, अल्लाह तआला को क़र्ज़े हस्ना दो, और जो कुछ तुम अपने लिए आगे भेजोगे अल्लाह तआला के हां उसे पाओगे, यह बेहतर और सवाब के लिहाज़ से अज़ीम है।" इब्ने अब्बास ؓ फ़रमाते हैं, हब्शी ज़बान में "नशआ" ठहरने को कहते हैं और "वताअन" से मुराद मुवातातुल कुरआन (यानी मुवाफ़िक़ होना) है इस लिए कि यह कान, आंख और दिल के बहुत मुवाफ़िक़ है "लियुवातिऊ" से मुराद "लियुवाफ़िक़ू" है।

हदीस 1072:- अनस ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ महीना भर इफ़्तार करते और हमें गुमान गुज़रता कि आप उस माह में कोई रोज़ा नहीं रखेंगे, और किसी महीने (लगातार) रोज़े रखते हमें ख़याल आता कि आप कभी इफ़्तार नहीं करेंगे और तुम रात को जब आपको नमाज़ पढ़ते हुए देखना चाहते देख लेते, और सोए हुए देखना चाहते तो देख लेते।

बाब 727:- शैतान का गुद्दी पर गिरह लगाना अगर आदमी रात की नमाज़ न पढ़े:

हदीस 1073:- अबू हुरैरह ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "शैतान तुम में से हर एक की गुद्दी पर गिरह लगाता है जब वह सो जाता है और हर गिरह पर फूंकता है कि अभी काफ़ी रात बाक़ी है इस लिए सोए रहो। अगर वह जाग उठे और ज़िक्रे इलाही करे तो एक गिरह खुल जाती है, अगर वुज़ू किया तो दूसरी खुल जाती है, अगर नमाज़ पढ़ली तो तीसरी गिरह खुल जाती है तो उसकी सुबह इस तरह होती है कि वह खुश और हश्शाश बश्शाश होता है, वरना अफ़सुरदा और मायूस उठता है।"

हदीस 1074:- समुरह बिन जुन्दुब ؓ "हदीसे रूया" में रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिसका सर पत्थर से कुचला जाता है वह, वह शख़्स है जो कुरआन याद करता और फिर उसे छोड़ देता है और नमाज़े फ़र्ज़ से ग़ाफ़िल होकर सो जाता है।"

बाब 728:- जब कोई सोया रहे और नमाज़ न पढ़े तो शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है:

हदीस 1075:- अब्दुल्लाह ؓ (इब्ने मसऊद) रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में एक शख़्स का ज़िक्र किया गया जो सोता रहा और सुबह हो गई, नमाज़ के लिए न उठा, तो आपने फ़रमाया: "शैतान ने उसके कान में पेशाब कर दिया।"

बाब 729:- रात के आख़िरी पहर में दुआ और नमाज़:

अल्लाह तआला फ़रमाता है: "वह लोग रात को बहुत कम सोते हैं।" ("यहजऊन" का मतलब "यनामून" है), और सुबह के वक़्त इस्तिग़फ़ार करते हैं।

हदीस 1076:- अबू हुरैरह ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "हमारा रब हर रात आसमाने दुनिया की तरफ़ नुज़ूले अजलाल फ़रमाता है, जबकि रात की आख़िरी तिहाई बाक़ी रह जाती है। फ़रमाता है: कोइ है जो मुझे पुकारे मैं उसकी पुकार का जवाब दूं, कौन है जो मुझ से तलब करे और मैं उसे दूं। कौन बख़्शिश चाहता है मैं उसे बख़्श दूं।"

बाब 730:- जो अवाइले शब में सोया और अवाख़िर में जागा:

सलमान ने अबू दरदा ﷺ से कहा सो रहो, जब रात का आख़िरी हिस्सा बाक़ी रहे तो उठो, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "सलमान ने दुरुस्त कहा।"

हदीस 1077:- असवद ﷺ रिवायत करते हैं, मैंने सय्यदा आयशा ﷺ से पूछा, रसूलुल्लाह ﷺ की रात की नमाज़ कैसी थी? कहा, आग़ाज़े शब में सो जाते और आख़िरे शब में उठ खड़े होते और नमाज़ पढ़ते, फिर अपने बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते। जब मुअज़्ज़िन अज़ान कहता तो उठ पड़ते, अगर गुस्ल की ज़रूरत होती तो गुस्ल करते वरना वुज़ू करके नमाज़ के लिए चले जाते।

बाब 731:-रसूलुल्लाह ﷺ का रमज़ान और उसके अलावा रातों में क़याम:

हदीस 1078:- अबू सलमह बिन अब्दुर्रहमान ﷺ रिवायत करते हैं, उन्होंने सय्यदा आयशा ﷺ से रसूलुल्लाह ﷺ की नमाज़ के मुताल्लिक़ पूछा, आपकी नमाज़ कैसी थी? उन्होंने कहा, रमज़ान हो या ग़ैर रमज़ान ग्यारह रकअतों से ज़्यादा कभी न पढ़ते थे। चार रकअतें ऐसी पढ़ते उनकी उम्दगी और तिवालत के बारे में तो पूछो ही नहीं, फिर चार रकअतें अदा फ़रमाते, उनकी उम्दगी और तवालत का क्या कहना, फिर तीन रकअतें पढ़ते। आयशा कहती हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! आप वित्र पढ़ने से पहले सो जाते हैं? आपने फ़रमायाः "आयशा! मेरी आँखें तो सो जाती हैं लेकिन दिल नहीं सोता।"

फ़ायदाः- इस हदीस से साबित हो रहा है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने तहज्जुद की ज़्यादा से ज़्यादा आठ रकअतें पढ़ी हैं और उन के बाद जो तीन रकअतें पढ़ते थे वह नमाज़े वित्र होती थी। उन तहज्जुद की आठ रकअतों को तरावीह बनाना निरा मुग़ालता है। यह आठ रकअतें तो वह हैं जो रमज़ान और ग़ैर रमज़ान जुम्ला महीनों में पढ़ी जाती थीं। नबी करीम ﷺ ने मामूल बना कर नमाज़े तरावीह तो पढ़ी या पढ़ाई ही नहीं है। नीज़ यह बात भी इस हदीस से मालूम हुई कि सोते में भी रसूलुल्लाह ﷺ का दिल नहीं सोता था यानी आप ख़्वाब की हालत में भी अपनी और उम्मत के हालात से बेख़बर नहीं होते थे। लिहाज़ा बेदारी के औक़ात को तो पूछना ही किया। मालूम हुआ कि आप हर हालत में शाने यकताई रखते थे, यानी आप की हर हालत ही निराली थी।

हदीस 1079:- सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को रात की इबादत में कभी बैठ कर क़िरअत करते हुए नहीं देखा, हत्ता कि जब बुढ़ापा तारी हो गया तो बैठ कर पढ़ते, जब किसी सूरत में तीस या चालीस आयतें बाक़ी रहतीं, तो खड़े होकर पढ़ते और रुकूअ करते।

बाब 732:- रात दिन बा-वुज़ू रहने की फ़ज़ीलत और वुज़ू के बाद रात दिन में नमाज़ की फ़ज़ीलतः

हदीस 1080:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने बिलाल ﷺ से नमाज़े फ़ज्र के वक़्त फ़रमायाः "बिलाल! मुझे बताओ ज़मानए इस्लाम में तुमने सबसे ज़्यादा उम्मीद का कौन सा काम किया है? क्योंकि मैंने तुम्हारे जूतों की आहट जन्नत में सुनी है।" बिलाल ﷺ ने जवाब दिया, मैंने उम्मीद का यह काम किया, मैंने रात और दिन में किसी भी वक़्त वुज़ू किया हो तो उस वुज़ू से जिस क़दर मेरे मुक़द्दर में था नमाज़ पढ़ी। अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी) "दफ़ नअलैक" से मुराद (जूतों की) हरकत है।

बाब 733:- इबादत में (ग़ैर मामूली मशक़्क़त) उठाना मकरूह है:

हदीस 1081:- अनस बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ तशरीफ़ लाए तो

देखा कि दो सुतूनों के दरमियान रस्सी खींची हुई है। फरमाया: "यह रस्सी कैसी है?" लोगों ने कहा, यह ज़ैनब رضي الله عنها की रस्सी है जब वह थक जाती हैं तो इससे लटक जाती हैं। रसूलुल्लाह ﷺ ने फरमाया: "नहीं, इसे खोल दो।" फरमाया: "हर शख़्स अपनी खुशी (और आमादगी) से नमाज़ पढ़े, जब थकावट महसूस हो तो बैठ रहे। उरवह رضي الله عنه सय्यदा आयशा رضي الله عنها से रिवायत करते हैं, उन्होंने फरमाया, मेरे पास बनी असद की एक औरत बैठी थी, इतने में रसूलुल्लाह ﷺ मेरे हां तशरीफ लाए, फरमाया: "यह कौन है?" मैंने कहा यह फुलां औरत है जो रात भर नहीं सोती, फिर उसकी नमाज़ का ज़िक्र छेड़ दिया। आपने फरमाया: "खामोश रहो, तुम वही आमाल अपने ऊपर लाज़िम करो जिनकी तुम्हें ताकत हो, अल्लाह तआला (अज्र देने में नहीं) उकताता, जब तक तुम (इबादत से) न उकता जाओ।"

बाब 734:- जो शख़्स रात को कयाम करता था बादे अज़ां उसे तर्क करने में कराहतः

हदीस 1082:- अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मुझे रसूलुल्लाह ﷺ ने फरमायाः "अब्दुल्लाह तुम उस शख़्स की तरह न हो जाओ जो रात को जागता था फिर रात का कयाम तर्क कर दिया।"

बाब 735:- कयामे लैल और रोज़ों में एतेदाल रखा जाएः

हदीस 1083:- अब्दुल्लाह बिन अम्र رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मुझे रसूलुल्लाह ﷺ ने फरमायाः "मुझे पता चला है तुम रात को कयाम करते और दिन को रोज़े रखते हो।" मैंने अर्ज़ किया, मैं यह करता हूं। फरमायाः "जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी आंख कमज़ोर और तबियत सुस्त हो जाएगी, तुम्हारी जान और बाल बच्चों का भी तुम पर हक है, रोज़ा रखो और इफ़्तार भी करो, रात को जागो भी और सोओ भी।"

बाब 736:- रातों को उठ कर नामज़ पढ़ने वाले की फज़ीलतः

हदीस 1084:- उबादह बिन सामित رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फरमायाः "जो शख़्स रात को उठे, और "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ" "नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह, वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। उसी की बादशाही और उसी के लिये सब तारीफें हैं। वह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। सब तारीफें अल्लाह के लिये हैं और अल्लाह पाक है और नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह और अल्लाह बहुत बड़ा है और न ताकत है और न कुव्वत मगर अल्लाह के साथ।" पढ़े और फिर कहे "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي" "ऐ अल्लाह! मुझे बख़्श दे।" (या कोई भी) दुआ करे तो उसकी दुआ कुबूल होती है, अगर उसने वुज़ू किया तो उसकी नमाज़ कुबूल होती है।"

हदीस 1085:- हैसम बिन अबी सनान ने अबू हुरैरह رضي الله عنه को अपने वअज़ में कहते हुए सुना, वह रसूलुल्लाह ﷺ का ज़िक्रे ख़ैर कर रहे थे कि तुम्हारा भाई यानी अब्दुल्लाह बिन रवाहा رضي الله عنه लग़व बात नहीं करता।

हम में खुदा के रसूल हैं जो उसकी किताब पढ़ते हैं, जब फज्र तुलूअ होती है हमें राहे रास्त दिखाई जबकि हम जहालत में थे चुनान्चे हमें कामिल यकीन है कि जो कुछ आप फरमाते हैं वह होकर रहेगा। वह रात इस तरह गुज़ारते हैं कि उनका जिस्म बिस्तर से अलग होता है जबकि मुश्रिकीन से बिस्तर

बोझल होते हैं।

हदीस 1086:– इब्ने उमर رضی اللہ عنہما रिवायत करते हैं, मैंने अहदे रिसालत मआब ﷺ में एक ख़्वाब देखा, मेरे हाथ में एक रेशमी कपड़ा है और जन्नत के जिस हिस्से में जाना चाहता हूं वह मुझे उड़ा ले जाता है। मैंने देखा कि दो शख़्स मेरे पास आए और मुझे जहन्नम की तरफ़ ले जाना चाहा और उन दोनों से एक फ़रिश्ता मिला और कहा इसे छोड़ दो और मुझे कहा डरो नहीं। सय्यदा हफ़सह رضی اللہ عنہا ने रसूलुल्लाह ﷺ से मेरे दो ख़्वाबों में से एक ख़्वाब बयान किया तो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अब्दुल्लाह! बहुत अच्छा आदमी है काश! वह रात को नमाज़ पढ़ता।" चुनान्चे अब्दुल्लाह रात को नमाज़ पढ़ते और लोग रसूलुल्लाह ﷺ के सामने अपने अपने ख़्वाब बयान करते कि शबे क़दर माहे रमज़ान के आख़िरी अशरे की सातवीं रात को है। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मैं देखता हूं कि तुम्हारे ख़्वाब आख़िरी अशरे के मुताल्लिक़ मुत्तफ़िक़ हो गए, ज़ो शख़्स उसे तलाश करे तो वह आख़िरी अशरे में तलाश करे।"

बाब 737:– फ़ज्र की (मस्नून) दो रक़अतों की पाबन्दी करना:

हदीस 1087:– सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने इशा की नमाज़ पढ़ी, फिर आठ रक्अतें और दो रक्अतें बैठ कर पढ़ीं और दो रक्अतें दोनों निदाओं (अज़ान व अक़ामत) के दरमियान पढ़ीं, और उन दोनों रक्अतों को कभी न छोड़ते थे।

बाब 738:– नमाज़े फ़ज्र की दो रकअतों के बाद दाहिनी करवट पर लेटना:

हदीस 1088:– सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जब फ़ज्र की दो रकअत सुन्नत पढ़ते तो दाएं पहलू पर लेट जाते।

बाब 739:– जो दो रकअतों के बाद बात चीत करे और न लेटे:

हदीस 1089:– सय्यदा आशा رضی اللہ عنہا रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जब नमाज़ पढ़ लेते और मैं जाग रही होती तो मुझ से बातें करते वरना लेट जाते हत्ता कि नमाज़ के लिए अज़ान कही जाती।

बाब 740:– वह रिवायात जो दो, दो नफ़्ल पढ़ने से मुताल्लिक़ मन्क़ूल हैं:

यह अम्मार, अबूज़र, अनस, जाबिर बिन ज़ैद, इकरमह, और ज़ुहरी رضی اللہ عنہم से मन्क़ूल है। यहया बिन सईद ने बयान किया कि हम ने अपने शहर के फ़ुक़्हा को देखा कि दिन की नमाज़ में भी दो रकअतों पर सलाम फेर देते थे।

हदीस 1090:– जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضی اللہ عنہما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ हमें हर अम्र में इस्तिख़ारा करने की तल्क़ीन फ़रमाते थे जैसे क़ुरआने मजीद की कोई सूरत सिखाते, चुनान्चे आप फ़रमाया करते थे: "जब तुम में से कोई किसी काम का इरादा करे तो फ़र्ज़ के अलावा दो रकअत नमाज़ (नफ़्ल) पढ़े, फिर यह दुआ पढ़े।

"اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَسْتَخِیْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِیْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَآ اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَآ اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَیْرٌ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ اَوْ قَالَ عَاجِلِ اَمْرِیْ وَاٰجِلِهٖ فَاقْدُرْهُ لِیْ وَیَسِّرْهُ لِیْ ثُمَّ بَارِكْ لِیْ فِیْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ اَوْ قَالَ فِیْ عَاجِلِ اَمْرِیْ وَاٰجِلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّیْ

وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي۔"

"ऐ अल्लाह! मैं तुझ से तेरे इल्म के ज़रिए ख़ैर तलब करता हूं, तेरी क़ुदरत के सबब से ताक़त चाहता हूं, तेरा फ़ज़्ले अज़ीम चाहता हूं, तुझे क़ुदरत है मुझे क़ुदरत हासिल नहीं, तू आलिम है मुझे इल्म नहीं; तू ग़ैब का जानने वाला है। ऐ अल्लाह! तू जानता है अगर यह काम मेरे दीन, मआश और नतीजे के एतेबार से बेहतर है तो तू इसे मेरे लिए मुक़द्दर फ़रमादे और मेरे लिए इसमें आसानी फ़रमा, फिर इसमें मेरे लिए बरकत डाल दे, तू जानता है अगर यह उम्र मेरे दीन, मआश और (फिर) नतीजे के लिहाज़ से मुज़िर है तो इसे मुझसे फेर दे और मुझे बाज़ रख और मेरे नसीब में भलाई लिखदे, जहां भी हो, फिर मुझे राज़ी रख।" आपने फ़रमायाः "उसके पढ़ने के बाद फिर अपना मुद्दआ पेश करे।"

फ़ायदाः– हर अहम काम से पहले इस्तिख़ारा करना सुन्नत है। यह गोया ख़ुदा से मशवरा लेना है। चार रकअत नफ़्ल पढ़ने के बाद मज़्कूरा दुआ पढ़ी जाती है और नमाज़े इस्तिख़ारा पढ़ने वाला इस दुआ के बाद बारगाहे ख़ुदावन्दी में अपनी हाजत अर्ज़ करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी रहनुमाई फ़रमाएगा। इन शा अल्लाहु तआला।

हदीस 1091:– अबू क़तादह बिन रिबई अन्सारी ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "जब तुम में से कोई शख़्स मस्जिद में आए तो बैठने से पहले दो रक़अत नमाज़ पढ़ले।"

हदीस 1092:– अनस बिन मालिक ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने हमें दो रकअत नमाज़ पढ़ाई, फिर तशरीफ़ ले गए।

हदीस 1093:– अब्दुल्लाह बिन उमर ؓ रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ के साथ दो रकअत ज़ुहर से पहले, दो रकअत उसके बाद, दो रकअत जुम्आ के बाद, दो रकअत मग़रिब के बाद और दो रकअत इशा के बाद पढ़ीं।

हदीस 1094:– जाबिर बिन अब्दुल्लाह ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने ख़ुत्बा देते हुए फ़रमायाः "जब तुम में से कोई शख़्स इमाम के ख़ुत्बा के दौरान या ख़ुत्बा के लिए उठ चुका हो तो दो रकअतें पढ़ले।"

हदीस 1095:– मुजाहिद रिवायत करते हैं, मैं इब्ने उमर ؓ के पास उनकी क़यामगाह पर गया तो उन्हें बताया गया कि रसूलुल्लाह ﷺ कअबा में तशरीफ़ ले जा चुके हैं। इब्ने उमर ؓ कहते हैं, जब मैं कअबा के सामने आया तो आप उससे बरआमद हो चुके थे और बिलाल ؓ को दरवाज़े पर खड़ा देखा। मैंने पूछा, बिलाल! रसूलुल्लाह ﷺ ने कअबा में नमाज़ पढ़ी? बिलाल ؓ ने कहा हां। मैंने पूछा कहां? जवाब दिया, उन दोनों सुतूनों के दरमियान, फिर बाहर निकले और कअबा के सामने दो रकअत पढ़ी। अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी) कहते हैं, अबू हुरैरह ؓ फ़रमाते हैं, मुझे रसूलुल्लाह ﷺ ने चाश्त की दो रकअतें पढ़ने की ताकीद फ़रमाई। इतबान ؓ कहते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ और अबू बकर ؓ हमारे पास तशरीफ़ लाए जब दिन चढ़ चुका था, हमने आपके पीछे सफ़ बांधी और आपने दो रकअत नमाज़ पढ़ी।

बाब 741:– फ़ज्र की (मसनूना) दो रकअतों के बाद बात चीत करनाः

हदीस 1096:– सय्यदा आयशा ؓ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ दो रकअत (सुन्नत)

अदा करते थे। अगर मैं जागती होती तो आप मुझ से बात चीत करते वरना लेट जाते। मैं (अली बिन अब्दुल्लाह) ने सुफ़यान से पूछा, बाज़ उन्हें फ़ज्र की दो रकअतें बताते हैं? सुफ़यान ने कहा यही दुरुस्त है।

बाब 742:- सुबह की दो रकअतों का इल्तिज़ाम और बाज़ ने उन्हें नवाफ़िल कहा:

हदीस 1097:- सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ किसी नफ़्ल का इस क़दर इल्तिज़ाम न फ़रमाते थे जिस क़दर पाबन्दी से सुबह की दो रकअतें पढ़ते थे।

बाब 743:- सुबह की दो रकअतों में क्या पढ़ा जाए:

हदीस 1098:- सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ रात को तेरह रकअतें पढ़ा करते और जब सुबह की अज़ान सुनते तो दो हल्की फुल्की रकअतें पढ़ते।

हदीस 1099:- सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़े फ़ज्र से पहले की दो रकअतें इस क़दर हल्की फुल्की पढ़ते कि हमें गुमान गुज़रता शायद आपने सूरए फ़ातिहा ही पढ़ी है।

बाब 744:- फ़र्ज़ों के बाद नवाफ़िल:

हदीस 1100:- इब्न उमर رضی اللہ عنہما रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ के साथ नमाज़ पढ़ी। दो रकअत ज़ुहर से पहले और दो ज़ुहर के बाद, दो मग़रिब के बाद, दो रकअत बाद नमाज़े इशा, और दो रकअत जुम्आ के बाद पढ़ीं लेकिन मग़रिब और इशा के वक़्त अपने घर पर अदा फ़रमाते। नाफ़ेअ رضی اللہ عنہ से रिवायत है, मेरी हमशीरा हफ़सह رضی اللہ عنہا ने बयान किया, रसूलुल्लाह ﷺ तुलूए फ़ज्र के बाद हल्की फुल्की दो रकअतें पढ़ते और वह ऐसा वक़्त था मैं रसूलुल्लाह ﷺ के पास नहीं जाता था।

बाब 745:- जो फ़र्ज़ के बाद नवाफ़िल न पढ़े:

हदीस 1101:- इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہما रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह आठ और सात रकअतें एक साथ अदा कीं। मैं बोला, अबुल शअसा! मेरा ख़्याल है ज़ुहर ताख़ीर से और अस्र ताजील से पढ़ी, इशा ताजील से और मग़रिब ताख़ीर से पढ़ी होगी। उन्होंने कहा मेरा भी यही गुमान है।

बाब 746:- सफ़र में नमाज़े चाश्त:

हदीस 1102:- मूरिक़ रिवायत करते हैं, मैंने इब्ने उमर رضی اللہ عنہما से कहा, आप नमाज़े चाश्त पढ़ते हैं? कहा नहीं। मैंने पूछा उमर رضی اللہ عنہ! कहा नहीं। मैंने पूछा अबू बकर رضی اللہ عنہ! कहा नहीं। मैंने पूछा रसूलुल्लाह ﷺ! कहा मेरा ख़्याल है नहीं।

हदीस 1103:- अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, हमें किसी ने नहीं बताया कि हम ने रसूलुल्लाह ﷺ को नमाज़े चाश्त अदा करते देखा, बजुज़ उम्मे हानी के। वह बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ फ़तेह मक्का के दिन उन के घर तशरीफ़ लाए तो ग़ुस्ल फ़रमाया और आठ रकअत नमाज़ अदा की। मैंने उससे बढ़ कर और कोई नमाज़ हल्की फुल्की नहीं देखी, हां अल्बत्ता उसके रुकूअ सजूद पूरे करते थे।

बाब 747:- जो नमाज़े चाश्त न पढ़े और (पढ़ने न पढ़ने दोनों को) जाइज़ जाने:

हदीस 1104:- सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا रिवायत करती हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को (अगर्चे) चाश्त की नमाज़ पढ़ते नहीं देखा लेकिन मैं पढ़ती हूं।

बाब 748:- अपने घर पर नमाज़े चाश्त पढ़ना:

इसे इतबान बिन मालिक رضی اللہ عنہ ने रसूलुल्लाह ﷺ से नक़्ल किया।

हदीस 1105:- अबू हुरैरा رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मुझे मेरे ख़लील (दोस्त) ने तीन बातों की ताकीद फ़रमाई है, मैं उन्हें तादमे आख़िर नहीं छोड़ूंगा। हर माह तीन रोज़े, नमाज़े चाश्त और वित्र पढ़ कर सोना।

हदीस 1106:- अनस बिन मालिक अन्सारी رضي الله عنه रिवायत करते हैं, एक अन्सारी ने जो फ़रबा जिस्म थे, रसूलुल्लाह ﷺ से अर्ज़ किया, मैं आपके साथ पूरी नमाज़ में शरीक नहीं हो सकता। चुनान्चे उसने रसूलुल्लाह ﷺ के लिए खाना तय्यार किया और अपने घर दावत दी और आपके लिए चटाई के एक कोने पर पानी छिड़का और आपने उस पर दो रकअत नमाज़ पढ़ी और फ़ुलां बिन फ़ुलां बिन जारूद ने अनस رضي الله عنه से पूछा क्या रसूलुल्लाह ﷺ चाश्त की नमाज़ पढ़ते थे? बोले, मैंने उस दिन के अलावा कभी आपको चाश्त पढ़ते नहीं देखा।

बाब 749:- ज़ुहर से पहले दो रकअत (मसनूना):

हदीस 1107:- इब्ने उमर رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से दस रकअतें याद रखीं, दो रकअत ज़ुहर से पहले, दो रकअत ज़ुहर के बाद, दो रकअत बादे मग़रिब अपने घर पर और दो अपने घर में इशा के बाद, और दो रकअतें नमाज़े फ़ज्र से पहले। यह ऐसा वक़्त था जबकि कोई शख़्स आपके पास न जा सकता था। मुझ हफ़सह رضي الله عنها ने बताया जब मुअज़्ज़िन अज़ान कहता और सुबहे सादिक़ हो जाती तो आप दो रकअतें पढ़ते।

हदीस 1108:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ज़ुहर से पहले चार और फ़ज्र से पहले दो रकअतें कभी न छोड़ते।

बाब 750:- मग़रिब से पहले नमाज़ पढ़ना:

हदीस 1109:- अब्दुल्लाह मुज़नी رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मग़रिब से पहले नमाज़ पढ़लो।" तीसरी बार फ़रमाया: "जिसे यह पसन्द हो।" आपने इसे मुनासिब न जाना कि लोग उसे (लाज़िमी) सुन्नत न बनालें।

हदीस 1110:- मरसद बिन अब्दुल्लाह अलयज़नी रिवायत करते है, मैं उक़बह बिन आमिर जुहनी رضي الله عنه के पास आया, मैंने कहा क्या तुम्हें अबू तमीम رضي الله عنه की तरफ़ से यह बात अजीब मालूम नहीं होती कि वह मग़रिब से पहले दो रकअतें पढ़ते हैं? उक़बह رضي الله عنه ने कहा हम रसूलुल्लाह ﷺ के ज़माने में इसी तरह किया करते थे। मैंने कहा फिर अब तुम्हें कौन सी चीज़ रोकती है? जवाब दिया मश्ग़ूलियत।

बाब 751:- नवाफ़िल बा-जमाअत अदा करना:

इसे अनस رضي الله عنه और सय्यदा आयशा رضي الله عنها ने रसूलुल्लाह ﷺ से नक़्ल किया।

हदीस 1111:- महमूद बिन रबीअ अन्सारी रिवायत رضي الله عنه करते हैं, मुझे रसूलुल्लाह ﷺ याद हैं और वह कुल्ली भी याद है जो मेरे चेहरे पर आपने हमारे घर के कुवें से लेकर की थी। वह कहते हैं, मैंने इतबान बिन मालिक अन्सारी رضي الله عنه जो ग़ज़वए बदर में रसूलुल्लाह ﷺ के साथ शरीक हुए थे, कहते हुए सुना। मैं अपनी क़ौम बनी सालिम को नमाज़ पढ़ाता था और मेरे और उनके दरमियान एक वादी थी। जब बरसात होती तो मेरे लिए उनकी मस्जिद में जाना दुशवार होता। मैं रसूलुल्लाह ﷺ के पास आया और कहा, मेरी नज़र कमज़ोर है और जो वादी मेरे और मेरी क़ौम के दरमियान हाइल है, बारिश के दिनों में मेरे लिए वहां पहुंचना सख़्त मुश्किल हो जाता है, इस लिए मेरी ख़्वाहिश है कि आप

मेरे घर पर क़दम रंजा फ़रमाएं और आप एक जगह नमाज़ पढ़ें ताकि मैं उसे (मुस्तक़िल) जाए नमाज़ बनालूं। आपने फ़रमायाः "मैं ऐसा करूंगा।" चुनान्चे सुबह के वक़्त जब धूप ख़ूब चमक रही थी, रसूलुल्लाह ﷺ और अबू बकर رضی اللہ عنہ मेरे हां तशरीफ़ लाए। रसूलुल्लाह ﷺ ने इजाज़त चाही तो मैंने आपको इजाज़त देदी। आप अभी बैठ नहीं पाए थे कि फ़रमायाः "तुम्हें घर में कौन सी जगह पसन्द है जहां मैं नमाज़ पढ़ूं।" मैंने एक जगह की तरफ़ इशारा किया जिस में नमाज़ पढ़ना पसन्द करता था। फिर रसूलुल्लाह ﷺ खड़े हुए, तकबीर कही और हम आपके पीछे सफ़ें बना कर खड़े हो गए। आपने दो रकअत नमाज़ पढ़ी, आपने सलाम फेरा, हमने भी सलाम फेरा। जब आप सलाम फेर चुके, मैंने आपको ख़ज़ीरह (एक तरह का ख़ास खाना) के लिए रोक लिया जो (ख़ास) आपके लिए तय्यार किया गया था। जब दूसरों ने मेरे घर में रसूलुल्लाह ﷺ की आवाज़ सुनी तो दौड़ते हुए आए हत्ता कि मेरे घर अच्छा ख़ासा हुजूम हो गया। उनमें से एक ने कहा मालिक को क्या हुआ? वह नज़र नहीं आ रहा? उनमें से एक शख़्स ने कहा, वह मुनाफ़िक़ है अल्लाह तआला और उसके रसूल से उसे मुहब्बत नहीं। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "यूं न कहो, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि वह लाइलाह इल्लल्लाहा कहता है और उससे खुदा की खुशनूदी तलब करता है।" तो वह बोला अल्लाह और रसूल बेहतर जानते हैं, (वैसे) हम तो उसकी रग़बत और गुफ़्तगू मुनाफ़िक़ीन ही से देखते हैं। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "खुदा लाइलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले पर जहन्नम की आग हराम कर देता है जबकि वह उस से खुशनूदीए रब का तालिब हो।" महमूद رضی اللہ عنہ कहते हैं, मैंने इसे एक इज्तिमा में बयान किया जिसमें सहाबिए रसूल अबू अय्यूब (अन्सारी) رضی اللہ عنہ भी थे और उस जंग में बयान किया जिसमें उनकी वफ़ात हुई। उस वक़्त रूम में यज़ीद बिन मुआवियह हाकिम था। अबू अय्यूब رضی اللہ عنہ ने हमारी इस हदीस का इन्कार किया और कहा बखुदा जो तुम कह रहे हो, मेरे ख़्याल में रसूलुल्लाह ﷺ ने ऐसा नहीं फ़रमाया। यह बात मुझे नागवार गुज़री और मैंने अल्लाह के लिए नज़र मानी, अगर वह मुझे सही व सालिम रखे यहां तक कि मैं इस जंग से वापस हो जाऊं तो इसके मुताल्लिक़ इतबान बिन मालिक رضی اللہ عنہ से पूछूंगा, अगर मैंने उन्हें उनकी क़ौम की मस्जिद में मौजूद पाया। चुनान्चे मैं ग़ज़वह से लौटा, मैंने हज या उमरह का इहराम बांधा फिर चला और मदीना मुनव्वरा पहुंचा। मैं बनी सालिम के पास गया तो देखा तो इतबान ज़ईफ़ और नाबीना हो चुके हैं और अपनी क़ौम को नमाज़ पढ़ाते हैं। जब वह नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो मैंने उन्हें सलाम किया और बताया मैं कौन हूं? फिर मैंने उनसे हदीस के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया, तो उन्होंने मुझ से उसी तरह बयान किया जिस तरह पहली बार बयान किया था।

बाब 752:- घर में नवाफ़िल पढ़नाः

हदीस 1112:- इब्ने उमर رضی اللہ عنہما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "अपने घरों में (भी) नमाज़ें पढ़ा करो और उन्हें क़ब्रिस्तान न बनाओ।"

बाब 753:- मक्का (मुकर्रमा) और मदीना (मुनव्वरा) की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलतः

हदीस 1113:- क़ज़अह रिवायत करते हैं, मैंने अबू सईद खुदरी رضی اللہ عنہ को चार मर्तबा यह कहते सुना कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते सुना और वह रसूलुल्लाह ﷺ के साथ बारह ग़ज़वात में शरीक हुए थे। सुफ़यान, ज़ुहरी और सईद, हज़रत अबू हुरैरह رضی اللہ عنہ से रिवायत करते हैं, उन्होंने

फ़रमाया: "तीन मस्जिदों के अलावा किसी (सिम्त) सामाने सफ़र न बांधा जाए, मस्जिदे हराम, मस्जिदे नबवी और मस्जिदे अक़्सा।"

हदीस 1114:– अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मेरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ना ख़ानए कअबा के अलावा दीगर तमाम मसाजिद की हज़ार नमाज़ से बेहतर है।"

बाब 754:– मस्जिदे क़ुबा:

हदीस 1115:– नाफ़ेअ ﷺ रिवायत करते हैं, इब्ने उमर ﷺ सिर्फ़ दो दिन नमाज़े चाश्त पढ़ते थे। पहले जिस दिन मक्का में आए क्योंकि वहां वह ऐन चाश्त के वक़्त पहुंचे थे और ख़ानाए कअबा का तवाफ़ करते, फिर मक़ामे इब्राहीम के पीछे नमाज़ पढ़ते। दूसरे दिन क़ुबा में आते और वह उस में हर हफ़्ते के दिन आते, जब वह उस मस्जिद में दाख़िल होते तो वह यह पसन्द न करते कि उस से नमाज़ पढ़े बग़ैर वापस चले जाएं। इब्ने उमर ﷺ फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ सवार और प्यादा-पा उसकी ज़्यारत के लिए आते थे। मैं (भी) उसी तरह आता हूं जिस तरह अपने साथियों को करते देखा और न मैं किसी को रोकता हूं कि रात और दिन के जिस हिस्से में चाहे नमाज़ पढ़े मगर यह कि सूरज के तुलूअ और ग़ुरूब के वक़्त नमाज़ का इरादा न करे।

बाब 755:– जो मस्जिदे क़ुबा में हर हफ़्ते को आए:

हदीस 1116:– इब्ने उमर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ हर हफ़्ते के दिन मस्जिदे क़ुबा में कभी प्यादा-पा और कभी सवार होकर आते और अब्दुल्लाह (बिन उमर ﷺ ख़ुद) भी ऐसा ही किया करते थे।

बाब 756:– मस्जिदे क़ुबा में पैदल और सवार होकर आना:

हदीस 1117:– इब्ने उमर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ क़ुबा में सवार और प्यादा-पा तशरीफ़ लाए। इब्ने नुमैर ने यह इज़ाफ़ा किया कि हमें उबैदुल्लाह ने नाफ़ेअ ﷺ के हवाले से बताया कि वहां दो रकअत नमाज़ अदा करते थे।

बाब 757:– क़ब्रे (मुबारक) और मिम्बरे (नबवी) के दरमियानी हिस्से की फ़ज़ीलत:

हदीस 1118:– अब्दुल्लाह बिन ज़ैद माज़िनी ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मेरे घर और मिम्बर के दरमियान जन्नत के बाग़ों में से एक बाग़ है।"

हदीस 1119:– अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मेरे घर और मिम्बर के दरमियान जन्नत के बाग़ात में से एक बाग़ है और मेरा मिम्बर मेरे हौज़ पर है।"

फ़ायदा:– नबीए करीम ﷺ के काशानए अक़्दस और आप के मिम्बर शरीफ़ के दरमियान वाली जगह जन्नत के बाग़ात में से एक बाग़ है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिम्बर आप के हौज़ पर होगा। लफ़्ज़ "हौज़ी" से मालूम हो रहा है कि ख़ुदाए ज़ुलमिनन ने हौज़े कौसर आप को दुनिया में ही अता फ़रमा दिया था जैसा कि सूरए कौसर में इरशादे बारी तआला है कि: "إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝" यानी बेशक हमने तुम्हें कौसर अता फ़रमा दिया। कौसर की अगर्चे बहुत सी तफ़सीरें हैं जिन में से एक तफ़सीर हौज़े कौसर भी है यानी इस आयत में परवरदिगारे आलम ने फ़रमाया है कि ऐ महबूब! हमने तुम्हें हौज़े कौसर अता फ़रमा दिया है। "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى ذٰلِكَ"

बाब 758:– बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद:

हदीस 1120:- ज़ियाद के आज़ाद करदा गुलाम क़ज़अह रिवायत करते हैं, मैंने अबू सईद ख़ुदरी ﷺ को रसूलुल्लाह ﷺ से चार बातें बयान करते हुए सुना जो मुझे अच्छी और ख़ुशगवार मालूम हुईं। फ़रमायाः "औरत दो दिनों का सफ़र इस तरह न करे कि उसका ख़ाविन्द या कोई महरम उसके साथ न हो। ईदुल फ़ित्र और ईदुल ज़ुहा के दिन रोज़ा न रखा जाए और नमाज़ इन दो नमाज़ों के बाद न पढ़े, एक फ़ज्र के बाद जब तक सूरज न निकल आए और अस्र के बाद जब तक सूरज डूब न जाए और न बजुज़ तीन मसाजिद के किसी मस्जिद की तरफ़ सामाने सफ़र बांधे मस्जिदे हराम, मस्जिदे अक़सा और मेरी मस्जिद।"

बाब 759:- नमाज़ में हाथ से नमाज़ के किसी काम में मदद लेनाः

इब्ने अब्बास ﷺ फ़रमाते हैं, आदमी अपने जिस्म में से जिस से चाहे नमाज़ में मदद ले। अबू इस्हाक़ ने अपनी टोपी नमाज़ में रखी और उसे उठाया। अली ﷺ अपना हाथ अपने बाएं पहुंचे पर रखते थे मगर यह कि अपना जिस्म खुजलाएं या अपने कपड़े को दुरुस्त करें।

हदीस 1121:- इब्ने अब्बास ﷺ के आज़ाद करदा गुलाम कुरैब रिवायत करते हैं कि इब्ने अब्बास ﷺ ने अपनी ख़ाला उम्मुल मोमिनीन मैमूनह ﷺ के हां रात बसर की। इब्ने अब्बास ﷺ कहते हैं, मैं बिस्तर के अर्ज़ और रसूलुल्लाह ﷺ और आपकी ज़ौजा उसके तूल में लेटे। निस्फ़ शब या उससे कुछ पहले या बाद तक रसूलुल्लाह ﷺ सोए रहे, फिर रसूलुल्लाह ﷺ जागे और अपने हाथों से नींद का खुमार अपने चेहरे से दूर किया और फिर सूरए आले इमरान की आख़िरी दस आयात तिलावत कीं, बादे अज़ां एक लटकी हुई मशक के पास गए, उस से अच्छी तरह वुज़ू किया, फिर नमाज़ पढ़ने खड़े हो गए। इब्ने अब्बास ﷺ कहते हैं, मैं भी खड़ा हो गया और वह कुछ किया जो आपने किया, फिर मैं जाकर आपके पहलू में खड़ा हो गया। आपने अपना दायां हाथ मेरे सर पर रख कर मेरे दाएं कान को अपने हाथ से मला, फिर आपने दो रकअत नमाज़ पढ़ी, फिर दो रकअत, फिर दो रकअत, फिर दो रकअत, फिर दो रकअत और फिर दो रकअत पढ़ी, फिर वित्र पढ़े और लेट गए यहां तक कि मुअज़्ज़िन आया तो आप उठ खड़े हुए और दो हल्की फुल्की रकअतें पढ़ कर बाहर निकले और नमाज़े फ़ज्र पढ़ाई।

बाब 760:- नमाज़ में बात चीत की मुमानिअतः

हदीस 1122:- अब्दुल्लाह बिन मसऊद ﷺ रिवायत करते हैं, हम रसूलुल्लाह ﷺ को नमाज़ के दौरान सलाम करते थे तो आप हमें जवाब देते। जब हम नज्जाशी से वापस आए तो हमने आप को सलाम किया तो आपने हमें जवाब न दिया और फ़रमायाः "नमाज़ में सिर्फ़ खुदा की तरफ़ तवज्जह होती है।"

हदीस 1123:- अब्दुल्लाह बिन मसऊद ﷺ रसूलुल्लाह ﷺ से उसी की मानिन्द रिवायत करते हैं।

हदीस 1124:- इब्ने अम्र शैबनी रिवायत करते हैं, कि मुझे ज़ैद बिन अरक़म ﷺ ने कहा, हम रसूलुल्लाह ﷺ के ज़माने में नमाज़ की हालत में गुफ़्तगू करते थे और हम में से एक शख़्स दूसरे से अपना काम काज बयान करता था। यहां तक कि यह आयत उतरीः "अपनी नमाज़ों की मुहाफ़िज़त करो।" तो हमें नमाज़ में ख़ामोश रहने का हुक्म दे दिया गया।

बाब 761:-मर्दों के लिए नमाज़ में सुब्हानल्लाह और अलहम्दु लिल्लाह कहने का जवाज़ः

हदीस 1125:- सहल ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ अम्र बिन औफ़ से सुलह के

मुज़ाकिरात करने की ग़र्ज़ से गए और नमाज़ का वक़्त आ गया। बिलाल رضي الله عنه, अबू बकर رضي الله عنه के पास आए और कहा रसूलुल्लाह ﷺ (मुज़ाकिरात) में फंस गए हैं बिना बरीं आप ही लोगों के इमाम बन जाइए। उन्होंने कहा अगर तुम्हारा ख़्याल है तो इक़ामत कहो। चुनान्चे बिलाल رضي الله عنه ने तकबीर कही और अबू बकर رضي الله عنه ने आगे बढ़ कर नमाज़ पढ़ानी शुरू की तो रसूलुल्लाह ﷺ सफ़ों को चीरते हुए अगली सफ़ में पहुंच गए तो लोगों ने तस्फ़ीह शुरू करदी। सहल رضي الله عنه ने कहा तुम्हें मालूम है "तस्फ़ीह" किसे कहते हैं? वह ताली बजाना है। अबू बकर رضي الله عنه नमाज़ में इधर उधर ध्यान नहीं करते थे लेकिन जब लोगों ने बहुत ज़्यादा तालियां पीटनी शुरू कीं तो मुड़ कर देखा, रसूलुल्लाह ﷺ पहली सफ़ में हैं। आपने इशारे से कहा, अपनी जगह पर रहो, लेकिन अबू बकर رضي الله عنه ने अपने हाथ उठाए और (अपनी इस क़दर अफ़ज़ाई पर) अल्लाह की हम्द व सना की, और पीछे हट गए और रसूलुल्लाह ﷺ ने आगे बढ़कर नमाज़ पढ़ाई।

बाब 762:– जिसने किसी कौम का नाम लिया या नमाज़ में मुख़ातब किए बग़ैर सलाम किया और उसे मालूम न हो:

हदीस 1126:– अब्दुल्लाह बिन मसऊद رضي الله عنه रिवायत करते हैं, हम नमाज़ में तशह्हुद पढ़ते थे और नाम लेते थे और हम में से कुछ एक दूसरे को सलाम करते। रसूलुल्लाह ﷺ ने यह सुना तो फ़रमाया: "कहो "اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبٰتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ" "तमाम ज़बानी इबादतें अल्लाह के लिये हैं और बदनी और माली भी। सलाम हो आप पर ऐ नबी और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें। सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बन्दों पर। मैं गवाही देता हूं कि नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह और मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद मुस्तफ़ा उसके बन्दे और रसूल हैं।" जब तुमने यह कहा तो तुमने (गोया) आसमान व ज़मीन में अल्लाह तआला के हर नेक बन्दे पर सलाम भेजा।

बाब 763:– ताली बजाना औरतों के लिए है:

हदीस 1127:– अबू हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मर्दों के लिए "तस्बीह" (सुब्हानल्लाह कहना) और औरतों के लिए "तस्फ़ीक़" (ताली बजाना) है।"

हदीस 1128:– सहल बिन सअद رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मर्दों के लिए सुब्हानल्लाह कहना और औरतों के लिए ताली बजाना है।"

बाब 764:– जो शख़्स नमाज़ में उलटे पांव फिरे या किसी काम की ग़र्ज़ से आगे बढ़े: इसे सहल बिन सअद رضي الله عنه ने रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत किया।

हदीस 1129:– अनस बिन मालिक رضي الله عنه रिवायत करते हैं, पीर को सुबह के वक़्त मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे थे और अबू बकर رضي الله عنه इमामत करा रहे थे, यकायक रसूलुल्लाह ﷺ उनके रूबरू आगए। सय्यदा आयशा رضي الله عنها के हुजरे का पर्दा उठा कर उन्हें देखा कि लोग सफ़ बस्ता हैं और मुस्कुरा दिए। अबू बकर رضي الله عنه अपनी एड़ियों के बल पीछे हटे और समझे कि रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़ के लिए आना चाहते हैं। मुसलमानों ने सोचा कि नमाज़ तोड़ दें, जब लोगों ने इन्तिहाई मुसर्रत के साथ रसूलुल्लाह ﷺ को देखा। आपने अपने हाथ के इशारे से नमाज़ मुकम्मल करने को कहा, फिर हुजरे

में चले गए और पर्दा गिरा दिया, और आपने उसी दिन वफ़ात पाई।

फ़ायदा:- इस हदीस में जो वाक़िआ बयान किया गया है वह रसूलुल्लाह ﷺ के रोज़े विसाल का है। मालूम हुआ कि आप ने पीर के रोज़ दिन के वक़्त विसाल फ़रमाया था। इस हदीस में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ رضی اللہ عنہ के ख़लीफ़ए बिला-फ़स्ल होने का बड़ा वाज़ेह इशारा मौजूद है। हज़रात ख़ुलफ़ाए राशिदीन में बिल-इत्तिफ़ाक़ सबसे पहला नम्बर सय्यिदिना अबू बकर सिद्दीक़ رضی اللہ عنہ ही का है जिन्हें रसूलुल्लाह ﷺ ने मुसलमानों की इमामत के लिये नामज़द फ़रमा दिया था। इसी लिये हज़रत अली मुर्तज़ा رضی اللہ عنہ ने फ़रमाया था कि नबी करीम ﷺ ने हज़रत अबू बकर رضی اللہ عنہ को हमारा दीनी उमूर में इमाम बना दिया था तो हमने अपने दुनियावी उमूर में भी उन्हें अपना अमीर बना लिया।

बाब 765:- जब मां अपने लड़के को नमाज़ में बुलाए:

लैस, जाफ़र और अब्दुर्रहमान बिन हुरमज़ के हवाले से अबू हुरैरह رضی اللہ عنہ से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "एक औरत ने अपने बेटे को बुलाया और वह अपने इबादत ख़ाने में था कि ऐ जुरैज! वह बोला ऐ अल्लाह! मेरी मां और मेरी नमाज़। मां ने फिर पुकारा ऐ जुरैज! उसने कहा ऐ अल्लाह! मेरी मां और मेरी नमाज़। उसकी मां ने फिर आवाज़ दी, ऐ जुरैज! जुरैज ने फिर कहा ऐ अल्लाह! मेरी मां और मेरी नमाज़। उसकी मां ने कहा ऐ अल्लाह! जुरैज उस वक़्त तक न मरे जब तक किसी ज़ानिया का मुंह न देख ले। एक औरत उसके मअबद के क़रीब आकर अपनी बकरियां चराया करती थी उसने बच्चा जना, उससे पूछा गया यह किस का बच्चा है? उसने कहा जुरैज का है, वह अपने इबादत ख़ाने से नीचे आया करता था। जुरैज ने कहा, वह औरत कहां है जो इसका दावा करती है कि उसका यह बच्चा मेरा है, और जुरैज ने बाबूस (उस बच्चे का नाम) से कहा ऐ मायूस! तुम्हारा बाप कौन है? उसने कहा एक चरवाहा।

बाब 766:- नमाज़ में कन्करियां हटाना:

हदीस 1130:- मुऐक़ीब رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने उस शख़्स के बारे में जो सज्दे की जगह पर मिट्टी बराबर करता है, फ़रमाया: "अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो एक दफ़ा करले।"

बाब 767:- नमाज़ में सज्दे के लिए कपड़ा बिछाना:

हदीस 1131:- अनस बिन मालिक رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, हम रसूलुल्लाह ﷺ के साथ गर्मी की शिद्दत में नमाज़ पढ़ते और जो कोई ज़मीन पर अपना चेहरा न रख सकता तो अपना कपड़ा फैला कर उस पर सज्दा करता।

बाब 768:- नमाज़ में क्या क्या जाइज़ है:

हदीस 1132:- सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا रिवायत करती हैं, मैं अपने पांव रसूलुल्लाह ﷺ के सामने फैलाए रखती और आप नमाज़ पढ़ रहे होते थे, जब आप सज्दे में जाते तो मेरा पावं दबा देते तो मैं उसे उठा लेती, जब खड़े हो जाते तो फिर फैला देती।

हदीस 1133:- अबू हुरैरह رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने एक नमाज़ पढ़ी और फ़रमाया: "शैतान मेरे सामने आया, मुझे नमाज़ तोड़ने पर बेहद मजबूर किया लेकिन अल्लाह तआला ने मुझे उस पर ग़लबा अता फ़रमाया और मैंने उसे पछाड़ दिया और इरादा किया कि उसे एक सुतून से

बांध दूं ताकि सुबह को तुम उसे (बचश्मे ख़ुद) देख सको। फिर मुझे हज़रत सुलैमान ؑ की वह बात याद आगई "ऐ मेरे रब! मुझे वह हुकूमत अता फ़रमा जो मेरे बाद फिर किसी को न मिले।" अल्लाह तआला ने उसे ज़लील व ख़्वार करके भगा दिया।"

बाब 769:- अगर किसी का जानवर नमाज़ के दौरान भाग जाएः

क़तादह ؓ कहते हैं, अगर चोर किसी का कपड़ा ले भागे तो उसका तआक़ुब करे और नमाज़ छोड़ दे।

हदीस 1134:- अरज़क़ बिन क़ैस रिवायत करते हैं, हम अहवाज़ में ख़ारिजियों से जंग कर रहे थे। हम नहर के एक किनारे पर थे, देखा कि एक शख़्स नमाज़ पढ़ रहा था और उसकी सवारी की बाग उसके हाथ में थी और सवारी बिदक रही थी और यह उसके पीछे जाता। शुअबह ؓ के मुताबिक़ वह शख़्स अबू बरज़इ अस्लमी ؓ थे। किसी ख़ारिजी ने कहा, इस बुड्ढे का बुरा हो। जब वह नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो फ़रमायाः मैंने तुम्हारी बात सुनी, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह छ, सात या आठ जंगों में शिर्कत की, और मैंने आपकी (दीन और लोगों के मामले में) आसानी को देखा है। मैं अपने जानवर के साथ लौटा, यह उस से बेहतर है कि मैं उसे छोड़ देता और वह अस्तबल में चला जाता और मेरे लिए वापसी मुश्किल हो जाती।

हदीस 1135:- सय्यदा आयशा ؓ फ़रमाती हैं, सूरज ग्रहन हुआ तो रसूलुल्लाह ﷺ खड़े हुए एक लम्बी सूरत पढ़ी, फिर रुकूअ किया तो उसे लम्बा किया, फिर अपना सर उठाया, फिर एक दूसरी सूरत शुरू की, फिर रुकूअ किया और पूरा किया और सज्दा किया। यही कुछ दूसरी रकअत में किया, फिर फ़रमायाः "यह दोनों अल्लाह की निशानियां हैं, जब तुम यह देखो तो नमाज़ पढ़ो, यहां तक सूरज ग्रहन ख़त्म हो जाए। मैंने अपनी इस जगह में वह तमाम चीज़ें देखीं जिन का मुझ से वादा किया गया यहां तक कि मैं जन्नत से ख़ोशा तोड़ लेने का इरादा कर रहा हूं, जब तुम ने मुझे देखा होगा कि मैं आगे बढ़ रहा हूं और मैंने दोज़ख़ भी देखी, कि उसके बाज़ हिस्से दूसरे हिस्सों को खा रहे हैं। तुम ने मुझे पीछे हटता देखा होगा, और मैंने उसमें अम्र बिन लुहयि को देखा और यही वह शख़्स है जिस ने "साइबह" की रस्मे बद निकाली।"

बाब 770:- नमाज़ में थूकना और फूंक मारना जाइज़ हैः

अब्दुल्लाह बिन उमर ؓ कहते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने नमाज़े कुसूफ़ में अपने सज्दे के दौरान फूंक मारी थी।

हदीस 1136:- इब्ने उमर ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने क़िब्ला की जानिब बलग़म देखी तो मस्जिद वालों पर नाराज़ हुए। फ़रमायाः "ख़ुदा तआला तुम्हारे क़िब्ला की तरफ़ है, चुनान्चे जब कोई नमाज़ में हो तो न थूके और न बलग़म फेंके।" फिर मिम्बर से उतरे और उसे अपने हाथों से खुरच कर साफ़ कर दिया। इब्ने उमर ؓ फ़रमाते हैं, जब तुम में से कोई शख़्स थूके तो अपनी बाएं तरफ़ थूके।

हदीस 1137:- अनस ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "जो शख़्स नमाज़ में होता है वह अपने रब से मुनाजात कर रहा होता है बिन बरीं न वह अपने सामने और न दाहिनी जानिब थूके बल्कि बाएं तरफ़ अपने बाएं पांव के नीचे थूके।"

बाब 771:- जो शख़्स लाइल्मी के बाइस नमाज़ में ताली बजाए तो उसकी नमाज़ फ़ासिद न होगीः इस ज़िम्न में सहल बिन सअद ﷺ रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत करते हैं।

बाब 772:- अगर नमाज़ी से कोई कहे कि आगे बढ़ो या इन्तिज़ार करो और उसने इन्तिज़ार किया तो कोई मुज़ायका नहींः

हदीस 1138:- सहल बिन सअद ﷺ रिवायत करते हैं, लोग रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह नमाज़ पढ़ते और तहबन्द छोटा होने के बाइस अपनी गर्दनों पर बांधे होते, तो औरतों से कहा जाता था, कि वह अपने सर न उठाएं जब तक मर्द सीधे होकर न बैठ जाएं।

बाब 773:- नमाज़ में सलाम का जवाब न दिया जाएः

हदीस 1139:- अब्दुल्लाह ﷺ (बिन मसऊद) रिवायत करते हैं, मैं रसूलुल्लाह ﷺ को हालते नमाज़ में सलाम किया करता था तो आप जवाब मर्हमत फ़रमाते, जब हम (हिजरते हब्शा से) वापस लौटे तो आपने यह कह कर जवाब न दिया कि नमाज़ में मशगूलियत होती है।

हदीस 1140:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ﷺ रिवायत करते हैं, मुझे किसी काम के सिलसिले में रसूलुल्लाह ﷺ ने भेजा, मैं चला गया। काम करके वापस लौटा और रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में आया और आपको सलाम किया। आपने जवाब न दिया, मेरे दिल में वसवसा पैदा हुआ कि उसे अल्लाह ही जानता है। मैंने दिल ही दिल में कहा रसूलुल्लाह ﷺ शायद इस लिए नाराज़ हो गए कि मैं देर से वापस आया। फिर मैंने सलाम किया लेकिन आपने जवाब न दिया, मेरे दिल में पहले से ज़्यादा ख़दशा पैदा हुआ, फिर आपको सलाम किया तो आपने मुझे जवाब दिया और फ़रमायाः "मुझे जवाब देने में यह अम्र मानेअ था कि मैं नमाज़ में था।" और आप अपनी सवारी पर ग़ैर क़िब्ला की तरफ़ मुंह किए हुए थे।

बाब 774:- ज़रूरत की बिना पर नमाज़ में अपने हाथ उठानाः

हदीस 1141:- सहल बिन सअद ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ को इत्तिला मिली कि बनी अम्र बिन औफ़ के दरमियान क़ुबा में कुछ तनाज़आ उठ खड़ा है। आप मुसालेहत की ग़र्ज़ से चन्द दोस्तों के साथ रवाना हुए, चुनान्चे रसूलुल्लाह ﷺ को वहां रुकना पड़ा। इधर नमाज़ का वक़्त हो गया। बिलाल ﷺ, अबू बकर ﷺ के पास आए और कहा, अबू बकर! रसूलुल्लाह ﷺ को मजबूरन रुकना पड़ गया, नमाज़ का वक़्त हो गया, क्या आप लोगों की इमामत कर सकते हैं? अबू बकर ﷺ बोले, हां अगर तुम्हारी मर्ज़ी है। चुनान्चे बिलाल ﷺ ने तकबीर कही और अबू बकर ﷺ ने आगे बढ़ कर तकबीरे तहरीमा कही। इतने में रसूलुल्लाह ﷺ तशरीफ़ ले आए और सफ़ों को चीरते हुए आगे बढ़े और पहली सफ़ में पहुंच गए। लोगों ने ताली पीटना शुरू करदी। सहल ﷺ के मुताबिक़ "तस्फ़ीह" से मुराद ताली बजाना है। अबू बकर ﷺ नमाज़ में किसी तरफ़ ध्यान न करते थे, जब लोगों ने ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाईं तो मुड़ कर देखा, रसूलुल्लाह ﷺ तशरीफ़ लाए हैं। आपने इशारे से हुक्म दिया कि नमाज़ जारी रखो। अबू बकर ﷺ ने (इस क़दर अफ़ज़ाई पर) हाथ उठा कर अल्लाह तआला की हम्द व सना बयान की और पिछले पांव मुड़ गए हत्ता कि सफ़ में आकर खड़े हो गए। रसूलुल्लाह ﷺ आगे बढ़े और लोगों को नमाज़ पढ़ाई। जब नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो फ़रमायाः "लोगो! तुम्हें क्या हो गया है, जब नमाज़ में कोई बात दरपेश होती है तो तालियां बजाना शुरू कर देते हो, ताली बजाना औरत के लिए है, जिस शख़्स को नमाज़ में कोई ज़रूरत दरपेश हो तो "सुब्हानल्लाह" कहे।" फिर अबू

बकर ﷺ की तरफ़ मुतवज्जह हुए और फ़रमायाः "अबू बकर! मेरे इशारा करने के बावुजूद तुम्हें नमाज़ पढ़ाने में कौन सा अम्र मानेअ था।" अर्ज़ किया, अबू कहाफ़ह के बेटे को हरगिज़ ज़ेबा न था कि वह रसूलुल्लाह ﷺ के होते हुए नमाज़ पढ़ाए।

फ़ायदाः– इस हदीस से एक तो यह बात मालूम हुई कि नमाज़ का वक़्त हो जाने पर अगर इमाम मौजूद न हो तो जिस दूसरे आदमी को लोग पसन्द करें वह इमामत कर सकता है। दूसरी यह बात मालूम हुई कि दौराने नमाज़ अगर इमाम को किसी ज़रूरी बात की जानिब मुतवज्जह करना पड़ जाए तो मर्द सुब्हानल्लाह कहें और औरतों को ताली बजाने का हुक्म था लेकिन औरतों का मर्दों के साथ बाजमाअत नमाज़ पढ़ना क़ुरूने ऊला में ही बन्द कर दिया गया था। तीसरी बात यह भी मालूम हुई कि नमाज़ में क़याम के वक़्त अगर्चे सज्दे की जगह पर नज़र रखना सुन्नत है लेकिन उस वक़्त तमाम सहाबए किराम सज्दे की जगह से निगाहें हटा कर रसूलुल्लाह को देखने लगे थे और उन्होंने तालियां बजा कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ﷺ को आप की तरफ़ मुतवज्जह करने की कोशिश की थी। नमाज़ पूरी होने के बाद रसूलुल्लाह ने सहाबए किराम से यह नहीं फ़रमाया था कि तुम दौराने नमाज़ मेरी तरफ़ क्यों मुतवज्जह हुए और क्यों मुझे देखने लगे थे? आप ऐसा क्या फ़रमाते जबकि महबूबे परवरदिगार की जानिब मुतवज्जह होना ही तो इबादतों की जान और रूहे ईमान है। जो नमाज़ में नबी करीम के ख़्याल को गधे बैल के ख़्याल से बदतर और शिर्क बताते हैं हक़ीक़त में वह ईमान की चाश्नी ही से नाआश्ना हैं। उन से सिर्फ़ यही कहा जा सकता हैः

लुत्फ़े मय तुझ से क्या कहूं ज़ाहिद!
हाए कमबख़्त तू ने पी ही नहीं

बाब 775:– नमाज़ में कमर पर हाथ रखनाः

हदीस 1142:– अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, हमें नमाज़ में कमर पर हाथ रखने से रोका गया है।

हदीस 1143:– अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, मर्द को कमर पर हाथ रख कर नमाज़ पढ़ने से मना किया गया है।

बाब 776:– नमाज़ में किसी बारे में कुछ सोचनाः

हज़रत उमर ﷺ कहते हैं, मैं नमाज़ के दौरान लश्कर दुरुस्त करता रहता हूं।

हदीस 1144:– उक़्बह बिन हारिस ﷺ रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ के साथ अस्र की नमाज़ पढ़ी। जब आपने सलाम फेरा तो फ़ौरन उठ खड़े हुए और अपनी अज़्वाज के पास चले गए। वापस आए तो लोगों के चेहरों पर जल्द चले जाने के बाइस आसारे तअज्जुब देखे। फ़रमायाः "मैं नमाज़ में था, मुझे याद आया हमारे घर में सोना है, मैंने पसन्द न किया उसके होते हुए शाम या रात गुज़रे, मैंने उसे तक़सीम करने का हुक्म दे दिया।"

हदीस 1145:– अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "जब अज़ान कही जाती है तो शैतान पादता हुआ भाग निकलता है हत्ता कि अज़ान की आवाज़ सुनाई न दे, जब मुअज़्ज़िन ख़ामोश होता है तो वापस आता है, जब तकबीर कही जाती है तो भाग खड़ा होता है, जब मुअज़्ज़िन ख़ामोश हो जाता है तो फिर आ जाता है और इन्सान से कहता है फ़ुलां बात याद करो और

वह कुछ याद दिलाता है जो कुछ याद नहीं आता हत्ता कि नमाज़ी भूल जाता है कि उसने कितनी नमाज़ पढ़ी।" अबू सलमह बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं, जब तुम में से कोई शख़्स ऐसा करे तो बैठे बैठे दो सज्दे करले।

हदीस 1146:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं कि लोग कहते हैं, अबू हुरैरह ﷺ ज़्यादा रिवायत करता है। (क्या करूं) मैं एक शख़्स से मिला और उससे पूछा रसूलुल्लाह ﷺ ने गुज़िश्ता शब इशा की नमाज़ में कौन सी सूरत पढ़ी थी? बोला मुझे मालूम नहीं। मैंने कहा तुम नमाज़ में मौजूद नहीं थे? कहा हां। तो मैंने कहा, मुझे याद है कि फ़ुलां सूरत पढ़ी थी। (इसी तवज्जह और याद-दाश्त के बाइस ज़्यादा रिवायत करता हूं।

बाब 777:- जब फ़र्ज़ की दो रकअतों के बाद (तशह्हुद पढ़े बग़ैर) उठ खड़ा हो तो सज्दा सह्व के बारे में रिवायातः

हदीस 1147:- अब्दुल्लाह बिन बुहैनह ﷺ रिवायत करते हैं, हमें रसूलुल्लाह ﷺ ने एक नमाज़ की दो रकअतें पढ़ाई तो बैठने के बजाए खड़े हो गए, तो लोग भी आप के साथ खड़े हो गए। जब नमाज़ मुकम्मल हो गई तो हमने आपके सलाम को देखा कि आपने सलाम से पहले दो सज्दे किए बैठे बैठे और फिर सलाम फेरा।

हदीस 1148:- अब्दुल्लाह बिन बुहैनह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जुहर की नमाज़ में दो रकअत पढ़ने के बाद खड़े हो गए और दरमियान में बैठे नहीं, जब आपने नमाज़ पूरी की तो दो सज्दे किए और सलाम फेरा।

बाब 778:- जब पाँच रकअतें पढ़ ली जाएं:

हदीस 1149:- अब्दुल्लाह बिन मसऊद ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने जुहर की पाँच रकअतें पढ़ा दीं। कहा गया नमाज़ में इज़ाफ़ा हो गया है? फ़रमायाः "क्या हुआ?" अर्ज़ किया गया, आपने पाँच रकअतें पढ़ीं, फिर आपने सलाम फेरने के बाद (सह्व के) दो सज्दे किए।

बाब 779:- जब दो या तीन रकअतें पढ़कर सलाम फेरदे तो नमाज़ के सज्दों की तरह या उस से कुछ तवील करदेः

हदीस 1150:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, हमें रसूलुल्लाह ﷺ ने जुहर या अस्र की नमाज़ पढ़ाई और सलाम फेर दिया। जुलयदैन ﷺ (एक सहाबी) ने कहा, या रसूलुल्लाह! नमाज़ कम हो गई? रसूलुल्लाह ﷺ ने दोस्तों से फ़रमायाः "जुलयदैन ठीक कहता है?" लोगों ने कहा हां, चुनान्चे आपने दो रकअतें और पढ़ीं, फिर दो सज्दे किए। सअद बयान करते हैं, मैंने उरवह बिन जुबैर ﷺ को देखा, उन्होंने मग़रिब की दो रकअतें नमाज़ पढ़ी, सलाम फेरा और कुछ बात चीत भी की, फिर बाक़ी नमाज़ पढ़ी और दो सज्दे किए और कहा रसूलुल्लाह ﷺ ने ऐसा ही किया था।

बाब 780:- जिसने सज्दए सह्व के बाद तशह्हुद नहीं पढ़ा और सलाम फेर लियाः अनस और हसन बसरी ﷺ तशह्हुद नहीं पढ़ते थे और क़तादह ﷺ कहते हैं तशह्हुद न पढ़े।

हदीस 1151:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने दो रकअतों के बाद नमाज़ ख़त्म कर डाली, तो जुल यदैन ﷺ ने अर्ज़ किया, नमाज़ कम कर दी गई या आप भूल गए? रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "क्या जुल यदैन ठीक कहते हैं?" लोगों ने कहा हां। रसूलुल्लाह ﷺ

खड़े हुए और दो रकअतें अदा कीं, फिर सलाम फेरा, फिर तकबीर कही और पहले दो सज्दों की तरह या उनसे लम्बा सज्दा किया, फिर सर उठाया।

हदीस 1152:- सलमह बिन अलक़मह रिवायत करते हैं, मैंने मुहम्मद बिन सीरीन से पूछा, क्या सज्दए सह्व के बाद (भी) तशह्हुद है? कहा, अबू हुरैरह ﷺ की हदीस में इसका कोई तज़्किरा नहीं।

बाब 781:- सज्दए सह्व में तकबीर कहना:

हदीस 1153:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने शाम की दो नमाज़ों में से एक नमाज़ पढ़ी। मुहम्मद (एक राविए हदीस) कहते हैं, गुमाने ग़ालिब यह है कि अस्र की नमाज़ थी। आपने दो रकअतें पढ़कर सलाम फेर दिया, फिर एक लकड़ी का सहारा लेकर खड़े हुए जो सामने सज्दा करने की जगह पर थी। आपने अपना हाथ उस पर रखा, अबू बकर और उमर ﷺ भी मौजूद थे लेकिन इस सिलसिले में कुछ कहते हुए डरे और लोग जल्दी से यह कहते हुए निकल गए, क्या नमाज़ कम कर दी गई है? एक शख़्स थे जिन्हें रसूलुल्लाह ﷺ जुल यदैन कहते थे, बोले क्या आप भूल गए या नमाज़ कम करदी गई? आपने फ़रमाया: "न मुझे निस्यान हुआ और न नमाज़ कम की गई।" जुल यदैन ने कहा आप भूल गए हैं। तो आपने दो रकअत नमाज़ पढ़ी, फिर सलाम फेरा, फिर तकबीर कही और दूसरे सज्दों की तरह या उससे लम्बा सज्दा किया, फिर सर उठाया और तकबीर कही।

हदीस 1154:- बनी अब्दुल मुत्तलिब के हलीफ़ अब्दुल्लाह बिन बुहैनह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ज़ुहर की नमाज़ में (क़ुअदए ऊला के बग़ैर) उठ खड़े हुए जबकि बैठना चाहिए था। जब आपने नमाज़ पूरी की तो दो सज्दे किए और हर सज्दे में सलाम से पहले बैठे बैठे तकबीर कही। लोगों ने भी आपके साथ यह दोनों सज्दे किए, उस क़ुअदा के बदले में जो आप भूल गए थे।

बाब 782:- अगर किसी को पता न चले कि तीन रकअतें पढ़ीं या चार, तो बैठे बैठे दो सज्दे करले:

हदीस 1155:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब नमाज़ के लिए अज़ान कही जाती है तो शैतान पादता हुआ भाग खड़ा होता है यहां तक कि अज़ान की आवाज़ सुनाई न दे, जब अज़ान ख़त्म होती है तो पलट आता है लेकिन जब तकबीर शुरू होती है तो फिर भाग जाता है और जब तकबीर ख़त्म हो जाती है तो वह (वापस) आ जाता है, तो आदमी के दिल में तरह तरह के ख़दशात पैदा करता रहता है और कहता है फ़ुलां फ़ुलां बातें याद करो जो कभी याद नहीं आई थीं हत्ता कि उसे याद ही नहीं रहता कि कितनी नमाज़ पढ़ी बिन बरीं जब तुम में से किसी को याद न रहे कि कितनी नमाज़ पढ़ी है तीन रकअतें या चार, तो बैठे बैठे दो सज्दे करले।"

बाब 783:- फ़राइज़ और नवाफ़िल में सज्दए सह्व:

इब्ने अब्बास ﷺ ने वित्र के बाद दो सज्दे किए।

हदीस 1156:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम में से कोई नमाज़ के लिए खड़ा होता है तो शैतान आकर उसके दिल में तरह तरह के ख़दशात पैदा करता है हत्ता कि उसे याद ही नहीं रहता कि कितनी नमाज़ पढ़ी है? अगर ऐसी सूरते हाल पैदा हो जाए तो बैठे बैठे दो सज्दे करले।"

बाब 784:- अगर नमाज़ के दौरान बात चीत और अपने हाथ से इशारा

करे और उसे सुनेः

हदीस 1157:– कुरैब रिवायत करते हैं, इब्ने अब्बास, मिसवर बिन मख़्रमह और अब्दुर्रहमान बिन अज़हर ﷺ ने उन्हें सय्यदा आयशा ﷺ के पास भेजा और कहा, उन्हें हमारा सलाम अर्ज़ करो और नमाज़े अस्र के बाद दो रकअतों के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त करो, हमें पता चला है कि आप अस्र के बाद दो रकअतें पढ़ती हैं जबकि रसूलुल्लाह ﷺ ने मना फ़रमाया है। इब्ने अब्बास ﷺ कहते हैं, उमर बिन ख़त्ताब ﷺ के हमराह यह दो रकअतें पढ़ने पर लोगों को मारता था। कुरैब कहते हैं, मैं सय्यदा आयशा ﷺ के पास गया और उनका पैग़ाम पहुंचाया। आयशा ﷺ ने फ़रमाया, उम्मे सलमह ﷺ से पूछो। मैंने वापस आकर उन्हें सय्यदा आयशा ﷺ का जवाब पहुंचा दिया। फिर उन्होंने मुझे उम्मे सलमह ﷺ के पास वही पैग़ाम देकर भेजा। उम्मे सलमह ﷺ ने फ़रमाया, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को उससे रोकते हुए देखा, फिर मैंने अस्र के बाद आपको उन्हें पढ़ते हुए भी देखा, फिर आप मेरे पास तशरीफ़ लाए, मेरे हां अन्सार की बनी हराम में से कुछ औरतें बैठी थीं। मैंने एक लौंडी से कहा, आपके पास जाओ और आपके पहलू में खड़े होकर कहो, उम्मे सलमह ﷺ अर्ज़ करती हैं या रसूलल्लाह! मैंने आपको इन दोनों रकअतों के पढ़ने से मना करते हुए सुना जबकि (अब) मैं आपको यह पढ़ते हुए देख रही हूं। अगर आप हाथ से इशारा करें तो पीछे हट जाना, चुनान्चे लौंडी ने इसी तरह किया। जब आप फ़ारिग़ हुए तो फ़रमायाः "बिन्ते अबी उमय्यह! तुम ने मुझ से अस्र के बाद की दो रकअतों की बाबत दरयाफ़्त किया, अब्दुल क़ैस के कुछ लोग मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे ज़ुहर के बाद की दो रकअतों के पढ़ने से (गुफ़्तगू के बाइस) रोके रखा, यह वही दो रकअतें हैं।

बाब 785:– नमाज़ में इशारा करनाः

इसे कुरैब ने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमह ﷺ के हवाले से रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत किया।

हदीस 1158:– सहल बिन सअद साअदी ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ को बनी अम्र बिन औफ़ के दरमियान किसी तनाज़ए की इत्तिला मिली तो आप मुसालेहत की ग़र्ज़ से कुछ दोस्तों के हमराह तशरीफ़ ले गए। रसूलुल्लाह ﷺ को वहां रुकना पड़ा। इतने में नमाज़ का वक़्त हो गया। बिलाल ﷺ, अबू बकर ﷺ के पास आए और कहा, अबू बकर! रसूलुल्लाह ﷺ (ब-अम्रे मजबूरी) रुक गए हैं और नमाज़ का वक़्त हो चुका है, क्या आप लोगों को नमाज़ पढ़ा देंगे? अबू बकर ﷺ ने कहा, अगर यही तुम्हारी मर्ज़ी हो तो! बिलाल ﷺ ने तकबीर कही और अबू बकर ﷺ आगे बढ़ गए, फिर तकबीरे तहरीमा कही। (ऐसे में) रसूलुल्लाह ﷺ सफ़ों को चीरते हुए आगे आए और (अगली) सफ़ में पहुंच गए, तो लोगों ने ताली पीटना शुरू कर दी और अबू बकर ﷺ (की आदत थी कि वह) नमाज़ में किसी तरफ़ ध्यान नहीं देते थे। जब लोगों ने ज़्यादा ज़ोर से ताली बजाना शुरू की तो अबू बकर ﷺ मुड़े तो रसूलुल्लाह ﷺ दिखाई दिए। रसूलुल्लाह ﷺ ने हाथ के इशारे से नमाज़ जारी रखने का हुक्म दिया। अबू बकर ﷺ ने (अपनी इस इज़्ज़त अफ़्ज़ाई पर) हाथ उठा कर अल्लाह तआला की हम्द व सना बयान की और उलटे पांव पीछे लौट गए यहां तक कि सफ़ में आ गए। फिर रसूलुल्लाह ﷺ आगे बढ़े और लोगों को नमाज़ पढ़ाई, जब फ़ारिग़ हुए तो लोगों से फ़रमायाः "तुम्हें क्या हो गया है कि जब नमाज़ में कोई ज़रूरत पेश आती है तो तुम ताली बजाना शुरू कर देते हो हालांकि ताली बजाना औरतों के लिए है। जब नमाज़ में कोई ऐसी बात हो तो सुब्हानल्लाह कहना

मुनासिब है, क्योंकि जो भी सुब्हानल्लाह कहते हुए सुनेगा, ज़रूर ध्यान देगा।" फिर फ़रमायाः "अबू बकर! जब मैंने इशारे से कह भी दिया तो क्या चीज़ तुम्हें नमाज़ पढ़ाने से मानेअ हुई?" अबू बकर ﷺ बोले, अबू कहाफ़ह के बेटे को ज़ेबा न था कि वह रसूलुल्लाह ﷺ के होते हुए नमाज़ पढ़ाए।

हदीस 1159:- अस्मा ﷺ रिवायत करती हैं, मैं आयशा ﷺ के पास गई, वह खड़ी नमाज़ पढ़ रही थीं और लोग भी खड़े थे, तो मैं बोली लोगों को क्या हुआ? उन्होंने अपने सर से आसमान की तरफ़ इशारा किया। मैंने कहा कोई अज़ाब की निशानी है? उन्होंने फिर सर के इशारे से कहा हां।

हदीस 1160:- ज़ौजए रसूल सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने बीमारी के दौरान घर में आपकी इक़्तिदा की। लोगों ने खड़े होकर नमाज़ पढ़ी तो आपने लोगों को बैठने का इशारा किया। जब नमाज़ पढ़ चुके तो फ़रमायाः "इमाम बनाने का मक़सद यह होता है कि उसकी पैरवी की जाए, जब वह रुकूअ करे तुम भी रुकूअ करो, जब सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ।"

जनाज़ों का बयान

बाब 786:- जनाज़ों से मुताल्लिक़ (अहाकम) और जिस का आख़िरी कलाम लाइलाह इल्लल्लाह होः वहब बिन मुनब्बेह ﷺ से कहा गया, क्या लाइलाह इल्लल्लाह जन्नत की कुंजी नहीं? वहब ﷺ बोले ज़रूर, लेकिन हर कुंजी के दन्दाने होते हैं, अगर दन्दानों वाली कुंजी हुई तो ताला खुलेगा वरना नहीं।

हदीस 1161:- अबूज़र ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "मेरे रब की तरफ़ से एक आने वाला आया, उसने मुझे खुश ख़बरी सुनाई कि जो शख़्स मेरी उम्मत में से इस हाल में मरे कि अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक न ठहराया होगा जन्नत में दाख़िल होगा।" मैंने अर्ज़ किया, ख़्वाह ज़िना और चोरी करे? फ़रमायाः "हां अगर्चे ज़िना और चोरी करे।"

हदीस 1162:- अब्दुल्लाह बिन मसऊद ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "जो शख़्स हालते शिर्क में मरा वह वासिले जहन्नम होगा। मैं कहता हूं जो इस तरह मरे कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराता हो तो वह जन्नत में जाएगा।

बाब 787:- जनाज़ों के पीछे जाने का हुक्मः

हदीस 1163:- बराअ ﷺ (बिन आज़िब) रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने हमें सात बातों का हुक्म दिया और सात से रोका। जनाज़ों के साथ जाने, मरीज़ की मिज़ाज पुर्सी करने, दावत क़ुबूल करने, मज़्लूम की मदद करने, क़सम पूरी करने और सलाम और छींक का जवाब देने का हुक्म दिया और चांदी के बरतन, सोने की अंगूठी, हरीर, दीबाज, क़सी और इस्तबरक़ के इस्तेमाल से हमें रोका।

हदीस 1164:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते सुनाः "एक मुसलमान के दूसरे पर पांच हुक़ूक़ हैं, सलाम का जवाब, मरीज़ की इयादत, जनाज़ों में शिर्कत, दावत की क़ुबूलियत, और छींकने वाले को जवाब देना।"

बाब 788:- मय्यत की तकफ़ीन के बाद उसके पास जानाः

हदीस 1165:- ज़ौजए रसूल सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, (रसूलुल्लाह ﷺ की वफ़ात के बाद) अबू बकर ﷺ अपने मकान सुन्ह से घोड़े पर सवार होकर आए। घोड़े से उतरे और

मस्जिद में चले गए, किसी से बात चीत किए बग़ैर सीधे आयशा رضي الله عنها के पास चले गए। रसूलुल्लाह ﷺ को देखने का इरादा ज़ाहिर किया, उस वक़्त आपको यमनी चादर उढ़ा दी गई थी। आपके चेहरे से चादर हटाई, आप पर झुक कर चेहरए अनवर को बोसा दिया, फिर रो दिए और कहा: "ऐ अल्लाह के रसूल! आप पर मेरे मां बाप कुर्बान, अल्लाह आपको दूसरी बार मौत न देगा, जो मौत आपके मुक़द्दर में थी वह आ चुकी।" अबू सलमह के मुताबिक़ इब्ने अब्बास رضي الله عنهما फ़रमाते हैं, अबू बकर رضي الله عنه बाहर निकले और उमर رضي الله عنه लोगों से गुफ़्तगू कर रहे थे। अबू बकर رضي الله عنه ने कहा बैठ जाओ, वह न बैठे, फिर कहा बैठ जाओ, फिर भी वह न माने। आख़िरुल अम्र अबू बकर رضي الله عنه ने कलिमए शहादत पढ़ा, लोग उनकी तरफ़ मुतवज्जह हुए और उमर رضي الله عنه से हट गए। अबू बकर رضي الله عنه ने फ़रमाया: "तुम में से जो शख़्स मुहम्मद ﷺ की परस्तिश करता था तो (मालूम हो जाए कि) मुहम्मद ﷺ वफ़ात पा चुके हैं और जो कोई अल्लाह तआला की परस्तिश करता था सो अल्लाह ज़िन्दा है, उसे मौत नहीं। इरशादे ख़ुदा वन्दी है: "وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ" (मुहम्मद भी) अल्लाह के एक रसूल हैं और आप से पहले भी कई रसूल गुज़र चुके शाकिरीन तक।" ख़ुदा की क़सम! इस से पहले गोया लोगों को मालूम ही न था कि अल्लाह ने यह आयत भी नाज़िल फ़रमाई है। अबू बकर رضي الله عنه ने यह आयत पढ़ी तो लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया और कोई भी न था जो उसकी तिलावत न कर रहा हो।

हदीस 1166:- ख़ारिजह बिन ज़ैद बिन साबित رضي الله عنه रिवायत करते हैं, एक अन्सारी औरत उम्मे अला رضي الله عنها जिन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ से बैअत की थी, बयान करती थीं, मुहाजिरीन की तक़सीम के बारे में कुरआ अन्दाज़ी की गई। हमारे हिस्से में उस्मान बिन मज़ऊन رضي الله عنه आए, हम उन्हें अपने घर ले आए और उन्हें जान लेवा बीमारी लाहिक़ हो गई। जब उन्होंने वफ़ात पाई तो नहला कर उनकी तकफ़ीन की गई। रसूलुल्लाह ﷺ तशरीफ़ लाए, मैं बोली, ऐ अबुल साइब! (उस्मान बिन मज़ऊन رضي الله عنه की कुन्नियत) तुम पर अल्लाह की रहमत, ख़ुदा ने तुम्हें बड़ी इज़्ज़त दी। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तुझे क्यों कर मालूम हुआ?" मैंने कहा, आप पर मेरे मां बाप कुर्बान हों, अल्लाह तआला इससे बढ़कर किसे इज़्ज़त देगा (कि आप इसकी मय्यत पर तशरीफ़ लाए हैं।) आपने फ़रमाया: "उस्मान ने वफ़ात पाई, मैं उसके लिए ख़ैर का उम्मीदवार हूं, बख़ुदा पूरे वसूक़ से मैं भी नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होने वाला है जबकि मैं ख़ुदा का रसूल हूं।" (उम्मुल अला رضي الله عنها) कहती हैं, उसके बाद मैंने किसी के पाक होने की गवाही नहीं दी।

फ़ायदा:- इस हदीस में रसूलुल्लाह ﷺ ने जो फ़रमाया है कि ख़ुदा की क़सम! मैं भी नहीं जानता हालांकि मैं अल्लाह का रसूल हूं कि मेरे साथ क्या होगा। इस इरशादे गिरामी में दरायत की नफ़ी की गई है यानी ख़ुदा के बग़ैर बताए अपने आप तो मैं भी नहीं जानता। यह बात लफ़्ज़ "मा अदरी" से साफ़ मालूम हो रही है। अलावा बरीं रसूलुल्लाह ﷺ ने उस अन्सारी औरत से जो फ़रमाया कि "وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ" यह भी इसी मफ़हूम पर दाल है कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि अल्लाह तआला ने उन्हें इज़्ज़त दी है? नीज़ अगली हदीस में तो مايفعل بى की जगह مَا يُفْعَلُ بِهِ है।

हदीस 1167:- नाफ़ेअ बिन यज़ीद, अक़ील से रिवायत करते हैं, आपने फ़रमाया: "(मुझे मालूम नहीं कि) क्या मामला किया जाएगा?"

हदीस 1168:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, जब मेरे वालिद शहीद कर दिए

गए तो मैं रोने लगा और उनके चेहरे से कपड़ा हटाया। लोगों ने मुझे रोका लेकिन रसूलुल्लाह ﷺ ने मना नहीं फरमाया, मेरी फूफी फातिमह भी रोने लगीं। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "तुम राओ या न रोओ फ़रिश्ते इन पर अपने परों से साया फ़गन हैं जब तुमने इसे उठाया।"

बाब 789:- वुरसाए मय्यत को उसकी खुद इत्तिला देनाः

हदीस 1169:- अबू हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने नजाशी की वफ़ात की ख़बर वफ़ात के दिन सुनाई। आप ईदगाह तशरीफ़ ले गए, लोगों की सफ़ें बनवाई और चार तक्बीरें पढ़ीं।

हदीस 1170:- अनस बिन मालिक رضي الله عنه रिवायत करते हैं, (ग़ज़्वए मौतह के मौक़ा पर) रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "ज़ैद ने अलम उठाया वह शहीद हो गए तो जाफ़र ने ले लिया, वह शहीद हुए तो अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने झन्डा संभाला और वह भी शहीद हो गए।" रसूलुल्लाह ﷺ की आंखें भर आईं "फिर ख़ालिद बिन वलीद ने बग़ैर सरदार बनाए झंडा ले लिया तो उनके हाथ पर फ़तेह हुई।"

फ़ायदाः- रसूलुल्लाह ﷺ मदीना मुनव्वरा में बैठ कर जंगे मौतह के अलमबरदारों की ख़बर देते रहे कि अब झंडा फुलां ने संभाल लिया है। अब वह शहीद हो गए हैं। ग़र्ज़ यह कि आख़िर तक वहीं से बता दिया कि अब सैफ़ुल्लाह (हज़रत ख़ालिद बिन वलीद رضي الله عنه) ने झंडा उठा लिया है। हालांकि उन्हें सिपह सालार बनाया नहीं गया और अल्लाहु तआला ने उन के हाथों फ़तह दे दी है। यह निगाहे मुस्तफ़ा की मोअजिज़ नुमाई है कि आप की निगाहों में दूर व नज़्दीक का मामला क़ुदरत ने यकसां कर दिया था। जिस तरह आप नज़्दीक की चीज़ों को देखते थे उसी तरह दूर की चीज़ें भी आप को नज़र आती थीं। यहां तक कि ज़मीन पर बैठ कर आप जन्नत व दोज़ख़ का भी मुशाहिदा फ़रमा लिया करते थे जैसा कि बाज़ अहादीसे मुतह्हरा में ऐसे मुशाहिदों का ज़िक्र आया है। वल्लाहु तआला आलम।

बाब 790:- जनाज़े की इत्तिला देनाः

अबू राफ़ेअ ने अबू हुरैरह رضي الله عنه से रिवायत किया, उनके मुताबिक़ रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "तुमने मुझे इत्तिला क्यों न दी?"

हदीस 1171:- इब्ने अब्बास رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, एक शख़्स फ़ौत हो गया। उसकी मिज़ाज पुर्सी को रसूलुल्लाह ﷺ जाया करते थे। वह रात ही को फ़ौत हुआ और उसे रात ही को दफ़न कर दिया गया। सुबह होने पर लोगों ने रसूलुल्लाह ﷺ से ज़िक्र किया तो आपने फ़रमायाः "मुझे इत्तिला करने में कौन सी चीज़ मानेअ बनी?" कहा गया, रात का वक़्त और अंधेरा था, आपको ज़हमत देना मुनासिब न समझा। आप उसकी क़ब्र पर आए और नमाज़ पढ़ी।

बाब 791:- जिस का बच्चा मर जाए और वह सब्र से काम ले उसकी फ़ज़ीलतः

इरशादे खुदावंदी हैः "सब्र करने वालों को खुश ख़बरी दीजिए।"

हदीस 1172:- अनस رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "जिस मुसलमान के तीन बच्चे मर जाएं, अल्लाह तआला उन बच्चों पर फ़ज़्ल व रहमत के सबब से उस शख़्स को जन्नत में दाख़िल फ़रमाएगा।"

हदीस 1173:- अबू सईद खुदरी رضي الله عنه रिवायत करते हैं, औरतों ने रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में अर्ज़ किया, आप हमारे लिए वअज़ व तब्लीग़ का एक दिन मुक़र्रर फ़रमा दीजिए। आपने उन्हें वअज़ व तल्क़ीन फ़रमाईः "जिस औरत के तीन बच्चे मर जाएं तो वह जहन्नम की आग से उसके लिए आड़

होंगे।" एक औरत बोली दो बच्चे? फ़रमायाः "दो बच्चे भी।" अबू हुरैरह ﷺ रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत करते हैं, जो बच्चे अभी बालिग़ न हुए हों।

हदीस 1174:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "जिस मुसलमान के तीन बच्चे फ़ौत हो जाएं तो वह महज़ क़सम पूरी करने को दोज़ख़ पर से गुज़रेगा।" (वरना तो वह पक्का जन्नती है)। अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी) कहते हैं, "وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا" (कोई नहीं जो उस पर से नहीं गुज़रेगा)

बाब 792:- किसी का क़ब्र पर बैठी औरत को सब्र की तल्क़ीन करना:

हदीस 1175:- अनस बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ का एक औरत पर गुज़र हुआ जो क़ब्र के पास बैठी रो रही थी। आपने फ़रमायाः "अल्लाह से डर और सब्र कर।"

बाब 793:- मय्यत को पानी और बैरी के पत्तों से ग़ुस्ल देना और वुज़ू कराना:

इब्ने उमर ﷺ ने सईद बिन ज़ैद के बेटे को ख़ुश्बू लगाई और उन्हें उठाया, नमाज़ पढ़ी और वुज़ू नहीं किया। इब्ने अब्बास ﷺ फ़रमाते हैं, मुसलमान न जीते जी नजिस होता है और न मरने के बाद। सईद कहते हैं, अगर नजिस होता तो मैं न छूता। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "मोमिन नजिस नहीं होता।"

हदीस 1176:- उम्मे अतियह अन्सारिया ﷺ रिवायत करती हैं, हमारे पास रसूलुल्लाह ﷺ तशरीफ़ लाए, जब आपकी साहिबज़ादी का इन्तिक़ाल हुआ था। फ़रमायाः "इसे तीन या पांच बार नहलाओ, अगर ज़रूरी ख़्याल करो तो पानी और बैरी के पत्तों से ग़ुस्ल दो, और आख़िर में काफ़ूर लगाओ, जब फ़ारिग़ हो चुको तो मुझे बतलाओ।" जब हम लोग फ़ारिग़ हो गए तो आपको मुत्तला किया, आपने अपना तहबन्द इनायत फ़रमाया और कहाः "इसे इसके बदन पर लपेट दो।"

बाब 794:- ग़ुस्ले मय्यत दाहिनी तरफ़ से शुरू करना:

हदीस 1177:- उम्मे अतियह ﷺ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ हमारे पास तशरीफ़ लाए, जब हम आपकी साहिबज़ादी को ग़ुस्ल दे रहे थे। आपने फ़रमायाः "इसे तीन या पांच बार या इस से भी ज़्यादा पानी और बैरी के पत्तों से ग़ुस्ल दो और आख़िर में काफ़ूर लगा दो, जब तुम लोग फ़ारिग़ हो जाओ तो हमें मुत्तला करो।" जब हम फ़ारिग़ हुए तो आपको बतलाया, आपने अपना तहबन्द दिया और फ़रमायाः "इसे इज़ार बना दो।" अय्यूब के मुताबिक़ हफ़सह ने मुहम्मद की हदीस के मुताबिक़ रिवायत किया और हफ़सह की हदीस में था कि इसे ताक़ मर्तबा ग़ुस्ल दो, और यह भी कि दाहिनी तरफ़ से और मक़ामाते वुज़ू से शुरू करो और उसमें यह भी था हफ़सह कहती हैं, हम ने कंघी करके उनके बालों को तीन हिस्सों में तक़सीम कर दिया।

बाब 795:- ग़ुस्ले मय्यत दाहिनी तरफ़ से शुरू करना:

हदीस 1178:- उम्मे अतियह ﷺ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने अपनी साहिबज़ादी के ग़ुस्ल के मुताल्लिक़ फ़रमाया किः "इसके दाएं जानिब और मक़ामाते वुज़ू से इब्तिदा करो।"

बाब 796:- ग़ुस्ले मय्यत मक़ामाते वुज़ू से शुरू करना:

हदीस 1179:- उम्मे अतियह ﷺ रिवायत करती हैं, जब हमने रसूलुल्लाह ﷺ की

साहिबज़ादी को नहलाने का इरादा किया तो गुस्ल के वक़्त आपने फ़रमाया: "इसके दाएं जानिब और मक़ामाते वुज़ू से शुरू करो।"

बाब 797:- क्या औरत को मर्द के तहबन्द में कफ़नाया जा सकता है?:

हदीस 1180:- उम्मे अतियह رضي الله عنها रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ की साहिबज़ादी वफ़ात पा गई। आपने हमें फ़रमाया: "इसे तीन या पांच बार गुस्ल दो, ज़रूरत महसूस करो तो इससे भी ज़्यादा मर्तबा गुस्ल दो, जब नहला चुको तो मुझे इत्तिला करना।" जब हम फ़ारिग़ हो गए तो आपको ख़बर की गई, आपने अपनी कमर से तहबन्द खोला और फ़रमाया: "इस से इसका जिस्म लपेट दो।"

बाब 798:- आख़िर में काफ़ूर मिलाना:

हदीस 1181:- उम्मे अतियह رضي الله عنها रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ की साहिबज़ादी वफ़ात पा गई तो आप तशरीफ़ ले गए और फ़रमाया: "तुम इसे तीन या पांच या इससे भी ज़्यादा मर्तबा गुस्ल दो, ज़रूरत महसूस करो तो पानी और बैरी के पत्तों से नहलाओ और आख़िर में काफ़ूर मिला दो, या कुछ काफ़ूर मिलादो, जब फ़ारिग़ हो चुको तो हमें इत्तिला कर देना।" जब हम फ़ारिग़ हो गए तो आपको मुत्तला किया गया। आपने अपना तहबन्द दिया और फ़रमाया: "इसे इसके बदन से लपेट दो।" हफ़सह के हवाले से उम्मे अतियह رضي الله عنها यूं रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "इसे तीन या पांच और ज़रूरत समझो तो इससे भी ज़्यादा बार गुस्ल दो।" हफ़सह के मुताबिक़ उम्मे अतियह رضي الله عنها कहती हैं, हमने (कंघी के ज़रिये) उसके बालों के तीन हिस्से कर दिए।

बाब 799:- औरत के बाल खोलना:

इब्ने सीरीन के मुताबिक़ (गुस्ल के वक़्त) मय्यत के बाल खोलने में कोई हर्ज नहीं।

हदीस 1182:- उम्मे अतियह رضي الله عنها रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ की साहिबज़ादी के बालों के तीन हिस्से किए, उन्हें खोल कर धोया और फिर तीन हिस्सों में बांट दिया।

बाब 800:- मय्यत को कपड़ा किस तरह लपेटा जाए:

हसन (बसरी) कहते हैं, (औरत के लिए) पांचवें कपड़े से क़मीस के नीचे दोनों रानें और चूतड़ बांधे जाएं।

हदीस 1183:- इब्ने सीरीन रिवायत करते हैं, उम्मे अतियह अन्सारिया رضي الله عنها जिन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ से बैअत की थी, बसरा आईं कि अपने बेटे को देखें मगर उसे न मिल सकीं। हमसे हदीस बयान करते हुए कहा, हमारे पास रसूलुल्लाह ﷺ तशरीफ़ लाए, हम आपकी साहेबज़ादी को गुस्ल दे रहे थीं। आपने फ़रमाया: "इसे तीन या पांच और ज़रूरी ख़्याल करो तो इससे भी ज़्यादा बार पानी और बैरी के पत्तों से नहलाओ और आख़िर में काफ़ूर मल दो। जब फ़ारिग़ हो चुको तो मुझे बतलाओ।" या कहती हैं, जब हम फ़ारिग़ हो गए तो हमें अपना तहबन्द दिया और फ़रमाया: "इसे जिस्म से लपेट दो।" और उससे ज़ाइद कुछ नहीं फ़रमाया और यह भी मुझे याद नहीं कि आपकी वह कौन सी साहिबज़ादी थीं और कहा इश्आर से मुराद उसे लपेट देना है। इसी तरह इब्ने सीरीन औरत को हुक्म देते थे कि कपड़े में लपेट दी जाए और तहबन्द न बांधा जाए।

बाब 801:- क्या औरत के बालों की तीन लटें बनाई जाएं:

हदीस 1184:- उम्मे अतियह رضي الله عنها रिवायत करती हैं, हमने रसूलुल्लाह ﷺ की साहिबज़ादी के

बालों को गूंधा यानी तीन लटों में तक़सीम कर दिया। वकीअ का बयान है, सुफ़यान कहते हैं एक पेशानी के बालों का हिस्सा और दो इधर उधर की।

बाब 802:- औरत के बाल उसकी पीठ पर डाल दिए जाएं:

हदीस 1185:- उम्मे अतियह रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह की एक साहिबज़ादी वफ़ात पा गईं। रसूलुल्लाह हमारे पास तशरीफ़ लाए और फ़रमाया: इसे बैरी के पत्तों से ताक़ बार नहलाओ, तीन या पांच बार या इससे भी ज़्यादा और आख़िरी बार कांफ़ूर मिला दो, जब फ़ारिग़ हो चुको तो मुझे इत्तिला करदो।" जब हम फ़ारिग़ हो गए तो आपको मुत्तला किया गया। आपने हमें अपना तहबन्द दिया, हमने उनके सर के बाल गूंध कर तीन हिस्से किए और उनकी पीठ पर उनको डाल दिया।

बाब 803:- सफ़ेद कपड़ों में कफ़नाना:

हदीस 1186:- सय्यदा आयशा रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह तीन सूती कपड़ों में कफ़नाए गए, उनमें न तो क़मीस थी और न इमामा।

बाब 804:- दो कपड़ों में कफ़न देना:

हदीस 1187:- इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं, अरफ़ात में ठहरा हुआ एक शख़्स अपनी सवारी से गिरा, सवारी ने उसे कुचल डाला। रसूलुल्लाह ने फ़रमाया: "इसे पानी और बैरी के पत्तों से नहलाओ, इसे दो कपड़ों में कफ़न दो, न तो इसे ख़ुश्बू लगाओ और न इसके सर को छुपाओ, इस लिए कि यह क़यामत के दिन तलबीह (अल्लाहुम्मा लब्बैक) कहता हुआ उठेगा।"

बाब 805:- मय्यत को ख़ुश्बू लगाना:

हदीस 1188:- इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं, हम लोग रसूलुल्लाह की ख़िदमत में बैठे हुए थे। एक शख़्स को अरफ़ात में उसकी सवारी ने कुचल डाला। आपने फ़रमाया: "इसे पानी और बैरी के पत्तों से गुस्ल दो, इसे दो कपड़ों में कफ़नाओ, न इसे ख़ुश्बू लगाओ और न इसके सर को ढांपो, क्योंकि अल्लाह तआला इसे रोज़े क़यामत लब्बैक कहते हुए उठाएगा।"

बाब 806:- इहराम वाले शख़्स को कैसे कफ़नाया जाए:

हदीस 1189:- इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं, एक शख़्स को ऊंट ने कुचल डाला। हम लोग रसूलुल्लाह की ख़िदमत में मौजूद थे और वह इहराम की हालत में था। आपने फ़रमाया: "इसे पानी और बैरी के पत्तों से नहलाओ, दो कपड़ों में कफ़न दो और न तो इसे ख़ुश्बू लगाओ और न सर ढांपो, अल्लाह तआला इसे क़यामत के दिन इहराम की हालत में उठाएगा।"

हदीस 1190:- इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं, एक शख़्स रसूलुल्लाह के हमराह अरफ़ात में ठहरा हुआ था, वह अपनी सवारी से गिर पड़ा। (अय्यूब के मुताबिक़ ऊंटनी ने उसकी गर्दन तोड़ डाली और अम्र कहते हैं ऊंटनी ने उसे गिरते ही मार डाला) पस वह मर गया। रसूलुल्लाह ने फ़रमाया: "इसे पानी और बैरी के पत्तों से नहलाओ और इसे दो कपड़ों में कफ़नाओ, न इसे ख़ुश्बू लगाओ और न इसका सर ढांपो, इस लिए कि अल्लाह तआला क़यामत के दिन इसे लब्बैक कहते हुए उठाएगा।"

बाब 807:- सिले या बिन सिले कपड़े में कफ़न देना और कुरते के अलावा कफ़न देना:

हदीस 1191:- इब्ने उमर رضي الله عنه रिवायत करते हैं, जब अब्दुल्लाह बिन उबय (रईसुल मुनाफ़िक़ीन) मरा तो उसका बेटा रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! हमें अपना कुरता अता फ़रमा दीजिए कि हम उससे उसका कफ़न बनाएं, उस पर नमाज़ पढ़ें और उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। रसूलुल्लाह ﷺ ने उन्हें अपना कुरता दे दिया और फ़रमायाः "मुझे इत्तिला करना मैं नमाज़ पढ़ा दूंगा।" जब आपने नमाज़ का इरादा किया तो उमर رضي الله عنه ने आपको खींचा और कहा, क्या आपको अल्लाह तआला ने मुनाफ़िक़ीन पर नमाज़ पढ़ने से नहीं रोका? फ़रमायाः "मुझे दोनों बातों का इख़्तियार दिया गया है।" (इरशादे बारी तआला है) "तुम उनके लिए बख़्शिश चाहो या न चाहो, अगर तुम सत्तर मर्तबा भी उनके लिए मग़फ़िरत मांगो तो भी अल्लाह तआला उन्हें माफ़ नहीं फ़रमाएगा।" जब आपने उस पर नमाज़ पढ़ी तो यह आयत उतरीः "उन में से किसी पर नमाज़ न पढ़ना जब वह मरें।"

हदीस 1192:- जाबिर رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ अब्दुल्लाह बिन उबय के पास उसकी तदफ़ीन के बाद पहुंचे। आपने उसे निकलवाया, लुआबे दहन उसके मुंह में डाला और अपना कुरता उसे पहनाया।

बाब 808:- कुरते के बग़ैर कफ़नानाः

हदीस 1193:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ को तीन धोए हुए सूती कपड़ों में कफ़न दिया गया, न उनमें क़मीस थी और न इमामा।

हदीस 1194:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ को तीन कपड़ों में कफ़न दिया गया, उसमें न तो कुरता था और न इमामा था।

बाब 809:- बग़ैर इमामा के कफ़न देनाः

हदीस 1195:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ तीन धुले हुए सफ़ेद कपड़ों में कफ़नाए गए, न तो उनमें क़मीस थी और न इमामा।

बाब 810:- मय्यत के माल से उसे कफ़नानाः

अता, ज़ुहरी, अम्र बिन दीनार और क़तादह رحمهم الله इसी के क़ाइल हैं। अम्र बिन दीनार कहते हैं, ख़ुश्बू का सारा ख़र्चा उसके माल से किया जाए। इब्राहीम कहते हैं, पहले कफ़नाया जाए फिर क़र्ज़ अदा किया जाए और बादे अज़ां वसियत पर अमल किया जाए। सुफ़यान कहते हैं, क़ब्र खोदने और नहलाने की अजरत कफ़न में शामिल है।

हदीस 1196:- सअद अपने वालिद से रिवायत करते हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ رضي الله عنه ने एक दिन खाने पर कहा मसअब बिन उमैर رضي الله عنه शहीद कर दिए गए, वह मुझ से बेहतर थे सिवाए एक चादर के कुछ न था कि उन्हें कफ़नाया जाता। और हमज़ा رضي الله عنه शहीद किए गए या एक और जो मुझ से बेहतर थे और बजुज़ एक चादर के कुछ न था जो उनके कफ़न में दिया जाता। मुझे अन्देशा है कहीं हमारी नेकियों का बदला हमारी दुन्यवी जिन्दगी ही में दे दिया गया, फिर आप रोने लग गए।

बाब 811:- जब एक कपड़े के अलावा कोई कपड़ा न होः

हदीस 1197:- सअद अपने वालिद इब्राहीम से रिवायत करते हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ رضي الله عنه के पास खाना लाया गया और वह रोज़े से थे। कहा, मसअब बिन उमैर رضي الله عنه शहीद किए गए और वह मुझ

से बेहतर थे, एक चादर में उन्हें इस तरह कफ़न दिया गया कि सर ढांपते तो पांव खुल जाते और पांव ढांपते तो सर नंगा हो जाता। मेरा ख़्याल है शायद यह भी कहा, हमज़ा ؓ शहीद किए गए और वह हमसे बेहतर थे। फिर हम पर दुनिया की खूब कशाइश हुई या यह कि हमें दुनिया मिल गई और हमें ख़दशा लाहिक़ हुआ कहीं हमारी नेकियों का बदला हमें दुनिया ही में न मिल गया हो, फिर रोने लगे यहां तक कि खाना छोड़ दिया।

बाब 812:- जब कफ़न को सिर्फ़ ऐसा कपड़ा मिले जिस से सर या पांव छुप सकें तो उसका सर ढांपा जाए:

हदीस 1198:- ख़ब्बाब रिवायत ؓ करते हैं, हमने रसूलुल्लाह ﷺ के साथ महज़ अल्लाह तआला की रज़ा के लिए हिजरत की, हमारा अज्र अल्लाह तआला के ज़िम्मे वाजिब हो गया। हम में से कुछ लोग अपने अज्र में से कुछ भी हिस्सा लिए बग़ैर दुनिया से रुख़्सत हो गए। उन्हीं में मुसअब बिन उमैर ؓ भी थे और हम में से बाज़ वह लोग हैं जिनके लिए फल पक गया और खा रहे हैं। मसअब बिन उमैर ؓ जंगे उहुद में शहीद हुए, तो हमें उनके कफ़न के लिए एक ऐसी चादर मिली जिस से सर ढांपते तो पांव खुल जाते और पांव ढांपते तो सर नंगा हो जाता। रसूलुल्लाह ﷺ ने हमें हुक्म दिया कि उनके सर को ढांप दें और दोनों पांव पर अज़्ख़र (एक क़िस्म की घास) डाल दें।

फ़ायदा:- इस हदीस और गुज़िश्ता हदीस से वाज़ेह हो रहा है कि सहाबए किराम ؓ की ज़िन्दगियां महज़ रज़ाए इलाही के लिये वक़्फ़ होकर रह गई थीं। वह हज़रात हमेशा फ़िक्रे आख़िरत में मुस्तग़रक़ रहते थे। हमें भी चाहिये कि हर काम सिर्फ़ रज़ाए इलाही के लिये करें क्योंकि अज्र उन्हीं कामों पर मुरत्तब होगा, जो सिर्फ़ रज़ाए इलाही के लिये किये गए होंगे और हमें उख़रवी और दायमी ज़िन्दगी को संवारने में हमा वक़्त कोशां रहना चाहिये। अल्लाह तआला हमें भी उन बुज़ुर्गों के नुक़ूशे क़दम पर चलाए आमीन।

बाब 813:- रसूलुल्लाह ﷺ के अहद में कफ़न तय्यार रखा तो आपने उस पर एतेराज़ न किया:

हदीस 1199:- सहल ؓ (बिन सअद साअदी) रिवायत करते हैं, एक औरत रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में एक बुनी हुई हाशियादार चादर लेकर आई, तुम जानते हो बुर्दा क्या है? लोगों ने कहा शम्ला। बोले हां। उस औरत ने अर्ज़ किया, यह चादर मैंने बुनी है और पहनने के लिए आपकी ख़िदमत में पेश कर रही हूं। आपने उसे ले लिया और आपको उसकी ज़रूरत भी थी। आप उसी का तहमद बांध कर बाहर तशरीफ़ लाए, किसी ने उसकी तारीफ़ की और कहा यह हमें इनायत हो जाए, यह किस क़दर अच्छी है। लोगों ने कहा तुमने अच्छा नहीं किया इसे रसूलुल्लाह ﷺ ने ज़रूरत के लिए ज़ेबे तन किया था और तू आपसे मांग बैठा, हालांकि तुम्हें मालूम है कि आप किसी का सवाल रद्द नहीं फ़रमाते। उसने कहा वख़ुदा मैंने इसे पहनने के लिए नहीं कफ़न बनाने के लिए मांगा। सहल ؓ कहते हैं, वह चादर उस शख़्स के लिए बतौरे कफ़न इस्तेमाल हुई।

बाब 814:- औरतों का जनाज़े के साथ जाना:

हदीस 1200:- उम्मे अतियह ؓ रिवायत करती हैं, हमें जनाज़े के पीछे जाने से रोका गया और उसके साथ जाना हमारे लिए ज़रूरी नहीं समझा गया।

बाब 815:– औरत का अपने ख़ाविन्द के अलावा किसी का सोग मनाना:

हदीस 1201:– मुहम्मद बिन सीरीन रिवायत करते हैं, उम्मे अतियह رضی اللہ عنہا का एक लड़का फ़ौत हो गया, उन्होंने तीसरे दिन ज़र्द ख़ुश्बू मंगवा कर अपने बदन पर लगाई और बोलीं हमें शौहर के अलावा किसी और पर तीन दिन से ज़्यादा सोग करने से रोका गया है।

हदीस 1202:– जैनब बिन्ते अबी सलमह رضی اللہ عنہا रिवायत करती हैं, जब शाम से अबू सुफ़यान की वफ़ात की ख़बर आई तो उम्मे हबीबह رضی اللہ عنہا ने तीसरे दिन ज़र्द ख़ुश्बू मंगा कर अपने रुख़्सार और हाथों पर मली, और कहा मुझे इसकी चन्दां ज़रूरत न थी लेकिन मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते हुए सुना: "जो औरत अल्लाह और यौमे आख़िरत पर ईमान रखती है उसे हरगिज़ रवा नहीं कि वह शौहर के अलावा किसी मय्यत पर तीन दिन से ज़्यादा सोग मनाए, सिर्फ़ ख़ाविंन्द के मरने पर चार माह और दस दिन सोग मनाएगी।"

हदीस 1203:– ज़ैनब बिन्ते अबी सलमह رضی اللہ عنہا रिवायत करती हैं, मैं ज़ौजए रसूल उम्मे हबीबह رضی اللہ عنہا के पास गई। उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते हुए सुना: "कोई भी औरत जो अल्लाह और यौमे आख़िरत पर ईमान रखती है उसके लिए किसी मय्यत पर अलावा अपने शौहर के तीन दिन से ज़्यादा सोग मनाना जाइज़ नहीं अल्बत्ता अपने शौहर की वफ़ात पर चार माह दस दिन सोग मना सकती है। फिर मैं ज़ैनब बिन्ते जहश رضی اللہ عنہا के पास गई, जब उनके भाई की वफ़ात हुई थी उन्होंने ख़ुश्बू मंगवा कर इस्तेमाल की, फिर कहने लगीं मुझे ख़ुश्बू की चन्दां ज़रूरत नहीं मगर मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को मिम्बर पर फ़रमाते हुए सुना: "अल्लाह और यौमे आख़िरत पर ईमान रखने वाली किसी औरत के लिए रवा नहीं कि वह तीन दिन से ज़्यादा किसी मय्यत पर सोग मनाए अलबत्ता शौहर की वफ़ात पर चार माह दस दिन सोग मना सकती है।"

बाब 816:– क़ब्रों की ज़्यारत:

हदीस 1204:– अनस बिन मालिक رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ एक औरत के पास से गुज़रे जो क़ब्र पर बैठी रो रही थी। आपने फ़रमाया: "ख़ुदा से डरो और सब्र इख़्तियार करो।" उसने कहा, दूर हटो तुम्हें वह दुख क्या पहुंचा है जो मुझे पहुंचा, और न ही तुम उसे जानते है। उसे बतलाया गया कि वह रसूलुल्लाह ﷺ थे। वह आपके दरवाज़े पर आई, आपके हां कोई दरबान वग़ैरा न था, बोली मैंने आपको नहीं पहचाना था। आपने फ़रमाया: "सब्र तो इब्तिदाए सदमा में होता है।"

बाब 817:– इरशादे नबवी ﷺ कि मय्यत को उसके घर वालों के रोने से अज़ाब दिया जाता है जबकि रोना उनकी रस्म हो:

इरशादे बारी तआला है: "ख़ुद और अपने अहल व अयाल को दोज़ख़ की आग से बचाओ।" रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तुम में से हर एक निगहबान है और उससे उसकी रइय्यत के बारे में पूछा जाएगा।" और अगर नौहा उनकी रस्म नहीं तो सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا का इस्तिदलाल सही है कि कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। और यह बात उस इरशादे ख़ुदावन्दी की मानिंन्द है: "अगर कोई शख़्स बोझ उठाने वाला किसी दूसरे को बुलाए तो उसके गुनाह का बोझ किसी पर नहीं लादा जाएगा।" और नौहा के अलावा रोने की इजाज़त है। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो भी शख़्स क़त्ल किया जाता है उसके ख़ून का एक हिस्सा हज़रत आदम علیہ السلام के पहले बेटे पर पड़ता है क्योंकि उसी ने क़त्ल

की रस्म ईजाद की।"

हदीस 1205:- उसामह बिन ज़ैद ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ की एक साहिबज़ादी ने आपको कहला भेजा मेरा एक लड़का फ़ौत हो रहा है, आप तशरीफ़ ले आएं। आपने जवाब में सलाम के साथ कहला भेजा जो चीज़ खुदा तआला की थी वह उसने ले ली और उसी का है वह कुछ जो उसने दिया और हर एक के लिए एक मीआद मुक़र्रर है, बिना बरीं सब्र करो और इसे सवाब समझो।" आपकी साहिबज़ादी ने फिर आपके पास एक पैग़ाम क़सम देकर भेजा कि आप तशरीफ़ लाइए। आप खड़े हुए, सअद बिन उबादह, मुआज़ बिन जबल, उबय बिन कअब और ज़ैद बिन साबित ﷺ और कुछ दूसरे लोग आपके हमराह थे। वह बच्चा रसूलुल्लाह ﷺ के पास लाया गया, वह दम तोड़ रहा था। रावी कहते हैं गोया वह एक मशक थी, आपकी आंखें बह निकलीं। सअद ﷺ बोले या रसूलल्लाह! यह क्या? फ़रमायाः "यह जज़्बए तरहम है जो अल्लाह तआला ने बन्दों के दिलों में डांल दिया है, अल्लाह तआला भी रहम करने वालों पर रहम फ़रमाता है।

हदीस 1206:- अनस बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं, हम रसूलुल्लाह ﷺ की एक साहिबज़ादी के जनाज़े में शरीक हुए और रसूलुल्लाह ﷺ क़ब्र पर बैठे थे, देखा कि आपकी दोनों आंखें बह रही हैं। आपने फ़रमायाः "तुम में से कोई (ऐसा शख़्स) है जिसने रात अपनी बीवी से हमबिस्तरी न की हो?" अबू तलहा ﷺ बोले, मैं हूं। फ़रमायाः "क़ब्र में उतरो चुनान्चे वह क़ब्र में उतरे।

हदीस 1207:- उबैदुल्लाह बिन अबी मुलैकह ﷺ रिवायत करते हैं, उस्मान की साहिबज़ादी का एक बेट मक्का में वफ़ात पा गया तो हम जनाज़े में शिर्कत की ग़र्ज से पहुंचे। अब्दुल्लाह बिन उमर और अब्दुल्लाह बिन अब्बास ﷺ भी आए। मैं उन दोनों के दरमियान बैठा था या यह कहा कि मैं उन में से एक के पास बैठा था और दूसरे आकर मेरे पास बैठ गए। अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ ने अम्र बिन उस्मान ﷺ से कहा तुम औरतों को रोने पीटने से क्यों नहीं रोकते जबकि रसूलुल्लाह ﷺ का इरशाद है कि "मय्यत को उसके अहले ख़ाना के रोने की वजह से अज़ाब होता है। इब्ने अब्बास ﷺ ने कहा उमर ﷺ भी यही फ़रमाते थे। चुनान्चे कहते हैं मैं उमर ﷺ के साथ मक्का से वापस आ रहा था हत्ता कि हम बैदा में पहुंचे तो एक सवार को दरख़्तों के साए में देखा। उमर ﷺ ने फ़रमायाः जाओ देख कर आओ सवार कौन है? मैं गया तो वह सुहैब ﷺ थे। मैंने उमर ﷺ को बताया तो फ़रमायाः उन्हें मेरे पास ले आओ। मैंने सुहैब ﷺ के पास जाकर उन्हें चलने को कहा, सुहैब ﷺ अमीरुल मोमिनीन से मिले। जब उमर ﷺ ज़ख़्मी हुए तो सुहैब रोते हुए आए और कहते हाए मेरे भाई, वाए मेरे साथी। उमर ﷺ ने कहा सुहैब! तुम मुझ पर रोते हो हालांकि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया है: "मय्यत को उसके अहले खाना की गिरया ज़ारी के सबब अज़ाब दिया जाता है।" इब्ने अब्बास ﷺ कहते हैं जब उमर ﷺ इन्तिक़ाल फ़रमा गए तो मैंने यह हदीस सय्यदा आयशा ﷺ को सुनाई तो उन्होंने कहाः खुदा उमर ﷺ पर रहम करे, रसूलुल्लाह ﷺ ने यह नहीं फ़रमाया था कि अल्लाह तआला मोमिन को उसके अहले ख़ाना के रोने की वजह से मुब्तलाए अज़ाब फ़रमाता है बल्कि अल्लाह तआला काफ़िर का अज़ाब उसके अहले ख़ाना के रोने की वजह से दो चन्द कर देता है। (सय्यदा ﷺ ने) फ़रमायाः तुम्हारे लिए क़ुरआने मजीद का (यह फ़रमान) काफ़ी है: "कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा।" इब्ने अब्बास ﷺ ने उस वक़्त कहाः "अल्लाह ही हंसाता और रुलाता है।" इब्ने मुलैकह ﷺ कहते हैं,

अलबत्ता इब्ने उमर ने भी कुछ भी नहीं कहा।

हदीस 1208:–उमरह बिन्ते अब्दुर्रहमान रिवायत करती हैं, ज़ौजाए रसूल सय्यदा आयशा को उन्होंने फ़रमाते सुना: रसूलुल्लाह एक यहूदी औरत के पास से गुज़रे, उसके घर वाले उस पर मातम कर रहे थे। आपने फ़रमाया: "यह लोग इस पर रो रहे हैं और इसे क़ब्र में अज़ाब दिया जा रहा है।'

हदीस 1209:– अबू बुरदह अपने वालिद से रिवायत करते हैं, जब उमर ज़ख़्मी किए गए तो सुहैब चिल्ला उठे, हाए भाई। उमर बोले तुम नहीं जानते रसूलुल्लाह ने फ़रमाया: "मुर्दों को ज़िन्दों के रोने के बाइस अज़ाब दिया जाता है।"

बाब 818:– मय्यत पर मातम करने की कराहत:

उमर फ़रमाते हैं: उन औरतों को अबू सुलैमान पर रोने दो, जब तक नक़ा या लक़्लक़ह न हो। नक़ा से मुराद मिट्टी और लक़्लक़ह से मुराद आवाज़ है।

हदीस 1210:– मुग़ीरह रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने फ़रमाया: "जो मुझ पर झूट बांधे, वह इस तरह का नहीं कि जिस तरह किसी और पर बांधे, तो जो शख़्स मेरी तरफ़ कोई झूट मन्सूब करता है तो वह अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले।" मैंने रसूलुल्लाह को यह फ़रमाते सुना: "जिस शख़्स पर मातम किया जाए तो उस पर मातम के बाइस अज़ाब किया जाता है।"

हदीस 1211:– अब्दुल्लाह बिन उमर अपने वालिद से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने फ़रमाया: "मय्यत पर क़ब्र में मातम के बाइस अज़ाब होता है।"

बाब 819:– मय्यत पर फ़रिश्तों का साया फ़गन होना:

हदीस 1212:– जाबिर बिन अब्दुल्लाह रिवायत करते हैं, मेरे वालिद (की लाश) उहुद के दिन मुस्ला की गई। रसूलुल्लाह के पास रख कर उसे कपड़े से ढांप दिया गया, मैं इस ख़्याल से नज़्दीक गया कि उस खोलूं तो मेरे रिश्तेदारों ने रोका, मैं फिर गया ताकि कपड़ा हटाऊं तो मेरे क़बीले वालों ने मुझे मना किया। रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया तो कपड़ा हटाया गया। आपने एक चीख़ने वाले की आवाज़ सुनी, फ़रमाया: "कौन है?" अर्ज़ किया गया, अम्र की बेटी या उसकी बहन है। फ़रमाया: "तुम क्यों रोती हो, तुम रोओ या न रोओ, दो फ़रिश्ते उस पर अपने परों से साया फ़गन थे, यहां तक कि उठा लिये गए।"

बाब 820:– (इरशादे नबवी है): "वह शख़्स हमारी उम्मत में से नहीं जो (फ़र्ते ग़म से) गिरेबान फाड़े।"

हदीस 1213:– अब्दुल्लाह बिन मसऊद रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने फ़रमाया: "वह हम में से नहीं जो मुंह पीटे, गिरेबान फाड़े और जाहिलियत की बातें कहे।"

बाब 821:– रसूलुल्लाह ने सअद बिन ख़ौला के लिए मरसिया कहा:

हदीस 1214:– सअद बिन अबी वक़्क़ास रिवायत करते हैं, हज्जतुल विदाअ के साल रसूलुल्लाह मेरी इयादत को तश्रीफ़ लाए, मेरी बीमारी ने शिद्दत इख़्तियार कर ली थी। मैंने अर्ज़ किया मुझे बीमारी लाहिक़ हो गई और मैं मालदार हूं और मेरी एक लड़की के अलावा कोई मेरा वारिस नहीं, क्या मैं अपने माल का दो तिहाई हिस्सा सदक़ा न करदूं? आपने फ़रमाया नहीं, मैं बोला निस्फ़। फ़रमाया नहीं, आपने फ़रमाया: "तिहाई" और फ़रमाया: "तिहाई भी बड़ी मिक़दार है।" या फ़रमाया:

"बहुत है।" फिर फ़रमायाः "अपने वुरसा को मुहताज छोड़ने से कहीं बेहतर है कि उन्हें मालदार छोड़े और तुम जो कुछ अल्लाह की खुशनूदी के लिए ख़र्च करते हो उसका तुम्हें अज्र मिलता है हत्ता कि वह लुक़्मा भी जो तुम अपनी बीवी के मुंह में डालते हो।" फिर मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! क्या मैं अपने साथियों के बाद मक्का में ही रह जाऊंगा? फ़रमायाः "तुम पीछे नहीं रहोगे पस तुम जो भी अच्छा काम करोगे उस से तुम्हारा मक़ाम बुलन्द होगा। अगर तुम पीछे रह भी गए तो मुम्किन है तुम से एक क़ौम फ़ायदा और दूसरी नुक़्सान उठाएगी, ऐ मेरे अल्लाह! मेरे दोस्तों की हिजरत को पुख़्ता और कामिल फ़रमा दे और उन्हें पीछे न लौटा।" लेकिन बेचारे सअद बिन ख़ौला ؓ के लिए रसूलुल्लाह ﷺ अफ़सोस करते थे कि वह मक्का में फ़ौत हुए।

बाब 822:- मुसीबत के वक़्त बाल नोचने के मुमानिअतः

अबू बुरदह बिन अबू मूसा ؓ रिवायत करते हैं, अबू मूसा ؓ बीमार हुए तो उन पर ग़शी तारी हो गई। उनका सर घर की किसी ख़ातून की गोद में था, वह औरत चीख़ने चिल्लाने लगी और वह उसे मना न कर सकते थे। जब इफ़ाक़ा हुआ तो कहा मैं उससे इज़्हारे बराअत करता हूं जिस से रसूलुल्लाह ﷺ ने बराअत ज़ाहिर की। रसूलुल्लाह ﷺ ने चीख़ कर रोने और गिरेबान फाड़ने और सर मुंडाने वाली औरत से बेज़ारी ज़ाहिर की है।

बाब 823:- (इरशादे नबवी है:) "वह हम में से नहीं जो (मुसीबत में) गाल पीटेः

हदीस 1215:- अब्दुल्लाह बिन मसऊद ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "वह शख़्स हमारी उम्मत में से नहीं जो अपने गाल पीटे, गिरेबान फाड़े और जाहिलियत की बातें कहे।"

बाब 824:- मुसीबत के वक़्त जज़ा फ़ज़ा और जाहिलियत की बातें करना मना हैः

हदीस 1216:- अब्दुल्लाह बिन मसऊद ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "वह हम में से नहीं जो (मुसीबत के वक़्त) अपने गाल पीटे, गिरेबान फाड़े और जाहिलियत की बातें कहे।"

बाब 825:- मुसीबत के वक़्त इस तरह बैठना कि रंज व ग़म नुमायां होः

हदीस 1217:- सय्यदा आयशा ؓ रिवायत करती हैं, जब रसूलुल्लाह ﷺ को इब्ने हारिसह, जाफ़र और इब्ने रवाहा ؓ की शहादत की इत्तिला मिली तो आप इस तरह तशरीफ़ फ़रमा हुए कि आसारे ग़म चेहरे पर नुमायां थे और मैं दरवाज़े की दरज़ों से देख रही थी। एक शख़्स ने आकर आपको जाफ़र के अहले ख़ाना की गिरया ज़ारी के बारे में बताया। आपने उसे फ़रमायाः "जा कर रोक दो।" वह चला गया फिर लौट कर आया और कहा उसकी बात नहीं मानी गई। आपने फिर फ़रमायाः "जाओ उन्हें मना करो।" तीसरी बार पलट कर वह आया, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! वल्लाह वह औरतें हम पर ग़ालिब आ गईं। सय्यदा ؓ कहती है आपने उसे फ़रमायाः "उनके मुंह में ख़ाक झोंक दो।" मैंने उसे कहा खुदा तेरी नाक ख़ाक आलूद करे, तूने वह किया जो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया लेकिन आपको कूफ़त पहुंचाने से न रुका।

हदीस 1218:- अनस ؓ रिवायत करते हैं, जब कुर्रा शहीद किए गए तो आपने मुसलसल एक माह तक दुआए कुनूत पढ़ी और मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को इस मौक़ा से बढ़ कर शिद्दते ग़म में डूबा हुआ नहीं देखा।

बाब 826:- जिसने मुसीबत के वक़्त अपना ग़म छुपाए रखा:

मुहम्मद बिन कअब कुर्ज़ी कहते हैं "जज़अ" का मतलब ना-पसन्दीदा अल्फ़ाज़ मुंह से निकालना और सूए ज़न्न है। याकूब ﷺ ने कहा: "मैं अपने रंज व ग़म की शिकायत सिर्फ़ अल्लाह तआला से करता हूं।"

हदीस 1219:- अनस बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं, अबू तलहा ﷺ का एक बच्चा बीमारी में फ़ौत हो गया, अबू तलहा ﷺ बाहर गए हुए थे। जब उनकी बीवी ने देखा कि बच्चा फ़ौत हो चुका है तो कुछ खाने पीने का सामान तय्यार किया और उसे कफ़न पहना कर एक कोने में रख दिया। अबू तलहा ﷺ आए तो उन्होंने बच्चे के बारे में इस्तिफ़्सार किया। बीवी बोलीं आराम से है, उम्मीद है वह सुकून में है। अबू तलहा ﷺ ने उसे सच्चा समझा (और ख़ामोश हो रहे) चुनान्चे उन्होंने रात बसर की। सुबह हुई और गुस्ल करके बाहर जाने का इरादा किया तो बीवी ने बताया बच्चा फ़ौत हो गया है। अबू तलहा ﷺ ने (मामूल के मुताबिक़) रसूलुल्लाह ﷺ के साथ नमाज़ पढ़ी और आपने वह वाक़िआ बयान किया जो उनको पेश आया था। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "उम्मीद है अल्लाह तआला तुम दोनों को तुम्हारी रात में बरकत अता फ़रमाएगा।" सुफ़यान कहते हैं एक अन्सारी शख़्स ने कहा, मैंने उनके नौ लड़के देखे जो सबके सब क़ारी थे।

फ़ायदा:- हज़रत अबू तल्हा अन्सारी ﷺ सफ़र से वापस आने वाले थे। उसी रोज़ उन का नौउम्र साहिबज़ादा फ़ौत हो गया। उन की अहलियए मुहतरमा हज़रत उम्मे सुलैम ﷺ ने बच्चे को गुस्ल व कफ़न देकर घर के एक कोने में लिटा दिया और अपने ख़ाविन्द के लिये खाने पीने का सामान भी तय्यार कर लिया। यह सब कुछ इसलिये किया कि वह सफ़र से हारे थके आएंगे और बच्चे के फ़ौत होने की ख़बर सुन कर कुछ भी नहीं खाएंगे बल्कि मज़ीद यह कि बच्चे के फ़ौत होने का अफ़सोस भी होगा। उन्होंने अपने ख़ाविन्द को राहत पहुंचाने के लिये यह सारा एहतेमाम किया और अपने ख़ाविन्द का इस दर्जा एहतेराम करने के बाइस परवरदिगारे आलम ने उन हज़रात की उस रात में बरकत दी। उस बरकत का एलान अपने महबूब दानाए गुयूब ﷺ से करवाया और उन्हें नौ लड़के अता फ़रमाए जो सब के सब क़ारी हुए। मालूम हुआ कि औरत जिस दर्जा ख़ाविन्द की ताबेअदार और ख़ैर ख़्वाह होगी, औलाद उतनी ही नेक होगी और औलाद में बरकत होगी। हर औरत को चाहिये कि वह अपने ख़ाविन्द की ताबेअदार और ख़ैर ख़्वाह रहे क्योंकि: "إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ"

बे-अदब मां बा-अदब औलाद जन नहीं सकती:

बाब 827:- हक़ीक़ी सब्र वही है जो सदमा पेश आते ही किया जाए:

उमर ﷺ फ़रमाते हैं, दो पलड़े किस क़दर अच्छे हैं और किस क़दर अच्छे हैं वह लोग जिन्हें दुख पहुंचा तो उन्होंने कहा "إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" "बेशक हम अल्लाह के लिये हैं और बेशक हम उसी की तरफ़ लौटने वाले हैं।" यही वह लोग हैं जिन पर ख़ुदा की मेहरबानियां और रहमतें हैं और यही लोग हिदायत याफ़्ता हैं। नीज़ इरशादे ख़ुदावन्दी है: "नमाज़ और सब्र के ज़रिऐ मदद चाहो, बेशक यह ख़ुदा से डरने वालों के अलावा लोगों पर बहुत गिरां है।"

हदीस 1220:- साबित रिवायत करते हैं, मैंने अनस ﷺ को रसूलुल्लाह ﷺ से फ़रमाते हुए सुना, आपने फ़रमाया: "सब्र तो दरअस्ल वह है जो सदमे के इब्तिदाई लम्हों में हो।"

बाब 828:- (अपने साहिबज़ादे जनाबे इब्राहीम के मौक़ा पर) रसूलुल्लाह ﷺ का यह फ़रमाना कि "हम तुम्हारी जुदाई पर ग़म्ज़दा हैं।" इब्ने उमर رضي الله عنهما रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत करते हैं, आपने फ़रमाया: "आंखें गिरया कुनां और दिल ग़मगीन है।"

हदीस 1221:- अनस बिन मालिक رضي الله عنه रिवायत करते हैं, हम रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह अबू यूसुफ़ लोहार के घर गए जो जनाबे इब्राहीम رضي الله عنه (फ़रज़न्दे रसूल) की अन्ना का शौहर था। रसूलुल्लाह ﷺ ने इब्राहीम رضي الله عنه को लेकर प्यार किया, उन्हें सूंघा, बादे अज़ां अबू यूसुफ़ लोहार के पास गए और इब्राहीम दम तोड़ रहे थे। रसूलुल्लाह ﷺ की आंखों से आंसू रवां हो गए। अब्दुर्रहमान बिन औफ़ رضي الله عنه बोले, अल्लाह के रसूल! आप और रो रहे हैं? फ़रमाया: "ऐ औफ़ के बेटे! यह तो रहमत व शफ़क़त है।" फिर आए तो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "आंख अश्कबार और दिल ग़मज़दा है मगर ज़बान से वही कहेंगे जिस से हमारा रब राज़ी है और ऐ इब्राहीम तुम्हारे हिज्र में हम ग़मगीन हैं।"

बाब 829:- मरीज़ के पास रोना:

हदीस 1222:- अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, सअद बिन आबादह رضي الله عنه बीमार हुए। उनकी इयादत को रसूलुल्लाह ﷺ अब्दुर्रहमान बिन औफ़, सअद बिन वक़्क़ास और अब्दुल्लाह बिन मसऊद رضي الله عنهم के साथ तशरीफ़ ले गए। उनके हां गए तो उन्हें घर वालों के झुरमुट में देखा। आपने फ़रमाया: "क्या इन्तिक़ाल कर गए?" लोगों ने कहा या रसूलल्लाह! नहीं। रसूलुल्लाह ﷺ रो दिए, जब रसूलुल्लाह ﷺ को लोगों ने रोते देखा तो वह भी रोने लगे। आपने फ़रमाया: "तुम नहीं जानते कि अल्लाह तआला रोने और दिल गिरफ़्तगी के बाइस अज़ाब नहीं करता बल्कि इस वजह से और आपने ज़बान का इशारा किया (यानी नौहा ख़्वानी के बाइस) या रहम करता है और मय्यत पर उसके अहले ख़ाना के गिरया व ज़ारी की वजह से अज़ाब होता है" उमर رضي الله عنه यह सूरते हाल देख कर डंडे या पत्थर मारते और मुंह में ख़ाक डालते थे।

बाब 830:- नौहा ख़्वानी और रोने की मुमानिअत और उस पर ज़ज्र व तौबीख़ करना:

हदीस 1223:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, जब ज़ैद बिन हारिसह, जाफ़र और अब्दुल्लाह बिन रवाहा رضي الله عنهم की शहादत की ख़बर पहुंची तो रसूलुल्लाह ﷺ तशरीफ़ फ़रमा हुए और आपके चेहरए अनवर से आसारे ग़म हुवेदा थे और मैं दरवाज़े की दरज़ों से देख रही थी। एक शख़्स ने आकर इत्तिला दी या रसूलल्लाह! जाफ़र رضي الله عنه के अहले ख़ाना-रो रहे हैं। आपने उसे फ़रमाया: "उन औरतों को जाकर रोक दो।" वह गया और फिर वापस आया और कहने लगा, मैंने उन्हें रोका लेकिन औरतों ने न माना, आपने दूसरी बार मना करने को कहा, वह गया और फिर आकर कहने लगा, बख़ुदा वह मुझ पर ग़ालिब आ गईं, या कहा हम पर ग़ालिब आ गईं। आयशा رضي الله عنها कहती हैं, आपने फ़रमाया: "उनके मुंह में ख़ाक झोंको।" आयशा رضي الله عنها ने फ़रमाया, अल्लाह तुम्हारी नाक ख़ाक आलूद करे, बख़ुदा मैं तो वह कुछ नहीं करने का (जिसका हुक्म दिया गया) तो तू ने रसूलुल्लाह ﷺ को कूफ़्त क्यों पहुंचाई।

हदीस 1224:- उम्मे अतियह رضي الله عنها रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने हम से बैअत करते वक़्त नौहा न करने का अहद भी लिया (लेकिन) हम में से पाँच औरतों के सिवा किसी ने इस इक़रार का लिहाज़ न किया। उम्मे सुलैम, उम्मे अला, ज़ौजह मुआज़, अबू सबरह की बेटी और दो दीगर

ख़्वातीन, या यह कहा कि सबरह की बेटी और मुआज़ की ज़ौजा और एक दूसरी औरत।

बाब 831:- जनाज़ा देख कर खड़ा होना:

हदीस 1225:- आमिर बिन रबीअह ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम जनाज़ा देखो तो खड़े हो जाया करो, हत्ता कि वह आगे निकल जाए।" हुमैदी ؓ ने उसमें इस क़दर इज़ाफ़ा किया हत्ता कि वह तुम्हें पीछे छोड़ जाए या जनाज़ा रख दिया जाए।

बाब 832:- जनाज़े के लिए खड़ा हो तो फिर कब बैठे?:

हदीस 1226:- आमिर बिन रबीअह ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तुम में से जब कोई जनाज़ा देखे और उसमें शिरकत का इरादा न रखता हो तो खड़ा हो जाए यहां तक कि वह जनाज़ा आगे निकल जाए या क़ब्ल उसके कि वह आगे बढ़े या रख दिया जाए।"

हदीस 1227:- सईद मक्बुरी ؓ अपने वालिद (कसयान) से रिवायत करते हैं, हम एक जनाज़े में थे, तो अबू हुरैरह ؓ ने मरवान का हाथ पकड़ा और दोनों जनाज़ा रखे जाने से पहले बैठ गए तो अबू सईद ؓ आए और मरवान का हाथ पकड़ कर उसे खड़ा हो जाने को कहा बख़ुदा वह जानता है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने हमें उससे रोका है, अबू हुरैरह ؓ बोले अबू सईद ؓ सच कहते हैं।

बाब 833:- जो शख़्स जनाज़े के साथ जाए तो जब तक जनाज़ा लोगों के कंधें से न उतारा जाए न बैठे और अगर बैठ जाए तो उसे खड़े होने को कहा जाए:

हदीस 1228:- अबू सईद ख़ुदरी ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम जनाज़ा देखो तो खड़े हो जाओ और जो शख़्स उसके साथ जाए तो जनाज़ा रखे जाने से पहले न बैठे।"

बाब 834:- जो यहूदी के जनाज़े के लिए खड़ा हो:

हदीस 1229:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ؓ रिवायत करते हैं, हमारे क़रीब से एक जनाज़ा गुज़रा, उस के लिए रसूलुल्लाह ﷺ खड़े हुए तो हम भी आपके साथ खड़े हो गए। हमने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! यह तो एक यहूदी का जनाज़ा है। आपने फ़रमाया: "तुम जब भी जनाज़ा देखो खड़े हो जाओ।"

हदीस 1230:- अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला ؓ रिवायत करते हैं, सहल बिन हुनैफ़ और क़ैस बिन सअद ؓ क़ादिसियह में बैठे हुए थे, तो उन दोनों के पास से जनाज़ा गुज़रा तो दोनो खड़े हो गए। उन्हें बतलाया गया यह तो यहां की रिआया यानी ज़िम्मी काफ़िर का जनाज़ा है। वह दोनों बोले, रसूलुल्लाह ﷺ के पास से एक जनाज़ा गुज़रा तो आप खड़े हो गए, आप से अर्ज़ किया गया यह तो यहूदी का जनाज़ा है। आपने फ़रमाया: "क्या उसकी जान नहीं थी।"

बाब 835:- जनाज़ा औरतें नहीं बल्कि मर्द उठाएं:

हदीस 1231:- अबू सईद ख़ुदरी ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब जनाज़ा तय्यार हो जाता है और मर्द उसे उठाते हैं तो अगर वह नेक होता है तो कहता है मुझे (जल्द) ले चलो, अगर बुरा होता है तो कहता है मुझे कहां लिए जा रहे हो? उसकी आवाज़ इन्सानों के अलावा हर एक चीज़ सुनती है, अगर इन्सान सुनें तो बेहोश हो जाएं।"

बाब 836:- जनाज़ा जल्द ले चलना, अनस ؓ कहते हैं, तुम जनाज़े के साथ चल रहे हो, तुम उसके आगे, पीछे, दाएं और बाएं चलो, उनके अलावा दूसरों ने भी इसके क़रीब क़रीब बताया।

हदीस 1232:– अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जनाज़ा ले जाने में जल्दी करो, अगर वह अच्छा है तो बेहतर चीज़ है जिसे तुम आगे भेज रहे हो, अगर वह बुरा है तो एक बुरा बोझ है जो तुम गर्दन से उतार रहे हो।"

बाब 837:– मय्यत जब चारपाई पर हो तो कहती है मुझे जल्द ले चलो:

हदीस 1233:– अबू सईद खुदरी ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब जनाज़ा तय्यार हो जाता है और लोग उसे अपने कांधों पर उठाते हैं, अगर वह अच्छा है तो कहता है मुझे जल्द ले चलो, अगर वह बुरा होता है तो अपने वुरसा से कहता है हाए, मुझे तुम कहां लिए जा रहे हो? उस की आवाज़ को बजुज़ इन्सानों के हर एक सुनता है अगर इन्सान उसे सुन ले तो बेहोश हो जाए।"

फ़ायदा:– इस हदीस से साफ़ तौर पर मालूम हो रहा है कि हर मुर्दा ज़िन्दों की आवाज़ सुनता है ख़्वाह मरने वाला नेक हो या बद। बाज़ लोग इस बात का ख़्वाह मख़्वाह इन्कार करते और लातल्लुक़ दलाइल का सहारा लेकर समाए मौता का इन्कार करते रहते हैं। मुर्दा तो बोलता भी और ज़िन्दा लोगों से गुफ़्तगू भी करता है लेकिन वह उस की आवाज़ को सुन नहीं पाते, जैसा कि इस हदीस में वाज़ेह तौर पर मज़्कूर है। अब्नाए ज़माना को चाहिये कि हक़ाइक़ को तसलीम कर लिया करें। "وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ" इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ बरेलवी ﷺ ने हयातुल मवात रिसाले में समाए मौता का सुबूत पेश करते हुए चार सौ पंचास दलाइल क़ायम किये हैं, अल्हम्दु लिल्लाह! एक सदी गुज़रने पर भी समाए मौता का कोई बड़े से बड़ा मुन्किर उन में से किसी एक दलील को तोड़ नहीं सका। हक़ व सदाक़त की निशानी यही होती है क्योंकि "اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ كَيْدَ الْخَآئِنِيْنَ ○"

बाब 838:– इमाम के पीछे जनाज़े पर दो या तीन सफ़ें बनाना:

हदीस 1234:– जाबिर बिन अब्दुल्लाह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने नजाशी की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी तो मैं दूसरी या तीसरी सफ़ में था।

बाब 839:– जनाज़े के लिए सफ़ें बनाना:

हदीस 1235:– अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने अपने साथियों को नजाशी की मौत की ख़बर सुनाई, फिर आगे बढ़े तो लोगों ने आपके पीछे सफ़ बनाई और आपने चार तकबीरें कहीं।

हदीस 1236:– शअबी रिवायत करते हैं कि मुझे उस शख़्स ने जिसने रसूलुल्लाह ﷺ को देखा, बताया आप एक अलग थलग क़ब्र पर आए सफ़ें बनाई और चार तकबीरें कहीं। मैंने पूछा तुम्हें किसने बताया? कहा इब्ने अब्बास ﷺ ने।

हदीस 1237:– जाबिर बिन अब्दुल्लाह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "आज लश्कर का एक मर्दे सालेह फ़ौत हो गया है आओ और नमाज़ पढ़ें।" हमने सफ़ें बांध लीं, रसूलुल्लाह ﷺ ने उस पर नमाज़ पढ़ी और हम लोग सफ़ बस्ता खड़े थे। अबज़्ज़ुबैर ने जाबिर ﷺ के हवाले से बताया, मैं दूसरी सफ़ में था।

बाब 840:– जनाज़े में मर्दों के साथ बच्चे भी सफ़ें बनाएं:

हदीस 1238:– इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ एक क़ब्र पर से गुज़रे

जिस में रात को (मुर्दा) दफ़न किया गया था। आपने पूछा: "इसे कब दफ़न किया गया?" अर्ज़ किया गया गुज़िश्ता शब। फ़रमाया: "तुमने मुझे इत्तिला न की।" लोग बोले, हम ने इसे रात की तारीकी में दफ़न किया था और आप को जगाना मुनासिब न समझा। आप खड़े हो गए तो हमने आपके पीछे सफ़ें बनाईं। इब्ने अब्बास رضي الله عنهما कहते हैं, मैं भी शामिल था चुनान्चे आपने उस पर नमाज़े (जनाज़ा) पढ़ी।

बाब 841:- नमाज़े जनाज़ा का तरीक़ा:

रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस ने नमाज़े जनाज़ा पढ़ी" और फ़रमाया: "अपने दोस्त पर नमाज़ पढ़ो" और फ़रमाया: "नजाशी पर नमाज़ पढ़ो।" उसे नमाज़ का नाम दिया हालांकि उस में न रुकूअ है और न सज्दा, उसमें बात चीत भी नहीं की जाती, उस में तकबीर और सलाम भी है। इब्ने उमर رضي الله عنهما बावुज़ू नमाज़े जनाज़ा पढ़ते और तुलूअ व ग़ुरूब के वक़्त नमाज़ न पढ़ते थे और अपने दोनों हाथ उठाते। हसन बसरी कहते हैं, मैंने लोगों को (इस ख़्याल का हामिल) पाया कि नमाज़े जनाज़ा पढ़ाने का वही मुस्तहिक़ है जिसे लोग फ़र्ज़ नामज़ में इमाम बनाना पसन्द करें, जब ईद के दिन या जनाज़ा के वक़्त बे-वुज़ू हो जाए तो पानी मांगे तयम्मुम न करे और जब जनाज़े के पास इस हाल में पहुंचे कि लोग नामज़ पढ़ रहे हों तो नमाज़ में उनके साथ तकबीर कह कर शरीक हो जाए। इब्ने मुसय्यब رضي الله عنه कहते हैं रात, दिन और सफ़र, हज़र में चार तकबीरें कहे। अनस رضي الله عنه के मुताबिक़ पहली तकबीर नमाज़ के शुरू करने के लिए है। इरशादे ख़ुदावन्दी है: "अगर उन (मुनाफ़िक़ों) में से कोई मर जाए तो उन पर नमाज़ न पढ़ो।" और उसमें सफ़ें बनाई जातीं और इमाम होता है।

हदीस 1239:- शअबी रिवायत करते हैं, मुझे उस शख़्स ने बताया जो रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह एक अलक थलग क़ब्र पर से गुज़रा कि आपने हमारी इमामत की, हमने आपके पीछे सफ़ बांध कर नमाज़ पढ़ी। हमने पूछा ऐ अबू अम्र तुम्हें किसने बताया? कहा इब्ने अब्बास رضي الله عنهما ने।

बाब 842:- जनाज़े के साथ जाने की फ़ज़ीलत:

ज़ैद बिन साबित رضي الله عنه कहते हैं, जब तुम ने नमाज़े (जनाज़ा) पढ़ ली तो अपना हक़ अदा कर दिया, जो तुम पर लाज़िम था। हुमैद बिन हिलाल कहते हैं हम नमाज़े जनाज़ा के बाद इजाज़त लेना ज़रूरी ख़्याल नहीं करते, लेकिन जो कोई सिर्फ़ नमाज़ पढ़ कर लौट जाए उसे एक क़ीरात (सवाब) मिलेगा।

हदीस 1240:- अबू हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करत हैं, जो शख़्स जनाज़े के हमराह जाए तो उस के लिए एक क़ीरात है। इब्ने उमर رضي الله عنهما का कहना है कि अबू हुरैरह رضي الله عنه ज़्यादा रिवायत करने के आदी हैं। सय्यदा आयशा رضي الله عنها ने अबू हुरैरह رضي الله عنه की तस्दीक़ की और कहा मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को यही फ़रमाते सुना। इब्ने उमर رضي الله عنهما अन्हुमा कहते हैं, हम ने बहुत से क़ीरात में नुक़सान उठाया, यानी अल्लाह का हुक्म ज़ाए किया।

बाब 843:- तदफ़ीन तक ठहरना:

हदीस 1241:- अबू हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो शख़्स जनाज़े में शामिल हो और नमाज़ पढ़े उसे एक क़ीरात (सवाब) मिलेगा और जो तदफ़ीन तक मौजूद रहे उस के लिए दो क़ीरात हैं।" अर्ज़ किया गया दो क़ीरात का क्या मतलब है? फ़रमाया: "दो बड़े पहाड़ों की तरह।"

बाब 844:- जनाज़े में लोगों के साथ बच्चों का नमाज़ पढ़ना:

हदीस 1242:- इब्ने अब्बास رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ एक क़ब्र के पास से

गुज़रे, लोगों ने अर्ज़ किया यह गुज़िश्ता रात दफ़्न किया गया या की गई है। इब्ने अब्बास कहते हैं, हम ने आपके पीछे सफ़ें बनाईं फिर आपने उस पर नमाज़ पढ़ी।

बाब 845:- ईदगाह या मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा पढ़ना:

हदीस 1243:- अबू हुरैरह रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने हमें शाहे हब्शाह नजाशी की मौत की ख़बर सुनाई, जिस दिन कि नजाशी ने वफ़ात पाई। आपने फ़रमाया: "तुम अपने भाई के लिए बख़्शिश की दुआ करो।" इब्ने शहाब कहते हैं, मुझे सईद बिन मुसय्यब ने अबू हुरैरह के हवाले से बयान किया रसूलुल्लाह ने ईदगाह में सहाबा की सफ़ें बनवाईं और चार तकबीरें कहीं।

हदीस 1244:- अब्दुल्लाह बिन उमर रिवायत करते हैं, यहूद रसूलुल्लाह के पास एक यहूदी मर्द और औरत को लेकर आए जो ज़िना के मुर्तकिब हुए थे। आपने उन्हें संगसार करने का हुक्म सादिर फ़रमाया। उन्हें मस्जिद के पास नमाज़े जनाज़ा पढ़ने की जगह के नज़्दीक संगसार किया गया।

बाब 846:- क़ब्रों पर मस्जिद बनाने की कराहत:

जब हसन बिन हसन बिन अली का इन्तिक़ाल हुआ तो उनकी अहलिया उनकी क़ब्र पर साल भर ख़ेमा लगाए बैठी रहीं, फिर ख़ेमा उखाड़ लिया तो किसी की आवाज़ सुनाई दी, जो चीज़ उन्होंने गुम की थी वह मिल गई, दूसरा बोला नहीं बल्कि मायूस हो कर लौट गए।

हदीस 1245:- सय्यदा आयशा रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ने मर्ज़ुल मौत में फ़रमाया: "अल्लाह तआला यहूद व नसारा पर लानत करे, उन्होंने अंबिया की क़ब्रों को मस्जिद बना लिया।" सय्यदा आयशा फ़रमाती हैं, अगर ऐसा न होता तो आपकी क़ब्र खुली रहती लेकिन यह अंदेशा है कि उसे मस्जिद बना लिया जाता।

बाब 847:- निफ़ास वाली औरत की नमाज़े जनाज़ा जबकि वह हालते निफ़ास में मर जाए:

हदीस 1246:- समुरह रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह के पीछे उस औरत की नमाज़े (जनाज़ा) पढ़ी जो हालते निफ़ास में मर गई थी, आप उसके दरमियान खड़े थे।

बाब 848:- (इमाम) औरत और मर्द के जनाज़े में कहां खड़ा हो:

हदीस 1247:- समुरह बिन जुन्दुब रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह के पीछे हालते निफ़ास में मरने वाली औरत की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी, आप उसके दरमियान में खड़े थे।

बाब 849:- नमाज़े जनाज़ा की तकबीरें चार हैं:

हुमैद के मुताबिक़ हमें अनस ने नमाज़ पढ़ाई तो तीन तकबीरें पढ़ीं, फिर सलाम फेरा। उनसे कहा गया तो उन्होंने क़िब्ले की तरफ़ मुंह किया फिर चौथी तकबीर कह कर सलाम फेरा।

हदीस 1248:- अबू हुरैरह रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने नजाशी के इन्तिक़ाल की ख़बर सुनाई जिस दिन कि उसने वफ़ात पाई। आप लोगों को ईदगाह की तरफ़ ले गए, लोगों ने सफ़ें बांधीं और आपने उस पर चार तकबीरें कहीं।

हदीस 1249:- जाबिर रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने अस्हमह नजाशी पर नमाज़े (जनाज़ा) पढ़ी तो चार तकबीरें पढ़ीं।

फ़ायदा:- इस हदीस से दो बातें मालूम हो रही हैं कि हब्शा के बादशाह नजाशी अस्महा ने अपने मुल्क दारुल कुफ़्र में वफ़ात पाई तो वहां उनकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी नहीं गई थी। रसूलुल्लाह

ﷺ ने मदीना तय्यबा में मुसलमानों को साथ लेकर ग़ायबाना उन की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी और यह हुज़ूर की ख़ुसूसियात से है क्योंकि नजाशी का जनाज़ा हुज़ूर से ग़ायब नहीं था। दूसरे लोगों के लिये ग़ायबाना नमाज़े जनाज़ा पढ़ना जाइज़ नहीं है। दूसरी बात यह मालूम हुई कि नमाज़े जनाज़ा में सिर्फ़ चार तकबीरें हैं।

चौधवीं सदी के मुजद्दिदे बरहक़ और आलमे इस्लाम के मायए नाज़ फ़क़ीह इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ बरेलवी رضي الله عنه ने अल-हादी अल-हाजिब के तारीख़ी नाम से एक निहायत मुहक़्क़क़ाना रिसाला ख़ास इस मस्अले में तस्नीफ़ फ़रमाया जिस की चन्द इबारतें पेश की जाती हैं।

"यह पचासी कुतुबे मुतव्वन व शरह व फ़तावा की दो सौ सात (207) इबारात हैं। ग़र्ज़ सूरते मज़्कूर इस्तिस्ना के सिवा नमाज़े जनाज़ा की तकरार नाजाइज़ व गुनाह होने पर मज़्हबे हनफ़ी का इज्माअ क़तई है और इसका मुख़ालिफ़ मुख़ालिफ़े मज़्हबे हनफ़ी है। मज़्हबे मुहज़्ज़ब हनफ़ी में जनाज़ा ग़ायब पर भी महज़ नाजाइज़ है। अइम्मए हनफ़िया का इसके अदम जवाज़ पर भी इज्माअ है।

हुज़ूर पुरनूर, सय्यिदे यौमुन नुशूर, बिल-मोमिनीन रऊफ़ रहीम अलैहि व अला आलिही अफ़ज़लिस सलातु वत्तसलीम को नमाज़े जनाज़ए मुस्लिमीन का कमाल एहतेमाम था। अगर किसी वक़्त रात की अंधेरी या दोपहर की गर्मी या हुज़ूर के आराम फ़रमाने के सबब सहाबा ने हुज़ूर को इत्तिला न दी और दफ़न कर दिया तो इरशाद फ़रमाते: ऐसा न करो, मुझे अपने जनाज़ों के लिये बुला लिया करो। हालांकि ज़मानए अक़्दस में सदहा सहाबए किराम رضي الله عنهم ने दूसरे इलाक़ों में वफ़ात पाई, कभी किसी हदीसे सहीह सरीह से साबित नहीं कि हुज़ूर ने ग़ायबाना उनके जनाज़े की नमाज़ पढ़ी। क्या वह मुहताजे रहमते वाला न थे। मआज़ल्लाह हुज़ूरे अक़्दस ﷺ का आम तौर पर उन की नमाज़े जनाज़ा न पढ़ना ही दलीले रौशन व वाज़ेह है कि जनाज़ा ग़ायब पर नमाज़ नामुम्किन थी वरना ज़रूर पढ़ते कि मुक़्तज़ी बकमाले वफ़ूद मौजूद और मानेअ मफ़्क़ूद लाजर्म न पढ़ना क़स्दन बाज़ रहना था और जिस अम्र से मुस्तफ़ा ﷺ बे-उज़्र मानेअ बिलक़स्द एहतेराज़ फ़रमाएं और ज़रूर अम्रे शरई व मशरूअ नहीं हो सकता। वाक़िआ बिअरे मऊना ही देखिये। मदीना तय्यबा के सत्तर जिगर पारों, मुहम्मद रसूलुल्लाह ﷺ के ख़ास प्यारों अजिल्ला उलमाए सहाबए किराम رضي الله عنهم को कुफ़्फ़ार ने दग़ा से शहीद कर दिया। मुस्तफ़ा ﷺ को उन का सख़्त व शदीद ग़म व अलम हुआ। एक महीना कामिल ख़ास नमाज़ के अन्दर कुफ़्फ़ार नाहन्जार पर लअनत फ़रमाते रहे मगर हरगिज़ मन्क़ूल नहीं कि उन प्यारे महबूबों पर नमाज़ पढ़ी हो। अहले इन्साफ़ के नज़्दीक कलाम तो इसी क़दर से तमाम हुआ।

आफ़ताब की तरह रौशन हो गया कि नमाज़ ग़ायब व तकरार नमाज़े जनाज़ा दोनों हमारे मज़्हब में नाजाइज़ हैं और नाजाइज़ गुनाह है और गुनाह में किसी का इत्तिबाअ नहीं है तो इमाम का शाफ़ई-उल मज़्हब होना इस नाजाइज़ को हमारे लिये क्यों कर जाइज़ कर सकता है? ग़र्ज़ मज़्हबे मुहज़्ज़ब हनफ़ी का तो यह हुक्म है, बाक़ी जो कोई ग़ैर मुक़ल्लिद बनना चाहे तो आज कल आज़ादी व बेलगामी की हवा चल रही है। हर शख़्स को बेमहार होने का इख़्तियार है और उस के रद्द में बिहम्दिल्लाहि तआला हमारे रिसालए अन्नही अलअकीद वग़ैरा काफ़ी। "والله المستعان على اهل الطغيان."

बाब 850:- (नमाज़े) जनाज़ा में सूरए फ़ातिहा पढ़ना:

हसन बसरी कहते हैं, बच्चे पर सूरए फ़ातिहा पढ़े और कहे: "اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّسَلَفًا وَّاَجْرًا."

"ऐ अल्लाह! ऐ हमारे लिये आगे जाने वाला, पीछे काम आने वाला और बाइसे अज्र बनाना।"

हदीस 1250:– तल्हा रिवायत करते हैं, मैंने इब्ने अब्बास ﷺ के पीछे नमाज़े जनाज़ा पढ़ी, उन्होंने सूरए फ़ातिहा पढ़ी और कहा लोगों को मालूम होना चाहिए कि यह सुन्नत है।

बाब 851:– तदफ़ीन के बाद क़ब्र पर नमाज़ पढ़ना:

हदीस 1251:– शअबी रिवायत करते हैं, मुझे उस शख़्स ने बताया जो रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह एक अलग थलग क़ब्र पर गुज़रा था। आपने लोगों की इमामत की और उन्होंने आपके पीछे नमाज़ पढ़ी, मैंने पूछी ऐ अबू अम्र, तुम्हें यह किसने बताया? कहा इब्ने अब्बास ﷺ ने।

हदीस 1252:– अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, असवद नामी एक मर्द या औरत मस्जिद में झाड़ू देती थी, वह मर गई तो रसूलुल्लाह ﷺ को उसका इल्म न हो सका। आपने उसे एक दिन तलब किया, फ़रमायाः "वह कहां है?" अर्ज़ किया गया या रसूलल्लाह! वह तो मर गई। फ़रमायाः "तुम ने मुझे क्यों न बताया।" लोगों ने कहा इस वजह से यानी वह इस क़ाबिल न थी। आपने फ़रमायाः "मुझे उसकी क़ब्र का पता दो।" चुनान्चे आप उसकी क़ब्र पर आए और उस पर नमाज़ पढ़ी।

बाब 852:– मुर्दा जूतों की आहट सुनता है:

हदीस 1253:– अनस ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "इन्सान जब क़ब्र में दफ़न कर दिया जाता है और लोग मुड़ने लगते हैं तो वह जूतों की आहट (बखूबी) सुनता है। दो फ़रिश्ते उसके पास आते हैं और उसे बिठा कर उससे कहते हैं: इस शख़्स मुहम्मद (ﷺ) के बारे में तुम्हारा क्या ख़्याल है? वह कहता है, मैं गवाह हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं। उसे कहा जाता है दोज़ख़ में अपनी जगह देख लें कि अल्लाह तआला ने तुझे उसके बदले में जन्नत अता फ़रमा दी।" रसूलुल्लाह ﷺ फ़रमाते हैं: "वह यह दोनों ठिकाने देखता है, और काफ़िर या मुनाफ़िक़ कहता है मुझे (चन्दां) मालूम नहीं, मैं तो वही कहता हूं, जो लोग कहते थे। उसे कहा जाएगा न तो तू ने जाना और न समझा, फिर लोहे के हथौड़े उसके कानों के दरमियान मारे जाते हैं और वह चीख़ता है, उस चीख़ को इन्सानों और जिन्नों के अलावा आस पास की तमाम चीज़ें सुनती हैं।"

फ़ायदाः– इस हदीस से चन्द बातें मालूम हुई। एक यह कि तमाम मुर्दे सुनते हैं लिहाज़ा समाअ मौता का इन्कार करना दीन से बेख़बर होने की दलील है या अहले हक़ की मुख़ालिफ़त में इसका इन्कार किया जाता है। दूसरी बात यह मालूम हुई कि अज़ाबे क़ब्र बरहक़ है। तीसरी बात यह कि क़ब्र में दो फ़रिश्ते हर मरने वाले से सवाल करते हैं। चौथी बात यह कि हर क़ब्र में रसूलुल्लाह ﷺ की जल्वागरी होती है। पांचवीं बात यह मालूम हुई कि हर एक की नजात रहमते दो आलम ﷺ को पहचानने पर मौक़ूफ़ है और क़ब्र में सिर्फ़ ईमान की आंखों से ही उस जाने ईमान को पहचाना जा सकेगा। वल्लाहु तआला आलमु।

बाब 853:– जो शख़्स किसी मुतबर्रक जगह या उस तरह की जगह में दफ़न होने की ख़्वाहिश करे:

हदीस 1254:– अबू हुरैरह ﷺ रिवायत हैं, मूसा ﷺ के पास मलकुल मौत भेजा गया, जब वह आपके पास आया तो आपने उसे तमांचा मारा और उसकी आंख फूट गई। वह अल्लाह तआला के पास

गया और कहा तूने मुझे उस बन्दे के पास भेजा जो मरना नहीं चाहता। अल्लाह तआला ने उसकी आंख ठीक कर दी और फ़रमाया: उसके पास जाओ और उन्हें कहो यह अपना हाथ बैल की पीठ पर रखें और हर बाल के इवज़ उन्हें एक साल ज़िन्दगी अता की जाएगी। मूसा ﷺ ने अर्ज़ किया: ऐ परवरदिगार! फिर क्या होगा? फ़रमाया: मौत! मूसा ﷺ बोले: फिर तो अभी आ जाए और ख़ुदा के हुज़ूर गुज़ारिश की कि पत्थर फेंकने की हद पर अर्ज़े मुक़द्दस क़रीब कर दी जाए। रसूलुल्लाह ﷺ फ़रमाते हैं: "अगर मैं वहां होता तो तुम्हें रास्ते पर लाल टीले के क़रीब उनकी क़ब्र दिखाता।"

बाब 854:- रात के वक़्त तदफ़ीन और जनाबे अबू बकर ﷺ की तदफ़ीन रात को अमल में आई:

हदीस 1255:- इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने एक शख़्स पर रात को तदफ़ीन के बाद नमाज़े (जनाज़ा) पढ़ी। आप और आपके सहाबा उठे और उसके मुताल्लिक़ इस्तिफ़सार कर रहे थे, यह कौन थे? लोगों ने कहा, यह फ़ुलां की क़ब्र है जो गुज़िश्ता शब दफ़न किया गया तो लोगों ने उस पर नमाज़ पढ़ी।

बाब 855:- क़ब्र पर मस्जिद बनाना:

हदीस 1256:- सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ बीमार हुए तो आपकी बाज़ अज़्वाज ने हब्शा के एक मारिया नामी गिरजे का तज़्किरा किया। उम्मे सलमह और उम्मे हबीबह ﷺ हब्शा तशरीफ़ ले गई थीं। उन्होंने उसकी ख़ूबसूरती और (उसमें आवेज़ां) तस्वीरों का ज़िक्र किया, जो उस गिरजा में थीं। आपने सर उठा कर फ़रमाया: "यह वह लोग हैं जब उन में से कोई नेक आदमी मर जाता तो यह उसकी क़ब्र पर मस्जिद बना डालते, फिर उसकी तस्वीरें बनाते और यह लोग अल्लाह तआला के नज़्दीक बदतरीन मख़्लूक़ हैं।"

बाब 856:- औरत की क़ब्र में कौन उतरे?:

हदीस 1257:- अनस बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं, हम रसूलुल्लाह ﷺ की साहिबज़ादी के जनाज़े में शरीक हुए और आप क़ब्र पर तशरीफ़ फ़रमा थे। मैंने देखा आंखें आंसू बहा रही थीं। आप ने फ़रमाया: "तुम में कोई ऐसा भी है जिस ने रात अपनी बीवी से सोहबत न की हो।" अबू तल्हा ﷺ बोले, मैं हूं। आपने फ़रमाया: "क़ब्र में उतरो।" अबू तल्हा उतरे और उन्हें क़ब्र में उतारा।

बाब 857:- शहीद की नमाज़े जनाज़ा:

हदीस 1258:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ शुहदाए उहुद में से दो को एक कपड़े में इकट्ठा रखते और फिर फ़रमाते: "इन दोनों में से क़ुरआने मजीद किसको ज़्यादा आता था?" जब उन में से किसी के मुताल्लिक़ इशारा किया जाता तो क़ब्र में पहले उसे रखा जाता और फ़रमाते: "मैं क़यामत के दिन इनका गवाह हूं।" और उन्हें ख़ून आलूद दफ़न किया, उन्हें न ग़ुस्ल दिया गया और न उन पर नमाज़ पढ़ी गई।

हदीस 1259:- उक़्बह बिन आमिर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ एक दिन निकले तो उहुद वालों के लिए नमाज़ पढ़ी, जिस तरह (आम) मुर्दों पर पढ़ी जाती है, फिर मिम्बर की तरफ़ आए और फ़रमाया: "मैं तुम्हारा पेशरौ हूं, मैं तुम पर गवाह हूं, मैं अपने हौज़ को इस वक़्त देख रहा हूं, मुझे ज़मीन के ख़ज़ानों की कुंजियां दी गई हैं।" या यह फ़रमाया: "ज़मीन की कुंजियां मुझे दी गई हैं, बख़ुदा

मुझे इस बात का (इतना) डर नहीं कि तुम शिर्क करने लगोगे लेकिन मुझे तुम्हारे हुसूले दुनिया में एक दूसरे से मुक़ाबले का अंदेशा है।"

फ़ायदा:- इस हदीस से मालूम हुआ कि निगाहे मुस्तफ़ा का यह आलम था कि आप ज़मीन पर बैठे हुए हौज़े कौसर को देख लिया करते थे। जिन का ख़्याल यह है कि हुज़ूर दीवार के परे भी नहीं देख सकते थे वह मक़ामे मुस्तफ़ा से बेख़बर हैं। दूसरी बात यह कि इस हदीस में हुज़ूर ने हौज़े कौसर को अपना हौज़ फ़रमाया है क्योंकि परवरदिगारे आलम ने यह आप को अता फ़रमा दिया है। मालूम हुआ कि ख़ुदा की ख़ुदाई में मुहम्मद मुस्तफ़ा ﷺ की बादशाही हक़ और मुसल्लमा है। तीसरे यह कि इस हदीस से यह भी मालूम हो रहा है कि हुज़ूर को अपनी उम्मत के शिर्क में मुब्तला होने का कोई ख़दशा नहीं था क्योंकि आप ने शिर्क की जड़ें काट दी थीं, इसके बावुजूद जिन को उम्मते मुहम्मदिया का सवादे आज़म शिर्क में डूबा हुआ नज़र आ रहा है वह ख़ुद ही देखने वाली निगाहों से महरूम हैं। वल्लाहु तआला आलम।

बाब 858:- एक क़ब्र में दो या तीन आदमियों की तदफ़ीन:

हदीस 1260:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ उहुद के शुहदा में से दो आदमियों को एक ही क़ब्र में दफ़न करते थे।

बाब 859:- शुहदा को ग़ुस्ल न देना:

हदीस 1261:- जाबिर رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "उन्हें (यानी शुहदा को) उनके ख़ून समेत दफ़न कर दो।" आपने यह उहुद के दिन फ़रमाया था और उन्हें ग़ुस्ल न दिया।

बाब 860:- लहद में पहले किसे रखा जाए:

लहद इस लिए कहा जाता है कि वह एक कोने में होती है और हर ज़ालिम को "मुल्हिद" कहा जाता है। "मुल्हतदन" से मुराद है हटने की जगह और अगर क़ब्र सीधी हो तो उसे "ज़रीह" कहते हैं।

हदीस 1262:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ शुहदाए उहुद में से दो को एक कपड़े में रखते, फिर फ़रमाते: "उन में क़ुरआने मजीद कौन ज़्यादा जानता है?" जब किसी एक के बारे में इशारा किया जाता तो पहले उसे लहद में रखते। आपने फ़रमाया: "मैं इन पर गवाह हूं।" आपने उन्हें ख़ून आलूद हालत में दफ़न करने का हुक्म दिया, न उन पर नमाज़ पढ़ी और न उन्हें नहलाया गया। औज़ाई ने ज़ुहरी से और उन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضی اللہ عنہ से रिवायत किया, रसूलुल्लाह ﷺ शुहदाए उहुद के मुताल्लिक़ फ़रमाते: "उन में से क़ुरआने मजीद कौन ज़्यादा जानता है?" जब किसी एक के बारे में बताया जाता तो उसे उसके साथी से पहले लहद में रखते। जाबिर رضی اللہ عنہ कहते हैं, मेरे वालिद और चचा को आप ने एक चादर में रखा।

बाब 861:- क़ब्र में इज़्ख़र या घास बिछाना:

हदीस 1263:- इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: अल्लाह तआला ने मक्का को हराम क़रार दिया है न मुझ से पहले और न मेरे बाद किसी के लिए हलाल होगा, मेरे लिए (भी) दिन के थोड़े से हिस्से में हलाल किया गया, न उसकी घास काटी जाएगी और न दरख़्त, न उसका शिकार भड़काया जाएगा और न यहां की गिरी पड़ी चीज़ उठाई जाएगी अल्बत्ता एलान करने वाले के लिए (वह चीज़ उठाना) जाइज़ है।" अब्बास رضی اللہ عنہ बोले, इज़्ख़र को हमारे सुनारों और क़ब्रों के

लिये जाइज़ करार दे दीजिए। आपने फ़रमायाः "(चलो) इज़्ख़र के अलावा।" अबू हुरैरह ؓ ने रसूलुल्लाह ﷺ के हवाले से कहा, हमारी कब्रों और हमारे घरों के लिए ... इब्ने अब्बास ؓ ने कहा, लोहारों और घरों के लिए जाइज़ करार देने को कहा गया।

फ़ायदाः– रसूलुल्लाह ﷺ ने हरम की घास काटने को नाजाइज़ करार दिया लेकिन हज़रत अब्बास ؓ की दरख़्वास्त पर इज़्ख़र का इस्तिस्ना फ़रमा दिया। मालूम हुआ कि परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब को तशरीई अहकाम का इख़्तियार भी अता फ़रमा दिया था। वल्लाहु तआला आलम।

बाब 862:– मय्यत को किसी ज़रूरत की बिना पर क़ब्र या लहद से निकालना:

हदीस 1264:– जाबिर बिन अब्दुल्लाह ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ अब्दुल्लाह बिन उबय की कब्र पर तशरीफ़ ले गए जबकि वह तदफ़ीन अमल में आ चुकी थी। आपने उसे निकालने को कहा, चुनान्चे उसे निकाला गया। आपने उसे अपने घुटनों पर रख कर अपना लुआबे दहन डाला और उसे अपनी क़मीस पहनाई। वल्लाहु आलम, और उस ने जनाबे अब्बास ؓ को अपना कुर्ता पहनाया था। सुफ़यान बयान करते हैं कि अबू हुरैरह ؓ के मुताबिक़ रसूलुल्लाह ﷺ के दो कुर्ते थे। आप से अब्दुल्लाह (बिन उबय) के बेटे ने कहा, या रसूलल्लाह! मेरे बाप को अपनी क़मीस इनायत फ़रमा दीजिए, जो आपके ज़ेरे इस्तेमाल हो। सुफ़यान के मुताबिक़ लोगों का ख़्याल है रसूलुल्लाह ﷺ ने अब्दुल्लाह को अपना कुर्ता इस इवज़ में पहनाया कि उस ने जनाबे अब्बास ؓ को अपना कुर्ता पहनाया था।

हदीस 1265:– जाबिर ؓ रिवायत करते हैं, जब (जंग) उहुद का वक़्त क़रीब आया तो रात को मेरे वालिद ने मुझे बुलाया और कहा, मैं अपने आप को अस्हाबे रसूल में से सबसे पहले शहीद होने वाला गुमान करता हूं, और मैं तुम्हें रसूलुल्लाह ﷺ के अलावा सबसे ज़्यादा अज़ीज़ समझता हूं। मुझ पर क़र्ज़ है उसे अदा कर देना, अपनी बहनों से हुस्ने सुलूक करना। सुबह को हमने देखा (वाक़ई) वह सबसे पहले शहीद किए गए और उनके साथ उनकी क़ब्र में दूसरा आदमी दफ़न किया गया और मुझे गवारा न हुआ कि मैं उन्हें दूसरे के साथ रखूं। छः माह बाद मैंने उन्हें निकाला तो वह उसी तरह थे जिस तरह मैंने दफ़न किया था बस ज़रा कान मुतास्सिर हुआ था।

हदीस 1266:– जाबिर ؓ रिवायत करते हैं, मेरे वालिद किसी दूसरे के साथ दफ़न किए गए। मुझे यह बात पसन्द न आई, मैंने उन्हें वहां से निकाल कर दूसरी क़ब्र में दफ़न कर दिया।

बाब 863:– क़ब्र में लहद और शक़ बनाना:

हदीस 1267:– जाबिर बिन अब्दुल्लाह ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ शुहदाए उहुद में से दो आदमियों को एक साथ रखते, फिर दरयाफ़्त फ़रमातेः "उनमें से कौन ज़्यादा क़ुरआन जानता है?" जब किसी एक के बारे में बताया जाता तो उसे पहले लहद में रखते और फ़रमायाः "मैं क़यामत के दिन इन पर गवाह हूंगा।" उन्हें ख़ून आलूद हालत में दफ़न करने का हुक्म दिया और उन्हें ग़ुस्ल नहीं दिया।

बाब 864:– जब बच्चा इस्लाम ले आए और (बुलूग़त से पहले) फ़ौत हो जाए तो क्या उस पर नमाज़ पढ़ी जाएगी? और क्या बच्चे पर इस्लाम पेश किया जा सकता है?:

हसन बसरी, शुरैह, इब्राहीम और क़तादह ؓ ने फ़रमाया, (मां बाप में से) कोई एक मुसलमान हो तो लड़का मुसलमान के साथ शुमार होगा। इब्ने अब्बास ؓ अपनी मां के साथ कमज़ोर मुसलमान समझे जाते थे और अपने वालिद के साथ क़ौम के दीन पर न थे। इरशादे नबवी हैः "इस्लाम सर

बुलन्द रहता है सरनिगूं नहीं।"

हदीस 1268:- अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ रिवायत करते हैं, उमर ﷺ और कुछ दूसरे लोग रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह इब्ने सय्याद के पास गए। उन्होंने इब्ने सय्याद को बनी मग़ाला के टीलों के पास बच्चों के साथ खेलता हुआ देखा। इब्ने सय्याद उन दिनों बुलूग़त के क़रीब था, उसे आपकी आमद का पता न चल सका। रसूलुल्लाह ﷺ ने अपना हाथ उस पर मारा और फ़रमायाः "क्या तू मेरे रसूल होने की गवाही देता है?" इब्ने सय्याद ने आपको देखा और कहा, मैं गवाही देता हूं कि आप "उम्मियों" के रसूल हैं। उसने आप से कहा, क्या आप मेरे रसूल होने की गवाही देते हैं? आपने उसे छोड़ दिया और फ़रमायाः "मैं अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाया।" और फिर उसे फ़रमायाः "तुम क्या देखते हो?" इब्ने सय्याद बोला, मेरे पास सच्ची और झूटी बातें आती हैं। आपने फ़रमायाः "तुम्हारा काम ख़लत मलत हो गया है।" आपने फ़रमायाः "मैंने दिल में एक बात छुपा रखी है, बतलाओ क्या है?" बोला, वह "दुख़" है। फ़रमायाः "चल दूर हो, तू अपनी बिसात से नहीं बढ़ सकता।" उमर ﷺ बोले या रसूलल्लाह! मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इसकी गर्दन मार दूँ। आपने फ़रमायाः "अगर यह वही (दज्जाल) है तो तुझे उसकी ताक़त नहीं, अगर वह नहीं तो क़त्ल का कोई फ़ायदा नहीं।" सालिम ﷺ कहते हैं, मैंने इब्ने उमर ﷺ को फ़रमाते हुए सुना, बादे अज़ां रसूलुल्लाह ﷺ और उबय इब्ने कअब ﷺ उस दरख़्त के पास गए जहां इब्ने सय्याद था, आप का इरादा यह था कि क़ब्ल इसके कि यह मुझे देखे मैं (बे-ख़बरी में) उससे कुछ सुनूं। रसूलुल्लाह ﷺ ने उसे चादर में लिपटा हुआ देखा वह सो रहा था और उस से कुछ आवाज़ निकल रही थी। इब्ने सय्याद की मां ने रसूलुल्लाह ﷺ को देख लिया, हालांकि आप दरख़्तों की ओट से हो कर आ रहे थे। उस ने इब्ने सय्याद से कहा ऐ साफ़! यह मुहम्मद ﷺ आ रहे हैं। इब्ने सय्याद उठ बैठा तो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "अगर वह उसे अपने हाल पर रहने देती तो मामला वाज़ेह हो जाता।"

हदीस 1269:- अनस ﷺ रिवायत करते हैं, एक यहूदी लड़का रसूलुल्लाह ﷺ का ख़ादिम था। वह बीमार हुआ तो रसूलुल्लाह ﷺ उसकी मिज़ाज पुर्सी को तशरीफ़ ले गए। आप उसके सिरहाने बैठे, आपने फ़रमायाः "इस्लाम ले आओ।" उसने क़रीब बैठे हुए अपने बाप की तरफ़ नज़र उठाई। वह बोला, अबुल क़ासिम ﷺ की बात मान लो और इस्लाम ले आओ। रसूलुल्लाह ﷺ यह कहते हुए बाहर निकल आएः "अल्लाह का शुक्र है जिस ने उसे आग से नजात दे दी।"

हदीस 1270:- इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, मैं और मेरी वालिदा कमज़ोरों में से थे, मैं बच्चों और मेरी मां औरतों में से।

हदीस 1271:- इब्ने शहाब कहते हैं, हर मरने वाले बच्चे पर नमाज़े (जनाज़ा) पढ़ी जाए ख़्वाह वह ज़ानिया का ही क्यों न हो, क्योंकि बच्चा फ़ितरते इस्लाम पर पैदा होता है। उसके वालिदैन या सिर्फ़ वालिद मुसलमान होने का मुद्दई हो और उसकी वालिदा इस्लाम पर न हो और वह (बच्चा) चिल्ला कर रो दे तो उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाएगी, और जो चिल्ला कर न रोए, तो उसके लिए नमाज़ नहीं, क्योंकि वह साक़ित शुमार होगा। अबू हुरैरह ﷺ बयान करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "हर पैदा होने वाला फ़िरते (इस्लाम) पर पैदा होता है, फिर उसके वालिदैन उसे यहूदी या नसरानी या मजूसी बना लेते हैं जैसा कि जानवर सही व सालिम पैदा होते हैं, क्या तुम उस में कोई कन कटा देखते हो।"

अबू हुरैरह ﷺ ने यह आयत आख़िर तक तिलावत की: "अल्लाह तआला की फ़ितरत वही है जिस पर लोगों को पैदा किया।

हदीस 1272:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "हर बच्चा फ़ितरत पर ही पैदा होता है, फिर उसके मां बाप उसे यहूदी, नसरानी या पारसी बना देते हैं जैसे कोई जानवर बच्चा जने तो क्या तुम कोई कन कटा देखते हो।" फिर अबू हुरैरह ﷺ यह आयत पढ़ते: "अल्लाह की फ़ितरत वही है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया, अल्लाह की तख़्लीक़ में कोई तब्दीली नहीं और यही सीधा रास्ता है।"

बाब 865:- जब मुश्रिक मरते वक़्त लाइलाह इल्लल्लाह कहे:

हदीस 1273:- सईद बिन मुसय्यब ﷺ अपने वालिद से रिवायत करते हैं, जब अबू तालिब की मौत का वक़्त आन पहुंचा तो रसूलुल्लाह ﷺ तशरीफ़ लाए। उनके पास अबू जहल बिन हिशाम और अब्दुल्लाह बिन अबी उमय्यह बिन मुग़ीरह बैठे थे। रसूलुल्लाह ﷺ ने अबू तालिब से कहा: "मेरे चचा! आप लाइलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए मैं ख़ुदा के हां इस कलिमा की शहादत दूंगा।" अबू जहल और अब्दुल्लाह बिन अबी उमय्यह बोले, क्या तुम दीने अब्दुल मुत्तलिब से मुन्हरिफ़ हो जाओगे? रसूलुल्लाह ﷺ इस कलिमा को अबू तालिब के सामने पेश करते रहे और यह दोनों वही बात दोहराते रहे, यहां तक कि अबू तालिब ने आख़िर में यह बात कही कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के तरीक़े पर हूं और ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से इन्कार कर दिया। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "बख़ुदा! मैं आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करता रहूंगा जब तक कि मुझे रोक न दिया जाए।" तब अल्लाह तआला ने आयत "مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ" नाज़िल फ़रमाई।

बाब 866:- क़ब्र पर शाख़ डालना:

बुरैदह अस्लमी ﷺ ने वसियत की, उनकी क़ब्र पर दो शाख़ें गाड़ दी जाएं और इब्ने उमर ﷺ ने अब्दुर्रहमान की क़ब्र पर ख़ेमा देखा तो कहा, बेटे इसे अलग करदे, इसका अमल ही इस पर साया फ़गन होगा। ख़ारिजह बिन ज़ैद ﷺ कहते हैं, मैंने अपने आप को इस हाल में देखा कि जवान था, अहदे उस्मान में वह शख़्स सबसे ज़्यादा छलांगें लगानो वाला समझा जाता जो उसमान बिन मज़्ऊन ﷺ की क़ब्र फलांग जाता। उसमान बिन हकीन कहते हैं, ख़ारिजह बिन ज़ैद ﷺ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे क़ब्र पर बिठाया और मुझे अपने चचा यज़ीद बिन साबित ﷺ के हवाले से बताया कि क़ब्र पर बैठ कर पेशाब करने को मकरूह समझा गया है (वरना) नाफ़ेअ ﷺ का कहना है कि इब्ने उमर ﷺ क़ब्रों पर बैठते थे।

हदीस 1274:- इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ दो क़ब्रों के पास से गुज़रे, जिन्हें अज़ाब दिया जा रहा था। आपने फ़रमाया: "इन दोनों पर अज़ाब हो रहा है लेकिन किसी ख़ास जुर्म की वजह से नहीं, उन में से एक तो पेशाब (के छींटों) से एहतियात नहीं करता था और दूसरा चुग़ल ख़ोर था।" फिर एक सब्ज़ शाख़ ली और उसके दो टुकड़े करके एक एक क़ब्र पर रख दिए। लोगों ने पूछा या रसूलल्लाह! यह किस मक़सद के लिए हैं? फ़रमाया: "जब तक यह सर-सब्ज़ रहेंगी शायद उनके अज़ाब में तख़्फ़ीफ़ रहे।"

फ़ायदा:- निगाहे मुस्तफ़ा का यह आलम है कि उन दोनों शख़्सों को तो क़ब्र में अज़ाब हो रहा

था लेकिन आपने उस का मुशाहिदा फ़रमा लिया। हालांकि यह बात दूसरे इन्सानों को मालूम नहीं हो सकती। इन हालात में हुज़ूर के देखने को दूसरे इन्सानों की तरह मानना मक़ामे मुस्तफ़ा से बेख़बरी और अज़मते मुस्तफ़वी के इन्कार पर मबनी होगी। आप के इल्म व मुशाहिदे का तो यह हाल है कि आप को यह भी मालूम हो गया कि उन दोनों को किन बातों पर अज़ाब हो रहा है। साथ ही यह भी मालूम हुआ कि क़ब्रों पर तर चीज़ डाली जाए तो वह तस्बीह बयान करेगी और मुर्दे के अज़ाब में तस्बीह की बरकत से तख़्फ़ीफ़ की उम्मीद है। इसी लिये बुज़ुर्गों की क़ब्रों पर फूल डाले जाते हैं। वल्लाहु तआला आलम।

बाब 867:- क़ब्र के क़रीब आलिम का बैठ कर लोगों से वअज़ व नसीहत करना और लोगों का इर्द गिर्द बैठना: "يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ" के माना हैं वह अपनी क़ब्रों से निकल खड़े होंगे। "بُعْثِرَتْ" का मतलब है उभारी जाएंगी और "بَعْثَرْتُ حَوْضِيْ" का तर्जमा मैंने उसके निचले हिस्से को ऊपर कर दिया, "اَلْاِيْفَاضُ" तेज़ दौड़ने को कहते हैं, आमश "اِلٰى نَصْبٍ" पढ़ा है यानी बुलन्दी की तरफ़ सबक़त करेंगे, "اَلنُّصُبُ" से वाहिद और "اَلنَّصْبُ" मस्दर है और "يَنْسِلُوْنَ" का मतलब है निकल पड़ेंगे।

हदीस 1275:- अली ﷺ रिवायत करते हैं, हम बक़ीए ग़र्क़द में एक जनाज़े में शरीक थे, ऐसे में रसूलुल्लाह ﷺ तशरीफ़ ले आए और बैठ गए, हम भी इर्द गिर्द बैठ गए। आपके पास एक छड़ी थी जिसे ज़मीन पर मारते और फ़रमाते: "तुम में हर ज़ी-रूह के लिए जन्नत और जहन्नम लिख दी गई है और नेक-बख़्त और बदबख़्त होना भी तहरीर किया जा चुका है।" एक शख़्स ने कहा या रसूलल्लाह! फिर हम अपने मुक़द्दर पर भरोसा न करें और अमल तर्क कर दें, जो नेक-बख़्त होगा वह नेकों जैसे काम और जो बदबख़्त होगा वह बदों के से आमाल करेगा। आपने फ़रमाया: "नेकों के लिए नेकी और बदों के लिए बदी आसान कर दी जाएगी।" फिर आपने "فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى" "जिस ने दिया और डरा।" पढ़ी।

बाब 868:- ख़ुद-कुशी करने वाले के मुताल्लिक़ क्या कुछ आया है:

हदीस 1276:- साबित बिन ज़हाक ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस ने इस्लाम के अलावा किसी और दीन की अमदन ग़लत क़सम खाई तो वह वही कुछ है जो उसने कहा। जिस ने ख़ुद को किसी हथियार से क़त्ल किया उसको जहन्नम में उसी हथियार से अज़ाब दिया जाएगा।" हज्जाज बिन मिन्हाल ने जरीर बिन हाज़िम, हसन और जुन्दुब ﷺ से इस मस्जिद में बयान किया कि न तो हम भूले और न हमें ख़ौफ़ है कि जुन्दुब ﷺ, रसूलुल्लाह ﷺ से झूट रिवायत करेंगे। एक शख़्स जो ज़ख़्मी था, उसने अपने आपको मार डाला, तो अल्लाह तआला ने फ़रमाया: मेरे बन्दे ने अपनी जान ख़ुद ही दे दी, इस लिए मैंने उस पर जन्नत हराम कर दी है।

हदीस 1277:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो अपना गला ख़ुद घोंट कर मारता है वह जहन्नम में अपने आप को गला घोंट कर मारता रहेगा, जो नेज़ा मार कर ख़ुद को क़त्ल करता है वह जहन्नम में अपने आप को नेज़ा मारता रहेगा।"

बाब 869:- मुनाफ़िक़ीन पर नमाज़ पढ़ने और मुश्रिकीन के लिए दुआए मग़फ़िरत की कराहत:

इब्ने उमर ﷺ ने इसे रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत किया।

हदीस 1278:- उमर बिन ख़त्ताब ؓ रिवायत करते हैं, जब अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल मरा तो उसके लिए रसूलुल्लाह ﷺ को बुलाया गया, ताकि नमाज़े जनाज़ा पढ़ाएं। जब रसूलुल्लाह ﷺ खड़े हुए तो मैं आपकी तरफ़ बढ़ा और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! क्या आप अब्दुल्लाह बिन उबय पर नमाज़ पढ़ेंगे जबकि उसने फ़ुलां दिन फ़ुलां बात कही थी और मैं उन्हें गिनाने लगा। रसूलुल्लाह ﷺ मुस्कुराए और फ़रमायाः "पीछे होकर बैठो।" जब मैंने इसरार किया तो आपने फ़रमायाः "मुझे इख़्तियार दिया गया है, मैंने यह पसन्द किया कि अगर मैं जानता कि सत्तर बार से ज़्यादा दुआए मग़फ़िरत करूं तो वह बख़्श दिया जाएगा तो मैं ऐसा यक़ीनन करता।" चुनान्चे रसूलुल्लाह ﷺ ने उसकी नमाज़ पढ़ी, फिर आप लौट आए। थोड़ी देर हुई थी, सूरए बराअत की दो आयतें नाज़िल हुईं, "وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا اِلٰى وَهُمْ فَاسِقُوْنَ" "उन में से किसी पर नमाज़ न पढ़ो ख़्वाह कभी मरे से फ़ासिकून तक।" उमर ؓ कहते हैं उस दिन जो कुछ मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से कहा उस पर मुझे हैरत है, अल्लाह और रसूल ज़्यादा जानने वाले हैं।

बाब 870:- मय्यत की तारीफ़ करना:

हदीस 1279:- अनस बिन मालिक ؓ रिवायत करते हैं, लोग एक जनाज़े के पास से गुज़रे तो उसका अच्छे अल्फ़ाज़ में ज़िक्र किया। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "वाजिब हो गई।" फिर एक दूसरे जनाज़े से गुज़रे उसका बुरे अल्फ़ाज़ में ज़िक्र किया गया तो आपने फ़रमायाः "वाजिब हो गई।" उमर बिन ख़त्ताब ؓ बोले क्या चीज़ वाजिब हो गई? आपने फ़रमायाः "जिस शख़्स की तुम ने तारीफ़ की उसके लिए जन्नत और जिस शख़्स का ज़िक्र बुरे अल्फ़ाज़ में हुआ उसके लिए जहन्नम वाजिब हो गई, तुम लोग अल्लाह की ज़मीन पर गवाह हो।"

हदीस 1280:- अबुल अस्वद रिवायत करते हैं, मैं मदीना आया तो वहां एक वबा फूट पड़ी थी। मैं उमर बिन ख़त्ताब ؓ के पास बैठा था, उनके पास से एक जनाज़ा गुज़रा तो उसकी तारीफ़ की गई। कहा वाजिब हो गई। दूसरा गुज़रा तो उसकी भी तारीफ़ की गई, कहा वाजिब हो गई। तीसरा जनाज़ा गुज़रा उसकी बुराई की गई, कहा वाजिब हो गई। अबुल अस्वद कहते हैं, मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन! क्या चीज़ वाजिब हो गई? बाले मैंने वही कुछ कहा जो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "जिस के लिए चार (मुसलमान) अच्छी गवाही दें, अल्लाह तआला उसे जन्नत में दाख़िल फ़रमाएगा।" हम ने कहा अगर तीन हों तो आपने फ़रमायाः "तीन भी।" हम बोले दो हों तो फ़रमायाः "दो भी।" फिर हम ने एक के मुताल्लिक़ न पूछा।

बाब 871:- अज़ाबे क़ब्र के मुताल्लिक़ जो कुछ मन्क़ूल है:

इरशादे ख़ुदावन्दी हैः "जब ज़ालिम मौत के शिकंजे में होंगे और फ़रिश्ते हाथ फैलाए हुए होंगे। उनसे कहा जाएगा अपनी जानों को निकालो, आज तुम्हें ज़िल्लत आमेज़ अज़ाब दिया जाएगा। "اَلْهُوْن" और "اَلْهَوَان" रिफ़्क़ के मअनों में है, इरशादे ख़ुदावन्दी हैः "फिर बुरे अज़ाब की तरफ़ पलटाएंगे।" इरशादे ख़ुदावन्दी हैः "आले फ़िरऔन को अज़ियतनाक अज़ाब मिलेगा वह सुबह व शाम आग के सामने पेश किए जाते हैं और जिस दिन क़यामत क़ायम होगी, कहा जाएगा आले फ़िरऔन को शदीद तरीन अज़ाब से दो चार करो।"

हदीस 1281:- बराअ बिन आज़िब ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "जब

मोमिन को क़ब्र में बिठाया जाता है तो उसके पास फ़रिश्ता भेजा जाता है, फिर वह लाइलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह की गवाही देता है, पस यही कुछ अल्लाह का कहना है: "يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ" "अल्लाह तआला ईमान वालों को मज़बूत बात पर क़ायम रखता है।

हदीस 1282:- इब्ने उमर رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने उस कुंवें में झांका जहां मक़तूलीने बदर पड़े थे। फ़रमायाः "क्या तुम ने खुदा का वादा सच्चा पाया।" आप से कहा गया क्या आप मुर्दों को पुकारते हैं? फ़रमायाः "तुम उनसे ज़्यादा नहीं सुनते (अल्बत्ता) वह जवाब नहीं दे सकते।"

हदीस 1283:- शुअबह ने इन अल्फ़ाज़ के इज़ाफ़ा के साथ यह हदीस नक़्ल की है "يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا" अज़ाबे क़ब्र के मुताल्लिक़ नाज़िल हुई है।

हदीस 1284:- सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमायाः "बिला शुब्हा उन्हें मालूम हो जाएगा जो मैं कहता था वह सही है और इरशादे खुदावन्दी है: "तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते।"

हदीस 1285:- सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا रिवायत करती हैं, एक यहूदी औरत ने मेरे पास आकर अज़ाबे क़ब्र का ज़िक्र किया और कहा अल्लाह तुम्हें अज़ाबे क़ब्र से महफ़ूज़ रखे। सय्यदा رضی اللہ عنہا ने रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم से अज़ाबे क़ब्र के मुताल्लिक़ पूछा। आपने फ़रमायाः "हां अज़ाबे क़ब्र हक़ है।" सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا फ़रमाती हैं, उसके बाद हम ने रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم को (बिल इल्तिज़ाम) हर नमाज़ में अज़ाबे क़ब्र से पनाह मांगते देखा।

हदीस 1286:- अस्मा رضی اللہ عنہا बिन्ते अबी बकर रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم खुत्बा देने के लिए खड़े हुए तो अज़ाबे क़ब्र का तज़्किरा किया जिस में इन्सान मुब्तला किया जाता है, आपने जब बयान फ़रमाया तो मुसलमान चीख़ने लगे।

हदीस 1287:- अनस बिन मालिक رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमायाः "जब इन्सान क़ब्र में दाख़िल होता है और वुरसा चले जाते हैं तो वह उनके जूतों की आहट सुनता है। उसके पास दो फ़ररिश्ते आते हैं, उसे बिठा कर पूछते हैं, तू इस शख़्स मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم के बारे में क्या कहता है? मोमिन तो यह कहता है मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं। उसे कहा जाता है जहन्नम के ठिकाने की तरफ़ देखो अल्लाह ने उसके बजाए तुम्हें जन्नत अता फ़रमाई, वह शख़्स यह दोनों चीज़ें देखता है। क़तादह رضی اللہ عنہ कहते है, हमें बताया कि क़ब्र में कुशादगी पैदा होती है। फिर अनस رضی اللہ عنہ की हदीस की तरफ़ रुजूअ किया, और मुनाफ़िक़ या काफ़िर से कहा जाता है तू इस शख़्स के मुताल्लिक़ क्या कहता है? वह कहता है मैं नहीं जानता मैं वही कहता था जो लोग कहते थे, तो उस से कहा जाता है न तू खुद समझा न दूसरों की राए पर चला। उस पर लोहे के गुर्ज़ बरसाए जाते हैं पस वह ज़ोर से चीख़ता है जिस की आवाज़ जिन्न व इन्स के अलावा क़रीबी चीज़ें सुनती हैं।

बाब 872:- अज़ाबे क़ब्र से पनाह मांगनाः

हदीस 1288:- अबू अय्यूब (अन्सारी) رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم गुरूबे आफ़ताब के बाद निकले, आपने एक आवाज़ सुनी, फ़रमायाः "यहूदियों को उनकी क़ब्र में अज़ाब दिया जा रहा है।"

हदीस 1289:- ख़ालिद बिन सईद बिन आस رضی اللہ عنہ की साहिबज़ादी रिवायत करती हैं, मैंने

रसूलुल्लाह ﷺ को अज़ाबे क़ब्र से पनाह मांगते हुए सुना।

हदीस 1290:- अबू हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ यह दुआ मांगा करते थे: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ। "ऐ अल्लाह! मैं तुझ से क़ब्र और आग के अज़ाब, ज़िन्दगी और मौत की आज़माइश और मसीह दज्जाल के फ़ितने से पनाह मांगता हूं।"

बाब 873:- ग़ीबत करने और पेशाब (के छींटों) से एहतियात न करने पर अज़ाबे क़ब्र होता है:

हदीस 1291:- इब्ने अब्बास رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ का दो क़ब्रों पर से गुज़र हुआ, फ़रमाया: "इन्हें अज़ाब हो रहा है, और कोई ख़ास वजह भी नहीं, उन में एक चुग़ल ख़ोर और दूसरा पेशाब से एहतियात न करता था।" इब्ने अब्बास رضي الله عنهما कहते हैं, आपने एक सब्ज़ शाख़ लेकर उसके दो टुकड़े किए और हर एक क़ब्र पर रख दिए, फिर फ़रमाया: "जब तक यह ख़ुश्क नहीं होंगे, उम्मीद है अज़ाब में तख़्फ़ीफ़ रहेगी।"

बाब 874:- मय्यत को सुबह व शाम उसका ठिकाना दिखाया जाता है:

हदीस 1292:- अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तुम में जब कोई वफ़ात पा जाता है तो सुबह व शाम उसके सामने उसका ठिकाना पेश किया जाता है, अगर वह जन्नतियों में से है और अगर वह दोज़ख़ियों में से है तो कहा जाता है, यह क़यामत तक का तुम्हारा ठिकाना है।"

बाब 875:- मय्यत का चार पाई पर बातें करना:

हदीस 1293:- अबू सईद ख़ुदरी رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब जनाज़ा तय्यार हो जाता है और लोग उसे अपने कांधों पर उठा लेते हैं, अगर वह नेक होता है तो कहता है मुझे जल्द ले चलो, मुझे जल्द ले चलो। अगर बदकार होता है तो कहता है हाए कहां ले चले हो? इन्सान के अलावा उसकी आवाज़ तमाम मख़्लूक़ सुनती है, अगर इन्सान सुन पाए तो बेहोश हो जाए।"

बाब 876:- मुसलमानों की (नाबालिग़) औलाद के मुताल्लिक़ जो रिवायतें वारिद हुई हैं:

अबू हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस के तीन ना-बालिग़ बच्चे फ़ौत हो जाएं तो वह उसके और जहन्नम के दरमियान आड़ बन जाते हैं।" या फ़रमाया: "वह जन्नत में दाख़िल हो जाता है।"

हदीस 1294:- अनस बिन मालिक رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस मुसलमान के तीन ना-बालिग़ बच्चे फ़ौत हो जाएं, तो उसे अल्लाह तआला बच्चों पर शफ़क़त और अपनी रहमत के सबब से जन्नत में दाख़िल फ़रमा देगा।"

हदीस 1295:- बराअ رضي الله عنه रिवायत करते हैं, इब्राहीम رضي الله عنه (फ़रज़न्दे रसूल) वफ़ात पा गए तो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जन्नत में इस के लिए एक दूध पिलाने वाली (अन्ना) मौजूद है।"

पारह छटा

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

बाब 877:– मुश्रिकों की ना–बालिग़ औलाद के बारे में जो कुछ वारिद हुआ है:

हदीस 1296:– इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ से मुश्रिकों की औलाद के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया गया। आपने फ़रमायाः "अल्लाह तआला ने जब उन्हें पैदा किया तो वह ज़्यादा जानता है जो कुछ कि यह करने वाले हैं।"

हदीस 1297:– अबू हुरैरह رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ से मुश्रिकों के बच्चों के मुताल्लिक़ पूछा गया तो आपने फ़रमायाः "अल्लाह तआला उनके आमाल को ज़्यादा जानने वाला है।"

हदीस 1298:– अबु हुरैरह رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "हर बच्चा (दीने) फ़ितरत पर पैदा होता है, फिर उसके वालिदैन उसे यहूदी, नसरानी या पारसी बना देते हैं। जानवर की मानिन्द क्या तुम देखते हो कोई नाक़िसुल आज़ा पैदा हुआ है?"

बाब 878:– बाज़ गुनाहों की सज़ाः

हदीस 1299:– समुरह बिन जुन्दुब رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जब नमाज़ पढ़ लेते तो हमारी तरफ़ मुतवज्जह होते और फ़रमातेः "तुम में से रात को किसी ने ख़्वाब देखा है?" अगर कोई शख़्स ख़्वाब देखता तो वह बताता और आप उसकी ताबीर बयान फ़रमाते, जो अल्लाह को मन्ज़ूर होता। चुनान्चे एक दिन आपने हम से सवाल कियाः "क्या तुम ने कोई ख़्वाब देखा है?" हम ने जवाब दिया नहीं। फ़रमायाः "मैंने देखा है, दो शख़्स मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़ कर अर्ज़े मुक़द्दस की तरफ़ ले गए। वहां देखा, एक शख़्स बैठा और दूसरा खड़ा हुआ है और उसके हाथ में (हमारे बाज़ दोस्तों का ख़्याल है कि) लोहे का टुकड़ा है। वह उस (बैठे हुए आदमी) के गलफड़े में घुसेड़ता है यहां तक कि वह गुद्दी तक पहुंच जाता है। इसी तरह फिर दूसरे गलफड़े में घुसेड़ता है और पहला जुड़ जाता है तो उसकी तरफ़ आता है और (बराबर) उसी तरह करता रहता है। मैंने पूछाः यह क्या है? उसने कहा आगे चलो। हम आगे बढ़े हत्ता कि एक शख़्स के पास पहुंचे जो चित पड़ा हुआ था और एक शख़्स उसके सर पर दस्ता या एक बड़ा पत्थर लिए खड़ा था जिससे उसका सर फोड़ता था। पत्थर मारते ही लुढ़क जाता और वह पत्थर लेने के लिए जाता तो वापस आने तक उस का सर जुड़ा हुआ होता जैसा कि पहले था, फिर वह पलट कर उसे मारता। मैंने पूछाः यह कौन है? बोले आगे चलो। चुनान्चे हम आगे चल दिए तो तन्नूर की मानिन्द एक घड़े पर पहुंचे, वह ऊपर से तंग और नीचे से चौड़ा था और उसके अन्दर आग भड़क रही थी। जब आग का शोअला लपकता तो लोग ऊपर आने के क़रीब हो जाते और जब आग बुझ जाती तो फिर उसमें लौट जाते। उसमें मर्द और नंगी औरतें थीं। मैंने कहा यह क्या है? बोले आगे चलिए। चुनान्चे हम आगे बढ़े यहां तक कि हम एक ख़ून की नदी पर पहुंचे, उस नदी में एक शख़्स खड़ा था।" यज़ीद बिन हारून और वहब बिन जरीर, जरीर बिन हाज़िम के हवाले से कहते हैं, "नहर के किनारे एक शख़्स खड़ा था जिस के सामने पत्थर धरे हुए थे, जब वह शख़्स जो नहर में था सामने आता और निकलने का इरादा करता तो (एक) आदमी उसके मुंह पर पत्थर मारता और वह वापस लौट

जाता। मैंने पूछा यह क्या है? वह बोले आगे बढ़िए। हत्ता कि हम एक सरसब्ज़ और शादाब बाग़ीचे के क़रीब पहुंचे जिस में बड़े बड़े दरख़्त थे। उसकी जड़ में एक बूढ़ा और कुछ बच्चे बैठे थे और एक शख़्स उस दरख़्त के क़रीब अपने सामने आग जला रहा था। उन दोनों ने मुझे दरख़्त पर चढ़ाया और हमें ऐसे घर में दाख़िल किया जिससे बेहतर और उमदा घर नहीं देखा, उस में बूढ़े, जवान, औरतें और बच्चे थे, फिर मुझे वहां से निकाल कर ले गए और एक और दरख़्त पर चढ़ाया और मुझे एक घर में दाख़िल किया, वह पहले से भी बेहतर और उमदा था। वहां बूढ़े और जवान नज़र आए। मैंने (साथियों से) कहा तुम ने मुझे रात भर घुमाया फिराया तो उसके मुताल्लिक़ बताओ जो मैंने देखा। बोले अच्छा वह शख़्स जिसे आपने देखा कि उसका गलफड़ा चीरा जा रहा था, वह झूटा शख़्स था जो झूटी बातें बयान करता था और लोग उसे ले उड़ते और वह झूट सारी दुनिया में फैल जाता, उनके साथ क़यामत तक ऐसा ही होता रहेगा और वह शख़्स जिसका सर फोड़ा जा रहा था आपने देखा, उसे अल्लाह ने क़ुरआन का इल्म अता किया था लेकिन वह उससे बे-परवाह होकर रात को सो रहा और दिन को उस पर अमल न किया, क़यामत तक उसके साथ ऐसा ही होता रहेगा। जिन्हें आपने तनूर में (जलते) देखा, वह ज़ानी थे और जिन्हें आपने नहर में देखा वह सूद ख़ोर थे और जिन्हें आपने दरख़्त की जड़ में (बैठा) देखा, वह इब्राहीम ﷺ थे और उनके इर्द गिर्द लोगों के बच्चे थे और जो शख़्स आग जला रहा था वह दोज़ख़ का दारोग़ा मालिक था और पहला घर जिस में आप दाख़िल हुए वह आम मोमिनीन का घर था और वह शहीदों का घर है और मैं जिब्राईल और वह मीकाईल हैं, आप अपना सर उठाइये। मैंने अपना सर उठाया तो अपने ऊपर बादल की तरह एक चीज़ देखी, बोले वह आपका मक़ाम है। मैंने कहा मुझे छोड़ दो मैं अपने मक़ाम पर चला जाऊं। उन्होंने कहा आप की उम्र अभी बाक़ी है जो पूरी नहीं हुई, जब पूरी हो जाएगी तो अपने मक़ाम पर आ जाओगे।"

बाब 879:- पीर के दिन मौत आना:

हदीस 1300:- सय्यदा आयशा ﵂ रिवायत करती हैं, मैं अबू बकर ﵁ के पास गई तो उन्होंने पूछा तुमने रसूलुल्लाह ﷺ को कितने कपड़ों में दफ़नाया? कहा, बिन धुले हुए सफ़ेद कपड़ों में जिस में न तो क़मीज़ थी और न इमामह। और उन (आयशा ﵂) से कहा रसूलुल्लाह ﷺ ने किस दिन वफ़ात पाई थी? बोलीं, पीर के दिन, फिर पूछा आज क्या दिन है? मैंने कहा पीर। अबू बकर ﵁ ने कहा, उम्मीद है रात तक कूच कर जाऊंगा। फिर उस कपड़े पर नज़र डाली जो बीमारी के दौरान पहने हुए थे, उस पर ज़ाफ़रान का एक धब्बा था। कहा यह कपड़ा धो दो और इसमें दो कपड़े और मिला कर मेरा कफ़न बनाओ। मैं बोली, यह तो बोसीदा है। कहा, मुर्दे की निस्बत ज़िन्दा नए कपड़ों का ज़्यादा मुस्तहिक़ है क्योंकि कफ़न तो पीप के लिए है। फिर उस दिन वफ़ात न हुई यहां तक कि मंगल की रात आ गई और सुबह से पहले दफ़न कर दिए।

बाब 880:- नागहानी मौत का बयान:

हदीस 1301:- सय्यदा आयशा ﵂ रिवायत करती हैं, किसी ने रसूलुल्लाह ﷺ से गुज़ारिश की कि मेरी मां अचानक फ़ौत हो गई। मुझे यक़ीन है अगर वह बोलती चालती तो (ज़रूर) सदक़ा करती, अगर मैं उसकी तरफ़ से सदक़ा करूं तो क्या उसे अज्र मिलेगा? फ़रमाया: "हां।"

बाब 881:- रसूलुल्लाह ﷺ, अबू बकर और उमर رضي الله عنهما की क़ब्रें:

"فَأَقْبَرَهُ أَقْبَرْتُ الرَّجُلَ أُقْبِرُهُ" का मतलब है, मैंने उसके लिए क़ब्र बनाई। "क़ब्रतहु" के माना हैं, मैंने उसे क़ब्र में दफ़न किया। "किफ़ातन" का मतलब है, उस पर ज़िन्दगी बसर करूंगा और मरने के बाद उसमें दफ़न किए जाओगे।

हदीस 1302:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ मर्ज़ुल मौत में अज़ राहे उज़्र फ़रमाया करते: "आज मैं कहां हूं (न जाने) कल कहां रहूंगा।" सय्यदा आयशा رضي الله عنها के बारी के दिन को बहुत दूर समझते थे। जब मेरी बारी का दिन आया, अल्लाह तआला ने आपको उठा लिया, आप मेरे पहलू और सीने के दरमियान थे और मेरे घर में दफ़न किए गए।

हदीस 1303:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने अपनी उस बीमारी में, जिस में जाँबर न हो सके, फ़रमाया: "अल्लाह तआला यहूद व नसारा पर लअनत करे, उन्होंने अपने अंबिया की क़ब्रों को मस्जिद बना लिया।" अगर ऐसा न होता तो आप की क़ब्र ज़ाहिर कर दी जाती मगर यह कि आप डरे या लोग डरे कि कहीं मस्जिद न बना दी जाए। हिलाल رضي الله عنه कहते हैं, उरवह رضي الله عنه ने मेरी कुन्नियत रख दी जबकि मेरी कोई औलाद न थी।

हदीस 1304:- सुफ़यान तुमार رضي الله عنه (खजूर फ़रोश) रिवायत करते हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ की क़ब्र को देखा है जो कोहान की तरह है।

हदीस 1305:- हिशाम बिन उरवह अपने वालिद से रिवायत करते हैं, जब वलीद बिन अब्दुल मलिक के ज़माने में (हुजरए आयशा رضي الله عنها) की दीवार गिरी तो लोग उसे बनाने लगे। एक पांव नज़र आया, लोग डर गए और समझे कि रसूलुल्लाह ﷺ का क़दमे मुबारक है। कोई ऐसा शख़्स न मिला जो उसे पहचान सकता हत्ता कि उन लोगों से उरवह رضي الله عنه ने कहा, बख़ुदा यह रसूलुल्लाह ﷺ का नहीं बल्कि उमर का पावं है। हिशाम अपने वालिद के हवाले से आयशा رضي الله عنها से रिवायत करते हैं कि उन्होंने अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर رضي الله عنه को वसियत की, मुझे उनके साथ दफ़न न करना बल्कि मुझे सौकनों के साथ बक़ीअ में दफ़न करो, मैं आपके साथ दफ़न होने के बाइस पाक नहीं हो जाउंगी।

हदीस 1306:- अम्र बिन मैमून औदी रिवायत करते हैं, मैंने उमर बिन ख़त्ताब رضي الله عنه को देखा, फ़रमाते थे: ऐ अब्दुल्लाह! तुम उम्मुल मोमिनीन आयशा رضي الله عنها के पास जाओ, कहो उमर बिन ख़त्ताब सलाम कहते हैं और फिर अपने दोनों साथियों के हमराह दफ़न किए जाने की इजाज़त मांगो। आयशा رضي الله عنها ने फ़रमाया, यह जगह मैंने अपने लिए रखी हुई थी लेकिन आज मैं उमर को अपने ऊपर तरजीह देती हूं। जब वह वापस आए तो उमर رضي الله عنه ने फ़रमाया, क्या ख़बर लेकर आए हो? बोले, अमीरुल मोमिनीन! उन्होंने आपको इजाज़त दे दी। कहा, आज मेरे नज़्दीक इस आरामगाह से बढ़ कर कोई चीज़ अहम न थी। जब मैं इन्तिक़ाल कर जाऊं तो मुझे लेकर जाना, सलाम कहना और फिर अर्ज़ करना कि उमर बिन ख़त्ताब इजाज़त चाहते हैं। अगर वह इजाज़त देदें तो दफ़न कर देना वरना मुझे (आम) मुसलमानों के क़ब्रिस्तान में दफ़न कर देना। और मैं ख़िलाफ़त का मुस्तहिक़ उन लोगों से ज़्यादा किसी को नहीं समझता जिन से रसूलुल्लाह ﷺ वफ़ात के वक़्त राज़ी थे। मेरे बाद यह लोग जिसे भी ख़लीफ़ा बनाएं वही ख़लीफ़ा है। उनकी बात सुनो और इताअत करो और फिर आपने उस्मान, अली, तल्हा, ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ और सअद बिन अबी वक़्क़ास رضي الله عنهم का नाम लिया। (इसी अस्ना में)

एक अन्सारी नौजवान आया और कहा, अमीरुल मोमिनीन! आपको अल्लाह की तरफ़ से ख़ुश ख़बरी है जो इस्लाम में आपका मक़ाम था वह आप जानते हैं, फिर आप ख़लीफ़ा बनाए गए और अदल व इन्साफ़ से काम लिया, फिर मर्तबए शहादत पर फ़ाइज़ हुए। उमर رضي الله عنه बोले, बरादरज़ादे! काश मैं बराबर सराबर छोड़ दिया जाऊं, न अज़ाब हो और न सवाब मिले। मैं अपने बाद होने वाले जानशीन को मुहाजिरीने अव्वलीन के साथ हुस्ने सुलूक की वसियत करता हूं, उनका हक़ पहचानें और उनकी इज़्ज़त का ख़्याल रखें और अन्सार के साथ (भी) भलाई की वसियत करता हूं जिन्होंने दारुल ईमान और दारुल हिजरत में पनाह दी। उनके अच्छों की अच्छाई की क़द्र करें और उनके बुरों की बुराई से दर-गुज़र करें। मैं (अपने जानशीन को) अल्लाह और उसके रसूल के ज़िम्मा का ख़्याल रखने की वसियत करता हूं। ज़िम्मियों के अहद पूरे करे और उनके दुश्मनों से लड़े और उनकी ताक़त से बढ़ कर उन पर बोझ न डाले।

फ़ायदा:– हज़रत आयशा सिद्दीक़ा رضي الله عنها चूंकि साहिबे ख़ाना थीं लिहाज़ा हज़रत उमर फ़ारूक़ رضي الله عنه का उन से रौज़ए रसूल में दफ़न होने की इजाज़त हासिल करना ज़रूरी था। आपने अपने जानशीन के बारे में जो फ़ारमूला तज्वीज़ फ़रमाया उससे बेहतर और कोई एलेक्शन नहीं हो सकता। इसके बाद आपने अपने जानशीन मुक़र्रर होने वाले के लिये जो वसियत फ़रमाई वह इस्लामी मुल्क के सरबराह के लिये हमेशा दस्तूरुल अमल का काम दे सकता है। वल्लाहु तआला आलम।

बाब 882:– मुर्दों को बुरा भला कहने की मुमानिअत:

हदीस 1307:– सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मुर्दों को बुरा भला न कहो क्योंकि वह अपने किए का बदला पा चुके हैं।"

बाब 883:– शरीर लोगों की मौत का ज़िक्र:

हदीस 1308:– इब्ने अब्बास رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, अबू लहब ने रसूलुल्लाह ﷺ से कहा (मआज़ल्लाह) तू हमेशा रुस्वा हो, तब "تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَّتَبَّ" नाज़िल हुई।

अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है

ज़कात का बयान

बाब 884:– ज़कात का वुजूब: इरशादे ख़ुदावन्दी है: "नमाज़ क़ायम करो और ज़कात दो।" इब्ने अब्बास رضي الله عنهما कहते हैं, मुझे अबू सुफ़यान رضي الله عنه ने रसूलुल्लाह ﷺ की हदीस सुनाई तो कहा, हमें (आप) नमाज़, ज़कात, सिला रहमी और पाक दामनी का हुक्म देते हैं।

हदीस 1309:– इब्ने अब्बास رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने मुआज़ رضي الله عنه को यमन रवाना फ़रमाया तो कहा: "तुम उन्हें इस शहादत की दावत दो अल्लाह तआला के अलावा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का (सच्चा) रसूल हूं। अगर वह इसे तस्लीम करलें तो उन्हें कहो, अल्लाह तआला ने उन पर दिन रात में पांच नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। अगर वह यह (भी) मान लें तो उन्हें बताओ अल्लाह तआला ने उनके मालों पर ज़कात आइद की है जो उनके मालदारों से वसूल की जाएगी और ज़रूरत मन्दों को दी जाएगी।"

हदीस 1310:– अबू अय्यूब رضي الله عنه रिवायत करते हैं, एक शख़्स ने रसूलुल्लाह ﷺ से अर्ज़

किया, मुझे आप ऐसा अमल बताइये जो मुझे जन्नत में दाख़िल कर दे। आपने फ़रमाया: "इसे क्या हो गया, इसे क्या हो गया।" रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "(इसे यह सवाल करने की) ज़रूरत महसूस हुई है। (फ़रमाया) अल्लाह तआला की इबादत करो और उसका किसी को शरीक न ठहराओ, नमाज़ क़ायम करो, ज़कात दो और सिला रहमी करो।"

हदीस 1311:- अबु हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, एक आराबी रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और बोला, आप मुझे ऐसा अमल बताइये जिससे मैं जन्नत में दाख़िल हो जाऊं। फ़रमाया: "तुम अल्लाह की इबादत करो और उसका कोई शरीक न बनाओ, फ़र्ज़ नमाज़ और ज़कात अदा करो और रमज़ान के रोज़े रखो।" आराबी इस पर बोला, मुझे उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्ज़ाए क़ुदरत में मेरी जान है, मैं इसमें कोई इज़ाफ़ा नहीं करूंगा। जब वह चला गया तो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो शख़्स किसी जन्नती को देखने का ख़्वाहिशमंद हो तो इसे देख ले।"

हदीस 1312:- अबू ज़ुरआ رضي الله عنه यह हदीस रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत करते हैं।

हदीस 1313:- अबू जमरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मैंने इब्ने अब्बास رضي الله عنهما से सुना कि क़बीला अब्दुल क़ैस का एक वफ़्द रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! यह क़बीला रबीआ की एक शाख़ है, (चूंकि) आपके और हमारे दरमियान (क़बीला) मुज़र के कुफ़्फ़ार हाइल हैं इस लिए हम आपकी ख़िदमत में सिर्फ़ मोहतरम महीनों में हाज़िर हो सकते हैं। बिना बरीं आप हमें ऐसे अहकाम के बारे में बताइये जिन पर हम अमल करें और अपने पीछे रह जाने वालों को इसकी दावत दें। आपने फ़रमाया: "मैं तुम्हें चार बातों का हुक्म देता हूं और चार बातों से मना करता हूं। अल्लाह तआला पर ईमान लाना और उसके सिवा किसी के माबूद न होने की गवाही देना और अपने हाथ से इशारा किया, नमाज़ क़ायम करना, ज़कात देना और माले ग़नीमत का पांचवां हिस्सा अदा करना और मैं तुम्हें दुब्बाअ, हन्तम, नक़ीर और मुज़फ़्फ़त के इस्तेमाल से रोकता हूं। सुलैमान और अबू नोअमान ने हम्माद से रिवायत किया, "अल्लाह पर ईमान लाना, इस बात की शाहादत देना कि अल्लाह के सिवा कोई माअबूद नहीं।"

हदीस 1314:- अबू हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, जब रसूलुल्लाह ﷺ का इन्तिक़ाल हो गया और अबू बक्र رضي الله عنه ख़लीफ़ा बने और कुछ क़बाइले अरब मुरतद हो गए तो उमर رضي الله عنه बोले, आप लोगों से कैसे मामला करेंगे जबकि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया कि: "मैं लोगों से जिहाद करने पर मामूर हूं जब तक वह लाइलाहा इल्लल्लाह न पढ़ें। जिस ने लाइलाहा इल्लल्लाह का इक़रार कर लिया उसने अपनी जान और अपना माल मुझ से महफ़ूज़ कर लिया इल्ला यह कि किसी का हक़ बनता हो और वह अल्लाह के ज़िम्मा है।" अबू बक्र رضي الله عنه ने कहा, वल्लाह मैं उस शख़्स से जिहाद करूंगा जो नमाज़ और ज़कात में फ़र्क़ करेगा और ज़कात माल का हक़ है। बख़ुदा अगर उन्होंने (वाजिबुल अदा) एक रस्सी भी रोकी जो वह रसूलुल्लाह ﷺ के दौर में दिया करते थे तो मैं उनसे जंग करूंगा। उमर رضي الله عنه बोले, बख़ुदा अल्लाह ने अबू बक्र رضي الله عنه की शरह सदर फ़रमा दी थी और मैं जान गया कि यही दुरुस्त है।

बाब 885:- अदायगी ज़कात पर बैअत:

इरशादे रब्बानी है: "पस अगर वह तौबा करलें, नमाज़ क़ायम करें और ज़कात दें तो वह तुम्हारे दीनी भाई हैं।"

हदीस 1315:- क़ैस ﷺ रिवायत करते हैं, जरीर बिन अब्दुल्लाह ﷺ ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से नमाज़ क़ायम करने, ज़कात देने और हर मुसलमान की ख़ैर ख़्वाही पर बैअत की।

बाब 886:- ज़कात न देने वाले का गुनाह:

इरशादे ख़ुदावन्दी है: "जो लोग सोना और चांदी जमा करते और उसे अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते "فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ" तक यानी उसका मज़ा चखो जिसे तुम ने जमा करके रखा।"

हदीस 1316:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "ऊंट पहले से ज़्यादा मोटे ताज़े होकर अपने मालिक के पास आएंगे, अगर उन में से हक़ न दिया गया तो वह अपने पांव से अपने मालिक को रौंदेंगे। बकरियां पहले से ज़्यादा फ़र्बा होकर आएंगी अगर उन में से हक़ न दिया गया तो अपने खुरों से अपने मालिक को रौंदेंगी और सींगों से मारेंगी।" और फ़रमाया: "उसका हक़ यह है कि घाट पर उन्हें दूहा जाए और तुम में से कोई भी इस हाल में क़यामत के दिन न आए कि बकरी उसकी गर्दन पर मुसल्लत हो और मिम्या रही हो और वह (शख़्स) पुकारे, ऐ मुहम्मद! मेरी मदद को पहुंचिए और मैं कहूं अब मेरे इख़्तियार में कुछ नहीं रहा, मैंने तुम्हें हुक्म पहुंचा दिया था। और ऐसा न हो कि ऊंट उसकी गर्दन पर हो और वह चीख़ रहा हो कि ऐ मुहम्मद! मेरी मदद कीजिए और मैं कहूं, अब मेरे इख़्तियार में कुछ भी नहीं रहा, तुम तक अल्लाह का हुक्म पहुंचा चुका।"

हदीस 1317:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिसे अल्लाह तआला ने माल दिया और उसने उससे ज़कात न निकाली तो वह माल गंजे सांप की शक्ल में लाया जाएगा, जिसके सर पर दो स्याह चित्तियां होंगी। क़यामत के दिन उसका तौक़ बनाया जाएगा, फिर उसके दोनों जबड़ों को डसेगा और कहेगा, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा ख़ज़ाना हूं और फिर क़ुरआने मजीद की तिलावत की: "वह लोग जिन्हें अल्लाह तआला ने अपने फ़ज़्ल से माल अता किया और वह उस में बुख़्ल बरतते हैं वह उसे अपने हक़ में बेहतर न समझें, बल्कि यह बुरा है और क़यामत के दिन वही माल उनके गले का तौक़ बनाया जाएगा।"

बाब 887:- जिस माल की ज़कात अदा करदी जाए वह "कन्ज़" (ख़ज़ाना) की ज़ेल में नहीं आता: इरशादे नबवी है: "पांच औक़िया से कम पर ज़कात नहीं।"

हदीस 1318:- ख़ालिद बिन अस्लम रिवायत करते हैं, हम अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ के साथ निकले तो एक आराबी ने आप से इरशादे ख़ुदावन्दी "وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ" की तफ़्सीर पूछी। इब्ने उमर ﷺ ने फ़रमाया, जिस ने उसे जमा किया और उसकी ज़कात न निकाली उसके लिए हलाकत है। यह हुक्म ज़कात के नुज़ूल से पहले का है, जब आयते ज़कात नाज़िल हुई तो अल्लाह तआला ने ज़कात को माल के पाक करने का ज़रिया बना दिया।

हदीस 1319:- अबू सईद ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "पांच औक़िया (चांदी) से कम पर ज़कात नहीं, पांच से कम ऊंटो पर ज़कात नहीं और पांच वसक़ (ग़ल्ला) पर ज़कात नहीं।"

हदीस 1320:- ज़ैद बिन वहब ﷺ रिवायत करते हैं, कि मेरा गुज़र रब्ज़ा से हुआ, वहां मुझे अबू ज़र ﷺ मिले। मैंने उनसे पूछा, आप यहां क्यों मुक़ीम हैं? बोले, मैं शाम में था तो मुझ में और

मुआविया ﷺ में आयत "وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ" की तशरीह में इख़्तिलाफ़ पैदा हो गया। मुआविया ﷺ कहते थे कि यह आयत अहले किताब के हक़ में नाज़िल हुई है। मेरा ख़्याल था कि हमारे और अहले किताब दोनों के मुताल्लिक़ है। इस सिलसिले में मेरी और उनकी खूब बहस तमहीस होती रही। उन्होंने हज़रत उस्मान ﷺ को मेरी शिकायत लिख भेजी। हज़रत उस्मान ﷺ ने मुझे लिखा मदीने आ जाओ, चुनान्चे मैं चला आया तो लोगों का मेरे पास इस क़द्र हुजूम हुआ कि गोया इससे पहले उन्होंने मुझे देखा ही नहीं था। मैंने इसका तज़्किरा हज़रत उस्मान ﷺ से किया तो उन्होंने कहा, तुम्हें पसन्द हो तो ऐसी जगह गोशा नशीन हो जाओ जो मदीना के क़रीब हो। इसी सबब से मैं यहां मुक़ीम हूं, अगर मुझ पर किसी हब्शी को अमीर मुक़र्रर कर दिया जाए तो मैं समअ व इताअत का पाबंद रहूंगा।

हदीस 1321:- अहनफ़ बिन कैस ﷺ रिवायत करते हैं, मैं क़ुरैश की एक जमाअत में बैठा हुआ था। तो एक शख़्स आया जिसके बाल और कपड़े खुरदुरे थे और शक्ल से परागंदगी नुमायां थी। वह लोगों के पास खड़े हुए और सलाम किया और कहा: माल जमा करने वालों के लिए एक खुश ख़बरी है, एक पत्थर जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, फिर उसे उनकी छाती पर रखा जाएगा जो उनके कंधे की हड्डी से (आर पार होकर) निकल जाएगा और वह मोंढे की ऊपर वाली हड्डी पर रखा जाएगा और छाती से निकल जाएगा, इसी तर वह पत्थर ढुलकता रहेगा। (यह कह कर) उसने पीठ मोड़ी और एक सुतून के पास जा बैठा। मैं उसके पीछे हो लिया और उसके पास बैठ गया, मुझे इल्म नहीं था कि यह कौन शख़्स है। मैंने उससे कहा, मैं लोगों को देखता हूं कि वह आप की बात पर ना-खुश हैं। वह बोले, वह बे-समझ हैं हालांकि मेरे ख़लील (दोस्त) ने कहा। मैंने पूछा आपके ख़लील कौन हैं? कहा रसूलुल्लाह ﷺ। आपने फ़रमाया: "अबू ज़र! क्या तुम उहुद पहाड़ देखते हो?" मैंने सूरज को देखा, मेरा ख़्याल था कि रसूलुल्लाह ﷺ मुझे किसी काम के लिए भेजेंगे, मैं बोला हां। आपने फ़रमाया: "यह मुझे हरगिज़ पसन्द नहीं कि मेरे पास उहुद के बराबर सोना हो और तीन अशरफ़ियों के सिवा मैं सबका सब ख़र्च न कर डालूं।" यह लोग कुछ भी नहीं जानते, यह लोग दुनिया जमा करते हैं और खुदा की क़सम मैं इनसे तादमे मर्ग न तो दुनिया का कोई सवाल करूंगा और न दीन की बात पूछूंगा।

बाब 888:- राहे हक़ में माल ख़र्च करना:

हदीस 1322:- इब्ने मसऊद ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "हसद (रश्क) सिर्फ़ दो चीज़ों में जाइज़ है: एक वह जिसे अल्लाह तआला ने माल दिया और वह उसको राह में ख़र्च करता है और दूसरा वह जिसे अल्लाह ने हिकमत अता फ़रमाई और वह उसके मुताबिक़ फ़ैसले करता है और दूसरों को तालीम देता है।"

बाब 889:- दिखावे का सदक़ा करना:

इरशादे खुदावन्दी है: "ऐ ईमान वालो! अपने सदक़ात को एहसान जतला कर और अज़ियत पहुंचा कर रायगां न करो उस शख़्स की तरह जो अपना माल दूसरों को दिखाने के लिए ख़र्च करता है।" आख़िर आयत "وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ" तक। इब्ने अब्बास ﷺ कहते हैं, "सलदन" का मतलब है जिस पर कोई चीज़ न हो और इकरमा के मुताबिक़ "वाबिलुन" से मुराद शदीद बारिश और "तल"

से तरी है।

बाब 890:- चोरी के माल से सदक़ा कुबूल न होगा और सिर्फ़ हलाल कमाई से ख़ैरात कुबूल होगी: इरशादे ख़ुदावन्दी है: "अच्छी बात और दर-गुज़र उस ख़ैरात से बेहतर है जिसके बाद दुख दिया जाए और अल्लाह तआला बे-परवाह और बुर्द-बार है।"

बाब 891:- हलाल कमाई से सदक़ा करना: इरशादे ख़ुदावन्दी है: "अल्लाह तआला सूद को मिटाता और सदक़ात को बढ़ाता है और अल्लाह तआला किसी ना-शुकरे मुजरिम को पसन्द नहीं करता। बिला शुब्हा जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए, नमाज़ पढ़ी और ज़कात दी उनके लिए उनका अज्र उनके रब के पास है वह ख़ौफ़ ज़दा और ग़मगीन नहीं होंगे।"

हदीस 1323:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो शख़्स अपनी हलाल कमाई से एक खजूर के बराबर सदक़ा करता है अल्लाह तआला उसे अपने दाहिने हाथ में ले लेता है और अल्लाह तआला सिर्फ़ हलाल आमदनी को कुबूल करता है। फिर उसे ख़ैरात करने वाले के लिए नशोनुमा देता रहता है जिस तरह तुम अपने बछड़े को पालते हो हत्ता कि वह सदक़ा पहाड़ के बराबर हो जाता है।"

बाब 892:- उस दौर के आने से पहले सदक़ा देना जब कोई सदक़ा लेने वाला बाक़ी नहीं रहेगा:

हदीस 1324:- हारिसा बिन वहब ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "एक दौर वह आएगा जब एक आदमी सदक़ा लेकर घूमे फिरेगा तो उसे कोई लेने वाला नहीं मिलेगा और वह उस से कहेगा, अगर तुम कल सदक़ा लेकर आते तो मैं उसे कुबूल कर लेता, आज मुझे इस की ज़रूरत नहीं।"

हदीस 1325:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "उस वक़्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक तुम में दौलत की फ़रावानी नहीं होगी और वह तुम में बहती फिरेगी हत्ता कि मालदार को यह फ़िक्र रहेगी कि कोई उसकी ख़ैरात ले लेता और हत्ता कि वह किसी को देने लगेगा तो वह कहेगा मुझे इस से क्या वास्ता।"

हदीस 1326:- मुहिल बिन ख़लीफ़ा ताई रिवायत करते हैं, मैंने अदी बिन हातिम ﷺ को कहते सुना कि मैं रसूलुल्लाह ﷺ के पास था कि आपके पास दो शख़्स आए। एक तो फ़क्र व फ़ाक़ा का शिकार था और दूसरा रहज़नी और रास्ते के ग़ैर महफ़ूज़ होने पर नालां था। इस पर रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जहां तक रहज़नी का ताल्लुक़ है चन्द दिनों बाद तुम पर वह दौर आएगा, जब मक्के की तरफ़ क़ाफ़िला किसी निगरान के बग़ैर रवाना होगा। रहा फ़क्र व फ़ाक़ा तो क़यामत उस वक़्त तक नहीं आएगी कि तुम में कोई शख़्स सदक़ा लेकर इधर उधर फिरेगा लेकिन कोई लेने वाला नहीं मिलेगा। फिर तुम में से कोई शख़्स अल्लाह के सामने इस तरह खड़ा होगा कि इसके और उसके दरमियान कोई हिजाब न होगा और न कोई तर्जमान होगा, फिर उससे अल्लाह तआला फ़रमाएगा: क्या मैंने तुम्हें माल नहीं दिया था? वह कहेगा हां। फिर फ़रमाएगा: क्या मैंने तुम्हारे पास रसूल नहीं भेजा था? बोलेगा ज़रूर। फिर वह अपनी दाएं जानिब देखेगा सिर्फ़ आग नज़र आएगी और बाएं जानिब भी आग ही दिखाई देगी बिना बरीं तुम में से हर शख़्स आग से बचने की कोशिश करे ख़्वाह एक खजूर के ज़रिये ही से, यह

भी नहीं तो कम अज़ कम बातें ही अच्छी करे।”

हदीस 1327:- अबू मूसा رضي الله عنه (अशअरी) रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: कि “लोगों पर एक ऐसा दौर आएगा कि एक शख़्स सदक़े का सोना लेकर घूमे फिरेगा और उसे कोई शख़्स ऐसा न मिलेगा जो उसे क़ुबूल करे और उन्हीं में से एक शख़्स ऐसा भी नज़र आएगा जिस के क़ब्ज़े में चालीस औरतें होंगी क्योंकि मर्द कम और औरतें ज़्यादा होंगी।”

बाब 893:- खजूर का एक टुकड़ा और थोड़ा सा सदक़ा देकर आग से बचो:

“उन लोगों की मिसाल जो अपना माल अल्लाह तआला की ख़ुशनूदी के लिए और सही नियत के साथ ख़र्च करते हैं उस बाग़ की तरह है जो एक टीले पर हो "مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ" तक।

हदीस 1328:- अबू मसऊद رضي الله عنه रिवायत करते हैं, जब आयते सदक़ा नाज़िल हुई तो हम लोग मज़दूरी किया करते थे। एक शख़्स आया और बहुत सा माल ख़ैरात कर दिया। लोग बोले यह रियाकार है। दूसरा आया और उसने एक साअ सदक़ा दिया, लोग बोले ख़ुदा इस एक साअ का मुहताज नहीं। तब आयत "الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ" (जो लोग सदक़ा देने वालों से ज़्यादती करते और मशक़्क़त से माल कमाने वालों पर तअने धरते हैं) नाज़िल हुई।

हदीस 1329:- इब्ने मसऊद अन्सारी رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने जब हमें सदक़ा करने का हुक्म दिया तो हम में से बाज़ लोग बाज़ार जाते और मज़दूरी करके एक मुद हासिल करते और आज उन में से बाज़ के पास एख लाख दिरहम हैं।

हदीस 1330:- अदी बिन हातिम رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को यह फ़रमाते हुए सुना: “दोज़ख़ की आग से बचो ख़्वाह खजूर का एक टुकड़ा ही सदक़ा दो।”

हदीस 1331:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, एक भिकारी औरत अपनी दो बेटियों के साथ मेरे पास आई। मेरे पास उस वक़्त सिर्फ़ एक खजूर थी, मैंने वह उसे देदी और उसने वह खजूर दो हिस्से करके अपनी बेटियों को देदी और ख़ुद न खाई, फिर खड़ी हो गई और चल दी। जब रसूलुल्लाह ﷺ हमारे पास आए तो मैंने आपको बताया तो आपने फ़रमाया: “जो कोई इन लड़कियों के बाइस आज़माइश में डाला जाए तो यह लड़कियां उसके लिए आग से आड़ बनेंगी।”

बाब 894:- माल की हिर्स और तन्दुरुस्ती के दौर में सदक़ा करने की फ़ज़ीलत:

इरशादे ख़ुदावन्दी है: “जो कुछ हमने तुम्हें दिया क़ब्ल इसके कि मौत आ जाए ख़र्च करो।” नीज़ फ़रमाने इलाही है: “ऐ ईमान वालो! जो कुछ हमने तुम्हें दिया उस में से ख़र्च करो क़ब्ल इसके कि वह दिन आ जाए जिस में न तो ख़रीद व फ़रोख़्त होगी और न दोस्ती और शफ़ाअत।” (अल आया)

हदीस 1332:- अबू हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, एक शख़्स रसूलुल्लाह ﷺ के पास आया और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! कौन सा सदक़ा अज्र के लिहाज़ से बड़ा है? फ़रमाया: “अगर तू इस हाल में सदक़ा करे कि तू तन्दुरुस्त हो तुझे माल की हिर्स हो, फ़क़्र से ख़ाइफ़ और दौलत का शाइक़ हो। तब तुम ज़रा भी देर न करो यहां तक कि जान हलक़ तक आ पहुंचे और तू कहे इतना माल फ़ुलां के लिए है जबकि वह माल तो फ़ुलां का हो ही चुका।”

बाब 895:- सख़ावत का बयान:

हदीस 1333:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, बाज़ अज़वाजे रसूल ने रसूलुल्लाह ﷺ

की ख़िदमत में अर्ज़ किया, हम में सबसे पहले कौन आप से मिलेगा? फ़रमायाः "जिसका हाथ लम्बा होगा।" अज़्वाजे मुतह्हरात ने छड़ी हाथ में लेकर हाथ नापने शुरू कर दिए तो सौदह ﷺ का हाथ लम्बा निकला। बाद में हमें पता चला कि हाथ की लम्बाई से मुराद सदक़ा (सख़ावत) है चुनान्चे (सय्यदा ज़ैनब ﷺ) सबसे पहले रसूलुल्लाह ﷺ से मिलीं और उन्हें ख़ैरात करना बहुत पसन्द था।

बाब 896:- एलानिया सदक़ा करनाः

इरशादे ख़ुदावन्दी हैः "जो लोग अपना माल रात, दिन खुले और पोशीदा तौर पर ख़र्च करते हैं तो उन्हें उनके रब से अज्र मिलेगा और वह ख़ौफ़ज़दा और ग़मगीन नहीं होंगे।"

बाब 897:- छुपा कर ख़ैरात करनाः

अबू हुरैरह ﷺ रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत करते हैंः "एक शख़्स जिस ने इस तरह मख़्फ़ी तरीक़े से ख़ैरात की कि उसके बाएं हाथ को पता न चला कि उसका दायां हाथ क्या ख़र्च कर रहा है।" और इरशादे ख़ुदावन्दी हैः "अगर तुम खुले आम सदक़ा करो तो अच्छा है और अगर छुपा कर करो तो भी अच्छा है अल्लाह तआला तुम से तुम्हारे गुनाहों को मह्व कर देगा और तुम्हारे कामों से बाख़बर है।"

बाब 898:- अगर कोई शख़्स लाइल्मी में किसी मालदार आदमी को सदक़ा देदेः

हदीस 1334:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "एक शख़्स सदक़ा करने की ग़र्ज़ से माल लेकर निकला और चोर को दे दिया। लोगों में चह मिगोइयां हुईं कि चोर को सदक़ा दे दिया। वह बोला, ऐ मेरे अल्लाह! तुझे हम्द सज़ावार है, मैं सदक़ा करूंगा चुनान्चे वह सदक़ा का माल लेकर निकला और किसी ज़ानिया को दे दिया, लोग उसके मुताल्लिक़ कहने लगे कि सदक़ा एक ज़ानिया को दे दिया। वह बोला एक ज़ानिया को सदक़ा देने पर तेरे ही लिए तारीफ़ है, मैं सदक़ा करूंगा चुनान्चे वह सदक़ा लेकर निकला और किसी मालदार को दे दिया, लोगों ने कहा एक मालदार को सदक़ा दे दिया। इस लिए कहा ऐ मेरे अल्लाह! एक चोर, ज़ानिया और मालदार को सदक़ा देने पर तेरी तारीफ़ है चुनान्चे वह सदक़ा क़ुबूल हुआ और उस से कहा चोर को तुम ने सदक़ा दिया (और वह शायद इस लिए मक़बूल हुआ) कि वह चोरी से रुक जाए और ज़ानिया शायद ज़िना से बाज़ आ जाए और मालदार शायद इबरत पकड़े कि जो कुछ अल्लाह तआला ने उसे दिया है उस में से वह ख़र्च करे।"

बाब 899:- लाइल्मी में बाप का बेटे को सदक़ा देनाः

हदीस 1335:- मअन बिन यज़ीद ﷺ रिवायत करते हैं, मैं, मेरे वालिद और दादा ने रसूलुल्लाह ﷺ के हाथ पर बैअत की। (हम लोग) आप की ख़िदमत में हाज़िर हुए। मेरे वालिद ने चन्द दीनार सदक़ा की गर्ज़ से निकाले थे, उन्होंने यह एक शख़्स के पास रख दिए। मैं आया तो यह ले लिए और उन्हें अपने वालिद के पास ले आया। मेरे वालिद बोले बख़ुदा तुझे देने का इरादा न था, चुनान्चे मैं यह मुक़द्दमा लेकर रसूलुल्लाह ﷺ के पास आया। आपने फ़रमायाः "ऐ यज़ीद! तुम्हें वह कुछ मिलेगा जिसका तुम ने इरादा किया और ऐ मअन! तुझे जो कुछ मिला वह तेरा है।"

बाब 900:- दाएं हाथ से ख़ैरात करनाः

हदीस 1336- अबु हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "सात शख़्स अल्लाह तआला के सायए (रहमत) में होंगे जबकि उस दिन किसी का साया न होगा। आदिल हुक्मरान,

वह जवान जो खुदा की इताअत में पला बढ़ा हो, वह शख़्स जिस का दिल मस्जिद में अटका रहे, वह दो आदमी जब एक दूसरे को सिर्फ अल्लाह के लिए चाहते हैं मिलें तो इसी लिए और जुदा हों तो इसी लिए, वह जिसे हुस्न व दौलत वाली औरत बुराई पर उकसाए मगर वह कहे मैं अल्लाह से डरता हूं, वह जिस ने सदक़ा दिया और उसे यूं मख़्फ़ी रखा कि बाएं को पता न चल सका कि दाएं ने क्या किया और वह शख़्स जिस ने ख़लवत में खुदा को याद किया और आंखें अश्कबार हो गईं।

फ़ायदा:– क़यामत के रोज़ तमाम इन्सान मैदाने महशर में जमा किये जाएंगे। सूरज सवा नेज़े पर होगा जिससे ज़मीन तप कर तांबे की तरह हो जाएगी। इब्तिदा में अर्शे इलाही के साया के अलावा और किसी चीज़ का साया न होगा। सब लोग धूप में तड़प रहे होंगे सिवाए मुक़र्रबीने बारगाहे इलाहिया के वह अर्शे इलाही के साए में होंगे और उनके अलावा सात क़िस्म के वह मुसलमान भी अर्शे इलाही के साए में होंगे जिन को इस हदीस में बयान फ़रमाया गया है। मालूम हुआ कि मज़्कूरा सातों अमल आला दर्जे की नेकियां हैं।

हदीस 1337:– हारिसा बिन वहब खुज़ाई رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: “सदक़ा करो अनक़रीब वह ज़माना आने वाला है जब कोई शख़्स सदक़े का माल लेकर निकलेगा तो लोग कहेंगे तुम इसे कल ले आते तो हम ले लेते आज हमें इसकी चन्दां हाजत नहीं।”

बाब 901:– जो अपने ख़ादिम को सदक़ा देने का हुक्म दे और खुद (अपने हाथ से) न दे:

अबू मूसा رضي الله عنه (अशअरी) रसूलुल्लाह ﷺ के हवाले से कहते हैं: “वह भी सदक़ा देने वालों में शुमार होगा।”

हदीस 1338:– सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: “जब कोई औरत अपने घर से खाना तय्यार करके ख़ैरात करे बशर्ते कि फ़साद की नियत न हो तो उसे उसके बाइस अज्र मिलेगा और उसके शौहर को भी सवाब मिलेगा क्योंकि वह उसकी कमाई है और ख़ज़ान्ची के लिए उतना ही अज्र है और किसी से कोई कमी न होगी।”

बाब 902:– सदक़ा उसी सूरत में सही है कि मालदारी क़ायम रहे:

और जिसने मुहताजी और घर वालों के एहतियाज की हालत में या मक़रूज़ होने की सूरत में सदक़ा किया तो ऐसे सदक़े आज़ादी और बख़्शिश से (अदायगी क़र्ज़) अहम है, वह उसे लौटा दिया जाएगा। उसे यह हक़ नहीं पहुंचता कि वह दूसरों का माल तल्फ़ करे। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: “जो लोगों से माल लेने और फिर उसे ज़ाए कर देने का इरादा करता है खुदा तआला उसे तबाह व बरबाद कर देगा बशर्ते कि वह सब्र और ईसार में मशहूर हो अगर्चे वह खुद मुहताज हो।” जैसा कि अबू बक्र رضي الله عنه ने किया जब अपना माल सदक़ा कर दिया और इसी तरह अन्सार ने मुहाजिरीन के लिए ईसार किया और रसूलुल्लाह ﷺ ने माल के ज़ियाअ़ से मना फ़रमाया क्योंकि उसे यह हक़ नहीं पहुंचता कि दूसरों का माल सदक़े की आड़ में बरबाद करदे। कअब बिन मालिक رضي الله عنه बयान करते हैं, मैंने कहा या रसूलल्लाह! मैं अपनी तौबा (की कुबूलियत) की खुशी में अपना सारा माल अल्लाह व रसूल पर निसार करके उससे दस्त बर्दार हो जाना चाहता हूं। आपने फ़रमाया: “अगर तू कुछ माल अपने पास रख ले तो अच्छा है।” मैंने कहा मेरा वह हिस्सा जो ख़ैबर में है अपने लिए रखता हूं।

हदीस 1339:– अबु हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: “सदक़ा वह

बेहतर है जिस के बाद भी आदमी मालदार रह जाए और अपने ज़ेरे कफ़ालत लोगों से सदके की इब्तिदा करे।"

हदीस 1340:- हकीम बिन हिज़ाम ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है (सदके का) आग़ाज़ अपने ज़ेरे कफ़ालत लोगों से करे और बेहतर सदका वह है जिसके बाद भी आदमी मालदार रहे जो शख़्स इस्तिग़ना चाहे ख़ुदा उसे मुस्तग़नी बना देता है।"

हदीस 1341:- इब्ने उमर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने मिम्बर पर तशरीफ़ रखे हुए सदका और सवाल के ज़िम्न में फ़रमाया: "ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, ऊपर वाला हाथ ख़र्च करने वाला और नीचे वाला मांगने वाला है।"

बाब 903:- सदके पर एहसान जताना:

इरशादे ख़ुदावन्दी है: "जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में ख़र्च करते और फिर अपने ख़र्च किए पर एहसान नहीं जताते और न तकलीफ़ पहुंचाते हैं।"

बाब 904:- ख़ैरात में उजलत बेहतर है:

हदीस 1342:- उक़्बा बिन हारिस ﷺ रिवायत करत हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने नमाज़े अस्र पढ़ाई, फिर उठ कर जल्दी से चल दिए। घर गए और फिर थोड़ी देर बाद बरआमद हुए तो मैंने या किसी और ने पूछा। फ़रमाया: "घर में सदके का एक सोने का टुकड़ा छोड़ आया था। मुझे नागवार गुज़रा कि उसके होते हुए रात गुज़ारूं इस लिए मैंने तक़सीम कर दिया।"

बाब 905:- सदके की तर्ग़ीब देना और सिफ़ारिश करना:

हदीस 1343:- इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ईद के दिन घर से निकले और दो रकअत नमाज़ इस तरह पढ़ी कि उस से पहले और बाद में कोई नमाज़ न पढ़ी। फिर आप औरतों की तरफ़ मुतवज्जह हुए, बिलाल ﷺ आपके हमराह थे। आंपने औरतों को वअज़ व नसीहत की और फ़रमाया ख़ैरात करो तो औरतों ने अपनी बालियां और कंगन फेंके।

हदीस 1344:- अबू मूसा ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ के पास जब कोई साइल आता या आप से कोई ज़रूरत बयान की जाती तो आप हमें फ़रमाते: "तुम सिफ़ारिश करो तुम्हें भी अज्र दिया जाएगा।" और अल्लाह तआला अपने नबी की ज़बान से जो चाहता है हुक्म देता है।

हदीस 1345:- अस्मा ﷺ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने मुझे फ़रमाया: "ख़ैरात मत रोको वरना तुमसे (रिज़्क़) रोक लिया जाएगा।"

हदीस 1346:- अब्दा से रिवायत है: "तुम गिन कर न दो वरना ख़ुदा तुम्हें भी गिन कर देगा।"

बाब 906:- हस्बे इस्तिताअत ख़ैरात करना:

हदीस 1347:- अस्मा ﷺ रिवायत करती हैं कि वह रसूलुल्लाह ﷺ के पास आईं तो आपने फ़रमाया: "रुपया पैसा थैलियों में बन्द करके मत रखो वरना अल्लाह तआला भी बन्द करके रखेगा, जहां तक मुम्किन हो ख़ैरात करती रहो।"

बाब 907:- सदका गुनाहों को मिटा देता है:

हदीस 1348:- हुज़ैफ़ा ﷺ रिवायत करते हैं, उमर बिन ख़त्ताब ﷺ ने फ़रमाया, तुम में से

किसी को फ़ितनों के मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह ﷺ की कोई हदीस याद है? मैं बोला मुझे उसी तरह याद है जिस तरह आपने फ़रमाया था। उमर बिन ख़त्ताब رضي الله عنه बोले, तू वाक़ई इस मामले में जरी वाक़ेअ हुआ है, बताओ आपने क्या फ़रमाया था। मैंने कहा आपने फ़रमाया था: "इन्सान के लिए बीवी, बच्चों और पड़ोसियों में एक आज़माइश होती है नमाज़, सदक़ा और क़ौले हसन उसका कफ़्फ़ारा है। सुलैमान के मुताबिक़ नमाज़, सदक़ा, अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुन्कर कफ़्फ़ारा है। उमर رضي الله عنه बोले मेरा यह मक़सद न था, मेरा मक़सद तो उस फ़ितने से है जो समुन्द्र की मौजों की मानिन्द होगा। हुज़ैफ़ा رضي الله عنه ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आपको उससे कोई ख़तरा नहीं क्योंकि आपके और उसके दरमियान एक बन्द दरवाज़ा है। उमर رضي الله عنه ने पूछा क्या वह बन्द दरवाज़ा तोड़ा जाएगा या खोला जाएगा? मैंने कहा वह तोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा फिर वह बन्द न हो सकेगा। मैंने कहा हां। अबु वाइल رضي الله عنه कहते हैं हमें ख़ौफ़ हुआ कि हुज़ैफ़ा رضي الله عنه से उस दरवाज़े के मुताल्लिक़ पूछें चुनान्चे हमने मसरूक़ رضي الله عنه से कहा कि वह हुज़ैफ़ा رضي الله عنه से पूछें। उन्होंने पूछा तो जवाब मिला (वह) उमर رضي الله عنه (हैं)। हमने पूछा क्या उमर رضي الله عنه को मालूम है कि उससे क्या मुराद है? वह बोले हां, जिस तरह हर दिन के बाद रात आने का इल्म (यक़ीन) होता है और यह इस लिए कि जो कुछ मैंने कहा इसमें कुछ ग़लती नहीं।

फ़ायदा:- मालूम हुआ कि सय्यिदिना फ़ारूक़े आज़म رضي الله عنه का वुजूद उम्मते मुहम्मदिया के लिये अल्लाह तआला की रहमतों में से एक बहुत बड़ी रहमत और परवरदिगारे आलम के इन्अमात में से बहुत बड़ा इन्आम था। आप के बाइस इस्लाम को बड़ी तक़्वियत पहुंची। कुफ़्र की बड़ी बड़ी ताक़तें भी सरनिगूं हो गईं और आप के बाइस मुसलमानों में फ़ितने सर उठाने में कामयाब न हो सके क्योंकि आप का वुजूद उम्मते मुहम्मदिया और फ़ितनों के दरमियान पहाड़ की तरह हाइल था। उम्मते मुहम्मदिया को आप के वुजूद पर हमेशा नाज़ रहेगा और दुशमनाने इस्लाम के दिलों में आप हमेशा कांटे की तरह खटकते रहेंगे। खुदाए ज़ुलमनन हमारा उनके और तमाम सहाबए किराम رضي الله عنهم के गुलामों और चाहने वालों में हश्र व नश्र फ़रमाए आमीन।

बाब 908:- जिसने शिर्क के दौर में सदक़ा किया और फिर मुसलमान हो गया:

हदीस 1349:- हकीम बिन हिज़ाम رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! मुझे उन चीज़ों के बारे में बताइए जो जाहिलियत के ज़माने में हुईं मस्लन सदक़ा, गुलाम आज़ाद करना और सिला रहमी, तो क्या उस पर भी मुझे अज्र मिलेगा? तो इस पर रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तुम अपनी नेकियों की बदौलत तो मुसलमान हुए हो।"

बाब 909:- ख़ादिम का मालिक की इजाज़त से ख़ैरात करना जबकि उसका इरादा घर के बिगाड़ने का न हो:

हदीस 1350:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब औरत अपने ख़ाविन्द के खाने में से कुछ ख़ैरात करे और उसकी नियत घर बिगाड़ने की न हो तो उसे उसका अज्र मिलेगा और उसके ख़ाविन्द को कमाई का सवाब मिलेगा और उसके ख़ज़ान्ची को उसका अज्र मिलेगा।"

हदीस 1351:- अबू मूसा رضي الله عنه (अशअरी) रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मुसलमान ख़ाज़िन जो अमीन हो और (अपने मालिक का हुक्म) नाफ़िज़ करे।" और बाज़ औक़ात यह

फ़रमाया "जो उसे हुक्म दिया जाए वह ख़ुशी से कुबूल करे और जिस के लिए वह हुक्म दिया गया वह उसको देदे तो वह भी सदक़ा करने वालों में शुमार होगा।"

बाब 910:- जिस औरत ने अपने शौहर के घर से किसी को खाना खिलाया या सदक़ा दिया और उसकी नियत घर उजाड़ने की न हो तो उसका अज्र:

हदीस 1352:- सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब कोई औरत अपने ख़ाविन्द के घर से कुछ ख़र्च करे और उसका इरादा घर को तबाह करने का न हो तो उसे उसका अज्र मिलेगा और ख़ाविन्द को भी उतना ही अज्र मिलेगा और ख़ज़ान्ची को भी, शौहर को कमाई की बदौलत और औरत को ख़र्च करने के सबब सवाब मिलेगा।"

हदीस 1353:- सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا रिवायत करती हैं, जब औरत अपने घर के खाने से ख़ैरात करे बशर्ते कि घर उजाड़ने की नियत न हो तो उस औरत को उसका सवाब मिलेगा और उसके शौहर को कमाई की बदौलत सवाब मिलेगा और ख़ज़ान्ची को भी उतना ही अज्र मिलगा।

बाब 911:- इरशादे ख़ुदावन्दी है:

"जिसने दिया, डरा और अच्छी बातों की तस्दीक़ की तो हम उसके लिए आसाइश की जगह को आसान बना देंगे और जिसने बुख़्ल किया और ग़फ़लत बरती।" (और फ़रिश्तों की यह दुआ) "ऐ अल्लाह! माल ख़र्च करने वालों को उसका बदला अता फ़रमा।"

हदीस 1354:- अबू हुरैरह رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "लोगों पर किसी सुबह का गुज़र नहीं होता कि उसमें दो फ़रिश्ते नाज़िल होते हैं। उनमें से एक कहता है, ऐ अल्लाह! ख़र्च करने वाले को उसका बदला अता फ़रमा और दूसरा कहता है या अल्लाह! बख़ील को तबाही से दोचार करदे।"

बाब 912:- सदक़ा देने वाले और बुख़्ल करने वाले की मिसाल:

हदीस 1355:- अबू हुरैरह رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "बख़ील और सदक़ा देने वाले की मिसाल उन दो आदमियों की तरह है जिन्होंने लोहे के दो कुर्ते पहन रखे हों छातियों से पिंडलियों तक। ख़र्च करने वाला जब कुछ ख़र्च करता है तो वह कुर्ता फैल कर उसके जिस्म को ढांप लेता है यहां तक उसकी उंगलियां छुप जाती और पांव के निशान मिट जाते हैं और बख़ील जब कुछ ख़र्च करने को सोचता है तो हर हल्क़ा अपनी जगह चिमट जाता है और वह उसे खोलना चाहता है मगर वह नहीं खुलता।"

बाब 913:- कमाई और तिजारत के माल में से सदक़ा करना:

इरशादे ख़ुदावन्दी है: "ऐ ईमान वालो! अपनी कमाई की पाकीज़ा चीज़ों में से ख़र्च करो और उन चीज़ों में से जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से पैदा की हैं।" "غَنِيٌّ حَمِيدٌ" तक

बाब 914:- हर मुसलमान पर सदक़ा देना वाजिब है (अल्बत्ता) जिसके पास माल न हो वह अच्छी बातों पर अमल करे:

हदीस 1356:- सईद बिन अबी बुर्दा अपने वालिद और वह उनके दादा से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "हर मुसलमान पर सदक़ा वाजिब है।" लोगों ने कहा या रसूलल्लाह!

जिसके पास माल व दौलत न हो? फ़रमायाः "अपने हाथ से काम करे, ख़ुद भी नफ़ा हासिल करे और ख़ैरात भी दे।" लोगों ने अर्ज़ किया इसकी भी इस्तिताअत न हो? तो फ़रमायाः "मुहताज मज़्लूम की मदद करे।" लोगों ने कहा यह भी न कर सके? तो आपने फ़रमायाः "अच्छी बातों पर अमल करे और बुरी बातों से रोके उसके लिए यही सदक़ा है।"

बाब 915:- ज़कात और सदक़ा में कितना माल देना सही है और जिस ने एक बकरी (सदक़ा के तौर पर) दीः

हदीस 1357:- उम्मे अतिया ﷺ रिवायत करती हैं, नुसैबह अन्सारिया के पास एक बकरी भेजी गई, उस में से कुछा गोश्त सय्यदा आयशा ﷺ के पास भेजा गया। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "तुम्हारे पास कुछ है?" कहा कुछ भी नहीं, बजुज़ उस गोश्त के जो बकरी में से नुसैबह ने भेजा था। फ़रमायाः "लाओ इस लिए कि ख़ैरात अपनी जगह पहुंच चुकी।"

बाब 916:- चांदी की ज़कातः

हदीस 1358:- अबू सईद ख़ुदरी ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "पांच ऊंटों से कम पर ज़कात नहीं और पांच औक़िया चांदी से कम पर ज़कात नहीं और पांच वसक़ (ग़ल्ला या खजूर) से कम पर ज़कात नहीं।"

हदीस 1359:- अबू सईद ख़ुदरी ﷺ रिवायत करते हैं, मैंने यह हदीस रसूलुल्लाह ﷺ से सुनी है।

बाब 917:- ज़कात में सामान वग़ैरा लेनाः

ताऊस के मुताबिक़ मुआज़ ﷺ ने अहले यमन से कहा मुझे जौ और मकई के बजाए सामान यानी चादर और लिबास वग़ैरा दो और तुम्हारे लिए आसान है और मदीना में अस्हाबे रसूल के लिए मुफ़ीद। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "ख़ालिद ﷺ (बिन वलीद) ने तो अपनी ज़िरहें और हथियार ख़ुदा की राह में वक़्फ़ कर रखे हैं।" रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "सदक़ा दो ख़्वाह तुम्हारे ज़ेवर ही क्यों न हों।" आपने सामान के सदक़ा का इस्तिसना नहीं फ़रमाया चुनान्चे औरतें अपनी बालियां और हार वग़ैरा डालती थीं और सामान में से सोने और चांदी की तख़्सीस भी नहीं फ़रमाई।

हदीस 1360:- अनस ﷺ रिवायत करते हैं, अबू बक्र ﷺ ने उन्हें वह लिख भेजा जो अल्लाह और उसके रसूल ने फ़र्ज़ किया है। उसमें यह भी मज़कूर था कि जिस शख़्स पर एक साल की ऊंटनी (बतौरे ज़कात) वाजिब हो और वह उसके पास न हो तो दो साल की ऊंटनी ली जाएगी और ज़कात वसूल करने वाला उसे बीस दिरहम या दो बकरियां देगा। अगर उसके पास इस क़ीमत की एक साला ऊंटनी न हो और दो बरस का नर ऊंट हो तो वही वसूल किया जाएगा और क़ीमत अदा नहीं की जाएगी।

हदीस 1361:- इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, मैं रसूलुल्लाह ﷺ के मुताल्लिक़ शहादत देता हूं कि आपने क़ब्ल अज़ ख़ुत्बा नमाज़े (ईद) अदा फ़रमाई, फिर आपको ख़्याल आया कि औरतों को आवाज़ नहीं सुनाई दे सकी। आप बिलाल ﷺ के हमराह उनके पास आए, उन्हें पन्द व नसीहत फ़रमाई और सदक़ा देने का हुक्म दिया और औरतें यह (और वह) चीज़ें फेंकने लगीं। अय्यूब (इस हदीस के एक रावी) ने कान (बालियां) और हलक़ (यानी हार) की तरफ़ इशारा किया।

बाब 918:- मुतफ़र्रिक़ माल यकजा और यकजा माल को मुतफ़र्रिक़ न किया जाए: सालिम ﷺ के हवाले से इब्ने उमर ﷺ इसे रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत करते हैं।

हदीस 1362:- सुमामा ﷺ रिवायत करते हैं कि अनस ﷺ ने उन्हें बताया, अबू बक्र ﷺ ने उन्हें वह अशिया लिख भेजीं जो रसूलुल्लाह ﷺ ने मुक़र्रर फ़रमाई थीं (उन में से एक यह था कि) ज़कात के डर से न तो मुतफ़र्रिक़ माल यकजा किया जाए और न यकजा माल को मुतफ़र्रिक़ किया जाए।

बाब 919:- अगर दो मालिक हों तो दोनों से (बराबर ज़कात का हिस्सा) वसूल किया जाए: ताऊस और अता कहते हैं, जब दोनों अपना माल बता दें तो उन दोनों का माल जमा नहीं किया जाएगा। सुफ़यान कहते हैं, ज़कात उस वक़्त तक वाजिब न होगी जब तक कि दोनों शरीकों के पास चालीस चालीस बकरियां न हों।

हदीस 1363:- अनस ﷺ रिवायत करते हैं, मुझे अबू बक्र ﷺ ने दो चीज़ें लिख कर रवाना कीं जो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़र्ज़ की थीं, अज़ां जुम्ला उसमें यह भी था जो माल दो शरीकों का हो वह दोनों ज़कात की अदायगी के बाद आपस में बराबर बराबर समझ लें।

बाब 920:- ऊंट की ज़कात:

इसे अबू बक्र, अबूज़र और अबु हुरैरह ﷺ ने रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत है।

हदीस 1364:- अबू सईद ख़ुदरी ﷺ रिवायत करते हैं, एक आराबी ने रसूलुल्लाह ﷺ से हिजरत के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया। आपने फ़रमाया: "अरे हिजरत तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, क्या तेरे पास ऊंट हैं तू उसकी ज़कात अदा करे।" आपने फ़रमाया कि समुन्द्र के इस पार अमल करता रह अल्लाह तआला तेरे अमल में कुछ भी कमी वाक़ेअ नहीं करेगा।"

बाब 921:- जिस पर एक साला ऊंटनी (ज़कात के ज़िम्न में) देना वाजिब हो लेकिन वह उसके पास न हो:

हदीस 1365:- अनस ﷺ रिवायत करते हैं, अबू बक्र ने उन्हें वह सदक़ा वाजिब (ज़कात) लिख भेजा जो अल्लाह तआला ने अपने रसूलुल्लाह ﷺ के ज़रिये से फ़र्ज़ किया। जिस शख़्स पर ज़कात के ज़िम्न में पांच साला ऊंटनी वाजिब हो और उसके पास मौजूद न हो बल्कि चार साला ऊंटनी हो तो उससे वही ली जाएगी और उससे दो बकरियां अगर उसके पास मौजूद हों वरना बीस दिरहम वसूल किए जाएंगे और जिस शख़्स पर ज़कात में चार साला ऊंटनी वाजिब हो लेकिन उसके पास वह न हो बल्कि पांच साला ऊंटनी हो तो उससे वही ली जाएगी और ज़कात लेने वाला उसे बीस दिरहम या दो बकरियां देगा और जिस पर ज़कात के ज़िम्न में चार साला ऊंटनी वाजिब हो लेकिन वह उस के पास न हो बल्कि दो साला हो तो उससे वही ली जाएगी और दो बकरियां या बीस दिरहम देगा और जिस पर ज़कात में दो साला ऊंटनी वाजिब हो और उसके पास उसकी बजाए चार साला हो तो उससे वही ली जाएगी और ज़कात वसूल करने वाला उसको बीस दिरहम या दो बकरियां देगा और जिस शख़्स पर ज़कात के तौर पर दो साला ऊंटनी वाजिब हो लेकिन उसके पास दो साला ऊंटनी की बजाए एक साला ऊंटनी हो तो वही ली जाएगी और उसके साथ (ज़कात देने वाला) बीस दिरहम या दो बकरियां देगा।

बाब 922:- बकरियों की ज़कात:

हदीस 1366:- अनस ﷺ रिवायत करते हैं कि अबू बक्र ﷺ ने जब उन्हें बहरैन भेजा तो इस

मज़्मून का मुरासला भी दिया।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

यह फ़र्ज़ सदक़ा है जो रसूलुल्लाह ﷺ ने मुसलमानों पर फ़र्ज़ किया है और जिस का अल्लाह तआला ने अपने रसूल को हुक्म दिया इस लिए जिस मुसलमान से उसके मुताबिक़ तलब किया जाए तो वह देदे और जिस शख़्स से उससे ज़्यादा मांगा जाए तो वह न दे। चौबीस ऊंटों और उससे कम में हर पांच ऊंट पर एक बकरी दे और जब पच्चीस से पैंतीस तक पहुंच जाए तो उसमें एक साला ऊंटनी दे और छत्तीस से पैंतालीस तक दो साला ऊंटनी और छियालीस से साठ तक चार साला ऊंटनी जो जुफ़्ती के क़ाबिल हो, इकसठ से पछत्तर तक पांच साला ऊंटनी दे और छिहत्तर से नव्वे तक दो दो साला की दो ऊंटनियां दे, इक्यानवे से एक सौ चौबीस तक चार चार साला दो ऊंटनियां जो जुफ़्ती के क़ाबिल हों दे और जब एक सौ बीस से ज़्यादा हों तो हर चालीस में एक दो साला ऊंटनी और हर पचास में चार साला ऊंटनी दे और जिनके पास सिर्फ़ चार ही ऊंट हों उन पर ज़कात नहीं है, हां अगर उसका मालिक देना चाहे तो! और जब पांच ऊंट हों तो एक बकरी वाजिब है और चरने वाली बकरियों की ज़कात में चालीस से एक सौ बीस तक एक बकरी वाजिब है और एक सौ बीस से ज़्यादा हों तो दो सौ तक में दो बकरियां, दो सौ से तीन सौ तक में तीन बकरियां और जब तीन सौ से ज़्यादा हों तो हर सौ पर एक बकरी देना होगी और किसी शख़्स की चरने वाली बकरियां अगर चालीस से एक भी कम हों उस पर ज़कात वाजिब नहीं, इल्ला यह कि उसका मालिक देना चाहे और चांदी में चालीसवां हिस्सा ज़कात फ़र्ज़ है। अगर किसी शख़्स के पास एक सौ नव्वे दिरहम हों तो उसमें कुछ ज़कात नहीं है मगर यह कि उसका मालिक देना चाहे।

बाब 923:- ज़कात में बूढ़ी और मअयूब बकरी न ली जाए और न दिया जाए मगर यह कि ज़कात वसूल करने वाला लेना चाहे:

हदीस 1367:- अनस ؓ रिवायत करते हैं, अबू बक्र ؓ ने उन्हें वह कुछ लिख भेजा जिसका अल्लाह तआला ने अपने रसूल को हुक्म दिया था। (उसमें यह भी था) ज़कात के तौर पर बूढ़ी और मअयूब बकरी न ली जाए और न बकरा दिया जाए मगर यह कि ज़कात वसूल करने वाला लेना चाहे।

बाब 924:- ज़कात में बकरी का बच्चा लेना:

हदीस 1368:- अबू हुरैरह ؓ रिवायत करते हैं, अबू बक्र ؓ ने फ़रमाया: वल्लाह अगर उन्होंने एक बकरी का बच्चा भी रोका जो वह रसूलुल्लाह ﷺ को देते थे तो मैं उसके रोकने पर उनसे जिहाद करूंगा। उमर ؓ कहते हैं: मेरे ख़्याल में अल्लाह ने अबू बक्र ؓ का सीना जंग के लिए खोल दिया था पस मुझे मालूम हुआ कि यही हक़ है।

बाब 925:- लोगों के अच्छे माल में से ज़कात न ली जाए:

हदीस 1369:- इब्ने अब्बास ؓ रिवायत करते हैं, आंहज़रत ﷺ ने जब मुआज़ को यमन का हाकिम बना कर भेजा तो आपने फ़रमाया: "तुम अहले किताब के पास जा रहे हो, उन्हें सबसे पहले बन्दगीए रब की दावत दो। जब उन्हें मारिफ़ते ख़ुदावन्दी हासिल हो जाए उन्हें जताओ कि अल्लाह ने दिन रात में उन पर पांच नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। जब वह यह करलें तो उन्हें बताओ कि अल्लाह ने उन पर ज़कात भी फ़र्ज़ की है जो उनके अमवाल से लेकर उनके फ़ुक़रा को तक़सीम की जाएगी, जब वह

मान जाएं तो उनसे ज़कात वसूल करो लेकिन उनका अच्छा माल लेने से एहतेराज़ करो।"

बाब 926:- पांच ऊंटों से कम पर ज़कात वाजिब नहीं:

हदीस 1370:- अबू सईद ख़ुदरी رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "पांच वसक़ से कम खजूर और पांच औक़िया से कम चांदी और पांच ऊंट से कम पर ज़कात नहीं।"

बाब 927:- गाय की ज़कात: अबू हुमैद رضي الله عنه कहते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मैं उसे पहचान लूंगा जो अल्लाह के पास गाय लेकर आएगा और वह बोलती होगी और बाज़ ने "ख़ुवार" की बजाए "जवार" लिखा है, "यज्अरूना" के मअना हैं वह अपनी आवाज़ बुलन्द करते हैं जिस तरह गाय आवाज़ बुलन्द करती है।

हदीस 1371:- अबूज़र رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मैं उनके यानी रसूलुल्लाह ﷺ के हां गया तो आपने फ़रमाया कि "क़सम है उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़ए क़ुदरत में मेरी जान है।" या यह फ़रमाया कि "क़सम है उस ज़ात की जिसके सिवा कोई मअबूद नहीं" या इसी तरह कोई और क़सम खाई कि "कोई शख़्स जिसके पास ऊंट, गाय या बकरी हो और वह उसका हक़ अदा न करे तो क़यामत के दिन यह जानवर इस तरह लाए जाएंगे कि पहले से ज़्यादा मोटे और बड़े होंगे और अपने खुरों से उन्हें रौंदेंगे और सींगों से मारेंगे। जब आख़िरी जानवर उस पर से गुज़र जाएगा तो फिर पहला जानवर उस पर लौट कर आएगा यहां तक कि लोगों के दरमियान फ़ैसला हो जाएगा।"

बाब 928:- रिश्तेदारों को ज़कात देना:

रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "ऐसे शख़्स के लिए दोहरा सवाब है, एक क़राबत और दूसरा सदक़े का।"

हदीस 1372:- अनस رضي الله عنه रिवायत करते हैं, अबू तल्हा अन्सारी رضي الله عنه मदीना में सबसे ज़्यादा मालदार थे, उनके पास खजूरों के बाग़ थे। उन्हें अपने तमाम मालों में बैरुहा बहुत ज़्यादा अज़ीज़ था। उसका रुख़ मस्जिदे नबवी की तरफ़ था। रसूलुल्लाह ﷺ वहां तशरीफ़ ले जाते और वहां का साफ़ सुथरा पानी पिया करते। अनस رضي الله عنه कहते हैं, जब यह आयत उतरी: "तुम हरगिज़ नेकी नहीं पा सकते जबतक अपनी अज़ीज़ तरीन मताअ अल्लाह की राह में ख़र्च न करलो।" तो अबू तल्हा رضي الله عنه रसूलुल्लाह ﷺ के पास गए और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! इरशादे ख़ुदावन्दी है: "तुम हरगिज़ नेकी नहीं पा सकते जब तक अपनी महबूब तरीन चीज़ अल्लाह की राह में ख़र्च न करो।" सो मुझे पूरी जायदाद में बैरुहा ज़्यादा अज़ीज़ है, वह अल्लाह की राह में सदक़ा है और मैं उसके सवाब और ज़ख़ीरा का उम्मीदवार हूं, बिना बरीं आप इसे रख लीजिए और जहां चाहें सर्फ़ कीजिए। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "शाबाश! यह नफ़ा बख़्श और आमदनी वाला माल है, जो कुछ तुमने कहा वह मैंने सुन लिया, मैं यह बेहतर समझता हूं कि तुम उसे रिश्तेदारों में तक़सीम करदो।" अबू तल्हा رضي الله عنه बोले, मैं ऐसा ही करूंगा चुनान्चे अबू तल्हा رضي الله عنه ने उसे अपने रिश्तेदारों और चचा ज़ाद भाइयों में तक़सीम कर दिया।

हदीस 1373:- अबू सईद ख़ुदरी رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ईदुल फ़ित्र या ईदुल अज़्हा के दिन ईदगाह तशरीफ़ ले गए। नमाज़ से फ़ारिग़ होकर लोगों से ख़िताब किया और उन्हें सदक़े का हुक्म दिया। आपने फ़रमाया: "लोगो सदक़ा करो।" फिर आप औरतों के पास तशरीफ़ ले गए और फ़रमाया: "ऐ जमाअते ख़्वातीन! तुम भी ख़ैरात किया करो इस लिए कि मुझे दोज़ख़ियों में अकसर

औरतें नज़र आईं।" औरतें बोलीं या रसूलल्लाह! ऐसा क्यों? आपने फ़रमाया: "तुम लअन तअन ज़्यादा करती हो, शौहरों की नाशुक्री करती हो। मैंने तुम से ज़्यादा दीन और अक़्ल में नाक़िस किसी को नहीं देखा जो बड़े बड़े अक़्लमन्दों की अक़्ल गुम करदे।" फिर आप घर वापस तशरीफ़ लाए तो इब्ने मसऊद ﷺ की ज़ौजा ज़ैनब ﷺ अन्दर आईं और अन्दर आने की इजाज़त मांगी। आपको बताया गया यह ज़ैनब ﷺ है, फ़रमाया: "कौन सी ज़ैनब?" अर्ज़ किया गया इब्ने मसऊद की अहलिया। आपने फ़रमाया: "अच्छा इजाज़ात दो।" उन्हें इजाज़त दी गई, उन्होंने आकर अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! आज आपने सदक़ा करने का हुक्म दिया, मेरे पास एक ज़ेवर था, मैंने सोचा कि उसे ख़ैरात करदूं। इब्ने मसऊद ﷺ ने दावा किया कि वह और उनका बेटा उन लोगों से जिन्हें मैं ख़ैरात देना चाहती हूं उसके ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तेरा शौहर इब्ने मसऊद सच कहता है और तेरा लड़का उन लोगों से ज़्यादा मुस्तहिक़ है जिन्हें तू ख़ैरात देना चाहती है।"

बाब 929:- मुसलमानों पर उसके घोड़े में ज़कात फ़र्ज़ नहीं है:

हदीस 1374:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मुसलमान पर उसके घोड़े में और उसके ग़ुलाम में ज़कात फ़र्ज़ नहीं है।"

बाब 930:- मुसलमान पर उसके ग़ुलाम में ज़कात फ़र्ज़ नहीं है:

हदीस 1375:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मुसलमानों पर उसके ग़ुलाम और घोड़े में ज़कात फ़र्ज़ नहीं है।"

बाब 931:- यतीमों को सदक़ा देना:

हदीस 1376:- अबू सईद ख़ुदरी ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ एक दिन मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा थे और हम भी आपके इर्द गिर्द बैठे हुए थे। आपने फ़रमाया: कि "मैं अपने बाद तुम्हारे अन्दर ज़ेब व ज़ीनत आम हो जाने से ख़दशा महसूस करता हूं कि उसके दरवाज़े तुम पर खोल दिए जाएंगे।" एक शख़्स ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! क्या अच्छी चीज़ बुरी चीज़ को लाएगी? आप ख़ामोश रहे, उससे कहा गया अरे तुझे क्या हुआ कि तू रसूलुल्लाह ﷺ से गुफ़्तगू किए जा रहा है जबकि आप तुझ से मुख़ातब नहीं। हमारा ख़्याल था कि आप पर वही उतर रही है, आपने चेहरे से पसीना पोंछा और फ़रमाया: "साइल कहां है?" गोया आपको उसका सवाल करना अच्छा लगा कि अच्छी चीज़ बुराई पैदा नहीं करती मगर मौसमे रबीअ में ऐसी घास भी उगती है जो जानवर वह हरी घास चरता है मर जाता या तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है हत्ता कि जब दोनों कोखें भर जाएं और वह सूरज की तरफ़ मुंह करके लीद और पेशाब करे और चरता रहे (वह नहीं मरता) यह माल सरसब्ज़ और मीठा है। मुसलमान का माल क्या ही बेहतर है कि उस में से मिस्कीन, यतीम और मुसाफ़िर को देता है या जैसा कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो कोई नाजाइज़ तौर पर माल कमाता है वह उस शख़्स की तरह है जो खाए मगर उसका पेट न भरे और वह माल क़यामत के दिन उसके ख़िलाफ़ गवाही देगा।"

बाब 932:- शौहर और ज़ेरे कफ़ालत यतीम बच्चों को ज़कात देना:

अबू सईद ख़ुदरी ﷺ ने रसूलुल्लाह ﷺ से इसकी रिवायत की।

हदीस 1377:- ज़ैनब ﷺ (ज़ौजए अब्दुल्लाह बिन मसऊद) रिवायत करती हैं, मैं मस्जिद में थी, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को देखा। फ़रमाया: "ख़ैरात करो अगर्चे तुम्हारा ज़ेवर ही हो।" और ज़ैनब ﷺ

अब्दुल्लाह ﵁ और चन्द ज़ेरे कफ़ालत यतीमों की ज़ात पर ख़र्च करती थीं। उन्होंने अब्दुल्लाह ﵁ से कहा रसूलुल्लाह ﷺ से पूछो कि वह सदक़ा जो मैं तुम पर और यतीम बच्चों पर जो मेरी परवरिश में हैं ख़र्च करूं तो क्या वह सही होगा? उन्होंने कहा कि तुम ख़ुद रसूलुल्लाह ﷺ से पूछ लो चुनान्चे मैं आपके पास गई। एक अन्सारी औरत को आपके दरवाज़े पर देखा, उसे भी यही काम था जो मुझे था। हमारे सामने से बिलाल ﵁ गुज़रे, हमने उन्हें कहा रसूलुल्लाह ﷺ से पूछो मैं अपने शौहर और उनके यतीम बच्चों पर जो मेरे ज़ेरे कफ़ालत हैं ख़र्च करूं तो क्या काफ़ी होगा? हमने कहा हमारा नाम न लेना। बिलाल ﵁ अन्दर गए, आपसे दरयाफ़्त किया। आपने फ़रमाया: "वह दोनों कौन हैं।" बिलाल ﵁ बोले ज़ैनब ﵂ हैं। फ़रमाया: "कौन ज़ैनब?" अर्ज़ किया ज़ौजए अब्दुल्लाह ﵁, आपने फ़रमाया: "हां उसके लिए दो तरह का अज्र है एक रिश्तेदारी का और दूसरा सदक़े का।"

हदीस 1378:– ज़ैनब बिन्ते उम्मे सलमा ﵂ रिवायत करती हैं, मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! अगर मैं अबू सलमा ﵁ और उसकी औलाद जो मेरी भी औलाद है, पर ख़र्च करूं तो क्या मुझे सवाब मिलेगा? फ़रमाया: "तुम उन पर ख़र्च करो, जो कुछ भी तुम उन पर ख़र्च करोगी तुम्हें उसका सवाब मिलेगा।"

बाब 933:– इरशादे ख़ुदावन्दी है: (ख़ैरात का माल) गुलाम आज़ाद करने, कर्जदारों और अल्लाह की राह में ख़र्च किया जाए:

इब्ने अब्बास ﵄ से मन्कूल है, आपने ज़कात के माल से गुलाम आज़ाद किए और (कुछ माल) हज के लिए दिया। हसन (बसरी) कहते हैं, अगर ज़कात से अपने बाप को ख़रीद लिया जाए तो जाइज़ है और मुजाहिदीन और उस शख़्स को भी दिया जा सकता है जिसने हज न किया हो, फिर आयत "إِنَّمَا الصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَاءِ" आख़िर तक तिलावत की, "उन में से जिसको भी दिया जाए काफ़ी है।" रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "ख़ालिद ने अपनी ज़िरहें ख़ुदा की राह में वक़्फ़ कर रखी हैं।" अबू लास कहते हैं, हमें नबी ﷺ ने ज़कात के ऊंट पर सवार करके हज के लिए भेजा।

हदीस 1379:– अबू हुरैरह ﵁ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने सदक़े का हुक्म दिया तो आप से कहा गया कि इब्ने जमील, ख़ालिद बिन वलीद और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ﵃ ज़कात नहीं देते। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "इब्ने जमील ना-शुकरा वाक़ेअ हुआ है, वह मुहताज था अल्लाह और उसके रसूल ने उसे मालदार बना दिया। ख़ालिद से ज़कात मांगना ज़्यादती है उसने अपनी ज़िरहें और हथियार अल्लाह की राह में वक़्फ़ कर दिए हैं, (रहे) अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब तो वह रसूलुल्लाह के चचा हैं उनका उन्हीं पर सदक़ा है और इतना और भी।"

बाब 934:– सवाल से एहतेराज़ करना चाहिए:

हदीस 1380:– अबू सईद ख़ुदरी ﵁ रिवायत करते हैं, अन्सार की एक जमाअत ने रसूलुल्लाह ﷺ से कुछ मांगा और आपने उन्हें दिया, फिर उन्होंने सवाल किया आपने उन्हें दिया हत्ता कि आपके पास जो कुछ भी था ख़त्म हो गया। आपने फ़रमाया: "देखो मेरे पास जो भी माल व दौलत हो वह मैं तुम से छुपा कर नहीं रखूंगा, जो कोई सवाल से बचना चाहे अल्लाह उसे बचा लेगा, जो इस्तिग़ना दिखाए अल्लाह उसे मुस्तग़नी कर देगा, जो कोई सब्र करे अल्लाह उसे सब्र देगा, सब्र से बेहतर और कुशादा कोई नेअमत नहीं।"

हदीस 1381:- अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "मुझे क़सम है उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़ए क़ुदरत में मेरी जान है, अगर कोई रस्सी उठाए और लकड़ियों का गट्ठा अपनी पीठ पर लादे तो वह उस से अच्छा है कि किसी से जाकर मांगे और वह दे या न दे।"

हदीस 1382:- ज़ुबैर बिन अवाम (रज़ि.) रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "तुम में से कोई शख़्स रस्सी ले और लकड़ियों का गट्ठा अपनी पीठ पर लाद कर बेचे और अल्लाह उसकी आबरू बचा ले तो यह उसके लिए उस से बेहतर है कि वह लोगों से मांगे, वह उसको दें या न दें।"

फ़ायदाः- इस हदीस से मालूम हुआ कि बाइज़्ज़त तरीक़े पर मेहनत मज़दूरी करके रोज़ी कमा कर गुज़र औक़ात करना भीक मांगने से बेहतर है। क्योंकि कमा कर खाने में इज़्ज़त है और भीक मांगना सरासर ज़िल्लत है। हर इस्लामी मुल्क के सरबराह का यह फ़र्ज़ है कि मुसलमानों को इस ज़लील आदत से नजात दिलाएं। मजबूर लोगों की कफ़ालत करें और मजबूरी के बग़ैर भीक मांगने वालों को कमा कर खाने पर मजबूर किया जाए। इस में मुसलमानों की इज़्ज़त है और मिल्ली ग़ैरत का लिहाज़ रखना सरबराहों के लिये ज़रूरी है।

हदीस 1383:- हकीम बिन हिज़ाम (रज़ि.) रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से कुछ मांगा, आपने अता फ़रमाया। मैंने फिर मांगा तो आपने दिया। मैंने फिर सवाल किया तो आपने पूरा किया। फिर फ़रमायाः "हकीम! यह माल सरसब्ज़ और बहुत मीठा है लेकिन जो इसे क़नाअते नफ़्स के साथ ले तो इसमें बरकत डाली जाती है और जो लालच के साथ ले तो इसे मुबारक नहीं किया जाता और वह उस शख़्स की तरह है जो खाता है मगर सैर नहीं होता। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है।" हकीम (रज़ि.) कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! मुझे क़सम है उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ भेजा, मैं आपके बाद किसी से कुछ क़ुबूल नहीं करूंगा हत्ता कि दुनिया से रुख़्सत हो जाऊं। अबू बक्र (रज़ि.) उन्हें वज़ीफ़ा देने के लिए बुलाते तो वह क़ुबूल करने से इन्कार कर देते। उमर (रज़ि.) ने उन्हें वज़ीफ़ा की ग़र्ज़ से बुलाना चाहा तो क़ुबूल करने से इन्कार कर दिया। बिल आख़िर उमर (रज़ि.) ने लोगों से कहा, मैं तुम्हें हकीम पर गवाह बनाता हूं कि मैंने उन्हें उनका हक़ देना चाहा मगर उन्होंने लेने से इन्कार कर दिया। अलग़र्ज़ हकीम (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह ﷺ के बाद किसी शख़्स से कोई चीज़ क़ुबूल नहीं की यहां तक कि इन्तिक़ाल कर गए।

बाब 935:- जिसे अल्लाह तआला सवाल और लालच के बग़ैर दिला दे और उनके माल में साइल और महरूम दोनों का हिस्सा हैः

हदीस 1384:- अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) रिवायत करते हैं, मैंने हज़रत उमर (रज़ि.) से सुना, कहते थे रसूलुल्लाह ﷺ मुझे कुछ देते तो मैं कहता कि आप उसे दीजिए जो मुझ से ज़्यादा मुस्तहिक़ है। आप फ़रमातेः "जब तुम्हें कुछ इस तरह मिले कि तुम्हारी ख़्वाहिश भी न हो और तुम मांगो भी नहीं तो ले लो और न मिले तो उसके पीछे न पड़ो।"

बाब 936:- जो माल बढ़ाने के लिए लोगों से मांगेः

हदीस 1385:- अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "एक आदमी हमेशा लोगों से मांगता रहता है यहां तक कि क़यामत के दिन जब वह हाज़िर होगा तो उसके चेहरे पर गोश्त का टुकड़ा न होगा।" फ़रमायाः "क़यामत के दिन सूरज लोगों के क़रीब आ

जाएगा यहां तक कि निस्फ़ कान तक पसीना आ जाएगा। इस हाल में लोग हज़रत आदम ﷺ के पास फ़रयाद लेकर जाएंगे, फिर मूसा ﷺ के पास और फिर रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर होंगे।" और अब्दुल्लाह ने उसमें कितना इज़ाफ़ा किया कि मुझ से लैस ने, इब्ने अबी जाफ़र ने बयान कि आप लोगों के दरमियान फ़ैसले की सिफ़ारिश करेंगे। आप रवाना होंगे यहां तक कि बहिश्त के दरवाज़े का हल्क़ा थाम लेंगे। उस दिन अल्लाह तआला आपको मक़ामे महमूद पर खड़ा करेगा और वहां मौजूद सब लोग उनकी तारीफ़ करेंगे।

बाब 937:– इरशादे खुदावन्दी है: "लोगों से चिमट कर नहीं मांगते।" और यह कि कितने माल से आदमी मालदार हो जाता है। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "इस क़द्र माल न मिले जो उसे बेपरवाह बना दे।" (अल्लाह तआला फ़रमाता है) "उन फ़ुक़रा के लिए जो खुदा के रास्ते में महसूर हैं और ज़मीन में चल फिर नहीं सकते, उन्हें नादान सवाल न करने की वजह से मालदार तसव्वुर करते हैं" आख़िर आयत "فَإِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ" तक।

हदीस 1386:– अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मिस्कीन वह नहीं जिसे एक लुक़्मा या दो लुक़्मे इधर उधर फिराएं बल्कि मिस्कीन वह है जिसे ज़रूरत हो और मांगने में शर्म महसूस करे और लिपट कर लोगों से मांगे भी नहीं।"

हदीस 1387:– मुग़ीरा बिन शुअबा ﷺ के कातिब शअबी रिवायत करते हैं, मुआविया ﷺ ने मुग़ीरा बिन शुअबा ﷺ को लिखा, मुझे तुम वह लिख भेजो जो रसूलुल्लाह ﷺ से सुना हो। उन्होंने लिख भेजा कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते सुना: "खुदा को तीन बातें ना-पसन्द हैं: एक बे-मक़सद गुफ़्तगू, दूसरे माल का ज़ियाअ़ और तीसरे ग़ैर ज़रूरी सवाल।"

हदीस 1388:– सअद बिन अबी वक़्क़ास ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने कुछ लोगों को माल माल दिया, मैं भी वहां मौजूद था। रसूलुल्लाह ﷺ ने एक आदमी को छोड़ दिया और उसे कुछ न दिया और उन लोगों में मुझे वही ज़्यादा पसन्द था। आख़िरकार उठ कर मैं आपके पास गया और आपसे कुछ अर्ज़ किया। मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! क्या वजह है कि आपने फ़ुलां शख़्स को छोड़ दिया, वल्लाह! मैं इसे मोनिन समझता हूं। आपने फ़रमाया: या मुसलमान। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर मुझ पर (उसकी ज़रूरत का) एहसास ग़ालिब रहा चुनान्चे मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! क्या वजह है कि आपने फ़ुलां को छोड़ दिया, हालांकि मैं उसे मोमिन समझता हूं। आपने फ़रमाया: या मुसलमान। फिर मैं कुछ देर चुप रहा, फिर मुझ पर उसकी वह कैफ़ियत ग़ालिब आ गई जो मेरे इल्म में थी। मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! क्या वजह है कि आपने फ़ुलां को कुछ नहीं दिया, खुदा की क़सम मैं उसे मोमिन समझता हूं। आपने फ़रमाया: या मुसलमान, तीन बार इसी तरह हुआ। आपने फ़रमाया: "मैं एक शख़्स को देता हूं हालांकि दूसरा शख़्स मेरे नज़्दीक उससे ज़्यादा महबूब होता है हालांकि सिर्फ़ इस ख़ौफ़ से देता हूं कि वह दोज़ख़ में औंधे मुंह न गिरा दिया जाए।"

हदीस 1389:– अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मिस्कीन वह नहीं जो एक दो लुक़्मों या एक दो खजूरों की ख़ातिर लोगों का तवाफ़ करता फिरे बल्कि मिस्कीन वह है जिस के पास इतनी दौलत न हो कि वह उसको मुस्तग़नी करदे और न किसी को उसके बारे में इल्म है कि उसे ख़ैरात दे और न वह खड़े होकर मांगता है।"

हदीस 1390:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तुम में से कोई शख़्स अपनी रस्सी लेकर मेरा ख़्याल है आपने फ़रमाया पहाड़ की तरफ़ जाना और लकड़ी लाना और उसे बेच कर खाना और ख़ैरात करना इस से बेहतर है कि लोगों से सवाल करे।"

बाब 938:- खजूर की पैदावार का अंदाज़ा करना:

हदीस 1391:- अबू हुमैद साअदी ﷺ रिवायत करते हैं, ग़ज़वए तबूक में हम रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह थे। जब आप वादिउल कुरा में पहुंचे तो एक औरत अपने बाग़ में नज़र आई। रसूलुल्लाह ﷺ ने अपने दोस्तों से कहा इसका अंदाज़ा लगाओ और रसूलुल्लाह ﷺ ने दस वसक़ खजूरों का अंदाज़ा लगाया। आपने औरत से कहा इसमें से जितनी खजूर निकले याद रखना। जब हम लोग तबूक पहुंचे तो आपने फ़रमाया: "आज रात ज़ोर से आंधी चलेगी, कोई भी शख़्स खड़ा न रहे, जिसके पास ऊंट हो उसको बांध दे। रात को ज़बरदस्त आंधी आई, एक खड़े हुए शख़्स को आंधी ने उड़ा कर पहाड़ों में जा फेंका और ऐला के बादशाह ने रसूलुल्लाह ﷺ को एक सफ़ेद ख़च्चर और एक चादर तोहफ़े के तौर पर भेजी। आपने उसका मुल्क उसी के लिये लिख दिया। फिर जब आप वादिउल कुरा में पहुंचे तो उस औरत से पूछा कि तेरे बाग़ से कितनी खजूरें उतरीं? बोली दस वसक़ जो रसूलुल्लाह ﷺ का अंदाज़ा था। फिर आपने फ़रमाया: कि "मैं मदीना ज़रा जल्द पहुंचना चाहता हूं जो शख़्स मेरे साथ चलना चाहे चले।" इब्ने बक्कार ने एक लफ़्ज़ कहा जिसके मअना थे कि मदीना नज़र आया तो फ़रमाया: "ताबा है।" जब उहुद को देखा तो फ़रमाया: "यह पहाड़ हमें चाहता है और हम इसे चाहते हैं, क्या मैं तुम्हें अन्सार के घरों में बेहतर घर न बताऊं।" लोग बोले हां फ़रमाइये। आपने फ़रमाया: बनी नज्जार के घर, फिर बनी अब्दुल अशहल के घर, फिर बनी साइदा के घर या फिर बनी हारिस बिन ख़ज़रज के घर और अन्सार के हर घर में भलाई है।" अबु अब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी) कहते हैं, हर बाग़ जो दीवार में घिरा हो हदीक़ा है और जिन की दीवार न हो वह हदीक़ा नहीं है। सुलैमान बिन बिलाल, अम्र के हवाले से कहते हैं फिर बनी हारिस बिन ख़ज़रज का घर और फिर बनी साइदा का घर। अब्बास रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत करते हैं, आपने फ़रमाया: "उहुद पहाड़ हमसे मुहब्बत करता है हम उस से मुहब्बत करते हैं।"

बाब 939:- बारानी और नहरी पानी की ज़मीन में उश्र वाजिब है: और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ﷺ ने शहद में ज़कात वाजिब नहीं गर्दानी।

हदीस 1392:- अब्दुल्लाह ﷺ (इब्ने उमर) रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस ज़मीन को बारिश या चश्मा सैराब करे या ख़ुद बख़ुद सैराब हो उस पर उश्र और जिसे कुंवां सैराब करे उस पर बीसवां हिस्सा वाजिब है।"

बाब 940:- पांच वसक़ से कम पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं:

हदीस 1393:- अबू सईद ख़ुदरी ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "पांच वसक़ से कम पर ज़कात नहीं, पांच ऊंटों से कम पर ज़कात नहीं और पांच औक़िया चांदी से कम पर ज़कात नहीं।"

बाब 941:- खजूरों की ज़कात उनके तोड़ते वक़्त लेना और क्या ज़कात की खजूर से बच्चे को कुछ लेना जाइज़ है:

हदीस 1394:- अबू हुरैरह ؓ रिवायत करते हैं, खजूर उतरने के वक़्त उसे रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में लाया जाता, कभी कोई खजूर लेकर आता और कभी कोई, हत्ता कि खजूरों का ढेर लग जाता। हसन और हुसैन उनसे खेलने लगे, उन में से एक ने एक खजूर ली और अपने मुंह में डाल ली। रसूलुल्लाह ﷺ ने जब यह देखा तो खजूर उनके मुंह से निकाल ली और फ़रमाया: "क्या तुम्हें मालूम नहीं आले मुहम्मद (ﷺ) सदक़ा नहीं खाते।"

बाब 942:- जिसने अपने फल, दरख़्त, ज़मीन या खेती बेची और उस पर उश्र या ज़कात वाजिब थी: तो उसे दूसरे माल से ज़कात देनी चाहिए या ऐसा फल बेचे जिस पर सदक़ा वाजिब न हो। रसूलुल्लाह ﷺ का यह इरशाद: "कि फल उस वक़्त तक न बेचो जब तक कि उसका नफ़ा बख़्श होना साबित न हो।" चुनान्चे उसके बाद आपने मना नहीं फ़रमाया और न किसी की तख़्सीस फ़रमाई कि ज़कात उस पर वाजिब हुई या न वाजिब हुई हो।

हदीस 1395:- इब्ने उमर ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फल के पकने से पहले बेचना ममनूअ क़रार दिया है। जब उनसे पूछा जाता कि उसका नफ़ा बख़्श होना क्या है? तो कहते कि "उसके ज़ियाअ का ख़तरा टल जाए।"

हदीस 1396:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फल के पकने से पहले उसकी ख़रीद व फ़रोख़्त मना फ़रमाई है।

हदीस 1397:- अनस बिन मालिक ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फलों की ख़रीद व फ़रोख़्त से मना फ़रमाया जब तक कि उन में सुर्ख़ी न आ जाए।

बाब 943:- क्या अपनी सदक़ा की हुई चीज़ (दोबारा) ख़रीद सकता है: दूसरे का दिया हुआ सदक़ा ख़रीदने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह ﷺ ने सिर्फ़ सदक़ा देने वाले को ख़रीदने से रोका है दूसरों को मना नहीं फ़रमाया।

हदीस 1398:- अब्दुल्लाह बिन उमर ؓ रिवायत करते हैं, उमर बिन ख़त्ताब ؓ ने एक घोड़ा ख़ुदा की राह में सदक़ा दिया। फिर देखा कि वह फ़रोख़्त किया जा रहा है, उसे ले लेना चाहा तो रसूलुल्लाह ﷺ के पास आकर उसकी इजाज़त चाही। आपने फ़रमाया: "अपना सदक़ा दोबारा वापस न लो।" बिना बरीं अब्दुल्लाह बिन उमर ؓ जब कभी सदक़ा की हुई चीज़ ख़रीदते तो फिर सदक़ा कर देते।

हदीस 1399:- असलम ؓ रिवायत करते हैं, मैंने उमर ؓ को फ़रमाते सुना कि मैंने एक घोड़ा ख़ुदा की राह में ख़ैरात किया। जिसके पास वह घोड़ा गया उसने उसे नाकारा बना दिया। मैंने ख़रीदने का इरादा किया और मुझे यक़ीन था कि वह अब उसे सस्ते दामों बेचेगा। मैंने (इस सिलसिले में) रसूलुल्लाह ﷺ से पूछा। आपने फ़रमाया: "उसे हरगिज़ न ख़रीदो और अपना सदक़ा वापस मत लो, ख़्वाह वह तुम्हें एक दिरहम में मिल रहा हो क्योंकि सदक़ा देकर उसे वापस लेने वाला यूं है जो अपनी क़य चाट ले।"

बाब 944:- रसूलुल्लाह ﷺ और आले रसूल के लिए सदक़ा से मुताल्लिक़ जो कुछ वारिद हुआ है:

हदीस 1400:– अबू हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, हसन बिन अली رضي الله عنه ने सदक़े की एक खजूर मुंह में रख ली तो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः थू थू, ताकि वह उसे बाहर निकाल दें। फिर फ़रमायाः "तुम्हें मालूम नहीं हम लोग सदक़ा नहीं खाते।"

बाब 945:– अज़वाजे रसूल (ﷺ) के गुलामों को सदक़ा देनाः

हदीस 1401:– इब्ने अब्बास رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने मुर्दा बकरी देखी जो मैमूना رضي الله عنها (उम्मुल मोमिनीन) की लौंडी को दी गई थी। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "तुम ने इसकी खाल से फ़ायदा क्यों नहीं उठाया।" लोग बोले वह तो मुर्दार थी। फ़रमायाः "मुर्दार का खाना हराम है।"

हदीस 1402:– सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, उन्होंने बरीरह को आज़ाद करने के लिए ख़रीदना चाहा, उसके मालिक ने यह शर्त आइद की कि उसके तर्का के मालिक वह होंगे। आयशा رضي الله عنها ने रसूलुल्लाह ﷺ को बताया तो आपने फ़रमायाः "उसे ख़रीद लो तर्का तो उसी का है जो उसे आज़ाद करे।" सय्यदा आयशा رضي الله عنها फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ के पास गोश्त लाया गया, मैंने अर्ज़ किया यह तो वही है जो बरीरा को सदक़े में मिला था। फ़रमायाः "यह उसके लिए सदक़ा और हमारे लिए हदिया है।"

बाब 946:– जब सदक़ा मुहताज की मिल्क में आ जाएः

हदीस 1403:– उम्मे अतिया अन्सारिया رضي الله عنها रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ सय्यदा आयशा رضي الله عنها के पास तशरीफ़ लाए और फ़रमायाः "तुम्हारे पास खाने को कुछ है?" आयशा رضي الله عنها बोलीं वही गोश्त है जो नुसैबा ने उस बकरी से भेजा जो उसे सदक़े के तौर पर दी गई थी। फ़रमायाः "(कोई हर्ज नहीं) वह तो अपने मक़ाम पर पहुंच गई।"

हदीस 1404:– अनस رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ के पास गोश्त लाया गया जो बरीरह को सदक़े के तौर पर मिला था। फ़रमायाः "सदक़ा तो उसके लिए है, हमारे लिए हदिया है।"

बाब 947:– सदक़ा मालदारों से लेकर हाजत मन्दों को दिया जाए वह जहां भी होंः

हदीस 1405:– इब्ने अब्बास رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने मुआज़ बिन जबल رضي الله عنه को यमन भेजते वक़्त फ़रमायाः "तुम अहले किताब की तरफ़ जा रहे हो, जब वहां पहुंचो तो उन्हें इस्लाम और तौहीद की दावत दो और यह कि मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के रसूल हैं। जब वह मान जाएं तो उन्हें कहो अल्लाह ने उन पर रात दिन में पांच नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। अगर वह यह भी तस्लीम करलें तो उन्हें कहो ख़ुदा तआला ने उन पर ज़कात को लाज़िम ठहराया है जो उनके अग़निया से लेकर फ़ुक़रा में तक़्सीम की जाएगी। अगर वह इसको भी मान लें तो उनके क़ीमती माल लेने से बचो, मज़्लूमों की बद्दुआ से बचो क्योंकि मज़्लूम की बद्दुआ और अल्लाह तआला के दरमियान कोई आड़ नहीं।"

फ़ायदा:– किसी कमज़ोर पर ज़ुल्म करना अल्लाह तआला के ग़ज़ब को अपने ऊपर मुसल्लत करने का मुतरादिफ़ है। अल्लाह तआला इस बात से बहुत नाराज़ होता है कि उसके ग़रीब, कमज़ोर और बेसहारा बन्दों को तंग किया जाए और उस शख़्स से बहुत खुश होता है जो ग़रीबों, कमज़ोरों और बेसहारा बन्दों की मदद करता है। अल्लाह तआला अपने कमज़ोर और मज़्लूम बन्दों की पुकार को बहुत जल्द सुनता है और उन नेक दिल लोगों का मददगार बन जाता है जो उसके ग़रीब और नादार बन्दों

की मदद करना अपना शिआर बना लेते हैं। वल्लाहु तआला आलम।

बाब 948:– इमाम (हाकिम) का सदक़ा देने वालों के लिए ख़ैर व सलामती की दुआ करना: इरशादे खुदावन्दी है: "उनके अमवाल से ख़ैरात लेकर उन्हें पाकीज़ा बनाओ और उनके लिए सलामती की दुआ करो।"

हदीस 1406:– अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं, जब कोई जमाअत रसूलुल्लाह ﷺ के पास सदक़ा लेकर आती तो आप फ़रमाते: "ऐ अल्लाह! आले फ़ुलां पर रहम फ़रमा।" चुनान्चे (जब) मेरे वालिद सदक़ा लेकर आए तो फ़रमाया: "ऐ अल्लाह! आले अबी औफ़ा पर रहमत नाज़िल फ़रमा।"

बाब 949:– समुन्द्र से निकलने वाला माल:

इब्ने अब्बास (رضي الله عنهما) कहते हैं, अंबर रिकाज़ नहीं उसे तो समुन्द्र फेंक देता है। हसन (बसरी) कहते हैं, अंबर और मोती में पांचवां हिस्सा (खुम्स) है। रसूलुल्लाह ﷺ ने रिकाज़ में पांचवां हिस्सा मुक़र्रर फ़रमाया। रिकाज़ वह नहीं जो पानी में पाया जाए। अबू हुरैरह (رضي الله عنه) कहते हैं, बनी इस्राईल के किसी शख़्स ने बनी इस्राईल ही के किसी आदमी से एक हज़ार दीनार बतौरे क़र्ज़ा लिया, फिर वह समुन्द्र की जानिब गया लेकिन कश्ती न मिल सकी तो उसने एक लकड़ी चीर कर उसमें हज़ार दीनार रखे और उसे समुन्द्र में बहा दिया। क़र्ज़ख़्वाह बाहर निकला तो उसे लकड़ी दिखाई दी, वह उसे ईंधन के तौर पर घर ले आया जब उसे फाड़ा तो उसे अपना माल मिल गया।

बाब 950:– रिकाज़ (ख़ज़ाना) में पांचवा हिस्सा (खुम्स) है:

मालिक और इब्ने इदरीस कहते हैं रिकाज़ दौरे जाहिलियत का ख़ज़ाना है, उस में से थोड़ा माल निकले या ज़्यादा उससे पांचवा हिस्सा वसूल किया जाएगा। मादनियात ख़ज़ाना नहीं, मादनियात के मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह ﷺ का इरशाद है कि उसमें गिर जाने वाले का कोई तावान नहीं और रिकाज़ में पांचवां हिस्सा है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (رضي الله عنه) मादनियात में से हर दो सौ दिरहम पर पांच यानी चालीसवां हिस्सा वसूल करते। हसन (बसरी) कहते हैं, रिकाज़ जो दारुल हरब में हो उसमें पांचवां हिस्सा है, अगर दारुस्सलाम मे हो तो ज़कात वाजिब है। अगर दुश्मन के इलाक़े में कोई गिरी पड़ी चीज़ देखे तो एलान करे, अगर दुश्मन का माल हो तो उसमें पांचवां हिस्सा है। बाज़ कहते हैं, जाहिलियत का दफ़ीना रिकाज़ है इस लिए कि "अर्कज़ल मअदन" बोलते हैं, जब उससे कोई चीज़ बरआमद हो। अगर किसी को कोई चीज़ दी जाए या उसे ज़्यादा नफ़ा मिले या फल ज़्यादा आए तो उस वक़्त कहते हैं "अरकज़्त"। फिर खुद भी उन्होंने उस से इख़्तिलाफ़ किया और कहा मअदन के छुपाने में कोई हर्ज नहीं और पांचवां हिस्सा न निकाले।

हदीस 1407:– अबू हुरैरह (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "चौपाए का रौंदना और कुंवें में गिर कर मरना माफ़ है यानी किसी तावान (मुआवज़े) का मुस्तहिक़ नहीं और रिकाज़ में पांचवां हिस्सा है।"

बाब 951:– इरशादे खुदावन्दी है: "ज़कात वसूल करने वालों को भी उस से दिया जाएगा।" और मुहसिलीने ज़कात से हाकिम का हिसाब लेना।

हदीस 1408:- अबू हुमैद साअदी ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने क़बीला असद में से एक शख़्स इब्नुल्लुतबिय्या नामी को बनी सुलैम से ज़कात की वसूली पर मामूर फ़रमाया, जब वह वापस आया तो आपने उस से हिसाब लिया।

बाब 952:- सदक़े का ऊंट और सदक़े की ऊंटनी का दूध मुसाफ़िरों के ज़ेरे इस्तेअमाल लाना:

हदीस 1409:- अनस ﷺ रिवायत करते हैं, उरैना के कुछ लोग मदीना आए, उन्हें यहां की आबो हवा अच्छी न लगी। रसूलुल्लाह ﷺ ने उन्हें इजाज़त दी कि वह सदक़े के ऊंटों में जाकर उनका दूध और पेशाब इस्तेअमाल करें। उन्होंने चरवाहे को क़त्ल कर दिया और ऊंट भगा ले गए। रसूलुल्लाह ﷺ ने उनके तआक़ुब में कुछ आदमी रवाना किये, चुनान्चे वह पकड़ कर लाए गए। आपने उनके हाथ पावं कटवा दिए और उनकी आंखों में गर्म सलाइयां फिरवा दीं और पत्थरीली ज़मीन में डलवा दिया, वह पत्थर चबाते थे।

बाब 953:- हाकिम का अपने हाथ से सदक़ा के ऊंटों को दाग़ना:

हदीस 1410:- अनस बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं, मैं अब्दुल्लाह बिन तल्हा ﷺ को रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में ले गया ताकि उसकी तहनीक (कोई भी चीज़ बतौरे तबर्रुक चबा कर मुंह में डालना) करदें। मैंने आपको देखा आपके हाथ में निशान लगाने का आला था जिस से आप ज़कात में आए हुए ऊंटों को दाग़ रहे थे।

बाब 954:- सदक़ए फ़ित्र का वुजूब:

अबुल आलिया, अता और इब्ने सीरीन ने सदक़ए फ़ित्र को फ़र्ज़ गरदाना।

हदीस 1411:- इब्ने उमर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने सदक़ए फ़ित्र एक साअ खजूर या जौ को फ़र्ज़ क़रार दिया। यह हर गुलाम आज़ाद मर्द, औरत, छोटे और बड़े मुसलमान पर लाज़िम है और उसे ईद की नमाज़ से पहले अदा करने का हुक्म दिया।

बाब 955:- सदक़ए फ़ित्र आज़ाद और गुलाम जुम्ला अहले इस्लाम पर वाजिब है:

हदीस 1412:- इब्ने उमर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने एक साअ खजूर या जौ हर आज़ाद गुलाम, मर्द, औरत, छोटे और बड़े पर (बतौरे सदक़ए फ़ित्र) फ़र्ज़ क़रार दिया।

बाब 956:- सदक़ए फ़ित्र में जौ एक साअ दे:

हदीस 1413:- अबू सईद खुदरी ﷺ रिवायत करते हैं, हम एक साअ जौ सदक़े में खाने को दिया करते थे।

बाब 957:- सदक़ए फ़ित्र में एक साअ खाना दे:

हदीस 1414:- अबू सईद खुदरी ﷺ रिवायत करते हैं, हम एक साअ खाना या एक साअ जौ या एक साअ पनीर और या एक साअ किशमिश सदक़तुल फ़ित्र में दिया करते थे।

बाब 958:- सदक़ए फ़ित्र में एक साअ खजूर दे:

हदीस 1415:- अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने एक साअ खजूर और या एक साअ जौ सदक़ा में देने का हुक्म दिया। अब्दुल्लाह कहते हैं, लोगों ने इसकी जगह

दो मुद गेहूं मुक़र्रर कर दिया।

बाब 959:- एक साअ किशमिश देनाः

हदीस 1416:- अबू सईद खुदरी रिवायत करते हैं, हम अहदे रिसालत मआब में एक साअ खाना या एक साअ खजूर या एक साअ जौ या एक साअ किशमिश सदक़ए फ़ित्र में दिया करते थे। जब अमीर मुआविया का दौर शुरू हुआ और गेहूं की दरआमद शुरू हुई तो कहा मेरे ख़्याल में इसका एक मुद दूसरी अजनास के दो मुद के बराबर है।

बाब 960:- सदक़ए फ़ित्र नमाज़े ईद से पहले अदा किया जाएः

हदीस 1417:- इब्ने उमर रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने नमाज़े ईद से पहले लोगों को सदक़ए फ़ित्र अदा करने का हुक्म दिया।

हदीस 1418:- अबू सईद खुदरी रिवायत करते हैं, हम लोग रसूलुल्लाह के ज़माने में ईद के दिन एक साअ खाना सदक़े में देते थे। अबू सईद के मुताबिक़ उस वक़्त हमारा खाना जौ, किशमिश, पनीर और खजूर होता था।

बाब 961:-सदक़ए फ़ित्र हर गुलाम और आज़ाद (मुसलमान) पर वाजिब हैः

जुहरी कहते हैं, तिजारत के गुलामों से ज़कात दी जाए और उनकी जानिब से सदक़ए फ़ित्र भी अदा किया जाए।

हदीस 1419:- इब्ने उमर रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने सदक़ए फ़ित्र या सदक़ए रमज़ान मर्द, औरत, आज़ाद और गुलाम हर एक पर एक साअ खजूर या एक साअ जौ फ़र्ज़ किया, लोगों ने निस्फ़ साअ गेहूं मुक़र्रर कर लिया। अब्दुल्लाह बिन उमर सदक़ए फ़ित्र खजूर में से देते थे। एक दफ़ा अहले मदीना खजूर के क़हत में गिरफ़्तार हो गए तो जौ दिए। इब्ने उमर अपने (घर के) हर छोटे और बड़े की तरफ़ से देते थे यहां तक कि मेरे (नाफ़ेअ) बेटों की तरफ़ से भी देते थे। इब्ने उमर (यह सदक़ा) उन्हें देते जो उसे क़ुबूल करते और ईदुल फ़ित्र से एक या दो दिन पहले देते।

बाब 962:- हर छोटे बड़े पर सदक़ए फ़ित्र का वुजूबः

अबू अम्र कहते हैं, उमर, अली, इब्ने उमर, जाबिर, आयशा, ताऊस, अता और इब्ने सीरीन का ख़्याल था कि यतीम के माल से ज़कात दी जाए। जुहरी का ख़्याल है कि दीवाने के माल से (भी) ज़कात दी जाए।

हदीस 1420:- इब्ने उमर रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने एक साअ जौ या एक साअ खजूर (बतौर सदक़ए फ़ित्र) हर छोटे बड़े और आज़ाद और गुलाम पर फ़र्ज़ क़रार दिया है।

हज का बयान

बाब 963:- हज का वुजूब और उसकी फ़ज़ीलतः

इरशादे खुदावन्दी हैः "अल्लाह के लिए लोगों पर हज बैतुल्लाह फ़र्ज़ है बशर्ते कि उसकी इस्तिताअत रखते हों जो ऐसा नहीं करेगा तो अल्लाह तआला तमाम जहानों से बे-नियाज़ है।"

हदीस 1421:- अब्दुल्लाह बिन अब्बास रिवायत करते हैं, फ़ज़ल रसूलुल्लाह के

पीछे सवार थे। बनी ख़सअम की एक औरत आई तो फ़ज़ल ﷺ उसकी तरफ देखने लगे और वह औरत (भी) फ़ज़ल ﷺ की तरफ़ देख रही थी (लेकिन) रसूलुल्लाह ﷺ फ़ज़ल की नज़र को इधर उधर फेरने की कोशिश कर रहे थे। उस औरत ने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! खुदा ने बन्दों पर हज फ़र्ज़ क़रार दिया है लेकिन मेरे वालिद बहुत ज़ईफुल उम्र हैं, वह सवारी पर भी नहीं ठहर सकते तो क्या मैं उनकी जानिब से हज करूं? फ़रमायाः "हां।" यह वाक़िआ हज्जतुल वदाअ का है।

बाब 964:- इरशादे खुदावन्दी है: "लोग पैदल चल कर या दुबले ऊंटों पर सवार होकर जो दूर दराज़ रास्तों से पहुंचेंगी चले आएंगे ताकि (दीन व दुनिया के) मुनाफ़ेअ हासिल होंगे।" (इमाम बुख़ारी कहते हैं) "फ़िजाजन" से मुराद कुशादा रास्ते हैं।

हदीस 1422:- अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को ज़ुल हुलैफ़ा में देखा अपनी सवारी पर बैठे, फिर जब आपकी सवारी सीधी खड़ी हो जाती तो आप इहराम बांधते।

हदीस 1423:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने ज़ुल हुलैफ़ा से इहराम बांधा जब आपकी सवारी सीधी खड़ी हुई।

बाब 965:- पालान पर बैठ कर हज करनाः

सय्यदा आयशा ﷺ फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने उनके भाई अब्दुर्रहमान ﷺ को भेजा और वह उन्हें मक़ामे तनईम से उमरा करा लाए और उन्हें कजावे में बिठाया। उमर ﷺ कहते हैं, हज के लिए पालान तय्यार रखो कि यह भी (एक तरह का) जिहाद है। मुहम्मद बिन अबू बक्र ﷺ कहते हैं, अनस ﷺ ने एक पालान पर हज किया हालांकि वह कंजूस न थे और बताया कि रसूलुल्लाह ﷺ ने एक पालान पर हज किया और उस पर आपका सामान भी रखा था।

हदीस 1424:- सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में अर्ज़ किया, आपने उमरा किया लेकिन मैंने नहीं किया है। आपने फ़रमायाः "अब्दुर्रहमान! अपनी हमशीरा को साथ लेकर मक़ामे तनईम से उमरा करा लाओ चुनान्चे ऊंटनी पर पीछे बिठा कर उमरा कराया।

बाब 966:- हज्जे मबरूर (मक़बूल) की फ़ज़ीलतः

हदीस 1425:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ से पूछा गया कौन सा अमल अफ़ज़ल है? फ़रमायाः "अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना।" कहा गया फिर? फ़रमायाः "खुदा की राह में जिहाद।" अर्ज़ किया गया उसके बाद? फ़रमायाः "हज्जे मबरूर (मक़बूल)।"

हदीस 1426:- सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, (मैंने कहा) या रसूलल्लाह! हम जिहाद को अफ़ज़ल जानते हैं तो क्यों न हम भी जिहाद में शरीक हों। फ़रमायाः "(तुम्हारे लिए) अफ़ज़ल जिहाद हज्जे मबरूर है।"

हदीस 1427:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते सुनाः "जिस ने अल्लाह के लिए हज किया, फ़ुहश और गुनाह का इर्तिकाब न किया वह यूं लौटेगा कि अभी मां के पेट से पैदा हुआ है।"

बाब 967:- हज और उमरा के मवाक़ीतः

हदीस 1428:– ज़ैद बिन जुबैर رحمه الله रिवायत करते हैं, वह अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنه के पास उनकी क़यामगाह पर तशरीफ़ लाए, उनके ख़ेमे लगे थे और क़नातें खड़ी थीं। मैंने दरयाफ़्त किया मुझे कहां से उमरा का इहराम बांधना चाहिए? फ़रमाया रसूलुल्लाह ﷺ ने अहले नज्द के लिए क़र्न, अहले मदीना के लिए ज़ुल हुलैफ़ा और अहले शाम के लिए जुहफ़ा मुक़र्रर फ़रमाया है।

बाब 968:– इरशादे ख़ुदावन्दी है: "तुम ज़ादे सफ़र साथ रख लिया करो।" फ़िल हक़ीक़त ज़ादे राह (तो) तक़्वा है:

हदीस 1429:– इब्ने अब्बास رضي الله عنه रिवायत करते हैं, अहले यमन हज को जाते तो ज़ादे राह साथ न रखते और कहते हमें ख़ुदा पर भरोसा है (मगर) मक्का पहुंच कर लोगों से सवाल करते तो अल्लाह ने यह आयत नाज़िल फ़रमाई: "ज़ादे सफ़र साथ ले जाया करो, अस्ल ज़ादे राह परहेज़गारी है।"

बाब 969:– हज और उमरा के लिए अहले मक्का के इहराम बांधने के जगह:

हदीस 1430:– इब्ने अब्बास رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने अहले मदीना के लिए ज़ुल हुलैफ़ा, शामियों के लिए जुहफ़ा और नज्द वालों के लिए क़र्न मनाज़िल और यमन मे आने वालों के लिए यलमलम मीक़ात क़रार दिया। यह उनके लिए हैं और दूसरे भी जो दीगर मक़ामात मे हज और उमरे की ग़र्ज़ से आएं और जो उन मवाक़ीत के अन्दर रहने वाला है, वह वहीं से इहराम बांध ले जहां से रवाना हुआ है हत्ता कि अहले मक्का, मक्का ही से इहराम बांध लें।

बाब 970:– अहले मदीना का मीक़ात यह लोग ज़ुल हुलैफ़ा पहुंचने से पहले इहराम न बांधें:

हदीस 1431:– अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अहले मदीना ज़ुल हुलैफ़ा, शामी जुहफ़ा और नज्द वाले क़र्न से इहराम बांधें।" अब्दुल्लाह कहते हैं, मुझे पता चला कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "यमन से आने वाले यलमलम से एहराम बांध लें।"

बाब 971:– शाम के इहराम बांधने की जगह:

हदीस 1432:– इब्ने अब्बास رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने अहले मदीना के लिए ज़ुल हुलैफ़ा, शामियों के लिए जुहफ़ा, नज्द वालों के लिए क़र्न मनाज़िल और यमन से आने वालों के लिए यलमलम को मीक़ात क़रार दिया। यह मक़ामात उनके लिए मवाक़ीत हैं और दूसरों के लिए भी जो दीगर मक़ामात से हज और उमरे की ग़र्ज से आते हैं। जो उन मवाक़ीत के अन्दर रहने वाले हैं वह अपने घरों से इहराम बांध लें, अहले मक्का, मक्का ही से इहराम बांधें।

बाब 972:– अहले नज्द कहां से इहराम बांधें:

हदीस 1433:– अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते सुना: "अहले मदीना का मीक़ात ज़ुल हुलैफ़ा, शाम वालों का मुहैआ यानी जुहफ़ा, नज्दियों का क़र्न है।" इब्ने उमर رضي الله عنه के मुताबिक़ लोग यह भी कहते थे कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "यमन से आने वालों के इहराम बांधने की जगह यलमलम है।" (अल्बत्ता) मैंने नहीं सुना।

बाब 973:– मीक़ात के इधर रहने वाले कहां से इहराम बांधें:

हदीस 1434:– इब्ने अब्बास رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने मदीना वालों के लिए

ज़ुल हुलैफ़ा, अहले शाम के लिए जुहफ़ा, अहले यमन के लिए यलमलम और नज्द से आने वालों के लिए क़र्न को मवाक़ीत मुक़र्रर फ़रमाया। यह उनकी और दीगर मक़ामात से आने वालों की मीक़ात है जो हज और उमरे की गर्ज़ से आएं। जो मवाक़ीत के इधर बसने वाले हैं वह अपने घर ही से इहराम बांध लें हत्ता कि मक्का वाले मक्का ही से बांध लें।

बाब 974:- अहले यमन का मीक़ातः

हदीस 1435:- इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने अहले मदीना के लिये ज़ुल हुलैफ़ा, शाम वालों के लिए जुहफ़ा, नज्दियों के लिए क़र्नुल मनाज़िल और यमन वालों के लिए यलमलम को मवाक़ीत मुक़र्रर फ़रमाया। यह मक़ाम उनके लिए भी और दीगर मक़ामात से हज और उमरा के लिए आने वालों के लिए भी मीक़ात है। मीक़ात के अन्दर रहने वाले जहां से निकलें वहां से इहराम बांध लें यहां तक कि अहले मक्का, मक्का ही से इहराम बांध लें।

बाब 975:- अहले इराक़ का मीक़ात ज़ाते इराक़ हैः

हदीस 1436:- अब्दुल्लाह बिन उमर रिवायत करते हैं, जब यह दोनों शहर (बसरा और कूफ़ा) फ़तह हो गए तो लोग उमर के पास आए। कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन! रसूलुल्लाह ने अहले नज्द के लिए क़र्न को मीक़ात बनाया है, हमारी गुज़रगाह वह नहीं, हम क़र्न का इरादा करें तो हमारे लिए तकलीफ़ देह है। उमर बोले अपने रास्ते में उसके सामने की कोई जगह देखो और उनके लिए ज़ाते इराक़ को इहराम बांधने की जगह मुक़र्रर कर दिया।

बाब 976:- ज़ुल हुलैफ़ा में नमाज़ पढ़नाः

हदीस 1437:- अब्दुल्लाह बिन उमर रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने ज़ुल हुलैफ़ा की पत्थरीली जमीन पर अपनी ऊंटनी बिठाई और वहां नमाज़ अदा की, अब्दुल्लाह बिन उमर भी ऐसा ही किया करते थे।

बाब 977:- शजरा पर से रसूलुल्लाह का गुज़रनाः

हदीस 1438:- अब्दुल्लाह बिन उमर रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह शजरा के रास्ते निकलते और मुअर्रस के रास्ते दाख़िल होते थे। आप जब मक्का में जाते मस्जिदे शजरा में नमाज़ पढ़ते और जब वापस होते तो ज़ुल हुलैफ़ा में नमाज़ पढ़ते जो वादी के दरमियान है और सुबह तक वहीं क़याम फ़रमाते।

बाब 978:- इरशादे नबवी हैः "अक़ीक़ एक बा-बरकत वादी हैः"

हदीस 1439:- इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं, उन्होंने उमर से सुना कि मैंने रसूलुल्लाह को वादी अक़ीक़ में फ़रमाते सुनाः "मेरे पास ख़ुदा की तरफ़ से आने वाला आया और कहा इस बा-बरकत वादी में नमाज़ पढ़ो और कहो मैंने उमरे को हज में शरीक कर लिया।"

हदीस 1440:- इब्ने उमर रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह मुअर्रस ज़ुल हुलैफ़ा के वसत में उतरे और आपको दिखाया गया और बताया गया कि आप मुबारक पत्थरीली ज़मीन में हैं। हमारे साथ सालिम (इब्ने अब्दुल्लाह) ने तलाश के बाद ऊंट को उसी जगह बिठाया जहां अब्दुल्लाह बिन उमर ने रसूलुल्लाह के उतरने की जगह पर अपने ऊंट बांधे थे और वह दरमियान वाली

मस्जिद से नीचे है और लोगों के गुज़रने की जगह रास्ते के दरमियान है।

बाब 979:- कपड़े से खुश्बू को (इहराम से पहले) तीन बार धोना:

हदीस 1441:- सफ़वान बिन यअला रिवायत करते हैं कि (उनके वालिद) यअला ने उमर से कहा, मुझे रसूलुल्लाह की कैफ़ियते वही दिखाइये। उमर ने कहा, रसूलुल्लाह जब मक़ामे जेअराना में थे और आपके साथ आपके सहाबा भी थे। एक शख़्स आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! आपका ऐसे शख़्स के बारे में क्या ख़्याल है जिस ने उमरे का इहराम बांधा और उसके कपड़े खुश्बू में रचे हुए थे। रसूलुल्लाह थोड़ी देर ख़ामोश रहे और नुजूले वही शुरू हो गया। उमर ने यअला को इशारा किया, यअला आए। रसूलुल्लाह पर एक कपड़ा तना हुआ था जिससे आपने साया कर रखा था, यअला ने अपना सर अन्दर किया तो देखा आपका चेहरा सुर्ख़ है और ख़र्राटे ले रहे हैं। फिर यह हालत जाती रही तो आपने फ़रमाया: "वह कहां है जिसने उमरे के मुताल्लिक़ सवाल किया था?" उसे लाया गया, तो आपने फ़रमाया: "उस खुश्बू को तीन बार धो ले जो तेरे साथ है और अपना जुब्बा उतार दे और अपने उमरा में वही कुछ कर जो हज में करता है।" इब्ने जुरैज कहते हैं, मैंने अता से पूछा आपने जो तीन बार धोने का कहा उस से मुराद सफ़ाई थी? उन्होंने कहा हां।

बाब 980:- इहराम के वक़्त खुश्बू लगाना और जब इहराम बांधने का इरादा करे तो क्या कपड़े पहने और क्या कंघी करे और तेल लगाए:

इब्ने अब्बास कहते हैं, इहराम वाला खुश्बूदार फूल सूंघ सकता है, आईना देख सकता है और जो चीज़ें खाई जा सकती हैं मस्लन तेल, घी उन्हें बतौरे दवा भी इस्तेमाल कर सकता है। अता के मुताबिक़ अंगूठी पहनना और हिमयानी बांधना जाइज़ है। इब्ने उमर ने हालते इहराम में तवाफ़ किया और पेट पर कपड़ा बांधे हुए थे। सय्यदा आयशा के नज़्दीक जांगिया पहनने में कोई मुज़ायक़ा नहीं। अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी) कहते हैं, आयशा की इस से मुराद वह हैं जो ऊंट पर हौदा कसते हैं।

हदीस 1442:- सईद बिन जुबैर रिवायत करते हैं, इब्ने उमर ज़ैतून लगाते थे। मैंने इब्राहीम (नख़ई) को बताया तो बोले, इब्ने उमर की बात को क्या करेगा, मुझे तो असवद ने आयशा के हवाले से बताया कि मैं गोया देख रही हूं कि रसूलुल्लाह के बालों में हालते इहराम में खुश्बू चमक रही है।

हदीस 1443:- ज़ौजए रसूल सय्यदा आयशा रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह जब इहराम बांधते तो इहराम बांधते और खोलते वक़्त तवाफ़े कअबा से पहले मैं आपको खुश्बू लगाती थी।

बाब 981:- तलबीद (बालों को जमाना) करके इहराम बांधना:

हदीस 1444:- सालिम अपने वालिद से रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह को तलबीद की हालत में लब्बैक कहते हुए सुना।

बाब 982:- ज़ुल हुलैफ़ा के नज़्दीक लब्बैक कहना:

हदीस 1445:- सालिम बिन अब्दुल्लाह अपने वालिद से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह

ने मस्जिद यानी मस्जिदे ज़ुल हुलैफ़ा से ही लब्बैक कहना शुरू किया।

बाब 983:- इहराम वाला किस तरह के कपड़े पहने:

हदीस 1446:- अब्दुल्लाह बिन उमर رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, एक शख़्स ने रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में अर्ज़ किया, इहराम बांधने वाला किस तरह के कपड़े पहने? रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "क़मीज़, इमामा, पाजामा, टोपी और मोज़े न पहने, हां अल्बत्ता जिसे जूता मयस्सर न हो वह मोज़े पहन ले और दोनों मोज़ों को टख़ने के नीचे से काट ले और कोई ऐसा कपड़ा भी न पहने जिस में ज़अफ़रान या वरस लगी हो।" अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी) कहते हैं, इहराम वाला अपना सर धो सकता है लेकिन कंघी करना और बदन खुजलाना मना है और जुएं अपने जिस्म और सर से निकाल कर ज़मीन पर डाल दे।

बाब 984:- हज में सवारी पर बैठना और किसी दूसरे को साथ बिठाना:

हदीस 1447:- इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, उसामा رضی اللہ عنہ अरफ़ात से मुज़दलफ़ा तक रसूलुल्लाह ﷺ के पीछे सवार थे और फ़ज़ल رضی اللہ عنہ को आपने मुज़दलफ़ा से मिना तक अपने पीछे बिठाया, दोनों बयान करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जम्रए उक़्बा पर कंकरियां मारने तक बराबर लब्बैक कहते रहे।

बाब 985:- मोहरिम चादर और तहमद किस तरह पहने:

सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا ने कुसुम में रंगा हुआ कपड़ा हालते इहराम में पहना, आयशा رضی اللہ عنہا कहती हैं, ख़्वातीन हालते इहराम में चेहरे पर निक़ाब न डालें, न बुरक़ा ओढ़ें और न ऐसा कपड़ा पहनें जो वरस और ज़अफ़रान से रंगा हुआ हो। जाबिर رضی اللہ عنہ कहते हैं, मैं कुसुम में रंगे कपड़े को ख़ुश्बू नहीं समझता। आयशा رضی اللہ عنہا के नज़्दीक औरत के लिए ज़ेवर सियाह और गुलाबी कपड़े और मोज़े पहनना जाइज़ है। इब्राहीम कहते हैं, अगर कोई मोहरिम कपड़े तब्दील करे तो चन्दां मुज़ायक़ा नहीं।

हदीस 1448:- अब्दुल्लाह बिन अब्बास رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ और अस्हाबे रसूल कंघी करने, तेल लगाने और तहमद बांधने के बाद मदीना से रवाना हुए। आपने चादर और तहमद बांधने से नहीं रोका, मगर ज़अफ़रान में रंगे हुए कपड़े से जिससे ज़अफ़रान बदन पर झड़े मना फ़रमाया। सुबह के वक़्त ज़ुल हुलैफ़ा में अपनी सवारी पर सवार हुए हत्ता कि मक़ामे बैदा पर पहुंचे तो आप और सहाबा ने तल्बीह (लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक) कहा और अपने जानवरों के गले में क़लावा डाला। यह ज़ी क़अदा से पांच दिन पहले का वाक़िआ है। मक्का पहुंचे तो ज़िल हज की चौथी तारीख़ थी। कअबा और सफ़ा मरवा के दरमियान तवाफ़ किया और क़ुरबानी के जानवर की वजह से इहराम नहीं खोला क्योंकि उसके गले में क़लावा डाल चुके थे। फिर मक्का के बालाई हिस्से में हुजून के मक़ाम पर पड़ाओ डाला जबकि आप हज का इहराम बांधे हुए थे। तवाफ़ के बाद आप कअबा के नज़्दीक नहीं गए, आप अरफ़ात से वापस हुए और साथियों को तवाफ़े कअबा का हुक्म दिया और सफ़ा मरवा के तवाफ़ का भी कहा। आपने सर के बाल तरश्वाने और इहराम खोल देने का हुक्म दिया, फ़रमाया: "यह उसके लिए है जिस के जानवर के गले में क़लावा न हो और जिस शख़्स के साथ उसकी बीवी हो वह उसके लिए हलाल है और ख़ुश्बू लगाना और कपड़े पहनना भी जाइज़ हैं।"

बाब 986:– जो शख़्स ज़ुल-हुलैफ़ा में रात बसर करे, इसे इब्ने उमर ने रसूलुल्लाह से रिवायत किया।

हदीस 1449:– अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने मदीना में चार और ज़ुल हुलैफ़ा में दो रकअत नमाज़ अदा की। फिर ज़ुल हुलैफ़ा में रात बसर की, जब आप अपनी सवारी पर बैठे और वह सीधी खड़ी हो गई तो आपने तल्बीह कहा।

हदीस 1450:– अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने मदीना में नमाज़े ज़ुहर चार और ज़ुल हुलैफ़ा में नमाज़े अस्र दो रकअत अदा फ़रमाई। अबू क़िलाबा कहते हैं, मुझे गुमान है कि आपने रात ज़ुल हुलैफ़ा में बसर फ़रमाई।

बाब 987:– ऊंची आवाज़ से लब्बैक कहना:

हदीस 1451:– अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने मदीना में ज़ुहर की चार और ज़ुल हुलैफ़ा में अस्र की दो रकअतें पढ़ीं और मैंने लोगों को दोनों नमाज़ों में बुलन्द आवाज़ से लब्बैक कहते सुना।

बाब 988:– तलबीह (लब्बैक कहना ऐ अल्लाह मैं हाज़िर हूं):

हदीस 1452:– अब्दुल्लाह बिन उमर रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह का तलबीह इस तरह होता था: لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ. "हाज़िर हूं, ऐ अल्लाह हाज़िर हूं, तेरा कोई शरीक नहीं, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं, और तमाम तारीफ़ और नेअमत तेरे लिए हैं और जुम्ला इख़्तिदार तेरा है, ऐ अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं।"

हदीस 1453:– सय्यदा आयशा रिवायत करती हैं, मुझे अच्छी तरह मालूम है रसूलुल्लाह तलबीह किस तरह कहते थे। आप फ़रमाते:

"لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ".

बाब 989:– इहराम से पहले और सवार होते वक़्त तहमीद, तस्बीह और तकबीर कहना:

हदीस 1454:– अनस रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह और आपके साथियों ने मदीना में ज़ुहर की नमाज़ चार और ज़ुल हुलैफ़ा में अस्र की दो रकअतें पढ़ीं। फिर रात वहीं रहे हत्ता कि सुबह हो गई। फिर सवार हुए, सवारी बैदा पहुंची तो आपने ख़ुदा की तहमीद, तस्बीह और तकबीर बयान की। फिर हज और उमरा के लिए तलबीह कहा और लोग भी तलबीह में शरीक हुए। जब हम मक्का पहुंचे तो आपने लोगों को इहराम खोलने का हुक्म दिया। आठवें ज़ुल हिज्जा को लोगों ने हज का इहराम बांधा। रसूलुल्लाह ने कुछ ऊंट खड़े करके उन्हें ज़िब्ह किया और आपने मदीना में दो सींगों वाले मेंढे ज़िब्ह फ़रमाए।

बाब 990:– जिस शख़्स ने सवारी सीधी खड़ी हो जाने पर लब्बैक कहा:

हदीस 1455:– इब्ने उमर रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने लब्बैक उस वक़्त कहा, जब आपकी सवारी सीधी खड़ी हो गई।

बाब 991:– क़िब्ला रू होकर इहराम बांधना:

नाफ़ेअ رضی اللہ عنہ कहते हैं इब्ने उमर رضی اللہ عنہما जब नमाज़े सुबह ज़ुल हुलैफ़ा में पढ़ लेते तो अपनी सवारी तय्यार करने का हुक्म देते। सवारी तय्यार हो जाती तो आप उस पर सवार हो जाते, जब वह सीधी खड़ी हो जाती तो आप क़िब्ला रुख़ होकर खड़े खड़े लब्बैक कहते हुए हरम पहुंच जाते, तब लब्बैक कहना मौक़ूफ़ कर देते। मक़ामे तुवा में पहुंचते तो रात वहीं बसर करते। सुबह होने पर नमाज़ अदा करते और गुस्ल करते और कहते रसूलुल्लाह ﷺ ने ऐसा ही किया है।

हदीस 1456:- नाफ़ेअ رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, इब्ने उमर رضی اللہ عنہما जब आज़िमे मक्का होते तो सादा तेल लगाते, फिर मस्जिदे ज़ुल हुलैफ़ा में आकर नमाज़े पढ़ते, फिर सवार हो जाते, जब ऊंटनी सीधी खड़ी हो जाती तो इहराम बांधते, फिर कहते मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को ऐसा ही करते देखा।

बाब 992:- वादी में उतरते वक़्त लब्बैक कहनाः

हदीस 1457:- मुजाहिद रिवायत करते हैं, हम इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہما के पास बैठे थे, लोगों ने दज्जाल का ज़िक्र छेड़ दिया कि आप (ﷺ) ने फ़रमायाः "उसकी दोनों आंखों के दरमियान "काफ़िर" लिखा हुआ होगा।" इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہما बोले मैंने आप से यह (तो) नहीं सुना अल्बत्ता यह फ़रमाते ज़रूर सुना है कि गोया मैं मूसा علیہ السلام को देख रहा हूं जब वह वादी में उतरते हैं तो लब्बैक कह रहे हैं।"

बाब 993:- हैज़ और निफ़ास वाली औरतें किस तरह इहराम बांधेंः

अहल्ला बमअना गुफ़्तगू करना और इस्तहलल्ना, अहलल्ना, अलहिलाल यह तमाम अल्फ़ाज़ ज़ाहिर होने के माना में आते हैं। इसतहल्लल मतरु का मतलब है (पानी) बादल से निकला और क़ुरआने मजीद "मा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिही" बच्चे की पैदाइश के वक़्त आवाज़ से माख़ूज़ है।

हदीस 1458:- ज़ौजए रसूल सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا रिवायत करती हैं, हज्जतुल वदाअ में हम रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह निकले। हमने उमरे का इहराम बांधा, फिर रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "जिसके पास क़ुरबानी का जानवर है वह हज और उमरा दोनों का इहराम बांधें, फिर जब तक दोनों से फ़ारिग़ न हो जाए इहराम न खोले।" मैं हैज़ की हालत में मक्का पहुंची, मैंने ख़ानए कअबा और सफ़ा मरवा का तवाफ़ न किया, मैंने इसकी शिकायत रसूलुल्लाह ﷺ से की। फ़रमायाः "अपना सर खोल डालो, कंघी करो और हज का इहराम बांधो (मगर) उमरा छोड़ा दो।" मैंने उसी तरह किया, जब हज से फ़रागत हुई तो मुझे रसूलुल्लाह ﷺ ने अब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र رضی اللہ عنہما के साथ मक़ामे तनईम पर भेजा। मैंने उमरा किया, आपने फ़रमायाः "यह उस उमरा का बदल है।" आयशा رضی اللہ عنہا फ़रमाती हैं, जिन लोगों ने उमरे का इहराम बांध रखा था, ख़ानए कअबा और सफ़ा मरवा का तवाफ़ किया, फिर इहराम खोल दिया, फिर मिना से लौट कर एक और तवाफ़ किया और जिन्होंने हज और उमरे दोनों का इहराम बांधा था तो उन्होंने सिर्फ़ एक तवाफ़ किया।

बाब 994:- जिस ने अहदे रिसालत मआब ﷺ में आपकी मानिन्द इहराम बांधाः इसे इब्ने उमर رضی اللہ عنہما ने रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत किया।

हदीस 1459:- जाबिर رضی اللہ عنہما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने हज़रत अली رضی اللہ عنہ को अपना इहराम क़ायम रखने का हुक्म दिया। मुहम्मद बिन अबू बक्र رضی اللہ عنہما ने जुरैज के हवाले से इस में यह इज़ाफ़ा किया, रसूलुल्लाह ﷺ ने अली رضی اللہ عنہ से पूछाः "तुम ने किस का इहराम बांध रखा है?" अर्ज़

किया जिस का खुदा के रसूल ने इहराम बांधा है। आपने फ़रमायाः "कुरबानी दो और हालते इहराम में रहो जिस तरह तुम इस वक़्त हो।"

हदीस 1460:- अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, अली रसूलुल्लाह की ख़िदमत में यमन से आए। आपने पूछाः "किस का इहराम बांधा है?" कहा जिसका रसूलुल्लाह ने इहराम बांधा है। फ़रमायाः "अगर मेरे पास कुरबानी का जानवर न होता तो मैं इहराम खोल देता।"

हदीस 1461:- अबू मूसा (अशअरी) रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने मुझे मेरी क़ौम के पास यमन भेजा, चुनान्चे जब मैं आया तो आप बतहा में क़याम पज़ीर थे। फ़रमायाः "तुम ने किस चीज़ का इहराम बांध रखा है?" मैंने अर्ज़ किया वही जिस का खुदा के रसूल ने इहराम बांध रखा है। फ़रमायाः "तुम्हारे पास कुरबानी का जानवर है?" अर्ज़ किया नहीं। आपने मुझे तवाफ़े कअबा का हुक्म दिया चुनान्चे मैंने कअबा और सफ़ा मरवा का तवाफ़ किया, फिर मुझे इहराम खोलने का हुक्म दिया, मैंने इहराम खोल डाला। मैं अपनी क़ौम की एक ख़ातून के पास आया, उसने मेरे सर में कंघी की या मेरा सर धोया। जब ख़िलाफ़ते उमर का अहद आया तो कहा, अगर हम किताबुल्लाह पर अमल करें तो अल्लाह हमें हज और उमरा पूरा करने का हुक्म देता है, अगर सुन्नते नबवी को देखें तो आपने जब तक कुरबानी नहीं करली इहराम नहीं खोला।

बाब 995:- फ़रमाने इलाही है: "हज के चन्द मअरूफ़ महीने हैं पस जो उन में हज करे तो वह जिमाअ, फ़िस्क़ और लड़ाई झगड़े से बचा रहे (ऐ रसूल) लोग आपसे चांद के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त करते हैं आप कहिए यह लोगों के लिए हज और वक़्त मालूम करने का ज़रिया है।" इब्ने उमर कहते हैं, हज के महीने शव्वाल, ज़ी कअदा और ज़िल हज्जा के दस दिन हैं। इब्ने अब्बास कहते हैं, मसनून यही है कि हज के महीनों में हज ही का इहराम बांधे। उस्मान ने खुरासान या किरमान से इहराम बांध कर चलने को मकरूह क़रार दिया।

हदीस 1462:- सय्यदा आयशा रिवायत करती हैं, हम रसूलुल्लाह के हमराह हज के महीनों और हज की रातों में निकले, हम सरफ़ में ठहरे। आयशा कहती हैं, आप सहाबा के पास तशरीफ़ लाए और फ़रमायाः "तुम में से जिस किसी के पास कुरबानी का जानवर नहीं और वह इसे (हज को) उमरा बनाना चाहता है तो बनाले और जिसके पास कुरबानी का जानवर है तो वह उमरा न बनाए।" आयशा का कहना है कि बाज़ ने अमल किया और बाज़ ने छोड़ दिया लेकिन आप और कुछ सहाबा उसकी ताक़त रखते थे। उनके पास कुरबानी के जानवर थे इस लिए वह उमरा नहीं कर सकते थे। आयशा कहती हैं, मेरे पास रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए, मैं रो रही थी। पूछाः "पगली क्यों रो रही हो?" अर्ज़ किया आपने जो कुछ सहाबा से कहा वह मैंने सुन लिया, मैं तो उमरा नहीं कर सकती। फ़रमायाः "क्या हुआ?" जवाब दिया मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकती (यानी हैज़ से हूं) फ़रमायाः "तेरे लिए कोई मुज़ायक़ा नहीं तू आदम की बेटियों में से एक बेटी है, जो तमाम औरतों के मुक़द्दर में लिखा है वह तुम्हारे में लिखा है। तुम हज करो मुम्किन है खुदा तआला तुम्हें उमरा भी करा दे।" आयशा कहती हैं, हम हज के लिए निकले हत्ता कि हम मिना में पहुंच गए, मैं वहां पाक हो गई। फिर मैं मिना से निकली, ख़ानए कअबा का तवाफ़ किया, मैं आपके साथ आख़िरी कूच (यानी तेरहवीं ज़िल हज्जा) को

निकली और आपने मुहस्सब में पड़ाओ डाला। आपने अब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र ﷺ को बुला कर फ़रमायाः "अपनी बहन को हरम से ले जाओ ताकि वह उमरा का इहराम बांध सके। फिर तुम दोनों उमरे से फ़ारिग़ होकर यहां आओ मैं तुम्हारा मुन्तज़िर रहूंगा।" आयशा ﷺ कहती हैं, हम दोनों मैं और वह तवाफ़ से फ़ारिग़ हुए, मैं आपके पास सुबह के वक़्त पहुंची। फ़रमायाः "फ़ारिग़ हो गई?" अर्ज़ किया हां, आपने दोस्तों को रवानगी का एलान कर दिया तो लोग मदीना की तरफ़ चल दिए।

बाब 996:- तमत्तोअ, क़िरान, अफ़राद और जिसके हमराह क़ुरबानी न हो उसका हज फ़सख़ करके उमरा बना देनाः

हदीस 1463:- सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, हम हज के इरादे से रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह रवाना हुए, मक्का पहुंच कर तवाफ़े कअबा किया। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "जिसके पास क़ुरबानी नहीं वह अपना इहराम खोल डाले।" चुनान्चे जिनके पास क़ुरबानी नहीं थी उन्होंने इहराम खोल डाले। आपकी अज़्वाज भी क़ुरबानियां साथ नहीं लाई थीं बिना बरीं उन्होंने भी इहराम खोल डाला। आयशा ﷺ कहती हैं, मैं इसी अस्ना में हाइज़ा हो गई इस लिए मैंने तवाफ़े कअबा न किया। जब मुहस्सब में रात ठहरे तो मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! लोगों ने तो उमरा और हज दोनों किए और मैंने सिर्फ़ हज किया। फ़रमायाः "जब तुम मक्का में आई थीं तो तवाफ़ किया था?" मैं बोली नहीं। फ़रमायाः "अपने भाई के हमराह मक़ामे तन्ईम पर जाओ और उमरे का इहराम बांधो, फिर फ़ुलां फ़ुलां मक़ाम पर जाओ।" सफ़िया ﷺ ने कहा शायद मैं तुम्हें रोक रखूंगी। फ़रमायाः ओ बांझ और सर मुंडी! क्या तुमने क़ुरबानी के दिन तवाफ़ नहीं किया?" बोलीं तवाफ़ तो कर चुकी हूं। फ़रमायाः "फिर क्या चाहती हो, उठो कूच करो। आयशा ﷺ कहती हैं, मुझे रसूलुल्लाह ﷺ उस वक़्त मिले जब आप मक्का से ऊपर चढ़ रहे थे और मैं उतर रही थी या मैं चढ़ रही थी और आप उतर रहे थे।

हदीस 1464:- सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, हम हज्जतुल वदाअ के मौक़े पर रसूलुल्लाह ﷺ के साथ निकले, हम में से कुछ ने तो उमरा और कुछ ने हज और उमरा और कुछ ने सिर्फ़ हज का इहराम बांध रखा था। आपने हज का इहराम बांधा, बहर कैफ़ जिन्होंने हज या हज और उमरा का इहराम बांधा वह क़ुरबानी के दिन तक इहराम न खोल सके।

हदीस 1465:- मरवान बिन हकम रिवायत करते हैं, मैं उस्मान और अली ﷺ के अहदे ख़िलाफ़त में मौजूद था। उस्मान ﷺ तमत्तोअ और क़िरान से रोकते थे। जब अली ﷺ ने यह देखा तो हज और उमरा (तमत्तोअ) का इहराम बांधा और "लब्बैक बिउमरतिन व हज्जतिन" फ़रमाया और कहा किसी के कहने पर सुन्नते रसूल नहीं छोड़ सकता।

हदीस 1466:- इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, अरब लोग हज के अय्याम में उमरा करना बदतरीन फ़ेअल समझते थे और (माहे) मुहर्रम को सफ़र बना लेते थे। वह कहते थे जब ऊंट की पीठ का ज़ख़्म ठीक हो जाए और दाग़ मिट जाए तब किसी उमरा करने वाले के लिए उमरा जाइज़ है। रसूलुल्लाह ﷺ और आपके सहाबा चार ज़िल हिज्जा को हज का इहराम बांधे तशरीफ़ लाए और लोगों से कहा इसे उमरा बना दो। लोगों को यह बात पसन्द न आई, पूछा ऐ ख़ुदा के रसूल! कौन सी चीज़ हलाल होगी? फ़रमायाः "हर चीज़ हलाल होगी।"

हदीस 1467:- अबू मूसा ﷺ (अशअरी) रिवायत करते हैं, मैं रसूलुल्लाह ﷺ के पास आया तो आपने इहराम खोल देने को कहा।

हदीस 1468:- सय्यदा हफ़सा ﷺ रिवायत करती हैं, मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! क्या वजह लोगों ने तो अपने इहराम खोल डाले लेकिन आपने नहीं खोला? फ़रमायाः "मैंने अपने बाल जमा लिए और कुरबानी के गले में कलावा डाल दिया लिहाज़ा जबतक कुरबानी न करलूं इहराम नहीं खोल सकता।"

हदीस 1469:- नस्र बिन इमरान ज़बई रिवायत करते हैं, मैंने (हज्जे) तमत्तोअ किया तो कई लोगों ने मुझे रोका। मैंने इब्ने अब्बास ﷺ से पूछा उन्होंने तमत्तोअ करने को कहा। मैंने ख़्वाब में एक शख़्स को कहते सुना कि हज मक़बूल हो और उमरा मक़बूल हो। मैंने इब्ने अब्बास ﷺ से दरयाफ़्त किया तो कहा यह सुन्नत होती है। फ़रमाया तुम मेरे पास रहो मैं तुम्हारा वज़ीफ़ा मुक़र्रर कर दूंगा। शुअबा कहते हैं, मैंने अबू हमज़ा से पूछा इसकी क्या वजह थी? कहा वही ख़्वाब जो तुम ने देखा था।

हदीस 1470:- अबू शहाब ﷺ रिवायत करते हैं, मैं तमत्तोअ की हालत से उमरे का इहराम बांध कर मक्का में आया। आठ ज़िल हिज्जा से तीन दिन पहले पहुंच गया, मक्का के कुछ लोगों ने कहा अब तेरा हज मक्की हो जाएगा। मैं इस्तिफ़सार की ग़र्ज़ से अता के पास आया तो उन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह ﷺ के हवाले से बताया कि जाबिर ﷺ ने रसूलुल्लाह ﷺ के साथ उस दिन हज किया जब कुरबानी के जानवर आपके हमराह हांक कर लाए थे। उन्होंने हज्जे मुफ़रिद का इहराम बांधा था। आपने उन्हें फ़रमायाः "तुम तवाफ़े कअबा और तवाफ़े सफ़ा मरवा के बाद इहराम की हालत से बाहर आओ और बाल तरश्वा लो और फिर इसी हालत में रहो। जब ज़िल हिज्जा की आठ तारीख़ हो जाए तो हज का इहराम बांध लो और जो तुम कर चुके उसे तमत्तोअ बना लो।" कहा गया इसे तमत्तोअ किस तरह बनाया जाए जबकि हम ने हज की नियत की थी। फ़रमायाः "अगर कुरबानी के जानवर साथ न लाया होता तो मैं बज़ाते खुद वही कुछ करता जिसके मुताल्लिक़ तुम्हें कह रहा हूं लेकिन मेरे लिए कोई चीज़ जाइज़ नहीं हो सकती जब तक कुरबानी न दे लूं।" चुनान्चे लोगों ने ऐसे ही किया।

हदीस 1471:- सईद बिन मुसय्यब ﷺ रिवायत करते हैं, अली और उस्मान ﷺ के दरमियान तमत्तोअ के मस्अले में इख़्तिलाफ़े राए पैदा हुआ, जब दोनों असफ़ान में थे। अली ﷺ बोले तुम्हारा क्या मक़सद है कि इसे रोकते हो जिसे रसूलुल्लाह ﷺ ने (खुद) किया। उस्मान ﷺ ने फ़रमाया, मुझे (मेरे हाल पर) छोड़ दो, जब अली ﷺ ने यह देखा तो हज और उमरा का इहराम एक साथ बांधा।

बाब 997:- जो शख़्स तलबीह में हज का नाम लेः

हदीस 1472:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ﷺ रिवायत करते हैं, हम रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह आए, हम लब्बैक बिल हज कह रहे थे। आपने (हज को उमरा बनाने का) हुक्म दिया हमने हज को उमरा बना लिया।

बाब 998:- अहदे रिसालत मआब ﷺ में तमत्तोअ जारी होताः

हदीस 1473:- इमरान बिन हुसैन ﷺ रिवायत करते हैं, हम ने अहदे रिसालत मआब ﷺ में (हज्जे) तमत्तोअ किया और कुरआने मजीद की आयत नाज़िल हुई लेकिन एक शख़्स ने अपनी राए से जो चाहा कह दिया।

बाब 999:- इरशादे ख़ुदावन्दी है: "यह उनके लिए जिनके अहले ख़ाना मस्जिदे हराम के क़रीब न रहते हों।" अबू कामिल फ़ुज़ैल बिन हुसैन बसरी ने कहा।

हदीस 1474:- इकरमा ﷺ रिवायत करते हैं, इब्ने अब्बास ﷺ से तमत्तोअ़ के बारे में इस्तिफ़सार किया गया, कहा हज्जतुल वदाअ़ के मौक़े पर मुहाजिरीन, अन्सार और अज़वाजे मुतह्हरात ने इहराम बांधा और हमने भी इहराम बांधा। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अपने इहराम को हज और उमरा (दोनों) का इहराम बना लो, इल्ला यह कि किसी ने क़ुरबानी के जानवर के गले में क़लावा डाल दिया हो।" हम ने कअ़बा और सफ़ा मरवा का तवाफ़ किया, हम अपनी बीवियों के पास आए, कपड़े बदले। आपने फ़रमाया: "जिसने क़ुरबानी के गले में क़लावा डाला उसके लिए क़ुरबानी के वक़्त इहराम खोलना जाइज़ नहीं।" फिर आठवीं ज़िल हिज्जा की शाम को हमें फ़रमाया: कि "हज का इहराम बांधें" फिर जब मनासिके हज से फ़ारिग़ हो गए तो हमने कअ़बा और सफ़ा मरवा का तवाफ़ किया और हमारा हज मुकम्मल हो गया। अब हम पर क़ुरबानी वाजिब हो गई जैसा कि इरशादे ख़ुदावन्दी है: "जिसे क़ुरबानी का जानवर मयस्सर हो वह क़ुरबानी करे और जिसे न मिल सके तो उसके ज़िम्मे हज में तीन दिन के रोज़े रखना वाजिब है और सात रोज़े घरों को वापसी के बाद।" क़ुरबानी में एक बकरी काफ़ी है। (इस मौक़े पर) लोगों ने एक साल में दो इबादतें कीं यानी हज और उमरा को इकट्ठा किया। अल्लाह तआला ने इस ज़िम्न में एक आयत नाज़िल फ़रमाई और रसूलुल्लाह ﷺ ने उसे अपनी सुन्नत क़रार दिया। अहले मक्का के अलावा लोगों के लिए उसे जाइज़ क़रार दिया। इरशादे ख़ुदावन्दी है: "यह उसके लिए है जिसके अहले ख़ाना कअ़बा के क़रीब न रहते हों।" और हज के महीने वह हैं जो ख़ुदा तआला ने अपनी किताब में बयान फ़रमाए शव्वाल, ज़ी क़अ़दा और ज़िल हिज्जा जिस ने इन महीनों में उमरा किया उस पर क़ुरबानी वाजिब है या रोज़ा। "रफ़स" से मुराद जिमाअ़, "फ़ुसूक़" से गुनाह और "जिदाल" से लोगों के साथ झगड़ना है।

बाब 1000:- दुख़ूले मक्का के वक़्त नहाना:

हदीस 1475:- नाफ़ेअ़ ﷺ रिवायत करते हैं, इब्ने उमर ﷺ जब हरम के क़रीब पहंचते तो तल्बीह मौक़ूफ़ कर देते, फिर ज़ी तुवा में रात गुज़ारते, वहां सुबह की नमाज़ पढ़ते और ग़ुस्ल करते और बताते कि रसूलुल्लाह ﷺ ऐसा किया करते थे।

बाब 1001:- मक्का में दिन और रात को जाना:

हदीस 1476:- इब्ने उमर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने ज़ी तुवा में रात बसर की, जब हुबह हुई तो मक्का में दाख़िल हुए, इब्ने उमर ﷺ भी ऐसा ही किया करते थे।

बाब 1002:- मक्का में किस तरफ़ से दाख़िल हुआ जाए:

हदीस 1477:- इब्ने उमर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ सनिय्यतुल उल्या (ऊंची घाटी) से दाख़िल होते और सनिय्यतुस्सुफ़ला (बाबे शबीका) से बाहर निकलते।

बाब 1003:- मक्का से किस तरफ़ को निकला जाए:

हदीस 1478:- इब्ने उमर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ मक़ामे कदाअ जो बतहा में है, की सनिय्यतुल उल्या से दाख़िल होते और सनिय्यतुस्सुफ़ला से बाहर निकलते थे।

हदीस 1479:- सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जब मक्का तशरीफ़ लाते तो बुलन्द हिस्से से दाख़िल होते और निचले हिस्से की तरफ़ से बाहर निकलते।

हदीस 1480:- सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ फ़तेह मक्का के साल कदाअ की तरफ़ से दाख़िल हुए और कुदी की तरफ़ से जो मक्का की बुलन्दी की तरफ़ है बाहर तशरीफ़ लाए।

हदीस 1481:- सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ फ़तेह मक्का के साल कदाअ की तरफ़ से जो मक्का की ऊँचाई की जानिब है से तशरीफ़ लाए। हिशाम के मुताबिक़ उरवा رضی اللہ عنہ कदाअ और कुदी दोनों जानिब से दाख़िल होते लेकिन अकसर कुदी की तरफ़ से दाख़िल होते क्योंकि यह जगह उनके घर के क़रीब थी।

हदीस 1482:- उरवा رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ फ़तेह मक्का के साल मक्का की बुलन्द जानिब यानी कदाअ की तरफ़ से दाख़िल होते इस लिए कि यह उनके घर से क़रीब था।

हदीस 1483:- हिशाम अपने वालिद से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ फ़तेह मक्का के साल कदाअ की जानिब से दाख़िल हुए और उरवा رضی اللہ عنہ दोनों तरफ़ से दाख़िल होते थे लेकिन बसा औक़ात कुदी की जानिब से दाख़िल होते क्योंकि यह उनके घर के क़रीब था। अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी) कदाअ और कुदी दो बस्तियां हैं।

बाब 1004:- फ़ज़ीलते मक्का और उसकी तअमीरः

इरशादे बारी तआला हैः "हम ने बैतुल्लाह को मरजअ़ और अमन की जगह बनाया तुम मक़ामे इब्राहीम को क़िब्ला मुक़र्रर करलो और हमने इब्राहीम और इस्माईल से वादा लिया कि तुम मेरे घर को तवाफ़, एतेकाफ़ और रुकूअ सुजूद करने वालों के लिए पाक साफ़ रखो। जब इब्राहीम ने कहा ऐ मेरे रब तू इस जगह को अमन वाला शहर बना यहां के बासियों को जो अल्लाह और आख़िरत पर ईमान रखते हैं फलों का रिज़्क़ अता फ़रमा, अल्लाह तआला ने फ़रमाया मैं कुफ़्फ़ार को भी थोड़ा बहुत फ़ायदा दूंगा फिर उन्हें आग के अज़ाब की तरफ़ बेबस कर दूंगा यह बहुत बुरा ठिकाना है। इब्राहीम और इस्माईल कअबा की दीवारें उठा रहे थे और कह रहे थे ऐ हमारे परवरदिगार! तू हम से क़ुबूल फ़रमा तू सुनने जानने वाला है। ऐ हमारे! रब तू हमें अपना फ़रमां बरदार बना और हमारी औलाद में से एक "उम्मते मुस्लिमा" बरपा फ़रमा, हमें अपनी बन्दगी (का तरीक़ा) सिखा और हमारी तौबा क़ुबूल फ़रमा तू तौबा क़ुबूल करने और रहम फ़रमाने वाला है।"

हदीस 1484:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضی اللہ عنہما रिवायत करते हैं, जब तामीरे कअबा शुरू हुई तो रसूलुल्लाह ﷺ और अब्बास رضی اللہ عنہ दोनों पत्थर ढोते। अब्बास رضی اللہ عنہ ने आपसे कहा कि इज़ार कांधे पर डाल लें, (आपने ऐसा किया तो) बेहोश हो गए और आंखें आसमान की तरफ़ लग गईं। फिर आपने फ़रमायाः "मुझे मेरा तहमद दे दीजिए।" फिर आपने उसे बांध लिया।

हदीस 1485:- सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने उन्हें फ़रमायाः "तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारी क़ौम ने जब तामीरे कअबा की तो इब्राहीम की बुन्यादों से उसे छोटा कर दिया।" मैं बोली या रसूलल्लाह! आप इसे बिनाए इब्राहीमी के मुताबिक़ क्यों नहीं बना देते? फ़रमायाः

"अगर तुम्हारी कौम नई नई मुसलमान न हुई होती तो मैं ऐसा ज़रूर करता।" अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنهما बयान करते हैं, सय्यदा आयशा رضي الله عنها ने रसूलुल्लाह ﷺ से यह बात यक़ीनन सुनी है, मेरे ख़्याल में इसी वजह से आपने हज्रे अस्वद के दोनों कोनों का बोसा तर्क कर दिया इस लिए कि ख़ानए कअबा इब्राहीमी बुन्यादों पर नहीं उठाया गया था।

हदीस 1486:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से पूछा क्या दीवार ख़ानए कअबा में शामिल है? फ़रमायाः "हां।" मैं बोली लोगों ने उसे शामिल क्यों नहीं किया? फ़रमायाः "तुम्हारी क़ौम के पास वसाइल की कमी हो गई थीः "मैंने अर्ज़ किया दरवाज़े को ऊँचा क्यों किया? फ़रमायाः "तुम्हारी क़ौम ने किया ताकि जिसे चाहें दाख़िल होने दें और जिसे चाहें रोक दें, अगर तुम्हारी क़ौम का ज़माना ज़ाहिलियत के क़रीब न होता और मुझे यह बात इन पर गिरां गुज़रने का अंदेशा न होता तो मैं दीवारों को ख़ानए कअबा में शमिल कर देता और उसके दरवाज़े को ज़मीन से मिला देता।"

हदीस 1487:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "अगर तुम्हारी क़ौम का ज़माना कुफ़्र के क़रीब न होता तो मैं ख़ानए कअबा को तोड़ कर (अज़ सरे नौ) इब्राहीमी बुन्यादों पर खड़ा करता क्योंकि क़ुरैश ने इसकी तामीर को छोटा कर दिया और इसके लिए "ख़लफ़" बनाता।" अबू मुआविया, हिशाम के हवाले से बताते हैं ख़लफ़ से मुराद दरवाज़ा है।

हदीस 1488:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "अगर तुम्हारी क़ौम का ज़माना जाहिलियत के क़रीब न होता तो मैं कअबा के गिराने का हुक्म देता और जो हिस्सा उससे अलग किया गया उसे उसमें शामिल करने को कहता और उसकी कुर्सी ज़मीन के बराबर कर देता। उस में दो दरवाज़े एक पूरब और दूसरा पश्चिम की तरफ़ बनवाता, उसकी बुन्याद इब्राहीमी बुन्यादों के मुताबिक़ कर देता।" यही वह हदीस है जिसने अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर رضي الله عنه को इन्हिदामे कअबा पर आमादा किया। यज़ीद के मुताबिक़ मैं उस वक़्त इब्ने ज़ुबैर رضي الله عنه के साथ था जब उन्होंने कअबा को गिरा कर (अज़सरे नौ) बनाया। हज्रे अस्वद को कअबा में शामिल किया और मैंने इब्राहीमी बुन्यादों के पत्थर देखे जो ऊँट के कोहानों की तरह थे। जरीर رضي الله عنه कहते हैं, मैंने यज़ीद से पूछा उसकी जगह कहां है? उन्होंने कहा मैं अभी तुम्हें दिखाता हूं, मैं उनके हमराह हज्रे अस्वद के पास गया तो उन्होंने उस जगह की तरफ़ इशारा किया कि यहां है। जरीर رضي الله عنه कहते हैं, मेरे अन्दाज़े के मुताबिक़ हज्रे अस्वद के छ गज़ के क़रीब क़रीब था।

बाब 1005:- फ़ज़ीलते हरमः

इरशादे ख़ुदावन्दी हैः "मैं इस शहर के रब की इबादत पर मामूर किया गया हूं जिसने इसे मोहतरम बनाया और कुल कायनात उसी की मिल्क है और मैं तस्लीम व इताअत पर मामूर किया गया हूं।" अल्लाह तआला फ़रमाता हैः "क्या हमने उन्हें पुर-अमन हरम में जगह नहीं दी और उसी तरफ़ हर क़िस्म के मेवे खिंच कर आते हैं लेकिन अकसर को उसका इल्म नहीं।"

हदीस 1489:- इब्ने अब्बास رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़तेह मक्का के दिन फ़रमायाः "इस शहर को अल्लाह तआला ने मोहतरम बनाया है इसके कांटे (तक) न काटे जाएं। यहां शिकार न किया जाए, यहां की गिरी पड़ी चीज़ न उठाई जाए इल्ला यह कि एलान करने के मक़सद से उठाई जाए।"

बाब 1006:- मक्का के घर मीरास बन सकते हैं उनकी ख़रीद व फ़रोख़्त और यह कि यहां सब लोग बराबर हैं:

इरशादे खुदावन्दी है: "जिन लोगों ने कुफ़्र किया और अल्लाह के रास्ते और ख़ानए कअबा से रोकते हैं जिसे हमने लोगों के लिए यकसां बनाया है वहां के बासी हों या मुसाफ़िर जो कोई वहां शर के तौर पर जुल्म करना चाहे तो हम उसे दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला करेंगे।" अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी) कहते हैं, "बादी" से मुराद बाहर से आने वाला और "महबूस" से रुका हुआ है।

हदीस 1490:- उसामा बिन ज़ैद رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, मैंने कहा या रसूलल्लाह! आप मक्का में अपने घर पर कहां उतरेंगे? फ़रमाया: "अक़ील ने जायदाद या घर कहां छोड़ा है और अक़ील और तालिब, अबू तालिब के वुरसा बने। जअफ़र और अली को कोई मीरास न मिल सकी क्योंकि वह दोनों मुसलमान और अक़ील और तालिब काफ़िर थे।" उमर رضي الله عنه इसी लिए फ़रमाते थे "मोमिन काफ़िर का वारिस नहीं बन सकेगा।" इब्ने शहाब कहते हैं, लोग अल्लाह तआला के इस क़ौल की तावील करते थे: "बेशक जो लोग ईमान लाए और हिजरत की और अपने मालों और जानों से अल्लाह तआला की राह में जिहाद किया और जिन लोगों ने पनाह दी और मदद की उनमें से बाज़, बाज़ के वारिस हैं।" (अल आया)।

बाब 1007:- रसूलुल्लाह ﷺ का मक्का में वरूदे मस्ऊद:

हदीस 1491:- अबू हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जब आज़िमे मक्का हुए तो फ़रमाया: "कल हमारा क़याम ख़ैफ़ बनी कनाना में होगा इन शा अल्लाह, जहां कुरैश ने कुफ़्र पर डटे रहने की क़सम खाई थी।"

हदीस 1492:- अबू हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ कुरबानी के दूसरे दिन जब मिना में थे, फ़रमाया: "कल हम इन शा अल्लाह ख़ैफ़ बनी कनाना यानी मोहस्सब में नुजूले इजाल फ़रमाएंगे, जहां लोगों ने कुफ़्र पर क़ायम रहने का हलफ़ उठाया था।" वाक़िआ कुछ इस तरह है कुरैश और कनाना ने बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब या बनी अल-मुत्तलिब के ख़िलाफ़ हलफ़ उठाया था कि उनसे शादी ब्याह और ख़रीदो फ़रोख़्त के ताल्लुक़ात ख़त्म कर देंगे जब तक कि वह रसूलुल्लाह ﷺ को हमारे हवाले नहीं कर देंगे।

बाब 1008:- इरशादे खुदावन्दी है: "जब इब्राहीम ने कहा ऐ मेरे परवरदिगार! इस शहर को दारुल अमन बना और मेरी औलाद को बुतों की इबादत से महफ़ूज़ रख, ऐ मेरे परवरदिगार! उन्होंने बहुतों को भटकाया है।" आख़िर आयत "लअल्लहुम यश्कुरून" तक।

बाब 1009:- इरशादे खुदावन्दी है: "अल्लाह तआला ने कअबा को लोगों के गुज़ारे का ज़रिया और महीनों को मोहतरम बनाया, वअन्नल्लाहा बिकुल्लि शैउन अलीम," तक।

हदीस 1493:- अबू हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "कअबा को दो छोटी पिन्डलियों वाला हब्शी तबाह करेगा।"

हदीस 1494:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, रमज़ामन के रोज़ों से पहले लोग आशूरा का रोज़ा रखते थे, उस दिन कअबा पर ग़िलाफ़ चढ़ाया जाता। जब अल्लाह तआला ने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ क़रार दिए तो आपने फ़रमाया: "जो शख़्स आशूरा का रोज़ा रखना चाहे वह रखे और जो न चाहे

वह न रखे।"

हदीस 1495:– अबू सईद ख़ुदरी ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "कअबा का हज और उमरा याजूज माजूज के ख़ुरूज के बाद भी होता रहेगा।" अब्दुर्रहमान शुअबा के हवाला से बयान करते हैं, क़यामत उस वक़्त तक बरपा नहीं होगी जब तक कअबा का हज मौक़ूफ़ नहीं हो जाएगा।

बाब 1010:– कअबा पर ग़िलाफ़ चढ़ाना:

हदीस 1496:– अबू वाइल ﷺ रिवायत करते हैं, मैं शैबा ﷺ के साथ कअबा में कुर्सी पर बैठा। शैबा ने कहा यहां उमर ﷺ बैठे थे। उन्होंने कहा मैं कोई ज़र्द या सफ़ेद चीज़ (यानी सोना चांदी) न छोड़ूं मगर यह कि उसे बांट दूं। मैंने कहा आपके दोनों साथियों (पेशरौओं) ने ऐसा नहीं किया। फ़रमाया मैं तो उन्हीं दोनों की पैरवी करता हूं।

बाब 1011:– ख़ाना कअबा को गिराना:

सय्यदा आयशा ﷺ कहती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "एक लश्कर कअबा पर चढ़ाई करेगा और वह ज़मीन में धंसा दिया जाएगा।"

हदीस 1497:– इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "मैं उस स्याह आदमी को देख रहा हूं जो कअबा का एक पत्थर उखाड़ फेंकेगा।"

हदीस 1498:– अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "कअबा को दो छोटी पिन्डलियों वाला हब्शी तबाह करेगा।"

बाब 1012:– वह रिवायात जो हज्रे अस्वद के ज़िम्न में आई हैं:

हदीस 1499:– उमर ﷺ रिवायत करते हैं, वह हज्रे अस्वद के पास आए, उसे चूमा और फिर मुख़ातब हुए, मैं जानता हूं तू एक पत्थर है न नुक़सान पहुंचा सकता है और न नफ़ा, अगर मैं रसूलुल्लाह ﷺ को तुझे चूमते न देखता तो तुझे हरगिज़ बोसा न देता।

बाब 1013:– ख़ानए कअबा के दरवाज़े बन्द करके कअबा में जिस तरफ़ मुंह करके चाहे नमाज़ पढ़ ले:

हदीस 1500:– अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ उसामा बिन ज़ैद, बिलाल और उस्मान बिन तल्हा ﷺ ख़ानए कअबा में दाख़िल हुए। उन्होंने दरवाज़ा बन्द कर लिया। जब दरवाज़ा खोला तो सबसे पहले मैं अन्दर गया, बिलाल ﷺ मिले, मैंने पूछा रसूलुल्लाह ﷺ ने यहां नमाज़ पढ़ी है? बोले हां, आपने दोनों यमनी सुतूनों के दरमियान नमाज़ अदा की है।

बाब 1014:– कअबा में नमाज़ पढ़ना:

हदीस 1501:– नाफ़ेअ ﷺ रिवायत करते हैं, इब्ने उमर ﷺ जब ख़ानए कअबा में दाख़िल होते तो सामने चलते और दरवाज़े की तरफ़ पीठ होती, वह चलते रहते यहां तक कि उनके सामने वाली दीवार के दरमियान तीन गज़ का फ़ासिला बाक़ी रह जाता। फिर नमाज़ पढ़ते और वहां का इरादा करते जहां के बारे में बिलाल ﷺ ने बताया था कि रसूलुल्लाह ﷺ ने यहां नमाज़ पढ़ी थी और इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं कि कअबा में जिस तरफ़ चाहे नमाज़ पढ़े।

फ़ायदा:– हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ का उस जगह पर ख़ास तौर पर नमाज़ पढ़ना, जहां

रसूलुल्लाह ﷺ ने नमाज़ पढ़ी होती इस बात की ग़म्माज़ी करता है कि सहाबए किराम رضی اللہ عنہم की नज़र में ज़मीन का वह हिस्सा मुतबर्रक हो जाता था जिस के साथ नबी करीम ﷺ का जिस्मे अतहर मस हुआ होता। इसी लिये दौलते उस्मानिया के रासिखुल अक़ीदा मुसलमानों ने ऐसी तमाम जगहों पर यादगारें तामीर कर दी थीं लेकिन जब दुशमनाने रसूल का जज़ीरए अरब पर तसल्लुत हुआ तो उन्होंने मुहब्बत व अक़ीदत की उन तमाम निशानियों को मस्मार करके अपने दिल की लगी बुझाई और सच्चे मुसलमानों के क़ल्ब व जिगर को छलनी करके रख दिया। अल्लाह तआला सारे ही मुसलमान कहलाने वालों को हु ब्बे नबी की दौलत अता फ़रमाए, आमीन।

बाब 1015:– जो शख़्स कअबा में दाख़िल न हो:

इब्ने उमर رضی اللہ عنہما अकसर हज करते लेकिन ख़ानए कअबा में दाख़िल न होते।

हदीस 1502:– अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने उमरा किया तो तवाफ़े कअबा के बाद मक़ामे इब्राहीम के पीछे दो रकअत नमाज़ पढ़ी और आपके साथ एक आदमी था जो आपको लोगों से छुपाए हुए थे। किसी ने अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा رضی اللہ عنہ से दरयाफ़्त किया क्या रसूलुल्लाह ﷺ कअबा में दाख़िल हुए थे? जवाब दिया नहीं।

बाब 1016:– अतराफ़े कअबा में तकबीर कहना:

हदीस 1503:– इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जब कअबा के पास आए तो अन्दर न गए (चूंकि) अन्दर बुत रखे थे। आपने उन्हें निकालने का हुक्म दिया, वह निकाल दिए गए। लोगों ने इब्राहीम और इस्माईल के बुत भी निकाल फेंके, उन दोनों के हाथों में पांसे थे। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "ख़ुदा इन मुश्रिकों को ग़ारत करे बख़ुदा इन्हें मालूम है कि उन दोनों ने कभी पांसे नहीं फेंके।" अज़ां बाद आप ख़ानए कअबा में तशरीफ़ ले गए और उसके कोनों में तकबीर कह कर नमाज़ पढ़ी।

बाब 1017:– रमल का आग़ाज़ किस तरह हुआ?:

हदीस 1504:– इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ और अस्हाबे रसूल मक्का में तशरीफ़ लाए तो मुश्रिकीन कहने लगे, तुम्हारे पास वह क़ौम आ रही है जिसे यसरिब के बुख़ार ने कमज़ोर बना दिया है। रसूलुल्लाह ﷺ ने हुक्म दिया कि तीन फेरों में अकड़ कर चलें और दोनों रुकनों में मामूल के मुताबिक़ चलें।" और तमाम फेरों में महज़ सहूलत के पेशे नज़र आपने रमल नहीं किया।

बाब 1018:– जब मक्का में आए तो पहले तवाफ़ में हज्रे अस्वद को बोसा दे और तीन बार रमल करे:

हदीस 1505:– सालिम رضی اللہ عنہ अपने वालिद से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जब मक्का में तशरीफ़ लाते तो पहले तवाफ़ में हज्रे अस्वद को चूमते और सात फेरों में से तीन में रमल करते।

बाब 1019:– हज और उमरा में रमल करना:

हदीस 1506:– इब्ने उमर رضی اللہ عنہما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने तीन फेरों में रमल किया (यानी दौड़ कर चले) और चार फेरों में हज और उमरा के दौरान मामूल के मुताबिक़ चले।

हदीस 1507:- ज़ैद बिन असलम ﷺ अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उमर बिन ख़त्ताब ﷺ ने हज्रे अस्वद से मुख़ातब होकर कहा: तू एक पत्थर है न नुक़्सान तेरे हाथ में है और न नफ़ा, अगर मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को तुझे चूमते हुए न देखा होता तो हरगिज़ बोसा न देता। फिर बोसा देकर कहा हमें रमल की क्या ज़रूरत थी? हमने वह तो मुश्रिकों को दिखाने के लिए किया, अल्लाह तआला ने उन्हें हलाक कर दिया। फिर फ़रमाया यह ऐसी चीज़ है जिसे रसूलुल्लाह ﷺ ने किया हम इसे छोड़ना पसन्द नहीं करते।

हदीस 1508:- अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ रिवायत करते हैं, तंगी और आसानी दोनों सूरतों में मैंने इन दोनों अरकान का बोसा तर्क नहीं किया, जब से मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को बोसा देते देखा। नाफ़ेअ ﷺ से सवाल किया गया, इब्ने उमर ﷺ दोनों अरकान के दरमियान आम रफ़्तार से चलते थे? जवाब दिया वह मामूल के मुताबिक़ चलते थे ताकि आसानी के साथ बोसा दे सकें।

बाब 1020:- लकड़ी के ज़रिये हज्रे अस्वद को बोसा देना:

हदीस 1509:- इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने हज्जतुल वदाअ में अपनी ऊंटनी पर सवार होकर तवाफ़ किया और लाठी के ज़रिये हज्रे अस्वद को बोसा दिया।

बाब 1021:- जो शख़्स सिर्फ़ दोनों रुक्ने यमानी को बोसा दे:

अबू शअशा रिवायत करते हैं, कौन है जो ख़ानए कअबा की किसी चीज़ से परहेज़ करे, मुआविया ﷺ रुक्नों को चूमते थे। तो उनसे इब्ने अब्बास ﷺ ने फ़रमाया, हम उन दोनों को बोसा नहीं देते। उन्होंने कहा ख़ानए कअबा की कोई चीज़ छोड़ने के क़ाबिल नहीं। इब्ने ज़ुबैर ﷺ उन सबको चूमते थे।

हदीस 1510:- सालिम बिन अब्दुल्लाह ﷺ अपने वालिद से रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को दोनों रुक्ने यमानी के अलावा किसी और चीज़ को चूमते नहीं देखा।

बाब 1022:- हज्रे अस्वद को बोसा देना:

हदीस 1511:- ज़ैद बिन असलम ﷺ अपने वालिद से रिवायत करते हैं, मैंने उमर बिन ख़त्ताब ﷺ को देखा, उन्होंने हज्रे अस्वद को चूमा और फ़रमाया, अगर मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को चूमते न देखा होता तो हरगिज़ न चूमता।

हदीस 1512:- ज़ुबैर बिन अरबी रिवायत करते हैं, किसी ने इब्ने उमर ﷺ से हज्रे अस्वद को बोसा देने के मुताल्लिक़ सवाल किया तो फ़रमाया, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को उसका बोसा लेते हुए देखा है। वह बोला अगर हुजूम ज़्यादा हो और मैं आजिज़ हो जाऊं तो? फ़रमाया अगर मगर यमन में रहने दो, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को हज्रे अस्वद को बोसा देते हुए देखा।

बाब 1023:- जो हज्रे अस्वद के पास आकर इशारा करे:

हदीस 1513:- इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने ऊंट पर बैठ कर तवाफ़े कअबा किया, जब भी हज्रे अस्वद के सामने आते तो किसी चीज़ से इशारा करते।

बाब 1024:- हज्रे अस्वद के क़रीब तकबीर कहना:

हदीस 1514:- इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने ऊंट पर सवार होकर तवाफ़े कअबा किया, जब भी हज्रे अस्वद के क़रीब आते तो किसी चीज़ का इशारा कर देते और

तकबीर कहते।

बाब 1025:- जो शख़्स मक्का में आए और घर जाने से पहले तवाफ़े काबा करे, फिर दो रकअत नमाज़ पढ़ कर सफ़ा मरवा की तरफ़ निकल जाए:

हदीस 1515:- सय्यदा आयशा ؓ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ मक्का में तशरीफ़ लाए तो आपने सबसे पहले वुज़ू किया फिर तवाफ़ किया, उमरा अदा नहीं हुआ। फिर अबू बकर और उमर ؓ ने भी इसी तरह हज किया। मैंने इब्ने ज़ुबैर ؓ के साथ हज किया तो उन्होंने पहले तवाफ़ किया। मैंने मुहाजिरीन व अन्सार को इसी तरह करते देखा और मुझे मेरी वालिदा ने बताया कि उन्होंने, उनकी हमशीरा, ज़ुबैर और फ़ुलां फ़ुलां ने उमरा का इहराम बांधा, जब उन्होंने हज्रे अस्वद का बोसा लिया तो इहराम खोल दिया।

हदीस 1516:- अब्दुल्लाह बिन उमर ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जब हज और उमरे का तवाफ़ करते तो पहले तीन फेरों में दौड़ते और चार में मामूल के मुताबिक़ चलते, फिर दो रकअत नमाज़ पढ़ते और सफ़ा व मरवा के दरमियान तवाफ़ करते।

हदीस 1517:- अब्दुल्लाह बिन उमर ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जब तवाफ़े कअबा करते तो पहले तीन फेरों में दौड़ कर चलते और चार में मामूल के मुताबिक़ चलते और सफ़ा व मरवा के दरमियान जब तवाफ़ करते तो नाले के दरमियान में दौड़ते।

बाब 1026:- औरतों का मर्दों के साथ तवाफ़ करना:

मुझ से अम्र बिन अली ने अबू आसिम, इब्ने जुरैज और अता के हवाले से बयान किया, जब इब्ने हिशाम ने औरतों को मर्दों के साथ तवाफ़ करने से रोका तो अता बिन अबी रबाह ؓ ने कहा क्यों रोकते हो? जबकि अज़्वाजे रसूल ने मर्दों के साथ मिल कर हज किया है। मैंने पूछा आयते हिजाब के नुज़ूल से पहले या बाद में? बोले मुझे मेरी ज़िन्दगी की क़सम! मैंने बाद में भी देखा है, मैंने पूछा मर्द उन औरतों में किस तरह घुल मिल जाते थे? बोले वह उन ख़्वातीन से मिलते नहीं थे। आयशा ؓ मर्दों से अलग रह कर तवाफ़ करतीं। एक ख़ातून ने कहा उम्मुल मोमिनीन चलिए हज्रे अस्वद का बोसा दें। फ़रमाया तुम चलो और (ख़ुद जाने से) इन्कार कर दिया। और अज़्वाजे रसूल रात को इस तरह निकलतीं कि पहचानी न जातीं और मर्दों के साथ तवाफ़ करतीं, लेकिन जब ख़ानए कअबा में दाख़िल होना चाहतीं तो बाहर इन्तिज़ार करतीं जब मर्द निकल चुके होते तो दाख़िल होतीं। मैं और उबैदुल्लाह बिन उमैर ؓ, आयशा ؓ के पास जाते, वह जौफ़े सुबैर में क़याम करती थीं। मैंने इस्तिफ़सार किया उनका पर्दा क्या था? बोले वह एक तुर्की कुब्बा में थीं, उस पर पर्दा तना हुआ था। उस कुब्बा और आयशा ؓ के दरमियान कोई हिजाब न था और मैंने उन्हें गुलाबी रंग का कुर्ता पहने हुए देखा।

हदीस 1518:- उम्मे सलमा ؓ रिवायत करती हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से अपनी बीमारी की शिकायत की, फ़रमाया: "लोगों के पीछे सवार हो कर तवाफ़ करलो। चुनान्चे मैंने लोगों के पीछे तवाफ़ किया और आप उस वक़्त ख़ानए कअबा के एक तरफ़ नमाज़ पढ़ रहे थे और सूरह वत्तूर व किताबिम्मस्तूर की तिलावत फ़रमा रहे थे।

बाब 1027:- तवाफ़ के दौरान गुफ़्तगू करना:

हदीस 1519:- इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ तवाफ़े कअबा के दौरान एक शख़्स के क़रीब से गुज़रे, जिसने अपना हाथ दूसरे आदमी के हाथ से तस्मा, रस्सी या इसी तरह की किसी चीज़ से बांध रखा था। आपने उसे काट दिया और फ़रमाया इसका हाथ पकड़ कर चलो।

बाब 1028:- जब तवाफ़ में कोई तस्मा या मकरूह चीज़ देखे उसे काट दे:

हदीस 1520:- इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने किसी को तवाफ़े कअबा के दौरान डोरी या किसी दूसरी चीज़ से बंधा देखा तो उसे काट दिया।

बाब 1029:- नंगे होकर तवाफ़ और मुश्रिकों के हज करने की मुमानिअत:

हदीस 1521:- अबू हुरैरह رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, हज्जतुल वदाअ से पहले जिस हज में अबू बक्र सिद्दीक़ رضی اللہ عنہ को रसूलुल्लाह ﷺ ने अमीरुल हज बनाया था तो उन्होंने दस्वें ज़िल हज्जा को चन्द लोगों के साथ यह एलान करने के लिए भेजा कि इस साल के बाद न मुश्रिक को हज की और न किसी को नंगा होकर तवाफ़ करने की इजाज़त है।

बाब 1030:- तवाफ़ में तवक्कुफ़ करना:

अता कहते हैं, जो शख़्स तवाफ़ कर रहा हो और नमाज़ की तकबीर कही जाए या अपनी जगह से हटा दिया जाए, जब सलाम फेरे तो वहीं से तवाफ़ शुरू करे जहां से मुन्क़ता हुआ था। इब्ने उमर और अब्दुर्रहमान बिन अबू बक्र رضی اللہ عنہم से यही मन्कूल है।

बाब 1031:- रसूलुल्लाह ﷺ का तवाफ़:

सात फेरों के बाद दो रकअत नमाज़ पढ़ी। नाफ़ेअ رضی اللہ عنہ के मुताबिक़ इब्ने उमर رضی اللہ عنہما हर सात फेरों के बाद दो रकअत नमाज़ पढ़ते थे। इस्माईल बिन उमय्या ने ज़ुहरी से बयान किया कि अता कहते हैं, फ़र्ज़ नमाज़ के बजाए तवाफ़ की दो रकअतें काफ़ी हैं। ज़ुहरी के मुताबिक़ मस्नून तरीक़े पर अमल करना ज़्यादा सही है, रसूलुल्लाह ﷺ ने जब भी सात फेरे किए तो दो रकअत नमाज़ अदा की।

हदीस 1522:- अम्र रिवायत करते हैं, मैंने इब्ने उमर رضی اللہ عنہما से पूछा क्या कोई शख़्स उमरा में सफ़ा मरवा के दरमियान तवाफ़ करने से पहले बीवी से सोहबत कर सकता है? कहा रसूलुल्लाह ﷺ मक्का में तश्रीफ़ लाए तो सात दफ़ा तवाफ़े कअबा किया, फिर मक़ामे इब्राहीम के पीछे दो रकअत नमाज़ पढ़ी और सफ़ा मरवा के दरमियान तवाफ़ किया। फ़िर फ़रमाया रसूलुल्लाह ﷺ (की जिन्दगी) में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना (अमल) है। अम्र कहते हैं, मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضی اللہ عنہما से दरयाफ़्त किया तो फ़रमाया, जब तक कोई शख़्स सफ़ा व मरवा के दरमियान तवाफ़ न करले अपनी बीवी से जिमाअ न करे।

बाब 1032:- जो शख़्स कअबा के क़रीब न जाए और न तवाफ़ करे और अरफ़ात चला जाए और तवाफ़े अव्वल के बाद वापस हो:

हदीस 1523:- अब्दुल्लाह बिन अब्बास رضی اللہ عنہما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ मक्का तश्रीफ़ लाए तो सात बार तवाफ़ किया और सफ़ा मरवा के दरमियान तवाफ़ किया और तवाफ़ के बाद फिर बैतुल्लाह के क़रीब न गए यहां तक कि हज करके अरफ़ात से वापस आए।

बाब 1033:- जिसने तवाफ़ का दोगाना मस्जिद से बाहर पढ़ा, उमर رضی اللہ عنہ ने

हरम से बाहर नमाज़ पढ़ी:

हदीस 1524:- उरवा ؓ उम्मे सलमा ؓ (ज़ौजए रसूल) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ से अपनी बीमारी की शिकायत की। आप मक्का में थे और रवाना होना चाहते थे। उम्मे सलमा ؓ ने तवाफ़े कअबा नहीं किया था वह भी रवाना होना चाहती थीं, तो आपने उनसे फ़रमाया: "जब नमाज़े सुबह के लिए तकबीर हो तो तुम ऊंट पर सवार होकर तवाफ़ कर लो, जब लोग नमाज़ में मशगूल हों।" उन्होंने ऐसा ही किया और नमाज़ नहीं पढ़ी यहां तक कि बाहर निकल गईं।

बाब 1034:- जिस ने मक़ामे इब्राहीम के पीछे तवाफ़ की दो रकअतें पढ़ीं:

हदीस 1525:- इब्ने उमर ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ मक्का में तशरीफ़ लाए तो सात बार तवाफ़े कअबा किया और मक़ामे इब्राहीम के पीछे दो रकअतें पढ़ीं, बादे अज़ां सफ़ा की जानिब चल दिए। इरशादे खुदावन्दी है "तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह (की जिन्दगी) में अच्छा नमूना (अमल) है।"

बाब 1035:- फ़ज्र और अस्र के बाद तवाफ़ करना:

इब्ने उमर ؓ तवाफ़ की दो रकअतें पढ़ते थे यहां तक कि सूरज निकल आता। उमर ؓ ने नमाज़े फ़ज्र के बाद तवाफ़ किया फिर सवार हुए यहां तक कि ज़ी तुवा में दो रकअतें पढ़ी।

हदीस 1526:- सय्यदा आयशा ؓ रिवायत करती हैं, लोगों ने नमाज़े फ़ज्र के बाद तवाफ़ किया, फिर एक वाइज़ के पास बैठ गए यहां तक कि सूरज निकल आया, लोग नमाज़ पढ़ने खड़े हो गए। सय्यदा आयशा ؓ कहती हैं, लोग बैठे रहे हत्ता कि कराहत का वक़्त हो गया तो लोग नमाज़ पढ़ने खड़े हो गए।

हदीस 1527:- अब्दुल्लाह बिन उमर ؓ रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को तुलूअ और गुरूबे आफ़ताब के वक़्त नमाज़ पढ़ने से मना फ़रमाते सुना।

हदीस 1528:- अब्दुल अज़ीज़ बिन रफ़ीअ ؓ रिवायत करते हैं, मैंने इब्ने ज़ुबैर ؓ को फ़ज्र के बाद तवाफ़ करते और दो रकअत नमाज़ पढ़ते हुए देखा (नीज़) मैंने इब्ने ज़ुबैर ؓ को अस्र के बाद दो रकअत नमाज़ पढ़ते हुए देखा। सय्यदा आयशा ؓ ने उन्हें बताया रसूलुल्लाह ﷺ जब भी कअबा में दाख़िल होते तो दो रकअतें अदा करते।

बाब 1036:- मरीज़ का सवार हो कर तवाफ़ करना:

हदीस 1529:- इब्ने अब्बास ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने तवाफ़े कअबा ऊंट पर सवार होकर किया, जब भी आप हज्रे अस्वद के सामने आए अपने हाथ से किसी चीज़ के साथ इशारा करते और तकबीर कहते।

हदीस 1530:- उम्मे सलमा ؓ रिवायत करती हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से अपनी बीमारी की शिकायत की। आपने फ़रमाया: "उन लोगों के पीछे रह कर तवाफ़ करो।" चुनान्चे मैंने तवाफ़ किया और रसूलुल्लाह ﷺ कअबा के एक पहलू में नमाज़ पढ़ रहे थे और उस में सूरह "वत्तूर व किताबे मस्तूर" की तिलावत कर रहे थे।

बाब 1037:- हाजियों को पानी पिलाना:

हदीस 1531:- इब्ने उमर ؓ रिवायत करते हैं, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ؓ ने

रसूलुल्लाह ﷺ से मिना की रातों में मक्का में हाजियों को पानी पिलाने के लिए रात गुज़ारने की इजाज़त चाही तो आपने उन्हें इजाज़त दे दी।

हदीस 1532:- इब्ने अब्बास رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ सक़ावे की तरफ़ आए और पानी मांगा। अब्बास رضي الله عنه ने कहा (बेटे) फ़ज़ल! तुम अपनी वालिदा के पास जाकर आपके लिए शर्बत ले आओ। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "मुझे पानी पिलाओ।" अब्बास رضي الله عنه बोले या रसूलल्लाह! इस (सक़ावे) में लोग हाथ डालते हैं। आपने (फिर) फ़रमायाः "मुझे पानी पिलाओ।" आपने उससे पानी पिया, फिर आप आबे ज़मज़म के पास आए, लोग पानी खींच रहे थे और पिला रहे थे। फ़रमायाः "इसे जारी रखो अच्छा काम है।" और फ़रमायाः "अगर मुझे इसका एहसास न होता कि तुम्हें ज़हमत होगी तो मैं उतरता और डोरी इस पर यानी कांधे पर डालता।" और (यह कह कर) अपने कांधे की तरफ़ इशारा किया।

बाब 1038:- जो कुछ आबे ज़मज़म के मुताल्लिक़ वारिद हुआ है:

अब्दान ने अब्दुल्लाह, यूनुस, जुहरी और अनस बिन मालिक رضي الله عنه के तवस्सुत से रिवायत की कि अबूज़र رضي الله عنه बयान करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "मैं मक्का में था, मेरी छत खोल दी गई, जिब्रईल عليه السلام उतरे और उन्होंने मेरा सीना चाक करके ज़मज़म के पानी से धोया। फिर एक हिकमत और ईमान से भरा हुआ सोने का तश्त लेकर आए और उसे मेरे सीने में उंडेल दिया, फिर (सीना) सी दिया गया। मेरा हाथ पकड़ कर आसमाने दुनिया पर ले गए, जिब्रईल عليه السلام ने आसमने दुनिया के दारोग़े से कहा (दरवाज़ा) खोलो, उसने पूछा कौन? कहा जिब्रईल عليه السلام।

हदीस 1533:- इब्ने अब्बास رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को आबे ज़मज़म पिलाया तो आपने खड़े होकर पिया। आसिम के मुताबिक़ इकरमा رضي الله عنه ने क़सम खा कर बताया उस रोज़ आप ऊंट पर सवार थे।

बाब 1039:- (हज्जे) क़िरान करने वाले का तवाफ़:

हदीस 1534:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, हम हज्जतुल वदाअ के मौक़े पर रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह निकले। हमने उमरे का इहराम बांधा, बादे अज़ां आपने फ़रमायाः "जिसके पास क़ुरबानी का जानवर हो वह हज और उमरा का इहराम बांधे और क़ुरबानी से फ़ारिग़ होने से पहले इहराम से बाहर न हो।" मैं मक्का में हैज़ की हालत में पहुंची। जब हमने अपना हज पूरा कर लिया तो आपने मुझे अब्दुर्रहमान رضي الله عنه के हमराह मक़ामे तन्ईम तक भेजा और मैंने उमरा किया और फ़रमायाः "यह तुम्हारे इस उमरे का बदल है।" जिन्होंने उमरा का इहराम बांधा था उन्होंने तवाफ़ किया फिर इहराम खोला, फिर मिना से वापसी के बाद एक तवाफ़ और किया और जिन लोगों ने हज और उमरा दोनों का इहराम बांध था, उन्होंने सिर्फ़ एक तवाफ़ किया।

हदीस 1535:- नाफ़ेअ رحمه الله रिवायत करते हैं, इब्ने उमर رضي الله عنهما अपने साहिबज़ादे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह के पास आए और उनकी सवारी उनके घर में थी और फ़रमाया, मुझे ख़दशा है इस साल लोगों के दरमियान जंग होगी और तुम्हें ख़ानए कअबा से रोक देंगे, बिना बरीं तुम्हारा ठहर जाना मुनासिब है। वह बोले रसूलुल्लाह ﷺ निकले मगर कुफ़्फ़ारे क़ुरैश ने आपको रोक लिया, अगर यह

लोग मुझे रोकेंगे तो मैं वही कुछ करूंगा जो रसूलुल्लाह ﷺ ने किया था क्योंकि रसूलुल्लाह ﷺ (की ज़िन्दगी) में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना (अमल) है, फिर कहा मैं आपको गवाह बना कर अपने उमरे के साथ हज को वाजिब करता हूं, फिर मक्का पहुंच कर दोनों के लिए एक ही तवाफ़ किया।

हदीस 1536:- नाफ़ेअ (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं, इब्ने उमर (رضي الله عنهما) ने उस साल हज का इरादा किया जब हज्जाज इब्ने ज़ुबैर (رضي الله عنه) से जंग करने की ग़र्ज़ से आया था। उन्हें कहा गया इस दफ़ा जंग का ख़तरा है और हमें डर है कि आपको कअबा जाने से रोक न दिया जाए। फ़रमाया, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह ﷺ बेहतर नमूना हैं। इस वक़्त मैं वही करूंगा जो रसूलुल्लाह ﷺ ने किया था। मैं तुम्हें गवाह बना कर अपने ऊपर उमरा वाजिब करता हूं। रवाना हुए और मक़ामे बैदा पर पहुंच कर कहा हज और उमरा एक ही बात है। मैंने तुम्हें गवाह बनाया कि हज के साथ उमरा भी अपने आप पर लाज़िम कर लिया है। वह कुदैद से कुरबानी भी ख़रीद कर ले गए और इससे बढ़ कर कोई काम नहीं किया, न तो कुरबानी की और न वह काम जो इहराम में ममनूअ हैं, न बाल मुंडवाए और न तरशवाए, यहां तक कि कुरबानी का दिन आ गया तो कुरबानी की और सर मुंडाया और ख़्याल आया कि हज और उमर का पहला तवाफ़ काफ़ी है और इब्ने उमर (رضي الله عنهما) ने कहा इसी तरह रसूलुल्लाह ﷺ ने भी किया।

बाब 1040:- बा-वुज़ू होकर तवाफ़ करना:

हदीस 1537:- मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान नौफ़ल कुरशी रिवायत करते हैं, उन्होंने उरवा बिन ज़ुबैर (رضي الله عنه) से पूछा, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह ﷺ ने हज किया और मुझे सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) ने बताया कि आपने सबसे पहले जो काम किया वह वुज़ू था, फिर तवाफ़े कअबा किया, आप का उमरा नहीं हुआ। फिर अबू बक्र (رضي الله عنه) ने हज किया तो सबसे पहले तवाफ़े कअबा किया, फिर उमरा न हुआ। उमर और उस्मान (رضي الله عنهما) ने भी इसी तरह हज किया, सबसे पहले तवाफ़े कअबा किया, फिर उमरा न हुआ। फिर मुआविया, अब्दुल्लाह बिन उमर और अबू ज़ुबैर (رضي الله عنه) के साथ हज किया और सबसे पहले तवाफ़ किया लेकिन उमरा नहीं बना। फिर मैंने मुहाजिरीन और अन्सार को इसी तरह करते देखा उन में से किसी का भी उमरा नहीं हुआ। फिर सबसे आख़िर में मैंने इब्ने उमर (رضي الله عنهما) को देखा, उसे तोड़ कर उमरा नहीं बनाया। इब्ने उमर (رضي الله عنهما) (इस वक़्त) लोगों में मौजूद हैं लेकिन यह लोग उनसे दरयाफ़्त नहीं करते और अस्लाफ़ से भी नहीं पूछते। वह मक्का में दाख़िल होते ही तवाफ़ करते और इहराम से बाहर नहीं होते थे और मैंने अपनी वालिदा और ख़ाला को देखा जब मक्का आईं तो कअबा के तवाफ़ से पहले कुछ न करतीं, फिर तवाफ़ के बाद इहराम न खोलतीं। मेरी वालिदा ने मुझे बताया कि उन्होंने और उनकी बहन, ज़ुबैर (رضي الله عنه) और फ़ुलां फ़ुलां आदमियों के उमरा का इहराम बांधा, जब हज्रे अस्वद को चूम लिया तो इहराम खोल दिया।

बाब 1041:- सफ़ा और मरवा में सई का वुजूब और यह अल्लाह तआला के शआइर हैं:

हदीस 1538:- उरवा (رضي الله عنه) रिवायत करते हैं, मैंने सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से दरयाफ़्त किया आप अल्लाह तआला के क़ौल "إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا" "बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं तो जो बैतुल्लाह का हज या उमरा करे तो उस पर गुनाह नहीं कि इन दोनों का फَوَاللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ"

तवाफ़ करे।" की तफ़सीर बयान करें, क्योंकि (बज़ाहिर) इसका मतलब यह है कि सफ़ा मरवा का तवाफ़ न करने वाले पर कोई गुनाह नहीं। फ़रमाया, बरादरज़ादे! तुम ने ग़लत बात कही, अगर यह मतलब होता तो आपका हिस्सा यूं होना चाहिए था "لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ لَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا" "उस पर कोई गुनाह नहीं जो इन दोनों का तवाफ़ न करे।" लेकिन यह अन्सार के मुताल्लिक नाज़िल हुई है, वह लोग क़ब्ल अज़ इस्लाम मनात नामी बुत के पास इहराम बांधते थे जिस की वह परस्तिश करते और वह मुशल्लल के पास था। जो शख़्स इहराम बांधता वह सफ़ा मरवा के तवाफ़ को बुरा समझता। जब वह लोग मुसलामन हो गए तो उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ से उसके मुताल्लिक़ इस्तिफ़सार किया कि हम तो उसका तवाफ़ बुरा समझते थे, तब अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फ़रमाई। सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا ने फ़रमाया, रसूलुल्लाह ﷺ ने उनके दरमियान तवाफ़ को मसनून क़रार दिया है बिना बरीं किसी को ज़ोर नहीं कि उनका तवाफ़ तर्क करदे। फिर मैं यह इस्तिफ़सार अबू बक्र बिन अब्दुर्रहमान رضی اللہ عنہ के पास ले गया। बोले यह अहले इल्म की बात है जो अब तक मैंने नहीं सुनी और मैंने चन्द एक अहले इल्म को सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا के बर-अक्स यह बयान करते सुना कि जो लोग मनात का इहराम बांधते थे वह सफ़ा मरवा का तवाफ़ करते थे। जब अल्लाह तआला ने तवाफ़े कअबा का ज़िक्र किया और कुरआने मजीद में सफ़ा मरवा का ज़िक्र नहीं आया तो लोगों ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! हम तो सफ़ा मरवा का तवाफ़ करते थे लेकिन अल्लाह तआला ने तवाफ़े कअबा का हुक्म तो दिया मगर सफ़ा मरवा का ज़िक्र नहीं आया तो सफ़ा मरवा के तवाफ़ में कोई मुज़ायक़ा हैं? इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फ़रमाई "اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ" "बेशक सफ़ा व मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं।" अबू बक्र رضی اللہ عنہ की राए है कि यह आयत उन दो गिरोहों के मुताल्लिक़ नाज़िल हुई, उन में एक तवाफ़ करता और दूसरा गुनाह समझता था बिना बरीं अल्लाह तआला ने तवाफ़े कअबा का ज़िक्र किया लेकिन सफ़ा मरवा का नहीं, यहां तक कि तवाफ़े कअबा के बाद तवाफ़े सफ़ा मरवा का ज़िक्र हुआ।

बाब 1042:– सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़नाः

इब्ने उमर رضی اللہ عنہما के मुताबिक़ सई, दारे बनी अब्बादह से बनी अबी हुसैन के कूचे तक है।

हदीस 1539:– इब्ने उमर رضی اللہ عنہما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जब तवाफ़ करते तो पहले तीन चक्करों में दौड़ते और चार में मामूल के मुताबिक़ चलते, जब सफ़ा मरवा का तवाफ़ करते तो मसील के नशेब में दौड़ते थे और मैंने नाफ़ेअ رحمہ اللہ से दरयाफ़्त किया कि अब्दुल्लाह رضی اللہ عنہ (बिन उमर) जब रुकने यमानी के पास पहुंचे तो क्या चलते थे? कहा नहीं मगर जबकि रुकन के पास हुजूम होता, जब तक बोसा न दे लेते वहां से आगे न बढ़ते।

हदीस 1540:– अम्र बिन दीनार رحمہ اللہ रिवायत करते हैं, हमने इब्ने उमर رضی اللہ عنہما से उस शख़्स के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया जिस ने उमरा में ख़ानए कअबा का तवाफ़ किया, लेकिन सफ़ा मरवा का तवाफ़ नहीं किया, क्या वह अपनी बीवी के पास जा सकता है? जवाब दिया रसूलुल्लाह ﷺ मक्का में तशरीफ़ लाए तो सात बार तवाफ़े कअबा किया, मक़ामे इब्राहीम के पीछे नमाज़ पढ़ी और फिर सफ़ा मरवा की सई की और तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है। हम ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضی اللہ عنہ से पूछा तो कहा, जब तक सफ़ा मरवा का तवाफ़ न कर ले अपनी बीवी के पास न जाए।

हदीस 1541:- इब्ने उमर रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह मक्का में तशरीफ़ लाए तो तवाफ़े कअबा किया, फिर दो रकअत नमाज़ पढ़ी, सफ़ा मरवा के दरमियान तवाफ़ किया, फिर उन्होंने यह आयत पढ़ी। "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ" "तुम्हारे लिये अल्लाह के रसूल के तरज़े अमल में बेहतरीन नमूनए ज़िन्दगी।"

हदीस 1542:- आसिम रिवायत करते हैं, मैंने अनस से पूछा क्या आप सफ़ा मरवा के दरमियान तवाफ़ को ना-पसन्द करते हैं? कहा हां क्योंकि यह जाहिलियत के शआइर हैं हत्ता कि अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फ़रमाई: "सफ़ा और मरवा अल्लाह तआला की निशानियों में से हैं, जिस ने कअबा का हज किया या उमरा किया तो उसके लिए सफ़ा मरवा के तवाफ़ में कोई मुज़ायक़ा नहीं।"

हदीस 1543:- इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह तवाफ़े कअबा में और सफ़ा और मरवा के दरमियान इस लिए दौड़े कि मुशिरकीन को अपनी कुव्वत दिखाएं।

फ़ायदा:- मालूम हुआ कि ग़ैर मुस्लिमों को अपनी ताक़त व कुव्वत दिखाना इस्लाम के तक़ाज़ों से है। इस में मुसलमानों की इज़्ज़त है कि काफ़िरों पर उनकी धाक बैठी रहेगी और ऐसा करने से मुसलमानों की धाक बंधी रहती है। वल्लाहु तआला आलम।

बाब 1043:- हाइज़ा तवाफ़े कअबा के अलावा तमाम अरकान अदा करे:

(नीज़) सफ़ा मरवा के दरमियान बे-वुज़ू तवाफ़ का क्या हुक्म है?

हदीस 1544:- सय्यदा आयशा रिवायत करती हैं, मैं हैज़ के दौरान मक्का में आई, मैंने तवाफ़े कअबा नहीं किया था और सफ़ा मरवा का तवाफ़ कर लिया था। मैंने रसूलुल्लाह से इसकी शिकायत की, फ़रमाया: "तुम उसी तरह करो जिस तरह तमाम हुज्जाज कर रहे हैं अल्बत्ता तहारत हासिल होने तक तवाफ़े कअबा न करो।"

हदीस 1545:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह और अस्हाबे रसूल ने हज का इहराम बांधा और बजुज़ रसूलुल्लाह और तल्हा के किसी के पास कुरबानी के जानवर न थे। अली यमन से आए, उनके पास कुरबानी का जानवर था। उन्होंने कहा मैंने उसी का इहराम बांधा है जिसका रसूलुल्लाह ने बांधा और आपने सहाबा को फ़रमाया: कि "इसे उमरा बना लो और तवाफ़ करो, फिर बाल तरश्वा कर इहराम खोल दो, लेकिन (वह ऐसा न करे) जिसके पास कुरबानी का जानवर हो।" लोगों ने अर्ज़ किया क्या हम मिना में इस तरह जाएं कि हमारी मनी टपक रही हो (यानी उससे पहले हमें बीवियों से सोहबत की इजाज़त नहीं?) आपने फ़रमाया: "अगर मुझे इसका पहले से इल्म होता तो मैं कुरबानी का जानवर न लाता, अगर मेरे पास कुरबानी का जानवर न होता तो मैं भी इहराम खोल देता (इसी दौरान) सय्यदा आयशा हाइज़ा हो गईं, उन्होंने तवाफ़े कअबा के अलावा तमाम अरकाने हज अदा किए। जब पाक हुई तो तवाफ़े कअबा किया, बोलीं या रसूलल्लाह! आपने तो हज और उमरा दोनों कर लिए और मैं सिर्फ़ हज करके वापस जा रही हूं। आपने अब्दुर्रहमान बिन अबू बक्र से फ़रमाया: "आयशा के साथ मक़ामे तन्ईम तक जाओ।" तो आयशा ने हज के बाद उमरा अदा किया।

हदीस 1546:- सय्यदा हफ़्सा रिवायत करती हैं, हम कुंवारी लड़कियों को बाहर निकलने से

रोकते थे। एक औरत आई और क़सरे बनी ख़ल्फ़ में उतरी। उसने बताया कि उसकी एक बहन किसी सहाबिए रसूल की बीवी थी और उसका शौहर रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह बारह जंगों में शरीक हुआ था और मेरी बहन (उन में से) छः ग़ज़वात में शरीक रही। वह बताती थी कि हम ज़ख़्मियों की मरहम पट्टी और तीमारदारी करती थीं। मेरी बहन ने रसूलुल्लाह ﷺ से पूछा क्या हम में से किसी के बाहर निकलने में कोई हर्ज है जबकि उसके पास चादर न हो? फ़रमायाः "उसकी सहेली उसे चादर उढ़ा दे और हर नेकी के काम और मुसलमानों की दुआओं में शरीक हो।" जब उम्मे अतिया رضی اللہ عنہا आईं तो हम ने उनसे पूछा। वह जब रसूलुल्लाह ﷺ का ज़िक्र करतीं तो "बिअबी" यानी "मेरा बाप कुरबान" ज़रूर कहतीं। मैंने पूछा क्या तुम ने रसूलुल्लाह ﷺ को यह करते और यह कहते सुना? बोलीं हां मेरे मां बाप आप पर कुरबान हों! और बताया कुंवारियां और बा-पर्दा औरतें निकलें या यह कहा कि कुंवारियां, बा-पर्दा और हाइज़ा औरतें निकलें और नेक काम और मुसलमानों की (इज्तिमाई) दुआओं में शिर्कत करें, लेकिन हाइज़ा मस्जिदों से अलग रहें। मैंने पूछा क्या हैज़ वाली औरतें भी शरीक हों? फ़रमाया क्या यह अरफ़ात और फ़ुलां फ़ुलां मक़ामात पर हाज़िर नहीं होतीं?

बाब 1044:- अहले मक्का के लिए बतहा और दूसरे मक़ामात से इहराम बांधनाः

और हज करने वाले के लिए जब वह मिना की तरफ़ निकले। अता से उस शख़्स के बारे में पूछा गया जो मक्का में रिहाइश रखता हो, क्या वह हज के लिए लब्बैक कहे? उन्होंने जवाब दिया, इब्ने उमर رضی اللہ عنہ तरविया (आठवीं ज़िल हिज्जा) के दिन लब्बैक कहते थे, जब नमाज़े ज़ुहर पढ़ लेते और सवारी पर सवार होकर सीधे हो जाते। अब्दुल मलिक, अता के तवस्सुत से जाबिर رضی اللہ عنہ से रिवायत करते हैं, हम रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह आए तो हमने इहराम बांधा हत्ता कि तरविया का दिन आ गया। हम ने मक्का को अपने पीछे किया तो हम ने हज के लिए लब्बैक कहा। अबुज़्ज़ुबैर ने जाबिर رضی اللہ عنہ से रिवायत किया हम ने बतहा से इहराम बांधा। उबैद बिन जुरैज ने इब्ने उमर رضی اللہ عنہ से कहा, मैं आपको देखता हूं कि आप जब मक्का में होते हैं लोग चांद देखते ही इहराम बांध लेते हैं और आप आठवीं ज़िल हिज्जा तक इहराम नहीं बांधते। उन्होंने जवाब दिया, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को इहराम उस वक़्त तक बांधते नहीं देखा जब तक आप ऊंटनी पर सवार न हो जाते।

बाब 1045:- यौमे तरविया (8 वीं ज़िल हिज्जा) में नमाज़े ज़ुहर कहां पढ़ी जाएः

हदीस 1547:- अब्दुल अज़ीज़ बिन रफ़ीअ رحمہ اللہ रिवायत करते हैं, मैंने अनस बिन मालिक رضی اللہ عنہ से पूछा, मुझे बतलाइए अगर आपको रसूलुल्लाह ﷺ के बारे में याद हो कि आपने यौमे तरविया में नमाज़े ज़ुहर और अस्र कहां अदा फ़रमाई थी? जवाब दिया मिना में। मैंने फिर पूछा, यौमे नफ़र (कूच के दिन यानी तेरहवीं ज़िल हिज्जा) में नमाज़े अस्र कहां पढ़ी थी? जवाब दिया अबतह में, फिर फ़रमाया तुम उसी तरह करो जिस तरह तुम्हारे उमीरे (हज) करते हैं।

हदीस 1548:- अब्दुल अज़ीज़ رحمہ اللہ रिवायत करते हैं, मैं आठवीं ज़िल हिज्जा को मिना की तरफ़ निकला तो अनस رضی اللہ عنہ से मुलाक़ात हो गई, वह अपने गधे पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। मैंने पूछा रसूलुल्लाह ﷺ ने आज के दिन नमाज़े ज़ुहर कहां पढ़ी थी? फ़रमाया, देखो जिस तरह तुम्हारे अमीर नमाज़ पढ़ते हैं तुम भी उसी तरह पढ़ो।

पारह सातवां

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

बाब 1046:- मिना में नमाज़ पढ़नाः

हदीस 1549:- उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उमर رضی اللہ عنہما अपने वालिद से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ, अबू बकर, उमर और उस्मान رضی اللہ عنہم ने इब्तिदाई अहदे ख़िलाफ़त में मिना में दो रकअत नमाज़ पढ़ी।

हदीस 1550:- हारिसा बिन वहब ख़ुज़ाई رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, हमें रसूलुल्लाह ﷺ ने मिना में दो रकअत नमाज़ पढ़ाई, हमारी तादाद उस वक़्त पहले से ज़्यादा थी और हम पहले की ब-निस्बत ज़्यादा अमन में थे।

हदीस 1551:- अब्दुल्लाह رضی اللہ عنہ (बिन मस्ऊद) रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ के साथ (मिना में) दो रकअतें पढ़ीं, अबू बक्र رضی اللہ عنہ के हमराह दो रकअत पढ़ीं, उमर رضی اللہ عنہ के साथ दो रकअतें पढ़ीं; फिर तुम्हारे तरीक़े मुख़्तलिफ़ हो गए काश चार रकअतों में से दो ही मुझे नसीब होतीं जो कुबूल हो जातीं।

बाब 1047:- अर्फ़ा के रोज़ रोज़ा रखनाः

हदीस 1552:- उम्मुल फ़ज़्ल رضی اللہ عنہا रिवायत करती हैं, अर्फ़ा के दिन रसूलुल्लाह ﷺ के रोज़ा रखने के मुताल्लिक़ लोगों में शक सा पड़ गया तो मैंने कोई मशरूब रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में भेजा जिसे आपने पी लिया।

बाब 1048:- मिना से अरफ़ात वापसी पर लब्बैक और तकबीर कहनाः

हदीस 1553:- मुहम्मद बिन अबू बक्र सक़फ़ी رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, उन्होंने अनस बिन मालिक رضی اللہ عنہ से जबकि दोनों अरफ़ात को जा रहे थे पूछा आज का दिन आप लोग रसूलुल्लाह ﷺ के साथ किस तरह बसर करते थे? कहा हम में से कोई तल्बीह पुकारता तो एतेराज़ न किया जाता और कोई तकबीर कहता तो उसे बुरा न समझा जाता।

बाब 1049:- यौमे अर्फ़ा को दोपहर के वक़्त रवाना होनाः

हदीस 1554:- सालिम رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, अब्दुल मलिक ने हज्जाज को लिख भेजा कि हज के उमूर में इब्ने उमर رضی اللہ عنہما की मुख़ालिफ़त न की जाए। इब्ने उमर رضی اللہ عنہما अर्फ़ा के दिन उस वक़्त आए जब सूरज ढल चुका था और मैं भी उनके हमराह था। हज्जाज के ख़ेमा से बाहर बुलन्द आवाज़ से पुकारा, कुसुम में रंगी हुई चादर पहने हज्जाज बरआमद हुआ, पूछा अबू अब्दुर्रहमान! क्या बात है? आपने कहा अगर तुम मसनून तरीक़ा इख़्तियार करना चाहते हो तो अभी चलना है। हज्जाज बोला अब? कहा हां, बोला ज़रा मोहलत दीजिए मैं नहा लूं, फिर चलेंगे। इब्ने उमर رضی اللہ عنہما सवारी से उतर पड़े, हज्जाज आया और चल दिए। वह मेरे और मेरे वालिद के दरमियान था, मैंने कहा अगर तुम हर सुन्नत पर अमल चाहते हो तो ख़ुत्बा मुख़्तसर करो और वुक़ूफ़ में उजलत दिखाओ। हज्जाज अब्दुल्लाह की तरफ़ देखने लगा, जब अब्दुल्लाह ने यह देखा तो मेरे मुताल्लिक़ फ़रमाया सह सही कहता है।

बाब 1050:- अरफ़ात में सवारी पर वुक़ूफ़ करनाः

हदीस 1555:- उमैर (अब्दुल्लाह बिन अब्बास ﵄ के आज़ाद करदा गुलाम) उम्मुल फ़ज़ल बिन्ते हारिस ﵂ से रिवायत करते हैं, कुछ लोग उम्मुल फ़ज़ल ﵂ के पास बैठे थे। अर्फ़ा के दिन रसूलुल्लाह ﷺ के रोज़ा रखने (और न रखने) में इख़्तिलाफ़ पैदा हो गया। बाज़ का ख़्याल था आप रोज़ा से हैं और बाज़ कहते थे रोज़ा नहीं है, तो मैं (उम्मुल फ़ज़ल ﵂) ने आपके पास दूध का एक प्याला भेजा, आप (उस वक़्त) ऊंटनी पर सवार थे, आपने उसे नोश फ़रमा लिया।

बाब 1051:- अरफ़ात में "जमअ बैनस्सलातैन" करनाः

इब्ने उमर ﵄ की नमाज़ जब इमाम से फ़ौत हो जाती तो फिर दोनों नमाज़ें (ज़ुहर और अस्र) मिला कर पढ़ते। लैस ने उक़ैल से ब-वास्ता इब्ने शहाब और उन्होंने सालिम ﵁ से रिवायत किया कि जिस साल हज्जाज बिन यूसुफ़, इब्ने ज़ुबैर ﵁ से जंग की ग़र्ज़ से आया तो अब्दुल्लाह बिन उमर ﵄ से पूछा कि अर्फ़ा के दिन वुक़ूफ़ में क्या करते हो? सालिम ﵁ ने जवाब दिया, अगर तुम मसनून तरीक़े पर चलना चाहते हो तो दिन ढलते ही नमाज़ अदा कर लो। अब्दुल्लाह बिन उमर ﵄ ने फ़रमाया (इसने) ठीक कहा, अस्हाबे रसूल नमाज़े ज़ुहर व अस्र एक साथ मसनून तरीक़े के मुताबिक़ पढ़ लेते। ज़ुहरी कहते हैं, मैंने सालिम ﵁ से पूछा क्या रसूलुल्लाह ﷺ ने ऐसा किया था? सालिम ने जवाब दिया तुम लोग आप ﷺ की पैरवी ही तो करते हो।

बाब 1052:- अरफ़ात में मुख़्तसर ख़ुत्बा पढ़नाः

हदीस 1556:- सालिम बिन अब्दुल्लाह ﵄ रिवायत करते हैं, अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हज्जाज को लिखा कि तुम हज में अब्दुल्लाह बिन उमर ﵄ की पैरवी करो। जब अर्फ़ा का दिन आया तो इब्ने उमर ﵄ ज़वाले आफ़ताब के बाद आए और मैं भी आपके हमराह था। आपने हज्जाज के ख़ेमा पर आवाज़ दी कि कहां है? हज्जाज बाहर आया, इब्ने उमर ﵄ ने फ़रमाया चलना है। कहा अभी? फ़रमाया हां, बोला ज़रा तवक़्क़ुफ़ कीजिए मैं नहा लूं, चुनान्चे इब्ने उमर ﵄ सवारी से उतर पड़े यहां तक कि हज्जाज बाहर आया और मेरे और मेरे वालिद के दरमियान चलने लगा। मैंने (उसे) कहा अगर सुन्नत के मुताबिक़ अमल करना है तो ख़ुत्बा मुख़्तसर और वुक़ूफ़ में जल्दी करना, इब्ने उमर ﵄ ने फ़रमाया इसने (यानी मैंने) सही कहा।

बाब 1053:- अरफ़ात में क़याम के लिए जल्द जानाः

बाब 1054:- अरफ़ात में क़यामः

हदीस 1557:- मुहम्मद बिन ज़ुबैर बिन मुतइम ﵁ अपने वालिद से रिवायत करते हैं, मेरा ऊंट गुम हो गया, मैं अर्फ़ा के दिन उसे ढूंढ रहा था। मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को अरफ़ात में खड़े देखा, मैंने कहा बख़ुदा यह तो क़ुरैश से ताल्लुक़ रखते हैं यह यहां क्या लेने आए हैं।

हदीस 1558:- उरवा ﵁ रिवायत करते हैं, हुम्स (यानी क़ुरैश) के अलावा सब लोग दौरे जाहिलियत में नंगे होकर तवाफ़ करते थे। हुम्स का मतलब क़ुरैश और उनकी औलाद है और हुम्स नेकी समझ कर लोगों को कपड़े देते, मर्द मर्द को कपड़े देता और वह उसमें तवाफ़ करता और औरत औरत को कपड़े देती वह उसमें तवाफ़ करती। जिसे क़ुरैश कपड़े न देते वह नंगा तवाफ़ करता। आम लोग अरफ़ात से वापस होते लेकिन हुम्स मुज़दलफ़ा से लौट आते। हिशाम अपने वालिद के हवाले से कहते हैं,

सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا ने फ़रमाया यह आयत हुम्स के मुताल्लिक़ नाज़िल हुई "ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ"। चूंकि यह लोग मुज़दलफ़ा से वापस आ जाते थे इस लिए उन्हें अरफ़ात की तरफ़ भेजा गया।

बाब 1055:– अरफ़ात से वापसी पर किस तरह चला जाए:

हदीस 1559:– उरवा رضی اللہ عنہ अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उसामा رضی اللہ عنہ के पास बैठा हुआ था, उनसे दरयाफ़्त किया गया हज्जतुल वदाअ़ के मौक़ा पर रसूलुल्लाह ﷺ अरफ़ात से वापसी पर किस तरह चल रहे थे? जवाब दिया तेज़ तेज़, जब खुला मैदान आता तो क़दम मज़ीद तेज़ उठाते। हिशाम कहते हैं नस्स, अनक़ से ज़्यादा तेज़ चलने को कहते हैं, फ़जवा का मतलब कुशादा जगह उसकी जमा फ़जवात और फ़िजाउन आती है, इसी तरह रकवह और रिकाउन है मनासुन का माना भागना नहीं है।

बाब 1056:– अरफ़ात और मुज़दलफ़ा में उतरना:

हदीस 1560:– उसामा बिन ज़ैद رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जब अरफ़ात से वापस तशरीफ़ लाए तो घाटी की तरफ़ गए, रफ़अ़ हाजत की, फिर वुज़ू किया तो मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! क्या आप नमाज़ पढ़ेंगे? फ़रमाया: "आगे चल कर।"

हदीस 1561:– नाफ़ेअ رحمہ اللہ रिवायत करते हैं, अब्दुल्लाह बिन उमर رضی اللہ عنہ मुज़दलफ़ा में मग़रिब और इशा की नमाज़ मिला कर पढ़ते थे लेकिन उस घाटी की तरफ़ भी जाते जिस की तरफ़ रसूलुल्लाह ﷺ गए थे, वहां रफ़अ़ हाजत करते और वुज़ू करते मगर नमाज़ न पढ़ते, नमाज़ मुज़दलिफ़ा में जाकर अदा करते।

हदीस 1562:– उसामा बिन ज़ैद رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, मैं अरफ़ात से रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह सवार हुआ जब आप बाईं घाटी के पास पहुंचे जो मुज़दलिफ़ा के निचली तरफ़ है तो आपने सवारी बिठाई और इस्तिन्जा किया, फिर आए तो मैंने वुज़ू कराया, आपने हल्का वुज़ू किया, मैंने कहा नमाज़? फ़रमाया: "आगे चल कर पढ़ेंगे।" फिर रसूलुल्लाह ﷺ सवार हुए और मुज़दलिफ़ा पहुंचे, आपने नमाज़ पढ़ी, फिर मुज़दलिफ़ा की सुबह फ़ज़ल رضی اللہ عنہ रसूलुल्लाह ﷺ के साथ सवार हुए। फ़ज़ल رضی اللہ عنہ कहते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जम्रए उक़्बा पर पहुंचने तक बराबर लब्बैक कहते रहे।

बाब 1057:– अरफ़ात से वापसी के वक़्त रसूलुल्लाह ﷺ का सुकून से चलने का हुक्म देना:

हदीस 1563:– इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, वह अर्फ़ा के दिन रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह वापस हुए, रसूलुल्लाह ﷺ ने अपने पीछे शोरो गुल और ऊंटों को मारने की आवाज़ सुनी। आपने उनकी तरफ़ कोड़े से इशारा किया और फ़रमाया: "लोगो! इत्मिनान से चलो, ऊंटों का दौड़ना कोई अच्छी बात नहीं। "औज़ऊ" का मतलब असरऊ यानी तेज़ दौड़ना, "ख़िलालकुम" यह तख़ल्लुल से है यानी तुम्हारे दरमियान, "फ़ज्जरना ख़िलालहुमा बैनहुमा" हमने उन दोनों के दरमियान जारी किया।

बाब 1058:– मुज़दलिफ़ा में "जमअ़ बैनस्सलातैन:"

हदीस 1564:– उसामा बिन ज़ैद رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ अरफ़ात से वापस आए तो घाटी में उतर कर इस्तिन्जा किया और फिर वुज़ू बनाया लेकिन बहुत ही हल्का वुज़ू किया, मैंने कहा नमाज़, फ़रमाया: "आगे चल कर।" चुनान्चे आप मुज़दलिफ़ा पहुंचे तो वुज़ू किया और एहतमाम से वुज़ू किया, फिर मग़रिब के लिए तकबीर कही गई, आपने नमाज़ पढ़ी लेकिन उन दोनों नमाज़ों के

दरमियान कोई नमाज़ नहीं पढ़ी।

बाब 1059:– जो शख़्स इन दोनों नमाज़ों को मिला कर पढ़े और नफ़्ल वग़ैरा न पढ़े:

हदीस 1565:– इब्ने उमर ﵄ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने मुज़दलिफ़ा में मग़रिब और इशा की नमाज़ मिला कर पढ़ी, उन में से हर एक नमाज़ के लिए जुदागाना तकबीर कही गई, उन नमाज़ों के दरमियान और बाद में कोई नफ़्ल नहीं पढ़ा गया।

हदीस 1566:– अबु अय्यूब अन्सारी ﵁ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने हज्जतुल वदाअ के मौक़ा पर मुज़दलिफ़ा में मग़रिब और इशा की नमाज़ें मिला कर अदा फ़रमाईं।

बाब 1060:– जो शख़्स इन दोनों नमाज़ो में से हर एक के लिए अलग अलग अज़ान और इक़ामत कहे:

हदीस 1567:– अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद रिवायत करते हैं, अब्दुल्लाह ﵁ (इब्ने मसऊद) ने हज किया तो हम इशा की अज़ान के वक़्त या उसके लगभग मुज़दलिफ़ा पहुंचे, उन्होंने एक आदमी से अज़ान और तकबीर के लिए कहा, फिर मग़रिब की नमाज़ पढ़ी, बादे अज़ां दो रकअतें पढ़ीं, फिर रात का खाना खाया, उसके बाद मेरा ख़्याल है अज़ान और इक़ामत कहने का हुक्म दिया, चुनान्चे अज़ान और इक़ामत कही गई। अम्र कहते हैं, मेरे ख़याल में यह शक ज़ुहैर को हुआ, फिर नमाज़े इशा की दो रकअतें पढ़ीं। जब तुलूए फ़ज्र हुआ तो कहा कि रसूलुल्लाह ﷺ आज के दिन के सिवा इस वक़्त इस जगह कोई नमाज़ नहीं पढ़ते थे। अब्दुल्लाह ﵁ फ़रमाते हैं, यह दोनों नमाज़ें अपने अस्ल वक़्त से इधर उधर कर दी गईं। एक तो मग़रिब की नमाज़ लोगों के मुज़दलिफ़ा पहुंचने पर और सुबह की नमाज़ सुबहे सादिक़ होते ही पढ़नी चाहिए, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को इसी तरह पढ़ते देखा।

बाब 1061:– जो अपने अहले ख़ाना के कमज़ोर अफ़राद को मुज़दलिफ़ा के लिए रात ही में भेज दे और दुआ करें और चांद डूबते ही चल दें:

हदीस 1568:– सालिम ﵁ रिवायत करते हैं, अब्दुल्लाह बिन उमर ﵄ अपने कमज़ोर अफ़राद को भेज देते तो वह लोग मश्अ़रे हराम के पास मुज़दलिफ़ा में रात को क़याम करते, जिस क़दर उनका जी चाहता ज़िक्रे इलाही करते, फिर इमाम के वुक़ूफ़ और वापस होने से पहले वह लोग लौट जाते, कुछ तो नमाज़े फ़ज्र के वक्त मिना पहुंचते और कुछ उसके बाद, जब वह लोग मिना पहुंचते तो जमरा (उकबा) पर रमी करते। इब्ने उमर ﵄ कहते थे, रसूलुल्लाह ﷺ ने लोगों के लिए इजाज़त दी थी।

हदीस 1569:– इब्ने अब्बास ﵄ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने मुझे रात को मुज़दलिफ़ा से रवाना किया।

हदीस 1570:– इब्ने अब्बास ﵄ रिवायत करते हैं, मैं उन लोगों में शामिल था जिन्हें रसूलुल्लाह ﷺ ने अपने कमज़ोर अफ़रादे ख़ाना के साथ मुज़दलिफ़ा की रात में भेजा।

हदीस 1571:– अब्दुल्लाह ﵁ रिवायत करते हैं कि अस्मा ﵂ मुज़दलिफ़ा की रात में मुज़दलिफ़ा में उतरीं और खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगीं, कोई घन्टा भर नमाज़ पढ़ती रहीं, फिर कहा बेटे चांद डूब गया? मैंने कहा नहीं। मज़ीद घन्टा भर उन्होंने नमाज़ पढ़ी, फिर कहा क्या चांद डूब गया? कहा हां, फ़रमाया कूच करो। तमाम लोग चल दिए और चलते रहे यहां तक कि उन्होंने कंकरियां मारीं फिर वापस

लौटीं और सुबह की नमाज़ अपनी क़यामगाह में अदा की। अब्दुल्लाह कहते हैं, मैंने उन से कहा हम ने (कुछ ज़्यादा ही) अंधेरे में नमाज़ पढ़ ली। बोलीं बेटे! रसूलुल्लाह ﷺ ने औरतों को इसकी इजाज़त दी है।

हदीस 1572:– सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, सौदा رضي الله عنها ने मुज़दलिफ़ा की रात रसूलुल्लाह ﷺ से जाने की इजाज़त चाही (चूंकि) वह फ़रबा जिस्म थीं, आपने उन्हें इजाजत दे दी।

हदीस 1573:– सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं कि हमने मुज़दलिफ़ा में पड़ाव डाला। सौदा رضي الله عنها ने लोगों की रवानगी से पहले जाने की इजाज़त चाही, वह सुस्त रफ़्तार औरत थीं, आपने जाने की इजाज़त दे दी। वह लोगों के हुजूम से पहले ही चल दीं और हम वहीं क़याम पज़ीर रहे, सुबह हुई तो हम आपके साथ वापस आए, अगर मैं भी सौदा رضي الله عنها की तरह रसूलुल्लाह ﷺ से इजाज़त मांगती तो मुझे बहुत ख़ुशी होती।

बाब 1062:– जो शख़्स सुबह की नमाज़ मुज़दलिफ़ा में अदा करे:

हदीस 1574:– अब्दुल्लाह बिन मसऊद رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को बजुज़ दो नमाज़ों के कोई भी नमाज़ बे-वक़्त पढ़ते नहीं देखा, मग़रिब और इशा की नमाज़ एक साथ मिला कर पढ़ी और सुबह की नमाज़ वक़्त से पहले पढ़ी।

हदीस 1575:– अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद رضي الله عنه रिवायत करते हैं, हम लोग अब्दुल्लाह رضي الله عنه (बिन मसऊद) के साथ मक्के की तरफ़ रवाना हुए, फिर हम लोग मुज़दलिफ़ा आए तो उन्होंने दो नमाज़ें पढ़ीं। हर नमाज़ के लिए अलाहिदा अज़ान व इक़ामत कही। उन दोनों के दरमियान खाना खाया, फिर तुलूए फ़ज्र के वक़्त नमाज़े फ़ज्र अदा की जबकि बाज़ कहते थे कि सुबह हो गई और बाज़ कहते थे सुबह नहीं हुई। फिर रसूलुल्लाह ﷺ के हवाले से बताया कि यहां मग़रिब और इशा की नमाज़ें अपने वक़्त से हटा दी गई हैं इस लिए अंधेरा होने तक लोग मुज़दलिफ़ा न आएं और नमाज़े फ़ज्र का यह वक़्त नहीं। फिर खड़े रहे यहां तक कि खूब रौशनी हो गई, फिर कहा अगर अमीरुल मोमिनीन इसी वक़्त चल दें तो सुन्नत के मुताबिक़ चलेंगे, मुझे मालूम नहीं कि उनका कहना पहले हुआ या उस्मान رضي الله عنه पहले चले गए। वह बराबर लब्बैक कहते रहे यहां तक कि क़ुरबानी के दिन में रमी जमार किया।

बाब 1063:– मुज़दलिफ़ा से कब वापसी हो:

हदीस 1576:– अम्र बिन मैमून رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मैं उमर رضي الله عنه के पास मौजूद था, उन्होंने मुज़दलिफ़ा में सुबह की नमाज़ पढ़ी, फिर ठहरे रहे और फ़रमाया, मुश्रिकीन तुलूए आफ़ताब तक वापस नहीं होते थे और कहते थे ऐ सबीर! चमक, रसूलुल्लाह ﷺ ने उन मुश्रिकीन की मुख़ालिफ़त की और तुलूए आफ़ताब से पहले ही वापस आ गए।

बाब 1064:– यौमे नहर की सुबह को रमी जमार के वक़्त तलबीह और तकबीर कहना और रास्ते में अपने पीछे किसी को बिठाना:

हदीस 1577:– इब्ने अब्बास رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़ज़ल رضي الله عنه (हज़रत अब्बास के एक बेटे) को अपने पीछे सवारी पर बिठा लिया। फ़ज़ल رضي الله عنه बयान करते हैं आप रमी जमार तक बराबर लब्बैक कहते रहे।

हदीस 1578:– इब्ने अब्बास رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, अरफ़ात से मुज़दलिफ़ा तक उसामा बिन ज़ैद رضي الله عنهما रसूलुल्लाह ﷺ के साथ सवार रहे, फिर मुज़दलिफ़ा से मिना तक रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़ज़ल

(इब्ने अब्बास) को अपने साथ बिठाया, दोनों कहते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ जमरा उक़्बा की रमी करने तक लब्बैक कहते रहे।

बाब 1065:- इरशादे ख़ुदावन्दी है: "जो उमरा के साथ हज मिला कर तुमत्तोअ करे तो उसे जो कुरबानी मिले दे डाले और जिसे मयस्सर न हो तो हज के दिनों में तीन रोज़े और वापसी पर सात रोज़े रख कर दस पूरे करे, यह उनके लिये है जो मस्जिदे हराम के क़रीब नहीं रहते।"

हदीस 1579:- अबू जमरह रिवायत करते हैं, मैंने इब्ने अब्बास رضي الله عنهما से (हज्जे) तमत्तोअ़ के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे उसके करने का हुक्म दिया। मैंने उनसे कुरबानी के बारे में पूछा तो कहा उस में एक ऊंट या गाय या बकरी या कुरबानी में शिर्कत शामिल है और लोगों ने उसको मकरूह समझा। मैंने ख़्वाब देखा कि एक शख़्स एलान कर रहा है, हज मक़बूल है तमत्तोअ़ मक़बूल है। मैं इब्ने अब्बास رضي الله عنهما के पास आया और उन्हें बताया तो कहा अल्लाहु अकबर! यह तो अबुल क़ासिम ﷺ की सुन्नत है।

बाब 1066:- कुरबानी के जानवर पर सवार होना:

इरशादे ख़ुदावन्दी है: "कुरबानी के जानवर तुम्हारे लिए अल्लाह के शआ़इर में से हैं उस में तुम्हारे लिए भलाई है तो तुम सफ़ बस्ता होकर उन पर अल्लह का नाम लो जब वह पहलू के बल गिर जाएं तो उन में से खाओ और मिस्कीनों और साइलों को खिलाओ, इस तरह हमने उनको तुम्हारे ताबेअ़ कर दिया शायद कि तुम शुक्र गुज़ार बन जाओ। उनका गोश्त और ख़ून अल्लाह तक नहीं पहुंचता बल्कि तुम्हारा तक़्वा ख़ुदा के हां पहुंचता है इसी तरह उनको तुम्हारे लिए मुसख़्ख़र कर दिया है ताकि तुम अल्लाह की बुज़ुर्गी बयान करो उस चीज़ पर जो तुम्हें हिदायात दी और नेकी करने वालों को ख़ुशख़बरी सुना दो।" मुजाहिद कहते हैं, बुदना उसके मोटे होने की वजह से कहा गया और क़ानेअ़ से मुराद साइल है और मोअतर वह शख़्स है जो कुरवानी के जानवर के इर्द गिर्द घूमता फिरे ख़्वाह मालदार हो या फ़क़ीर और शआ़इर कुरबानी के जानवर का मोटा ताज़ा रखना है और ख़ानए कअबा को अतीक़ इस लिए कहते हैं कि वह ज़ालिम हुक्मरानों से आज़ाद है। वजबत के माना हैं "وَسَقَطَتْ إِلَى الْأَرْضِ" यानी ज़मीन पर गिरी पड़ी और उसी से "وَجَبَتِ الشَّمْسُ" माख़ूज़ है।

हदीस 1580:- अबू हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने एक शख़्स को देखा जो कुरबानी का जानवर हांक कर लिए जा रहा था। फ़रमाया: "इस पर सवार हो जाओ।" कहा कुरबानी का जानवर है, आपने फ़रमाया: "इस पर सवार हो जाओ।" बोला यह कुरबानी का जानवर है, आपने (फिर) फ़रमाया: "सवार हो जाओ।" और दूसरी या तीसरी बार फ़रमाया कि "तेरे लिए ख़राबी हो।"

हदीस 1581:- अनस رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने एक शख़्स को देखा कि वह कुरबानी का जानवर हांके लिए जा रहा है। आपने फ़रमाया कि: "सवार हो जाओ।" कहने लगा कि कुरबानी का जानवर है। आपने (फिर) फ़रमाया: कि "सवार हो जाओ।" बोला कुरबानी का जानवर है। आपने (फ़िर) फ़रमाया: कि "सवार हो जाओ।" तीन मरतबा फ़रमाया।

बाब 1067:- जो शख़्स अपने साथ कुरबानी का जानवर लेकर जाए:

हदीस 1582:- अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने हज्जतुल वदाअ़ के मौक़ा पर हज्जे तमत्तोअ़ किया और ज़ुल हुलैफ़ा से कुरबानी का जानवर लेकर गए। आपने पहले उमरे का तलबीह किया और फिर हज का। लोगों ने भी रसूलुल्लाह ﷺ के साथ हज्जे तमत्तोअ़

किया, बाज़ तो कुरबानी साथ लेकर गए थे और बाज़ नहीं लेकर गए थे। जब रसूलुल्लाह ﷺ मक्के पहुंचे तो फ़रमायाः "तुम में से जो शख़्स क़ुरबानी का जानवर लेकर आया है वह जब तक हज मुकम्मल न करे उसके लिए कोई हराम कर्दा चीज़ हलाल नहीं है और जिसके पास क़ुरबानी का जानवर न हो तो वह सफ़ा और मरवा का तवाफ़ करे और बाल तरश्वा कर इहराम खोल दे, फिर हज का इहराम बांधे। जिसके पास क़ुरबानी का जानवर न हो वह हज के दौरान तीन रोज़े रखे और घर वापसी पर सात रोज़े रखे।" चुनान्चे रसूलुल्लाह ﷺ ने तवाफ़ किया जब मक्का तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले रुक्न को बोसा दिया, फिर तीन फेरों में दौड़ कर चले और चार में मामूल के मुताबिक़, जब तवाफ़े कअबा कर चुके तो मक़ामे इब्राहीम के पास दो रकअत नमाज़ पढ़ी, फिर जब सलाम फेर चुके तो सफ़ा पहुंच कर सात बार तवाफ़ किया। आपने जब तक हज मुकम्मल न कर लिया उस वक़्त तक उसे हलाल न जाना जो हालते इहराम में हराम है और क़ुरबानी के दिन क़ुरबानी की और लौट कर ख़ानए कअबा का तवाफ़ किया, फिर उन तमाम चीज़ों को हलाल समझा जो उस वक़्त हराम थीं और जो क़ुरबानी साथ लेकर गए थे उन्होंने भी इसी तरह किया जैसा आपने किया था। उरवा رضي الله عنه ने सय्यदा आयशा رضي الله عنها के हवाले से रसूलुल्लाह ﷺ के हज्जे तमत्तोअ़ करने के मुताल्लिक़ इसी तरह रिवायत किया जिस तरह सालिम رضي الله عنه ने बहवाला इब्ने उमर رضي الله عنهما रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत किया।

बाब 1068:- जो शख़्स रास्ते में क़ुरबानी का जानवर ख़रीदेः

हदीस 1583:- अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, उन्होंने अपने वालिद से कहा इस साल हज पर न जाइए, मुझे ख़दशा है आपको रोक दिया जाएगा। कहा अगर ऐसा हुआ तो मैं वही कुछ करूंगा जो रसूलुल्लाह ﷺ ने किया। इरशादे ख़ुदावन्दी हैः "तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह ﷺ (की ज़िन्दगी) में बेहतरीन नमूनए (अमल) है।" तुम गवाह रहो मैंने अपने ऊपर उमरा (भी) वाजिब कर लिया चुनान्चे उमरा का इहराम बांध कर चल निकले, जब मक़ामे बैदा पर पहुंचे तो हज और उमरा का इहराम बांधा और फ़रमाया हज और उमरा एक तो चीज़ है, क़ुदैद में क़ुरबानी का जानवर ख़रीदा, मक्का पहुंचे तो हज और उमरा दोनों के लिए एक ही तवाफ़ किया और जब तक दोनों से फ़ारिग़ नहीं हो गए इहराम नहीं खोला।

बाब 1069:- जिस ने इश्आ़र (ऊंट का कोहान की दाहिनी जानिब से चीर देना) और तक़्लीद (जानवरों के गले में जूतियों का हार डालना यह अरब का दस्तूर था) की, फिर इहराम बांधा। नाफ़ेअ رضي الله عنه कहते हैं, इब्ने उमर رضي الله عنهما जब मदीना से क़ुरबानी का जानवर ले जाते तो ज़िल हुलैफ़ा में "इश्आ़र" और "तक़्लीद" करते, जानवर क़िब्ला रुख़ लिटा कर दाएं कोहान में छुरी मारते।

हदीस 1584:- मिसवर बिन मख़रमा رضي الله عنه और मरवान दोनों रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ एक हज़ार से ज़ाइद सहाबा की मइयत में मदीना से निकले, जब ज़िल हुलैफ़ा पहुंचे तो जानवर की तक़्लीद की और इश्आ़र किया और (फिर) उमरा का इहराम बांधा।

हदीस 1585:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ के साथ क़ुरबानी के जानवर के रस्से अपने हाथ से बनाए, फिर आपने उसकी तक़्लीद और इश्आ़र करके मक्का की तरफ़ रवाना किया, आपने किसी हलाल चीज़ को हराम नहीं समझा।

बाब 1070:– कुरबानी के जानवरों और गाय के हार बनाना:

हदीस 1586:– सय्यदा हफ़सा ﷺ रिवायत करती हैं, मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! क्या बात है लोग तो इहराम से बाहर आ गए और आप अभी तक इहराम में हैं? फ़रमाया: "मैंने तलबीद (अपने सर के बालों को जमाना) की है और जानवर की "तक़लीद" की है बिना बरीं जब तक मैं हज से फ़ारिग़ न हो जाऊं इहराम नहीं खोल सकता।"

हदीस 1587:– सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ मदीना से कुरबानी का जानवर भेजते और मैं उसके लिए हार बनाती, फिर आप किसी चीज़ से परहेज़ न करते जिस से कोई इहराम वाला करता है।

बाब 1071:– कुरबानी के जानवर का इश्आर करना:

उरवा ﷺ, मिस्वर ﷺ के हवाले से बताते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने कुरबानी के जानवर की "तक़लीद" की और उसका इश्आर किया और फिर उमरा का इहराम बांधा।

हदीस 1588:– सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ के कुरबानी के जानवर के लिए डोरी बटी, फिर आपने उसका इश्आर किया और उसकी तक़लीद की या मैंने उसकी तक़लीद की, फिर आपने उसे कअबा की तरफ़ रवाना किया और आप मदीना में मुक़ीम रहे, आपने किसी हलाल चीज़ को अपने ऊपर हराम नहीं किया।

बाब 1072:– जिसने अपने हाथ से हार बनाए:

हदीस 1589:– उमरा ﷺ बिन्ते अब्दुर्रहमान रिवायत करती हैं, ज़ियाद बिन अबु सुफ़ियान ने सय्यदा आयशा ﷺ को लिख भेजा कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास ﷺ ने कहा है जिस ने कुरबानी का जानवर भेजा तो उसके ज़िब्ह होने तक जो कुछ हाजियों पर हराम है वह उसके लिए भी हराम है। उमरा ﷺ के मुताबिक़ सय्यदा आयशा ﷺ ने जवाब में कहा, इब्ने अब्बास ﷺ ने सही नहीं कहा, मैंने खुद रसूलुल्लाह ﷺ के कुरबानी के जानवर के हार बनाए हैं, फिर रसूलुल्लाह ﷺ ने अपने हाथों से उसकी तक़लीद की, फिर उसे मेरे वालिद के साथ रवाना किया तो रसूलुल्लाह ﷺ पर खुदा की कोई हलाल कर्दा चीज़ हराम नहीं हुई यहां तक कि जानवर की कुरबानी की गई।

बाब 1073:– बकरियों के गले में हार डालना:

हदीस 1590:– सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने एक बार कुरबानी की ग़र्ज से बकरियां भेजीं।

हदीस 1591:– सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, मैं रसूलुल्लाह ﷺ के लिए हार बटती थी, आप उन्हें बकरियों के गले में डालते और अपने अहले ख़ाना के साथ इहराम से बाहर रहते।

हदीस 1592:– सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, मैं रसूलुल्लाह ﷺ की बकरियों के लिए हार बनाती थी और आप उसे भेजते और खुद बग़ैर इहराम के घर पर रहते।

हदीस 1593:– सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ के कुरबानी के जानवर के लिए आपके इहराम बांधने से पहले हार बनाए।

बाब 1074:– रुई के हार बनाना:

हदीस 1594:– सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, मैंने अपने पास रखी हुई रुई से कुरबानी

के जानवर की तक़लीद के लिये हार बनाए।

बाब 1075:- जूतों का हार बनाना:

हदीस 1595:- अबू हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने एक शख़्स को क़ुरबानी का जानवर हांक कर ले जाते देखा तो फ़रमाया: "इस पर सवार हो जाओ।" कहा यह क़ुरबानी का जानवर है। (फिर) फ़रमाया: "इस पर सवार हो जाओ।" अबू हुरैरह رضي الله عنه कहते हैं, मैंने उसे उस पर सवार देखा और आप साथ साथ चल रहे थे और उस जानवर के गले में जूता था।

हदीस 1596:- उस्मान बिन उमर, अली बिन मुबारक, यहया, इकरमा अबू हुरैरह رضي الله عنه से रिवायत करते हैं और वह रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत करते हैं।

बाब 1076:- क़ुरबानी के जानवर पर झूल वग़ैरा डालना:

इब्ने उमर رضي الله عنهما झूल को सिर्फ़ कोहान की जगह से फाड़ते और जब ज़िब्ह कर लेते तो झूल उतार देते ताकि खून में न लुथड़े और फिर उसे सदक़ा कर देते।

हदीस 1597:- अली رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मुझे रसूलुल्लाह ﷺ ने क़ुरबानी के जानवर की झूल और खाल सदक़ा करने का हुक्म दिया।

बाब 1077:- जो शख़्स क़ुरबानी का जानवर रास्ता में ख़रीदे और उसे हार पहनाए:

हदीस 1598:- नाफ़ेअ رضي الله عنه रिवायत करते हैं, इब्ने उमर رضي الله عنهما ने उस साल हज का इरादा किया जिस साल हरूरिया के ख़्वारिज ने इब्ने ज़ुबैर رضي الله عنه के अहदे ख़िलाफ़त में हज का इरादा किया था। उनसे कहा गया इस साल जंग का ख़तरा है और हमें ख़दशा है कि आपको रोक न दिया जाए। उन्होंने जवाब में कहा "तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह ﷺ बेहतरीन नमूना हैं।" मैं वही कुछ करूंगा जो रसूलुल्लाह ﷺ ने किया था, मैं तुम्हें गवाह बना कर कहता हूं कि मैंने अपने ऊपर उमरा (भी) वाजिब कर लिया। जब बैदा के मैदान में पहुंचे तो फ़रमाया हज और उमरा एक ही तो चीज़ है, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं मैंने हज और उमरा मिला दिया और हार पहनाया हुआ क़ुरबानी का जानवर भी साथ ले लिया हत्ता कि मक्का में पहुंचे, कअबा और सफ़ा मरवा का तवाफ़ किया और उसमें मज़ीद इज़ाफ़ा नहीं किया और हालते इहराम में जो उमूर मम्नूअ हैं उन्हें जाइज़ नहीं समझा यहां तक कि क़ुरबानी के दिन सर मुंडा कर क़ुरबानी की और सोचा कि उनका पहला तवाफ़ ही हज और उमरा के तवाफ़ के लिए काफ़ी है, फिर फ़रमाया रसूलुल्लाह ﷺ ने इसी तरह किया है।

बाब 1078:- अपनी बीवियों की तरफ़ से उनकी इजाज़त के बग़ैर गाय ज़िब्ह करना:

हदीस 1599:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, हम रसूलुल्लाह ﷺ के साथ ज़ी क़अदा में जबकि उसके पांच दिन अभी बाक़ी थे निकले। हम सिर्फ़ हज ही के ख़्याल से चले थे, जब हम मक्का के क़रीब पहुंचे तो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिसके पास क़ुरबानी का जानवर नहीं वह जब तवाफ़ और सई करले तो इहराम खोल सकता है।" सय्यदा आयशा رضي الله عنها कहती हैं, हमारे पास क़ुरबानी के दिन गोश्त लाया गया तो मैंने पूछा यह क्या है? उसने कहा रसूलुल्लाह ﷺ ने अपनी बीवियों की तरफ़ से क़ुरबानी की है।

बाब 1079:- मिना में जहां रसूलुल्लाह ﷺ ने क़ुरबानी की वहां क़ुरबानी करना:

हदीस 1600:- उबैदुल्लाह बिन उमर رضي الله عنه रिवायत करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنهما उस

जगह कुरबानी करते थे जहां रसूलुल्लाह ﷺ किया करते थे।

हदीस 1601:- नाफ़ेअ رحمه الله रिवायत करते हैं, इब्ने उमर رضي الله عنهما अपनी कुरबानी का जानवर मुज़दलिफ़ा से रात के आख़िरी पहर में भेजते यहां तक कि हाजियों के साथ जिन में आज़ाद और ग़ुलाम होते वह जानवर रसूलुल्लाह ﷺ के कुरबानी के जानवर की जगह पर पहुंच जाता।

बाब 1080:- जो शख़्स अपने हाथ से कुरबानी करे:

हदीस 1602:- अनस رضي الله عنه हदीस को मुख़्तसर करते हुए रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने अपने हाथ से सात ऊंट खड़े करके ज़िब्ह किए और मदीना में दो अबलक़ सींग वाले मेंढे ज़िब्ह किए।

बाब 1081:- ऊंट को बांध कर कुरबानी करना:

हदीस 1603:- ज़ियाद बिन जुबैर रिवायत करते हैं, मैंने इब्ने उमर رضي الله عنهما को देखा वह एक शख़्स के पास आए जिस ने अपने ऊंट को ज़िब्ह करने के लिए बिठा रखा था। फ़रमाया इसे खड़ा करके इसके पावं बांध दे यह सुन्नते रसूलुल्लाह ﷺ है।

बाब 1082:- ऊंट को खड़ा करके ज़िब्ह करना:

इब्ने उमर رضي الله عنهما कहते हैं, ऐसा करना मसनून है। इब्ने अब्बास رضي الله عنهما के मुताबिक़ सवाफ़ का मतलब है वह खड़े हों।

हदीस 1604:- अनस رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने नमाज़े ज़ुहर मदीना में चार और नमाज़े अस्र ज़ुल हुलैफ़ा में दो रकअ़त पढ़ी, वहीं रात बसर की, जब सुबह हुई तो सवार हुए और तहलील व तस्बीह पढ़ने लगे, जब बैदा पहुंचे तो दोनों के लिए लब्बैक कही, जब मक्का में दाख़िल हुए तो लोगों को इहराम खोलने को कहा और रसूलुल्लाह ﷺ ने अपने हाथ से सात ऊंट खड़े करके ज़िब्ह किए और मदीना में सींगों वाले दो अबलक़ मेंढे ज़िब्ह किए।

हदीस 1605:- अनस बिन मालिक رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने मदीना में ज़ुहर की नमाज़ चार रकअतें और ज़ुल हुलैफ़ा में अस्र की नमाज़ दो रकअतें पढ़ीं, फिर आपने वहीं रात बसर की, सुबह होने पर नमाज़े सुबह पढ़ी, फिर सवार हो कर मक़ामे बैदा पहुंचे तो आपने उमरा और हज का लब्बैक कहा।

बाब 1083:- क़साब को कुरबानी में से कुछ न दिया जाए:

हदीस 1606:- अली رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मुझे रसूलुल्लाह ﷺ ने कुरबानी के ऊंटों के पास भेजा, फिर आपने मुझे उनका गोश्त तक़सीम करने का हुक्म दिया, फिर आपने हुक्म दिया तो मैंने खालें और झूलें बांट दीं, मुझे रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: कि "कुरबानी के जानवर के पास खड़े हो जाओ और उसमें से उजरत के तौर पर कुछ भी क़साब को न दो।"

फ़ायदा:- कुरबानी के जानवर का गोश्त, खाल या झूल वग़ैरा कोई भी चीज़ क़साब को उसकी उजरत में देना जाइज़ नहीं है। उसे मज़दूरी अलाहिदा दी जाए। गोश्त जो ग़रीबों और रिश्तेदारों में तक़सीम किया जाता है अगर क़साब उस ज़ुमरे में आए तो कुरबानी के गोश्त में से यूं उसे भी दिया जा सकता है। वल्लाहु तआला आलम।

बाब 1084:- कुरबानी की खालें सदक़ा करना:

हदीस 1607:- अली رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने मुझे कुरबानी के जानवर के

पास खड़ा होने को कहा और फ़रमायाः "उनकी तमाम चीज़ें (अज़ क़िस्म) गोश्त, खाल और झूल तक़सीम कर दी जाएं और उसमें से क़साब को मज़दूरी के तौर पर कुछ न दिया जाए।"

बाब 1085:– क़ुरबानी के जानवरों की झूलें ख़ैरात करनाः

हदीस 1608:– अली ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने सौ ऊंट ज़िब्ह करके मुझे उनका गोश्त तक़सीम करने का हुक्म दिया, मैंने तक़सीम कर दिया, फिर उनकी झूलों को तक़सीम करने का हुक्म दिया मैंने तक़सीम कर दीं, फिर आपने उनकी खालें तक़सीम करने का हुक्म दिया तो मैंने उनकी खालें तक़सीम कर दीं।

बाब 1086:– इरशादे ख़ुदावन्दी हैः "जब हमने इब्राहीम को ख़ानए कअबा में जगह दी और (कहा) मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराओ और मेरे घर को तवाफ़ करने वालों, क़याम करने वालों और रुकूअ व सुजूद करने वालों के लिए साफ़ सुथरा रखो और लोगों में हज का एलान करदो, कि वह तुम्हारे पास पा-प्यादा और हर दुब्ले पतले ऊंट पर दूर दराज़ रास्तों से आएं ताकि मुनाफ़ा हासिल करें और मुक़र्ररा दिनों में अल्लाह का नाम उन चीज़ों पर लें जो जानवर अल्लाह ने उन्हें दिए हैं और फिर उन जानवरों में से खाओ और हाजत-मंदो को खिलाओ फिर अपना मैल कुचैल साफ़ करें और अपनी नज़र पूरी करें और ख़ानए कअबा का तवाफ़ करें यह इस लिए कि जो अल्लाह तआला की मोहतरम चीज़ों की इज्ज़त करता है वह उसके रब के नज़्दीक बेहतर है।"

बाब 1087:– क़ुरबानी के जानवरों से क्या खाए और क्या सदक़ा करेः

उबैदुल्लाह कहते हैं, नाफ़ेअ ﷺ ने बहवाला इब्ने उमर ﷺ बयान किया कि शिकार के बदला और नज़र में से न खाया जाए और उसके अलावा खाए। अता कहते हैं, हज्जे तमत्तोअ की क़ुरबानी में से खुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए।

हदीस 1609:– जाबिर बिन अब्दुल्लाह ﷺ रिवायत करते हैं, हम लोग मिना के दिनों के बाद अपनी क़ुरबानियों का गोश्त नहीं खाते थे, फिर रसूलुल्लाह ﷺ ने हमें इजाज़त दी और फ़रमायाः "खाओ पिओ और ज़ादे राह बना लो।" तब हम ने खाया और ज़ादे सफ़र बनाया। मैं (इब्ने जुरैज) ने अता से पूछा क्या उन्होंने यह भी कहा कि हम लोग मदीना पहुंच गए? जवाब दिया नहीं।

हदीस 1610:– सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, हम रसूलुल्लाह ﷺ के साथ रवाना हुए। अभी ज़ी क़अ़दा के पांच दिन बाक़ी थे, हमारा इरादा सिर्फ़ हज का था। जब हम मक्का के क़रीब पहुंचे तो रसूलुल्लाह ﷺ ने हमें हुक्म दिया कि "जिस के पास क़ुरबानी का जानवर न हो वह तवाफ़े कअबा करके इहराम खोल दे।" आयशा ﷺ कहती हैं, हमारे पास क़ुरबानी का गोश्त लाया गया, मैंने पूछा यह क्या है? लोगों ने कहा रसूलुल्लाह ﷺ ने अपनी बीवियों की तरफ़ से क़ुरबानी की है। यहया कहते हैं, मैंने यह हदीस क़ासिम को सुनाई तो बोले उमरा ने तुम से हदीस सहीह बयान की है।

बाब 1088:– सर मुंडाने से पहले क़ुरबानी करनाः

हदीस 1611:– इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ से किसी के बारे में पूछा गया कि उसने क़ुरबानी से पहले सर मुंडा लिया या इसी तरह की कोई बात आगे पीछे हो गई। फ़रमायाः "कोई हर्ज नहीं कोई हर्ज नहीं।"

हदीस 1612:– इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, एक शख़्स ने रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत

में अर्ज़ किया मैंने रमी जमार से पहले ज़ियारत करली। फ़रमायाः "कोई बात नहीं।" वह फिर बोला मैंने क़ुरबानी से पहले सर मुंडा लिया। फ़रमायाः "चंदां मुज़ाइक़ा नहीं।" उसने फिर कहा मैंने रमी से पहले क़ुरबानी कर ली। फ़रमायाः "कोई बात नहीं।"

हदीस 1613:- इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ से किसी ने दरयाफ़्त किया मैंने शाम होने के बाद रमी जमार की। फ़रमायाः "कोई हर्ज नहीं।" फिर पूछा मैंने क़ुरबानी करने से पहले सर मुंडा लिया। फ़रमायाः "कोई बात नहीं।"

हदीस 1614:- अबू मूसा ﷺ (अश्अरी) रिवायत करते हैं, मैं रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, आप बतहा में मुक़ीम थे। आपने फ़रमायाः "क्या तुम ने हज कर लिया?" मैंने अर्ज़ किया हां। फ़रमायाः "तुम ने किस का इहराम बांधा था?" अर्ज़ किया ख़ुदा के नबी की तरह इहराम बांधा था। फ़रमायाः "तुमने अच्छा किया अब जाओ।" चुनान्चे मैंने कअबा और सफ़ा मरवा का तवाफ़ किया, फिर मैं बनी क़ैस की किसी ख़ातून के पास आया, उसने मेरे सर से जूएं निकालीं, फिर मैंने हज का इहराम बांधा, मैं अहदे उमर ﷺ तक लोगों को यही फ़तवा देता था। मैंने उन (उमर ﷺ) से बयान किया तो फ़रमाया, अगर किताबुल्लाह पर अमल किया जाए तो वह हमें पूरा करने का हुक्म देती है और अगर सुन्नते नबवी को देखा जाए तो रसूलुल्लाह ﷺ उस वक़्त तक इहराम न खोलते जब तक क़ुरबानी अपने ठिकाने पर न पहुंच जाती।

बाब 1089:- इहराम के वक़्त अपने बालों को जमाना और इहराम खोलते वक़्त सर मुंडवाना:

हदीस 1615:- सय्यदा हफ़सा ﷺ रिवायत करती हैं, मैंने कहा या रसूलल्लाह! क्या वजह है लोगों ने उमरा के बाद एहराम खोल दिए लेकिन आप अभी तक इहराम से बाहर नहीं हुए? फ़रमायाः "मैंने अपने बाल जमा दिए हैं और क़ुरबानी के जानवर के गले में हार डाल दिया है लिहाज़ा जब तक क़ुरबानी न कर लूं इहराम नहीं खोल सकता।"

बाब 1090:- इहराम खोलते वक़्त सर मुंडाना या बाल तरश्वाना:

हदीस 1616:- इब्ने उमर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने अपने हज में सर मुंडाया है।

हदीस 1617:- इब्ने उमर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "सर मुंडाने वालों पर रहम फ़रमा।" लोगों ने कहा बाल तरश्वाने वालों पर? फ़रमायाः "बाल तरश्वाने वालों पर भी।"

हदीस 1618:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "ऐ अल्लाह! सर मुंडवाने वालों की बख़्शिश फ़रमा।" लोगों ने कहा बाल तरश्वाने वालों की? फ़रमायाः "ऐ अल्लाह! सर मुंडवाने वालों की मग़फ़िरत फ़रमा।" लोगों ने कहा बाल तरश्वाने वालों की, ऐ अल्लाह के रसूल! और यह तीन बार दोहराया, चौथी बार आपने फ़रमायाः "बाल तरश्वाने वालों की (भी मग़फ़िरत फ़रमा)।"

हदीस 1619:- अब्दुल्लाह (बिन उमर) ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ और सहाबा के एक गिरोह ने सर मुंडवाया और उन में बाज़ ने बाल तरश्वाए।

हदीस 1620:- मुआविया ﷺ रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ के बाल कैंची से कतरे।

बाब 1091:- तमत्तोअ़ करने वालों का उमरा के बाद बाल तरशवानाः

हदीस 1621:- इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, जब रसूलुल्लाह ﷺ मक्का तशरीफ़ ले गए तो आपने सहाबा से फ़रमायाः "कअबा और सफ़ा मरवा का तवाफ़ करें, फिर इहराम खोल कर सर मुंडाएं या बाल तरशवाएं।"

बाब 1092:- कुरबानी के दिन ज़ियारत करनाः

अबुज़्ज़ुबैर आयशा رضی اللہ عنہا और इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہ से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने तवाफ़े ज़ियारत को रात तक मुअख़्ख़र कर दिया। इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہ से मरवी है, रसूलुल्लाह ﷺ मिना के दिनों में ज़ियारते कअबा किया करते थे। अबु नुऐम ने हमें बताया कि उन से सुफ़यान ने बहवाला उबैदुल्लाह, नाफ़ेअ और इब्ने उमर رضی اللہ عنہ रिवायत की कि उन्होंने एक तवाफ़ किया, फिर लेट रहे, फिर मिना में आए यानी कुरबानी के दिन। अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने उसे मरफ़ूअ़न नक़्ल किया और कहा हमें उबैदुल्लाह ने बताया।

हदीस 1622:- सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا रिवायत करती हैं, हम ने रसूलुल्लाह ﷺ के साथ हज किया तो यौमे नहर को तवाफ़े ज़ियारत किया (इसी अस्ना में) सय्यदा हफ़सा رضی اللہ عنہا हाइज़ा हो गईं। रसूलुल्लाह ﷺ ने उनसे सोहबत की ख़्वाहिश की, बताया गया वह तो हाइज़ा हैं। फ़रमायाः "यहां हमें उस ने रोक रखा है।" लोगों ने कहा वह तो कुरबानी के दिन तवाफ़े ज़ियारत कर चुकीं तो फ़रमायाः "(क्या देर है) चलो।" क़ासिम, उरवा और असवद सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا से रिवायत करते हैं कि सय्यदा हफ़सा رضی اللہ عنہا ने कुरबानी के दिन तवाफ़े ज़ियारत किया था।

बाब 1093:- शाम होने तक जो रमी न करे भूल कर या ला-इल्मी में कुरबानी से पहले सर मुंडालेः

हदीस 1623:- इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ से कुरबानी, सर मुंडाने, रमी (अरकान) की तक़्दीम व ताख़ीर के बारे में पूछा गया तो फ़रमायाः "कोई मुज़ाइक़ा नहीं।"

हदीस 1624:- इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ से मिना में कुरबानी के दिन सवालात किए जाते तो आप फ़रमातेः "कोई हर्ज नहीं।" एक शख़्स ने पूछा मैंने कुरबानी से पहले सर मुंडा लिया। फ़रमायाः "कुरबानी कर लो कोई हर्ज नहीं।" वह बोला मैंने शाम होने के बाद रमी की। फ़रमायाः "कोई बात नहीं।"

बाब 1094:- जमरा के नज़्दीक सवार होकर लोगों को मसाइल बतानाः

हदीस 1625:- अब्दुल्लाह बिन अम्र رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ हज्जतुल वदाअ़ में ठहरे तो लोग आप से सवाल करने लगे। एक शख़्स ने कहा मुझे इल्म नहीं था मैंने कुरबानी से पहले सर मुंडवा लिया। फ़रमायाः "कोई बात नहीं ज़िब्ह कर लो।" एक और शख़्स आया और कहा मैं नहीं जानता था रमी से पहले कुरबानी करली। फ़रमायाः "रमी कर लो कोई मुज़ाइक़ा नहीं।" उस दिन जो भी पूछा गया कि तक़्दीम ताख़ीर हो गई है, फ़रमायाः "अब कर लो कोई बात नहीं।"

हदीस 1626:- अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, वह रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर थे, जब आप कुरबानी के दिन खुतबा दे रहे थे। एक शख़्स ने खड़े होकर कहा मुझे फ़ुलां काम उससे पहले करना चाहिए था कुरबानी से पहले सर मुंडा लिया, रमी से पहले कुरबानी करली

और इसी तरह कई बातें कहीं तो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "अब करलो कोई हर्ज नहीं।" चुनान्चे उस दिन जिस किसी ने आप से किसी चीज़ के मुतअल्लिक़ दरयाफ़्त किया तो आप ने यही फ़रमायाः "अब कर लो कोई बात नहीं।"

हदीस 1627:- अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ अपनी ऊंटनी पर खड़े हुए, फिर वही मुतज़क्किरा हदीस बयान की।

बाब 1095:- अय्यामे मिना में खुत्बा देनाः

हदीस 1628:- इब्ने अब्बास رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने कुरबानी के दिन खुत्बा दिया। आपने फ़रमायाः "लोगो! यह कौन सा दिन है?" लोगों ने कहा यौमे हराम है। फ़रमायाः "कौन सा शहर है?" कहा गया शहरे हराम है। फ़रमायाः "कौन सा महीना है?" कहा गया माहे हराम है। फ़रमायाः "तुम्हारे खून, तुम्हारे माल, तुम्हारी अबरू तुम पर इसी तरह हराम हैं जिस तरह आज का यह दिन तुम्हारे इस शहर इस महीने में हराम है।" आपने यह कलिमात मुताद्दिद बार कहे, फिर अपना सर आसमान की तरफ़ उठा कर कहाः "ऐ अल्लाह! क्या मैंने पहुंचा दिया, क्या मैंने पहुंचा दिया।" इब्ने अब्बास رضي الله عنه फ़रमाते हैं, मुझे उस ज़ात की क़सम जिस के क़ब्ज़े में मेरी जान है आपने अपनी उम्मत को यही वसियत फ़रमाई थी किः "जो लोग हाज़िर हैं वह उन तक पहंचा दें जो यहां मौजूद नहीं, मेरे बाद कुफ़्र की तरफ़ न लौट जाना कि एक दूसरे को क़त्ल करने लग जाओ।"

हदीस 1629:- इब्ने अब्बास رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को अरफ़ात में खुत्बा इरशाद फ़रमाते सुना।

हदीस 1630:- अबू बक्रह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, कुरबानी के दिन रसूलुल्लाह ﷺ ने हमारे सामने खुत्बा इरशाद फ़रमायाः "क्या तुम्हें मालूम है आज कौन सा दिन है?" हम ने कहा अल्लाह व रसूल बेहतर जानते हैं। आप कुछ देर ख़ामोश रहे, हमें गुमान गुज़रा कि आप उस दिन का कोई दूसरा नाम बताएंगे। फ़रमायाः "क्या यह यौमे नहर नहीं?" हम बोले क्यों नहीं, फ़रमायाः "कौन सा महीना है?" हमने कहा अल्लाह व रसूल बेहतर जानते हैं। आपने थोड़ी देर तवक्कुफ़ किया, हमें वहम हुआ आप उसका कोई और नाम बताएंगे, फ़रमायाः "क्या यह ज़िल हिज्जा नहीं?" हम बोले क्यों नहीं। आपने (फिर) फ़रमायाः "यह कौन सा शहर है?" हम ने अर्ज़ किया अल्लाह व रसूल बेहतर जानते हैं। आप चुप हो रहे, हमारा ख़्याल था आप उसका कोई और नाम बताएंगे। आपने फ़रमायाः "क्या यह हराम का शहर नहीं?" हम बोले क्यों नहीं, फ़रमायाः "तुम्हारे खून, तुम्हारे माल तुम पर हराम हैं जिस तरह आज का दिन तुम्हारे इस महीना में और इस शहर में हराम है जब तक कि तुम्हारी अपने रब से मुलाक़ात हो। लोगो! क्या मैंने पहुंचा दिया।" लोगों ने कहा हां, आपने फ़रमायाः "ऐ अल्लाह! गवाह रहना (फ़रमाया) यहां हाज़िर, ग़ैर मौजूद लोगों तक पहुंचा दें, बाज़ औक़ात बराहे रास्त सुनने वालों से वह शख़्स ज़्यादा याद रखता है जिसे पहुंचाया गया हो, मेरे बाद कुफ़्र इख़्तियार न कर लेना कि एक दूसरे का खून बहाने लग जाओ।"

हदीस 1631:- इब्ने उमर رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने मिना में फ़रमायाः "क्या तुम जानते हो यह कौन सा दिन है?" लोगों ने जवाब दिया अल्लाह व रसूल ज़्यादा जानते हैं। फ़रमायाः "यह यौमे हराम है, क्या तुम्हें मालूम है यह कौन सा शहर है?" लोगों ने कहा अल्लाह व रसूल बेहतर

जानते हैं। फ़रमायाः "यह शहरे हराम है, क्या तुम जानते हो यह कौन सा महीना है?" लोगों ने अर्ज़ किया अल्लाह व रसूल बेहतर जानते हैं। फ़रमायाः "यह माहे हराम है।" (फिर) फ़रमायाः "अल्लाह तआला ने तुम पर एक दूसरे का ख़ून, माल और आबरू उसी तरह हराम क़रार दिया है जिस तरह तुम्हारा आज का दिन तुम्हारे इस शहर में इस माह में हराम है। हिशाम बिन ग़ाज़ कहते हैं, मुझे नाफ़ेअ ने बहवाला इब्ने उमर बताया रसूलुल्लाह कुरबानी के दिन जमरात के दरमियान खड़े हुए, जिस साल आपने हज किया था। उस वक़्त आपने फ़रमाया थाः "यह हज्जे अकबर का दिन है।" फिर रसूलुल्लाह यूं गोया हुएः "ऐ अल्लाह! गवाह रहियो।" और लोगों को रुख़्सत किया, लोगों ने इस हज का नाम हज्जतुल वदाअ़ रख दिया।

बाब 1096:- क्या पानी पिलाने वाले या दूसरे लोग मिना की रातें मक्का में बसर करें:

हदीस 1632:- इब्ने उमर रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह से अब्बास ने पानी पिलाने की वजह से मिना की रातों में मक्का में रात गुज़ारने की इजाज़त चाही तो आपने उन्हें इजाज़त दे दी।

बाब 1097:- कंकरियां मारना (रमी जमार):

जाबिर के मुताबिक़ रसूलुल्लाह ने कुरबानी के दिन चाश्त के वक़्त रमी की और इस वाक़िआ के बाद ज़वाल के बाद रमी की।

हदीस 1633:- वबरा रिवायत करते हैं, मैंने इब्ने उमर से पूछा मैं कब रमी करूं? फ़रमाया जब तुम्हारा अमीर रमी करे तो तुम भी करो, फिर मैंने दोबारा पूछा तो कहा हम ज़वाले आफ़ताब तक इन्तिज़ार करते थे फिर हम रमी करते।

बाब 1098:- वादी के नशेब से कंकरियां मारनाः

हदीस 1634:- अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद रिवायत करते हैं, अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने वादी के नशेब से रमी की, तो मैंने कहा लोग तो उसके ऊपर वाले हिस्से से रमी करते थे। कहा क़सम है उसकी जिसके अलावा कोई माबूद नहीं यह उन्हीं की जगह है जिन पर सूरए बक़रा नाज़िल हुई (यानी ज़ाते रिसालत मआब)।

बाब 1099:- सात कंकरियां मारनाः

यह बात इब्ने उमर ने रसूलुल्लाह के हवाले से बताई।

हदीस 1635:- अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद रिवायत करते हैं, अब्दुल्लाह बिन मसऊद जमरए उक़बा गए तो कअबा दाएं और मिना बाएं जानिब रह गया और सात कंकरियां फेंकीं और कहा उन्होंने इसी तरह रमी की जिन पर सूरए बक़रा नाज़िल हुई।

बाब 1100:- जो शख़्स जमरए उक़बा पर रमी करे और कअबा को दाएं जानिब करले:

हदीस 1636:- अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद रिवायत करते हैं, उन्होंने इब्ने मसऊद के हमराह हज किया तो उन्हें जमरए उक़बा में सात कंकरियां मारते देखा (जबकि) ख़ानए कअबा दाएं और मिना बाएं जानिब रह गया था, फिर बोले यह जगह उनकी है जिन पर सूरए बक़रा का नुज़ूल हुआ।

बाब 1101:– हर कंकरी के साथ "अल्लाहु अकबर" कहना: इब्ने उमर ﷺ ने यह बात रसूलुल्लाह ﷺ के हवाले से बताई।

हदीस 1637:– अअ़मश ﷺ रिवायत करते हैं, मैंने हज्जाज को मिन्बर पर यह कहते हुए सुना कि वह सूरह ज़िस में गाय का ज़िक्र है और वह सूरह जिस में आले इमरान का बयान है और वह सूरह जिस में ख़्वातीन का तज़्किरा है उस ने उसी तरह सूरतों का नाम लिया। मैंने इब्राहीम से यह बयान किया तो उन्होंने कहा, मुझे अब्दुर्रहमाना बिन यज़ीद ﷺ ने बताया जब जमरए उक़्बा में रमी की तो वह इब्ने मसऊद ﷺ के हमराह थे। वह वादी के नशेब में उतरे, जब दरख़्तों के बराबर हो गए तो उसके सामने हुए और सात कंकरियां मारीं, हर कंकरी पर अल्लाहु अकबर कहा, फिर कहा मुझे उसकी क़सम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वह इसी जगह तशरीफ़ फ़रमा थे जिन पर सूरह बक़रा नाज़िल हुई।

बाब 1102:– जिस ने जमरए उक़बा में रमी की और वहां न ठहरा:

इब्ने उमर ﷺ ने यह बात रसूलुल्लाह ﷺ के हवाले से बताई।

बाब 1103:– जब दोनों जमरों पर रमी करे तो नर्म ज़मीन पर क़िब्ला रुख़ खड़ा हो।

हदीस 1638:– सालिम ﷺ रिवायत करते हैं, इब्ने उमर ﷺ क़रीब वाले जमरा पर सात कंकरियां फेंकते और हर कंकरी पर अल्लाहु अकबर कहते, फिर आगे बढ़ कर नर्म ज़मीन पर पहुंचते और क़िब्लारू खड़े हो जाते और काफ़ी देर तवक़्क़ुफ़ करते और दुआ के लिए अपने दोनों हाथ उठाते, फिर दरमियाने जमरा की रमी करते, फिर बाएं तरफ़ जाकर नर्म ज़मीन पर पहुंचते, फिर क़िब्लारू खड़े हो जाते और देर तक खड़े रहते और दुआ के लिए दोनों हाथ उठाते, फिर वादी के नशेबी हिस्से से जमरा ज़ाते उक़बा की रमी करते और वहां खड़े न होते, वहां से फ़ारिग़ हो जाते तो कहते मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को इसी तरह करते देखा।

बाब 1104:– क़रीबी और दरमियानी जमरे पर दुआ के लिए हाथ उठाना:

हदीस 1639:– सालिम रिवायत करते हैं, अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ जमरए ऊला पर सात कंकरियां फेंकते और तकबीर कह कर आगे बढ़ जाते, फिर नर्म ज़मीन पर पहुंच जाते और क़िब्ला रुख़ खड़े हो जाते और देर तक खड़े रहते और दुआ के लिए अपने दोनों हाथ उठाते, फिर उसी तरह दरमियानी जमरे की रमी करते, बाएं जानिब जाकर नर्म ज़मीन पर पहुंचते और काफ़ी देर क़िब्ला रुख खड़े रहते और दोनों हाथ उठा कर दुआ करते, फिर वादी के नशेबी हिस्से से जमरए ज़ाते उक़बा की रमी करते और वहां न ठहरते और कहते मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को इसी तरह करते देखा।

बाब 1105:– दोनों जमरों के पास दुआ करना:

मुहम्मद, उस्मान बिन उमर, यूनुस और जुहरी के हवाले से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जब मस्जिदे मिना के क़रीब वाले जमरा की रमी करते तो सात कंकरियां फेंकते। हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहते, फिर आगे बढ़ कर क़िब्लारू खड़े होते और अपने दोनों हाथ उठा कर दुआ करते और देर तक खड़े रहते, फिर दूसरे जमरा के पास आते तो उस पर सात कंकरियां फेंकते, हर कंकरी पर अल्लाहु अकबर कहते, फिर बाएं जानिब वादी के क़रीब उतरते और क़िब्लारू खड़े होकर दोनों हाथ उठा कर दुआ करते, फिर उस जमरा के पास आते जो उक़बा के क़रीब है और सात

कंकरियां मारते, हर कंकरी मारते वक़्त अल्लाहु अकबर कहते और फिर वापस हो जाते और वहां तवक़्क़ुफ़ न करते। ज़ुहरी कहते हैं, मैंने सालिम बिन अब्दुल्लाह ﷺ से सुना वह अपने वालिद और वह रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत करते थे और इब्ने उमर ﷺ भी इसी तरह करते थे।

बाब 1106:- रमी जमार के बाद खुश्बू लगाना और तवाफ़े ज़ियारत से पहले सर मुंडाना:

हदीस 1640:- सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने जिस वक़्त इहराम बांधा मैंने अपने हाथ से आपको खुश्बू लगाई और तवाफ़े ज़ियारत से हपले इहराम खोलते वक़्त और अपने दोनों हाथ फैला कर बताया।

बाब 1107:- तवाफ़े वदाअ:

हदीस 1641:- इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, लोग मामूर किए गए हैं कि उनका आख़िरी अहद बैतुल्लाह के साथ हो मगर हाइज़ा के लिए तख़्फ़ीफ़ (माफ़) है।

हदीस 1642:- अनस बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने ज़ुहर, अस्र, मग़रिब और इशा की नमाज़ पढ़ी, फिर कुछ देर मुहस्सब में सो रहे, बादे अज़ां सवार होकर कअबा की तरफ़ गए और तवाफ़ किया।

बाब 1108:- तवाफ़े ज़ियारत के बाद औरत को हैज़ आ जाना:

हदीस 1643:- सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, ज़ौजए रसूल सफ़िया ﷺ बिन्ते हुय को हैज़ जारी हो गया, उन्होंने इसका ज़िक्र रसूलुल्लाह ﷺ से किया। फ़रमाया: क्या वह हमें रोक लेगी? अर्ज़ किया गया वह तवाफ़े ज़ियारत कर चुकी हैं तो फ़रमाया चलो।

हदीस 1644:- इकरमा ﷺ रिवायत करते हैं, अहले मदीना ने इब्ने अब्बास ﷺ से उस औरत की बाबत पूछा जिस ने तवाफ़ कर लिया हो और फिर उसे हैज़ आ गया। जवाब दिया वह चली गई। लोगों ने कहा ना-मुम्किन है कि आपके कहे पर अमल किया जाए और ज़ैद बिन साबित ﷺ के क़ौल को तर्क कर दिया जाए। उन्होंने कहा जब तुम मदीना आओ तो पूछ लेना, लोग मदीना आए और उनसे पूछा। सवाल करने वालों में उम्मे सुलैम ﷺ भी थीं उन्होंने सय्यदा सफ़िया ﷺ वाली हदीस बयान की।

हदीस 1645:- इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, हाइज़ा जब तवाफ़े ज़ियारत करले तो उसे जाने की इजाज़त है। मैंने इब्ने उमर ﷺ से सुना कि वह न जाए, बादे अज़ां मैंने उन्हें कहते हुए सुना कि रसूलुल्लाह ﷺ ने उन्हें चले जाने की इजाज़त दी है।

हदीस 1646:- सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, हम रसूलुल्लाह ﷺ के साथ निकले और हमारा इरादा सिर्फ़ हज करने का था, चुनान्चे रसूलुल्लाह ﷺ तश्रीफ़ लाए और ख़ानए कअबा और सफ़ा मरवा का तवाफ़ किया और इहराम नहीं खोला, आपके पास क़ुरबानी का जानवर था। आपके साथियों ने तवाफ़ किया और जिनके पास क़ुरबानी का जानवर नहीं था वह इहराम से बाहर आ गए। सय्यदा आयशा ﷺ (इस दौरान) हाइज़ा हो गईं, हम ने तमाम अरकाने (हज) अदा किए जब कूच की रात आई तो वह बोलीं या रसूलल्लाह! मेरे अलावा आपके तमाम साथी हज और उमरा करके वापस जा रहे हैं। आपने फ़रमाया: "जब हम मक्का आए थे तो तुमने तवाफ़ नहीं किया?" मैं बोली नहीं, तो

फ़रमायाः "अपने भाई के साथ तन्ईम जाओ और उमरा का इहराम बांधो।" मैंने अब्दुर्रहमान ﷺ के साथ तन्ईम की तरफ़ उमरे का इहराम बांधा और सफ़िया ﷺ बिन्ते हुय को हैज़ आ गया तो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "ऐ बांझ! सर मुंडी क्या तुम हमें रोक लोगी? क्या तुम ने क़ुरबानी के दिन तवाफ़ कर लिया था?" कहा हां, फ़रमायाः "तो कोई हर्ज नहीं, चली जाओ।" और मैं (आयशा ﷺ) आपको उस वक़्त मिली जब आप मक्का से ऊपर की जानिब चढ़ रहे थे और मैं उतर रही थी या आप उतर रहे थे और मैं चढ़ रही थी।

बाब 1109:- जिस ने रवानगी के दिन अबतह में नमाज़े अस्र पढ़ीः

हदीस 1647:- अब्दुल अज़ीज़ बिन रफ़ीअ् ﷺ रिवायत करते हैं, मैंने अनस बिन मालिक ﷺ से पूछा कि मुझे बताइए अगर आपको याद हो कि रसूलुल्लाह ﷺ ने आठवीं ज़िल हज्ज को नमाज़े ज़ुहर कहां पढ़ी थी? कहा मिना में। मैंने पूछा रवानगी के वक़्त नमाज़े अस्र कहां पढ़ी थी? जवाब दिया अबतह में, लेकिन तुम उसी तरह करो जिस तरह तुम्हारे उमरा करें।

हदीस 1648:- अनस बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं, आपने ज़ुहर, अस्र, मग़रिब और इशा की नमाज़ अदा की, फिर मुहस्सब में थोड़ी देर आराम किया और फिर सवार होकर कअबा की तरफ़ चल दिए और तवाफ़ किया।

बाब 1110:- मोहस्सब में नुज़ूलः

हदीस 1649:- सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, (मुहस्सब) एक जगह थी जहां रसूलुल्लाह ﷺ पड़ाव डालते ताकि वहां से आसानी के साथ जा सकें वह इस से अबतह को मुराद लेती थीं।

हदीस 1650:- इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, तहसीब कोई चीज़ नहीं वह तो सिर्फ़ एक जगह है जहां रसूलुल्लाह ﷺ नुज़ूल फ़रमाते थे।

बाब 1111:- मक्का में दाख़िले से पहले ज़ी तुवा में और वापसी पर बतहा में उतरना जो ज़ुल हुलैफ़ा में हैः

हदीस 1651:- नाफ़ेअ ﷺ रिवायत करते हैं कि इब्ने उमर ﷺ दोनों पहाड़ियों के दरमियान ज़ी तुवा में रात गुज़ारते थे, फिर मक्का से बुलन्दी पर वाक़ेअ् पहाड़ी की तरफ़ से दाख़िल होते और जब हज या उमरा के लिए मक्का आते तो अपनी ऊंटनी मस्जिद के दरवाज़े के पास ही बिठा देते, फिर दाख़िल होते और हज्रे असवद से (अरकाने हज का) आग़ाज़ करते, बादे अज़ां सात बार तवाफ़ करते, तीन दफ़ा दौड़ते और चार बार मामूल के मुताबिक़ चलते, फिर लौट कर दो रकअत नमाज़ पढ़ते, फिर अपनी क़याम गाह पर जाने से पहले सफ़ा और मरवा का तवाफ़ करते और जब हज या उमरा से लौटते तो बतहा में जो ज़ुल हुलैफ़ा में है अपनी ऊंटनी बिठाते जहां रसूलुल्लाह ﷺ अपनी ऊंटनी बिठाया करते थे।

हदीस 1652:- ख़ालिद बिन हारिस ﷺ रिवायत करते हैं, उबैदुल्लाह से मुहस्सब के मुताल्लिक़ पूछा गया तो उन्होंने नाफ़ेअ ﷺ के हवाले से बताया कि यहां पर रसूलुल्लाह ﷺ, उमर ﷺ और इब्ने उमर ﷺ उतरे और नाफ़ेअ ﷺ कहते हैं कि इब्ने उमर ﷺ यहां नहीं मुहस्सब में ज़ुहर और अस्र की नमाज़ पढ़ते थे। मेरे ख़्याल में उन्होंने कहा कि मग़रिब की नमाज़ भी पढ़ी। ख़ालिद ﷺ कहते

हैं, मुझे इस में शक नहीं कि इशा की नमाज़ भी पढ़ी और एक नींद भी ली (और कहते) रसूलुल्लाह ﷺ से भी यही मन्कूल है।

बाब 1112:- जो शख़्स मक्का से वापसी पर ज़ी तुवा में उतरे:

मुहम्मद बिन ईसा कहते हैं कि हम से हम्माद ने अय्यूब और नाफ़ेअ رضی اللہ عنہ के हवाले से बयान किया कि इब्ने उमर رضی اللہ عنہما जब मक्का आते तो ज़ी तुवा में पूरी रात गुज़ारते। जब सुबह होती तो मक्का में दाख़िल होते और फिर वापसी पर ज़ी तुवा से गुज़रते हत्ता कि सुबह हो जाती और कहते थे कि रसूलुल्लाह ﷺ इसी तरह किया करते थे।

बाब 1113:- अय्यामे हज में तिजारत और दौरे जाहिलियत के बाज़ारों में ख़रीदो फ़रोख़्त करना:

हदीस 1653:- इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہما रिवायत करते हैं, ज़ुल मजाज़ और उकाज़ ज़मानए जाहिलियत में लोगों के तिजारत के मराकिज़ थे। जब ज़ुहूरे इस्लाम हुआ तो उन लोगों ने वहां तिजारत को मकरूह जाना यहां तक कि आयत नाज़िल हुई: "कि तुम पर इस बात में कोई गुनाह नहीं कि तुम अय्यामे हज में अपने रब का फ़ज़्ल तलाश करो।"

बाब 1114:- मुहस्सब से रात के आख़िरी हिस्से में कूच करना:

हदीस 1654:- सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا रिवायत करती हैं कि रवानगी की रात सफ़िया رضی اللہ عنہا हाइज़ा हो गई और कहा मेरे ख़्याल में मैं तुम्हें रोक दूंगी। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "ऐ बांझ सर मुंडी! क्या तुम ने कुरबानी के दिन तवाफ़ कर लिया था?" किसी ने बताया हां। आपने फ़रमाया: "तो फिर चलो।" (इमाम बुख़ारी ने चन्द और वास्तों से सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا की इस रिवायत में इन अल्फ़ाज़ का इज़ाफ़ा किया) सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا फ़रमाती हैं, कि हम लोग रसूलुल्लाह ﷺ के साथ निकले, हमारा सिर्फ़ हज करने का इरादा था। जब हम मक्का पहुंचे तो हमें इहराम खोलने को कहा गया। जब वापसी का वक़्त हुआ तो सफ़िया رضی اللہ عنہا बिन्ते हुय को हैज़ आ गया। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "बांझ सर मुंडी! तू हमें रोक देगी।" फिर आपने फ़रमाया: "तुम ने कुरबानी के दिन तवाफ़ कर लिया था?" बोलीं हां। फ़रमाया: "तो चलो।" आयशा رضی اللہ عنہا कहती हैं, या रसूलल्लाह! मैंने इहराम नहीं खोला था तो आपने फ़रमाया: "(मक़ामे) तन्ईम से उमरा कर लो।" चुनान्चे उनके हमराह उनके भाई गए तो हम आपको वहां मिले कि हम आख़िर रात में निकले थे। आपने फ़रमाया: "तुम मुझे फ़ुलां फ़ुलां जगह मिल सकोगे।"

उमरा का बयान

बाब 1115:- उमरा का वुजूब और उसकी फ़ज़ीलत:

इब्ने उमर رضی اللہ عنہما कहते हैं, हर शख़्स पर एक हज और एक उमरा वाजिब है। इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہما कहते हैं वह (उमरा) किताबुल्लाह में इस (हज) का साथी है, इरशादे ख़ुदावन्दी है: "हज और उमरा अल्लाह के लिए पूरा करो।"

हदीस 1655:- अबू हुरैरह رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "एक उमरा दूसरे उमरे तक दरमियान के गुनाहों के लिए कफ़्फ़ारा होता है और हज मक़बूल का बदला जन्नत है।"

फ़ायदा:- हजे मबरूर वह होता है जिस के अन्दर कोई बुराई शामिल न हो यानी हलाल कमाई से

हज किया, किसी पर ज़ुल्म न किया, हुक़ूक़ुल्लाह और हुक़ूक़ुल इबाद को अदा किया हो। हज के तमाम मनासिक को सुन्नत के मुताबिक़ अदा किया हो और यह सब कुछ महज़ रज़ाए इलाही के लिये किया हो तो अल्लाह तआला ऐसे बन्दे के तमाम गुनाह माफ़ फ़रमा देता है और ऐसे हज के बदले में उसे जन्नत अता फ़रमाता है। वल्लाहु तआला आलम।

बाब 1116:- हज से पहले उमरा करनाः

हदीस 1656:- इकरमा बिन ख़ालिद ﵁ रिवायत करते हैं, उन्होंने इब्ने उमर ﵄ से हज से पहले उमरा करने के मुताल्लिक़ इस्तिफ़सार किया तो कहा कोई मुज़ाइक़ा नहीं। इकरमा के मुताबिक़ इब्ने उमर ﵄ ने फ़रमाया, रसूलुल्लाह ﷺ ने हज करने से पहले उमरा अदा किया।

हदीस 1657:- इकरमा बिन ख़ालिद ﵁ रिवायत करते हैं, मैंने इब्ने उमर ﵄ से दरयाफ़्त किया फिर वही (मुतज़क्किरा सदर) रिवायत की।

बाब 1117:- रसूलुल्लाह ﷺ ने कितने उमरे अदा किएः

हदीस 1658:- मुजाहिद ﵁ रिवायत करते हैं, उरवा बिन ज़ुबैर ﵁ मस्जिद में गए तो अब्दुल्लाह बिन उमर ﵄ को सय्यदा आयशा ﵂ के हुजरे के पास बैठा हुआ देखा और वह चाश्त की नमाज़ पढ़ रहे थे। हमने उन से लोगों की नमाज़ के बारे में पूछा तो कहा यह बिदअत है। फिर उन से दरयाफ़्त किया कि रसूलुल्लाह ﷺ ने कितने उमरे किए? उन्होंने बताया चार, पहला उमरा रजब में किया था। हमने उनकी बात को टोकना मुनासिब न समझा। हमने उम्मुल मोमिनीन आयशा ﵂ की मिस्वाक करने की आवाज़ सुनी। उरवा ﵁ ने कहा उम्मुल मोमिनीन! आप सुन रही हैं जो अबू अब्दुर्रहमान कह रहे हैं। फ़रमया क्या कह रहे हैं? उरवा ﵁ बोले वह कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने चार उमरे किए और पहला रजब में किया। सय्यदा आयशा ﵂ ने फ़रमाया खुदा अबू अब्दुर्रहमान पर रहम करे, आपने कोई ऐसा उमरा नहीं किया जिस में यह साहब शरीक न हों (लेकिन) आपने रजब में कोई उमरा नहीं किया।

हदीस 1659:- उरवा बिन ज़ुबैर ﵁ रिवायत करते हैं, मैंने सय्यदा आयशा ﵂ से पूछा तो फ़रमाया कि रसूलुल्लाह ﷺ ने रजब में कोई उमरा नहीं किया।

हदीस 1660:- क़तादा ﵁ रिवायत करते हैं, मैंने अनस ﵁ से पूछा रसूलुल्लाह ﷺ ने कितने उमरे किए? उन्होंने कहा चार, पहला उमरा हुदैबिया का माहे ज़ी क़अ्दा में जबकि उन्होंने आपको रोक दिया था और दूसरा उस से अगले साल ज़ी क़अ्दा में किया जब मुश्रिकों ने सुलह कर ली थी। तीसरा उमरा जेअ्रानह का जिस साल माले ग़नीमत तक़्सीम किया, वह शायद हुनैन का था। मैंने पूछा हज कितने किए? उन्होंने कहा एक (शायद) चौथा उमरा इस हज के साथ किया था।

हदीस 1661:- क़तादा ﵁ रिवायत करते हैं, मैंने अनस ﵁ से पूछा तो उन्होंने बताया, रसूलुल्लाह ﷺ ने एक तो वह उमरा किया था जब मुश्रिको ने आपको रोक दिया था और दूसरा (सुलह) हुदैबिया के साथ, तीसरा ज़ी क़अ्दा में और चौथा उमरा आपने हज के साथ किया था।

हदीस 1662:- हम्माम ﵁ रिवायत करते हैं, आपने हज के साथ किए जाने वाले उमरे के अलावा चारों उमरे ज़ी क़अ्दा में किए। एक उमरा हुदैबिया, दूसरा अगले साल, तीसरा जेअराना जब हुनैन की ग़नीमत तक़्सीम की थी और चौथा जो आपने हज के साथ किया था।

हदीस 1663:- अबू इस्हाक़ रिवायत करते हैं, मैंने मसरूक़, अता और मुजाहिद से पूछा तो उन लोगों ने बताया, रसूलुल्लाह ने ज़ी क़ादा में हज से पहले उमरा किया। मैंने बराअ बिन आज़िब को कहते सुना रसूलुल्लाह ने ज़ी क़ादा में हज करने से पहले दो उमरे किए।

बाब 1118:- रमज़ान में उमरा करनाः

हदीस 1664:- अता रिवायत करते हैं, मैंने इब्ने अब्बास को यह बताते सुना कि रसूलुल्लाह ने अन्सार की एक औरत से (जिस का नाम इब्ने अब्बास ने बताया था लेकिन मैं भूल गया) फ़रमायाः "तुम्हें मेरे साथ हज करने से किस चीज़ ने रोका?" बोली मेरे पास एक पानी भरने वाला ऊंट था जिस पर उसका बेटा और फ़ुलां शख़्स (यानी ख़ाविन्द) सवार होकर चले गए सिर्फ़ एक ऊंट छोड़ गए जिस पर हम पानी लाते हैं। आपने फ़रमायाः "जब माहे रमज़ान आए तो उमरा करे क्योंकि रमज़ान में उमरा करना हज के मसावी है।" या कुछ इसी तरह फ़रमाया।

बाब 1119:- मुहस्सब की रात या किसी और वक़्त में उमरा करनाः

हदीस 1665:- सय्यदा आयशा रिवायत करती हैं, हम रसूलुल्लाह के साथ उस वक़्त निकले जब ज़िल हज का महीना शुरू हो गया था। आपने फ़रमायाः कि "जो शख़्स हज का इहराम बांधना चाहे वह हज का इहराम बांध ले और जो उमरे का इहराम बांधना चाहे वह उमरे का इहराम बांध ले।" और फ़रमायाः "अगर मैं क़ुरबानी के जानवर साथ न लाता तो उमरे का इहराम बांधता।" सय्यदा आयशा कहती हैं, हम में से बाज़ ने हज का इहराम बांधा और बाज़ ने उमरे का और मैं उमरे का इहराम बांधने वालों में शामिल थी। फिर अरफ़ा का दिन आ गया और मैं हाइज़ा थी। मैंने रसूलुल्लाह से इसकी शिकायत की, आपने फ़रमायाः "उमरा का इरादा तर्क कर दो, सर खोल कर कंघी कर लो और हज का इहराम बांध लो।" जब मुहस्सब की रात आई तो आपने अब्दुर्रहमान को मेरे साथ किया और तन्ईम भेजा, वहां मैंने इस उमरे के बदले दूसरा उमरा किया।

बाब 1120:- तनईम से उमरा करनाः

हदीस 1666:- अब्दुर्रहमान बिन अबू बक्र रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने फ़रमायाः "आयशा को अपने पीछे सवार करके तन्ईम ले जाओ और उमरा करा लाओ।"

हदीस 1667:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह रिवायत करत हैं, रसूलुल्लाह ने और सहाबा ने हज का इहराम बांधा। रसूलुल्लाह और तल्हा के अलावा किसी के पास क़ुरबानी का जानवर नहीं था। अली यमन से आए थे, उनके पास भी क़ुरबानी का जानवर था, उन्होंने कहा मैंने उसका इहराम बांधा जिसका रसूलुल्लाह ने इहराम बांधा। आपने अपने सहाबा को इजाज़त दी कि "वह उसे उमरा बनालें, तवाफ़े कअबा करें, बाल तरश्वाएं और इहराम खोल दें। हां अल्बत्ता जिसके पास क़ुरबानी का जानवर हो वह इहराम न खोले।" लोग कहने लगे क्या हम मिना में इस तरह जाएं कि हमारे ज़कर से मनी टपक रही हो? रसूलुल्लाह को जब यह बात मालूम हुई तो फ़रमायाः "अगर मुझे इल्म होता जो अब हुआ तो मैं क़ुरबानी का जानवर न लाता, अगर मेरे पास क़ुरबानी का जानवर न होता तो मैं इहराम खोल देता।" (इसी अस्ना में) सय्यदा आयशा हाइज़ा हो गईं। उन्होंने तवाफ़े कअबा के अलावा तमाम अरकाने हज अदा किए, जब पाक हुईं तो उन्होंने तवाफ़ कर लिया, फिर अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! आप सब तो हज और उमरा करके वापस जा रहे हैं और मैं सिर्फ़ हज

करके, चुनान्चे आपने अब्दुर्रहमान बिन अबू बक्र को फ़रमायाः कि "उन्हें मक़ामे तन्ईम की तरफ़ ले जाओ।" अब उन्होंने ज़िल हज में हज के बाद उमरा किया। सुराक़ा बिन मालिक बिन जुअ़शुम उक़बा में आपसे मिला तो अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! क्या यह सिर्फ़ आपके लिए है? फ़रमायाः "नहीं बल्कि हमेशा के लिए।"

बाब 1121:- हज के बाद कुरबानी के बग़ैर उमरा करनाः

हदीस 1668:- सय्यदा आयशा रिवायत करती हैं, हम ज़िल हज का चांद नज़र आते ही रसूलुल्लाह के साथ निकले। रसूलुल्लाह ने फ़रमायाः "जो शख़्स उमरा का इहराम बांधना चाहे वह उमरा का इहराम बांधे और जो शख़्स हज का इहराम बांधना चाहे वह हज का इहराम बांधे।" फ़रमायाः "अगर मैं कुरबानी का जानवर साथ न लाया होता तो उमरा का इहराम बांधता।" बाज़ लोगों ने उमरा का इहराम बांधा और बाज़ ने हज का (आयशा कहती हैं) मैं (मक्का में) दाख़िल होने से पहले हाइज़ा हो गई और इसी हालत में अर्फ़ा का दिन आ गया, तो मैंने रसूलुल्लाह से इसकी शिकायत की। आपने फ़रमायाः "उमरा छोड़ दो और अपना सर खोल कर कंघी करो और हज का इहराम बांध लो।" चुनान्चे मैंने इसी तरह किया। जब मुहस्सब की रात आई तो मेरे साथ अब्दुर्रहमान को तन्ईम की तरफ़ भेजा। अबदुर्रहमान ने मुझे अपने साथ बिठा लिया, उन्होंने अपने उमरे के बदले में दूसरे उमरे का इहराम बांधा, अल्लाह तआला ने उन (आयशा) का हज और उमरा पूरा कर दिया, उस में न तो कुरबानी देना पड़ी, न सदक़ा और न रोज़े रखने पड़े।

बाब 1122:- उमरे में तकलीफ़ के बराबर सवाबः

हदीस 1669:- सय्यदा आयशा रिवायत करती हैं, (मैंने अर्ज़ किया) या रसूलल्लाह! लोग दो नुसुक (हज और उमरा) का सवाब लेकर जा रहे हैं और मैं सिर्फ़ एक नुसुक का, तो फ़रमायाः "इन्तिज़ार करो, जब तुम हैज़ से पाक हो जाओ तो तन्ईम की तरफ़ जाओ और (उमरा का) इहराम बांधो, फिर मुझे फ़ुलां जगह पर मिलो लेकिन इसका सवाब उतना ही मिलेगा जितना तुम ख़र्च करो या जितनी तुम तकलीफ़ उठाओ।"

बाब 1123:- उमरा करने वाला जब तवाफ़ करके चल दे तो क्या तवाफ़े वदाअ़ की तरफ़ से वह काफ़ी हैः

हदीस 1670:- सय्यदा आयशा रिवायत करती हैं, हम हज के महीनों में इहरामे हज बांध कर आदाबे हज मद्दे नज़र रखते हुए चले और (मक़ामे) सरफ़ में उतरे। रसूलुल्लाह ने अपने साथियों से फ़रमायाः "जिसके पास कुरबानी का जानवर न हो और वह (अपने हज को) उमरा बनाना चाहे तो बनाले और जिसके पास कुरबानी का जानवर हो तो वह ऐसा न करे।" रसूलुल्लाह और चन्द बा-हैसियत सहाबा के पास कुरबानी के जानवर थे, उन्होंने उसे (हज को) उमरा न बनाया। रसूलुल्लाह मेरे पास तशरीफ़ लाए तो मैं रो रही थी, फ़रमायाः "क्या हुआ?" अर्ज़ किया जो कुछ आपने अपने साथियों से फ़रमाया है वह मैंने सुन लिया लेकिन मैं तो उमरा करने से माज़ूर हो गई हूं। फ़रमायाः "क्यों?" अर्ज़ किया मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकती। फ़रमायाः "कोई हर्ज नहीं तुम बनाते आदम में से हो, जैसी वह वैसी तुम हज पर मुत्मइन हो, शायद अल्लाह तआला तुम्हें उमरा भी करा दे।" सय्यदा आयशा कहती हैं, मैं इसी तरह रही यहां तक कि हम मिना से चल कर मुहस्सब में उतरे। आपने

अब्दुर्रहमान رضی اللہ عنہ को बुला कर फ़रमाया: "अपनी बहन को हरम की तरफ़ ले जाओ, उमरा का इहराम बांध कर तुम दोनों अपने तवाफ़ से फ़ारिग़ हो, मैं यहां तुम्हारा इन्तिज़ार करूंगा।" हम निस्फ़ शब के लगभग वापस लौटे, फ़रमाया: "तुम दोनों फ़ारिग़ हो गए।" अर्ज़ किया गया हां, आपने सहाबा को चलने का हुक्म दे दिया चुनान्चे लोग चल दिए और वह भी चल दिए जिन्होंने नमाज़े फ़ज्र से पहले तवाफ़े (वदाअ) कर लिया था, फिर मदीना की तरफ़ रवाना हो गए।

बाब 1124:– जो हज के अफ़आल हैं वही उमरा के हैं:

हदीस 1671:– सफ़वान बिन यअ़ला बिन उमय्या رضی اللہ عنہ अपने वालिद से रिवायत करते हैं, एक शख़्स रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, आप जेअ़राना में तशरीफ़ रखते थे। उसने चोग़ा ज़ेबे तन कर रखा था जिस पर ख़ुश्बू या ज़अफ़रान का असर था। उसने सवाल किया आप मुझे उमरा के दौरान किन उमूर का हुक्म देते हैं? अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह ﷺ पर वही नाज़िल फ़रमाई, आप पर कपड़ा ताना गया और मेरी ख़्वाहिश थी कि मैं रसूलुल्लाह ﷺ की नुज़ूले वही की कैफ़ियत मुलाहिज़ा करूं। उमर رضی اللہ عنہ ने मुझे कहा तुम्हें पसंद है कि रसूलुल्लाह ﷺ पर वही उतरती देखो? मैंने कहा हां! उन्होंने कपड़े का एक कोना सरकाया तो मैंने देखा आप ख़र्राटे ले रहे हैं, मेरे ख़्याल में उन्होंने कहा ऊंट की तरह ख़र्राटे ले रहे हैं। जब वही की कैफ़ियत ख़त्म हुई तो आपने फ़रमाया: "उमरा की बात पूछने वाला किधर गया? (उसे चाहिए) अपना चोग़ा उतार दे, ख़ुश्बू ज़ाइल करदे और ज़अफ़रान को धो डाले।

हदीस 1672:– उरवा رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, मैंने ज़ौजए रसूल सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا से सिग्र सिनी में सवाल किया, आप ख़ुदा तआला के इस इरशाद: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا. "बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों से हैं जो बैतुल्लाह का हज या उमरा करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं कि इन दोनों का तवाफ़ करे।" की तफ़सीर बयान फ़रमाइए, मेरे ख़्याल में कोई मुज़ाइक़ा नहीं अगर कोई उनका तवाफ़ न करे। सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا ने फ़रमाया, नहीं हरगिज़ नहीं अगर इसका मफ़हूम यही होता जो तुम बता रहे हो तो फिर इसे यूं होना चाहिए था: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن لَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا. (उस पर कोई गुनाह नहीं जो इनका तवाफ़ न करे) यह आयत अन्सार के लिए उतरी जो मनात (बुत) से इहराम बांधा करते थे और मनात क़ुदैद के सामने नसब था, वह सफ़ा मरवा के दरमियान तवाफ़ को मकरूह तसव्वुर करते थे। जब ज़ुहूरे इस्लाम हुआ तो रसूलुल्लाह ﷺ से इसकी बाबत पूछा गया, तब अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फ़रमाई कि वह सफ़ा मरवा दोनों अल्लाह के निशानात हैं जिस ने हज्जे बैतुल्लाह या उमरा किया तो उन दोनों के तवाफ़ में चन्दां मुज़ाइक़ा नहीं। सुफ़यान और अबू मुआविया ने हिशाम से इस क़दर ज़्यादा रिवायत किया, अल्लाह तआला ने उसका हज और उमरा पूरा नहीं किया जिस ने सफ़ा मरवा के दरमियान तवाफ़ नहीं किया।

बाब 1125:– उमरा करने वाला कब इहराम से बाहर होता है:

अता जाबिर رضی اللہ عنہ से नक़्ल करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने सहाबा को फ़रमाया: "वह अपने हज को उमरा बना दें और तवाफ़ करें, फिर बाल तरशवा कर इहराम खोल दें।"

हदीस 1673:– अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने और

आपके साथ हम ने उमरा अदा किया। जब मक्का पहुंचे तो आपने और हम ने तवाफ़ किया, सफ़ा मरवा पहुंचे, हम भी आपके साथ रहे और हम आपको अहले मक्का से महफ़ूज़ किए हुए थे, मबादा कोई मार दे। मेरे एक साथी ने इब्ने अबी औफ़ा رضی اللہ عنہ से पूछा आप कअबा के अन्दर भी गए थे? कहा नहीं, फिर उसने कहा हमें वह बताइए जो आपने सय्यदा ख़दीजा رضی اللہ عنہا के बारे में फ़रमाया था। बोले आपने फ़रमाया: "ख़दीजा को जन्नत में एक घर की ख़ुश ख़बरी सुना दो जो मोतियों से बना होगा जिस में न शोरो गुल होगा न तकलीफ़।"

हदीस 1674:- अम्र बिन दीनार رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, हमने इब्ने उमर رضی اللہ عنہما से उस शख़्स की बाबत सवाल किया जिस ने उमरा में तवाफ़े कअबा तो किया मगर सफ़ा मरवा की सई न की, क्या वह अपनी बीवी से सोहबत कर सकता है? उन्होंने जवाब दिया रसूलुल्लाह ﷺ मक्का तशरीफ़ ले गए, सात बार तवाफ़े कअबा किया, मक़ामे इब्राहीम के पीछे दो रकअत नमाज़ अदा की और फिर सात बार सफ़ा मरवा का तवाफ़ किया और तुम्हारे लिए ख़ुदा के रसूल (के अमल) में बेहतरीन नमूना है। हम ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضی اللہ عنہما से दरयाफ़्त किया तो कहा अपनी बीवी से नहीं मिल सकता जब तक कि सफ़ा मरवा का तवाफ़ न करले।

हदीस 1675:- अबू मूसा अश्अरी رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, मैं रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में बतहा पहुंचा। आप वहां तशरीफ़ रखते थे, फ़रमाया: "क्या तुम ने हज कर लिया?" मैंने कहा हां, तो फ़रमाया: "तुमने किस चीज़ का इहराम बांधा था?" कहा मैंने ख़ुदा के रसूल की तरह इहराम बांधा था। आपने फ़रमाया: "अच्छा किया, अब ख़ानए कअबा और सफ़ा मरवा का तवाफ़ कर लो और इहराम खोल दो।" चुनान्चे मैंने ख़ानए कअबा और सफ़ा मरवा का तवाफ़ किया, फिर मैं बनी क़ैस की एक ख़ातून के पास आया, उसने मेरे सर की जूएं निकालीं, फिर मैंने हज का इहराम बांधा। मैं लोगों को यही फ़तवा देता रहा यहां तक कि उमर رضی اللہ عنہ का दौरे ख़िलाफ़त शुरू हुआ तो उन्होंने कहा अगर हम किताबुल्लाह पर अमल करें तो वह हमें पूरा करने का हुक्म देती है और अगर सुन्नते नबवी के मुताबिक़ चलें तो आपने उस वक़्त तक इहराम नहीं खोला जब तक कि क़ुरबानी का जानवर अपने मक़ाम पर नहीं पहुंच जाता।

हदीस 1676:- अब्दुल्लाह رضی اللہ عنہ (अस्मा رضی اللہ عنہا बिन्ते अबू बक्र के ग़ुलाम) रिवायत करते हैं, वह अस्मा رضی اللہ عنہا से सुनते थे कि वह जब भी हजून (एक पहाड़) से गुज़रतीं (तो कहतीं) ख़ुदा तआला मुहम्मद ﷺ पर रहमत फ़रमाए, हम आपके साथ यहां उतरे। हम बहुत ही हल्के फुल्के थे, सवारियां कम और साज़ो सामान क़लील था। मैं, मेरी बहन आयशा رضی اللہ عنہا, ज़ुबैर رضی اللہ عنہ और फ़ुलां फ़ुलां ने उमरा किया, जब हम ने कअबा को छुआ तो एहराम खोल दिया, फिर हम ने शाम के वक़्त हज का इहराम बांधा।

बाब 1126:- जब हज, उमरा या जिहाद से वापस लौटे तो क्या कहे:

हदीस 1677:- अब्दुल्लाह बिन उमर رضی اللہ عنہما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जब भी जिहाद, हज या उमरे से वापस लौटते तो हर ऊंचाई पर अल्लाहु अकबर तीन बार कहते, फिर फ़रमाते: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ "नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह, वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाही है और उसी के लिये सब तारीफ़ें हैं और वह हर

चीज़ पर कुदरत रखता है। हम आने वाले, तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, सज्दा करने वाले, अपने रब की हम्द करने वाले हैं। अल्लाह ने अपना वादा सच्चा किया, अपने बन्दे की मदद की और लशकरों को अकेले शिकस्त दी।"

बाब 1127:- आने वाले हाजियों का इस्तिकबाल करना और तीन आदमियों का एक सवारी पर सवार होना:

हदीस 1678:- इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, जब रसूलुल्लाह ﷺ मक्का तशरीफ़ ले गए तो कई बच्चों ने आपका इस्तिकबाल किया, एक को आपने आगे और दूसरे को अपने पीछे बिठा लिया।

बाब 1128:- सुबह के वक़्त घर आना:

हदीस 1679:- इब्ने उमर رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जब मक्का के लिए रवाना होते तो मस्जिदे शजरा में नमाज़ पढ़ते और जब वापस होते तो वादी के नशेब में ज़ुल हुलैफ़ा में नमाज़ पढ़ते, रात वहीं बसर करते फिर सुबह हो जाती।

बाब 1129:- शाम के वक़्त घर आना:

हदीस 1680:- अनस رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ (सफ़र से वापसी पर) रात को घर पर न उतरते (बल्कि) सुबह या शाम को घर दाख़िल होते।

बाब 1130:- जब शहर पहुंचे तो रात को अपने घर में दाख़िल न हो:

हदीस 1681:- जाबिर رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह ﷺ ने रात को (सफ़र से वापसी पर) घर में दाख़िल होने से मना फ़रमाया (कि घर वाले ख़्वाह मख़्वाह परेशान होते हैं)।

बाब 1131:- मदीना के करीब पहुंच कर सवारी को तेज़ भगाना:

हदीस 1682:- अनस رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जब कभी सफ़र से वापस लौटते और मदीना की चढ़ाइयां देखते तो अपनी ऊंटनी को तेज़ दौड़ाने लगते, अगर कोई दूसरी सवारी होती तो उसे एड़ लगाते। अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी) कहते हैं, हारिस बिन उमैर ने हुमैद के हवाले से उस में यह इज़ाफ़ा किया कि आप मदीना से मुहब्बत के बाइस सवारी को दौड़ाते।

हदीस 1683:- अनस رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, उन्होंने "जुदुरात" (दीवारों) का ज़िक्र किया।

बाब 1132:- फ़रमाने इलाही कि "अपने घरों में दरवाज़ों की तरफ़ से आओ":

हदीस 1684:- बराअ बिन आज़िब رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, यह आयत हमारे मुताल्लिक़ नाज़िल हुई। अन्सार जब हज के बाद वापस होते तो अपने घरों में बजाए दरवाज़ों से दाख़िल होने के पिछली तरफ़ से (दीवार फांद कर) आते। एक अन्सारी आया और वह घर के दरवाज़े से दाख़िल हुआ, उसे मलामत की गई तो यह आयत नाज़िल हुई: "यह कोई नेकी का काम नहीं कि घर के पीछे से (दीवारें फलांग कर) आओ बल्कि अस्ल नेकी तो गुनाहों से बचना है और घरों में उनके दरवाज़ों से दाख़िल हुआ करो।"

बाब 1133:- सफ़र अज़ाब का एक टुकड़ा है:

हदीस 1685:- अबू हुरैरह رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "सफ़र अज़ाब का एक टुकड़ा है जो तुम्हें खाने पीने और आराम से रोक देता है बिना बरीं जब काम हो जाए तो घरों को लौटने की कोशिश किया करो।"

बाब 1134:– जब मुसाफ़िर को जल्दी हो और जल्द घर पहुंचना चाहता हो:

हदीस 1686:– ज़ैद बिन असलम अपने वालिद से रिवायत करते हैं, मैं मक्का के रास्ते में अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ के साथ था। उन्हें सफ़िया ﷺ बिन्ते अबी उबैद की अलालत की इत्तिला मिली। उन्होंने अपनी रफ़्तार तेज़ करदी यहां तक कि शफ़क़ डूबने के बाद सवारी से उतरे और मग़रिब और इशा की नमाज़ें एक साथ पढ़ीं। फिर फ़रमाया मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को देखा जब आपको जाने की जल्दी होती तो मग़रिब में ताख़ीर करते और दोनों नमाज़ें (मग़रिब व इशा) मिला कर पढ़ते।

बाब 1135:– मुहरिम का रोका जाना और शिकार का बदल देना:

इरशादे ख़ुदावन्दी है: "अगर तुम रोक दिए जाओ तो जो कुरबानी मयस्सर हो (दो) और अपना सर उस वक़्त तक न मुंडाओ जब तक क़ुरबानी अपने मक़ाम पर न पहुंच जाए।" अता कहते हैं, इहसार हर उस चीज़ से जो रोक दे।

बाब 1136:– जब उमरा करने वाला रोक दिया जाए:

हदीस 1687:– नाफ़ेअ ﷺ रिवायत करते हैं, इब्ने उमर ﷺ फ़ितना व फ़साद के वक़्त उमरा के लिये मक्का की तरफ़ गए तो उन्होंने कहा अगर मैं रोक दिया जाऊं तो मैं वही करूंगा जो हम ने रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह किया था चुनान्चे उन्होंने उमरा का इहराम बांधा क्योंकि रसूलुल्लाह ﷺ ने हुदैबिया के साल उमरा का इहराम बांधा था।

हदीस 1688:– उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह और सालिम बिन अब्दुल्लाह रिवायत करते हैं कि उन दोनों ने इब्ने ज़ुबैर ﷺ पर लश्कर कशी के दौरान अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ से मुलाक़ात की और कहा इस साल हज न करने में कोई मुज़ाइक़ा नहीं अल्बत्ता यह ख़दशा है कि आपके और कअबा के दरमियान रुकावट पैदा करदी जाएगी। उन्होंने कहा हम रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह निकले तो कुफ़्फ़ारे क़ुरैश ने ख़ानए कअबा जाने में मुज़ाहमत की। रसूलुल्लाह ﷺ ने अपना क़ुरबानी का जानवर ज़िब्ह किया और सर मुंडा दिया। अब्दुल्लाह बोले मैं तुम्हें गवाह बना कर अपने ऊपर उमरा वाजिब क़रार देता हूं, अल्लाह ने चाहा तो मैं जाता हूं, अगर मेरे और ख़ानए कअबा के दरमियान रुकावट पैदा न की गई तो मैं तवाफ़ करूंगा। अगर मुज़ाहमत की गई तो मैं वही करूंगा जो रसूलुल्लाह ﷺ ने किया था और मैं आपके हमराह था। चुनान्चे ज़ुल हुलैफ़ा से उमरा का इहराम बांधा, थोड़ी देर चलने के बाद कहा दोनों एक ही तो हैं, तुम्हें गवाह बना कर अपने ऊपर उमरा के साथ हज भी लाज़िम क़रार देता हूं, फिर उन्होंने दोनों का इहराम न खोला यहां तक कि क़ुरबानी का दिन आ गया और क़ुरबानी का जानवर भेज चुके और कहते थे इहराम उस वक़्त तक न खोला जाए जब तक कि जाकर तवाफ़े (ज़ियारत) न कर लिया जाए।

हदीस 1689:– नाफ़ेअ ﷺ रिवायत करते हैं, अब्दुल्लाह ﷺ (इब्ने उमर) के बाज़ साहिबज़ादों ने उनसे कहा काश इस साल आप रुक जाते।

हदीस 1690:– इकरमा ﷺ रिवायत करते हैं, इब्ने अब्बास ﷺ ने बयान किया रसूलुल्लाह ﷺ को मक्का जाने से रोक दिया गया तो आपने अपना सर मुंडाया और बीवियों से सोहबत की और क़ुरबानी की और फिर दूसरे साल उमरा किया।

बाब 1137:- हज से रोक दिया जाना:

हदीस 1691:- सालिम ﷺ रिवायत करते हैं, इब्ने उमर ﷺ कहा करते थे क्या तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह ﷺ का तरीक़ा काफ़ी नहीं, अगर तुम में से किसी को हज से रोक दिया जाए तो कअबा और सफ़ा मरवा का तवाफ़ करे, फिर हर चीज़ की बन्दिश से आज़ाद हो जाए यहां तक कि दूसरे साल का हज करे और क़ुरबानी का जानवर भेजे, अगर जानवर मयस्सर न हो तो रोज़े रखे।

बाब 1138:- रोक दिए जाने की सूरत में पहले क़ुरबानी करे फिर सर मुंडाए:

हदीस 1692:- मिस्वर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने सर मुंडाने से पहले क़ुरबानी की और अपने सहाबा को भी इसका हुक्म दिया।

हदीस 1693:- नाफ़ेअ ﷺ रिवायत करते हैं, अब्दुल्लाह और सालिम ने इब्ने उमर ﷺ से गुफ़्तगू की तो उन्होंने कहा हम रसूलुल्लाह ﷺ के साथ उमरा की ग़र्ज़ से निकले, कुफ़्फ़ार ने ख़ानए कअबा में दाख़िल होने से रोक दिया चुनान्चे रसूलुल्लाह ﷺ ने क़ुरबानी का जानवर ज़िब्ह कर डाला और सर मुंडवा लिया।

बाब 1139:- उस शख़्स की दलील जो कहता है रोक दिए जाने वाले पर क़ज़ा लाज़िम नहीं: रौह, शिब्ल, इब्ने अबी नजीह, मुजाहिद और इब्ने अब्बास ﷺ के तवस्सुत से रिवायत करते हैं, बदल (क़ज़ा) उस पर वाजिब है जिस ने अपना हज सोहबत करके फ़ासिद बना दिया हो लेकिन जो मअ़ज़ूर हो तो वह इहराम खोल दे, उस पर बदल वाजिब नहीं, अगर उसके पास क़ुरबानी का जानवर हो और वह रोक दिया जाए तो उसकी क़ुरबानी करदे जबकि वह भेज न सके, अगर भेज सकता हो तो जब तक क़ुरबानी अपने ठिकाने पर न पहुंच जाए इहराम न खोले। इमाम मालिक कहते हैं, जानवर ज़िब्ह करदे और जहां भी हो सर मुंडवा दे, उस पर क़ज़ा लाज़िम नहीं क्योंकि रसूलुल्लाह ﷺ और आपके सहाबा ने हुदैबिया में क़ुरबानी की, सर मुंडाया और तवाफ़ किया और क़ुरबानी के जानवर ख़ानए कअबा तक पहुंचने से पहले ही इहराम खोल दिया। यह कहीं भी वारिद नहीं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने किसी को क़ज़ा करने का हुक्म दिया और हुदैबिया (हुदूदे) हरम से बाहर है।

हदीस 1694:- नाफ़ेअ ﷺ रिवायत करते हैं, इब्ने उमर ﷺ जब फ़ितना के ज़माने में उमरा की ग़र्ज़ से मक्का की तरफ़ चले तो कहा अगर हमें रोक दिया गया तो हम उस तरह करेंगे जिस तरह रसूलुल्लाह ﷺ ने किया था। चुनान्चे उन्होंने उमरा का इहराम बांधा, फिर अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ ने सोचा यह दोनों (हज और उमरा) एक ही तो चीज़ हैं, अपने दोस्तों को मुतवज्जोह करते हुए कहा इन दोनों में क्या फ़र्क़ है? मैं तुम्हें गवाह बना कर अपने ऊपर उमरा के साथ हज को लाज़िम क़रार देता हूं, फिर दोनों के लिए एक ही तवाफ़ किया और उनके ख़्याल में यह काफ़ी था और क़ुरबानी का जानवर भी साथ ले गए।

बाब 1140:- इरशादे ख़ुदावन्दी है: "तुम में से जो कोई मरीज़ हो या उसके सर में कोई बीमारी हो तो फ़िद्या के तौर पर रोज़े रखे या सदक़ा या फिर क़ुरबानी दे, रोज़े तीन दिन रखने चाहिएं।"

हदीस 1695:- कअब बिन उजरा ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "शायद तुम्हें जुओं की वजह से तकलीफ़ है?" अर्ज़ किया हां ऐ अल्लाह के रसूल! फ़रमाया: "अपना सर मुंडा

लो (फ़िदया के तौर पर) तीन दिन के रोज़े रखो या छः मिस्कीनों को खाना खिलाओ और या फिर एक बकरी की कुरबानी दो।

बाब 1141:– अल्लाह तआला के इरशादः أَوْصَدَقَةٍ से मुराद छः मिस्कीनों को खाना खिलाना है:

हदीस 1696:– कअब बिन उजरा رضي الله عنه रिवायत करते हैं, हुदैबिया में रसूलुल्लाह ﷺ मेरे पास क़याम पज़ीर हुए, मेरे सर से जूएं गिर रही थीं। आपने फ़रमायाः "तुम्हें जुंए तकलीफ़ दे रही हैं?" अर्ज़ किया हां, फ़रमायाः "सर मुंडवालो" فَاحْلِقْ رَأْسَكَ कहा या सिर्फ़ اَحْلِقْ कहा। इब्ने उजरा رضي الله عنه के मुताबिक़ आयत فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ "जो तुम में से बीमार हो या उसके सर में तकलीफ़ हो।" आख़िर तक मेरे हक़ में नाज़िल हुई। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "तीन रोज़े रखो या एक फ़र्क़ (तक़रीबन तीन साअ़) मिस्कीनों में ख़ैरात करो या जो भी मिल जाए कुरबानी कर लो।"

बाब 1142:– फ़िदया के तौर पर निस्फ़ साअ़ खाना खिलाना:

हदीस 1697:– अब्दुल्लाह बिन मअ़क़ल رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मैं कअ़ब बिन उजरा رضي الله عنه के पास बैठा था। उनसे फ़िदया की बाबत दरयाफ़्त किया, कहा यह आयत ख़ुसूसी तौर पर मेरे हक़ में नाज़िल हुई और उमूमी तौर पर इसका हुक्म सब के लिए है। मुझे उठा कर रसूलुल्लाह ﷺ के पास लाया गया और मेरे चेहरे पर जूएं गिर रही थीं। फ़रमायाः "मुझे इल्म न था कि तुम्हारी बीमारी इस नौबत तक आ जाएगी, क्या तुम्हें एक बकरी मयस्सर आ सकती है?" मैंने कहा नहीं। फ़रमायाः "तीन रोज़े रखो या छः मिस्कीनों को खाना खिलाओ, हर मिस्कीन को निस्फ़ साअ़ दो।"

बाब 1143:– (اَلنُّسُكُ) बकरी की कुरबानी देना:

हदीस 1698:– कअब बिन उजरा رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने मुझे इस हाल में देखा कि चेहरे से जुएं गिर रही थीं। फ़रमायाः "जुएं तुम्हें तकलीफ़ देती होंगी?" कअब رضي الله عنه बोले हां, आपने फ़रमायाः "सर मुंडवालो।" उस वक़्त आप हुदैबिया में थे, आपने उन्हें यह नहीं फ़रमाया कि लोग इससे इहराम से बाहर मुतसव्वर होंगे, वह उस वक़्त भी पुर-उम्मीद थे कि मक्का में दाख़िल होंगे। तब अल्लाह तआला ने फ़िदया की आयत नाज़िल फ़रमाई। कअब رضي الله عنه से रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "एक फ़र्क़ (तक़रीबन तीन साअ़) छ मिस्कीनों को खाना खिलाओ या एक बकरी कुरबानी के तौर पर दो या तीन रोज़े रखो।"

बाब 1144:– इरशादे इलाही فَلَا رَفَثَ (जिमाअ़ नहीं करना चाहिए):

हदीस 1699:– अबू हुरैरा رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "जिस ने इस घर (यानी बैतुल्लाह) का हज किया न तो जिमाअ़ किया और न कोई गुनाह की बात की तो हज के बाद यूं होगा जैसा कि (अभी) मां ने जना हो।"

बाब 1145:– इरशादे ख़ुदावन्दी है: "हज में न बुरी बात करे और न झगड़ा करे।"

हदीस 1700:– अबू हुरैरा رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "जिस ने इस घर (यानी बैतुल्लाह) का हज किया बुरी बात से बचा, गुनाह न किया तो हज के बाद यूं होगा कि (गोया) मां ने अभी जना है।"

फ़ायदा:– हदीस 1655 में वारिद हुआ है कि हज्जे मबरूर का बदला जन्नत है। हदीस 1698 और

इस हदीस में बताया है कि जिस ने सहीह तरीके से जह किया और उसके अन्दर कोई नामुनासिब काम न किया तो उसके तमाम गुनाह माफ़ फ़रमा दिये जाते हैं और वह इस तरह हो जाता है जैसे उसकी मां ने उसे आज ही जना हो। वल्लाहु तआला आलम।

बाब 1146:– इरशादे ख़ुदावन्दी है: "इहराम की हालत में शिकार न करो, तुम में से जिस किसी ने जान बूझ कर (कोई जानवर) मारा तो उसी तरह का बदला दे इसका फ़ैसला तुम्हारे दो इन्साफ़ परवर आदमी करें यह कुरबानी की ग़र्ज से कअबा को भेज दिया जाए या फ़ुक़रा को खाना खिलाए या उसके बराबर रोज़े रखे ताकि अपने करतूत का बदला पाए। जो (पहले) हो चुका सो ख़ुदा तआला माफ़ कर चुका और जो इस फ़ेअल को दोहराए ख़ुदा उस से बदला चुकाएगा अल्लाह तआला ज़बरदस्त बदला लेने वाला है दरिया का शिकार और उसका इस्तेमाल तुम्हारे और सय्याहों के लिए हलाल किया गया है और ख़ुश्की का शिकार हालते इहराम में तुम पर हराम किया गया है ख़ुदा से डरो जिस की तरफ़ तुम ले जाए जाओगे।"

बाब 1147:– अगर बग़ैर इहराम वाला कोई शिकार करके इहराम वाले को भेज दे तो वह उसे खा सकता है: इब्ने अब्बास और अनस ﷺ ने शिकार के अलावा जानवर मसलन ऊंट, बकरी, गाय, मुर्ग़ी और घोड़े के ज़िब्ह में कोई हर्ज नहीं समझा। "अदलो ज़ालिका" का मतलब मिस्ल है। अगर "इदल" (ज़ेर के साथ) हो तो इसका माना "हम वज़न" है। "क़ियामन" के मफ़हूम क़वामन और "यअ़दिलून" का उसके बराबर होना है।

हदीस 1701:– अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा ﷺ रिवायत करते हैं, मेरे वालिद हुदैबिया के साल गए, उनके साथियों ने इहराम बांधा और रसूलुल्लाह ﷺ को इत्तिला की गई कि एक दुश्मन आप से लड़ना चाहता है। रसूलुल्लाह ﷺ चल दिए, मैं भी अस्हाबे रसूल के हमराह था। लोग एक दूसरे को देख कर हंसने लगे। मैंने एक गोरख़र देखा, मैंने उसे नेज़ा मार कर ठंडा कर दिया। लोगों को मदद के लिए कहा लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया। हमने उसका गोश्त खाया (मगर) यह ख़दशा लाहिक़ रहा कि कहीं रसूलुल्लाह ﷺ से बिछड़ न जाएं। मैंने रसूलुल्लाह ﷺ की तलाश शुरू कर दी, कभी घोड़े को तेज दौड़ाता और कभी उसे आहिस्ता कर लेता। निस्फ़ शब के लगभग बनी ग़िफ़ार के किसी आदमी से मुलाक़ात हुई, मैंने पूछा तुमने रसूलुल्लाह ﷺ को कहां छोड़ा? कहा तअ़हिन (एक जगह का नाम) में आपका सुक़्या के पास क़ैलोला का इरादा था। (ग़र्ज़ आपसे जा मिला) मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! लोगों को ख़दशा है कि कहीं वह आपसे बिछड़ न जाएं, आप ज़रा इन्तिज़ार फ़रमाइए। फिर अर्ज़ गुज़ार हुआ कि या रसूलल्लाह! मैंने एक गोरख़र शिकार किया और उसका फ़ालतू गोश्त मेरे पास है। आपने लोगों से कहा खालो हालांकि वह इहराम की हालत में थे।

बाब 1148:– जब मुहरिम शिकार देख कर हंसें और ग़ैर मुहरिम समझ जाए:

हदीस 1702:– अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा ﷺ रिवायत करते हैं, उनके वालिद ने बयान किया, हम हुदैबिया के साल रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह निकले। आपके सहाबा ने इहराम बांधा लेकिन मैं ग़ैर मुहरिम था। हमें पता चला कि ग़ैक़ा में दुश्मन हमारी ताक में है, हम उस जानिब मुतवज्जोह हुए, हमारे साथियों ने एक गोरख़र देखा, वह एक दूसरे को देख कर हंसने लगे। मुझे गोरख़र नज़र पड़ा, मैंने नेज़ा मार कर उसे ढेर कर दिया। उन लोगों से मदद चाही, उन्होंने इन्कार किया। हम ने उसका गोश्त खाया,

फिर मैं (जाकर) रसूलुल्लाह ﷺ से मिला, हमें अंदेशा था कि हम रसूलुल्लाह ﷺ से जुदा न हो जाएं, बिना बरीं मैं अपने घोड़े को कभी तेज़ दौड़ाता और कभी आहिस्ता चलाता। निस्फ़ शब के लगभग बनी ग़िफ़ार के एक आदमी से मुलाक़ात हुई, मैंने उससे रसूलुल्लाह ﷺ के बारे में पूछा, तुमने आप को कहां छोड़ा? बताया कि तअ़हिन में, वैसे आपका इरादा सुक़या में क़ैलोला करने का है। चुनान्चे मैं रसूलुल्लाह ﷺ से आ मिला, मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! सहाबा सलाम कहते हैं और वह इससे ख़ाइफ़ हैं कि कहीं उनके और आपके दरमियान कोई दुश्मन हाइल न हो जाए इस लिए आप उनका इन्तिज़ार फ़रमाएं। आप मुन्तज़िर रहे, फिर मैंने कहा या रसूलल्लाह! हमने एक गोरख़र का शिकार किया और हमारे पास उसका फ़ाज़िल गोश्त मौजूद है। आपने सहाबा से फ़रमायाः "इसे खा लो।" हालांकि वह सब इहराम की हालत में थे।

बाब 1149:- मुहरिम शिकार करने में ग़ैर मुहरिम की मदद न करेः

हदीस 1703:- अबू क़तादा رضي الله عنه रिवायत करते हैं, हम रसूलुल्लाह ﷺ के साथ मदीना से तीन मील के फ़ासिले पर मक़ामे "क़ाहा" में थे। (दूसरी रिवायत में) हम रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह "क़ाहा" में थे। हम में कुछ ने इहराम बांध रखा था और कुछ बग़ैर इहराम के थे। मैंने महसूस किया कि मेरे साथी एक दूसरे को कोई चीज़ दिखा रहे हैं। मेरी नज़र एक गोरख़र पर पड़ी (कोड़ा और नेज़ा लेकर उसकी तरफ़ गया) तो कोड़ा गिर गया। लोग बोले हम तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकेंगे क्योंकि हम इहराम बांधे हुए हैं। मैंने खुद उसे उठाया, फिर मैं एक केले के अक़ब से गोरख़र की तरफ़ आया, उसे ज़ख़्मी करके अपने साथियों के पास ले आया। बाज़ ने कहा खाओ और बाज़ ने कहा मत खाओ। मैं रसूलुल्लाह ﷺ के पास गया और आप हम से आगे थे, मैंने आप से पूछा तो आपने फ़रमायाः "हलाल है खा लो।"

बाब 1150:- मुहरिम शिकार की तरफ़ ग़ैर मुहरिम को इशारा न करेः

हदीस 1704:- अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा رضي الله عنه अपने वालिद से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ हज के लिए निकले तो लोग भी आपके हमराह थे। एक जमाअत जिस में अबू क़तादा رضي الله عنه भी थे दूसरे रास्ते से भेजी और फ़रमायाः "तुम दरिया के किनारे किनारे चलो और हम से आकर मिलो चुनान्चे यह लोग दरिया के किनारे चले। जब वह लोग लौटे तो सब ने इहराम बांधा मगर अबू क़तादा رضي الله عنه इहराम के बग़ैर रहे। इसी असना में कई गोरख़र नज़र पड़े, अबू क़तादा رضي الله عنه ने उन पर हम्ला कर दिया, उन में से एक मादा को शिकार कर लिया। लोगों ने उतर कर उसका गोश्त खाया, फिर कहने लगे क्या हम शिकार का गोश्त खाएं जबकि इहराम में हैं। हम ने उसका बाक़ी गोश्त उठा लिया, जब लोग रसूलुल्लाह ﷺ से जा मिले तो अर्ज़ किया, हम ने इहराम बांध लिया और अबू क़तादा رضي الله عنه ने इहराम नहीं बांधा। हमने कई गोरख़र देखे, अबू क़तादा رضي الله عنه ने उन पर हम्ला करके उन में से एक मादा को शिकार कर लिया। हमने उतर कर उसका गोश्त खाया जबकि हम हालते इहराम में थे और लोगों ने उसका फ़ालतू गोश्त उठा लिया। आपने फ़रमायाः "तुम में से किसी ने हम्ले का हुक्म या इशारा किया था?" अर्ज़ किया नहीं, फ़रमायाः "इसका बचा हुआ गोश्त खा लो।"

फ़ायदाः- इस हदीस और इसी मज़मून की गुज़िश्ता अहादीस से मालूम हो रहा है कि जिस ने इहराम बांधा हुआ हो, वह शिकार नहीं कर सकता और न किसी को शिकार करने में मदद दे सकता

है। अगर ग़ैर मुहरिम ने शिकार किया हो तो मोहरिम उस जानवर के गोश्त में से खा सकता है जैसा कि इस हदीस और इससे मुल्हिक़ा गुज़िश्ता अहादीस में वाज़ेह तौर पर वारिद हुआ है। वल्लाहु तआला आलम।

बाब 1151:- अगर मुहरिम को ज़िन्दा गोरख़र भेजा जाए तो वह न ले:

हदीस 1705:- सअब बिन जस्सामा लैसी रज़ि. रिवायत करते हैं, उन्होंने एक ज़िन्दा गोरख़र रसूलुल्लाह ﷺ को बतौरे तोहफ़ा भेजा। उस वक़्त आप अबवा या वद्दान में थे, आपने उसे वापस कर दिया। आपने उसके चेहरे पर मायूसी और रंज के आसार देखे, फ़रमाया: "मैं ऐसा न करता अगर मैं हालते इहराम में न होता।"

बाब 1152:- मुहरिम कौन कौन से जानवरों का शिकार कर सकता है:

हदीस 1706:- अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "पांच जानवर के शिकार के लिए मुहरिम पर कोई गुनाह नहीं।" अब्दुल्लाह बिन दीनार रह. भी अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. के हवाले से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया।

हदीस 1707:- अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. रिवायत करते हैं, मुझ से एक ज़ौजए रसूलुल्लाह ﷺ ने बयान किया कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया कि मुहरिम मारे।

हदीस 1708:- अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. रिवायत करते हैं, सय्यदा हफ़सा रज़ि. फ़रमाती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "पांच जानवर मूज़ी हैं, उन्हें हरम में मारा जा सकता है कव्वा, चील, बिच्छू, चूहा और काटने वाला कुत्ता।"

हदीस 1709:- सय्यदा आयशा रज़ि. रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "पांच जानवर ऐसे मूज़ी हैं जिन्हें हरम में भी मारा जा सकता है, कव्वा, चील, बिच्छू, चूहा, और काटने वाला कुत्ता।"

हदीस 1710:- अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. रिवायत करते हैं, एक दफ़ा हम रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह मिना के एक ग़ार में थे। आप पर सूरए "वलमुरसलात" उतरी, आप उसे पढ़ रहे थे और मैं आप से सुन कर उसे सीख रहा था। अभी सूरह ख़त्म नहीं हुई थी कि एक सांप हम पर लपका, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "इसे मार दो।" हम उसकी जानिब दौड़े (मगर) वह भाग गया। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "वह तुम्हारे शर से बच गया जिस तरह तुम उसके शर से बच गए।" अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी) कहते हैं, इस हदीस से मेरा मक़सद यह है कि मिना हरम की हुदूद में है और सहाबा ने वहां सांप के मारने में कोई मुज़ाइक़ा नहीं समझा।

हदीस 1711:- ज़ौजए रसूल सय्यदा आयशा रज़ि. रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "छिपकली मूज़ी जानवर है लेकिन मैंने आपको उसके मारने का हुक्म देते नहीं सुना।"

बाब 1153:- हरम के दरख़्त न काटे जाएं: इब्ने अब्बास रज़ि. रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "इसका कांटा (तक) न काटा जाए।"

हदीस 1712:- अबू शुरैह अलअदवी रज़ि. रिवायत करते हैं, उन्होंने अम्र बिन सईद से कहा, जब वह मक्का में फ़ौज रवाना कर रहा था। ऐ अमीर! इजाज़त हो तो आप से वह बात करूं जो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़तह मक्का के मौक़ा पर मेरे सामने बयान की थी, इसे मेरे कानों ने सुना और दिल ने

महफ़ूज़ कर लिया। आपने गुफ़्तगू के आग़ाज में अल्लाह तआला की हम्दो सना बयान की, फिर फ़रमाया: "मक्का को अल्लाह ने हराम किया है लेकिन लोगों ने उसे हराम नहीं रहने दिया इस लिए किसी भी शख़्स के लिए जो अल्लाह और यौमे आख़िरत पर यक़ीन रखता है जाइज़ नहीं कि यहां ख़ून बहाए और यहां के दरख़्त काटे। अगर कोई रसूलुल्लाह ﷺ की जंग की वजह से इसकी इजाज़त समझे तो उसे बताओ अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह ﷺ को इसकी इजाज़त दी थी, तुम्हें नहीं दी और इसकी इजाज़त भी दिन के मुख़्तसर से हिस्से के लिए थी, फिर से वही हुरमत क़ायम हो गई जैसे कल थी।" इब्ने शुरैह से दरयाफ़्त किया गया अम्र ने आप से क्या कहा? बोले उसने कहा अबू शुरैह! मैं तुम से ज़्यादा जानता हूं, हरम बाग़ी, मफ़रूर क़ातिल और फ़सादी को पनाह नहीं देता। ख़रबा से मुराद बल्लिया यानी फ़ितना व फ़साद है।

बाब 1154:- हरम का शिकार न भगाया जाए:

हदीस 1713:- इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह तआला ने मक्का को हराम क़रार दिया, न तो हम से पहले और न हमारे बाद किसी के लिए हलाल होगा और मेरे लिए (भी) एक दिन की चंद घड़ियों के लिए हलाल किया गया। न वहां की घास उखाड़ी जाए, न दरख़्त काटा जाए, न शिकार भगाया जाए और न वहां की कोई गिरी पड़ी चीज़ उठाई जाए मगर यह कि उसकी तश्हीर मक़सूद हो।" अब्बास رضی اللہ عنہ गोया हुए या रसूलल्लाह! हमारे सुनारों और क़ब्रों के लिए इज़्ख़िर की इजाज़त दी जाए। फ़रमाया: "सिवाए इज़्ख़िर के" (यानी उसकी इजाज़त है)। ख़ालिद इकरमा के हवाले से बयान करते हैं, उन्होंने कहा शिकार के भगाए जाने का क्या मतलब है? (कहा): "साया से उसको भगाए और जगह ठहरा रहे।"

फ़ायदा:- रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया कि मक्का मुकर्रमा के हरम में घास उखाड़ने, दरख़्त काटने, शिकार भगाने और गिरी पड़ी चीज़ उठाने की इजाज़त नहीं है। फिर हज़रत अब्बास رضی اللہ عنہ की दरख़्वास्त पर आपने इज़्ख़िर घास का इस्तिस्ना फ़रमा दिया कि इज़्ख़िर को उखाड़ कर इस्तेमाल किया जा सकता है। मालूम हुआ कि परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब को इतना बा-इख़्तियार कर दिया था कि तशरीई अहकाम में भी आप को किसी क़दर इख़्तियार दे दिया था। सरवरे कौन व मकां ﷺ के ख़ुदादा इख़्तियारात को इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अलअमन वल उला के अन्दर क़ुरआन व हदीस की रौशनी में बहुत ख़ूब बयान फ़रमाया है। ईमान की हिफ़ाज़त के लिये उस रिसाले का मुताला बहुत सूदमन्द साबित हो सकता है। वल्लाहु तआला आलम।

बाब 1155:- मक्का में जंग हलाल नहीं:

अबू शुरैह رضی اللہ عنہ रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत करते हैं, वहां ख़ून न बहाए।

हदीस 1714:- इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़तह मक्का के दिन फ़रमाया: "हिजरत बाक़ी नहीं रही अल्बत्ता जिहाद और नियत बाक़ी हैं। जब तुम्हें जिहाद की दावत दी जाए तो जिहाद के लिए निकलो। यह शहर है जिस को अल्लाह तआला ने हराम क़रार दिया है, जिस दिन अल्लाह तआला ने ज़मीन व आसमान की तख़्लीक़ फ़रमाई और अल्लाह ताअला की क़ायम करदा हुरमत क़यामत तक जारी रहेगी। इस में जंग मुझ से पहले कभी हलाल नहीं रही, मेरे लिए भी दिन के सिर्फ़ एक (मामूली) हिस्से में हलाल की गई। इसकी हुरमत क़यामत तक बाक़ी रहेंगी, इसका कांटा न

काटा जाए, इसका शिकार न भगाया जाए और किसी गिरी पड़ी चीज़ को न उठाया जाए इल्ला यह कि तश्हीर मक़सूद हो (ताकि मालिक मिल जाए) और न यहां की घास उखाड़ी जाए।" अब्बास رضی اللہ عنہ गोया हुए या रसुलल्लाह! सुनारों और घरों के इस्तेमाल के लिए इज़्ख़िर की इजाज़त दे दीजिए। फ़रमाया: "इज़्ख़िर की इजाज़त है।"

बाब 1156:- मुहरिम का पछने लगवाना:

इब्ने उमर رضی اللہ عنہما ने अपने साहिबज़ादे को इहराम की हालत में दाग़ दिलवाया और (मुहरिम) ऐसी दवा इस्तेमाल कर सकता है जिस में ख़ुश्बू न हो।

हदीस 1715:- इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने हालते इहराम में पछने लगवाए थे।

हदीस 1716:- अबू बुहैना رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने लहयि जमल (एक जगह का नाम) में अपने वस्त सर में पछने लगवाए जबकि आप हालते इहराम में थे।

बाब 1157:- मुहरिम का निकाह करना:

हदीस 1717:- इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने हालते इहराम में सय्यदा मैमूना رضی اللہ عنہا से निकाह किया।

बाब 1158:- जिन ख़ुश्बुओं की मुहरिम मर्द और औरत को मुमानिअत है:

सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا फ़रमाती हैं, मुहरिम औरत वर्स या ज़ाफ़रान में रंगा हुआ कपड़ा न पहने।

हदीस 1718:- अब्दुल्लाह बिन उमर رضی اللہ عنہما रिवायत करते हैं, एक शख़्स ने उठकर अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! इहराम में कौन से कपड़े पहनने की इजाज़त है? रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "क़मीज़, पाजामा, इमामा और टोपी न पहने। जिसके पास जूतियां न हों वह मोज़े पहन सकता है (अल्बत्ता) उन्हें टख़्नों के नीचे से काट डाले और हर वह कपड़ा जिस में ज़ाफ़रान या वर्स लगी हो न पहने और इहराम वाली औरत मुंह पर निक़ाब न डाले और न दस्ताने पहने।"

हदीस 1719:- इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہما रिवायत करते हैं, एक मुहरिम की गर्दन उसकी ऊंटनी ने तोड़ दी, उसे रसूलुल्लाह ﷺ के पास लाया गया तो आपने फ़रमाया: "इसे ग़ुस्ल और कफ़न दो लेकिन इसका सर मत ढांपो और इसे ख़ुश्बू के क़रीब भी न ले जाओ क्योंकि यह लब्बैक कहते हुए (क़यामत के दिन) उठाया जाएगा।"

बाब 1159:- मुहरिम का नहाना:

इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہما कहते हैं, मुहरिम ग़ुस्ल ख़ाना में दाख़िल हो सकता है। इब्ने उमर رضی اللہ عنہما और सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا के नज़दीक मुहरिम के बदन खुजलाने में कोई हर्ज नहीं।

हदीस 1720:- इब्राहीम बिन अब्दुल्लाह बिन हुनैन अपने वालिद से रिवायत करते हैं, अबवा (एक जगह का नाम) में मिस्वर बिन मख़्रिमा رضی اللہ عنہ और इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہما में इख़्तिलाफ़े राए पैदा हो गया (कि मुहरिम सर धो सकता है या नहीं) इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہما का ख़्याल था कि सर धो सकता है और मिस्वर رضی اللہ عنہ कहते थे कि नहीं धो सकता। मुझे इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہما ने अबू अय्यूब अन्सारी رضی اللہ عنہ की ख़िदमत में भेजा। मैंने उन्हें कुंवें की दो लकड़ियों के पास नहाते देखा, उन्होंने पर्दा कर रखा था। मैंने सलाम किया। पूछा कौन? अर्ज़ किया, अब्दुल्लाह बिन हुनैन। अब्दुल्लाह बिन अब्बास رضی اللہ عنہما ने मुझे

आपके हां भेजा है कि (पूछ आऊं) रसूलुल्लाह ﷺ हालते इहराम में अपना सर किस तरह धोते थे? अबू अय्यूब रज़ि० ने अपना हाथ कपड़े पर रख कर उसे नीचा किया हत्ता कि उनका सर खुल गया। पानी डालने वाले शख़्स से कहा पानी डालो, उसने सर पर पानी डाला फिर अपना सर दोनों हाथों से हिलाया, दोनों हाथ आगे और पीछे ले गए और कहा मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को इस तरह करते देखा।

बाब 1160:- मुहरिम के पास जूतियां न हों तो उसका मोज़े पहनना:

हदीस 1721:- इब्ने अब्बास रज़ि० रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को अरफ़ात में ख़ुत्बा देते हुए सुना: "जिस शख़्स के पास जूतियां न हों तो वह मोज़े पहन ले और जिस के पास तहमद न हो वह पाजामा पहन ले।"

हदीस 1722:- अब्दुल्लाह रज़ि० (बिन उमर) रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ से पूछा गया मुहरिम कौन से कपड़े पहने? फ़रमाया: "क़मीस, इमामा, पाइजामा और टोपी न पहने और ज़ाफ़रान या वर्स लगा कपड़ा भी न पहने, अगर उसके पास जूते न हों तो मोज़े पहन ले और उन्हें काट कर नीचा करले।"

बाब 1161:- जिसे तहमद मयस्सर न हो वह पाजामा पहन ले:

हदीस 1723:-इब्ने अब्बास रज़ि० रिवायत करते हैं, हमें रसूलुल्लाह ﷺ ने अरफ़ात में ख़िताब फ़रमाया: "जिस के पास तहमद न हो वह पाजामा और जिसके पास जूते न हों वह मोज़े पहन ले।"

बाब 1162:- मुहरिम का मुसल्लह होना:

इकरमा कहते हैं, जिसे दुश्मन का ख़ौफ़ हो तो वह हथियार बंद रहे और फ़िदया देदे, अल्बत्ता फ़िदया देने के मुताल्लिक़ और किसी ने नहीं कहा।

हदीस 1724:- बराअ रज़ि० (बिन आज़िब) रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने ज़ी क़अ़दा के महीने में उमरा किया तो अहले मक्का ने आपको मक्का में दाख़िल होने से रोक दिया, यहां तक कि आपने उनसे इस शर्त पर सुलह कर ली कि वह मक्का में इस तरह दाख़िल होंगे कि तलवारें नियाम में बन्द होंगी।

बाब 1163:- हरम और मक्का में इहराम के बग़ैर दाख़िल होना:

इब्ने उमर रज़ि० बग़ैर इहराम बांधे दाख़िल हुए, रसूलुल्लाह ﷺ ने हज या उमरा करने वाले को इहराम बांधने का हुक्म दिया, और लकड़हारों के बारे में कुछ नहीं फ़रमाया।

हदीस 1725:- इब्ने अब्बास रज़ि० रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने अहले मदीना के लिए ज़ुल हुलैफ़ा, नज्द वालों के लिए क़र्न मनाज़िल और यमन के लोगों के लिए यलमलम को मीक़ात मुक़र्रर फ़रमाया। यह वहां के बासियों और उनके अलावा दीगर जगहों से हज और उमरा के लिए आने वालों का मीक़ात है। जो शख़्स यहां अन्दर रहने वाला हो तो वहीं से इहराम बांध ले जहां से चले हत्ता कि अहले मक्का मक्का ही से इहराम बांध कर चलें।

हदीस 1726:- अनस रज़ि० बिन मालिक रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ फ़तह मक्का के साल इस तरह दाख़िल हुए कि आपने ख़ुद पहन रखी थी। जब आपने उसे उतारा तो एक शख़्स ने आकर कहा, इब्ने ख़तल कअबा के पर्दे से लटका हुआ है। फ़रमाया: "उसे क़त्ल कर दो।"

बाब 1164:- ला-इल्मी में कोई शख़्स क़मीस के साथ ही इहराम बांध ले:

अता कहते हैं, अगर ला-इल्मी और सह्व के साथ ख़ुश्बू लगा हुआ कपड़ा पहन ले तो उस पर

कोई कफ़्फ़ारा नहीं।

हदीस 1727:- सफ़वान बिन यअ़ला अपने वालिद से रिवायत करते हैं, मैं रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह था। एक शख़्स चोग़ा पहने आपके पास आया जिस पर ज़र्द रंग की ख़ुश्बू या इसी तरह का कोई निशान था। उमर رضي الله عنه मुझ से कहा करते थे क्या तुम्हारी ख़्वाहिश है कि तुम रसूलुल्लाह ﷺ पर नुज़ूले वह़ी की कैफ़ियत देखो? चुनान्चे आप पर वह़ी उतरी, फिर वह कैफ़ियत ख़त्म हो गई तो फ़रमायाः "तुम अपने उमरे में वही करो जो अपने हज में करते हो।" एक शख़्स ने दूसरे का हाथ दांतों से काटा, उसने हाथ खींचा तो दूसरे का दांत उखड़ गया। आपने उसे ज़ाए क़रार दे दिया (यानी कोई मुआवज़ा नहीं दिलाया)।

बाब 1165:- वह मुहरिम जो अरफ़ात में फ़ौत हो जाए, रसूलुल्लाह ﷺ ने उसकी तरफ़ हज के बाक़ी अरकान अदा करने का कोई हुक्म नहीं दिया।

हदीस 1728:- इब्ने अब्बास رضي الله عنه रिवायत करते हैं, एक शख़्स रसूलुल्लाह ﷺ के साथ अरफ़ात में खड़ा था। वह अपनी सवारी से गिरा, सवारी ने उसकी गर्दन कुचल दी। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "इसे पानी और बैरी (के पत्तों) से ग़ुस्ल दो, दो कपड़ों या फ़रमाया इसके दो कपड़ों में इसे कफ़नाओ, न इसे ख़ुश्बू मलो और न सर ढांपो अल्लाह तआला क़यामत के दिन इसे लब्बैक कहते हुए उठाएगा।"

हदीस 1729:- इब्ने अब्बास رضي الله عنه रिवायत करते हैं, एक शख़्स अरफ़ात में रसूलुल्लाह ﷺ के साथ खड़ा था, अचानक वह अपनी सवारी से गिरा और उसकी सवारी ने उसकी गर्दन कुचल डाली। आपने फ़रमायाः "इसे पानी और बैरी (के पत्तों) से नहलाओ, इसे दो कपड़ों में कफ़न दो, न इसे ख़ुश्बू लगाओ और न इसका सर ढांपो और न हनूत लगाओ, अल्लाह तआला क़यामत के दिन इसे लब्बैक कहते हुए उठाएगा।"

बाब 1166:-मुहरिम मर जाए तो उसकी तजहीज़ो तकफ़ीन का मसनून तरीक़ाः

हदीस 1730:- इब्ने अब्बास رضي الله عنه रिवायत करते हैं, एक शख़्स रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह था, ऊंटनी ने उसकी गर्दन तोड़ दी और वह मर गया। वह हालते इहराम में था, आपने फ़रमायाः "इसे पानी और बैरी (के पत्तों) से ग़ुस्ल दो, दो कपड़ों में कफ़नाओ, इसे ख़ुश्बू न लगाओ और न इसका सर ढांपो, न इसे हनूत लगाओ क़यामत के दिन अल्लाह तआला इसे लब्बैक कहता हुआ उठाएगा।"

फ़ायदाः- अगर कोई शख़्स हालते इहराम में वफ़ात पा जाए तो उसका इहराम बाक़ी रहता है या नहीं और उसकी तज्हीज़ व तक्फ़ीन आम अमवात की तरह की जाएगी या दूसरी तरह नीज़ यह हुक्म ख़ास उसी शख़्स के मुताल्लिक़ था या फ़ौत होने वाले हर मुहरिम से ताल्लुक़ रखता है? मज़्कूरा तीनों बातों के अन्दर अइम्मए मुज्तहिदीन का इख़्तिलाफ़ है। इस हदीस की बिना पर इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद बिन हंबल رحمه الله का मौक़िफ़ यह है कि वफ़ात पाने पर भी मुहरिम का इहराम बाक़ी रहता है और उसकी तज्हीज़ व तक्फ़ीन दूसरे फ़ौत होने वालों की तरह नहीं की जाएगी। इमामे आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक और इमाम औज़ाई رحمه الله के नज़्दीक वफ़ात पाने के बाद मुहरिम का इहराम बाक़ी नहीं रहता लिहाज़ा उसकी तज्हीज़ व तक्फ़ीन दीगर आम अमवात की तरह होगी क्योंकि इन बुज़ुर्गों के नज़्दीक इहराम भी दूसरी इबादतों की तरह है। अगर दूसरी किसी भी इबादत के दौरान उसका

करने वाला फ़ौत हो जाता है तो वह इबादत उसकी मौत पर ख़त्म हो जाती है। यह अलग बात है कि अल्लाह तआला अपने फ़ज़्ल व करम से किसी का सवाब आगे भी जारी रखे या उसको वही इबादत करता हुआ उठाए ताकि वह इबादत उसके बन्दाए कामिल होने की शहादत बन जाए लेकिन हक़ीक़त में वह अमल मौत पर ख़त्म हो जाता है। इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद के मोक़िफ़ की बुन्याद इसी हदीस पर है जबकि इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक और इमाम औज़ाई के मोक़िफ़ की बुन्याद बाज़ दूसरी हदीसों और बाज़ सहाबए किराम के अमल और नज़रियात पर है। वल्लाहु तआला आलम।

बाब 1167:- मय्यत की जानिब से हज और (दीगर) मन्नतों का पूरा करना और ख़ाविन्द का अपनी बीवी की तरफ़ से हज करना:

हदीस 1731:- इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, जुहैना की एक औरत रसूलुल्लाह ﷺ के पास आकर बोली, मेरी वालिदा ने हज की मन्नत मानी थी वह हज न कर सकीं और उनका इन्तिक़ाल हो गया, क्या मैं उनकी तरफ़ से हज कर सकती हूं? फ़रमाया: "हां उनकी तरफ़ से हज करो, अगर तुम्हारी वालिदा मक़रूज़ होती तो क्या तुम उसे अदा न करतीं? अल्लाह तआला का हक़ तो ब-तरीक़े औला पूरा करना चाहिए।"

बाब 1168:- उस शख़्स की तरफ़ से हज करना जो सवारी पर बैठ कर हज को न जा सके:

हदीस 1732:- इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, हज्जतुल वदाअ़ के मौक़ा पर बनी ख़सअम की एक औरत आई और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! मेरे बाप पर हज फ़र्ज़ है और वह बहुत ज़ईफ़ुल उम्र है, सवारी पर भी सीधे नहीं बैठ सकते, अगर मैं उनकी तरफ़ से हज करूं तो क्या अदा हो जाएगा? फ़रमाया: "हां।"

बाब 1169:- औरत का मर्द की तरफ़ से हज करना:

हदीस 1733:- इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, फ़ज़ल ﷺ रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह सवार थे, बनी ख़सअम की एक औरत आई। फ़ज़ल उसकी जानिब और वह फ़ज़ल की जानिब देखने लगे। रसूलुल्लाह ﷺ उनका मुंह दूसरी तरफ़ मोड़ने लगे। वह बोली ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे बाप पर हज फ़र्ज़ है लेकिन वह (ज़ुअ़फ़ के बाइस) सवारी पर बैठ भी नहीं सकते। कहा मैं उनकी तरफ़ से हज कर सकती हूं? फ़रमाया: "हां।" यह वाक़िआ हज्जतुल वदाअ़ का है।

बाब 1170:- बच्चों का हज करना:

हदीस 1734:- इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, मुझे रसूलुल्लाह ﷺ ने मुज़दलिफ़ा से सामान के साथ रात के वक़्त भेजा।

हदीस 1735:- इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, मैं क़रीबुल बुलूग़ था, अपनी गधी पर सवार होकर आया। रसूलुल्लाह ﷺ मिना में खड़े नमाज़ अदा कर रहे थे, मैं चलता रहा यहां तक कि सफ़े अव्वल के सामने से गुज़र गया। फिर मैं गधी से उतरा वह चरने लगी। मैं रसूलुल्लाह ﷺ के पीछे लोगों के साथ सफ़ में शरीक हो गया। यूनुस इब्ने शहाब के हवाले से बताते हैं, यह वाक़िआ मिना में हज्जतुल वदाअ़ के मौक़ा पर हुआ।

हदीस 1736:- साइब बिन यज़ीद ﷺ रिवायत करते हैं, मुझे सात साल की उम्र में रसूलुल्लाह ﷺ के साथ हज कराया गया।

हदीस 1737:– जुऐद बिन अब्दुर्रहमान ﷺ रिवायत करते हैं, मैंने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को साइब बिन यज़ीद ﷺ से यह कहते सुना कि उन्हें रसूलुल्लाह ﷺ के सामान (बाल बच्चों) के साथ हज कराया गया।

बाब 1171:– औरतों का हज करना:

मुझे अहमद बिन मुहम्मद ने और उन्होंने इब्राहीम और उन्होंने अपने वालिद और दादा के हवाले से बताया कि उमर ﷺ ने अपने आख़िरी हज में अज़वाजे रसूल को हज करने की इजाज़त दी और उनके हमराह उस्मान बिन अफ़्फ़ान ﷺ और अब्दुर्रहमान (बिन औफ़) ﷺ को भेजा।

हदीस 1738:– सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! क्या हम आपके साथ ग़ज़वात और जिहाद में शरीक न हों? फ़रमाया: "तुम्हारे लिए बेहतरीन जिहाद हज मक़बूल है।" सय्यदा आयशा ﷺ रसूलुल्लाह ﷺ से यह बात सुनने के बाद कहा करती थीं मैं कभी हज का नाग़ा नहीं करूंगी।

हदीस 1739:– इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "औरत सिर्फ़ अपने महरम के साथ सफ़र करे और कोई भी औरत के पास न जाए जब तक कोई महरम मौजूद न हो।" किसी ने अर्ज़ किया। या रसूलल्लाह! मैं फ़ुलां फ़ुलां लश्कर के साथ जाने का इरादा रखता हूं और मेरी बीवी हज को जाना चाहती है? फ़रमाया: "तुम अपनी बीवी के साथ जाओ।"

हदीस 1740:– इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, जब रसूलुल्लाह ﷺ अपने हज से वापस तशरीफ़ लाए तो उम्मे सनान अन्सारिया ﷺ से फ़रमाया: "तुम हज पर क्यों नहीं गईं?" कहा फ़ुलां के बाप यानी (शौहर) की वजह से, उनके पास पानी लादने के दो ऊंट हैं, एक पर वह ख़ुद हज को चले गए दूसरा ज़मीन पर पानी ले जाता है। फ़रमाया: "रमज़ान में उमरा करना, एक हज के या मेरे साथ हज करने के बराबर है।"

हदीस 1741:– क़ज़आ (ज़ियाद ﷺ के ग़ुलाम) रिवायत करते हैं, मैंने अबू सईद (ख़ुदरी) ﷺ से सुना जिन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ के साथ बारह गज़वात में शिर्कत की थी। वह कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से सुना है या कहा चार बातें सुनी हैं और वह मुझे बहुत पसन्द आईं (पहले) यह कि औरत दो दिन का सफ़र न करे कि उसके साथ उसका शौहर या महरम न हो, (दूसरे) यह कि ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा के दिन रोज़ा न रखे (तीसरे) यह कि दो नमाज़ों के बाद नमाज़ न पढ़े, अस्र के बाद जब तक कि सूरज डूब न जाए और फ़ज्र के बाद जब तक कि सूरज निकल न आए, (चौथे) यह कि मस्जिदे हराम, मेरी मस्जिद और मस्जिदे अक़सा के अलावा (ज़ियारत की गर्ज़ से) किसी मस्जिद की तरफ़ सामाने सफ़र न बांधे।"

बाब 1172:– जिसने कअबा की तरफ़ पा–प्यादा जाने की नज़र मानी:

हदीस 1742:– अनस ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने एक बूढ़े को देखा जो अपने दो बेटों का सहारा लेकर चल रहा था। आपने फ़रमाया: "इसे क्या हुआ?" अर्ज़ किया गया इसने पा-प्यादा कअबा जाने की नज़र मानी थी। फ़रमाया: "अल्लाह तआला नफ़्स को तकलीफ़ देने से बे-नियाज़ है।" और उसे सवार होने का हुक्म दिया।

हदीस 1743:– उक़्बा बिन आमिर ﷺ रिवायत करते हैं, मेरी बहन ने पा-प्यादा ख़ानए कअबा

जाने की नज़र मानी और मुझे कहा कि रसूलुल्लाह ﷺ से जाकर मस्अला पूछूं। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "कभी पैदल चले और कभी सवार होले और अबुल ख़ैर, उक़बा رضي الله عنه से जुदा नहीं हुए।"

हदीस 1744:- अबू आसिम, इब्ने जुरैज, यहया बिन अय्यूब, यज़ीद और अबुल ख़ैर उक़बा رضي الله عنه के हवाले से इसी तरह रिवायत करते हैं।

बाब 1173:- मदीना मुनव्वरा हरम है:

हदीस 1745:- अनस رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मदीना यहां से वहां तक हरम है, न इसका दरख़्त काटा जाए, न इसमें कोई बिदअत की जाए जो इसमें किसी बिदअत का इर्तिकाब करे, उस पर अल्लाह, उसके फ़रिश्तों और तमाम लोगों की लअ़नत है।

हदीस 1746:- अनस رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने मदीना में आते ही मस्जिद बनाने का हुक्म दिया। फ़रमाया: "बनी नज्जार मुझ से ज़मीन की क़ीमत ले लो।" उन्होंने अर्ज़ किया इसका मुआवज़ा हम सिर्फ़ अल्लाह से लेंगे। फिर आपने मुश्रिकों की क़ब्रें खोदने का हुक्म दिया, तो वह उखाड़ दी गईं। फिर वीरान जगह के बारे में फ़रमाया उसे हमवार कर दिया गया, दरख़्तों के काटने को कहा वह काट डाले गए और मस्जिद के क़िब्ला की सिम्त में सफ़ के तौर पर रख दिए गए।

हदीस 1747:- अबू हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मदीना के दोनों संगलाख़ मैदानों का दरमियानी हिस्सा मेरी ज़बान से हराम किया गया।" आप बनी हारिसा के पास आए फ़रमाया: "बनी हारिसा मेरे ख़्याल में तुम हरम से बाहर हो गए हो।" फिर आपने इधर उधर देख कर फ़रमाया: "नहीं तुम हरम के अन्दर हो।"

हदीस 1748:- अली رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मेरे पास अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह ﷺ का यह सहीफ़ा है, कि मदीना आइर से लेकर फ़ुलां फ़ुलां मक़ाम तक हरम है। जो शख़्स यहां नई बात निकाले या किसी बिदअती को पनाह दे तो उस पर अल्लाह, फ़रिश्तों और जुम्ला इन्सानों की लअ़नत है। न उससे फ़र्ज़ी इबादत क़ुबूल की जाती है और न नफ़्ली और फ़रमाया मुसलमानों में से किसी एक का ज़िम्मा (काफ़ी) है। जो शख़्स किसी मुसलमान का अहद तोड़े तो उस पर अल्लाह, फ़रिश्तों और जुम्ला इन्सानों की लअ़नत है, न उसके फ़राइज़ क़ुबूल किए जाएंगे, न नवाफ़िल। जो शख़्स अपने आक़ा की इजाज़त के बग़ैर किसी से मवालात का अहद करे तो उस पर अल्लाह, फ़रिश्तों और जुम्ला इन्सानों की लअ़नत है, उसकी न फ़र्ज़ इबादत क़ुबूल की जाएगी न नफ़्ली इबादत।

बाब 1174:- मदीना की फ़ज़ीलत और यह कि मदीना बुरे आदमी को (अपने से) अलग कर देता है:

हदीस 1749:- अबू हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मुझे ऐसे शहर जाने का हुक्म दिया गया है जो दूसरे शहरों को निगल जाएगा। मुनाफ़िक़ उसे यसरिब का नाम देते हैं (जबकि) उसका नाम मदीना है, और बुरे लोगों को इस तरह दूर कर देगा जिस तरह भट्टी में लोहा साफ़ हो जाता है।"

बाब 1175:- मदीना ताबा (तय्यबा) है:

हदीस 1750:- अबू हुमैद رضي الله عنه रिवायत करते हैं, हम रसूलुल्लाह ﷺ के साथ तबूक से वापस आ रहे थे, जब मदीने के नज़्दीक पहुंचे तो आपने फ़रमाया: "यह ताबा है।"

बाब 1176:- मदीना के दोनों संगलाख़ (मैदान):

हदीस 1751:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, अगर मैं मदीना में हिरन चरता हुआ देखूं तो उसे नहीं डराऊंगा, क्योंकि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया है: "इसके दोनों संगलाख़ मैदानों का दरमियानी हिस्सा हरम है।"

बाब 1177:- जो शख़्स मदीना से नफ़रत करे:

हदीस 1752:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तुम मदीने को अच्छी हालत में छोड़ जाओगे, फिर वहां दरिन्दे और चरिन्दे छा जाएंगे और आख़िर में मुज़ैना के दो चरवाहे मदीने आएंगे, ताकि अपनी बकरियां ले जाएं तो वहां सिर्फ़ वहशी जानवर पाएंगे, फिर जब वदाअ़ की पहाड़ियों पर पहुंचेंगे तो मुंह के बल गिर जाएंगे।"

हदीस 1753:- सुफ़यान बिन अबी ज़ुहैर ﷺ रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते सुना: "यमन फ़तह हो जाएगा, एक जमाअत सवारी का जानवर हांकती हुई आएगी और वह लोग अपने अहलो अयाल और अपने पैरोकारों को लाद कर ले जाएंगे, हालांकि अगर उन्हें इल्म होता तो मदीना उनके लिए कहीं बेहतर होता और (फ़रमाया) शाम फ़तह हो जाएगा, एक गिरोह सवारी के जानवर लेकर आएगा, अपने अहलो अयाल और फ़रमां बर्दारों को लाद कर ले जाएगा, हालांकि वह जानते होते तो मदीना उनके लिए कहीं बेहतर होता और (फ़रमाया) इराक़ फ़तह होगा, एक जमाअत सवारी के जानवर लेकर आएगी, अपने अहलो अयाल और पैरोकारों को लाद कर ले जाएगी, हालांकि मदीना उनके लिए बेहतर था, काश वह जानते होते।"

बाब 1178:- ईमान मदीना की तरफ़ लौट आएगा:

हदीस 1754:- अबू हुरैरह ﷺ करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "ईमान मदीना में इस तरह सिमट कर आएगा, जिस तरह सांप अपने बिल में सिमट आता है।"

बाब 1179:- जिसने अहले मदीना को फ़रेब दिया, उस पर गुनाह है:

हदीस 1755:- आयशा बिन्ते सअद ﷺ रिवायत करती हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते सुना: "जो शख़्स अहले मदीना को धोका देगा वह इस तरह घुल जाएगा जिस तरह पानी में नमक घुल जाता है।"

बाब 1180:- मदीना के मुहल्ले:

हदीस 1756:- उसामा ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ मदीना के एक ऊंचे मकान पर चढ़े, फ़रमाया: "क्या तुम वह कुछ देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं? मैं तुम्हारे घरों के दरमियान फ़ितनों की जगह को बारिश के क़तरों के गिरने की जगह की तरह देख रहा हूं।

बाब 1181:- दज्जाल मदीना में दाख़िल न हो सकेगा:

हदीस 1757:- अबू बकरा ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मदीना में दज्जाल का रोअ़ब और ख़ौफ़ दाख़िल न होगा, उस दौर में मदीना के सात दरवाज़े होंगे और हर दरवाज़े पर दो फ़रिश्ते तईनात होंगे।"

हदीस 1758:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मदीने के दरवाज़ों पर फ़रिश्ते तईनात होंगे, उस में न ताऊन फैल सकेगा और न दज्जाल जा सकेगा।"

हदीस 1759:-अनस बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "दज्जाल मदीना और मक्का के अलावा हर शहर को तहस नहस कर देगा। वहां दाख़िल होने के जितने भी रास्ते हैं उन पर फ़रिश्ते सफ़ बस्ता हिफ़ाज़त के लिए मामूर होंगे, फिर मदीना की ज़मीन अपने बासियों पर तीन मर्तबा लर्जेगी (जिस मे) अल्लाह तआला हर काफ़िर और मुनाफ़िक़ को वहां से निकाल देगा।"

फ़ायदा:- मदीना मुनव्वरा दुनिया का वह खुश नसीब शहर है जिस में परवरदिगारे आलम के महबूब, सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह ﷺ आराम फ़रमा हैं। आप ख़ालिक़ और मख़लूक़ सब के महबूब हैं और यह बात ज़ाहिर है कि अहले मुहब्बत को वह जगह सबसे प्यारी महसूस होती है जहां उन का महबूब जल्वा अफ़रोज़ होता है। आरिफ़े रूम, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं:

गुफ़्त मअशूक़े ब-आशिक़ ऐ फ़ता   तू ब-गुरबत दीदए बस शहरहा
पस कुदामी शहर आंहा ख़ुश्तर सत   गुफ़्त आं शहरे कि दर वे व बरस्त

और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस सारी बहस को समेटते हुए कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में कौन सा शहर अफ़ज़ल हैछ आरिफ़े रूमी वाले मज़्कूरा फ़ल्सफ़े को एक ईमान आफ़रोज़ शेअर में यूं बयान किया है।

तय्यबा न सही अफ़ज़ल, मक्का ही बड़ा ज़ाहिद!
हम इश्क़ के बन्दे हैं क्यों बात बढ़ाई है

मदीना तय्यबा के अहादीसे मुतह्हरा में बेशुमार फ़ज़ाइल आए हैं। कुतुबे अहादीस के अलावा सियर व तारीख़ की किताबें भी उन के बयानात से लबरेज़ हैं। मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा दुनिया के वह ईमान अफ़रोज़ और रूह परवर शहर हैं जो बिल-इत्तिफ़ाक़ दुनिया के तमाम शहरों से अफ़ज़ल व आला हैं। मक्का मुकर्रमा को परवरदिगारे आलम ने अपने ख़लील सय्यिदिना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़बाने मुबारक से एलान करवा के हरम बनाया और मदीना तय्यबा को अपने महबूब सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह ﷺ की ज़बानी हरम बनाना। दोनों मक़ामात पर दुनिया के हर मक़ाम से ज़्यादा शिआइरुल्लाह हैं। सबसे बढ़ कर यह कि मक्का मुकर्रमा में बैतुल्लाह है जिस के शर्फ़ व अज़मत का यह आलम है कि फ़रीज़ए हज वहीं अदा किया जाता है और हर मुसलमान को उसी की तरफ़ मुंह करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म है जबकि मदीना मुनव्वरा वह जगह है कि जहां फ़रिश्तों का हज होता है और उस की सूरत यह होती है कि हर वक़्त सत्तर हज़ार फ़रिश्ते रौज़ए रसूल पर सलात व सलाम के फूल निछावर करते रहते हैं। सत्तर हज़ार सुबह को आते हैं और दूसरे सत्तर हज़ार शाम को। यह सिलसिला बारी बारी चलता रहता है और जो फ़रिश्ता एक दफ़ा उस बारगाहे बेकस पनाह की उस हाज़िरी से मुशर्रफ़ हो जाता है, दोबारा क़यामत तक उस की बारी फिर नहीं आ सकेगी। रौज़ए पाक पर नूरियों के इस दायमी हज को इमाम अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने यूं बयान फ़रमाया है:

महबूबग रब्बे अर्श है इस सब्ज़ कुब्बा में   पहलू में जल्वागाह अतीक़ व उमर की है
छाए मलाइका हैं, लगातार है दुरूद   बदले हैं पहरे, बदली में बारिश दुरर की है
सअदैन का किरआन है पहलूए माह में   झुरमट किये हैं तारे, तजल्ली क़मर की है
सत्तर हज़ार सुबह हैं सत्तर हज़ार शाम   यूं बन्दगीए ज़ुल्फ़ व रुख़ आठों पहर की है

जो एक बार आए दोबारा न आएंगे | रुख़्सत ही बारगाह से बस इस क़दर की है
तड़पा करें बदल के फिर आना कहां नसीब | बे-हुक्म कब मजाल परिन्दे को पर की है
मासूमों को है उम्र में बस एक बार, बार | आसी पड़े रहें तो सला उम्र भर की है

हदीस 1760:- अबू सईद ख़ुदरी ﷺ रिवायत करते हैं, हम से रसूलुल्लाह ﷺ ने दज्जाल के मुताल्लिक़ तवील गुफ़्तगू फ़रमाई, उस में बयान फ़रमाया: "दज्जाल मदीना की खारी ज़मीन पर उतरेगा और उस पर मदीना के अन्दर दाख़िल होना हराम कर दिया गया है। एक दिन उसके पास बेहतरीन लोगों में से एक शख़्स आएगा और कहेगा मैं गवाही देता हूं तू वही दज्जाल है जिसके मुताल्लिक़ हमें रसूलुल्लाह ﷺ ने बताया है। वह कहेगा अगर मैं इस शख़्स को क़त्ल करके दोबारा ज़िन्दा करदूं तो (मेरे बरहक़ होने में) कोई शुब्हा होगा? लोग कहेंगे नहीं। चुनान्चे वह उसे क़त्ल करके फिर ज़िन्दा कर देगा, तब वह शख़्स कहेगा बख़ुदा इससे पहले मुझे इस क़द्र इल्म न था तू वही दज्जाल है, फिर दज्जाल उसे दोबारा क़त्ल करने का इरादा करेगा लेकिन वह उस पर क़ादिर न हो सकेगा।"

बाब 1182:- मदीना नापाकी को दूर कर देता है:

हदीस 1761:- जाबिर ﷺ रिवायत करते हैं, एक आराबी रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, आप से इस्लाम पर बैअत की, दूसरे दिन बुख़ार में मुब्तला हो गया। हाज़िरे ख़िदमत होकर कहने लगा, मेरी बैअत फ़स्ख़ कर दीजिए। आपने तीन बार इन्कार किया और फ़रमाया: "मदीना भट्टी की मानिन्द है जो मैल कुचैल को दूर कर देती है और ख़ालिस चीज़ रख लेती है।"

हदीस 1762:- ज़ैद बिन साबित ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जब (जंग की ग़र्ज़ से) उहुद की तरफ़ निकले तो सहाबा के अलावा मुनाफ़िक़ों का एक टोला भी आपके हमराह था जो पलट गया। कुछ लोगों ने कहा हम उन्हें क़त्ल कर देंगे, बाज़ बोले नहीं। चुनान्चे यह आयत: فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ। (तुम्हें क्या हुआ कि मुनाफ़िक़ों के बारे में दो गिरोह हो गए) उतरी। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मदीना बुरे लोगों को दूर कर देता है जिस तरह आग लोहे का मैल दूर कर देती है।"

बाब 1183:- हुज़ूर का मदीना मुनव्वरा के लिए दुआ करना:

हदीस 1763:- अनस ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "ऐ अल्लाह! जो बरकत तूने मक्का में रखी है मदीना में उसे दो चन्द करदे।"

हदीस 1764:- अनस ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जब सफ़र से वापस आते और मदीना की दीवारें नज़र पड़तीं तो अपनी सवारी तेज़ दौड़ाते, अगर किसी और जानवर पर सवार होते तो उसे मदीना (जल्द पहुंचने) की चाहत के सबब एड़ लगाते।

बाब 1184:- रसूलुल्लाह ﷺ को मदीना छोड़ना पसंद न था:

हदीस 1765:- अनस ﷺ रिवायत करते हैं, बनू सलमा ने मस्जिदे नबवी के क़ुर्ब से मुन्तक़िल होना चाहा तो रसूलुल्लाह ﷺ ने मदीना छोड़ने को ना-पसंद किया और फ़रमाया: "बनी सलमा क्या तुम्हें क़दमों के सवाब की ज़रूरत नहीं?" तो वह वहीं रह पड़े।

बाब 1185:- मदीना मुनव्वरा में जन्नत का एक बाग़:

हदीस 1766:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मेरे घर और मेरे मिम्बर की दरमियानी जगह जन्नत के बाग़ों में से एक बाग़ है और मेरा मिम्बर मेरे हौज़ पर है।"

हदीस 1767:- सय्यदा आयशा रिवायत करती हैं, जब रसूलुल्लाह मदीना तशरीफ़ लाए तो अबू बकर और बिलाल बीमार हो गए। जब अबू बकर को बुख़ार का ज़ोर होता तो यह शेअर पढ़ते (तर्जमा) "हर शख़्स अपने घर में सुबह करता है, जबकि मौत उसकी जूतियों के तस्मों से बंधी हुई है।" और जब बिलाल का बुख़ार उतरता तो बुलन्द आवाज़ से यह शेअर पढ़ते (तर्जमा) "काश मैं एक रात वादिए मक्का में रहूं, मेरे इर्द गिर्द इज़्ख़िर और जलील (घास की क़िस्में) उगी हुई हो, काश मैं मजिन्ना का पानी पीता और काश मैं शाम्मा और तफ़ील (दो पहाड़ों के नाम) को देख लेता। ऐ मेरे अल्लाह! शैबा बिन रबीआ, उतबा बिन रबीआ और उमय्या बिन ख़ल्फ़ पर लअनत कर जिन्होंने हमें वतन से निकाल कर बीमारियों की ज़मीन पर धकेल दिया। फिर रसूलुल्लाह ने फ़रमायाः "या अल्लाह हमारे दिलों में मदीना की मुहब्बत पैदा फ़रमा, जिस तरह हमें मक्का से मुहब्बत है या उस से भी ज़्यादा, या अल्लाह हमारे साअ़ और मुद में बरकत डाल और यहां की आबो हवा को हमारे लिए खुश गवार करदे और यहां के बुख़ार को जुहफ़ा की तरफ़ मुन्तक़िल फ़रमा दे।" सय्यदा आयशा कहती हैं, जब हम मदीना में आए तो यह अल्लाह की ज़मीन में सबसे ज़्यादा वबा वाली ज़मीन थी। फ़रमाती हैं, वहां बुतहान नामी एक नाला था जिससे बहुत ही मुतअफ़्फ़न पानी आहिस्ता आहिस्ता बहता रहता था।

हदीस 1768:- ज़ैद बिन असलम अपने वालिद से बहवाला उमर रिवायत करते हैं, उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह! मुझे अपने रास्ते में शहादत नसीब कर और मुझे दयारे नबी ( ) में मौत दे।

रोज़े का बयान

अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है।

बाब 1186:- रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियतः

इरशादे खुदावन्दी है: "ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुम से पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। अजब नहीं कि तुम मुत्तक़ी बन जाओ।

हदीस 1769:- तल्हा बिन उबैदुल्लाह रिवायत करते हैं, एक आराबी जिस के बाल उलझे हुए थे, रसूलुल्लाह की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, अर्ज़ किया अल्लाह ने हम पर कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं? फ़रमायाः "पांच नमाज़ें अगर तू नफ़्ल पढ़े तो वह उसके अलावा है।" फिर अर्ज़ किया अल्लाह ने हम पर कितने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं? फ़रमायाः "माहे रमज़ान के रोज़े, इल्ला यह कि नफ़्ली रोज़े रखे।" फिर अर्ज़ किया हमें आगाह कीजिए, अल्लाह ने हम पर कितनी ज़कात फ़र्ज़ की है? (ग़र्ज़ यह कि) रसूलुल्लाह ने उसे तमाम शराए इस्लाम बता दिए। वह बोला, क़सम है उस ज़ात की जिस ने आपको इज़्ज़त बख़्शी, मैं अल्लाह की फ़र्ज़ कर्दा चीज़ों पर न कोई इज़ाफ़ा और न उसमें कोई कमी करूंगा। रसूलुल्लाह ने फ़रमायाः "यह शख़्स बा-मुराद रहा, अगर अपने कौल में पक्का है।" या यह फ़रमायाः "यह जन्नती है अगर सच्चा है।"

हदीस 1770:- इब्ने उमर रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने आशूरा का रोज़ा रखा और इसका हुक्म दिया। जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो इसे तर्क कर दिया गया और अब्दुल्लाह

(इब्ने उमर) उस दिन रोज़ा न रखते मगर यह कि वह दिन आ पड़ता (जिस दिन रोज़ा रखना आप का मामूल था) तो रोज़ा रख लेते।

हदीस 1771:- सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, कुरैश अहदे जाहिलियत में आशूरा के रोज़े रखा करते थे। रसूलुल्लाह ﷺ ने भी उनका हुक्म दिया, यहां तक कि जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ करार दिए गए तो आपने फ़रमायाः "जो चाहे रोज़ा रखे और जो चाहे न रखे।"

बाब 1187:- रोज़ों की फ़ज़ीलतः

हदीस 1772:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "रोज़ा (गुनाहों के लिए) ढाल है, बिन बरीं न तो फ़ुहश काम किया जाए और न जहालत की बात, अगर कोई शख़्स उस (रोज़ा-दार) से झगड़े या गाली दे तो कह दे मैं रोज़ा से हूं, दोबारा कहदे। क़सम है उस ज़ात की जिस के कब्ज़ए कुदरत में मेरी जान है, रोज़ा-दार के मुंह की बू अल्लाह के नज़्दीक मुश्क की ख़ुश्बू से बेहतर है। वह खाना पीना और मरग़ूबात महज़ मेरे लिए छोड़ता है, रोज़ा ख़ास मेरे (अल्लाह के) लिए है और मैं ही इसका सिला देता हूं, हर नेकी पर दस गुना सवाब मिलता है।"

बाब 1188:- रोज़ा (गुनाहों का) कफ़्फ़ारा हैः

हदीस 1773:- हुज़ैफ़ा ﷺ रिवायत करते हैं, उमर ﷺ ने फ़रमाया फ़ितना के मुताल्लिक़ अहादीसे रसूलुल्लाह ﷺ किसे ज़्यादा याद हैं? हुज़ैफ़ा ﷺ बोले मैंने आपको कहते हुए सुनाः "इनसान की आज़माइश उसके अहलो अयाल, उसका माल और अड़ोस पड़ोस में होती है। नमाज़, रोज़ा और सदक़ा उसके लिए कफ़्फ़ारा है। उमर ﷺ ने फ़रमाया, मैं यह नहीं पूछ रहा, मेरी मुराद तो वह है जो समुद्र की मौजों की तरह लहरें मारे। कहा गया कि उसके आगे एक दरवाज़ा बन्द है। पूछा खोला जाएगा या तोड़ा जाएगा? कहा तोड़ा जाएगा और फिर क़यामत तक बन्द नहीं होगा। हम ने मसरूक़ ﷺ से कहा इनसे पूछो उमर ﷺ को मालूम था कि वह दरवाज़ा कौन है? मसरूक़ ने उनसे पूछा तो वह बोले हां, उन्हें जिस तरह कल दिन के बाद रात आने का यक़ीन है।

फ़ायदाः- हज़रत उमर फ़ारूक़े आज़म ﷺ की बड़ी शान है। आप का वुजूद उम्मते मुहम्मदिया के लिये ख़ुदाए ज़ुल-मनन का बहुत बड़ा इन्आम था। सय्यिदिल मुर्सलीन ﷺ की अदीमुल मिसाल आंखों ने इस जौहरे कामिल को भांप लिया था, इसी लिये इन्हें अपने परवरदिगार से मांग कर लिया था। इनके दौरे ख़िलाफ़त में मुसलमानों को ऐसा वक़ार हासिल हुआ कि उस वक़्त की कुफ़्र की अज़ीम सल्तनतें भी लरज़ा बर-अंदाम थीं। क़ैसर व किसरा इनके नाम से कांपने लगे थे और उस वक़्त की दोनों सुपर पावरों यानी ईरान और रोम की हुकूमतों को तह व बाला करके इन्होंने क़ैसर व किसरा के ताज अपने पैरों से कुचल डाले थे। उनकी ताक़तों के जनाज़े निकाल दिये थे। उनकी अज़मतों को ख़ाक में मिला दिया था। कलिमए हक़ की सरबुलनदी का वह फ़रीज़ा अदा किया जिस पर ग़ुलामाने मुस्तफ़ा को रहती दुनिया तक नाज़ रहेगा। उनके इस मुहय्यरुल उकूल कारनामे का एतेराफ़ किये बग़ैर दुश्मन भी न रह सके। हज़रत फ़ारूक़े आज़म का वुजूद जहां इस्लाम दुश्मन ताक़तों के लिये मौत का पैग़ाम था और वह दुश्मनाने इस्लाम की आंखों में हमेशा खटकते रहेंगे, वहां उम्मते मुहम्मदिया के लिये मुहकिम क़िला, मज़बूत पनाहगाह और ज़बरदस्त ढाल का हुक्म रखता था। जब तक आप इस दुनिया में जल्वा अफ़रोज़ रहे उस वक़्त तक कोई फ़ितना मुसलमानों का कुछ भी न बिगाड़ सके। आप फ़ितनों और उम्मते

मुहम्मदिया के दरमियान सद्दे सिकंदरी थे। जब इन्होंने दुनिया को ख़ैरबाद कहा, तो उम्मते मुहम्मदिया के मज़बूत किले के अन्दर फ़ितने आ घुसे और ऐसी एक भी हस्ती सामने न आ सकी जो मिल्लते इस्लामिया को फ़ितनों से बचा सकती। अगर्चे दूसरे कितने ही हज़रात ने इस मैदान में अज़ीमुश्शान कारनामे अंजाम दिये और मिल्लते इस्लामिया की हिफ़ाज़त का फ़रीज़ा क़ाबिले तारीफ़ अंदाज़ में अदा किया लेकिन इस सिलसिले में हज़रत फ़ारूक़े आज़म के काम की हमा-गीरी अपनी मिसाल खुद आप है। खुदाए ज़ुल-मनन हमें उन की, तमाम सहाबए किराम की और जुम्ला अहले बैते अतहार रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अज्मईन की सच्ची मुहब्बत और पैरवी नसीब फ़रमाए, आमीन।

बाब 1189:- (बाबे) रय्यान ख़ास रोज़ा-दारों के लिए है:

हदीस 1774:- सहल رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसका नाम रय्यान है। क़यामत के दिन उस दरवाज़े से वजुज़ रोज़ा-दारों के और कोई दाख़िल न हो सकेगा। कहा जाएगा रोज़ा-दार कहां हैं? वह लोग खड़े हो जाएंगे उस दरवाज़े से उनके सिवा कोई दाख़िल न होगा, जब वह दाख़िल हो जाएंगे तो उसे बन्द कर दिया जाएगा और उसमें और कोई दाख़िल न हो सकेगा।"

हदीस 1775:- अबू हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते है, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस ने ख़ुदा की राह में जोड़ा ख़र्च किया उसे जन्नत के (मुख़्तलिफ़) दरवाज़ों से पुकारा जाएगा, ऐ बन्दए ख़ुदा! यह दरवाज़ा अच्छा है। जो नमाज़ी होगा वह नमाज़, जो मुजाहिद होगा वह जिहाद और जो सख़ी होगा वह सदक़ा के दरवाज़ा से बुलाया जाएगा। अबू बकर सिद्दीक़ رضي الله عنه ने अर्ज़ किया, मेरे मां बाप आप पर क़ुरबान हों, उन में से जिस दरवाज़े से भी कोई पुकारा जाए उस पर कोई हर्ज नहीं लेकिन कोई ऐसा भी होगा जो उन तमाम दरवाज़ों से पुकारा जाएगा? आपने फ़रमाया: "हां मुझे (क़वी) उम्मीद है तुम उन में से होगे।"

फ़ायदा:- हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ رضي الله عنه बड़ी शान के मालिक हैं। आप अंबियाए किराम अला नबिय्येना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद बिल-इत्तिफ़ाक़ तमाम इन्सानों से अफ़ज़ल हैं। आपकी ख़ूबियों से अहादीस और सियर व तारीख़ की कितावें लबरेज़ हैं। ख़ुद परवरदिगारे आलम ने क़ुरआने करीम में आपकी तारीफ़ें की हैं। रहमते दो आलम ﷺ को जितने आप महबूब थे इतना उम्मते मुहम्मदिया में से कोई दूसरा फ़र्द नहीं था। महबूबे परवरदिगार पर जिस दरजा यह निसार हुए और उसके सुबूत में जिस तरह जानी और माली क़ुरबानियां इन्होंने पेश कीं उनकी कोई दूसरा मिसाल पेश नहीं कर सका। रसूलुल्लाह ﷺ ने जिन लफ़्ज़ों में इनकी क़ुरबानियों का एतेराफ़ और एलान फ़रमाया वह किसी दूसरे को नसीब न हो सका। पूरी उम्मते मुहम्मदिया में से यह शर्फ़ भी सिर्फ़ इन्हें हासिल हुआ कि इनकी चार पुश्तों को शर्फ़े सहाबियत नसीब हुआ यानी: (1) वालिदैन (2) ख़ुद (3) औलाद (4) औलाद दर औलाद। इन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ की रिफ़ाक़त का छोटी सी उम्र से लेकर आख़िरी दम तक और उस वक़्त से अब तक जो हक़ अदा किया वह भी किसी दूसरे को नसीब नहीं हुआ। अकसर अहम मवाक़े पर महबूबे परवरदिगार के साथ सिद्दीक़े अकबर ही नज़र आए। अगर्चे रसूलुल्लाह ﷺ का साया नहीं था, लेकिन अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को आप का साया मान लिया जाए तो शायद बेजा न हो। आप पूरी उम्मते मुहम्मदिया के अलल-इतलाक़ इमाम हैं। यह मुहम्मद मुस्तफ़ा ﷺ के बनाए हुए इमाम हैं। इन

को अपना इमाम मानने से वही शख़्स इन्कार करेगा जो दरहक़ीक़त इस्लाम से अपना रिश्ता तोड़ चुका होगा। ख़ुदाए जुल-मनन हमें इनकी, तमाम सहाबाए किराम व अहले बैते अत्हार की सच्ची मुहब्बत नसीब करे और उन सब बुज़ुर्गों के गुलामों में हमारा हश्र व नश्र फ़रमाए, आमीन।

बाब 1190:- (सिर्फ़) रमज़ान कहा जाए या माहे रमज़ान:

बाज़ दोनों को जाइज़ समझते हैं। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस ने रमज़ान के रोज़े रखे" और फ़रमाया: "रमज़ान से आगे रोज़े न रखो।"

हदीस 1776:- अबू हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं।"

हदीस 1777:- अबू हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब माहे रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए और जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर दिए जाते हैं और शयातीन ज़ंजीरों से बांध दिए जाते हैं।"

हदीस 1778:- इब्ने उमर رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते सुना: "जब तुम रमज़ान का चांद देखो तो रोज़े रखना शुरू कर दो और जब शव्वाल का चांद नज़र आ जाए तो इफ़्तार करो। अगर (मतलअ़) अब्र आलूद हो तो उसका हिसाब लगा लो (यानी 30 मुकम्मल कर लो)।"

बाब 1191:- जिसने ईमान, यक़ीन और सिदक़े नियत के साथ रोज़े रखे:

सय्यदा आयशा رضي الله عنها रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत करती हैं "लोगों का हश्र उनकी नियत के मुताबिक़ होगा।"

हदीस 1779:- अबू हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस शख़्स ने शबे क़द्र में ईमान और यक़ीन के साथ क़याम किया उसके अगले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और जिस ने ईमान और यक़ीन के साथ रमज़ान के रोज़े रखे उसके अगले गुनाह बख़्श दिए जाते हैं।"

बाब 1192:- रसूलुल्लाह ﷺ रमज़ान में ग़ैर मामूली सख़ावत करते थे:

हदीस 1780:- इब्ने अब्बास رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ लोगों की ख़ैर ख़्वाही में बहुत ज़्यादा फ़य्याज़ थे। जिब्रईल عليه السلام रमज़ान की हर रात को आप से मिलते हत्ता कि रमज़ान गुज़र जाता। जिब्रईल عليه السلام आपके सामने क़ुरआने मजीद पढ़ते, जब जिब्रईल आप से मिलते तो आप तेज़ रफ़्तार आंधी से भी ज़्यादा सख़ी हो जाते।

बाब 1193:- जिस ने रोज़े के बावजूद झूट और उस पर अमल तर्क न किया:

हदीस 1781:- अबू हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस ने दरोग़ गोई और झूट पर अमल न छोड़ा तो अल्लाह तआला को उसके खाना पीना छोड़ने की चन्दां ज़रूरत नहीं।"

बाब 1194:- अगर गाली दी जाए तो कह सकता है मैं रोज़े से हूं:

हदीस 1782:- अबू हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "इन्सान के हर अमल का सिला है मगर रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं उसका बदला हूं। रोज़ा ढाल है जब तुम में से कोई रोज़ा-दार हो तो न झगड़ा करे, न फ़ुह्श बके। अगर कोई उसे गाली दे या मारे पीटे तो कह दे मैं रोज़े से हूं और क़सम उस ज़ात की जिस के क़ब्ज़ए क़ुदरत में मुहम्मद (ﷺ) की जान है रोज़ा-दार के मुंह की बू अल्लाह तआला के नज़दीक मुश्क की ख़ुश्बू से बेहतर है। रोज़ा-दार को दो

खुशियां नसीब होती हैं एक इफ़्तार के वक़्त खुश होता है, दूसरे खुदा से मुलाक़ात के वक़्त खुश होगा।"

बाब 1195:- जिन्सी ख़्वाहिश के बढ़ जाने पर रोज़ा रखने का हुक्मः

हदीस 1783:- अलक़मा رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मैं अब्दुल्लाह बिन मसऊद رضي الله عنه के साथ जा रहा था, उन्होंने बतलाया हम रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह थे। आपने फ़रमायाः "जो औरत का महर दे सकता हो तो वह निकाह करे क्योंकि यह निगाह नीची करता है और ज़िना से बचाता है और जो इस पर क़ादिर न हो तो वह रोज़े रखे क्योंकि रोज़ा शहवत कम कर देता है।"

बाब 1196:- इरशादे नबवी हैः "चांद देख कर रोज़ा रखो और चांद देख कर रोज़ा इफ़्तार करो।" सिला अम्मार رضي الله عنه के हवाले से रिवायत करते हैं, जिस ने शक के दिन रोज़ा रखा उसने अबुल क़ासिम (ﷺ) की नाफ़रमानी की।

हदीस 1784:- अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने रमज़ान का ज़िक्र फ़रमाया तो कहाः "जब तक चांद न देखो रोज़ा न रखो और न ही इफ़्तार करो यहां तक कि चांद देख लो अगर मतला अब्र आलूद हो तो हिसाब करलो (यानी तीस दिन पूरे करो)।"

हदीस 1785:- अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "महीना (बसा औक़ात) उन्तीस रातों का होता है इस लिए जब तक चांद न देख लो रोज़ा न रखो और जब तक चांद नज़र न आए रोज़ा इफ़्तार न करो, अगर बादल छाए हुए हों तो तीस दिन पूरे करो।"

हदीस 1786:- इब्ने उमर رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "महीना इतने इतने दिनों का होता है और अंगूठा तीसरी दफ़ा दबा लिया।"

हदीस 1787:- अबू हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया या यह कहा अबुल क़ासिम ﷺ ने फ़रमायाः "चांद देख कर रोज़े रखो और चांद देख कर रोज़े खोलो, अगर तुम पर बादल छाए हों तो तीस दिनों की गिन्ती पूरी करो।"

हदीस 1788:- सय्यदा उम्मे सलमा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने अपनी अज़्वाज से एक माह तक न मिलने की क़सम खाई थी। जब उन्तीस दिन पूरे हो गए तो सुबह या शाम के वक़्त उनके पास तशरीफ़ लाए। तो अर्ज़ किया गया आपने एक माह तक दाख़िल न होने की क़सम खाई थी? फ़रमायाः "महीना उन्तीस दिन का भी होता है।"

हदीस 1789:- अनस رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने अपनी अज़्वाज के पास एक माह तक न जाने की क़सम खाई थी। आपके पांव में मोच आ गई, आप उन्तीस रातें बाला ख़ाने पर रहे, फिर उतरे। लोगों ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! आपने एक माह तक अलाहिदगी की क़सम खाई थी? फ़रमायाः "महीना उन्तीस दिन का भी होता है।"

बाब 1197:- ईद के दोनों महीने कम नहीं होतेः

अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी) कहते हैं, इस्हाक़ ने कहा अगर कम हों तो (भी) सवाब पूरे का मिलता है। मुहम्मद बिन सीरीन कहते हैं, दोनों उन्तीस दिन के नहीं होते।

हदीस 1790:- अबू बकरा رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "ईद के दोनों महीने यानी रमज़ान और ज़िल हिज्जा दोनों कम नहीं होते।"

बाब 1198:- इरशादे नबवी कि हम हिसाब किताब नहीं जानते:

हदीस 1791:- इब्ने उमर رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "हम उम्मी लोग हैं, हमें हिसाब किताब से क्या सरोकार? महीना इतने इतने दिनों यानी उन्तीस और कभी तीस का होता है।"

बाब 1199:- रमज़ान से एक या दो दिन पहले रोज़े न रखे:

हदीस 1792:- अबू हुरैरह رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तुम में से कोई रमज़ान से एक या दो दिन पहले रोज़े रखना शुरू न करदे इल्ला यह कि (किसी का मामूल हो) उस दिन रखता है तो वह रख ले।"

बाब 1200:- इरशादे ख़ुदावन्दी है: "रोज़े की रातों में बीवियों से सोहबत जाइज़ कर दी गई है क्योंकि वह तुम्हारा और तुम उनका लिबास हो। तुम्हारी पोशीदा ख़्यानतें अल्लाह को मालूम हैं उसने तुम्हारी तौबा कुबूल फ़रमा ली और तुमसे दरगुज़र किया। अब तुम्हें उनसे मिलने और ख़ुदा की लिखी चीज़ की तलाश की इजाज़त है।"

हदीस 1793:- बराअ (बिन आज़िब) رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, अस्हाबे मुहम्मद ﷺ में से जो कोई रोज़े से होता और इफ़्तार से पहले सो जाता तो रात को कुछ न खा सकता था और (दूसरे) दिन को, हत्ता कि शाम हो जाती। कैस बिन सिर्मा अन्सारी رضی اللہ عنہ एक बार रोज़े से थे, इफ़्तार के वक़्त अपनी बीवी के पास आकर पूछा कुछ खाने को है? जवाब दिया नहीं, अल्बत्ता मैं जाती हूं कुछ तलाश करके लाती हूं। उस ज़माने में यह मज़दूरी किया करते थे, चुनान्चे नींद ने ग़लबा कर लिया और सो गए। बीवी ने (वापस आकर) देखा तो कहा अफ़सोस! दूसरे दिन दोपहर को (भूक और नक़ाहत के बाइस) बेहोश हो गए। रसूलुल्लाह ﷺ को बताया गया तो यह आयत उतरी: "रोज़ा की रातों को बीवी से शब बाशी हलाल है।" सहाबा इससे बहुत ख़ुश हुए और यह आयत नाज़िल हुई: "खाओ पियो जब तक सफ़ेद धागा स्याह धागा से वाज़ेह न हो जाए।"

बाब 1201:- इरशादे ख़ुदावन्दी है: "तुम खाते पीते रहो जब तक सफ़ेद धागा स्याह धागे से ज़ाहिर न हो जाए। फिर रात तक अपना रोज़ा मुकम्मल करो।" इस सिलसिले में बराअ رضی اللہ عنہ की रिवायत रसूलुल्लाह ﷺ से मन्कूल है।

हदीस 1794:- अदी बिन हातिम رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, जब حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ (यहां तक कि तुम्हारे लिये ज़ाहिर हो जाए सफ़ेद धागा स्याह धागे में से) उतरी तो हम ने स्याह और सफ़ेद धागे तकिए के नीचे रख लिए। मैं (बड़े ग़ौर से) देखता रहा लेकिन उसका रंग ज़ाहिर न हुआ। सुबह सुबह मैंने रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में पहुंच कर माजरा कह सुनाया। आपने फ़रमाया: "इसका मतलब रात की स्याही और सुबह की सफ़ेदी है।"

हदीस 1795:- सअद رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, जब وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ (और खाओ और पियो यहां तक कि तुम्हारे लिये सफ़ेद धागा ज़ाहिर हो जाए स्याह धागे में से।) नाज़िल हुई और مِنَ الْفَجْرِ का लफ़्ज़ नहीं उतरा था तो कुछ लोगों ने अपने पावं में सफ़ेद और स्याह धागा बांध लिया और बराबर खाते पीते रहे जब तक कि उनका रंग न खुला तब مِنَ الْفَجْرِ का लफ़्ज़ नाज़िल हुआ अब लोग जान गए कि इस से मुराद रात और दिन हैं।

बाब 1202:- इरशादे नबवी कि बिलाल रज़ि० की अज़ान तुम्हें सेहरी खाने से न रोके:

हदीस 1796:- सय्यदा आयशा रज़ि० रिवायत करती हैं, बिलाल रज़ि० रात रहे अज़ान दिया करते, तो रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया: "खाते पीते रहो जब तक कि इब्ने उम्मे मकतूम रज़ि० अज़ान न कहें, क्योंकि इब्ने उम्मे मकतूम उस वक़्त तक अज़ान नहीं देते जब तक कि सुबहे सादिक़ नहीं हो जाती।" क़ासिम (इस हदीस के एक रावी) कहते हैं, बस इतना फ़र्क़ था एक (मिम्बर पर) चढ़ते और दूसरे उतरते।

बाब 1203:- सेहरी में ताख़ीर करना:

हदीस 1797:- सहल बिन सअद रज़ि० रिवायत करते हैं, मैं अपने घर पर सेहरी किया करता था, फिर मैं जल्दी करने लगा ताकि रसूलुल्लाह सल्ल० के साथ सुबह की नमाज़ अदा कर सकूं।

बाब 1204:- सेहरी और नमाज़े फ़ज्र में कितना वक़्फ़ा होता था?:

हदीस 1798:- ज़ैद बिन साबित रज़ि० रिवायत करते हैं, हम ने रसूलुल्लाह सल्ल० के साथ सेहरी खाई, फिर आप नमाज़ के लिए खड़े हो गए। अनस रज़ि० कहते हैं, मैंने दरयाफ़्त किया अज़ान और सेहरी में कितना वक़्फ़ा होता था? कहा कि पचास आयात के पढ़ने के बराबर।

बाब 1205:- सेहरी की बरकत लेकिन वाजिब नहीं:

क्योंकि रसूलुल्लाह सल्ल० और आप के सहाबा ने मुसलसल रोज़े रखे और इस में सेहरी का कोई तज़्किरा नहीं।

हदीस 1799:- अब्दुल्लाह रज़ि० (इब्ने उमर) रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने पय दर पय रोज़े रखे और लोगों ने भी (देखा देखी) रोज़े रखे। रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया: "मैं तुम्हारी तरह नहीं, मैं खिलाया पिलाया जाता हूं।"

हदीस 1800:- अनस बिन मालिक रज़ि० रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया: "सेहरी खाओ क्योंकि सेहरी खाने में बरकत है।"

बाब 1206:- दिन चढ़े रोज़े की नियत करना:

उम्मे दरदा रज़ि० कहती हैं, अबुद्दरदा रज़ि० ने पूछा क्या खाने को कुछ है? अगर मैं कहती कि नहीं तो फ़रमाते आज मेरा रोज़ा है। अबू तल्हा, अबू हुरैरह, इब्ने अब्बास और हुज़ैफ़ा रज़ि० ने भी इसी तरह कहा है।

हदीस 1801:- सलमा बिन अकवअ रज़ि० रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्ल० ने आशूरा के दिन एक शख़्स को यह मुनादी करने के लिए भेजा, जिस ने खाना खा लिया वह शाम तक न खाए या रोज़ा रख ले और जिस ने नहीं खाया वह अब न खाए।

बाब 1207:- रोज़ा-दार का सुबह को हालते जनाबत में उठना:

हदीस 1802:- अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान रज़ि० रिवायत करते हैं, मैं और मेरे वालिद सय्यदा आयशा रज़ि० के पास गए। (दूसरी सनद) अब्दुर्रहमान ने मरवान को बताया कि सय्यदा आयशा और सय्यदा उम्मे सलमा रज़ि० बयान करती हैं, (कभी) रसूलुल्लाह सल्ल० की सुबह हालते जनाबत में होती। आप गुस्ल करके रोज़ा रख लेते। मरवान ने अब्दुर्रहमान बिन हारिस से कहा मैं तुम्हें खुदा की कसम देता हूं यह हदीस अबू हुरैरह रज़ि० को ठोंक बजा कर सुना दो। मरवान उन दिनों मदीना का हाकिम था। अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान ने कहा, अब्दुर्रहमान ने इसे पसन्द न किया फिर इत्तिफ़ाक़ से हम लोग ज़िल

हुलैफ़ा गए और अबू हुरैरह ﷺ की वहां ज़मीन थी। तो अब्दुर्रहमान ने अबू हुरैरह ﷺ से कहा मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं अगर मरवान मुझे क़सम न देता तो मैं हरगिज़ न बताता चुनान्चे सय्यदा आयशा और सय्यदा उम्मे सलमा ﷺ का क़ौल नक़्ल किया और कहा मुझे फ़ज़ल बिन अब्बास ﷺ ने इसी तरह सुनाया है और वह बेहतर हैं। हम्माम और अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ ने अबू हुरैरह ﷺ के हवाले से बयान किया कि रसूलुल्लाह ﷺ (इस सूरत में) इफ़्तार का हुक्म देते थे लेकिन पहली हदीस ज़्यादा मोतबर है।

बाब 1208:– रोज़ा–दार का मुबाशरत करना:

सय्यदा आयशा ﷺ फ़रमाती हैं, रोज़ा–दार के लिए औरत की शर्मगाह हराम है।

हदीस 1803:– सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ रोज़ा के दौरान मुबाशरत करते और बोसा लेते और वह तुम में सबसे बढ़ कर ख़्वाहिशात पर क़ाबू रखने वाले थे। इब्ने अब्बास ﷺ के मुताबिक़ "मआरिब" का मतलब "हाजत" है और ताऊस कहते हैं, उलिल इरबति से वह बेवक़ूफ़ मुराद है जिसे औरतों की ख़्वाहिश न हो।

बाब 1209:– रोज़ा–दार का बोसा लेना:

जाबिर बिन ज़ैद कहते हैं, अगर रोज़ा–दार ने (शहवत से) औरत को देखा और इन्ज़ाल हो गया तो अपना रोज़ा पूरा करे।

हदीस 1804:– सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ अपनी बाज़ अज़्वाज का बोसा लेते जबकि रोज़े की हालत में होते फिर (लजा कर) हंस दीं।

हदीस 1805:– ज़ैनब बिन्ते उम्मे सलमा ﷺ अपनी वालिदा से रिवायत करती हैं, उन्होंने बताया मैं रसूलुल्लाह ﷺ के साथ एक चादर में थी, मुझे हैज़ शुरू हो गया। मैं हैज़ के कपड़े उठा कर चुपके से निकल गई। आपने पूछा: "क्या तुम हाइज़ा हो गई हो?" मैंने कहा हां, फिर मैं आपके साथ चादर में चली गई। उम्मे सलमा ﷺ और रसूलुल्लाह ﷺ एक ही बरतन में नहाते और आप रोज़े की हालत में उनका बोसा लेते।

बाब 1210:– रोज़ा–दार का नहाना:

इब्ने उमर ﷺ ने रोज़े की हालत में एक कपड़ा भिगो कर अपने जिस्म पर डाला। शअबी रोज़े के साथ हम्माम में दाख़िल होते। इब्ने अब्बास ﷺ कहते हैं, हांडी या किसी और चीज़ का ज़ाइक़ा चखने में कोई मुज़ाइक़ा नहीं। हसन बसरी के मुताबिक़ रोज़ा–दार को कुल्ली करने और अपना जिस्म ठन्डा करने की इजाज़त है। इब्ने मसऊद ﷺ का कहना है, जब तुम में से कोई कोई रोज़ा–दार हो तो दिन का आग़ाज़ इस तरह करे कि तेल लगाया हुआ हो और कंघी की हुई हो। अनस ﷺ कहते हैं, मेरा एक हौज़ है जिस में मैं रोज़े की हालत में नहाता हूं। रसूलुल्लाह ﷺ रोज़ा के दौरान मिस्वाक किया करते थे। इब्ने उमर ﷺ दिन के शुरू में और शाम के वक़्त मिस्वाक और थूक नहीं निगलते थे। अता कहते हैं, थूक निगलने पर मैं नहीं कहूंगा कि रोज़ा जाता रहा। इब्ने सीरीन कहते हैं, कच्ची मिस्वाक करने में कोई बाक नहीं, उन्हें कहा गया इसका ज़ाइक़ा होता है, जवाब दिया पानी का भी ज़ाइक़ा होता है हालांकि तुम उस से कुल्ली करते हो। अनस ﷺ, इब्राहीम (नख़ई) और हसन (बसरी) के नज़्दीक रोज़ा की हालत में सुरमा लगाना जाइज़ है।

हदीस 1806:- सय्यदा आयशा रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह को एहतेलाम से नहीं बल्कि जिमाअ् की वजह से नहाने की ज़रूरत होती तो आप गुस्ल करते और रोज़ा रख लेते।

हदीस 1807:- अबू बक्र बिन अब्दुर्रहमान रिवायत करते हैं कि मैं और मेरे वालिद सय्यदा आयशा के पास गए, उन्होंने फ़रमाया मैं इस ज़िम्न में रसूलुल्लाह की गवाह हूं कि आप एहतेलाम नहीं जिमाअ् की वजह से हालते जनाबत में सुबह उठते, बादे अज़ां रोज़ा रखते, फिर हम उठ कर उम्मे सलमा के पास गए उन्होंने भी यही बताया।

बाब 1211:- रोज़ा-दार अगर सहवन कुछ खा पी ले:

अता कहते हैं, अगर पानी नाक में डालना चाहता था और वह हलक़ में चला गया तो कोई हर्ज नहीं, अगर उसे लौटाने पर क़ादिर न हो। हसन कहते हैं, अगर उसके हलक़ में मक्खी चली जाए तो उस पर कुछ (क़ज़ा कफ़्फ़ारा वग़ैरा) नहीं। हसन और मुजाहिद कहते हैं, अगर भूल कर जिमाअ् कर बैठे तो (भी) कोई हर्ज नहीं।

हदीस 1808:- अबू हुरैरह रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने फ़रमाया: "जब कोई सहवन कुछ खा पी ले तो अपना रोज़ा पूरा करे, उसे अल्लाह तआला ने खिलाया पिलाया है।"

बाब 1212:- रोज़ा-दार का तर और ख़ुश्क मिस्वाक करना:

आमिर बिन रबीआ से मन्क़ूल है, मैंने रसूलुल्लाह को रोज़े की हालत में इतनी बार मिस्वाक करते देखा है कि शुमार नहीं कर सकता। अबू हुरैरह कहते हैं, रसूलुल्लाह ने फ़रमाया: "अगर मैं अपनी उम्मत के लिए दुश्वार न समझता तो हर नमाज़ के लिए मिस्वाक लाज़िम क़रार दे देता।" और ऐसे ही जाबिर और ज़ैद बिन ख़ालिद ने रसूलुल्लाह से रिवायत की है, उस में रोज़ा-दार और ग़ैर रोज़ा-दार की कोई तख़्सीस नहीं। सय्यदा आयशा रसूलुल्लाह से रिवायत करती हैं, (मिस्वाक) मुंह को साफ़ रखने और अल्लाह तआला को ख़ुश करने का ज़रिया है। अता और क़तादा कहते हैं, रोज़ा-दार अपना थूक निगल सकता है।

हदीस 1809:- इमरान रिवायत करते हैं, मैंने उस्मान को वुज़ू करते देखा। आपने (पहले) अपने हाथों पर तीन बार पानी बहाया, कुल्ली की और नाक में पानी डाला। फिर अपना चेहरा तीन दफ़ा धोया, फिर अपना दायां हाथ कोहनी तक धोया, फिर अपना बायां हाथ तीन बार अपनी कोहनी तक धोया। फिर अपने सर का मसह किया। फिर दाहिने पैर को तीन दफ़ा धोया, फिर बाएं पैर को तीन दफ़ा। फिर कहा मैंने रसूलुल्लाह को इसी तरह वुज़ू करते देखा जिस तरह मैंने किया है। फिर आपने फ़रमाया जो शख़्स मेरे वुज़ू की तरह वुज़ू करे और फिर दो रकअ़त नमाज़ पढ़े और उसके दिल में कोई ख़्याले बद न हो तो उसके साबिक़ा गुनाह बख़्श दिए जाते हैं।

बाब 1213:- इरशादे नबवी है: "वुज़ू के वक़्त अपने नथनों में पानी डाले ख़्वाह रोज़ा-दार हो या ग़ैर रोज़ा-दार:" हसन (बसरी) कहते हैं, अगर हलक़ तक न पहुंचे तो नाक में रोज़ा-दार दवाई डाल सकता है और सुरमा (भी) लगा सकता है। अता कहते हैं, अगर रोज़ा-दार कुल्ली करे और जो कुछ उसके मुंह में है उसे निकाल दे तो कोई हर्ज नहीं, अगर अपना थूक न निगले और उसके मुंह में जो रतूबत रह गई (उसका भी कोई हर्ज नहीं) और मस्तगी न चबाए, अगर उस का थूक निगल जाए तब भी मैं नहीं कहूंगा कि उसका रोज़ा बातिल हो गया, अगर्चे यह मना है। अगर

नाक में पानी डालते हुए हलक़ में चला जाए तो कोई मुज़ाइका नहीं क्योंकि उसे उस पर कुदरत न थी।

बाब 1214:- जो शख़्स अमदन जिमाअ़ कर बैठे:

अबू हुरैरह رضی اللہ عنہ से मरफ़ूअ़न रिवायत है, जिस ने रमज़ान में उज़्र और मर्ज़ के बग़ैर एक भी रोज़ा छोड़ दिया ज़िन्दगी भर के रोज़े उसका बदल नहीं बन सकते। इब्ने मसऊद رضی اللہ عنہ भी यही कहते हैं। सईद बिन मुसय्यब, शअ़बी, इब्ने जुबैर, इब्राहीम, क़तादा और हम्माद رحمہم اللہ कहते हैं, उसके बदले में एक रोज़ा रख ले।

हदीस 1810:- सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا रिवायत करती हैं, एक शख़्स रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया मैं जल गया। फ़रमाया: "क्या हुआ?" अर्ज़ किया मैं रमज़ान में अपनी बीवी के पास चला गया (इसी असना में) रसूलुल्लाह ﷺ के पास खजूरों का एक थैला आया जिसे अर्क़ कहा जाता है, फ़रमाया: "कहां है वह जल जाने वाला।" बोला मैं हूं, फ़रमाया: "इसे ख़ैरात कर दो।"

बाब 1215:- जो कोई रमज़ान में जिमाअ़ कर बैठे और उसके पास कफ़्फ़ारा के लिए कुछ न हो तो वह सदक़े की चीज़ बतौरे कफ़्फ़ारा देदे:

हदीस 1811:- अबू हुरैरह رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, हम रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में बैठे हुए थे। एक शख़्स आया और कहने लगा या रसूलल्लाह! मैं मारा गया। फ़रमाया: "क्या हुआ?" बताया मैं रोज़े के दौरान अपनी बीवी से जिमाअ़ कर बैठा हूं। आपने फ़रमाया: "तुम्हारे पास कोई गुलाम है जिसे तुम आज़ाद कर सको?" अर्ज़ किया नहीं, फ़रमाया: "दो महीने लगातार रोज़े रख सकते हो?" कहा नहीं, फ़रमाया: "साठ मिस्कीनों को खाना खिला सकते हो?" बोला नहीं। आपने कुछ देर तवक़्क़ुफ़ फ़रमाया हम भी ख़ामोश रहे, रसूलुल्लाह ﷺ के पास एक टोकरा खजूरों का लाया गया जिसे अर्क़ कहते हैं। फ़रमाया: "साइल कहां है?" अर्ज़ किया मैं हूं, फ़रमाया: "इसे ले जाओ और बांट दो।" उसने पूछा क्या उसे दूं जो मुझ से ज़्यादा मुहताज हो? ऐ रसूलल्लाह! मदीना के दोनों संगलाख़ मैदानों के दरमियान मेरे अहलो अयाल से बढ़ कर कोई मुहताज नहीं। रसूलुल्लाह ﷺ मुस्कुरा दिए हत्ता कि सामने के दांत दिखाई दिए, फिर फ़रमाया: "जाओ अपने घर वालों को खिला दो।"

फ़ायदा:- इस हदीस से मालूम हो रहा है कि परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब ﷺ को शरई अहकाम से मुताल्लिक़ भी बहुत इख़्तियार दिया हुआ था। अगर कोई मुसलमान जान बूझ कर रमज़ान का रोज़ा तोड़ता है यानी खाए या पिये या जिमाअ करे तो उस पर कफ़्फ़ारा भी लाज़िम है जैसा कि अल्लाह तआला ने कुरआने मजीद में हुक्म दिया है। इस हदीस से साबित है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने उस रोज़ा तोड़ने वाले सहाबी को कफ़्फ़ारा अदा करने की जगह कई मन खजूरें खिला दीं। इसी लिये ख़ातमुल हुफ़्फ़ाज़, इमाम जलालुद्दीन सुयूती رحمۃ اللہ علیہ (मुतवफ़्फ़ी 911 हिजरी, 1505 ई०) जैसे जलीलुल क़द्र मुहद्दिस और नवीं सदी के मुजद्दिद ने अपनी मायए नाज़ और बेहद ईमान अफ़रोज़ तस्नीफ़ ख़साइसे कुबरा में एक बाब इन लफ़्ज़ों में बांधा है: "باب اختصاصہ ﷺ بانّہ یخصّ من شاء بما شاء من الاحکام" इमाम ख़तीब अहमद क़स्तलानी رحمۃ اللہ علیہ (मुतवफ़्फ़ी 923 हिजरी/ 1517 ई०) ने इख़्तियारे मुस्तफ़ा साबित करने वाली एक हदीस की शरह करते हुए इरशादुस्सारी शरह सहीह बुख़ारी में फ़रमाया है: "اذ کان لہ ﷺ ان یخصّ من شاء بما شاء" और यही बुज़ुर्ग सीरत की मायए नाज़ और ईमान अफ़रोज़, ख़ारजियत सोज़ तस्नीफ़ मवाहिब लदुन्या शरीफ़ में फ़रमाते हैं: "من خصائصہ ﷺ انّہ کان یخصّ من شاء"

"بماشاءمن الاحكام" इन्ही इमाम कस्तलानी ने हदीसों की रौशनी में ऐसे पांच वाक़िये बयान किये हैं। इमाम सुयूती ने उन पर पांच का और इज़ाफ़ा करके गिनती दस तक पहुंचा दी। मिल्लते इस्लामिया के मायए नाज़ फ़क़ीह व मुहद्दिस इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ बरेलवी ﷺ (मुतवफ़्फ़ी 1240 हिजरी/ 1921 ई०) ने अपनी ईमान अफ़रोज़ तस्नीफ़ "अल-अमन वल-उला" के अन्दर यह गिनती बाईस तक पहुंचाई और सब को सहीह अहादीस से बयान फ़रमाया है।

बुख़ारी शरीफ़ की इस ज़ेरे बहस हदीस के वाक़िये पर बहस करते हुए सरमायए मिल्लत के उस निगहबान ने अपने क़लमे हक़ व सदाक़त रक़म को मैदाने तहक़ीक़ में यूं इज़्ने ख़िराम दिया है: "सिहाहे सित्ता में हज़रत अबू हुरैरा ﷺ से है कि एक शख़्स ने बारगाहे अक़दस में हाज़िर होकर अर्ज़ की: या रसूलल्लाह! मैं हलाक हो गया। फ़रमाया: क्या हुआ है? अर्ज़ की मैंने रमज़ान में अपनी औरत से नज़्दीकी की है। फ़रमाया: ग़ुलाम आज़ाद कर सकता है? अर्ज़ की, न। फ़रमाया: लगातार दो महीने के रोज़े रख सकता है? अर्ज़ की, न। फ़रमाया: साठ मिस्कीनों को खाना खिला सकता है? अर्ज़ की, न। इतने में ख़ुरमे ख़िदमते अक़दस में लाए गए। हुज़ूर ने फ़रमाया: इन्हें ख़ैरात करदे। अर्ज़ की, क्या अपने से ज़्यादा किसी मुहताज पर? मदीने भर में कोई घर हमारे बराबर मुहताज नहीं।

"فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَقَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ."

रहमते आलम ﷺ यह सुन कर हंसे यहां तक कि दन्दाने मुबारक ज़ाहिर हुए और फ़रमाया: "जा अपने घर वालों को खिलादे।"

मुसलमानो! गुनाह का ऐसा कफ़्फ़ारा किसी ने भी न सुना होगा। सवा दो मन ख़ुरमे सरकार से अता होते हैं कि आप खालो, कफ़्फ़ारा हो गया। वल्लाह यह मुहम्मद रसूलुल्लाह ﷺ की बारगाहे रहमत है कि सज़ा को इनआम से बदल दे। हां हां यह बारगाहे बेकस पनाह "أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ." की ख़िलाफ़ते कुबरा है। उन की एक निगाहे करम कबाइर को हसनात कर देती है। जब तो अरहमुर्राहिमीन जल्ला जलालहु ने गुनाहगारों, ख़ताकारों, तबाहकारों को उन का दरवाज़ा बताया कि "وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ." (अल-आयत) गुनाहगार तुम्हारे दरबार में हाज़िर होकर माफ़ी चाहें और तुम शफ़ाअत फ़रमाओ तो ख़ुदा तआला को तौबा क़ुबूल करने वाला मेहरबान पाएं। وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. यही मज़मून हदीसे मुस्लिम में उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा ﷺ से और हदीस मुस्नद बज़्ज़ार व मोजमे औसत तबरानी में अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ से है। हदीसे दारक़ुतनी में मौला अली कर्रमल्लाहु तआला वजहहु से है। इरशाद फ़रमाया:

"كُلْهُ اَنْتَ وَعِيَالُكَ فَقَدْ كَفَّرَ اللهُ عَنْكَ." तू और तेरे अहल व अयाल यह ख़ुरमे खालें कि अल्लाह तआला ने तेरी तरफ़ से कफ़्फ़ारा अदा फ़रमा दिया।

हिदाया में है, फ़रमाया:

"كُلْ اَنْتَ وَعِيَالُكَ تُجْزِئُكَ وَلَا تُجْزِئُ اَحَدًا بَعْدَكَ." तू और तेरे बच्चे खालें, तुझे कफ़्फ़ारे से किफ़ायत करेगा और तेरे सिवा और किसी को काफ़ी न होगा।

सुनने अबू दाऊद में इमाम इब्ने शहाब ज़ुहरी ताबई से है:

"اِنَّمَا كَانَ هٰذِهٖ رُخْصَةً لَّهٗ خَاصَّةً وَّلَوْ اَنَّ رَجُلًا فَعَلَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ بُدٌّ مِّنَ التَّكْفِيْرِ."

यह ख़ास उसी शख़्स के लिये रुख़्सत (इजाज़त) थी। और अगर आज कोई शख़्स ऐसा करे तो उसे

कफ़्फ़ारा से चारा नहीं।

इमाम जलालुद्दीन सुयूती वग़ैर उलमा ने भी इसे ख़साइसे मग़फ़िरत से गिना: "[illegible]"

(अल-आमाल मल-अली, स: 104, 105)

बाब 1216:– क्या रमज़ान में जिमाअ़ करके रोज़ा तोड़ने वाला अपने अहलो अयाल को कफ़्फ़ारा की चीज़ खिला सकता है जबकि वह हाजत मन्द हो:

हदीस 1812:– अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, एक शख़्स रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया. इस सोख़्ता बख़्त ने रमज़ान में अपनी बीवी से जिमाअ़ कर लिया है। आपने फ़रमाया: "तुम्हारे पास कोई गुलाम है जिसे तुम आज़ाद कर दो?" कहा नहीं, फ़रमाया: "क्या साठ दिन के मुसलसल रोज़े रख सकते हो?" बोला नहीं, फ़रमाया: "साठ मसाकीन को खाना खिलाने की हिम्मत है?" अर्ज़ किया नहीं। (इसी दौरान) रसूलुल्लाह ﷺ के पास खजूरों का एक टोकरा लाया गया। फ़रमाया: "इसे अपनी तरफ़ से (कफ़्फ़ारा के तौर पर) खिला दे। उसने अर्ज़ किया मदीने के संगलाख़ मैदानों के दरमियान मुझ से ज़्यादा मुहताज घराना नहीं। आपने फ़रमाया: "(चलो) अपने अहलो अयाल ही को खिला दो।"

बाब 1217:– रोज़ा-दार का पछने लगवाना और क़य करना:

अबू हुरैरह ﷺ कहते हैं, क़य आने से रोज़ा नहीं टूटता क्योंकि बाहर निकलती है अन्दर तो नहीं जाती। अबू हुरैरह ﷺ (ही) से यह भी मरवी है कि रोज़ा टूट जाता है लेकिन पहली रिवायत सही है। इब्ने अब्बास ﷺ और इकरमा ﷺ कहते हैं, रोज़ा किसी चीज़ के अन्दर जाने से टूटता है बाहर आने से नहीं। इब्ने उमर ﷺ रोज़े की हालत में पछने लगवाते, फिर उसे तर्क कर दिया और रात को लगवाया करते। अबू मूसा अश्अ़री ﷺ ने रात को पछने लगवाए। सअ़द ﷺ, ज़ैद बिन अरक़म ﷺ और उम्मे सलमा ﷺ से मरवी है, उन्हों ने रोज़े की हालत में पछने लगवाए। उम्मे अलक़मा कहती हैं, हम सय्यदा आयशा ﷺ के रूबरू पछने लगवातीं लेकिन आप हमें नहीं रोकती थीं। हसन बसरी ने मुताद्दिद वास्तों से मरफ़ूअ़न रिवायत की, पछने लगाने और लगवाने वाले दोनों का रोज़ा फ़ासिद हो जाता है और मुझ से अय्याश ने अब्दुल आला, यूनुस और हसन के हवाले से इसी तरह की रिवायत बयान की। हसन से पूछा गया क्या यह रसूलुल्लाह ﷺ से मरवी है? कहा हां, फिर बोले अल्लाहु आलम (अल्लाह तआ़ला बेहतर जानता है)।

हदीस 1813:– इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने इहराम और रोज़ा दोनों हालतों में पछने लगवाए।

हदीस 1814:– इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने रोज़े के दौरान पछने लगवाए।

हदीस 1815:– साबित बुनानी ﷺ रिवायत करते हैं, अनस बिन मालिक ﷺ से दरयाफ़्त किया गया आप लोग रोज़ा-दार के लिये पछने लगवाना मकरूह ख़्याल करते थे। जवाब दिया (हां अल्बत्ता) कमज़ोरी लाहिक़ होने के ख़दशा से (इसे मकरूह समझते थे)।

बाब 1218:– सफ़र में रोज़ा रखना या इफ़्तार करना (यानी न रखना):

हदीस 1816:– इब्ने अबी औफ़ा ﷺ रिवायत करते हैं, हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह ﷺ के

हमराह थे। किसी से आपने फ़रमायाः "उतरो और मेरे लिए सत्तू बनाओ।" उसने कहा अभी दिन बाक़ी है। फिर फ़रमायाः "सत्तू घोलो।" बोला अभी सूरज बाक़ी है। फिर फ़रमायाः "उतरो और सत्तू बनाओ।" उसने उतर कर सत्तू बनाए, आपने नोश फ़रमा लिए। फिर आपने दाएं हाथ से उस तरफ़ इशारा किया और फ़रमायाः "जब तुम रात की तारीकी देखो कि यहां से शुरू हुई तो समझो इफ़्तार का वक़्त हो चुका।"

हदीस 1817:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, हमज़ा बिन अम्र असलमी رضي الله عنه ने कहा या रसूलल्लाह! मैं मुतावातिर रोज़े से रहता हूं। (दूसरी सनद) हमज़ा बिन अम्र अल असलमी رضي الله عنه ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! मैं सफ़र में रोज़े रखता हूं और वह बकसरत रोज़े रखते थे। आप ﷺ ने फ़रमायाः "तुम्हारी मर्ज़ी है रोज़ा रख लो या न रखो।"

बाब 1219:- रमज़ान के कुछ रोज़े रखने के बाद आज़िमे सफ़र होनाः

हदीस 1818:- इब्ने अब्बास رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ रमज़ान में आज़िमे मक्का हुए। आपने रोज़ा रखा जब कदीद (एक मक़ाम) पहुंचे तो इफ़्तार कर लिया और लोगों ने भी इफ़्तार कर लिया। अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी) के मुताबिक़ कदीद उसफ़ान और कुदैद के दरमियान एक चश्मा है।

हदीस 1819:- अबू दरदा رضي الله عنه रिवायत करते हैं, हम एक दिन सख़्त गर्मी में रसूलुल्लाह ﷺ के साथ सफ़र कर रहे थे। गर्मी की शिद्दत से लोग अपने सर पर हाथ रख लेते थे और हम में से रसूलुल्लाह ﷺ और इब्ने रवाहा رضي الله عنه के अलावा किसी का रोज़ा न था।

बाब 1220:- रसूलुल्लाह ﷺ का उस शख़्स से फ़रमाना जिस पर गर्मी की वजह से साया किया गया था कि सफ़र में रोज़ा रखना चन्दां अच्छा नहीं:

हदीस 1820:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने असनाए सफ़र में एक हुजूम देखा और एक शख़्स नज़र पड़ा जिस पर साया किया गया था। फ़रमायाः "क्या हुआ?" लोगों ने कहा रोज़ा-दार है। फ़रमायाः "सफ़र में रोज़ा रखना कोई अच्छी बात नहीं।"

बाब 1221:- अस्हाबे रसूल (सफ़र में) एक दूसरे के रोज़ा रखने या न रखने पर एक दूसरे को मलामत नहीं करते थे:

हदीस 1821:- अनस बिन मालिक رضي الله عنه रिवायत करते हैं, हम रसूलुल्लाह ﷺ के साथ सफ़र करते तो रोज़ा-दार रोज़ा न रखने वालों और रोज़ा न रखने वाले रोज़ा-दारों को मलामत नहीं करते थे।

बाब 1222:- जो शख़्स सफ़र में रोज़ा इफ़्तार करना चाहे वह लोगों को दिखा कर करे:

हदीस 1822:- इब्ने अब्बास رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ मदीना से मक्का की तरफ़ रवाना हुए। आप रोज़ा रखते रहे, जब उसफ़ान पहुंचे तो पानी मंगाया और दोनों हाथ उठा दिए ताकि लोग देख लें, फिर आपने इफ़्तार किया (और आइन्दा रोज़े न रखे) यहां तक कि मक्का पहुंच गए और यह रमज़ान की बात है। इब्ने अब्बास رضي الله عنهما कहते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने रोज़ा रखा भी और इफ़्तार भी किया, जिस का जी चाहता रोज़ा रख लेता और जो न चाहता इफ़्तार कर लेता।

बाब 1223:- وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ की वज़ाहतः

इब्ने उमर رضي الله عنهما और सलमा बिन अकवअ رضي الله عنه कहते, यह आयत इस आयत से मन्सूख़ हुई है।

(तर्जमा) "रमज़ान का महीना वह है जिस में कुरआने मजीद अतारा गया जो लोगों के लिए ज़ाब्ताए हिदायत और हिदायत की रौशन दलीलें और हक़ व बातिल में तमीज़ करने वाला है। तुम में से जो शख़्स यह महीना पाए तो रोज़ा रखे और जो बीमार या मुसाफ़िर हो तो दूसरे दिनों में गिन कर रख ले। अल्लाह तआला तुम्हारे लिए आसानी चाहता है तंगी नहीं और गिन्ती पूरी करो ताकि अल्लाह तआला की किब्रियाई बयान करो इस लिए कि उसने तुम्हें सीधी राह दिखाई और अजब नहीं कि तुम शुक्र गुज़ार बन जाओ।" इब्ने नुमैर ने आमश, अम्र बिन मुर्रह और इब्ने अबी लैला के वास्तों से कहा, अस्हाबे रसूल कहा करते थे, जब रमज़ान का हुक्म आया तो उन्हें नागवार गुज़रा चुनान्चे जो हर रोज़ मिस्कीन को खाना खिला सकते थे और रोज़ा भी रख सकते थे उन्होंने रोज़ा छोड़ दिया और उन्हें इसी अम्र की इजाज़त भी थी। फिर आयत وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ("अगर रोज़ा रखो तो तुम्हारे हक़ में बेहतर है) ने इसे मन्सूख़ कर दिया और लोगों को रोज़ा रखने का उमूमी हुक्म दे दिया गया।

हदीस 1823:- नाफ़ेअ़ رضي الله عنه इब्ने उमर رضي الله عنهما से रिवायत करते हैं, उन्होंने आयत فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ "मिस्कीन के खाने का फ़िदया" पढ़ी और फ़रमाया यह मन्सूख़ हो गई है।

बाब 1224:- रमज़ान के कज़ा रोज़े कब रखे जाएं?:

इब्ने अब्बास رضي الله عنهما की राए में अलग अलग रोज़े रखने में कोई क़बाहत नहीं क्योंकि अल्लाह तआला फ़रमाता है: "दूसरे दिनों में गिन्ती पूरी कर लो।" सईद बिन मुसय्यब رضي الله عنه कहते हैं. ज़िल हिज्जा के दस रोज़े उस वक़्त तक अच्छे नहीं जब तक रमज़ान के क़ज़ा रोज़े न रख ले। इब्राहीम (नख़ई) कहते हैं, अगर ग़फ़लत के सबब दूसरा रमज़ान (भी) आ गया तो दोनों के रोज़े और उन पर फ़िदया को वाजिब नहीं समझा। अबू हुरैरह رضي الله عنه से मुरसलन और इब्ने अब्बास رضي الله عنهما से मन्क़ूल है,. वह खाना खिलाए, हालांकि अल्लाह तआला ने यह शर्त नहीं रखी बल्कि सिर्फ़ इतना फ़रमाया: "दूसरे दिनों में गिन्ती पूरी करलो।"

हदीस 1824:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, मुझ पर रमज़ान की क़ज़ा बाक़ी थी। मैं रोज़े न रख सकी यहां तक कि शअ़बान आ जाता। यहया के मुताबिक़ (उन्हें) रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत व तवाजुअ़ के बाइस क़ज़ा का मौक़ा न मिलता था।

बाब 1225:- हाइज़ा नमाज़ और रोज़ा छोड़ दे:

अबू ज़िनाद फ़रमाते हैं, मसनून और सही तरीक़े बिल उमूम आम क़यास और राए के बर ख़िलाफ़ होते हैं लेकिन अहले इस्लाम के लिए उसकी पैरवी नागुज़ीर है। उन्हीं में से एक यह भी है कि हाइज़ा रोज़ों की क़ज़ा तो करे मगर नमाज़ की नहीं।

हदीस 1825:- अबू सईद ख़ुदरी رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब औरत हाइज़ा हो तो क्या वह नमाज़ रोज़ा छोड़ नहीं देती? और (यही) उसके दीन का नुक़्स है।"

बाब 1226:- जो इन्तिक़ाल कर जाए और उसके ज़िम्मे रोज़े हों:

हसन (बसरी) कहते हैं, अगर तीस आदमी एक दिन ही में रोज़ा रख लें तो सही है।

हदीस 1826:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "फ़ौत हो जाने वाले की तरफ़ से उसके वुरसा उसके रोज़ों की क़ज़ा पूरी करें।"

हदीस 1827:- इब्ने अब्बास رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, एक शख़्स रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में

हाज़िर हुआ, अर्ज़ किया मेरी वालिदा फ़ौत हो गई हैं और उनके ज़िम्मे एक माह के रोज़े हैं। क्या मैं उनकी तरफ़ से रोज़े रख सकता हूं? फ़रमायाः "हां अल्लाह का फ़र्ज़ बतरीक़े औला अदा करना चाहिए।" (दूसरी सनद) एक औरत रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया, मेरी बहन फ़ौत हो गई है। इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, एक औरत ने रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में अर्ज़ किया, मेरी मां इन्तिक़ाल कर गई हैं और उन पर नज़र के रोज़े वाजिब थे। (एक और हवाले से) इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, एक औरत ने रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में अर्ज़ किया, मेरी मां मर गईं उन पर पन्दरह रोज़े वाजिब थे।

फ़ायदाः– मुहक़्क़िक़ीन हज़रात और अइम्मए मुज्तहिदीन का इस हदीस और मज़मून की दूसरी अहादीस पर अमल नहीं है क्योंकि इन के ख़िलाफ़ बाज़ दीगर सहीह अहादीस मौजूद हैं, जिन में हुक्म वारिद हुआ है कि मय्यत पर जो नमाज़ें हों या जितने रोज़े हों वली उन्हें अदा करने का पाबन्द नहीं है, हां फ़िदया दे सकता है। बाज़ के नज़्दीक फ़िदया भी उस वक़्त अदा किया जाएगा जबकि उस ने वसियत की हो और उसके तिहाई माल से अदा किया जाएगा और बाज़ के नज़्दीक वसियत न की हो तो फ़िदया देना भी ज़रूरी नहीं। इस हदीस पर खुद सहाबए किराम की अकसरियत का भी अमल नहीं था।

बाब 1227:– रोज़ा किस वक़्त इफ़्तार किया जाएः

अबू सईद खुदरी رضی اللہ عنہ ने रोज़ा सूरज की टिकया डूब जाने के बाद इफ़्तार किया।

हदीस 1828:– उमर बिन ख़त्ताब رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "जब रात इस तरफ़ और दिन उस तरफ़ चला जाए और सूरज ग़ुरूब हो जाए तो रोज़ा-दार के इफ़्तार का वक़्त हो गया।"

हदीस 1829:– अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, हम रसूलुल्लाह ﷺ के साथ सफ़र में थे और आप रोज़े से थे। जब सूरज ग़ुरूब हो गया तो किसी से फ़रमायाः "ऐ फ़ुलां उठो और मेरे लिए सत्तू बनाओ।" अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! शाम होने दीजिए। फ़रमायाः "उतर कर मेरे लिए सत्तू बनाओ।" वह फिर बोला या रसूलल्लाह! अभी दिन बाक़ी है। फ़रमायाः "उतरो और मेरे लिए सत्तू बनाओ।" चुनान्चे वह उतरा और आपके लिए सत्तू घोले, आपने नोश फ़रमाए और फ़रमायाः "जब तुम देखो कि रात इस तरफ़ से आ गई तो रोज़े के इफ़्तार का वक़्त हो गया।"

बाब 1228:– पानी वग़ैरा जो भी मयस्सर हो (रोज़ा) उस से इफ़्तार कर लिया जाएः

हदीस 1830:– अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, हम रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह सफ़र में थे और आपका रोज़ा था। जब सूरज डूब गया तो फ़रमायाः "उतर कर हमारे लिए सत्तू बनाओ।" उसने अर्ज़ किया शाम होने दें। फ़रमायाः "उतरो और सत्तू बनाओ।" वह बोला अभी दिन बाक़ी है। फ़रमायाः "उतर कर सत्तू तय्यार करो।" चुनान्चे वह उतरा और सत्तू घोले। फिर आपने फ़रमायाः "जब तुम देखो रात इधर हो गई तो रोज़ा के इफ़्तार का वक़्त हो गया और अपनी उंगलियों से मश्रिक़ की तरफ़ इशारा किया।"

पारह हश्तुम

बाब 1229:- इफ़्तार में जल्दी करना:

हदीस 1831:- सहल बिन सअ्द रज़ि० रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "उस वक़्त तक लोगों में भलाई मौजूद रहेगी जब तक इफ़्तार में जल्दी करते रहेंगे।"

हदीस 1832:- इब्ने अबी औफ़ा रज़ि० रिवायत करते हैं, मैं रसूलुल्लाह ﷺ का हमसफ़र था। आप रोज़े से थे, जब शाम हुई तो किसी से फ़रमाया: "उतर कर मेरे लिए सत्तू बनाओ।" वह बोला अच्छा होता आप शाम होने का इन्तिज़ार फ़रमाते। आपने (फिर) फ़रमाया: "उतर कर मेरे लिए सत्तू तय्यार करो। जब तुम देखो कि रात इस तरफ़ से आ गई तो (समझ लो) रोज़ा-दार के इफ़्तार का वक़्त हो गया।"

बाब 1230:- जब कोई शख़्स रोज़ा इफ़्तार करले और (बादे अज़ां) सूरज निकल आए:

हदीस 1833:- अस्मा बिन्ते अबी बक्र रज़ि० रिवायत करती हैं, हमने अहदे रिसालत मआब ﷺ में अब्र आलूद दिन में रोज़ा इफ़्तार कर लिया, फिर सूरज निकल आया। हिशाम (इस हदीस के एक रावी) से इस्तिफ़सार किया, पस उन्हें क़ज़ा करने को कहा गया होगा और इसके सिवा क्या हो सकता है? मअ्मर के मुताबिक़ मैंने हिशाम से सुना, मुझे मालूम नहीं कि इन लोगों ने रोज़े की क़ज़ा की या नहीं?

बाब 1231:- बच्चों का रोज़ा रखना:

हज़रत उमर रज़ि० ने एक नशा बाज़ को कोड़े मारे और फ़रमाया अफ़सोस! हमारे तो बच्चे रोज़े रखते हैं और (तुम नशे में रहते हो)।

हदीस 1834:- रुबैअ् बिन्ते मुअव्वज़ रज़ि० से रिवायत है, रसूलुल्लाह ﷺ ने आशूरा की एक सुबह को अन्सार के एक गांव में कहला भेजा जिस ने सुबह को रोज़ा नहीं रखा वह बाक़ी दिन पूरा करे और जिस ने रोज़ा रखा वह रोज़ा से रहे। रुबैअ् रज़ि० कहती हैं, बादे अज़ां हम लोग ख़ुद रोज़ा रखते और बच्चों से रखवाते थे। हम उन (बच्चों) को रोटी की गुड़िया बना देते, उन में से जो खाने के लिए रोता तो हम उसे यह गुड़िया दे देते यहां तक कि इफ़्तार का वक़्त हो जाता।

बाब 1232:- मुतवातिर और मुसलसल रोज़े रखना:

और जो शख़्स इसका क़ाइल है कि रात का रोज़ा नहीं क्योंकि इरशादे ख़ुदावन्दी है कि रोज़ा रात तक पूरा करो। रसूलुल्लाह ﷺ ने उम्मत पर अज़ राहे मेहरबानी और उनकी ताक़त बहाल रखने के लिए (मुतवातिर रोज़ों से) मना फ़रमाया और इबादत में शिद्दत की कराहत।

हदीस 1835:- अनस रज़ि० रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मुसलसल रोज़े न रखो।" लोगों ने अर्ज़ किया आप तो पय दर पय रोज़े रखते हैं। फ़रमाया: "मैं तुम्हारी मानिन्द नहीं, मैं तो खिलाया पिलाया जाता हूं।" या यूं फ़रमाया: कि "मैं रात यूं गुज़ारता हूं कि मुझे खिलाया पिलाया जाता है।"

हदीस 1836:- अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने मुतवातिर रोज़ा रखने से मना फ़रमाया। लोग बोले आप तो ऐसा करते हैं। फ़रमाया: "मैं तुम्हारी मानिन्द नहीं, मैं

खिलाया पिलाया जाता हूं।"

हदीस 1837:- अबू सईद ﷺ रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते हुए सुना: "तुम मुतवातिर रोज़े न रखो और तुम में से कोई ऐसा करना चाहे तो सुबह तक लगातार रखे। लोगों ने कहा आप तो मुतवातिर रोज़े रखते हैं। फ़रमाया: "मैं तुम्हारी तरह नहीं, मेरी रात इस तरह बसर होती है कि मेरा खिलाने वाला मुझे खिलाता और पिलाने वाला पिलाता है।"

हदीस 1838:- सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने लोगों को मुतवातिर रोज़ा रखने से अज़ राहे करम मना फ़रमाया। लोगों ने अर्ज़ किया आप तो मुतवातिर रोज़े रखते हैं। आपने फ़रमाया: "मैं तुम्हारी तरह नहीं, मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता है।"

बाब 1233:- मुतवातिर रोज़ा रखने वाले को तन्बीह:

अनस ﷺ ने इसे रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत किया।

हदीस 1839:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने मुसलसल रोज़े रखने से मना फ़रमाया। बाज़ मुसलमानों ने अर्ज़ किया आप तो मुसलसल रोज़े रखते हैं? फ़रमाया: "तुम में से कौन मेरी मानिन्द है, मुझे तो मेरा परवरदिगार खिलाता और पिलाता है।" जब लोग मुतवातिर रोज़ा रखने से बाज़ न आए तो आपने भी उनके साथ रोज़ा रखा। लोगों ने चांद देखा तो आपने फ़रमाया: "अगर आज चांद नज़र न आता तो मैं (मुसलसल) कई रोज़ तुम्हारे साथ रोज़े रखता।" गोया उन्हें मुसलसल रोज़ा रखने से न रुकने पर बतौरे सज़ा तन्बीह करने का इरादा फ़रमाया।

हदीस 1840:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया, दो बार फ़रमाया: "तुम मुतवातिर रोज़े (सौमे विसाल) से बाज़ रहो।" कहा गया आप तो ऐसा करते हैं। फ़रमाया: "मैं रात इस तरह गुज़ारता हूं कि मेरा रब मुझे खिलाता और पिलाता है, तुम अमल में उतनी ही मशक़्क़त उठाओ जिस क़दर इस्तिताअत हो।"

बाब 1234:- सुबह तक मुतवातिर रोज़ा रखना:

हदीस 1841:- अबू सईद खुदरी ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने लोगों को मुसलसल रोज़ों से रोका। (फ़रमाया) "तुम में कोई अगर सौमे विसाल रखना चाहे तो (ज़्यादा से ज़्यादा) सुबह तक रखे।" लोगों ने अर्ज़ किया आप तो ऐसा करते हैं। फ़रमाया: "मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, मेरी रात इस तरह गुज़रती है कि मुझे खिलाने वाला खिलाता और पिलाने वाला पिलाता है।"

बाब 1235:- जो शख़्स अपने (मुसलमान) भाई को नफ़्ली रोज़ा तोड़ने की क़सम दे और इसकी क़ज़ा वाजिब नहीं जबकि रोज़ा न रखना उसके लिए बेहतर है:

हदीस 1842:- औन बिन अबी हुजैफ़ा ﷺ अपने वालिद से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने सलमान ﷺ और अबू दरदा ﷺ के दरमियान रिश्तए मुवाख़ात क़ायम फ़रमाया था। सलमान ﷺ अबू दरदा ﷺ की मुलाक़ात को गए तो उम्मे दरदा ﷺ को परेशान देखा, पूछा क्या हुआ? बोलीं तुम्हारा भाई अबू दरदा दुनिया से किनारा कश हो गया। अबू दरदा आए, उन्होंने सलमान के लिए खाना तय्यार करवाया और कहा (तुम) खाओ, मैं रोज़े से हूं। वह (सलमान) बोले जब तक तुम नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा चुनान्चे उन्होंने खा लिया। जब रात हुई तो अबू दरदा इबादत की गर्ज़ से उठे, सलमान बोले सो रहो, चुनान्चे वह सो गए। फिर (दोबारा) इबादत के लिए उठना चाहा तो सलमान ने

कहा आराम करो। जब रात का पिछला पहर हुआ तो सलमान ने कहा अब उठो, चुनान्चे दोनों ने नमाज़ पढ़ी। फिर सलमान ने उनसे कहा तुम पर तुम्हारे रब का, तुम्हारी जान का और तुम्हारे बीवी बच्चों का हक़ है इस लिए हक़दारों का हक़ अदा करो। फिर रसूलुल्लाह ﷺ के पास आए और आपको बताया तो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "सलमान दुरुस्त कहते हैं।"

बाब 1236:- शअ़बान के रोज़े:

हदीस 1843:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ मुसलसल रोज़ा रखते चले जाते और हम समझते कि फिर कभी इफ़्तार नहीं करेंगे और फिर (कभी) मुसलसल इफ़्तार की हालत में रहते और हमें गुमान होता कि कभी भी रोज़ा नहीं रखेंगे और मुझे मालूम नहीं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने रमज़ान के अलावा किसी महीने में पूरे रोज़े रखे हों और शअ़बान के अलावा किसी महीना में ज़्यादा रोज़े रखे हों।

हदीस 1844:- अबू सलमा رضي الله عنه रिवायत करते हैं, उन्हें सय्यदा आयशा رضي الله عنها ने बताया, रसूलुल्लाह ﷺ शअ़बान से ज़्यादा किसी और महीने में रोज़े नहीं रखते थे। आप शअ़बान भर रोज़े रखते और फ़रमाते: "अमल उतना ही करो जिस क़दर इस्तिताअ़त हो, अल्लाह तआला (जज़ा देने से) नहीं थकता जब तक कि तुम न उकता जाओ।" और रसूलुल्लाह ﷺ को वह नमाज़ पसंद थी जो हमेशा पढ़ी जाए ख़्वाह थोड़ी ही क्यों न हो, आप जो नमाज़ पढ़ते तो उस पर हमेशगी करते।

बाब 1237:- वह रिवायात जो रसूलुल्लाह ﷺ के रोज़ा और इफ़्तार के मुताल्लिक़ वारिद हुई हैं:

हदीस 1845:- इब्ने अब्बास رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने रमज़ान के सिवा कभी कामिल महीना रोज़े नहीं रखे। आप रोज़ा रखते जाते और कहने वाले कहते कि कभी इफ़्तार की नौबत नहीं आएगी और आप इफ़्तार करते जाते यहां तक कि कहने वाला कहता कि आप कभी रोज़ा नहीं रखेंगे।

हदीस 1846:- अनस رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ किसी महीना में मुसलसल इफ़्तार करते जाते यहां तक कि हम यह समझते कि अब इस महीना में कोई रोज़ा नहीं रखेंगे और (बाज़ औक़ात) आप मुसलसल रोज़े रखते जाते हत्ता कि हम कहते कि आप इस महीना में बिल्कुल इफ़्तार नहीं करेंगे। अगर कोई आप को रात में नमाज़ पढ़ते हुए देखना चाहता तो देख लेता और कोई सोते हुए देखना चाहता तो देख लेता।

हदीस 1847:- हुमैद رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मैंने अनस رضي الله عنه से रसूलुल्लाह ﷺ के रोज़ों की बाबत पूछा। उन्होंने कहा मैं आप को रोज़ा की हालत में किसी महीने देखना चाहता तो देख लेता और इफ़्तार की हालत में देखना चाहता तो देख लेता और (इसी तरह) रात को सोते जागते जिस हालत में चाहता देखता था और कोई हरीर व दीबा (का टुकड़ा) रसूलुल्लाह ﷺ की हथेली से नर्म और किसी भी मुश्क व अम्बर की ख़ुश्बू आपकी ख़ुश्बू से बढ़ कर न थी।

बाब 1238:- (नफ़्ल) रोज़ा के दौरान मेहमान का हक़:

हदीस 1848:- अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, मेरे हां रसूलुल्लाह ﷺ तशरीफ़ लाए और पूरी हदीस बयान की (यानी) "तेरे मेहमान का तुम पर हक़ है और तुम्हारी बीवी का तुम पर हक़ है।" मैंने अर्ज़ किया दाऊद (अलैहिस्सलाम) का रोज़ा किस तरह का था? फ़रमाया" एक

दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ़्तार करते।"

बाब 1239:- रोज़े में बदन का (भी) हक़ है:

हदीस 1849:- अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने मुझ से फ़रमाया: "अब्दुल्लाह! मुझे पता चला है कि तुम दिन को रोज़ा रखते और रात को क़याम करते हो।" मैं बोला हां। आपने फ़रमाया: "ऐसा न करो रोज़ा भी रखो और इफ़्तार भी करो, (रात को) क़याम भी करो और सोओ भी क्योंकि तुम पर तुम्हारे बदन का हक़ है और तुम्हारी आंख का तुम पर हक़ है और तुम्हारी बीवी का तुम पर हक़ है और तुम पर तुम्हारे मेहमानों का हक़ है और तुम्हारे लिए महीने में तीन रोज़े रखना काफ़ी हैं। हर नेकी का अज्र दस गुना होता है गोया तुम उम्र भर रोज़े से रहते हो। मैंने शिद्दत बरतनी चाही तो मुझ पर सख़्ती की गई।" मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! मैं इसकी इस्तिताअ़त रखता हूं। आपने फ़रमाया: "ख़ुदा के नबी दाऊद (अलैहिस्सलाम) की तरह रोज़े रखो और उसमें मज़ीद इज़ाफ़ा न करो।" मैं बोला दाऊद (अलैहिस्सलाम) का रोज़ा किस तरह था? फ़रमाया: "एक दिन रोज़ा रखते और और एक दिन इफ़्तार करते।" अब्दुल्लाह जब बूढ़े हुए तो कहा करते, काश! मैं रसूलुल्लाह ﷺ की इजाज़त पर अमल करता।

बाब 1240:- हमेशा रोज़े से रहना:

हदीस 1850:- अब्दुल्लाह बिन अम्र ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ को मेरी इस बात का पता चला कि मैं कहता हूं, ख़ुदा की क़सम! जब तक जिस्म में जान है दिन को रोज़े रखूंगा और रात को क़याम करूंगा। मैंने आपकी ख़िदमत में अर्ज़ किया, मेरे मां बाप आप पर क़ुरबान हों मैंने ऐसे कहा है। फ़रमाया: "तुम इस क़दर इस्तिताअ़त नहीं रखते बिना बरीं तुम रोज़े भी रखो और इफ़्तार भी करो, रात को क़याम भी किया करो और सोया भी करो और हर माह तीन रोज़े रख लिया करो क्योंकि हर नेकी का बदला दस गुना मिलता है और ऐसा करना गोया उम्र भर रोज़े रखने के मुतरादिफ़ है।" मैं बोला मैं इससे ज़्यादा ताक़त रखता हूं। आपने फ़रमाया: "एक दिन रोज़ा रखो और दो दिन इफ़्तार किया करो।" मैंने कहा मैं इससे ज़्यादा ताक़त रखता हूं, तो फ़रमाया: "एक दिन रोज़ा रखा करो और एक दिन इफ़्तार किया करो, यह दाऊद (अलैहिस्सलाम) का रोज़ा है और यह तमाम रोज़ों से अफ़ज़ल है।" मैंने अर्ज़ किया मैं इससे ज़्यादा क़ुदरत रखता हूं। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "इससे बेहतर और कोई रोज़ा नहीं।"

बाब 1241:- रोज़े में बाल बच्चों का हक़ है:

अबु जुहैफ़ा ﷺ ने इसे रसूलुल्लाह ﷺ ने रिवायत किया है।

हदीस 1851:- अबुल अब्बास शाएर रिवायत करते हैं, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अम्र ﷺ से सुना कि रसूलुल्लाह ﷺ को मालूम हुआ कि मैं लगातार रोज़े रखता हूं और रात भर नमाज़ पढ़ता हूं। आपने मुझे बुलाया या ख़ुद ही मैं आपके पास गया। आपने फ़रमाया: "मुझे मालूम हुआ है कि तुम रोज़े रखते हो और इफ़्तार नहीं करते और रात को नमाज़ पढ़ते हो, तुम रोज़ा रखा करो और इफ़्तार भी किया करो, इबादत भी किया करो और सोया भी करो क्योंकि तुम पर तुम्हारी आंखों, तुम्हारी जान और तुम्हारी बीवी बच्चों का हक़ है।" मैंने अर्ज़ किया मैं ख़ुद को इससे ज़्यादा ताक़त-वर महसूस करता हूं। फ़रमाया: "दाऊद (अलैहिस्सलाम) जैसे रोज़े रखा करो।" मैंने दरयाफ़्त किया उनके रोज़े कैसे थे?

फ़रमाया: "एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ़्तार करते और जब दुश्मन मुक़ाबिल होता तो पीठे न हटते।" मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! मेरी तरफ़ से उसका कौन ज़िम्मा लेता है? अता के मुताबिक़ कि मैं नहीं जानता हमेशा रोज़ा रखने का ज़िक्र किस अन्दाज़ में हुआ। रसूलुल्लाह ﷺ ने दोबारा फ़रमाया: "जिस ने हमेशा रोज़े रखे गोया उसने कोई रोज़ा नहीं रखा।"

बाब 1242:- एक दिन रोज़ा रखना और एक दिन इफ़्तार करना:

हदीस 1852:- अब्दुल्लाह बिन अम्र رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "महीने में तीन दिन रोज़े रखा करो।" मैंने अर्ज़ किया मैं इससे ज़्यादा की इस्तिताअत रखता हूं, यूंही गुफ़्तगू होती रही हत्ता कि आपने फ़रमाया: "एक दिन रोज़ा रखो और एक दिन इफ़्तार किया करो।" (नीज़) आपने फ़रमाया: "क़ुरआने मजीद महीना में एक बार ख़त्म किया करो।" अब्दुल्लाह बोले, मैं इस से ज़्यादा की ताक़त रखता हूं हत्ता कि आपने फ़रमाया: "तीन दिन में एक बार क़ुरआने मजीद ख़त्म किया करो।"

बाब 1243:- दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा:

हदीस 1853:- अबुल अब्बास मक्की (जो शाएर थे और हदीस में मुत्तहम न थे) रिवायत करते हैं, अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस رضي الله عنه बयान करते हैं, मुझे रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "(क्या) तुम दिन भर रोज़ा रखते और रात भर क़याम करते हो?" मैंने अर्ज़ किया हां। फ़रमाया: "जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी आंखों में गढ़े पड़ जाएंगे और बदन ढीला पड़ जाएगा, जिस ने हमेशा रोज़ा रखा (गोया) उसने कोई रोज़ा नहीं रखा। हर माह तीन दिन रोज़े पूरा महीना रोज़ा रखने के मुतरादिफ़ हैं।" मैंने अर्ज़ किया मुझ में इससे ज़्यादा की ताक़त है। फ़रमाया: "(तो) दाऊद अलैहिस्सलाम वाला रोज़ा रखो और वह एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ़्तार करते थे और जब दुश्मन से मुक़ाबला होता तो पस्पा न होते।"

हदीस 1854:- अबू क़िलाबा رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मुझे अबुल मलीह ने बताया, मैं तुम्हारे वालिद के हमराह अब्दुल्लाह बिन अम्र رضي الله عنه के पास गया तो उन्होंने यही बताया, मेरे रोज़े के ज़िम्न में रसूलुल्लाह ﷺ से ज़िक्र हुआ तो आप मेरे पास तशरीफ़ लाए। मैंने आप के लिए खजूर की छाल भरा तकिया रखा, आप ज़मीन पर बैठ रहे, तकिया आपके और मेरे दरमियान रखा रहा। मुझे फ़रमाया: "क्या तुम्हारे लिए महीने में तीन रोज़े काफ़ी नहीं?" मैं बोला या रसूलल्लाह! कुछ और ज़्यादा। फ़रमाया: "पांच रोज़े।" मैंने कहा कुछ और, आपने कहा: "सात रोज़े।" मैंने अर्ज़ किया कुछ और या रसूलल्लाह! आप बोले: "नौ रोज़े।" मैंने अर्ज़ किया इससे कुछ ज़्यादा ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया: "ग्यारह।" फिर रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े से अफ़ज़ल कोई रोज़ा नहीं, एक दिन रोज़ा रखो और एक दिन इफ़्तार करो।"

बाब 1244:- अय्यामे बीज़ (तेरहवीं, चौदहवीं और पन्द्रहवीं) के रोज़े:

हदीस 1855:- अबू हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मुझे मेरे दोस्त ख़ुदा के रसूल ﷺ ने तीन बातों की वसियत फ़रमाई, हर माह तीन रोज़े, चाश्त की दो रकअतें और सोने से पहले वित्र पढ़ने की।

बाब 1245:- किसी के हां जाना और (नफ़्ली) रोज़ा न तोड़ना:

हदीस 1856:- अनस رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ उम्मे सुलैम رضي الله عنها के पास तशरीफ़

ले गए तो वह आपके लिए खजूर और घी लेकर आईं। फ़रमायाः "घी और खजूर बरतन में रहने दो, मैं रोज़े से हूं।" फिर घर के एक कोने में खड़े होकर (फ़र्ज़ के अलावा) नफ़्ल नमाज़ अदा की। नीज़ उम्मे सुलैम और दीगर अहले ख़ाना के लिए दुआ फ़रमाई। उम्मे सुलैम बोलीं या रसूलल्लाह! सिर्फ़ मेरे लिए ही दुआ फ़रमाई। आपने फ़रमायाः "तो और किस के लिए? उन्होंने कहा अपने ख़ादिम (अनस) के लिए भी दुआ कर दीजिए। चुनान्चे आपने दुन्या और आख़िरत की तमाम भलाइयों की दुआ फ़रमाई, यानी दुआ कीः "ऐ अल्लाह! इसे माल और औलाद बख़्श, इसे बरकत अता फ़रमा।" अनस कहते हैं, अन्सार में सबसे ज़्यादा दौलत मन्द हूं और मुझ से मेरी बेटी अमीना ने बयान किया, उन्होंने बताया, हज्जाज के बसरा आने के वक़्त तक मेरी नस्ल में से एक सौ बीस से कुछ ऊपर बच्चे दफ़न हो चुके थे।

हदीस 1857:- अनस ﷺ रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह ﷺ से।

बाब 1246:- महीने के आख़िरी दिनों में रोज़ा रखनाः

हदीस 1858:- इमरान बिन हुसैन ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने उनसे या किसी और से पूछा, जिसे वह सुन रहे थे कि ऐ अबू फ़ुलां! तुम ने इस महीने के आख़िर में रोज़े नहीं रखे। अबू नोअमान के मुताबिक़ मेरे ख़्याल में आपका यह सवाल रमज़ान के ज़िम्न में था। वह बोला नहीं या रसूलुल्लाह! फ़रमायाः "जब तुम इफ़्तार करो तो दो दिन रोज़ा रखो।"

बाब 1247:- जुम्आ को रोज़ा रखना अगर कोई (महज़) जुम्आ का रोज़ा रखे तो उसे उसका इफ़्तार कर देना लाज़िम हैः

हदीस 1859:- मुहम्मद बिन अब्बाद रिवायत करते हैं, मैंने जाबिर ﷺ से पूछा क्या रसूलुल्लाह ﷺ ने जुम्आ के दिन रोज़ा रखने से रोका है? उन्होंने कहा हां। अबू आसिम के अलावा बाक़ी रावियों ने इस में इस क़द्र इज़ाफ़ा किया है जबकि सिर्फ़ एक दिन का रोज़ा रखे।

हदीस 1860:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते हुए सुनाः "तुम में से कोई भी जुम्आ का रोज़ा न रखे अल्बत्ता यह कि उससे पहले या बाद में एक रोज़ा रखे।"

हदीस 1861:- जुवैरिया बिन्ते हारिस ﷺ रिवायत करती हैं, जुम्आ के दिन रसूलुल्लाह ﷺ उनके पास तशरीफ़ लाए और वह रोज़ा रखे हुए थीं। आपने फ़रमायाः "कल तुम्हारा रोज़ा था?" बोलीं नहीं। फ़रमायाः "कल रोज़ा रखने का इरादा है?" अर्ज़ किया नहीं, तो फ़रमायाः "इफ़्तार कर लो।"

बाब 1248:- क्या रोज़े के लिए कोई ख़ास दिन मुक़र्रर किया जा सकता है?

हदीस 1862:- अल्क़मा ﷺ रिवायत करते हैं, मैंने सय्यदा आयशा ﷺ से दरयाफ़्त किया क्या रसूलुल्लाह ﷺ ने रोज़े के लिए कोई ख़ास दिन मुक़र्रर कर रखा था? बोलीं, आप के हर अमल में इस्तेक़लाल होता था और तुम में कौन रसूलुल्लाह ﷺ जैसी (पाबन्दी की) ताक़त रखता है।

बाब 1249:- हज के दिन रोज़ा रखनाः

हदीस 1863:- उम्मे फ़ज़ल बिन्ते हारिस ﷺ रिवायत करती हैं, कुछ लोग इनके पास अर्फ़ा के दिन रसूलुल्लाह ﷺ के बारे में इख़्तिलाफ़ करने लगे। बाज़ का ख़्याल था कि आपने रोज़ा रखा हुआ है और बाज़ कहते थे रोज़े से नहीं। उम्मे फ़ज़ल ﷺ ने दूध का प्याला आपकी ख़िदमत में भेजा। आप ऊंट पर सवार थे, आपने नोश फ़रमा लिया।

हदीस 1864:- सय्यदा मैमूना ﷺ रिवायत करती हैं, लोग अर्फ़ा के दिन रसूलुल्लाह ﷺ के

रोज़े के मुताल्लिक़ शक में पड़ गए। उन्होंने आपकी ख़िदमत में दूध भेजा, आप अरफ़ात में क़याम फ़रमा थे। आपने उस में से पिया और लोग देख रहे थे।

बाब 1250:– ईदुल फ़ित्र के दिन रोज़ा रखना:

हदीस 1865:– (अज़हर के ग़ुलाम) अबू उबैद रिवायत करते हैं, मैं ईद के दिन उमर बिन ख़त्ताब رضي الله عنه के हमराह था। उन्होंने बताया रसूलुल्लाह ﷺ ने इन दो दिनों में रोज़ा रखने से मना फ़रमाया है। एक रोज़ा इफ़्तार करने का दिन है और दूसरा वह जिस में अपनी क़ुरबानी (के जानवर) का गोश्त खाते हो।

हदीस 1866:– अबू सईद ख़ुदरी رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा के दिन रोज़ा रखने से मना फ़रमाया और बदन पर एक ही कपड़ा लपेटने, कपड़े में गोठ मार कर बैठने और फ़ज्र व अस्र के बाद नमाज़ पढ़ने से रोका है।

बाब 1251:– ईदुल अज़्हा के दिन रोज़ा रखना:

हदीस 1867:– अबू हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, दो क़िस्म का लेन देन और दो रोज़े ममनूअ़ हैं। ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा का रोज़ा और बैअ़ मुलामसा और बैअ़ मुनाबज़ा (इसकी तफ़सील किताबुल बैअ़ में आएगी।)

हदीस 1868:– ज़ियाद बिन जुबैर रिवायत करते हैं, एक शख़्स इब्ने उमर رضي الله عنهما के पास आया और कहा किसी ने एक दिन हमेशा रोज़ा रखने की मन्नत मानी और इस ख़्याल के मुताबिक़ वह पीर का दिन है और इत्तिफ़ाक़ से वह ईद का दिन पड़ गया। इब्ने उमर رضي الله عنهما ने कहा ख़ुदा तआला ने नज़र पूरी करने का हुक्म दिया है और रसूलुल्लाह ﷺ ने ईद के दिन रोज़ा रखने से मना फ़रमाया है।

हदीस 1869:– अबू सईद ख़ुदरी رضي الله عنه रिवायत करते हैं, (उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ के साथ बारह जंगों में शिर्कत की थी) मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से चार बातें सुनीं और मुझे बहुत अच्छी लगीं। आपने फ़रमाया: "किसी औरत के लिए जाइज़ नहीं कि वह किसी महरम के बग़ैर दो दिन का सफ़र इख़्तियार करे या उसका शौहर उसके हमराह हो, ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा के दिन रोज़ा न रखना चाहिए और (नमाज़े) फ़ज्र के बाद कोई नमाज़ न पढ़े यहां तक कि सूरज निकल आए और (नमाज़े) अस्र के बाद कोई नमाज़ न पढ़े यहां तक कि सूरज डूब जाए और तीन मस्जिदों के अलावा और किसी के लिए रख़्ते सफ़र न बांधे मस्जिदे हराम, मस्जिदे अक़्सा और मस्जिदे नबवी।

फ़ायदा:– इस हदीस के आख़िरी जुम्ले لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ वाले हुक्म में बाज़ लोगों ने बड़ी धांदली की और दीदा दिलेरी दिखाई है कि रौज़ए रसूल की तरफ़ सफ़र करने को भी नाजाइज़ क़रार दे रखा है। हालांकि बात सिर्फ़ यह है कि ज़्यादा सवाब मिलने का अक़ीदा रख कर इन तीन मस्जिदों के सिवा किसी और मस्जिद के लिये दूर से सफ़र न किया जाए। अगर उन लोगों के समझने के मुताबिक़ इन तीन मसाजिद के सिवा बाक़ी और किसी भी चीज़ की तरफ़ दूर से सफ़र करना नाजाइज़ है तो वह हज़रात ख़ुद भी तो इन तीनों मसाजिद के सिवा दूर दराज़ के तब्लीग़ी व तिजारती और कारोबारी सफ़र कर रहे हैं बल्कि ग़ैर मुमालिक के दौरे कर रहे हैं वह भी नाजाइज़ क़रार पाएंगे। अल्लाह तआला जुम्ला मुद्दइयाने इस्लाम को सच्ची हिदायत नसीब फ़रमाए और सब को रसूल दुश्मनी की बीमारी से महफ़ूज़ रखे, आमीन।

बाब 1252:- अय्यामे तशरीक़ के रोज़े:

मुझ से मुहम्मद बिन मुसन्ना ने बहवाला यहया, हिशाम और उरवा बयान किया कि सय्यदा आयशा رضي الله عنها मिना के अय्याम में रोज़े रखती थीं और उरवा भी इन अय्याम में रोज़ा रखते थे।

हदीस 1870:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها और सालिम दोनों इब्ने उमर رضي الله عنهما के हवाले से रिवायत करते हैं कि अय्यामे तशरीक़ में रोज़ा रखने की सिर्फ़ उसे इजाज़त है जिस के पास क़ुरबानी का जानवर न हो।

हदीस 1871:- इब्ने उमर رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, जो शख़्स हज्जे तमत्तोअ कर रहा हो उसके लिए रोज़ा रखना जाइज़ है। अगर उस के पास क़ुरबानी का जानवर न हो और न ही उसने रोज़ा रखा हो तो मिना के दिनों में रोज़े रख ले।

बाब 1253:- आशूरा के दिन रोज़ा रखना:

हदीस 1872:- सालिम رضي الله عنه अपने वालिद से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "चाहो तो यौमे आशूरा का रोज़ा रख लो।"

हदीस 1873:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ यौमे आशूरा का रोज़ा रखने का हुक्म देते थे। जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ क़रार दिए गए तो जिसका जी चाहता (आशूरा का) रोज़ा रखता और जो न चाहता न रखता।

हदीस 1874:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, क़ुरैश जाहिलियत के दिनों में आशूरा का रोज़ा रखते थे और रसूलुल्लाह ﷺ भी रोज़ा रखते थे। जब मदीना तशरीफ़ लाए खुद भी रोज़ा रखा और दूसरों को भी रखने का हुक्म दिया। जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो आशूरा का रोज़ा छोड़ दिया, जो चाहता उस दिन रोज़ा रख लेता और जो चाहता वह न रखता।

हदीस 1875:- हुमैद बिन अब्दुर्रहमान रिवायत करते हैं, उन्होंने मुआविया बिन अबू सुफ़यान رضي الله عنهما को जिस साल उन्होंने हज किया था मिम्बर पर कहते सुना, अहले मदीना तुम्हारे उलमा कहां हैं? मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते सुना कि: "यह आशूरा का दिन है और इस दिन तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं जबकि मैं खुद रोज़े से हूं जिसका जी चाहे रोज़ा रखले और जो न चाहे न रखे।"

हदीस 1876:- इब्ने अब्बास رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो यहूदियों को आशूरा के रोज़ रोज़ा रखे हुए देखा। पूछा यह रोज़ा कैसा है? उन्होंने कहा मुबारक दिन है, इसी दिन अल्लाह तआला ने बनी इस्राईल को दुश्मन से ख़लासी बख़्शी थी बिना बरीं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस रोज़ रोज़ा रखा था। आपने फ़रमाया: "हम तुम से कहीं बढ़ कर मूसा अलैहिस्सलाम से (ताल्लुक़ के) हक़दार हैं।" चुनान्चे आपने उस दिन खुद रोज़ा रखा और दूसरों को रोज़ा रखने का हुक्म दिया।

हदीस 1877:- अबू मूसा رضي الله عنه रिवायत करते हैं, यहूदी आशूरा को ईद तसव्वुर करते थे। रसूलुल्लाह ﷺ ने सहाबा से फ़रमाया: "तुम भी इस रोज़ रोज़ा रखा करो।"

हदीस 1878:- इब्ने अब्बास رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, मैंने आशूरा और रमज़ान के अलावा रसूलुल्लाह ﷺ को किसी दिन को अफ़ज़ल समझते हुए रोज़ा रखते नहीं देखा।

हदीस 1879:- सलमा बिन अकवअ رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने बनी असलम

के एक शख़्स को फ़रमाया कि: "एलान कर दो जिसने आज कुछ खा पी लिया वह बाक़ी दिन कुछ न खाए और जिसने कुछ नहीं खाया वह रोज़ा रख ले क्योंकि आज यौमे आशूरा है।"

बाब 1254:- रमज़ान (की रातों) में क़याम की फ़ज़ीलत:

हदीस 1880:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते सुना कि: "जो शख़्स रमज़ान में (रात को) ईमान व यक़ीन के साथ क़याम करता है तो उसके पिछले गुनाह बख़्श दिए जाते हैं।

हदीस 1881:- अबू हुरैरह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो शख़्स रमज़ान में (रात को) ईमान व यक़ीन के साथ क़याम करता है तो उसके पिछले गुनाह बख़्श दिए जाते हैं। इब्ने शहाब कहते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ दुनिया से रुख़्सत हो गए तो हालत वही रही। हज़रत अबू बक्र ﷺ के दौरे ख़िलाफ़त और हज़रत उमर ﷺ की ख़िलाफ़त के इब्तिदाई ज़माने में भी यही हाल रहा। अब्दुर्रहमान कहते हैं, मैं हज़रत उमर ﷺ के हमराह रमज़ान की एक रात मस्जिद में गया तो लोगों को अलग अलग नमाज़ पढ़ते हुए देखा। कहीं एक शख़्स नमाज़ पढ़ रहा है तो कुछ और लोग भी उसके साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं। हज़रत उमर ﷺ ने कहा मेरे ख़्याल में इन्हें एक ही क़ारी पर मुत्तफ़िक़ कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। चुनान्चे उन सबको उबय बिन कअ़ब ﷺ (की इक़्तिदा) पर जमा कर दिया। फिर मैं उनके साथ दूसरी रात गया, तो वह क़ारी के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे। हज़रत उमर ﷺ बोले यह अच्छी बिदअ़त है और रात का वह हिस्सा जिस में लोग सो जाते हैं उससे बेहतर है जिसमें खड़े होते हैं और इब्तिदाई हिस्से में खड़े होते थे।

हदीस 1882:- सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने नमाज़ पढ़ी और वह रमज़ान (का महीना) था। (एक और रिवायत के मुताबिक़) रसूलुल्लाह ﷺ रमज़ान में आधी रात को निकले, आपने मस्जिद में नमाज़ पढ़ी और लोगों ने भी आपके पीछे नमाज़ पढ़ी। सुबह लोगों ने इसका एक दूसरे से ज़िक्र किया, दूसरे दिन इससे भी ज़्यादा लोग जमा हो गए और आपके साथ नमाज़ पढ़ी। फिर सुबह हुई तो लोगों ने एक दूसरे से बयान किया। तीसरी रात और आदमी जमा हो गए चुनान्चे रसूलुल्लाह ﷺ बाहर तशरीफ़ लाए, आपने नमाज़ पढ़ी और लोगों ने भी आपके साथ नमाज़ पढ़ी। जब चौथी रात हुई तो मस्जिद में न समा सके, लेकिन आप सुबह की नमाज़ के लिए निकले। सुबह की नमाज़ अदा करने के बाद लोगों की तरफ़ मुतवज्जोह हुए और फ़रमाया: "तुम्हारी मौजूदगी मुझ से पोशीदा न थी लेकिन मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं तुम पर फ़र्ज़ न हो जाए और तुम उसकी अदायगी से आजिज़ आ जाओ।" रसूलुल्लाह ﷺ इन्तिक़ाल फ़रमा गए, तो भी यही हालत रही।

फ़ायदा:- रमज़ान शरीफ़ में बाज़ सहाबए किराम ने रसूलुल्लाह ﷺ के पीछे जो यह तीन रातों तक नमाज़ पढ़ी यह नमाज़े तहज्जुद थी। नमाज़े तरावीह का उस वक़्त कोई वुजूद नहीं था। इसके बाद आपके ज़ाहिर दौरे हयात में यह नमाज़ बाजमाअत नहीं पढ़ी। हज़रत सिद्दीक़े अकबर ﷺ के पूरे दौरे ख़िलाफ़त में नमाज़े तरावीह एक दिन भी नहीं पढ़ी गई। हज़रत फ़ारूक़े आज़म ﷺ का निस्फ़ दौरे ख़िलाफ़त गुज़र गया तो आपने सहाबए किराम के मशवरे से यह नमाज़ शुरू करवाई। इस नमाज़ का नमाज़ नमाज़े तरावीह रखना, इसे मस्जिद में पढ़ना, नमाज़े तरवीह बाजमाअत अदा करना, इस की बीस रकअतें पढ़ना। यह तमाम बातें सहाबए किराम के इज्माअ से क़रार पाई थी। अब इन में से किसी बात

को तोड़ना और आठ रकअत तरावीह के मशरूअ होने पर ज़ोर लगाना गोया इज्माए सहाबा को तोड़ना और उम्मते मुहम्मदिया में तफ़रक़ा पैदा करना है और ऐसा करना मिल्लते इस्लामिया के किसी भी ख़ैर ख़्वाह को ज़ेब नहीं देता।

हदीस 1883:- अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रिवायत करते हैं, उन्होंने सय्यदा आयशा ﵂ से पूछा रसूलुल्लाह ﷺ की नमाज़ (शबीना) कैसी होती थी? फ़रमाया रमज़ान और उसके अलावा ग्यारह रकअतों से ज़्यादा न पढ़ते थे। पहले चार रकअतें पढ़ते, उनकी तवालत और ख़ूबी बस क्या पूछते हो, फिर चार रकअतें पढ़ते जिनकी तवालत और ख़ूबी का क्या कहना, फिर तीन रकअतें पढ़ते थे। मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! आप वित्र पढ़ने से पहले सो जाते हैं? फ़रमायाः "आयशा! मेरी आंखें सोती हैं दिल नहीं सोता।"

बाब 1255:- शबे क़द्र की फ़ज़ीलतः

इरशादे ख़ुदावन्दी हैः "हम ने उसे शबे क़द्र में नाज़िल किया और जानते हो शबे क़द्र क्या है। शबे क़द्र हज़ार महीनों से बेहतर है, जिस में फ़रिश्ते और रूहुल (अमीन) अपने रब के हुक्म से उतरते हैं और हर लिहाज़ से सलामती है और तुलूए फ़ज्र तक (सलामती रहती है)।" इब्ने उयैना कहते हैं, क़ुरआन में जहां مَآ أَدْرَاكَ से ख़िताब है वहां अल्लाह तआला ने आपको बता दिया, जहां مَا يُدْرِيكَ है वहां आपको नहीं बताया।

हदीस 1884:- अबू हुरैरह ﵁ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "जिस ने ईमान व यक़ीन के साथ रोज़े रखे, उसके पिछले गुनाह बख़्श दिए जाते हैं और जो शबे क़द्र में ईमान व यक़ीन के साथ क़याम करे तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं।

बाब 1256:- शबे क़द्र को आख़िरी सात रातों में तलाश करनाः

हदीस 1885:- इब्ने उमर ﵄ रिवायत करते हैं, अस्हाबे रसूल में से चन्द अफ़राद को ख़्वाब की हालत में शबे क़द्र आख़िरी सात रातों में दिखाई गई। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "मेरे ख़्याल में तुम्हारे ख़्वाब आख़िरी सात रातों में मुत्तफ़िक़ हो गए हैं, बिन बरीं इसका तलाश करने वाला इसे आख़िरी सात रातों में ढूंढे।"

हदीस 1886:- अबू सलमा ﵁ रिवायत करते हैं, अबू सईद ﵁ जो मेरे दोस्त थे मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया, हमने रसूलुल्लाह ﷺ के साथ दरमियानी अशरा में एतेकाफ़ किया। आप बीस की सुबह को बाहर निकले और हमसे ख़िताब किया, फ़रमायाः कि "मुझे शबे क़द्र दिखाई गई फिर मैं उसे भूल गया या भुला दिया गया, चुनांचा उसे आख़िरी अशरे की ताक़ रातों में तलाश करो और मैंने ख़्वाब में देखा कि पानी और कीचड़ में सज्दा कर रहा हूं। बिना बरीं जिस ने रसूलुल्लाह ﷺ के साथ एतेकाफ़ किया वह वापस चला जाए।" और आसमान पर बादल का कोई टुकड़ा नज़र नहीं आ रहा था, अचानक बादल का एक टुकड़ा उठा और बारिश होने लगी, हत्ता कि मस्जिद की छत से पानी टपकने लगा जो खजूर की टहनियों से बनी हुई थी और नमाज़ अदा की गई। मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को पानी और कीचड़ में सज्दा करते हुए देखा यहां तक कि मुझे रसूलुल्लाह ﷺ की पेशानी पर कीचड़ नज़र आई।

बाब 1257:- आख़िरी अशरे की ताक़ रातों में शबे क़द्र की तलाशः इसे उबादा बिन

सामित ؓ ने रिवायत किया।

हदीस 1887:– सय्यदा आयशा ؓ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "शबे क़द्र रमज़ान के आख़िरी अश्रे की ताक़ रातों में तलाश करो।"

हदीस 1888:– अबू सईद खुदरी ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ रमज़ान के दरमियानी दहे में एतेकाफ़ बैठते। जब बीसवीं की रात गुज़र जाती और इक्कीसवीं शब आ जाती तो अपने घर को वापस आ जाते और जो लोग आपके साथ मोअतकिफ़ होते वह भी लौट आते। एक बार रमज़ान में आप उस रात भी एतेकाफ़ में रहे, जिस रात वापस लौटते थे। बादे अज़ां आपने लोगों से ख़िताब किया और जो कुछ अल्लाह ने चाहा आपने उसका हुक्म दिया। फिर फ़रमाया: "मैं इस अश्रे में एतेकाफ़ बैठता था मगर अब ज़ाहिर हुआ कि आख़िरी अश्रे में एतेकाफ़ बैठा करूं इस लिए जो लोग मेरे साथ एतेकाफ़ में हैं, वह अपनी जगहों पर एतेकाफ़ में ठहरे रहें। मुझे ख़्वाब में शबे क़द्र दिखाई गई थी मगर फिर भुला दी गई इस लिए उसे आख़िरी अश्रे की ताक़ रातों में तलाश करो और मैंने ख़्वाब में देखा, पानी और कीचड़ में सज्दा कर रहा हूं।" फिर उस रात बारिश हुई और रसूलुल्लाह ﷺ की जगह मस्जिद टपकने लगी। वह इक्कीसवीं की रात थी। मैंने बचश्मे खुद देखा, आप नमाज़े सुबह से फ़ारिग़ हुए तो चेहरे पर कीचड़ और पानी था।

हदीस 1889:– सय्यदा आयशा ؓ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "शबे क़द्र को तलाश करो।"

हदीस 1890:– सय्यदा आयशा ؓ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ आख़िरी अश्रे में एतेकाफ़ बैठते और फ़रमाते: "शबे क़द्र को आख़िरी अश्रे में तलाश करो।"

हदीस 1891:– इब्ने अब्बास ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आख़िरी अश्रे में तलाश करो और वह इन रातों में है, जब तक़रीबन नौ या सात या पांच (रातें) बाक़ी रह जाएं।"

हदीस 1892:– इब्ने अब्बास ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "वह (शबे क़द्र) आख़िरी अश्रे में है। जब नौ रातें गुज़र जाएं या सात रातें बाक़ी रह जाएं।" अबू ख़ालिद ने बहवाला इकरमा इब्ने अब्बास से रिवायत किया कि चौबीसवीं रात में तलाश करो।

हदीस 1893:– उबादा बिन सामित ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ बाहर तशरीफ़ लाए ताकि हमें शबे क़द्र के बारे में बताएं, दो मुसलमान आपस में झगड़ने लगे। आपने फ़रमाया: "मैं तुम्हें शबे क़द्र के बारे में बताने आया था लेकिन फ़ुलां आपस में झगड़ पड़े इस लिए उसका इल्म मुझ से उठा लिया गया। शायद इस में तुम्हारी भलाई हो, इस लिए इसे (आख़िरी अश्रे की) नवीं, सातवीं और पांचवीं रातों में ढूंढो।"

बाब 1258:– रमज़ान के आख़िरी अश्रे में ज़्यादा आमाल करना:

हदीस 1894:– सय्यदा आयशा ؓ रिवायत करती हैं, आख़िरी अश्रा आता तो रसूलुल्लाह ﷺ अपना तहमद मज़बूत बांध लेते, (यानी कमर बस्ता हो जाते) रातों को खुद भी जागते और घर वालों को भी जगाते।

एतेकाफ़ का बयान

बाब 1259:- एतेकाफ़ आख़िरी अश्रे और तमाम मस्जिदों में बैठनाः

इरशादे ख़ुदावन्दी हैः "जब तुम मस्जिदों में मोअतकिफ़ हो तो अपनी औरतों से सोहबत न करो, अल्लाह की हुदूद हैं। उनके क़रीब मत फटको अल्लाह तआला इसी तरह अपनी आयात लोगों से बयान फ़रमाता है ताकि लोग तक़वा शिआ़र बन जाएं।"

हदीस 1895:- अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ रमज़ान के आख़िरी अश्रे में एतेकाफ़ बैठा करते थे।

हदीस 1896:- ज़ौजए रसूल सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ रमज़ान के आख़िरी अश्रे में एतेकाफ़ बैठते थे यहां तक कि आप का विसाल हो गया। आपके बाद आपकी अज़्वाजे मुतह्हरात एतेकाफ़ करती थीं।

हदीस 1897:- अबू सईद ख़ुदरी ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ रमज़ान के दरमियानी अश्रे में एतेकाफ़ बैठते। एक साल आप मोअ़तकिफ़ थे, जब इक्कीसवीं की शब हुई और उसकी सुबह को आप एतेकाफ़ से बाहर आ जाते थे। आपने फ़रमायाः "जिसने मेरे साथ एतेकाफ़ किया, उसे चाहिए कि वह आख़िरी अश्रे में (भी) एतेकाफ़ करे क्योंकि यह रात मुझे ख़्वाब में दिखाई गई फिर मुझे भुला दी गई और मैं ख़्वाब में देखता हूं कि पानी और कीचड़ में इस रात की सुबह को सज्दा कर रहा हूं, लिहाज़ा इसे इस अश्रे और ताक़ रातों में तलाश करो।" फिर उसी शब बारिश हुई, मस्जिद की छत खजूर से बनी थी वह टपकने लगी। मेरी आंखों ने रसूलुल्लाह ﷺ को इक्कीसवीं की सुबह को देखा, आपके चेहरे पर पानी और कीचड़ लगा था।

बाब 1260:- हाइज़ा मोअ़तकिफ़ को कंघा कर सकती हैः

हदीस 1898:- सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ अपना सर मस्जिद में एतेकाफ़ के दौरान मेरी तरफ़ कर देते और मैं बावुजूद हाइज़ा होने के उसमें कंघा कर देती।

बाब 1261:- मोअ़तकिफ़ बग़ैर किसी हाजत के घर में न आएः

हदीस 1899:- ज़ौजए रसूल सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ मस्जिद में एतेकाफ़ के दौरान अपना सर मेरी तरफ़ कर देते और मैं कंघा कर देती और आप जब मोअ़तकिफ़ होते तो बग़ैर ज़रूरत के घर में न आते।

बाब 1262:- दौराने एतेकाफ़ नहानाः

हदीस 1900:- सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ मुझे बोसो किनार करते और मैं हाइज़ा होती और एतेकाफ़ के दौरान अपना सर मस्जिद से बाहर निकालते और मैं उसे धो देती हालांकि मैं हाइज़ा होती।

बाब 1263:- रात भर का एतेकाफ़ः

हदीस 1901:- इब्ने उमर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ से हज़रत उमर ﷺ ने पूछा, मैंने अय्यामे जाहिलियत में मस्जिदे हराम में एक रात के एतेकाफ़ की नज़र मानी थी। आपने फ़रमायाः "अपनी नज़र पूरी करो।"

बाब 1264:- औरतों का एतेकाफ़ करना:

हदीस 1902:- सय्यदा आयशा رضی الله عنها रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ रमज़ान के आख़िरी अश्रे में एतेकाफ़ करते, मैं आपके लिए ख़ेमा नसब कर देती। आप नमाज़े फ़ज्र के बाद उस में जाते तो सय्यदा हफ़सा رضی الله عنها ने सय्यदा आयशा رضی الله عنها से ख़ेमा नसब करने की इजाज़त मांगी, उन्होंने दे दी तो हफ़सा رضی الله عنها ने भी एक ख़ेमा गाड़ा। जब ज़ैनब बिन्ते जहश رضی الله عنها ने देखा तो उन्होंने भी ख़ेमा गाड़ दिया। आपने फ़रमाया: "यह ख़ेमे किस लिए हैं?" आपको बताया गया तो फ़रमाया: "क्या तुम इसे नेकी समझती हो?" चुनान्चे आपने उस महीने एतेकाफ़ छोड़ दिया और शव्वाल के किसी अश्रे में एतेकाफ़ किया।

बाब 1265:- एतेकाफ़ के लिए मस्जिद में ख़ेमे गाड़ना:

हदीस 1903:- सय्यदा आयशा رضی الله عنها रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने एतेकाफ़ का इरादा किया। जब एतेकाफ़ की जगह पर पहुंचे तो कई ख़ेमे गड़े हुए देखे। यह ख़ेमे सय्यदा आयशा, सय्यदा हफ़सा और सय्यदा ज़ैनब رضی الله عنهن के थे। आपने फ़रमाया: "तुम इसमें नेकी समझती हो?" फिर आप वापस चले गए और एतेकाफ़ नहीं बैठे (फिर कभी) शव्वाल के एक अश्रे में एतेकाफ़ किया।

बाब 1266:- क्या मोअ्तकिफ़ ज़रूरत की बिना पर मस्जिद के दरवाज़े पर आ सकता है:

हदीस 1904:- ज़ौजए रसूल सय्यदा सफ़िया رضی الله عنها रिवायत करती हैं, वह रसूलुल्लाह ﷺ से मुलाक़ात को गईं। आप उन दिनों रमज़ान के आख़िरी अश्रे में मोअ्तकिफ़ थे। थोड़ी देर गुफ़्तगू की फिर उठ खड़ी हुईं तो रसूलुल्लाह ﷺ भी आपके हमराह उठ खड़े हुए ताकि उन्हें पहुंचा आएं। हत्ता कि बाबे उम्मे सलमा के पास मस्जिद के दरवाज़े पर पहुंचें। वहां से दो अन्सारी जवान गुज़र रहे थे, उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ को सलाम किया। रसूलुल्लाह ﷺ ने उन्हें फ़रमाया: "ज़रा ठहरो, यह सफ़िया बिन्ते हुय (मेरी ज़ौजा) हैं।" वह बोले या रसूलल्लाह! क्या आप से भी सूए ज़न हो सकता है? उन दोनों को आपकी यह बात भारी महसूस हुई। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "शैतान ख़ून की मानिन्द इन्सान के तन बदन में गर्दिश करता रहता है और मुझे अंदेशा लाहिक़ हुआ कि कहीं (वह) तुम्हारे दिलों में कोई वसवसा न डाल दे।

बाब 1267:- एतेकाफ़ और रसूलुल्लाह ﷺ का बीसवीं की सुबह को एतेकाफ़ से निकलना:

हदीस 1905:- अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रिवायत करते हैं, मैंने अबू सईद ख़ुदरी رضی الله عنه से पूछा, आपने रसूलुल्लाह ﷺ को शबे क़द्र का ज़िक्र करते हुए सुना? बोले हां, हम ने रसूलुल्लाह ﷺ के साथ रमज़ान के दरमियानी अश्रे में एतेकाफ़ किया। हम बीसवीं की सुबह को बाहर आए तो आपने उस सुबह को हम से ख़िताब किया और फ़रमाया: "मुझे शबे क़द्र की झलक दिखाई गई है और फिर मुझे भुला दी गई, लिहाज़ा इसे आख़िरी अश्रे की ताक़ रातों में तलाश करो, क्योंकि मैंने ख़्वाब में देखा है कि मैं पानी और कीचड़ में सज्दा कर रहा हूं।" जो शख़्स आपके हमराह मोअ्तकिफ़ थे वह लौट जाए चुनान्चे लोग मस्जिद की तरफ़ चले गए और कहीं आसमान पर बादल का एक भी टुकड़ा नज़र नहीं आ रहा था। अचानक एक बादल उठा और बारिश शुरू हो गई (इसी दौरान) नमाज़ अदा

की गई तो रसूलुल्लाह ﷺ ने पानी और कीचड़ में सज्दा किया और मैंने आपकी पेशानी और नाक पर पानी और कीचड़ के आसार देखे।

बाब 1268:- हाइज़ा का मोअतकिफ़ होना:

हदीस 1906:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह आपकी एक ज़ौजा ने हालते हैज़ में एतेकाफ़ किया और वह सुर्ख़ी और ज़र्दी देखती थीं। हम अकसर उनके नीचे एक थाली रख देतीं और वह नमाज़ अदा करतीं।

बाब 1269:- औरत का अपने मोअतकिफ़ शौहर से मुलाक़ात करना:

हदीस 1907:- सय्यदा सफ़िया رضي الله عنها (ज़ौजए रसूल) रिवायत करती हैं, (एक और हवाले से) अली बिन हुसैन رحمه الله रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ मस्जिद में थे और आपके पास आपकी (कुछ) अज़्वाज आई हुई थीं। वह जाने लगीं तो आपने सय्यदा सफ़िया बिन्ते हुय से फ़रमाया: "ठहरो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं।" और उनका हुजरा उसामा बिन ज़ैद رضي الله عنه के मकान में था। रसूलुल्लाह ﷺ उनके हमराह चले तो दो अन्सारी मिल गए। उन्होंने आपको देखा और आगे बढ़ गए। आपने उन दोनों को पुकार कर फ़रमाया: "इधर आओ, यह सफ़िया बिन्ते हुय हैं।" वह दोनों बोले, सुब्हानल्लाह! ऐ अल्लाह के रसूल! फ़रमाया: "शैतान इन्सान में ख़ून की तरह गर्दिश करता है, मुझे खटका था कि कहीं शैतान तुम्हारे अन्दर वसवसा न पैदा करदे।"

बाब 1270:- क्या मोअतकिफ़ अपने बारे में ग़लत फ़हमी दूर कर सकता है?:

हदीस 1908:- अली बिन हुसैन رحمه الله रिवायत करते हैं, सय्यदा सफ़िया رضي الله عنها रसूलुल्लाह ﷺ के पास आईं और आप मोअतकिफ़ थे। जब वापस होने लगीं तो आप भी उनके हमराह चल दिए। आपको एक अन्सारी ने देखा। जब उस पर आपकी नज़र पड़ी तो आवाज़ दी कि इधर आओ, फ़रमाया: "यह सफ़िया हैं, शैतान इब्ने आदम के जिस्म में ख़ून की तरह गर्दिश करता रहता है।" अली कहते हैं, मैंने सुफ़यान से पूछा वह आपके पास रात में आई थीं? उन्होंने कहा रात ही का वक़्त था।

बाब 1271:- जो सुबह के वक़्त अपना एतेकाफ़ ख़त्म करे:

हदीस 1909:- अबू सईद ख़ुदरी رضي الله عنه रिवायत करते हैं, हम ने रसूलुल्लाह ﷺ के साथ रमज़ान के दरमियानी अश्रे में एतेकाफ़ किया। जब बीसवीं की सुबह हुई तो हम ने अपना सामान उठा लिया। आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और फ़रमाया: "जो मोअतकिफ़ था वह अपना एतेकाफ़ जारी रखे, मैंने (हालते ख़्वाब में) यह रात (शबे क़द्र) देखी है और मैंने देखा कि मैं पानी और कीचड़ में सज्दा कर रहा हूं।" जब हम एतेकाफ़ की जगहों में लौटे तो बादल आ गए और बारिश होने लगी और उसकी क़सम जिस ने आपको रसूले बरहक़ बना कर भेजा उस दिन के आख़िरी हिस्से में आसमान अब्र आलूद हुआ और मस्जिद की छत खजूर की थी। मैंने आपकी नाक और पेशानी पर कीचड़ के निशानात देखे।

बाब 1272:- शव्वाल में एतेकाफ़ करना:

हदीस 1910:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ हर रमज़ान में एतेकाफ़ बैठते और जब नमाज़े सुबह अदा करते तो एतेकाफ़ की जगह पर चले जाते। सय्यदा आयशा رضي الله عنها ने आप से एतेकाफ़ की इजाज़त चाही, आपने इजाज़त दे दी। उन्होंने वहां एक ख़ेमा लगाया, सय्यदा हफ़्सा رضي الله عنها ने जब यह सुना तो उन्होंने भी ख़ेमा गाड़ दिया, सय्यदा ज़ैनब رضي الله عنها को पता चला तो उन्होंने भी

एक ख़ेमा नसब कर लिया। रसूलुल्लाह ﷺ जब सुबह की नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो आपने चार ख़ेमे देखे। फ़रमायाः "यह क्या है?" जब बताया गया तो आपने फ़रमायाः "इन्हें इस पर नेकी ने नहीं उभारा, इन्हें उखाड़ फेंको, मैं फिर इन्हें न देखूं।" चुनान्चे वह ख़ेमे हटा दिए गए और आपने उस रमज़ान में एतेकाफ़ नहीं किया, बादे अज़ां आपने शव्वाल के आख़िरी अश्रे में एतेकाफ़ किया।

बाब 1273:– जिन के नज़्दीक मोअ्तकिफ़ के लिए रोज़ा-दार होना ज़रूरी नहीं:

हदीस 1911:– उमर बिन ख़त्ताब رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, उन्होंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने दौरे जाहिलियत में बैतुल्लाह में एक रात एतेकाफ़ करने की नज़र मानी थी तो रसूलुल्लाह ﷺ ने उन्हें कहाः "वह अपनी नज़र पूरी करें।" चुनान्चे उन्होंने रात भर एतेकाफ़ किया।

बाब 1274:– अगर कोई दौरे जाहिलियत में एतेकाफ़ की नज़र माने और फिर इस्लाम कुबूल करले:

हदीस 1912:– इब्ने उमर رضی اللہ عنہما रिवायत करते हैं, हज़रत उमर رضی اللہ عنہ ने दौरे जाहिलियत में मस्जिदे हराम में एतेकाफ़ करने की नज़र मानी थी। (रावी के मुताबिक़) रात का लफ़्ज़ भी कहा था। उन्हें रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "अपनी नज़र पूरी करो।"

बाब 1275:– रमज़ान के दरमियानी अश्रे में एतेकाफ़ करना:

हदीस 1913:– अबू हुरैरह رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ हर रमज़ान में दस दिन मोअ्तकिफ़ रहते, जिस साल आप का इन्तिक़ाल हुआ तो आप ने बीस दिन एतेकाफ़ किया।

बाब 1276:– एतेकाफ़ का इरादा करने के बाद (न करना और) बाहर निकल आना:

हदीस 1914:– सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने रमज़ान के आख़िरी अश्रे में एतेकाफ़ बैठने का ज़िक्र किया तो सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا ने भी इजाज़त मांगी, आपने दे दी। सय्यदा हफ़सा رضی اللہ عنہا ने सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا से कहा उन्हें भी इजाज़त ले दें। (उन्हें भी मिल गई) ज़ैनब बिन्ते जहश رضی اللہ عنہا ने जब यह देखा तो उन्होंने एक ख़ेमा नसब करने को कहा चुनान्चे उनके लिए भी एक ख़ेमा नसब कर दिया गया। सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا कहती हैं, जब रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़ पढ़ कर अपने ख़ेमे को जाने लगे तो इन ख़ेमों पर नज़र पड़ी तो पूछाः "यह कैसे हैं?" लोगों ने कहा यह आयशा, हफ़सा और ज़ैनब رضی اللہ عنہن के ख़ेमे हैं। फ़रमायाः "इनका इरादा नेकी का नहीं, मैं (इस दफ़ा) एतेकाफ़ नहीं बैठूंगा।" चुनान्चे आप वापस चल दिए। जब रोज़े गुज़र गए तो शव्वाल के एक अश्रे में एतेकाफ़ किया।

बाब 1277:– मोअ्तकिफ़ अगर अपना सर धुलवाने की ग़र्ज़ से घर की तरफ़ करदे:

हदीस 1915:– सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا रिवायत करती हैं, हालते एतेकाफ़ में वह रसूलुल्लाह ﷺ के सर में कंघा करतीं हालांकि वह (ख़ुद) हाइज़ा होतीं और अपने हुजरे में होतीं और आप अपना सर उनकी तरफ़ कर देते।

अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है

किताबुल बुयूअ (ख़रीद व फ़रोख़्त का बयान)

इरशादे ख़ुदावन्दी हैः "अल्लाह तआला ने तिजारत को हलाल और सूद को हराम क़रार दिया है।"

(नीज़) फ़रमाने इलाही है: "अल्बत्ता यह कि नक़द लेन देन हो जो तुम करते हो।"

बाब 1278:- अल्लाह तआला के इस इरशाद के ज़िम्न में "जब तुम नमाज़ पढ़ लो तो ख़ुदा के फ़ज़्ल (रिज़्क़) की तलाश में ज़मीन में फैल जाओ और ख़ुदा की याद रखा करो ताकि कामयाब रहो और जब कोई तिजारत या खेल तमाशे देखते हैं तो उसकी तरफ़ दौड़ पड़ते हैं और आपको (अकेला) खड़ा छोड़ देते हैं और (जबकि) अल्लाह तआला बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है।" नीज़ इरशादे ख़ुदावन्दी है: "आपस में नाहक़ तौर पर एक दूसरे का माल न खाओ अल्बत्ता यह कि तुम्हारी तिजारत बाहमी रज़ा मन्दी पर हो।"

हदीस 1916:- सईद बिन मुसय्यब व अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रिवायत करते हैं, अबू हुरैरह رضي الله عنه ने कहा, तुम कहते हो अबू हुरैरह रसूलुल्लाह ﷺ से ज़्यादा हदीसें रिवायत करते हैं और यह भी कि मुहाजिरीन व अन्सार रसूलुल्लाह ﷺ से अबू हुरैरह की तरह रिवायत नहीं करते। अस्ल बात यह है कि हमारे मुहाजिर भाई बाज़ार में ख़रीदो फ़रोख़्त में मसरूफ़ रहते और जब मैं शिकम सेर होता तो रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में रहता। जब वह लोग ग़ायब होते तो मैं मौजूद रहता, जब वह लोग भूल जाते तो मैं याद रखता और हमारे अन्सार भाई दुन्यवी काम काज से फ़ारिग़ न होते और मैं सुफ़्फ़ा के मिस्कीनों में से था। मैं उसे याद रखता जिसे वह भूल जाते और रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो शख़्स अपना कपड़ा फैलाए रखे यहां तक कि मैं अपनी गुफ़्तगू ख़त्म कर लूं और वह अपना कपड़ा इकट्ठा करले तो मैंने जो कुछ भी कहा, उसे याद रहेगा। मैंने अपनी चादर फैला दी जिसे मैं ओढ़ता था, जब रसूलुल्लाह ﷺ अपनी बात ख़त्म कर चुके तो मैंने उसे उठा कर सीने से लगा लिया और उसके बाद मैं रसूलुल्लाह ﷺ की कोई बात नहीं भूला।

हदीस 1917:- इब्राहीम बिन सअ़द अपने वालिद और उनके दादा से रिवायत करते हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ رضي الله عنه ने बयान किया, जब हम मदीना मुनव्वरा में आए तो रसूलुल्लाह ﷺ ने मेरे और सअ़द बिन रबीअ़ رضي الله عنه के दरमियान रिश्तए मुआख़ात क़ायम फ़रमाया। सअ़द बिन रबीअ़ बोले, मैं अन्सार में ज़्यादा मालदार हूं इस लिए मैं तुम्हें अपना आधा माल देता हूं और जो बीवी तुम्हें पसंद आए मैं उसे तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, जब वह इद्दत से फ़ारिग़ हो जाए तो तुम उससे निकाह कर लेना। अब्दुर्रहमान बोले ऐसा नहीं (यह बताओ) यहां कोई बाज़ार भी है जहां तिजारत होती हो? उन्होंने कहा क़ैनुक़ाअ़ का बाज़ार है। चुनान्चे अब्दुर्रहमान वहां गए और पनीर और घी लेकर आए और फिर हर सुबह को वहां जाने लगे। कुछ दिन गुज़रे अब्दुर्रहमान आए तो उन पर ज़र्दी का निशान था, रसूलुल्लाह ﷺ ने पूछा: "क्या तुम ने निकाह कर लिया है?" जवाब दिया हां, आपने फ़रमाया: "किस से?" बोले एक अन्सारी औरत से। दरयाफ़्त किया: "महर कितना दिया?" कहा गुठली के बराबर सोना। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "वलीमा करो अगर्चे एक बकरी ही क्यों न हो।"

हदीस 1918:- अनस رضي الله عنه रिवायत करते हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ رضي الله عنه जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो रसूलुल्लाह ﷺ ने उनके और सअ़द बिन रबीअ़ अन्सारी رضي الله عنه के दरमियान मुआख़ात क़ायम करदी। सअ़द दौलत मन्द थे, उन्होंने अब्दुर्रहमान से कहा, मैं अपना आधा माल भी तुम्हें देता हूं और तुम्हारा निकाह कर देता हूं। अब्दुर्रहमान رضي الله عنه ने कहा, ख़ुदा तुम्हारी बीवियों और माल में बरकत दे, मुझे बाज़ार का पता बता दो। वह बाज़ार से उस वक़्त तक वापस न लौटे जब तक घी और पनीर न बचा

लिया, उसे वह अपने घर वालों के पास ले आए। कुछ दिन बाद वह इस तरह आए कि उन पर ज़र्दी का असर था। रसूलुल्लाह ﷺ ने उनसे फ़रमाया: "क्या बात है?" बोले मैंने एक अन्सारी ख़ातून से शादी कर ली है। आपने फ़रमाया: "कितना महर दिया।" कहा गुठली बराबर सोना نَوَاةٍ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ وَزْنِ نَوَاةٍ مِّنْ ذَهَبٍ कहा। आपने फ़रमाया: "वलीमा करो अगर्चे एक बकरी ही हो।"

हदीस 1919:- इब्ने अब्बास رضي الله عنه रिवायत करते हैं, जाहिलियत के बाज़ार उकाज़, मजिन्ना और जुल मजाज़ थे। जब अहदे इस्लाम शुरू हुआ तो मुसलमानों ने उन बाज़ारों में तिजारत को मकरूह समझा। तब यह आयते मुबारका नाज़िल हुई: "हज के ज़माने में रब के फ़ज़्ल की तलाश चन्दां मायूब नहीं।" यह इब्ने अब्बास رضي الله عنه पढ़ते थे।

बाब 1279:- हलाल और हराम वाज़ेह हैं और इनके दरमियान कुछ मुश्तबा चीज़ें हैं:

हदीस 1920:- नोअ्मान बिन बशीर رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "हलाल और हराम वाज़ेह हैं और इनके दरमियान कुछ मश्कूक चीज़ें हैं। चुनान्चे जिस ने मुश्तबहात को तर्क कर दिया वह मोहर्रमात को भी छोड़ देगा और जिस ने मुश्तबा उमूर को इख़्तियार किया तो (अनक़रीब) वह खुले गुनाह में मुलव्विस हो जाएगा और गुनाह अल्लाह तआला की चरागाहें हैं जो शख़्स उस चरागाह के इर्द गिर्द जानवर चराएगा ऐन मुमकिन है कि वह उस में दाख़िल हो जाए।"

बाब 1280:- मुश्तबहात की तश्रीह:

हस्सान बिन अबी सनान कहते हैं, तक़्वा से बढ़ कर आसान चीज़ कोई नहीं, मश्कूक चीज़ें छोड़ दो और खरी चीजें ले लो।

हदीस 1921:- उक़्बा बिन हारिस رضي الله عنه रिवायत करते हैं, एक स्याह औरत आई और उसने उक़्बा और उसकी बीवी को दूध पिलाने का दावा किया। उक़्बा ने रसूलुल्लाह ﷺ को बताया तो आपने मुंह फेर लिया और मुस्कुरा कर फ़रमाया: "अब तुम इस औरत को कैसे रख सकते हो जबकि उसके मुताल्लिक़ ऐसी बात कही जाती है।" उक़्बा की अहलिया अबू इहाब तमीमी की बेटी थीं।

हदीस 1922:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, उतबा बिन अबी वक़ास ने अपने भाई सअ्द बिन अबी वक़ास رضي الله عنه को वसियत की कि ज़मआ की लौंडी का बेटा मेरा है इस लिए उस पर क़ब्ज़ा कर लेना। सय्यदा आयशा رضي الله عنها के मुताबिक़ फ़तह मक्का के साल उसे सअ्द बिन अबी वक़ास رضي الله عنه ने अपने क़ब्ज़े में कर लिया और कहा मेरे भाई का बेटा है, उन्होंने इसके बारे में मुझे वसियत की थी। अब्द बिन ज़मआ ने खड़े होकर कहा मेरा भाई है और मेरे बाप की लौंडी का बेटा है, उनके बिस्तर पर पैदा हुआ है। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "ऐ अब्द बिन ज़मआ! यह लड़का तुम्हें मिलेगा, बच्चा उसी का जिसके बिस्तर पर जन्म लिया और ज़ानी के लिए पत्थर हैं।" फिर आपने (अपनी अहलिया) सौदा बिन्ते ज़मआ رضي الله عنها से फ़रमाया: "इससे पर्दा किया करो, इसमें उतबा की शबाहत झलकती है।" चुनान्चे उस लड़के ने ता ज़िन्दगी सौदा बिन्ते ज़मआ رضي الله عنها को नहीं देखा।

हदीस 1923:- अदी बिन हातिम رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से तीर के शिकार के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया, तो फ़रमाया: "अगर तीर नोक की जानिब से लगे तो खाओ, अगर चौड़ाई की तरफ़ से लगे तो मत खाओ कि वह हराम है।" मैंने (फिर) अर्ज़ किया मैं अपना कुत्ता छोड़ता हूं और बिस्मिल्लाह कहता हूं, फिर उसके साथ एक और कुत्ता देखता हूं जिस पर मैंने बिस्मिल्लाह नहीं

कही और मुझे मालूम नहीं, उन में से किसने (शिकार को) पकड़ा। आपने फ़रमायाः "उसे मत खाओ क्योंकि तुम ने अपने कुत्ते पर बिस्मिल्लाह कही है, दूसरे पर नहीं कही।"

बाब 1281:- मुश्तबहात से इज्तिनाब करनाः

हदीस 1924:- अनस ﵁ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ एक गिरी हुई खजूर से गुज़रे। आपने फ़रमायाः "अगर मुझे इसके बारे में सदका का शक न होता तो इसे खा लेता।" हम्माम ने अबू हुरैरह और उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत कीः "मैं खजूर अपने बिस्तर पर गिरी हुई पाता हूं।"

बाब 1292:- जो वसवसों और इस तरह की बातों को मुश्तबा न समझेः

हदीस 1925:- अब्बाद बिन तमीम अपने चचा से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ को एक शख़्स के मुताल्लिक बतलाया गया कि वह नमाज़ में कुछ (वसवसा वग़ैरा) पाता है, क्या वह नमाज़ को तोड़ दे? फ़रमायाः "नहीं जब तक वह आवाज़ या बू न महसूस करले।" इब्ने हफ्सा, ज़ुहरी के हवाले से कहते हैं, वुज़ू उसी सूरत में लाज़िम है कि तुम बू महसूस करो या आवाज़ सुनाई दे।

हदीस 1926:- सय्यदा आयशा ﵂ रिवायत करती हैं, कुछ लोगों ने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! कुछ लोग हमारे पास गोश्त लेकर आते हैं, हम नहीं जानते कि उन्होंने उस पर अल्लाह का नाम लिया है या नहीं। आपने फ़रमायाः "तुम बिस्मिल्लाह पढ़ कर खा लिया करो।"

बाब 1283:- इरशादे ख़ुदावन्दी कि "जब वह तिजारत या लह्व व लइब देखते हैं तो उसकी तरफ़ दौड़ पड़ते हैं।"

हदीस 1927:- जाबिर ﵁ रिवायत करते हैं, एक दफ़ा हम रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह नमाज़ पढ़ रहे थे। शाम से ग़ल्ले का लदा हुआ ऊंटों का क़ाफ़िला आया तो लोग उसकी तरफ़ चल दिए और रसूलुल्लाह ﷺ के साथ सिर्फ़ बारह आदमी रह गए। तब इस आयत का नुज़ूल हुआः "जब लोग तिजारत या खेल कूद वग़ैरा देखते हैं तो उसकी जानिब दौड़ पड़ते हैं।"

बाब 1284:- जिसे इस बात की परवाह न हो कि माल कहां से हासिल कियाः

हदीस 1928:- अबू हुरैरह ﵁ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "लोगों पर एक दौर ऐसा आएगा जब इस बात की परवाह न की जाएगी कि माल हलाल या हराम किस रास्ते से आया है।"

बाब 1285:- ख़ुश्की में तिजारत करनाः

इरशादे ख़ुदावन्दी हैः "वह लोग जिन्हें तिजारत और ख़रीदो फ़रोख़्त ज़िक्रे इलाही से ग़ाफ़िल नहीं होने देती।" अबू क़तादा ﵁ कहते हैं, लोग तिजारत किया करते थे लेकिन जब हुक़ूक़ुल्लाह में से कोई हक़ आ जाता तो तिजारत वग़ैरा उन्हें ज़िक्रे ख़ुदावन्दी से ग़ाफ़िल नहीं कर सकती थी और वह अल्लाह तआला के हक़ की अदायगी में मुस्तअद रहते।

हदीस 1929:- अबू मिन्हाल ﵁ रिवायत करते हैं, मैं सर्राफ़ था। मैंने ज़ैद बिन अरक़म ﵁ से पूछा तो उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः (बरिवायते दीगर) मैंने बराअ बिन आज़िब और ज़ैद बिन अरक़म ﵄ से सर्राफ़ी की बाबत पूछा तो उन दोनों ने बताया, हम अहदे रिसालत मआब ﷺ में तिजारत करते तो हम ने आप से सर्राफ़ी के बारे में पूछा। आपने फ़रमायाः "अगर हाथों हाथ हो तो चन्दां मुज़ाइक़ा नहीं अगर उधार रहे तो ना-मुनासिब है।

बाब 1286:- तिजारत की गर्ज़ से बाहर जानाः

इरशादे खुदावन्दी है: "ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़्ल (रिज़्क़) तलाश करो।"

हदीस 1930:- उबैद बिन उमैर रिवायत करते हैं, अबू मूसा अश्अरी ने उमर बिन ख़त्ताब से अन्दर आने की इजाज़त मांगी लेकिन न मिली, शायद उमर मसरूफ़ थे। अबू मूसा वापस चले गए। जब उमर फ़ारिग़ हुए तो कहा मैंने अब्दुल्लाह बिन कैस की आवाज़ सुनी थी, उन्हें आने को कहा गया। बतलाया गया कि वह वापस चले गए। हज़रत उमर ने उन्हें बुला भेजा तो उन्होंने जवाब दिया कि हमें यही हुक्म मिला है। हज़रत उमर बोले, इस पर गवाह पेश करने होंगे। वह अन्सार की मजलिस में गए और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा इसके मुतअल्लिक़ तो हमारा सबसे छोटा अबू सईद (ख़ुदरी) भी गवाह बन सकता है, चुनांचे वह अबू सईद ख़ुदरी को लेकर गए तो हज़रत उमर ने कहा, मैं इस हुक्मे नब्वी से बे-ख़बर रहा, मुझे बाज़ार में लेन देन ने इस हुक्म से ग़ाफ़िल रखा।

बाब 1287:- समुद्र में तिजारत करनाः

मतर कहते हैं, इस में कोई मुज़ाइक़ा नहीं और क़ुरआने मजीद में जो कुछ आया है वह बिल्कुल सही है, फिर यह आयत पढ़ीः "तुम देखते हो कि कश्तियां पानी को चीरती हैं।" मुजाहिद कहते हैं, कश्तियां हवा को चीरती हैं और हवा बड़ी कश्तियां चीरती है। लैस कहते हैं, मुझे जअफ़र बिन रबीआ ने अब्दुर्रहमान बिन हुरमुज़ के हवाले से बताया, अबू हुरैरह रसूलुल्लाह से रिवायत करते हैं, आपने बनी इस्राईल के एक शख़्स का तज़्किरा किया जो दरिया के सफ़र को निकला और अपनी ज़रूरत पूरी की और फिर पूरी हदीस बयान की।

बाब 1288:- इरशादे खुदावन्दी है: "जब वह तिजारत या खेल कूद देखते हैं तो उसकी तरफ़ दौड़ पड़ते हैं।" (नीज़) इरशादे खुदावन्दी है: "वह लोग जिन्हें तिजारत और लेन देन खुदा की याद से ग़ाफ़िल नहीं कर सकते।" क़तादा का कहना है, लोग तिजारत करते थे लेकिन जब कभी अल्लाह के हक़ की अदायगी का मस्अला पेश आता तो उन्हें तिजारत और ख़रीदो फ़रोख़्त ज़िक्रे खुदावन्दी से ग़ाफ़िल न कर सकती यहां तक कि वह खुदा का हक़ अदा कर लेते।

हदीस 1931:- जाबिर रिवायत करते हैं, ऊंटों का एक क़ाफ़िला आया और हम रसूलुल्लाह के हमराह नमाज़े जुम्आ पढ़ रहे थे। बारह आदमियों के अलावा सब के सब उस तरफ़ भाग खड़े हुए। तब इस आयत का नुज़ूल हुआः "जब वह तिजारत या खेल देखते हैं तो आपको अकेला छोड़ कर उधर दौड़ पड़ते हैं।"

बाब 1289:- इरशादे खुदावन्दी है कि "अपनी हलाल कमाई से (खुदा की राह में) ख़र्च करो:"

हदीस 1932:- सय्यदा आयशा रिवायत करती हैं, अगर कोई औरत अपने घर का ग़ल्ला सदक़ा दे और इरादा घर को नुक़सान पहुंचाने का न हो तो उसे उसका अज्र मिलेगा क्योंकि उसने सदक़ा किया और उसके ख़ाविन्द को भी सवाब मिलेगा क्योंकि उस ने कमाया और ख़ज़ान्ची को भी उतना ही अज्र मिलेगा और दूसरे का अज्र किसी को कम नहीं करेगा।

हदीस 1933:- अबू हुरैरह रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने फ़रमायाः "अगर कोई औरत शौहर की इजाज़त के बग़ैर कुछ सदक़ा करे तो उसे शौहर के मुक़ाबला में निस्फ़ अज्र मिलेगा।"

बाब 1290:- जो रिज़्क़ में कशाइश पसंद करता है:

हदीस 1934:- अनस बिन मालिक رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "जिसे अपने रिज़्क़ में कशाइश की ख़्वाहिश हो और उम्र की दराज़ी मतलूब हो तो सिला रहमी से काम ले।"

बाब 1291:- रसूलुल्लाह ﷺ का लेन देन में उधार करनाः

हदीस 1935:- अअ़मश रिवायत करते हैं, उन्होंने इब्राहीम नख़्ई के पास क़र्ज़ा लेकर कुछ गिरवी रखने का ज़िक्र किया तो उन्होंने कहा, मुझ से असवद ने बहवाला सय्यदा आयशा رضي الله عنها बयान किया कि रसूलुल्लाह ﷺ ने एक यहूदी से कुछ खाने को मुक़र्ररा मुद्दत तक लिया और लोहे की एक ज़िरह उसके पास बतौर गिरवी रखी।

हदीस 1936:- अनस رضي الله عنه रिवायत करते हैं, वह रसूलुल्लाह ﷺ के पास जौ की एक रोटी और बदबूदार चर्बी लेकर गए। उस वक़्त आपने मदीना में एक यहूदी के पास अपनी ज़िरह रहन रखी हुई थी और उससे घर वालों के लिए जौ लिए थे। मैंने आपको फ़रमाते हुए सुना कि "आले मुहम्मद (ﷺ) के पास एक साअ़ गेहूं या अनाज कभी किसी शाम नहीं रहा।" हालांकि आपकी अज़्वाज की ताअ़दाद नौ थी।

बाब 1292:- आदमी का अपने हाथ से कमाई करनाः

हदीस 1937:- उरवा बिन ज़ुबैर रिवायत करते हैं, सय्यदा आयशा رضي الله عنها ने फ़रमाया जब अबू बक्र सिद्दीक़ رضي الله عنه ख़लीफ़ा मुन्तख़ब किए गए तो फ़रमायाः मेरा तिजारती मश्ग़ला मेरे अहलो अयाल की कफ़ालत के लिए काफ़ी था। अब मैं मुसलमानों की ख़िदमत पर मामूर किया गया हूं तो अबू बक्र की औलाद इस माल (यानी बैतुल माल) से खाएगी और वह मुसलमानों के लिए इसमें तिजारत करेंगे।

हदीस 1938:- उरवा रिवायत करते हैं, सय्यदा आयशा رضي الله عنها ने फ़रमाया अस्हाबे रसूल अपने हाथ से मज़दूरी करते थे और उनके जिस्म से बू आती और उन्हें कहा जाता काश! तुम नहा लेते।

हदीस 1939:- मिक़दाम رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "अपने हाथ से कमाए हुए खाने से बेहतर कोई खाना नहीं और अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ से कमा कर खाते थे।"

हदीस 1940:- अबू हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ से काम करके खाते थे।"

हदीस 1941:- अबू उबैद (अब्दुर्रहमान बिन औफ़ رضي الله عنه के गुलाम) रिवायत करते हैं, उन्होंने अबू हुरैरह رضي الله عنه को कहते हुए सुना, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "तुम में कोई शख़्स लकड़ियां काट कर उनका गट्ठा अपनी पीठ पर लाद कर लाए तो उस शख़्स से बेहतर है जो किसी से सवाल करे, ख़्वाह (कोई) उसे दे या न दे।"

हदीस 1942:- ज़ुबैर बिन अवाम رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "तुम में से किसी का (लकड़ियां लाने की ख़ातिर) रस्सी लेकर जाना सवाल करने से बेहतर है।"

बाब 1293:- लेन देन में सहूलत और अदलो इन्साफ़ का बरताव करना और जो कोई अपना हक़ तलब करे तो सख़्ती बरतने से गुरेज़ करे:

हदीस 1943:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

"अल्लाह उस पर रहमत नाज़िल फ़रमाए जो ख़रीदो फ़रोख़्त और हक़ तलबी के मामला में नेर्मी का मुज़ाहिरा करे।"

बाब 1294:- दौलत मन्दों को मोहलत देना:

हदीस 1943:- हुज़ैफ़ा ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अगली उम्मत में से किसी एक शख़्स से फ़रिश्ते मिले तो उन्होंने पूछा तुम ने कोई नेकी की है? वह बोला मैं अपने ख़ादिमों को कहता था वह तंग दस्त लोगों को मोहलत दें और दौलत मन्दों से दर गुज़र करें (तो) फ़रिश्तों ने भी उस से दर गुज़र किया।

बाब 1295:- तंग दस्तों को मोहलत देना:

हदीस 1944:- अबू हुरैरह ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "एक ताजिर लोगों को क़र्ज़ देता था, जब किसी को तंग दस्त पाता तो अपने नौकरों से कहता कि उसे माफ़ कर दो शायद अल्लाह तआला हमें भी माफ़ फ़रमा दे चुनांचा अल्लाह तआला ने उसे माफ़ फ़रमा दिया।"

बाब 1296:- जब बेचने और ख़रीदने वाले खरी बात कहें और एक दूसरे की भलाई चाहें:

अद्दा बिन ख़ालिद ؓ कहते हैं, मुझे रसूलुल्लाह ﷺ ने लिख कर दिया कि यह इस बात की सनद है कि मुहम्मद ﷺ ने अद्दा बिन ख़ालिद से फ़ुलां चीज़ ली और यह मुसलमान के हाथ में मुसलमान के ख़रीदो फ़रोख़्त के मानिन्द है, इस में न तो कोई ऐब है और न बुराई और न ही फ़िस्क़ व फ़ुजूर। क़तादा ؓ कहते हैं, "ग़ाइला" से मुराद ज़िना, चोरी और फ़रार है। इब्राहीम नख़ई से कहा गया, बाज़ दल्लाल ख़ुरासान और सजिस्तान का नाम लेते हैं और कहते हैं, (माल) कल ही ख़ुरासान से आया है और आज ही सजिस्तान से आया है। इब्राहीम ने इसे ना-पसंदीदा क़रार दिया। उक़्बा बिन आमिर कहते हैं, किसी के लिए रवा नहीं कि अपना मायूब माल फ़रोख़्त करे, अगर वह ऐब बता दे तो ठीक है।

हदीस 1945:- हकीम बिन हिज़ाम ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "बेचने और ख़रीदने वाले को इख़्तियार है, जब तक कि दोनों एक दूसरे से अलग न हों (مَالَمْ يَتَفَرَّقَا कहा या حَتّٰى يَتَفَرَّقَا कहा) अगर दोनों सच बताएं और सही सही बयान कर दें तो उन दोनों को तिजारत में बरकत होगी और दोनों ने झूट बोला या किसी बात को छुपाया तो बरकत उठाली जाएगी।"

बाब 1297:- मिली जुली खजूर बेचना:

हदीस 1946:- अबू सईद ख़ुदरी ؓ रिवायत करते हैं, हमें मुख़्तलिफ़ खजूरें मिलतीं जिन में अच्छी बुरी सब मिली होतीं। हम दो साअ़ खजूर एक साअ़ के इवज़ देते, तो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "दो साअ़ (खजूरें) एक साअ़ के बदले में न दी जाएं और न दो दिरहम एक दिरहम के बदले दिए जाएं।"

बाब 1298:- गोश्त फ़रोश और क़साब के मुताल्लिक़ आमदा रिवायात:

हदीस 1947:- इब्ने मसऊद ؓ रिवायत करते हैं, एक अन्सारी ने जिनकी कुन्नियत अबू शुऐब थी अपने एक क़साब ग़ुलाम से खाना तय्यार करने को कहा जो पांच आदमियों के लिए काफ़ी रहे। मेरा इरादा है कि रसूलुल्लाह ﷺ समेत पांच आदमियों को मदऊ करूं (क्योंकि) मुझे रसूलुल्लाह ﷺ के

चेहरे पर भूक के आसार नज़र आए। चुनान्चे उन्हें बुलाया गया, उनके साथ एक और आदमी भी चला आया तो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "यह शख़्स मेरे साथ चला आया, अगर चाहो तो आ जाए वरना चला जाए।" वह बोले नहीं उसे भी (आने की) इजाज़त है।

बाब 1299:- तिजारत में ऐब को मख़्फ़ी रखना और दरोग़ गोई से बरकत ज़ाइल हो जाती है:

हदीस 1948:- हकीम बिन हिज़ाम رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "बेचने और लेने वाले को (माल लौटाने का) इख़्तियार है जब तक (एक दूसरे से) अलग न हो जाएं। अगर वह सच बोले और साफ़ बयानी की तो उनकी बैअ में बरकत डाल दी जाती है और अगर ऐब छुपाया या ग़लत बयानी की तो उनकी तिजारत से बरकत उठा ली जाती है।"

बाब 1300:- फ़रमाने इलाही है: "ऐ ईमान वालो! सूद बढ़ा चढ़ा कर न खाओ और अल्लाह से डरते रहो ताकि कामयाब रहो:"

हदीस 1949:- अबू हुरैरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "लोगों पर एक दौर आएगा जब इसकी तमीज़ न रहेगी कि माल हलाल या हराम किस ज़रिये से हासिल हो रहा है।"

बाब 1301:- सूद ख़ोर, गवाह और कातिब:

इरशादे बारी तआला है: "सूद ख़ोर यूं खड़े होंगे जैसे उन्हें शैतान के मस्स ने मख़्बूतुल हवास बना दिया है। यह इस लिए कि उन्होंने कहा था तिजारत भी तो (एक तरह का) सूद ही है जबकि अल्लाह तआला ने तिजारत को हलाल और सूद को हराम क़रार दिया है। जो ख़ुदा की तरफ़ से नसीहत आने पर बाज़ आ गया तो जो हुआ सो हुआ अगर फिर भी कसी ने इसे जारी रखा तो वह जहन्नमी है ऐसे लोग हमेशा जहन्नम में रहेंगे।"

हदीस 1950:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, जब सूरए बक़रा की आख़िरी आयत नाज़िल हुई तो इसे रसूलुल्लाह ﷺ ने मस्जिद में पढ़ कर सुनाया, फिर शराब की तिजारत भी हराम क़रार पाई।

हदीस 1951:- समुरा बिन जुन्दुब رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मैंने दो आदमियों को (ख़्वाब में) देखा, वह मेरे पास आए और मुझे अर्ज़े मुक़द्दस की तरफ़ ले गए। हम एक ख़ून की नहर के क़रीब गए जिस में एक शख़्स खड़ा था और नहर में एक (और) शख़्स खड़ा हुआ था जिसके सामने पत्थरों का अंबार रखा था। जो शख़्स नहर में था उसने वहां से निकलने का इरादा किया तो किनारे पर खड़े हुए शख़्स ने उसे पत्थर मारा, वह लुढ़क गया जहां पहले था और वह जब भी निकलना चाहता तो उसे पत्थर मार कर वहां पहुंचा देता जहां पहले था। मैंने पूछा यह कौन है? बतलाया गया जिसे आपने नहर में खड़ा हुआ देखा वह सूद ख़ोर था।"

बाब 1302:- सूद ख़ोर:

इरशादे ख़ुदावन्दी के मुताबिक़: "ऐ अहले ईमान! अल्लाह से डरो और जो सूद बाक़ी रह गया उसे छोड़ दो अगर तुम वाक़ई मोमिन हो। अगर ऐसा नहीं करते तो अल्लाह और रसूल के साथ जंग के लिए तय्यार हो जाओ, हां अगर तौबा कर लो तो अस्ल माल तुम्हारा है। न तुम किसी पर ज़ियादती करो और न तुम पर की जाए। अगर कोई तंगदस्त हो तो उसे ख़ुशहाल होने तक मोहलत दो और माफ़

कर देना तो बहुत ही अच्छा है, अगर तुम को मालूम होता और उस दिन से डरो जब तुम अल्लाह की तरफ़ लौटाए जाओगे और हर शख़्स को उसकी कमाई का पूरा बदला दिया जाएगा और इन पर कोई ज़्यादती न होगी।" इब्ने अब्बास ﵄ कहते हैं, यह आख़िरी आयत है जो रसूलुल्लाह ﷺ पर नाज़िल हुई।

हदीस 1952:- औन बिन अबी हुजैफ़ा रिवायत करते हैं, मैंने अपने वालिद को देखा, उन्होंने एक गुलाम ख़रीदा जो पछने लगाता था (उसके औज़ार तोड़ डाले)। वजह पूछी तो उन्होंने बताया रसूलुल्लाह ﷺ ने कुत्ते और ख़ून की क़ीमत से मना फ़रमाया है और गोदने, गुदवाने, सूद खाने, खिलाने और तस्वीर कशी पर लअ़नत फ़रमाई।

बाब 1303:- अल्लाह तआला सूद को मिटाता और सदक़ात को बढ़ाता है और अल्लाह तआला हर ना-शुकरे और फ़ासिक़ को ना-पसंद करता है:

हदीस 1953:- इब्ने मुसय्यब रिवायत करते हैं, अबु हुरैरह ﵁ ने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते हुए सुना: "क़सम से माल बिक जाता है मगर बरकत नहीं रहती।"

बाब 1304:- तिजारत में क़सम खाना मकरूह है:

हदीस 1954:- अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा ﵁ रिवायत करते हैं, एक शख़्स बाज़ार में अपना माल लगाए ख़ुदा की क़सम खा रहा था कि इसकी इतनी क़ीमत मिल रही है जबकि इतनी क़ीमत नहीं मिलती थी। क़सम का मक़सद किसी मुसलमान को फांसना था। चुनान्चे यह आयत उतरी: "बेशक वह लोग जो अपने अहद और क़सम की हक़ीर क़ीमत लेते हैं।"

बाब 1305:- सर्राफ़ी के मुतअ़ल्लिक़ जो रिवायात आई हैं:

ताऊस, इब्ने अब्बास ﵄ के हवाले से कहते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "हरम की घास काटना मना है।" अब्बास ﵁ बोले, "इज़्ख़िर" के अलावा जिसे सुनार और लोग घरेलू इस्तेमाल में लाते हैं। फ़रमाया: "अच्छा इज़्ख़िर की इजाज़त है।"

हदीस 1955:- हुसैन बिन अली ﵄ रिवायत करते हैं, हज़रत अली ﵁ ने फ़रमाया, माले ग़नीमत में से मुझे एक ऊंट मिला था और एक ऊंट रसूलुल्लाह ﷺ ने मुझे ख़ुम्स में से दे दिया। जब फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद (ﷺ) की रुख़सती का इरादा किया तो मैंने बनी क़ैनुक़ाअ़ के एक सुनार से तय किया कि वह मेरे साथ चले और हम इज़्ख़िर ले आएं, मेरा ख़्याल था कि मैं उसे सुनारों के पास बेच कर अपनी शादी के वलीमा का बन्दोबस्त करूंगा।

हदीस 1956:- इब्ने अब्बास ﵄ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह तआला ने मक्का को हरम क़रार दिया है। वह मुझ से पहले और न मेरे बाद किसी के लिए हलाल हुआ और मेरे लिए भी दिन की एक घड़ी के लिए हलाल हुआ। न उसकी घास उखेड़ी जाए, न दरख़्त काटा जाए और न उसका शिकार भगाया जाए और न वहां की कोई गिरी पड़ी चीज़ उठाई जाए, मगर यह कि जो उसकी तशहीर करे।" अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ﵁ ने अर्ज़ किया इज़्ख़िर हमारे सुनारों और घरों की छतों में काम आती है। आपने फ़रमाया: "अच्छा इसकी इजाज़त है।" इकरमा कहते हैं, तुम्हें मालूम है शिकार का भगाना क्या है। शिकार के भगाने का मतलब यह है तुम उसे साए से हटाओ और उसकी जगह बैठ जाओ। अब्दुल वहाब ने ख़ालिद के हवाले से बयान किया कि हमारे सुनारों और हमारी

क़ब्रों के लिए इसकी इजाज़त होनी चाहिए।

बाब 1306:- लोहारों का ज़िक्र:

हदीस 1957:- ख़ब्बाब رضي الله عنه रिवायत करते हैं कि मैं दौरे जाहिलियत में लोहार था। आस बिन वाइल पर मेरा कुछ क़र्ज़ था, मैं लेने गया तो उसने कहा जब तक मुहम्मद (ﷺ) का इन्कार नहीं करोगे मैं क़र्ज़ा वापस नहीं करूंगा। मैंने कहा कि मैं इन्कार नहीं करूंगा, यहां तक कि अल्लाह तुझे मौत देदे और फिर तुझ को उठाए। उसने कहा मुझे छोड़ दो-हत्ता कि मैं मर जाऊं और फिर उठाया जाऊं और मुझे माल और औलाद दी जाए ताकि तेरा क़र्ज़ अदा करूं। इस पर यह आयत नाज़िल हुई: "क्या आपने उस शख़्स को देखा है जो हमारी आयतों का इन्कार करता है और कहता है कि मैं माल और औलाद दिया जाऊंगा, क्या उसे गैब का इल्म मिल गया है या अल्लाह से कोई ज़मानत ले रखी है।

बाब 1307:- दरज़ियों का ज़िक्र:

हदीस 1958:- इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबू तल्हा रिवायत करते हैं, उन्होंने अनस बिन मालिक رضي الله عنه को कहते हुए सुना कि एक दर्ज़ी ने हुज़ूर ﷺ को खाने पर बुलाया जो ख़ास तौर पर उसने आपके लिए तय्यार कराया। अनस कहते हैं कि मैं भी आपके साथ गया। उसने आपके पास रोटी और शोरबा जिस में कद्दू था और पका हुआ गोश्त हाज़िर किया। मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को देखा कि आप प्याले के चारों तरफ़ कद्दू ढूंढ कर खाते। कहते हैं, मैं उस दिन से कद्दू को पसंद करने लगा।

बाब 1308:- जुलाहे का तज़्किरा:

हदीस 1959:- सहल बिन सअद رضي الله عنه रिवायत करते हैं, एक औरत "बुरदा" लेकर आई। सहल ने कहा तुम जानते हो बुरदा क्या होता है। जवाब दिया वह एक चादर है जिस पर हाशिए बने होते हैं। उसने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! मैंने इसे अपने हाथ से बुना है ताकि आपको पहना सकूं। रसूलुल्लाह ﷺ ने उसे ले लिया, उस वक़्त आपको उसकी ज़रूरत थी। लोगों में से किसी ने कहा या रसूलल्लाह! मुझे दे दीजिए। आपने फ़रमाया: "अच्छा" रसूलुल्लाह ﷺ थोड़ी देर वहां बैठ कर अन्दर तशरीफ़ ले गए और वह चादर तह करके भिजवा दी। लोगों ने उससे कहा तुम ने अच्छा नहीं किया कि चादर मांग ली हालांकि तुम्हें मालूम है कि आप किसी साइल का सवाल रद्द नहीं करते। उसने कहा मेरा मक़सद सिर्फ़ यह था कि जब मैं मर जाऊं मुझे इसी में कफ़न दिया जाए। सहल बिन सअद رضي الله عنه कहते हैं कि वही चादर उसका कफ़न बनी।

बाब 1309:- बढ़ई का (ज़िक्र):

हदीस 1960:- अबी हाज़िम रिवायत करते हैं, कुछ लोग सहल बिन सअद رضي الله عنه के पास मिम्बर के मुताल्लिक़ पूछने गए तो उन्होंने बतलाया, रसूलुल्लाह ﷺ ने एक औरत (जिसका नाम सहल ने लिया था) को कहा कि अपने बढ़ई बेटे को कहो कि चन्द लकड़ियों का मिम्बर बना दे, जिस पर मैं बैठ कर लोगों से गुफ़्तगू कर सकूं। उस औरत ने अपने बेटे से कहा कि गाबा के झाओ का मिम्बर बना दो। वह तय्यार करके लाया, तो उस औरत ने उसे रसूलुल्लाह ﷺ के पास भिजवा दिया। आपके हुक्म के मुताबिक़ वह रखा गया और उस पर तशरीफ़ फ़रमा हुए।

हदीस 1961:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, एक अन्सारी औरत ने रसूलुल्लाह ﷺ से कहा, मैं आपके लिए कोई ऐसी चीज़ न बनवा दूं जिस पर आप बैठें, मेरा एक लड़का बढ़ई

है। आपने फ़रमाया: "अगर तुम्हारी ख़्वाहिश हो तो।" आपके लिए मिम्बर तय्यार किया गया। जब जुम्आ का दिन आया तो रसूलुल्लाह ﷺ उस मिम्बर पर बैठे। खजूर का वह तना रोने लग गया जिस पर आप (टेक लगा कर) खुत्बा देते थे। क़रीब था कि वह फट जाता। रसूलुल्लाह ﷺ नीचे उतरे, उसे पकड़ कर सीने से चिमटाया। वह तना उस बच्चे की तरह रोने लगा जिसे चुप कराया जाता है यहां तक कि वह चुप हो गया। आपने फ़रमाया: "यह इस लिए रोया कि इसके पास जो ज़िक्र होता था यह उसे सुनता था।"

फ़ायदा:- जब तय्यार करके रसूलुल्लाह ﷺ के लिये मस्जिदे नबवी में मिम्बर रखा गया और आप उस पर जल्वा अफ़रोज़ होकर खुत्बा देने लगे तो खजूर की लकड़ी का वह सूखा हुआ तना जिससे आप बवक़्ते खुत्बा टेक लगा लिया करते थे उसने ज़ार व क़तार रोना शुरू कर दिया। महबूबे परवरदिगार से उसके इस ताल्लुक़े ख़ातिर को देख कर सहाबए किराम भी शशदर रह गए और उस उस्तुने हन्नाना के बिलक बिलक कर रोने को देख कर सहाबए किराम पर भी ऐसी रिक़्क़त तारी हुई कि बेइख़्तियार वह सब के सब रोने लगे। शमए रिसालत के एक अदीमुल मिसाल परवाने यानी मौलाना किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस वाक़िये को अपने मख़सूस अंदाज़ में यूं बयान फ़रमाया है।

सुतूं की देख कर हालत सहाबा सर बसर रोए — तमामी हज़राने मजलिस ख़ैरुल बशर रोए
रुलादे जबकि चौबे ख़ुश्क को हज़रत की महजूरी — कहो फिर ऐन ग़ैरत से न क्यों कर हर बशर रोए
सुनी जब उस सुतूने आशिक़े बेताब की ज़ारी — रसूलुल्लाह के असहाब कहिये किस क़दर रोए
कोई ऐसा न था उस बज़्म में जिस पर न थी रिक़्क़त — बहुत रोए, पिंट रोए, तमामी पेशतर रोए
फिर आ जाता है आंखों में वह आलम उनके रोने का — कि किस किस तरह से असहाब बा-सोज़े जिगर रोए
उधर गरमे फ़ुग़ां था वह सुतूं सदमे से फ़ुरक़त के — इधर यह शिद्दते रिक़्क़त से बा-सद चश्मे तर रोए
सुतूं ख़ामोश होता था न यह रोने से चुपते थे — वह आहें मार चिल्लाया, यह दिल को खोल कर रोए
सुतूं ने यह कहे नाले कि चश्मे हाल से उस दम — शजर रोए, हजर रोए, सभी दीवार व दर रोए

रसूलुल्लाह की उलफ़त मुहिब्बो! ऐन ईमान है
फ़िराक़े मुस्तफ़ा में अहले ईमां उम्र भर रोए

बाब 1310:- ज़रूरत की चीज़ें खुद लाना:

इब्ने उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से एक ऊंट ख़रीदा। और अब्दुर्रहमान बिन अबू बक्र (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं, एक मुश्रिक बकरियां लेकर आया तो रसूलुल्लाह ﷺ ने उससे एक बकरी ख़रीदी और जाबिर (रज़ियल्लाहु अन्हु) ने एक ऊंट ख़रीदा।

हदीस 1962:- सय्यदा आयशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने एक यहूदी से अनाज क़र्ज़ लिया और अपनी ज़िरह गिरवी रखी।

बाब 1311:- जानवरों और गधों की ख़रीदारी, जब कोई शख़्स बेचते या ख़रीदते वक़्त ऊंट या जानवर पर सवार हो तो क्या उतरने से पहले ख़रीदार का क़ब्ज़ा हो जाएगा:

इब्ने उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने हज़रत उमर (रज़ियल्लाहु अन्हु) से फ़रमाया: "इस सरकश ऊंट को मेरे हाथ बेच दो।"

हदीस 1963:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ियल्लाहु अन्हु) रिवायत करते हैं, मैं रसूलुल्लाह ﷺ के साथ एक

जंग में शरीक था। मेरे ऊंट ने देर लगा दी और थक गया तो रसूलुल्लाह ﷺ मेरे पास आए और फ़रमायाः "जाबिर! क्या हुआ।" मैंने कहा ऊंट देर से चला और थक गया, लिहाज़ा मैं पीछे रह गया। आपने उतर कर उसे डंडे से मारा और फ़रमायाः "अब सवार हो जाओ।" मैं सवार हो गया तो उसे (तेज़ चलने की वजह से) रोकने लगा कि वह आप से आगे न निकले। आपने पूछाः "तुमने शादी की है?" अर्ज़ किया हां। आपने फ़रमायाः "कुंवारी से या बेवा से?" मैंने कहा बेवा से। फ़रमायाः "कुंवारी से क्यों नहीं की, तू उसके साथ खेलता और वह तुझ से खेलती।" मैंने कहा मेरी कुछ बहने थीं, मैंने सोचा कि ऐसी औरत से शादी करूं जो उन्हें इकट्ठा रखे और उनकी कंघी चोटी का ख़्याल करे। आपने फ़रमायाः "अब तुम पहुंचने वाले हो, जब पहुंच जाओ तो खूब मज़े उड़ाना।" फिर आपने फ़रमायाः "क्या तुम अपना ऊंट बेचोगे?" मैंने अर्ज़ किया हां। आपने उसे एक औक़िया चांदी में ख़रीद लिया। आप मुझ से पहले पहुंच गए और मैं दूसरी सुबह को पहुंचा। मैं मस्जिद के दरवाज़े पर पहुंचा तो रसूलुल्लाह ﷺ मुझे वहीं मिले, फ़रमायाः "तुम अब आए हो?" मैं बोला हां। आपने फ़रमायाः "अपना ऊंट यहीं छोड़ दो और अन्दर जाकर दो रकअत नमाज़ पढ़ो।" मैंने मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ी, आपने बिलाल رضي الله عنه से कहा कि एक औक़िया चांदी तौल दो। बिलाल ने झुकती हुई चांदी तौल दी। मैं चलने लगा तो फ़रमायाः "मेरे पास जाबिर को बुला लाओ।" मैंने (दिल में) कहा आप वह ऊंट मुझे वापस करदें और यह मुझे नागवार था। आपने फ़रमायाः "तुम ऊंट भी ले लो और क़ीमत भी ले लो।"

बाब 1312:– अहदे जाहिलियत में वह बाज़ार जहां लोग दौरे इस्लाम में भी ख़रीदो फ़रोख़्त किया करते थेः

हदीस 1964:– इब्ने अब्बास رضي الله عنهما रिवायत करते हैं कि मजिन्ना और ज़ुल मजाज़ जाहिलियत के ज़माने के बाज़ार थे। जब इस्लाम का ज़माना आया तो लोगों ने वहां ख़रीदो फ़रोख़्त करना गुनाह समझा, चुनांचा यह आयत नाज़िल हुई कि "तुम्हारे लिए हज के ज़माने में ख़रीदो फ़रोख़्त में कोई गुनाह नहीं।" हज़रत इब्ने अब्बास की क़िरअत में यही है।

बाब 1313:– इस्तिस्क़ा के मरीज़ और ख़ारिश ज़दा ऊंट की तिजारतः

हाइम के माना हैं हर चीज़ में मियाना रवी के ख़िलाफ़ करने वाला।

हदीस 1965:– अम्र बिन दीनार رضي الله عنه रिवायत करते हैं, यहां एक नुवास नामी शख़्स के पास मर्ज़े इस्तिस्क़ा में मुब्तला एक ऊंट था। इब्ने उमर رضي الله عنهما ने जाकर उसके एक साथी से वह ऊंट ख़रीद लिया, चुनान्चे उसने अपने साथी से जाकर कहा कि हमने ऊंट बेच दिया है। उसने पूछा किस के पास? बोला फ़ुलां शक्लो सूरत के एक बुज़ुर्ग के हाथ बेचा है। उसने कहा तुम पर अफ़सोस! वह तो इब्ने उमर थे। फिर वह इब्ने उमर के पास आया और कहा मेरे एक साथी ने आपके पास ऊंट बेचा है जो इस्तिस्क़ा का मरीज़ है और उसने आपको बताया नहीं। आपने फ़रमाया, इसे हांक कर ले जाओ। जब वह जाने लगा तो फ़रमाया, इसे रहने दो हम खुदा के रसूल के इस हुक्म पर राज़ी हैं कि छूत छात कोई हक़ीक़त नहीं।

बाब 1314:– फ़ितना व फ़साद के दौर में अस्लहा की तिजारतः

इमरान बिन हुसैन رضي الله عنه ने फ़साद के ज़माने में ऐसी तिजारत को मकरूह ख़्याल किया है।

हदीस 1966:– अबू क़तादा رضي الله عنه रिवायत करते हैं, हम हुनैन के साल रसूलुल्लाह ﷺ के

हमराह निकले। आपने एक ज़िरह दी और मैंने उसे बेच दिया और उसकी क़ीमत से बनी सलमा में एक बाग़ ख़रीदा और वह पहला माल है जो मैंने इस्लाम में हासिल किया।

बाब 1315:- पन्सारी और मुश्क की तिजारतः

हदीस 1967:- अबू बुरदा बिन अबू मूसा رضي الله عنه अपने वालिद से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "अच्छे और बुरे दोस्त की मिसाल ऐसी है जैसे मुश्क वाला और लोहारों की भट्टी। मुश्क वाले से कोई न कोई फ़ायदा उठा कर ही पलटोगे या तो (ख़ुश्बू) ख़रीदोगे या इसे सूंघ कर ही आओगे और लोहार की भट्टी तुझे या तेरे कपड़ों को जला देगी और तुम्हें उसकी बदबू सूंघनी पड़ेगी।

बाब 1316:- पछने लगाने वाले का बयानः

हदीस 1968:- अनस बिन मालिक رضي الله عنه रिवायत करते हैं, अबू तय्यबा ने रसूलुल्लाह ﷺ को पछने लगाए। आपने उसे एक साअ़ खजूर देने को कहा और उसके मालिकों से कहा इसका महसूल कम करदें।

हदीस 1969:- इब्ने अब्बास رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने पछने लगवाए और पछने लगाने वाले को उसका मुआवज़ा दिया, अगर यह नाजाइज़ होता तो आप उजरत न देते।

बाब 1317:- मर्द और औरतों के मकरूह लिबास की तिजारतः

हदीस 1970:- सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنهما अपने वालिद से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने हज़रत उमर رضي الله عنه के पास एक रेशमी जोड़ा भेजा। उमर को जब यह पहने देखा तो फ़रमायाः "मैंने इसे पहनने के लिए नहीं भेजा, इसे तो वह पहने जिसका (आख़िरत में) कोई हिस्सा नहीं। मैंने इसे तुम्हारे लिए भेजा था कि बेच कर फ़ायदा उठाओ।"

हदीस 1971:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, उन्होंने एक तकिया ख़रीदा जिस पर तस्वीरें थीं। जब रसूलुल्लाह ﷺ ने उसको देखा तो दरवाज़े पर रुक गए और तशरीफ़ न लाए। मैंने आपके चेहरे पर ना-पसंदीदगी के आसार देखे। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! मैं अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ रुजूअ़ करती हूं, मुझ से क्या ग़लती हुई है? आपने फ़रमायाः "यह कैसा तकिया है?" मैंने कहा कि मैंने इसे आपके बैठने के लिए ख़रीदा है ताकि इससे टेक लगाएं। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "तस्वीरें बनाने वाले क़यामत के रोज़ अ़ज़ाब में गिरफ़्तार होंगे और उन्हें कहा जाएगा जो कुछ तुमने बनाया है उस में रूह फूंको।" और फ़रमायाः "जिस घर में तस्वीरें हों उस घर में फ़रिश्ते दाख़िल नहीं होते।"

बाब 1318:- माल की क़ीमत बताना मालिक का हक़ हैः

हदीस 1972:- अनस رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "ऐ बनी नज्जार! तुम मुझे अपने बाग़ की क़ीमत बताओ।" उसका कुछ हिस्सा ग़ैर आबाद था और कुछ में खजूर थे।

बाब 1319:- सौदा मन्सूख़ करने का इख़्तियार कब तक हैः

हदीस 1973:- इब्ने उमर رضي الله عنهما रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः बेचने वाले और ख़रीदार को लेन देन में उस वक़्त तक इख़्तियार है जब तक दोनों एक दूसरे से अलग न हों या फिर लेन देन मशरूत हो। नाफ़ेअ कहते हैं, इब्ने उमर को जब कोई चीज़ अच्छी लगती तो बेचने वाले से अलग हो जाते।

हदीस 1974:- हकीम बिन हिज़ाम ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "देने और लेने वाले को जब तक एक दूसरे से अलग न हों इख़्तियार हासिल होता है।

बाब 1320:- अगर इख़्तियार की वज़ाहत हो तो क्या बैअ़ जाइज़ है:

हदीस 1975:- इब्ने उमर ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया कि "बाए और मुश्तरी दोनों को इख़्तियार हासिल है जब तक अलग न हो जाएं या उन में से एक दूसरे से कहे तुझे इख़्तियार है।" और कभी यूं फ़रमायाः "या बैअ़ ख़्यार हो।"

बाब 1321:- बाए और मुश्तरी को इख़्तियार है जब तक दोनों अलग न हुए हों:

इब्ने उमर, शुरैह, शअबी, ताऊस, अता और इब्ने अबी मुलैकह का यही क़ौल है।

हदीस 1976:- हकीम बिन हिज़ाम ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "बाए और मुश्तरी को इख़्तियार है जब तक अलग न हों, अगर दोनों सच्चे हों और साफ़ साफ़ बता दें तो उनकी तिजारत में बरकत होगी और अगर झूटे हैं तो उनकी तिजारत से बरकत उठ जाएगी।"

हदीस 1977:- अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "बाए और मुश्तरी दोनों को इख़्तियार है जब तक दोनों अलग न हों मगर यह कि बैअ़ ख़्यार हो।"

बाब 1322:- अगर दोनों एक दूसरे को इख़्तियार दें तो बैअ़ लाज़िम होगी:

हदीस 1978:- इब्ने उमर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "जब दो आदमी आपस में लेन देन करें तो उन में हर एक को इख़्तियार है जब तक दोनों इकट्ठे हैं अलग न हो जाएं या उन में से एक ने दूसरे को इख़्तियार दिया हो और इस शर्त पर बैअ़ की हो तो बैअ़ वाजिब होगी। अगर मामला करने के बाद एक दूसरे से अलग हो गए हों और उन में से किसी ने इन्कार न किया हो तो बैअ़ लाज़िम होगी।"

बाब 1323:- अगर बाए को इख़्तियार की शर्त दी गई हो तो क्या बैअ़ जाइज़ होगी:

हदीस 1979:- इब्ने उमर ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "बाए और मुश्तरी के दरमियान कोई बैअ़ नहीं होती जब तक दोनों अलग न हो जाएं मगर यह कि बैअ़ ख़्यार हो।"

हदीस 1980:- हकीम बिन हिज़ाम ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "बाए और मुश्तरी को एक दूसरे से अलग न होने तक इख़्तियार है।" हम्माम कहते हैं, मैंने अपनी किताब में इसी तरह पाया कि तीन बार इख़्तियार है। अगर वह दोनों सच बोलें और साफ़ साफ़ बयान करें तो उस तिजारत में बरकत होगी। अगर वह झूट बोलें और ऐब को छुपाएं तो मुम्किन है कुछ नफ़ा मिल जाए लेकिन बरकत उठ जाएगी।

बाब 1324:- जब कोई चीज़ ख़रीदे और अलग होने से पहले किसी को हिबा करदे और बाए मुश्तरी पर एतेराज़ न करे या किसी गुलाम को ख़रीदा और आज़ाद कर दिया और उस शख़्स के मुताल्लिक़ जो अपनी ख़ुशी से कोई चीज़ ख़रीदे और उसे बेच दे:

ताऊस कहते हैं, बैअ़ वाजिब होगी और नफ़ा ख़रीदार को मिलेगा। हुमैदी कहते हैं, मुझे सुफ़यान ने अम्र के हवाले से और उन्होंने इब्ने उमर ﷺ से रिवायत की कि हम रसूलुल्लाह ﷺ के साथ एक

सफ़र में थे। मैं हज़रत उमर ﷛ के एक सरकश ऊंट पर सवार था, वह हम पर ग़ालिब आ जाता और दूसरों से आगे बढ़ जाता। हज़रत उमर उसे रोकते और पीछे लौटाते फिर वह आगे बढ़ जाता। हज़रत उमर उसे डांटते और पीछे करते। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "इसे मेरे हाथ बेच दो।" उमर बोले या रसूलल्लाह! यह आपका है। आपने फ़रमायाः "इसे मेरे हाथ बेच दो।" उन्होंने आपके हाथ बेच दिया। फिर रसूलुल्लाह ﷺ ने इब्ने उमर से फ़रमायाः "यह तुम्हारा है तुम जो चाहो करो।" अबू अब्दुल्लाह कहते हैं, लैस, अब्दुल्लाह बिन ख़ालिद के हवाले से बा-वास्ता इब्ने शहाब, सालिम बिन अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत करते हैं, मैंने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान ﷛ के हाथ अपनी ज़मीन उस ज़मीन के इवज़ बेची जो ख़ैबर में थी। जब हम दोनों मामला तय कर चुके तो मैं उलटे पावं लौट आया ताकि उनके घर से इस अंदेशे के पेशे नज़र निकल जाऊं कि वह बैअ़ फ़स्ख़ न करदें और दस्तूर यह था कि बाए और मुश्तरी को एक दूसरे से अलग होने तक इख़्तियार हासिल था। जब मेरी और उनकी बैअ़ पूरी हो गई तो मैंने सोचा हज़रत उस्मान नुक़सान में रहे क्योंकि मैंने उन्हें अर्ज़े समूद की तरफ़ तीन दिन की मुसाफ़त पर धकेल दिया और उन्होंने मेरा मदीना से तीन दिन का रास्ता कम कर दिया।

बाब 1325:- बैअ़ में धोका मकरूह है:

हदीस 1981:- अब्दुल्लाह बिन उमर ﷛ रिवायत करते हैं, एक शख़्स ने रसूलुल्लाह ﷺ से अर्ज़ किया मुझे बैअ़ में धोका दिया जाता है। आपने फ़रमायाः "जब तुम लेन देन करो तो धोका फ़रेब नहीं होना चाहिए।"

बाब 1326:- बाज़ार के बारे में रिवायात:

अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ﷛ कहते हैं, जब हम मदीना आए तो मैंने पूछा यहां कोई बाज़ार भी है जहां कोई लेन देन होता हो। बतलाया गया क़ैनुक़ाअ़ का बाज़ार। अनस ﷛ कहते हैं, अब्दुर्रहमान ने कहा, मुझे बाज़ार बताओ। हज़रत उमर ﷛ कहते हैं, मुझे बाज़ार में लेन देन ने ग़ाफ़िल कर दिया।

हदीस 1982:- सय्यदा आयशा ﷛ रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "एक लश्कर कअ़बा पर हमला करेगा, जब वह बैदा (खुले मैदान) में पहुंचेंगे तो अव्वल व आख़िर सब ज़मीन में धंसा दिए जाएंगे।" मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! वह कैसे ज़मीन में धंसा दिए जाएंगे, जबकि वहां बाज़ार होंगे और वह लोग उन हमला आवरों में शमिल नहीं होंगे। आपने फ़रमायाः "अव्वल से आख़िर तक धंसा दिए जाएंगे, फिर उन्हें उनकी नियतों के मुताबिक़ उठाया जाएगा।"

हदीस 1983:- अबू हुरैरह ﷛ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "तुम्हारी नमाज़े बा-जमाअत बाज़ार और घर की नमाज़ से बीस गुना से ज़्यादा फ़ज़ीलत रखती है। यह इस लिए कि ज़ब अच्छी तरह वुज़ू किया फिर मस्जिद में सिर्फ़ नमाज़ की नियत से आया और उसे नमाज़ ही मस्जिद जाने पर आमादा करती है, उसका हर क़दम उठाने पर एक दरजा बुलन्द किया जाता है, उसका गुनाह मिटाया जाता है और फ़रिश्ते उसके लिए दुआए ख़ैर करते हैं।-पस जब तक वह अपनी नमाज़ की जगह पर होता है फ़रिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं: या अल्लाह! इस पर रहमत नाज़िल फ़रमा, इस पर मेहरबानी कर। जब तक वह बे-वुज़ू नहीं होता, जिस से फ़रिश्तों को तकलीफ़ होती है और फ़रमाया तुम में से जो कोई नमाज़ के लिए रुका रहता है वह गोया नमाज़ ही में रहता है।

हदीस 1984:- अनस बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ बाज़ार में जा रहे थे एक शख़्स ने आवाज़ दी अबुल क़ासिम। आपने मुड़ कर देखा तो वह बोला मैंने फ़ुलां शख़्स को पुकारा है, तो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मेरे नाम पर नाम रखो लेकिन मेरी कुन्नियत जैसी कुन्नियत न रखो।"

हदीस 1985:- अनस ﷺ रिवायत करते हैं कि एक शख़्स ने बक़ीअ में पुकारा, ऐ अबुल क़ासिम! तो नबी करीम ﷺ उस तरफ़ मुड़े तो कहा, मेरा मक़सद आपको बोलना नहीं था। आपने फ़रमाया कि "मेरे नाम पर नाम रख लिया करो लेकिन मेरी कुन्नियत न रखो।"

हदीस 1986:- अबू हुरैरा दौसी ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ दिन के किसी हिस्से में निकले, न तो आपने कुछ कहा न मैंने, यहां तक कि आप बनी क़ैनुक़ाअ के बाज़ार में पहुंचे और हज़रत फ़ातिमा ﷺ के घर के सहन में बैठ गए और फ़रमाया: "क्या लड़का है? क्या लड़का है? (हज़रत हसन ﷺ) मैंने समझा शायद उन्हें हार पहना रही हैं या नहला रही हैं। चुनान्चे वह दौड़े हुए आया तो आपने उन्हें गले लगा लिया और बोसा दिया नीज़ कहा: ऐ अल्लाह! इससे मुहब्बत कर और उससे मुहब्बत रख जो इससे मुहब्बत करे। सुफ़यान कहते हैं, उबैदुल्लाह ने बयान किया कि उन्होंने नाफ़ेअ बिन जुबैर को एक रकअत वित्र पढ़ते देखा।

हदीस 1987:- इब्ने उमर ﷺ रिवायत करते हैं, हम लोग अहदे रिसालत मआब ﷺ में सवारों से ग़ल्ला ख़रीदते थे। रसूलुल्लाह ﷺ उनके पास किसी को भेज कर उन्हें ग़ल्ला बेचने से मना करते जब तक कि वह ग़ल्ला उस जगह मुन्तक़िल न हो जाए जहां बिकता है। (मंडी में) नाफ़ेअ कहते हैं इब्ने उमर ने बताया नबी करीम ﷺ उस ग़ल्ले को बेचने से मना करते जिसे ख़रीदा गया मगर जब तक उस पर पूरा क़ब्ज़ा न करले।

बाब 1327:- बाज़ारों में शोर व गुल करना मकरूह है:

हदीस 1988:- अता बिन यसार रिवायत करते हैं, मैं अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल-आस ﷺ से मिला और उन से कहा मुझे रसूलुल्लाह ﷺ के मुताल्लिक वह कुछ बताइये जो तौरेत में है। वह बोले बेहतर, ख़ुदा की क़सम! तौरेत में आपकी बाज़ वह सिफ़ात बयान की गई हैं जो क़ुरआने मजीद में हैं। यानी ऐ नबी! हमने आपको गवाह, ख़ुश ख़बरी देने और डराने वाला बना कर भेजा और अन-पढ़ लोगों का मुहाफ़िज़ बना कर भेजा। तुम मेरे बन्दे और रसूल हो। तुम्हारा नाम हम ने मुतवक्किल रखा है, तुम न तो तुर्शरू हो और न संग-दिल और न बाज़ार में शोर मचाने वाले हो। तुम बुराई का बदला बुराई में नहीं देते बल्कि माफ़ करते हो और बख़्श देते हो। उसे अल्लाह तआला नहीं उठाएगा जब तक कि टेढ़े लोगों को उसके ज़रिये सीधा न कर दे कि वह लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहने लग जाएं और उसके सबब से अंधी आंखों, बहरे कान और ढके हुए दिल खोल दे। सईद ने बहवाला हिलाल, अता, इब्ने सलाम नक़्ल किया, ग़ुल्फ़ हर उस चीज़ को कहते हैं जो ग़िलाफ़ में हो। "सैफ़ुन अग़लफ़" और "क़ौसुन ग़ुल्फ़ाउ" उस तलवार और कमान को कहते हैं जो ग़िलाफ़ में हो। "रजुलुन अग़लफ़" उस आदमी को कहते हैं जिस का ख़तना न हुआ हो।

फ़ायदा:- परवरदिगारे आलम ने तौरेत और दीगर कुतुबे साबिक़ा में भी अपने महबूब सय्यिदेना मुहम्मद रसूलुल्लाह ﷺ की तारीफ़ें बयान फ़रमाईं। गुज़िश्ता अंबियाए किराम से अपने हबीब की

तारीफ़ों के ख़ुत्बे पढ़वाए और अपनी अपनी उम्मतों के सामने चर्चे करवाए। अलावा यहीं कुरआने मजीद में तो अपने दस्ते कुदरत के उस शाहकार की इस दरजा तारीफ़ व तौसीफ़ की है कि हर कोई उसे कमा हक्कहु समझने से भी क़ासिर है। समझा ज़रूर लेकिन हर एक ने अपनी बिसात के मुताबिक़ जबकि कमा हक्कहु तो उनकी शान को सिर्फ़ परवरदिगारे आलम ही जानता है जिस ने अपने महबूब को इतना आला और बुलन्द व बाला बनाया है। ख़ुदाए ज़ुल-मनन हमें अपने महबूब के चाहने वालों के ग़ुलामों की फ़ेहरिस्त में शमिल फ़रमा ले तो यह उसका इन्तिहाई करम और हमारे बख़्त की यावरी होगी।

बाब 1328:- नाप तौल की उजरत बेचने और देने वाले पर है:

इरशादे ख़ुदावन्दी है: "जब वह नाप या तौल कर देते हैं तो कम देते हैं" यानी इनके लिये नापते और इन के लिये तौलते हैं, जिस तरह "यस्मऊनकुम" का मतलब "यस्मऊन लकुम" है। इरशादे नबवी है: "नाप तौल ठीक ठाक करके लो।" उस्मान ﷺ से मन्कूल है कि नबी करीम ﷺ ने उन्हें फ़रमाया "बेचो तो भी नाप तौल कर लो और ख़रीदो तब भी नाप तौल कर लो।

हदीस 1989:- अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस शख़्स ने ग़ल्ला ख़रीदा तो जब तक उस पर क़ब्ज़ा न करले उसे न बेचे।"

हदीस 1990:- हज़रत जाबिर ﷺ रिवायत करते हैं, अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन हिज़ाम ﷺ का इन्तिक़ाल हुआ और वह मक़रूज़ थे। मैंने रसूलुल्लाह ﷺ के ज़रिये कोशिश की कि शायद क़र्ज़ख़्वाह क़र्ज़ में से कुछ घटा दें। नबी करीम ﷺ ने अपनी ख़्वाहिश का इज़्हार किया लेकिन उन्होंने माफ़ न किया। नबी करीम ﷺ ने मुझ से फ़रमाया: "तुम जाओ और अपनी खजूरों को छांट कर अजवा एक तरफ़ और अज़्क ज़ैद दूसरी तरफ़ कर दो और फिर मुझे बुलाओ।" मैंने इसी तरह किया, फिर मैंने नबी ﷺ को बुला भेजा। आप खजूरों के ऊपर या दरमियान में बैठ गए, फिर फ़रमाया नाप कर उन्हें दो। चुनान्चे मैंने नापना शुरू किया यहां तक कि हर एक का क़र्ज़ा चुका दिया और (फिर भी) मेरी खजूरें बच रहीं, गोया वह कम हुई ही नहीं। फ़िराश, शअबी से रिवायत करते हैं कि मुझ से जाबिर ﷺ और उन्होंने नबी करीम ﷺ से रिवायत की कि जाबिर क़र्ज़ख़्वाहों के लिये नापते रहे यहां तक कि क़र्ज़ा अदा हो गया और हिशाम बहवाला वहब, जाबिर से रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "खजूर काट ले क़र्ज़ख़्वाहों का क़र्ज़ पूरा कर दे।"

बाब 1329:- अनाज नापना मुस्तहब है:

हदीस 1991:- मिक़दाम बिन मअदीकर्ब ﷺ रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "अपना अनाज नाप लिया करो तुम्हारे लिये बाबरकत होगा।"

बाब 1330:- नबी करीम ﷺ के सॉअ और मुद में बरकत:

इस सिलसिले में हज़रत आयशा ﷺ ने नबी करीम ﷺ से रिवायत की है।

हदीस 1992:- अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ﷺ रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हरम बनाया और उसके लिये दुआ फ़रमाई (सो) मैंने मदीना को हरम क़रार दिया। जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हरम क़रार दिया और मैंने मदीना के साअ़ (तौलने का बर्तन) और मुद (नापने का आला) के लिये दुआ की जिस तरह इब्राहीम ने मक्का के लिये दुआ की।"

हदीस 1993:- अनस बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "ऐ अल्लाह! इन लोगों को, अहालियाने मदीना के पैमानों में बरकत डाल दे और इनके लिये इनके सॉअ और मुद में बरकत अता फ़रमा।"

बाब 1331:- ग़ल्ले की फ़रोख़्त और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मुताल्लिक़ वारिद शुदा रिवायातः

हदीस 1994:- सालिम अपने वालिद से रिवायत करते हैं, मैंने देखा जो लोग ग़ल्ला अंदाज़े से ख़रीदते थे, रसूलुल्लाह ﷺ के ज़माने में उन्हें सज़ा दी जाती थी ताकि वह उसे अपने ठिकानों पर जाकर बेचें।

हदीस 1995:- इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने क़ब्ज़ा करने से पहले ग़ल्ला बेचने से रोका। (ताऊस कहते हैं) मैंने इब्ने अब्बास ﷺ से पूछा क्या वजह? बोले यह तो दिरहम को दिरहम के बदले बेचने के मुतरादिफ़ है, ग़ल्ला तो बाद में दिया जाता है।

हदीस 1996:- इब्ने उमर ﷺ रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने फ़रमायाः "जो शख़्स ग़ल्ला ख़रीदे तो अपने क़ब्ज़ा में लेने से पहले इसे न बेचे।"

हदीस 1997:- मालिक बिन औस रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कौन है जो सर्राफ़ा (रुपया अशरफ़ियां भुनाने) का काम करता हो? तल्हा ﷺ बोले मैं कर सकता हूं, मगर मेरा ख़ज़ान्ची ग़ाबा से आ जाए। सुफ़्यान के मुताबिक़ यह रिवायत ज़ुहरी से इसी तरह है और इस में कोई इज़ाफ़ा नहीं और कहते हैं मुझे मालिक बिन औस ने बताया, उन्होंने उमर बिन ख़त्ताब ﷺ से सुना और वह रसूलुल्लाह ﷺ से बयान करते थे, फ़रमायाः "सोने के बदले सोना बेचना सूद है, हां अल्बत्ता वह नक़द हो (तो नहीं), गेहूं के बदले गेहूं बेचना सूद है मगर यह कि नक़द हो, खजूरों के बदले खजूरें बेचना सूद हैं मगर यह कि नक़द हो और जौ के बदले जौ बेचना सूद है मगर यह कि हाथों हाथ हो।"

बाब 1332:- क़ब्ज़ा से पहले ग़ल्ला बेचना और जो चीज़ मौजूद न हो उसे बेचनाः

हदीस 1998:- इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने जिस चीज़ से रोका वह अनाज है जो क़ब्ज़ा से पहले बेचा जाए। इब्ने अब्बास कहते हैं मेरे नज़्दीक हर एक चीज़ का यही हुक्म है।

हदीस 1999:- इब्ने उमर ﷺ रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने फ़रमायाः "जिस शख़्स ने ग़ल्ला ख़रीदा तो जब तक उस पर क़ब्ज़ा न करले उसे फ़रोख़्त न करे।

बाब 1333:- जो शख़्स अंदाज़े से ग़ल्ला ख़रीदे तो जब तक कि अपनी जगह पर न ले आए उसे न बेचे और (ऐसा न करने पर) उसे सज़ा देनाः

हदीस 2000:- इब्ने उमर ﷺ रवायत करते हैं, मैंने अहदे रिसालत मआब में लोगों को देखा कि अगर वह अंदाज़े से ग़ल्ला ख़रीदते तो उन्हें सज़ा दी जाती कि वह इसे अपने ठिकाने पर लाने से पहले क्यों बेचते हैं?

बाब 1334:- जब कोई सामान या जानवर ख़रीदा और बाए के पास छोड़ दिया या क़ब्ज़ा करने से पहले मर गयाः

इब्ने उमर ﷺ ने फ़रमाया कि जो बेची हुई चीज़ को ज़िन्दा और सही व सालिम पाए तो वह बेचने वाले की है।

हदीस 2001:- आयशा सिद्दीक़ा ﷺ रिवायत करती हैं, ऐसा बहुत कम ही हुआ कि सुब्ह व शाम नबी करीम ﷺ अबू बकर ﷺ के घर तशरीफ़ न लाते हों। जब आपको हिजरत की इजाज़त दी गई तो आप ज़ुहर के वक़्त तशरीफ़ लाए और हमें अन्देशा हुआ। अबू बकर को आपके आने की इत्तिलाअ दी गई, तो कहा कोई बात है कि आप (ख़िलाफ़े मामूल) तशरीफ़ लाए। जब रसूलुल्लाह ﷺ अबू बक्र के पास आए तो फ़रमाया: इन लोगों को एक तरफ़ करदो।" अबू बक्र बोले, यह दोनों मेरी बेटियां आयशा और अस्मा हैं। आपने फ़रमाया: "तुम्हें कुछ पता लगा मुझे हिजरत का हुक्म हुआ है?" अबू बक्र ने कहा, क्या मैं भी आपके साथ रहूंगा? तो फ़रमाया हां। अबू बक्र ने कहा, या रसूलल्लाह! मैंने सफ़र के लिये दो ऊंटनियां तय्यार कर रखी हैं, उन में से एक आप ले लीजिए। आपने फ़रमाया: "मैंने इसे क़ीमतन ले लिया।"

बाब 1335:- अपने भाई की बैअ पर बैअ और मोल पर मोल न करे यहां तक कि या वह इजाज़त दे या छोड़ दे:

हदीस 2002:- अब्दुल्लाह इब्ने उमर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तुम में से कोई भी अपने (मुसलमान) भाई की बैअ पर बैअ (यानी चढ़ाई) न करे।"

हदीस 2003:- अबू हुरैरा ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "शहरी देहाती के हाथ न बेचे और आपस में बोली मत करो और न कोई अपने (मुसलमान) भाई की बैअ पर बैअ करे और न अपने भाई के पैग़ामे निकाह पर अपना पैग़ाम भेजे और न कोई औरत अपनी बहन को (ख़ुद शादी करने के लिये) तलाक़ दिलवाए ताकि जो उसका हिस्सा है ख़ुद हासिल करे।"

बाब 1336:- नीलाम का बयान:

अता कहते हैं कि मैंने लोगों को देखा कि माले ग़नीमत के नीलाम करने में कोई क़बाहत नहीं समझते।

हदीस 2004:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ﷺ रिवायत करते हैं, एक शख़्स ने अपने ग़ुलाम को इस तरह आज़ाद किया कि जब मैं मर जाऊं तो यह आज़ाद है लेकिन वह तंगदस्त हो गया, तो उसे रसूलुल्लाह ﷺ ने ले लिया और फ़रमाया: "मुझ से इसे कौन ख़रीदता है?" नुऐम बिन अब्दुल्लाह ﷺ ने इतने इतने रुपयों में उसे ख़रीद लिया तो आपने उसके मालिक को उसकी क़ीमत दे दी।

बाब 1337:- बोली देना:

बाज़ के ख़्याल में ऐसी बैअ जाइज़ नहीं। इब्ने अबी औफ़ा ﷺ कहते हैं कि बोली करने वाला सूद ख़ोर और ख़ाइन है और यह धोका नाजाइज़ है। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाा: "फ़रेब दोज़ख़ में ले जाने वाला है और जिस ने वह काम किया जिसका मैंने हुक्म नहीं दिया वह मरदूद है।"

हदीस 2005:- इब्ने उमर ﷺ रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने बोली देने से मना फ़रमाया है।

बाब 1338:- बैअ ग़रर और हबलिल हबला का बयान:

हदीस 2006:- अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने बैअ हबलिल हबला से रोका। यह एक तरह की तिजारत थी जो दौरे जाहिलियत में राइज थी (यानी) एक शख़्स ऊंटनी इस शर्त पर ख़रीद करता कि इसकी क़ीमत उस वक़्त देगा जब वह बच्चा जनेगी और फिर उस बच्चे का बच्चा हो।

बाब 1339:- बैअ मुलामसा:

अनस ﷺ कहते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने इस से रोका है।

हदीस 2007:- अबू सईद ख़ुदरी ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने मुनाबज़ा से मना फ़रमाया। मुनाबज़ा यह है कि कोई शख़्स बैअ के वक़्त किसी की तरफ़ कपड़ा फेंक दे क़ब्ल इसके कि ख़रीदार उसे अलट पलट कर देखले और मुलामसा से मना फ़रमाया, मुलामसा का मतलब है कपड़े का बग़ैर देखने के छू लेना।

हदीस 2008:- अबू हुरैरा ﷺ रिवायत करते हैं, दो तरह का लिबास ममनूअ है। कोई शख़्स एक कपड़े की गोठ मार कर उसे कांधे पर डाल ले और दो क़िस्म की बैअ से मना किया गया है बैअ मुलामसा और बैअ मुनाबज़ा।

बाब 1340:- बैअ मुनाबज़ा:

अनस ﷺ के मुताबिक़ रसूलुल्लाह ﷺ ने इससे मना फ़रमाया।

हदीस 2009:- अबू हुरैरा ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने मुलामसा और मुनाबज़ा से मना फ़रमाया है।

हदीस 2010:- अबू सईद ख़ुदरी ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने दो क़िस्म के लिबास से रोका है और दो तरह की तिजारत यानी बैअ मुलामसा और बैअ मुनाबज़ा से भी।

बाब 1341:- फ़रोख़्त कुनिन्दा को (दूध ज़्यादा साबित करने की ग़र्ज़ से) ऊंटनी, गाय और बकरी और हर तरह के जानवर के न दूहने से मना किया गया है:

मुसर्रात वह जानवर है जिसका दूध न दूहा गया और इसे थनों में जमा रखा गया हो और कई दिन इसे रोका गया हो। तस्रियह पानी के जमा करने को कहा जाता है, सर्रैतुल माअ (यानी मैंने पानी जमा किया)

हदीस 2011:- अबू हुरैरा ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "ऊंटनी और बकरी के थनों में दूध मत रोको और जिस ने उसे ख़रीदा तो दूहने के बाद उसे रखने या वापस करने का पूरा इख़्तियार है और एक सॉअ खजूर साथ देदे। ... अबू हुरैरा ﷺ नबी करीम ﷺ के हवाले से एक सॉअ खजूर नक़्ल करते हैं जबकि बाज़ लोग इब्ने सीरीन के हवाले से एक सॉअ ग़ल्ला कहते हैं नीज़ यह भी कहते हैं कि तीन दिन का इख़्तियार है। बाज़ लोग इब्ने सीरीन से एक सॉअ खजूर तो नक़्ल करते हैं लेकिन तीन दिन के इख़्तियार का ज़िक्र नहीं करते और अकसर के नज़्दीक तमर (खजूर) का लफ़्ज़ मरवी है।

हदीस 2012:- अब्दुल्लाह बिन मसऊद ﷺ रिवायत करते हैं, जिस ने ऐसी बकरी ख़रीदी जिस का दूध दूहा या निकाला गया हो तो एक सॉअ उसके साथ देकर उसे वापस कर दे। रसूलुल्लाह ﷺ ने ताजिरों की (शहर में दाख़िल होने से पहले) पेशवाई (यानी रास्ते में सौदा कर लेने) से मना फ़रमाया।

हदीस 2013:- अबू हुरैरा ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "(तिजारती) क़ाफ़िलों से आगे जाकर न मिलो, न तुम में से कोई किसी की बैअ पर (चढ़त की ग़र्ज़ से) बैअ करे, न बोली दो, न शहरी देहातियों के हाथ बेचें, न बकरियों के थनों में दूध रोक रखो। जो शख़्स इसे लेले तो दूहने के बाद इसे रोक रखने और पसंद न आने की सूरत में एक सॉअ खजूर साथ देकर वापस करने

का इख़्तियार है।"

बाब 1342:- अगर (ख़रीदार) चाहे तो मुसर्रात (जिसका दूध थनों में रोक लिया गया हो) जानवर वापस कर दे और उसके दूध के इवज़ एक सॉअ खजूर देदे।

हदीस 2014:- अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने फ़रमायाः "जिस ने मुसर्रात (दूध रोकी हुई) बकरी ली और फिर उसका दूध दूहा, अगर उसे पसन्द आए तो रोक ले नहीं तो उसके दूध के बदले में एक सॉअ खजूर देकर उसको वापस कर दे।"

बाब 1343:- ज़ानी गुलाम की बैअः

शुरैह कहते हैं, (ख़रीदार) चाहे तो ज़िना की वजह से इसे वापस कर सकता है।

हदीस 2015:- अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, नबी करीम ने फ़रमायाः "अगर लौंडी ज़िना करे और उसका ज़िना खुल जाए तो (मालिक) उसे कोड़े मारे (लेकिन) निशानए मलामत न बनाए। अगर फिर ज़िना करे तो कोड़े मारे और (बरवक़्त) उसे लअन तअन न करे। फिर अगर तीसरी मर्तबा ज़िना करे तो उसे बेच दे ख़्वाह बालों की एक रस्सी के बदले में।

हदीस 2016:- उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह, अबू हुरैरा और ज़ैद बिन ख़ालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह से ज़ानिया लौंडी के मुताल्लिक़ पूछा अगर वह ग़ैर शादी शुदा हो, तो फ़रमायाः "अगर ज़िना करे तो उसे कोड़े मारो, फिर अगर गुनाह का इर्तिकाब करे तो उसे बेच दो ख़्वाह एक रस्सी के बदले में।" इब्ने शहाब के मुताबिक़ मुझे याद नहीं कि आपने यह तीसरी या चौथी बार (ज़िना करने) के बाद फ़रमायाः

बाब 1344:- औरतों से लेन देन करनाः

हदीस 2017:- उरवा बिन ज़ुबैर, आयशा सिद्दीक़ा का एक क़ौल नक़्ल करते हैं कि उन्होंने फ़रमाया, रसूलुल्लाह मेरे पास तशरीफ़ लाए तो मैंने आप से (बरीरह की ख़रीदारी का) ज़िक्र किया तो फ़रमायाः "ख़रीद कर उसे आज़ाद कर दो, वला तो उसी की है जो इसे आज़ाद करे।" फिर नबी करीम मिम्बर पर खड़े हुए और अल्लाह तआला की हम्द व सना जिसका वह हक़दार है बयान की। फिर फ़रमायाः "लोगों को क्या हुआ वह ऐसी शर्तें लगाते हैं जो अल्लाह की किताब में नहीं और जो शर्त अल्लाह की किताब में न हो तो वह बातिल है ख़्वाह ऐसी सौ शर्तें लगाए क्योंकि अल्लाह की शर्त ज़्यादा सच्ची और ज़्यादा मज़बूत है।"

हदीस 2018:- अब्दुल्लाह बिन उमर रिवायत करते हैं, आयशा ने बरीरह के मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह से पूछा तो आप नमाज़ के लिये तशरीफ़ ले गए। जब वापस तशरीफ़ लाए तो फिर आयशा ने कहा कि उसके वुरसा ने उसे बेचने से इन्कार कर दिया, हां अल्बत्ता इस शर्त पर वह तय्यार हैं कि वला (मिल्कियत और विरासत) उनकी रहेगी। नबी करीम ने फ़रमायाः "वला आज़ाद करने वाले की है।" मैं (हम्माम) ने नाफ़ेअ से पूछा कि बरीरह का शौहर आज़ाद था या गुलाम? कहा मुझे मालूम नहीं।

बाब 1345:- क्या शहरी किसी देहाती का माल बग़ैर उजरत के बेच सकता है?

और उसकी मदद और ख़ैर ख़्वाही कर सकता है।

नबी करीम ने फ़रमायाः "जब तुम में से कोई अपने (मुसलमान) भाई से नेक मशवरा मांगे

तो उसे अपना मशवरा (मुफ़ीद) देना चाहिये। अता कहते हैं इस में कोई हर्ज नहीं।

हदीस 2019:– जरीर रिवायत करते हैं, मैं ने रसूलुल्लाह से [illegible] की शहादत, नमाज़ पढ़ने, ज़कात देने, अमीर की इताअत करने और हर मुसलमान की ख़ैर ख़्वाही पर बैअत की।

हदीस 2020:– इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने फ़रमाया: "(तिजारती) क़ाफ़िलों से आगे जाकर न मिलो और शहरी, देहातियों के लिये बैअ न करे" मैं (ताऊस) ने इब्ने अब्बास से पूछा शहरी देहाती के लिये बैअ न करे, इसका क्या मतलब है? कहा दलाली न करे।

बाब 1346:– जिन्होंने देहाती के लिये शहरी की बैअ को बिला उजरत मकरूह जाना है:

हदीस 2021:– अब्दुल्लाह बिन उमर रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने शहरी को देहाती के लिये बैअ करने से मना फ़रमाया है। इब्ने अब्बास भी यही कहते हैं।

बाब 1347:– शहरी देहाती के लिये दलाली के साथ न बेचे:

इब्ने सीरीन और इब्राहीम के नज़्दीक बाए और मुश्तरी दोनों के लिये मकरूह है। इब्राहीम कहते हैं अरब कहते थे बिअ ली सौबन इससे मुराद होती थी कि मेरे लिये कपड़ा ख़रीद लो।

हदीस 2022:– अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने फ़रमाया: "कोई शख़्स अपने भाई के सौदे पर सौदा न करे और न बोली दे और न शहरी देहाती के लिये फ़रोख़्त करे।"

हदीस 2023:– अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, हमें इससे रोका जाता था कि शहरी बाहर वाले के लिये (कोई) चीज़ ख़रीदे।

बाब 1348:– आगे जाकर क़ाफ़िले वालों से मिलना:

ऐसी बैअ मरदूद और ऐसा करने वाला गुनहगार है जबकि वह जानता हो, यह बैअ एक तरह का धोका है और धोका जाइज़ नहीं है।

हदीस 2024:– अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, नबी करीम ने आगे जाकर क़ाफ़िले वालों से मिलने (मिली भगत करने) और शहरी के देहाती के लिये बेचने से मना फ़रमाया है।

हदीस 2025:– इब्ने ताऊस अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा मैंने इब्ने अब्बास से पूछा आपके इस फ़रमान "ला यबीअन्ना हाज़िरुन लिबाद" का क्या मतलब है? फ़रमाया: उसका दलाल न बने।

हदीस 2026:– अब्दुल्लाह (बिन मसऊद) रिवायत करते हैं, जिस ने दूध जमा की हुई बकरी ली तो उसके साथ एक सॉअ खजूरें भी देकर वापस करे और नबी करीम ने आगे जाकर क़ाफ़िलों से मिलने से मना फ़रमाया है।

हदीस 2027:– अब्दुल्लाह बिन उमर रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने फ़रमाया: तुम में कोई भी किसी की बैअ पर बैअ न करे और जो माल बाहर से आ रहा हो उस के बाज़ार पहुंचने से पहले आगे बढ़ कर उससे न मिलो।

बाब 1349:– (क़ाफ़िले की) पेशवाई कितनी दूर तक मना है:

हदीस 2028:– अब्दुल्लाह बिन उमर रिवायत करते हैं, हम लोग आगे जाकर क़ाफ़िले वालों

से मिलते और उन से ग़ल्ला ख़रीदते थे। नबी करीम ﷺ ने इससे मना फ़रमाया कि वहां ही बेच दें जब तक वह ग़ल्ला बाज़ार में न पहुंच जाए। इमाम अबू अब्दुल्लाह बुख़ारी के मुताबिक़ यह मुलाक़ात बाज़ार के उस सिरे पर होती थी।

हदीस 2029:- अब्दुल्लाह (बिन उमर) رضي الله عنه रिवायत करते हैं, लोग ग़ल्ला बाज़ारों की बुलन्दी की तरफ़ ख़रीदते थे और उसको वहीं बेच देते थे। रसूलुल्लाह ﷺ ने उन्हें मना फ़रमाया कि उस जगह बेचें जब तक कि वह उसे मुन्तक़िल न कर लें।

बाब 1350:- वह शराइत जो बैअ में ममनूअ हैं:

हदीस 2030:- आयशा सिद्दीक़ा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, मेरे पास बरीरह (एक लौंडी) आई और कहा कि मैंने अपने मालिक से नौ ऊक़िया चांदी के बदले मुकातबत (आज़ादी का मुआहिदा) कर ली है और हर साल एक ऊक़िया चांदी दूंगी, लिहाज़ा आप मेरी मदद फ़रमाइए। मैंने कहा कि अगर तुम्हारे मालिक चाहें तो मैं सारी रक़म दे दूं और तुम मेरी वला में आ जाओ। बरीरा ने अपने मालिकों से कहा तो उन्होंने इन्कार कर दिया। वह वापस आई तो रसूलुल्लाह ﷺ तशरीफ़ फ़रमा थे। बोली मैंने अपने मालिकों को बताया मगर उन्होंने इन्कार कर दिया और कहा वला (हर हाल में) उनकी होगी। नबी करीम ﷺ ने सुना तो हज़रत आयशा ने सारी तफ़सील बताई। आपने फ़रमाया: "तुम उसे ले लो और उन्हें शर्त करने दो, क्योंकि वला तो उसी के लिये है जो आज़ाद करे।" चुनान्चे हज़रत आयशा ने ऐसा किया। फिर रसूलुल्लाह ﷺ लोगों के दरमियान खड़े हुए, अल्लाह तआला की हम्द व सना बयान की और फ़रमाया: "लोगों को क्या हो गया है कि वह ऐसी शराइत तय करते हैं जो अल्लाह की किताब में नहीं और हर वह शर्त जो अल्लाह की किताब में न हो मरदूद है अगर्चे सौ शराइत हों। अल्लाह का फ़ैसला सबसे सच्चा और अल्लाह की शर्त ज़्यादा मज़बूत है। वला उसी की है जो आज़ाद करे।

हदीस 2031:- अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنه रिवायत करते हैं, उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा رضي الله عنها ने एक लौंडी ख़रीद कर आज़ाद करनी चाही तो उसके मालिकों ने उसे इस शर्त पर बेचना चाहा कि वला उनकी रहेगी। सय्यदा आयशा ने सारा वाक़िआ रसूलुल्लाह ﷺ से ज़िक्र किया तो आपने फ़रमाया: "यह शर्त तुम्हें उसके ख़रीदने से बाज़ न रखे वला उसी की है जो उसे आज़ाद करे।.

बाब 1351:- खजूर के बदले खजूर बेचना:

हदीस 2032:- उमर رضي الله عنه रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "गेहूं के बदले गेहूं बेचना सूद है मगर जबकि हाथ के हाथ हो और (इसी तरह) जौ के बदले जौ बेचना (भी) सूद है मगर यह कि नक़द हो और खजूर के बदले खजूर बेचना सूद है मगर यह कि हाथ के हाथ हो।

बाब 1352:- मुनक़्क़ा के इवज़ मुनक़्क़ा और ग़ल्ला के इवज़ ग़ल्ला फ़रोख़्त करना:

हदीस 2033:- अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने मुज़ाबना से मना फ़रमाया है और मुज़ाबना यह है कि कोई शख़्स तर खजूर ख़ुश्क खजूर और मुनक़्क़ा अंगूर के इवज़ नाप कर फ़रोख़्त करे।

हदीस 2034:- इब्ने उमर رضي الله عنه रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने मुज़ाबना से मना फ़रमाया और मुज़ाबना यह है कि खजूरें तौल कर इस शर्त पर बेचे कि अगर ज़्यादा हैं तो मेरा और कम हैं तो तुम्हें दूंगा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं, मुझ से ज़ैद बिन साबित رضي الله عنه ने बयान किया कि

नबी करीम ﷺ ने "अराया" की अंदाज़े से इजाज़त दी।

बाब 1353:- जौ के बदले जौ की बैअ:

हदीस 2035:- मालिक बिन औस رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मुझे सौ दीनार भुनाने की ज़रूरत पड़ी। मुझे तल्हा बिन उबैदुल्लाह رضي الله عنه ने बुलाया, हमने बात चीत की, उन्होंने मुझ से सिर्फ़ मामला तय कर लिया और दीनार अपने हाथ में लेकर उलट पलट करने लगे। फिर बोले इन्तिज़ार कीजिये मेरा ख़ज़ान्ची ग़ाबा से आ जाए। उमर رضي الله عنه यह बात चीत सुन रहे थे तो फ़रमाया तुम्हें खुदा की क़सम! इससे जुदा न होना जब तक तुम उससे रुपये न ले लो, क्योंकि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "सोने के बदले सोना बेचना सूद है मगर जबकि हाथों हाथ हो। गेहूं के बदले गेहूं बेचना सूद है मगर जबकि हाथों हाथ हो, जौ के बदले जौ बेचना सूद है मगर जबकि हाथों हाथ हों। खजूरों के बदले खजूरें बेचना सूद हैं मगर जबकि हाथों हाथ हों।"

बाब 1354:- सोने के बदले सोना फ़रोख़्त करना:

हदीस 2036:- अबू बकरह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "सोने के बदले सोना न बेचो मगर यह कि बराबर बराबर हो, चांदी के बदले चांदी न बेचो मगर यह कि बराबर बराबर हो। सोने को चांदी और चांदी को सोने के बदले जिस तरह चाहो बेचो।

बाब 1355:- चांदी के बदले चांदी बेचना:

हदीस 2037:- अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, अबू सईद ख़ुदरी رضي الله عنه ने उन से इसी तरह रसूलुल्लाह ﷺ की हदीस बयान की। अब्दुल्लाह बिन उमर उन से मिले और पूछा: अबू सईद! आप इसके मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह ﷺ के हवाले से क्या कहते हैं? उन्होंने बताया, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से "सर्फ़" (यानी रुपया अशरफ़ियां भुनाना) के मुताल्लिक़ सुना है। आप फ़रमाते थे: "सोने के इवज़ सोना और चांदी के बदले चांदी बराबर बेचो।"

हदीस 2038:- अबू सईद ख़ुदरी رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "सोने के बदले सोना न बेचो मगर यह कि बराबर हो और एक को दूसरे से कम या ज़्यादा करके न बेचो और उधार को नक़द के बदले न बेचो।

बाब 1356:- दीनार के इवज़ दीनार को उधार बेचना:

हदीस 2039:- अबू सालेह ज़य्यात अबू सईद ख़ुदरी رضي الله عنه से रिवायत हैं, दीनार के बदले दीनार और दिरहम के बदले दिरहम बेचो। मैंने उन से कहा इब्ने अब्बास رضي الله عنهما तो ऐसा नहीं कहते। अबू सईद बोले, मैंने इब्ने अब्बास से पूछा: आपने नबी करीम ﷺ से सुना है या अल्लाह की किताब में पढ़ा है? जवाब दिया कि मैं इन में से कोई बात नहीं कहता बल्कि आप मुझ से ज़्यादा रसूलुल्लाह ﷺ के मुताल्लिक़ जानने वाले हैं। लेकिन मुझ से उसामा رضي الله عنه ने ज़िक्र किया कि नबी करीम ﷺ फ़रमाते थे: "सूद उधार में है।"

बाब 1357:- सोने के बदले चांदी उधार फ़रोख़्त करना:

हदीस 2040:- अबुल मिन्हाल रिवायत करते हैं, मैंने बराअ बिन आज़िब رضي الله عنه और ज़ैद बिन अरक़म رضي الله عنه से "सर्फ़ के बारे में पूछा तो दोनों ही ने जवाब दिया, वह मुझ से ज़्यादा बेहतर जानते हैं और दोनों कहने लगे, रसूलुल्लाह ﷺ चांदी के बदले सोना उधार बेचने से मना फ़रमाया है।

बाब 1358:- सोना चांदी के बदले में नक़्द बेचनाः

हदीस 2041:- अब्दुर्रहमान बिन अबी बकरह ﷺ अपने वालिद से रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने चांदी के बदले चांदी और सोने के बदले सोना बेचने से रोका है मगर यह कि बराबर बराबर हो और हमें हुक्म दिया कि चांदी के बदले सोना और सोने के बदले चांदी ख़रीदें जैसे भी चाहें।

बाब 1359:- बैअ मुज़ाबनाः

"मुज़ाबना" यह है कि खुश्क खजूर के बदले दरख़्त में लगी हुई खजूर और मुनक़्क़ा अंगूर के बदले बेचे और "बैअ अराया" का बयान। अनस ﷺ के मुताबिक़ नबी करीम ﷺ ने मुज़ाबना और मुहाक़ला से रोका।

हदीस 2042:- अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "तुम खजूरों को उस वक़्त तक मत बेचो जब तक वह पक न जाएं और दरख़्त में लगी खजूर खुश्क खजूर के बदले मत बेचो।" सालिम कहते हैं, मुझ से अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ ने बहवाला ज़ैद बिन साबित ﷺ बयान किया, रसूलुल्लाह ﷺ ने इसके बाद तर या खुश्क खजूरों में बैअ अरिय्या की इजाज़त दी और इसके अलावा इजाज़त नहीं दी।

हदीस 2043:- अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने मुज़ाबना से मना फ़रमाया है। मुज़ाबना यह है कि सूखी खजूर के बदले में दरख़्त से लगी हुई खजूर ख़रीदे।

हदीस 2044:- अबू सईद खुदरी ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने मुज़ाबना और मुहाक़ला से मना फ़रमाया। खुश्क खजूर के बदले नाप कर खजूर लेना और मुनक़्क़ा के इवज़ अंगूर नाप कर बेचना बैअ मुज़ाबना है।

हदीस 2045:- इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने मुहाक़ला और मुज़ाबना से मना फ़रमाया है।

हदीस 2046:- ज़ैद बिन साबित ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने अरिय्या के मालिक को इजाज़त दी है कि उसको अंदाज़े से बेचें।

बाब 1360:- सोने चांदी के बदले दरख़्त पर लगी हुई खुजूरें बेचनाः

हदीस 2047:- जाबिर ﷺ रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने पकने की अलामात वाज़ेह होने से पहले बेचने से मना फ़रमाया है और उन में कोई भी चीज़ सिवाए अराया दिरहम व दीनार के बदले न बेची जाएं।

हदीस 2048:- उबैदुल्लाह बिन रबीअ ने इमाम मालिक से दरयाफ़्त किया, क्या तुम से दाऊद और उन्होंने अबू सुफ़यान और अबू सुफ़यान ने अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत की है कि नबी करीम ﷺ ने पांच वसक़ या उससे कम में बैअ अराया की इजाज़त दी है? उन्होंने कहा हां।

हदीस 2049:- सहल बिन अबी हस्मा ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने खुश्क खजूर के बदले दरख़्त पर लगी हुई खजूर बेचने से मना फ़रमाया और (अल्बत्ता) अरिय्या में उसकी इजाज़त दी और (वह यह कि) अंदाज़ा करके फ़रोख़्त की जाए ताकि खजूर खाएं, मक़सद एक ही है। सुफ़यान कहते हैं मैं छोटा था। यहया से मैंने कहा अहले मक्का का कहना है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने बैअ अराया

की इजाज़त दी है। वह बोले मक्का वालों को कैसे मालूम हुआ? मैंने कहा वह जाबिर का हवाला देते हैं। यहया ख़ामोश हो गए। सुफ़यान कहते हैं मेरा मक़सद यह था कि जाबिर अहले मदीना में से हैं। सुफ़यान से कहा गया, इस में फल के बेचने से रोका नहीं गया जब तक कि उसका क़ाबिले इन्तिफ़ाअ होना ज़ाहिर न हो? बोले नहीं।

बाब 1361:– "अराया" की तशरीहः

इमाम मालिक कहते हैं, अराया यह है कि एक आदमी किसी को खजूर का दरख़्त देदे। फिर उसके बार बार आने से उसको तकलीफ़ हो तो उसको इजाज़त दी गई है कि ख़ुश्क खजूर देकर उस दरख़्त को ख़रीद ले। इब्ने इदरीस कहते हैं, अरिय्या खजूर के बदले दस्त बदस्त नाप कर होता है, अंदाज़े से नहीं होता। सहल बिन अबी हस्मा رضی اللہ عنہ का क़ौल इसकी ताईद में है। अरिय्या वसक़ों से नाप कर होता है। इब्ने इस्हाक़ ने अपनी हदीस में नाफ़ेअ और उन्होंने इब्ने उमर رضی اللہ عنہما के हवाले से बयान किया कि अराया यह है कि एक शख़्स अपने माल में खजूर का एक या दो दरख़्त देदे। यज़ीद ने सुफ़यान बिन हुसैन से नक़्ल किया कि अराया खजूर के वह दरख़्त होते थे जो मिस्कीनों को दिये जाते थे मगर वह इसका इन्तिज़ार न कर सकते तो उन्हें इस अम्र की इजाज़त दी गई कि जिस क़दर खजूर के बदले चाहें बेच डालें।

हदीस 2050:– ज़ैद बिन साबित رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने अराया में इस अम्र की इजाज़त दी कि नाप का अंदाज़ा करके बेच दे। मूसा बिन उक़्बा رضی اللہ عنہ कहते हैं, अराया खजूर के उन मुक़र्ररा दरख़्तों को कहते हैं जिन के पास आकर तुम उन्हें ख़रीद लो।

बाब 1362:– क़ाबिले इन्तिफ़ाअ होने से पहले फलों का बेचनाः

लैस, अबू ज़िनाद से नक़्ल करते हैं कि उरवा बिन ज़ुबैर, सहल बिन अबी हस्मा अन्सारी رضی اللہ عنہ जो बनी हारिसा में से थे, से रिवायत करते थे, वह ज़ैद बिन साबित رضی اللہ عنہ का हवाला देते थे कि लोग रसूलुल्लाह ﷺ के अहद में तिजारत किया करते थे। जब काटने का वक़्त आ जाता तो ख़रीदार तक़ाज़ा करने आते तो बेचने वाला कहता, फल को दुम्मान हो गया। इसे मुराज़ और क़ुशाम हो गया। (यह सब दरख़्तों की बीमारियों के नाम हैं) इसी तरह और बीमारियों के नाम लेते और झगड़ते। जब रसूलुल्लाह ﷺ के पास इस तरह के बकसरत मुक़द्दमात आने लगे तो आपने फ़रमायाः "फलों को को इनके पकने से पहले मत बेचो।" और आपका यह फ़रमाना मशवरा के तौर पर था (क्योंकि) मुक़द्दमात की भरमार हो रही थी।

हदीस 2051:– अब्दुल्लाह बिन उमर رضی اللہ عنہما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फलों के पकने से पहले ख़रीद व फ़रोख़्त मना फ़रमाई और बाए और मुश्तरी दोनों को रोका।

हदीस 2052:– अनस رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने खजूर का मेवा बेचने से मना फ़रमाया जब तक कि वह पक न जाएं।

हदीस 2053:– जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضی اللہ عنہما रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने तुशक़्क़ेह होने से पहले खजूरों को बेचने से मना फ़रमाया है। पूछा गया कि तुशक़्क़ेह से क्या मुराद है? फ़रमाया कि इतनी सुर्ख़ और ज़र्द हो जाएं कि खाई जा सकें।

बाब 1363:- क़ाबिले इन्तिफ़ाअ होने से पहले बेचना:

हदीस 2054:- अनस बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने फलों को पकने से पहले बेचने से मना फ़रमाया है और खजूर की फ़रोख़्त से रोका जब तक कि "ज़हू" न हो। पूछा गया "ज़हू" क्या है? फ़रमाया सुर्ख़ या ज़र्द हो जाएं।

बाब 1364:- अगर किसी ने फल को क़ाबिले इन्तिफ़ाअ हालत से क़ब्ल बेचा फिर कोई आफ़त आ गई तो नुक़सान बाए का होगा:

हदीस 2055:- अनस बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फल के "ज़हू" होने से पहले बेचने से रोका। पूछा गया "ज़हू" क्या है? फ़रमाया: (पक कर) सुर्ख़ हो जाएं। फिर फ़रमाया: अच्छा यह बताओ जब अल्लाह तआला ने फल रोक लिया तो किस के इवज़ तुम अपने भाई का माल खाओगे। लैस कहते हैं, मुझ यूनुस ने बहवाला इब्ने शहाब बयान किया कि उनका कहना है, अगर कोई पकने से पहले फल ख़रीदता है और फिर उस पर कोई आफ़त आ जाती है तो उसकी ज़िम्मेदारी उसके मालिक पर है। इब्ने शहाब का कहना है मुझ से सालिम बिन अब्दुल्लाह ने बहवाला अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ बयान किया कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "फलों की तिजारत न करो जब तक उसकी नफ़ा उठाए जाने की सलाहियत ज़ाहिर न हो जाए और ख़ुश्क खजूर के बदले दरख़्त पर लगी खजूर मत बेचो।

बाब 1365:- कुछ मुद्दत के मुआहिदे पर ग़ल्ला ख़रीदना:

हदीस 2056:- अअ़मश रिवायत करते हैं, हम ने इब्राहीम नख़ई के पास क़र्ज़ में गिरवी रखने का ज़िक्र किया तो वह बोले कोई हर्ज नहीं। फिर असवद के हवाले से सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा ﷺ की रिवायत बयान की कि नबी करीम ﷺ ने एक यहूदी से एक मुद्दत के वादे पर ग़ल्ला लिया और अपनी ज़िरह उसके पास बतौर गिरवी रख दी।

बाब 1366:- जब कोई उम्दा खजूर के बदले ख़राब खजूर बेचने का इरादा करे:

हदीस 2057:- अबू हुरैरा ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने एक शख़्स को ख़ैबर का आमिल मुक़र्रर किया। उस ने आपकी ख़िदमत में उम्दा क़िस्म की खजूरें पेश कीं। रसूलुल्लाह ﷺ ने पूछा: "ख़ैबर की सारी खजूरें ऐसी ही होती हैं?" बोला नहीं ख़ुदा की क़सम! हम यह खजूर एक साअ दो साअ के बदले लेते हैं और दो साअ तीन साअ के बदले। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "ऐसा न किया करो पहले खजूर बेच दो और फिर उसी रक़म से उम्दा खजूरें ख़रीद लो।

बाब 1367:- जिस ने पैवन्द लगी खजूर या फ़सल वाली ज़मीन बेच दी या उसे ठेके पर दिया:

इमाम अबू अब्दुल्लाह बुख़ारी कहते हैं ... नाफ़ेअ मौला इब्ने उमर के मुताबिक़ जब भी पैवन्द लगे हुए खजूर के दरख़्त बेचे जाएं और उस में फल का ज़िक्र न हो तो फल उसका जिस ने पैवन्द लगाया और यही हुक्म ग़ुलाम और खेत के मुताल्लिक़ है। नाफ़ेअ ने इन तीन चीज़ों के नाम लिये।

हदीस 2058:- अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस ने पैवन्द किया हुआ खजूर का दरख़्त बेचा तो उसका फल बाए का है मगर यह कि ख़रीदार

उसकी शर्त करे।"

बाब 1368:- ग़ल्ला नाप कर खेती के बदले में फ़रोख़्त करनाः

हदीस 2059:- इब्ने उमर रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने मुज़ाबना से मना फ़रमाया यानी बाग़ का फल अगर खजूर हो तो खुश्क खजूर के बदले नाप के हिसाब से बेचे और अगर अंगूर हो तो नाप के हिसाब से मुनक़्क़ा के बदले बेचे या खेती हो तो नाप के हिसाब से ग़ल्ला के बदले उसे बेचे और आपने इन तमाम सूरतों से मना फ़रमाया।

बाब 1369:- दरख़्त जड़ समेत बेचनाः

हदीस 2060:- इब्ने उमर रिवायत करते हैं, नबी करीम ने फ़रमायाः "जिस शख़्स ने खजूर के दरख़्त में पैवन्द लगाया, फिर उसकी की जड़ा को बेच दिया तो दरख़्त का फल उसके लगाने वाले का है मगर जबकि ख़रीदार इसकी शर्त लगाले।"

बाब 1370:- बैअ मुख़ाज़राः

हदीस 2061:- अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने मुहाक़्ला, मुख़ाज़रा, मुलामसा, मुनाबज़ा और मुज़ाबना (इन तरीक़ों से ख़रीद व फ़रोख़्त करने) से मना फ़रमाया।

हदीस 2062:- अनस रिवायत करते हैं, नबी करीम ने खुश्क खजूरों के इवज़ दरख़्त पर लगी (तर) खजूर बेचने से रोका है, जब तक कि "ज़हू" न हो जाए। अनस से पूछा गया "ज़हू" होने का क्या मतलब है? कहा सुर्ख़ और ज़र्द हो जाए, अच्छा बताओ अगर अल्लाह तआला फल रोक ले तो तुम किस चीज़ के बदले अपने भाई का माल खाओगे।

बाब 1371:- खजूर का गाभ (जो अन्दर से सफ़ेद सफ़ेद निकलता है) बेचना और खानाः

हदीस 2063:- इब्ने उमर रिवायत करते हैं, मैं नबी करीम के साथ था और आप खजूर की गाभ खा रहे थे। फिर आपने फ़रमायाः "दरख़्तों में एक दरख़्त ऐसा है जो मुसलमान बन्दे की मानिन्द है।" मुझे ख़्याल आया बता दूं वह खजूर का दरख़्त है लेकिन उस वक़्त मैं कमसिन था। आपने खुद ही फ़रमायाः "वह खजूर का दरख़्त है।"

बाब 1372:- लेन देन, ठेका और नाप तौल में हर शहर के लोगों की इस्तिलाहात, उर्फ़े आम, रस्म व रिवाज, नियतों और मारूफ़ तरीक़ों पर हुक्म नाफ़िज़ होगाः

क़ाज़ी शुरैह ने सूत बेचने वालों से कहा कि तुम्हारे तौर तरीक़ों के मुताबिक़ ही क़ानून नाफ़िज़ किया जाएगा। अब्दुल वहाब बहवाला अय्यूब, मुहम्मद बिन सीरीन से नक़्ल करते हैं कि दस की चीज़ ग्यारह में बेचने में कोई मुज़ाइक़ा नहीं और ख़र्च के बदले नफ़ा लेले। नबी करीम ने हिन्द से फ़रमायाः "मारूफ़ तरीक़ा के मुताबिक़ इतना ले लो जो तुम्हारे और तुम्हारे बाल बच्चों के लिये काफ़ी हो। अल्लाह तआला का इरशाद हैः "जो फ़क़ीर हो वह क़ायदे के मुताबिक़ खाए।" हसन ने अब्दुल्लाह बिन मरदास से गधा किराए पर लिया तो पूछा क्या किराया होगा? कहा दो दानिक़। फिर उस पर सवार हो गए। फिर दूसरी मर्तबा आकर कहा गधे की ज़रूरत है, गधा चाहिये। (फिर) उस पर सवार हो गए और कोई किराया तय नहीं किया और अब्दुल्लाह को आधा दिरहम भेज दिया।

हदीस 2064:- अनस बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ को अबू तय्यबा ने पछने लगाए तो आपने उसे एक साअ खजूर देने का हुक्म सादिर फ़रमाया और अपने उम्माल से फ़रमाया कि उसका टैक्स कम कर दें।

हदीस 2065:- सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा ﷺ रिवायत करती हैं, हिन्द उम्मे मुआविया ने रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में गुज़ारिश की कि अबू सुफ़यान एक बख़ील आदमी हैं, क्या मुझे इजाज़त है कि चुपके से उसके माल से कुछ उड़ा लिया करूं? फ़रमाया: "दस्तूर के मुताबिक़ इतना लो जो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिये काफ़ी रहे।"

हदीस 2066:- सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा ﷺ रिवायत करती हैं, जो शख़्स मालदार हो वह एहतियात बरते और जो मोहताज हो वह दस्तूर के मुताबिक़ खाए। यह आयत यतीम के सरपरस्त के मुताल्लिक़ नाज़िल हुई है जो उसकी और उसके माल की निगरानी करता है। अगर ज़रूरतमन्द हो तो उसके माल से क़ायदे क़ानून के मुताबिक़ खाले।

बाब 1373:- एक हिस्सादार दूसरे हिस्सादार के पास बेच सकता है:

हदीस 2067:- जाबिर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने हर माल में शुफ़आ का हक़ मुक़र्रर फ़रमाया जो तक़सीम न हुआ हो। जब हदबन्दी हो गई और रास्ते फेर दिये गए तो अब शुफ़आ न रहा।

बाब 1374:- ग़ैर मुन्क़सिम मुश्तरका ज़मीन, मकान और सामान फ़रोख़्त करना:

हदीस 2068:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ﷺ रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने हर उस माल में शुफ़आ का हुक्म दिया है जो तक़सीम न हो। जब हदबन्दी हो जाए और रास्ते अलग बन जाएं तो शुफ़आ न रहा।

बाब 1375:- जब कोई चीज़ किसी के लिये उसकी इजाज़त के बग़ैर ले ली जाए और फिर वह रज़ामन्द हो जाए:

हदीस 2069:- इब्ने उमर ﷺ रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "तीन आदमियों को चलते में बारिश ने आ लिया, तो वह तीनों एक पहाड़ के एक ग़ार में चले गए। एक चट्टान ऊपर से गिरी और ग़ार का मुंह बन्द हो गया। वह एक दूसरे से कहने लगे कि अल्लाह से किसी ऐसे अमल का वास्ता देकर दुआ करो जो तुम ने किया हो। उन में से एक ने कहा कि ऐ मेरे अल्लाह! मेरे मां बाप बहुत बूढ़े थे और मैं बाहर जाकर जानवर चराता था। फिर वापस आकर दूध निकालता और अपने मां बाप के पास ले जाता। जब वह पी लेते तब मैं अपने बीवी बच्चों को पिलाता। एक रात मुझे देर हो गई देखा कि दोनों सो गए हैं। मैंने उन्हें जगाना मुनासिब न समझा और बच्चे मेरे पांव के पास रो रहे थे। सुबह होने तक यही हालत रही। ऐ अल्लाह! तू जानता है अगर यह अमल मैंने सिर्फ़ तेरी खुशनूदी के लिये किया था तो पत्थर को थोड़ा सा हटा दे ताकि हम आसमान तो देख सकें, पत्थर कुछ सरक गया। दूसरा बोला कि ऐ अल्लाह! मैं अपनी चचेरी बहन से बे-अंदाज़ा मुहब्बत करता था जिस क़दर किसी मर्द को एक औरत से मुहब्बत हो सकती है। लेकिन उस ने कहा कि तुम अपना मक़सद उस वक़्त तक नहीं पा सकते जब तक सौ दीनार न दो। चुनान्चे मैंने कोशिश करके सौ दीनार

जमा किये और जब मैं उस की टांगों के दरमियान बैठा तो वह बोली: अल्लाह का ख़ौफ़ करो और नाजाइज़ तरीक़े से मेरी मुहर (अस्मत) न तोड़ो। मैं उठ खड़ा हुआ और उसे छोड़ दिया। ऐ अल्लाह! अगर तेरे नज़्दीक यह सब कुछ मैंने तेरी रज़ा के हुसूल के लिये किया था तो इस पत्थर को थोड़ा सा सरका दे। और पत्थर दो तिहाई हट गया। तीसरे आदमी ने कहा ऐ अल्लाह! मैंने एक मज़दूर को एक फ़र्क़े जवार के बदले मुक़र्रर किया, मैं जब उसे देने लगा तो उस ने इन्कार कर दिया। मैंने वह जवार खेत में बो दी, यहां तक कि मैंने उस (की आमदनी) से गाय, बैल और (उनका) चरवाहा ख़रीदा। फिर वह शख़्स आया और कहा कि ऐ अल्लाह के बन्दे! मुझे मेरा हक़ देदे। मैंने कहा कि इन गायों, बैलों और चरवाहे के पास जाओ और उन्हें संभाल लो, यह तुम्हारे हैं। वह बोला तुम मज़ाक़ करते हो? मैंने उसे कहा: मैं मज़ाक़ नहीं कर रहा वाक़ई वह सब कुछ तुम्हारा है। ऐ अल्लाह! तेरे इल्म में है अगर मैंने यह सब कुछ तेरी वजह से किया था तो हम से यह पत्थर हटा दे, चुनान्चे वह पत्थर उन से हट गया।

बाब 1376:- मुश्रिकों और दारुल हरब वालों से लेन देन करना:

हदीस 2070:- अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ﵄ रिवायत करते हैं, हम नबी करीम ﷺ के साथ थे, एक दराज़ क़द मुश्रिक आपके पास आया। बाल बिखराए बकरियां हांक रहा था। नबी करीम ﷺ ने उससे पूछा: "बेचना चाहता है या अतिया और हिबा के तौर पर देना चाहता है?" वह बोला, बेचना चाहता हूं। आपने उससे एक बकरी ख़रीद ली।

बाब 1377:- हरबी काफ़िर से गुलाम ख़रीदना, उसका हिबा करना और आज़ाद करना:

नबी करीम ﷺ ने सलमान (फ़ारसी) ﵁ से फ़रमाया: "मकातबत कर लो।" यह आज़ाद थे लेकिन इन पर लोगों ने जुल्म ढाए और इन्हें बेच दिया। अम्मार, सुहैब और बिलाल ﵃ क़ैद किये गए और अल्लाह तआला ने फ़रमाया: तुम में से बाज़ को बाज़ पर अल्लाह तआला ने रिज़्क़ में फ़ज़ीलत बख़्शी, जिन्हें रिज़्क़ ज़्यादा मिला वह अपने लौंडी गुलाम पर अपना रिज़्क़ वापस नहीं कर देते कि वह सब बराबर हो जाएं, क्या वह अल्लाह की नेअमतों की नाशुक्री करते हैं।

हदीस 2071:- अबू हुरैरा ﵁ रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "इब्राहीम ﵇ ने सारह ﵂ के साथ हिजरत की। वह उन्हें लेकर ऐसी आबादी में पहुंचे जहां एक ज़ालिम बादशाह हुक्मरान था। उसे बतलाया गया कि इब्राहीम यहां एक ख़ूबसूरत औरत लेकर आए हैं। उस ने एक आदमी तहक़ीक़े हाल को भेजा, ऐ इब्राहीम! यह औरत तुम्हारे साथ कौन है? इब्राहीम ﵇ ने फ़रमाया: मेरी बहन है। आप लौट कर सारह के पास गए और फ़रमाया: मेरी बात को झूटा न करना क्योंकि मैंने इन लोगों से कहा कि तुम मेरी बहन हो और ख़ुदा की क़सम! इस रूए ज़मीन पर मेरे और तुम्हारे अलावा कोई मोमिन नहीं। सय्यदा सारा को बादशाह के पास रवाना कर दिया गया। बादशाह सय्यदा सारा के पास गया। आप खड़ी हुईं और वुज़ू करके नमाज़ पढ़ी और दुआ की: ऐ अल्लाह! मैं तुझ पर और तेरे रसूल पर ईमान लाई हूं और सिवाए अपने शौहर के अपनी शर्मगाह की हिफ़ाज़त की है। तू मुझ पर इस काफ़िर को मुसल्लत न होने देना। वह बादशाह ज़मीन पर गिर पड़ा और ख़र्राटे लेने और पांव ज़मीन पर रगड़ने लगा। अअरज के मुताबिक़ अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने अबू हुरैरा के हवाले

से कहा कि सय्यदा सारह ने कहा: ऐ अल्लाह! अगर यह मर गया तो लोग कहेंगे कि इस औरत ने बादशाह को क़त्ल किया है। तो बादशाह की हालत ख़त्म हो गई वह फिर आपकी तरफ़ बढ़ा। सय्यदा सारा फिर खड़ी हुई, वुज़ू करके नमाज़ पढ़ी और दुआ की: ऐ अल्लाह! मैं तुझ पर और तेरे रसूल पर ईमान लाई हूं और सिवाए अपने शौहर के अपनी शर्मगाह को महफ़ूज़ रखा है, तू इस काफ़िर को मुझ पर क़ाबू न होने देना। वह ज़मीन पर गिरा और ख़र्राटे लेने और पांव रगड़ने लगा। अब्दुर्रहमान ने बहवाला अबू सलमा, हज़रत अबू हुरैरा नक़्ल किया कि सारा ने कहा: ऐ अल्लाह! अगर यह इसी हालत में मर गया तो लोग कहेंगे इस औरत ने बादशाह को क़त्ल किया है, तो उसकी वह कैफ़ियत ख़त्म हो गई। बादशाह ने दूसरी या तीसरी बार कहा, ख़ुदा की क़सम! तुम ने मेरे पास एक शैतान भेजा है, इसे ले जाओ और एक लौंडी (हाजरा) इन्हें दो। वह लौट कर इब्राहीम ﷺ के पास गई और कहा: आपने देख लिया कि अल्लाह तआला ने इस काफ़िर को ज़लील किया और एक लौंडी ख़िदमत को दिलवाई।

हदीस 2072:- सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा ؓ रिवायत करती हैं, सअद बिन अबी वक़्क़ास ؓ और अब्द बिन ज़म्आ ؓ एक लड़के के बारे में झगड़ने लगे। सअद ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! यह मेरे भाई उतबा बिन अबी वक़्क़ास का बेटा है। उस ने मुझे वसियत की थी कि यह मेरा बेटा है, आप इसकी शक्ल व सूरत भी देख लीजिये। अब्द बिन ज़म्आ बोले या रसूलल्लाह! यह मेरा भाई है। मेरे बाप के बिस्तर पर उनकी लौंडी के बतन से पैदा हुआ है। रसूलुल्लाह ﷺ ने उसकी शक्ल व सूरत देखी तो उतबा से बहुत मिलती जुलती पाई। आपने फ़रमाया यह तुम्हें (यान अब्द को) मिलेगा। और ऐ अब्द! लड़का उसका है जिसके बिस्तर पर पैदा हुआ और ज़ानी के लिये पत्थर हैं। ऐ सौदह बिन्ते ज़म्आ! तुम इससे पर्दा कर लो, चुनान्चे सौदह ने उसे फिर कभी न देखा।

हदीस 2073:- सअद बिन इब्राहीम अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ؓ ने सुहैब ؓ से कहा कि अल्लाह से डरो और अपने बाप के अलावा अपने आपको किसी से मन्सूब न करो। सुहैब बोले अगर कोई मुझे इतनी इतनी दौलत दे तब भी यह पसंद न करूं (कि अपने आप को किसी से मन्सूब करूं लेकिन क्या करूं) मैं बच्चा था कि इग़वा कर लिया गया इसलिये मेरी ज़बान रूमी हो गई वरना मेरा बाप अरब था।

हदीस 2074:- हकीम बिन हिज़ाम ؓ रिवायत करते हैं, उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! जो काम मैं अहदे जाहिलियत में सिला रहमी, ग़ुलाम आज़ाद करना और सदक़ा वग़ैरा करता था तो क्या उसका भी मुझे अज्र मिलेगा? आपने फ़रमाया: "तुम अपनी नेकियों की वजह से मुसलमान हुए हो।"

बाब 1378:- रंगने से पहले मुर्दार जानवरों की खालें:

हदीस 2075:- अब्दुल्लाह बिन अब्बास ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ एक मुर्दार बकरी के पास से गुज़रे। आपने फ़रमाया: तुम ने इसकी खाल से क्यों फ़ायदा न उठाया?" लोगों ने कहा कि यह तो मुर्दार है। फ़रमाया: "सिर्फ़ इसका खाना हराम है।"

बाब 1379:- सुवर मारना:

जाबिर ؓ बयान करते हैं, नबी करीम ﷺ ने सुवर की तिजारत से रोका है।"

हदीस 2076:- अबू हुरैरा ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "उस ज़ात की

क़सम जिसके क़ब्ज़ए क़ुदरत में मेरी जान है, क़रीब है कि तुम में इब्ने मरयम का नुज़ूल होगा। वह मुनसिफ़ मिज़ाज हाकिम होंगे, सलीब तोड़ेंगे और सुवर को मार डालेंगे, जिज़्या मौक़ूफ़ कर देंगे और माल की कसरत इस दरजा होगी कि कोई (ख़ैरात) लेने वाला न रहेगा।"

फ़ायदा:- क़यामत से पहले और दज्जाल के निकलने के बाद हज़रत ईसा ﷺ का आसमान से नुज़ूल होगा जो अब ज़िन्दा इन्सानों पर मौजूद हैं। आप दज्जाल को क़त्ल करेंगे और उम्मते मुहम्मदिया के एक फ़र्द की तरह शरीअते मुहम्मदिया पर अमल करेंगे और इमामे ज़माना के तौर पर हुक्मे शरअ का निफ़ाज़ करेंगे। आप शरीअते मुहम्मदिया पर इज्तिहाद करेंगे और आपका इज्तिहाद फ़िक़्हे हनफ़ी से बड़ी हद तक मुताबिक़त रखेगा। इसी लिये हज़रत मुजद्दिद अलफ़ सानी ﷺ ने मकतूबाते इमामे रब्बानी में तस्रीह फ़रमाई है कि हज़रत इमामे आज़म अबू हनीफ़ा ﷺ का फ़हम इतना बुलन्द व बाला है कि फ़हमे नबुव्वत से क़रीब तर है। जिस का सबसे बड़ा सुबूत यह है कि इमाम अबू हनीफ़ा के इज्तिहाद और हज़रत ईसा ﷺ के इज्तिहाद में बड़ी हद तक मुताबिक़त होगी। वल्लाहु तआला अअ़लम।

बाब 1380:- मुर्दार की चर्बी न तो पिघलाई जाए और न फ़रोख़्त की जाए:

इसे जाबिर ﷺ ने नबी करीम ﷺ से रिवायत किया है।

हदीस 2077:- इब्ने अब्बास ﷺ रिवायत करते हैं, हज़रत उमर ﷺ को मालूम हुआ कि फ़ुलां शख़्स ने शराब बेची है। तो उन्होंने कहा: अल्लाह तआला उसे ग़ारत करे, क्या उसे मालूम नहीं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह तआला यहूद को तबाह करे कि उन पर चर्बी हराम की गई लेकिन उन्होंने उसे पिघला कर फ़रोख़्त किया।"

हदीस 2078:- अबू हुरैरा ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह तआला यहूद को हलाक करे, उनके लिये चर्बी हराम क़रार दी गई लेकिन उन्होंने उसे बेचा और उसकी आमदनी खाई।

बाब 1381:- ग़ैर जानदारों की तस्वीरें फ़रोख़्त करना और इस ज़िम्न में कराहत:

हदीस 2079:- सईद बिन अबुल हसन रिवायत करते हैं, मैं इब्ने अब्बास ﷺ के पास था। उनके पास एक शख़्स आया और कहा: मैं ऐसा आदमी हूं जिसका ज़रियए मआश फ़नकारी है और मैं यह तस्वीरें बनाता हूं। इब्ने अब्बास ने उससे कहा, मैं तुझे वह कुछ बताऊंगा जो मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से सुना। मैंने आपको फ़रमाते हुए सुना: "जिस ने किसी की तस्वीर बनाई अल्लाह तआला उसे उस वक़्त तक अज़ाब देता रहेगा जब तक कि वह उस में जान न डाल दे और वह उस में कभी भी जान न डाल सकेगा। उस शख़्स ने ठंडी आह भरी और उसका चेहरा ज़र्द हो गया। इब्ने अब्बास बोले, तुम्हारा बुरा हो, अगर तस्वीरें बनाना ही हैं तो उन दरख़्तों की बनाओ जिन में जान नहीं होती।

बाब 1382:- शराब की तिजारत की हुर्मत:

जाबिर ﷺ बयान करते हैं, नबी करीम ﷺ ने शराब बेचने को हराम क़रार दिया है।

हदीस 2080:- सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा ﷺ रिवायत करती हैं, जब सूरए बक़रह की आख़िरी आयतें नाज़िल हुईं तो नबी करीम ﷺ बाहर तशरीफ़ लाए और फ़रमाया: "शराब की ख़रीद व फ़रोख़्त ममनूअ क़रार दे दी गई है।"

बाब 1383:- जो किसी आज़ाद शख़्स को बेच डाले वह गुनहगार है:

हदीस 2081:- अबू हुरैरा ﷺ रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह तआला फ़रमाता है कि क़यामत के दिन मैं तीन आदमियों का दुश्मन हूंगा। एक वह जो मेरे नाम पर अहद करे और फिर उसकी ख़िलाफ़ वर्ज़ी करे। दूसरा वह जो किसी आज़ाद शख़्स को फ़रोख़्त कर डाले, तीसरा वह जो किसी मज़दूर को काम पर लगाए और वह अपना काम पूरा करे मगर वह उसे मज़दूरी न दे।"

बाब 1384:- जानवर के बदले जानवर और गुलाम का उधार बेचना:

इब्ने उमर ﷺ ने एक ऊंटनी चार ऊंटों के बदले ख़रीदी, जिसके मुताल्लिक़ ज़मानत ले ली थी कि ज़बदह में हवाले कर देंगे। इब्ने अब्बास ﷺ कहते हैं, बाज़ मर्तबा एक ऊंट दो ऊंटों से बेहतर होता है। राफ़ेअ बिन ख़दीज ﷺ ने एक ऊंट दो ऊंटों के बदले में लिया। उन में से एक तो ख़रीदार को दे दिया और दूसरे के मुताल्लिक़ कहा कि कल इन शा अल्लाह लेकर ज़रूर दे दूंगा। इब्ने मुसय्यब कहते हैं, जानवर में सूद नहीं, एक ऊंट दो ऊंटों और एक बकरी दो बकरियों के बदले उधार ले सकता है। इब्ने सीरीन का कहना है, दो ऊंटों के बदले एक ऊंट ख़रीदने में कोई मुज़ाइक़ा नहीं।

हदीस 2082:- अनस ﷺ रिवायत करते हैं, (एक ग़ज़वा में) क़ैदियों में सफ़िया ﷺ भी शामिल थीं। पहले वह दिहया कलबी ﷺ के हिस्से में आई और फिर नबी करीम ﷺ को मिल गईं।

बाब 1385:- लौंडी गुलाम की फ़रोख़्त:

हदीस 2083:- अबू सईद खुदरी ﷺ रिवायत करते हैं, एक मर्तबा वह नबी करीम ﷺ के पास बैठे थे। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! हम क़ैदी औरतों से सोहबत करते हैं और उन्हें हम बेचना चाहते हैं, लिहाज़ा आपका अज़ल के बारे में क्या ख़्याल है? फ़रमाया: "अगर तुम लोग ऐसा करो तो भी कोई हर्ज नहीं (अगर ऐसा न करो तो भी कुछ फ़र्क़ नहीं पड़ता) इसलिये कि जिस जान का पैदा होना लिखा जा चुका है वह पैदा होकर रहेगी।"

बाब 1386:- मुदब्बर की बैअ:

हदीस 2084:- जाबिर ﷺ रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने मुदब्बर गुलाम बेचा।

हदीस 2085:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने उसे (यानी मुदब्बर गुलाम को) बेचा।

हदीस 2086:- अबू हुरैरा ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ से ग़ैर शादी शुदा लौंडी के ज़िना करने पर दरयाफ़्त किया गया। आपने फ़रमाया: "उसे कोड़े मारो, फिर अगर ज़िना करे तो उसे कोड़े मारो और फिर (भी) अगर ज़िना करे तो उसे बेच डालो।" यह आपने तीसरी या चौथी बार फ़रमाया।

हदीस 2087:- अबू हुरैरा ﷺ रिवायत करते हैं, मैंने नबी करीम ﷺ को फ़रमाते हुए सुना: "जब तुम्हारी कोई लौंडी ज़िना करे और उसके ज़िना का पता चल जाए तो उस पर हद्द जारी की जाए और उसे लअन तअन न करो, और फिर अगर गुनाह का इर्तिकाब करे तो उसे कोड़े मारे जाएं और मलामत न की जाए। फिर अगर तीसरी बार ज़िना करे और उसका ज़िना ज़ाहिर हो जाए तो उसे बेच डाला जाए ख़्वाह बालों की एक रस्सी ही के बदले बिके।"

बाब 1387:– क्या लौंडी के साथ इस्तिबरा से पहले सफ़र किया जा सकता है:

हसन बसरी के नज़्दीक बोसा या मुबाशरत में कोई हर्ज नहीं। इब्ने उमर رضی اللہ عنہ कहते हैं, ऐसी लौंडी हिबा करे या बेची जाए और या आज़ाद हो जिससे सोहबत की जाती थी तो वह एक हैज़ तक इस्तिब्रा करे और कुंवारी औरत से इस्तिब्रा न करे। अता का कहना है, हामिला लौंडी की शर्मगाह के इस्तेमाल में कोई क़बाहत नहीं और अल्लाह तआला का इरशाद है: "मगर यह कि अपनी बीवियां या लौंडियां हों।"

हदीस 2088:– अनस बिन मालिक رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, जब नबी करीम ﷺ ख़ैबर तशरीफ़ लाए और अल्लाह तआला ने ख़ैबर का क़िला फ़तह करा दिया तो आप से सफ़िया बिन्ते हुय्य बिन अख़्तब का हुस्न व जमाल बयान किया गया। जिन का शौहर मारा गया था और वह नई दुल्हन थीं। रसूलुल्लाह ﷺ ने उन्हें अपने लिये चुन लिया और उन्हें लेकर रवाना हो गए यहां तक कि हम सद्दरौहा तक पहुंचे तो आपने उनके साथ सोहबत फ़रमाई। फिर एक छोटे दस्तरख़्वान पर हैस तय्यार करके रखवाया, तो आपने फ़रमाया कि अपने इर्दगिर्द के लोगों को बुला लो। यह सफ़िया के लिये आपका वलीमा था। फिर हम लोग मदीना की तरफ़ चले गए। अनस कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को देखा कि सफ़िया को अपनी अबा के घेरे में लिये हुए ऊंट के पास पहुंचे, अपना घुटना रख दिया। सफ़िया आपके घुटने पर पांव रख कर सवार हुई।

बाब 1388:– मुर्दार और बुतों की फरोख़्त:

हदीस 2089:– जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़तह मक्का के साल मक्का में फ़रमाते हुए सुना: "अल्लाह और उसके रसूल ने शराब, मुर्दार, सुवर और बुतों की ख़रीद व फ़रोख़्त को ममनूअ क़रार दे दिया है।" अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह! मुर्दार की चर्बी के बारे में क्या इरशाद है? उसे कश्तियों पर मलते, खालों पर रौग़न करते और लोग उसी से चराग़ रौशन करते हैं। फ़रमाया: "नहीं वह हराम है।" फिर आपने उस वक़्त फ़रमाया: "अल्लाह यहूद को बरबाद करे, अल्लाह ने उन पर जब चर्बी हराम की तो उन्होंने उसे पिघला कर बेचना शुरू कर दिया उसकी आमदनी खाने लगे।"

बाब 1389:– कुत्ते की क़ीमत:

हदीस 2090:– अबू मसऊद अन्सारी رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने ज़िना की उजरत, कुत्ते की क़ीमत और काहिन के मुआवज़े से रोका है।

हदीस 2091:– औन बिन अबी जुहैफ़ा رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, मैंने अपने वालिद को एक पछने लगाने वाले गुलाम को ख़रीदते देखा (तो उसके औज़ार तोड़ डाले) मैंने उसके मुताल्लिक़ पूछा तो उन्होंने जवाब में कहा, रसूलुल्लाह ﷺ ने ख़ून, कुत्ते और लौंडी की कमाई से रोका और गोदने, गुदवाने वाली पर लअनत की। सूद खाने और खिलाने और तस्वीर बनाने वाले पर लअनत की है।

अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है।

किताबुस्सलम

बाब 1390:– मुक़र्ररा नाप में सलम करना:

हदीस 2092:– इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जब मदीना तशरीफ़ लाए

तो लोग उस वक़्त फलों में एक साल या दो साल की मुद्दत पर सलम करते थे या यह कहा कि दो या तीन साल की मुद्दत पर सलम करते थे। आपने फ़रमाया: "जो शख़्स खजूरों में सलम करे तो मुनासिब है कि मुअय्यन नाप और मुक़र्ररा वज़न में हो।"

हदीस 2093:- मुहम्मद, इस्माईल, इब्ने नजीह से यही रिवायत मुअय्यन नाप और मुक़र्ररा वज़न के मुताल्लिक़ करते हैं।

बाब 1391:- मुक़र्ररा वज़न में सलम करना:

हदीस 2094:- इब्ने अब्बास ﵄ रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ मदीना तशरीफ़ लाए तो लोग खजूरों में दो या तीन साल की मुद्दत पर सलम करते थे। तो आपने फ़रमाया: "जो शख़्स किसी चीज़ में सलम करे तो मुअय्यन नाप और मुक़र्ररा वज़न में एक मुअय्यन मुद्दत तक के लिये करे।"

हदीस 2095:- इब्ने अबी नजीह रिवायत करते हैं कि मुक़र्ररा वज़न में मुतअय्यना मुद्दत के लिये बैअ सलम करे।

हदीस 2096:- अबुल मिन्हाल रिवायत करते हैं, उन्होंने इब्ने अब्बास ﵄ को कहते हुए सुना, नबी करीम ﷺ मदीना तशरीफ़ लाए और फिर यह हदीस बयान की: "मुक़र्ररा मुद्दत के लिये मुअय्यन नाप और वज़न में सलम करे।"

हदीस 2097:- अब्दुल्लाह बिन अबुल मुजालिद रिवायत करते हैं, अब्दुल्लाह बिन शद्दाद बिन इल्हाद और अबू बुरदह ﵄ बैअ सलम में इख़्तिलाफ़ करने लगे तो उन लोगों ने मुझे इब्ने अबी औफ़ा ﵁ के पास भेजा। मैंने उन से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि हम लोग अहदे रिसालत मआब ﷺ और अबू बकर और उमर ﵄ के ज़माने में गेहूं, जौ, किशमिश और खजूर में बैअ सलम करते थे और मैंने इब्ने अब्ज़ा ﵁ से पूछा तो उन्होंने भी यही बताया।

बाब 1392:- उस शख़्स से बैअ सलम करना जिसका रासुल माल न हो:

हदीस 2098:- मुहम्मद बिन अबुल मुजालिद रिवायत करते हैं, मुझे अब्दुल्लाह बिन शद्दाद और अबु बुरदा ﵄ ने अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा ﵁ के पास भेजा और कहा कि उन से जाकर दरयाफ़्त करो, क्या अहदे रिसालत मआब ﷺ में लोग गेहूं में बैअ सलम करते थे? अब्दुल्लाह ﵁ बोले, हम अहले शाम के काश्तकारों से गेहूं, जौ और ज़ैतून मुद्दते मुक़र्ररा तक के लिये मुक़र्ररा नाप और वज़न में बैअ सलम किया करते थे। मैंने (फिर) पूछा, उन लोगों से जिनके पास रासुल माल होता था? कहा हम उन से इसके मुताल्लिक़ नहीं पूछते थे। फिर उन्होंने मुझे अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा ﵁ के पास भेजा तो मैंने उन से पूछा तो उन्होंने कहा, असहाबे नबी करीम ﷺ आपके अहदे मुबारक में सलम किया करते थे और हम उन से नहीं पूछते थे कि उनके पास खेती है या नहीं?

हदीस 2099:- मुहम्मद बिन अबुल मुजालिद यही रिवायत बयान करते हैं, हम गेहूं और जौ में सलम करते थे। अब्दुल्लाह बिन वलीद ने सुफ़यान का क़ौल नक़्ल किया कि हमें शैबानी ने बताया कि रौग़ने ज़ैतून में भी। क़ुतैबह बहवाला जरीर, शैबानी रिवायत करते है, गेहूं, जौ और मुनक़्क़ा में भी।

हदीस 2100:- अबुल बख़्तरी ताई रिवायत करते हैं, मैंने (दरख़्त पर लगी) खजूर में बैअ सलम करने के मुताल्लिक़ इब्ने अब्बास ﵄ से पूछा। उन्होंने कहा, नबी करीम ﷺ ने खजूर को दरख़्तों

पर उस वक़्त तक बेचने से रोका है जब तक कि वह खाने और वज़न करने के क़ाबिल न हो जाएं। किसी शख़्स ने कहा वज़न का क्या मतलब है? (जबकि खजूरें दरख़्त पर हैं) तो एक और शख़्स ने जो इब्ने अब्बास के पास बैठा था कहा: अंदाज़ा करने के लायक़ हो जाएं।

बाब 1393:- (दरख़्त पर लगी) खजूरों में सलम करना:

हदीस 2101:- अबुल बख़्तरी रिवायत करते हैं, मैंने दरख़्त पर लगी खजूरों के मुताल्लिक इब्ने उमर رضی اللہ عنہ से पूछा, तो उन्होंने कहा इससे रोका गया है जब तक कि वह पक न जाएं और नक़द चांदी के बदले उधार बेचने से मना किया गया है। और मैंने इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہ से पूछा तो उन्होंने नबी करीम ﷺ का हवाला देकर कहा कि मना किया गया है यहां तक कि वह खाने और वज़न करने के क़ाबिल हो जाएं।

हदीस 2102:- अबुल बख़्तरी रिवायत करते हैं, मैंने दरख़्त पर लगी खजूरों में सलम के मुताल्लिक़ इब्ने उमर رضی اللہ عنہ से पूछा, तो कहा कि नबी करीम ﷺ ने फलों के बेचने से रोका है जब तक वह पूरी तरह छूहारे न बन जाएं और सोने के बदले चांदी इस तरह बेचने से मना फ़रमाया कि एक नक़द हो और दूसरा उधार। मैंने इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہ से पूछा तो उन्होंने कहा कि नबी करीम ﷺ ने छूहारों के बेचने से मना फ़रमाया जब तक कि खाए न जा सकें और वज़न न किये जा सकें। मैं बोला कि वज़न किस तरह हो सकता है? उनके पास बैठे शख़्स ने कहा कि अंदाज़े से।

बाब 1394:- (बैअ) सलम में ज़मानत देना:

हदीस 2103:- सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा رضی اللہ عنہا रिवायत करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने एक यहूदी से उधार ग़ल्ला लिया और लोहे की एक ज़िरह रहन रखी।

बाब 1395:- सलम में रहन रखना:

हदीस 2104:- अअ़मश रिवायत करते हैं, हमने इब्राहीम नख़ई के पास क़र्ज़ में (कोई चीज़) गिरवी रखने का ज़िक्र किया तो वह बोले, मुझे असवद ने बहवाला सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا बताया कि नबी करीम ﷺ ने एक यहूदी से एक मुद्दत के वादे पर ग़ल्ला ख़रीदा और लोहे की एक ज़िरह रहन रखी।

बाब 1396:- मुक़र्ररा मुद्दत के वादे पर सलम करना चाहिये:

इब्ने अब्बास, अबू सईद (ख़ुदरी), असवद और हसन बसरी رحمہم اللہ की यही राए है। इब्ने उमर رضی اللہ عنہ कहते हैं, वह ग़ल्ला जिसकी सिफ़त (निर्ख़, क़िस्म वग़ैरा) बयान कर दी जाए तो मुअय्यना मुद्दत के वादे पर मुक़र्ररा निर्ख़ के बदले सलम करने में कोई हर्ज नहीं जबकि उस खेती में न हो कि जिसकी सलाहियत ज़ाहिर न हुई हो।

हदीस 2105:- इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ मदीना तशरीफ़ लाए और वह लोग फलों में दो या तीन साल की सलम करते थे। आपने फ़रमाया: "मुक़र्ररा नाप में मुअय्यन मुद्दत के वादे पर सलम किया करो।" अब्दुल्लाह बिन वलीद कहते हैं मुझ से सुफ़यान ने इब्ने अबी नजीह के हवाले से कहा कि मुक़र्ररा पैमाना और मुक़र्ररा वज़न में हो।

हदीस 2106:- मुहम्मद बिन अबी मुजालिद रिवायत करते हैं, मुझे अबू बुरदा और अब्दुल्लाह बिन शद्दाद رحمہما اللہ ने अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा और अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा رضی اللہ عنہما के पास भेजा। मैंने

उन दोनों से सलम के मुतअल्लिक़ पूछा तो दोनों ने कहा, हमें माले ग़नीमत रसूलुल्लाह ﷺ के साथ मिलता था और शाम के काश्तकार हमारे पास आते थे तो हम उन से गेहूं, जौ और किशमिश में एक मुद्दते मुअय्यना की शर्त पर सलम करते। मैंने उन से पूछा कि क्या उनके पास खेती होती थी या नहीं? वह बोले, हम उसके मुतअल्लिक़ उन से नहीं पूछते थे।

बाब 1397:- ऊंटनी के (बच्चा) जनने तक सलम करना:

हदीस 2107:- अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. रिवायत करते हैं, लोग हब्लुल हबला के वादे पर लेन देन करते थे। नबी करीम ﷺ ने इससे रोका। नाफ़ेअ इसकी तशरीह में कहते हैं कि ऊंटनी बच्चा जने जो उसके पेट में है।

किताबुश्शिफ़आ

बाब 1398:- शुफ़आ ग़ैर मुन्क़सिम ज़मीन में है, हद बन्दी के बाद शुफ़आ नहीं:

हदीस 2108:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि. रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने शुफ़आ का हुक्म ग़ैर मुन्क़सिम ज़मीन में दिया है, जब हद-बन्दी हो जाए और रास्ते फेर दिये जाएं तो शुफ़आ (का हक़) न रहा।

बाब 1399:- बैअ से पहले शुफ़आ को शफ़ीअ पर पेश करना:

हकम कहते हैं, अगर बेचने से पहले शफ़ीअ इजाज़त दे तो उसको शुफ़आ का हक़ नहीं। शअबी का कहना है कि जब शुफ़आ बेचा गया और शफ़ीअ मौजूद था लेकिन उस ने कोई एतेराज़ नहीं किया तो उसे शुफ़आ का हक़ न रहा।

हदीस 2109:- अम्र बिन शरीद रिवायत करते हैं, मैं सअद बिन अबी वक़्क़ास रज़ि. के पास खड़ा था तो मिस्वर बिन मख़्रमा रज़ि. आए और अपना हाथ मेरे एक कंधे पर रखा। उस वक़्त (नबी करीम ﷺ के गुलाम) अबू राफ़ेअ रज़ि. आए और कहा: ऐ सअद! मुझ से मेरे दोनों मकान जो तुम्हारे मुहल्ले में हैं ख़रीद लो। सअद बोले: ख़ुदा की क़सम! मैं तो नहीं ख़रीदूंगा। मिस्वर बोल पड़े: बख़ुदा तुम्हें ख़रीदना होगा। सअद ने कहा, मैं तुम्हें चार हज़ार दिरहम से ज़्यादा नहीं दूंगा और वह भी किस्तों में। अबू राफ़ेअ बोले कि मुझे उनके पांच-सौ दीनार मिल रहे थे, अगर मैं रसूलुल्लाह ﷺ को यह फ़रमाते न सुनता कि हमसाया शुफ़आ का ज़्यादा हक़दार है, तो मैं कभी चार हज़ार दिरहम में तुम्हें न देता हालांकि मुझे पांच सौ दीनार मिल रहे थे। चुनान्चे अबू राफ़ेअ ने अपने दोनों घर सअद के हवाले कर दिये।

बाब 1400:- कौन सा हमसाया ज़्यादा हक़दार है:

हदीस 2110:- सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ि. रिवायत करती हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! मेरे दो हमसाए हैं तो मैं किसे तोहफ़ा दूं? फ़रमाया: "जिसका दरवाज़ा तुम से ज़्यादा क़रीब हो।"

पारह 9

किताबुल इजारा (मज़दूरी का बयान)

बाब 1401:- मज़दूरी या किराया और नेक आदमी को मज़दूरी पर लगाना:

इरशादे ख़ुदावन्दी है: "बेहतर मज़दूर जो तुम लगाओ वह है जो क़वी (ताक़त वर) और अमानतदार हो" और दयानतदार ख़ज़ान्ची, उस शख़्स का ज़िक्र जो काम करने का इरादा रखता हो लेकिन उसे काम न मिले।

हदीस 2111:- अबू मूसा अशअरी ؓ रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "दयानतदार ख़ज़ान्ची भी ख़ैरात करने वालों में से एक है जो अपने दिल की ख़ुशी से मालिक की दिलाई हुई रक़म पूरी अदा करे।

हदीस 2112:- अबू मूसा अशअरी ؓ रिवायत करते हैं, मैं नबी करीम ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और मेरे साथ क़बीला अशअर के दो आदमी थे। (उन्होंने आप से कोई उहदा मांगा) अबू मूसा ने अर्ज़ किया कि मै नहीं जानता था कि यह दोनों आमिल बनना चाहते हैं। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "हम किसी मन्सब के ख़्वाहां को कोई मन्सब नहीं देते।"

बाब 1402:- चन्द क़ीरात तन्ख़्वाह पर बकरियां चराना:

हदीस 2113:- अबू हुरैरा ؓ रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह तआला ने कोई नबी ऐसा नहीं भेजा जिस ने बकरियां न चराई हों।" सहाबा बोले, क्या आपने भी? फ़रमाया: "हां मैं मक्का वालों की बकरियां चन्द क़ीरात के बदले चराया करता था।"

बाब 1403:- ज़रूरत के वक़्त और जब कोई मुसलमान न मिले तो मुश्रिकों को मज़दूरी पर लगाना: नबी करीम ﷺ ने ख़ैबर के यहूदियों को काम पर लगाया।

हदीस 2114:- सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा ؓ रिवायत करती हैं, (हिजरत के मौक़ा पर) नबी करीम ﷺ और अबू बकर ؓ ने बनी दील के एक आदमी को और फिर बनी अब्द बिन अदी से एक राहबर जो रास्ता बताने में बड़ा माहिर था, मज़दूरी पर रखा। उस ने आस बिन वाइल के ख़ानदान से क़सम का मुआहिदा किया था और वह कुफ़्फ़ारे कुरैश के दीन पर था। उन दोनों ने उस पर एतमाद किया और उसे दोनों ने अपनी सवारियां दे दीं और उसे हिदायत की कि तीन रातों के बाद ग़ारे सौर के पास लेकर आ जाए। चुनान्चे वह तीन रातों के बाद सुबह के वक़्त दोनों की सवारियां लेकर आया और दोनों रवाना हुए। उनके साथ आमिर बिन फुहैरा था और राहबर बनी बनी वाइल का एक शख़्स था जो उन सब को साहिल के रास्ते से ले गया।

बाब 1404:-

अगर कोई शख़्स किसी को मज़दूरी पर लगाए कि तीन दिन या एक माह या एक साल बाद काम करे तो दुरुस्त है और जब वह वक़्ते मुक़र्रर आ जाए तो दोनों अपनी शर्तों पर क़ायम रहेंगे:

हदीस 2115:- ज़ौजए रसूल सय्यदा आयशा ؓ रिवायत करती हैं, नबी करीम ﷺ और अबू बकर ؓ ने (हिजरत के मौक़ा पर) बनी वाइल के एक राहबर आदमी को रास्ता बताने की

मज़दूरी पर रखा और वह कुफ़्फ़ारे कुरैश के दीन पर था और दोनों ने अपनी सवारियां उसके सिपुर्द करदीं, इस अहद के साथ कि तीन रातों के बाद तीसरी की सुबह को सवारियां लेकर गारे सौर पहुंच जाए।

बाब 1405:- जिहाद (के मौका पर) मज़दूर साथ रखना:

हदीस 2116:- यअला बिन उमय्या رضی اللہ عنہ से रिवायत है, मैं नबी करीम ﷺ के साथ "जैशुल उसरत" (ग़ज़वाए तबूक) में शरीक था और मेरे अंदाज़े के मुताबिक यह सबसे ज़्यादा क़ाबिले एतमाद नेकी थी। मेरे साथ एक मज़दूर भी था, वह एक आदमी से लड़ पड़ा। एक दूसरे की उंगलियां दांतों में दबा लीं। मैंने उंगली जो खींची तो उसके दांत गिर पड़े। वह नबी करीम ﷺ के पास गया तो आपने उसे दांत का मुआवज़ा नहीं दिलाया और फ़रमाया: "अगर वह अपनी तुम्हारे मुंह में रहने देता, तो तुम ऊंट की तरह उसकी उंगली चबा डालते। इब्ने जुरैज कहते हैं, मुझ से अब्दुल्लाह बिन अबी मुलैका ने अपने दादा के हवाले से बयान किया कि एक आदमी ने किसी के हाथ को दांतों में दबा लिया, उस ने हाथ को खींचा तो दांत गिर गया। अबू बकर رضی اللہ عنہ ने उसका मुआवज़ा नहीं दिलाया।

बाब 1406:- जिस शख़्स ने मज़दूर को उजरत पर लगाया मुद्दत तो बयान कर दी लेकिन काम नहीं बताया: (तो भी दुरुस्त है) जैसा कि (वाक़िआ शुऐब में) इरशादे ख़ुदावन्दी है: "मैं अपनी बेटियों में से एक को तुम्हारे निकाह में देना चाहता हूं।" "अला मा नक़ूलु" तक याजुरु फ़ुलानन का मतलब है उसे अज्र देता है। ताज़ियत के मौक़े पर अजरकल्लाहु (ख़ुदा तुझे बदला दे) बोला जाता है तो वह इसी से माख़ूज़ है।

बाब 1407:- अगर कोई शख़्स किसी को मज़दूरी पर लगाए कि गिरने के क़रीब दीवार सीधी कर दे।

हदीस 2117:- उबय बिन कअब رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने मुझे बताया: "(मूसा और ख़िज़्र علیہما السلام) दोनों चले तो एक बोसीदा दीवार देखी। सईद (इस हदीस के एक रावी) कहते हैं ख़िज़्र علیہ السلام ने इस तरह हाथ से इशारा किया और दीवार सीधी हो गई। हज़रत मूसा علیہ السلام कहने लगे अगर तुम चाहते तो इस पर उजरत ले लेते। सईद رضی اللہ عنہ कहते हैं: उजरत ले लेते तो हम उसे खाते।

बाब 1408:- दोपहर तक के लिये मज़दूर लगाना:

हदीस 2118:- इब्ने उमर رضی اللہ عنہما रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "तुम्हारी और अहले किताब (यहूद व नसारा) की मिसाल उस शख़्स की सी है जिस ने कुछ मज़दूर काम पर लगाए और कहा: कौन है जो सुबह से दोपहर तक एक क़ीरात मुआवज़े पर काम करे। यहूद ने काम (करना मंज़ूर) किया। फिर बोला कौन है जो एक क़ीरात के बदले में दोपहर से अस्र तक काम करे। नसरानियों ने मज़दूरी की। फिर उस ने कहा कौन है जो दो क़ीरात उजरत पर अस्र से मग़रिब तक काम करे, और यह तुम ही हो। इस पर यहूद व नसारा को गुस्सा आया और कहने लगे यह क्या हुआ? कि काम हम ने ज़्यादा किया और मज़दूरी (भी) कम मिली। वह शख़्स बोला क्या मैंने तुम्हारे हक़ (मुआवज़ा) में कोई कमी की। वह बोले नहीं। उस ने कहा यह मेरा एहसान है जिसे चाहूं नवाज़ूं।"

बाब 1409:- नमाज़े अस्र तक मज़दूर लगाना:

हदीस 2119:- अब्दुल्लाह बिन उमर बिन ख़त्ताब رضی اللہ عنہما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तुम्हारी और यहूद व नसारा की मिसाल उस शख़्स की सी है जो कुछ मज़दूर लगाए और

कहे एक क़ीरात मुआवज़े पर कौन दोपहर तक मेरा काम करेगा? यहूद ने एक क़ीरात पर काम किया, फिर तुम हो जिन्होंने दो क़ीरात पर अस्र से मग़रिब तक काम किया। इस पर यहूद व नसारा भड़के और कहा काम भी हम ज़्यादा करें और मज़दूरी भी कम हमें मिले? उस शख़्स ने कहा क्या मैंने तुम्हारे हक़ में से कुछ घटाया? वह बोले नहीं, तो उस ने कहा यह मेरा एहसान है जिस पर चाहूं करूं।"

बाब 1410:- उस शख़्स का जुर्म जो काम की उजरत न दे:

हदीस 2120:- अबू हुरैरा रज़ि० रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "इरशादे बारी तआला है तीन ऐसे शख़्स हैं जिन का मैं क़यामत में दुशमन हूंगा, एक वह जिस ने मेरे हवाले से अहद किया और फिर अहद शिकनी की, दूसरा वह जिस ने किसी आज़ाद इन्सान को बेच खाया और तीसरा वह जिस ने किसी को काम पर लगाया लेकिन उसकी उजरत हड़प कर गया।"

बाब 1411:- अस्र से रात तक के लिये मज़दूर लगाना:

हदीस 2121:- अबू मूसा अशअरी रज़ि० रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "मुसलमानों और यहूद व नसारा की मिसाल उस शख़्स की सी है जिस ने कुछ मज़दूर काम पर लगाए, कि सुबह से रात तक तय शुदा मुआवज़े पर काम करें। चुनान्चे वह दोपहर तक काम करने के बाद बोले हमें तुम्हारी उजरत की चन्दां ज़रूरत नहीं, हम ने जो कुछ किया वैसे ही कर दिया। वह शख़्स बोला इस तरह अब नहीं तुम अपना काम पूरा करो और पूरी मज़दूरी लो, लेकिन वह न माने और काम छोड़ दिया। बादे अज़ां उस ने दूसरे दो मज़दूर काम पर लगाए, और उन से कहा तुम बाक़ी दिन पूरा काम करो तुम्हें वही उजरत दूंगा जो उनके लिये तय हुई थी। चुनान्चे वह काम में लग गए लेकिन जब नमाज़े अस्र का वक़्त हुआ तो कहने लगे हम ने जो कुछ किया वह वैसे ही किया है तुम हमारे साथ तय शुदा उजरत अपने पास रखो। वह शख़्स बोला अपना काम पूरा करलो थोड़ा दिन बाक़ी रह गया है लेकिन उन दोनों ने इन्कार किया। चुनान्चे उस ने कुछ और आदमी काम पर लगाए कि बाक़ी दिन का काम कर दें। उन्होंने काम किया हत्ता कि सूरज ग़ुरूब हो गया और दोनों फ़रीक़ों की उजरत भी उन्हें मिली, यही मिसाल उन लोगों की है और यह उन की जिन्होंने उस नूर (क़ुरआने मजीद या इस्लाम) को क़ुबूल किया।

बाब 1412:- जिस ने किसी को काम पर लगाया और वह अपनी उजरत छोड़ कर चला गया तो मज़दूरी पर लगाने वाला मेहनत करके उस उजरत को बढ़ाए और जो दूसरों के माल में मेहनत करके उसको ज़्यादा बनाए।

हदीस 2122:- अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते सुना: "तुम से पहली उम्मत के तीन आदमी सफ़र कर रहे थे कि एक ग़ार में रात को पनाह लेने की ग़र्ज़ से दाख़िल हुए। पहाड़ से एक चट्टान आकर गिरी जिससे ग़ार का मुंह बन्द हो गया। उन्होंने आपस में कहा कि इस चट्टान से नजात पाना मुश्किल है। जब तक कि अल्लाह तआला को किसी बेहतरीन अमल का वास्ता देकर दुआ न की जाए। उन में से एक बोला: या अल्लाह! मेरे वालिदैन बहुत बूढ़े थे, मैं उन से पहले किसी को दूध न पिलाता था ख़्वाह बीवी बच्चे हों या ग़ुलाम और लौंडी। एक दिन किसी काम की ग़र्ज़ से बहुत दूर चला गया। मैं उस वक़्त वापस आया जब दोनों सो चुके थे। मैंने उनके लिये दूध दूहा तो वह सोए हुए थे और मैंने अच्छा न समझा कि उन से पहले बीवी, बच्चे या नौकरों को दूध

दूं। चुनान्चे मैं वहीं खड़ा रहा और प्याला मेरे हाथ में था। उनके जागने का इन्तिज़ार करता रहा यहां तक कि सुबह हो गई, वह जागे और दूध पिया। या अल्लाह! अगर यह सब कुछ मैंने तेरी ख़ुशनूदी की ख़ातिर किया तो तू इसे (मुसीबत को) हम से दफ़ा फ़रमा जिस में हम, इस चट्टान की वजह से गिरफ़्तार हैं, चुनान्चे वह थोड़ी सी सरक गई लेकिन वह निकल नहीं सकते थे।" रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "दूसरा बोला, ऐ अल्लाह! मेरी एक चचाज़ाद बहन थी जो मुझे सब औरतों से ज़्यादा अज़ीज़ थी लेकिन वह मुझ से खिंची खिंची रहती थी। हत्ता कि एक साल उसे किसी ज़रूरत के तहत मेरे पास आना पड़ा। मैंने उसे एक सौ बीस दीनार इस शर्त पर दिये कि वह मेरे और अपनी ज़ात के दरमियान हाइल न हो, वह रज़ामन्द हो गई। जब मैंने उस पर क़ाबू पा लिया तो वह बोली कि तुम्हारे लिये यह हलाल नहीं कि मेरी मुहर (इफ़्फ़त) तोड़ो। चुनान्चे मैंने उससे सोहबत को गुनाह समझा और उससे अलग हो गया, हालांकि वह मुझ दुन्या जहान से अज़ीज़ थी और मैंने वह सोना भी छोड़ दिया जो उसे दिया था। ऐ मेरे मअबूद! अगर यह कुछ मैंने तेरी रज़ा के लिये किया था तो हम से इस (मुसीबत) को दूर कर दे जिस में हम फंस गए हैं, चुनान्चे वह चट्टान कुछ और सरक गई लेकिन वह फिर भी बाहर नहीं निकल सकते थे।" नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "तीसरा आदमी बोला ऐ रब मेरे! मैंने कुछ मज़दूर काम पर लगाए, मैंने उन्हें उजरत दी मगर उन में से एक मज़दूरी छोड़ कर चला गया। मैंने उसकी उजरत को (किसी काम में लगा कर) बढ़ाना शुरू कर दिया हत्ता कि बहुत सा माल हाथ आया। एक अरसा बाद वह मेरे पास आया और कहा: ऐ अल्लाह के बन्दे! मुझे मेरी उजरत दे दो। मैंने उससे कहा कि यह ऊंट, गाय, बकरियां और गुलाम जो कुछ देख रहे हो यह सब तुम्हारा है। उस ने कहा कि मुझ से मज़ाक़ न करो। मैंने कहा कि मैं तुम से मज़ाक़ नहीं करता, चुनान्चे उस ने वह सब कुछ ले लिया। ऐ अल्लाह! अगर यह कुछ मैंने तेरी रज़ा की ख़ातिर किया था तो इस (मुसीबत) को हटा दे चुनान्चे वह चट्टान एक तरफ़ हो गई और वह लोग बाहर निकले और चल दिये।"

बाब 1413:- जिस ने बोझ उठाना पसन्द किया फिर पीठ पर लदा हुआ बोझ ख़ैरात कर दिया और मज़दूर की उजरत:

हदीस 2123:- अबू मसऊद अन्सारी رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ जब हमें सदक़ा करने को कहते तो हम में से कोई शख़्स बाज़ार जाता, (लोगों का) बोझ उठाता और एक मुद अनाज हासिल करता और उसे ख़ैरात कर देता। आज उन में से कई एक के पास हज़ारों रुपये मौजूद हैं। शक़ीक़ कहते हैं कि मेरा ख़्याल है कि उन्हों (अबू मसऊद) ने (इससे) अपनी ज़ात मुराद ली है।

बाब 1414:- दलाली की उजरत:

इब्ने सीरीन, अता, इब्राहीम और हसन बसरी के नज़्दीक दलाली की उजरत लेने में कोई मुज़ाइक़ा नहीं। इब्ने अब्बास رضي الله عنهما कहते हैं कि अगर कोई शख़्स यह कहे कि तुम यह कपड़ा बेच दो और इतनी रक़म से जो ज़्यादा मिले वह तुम ले लो तो इस में कोई हर्ज नहीं। इब्ने सीरीन का कहना है कि जब कोई कहे कि तुम इसे इतनी रक़म में बेच दो और जितना नफ़ा हो वह मेरे और तुम्हारे दरमियान (निस्फ़ निस्फ़) है या वह तुम्हारा है तो इस में कोई मुज़ाइक़ा नहीं और नबी करीम ﷺ का इरशादे गिरामी है: "मुसलमान अपनी शर्तों पर क़ायम रहेंगे।

हदीस 2124:- इब्ने अब्बास رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने आगे जाकर क़ाफ़िला

वालों को मिलने से मना फ़रमाया है और शहरी किसी देहाती के लिये बैअ न करे। मैं (ताऊस) ने पूछा कि ऐ इब्ने अब्बास! لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ का मतलब क्या है? उन्होंने जवाब दिया यानी दल्लाली न करे।

बाब 1415:- क्या दारुल हरब में किसी मुश्रिक की मुलाज़मत जाइज़ है:

हदीस 2125:- ख़ब्बाब رضی الله عنہ रिवायत करते हैं, मैं लोहार था। मैंने आस बिन वाइल का काम किया तो मेरी मज़दूरी उसके पास जमा हो गई। मैं उसके पास गया और तक़ाज़ा किया तो उस ने कहा ख़ुदा की क़सम! मैं तुम्हें उस वक़्त तक नहीं दूंगा जब तक मुहम्मद (ﷺ) का इन्कार नहीं करोगे। मैं बोला ख़ुदा की क़सम! ऐसा नहीं हो सकता, यहां तक कि तुम मर जाओ और फिर उठाए जाओ। उस ने कहा: क्या मरने के बाद ज़िन्दा उठाया जाऊंगा? मैंने कहा: हां। उस ने कहा तो उस वक़्त मेरे पास माल और औलाद होंगे तो मैं उस वक़्त क़र्ज़ अदा करूंगा। चुनान्चे यह आयत नाज़िल हुई: "ऐ पैग़म्बर! आप ने उसे देखा जिस ने मेरी आयात का इन्कार किया और कहा कि मैं माल और औलाद दिया जाऊंगा।

बाब 1416:- कबाइले अरब पर सूरए फ़ातिहा पढ़ कर फूंकने के इवज़ उजरत दिया जाना: इब्ने अब्बास رضی الله عنہما नबी ﷺ से नक़्ल करते हैं, आपने फ़रमाया: "सबसे ज़्यादा उजरत लेने के लायक़ ख़ुदा की किताब है। शअबी कहते हैं कि मुअल्लिम कोई शर्त आइद न करे, लेकिन उसे कोई चीज़ दी जाए तो वह लेले। हकम कहते हैं कि मैंने किसी के मुतअल्लिक़ नहीं सुना कि उस ने मुअल्लिम की उजरत को मकरूह गरदाना हो। हसन बसरी ने दस दिरहम दिये और इब्ने सीरीन ने तक़सीम करने वाले की उजरत में कोई मुज़ाइक़ा नहीं समझा और कहा "السُّحْتُ" फ़ैसला में रिश्वत लेने को कहा जाता है और लोग अंदाज़ा करने में उजरत देते थे।

हदीस 2126:- अबू सईद (ख़ुदरी) رضی الله عنہ रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ के असहाब की एक जमाअत सफ़र पर रवाना हुई और अरब के एक क़बीला के हां उतरी और उन्हें तवक़्क़ुअ थी कि लोग उनके मेज़बान बनें मगर उन्होंने मेहमानदारी करने से इन्कार कर दिया। (इसी अस्ना में) उस क़बीले के सरदार को बिच्छू ने डस लिया। लोगों ने बड़े जतन किये मगर कुछ भी फ़ायदा न हुआ। बाज़ ने मशवरा दिया कि अगर तुम उन लोगों के पास जाओ जो यहां वारिद हुए हैं तो शायद उनके पास कुछ न कुछ हो। चुनान्चे वह लोग उनके पास आए और बोले कि ऐ लोगो! हमारे सरदार को बिच्छू ने काट लिया है और हम ने बड़ी तदबीरें कीं मगर कारगर साबित न हुई। क्या तुम में से किसी के पास कोई तदबीर है? किसी ने कहा, हां ख़ुदा की क़सम! मैं दम कर लेता हूं लेकिन हम ने तुम्हारा मेहमान बनना चाहा मगर तुम ने इन्कार कर दिया, लिहाज़ा हम उस वक़्त तक दम नहीं करेंगे जब तक इसका मुआवज़ा नहीं दोगे। चुनान्चे उन्होंने बकरियों का एक रेवड़ देने का मुआहिदा कर लिया। एक सहाबी गए और जाकर सूरए फ़ातिहा पढ़ कर दम किया और वह फ़ौरन अच्छा हो गया। जिस तरह कोई जानवर खोल दिया जाता है वह उसी तरह चलने लगा गोया उसे कोई तकलीफ़ ही न थी। उस ने कहा, इन्हें मुआवज़ा दे दो, जो इन से तय हुआ है। (सहाबा में से) बाज़ ने कहा यह बकरियां तक़सीम कर लो लेकिन जिन्होंने दम किया है वह बोले ऐसा न करो जब तक रसूलुल्लाह ﷺ के पास न पहुंच जाएं और आप से वह वाक़िआ बयान करें जो गुज़रा, फिर देखें कि आप का क्या इरशाद है। वह रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में आए और माजरा कह सुनाया तो आप ने फ़रमाया: तुम्हें कैसे पता चला कि सूरए फ़ातिहा एक दम भी है। फिर फ़रमाया: तुम ने अच्छा किया, तक़सीम कर लो और हां मेरा हिस्सा भी निकाल

लो, यह कह कर आप मुस्कुरा दिये।

फ़ायदाः– इस हदीस से मालूम हुआ कि जिस्मानी इमराज़ के लिये कुरआने करीम की आयात पढ़ कर दम करना जाइज़ है। यह भी मालूम हुआ कि कुरआने मजीद में जिस्मानी शिफ़ा भी है। यह भी मालूम हुआ कि दम करने पर उजरत भी ली जा सकती है। लेकिन इसे कारोबार बना लेने में काफ़ी इख़्तिलाफ़ है और बुज़ुर्गों ने इसे पेशा बना लेने को किसी दौर में भी मुनासिब नहीं समझा है। वल्लाहु तआला आलम।

बाब 1417:– गुलाम और लौंडियों से मुक़र्ररा रक़म लेनाः

हदीस 2127:– अनस बिन मालिक ؓ रिवायत करते हैं, अबू तय्यबा ने नबी करीम ﷺ को पछने लगाए तो आप ने उसे एक या दो साअ ग़ल्ला देने को कहा और उसके मालिक से बात चीत की तो उनकी मुक़र्ररा रक़म (महसूल) में कमी कर दी गई।

बाब 1418:– पछने लगाने की उजरतः

हदीस 2128:– इब्ने अब्बास ؓ रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने पछने लगवाए और पछने लगाने वाले को उसकी उजरत दिलाई।

हदीस 2129:– इब्ने अब्बास ؓ रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने पछने लगवाए और उसे उजरत दिलाई, अगर आप इसे मकरूह समझते तो न दिलवाते।

हदीस 2130:– अम्र बिन आमिर रिवायत करते हैं, मैंने अनस ؓ को कहते सुना कि रसूलुल्लाह ﷺ पछने लगवाया करते और किसी की उजरत में कमी न करते थे।

बाब 1419:– जिस ने गुलाम के मालिकों से यह सिफ़ारिश की कि गुलाम के महसूल में कमी करदें:

हदीस 2131:– अनस बिन मालिक ؓ रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने पछने लगाने वाले एक गुलाम को बलाया जिस ने आप को पछने लगाए। आप ने उसे एक या दो साअ या एक मुद या दो मुद ग़ल्ला देने का हुक्म दिया और उसके मुताल्लिक़ (उसके मालकिों से) बात चीत की और उसके महसूल में कमी कर दी गई।

बाब 1420:– ज़िनाकार और लौंडी की कमाईः

इब्राहीम नख़ई के नज़्दीक नोहागर (रोने वाली) और गाने वाली की उजरत मकरूह है। इरशादे रब्बानी हैः अपनी लौंडियों को अगर वह पाक दामनी की ज़िन्दगी बसर करना चाहें तो हरामकारी पर मजबूर न करो, ताकि दुन्यवी माल समेट सको और जिस ने उन्हें मजबूर किया तो अल्लाह तआला उनके मजबूर करने के बाद बख़्शने वाला मेहरबान है। فَتَيَاتِكُمْ यानी लौंडियां।

हदीस 2132:– अबू मसऊद अन्सारी ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने कुत्ते की क़ीमत, ज़िनाकारी और कहानत की उजरत से मना फ़रमाया है।

हदीस 2133:– अबू हुरैरा ؓ रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने लौंडियों की कमाई से रोका है।

बाब 1421:– नर की जुफ़्ती कराने की मुमानिअतः

हदीस 2134:– इब्ने उमर ؓ रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने नर की जुफ़्ती कराने की

उजरत से मना फ़रमाया है।

बाब 1422:- जब कोई शख़्स इजारा पर ज़मीन ले और उन में से किसी का इन्तिक़ाल हो जाए: इब्ने सीरीन ने कहा कि उसके घर वालों को मुद्दत पूरी होने से पहले बे-दख़ल करने का हक़ नहीं है। हकम, हसन बसरी और अयास बिन मुआविया के नज़्दीक उसकी मुक़र्ररा मुद्दत तक जारी रहेगा। इब्ने उमर ﷺ कहते हैं कि नबी करीम ﷺ ने ख़ैबर की ज़मीन (यहूदियों को) आधी पैदावार पर दे दी थी। चुनान्चे यह इजारा नबी करीम ﷺ, अबू बकर और उमर ﷺ की ख़िलाफ़त के अवाइल तक क़ायम रहा और यह (कहीं भी) मन्क़ूल नहीं कि अबू बकर और उमर ﷺ ने नबी करीम ﷺ की वफ़ात के बाद इजारा की तजदीद की हो।

हदीस 2135:- अब्दुल्लाह इब्ने उमर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने ख़ैबर इस शर्त पर दिया कि उस में मेहनत और काश्त करें, पैदावार में उनका निस्फ़ हिस्सा होगा। इब्ने उमर ने नाफ़ेअ को बताया कि ज़मीन कुछ रक़म के इवज़ जिसका उन्होंने ज़िक्र किया लेकिन मुझे (नाफ़ेअ को) याद नहीं किराया पर दी जाती थी। राफ़ेअ बिन ख़दीज रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने खेतों को किराया पर देने से मना फ़रमाया। उबैदुल्लाह, नाफ़ेअ और वह, इब्ने उमर के हवाले से रिवायत करते है, यहां तक कि उन्हें (यहूदियों को) हज़रत उमर ﷺ ने जिला वतन कर दिया।

अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है।

किताबुल हवालात (क़र्ज़ का) हवाला करना):

बाब 1423:- हवाला (क़र्ज़ किसी की तरफ़ मुन्तक़िल करना) और क्या हवाला में रुजूअ कर सकता है?: हसन और क़तादा कहते हैं कि जिस दिन हवाला किया अगर उस दिन ख़ुशहाल था तो ठीक है। इब्ने अब्बास ﷺ का कहना है कि शरीक या तर्का पाने वाले इस तरह तक़सीम करें कि एक ने ऐन (नक़द माल) और दूसरे ने दैन (उधार) लिया और उन्हीं में से एक दीवालिया हो गया तो वह अपने साथी से मुतालबा नहीं कर सकता।

हदीस 2136:- अबू हुरैरा ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मालदार का क़र्ज़ में टाल मटोल से काम लेना ज़्यादती है और जब तुम में से किसी शख़्स का क़र्ज़ मालदार के हवाले कर दिया जाए तो उसे क़ुबूल कर लेना चाहिये।"

बाब 1424:- जब (क़र्ज़) मालदार के हवाले कर दिया जाए तो उसे रद्द करने का इख़्तियार नहीं:

हदीस 2137:- अबू हुरैरा ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मालदार का (क़र्ज़ की अदायगी में) टाल मटोल से काम लेना ज़ुल्म है और जिस शख़्स का क़र्ज़ किसी मालदार के हवाले कर दिया जाए तो वह उसे क़ुबूल करले।"

बाब 1425:- अगर मय्यत का क़र्ज़ किसी शख़्स की तरफ़ मुन्तक़िल कर दिया जाए तो जाइज़ है:

हदीस 2138:- सलमा बिन अकवअ ﷺ रिवायत करते हैं, हम नबी करीम ﷺ के पास बैठे हुए थे, इसी इस्ना में एक जनाज़ा लाया गया। लोगों ने कहा आप इसका जनाज़ा पढ़ा दें। आपने

फ़रमायाः "क्या इस पर कोई क़र्ज़ भी है?" हमने कहा नहीं। आपने फ़रमायाः "इस ने कोई चीज़ छोड़ी है?" कहा गया नहीं, तब आपने नमाज़े जनाज़ा पढ़ी। फिर दूसरा जनाज़ा लाया गया, लोगों ने कहा इस पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ दें। आपने फ़रमायाः "इस पर कोई क़र्ज़ है?" लोगों ने कहा, हां। आपने फ़रमायाः "इस ने कुछ छोड़ा है?" बताया गया कि तीन दीनार छोड़े हैं तो आपने उस पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी। फिर तीसरा जनाज़ा लाया गया, लोगों ने कहा इस पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ दें। आपने फ़रमायाः "इस ने कुछ छोड़ा है?" लोगों ने कहा नहीं, आपने पूछाः "इस पर कोई क़र्ज़ भी है?" लोगों ने जवाब दिया तीन दीनार। आपने फ़रमायाः "तुम अपने साथी पर नमाज़ पढ़ लो।" अबू क़तादा ﷺ बोले आप इस पर नमाज़ पढ़ दें मैं इसके क़र्ज़ का ज़िम्मादार हूं, चुनान्चे आपने उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी।

अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है।

किताबुल कफ़ाला (कफ़ाला का बयान)

बाब 1426:- क़र्ज़ में जानी और माली ज़िम्मेदारी लेनाः

अबू ज़िनाद ने बहवाला मुहम्मद बिन हमज़ा बिन अम्र असलमी के वालिदे माजिद से रिवायत किया है कि उमर ﷺ ने हमज़ा बिन अम्र असलमी को सदक़ा वुसूल करने के लिये भेजा। वहां किसी ने अपनी बीवी की लौंडी से ज़िना किया तो हमज़ा ने कुछ लोगों को इसका ज़ामिन बना लिया हत्ता कि वह हज़रत उमर के पास पहुंचे और हज़रत उमर उसे सौ कोड़े मार चुके थे। हज़रत उमर ने उन लोगों से इसकी तस्दीक़ चाही और उसे जहालत की बिना पर माज़ूर समझा। जरीर और अश्अस ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद ﷺ से मुरतिदों के बारे में कहा कि उन से तौबा कराइये और किसी को उनका ज़ामिन बना लीजिये। तो उन्होंने तौबा की और उनके क़बीले वाले ज़ामिन बन गए। हम्माद कहते हैं कि अगर कोई शख़्स ज़ामिन हो जाए और मर जाए तो उस पर कोई जुरमाना नहीं। हकम के नज़्दीक जुरमाना अदा करना होगा। इमाम अबू अब्दुल्लाह बुख़ारी कहते हैं, लैस ने बहवाला जाफ़र बिन रबीआ, अब्दुर्रहमान बिन हुरमुज़, अबू हुरैरा ﷺ रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत करते हैं कि आपने बनी इस्राईल के किसी शख़्स का ज़िक्र किया। उस ने बनी इस्राईल के किसी फ़र्द से एक हज़ार दीनार क़र्ज़ मांगा। उस ने गवाह लाने को कहा ताकि गवाही दे। उस ने कहा अल्लाह तआला काफ़ी गवाह है। फिर उस ने कहा कोई ज़ामिन ले आओ, बोला अल्लाह तआला की ज़मानत काफ़ी है। उस ने कहा तुम सच्चे हो, चुनान्चे उस ने मुअय्यना अरसे के लिये एक हज़ार दीनार दे दिये। मक़रूज़ समुन्द्री सफ़र के लिये चल दिया और अपनी ज़रूरियात पूरी कीं। फिर सवारी की जुस्तजू में लग गया ताकि मुक़र्ररा मीआद में क़र्ज़ ख़्वाह तक पहुंच सके, लेकिन सवारी न मिल सकी। उस ने एक लकड़ी ली, उस ने उसे खोद कर उस में एक हज़ार दीनार और एक ख़त क़र्ज़ ख़्वाह के नाम रख दिया। फिर उसका मुंह बन्द करके समुन्द्र के किनारे आया और कहा, ऐ मेरे अल्लाह! तू जानता है कि मैंने फ़ुलां शख़्स से एक हज़ार दीनार क़र्ज़ मांगा तो उस ने मुझ से ज़ामिन तलब किया। मैंने तेरी ज़ात को ज़ामिन बनाया, उस ने गवाह चाहा मैंने तुझे गवाह बनाया और वह इस पर राज़ी हो गया। मैंने बहुत कोशिश की कि सवारी मिल जाए और उसका क़र्ज़ भेज दूं लेकिन न मिल सकी इसलिये मैं इसे तेरे सिपुर्द करता हूं। उस ने वह लकड़ी समुन्द्र में फेंक दी, वह लकड़ी बह गई और यह वापस चला आया। इसी दौरान सवारी की तलाश में रहा ताकि वह

अपने शहर पहुंच सके। (एक दिन) क़र्ज़ ख़्वाह बाहर निकला शायद कोई जहाज़ उसका माल लेकर आया हो। उसकी नज़र उसी लकड़ी पर पड़ी जिस में दीनार थे। ईंधन की ग़र्ज़ से उसे उठा लिया, जब उसे चीरा तो रक़म और ख़त उसे मिला। बादे अज़ां वह मक़रूज़ भी आ गया और हज़ार दीनार लेता आया और कहा ख़ुदा की क़सम! सवारी की बेहद तलाश के बावुजूद न मिल सकी कि आपके पास माल लेकर आता। जिस जहाज़ में आया हूं उससे पहले कोई जहाज़ न मिल सका। वह (क़र्ज़ ख़्वाह) बोला, तुम ने कोई चीज़ मेरे पास भेजी थी? मक़रूज़ बोला अर्ज़ तो कर रहा हूं कि इस जहाज़ से पहले मुझ को कोई सवारी न मिल सकी। क़र्ज़ ख़्वाह ने कहा, अल्लाह तआला ने तुम्हारी वह चीज़ मुझ तक पहुंचा दी जो लकड़ी में तुम ने भेजी थी चुनान्चे वह अपने हज़ार दीनार लेकर ख़ुशी ख़ुशी रुख़सत हुआ।

बाब 1427:- इरशादे ख़ुदावन्दी है: "जिन से तुम ने क़सम खाकर अहद किया तो उन्हें उनका हिस्सा दे दो।"

हदीस 2139:- इब्ने अब्बास رضي الله عنهما रिवायत करते हैं कि आयत "وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ" से मुराद वुरसा हैं और "وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ" की तफ़सीर में कहा कि मुहाजिरीन जब मदीना पहुंचे तो मुहाजिर अन्सारी का मुवाख़ात की बुन्याद पर वारिस होता था, जो रसूलुल्लाह ﷺ ने उनके दरमियान क़ायम फ़रमाई थी मगर अन्सारी के रिश्तादारों को कुछ न मिलता। जब आयत "وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ" उतरी तो आयत "وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ" मन्सूख़ हो गई। फिर फ़रमाया "وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ" में इमदाद व तआवुन और ख़ैर ख़्वाही बाक़ी रह गई है लेकिन तर्का मन्सूख़ हो गया, उनके लिये वसियत की जा सकती है।

हदीस 2140:- अनस رضي الله عنه रिवायत करते हैं, हमारे पास अब्दुर्रहमान बिन औफ़ رضي الله عنه आए तो रसूलुल्लाह ﷺ ने उनके और सअद बिन रबीअ رضي الله عنه के दरमियान मुवाख़ात (भाई-बन्दी) क़ायम करदी।

हदीस 2141:- आसिम रिवायत करते हैं, मैंने अनस رضي الله عنه से दरयाफ़्त किया, आप को यह हदीस मालूम है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "इस्लाम में जाहिलियत के अहद व पैमान (का कोई लिहाज़) नहीं।" तो बोले रसूलुल्लाह ﷺ ने मेरे घर में कुरैश और अन्सार के दरमियान अहद व पैमान कराया था।

बाब 1428:- जो मय्यत की तरफ़ से क़र्ज़ की ज़मानत ले तो उसे रुजूअ का इख़्तियार नहीं: हसन बसरी का यही मस्लक है।

हदीस 2142:- सलमा बिन अकवअ رضي الله عنه रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ के पास जनाज़ा लाया गया ताकि आप नमाज़ पढ़ें। आप ने पूछा: इस पर किसी का क़र्ज़ भी है? लोगों ने कहा नहीं, तो आपने नमाज़ पढ़ी। फिर एक दूसरा जनाज़ा लाया गया, आप ने पूछा: इस पर कोई क़र्ज़ है? लोगों ने कहा हां। आपने फ़रमाया: तुम लोग अपने साथी पर नमाज़ पढ़ो। अबू क़तादा رضي الله عنه बोले या रसूलल्लाह! मैं इसके क़र्ज़ का ज़िम्मेदार हूं तो आप ने उस पर नमाज़ पढ़ी।

हदीस 2143:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: अगर बहरीन से माल आ गया तो तुम्हें इतना (कुछ अंदाज़ा करके) दूंगा। लेकिन बहरीन से माल न आया हत्ता कि रसूलुल्लाह ﷺ का वसाल हो गया। जब बहरीन से माल आया तो अबू बकर رضي الله عنه ने

एलान कराया, जिस शख़्स से रसूलुल्लाह ﷺ ने कोई वादा किया हो या आप पर किसी का क़र्ज़ हो तो मेरे पास आ जाए। चुनान्चे मैं उनके पास आया, मैंने कहा रसूलुल्लाह ﷺ ने मुझे इतना (माल) देने का वादा किया था। मुझे हज़रत अबू बकर ने मुट्ठी भर कर दी। मैंने गिना तो पांच सौ (दीनार या दिरहम) थे और कहा कि इससे दोगुना ले लो।

बाब 1429:- अहदे रिसालत मआब ﷺ में अबू बकर का अमन देना और इसका अहद करना:

हदीस 2144:- उरवा बिन ज़ुबैर رضي الله عنه रिवायत करते हैं, ज़ौजए रसूल सय्यिदा आयशा सिद्दीक़ा رضي الله عنها बयान करती हैं: जब से मैंने होश संभाला, अपने वालिदैन को दीने हक़ पर पाया। अबू सालेह बयान करते हैं, मुझे अब्दुल्लाह ने बहवाला यूनुस, ज़ुहरी, उरवा बिन ज़ुबैर से रिवायत किया कि सय्यिदा आयशा सिद्दीक़ा رضي الله عنها ने फ़रमाया: मैंने जब से होश संभाला अपने वालिदैन को दीने (इस्लाम) पर ही पाया। कोई दिन होगा कि रसूलुल्लाह ﷺ हमारे घर तशरीफ़ न लाए हों। जब मुसलमान इब्तिला में थे, अबू बकर हिजरते हबशा की ग़र्ज़ से निकले। जब बरके ग़िमाद पहुंचे तो इब्ने दग़ना से मुलाक़ात हो गई। पूछा: ऐ अबू बकर! कहां का इरादा है? बोले मुझे मेरी क़ौम ने निकाल दिया लिहाज़ा चाहता हूं और ज़मीन में चलूं फिरूं और ख़ुदा की बन्दगी करूं। इब्ने दग़ना बोला तुम्हारे जैसा आदमी न तो निकल सकता है और न निकाला जा सकता है क्योंकि तुम नादारों के लिये कमाते, सिला रहमी करते, आजिज़ व दरमांदा का बोझ उठाते, मेहमनादारी बजा लाते और हक़ के बाइस पेश आमदा मुसीबत पर मदद करते हो। मैं तुम्हारा हमसाया हूं, तुम लौट चलो और अपने मुल्क में अपने ख़ुदा की इबादत करो चुनान्चे इब्ने दग़ना अबू बकर को साथ लेकर वापस हुआ और क़ुरैश के सरदारों में घूमा फिरा और उन्हें कहा कि अबू बकर जैसा इन्सान न तो निकल सकता है और न निकाला जा सकता है। क्या तुम ऐसे शख़्स को निकालते हो जो ग़रीबों के लिये कमाता, सिला रहमी करता, आजिज़ों का बोझ सहारता, मेहमान नवाज़ी करता, राहे हक़ में पेश आमदा मुश्किलात में मदद करता है। चुनान्चे क़ुरैश ने इब्ने दग़ना की पनाह मंज़ूर करली। अबू बकर को पनाह देकर इब्ने दग़ना से कहा कि अबू बकर को कह दो वह अपने घर में अपने रब की इबादत करें, नमाज़ पढ़ें और जो जी चाहे करें लेकिन हमें तकलीफ़ न दें और इसका एलान व इज़्हार न करें। हमें ख़दशा है कि हमारे बच्चे और बीवियां फ़ितने में पड़ जाएंगी। इब्ने दग़ना ने सब कुछ अबू बकर से कह दिया, चुनान्चे अबू बकर अपने घर में अल्लाह तआला की इबादत करने लगे। वह न तो एलानया नमाज़ पढ़ते और न एलानया क़िरात करते। फिर अबू बकर के दिल में ख़्याल उभरा तो उन्होंने घर के सहन में एक मस्जिद बना डाली और बाहर निकल कर उस में नमाज़ और क़ुरआने मजीद पढ़ने लगे। मुश्रिकीन की औरतें और बच्चे उनके पास आए, उन्हें पसन्द करते और अबू बकर को देखते रहते। अबू बकर बहुत रोने वाले थे, जब कभी क़ुरआने मजीद पढ़ते उन्हें अपने आंसुओं पर क़ाबू न रहता। क़ुरैश के सरदार सटपटाए और इब्ने दग़ना को बुला भेजा। वह आया तो क़ुरैश ने कहा, हम ने उन्हें इस शर्त पर पनाह दी थी कि वह अपने घर में अपने रब की इबादत करें। उन्होंने इसकी ख़िलाफ़ वर्ज़ी की और अपने घर के सहन में मस्जिद बना डाली। खुल्लम खुल्ला नमाज़ और क़ुरआने मजीद पढ़ने लगे, हमें डर है हमारे बाल बच्चे गुमराह न हो जाएं चुनान्चे उन से कहो अगर घर में इबादत कर सकते हैं तो बेहतर, अगर वह इससे इन्कार करें तो

उन से कह दो कि वह तुम्हारा ज़िम्मा वापस करदें क्योंकि हमें पसन्द नहीं कि हम तुम्हारी अमान तोड़ें और न ही हम अबू बकर को खुल्लम खुल्ला इबादत करने की इजाज़त दे सकते हैं। सय्यिदा आयशा फ़रमाती हैं कि इब्ने दग़ना अबू बकर के पास आया और कहा कि आप को मालूम है मैंने आप का ज़िम्मा एक शर्त पर लिया था या तो उसी पर इक्तिफ़ा करो या फिर ज़िम्मा वापस कर दो। मुझे यह हरगिज़ गवारा नहीं कि लोग सुनें कि मैंने एक शख़्स का ज़िम्मा लिया और मेरा ज़िम्मा तोड़ा गया। अबू बकर बोले, मैं तेरी अमान तोड़ता और अल्लाह तआला की पनाह पर राज़ी हूं। उस ज़माने में रसूलुल्लाह ﷺ मक्का ही में थे। आपने फ़रमाया: मुझे तुम्हारी हिजरत की जगह मालूम है, मैंने एक खारी ज़मीन देखी जहां खजूरों के दरख़्त हैं और पथरीले किनारों के दरमियान है। जब यह बात रसूलुल्लाह ﷺ ने कही तो जिस ने भी हिजरत की मदीना की तरफ़ की। और जो लोग हबशा की तरफ़ हिजरत कर चुके थे वह भी मदीना की तरफ़ लौट आए। अबू बकर ने भी हिजरत की तय्यारी की तो उन से रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: ठहर जाओ मुझे तवक़्क़ुअ है कि मुझे हिजरत का हुक्म मिल जाएगा। अबू बकर बोले मेरे मां बाप आप पर क़ुरबान! क्या आप को उम्मीद है कि आप को भी हुक्म मिलेगा? फ़रमाया: हां। अबू बकर रसूलुल्लाह ﷺ की रिफ़ाक़त के लिये रुक गए और दो ऊंट जो उनके पास थे उन्हें चार माह तक समुर के दरख़्त के पत्ते खिलाते रहे।

बाब 1430:- क़र्ज़ का बयान:

हदीस 2145:- अबू हुरैरा रज़ि० रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ के पास जब जनाज़ा लाया जाता तो आप पहले यह दरयाफ़्त फ़रमाते कि क्या इस ने क़र्ज़ (की अदायगी) के लिये कुछ तर्का छोड़ा है? लोग अगर कहते कि हां छोड़ा है तो आप उस पर नमाज़ पढ़ते वरना फ़रमा देते कि तुम अपने साथी पर नमाज़ पढ़ लो। जब अल्लाह तआला ने फ़ुतूहात का दरवाज़ा खोल दिया तो आपने फ़रमाया: "मैं मुसलमानों का खुद उनकी ज़ात से भी ज़्यादा ख़ैर ख़्वाह हूं, जो मुसलमान मर जाए और क़र्ज़ छोड़ जाए तो उसका अदा करना मेरे ज़िम्मे है और जिस ने माल छोड़ा वह उसके वुर्सा का हक़ है।"

अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है

किताबुल वकाला (वकालत का बयान)

बाब 1431:- तक़सीम में एक शरीक का दूसरे शरीक का वकील होना:

रसूलुल्लाह ﷺ ने हज़रत अली रज़ि० को अपनी क़ुरबानी में शरीक किया और फिर उसकी तक़सीम का हुक्म दिया।

हदीस 2146:- अली रज़ि० रिवायत करते हैं, मुझे रसूलुल्लाह ﷺ ने क़ुरबानी के ऊंटों की झोलें और खालें ख़ैरात करने का हुक्म दिया।

हदीस 2147:- उक़्बा बिन आमिर रज़ि० रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने उन्हें कुछ बकरियां सहाबा किराम में तक़सीम करने की ग़र्ज़ से अता कीं। एक बकरी का बच्चा बाक़ी रह गया, उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ से इसका ज़िक्र किया तो आप नेफ़रमाया: तुम खुद उसकी क़ुरबानी करलो।

बाब 1432:- मुसलमान किसी हरबी को दारुल हरब या दारुल इस्लाम में

वकील मुकर्रर करले तो जाइज़ है:

हदीस 2148:- सालेह बिन इब्राहीम बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने अपने वालिद और वह उनके दादा अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ﷺ से रिवायत करते हैं, मैंने उमय्या बिन ख़ल्फ़ को एक ख़त लिखा कि वह मेरे सामान की मक्का में निगरानी करे और मैं उसके सामान की मदीना में निगरानी करूंगा। जब मैंने अपने ख़त पर अपना नाम "अब्दुर्रहमान" लिखा तो वह बोला मैं अब्दुर्रहमान को नहीं जानता तुम अपना वह नाम लिखो जो जाहिलियत में था। मैंने "अब्द अम्र" लिखा। जब बदर का दिन आया तो मैं पहाड़ की तरफ़ गया कि उसकी हिफ़ाज़त करूं जबकि लोग सोए हुए थे। बिलाल ﷺ ने उसे देख लिया, वह गए और अन्सार की एक मजलिस में जाकर कहा यह उमय्या बिन ख़ल्फ़ है, अगर उमय्या बच निकला तो मेरी ख़ैर नहीं। वह सुनते ही अन्सार के कुछ लोग हमारे पीछे दौड़ पड़े। जब मुझे यह अन्देशा हुआ कि वह हम तक पहुंच जाएंगे तो मैंने उसके बेटे को पीछे छोड़ दिया ताकि वह उस में उलझे रहें, मगर उन्होंने उसे क़त्ल कर डाला। इसी पर इक्तिफ़ा न किया बल्कि हमारे पीछे लगे रहे। वह (उमय्या) भारी भरकम आदमी था। जब अन्सार हम तक पहुंच गए तो मैंने उससे कहा बैठ जाओ, वह बैठ रहा। मैंने ख़ुद को उसके ऊपर डाल दिया ताकि उसे बचा लूं लेकिन उन्होंने मेरे नीचे तलवारें घुसेड़ दीं यहां तक कि उसे क़त्ल कर दिया। उन में से एक की तलवार मेरे पांव में भी लगी और अब्दुर्रहमान बिन औफ़ वह निशाने ज़ख़्म अपने पांव की पीठ पर हमें दिखाया करते थे।

बाब 1433:- सर्राफ़ी और नाप तौल में वकील बनाना:

हज़रत उमर ﷺ और इब्ने उमर ﷺ ने सर्राफ़ी में वकील किया था।

हदीस 2149:- सईद बिन मुसय्यब, अबू सईद ख़ुदरी और अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने एक आदमी को ख़ैबर का आमिल मुक़र्रर फ़रमाया। वह (एक बार) आप के पास उम्दा खजूर लेकर आया। फ़रमाया: क्या ख़ैबर की तमाम खजूर ऐसी हैं? वह बोला हम ऐसी खजूर एक साअ दो साअ के बदले या दो साअ तीन साअ के बदले ख़रीदते हैं। आपने फ़रमाया: "ऐसा न किया करो बल्कि तमाम खजूरें दिरहम के इवज़ फ़रोख़्त कर दो और फिर उन दिरहमों के इवज़ अच्छी खजूरें ले लिया करो।" और वज़न से बिकने वाली अशिया के बारे में भी आप का यही हुक्म था।

बाब 1434:- जब चरवाहा या वकील बकरी को मरता देखे या कोई चीज़ ख़राब हो रही हो तो उसे ज़िब्ह कर डाले और ख़राब होती चीज़ को दुरुस्त करदे:

हदीस 2150:- इब्ने कअब बिन मालिक अपने वालिद (कअब बिन मालिक ﷺ) से रिवायत करते हैं, उनके पास बकरियां थीं जो सिलअ (एक मक़ाम) में चरती थीं। हमारी एक कनीज़ ने देखा कि एक बकरी मर रही है, तो उस ने एक पत्थर तोड़ कर उससे बकरी ज़िब्ह कर डाली। कअब ने लोगों से कहा कि इसका गोश्त मत खाओ जब तक कि मैं रसूलुल्लाह ﷺ से न पूछ लूं। (या यह कहा कि) रसूलुल्लाह ﷺ के पास किसी को भेज कर दरयाफ़्त करा लिया जाए। उन्होंने ख़ुद रसूलुल्लाह ﷺ से पूछा या उस ने पूछा जिसे भेजा गया था। आपने उसे खाने का हुक्म दिया। उबैदुल्लाह कहते हैं कि मुझे यह बात मुनासिब मालूम हुई कि उस ने लौंडी होकर बकरी ज़िब्ह करदी।

बाब 1435:- हाज़िर और ग़ायब को वकील बनाना जाइज़ है:

अब्दुल्लाह बिन अम्र ﷺ ने अपने वकील को लिख भेजा कि वह इनके घर के सब छोटों बड़ों की

तरफ़ से सदक़ए फ़ित्र अदा करदे।

हदीस 2151:- अबू हुरैरा ؓ रिवायत करते हैं, किसी शख़्स का एक ख़ास उम्र का ऊंट नबी करीम ﷺ पर कर्ज़ था। वह आप के पास तक़ाज़ा की ग़र्ज़ से आया तो आपने सहाबा से फ़रमायाः इसे दे दो। लोगों ने उस उम्र के ऊंट की तलाश की लेकिन न मिला अल्बत्ता उससे बड़ी उम्र का मिल गया। आपने फ़रमायाः यही दे दो। वह शख़्स बोला आपने मेरा हक़ पूरा दे दिया ख़ुदा भी आप को पूरा दे। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः तुम में से बेहतर वह शख़्स है जो अच्छे तरीक़े से कर्ज़ अदा करे।

बाब 1436:- कर्ज़ की अदायगी में वकील बनानाः

हदीस 2152:- अबू हुरैरा ؓ रिवायत करते हैं, एक शख़्स रसूलुल्लाह ﷺ के पास (कर्ज़ की वापसी का) तक़ाज़ा लेकर आया और सख़्ती बरती। सहाबा ने उसे ज़द व कोब करना चाहा तो आपने फ़रमायाः उसे छोड़ दो, जिस का हक़ होता है वह ऐसे ही बोलता है। आपने फ़रमायाः उसी उम्र का ऊंट दे दो। लोगों ने कहा उस उम्र का तो नहीं है अल्बत्ता उससे बड़ी उम्र का है। फ़रमायाः "वही दे दो, तुम में बेहतर वह है जो अच्छे तरीक़े से कर्ज़ अदा करे।"

बाब 1437:- अगर किसी क़ौम के वकील या सिफ़ारिशी को कुछ हिबा किया जाए तो दुरुस्त हैः क्योंकि रसूलुल्लाह ﷺ ने हवाज़िन के वफ़्द को जब उन्होंने माले ग़नीमत वापस मांगा तो फ़रमायाः "मैं तुम्हें अपने हिस्सा बख़्शता हूं।"

हदीस 2153:- उरवा रिवायत करते हैं, मरवान बिन हकम और मिस्वर बिन मख़रमा ؓ ने बयान किया, जब हवाज़िन के वकील क़ुबूले इस्लाम के बाद रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुए। आप खड़े हुए, लोगों ने आप से दरख़्वास्त की कि उनके माल और क़ैदी वापस किये जाएं। आपने फ़रमायाः "मुझे सच बहुत पसन्द है इसलिये दो बातों में से एक चुन लो या तो क़ैदी वापस लो और या माल, और मैंने तो इनके आने का (हजराना में) इन्तिज़ार किया था।" रसूलुल्लाह ﷺ ने उन लोगों का दस रातों से ज़्यादा इन्तिज़ार किया, जब ताइफ़ से वापस हुए थे। चुनान्चे जब उन्हें मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह ﷺ दो चीज़ों में से एक ही लौटाएंगे, वह बोले अच्छा क़ैदी ही वापस कर दीजिये। आप मुसलमानों के दरमियान खड़े हुए और अल्लाह तआला की हम्द व सना बयान की जिसका कि वह मुस्तहिक़ है। फिर फ़रमायाः "तुम्हारे यह भाई हमारे पास तायब होकर आए हैं, मेरा ख़्याल है कि उनको क़ैदी वापस कर दिये जाएं। बिना बरीं जो शख़्स दिल की रज़ामन्दी से उन्हें वापस करना चाहे तो वापस करदे और जिस की ख़्वाहिश हो कि उसका हिस्सा बाक़ी रहे, इस तरह कि अब जो पहली फ़तह होगी तो हम उसका बदला दे देंगे तो ऐसा करे।" लोगों ने कहा हम आप की ख़ुशी की ख़ातिर उन्हें बिला मुआवज़ा दे देंगे। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "हम नहीं जानते तुम में से किस ने मंज़ूर किया और किस ने नामंज़ूर किया, तुम चले जाओ, तुम्हारे सरदार हमारे पास आकर बयान करेंगे।" लोग चले गए, उन से उनके सरकरदा अफ़राद ने बात चीत की, फिर रसूलुल्लाह ﷺ के हां आए तो उन्होंने अर्ज़ किया कि लोग क़ैदी वापस करने पर ख़ुश हैं।

बाब 1438:- किसी ने कुछ देने के लिये वकील बनाया और यह नहीं बताया कि कितना देगा तो वह मारूफ़ तरीक़े के मुताबिक़ देः

हदीस 2154:- अता बिन अबी रिबाह वग़ैरा एक दूसरे से ज़रा इज़ाफ़ा करके रिवायत करते हैं,

सब ने उसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضي الله عنه तक पहुंचाया। हां अल्बत्ता उन में से एक शख़्स ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضي الله عنه से रिवायत की, वह बयान करते हैं रसूलुल्लाह ﷺ के साथ एक सफ़र में था। मैं एक सुस्त रफ़्तार ऊंट पर सवार था इसलिये सबसे पीछे रहता। मेरे क़रीब से रसूलुल्लाह ﷺ गुज़रे और पूछा कौन है? मैं बोला जाबिर बिन अब्दुल्लाह। आपने फ़रमाया: क्या हुआ? अर्ज़ की कि सुस्त-रौ ऊंट पर सवार हूं। फ़रमाया: तुम्हारे पास कोई छड़ी भी है? अर्ज़ किया, हां। फ़रमाया मुझे दे दो। मैंने वह छड़ी आप को दे दी। आपने उसे मारा और डांटा। वहां से चला तो सबसे आगे बढ़ गया। आपने फ़रमाया: इसे मेरे हाथ बेच दो। मैंने कहा यह आप ही का है। फिर फ़रमाया: मैंने इसे चार दीनार के इवज़ ख़रीद लिया और तुम मदीना तक इस पर सवार रहो। जब हम मदीना के क़रीब पहुंचे, मैं अपने मकान की तरफ़ जाने लगा, आपने फ़रमाया: कहां का इरादा है? मैंने अर्ज़ किया एक बेवा से निकाह किया है। फ़रमाया: कुंवारी से क्यों न किया कि तुम उससे खुश होते और वह तुम से खुश होती। मैं बोला मेरे वालिद फ़ौत हो गए और कई बेटियां छोड़ी हैं। मैंने सोचा किसी ऐसी औरत से निकाह करूं जो तजर्बाकार और बेवा हो। आपने फ़रमाया: यह ठीक है। जब हम मदीना पहुंचे तो आपने फ़रमाया: बिलाल! जाबिर को उसकी क़ीमत अदा कर दो और (कुछ) ज़्यादा दो। चुनान्चे (आपने) मुझे चार दीनार और एक क़ीरात सोना ज़्यादा दिया। हज़रत जाबिर का कहना है कि रसूलुल्लाह ﷺ का अता करदा सोना हम से अलग नहीं होता और वह बराबर थैली में रहता।

बाब 1439:- निकाह में औरत का हाकिम को वकील बनाना:

हदीस 2155:- सहल बिन सअद رضي الله عنه रिवायत करते हैं, एक औरत रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुई और बोली, या रसूलल्लाह! मैंने अपनी जान आप को हिबा कर दी। एक शख़्स ने कहा कि हुज़ूर इसका निकाह मेरे साथ कर दीजिये। आपने फ़रमाया: "मैंने तुम्हारा निकाह इस औरत से उस कुरआन के बदले किया जो तुम्हें याद है।"

बाब 1440:- अगर किसी को वकील बनाया जाए और वकील कोई चीज़ छोड़े, फिर मुवक्किल उसे दुरुस्त क़रार दे तो जाइज़ है और अगर वकील मुक़र्ररा मुद्दत के लिये क़र्ज़ दे तो (भी) जाइज़ है। उस्मान बिन हैसम अबू अम्र बयान करते हैं कि मुझे औफ़ और उन्होंने मुहम्मद बिन सीरीन और वह अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत करते हैं, मुझे रसूलुल्लाह ﷺ ने ज़काते रमज़ान (जमा शुदा रक़म) की हिफ़ाज़त पर मामूर फ़रमाया। मेरे पास एक शख़्स आया और मुट्ठियां भर भर कर अनाज लेने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा ख़ुदा की क़सम! मैं तुझे रसूलुल्लाह ﷺ के पास लेकर जाऊंगा। वह बोला कि मैं ज़रूरतमन्द हूं, मेरे ज़िम्मे बीवी बच्चों की परवरिश है और मुझे इसकी सख़्त ज़रूरत है। मैंने उसे रिहा कर दिया। सुबह हुई और रसूलुल्लाह ﷺ के पास आया तो फ़रमाया: "तुम्हारे रात के क़ैदी का क्या बना?" मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! उस ने अपनी ज़रूरत और बीवी बच्चों का ज़िक्र किया तो मुझे तरस आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। आपने फ़रमाया: "वह झूटा है, वह फिर आएगा।" आपके इस इरशाद से मुझे यक़ीन हो चला कि वह ज़रूर आएगा, चुनान्चे मैं उसका मुन्तज़िर रहा। (हसबे तवक़्क़ुअ) वह आया और अनाज लेने लगा, मैंने उसे पकड़ लिया और कहा (आज) मैं तुम्हें रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में ज़रूर ले जाऊंगा। वह बोला कि मैं तंग दस्त हूं और अयालदार हूं, अब के नहीं आऊंगा। चुनान्चे मुझे रहम आ गया और मैंने उसे जाने दिया। सुबह हुई तो

रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तुम्हारे कैदी का क्या हुआ?" मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह! उस ने अपनी ज़रूरत और अयालदारी की शिकायत की तो मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने उसे रिहा कर दिया। आपने फ़रमाया: "याद रखो वू झूटा है फिर आएगा।" मैं तीसरी रात उसका मुन्तज़िर रहा, वह आया और अनाज लेने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा मैं तुझे रसूलुल्लाह ﷺ के पास ज़रूर ले जाऊंगा। यह तीसरी दफ़ा है, हर बार तू यही कहता है कि फिर नहीं आऊंगा लेकिन हर बार आ जाता है। वह बोला तुम मुझे जाने दो मैं तुम्हें ऐसी बातें सिखाऊंगा जिन से अल्लाह तआला तुम्हें फ़ायदा पहुंचाएगा। मैंने पूछा वह क्या हैं? वह बोला जब तुम बिस्तर पर जाओ तो आयतल कुर्सी اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ आख़िर तक पढ़ लो, अल्लाह तआला की तरफ़ से एक फ़रिश्ता तुम्हारी निगरानी पर मामूर हो जाएगा और सुबह तक शैतान तुम्हारे क़रीब नहीं फटकेगा, चुनान्चे मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई और रसूलुल्लाह ﷺ ने दरयाफ़्त फ़रमाया: "तुम्हारे रात के कैदी का क्या हाल है?" मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! (उस ने कहा) वह मुझे ऐसे कलिमात सिखाएगा जिस से अल्लाह तआला मुझे फ़ायदा पहुंचाएगा तो मैंने उसे छोड़ दिया। आपने पूछा: "वह कलिमात क्या हैं?" मैंने कहा उस ने मुझे बताया कि जब सोने लगो तो आयतल कुर्सी शुरू से पढ़ो और ख़त्म करो और उस ने कहा अल्लाह तआला की तरफ़ से तुम्हारा एक निगरान होगा और सुबह तक तुम्हारे पास शैतान नहीं आ सकेगा और सहाबा (चूंकि) भलाई में बहुत ज़्यादा हरीस थे। आपने फ़रमाया: "तो उस ने बजा कहा लेकिन वह है बहुत झूटा, अबू हुरैरा! तुम्हें मालूम है तुम तीन रातें किस से गुफ़्तगू करते रहे?" अबू हुरैरा बोले नहीं। फ़रमाया: "वह शैतान था।"

फ़ायदा:- हज़रत अबू हुरैरा رضی اللہ عنہ को माले ज़कात की निगरानी पर मुक़र्रर किया गया तो रात को चोर आया, जिस को उन्होंने पकड़ लिया। उस ने मजबूरी ज़ाहिर की तो उन्होंने छोड़ दिया। रसूलुल्लाह ﷺ ने सुबह को खुद पूछा कि अबू हुरैरा! तुम्हारे रात के चोर का क्या बना? अलावा बरीं आपने यह भी फ़रमाया कि वह झूटा है और अगली रात भी आएगा। तीनों रात आप इसी तरह पूछते रहे और हर रोज़ उसके फिर आने की ख़बर भी देते रहे और आख़िरी रोज़ बता दिया कि वह शैतान था। दरहक़ीक़त परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब को आंखें ही ऐसी अता फ़रमाई थीं जिन से कोई चीज़ पोशीदा रह नहीं सकती थी। इस इस्लामी व ईमानी अक़ीदे को एक दानाए राज़ ने शेअर के क़ालिब में ढाल कर यूं बयान फ़रमाया है:

और कोई गैब क्या तुम से निहां हो भला!
जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद

बाब 1441:- जब वकील कोई फ़ासिद चीज़ की बैअ करे तो वह मरदूद होगी:

हदीस 2156:- उक़बा बिन ग़ाफ़िर रिवायत करते हैं, मैंने अबू सईद खुदरी رضی اللہ عنہ को कहते सुना कि बिलाल رضی اللہ عنہ रसूलुल्लाह ﷺ के पास बरनी खजूर (एक उम्दा क़िस्म की खजूर) लेकर आए। पूछा: "कहां से लाए?" बिलाल ने कहा मेरे पास ख़राब खजूरें थीं। मैंने एक साअ के बदले में दो साअ बेच दीं ताकि आप को खिला सकूं। आपने फ़रमाया: ओह, तौबा तौबा, यह तो सूद है। यह तो बिल्कुल सूद है। ऐसा न करो बल्कि जब तुम ख़रीदना चाहो तो अपनी खजूर किसी चीज़ के बदले फ़रोख़्त करो और फिर उस से दूसरी खजूर ले लो।

बाब 1442:- वक़्फ़ (इम्लाक) में वकील मुक़र्रर करना और वकील का अपने दोस्तों को खिलाना और मारूफ़ क़ायदे के मुताबिक़ खाना:

हदीस 2157:- अम्र रिवायत करते हैं, हज़रत उमर رضي الله عنه की मसाइले ज़कात वाली किताब में यह दर्ज था कि मुतवल्ली के खाने और दोस्तों के खिलाने में कोई मुज़ायक़ा नहीं जबकि माल लूटने का इरादा न हो। इब्ने उमर رضي الله عنهما हज़रत उमर رضي الله عنه के सदक़ा के मुतवल्ली थे। अहले मक्का के पास जहां भी पड़ाव करते हदिया भेजा करते थे।

बाब 1443:- हुदूद में वकालत करना:

हदीस 2158:- अबू हुरैरा رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "ऐ उनैस (बिन ज़हाक) फ़ुलां औरत के पास जाओ, अगर वह (ज़िना का) इक़रार करले तो उसे संगसार कर दो।"

हदीस 2159:- उक़बा बिन हारिस رضي الله عنه रिवायत करते हैं, नुऐमान या इब्ने नुऐमान को इस हाल में लाया गया कि वह शराब में धुत था। रसूलुल्लाह ﷺ ने घर में मौजूद अफ़राद से फ़रमाया: "इसे मारो।" उन मारने वालों में मैं भी था और हम ने उसे जूतों और छड़ियों से मारा।

बाब 1444:- क़ुरबानी के ऊंटों में वकालत और उनकी हिफ़ाज़त करना:

हदीस 2160:- अमरह बिन्ते अब्दुर्रहमान رضي الله عنها सय्यिदा आयशा सिद्दीक़ा رضي الله عنها के मुताल्लिक़ बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ के क़ुरबानी के जानवरों के हार अपने हाथों से तय्यार किये। फिर आपने अपने हाथों से उनकी गर्दनों में पहनाए और उन्हें मेरे वालिद के साथ भेजा। आप पर अल्लाह तआला की हलाल करदा चीज़ों में से कुछ भी हराम न था यहां तक कि वह क़ुरबानी का जानवर ज़िब्ह किया गया।

बाब 1445:- जब कोई शख़्स अपने वकील से कहे इसे ख़र्च करो जहां मुनासिब समझो और वकील कहे मैंने सुन लिया जो कुछ तुम ने कहा:

हदीस 2161:- इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह ने अनस बिन मालिक رضي الله عنه को यह कहते सुना कि अबू तलहा رضي الله عنه मदीना में सबसे ज़्यादा मालदार थे और बैरुहा उन्हें सबसे ज़्यादा अज़ीज़ था और उसका रुख़ मस्जिद की तरफ़ था। रसूलुल्लाह ﷺ वहां जाते और उसका उम्दा पानी नोश फ़रमाते। जब यह आयत لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ नाज़िल हुई यानी तुम उस वक़्त तक भलाई नहीं पा सकोगे जब तक अपनी अज़ीज़ तरीन मताअ क़ुरबान न करो। अबू तलहा रसूलुल्लाह ﷺ के पास खड़े हुए और कहा, या रसूलल्लाह! अल्लाह तआला अपनी किताब में फ़रमाता है: "तुम भलाई न पा सकोगे जब तक अपनी महबूब तरीन चीज़ ख़र्च न करो।" और मुझे बैरुहा सबसे ज़्यादा अज़ीज़ है और मैं अल्लाह की राह में सदक़ा करता हूं और मैं अज्र के लिये अल्लाह तआला के हुज़ूर उम्मीदवार हूं। या रसूलल्लाह! आप इसे जहां चाहें ख़र्च करें। आपने फ़रमाया: बहुत ख़ूब, यह माल तो नफ़ा देने वाला है और जो तुम ने कहा वह मैंने सुना और मैं पसन्द करूंगा कि तुम इसे अपने रिश्तेदारों में तक़सीम करो। अबू तलहा बोले अब यही करूंगा, चुनान्चे अबू तलहा ने उसे अपने (क़रीबी) अज़ीज़ों और चचाज़ाद भाइयों में तक़सीम कर दिया।

बाब 1446:- ख़ज़ाने के लिये किसी अमीन को वकील बनाना:

हदीस 2162:- अबू मूसा अशअरी رضي الله عنه रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया:

"दयानतदार ख़ज़ान्ची जो ख़र्च करता है।" और कभी यूं फ़रमाया: "वह शख़्स जो हुक्म के मुताबिक़ खुशी खुशी पूरा ख़र्च करता है वह सदक़ा देने वालों में शुमार होता है।"

अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है

खेती और बटाई के मुताल्लिक़ आमदा रिवायात

बाब 1447:- खेती और फलदार दरख़्त लगाने की फ़ज़ीलत जिस से लोग खाएं: इरशादे खुदावन्दी है: "जो खेत तुम उगाते हो बतलाओ वह तुम उगाते हो या हम उसे उगाने वाले हैं अगर हम चाहें तो उसे चूरा चूरा बना दें।

हदीस 2159:- अनस रज़ि० रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मुसलमान जो भी फलदार दरख़्त लगाता है या खेत उगाता है जिससे परिन्दे, इन्सान और जानवर खाते हैं तो उसे उसका सवाब मिलता है।"

बाब 1448:- खेत के साज़ व सामान में ज़्यादा उलझ जाना या हद से ज़्यादा मसरूफ़ हो जाना बुरा है:

हदीस 2164:- अबू उमामा बाहिली रज़ि० रिवायत करते हैं उन्होंने हल और खेती के कुछ आलात देखे तो कहा मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से सुना, फ़रमाते थे: "जिस घर में यह दाख़िल हुए, उस में ज़िल्लत दाख़िल हो जाती है।

बाब 1449:- खेत की निगरानी की ग़र्ज़ से कुत्ता रखना:

हदीस 2165:- अबू हुरैरा रज़ि० रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस ने कुत्ता पाला, उसके अमल में से हर रोज़ सवाब की एक क़ीरात कमी की जाती है, मगर यह कि खेती या जानवरों की हिफ़ाज़त के लिये हो।" इब्ने सीरीन और अबू सालेह अबू हुरैरा से इस तरह रिवायत करते हैं, कि नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "मगर बकरियों, खेती या शिकार के लिये।" अबू हाज़िम, अबू हुरैरा के हवाले से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो कुत्ता शिकार या जानवर की निगरानी के लिये हो।"

हदीस 2166:- साइब बिन यज़ीद अज़्दिशनूअह के एक शख़्स सुफ़यान बिन अबी ज़ुहैर रज़ि० से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा मैंने नबी करीम ﷺ से सुना: "जिस ने कुत्ता पाला और वह खेती और जानवरों की हिफ़ाज़त के लिये न हो तो उसके अमल से रोज़ाना एक क़ीरात सवाब कम होता रहेगा।" उस ने पूछा क्या तुम ने यह रसूलुल्लाह ﷺ से सुना है? फ़रमाया हां क़सम इस मस्जिद के मालिक की, आप से सुना है।●

बाब 1450:- गाय को खेत में इस्तेमाल करना:

हदीस 2167:- अबू हुरैरा रज़ि० रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "एक शख़्स बैल पर सवार था, उस बैल ने मुड़ कर कहा, मैं इस काम के लिये पैदा नहीं हुआ बल्कि मैं खेती के लिये पैदा हुआ हूं।" आपने फ़रमाया: "मैं, अबू बकर और उमर रज़ि० ने इस पर यक़ीन किया। एक बकरी को भेड़िया उठा कर ले गया। चरवाहा गया, भेड़िया बोला आज तो तुम छुड़ा लोगे लेकिन "यौमे सब्अे" (मदीना में जब दरिन्दे ही दरिन्दे होंगे, यह किसी होलनाक फ़ितने की तरफ़ इशारा है) को कौन

छुड़ाएगा जबकि मेरे अलावा कोई निगरान न होगा।" आपने फ़रमायाः "मैं, अबू बकर और उमर رضي الله عنهما ने इस पर यक़ीन कर लिया। अबू सलमा कहते हैं, वह दोनों (अबू बकर व उमर) उस वक़्त उस मजलिस में मौजूद न थे।

बाब 1451:– जब कोई शख़्स कहे मेरे छुहारों के दरख़्तों में मेहनत तुम्हारी और फल में हम दोनों शरीक हैं:

हदीस 2168:– अबू हुरैरा رضي الله عنه रिवायत करते हैं, अन्सार ने रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में अर्ज़ किया कि आप दरख़्त हमारे और हमारे मुहाजिर भाइयों के दरमियान बांट दीजिये। आपने फ़रमायाः "यूं नहीं बल्कि यूं कहो कि मेहनत आप करें और फलों में आप हमारे साथ शरीक रहें।" उन्होंने कहा कि हम ने सुन लिया और क़बूल कर लिया।

बाब 1452:– खजूरों और फलदार दरख़्तों का काटनाः अनस رضي الله عنه कहते हैं, नबी करीम ﷺ ने खजूरों के दरख़्त काटने का हुक्म दिया तो वह काट दिये गए।

हदीस 2169:– अब्दुल्लाह (इब्ने उमर) رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने बनी नज़ीर के दरख़्त जलवा दिये और कटवा दिये थे। उस बाग़ का नाम "बुवैरह" था, जिसके मुताल्लिक़ हस्सान رضي الله عنه अपने शेअर में कहते हैं: "बनी लुई के सरदारों के लिये ग़लबा पाना आसान हो गया कि बुवैरह में एक आग शोअला ज़न है।"

बाब 1453:– ज़मीन बटाई पर देनाः

हदीस 2170:– राफ़ेअ बिन ख़दीज رضي الله عنه रिवायत करते हैं, अहले मदीना की निस्बत हमारे खेत ज़्यादा थे। हम ज़मीन किराया पर दे दिया करते थे, इस तरह कि ज़मीन के एक हिस्से की पैदावार मालिके ज़मीन की होगी। कभी ऐसा होता कि उस हिस्से पर आफ़त आ जाती और दूसरा महफ़ूज़ रहता और कभी सारी ज़मीन ख़राब हो जाती मगर यह हिस्सा महफ़ूज़ रहता, लिहाज़ा इससे हमें इससे रोक दिया गया। उस दौर में सोना चांदी के बदले किराए पर देने का रिवाज न था।

बाब 1454:– निस्फ़ या उससे कम व बेश पैदावार पर बटाई करनाः

क़ैस बिन मुस्लिम, अबू जाफ़र से नक़्ल करते हैं कि मदीना में मुहाजिरीन का घरों में से कोई ऐसा घर न था जो तिहाई और चौथाई हिस्से पर काश्त न करता हो। अली, सअद बिन मालिक, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, क़ासिम, उरवा और अबू बकर رضي الله عنه के ख़ानदान के लोग और उमर رضي الله عنه और अली के ख़ानदान वाले और इब्ने सीरीन सब मुज़ारअत करते थे। अब्दुर्रहमान बिन अस्वद बयान करते हैं, मैं अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद के खेत में हिस्सादार था और हज़रत उमर رضي الله عنه ने लोगों से इस शर्त पर मामला किया कि अगर बीज उनका तो वह आधी पैदावार के हक़दार होंगे और अगर बीज इनका तो यह निस्फ़ हिस्सा लेंगे। हसन कहते हैं कि अगर ज़मीन उन में से किसी एक की हो और दोनों उस में ख़र्च करें तो पैदावार बराबर तक़सीम करने में कोई मुज़ायक़ा नहीं। ज़ुहरी भी इसकी ताईद करते हैं। हसन के नज़्दीक रुई इस शर्त पर चुनी जाए कि निस्फ़ निस्फ़ दोनों की होगी तो इस में कोई हर्ज नहीं। इब्राहीम, इब्ने सीरीन, अता, हकम, ज़ुहरी और क़तादा कहते हैं, कपड़ा तिहाई या चौथाई देने में कोई मुज़ायक़ा नहीं। मअमर का कहना है, मवेशी तिहाई या चौथाई पर एक मुक़र्ररा मुद्दत के लिये दिये जा सकते हैं।

हदीस 2171:- अब्दुल्लाह बिन उमर रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने ख़ैबर के यहूदियों से ग़ल्ला और फल की निस्फ़ पैदावार पर मामला किया। उस में से आप अपनी अज़्वाज को सौ (100) वस्क़ देते थे, अस्सी वस्क़ खजूर और बीस वस्क़ जौ। जब हज़रत उमर ने ख़ैबर की ज़मीन बांटी तो अज़्वाजे रसूल को ज़मीन और पानी या साबिक़ा तरीक़ा बरक़रार रखने का इख़्तियार दिया। उन में कुछ ज़मीन लेने पर राज़ी हो गईं और कुछ ने वस्क़ को पसन्द किया। जबकि सय्यदा आयशा ने ज़मीन ही क़ुबूल की।

बाब 1455:- अगर मुज़ारअत में साल की शर्त मुतअय्यन न हो:

हदीस 2172:- इब्ने उमर रिवायत करते हैं, नबी करीम ने ख़ैबर में फल और खेती की निस्फ़ पैदावार पर बटाई की।

बाब 1456:- बटाई पर ज़मीन देने की मुमानिअत:

हदीस 2173:- अम्र बयान करते हैं, मैंने ताऊस से कहा काश! तुम बटाई छोड़ दो, क्योंकि लोगों का ख़्याल है कि नबी करीम ने इससे मना फ़रमाया है। ताऊस बोले ऐ अम्र! मैं तो उन्हें देता हूं और उनके लिये फ़ायदा है। उन में से बड़े आलिम इब्ने अब्बास फ़रमाते हैं, नबी करीम ने इससे नहीं रोका, हां यह (भी) फ़रमाया कि अगर कोई शख़्स अपने भाई को बख़्श दे तो उससे कहीं बेहतर है कि महसूल ले।

बाब 1457:- यहूदियों के साथ मुज़ारअत:

हदीस 2174:- इब्ने उमर रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने ख़ैबर के यहूदियों को इस शर्त पर ज़मीन दी थी कि वह उस में मेहनत और काश्त करें, उन्हें निस्फ़ पैदावार मिलेगी।

बाब 1458:- वह शराइत जो मुज़ारअत में मकरूह हैं:

हदीस 2175:- राफ़ेअ रिवायत करते हैं, अहले मदीना में से हमारे हां काश्त सबसे ज़्यादा होती थी और हम में से कोई अपनी ज़मीन किराए पर देता और कहता कि यह क़तआ मेरा और यह तुम्हारा है। चुनान्चे कभी इस में तो पैदावार होती और दूसरी में न होती थी इसलिये रसूलुल्लाह ने ऐसा करने से रोक दिया।

बाब 1459:- किसी की रक़म से उसकी इजाज़त के बग़ैर काश्त करना और नियत उसकी भलाई की हो:

हदीस 2176:- अब्दुल्लाह बिन उमर रिवायत करते हैं, नबी करीम ने फ़रमाया: "एक दफ़ा तीन आदमी सफ़र कर रहे थे, बारिश शुरू हो गई। उन्होंने पहाड़ के एक ग़ार में पनाह ले ली, ग़ार के मुंह पर पहाड़ की एक चट्टान लुढ़क आई और उसका मुंह बन्द हो गया। वह आपस में कहने लगे, अपने नेक आमाल पर निगाह डालो जो तुमने महज़ ख़ुशनूदीए रब के लिये किये। उनका वास्ता दे कर दुआ करो, शायद अल्लाह तआला तुम से इस मुसीबत को दफ़ा करदे। उन में से एक ने कहा, ऐ अल्लाह! मेरे मां बाप बहुत बूढ़े थे और मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। मैं उनके लिये बकरियां चराता था। जब शाम को वापस होता तो जानवरों का दूध निकालता और बच्चों से पहले अपने वालिदैन की ख़िदमत में पेश करता। एक दिन मुझे देर हो गई और रात तक घर न आया, (जब घर पहुंचा) तो वालिदैन सो चुके थे। मैंने दूध दूहा जिस तरह (रोज़ाना) दूहता था और उनके सिरहाने खड़ा रहा और

उन्हें जगाना मुनासिब न समझा और यह भी गवारा न किया कि उन बच्चों को पिलाऊं जो मेरे पांव में रो रहे थे यहां तक कि सुबह हो गई। अगर तू जानता है कि यह सब कुछ मैंने तेरी ख़ुशनूदी के लिये किया था तो हमारे लिये थोड़ा सा पत्थर इतना सरका दे ताकि हम आसमान देख सकें। अल्लाह तआला ने थोड़ा सा पत्थर हटा दिया और उन्हें आसमान नज़र आने लगा। दूसरे ने कहा, ऐ अल्लाह! मेरी एक चचाज़ाद बहन थी जिससे मुझे शदीद मुहब्बत थी जिस तरह मर्द को एक औरत से मुहब्बत हो सकती है। मैंने उससे इज़हारे मुद्दआ किया लेकिन उसने इन्कार कर दिया जब तक कि मैं उसे सौ दीनार न दूं। चुनान्चे मेहनत करके सौ दीनार जोड़े और उसके पास ले आया। जब मैं उसके क़रीब गया तो वह बोली ऐ बन्दए ख़ुदा! ख़ुदा से डरो और मेरी मुहर (इफ़्फ़त) न तोड़ो, चुनान्चे उठ खड़ा हुआ। अगर तू जानता है कि यह सब कुछ तेरी रज़ा के लिये किया था तो इस पत्थर को हटा दे, चुनान्चे वह पत्थर (ज़रा) हट गया। तीसरे ने कहा, ऐ अल्लाह! मैंने एक फ़रक़ (एक पैमाना) चावल मुआवज़े पर एक मज़दूर को काम पर लगाया। जब काम से फ़ारिग़ हुआ और उस ने मुआवज़ा मांगा, मैंने उसे देना चाहा लेकिन उस ने लेने से इन्कार कर दिया और उसी (रक़म) से खेती बाड़ी शुरू कर दी यहां तक कि उससे गाय, बैल और चरवाहे रखे। फिर वह शख़्स आया और कहा ख़ुदा से डरो (मुझे मेरा मुआवज़ा दे दो) मैंने कहा यह गाय, बैल और चरवाहा ले जा, यह सब तुम्हारा है। वह बोला ख़ुदा का ख़ौफ़ करो और मुझ से मज़ाक़ न करो। मैंने कहा मैं तुम से मज़ाक़ नहीं कर रहा, यह सब कुछ ले जाओ। अगर तू जानता है कि यह मैंने तेरी रज़ा की ख़ातिर किया था तो बाक़ी पत्थर भी हटा दे। अल्लाह तआला ने वह पत्थर हटा दिया।

बाब 1460:- सहाबा के औक़ाफ़ और ख़िराज की ज़मीन की मुज़ारअत और दीगर मामलात:

नबी करीम ﷺ ने हज़रत उमर رضي الله عنه से फ़रमाया: "अस्ल ज़मीन वक़्फ़ कर दो और इस तरह उसे कोई बेच न सके और उसका फल खाते रहो।" चुनान्चे हज़रत उमर ने उसे वक़्फ़ कर दिया।

हदीस 2177:-ज़ैद बिन अस्लम अपने वालिद से रिवायत करते हैं, हज़रत उमर رضي الله عنه ने फ़रमाया: अगर मुझे अगले मुसलमानों का ख़्याल न होता तो जो भी इलाक़ा फ़तह होता, उसकी ज़मीन वहां के बाशिन्दों में यूं तक़सीम कर देता जैसे नबी करीम ﷺ ने ख़ैबर की ज़मीन तक़सीम कर दी थी।

बाब 1461:- जो शख़्स बंजर ज़मीन को आबाद करे:

हज़रत अली رضي الله عنه ने कूफ़ा की वीरान ज़मीन के मुताल्लिक़ यही हुक्म दिया (यानी वह ज़मीन आबादकार की है) हज़रत उमर رضي الله عنه फ़रमाते हैं जो ग़ैर आबाद ज़मीन आबाद करे वह उसी की है और अम्र बिन औफ़ रसूलुल्लाह ﷺ के हवाले से कहते हैं: वह किसी (और) मुसलमान का हक़ न हो और न ही उस में किसी ज़ालिम का हक़ हो। इसी बारे में रसूलुल्लाह ﷺ से हज़रत जाबिर رضي الله عنه भी नक़्ल करते हैं।

हदीस 2178:- सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: जिस ने ऐसी ज़मीन आबाद की जो किसी की मिल्कियत नहीं तो वह उसका मालिक है। उरवा कहते हैं कि हज़रत उमर رضي الله عنه ने अपने दौरे ख़िलाफ़त में यही हुक्म दिया।

बाब 1462:- वादी ज़ुल हुलैफ़ा:

हदीस 2179:- अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ जब रात के

वक़्त ज़ुल हुलैफ़ा में वादी के नशेब में उतरे थे तो आप से ख़्वाब में कहा गया कि आप मुबारक मैदान में हैं। मूसा कहते हैं कि हमारे साथ सालिम ने उसी जगह ऊंटनी बिठाई थी जहां अब्दुल्लाह (इब्ने उमर) अपनी ऊंटनी बिठाते थे और वह उस जगह को (बतौरे ख़ास) ढूंडते जहां रसूलुल्लाह ﷺ नुज़ूले इजलाल फ़रमाते थें और वह जगह उस मस्जिद के नीचे है जो वादी के नशेब में है और वह उसका और रास्ते का दरमियानी हिस्सा है।

हदीस 2180:- उमर رضي الله عنه रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने फ़रमायाः "एक शब मेरे पास रब का एक फ़रिस्तादा आया। आप उस वक़्त अक़ीक़ (एक मक़ाम) में थे, वह बोला इस मुबारक वादी में नमाज़ पढ़ लीजिये और आप फ़रमा दीजिये कि उमरा हज में दाख़िल है।"

बाब 1463:- अगर ज़मीनदार कहे, मैं तुम्हें उस वक़्त तक अपने पास रखूंगा जब तक अल्लाह तआला तुम्हें रखेगा और कोई मुद्दत मुक़र्रर न की तो वह आपस की रज़ामन्दी तक मामला रखेंगे।

हदीस 2181:- इब्ने उमर رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया। (दूसरी सनद के साथ) इब्ने उमर رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, हज़रत उमर رضي الله عنه ने यहूद व नसारा को सरज़मीने हिजाज़ से जिला वतन कर दिया। रसूलुल्लाह ﷺ ने जब ख़ैबर फ़तह किया तो यहूदियों को वहां से निकालना चाहा क्योंकि जब वहां आप का ग़लबा हुआ तो ख़ैबर की ज़मीन अल्लाह और उसके रसूल और मुसलमानों की हो गई। चुनान्चे जब यहूदियों को निकालना चाहा तो यहूदियों ने रसूलुल्लाह ﷺ से दरख़्वास्त की, आप उन्हें यहां रहने दें और उन से खेती बाड़ी का काम लें और निस्फ़ पैदावार आप लेलें। आपने उन से फ़रमायाः "हम तुम्हें यहां रहने देंगे जब तक हमारा दिल चाहेगा।" चुनान्चे वह लोग क़ायम रहे यहां तक कि हज़रत उमर ने (अपने दौरे ख़िलाफ़त में) उन्हें तियमा और अरीहा (के इलाक़ों) की तरफ़ मुल्क बदर कर दिया।

बाब 1464:- असहाबे रसूल काश्तकारी और फलों में एक दूसरे की मदद किया करते थेः

हदीस 2182:- ज़हीर رضي الله عنه रिवायत करते हैं, हमें रसूलुल्लाह ﷺ ने उस चीज़ से रोक दिया जो हमारे हक़ में मफ़ीद थी। (राफ़ेअ कहते हैं) मैंने कहाः जो कुछ रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया वह सही है। आप ﷺ ने मुझे बुला कर पूछाः तुम खेतों में क्या करते हो? मैंने अर्ज़ किया, हम उसे चौथाई और चन्द वस्क़ खजूर और जौ के बदले किराया पर दे देते हैं। आपने फ़रमायाः "ऐसा न करो बल्कि उस में खुद काश्त करो या काश्त कराओ या उसे ख़ाली पड़ा रहने दो।" राफ़ेअ कहते हैं कि मैंने सुना और मान लिया।

हदीस 2183:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, हम तिहाई, चौथाई और निस्फ़ पैदावार पर काश्तकारी किया करते थे। नबी करीम ﷺ ने फ़रमायाः "जिसके पास ज़मीन हो वह खुद काश्त करे या किसी को (मुफ़्त) देदे और ऐसा भी न करे तो ज़मीन ख़ाली पड़ी रहने दे।" रबीअ बिन नाफ़ेअ कहते हैं मुझ से अबू हुरैरा رضي الله عنه ने बयान किया, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "जिस के पास ज़मीन हो वह खुद उसे काश्त करे या अपने किसी भाई को देदे वरना यूंही पड़ी रहने दे।"

हदीस 2184:- अम्र (बिन दीनार) कहते हैं, मैंने यह हदीस ताऊस को सुनाई तो वह कहने लगे कि काश्त करे। इब्ने अब्बास رضي الله عنهما बयान करते हैं, नबी करीम ﷺ ने मना फ़रमाया ताहम आप ने फ़रमायाः तुम में से किसी का अपने (मुसलमान) भाई को दे देना इससे बेहतर है कि उससे कोई मुक़र्ररा

रक़म वुसूल करे।

हदीस 2185:- नाफ़ेअ रिवायत करते हैं, इब्ने उमर ﵄ अपने खेत रसूलुल्लाह ﷺ, अबू बकर, उमर, उस्मान और मुआविया ﵃ के इब्तिदाई दौरे हुकूमत में किराया पर देते थे। फिर राफ़ेअ बिन ख़दीज ﵁ की यह हदीस उन से बयान की गई कि रसूलुल्लाह ﷺ ने इससे रोका है तो इब्ने उमर राफ़ेअ के पास गए, मैं भी उनके साथ था। उन्होंने राफ़ेअ से पूछा तो राफ़ेअ ने बताया कि आप ने खेतों को किराया पर देने से रोका है। इब्ने उमर ने फ़रमायाः तुम जानते हो हम अहदे रिसालत मआब ﷺ में अपने खेत चौथाई पैदावार और कुछ घास के बदले किराया पर दिया करते थे।

हदीस 2186:- अब्दुल्लाह बिन उमर ﵄ रिवायत करते हैं, मैं अहदे रिसलत मआब ﷺ से बख़ूबी आगाह हूं कि ज़मीन किराए पर दी जाती थी। फिर अब्दुल्लाह (इससे) डरे कि कहीं रसूलुल्लाह ﷺ ने कोई नया हुक्म दिया हो और ज़मीन किराए पर देनी छोड़ दी।

बाब 1465:- सोने और चांदी के इवज़ ज़मीन किराए पर देनाः

इब्ने अब्बास ﵄ कहते हैं, बेहतर काम करना चाहो तो अपनी ख़ाली ज़मीन को एक साल तक के लिये किराए पर दे दो।

हदीस 2187:- राफ़ेअ बिन ख़दीज ﵁ रिवायत करते हैं, मुझ से मेरे चचाओं ने बयान किया कि वह अहदे रिसालत मआब ﷺ में ज़मीन चौथाई पैदावार पर या ऐसी चीज़ के बदले जिसे मालिके ज़मीन मुस्तस्ना क़रार दे देता था ज़मीन किराए पर दे देते तो रसूलुल्लाह ﷺ ने इससे मना फ़रमाया। मैं (हन्ज़ला) ने राफ़ेअ से पूछा कि दीनार और दिरहम के इवज़ किराए पर कैसा है? उन्होंने कहा इस में कोई मुज़ायका नहीं। लैस का कहना है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने इससे रोका है। अगर हलाल और हराम में तमीज़ करने वाला इस पर ग़ौर करे तो इसे जाइज़ क़रार न दे क्योंकि इस में ख़तरा है।

बाब 1466:- जन्नती आदम का रब से खेती बाड़ी करने की तमन्ना करनाः

हदीस 2188:- अबू हुरैरा ﵁ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ एक दिन बातें कर रहे थे। एक देहाती आपके पास बैठा था। आपने फ़रमायाः "एक जन्नती अपने रब से काश्तकारी की इजाज़त चाहेगा। अल्लाह तआला उसे कहेगाः क्या तुम अपनी इस हालत पर राज़ी नहीं हो? वह कहेगा हां अल्बत्ता मैं काश्तकारी पसन्द करूंगा। चुनान्चे वह बीज डालेगा और पल झपकती देर में वह उग आएगा और सीधा होकर कटने के क़ाबिल बन जाएगा। अल्लाह तआला कहेगाः ऐ इब्ने आदम! इसे ले लो तुझे कोई चीज़ सैर नहीं कर सकती। आराबी बोला, बख़ुदा वह कोई क़ुरैशी या अन्सारी होगा क्योंकि यही लोग काश्तकार हैं हम तो खेती नहीं करते। रसूलुल्लाह ﷺ यह सुन कर मुस्कुरा दिये।

बाब 1467:- दरख़्त उगाने के बारे में आमदा रिवायातः

हदीस 2189:- सहल बिन सअद ﵁ रिवायत करते हैं, हमें जुम्आ के दिन आने की बहुत ख़ुशी होती थी क्योंकि एक बुढ़िया थी जो चुक़न्दर की जड़ें जिन्हें हम अपनी क्यारियों में लगाते थे उसे उखेड़ कर अपनी देग में डालती थी और उस में कुछ जौ के दाने भी डाल देती थी। मैं यह जानता हूं कि उस में चिनाहट या चर्बी नहीं होती थी। जब हम नमाज़े जुम्आ से फ़ारिग़ हो लेते तो उसके पास आते, वह हमें चुक़न्दर खिलाती। जुम्आ को हम इसलिये ख़ुश होते थे, हम जुम्आ के बाद खाना खाते और क़ैलोला करते।

हदीस 2190:– अबू हुरैरा ﷺ रिवायत करते हैं, लोग कहते हैं अबू हुरैरा बहुत ज़्यादा रिवायतें बयान करता है हालांकि उसे ख़ुदा के हुज़ूर हाज़िर होना है और (यह भी) कहते हैं कि मुहाजिरीन व अन्सार उस जैसी हदीसें बयान नहीं करते। दरअस्ल बात यह है कि मुहाजिर बाज़ार में ख़रीद व फ़रोख़्त में मसरूफ़ रहते और अन्सार अपने मशाग़िल में मुन्हमिक और मैं मिस्कीन आदमी था, पेट भर जाता तो रसूलुल्लाह ﷺ के पास जा बैठता। जब दूसरे ग़ैर हाज़िर होते मैं हाज़िर बाश रहता और लोग जिसे भूल जाते मैं उसे याद रखता। रसूलुल्लाह ﷺ ने एक दिन फ़रमायाः "तुम में से जो शख़्स मेरी इस गुफ़्तगू के ख़त्म होने तक अपना कपड़ा बिछाए रखे और फिर उसे लपेट कर सीने से चिमटा ले तो मेरी कोई बात भूलने नहीं पाएगा।" मैंने अपनी चादर बिछा दी और इसके अलावा मेरे पास कोई कपड़ा न था। रसूलुल्लाह ﷺ ने अपनी गुफ़्तगू ख़त्म की और मैंने वह (चादर) लपेट कर सीने से चिमटा ली। मुझे उस ज़ात की क़सम जिस ने आप को हक़ के साथ मबऊस फ़रमाया, मैं आज तक आप की कोई बात नहीं भूला। ख़ुदा की क़सम! अगर क़ुरआन में दो आयतें न होतीं तो मैं कुछ भी हदीस में से बयान न करता। (वह आयत यह है) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ से الرَّحِيمُ तक यानी बेशक जो लोग उसे छुपाते हैं जो हम ने नाज़िल किया है निशानियों से।

अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है

किताबुल मुसाक़ात (पानी पिलाने का बयान)

बाब 1468:– पानी की तक़सीम, इरशादे रब्बानी है: "हम ने हर जानदार को पानी से पैदा किया, क्या यह ईमान लाने के नहीं।" नीज़ फ़रमाने बारी तआला है: "यह बताओ कि जो पानी तुम पीते हो उसे तुम बादल से उतारते हो या हम, अगर चाहें तो उसे कड़वा बना डालें तो फिर तुम शुक्र गुज़ारी क्यों नहीं करते।" أُجَاجٌ का मतलब कड़वा और مُزْن से मुराद बादल है।

बाब 1469:– पानी के मुताल्लिक़ बाज़ का ख़्याल है इसकी ख़ैरात, हिबा और वसियत जाइज़ है ख़्वाह वह तक़सीम किया हो या मुश्तरका। उस्मान ﷺ कहते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "कौन है जो बिअरे "रूमा" लेले और उसे भी उस में (डोल) डालने का उतना ही हक़ हो जितना तमाम मुसलमानों का (यानी ख़रीद कर वक़्फ़ करदे) तो उस्मान ने उसे ख़रीद लिया।

हदीस 2191:– सहल बिन सअद ﷺ रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ के पास एक प्याला लाया गया तो आपने उस में से थोड़ा सा पी लिया। आपके दाएं जानिब एक बच्चा था और बाएं तरफ़ कुछ बुज़ुर्ग थे। आपने फ़रमायाः ऐ बेटे! क्या तुम्हारी तरफ़ से इजाज़त है कि मैं यह इन बूढ़ों को दे दूं? वह बोला या रसूलल्लाह! आपके पस ख़ोरदा के मामले में मैं अपने ऊपर किसी को तरजीह न दूंगा, चुनान्चे आपने वह प्याला उस बच्चे को दे दिया।

हदीस 2192:– अनस बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं, उनके घर में रसूलुल्लाह ﷺ के लिये एक बकरी पाली गई थी। उससे आपके लिये दूध निकाला गया और उस में अनस के घर के कुंएं का पानी मिलाया गया, फिर आप को वह प्याला दिया गया। आपने उससे कुछ नोश फ़रमा लिया। जब आप ने प्याला मुंह से हटाया तो आपके बाएं अबू बकर ﷺ और दाहिने एक देहाती बैठा था। उमर ﷺ को ख़्याल गुज़रा कि कहीं आप देहाती को वह प्याला न देदें, चुनान्चे उन्होंने अर्ज़ किया या

रसूलल्लाह! अबू बकर को इनायत फ़रमाइये जो पास बैठे हैं लेकिन आपने प्याला आराबी को दिया जो आपके दाएं तरफ़ था। फिर फ़रमायाः "दाहिना आदमी ज़्यादा मुस्तहिक़ है और फिर वह जो उससे दाहिना हो।"

बाब 1470:- जो इस बात के क़ाइल हैं कि पानी का मुस्तहिक़ उसका मालिक ही है यहां तक कि वह सैराब करे: इरशादे नबवी है: "फ़ाल्तू पानी न रोका जाए।"

हदीस 2193:- अबू हुरैरा ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "ज़रूरत से ज़्यादा पानी इसलिये न रोका जाए कि (दूसरों के जानवरों के चर जाने के ख़ौफ़ से) घास रुकी रहे।"

हदीस 2194:- अबू हुरैरा ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "फ़ाल्तू पानी न रोको कि इससे फ़ाल्तू घास भी रोक दो।"

बाब 1471:- जिस शख़्स ने अपनी मिल्कियत (ज़मीन) में कुंवा खोदा और कोई उस में गिर (कर मर) जाए तो उसका ज़िम्मा नहीं:

हदीस 2195:- अबू हुरैरा ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "कान और कुंवां खोदने में कोई मर जाए तो माफ़ है और जानवर से मरे तो भी माफ़ है अल्बत्ता ख़ज़ाने में पांचवां हिस्सा है।"

बाब 1472:- कुंएं के मुताल्लिक़ तनाज़आ और उसका फ़ैसला:

हदीस 2196:- अब्दुल्लाह बिन मसऊद ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "जो शख़्स किसी के वाजिबुल अदा माल को हड़प करने के इरादे से झूटी क़सम खाए तो वह ख़ुदा से इस हाल में मुलाक़ात करेगा कि अल्लाह तआला नाख़ुश रहेगा।" चुनान्चे अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फ़रमाई: "जो लोग अल्लाह से अहद और झूटी क़समों के इवज़ हक़ीर माल हासिल करते हैं।" फिर अशअस आए तो कहा ऐ अबू अब्दुर्रहमान! तुम इसे क्या बयान करते हो, यह मेरे हक़ में नाज़िल हुई थी। (वाक़िआ यह था) मेरा एक चचाज़ाद भाई था, उसकी ज़मीन में मेरा एक कुंवां था (तनाज़आ पैदा हो गया) तो आपने फ़रमायाः अपना गवाह लाओ। मैंने अर्ज़ किया, मेरे पास कोई गवाह नहीं, तो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः वह (दूसरा फ़रीक़) क़सम खाए। मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! वह तो (ब-आसानी) क़सम खालेगा। उस वक़्त आपने यह फ़रमाया और इसी की तस्दीक़ में इस आयत का नुज़ूल हुआ।

बाब 1473:- मुसाफ़िरों को पानी न देने का गुनाह:

हदीस 2197:- अबू हुरैरा ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "क़यामत में अल्लाह तआला तीन आदमियों की तरफ़ नज़रे (रहमत) नहीं फ़रमाएगा, उनके लिये अज़ियतनाक अज़ाब होगा। पहला वह शख़्स जिस के पास ज़रूरत से ज़्यादा पानी हो और रास्ते में मुसाफ़िर को न दे। दूसरा वह जो किसी हाकिम से बैअत करता है सिर्फ़ दुन्या की ख़ातिर, अगर वह कुछ दे तो राज़ी रहता है वरना दिल गिरफ़्ता हो जाता है। तीसरा वह जो अस्र के बाद अपना सामान लेकर खड़ा हो और कहे क़सम बख़ुदा जिस के सिवा कोई माबूद नहीं मुझे इस क़दर इसकी क़ीमत मिल रही है और कोई शख़्स उसे सच्चा समझ ले। फिर इस आयत की तिलावत की: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا - जो लोग अल्लाह से अहद और झूटी क़समों के इवज़ हक़ीर माल हासिल करते हैं।"

बाब 1474:- नहर का पानी रोकनाः

हदीस 2198:- अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर رضي الله عنه रिवायत करते हैं, एक अन्सारी ने हज़रत ज़ुबैर رضي الله عنه के मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह ﷺ के पास हर्रा की नहर के मुताल्लिक़ झगड़ा किया, जिससे यह खजूरों को सैराब करते थे। अन्सारी का मुतालबा था कि पानी आने दो। रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में मुक़द्दमा पेश किया। आपने ज़ुबैर से फ़रमायाः अपनी ज़मीन सैराब करने के बाद बाक़ी पानी पड़ोसी के लिये छोड़ दो। अन्सारी गुस्सा खा गया और कहा क्यों न हो आख़िर वह आपके फूफी ज़ाद भाई हैं ना। यह सुनते ही रसूलुल्लाह ﷺ के चेहरए मुबारक का रंग बदल गया। फिर फ़रमायाः ऐ ज़ुबैर! ख़ूब सैराब करना यहां तक कि पानी मुंडेरों तक पहुंच जाए। ज़ुबैर का कहना है, ख़ुदा की क़सम! मेरा गुमान है कि यह आयत इसी के मुताल्लिक़ नाज़िल हुईः "فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ" "यानी क़सम है तेरे रब की वह मोमिन नहीं जब तक अपने फ़ैसलों में आप को हकम न मानें।"

बाब 1475:- बुलन्द ज़मीन को पस्त से पहले सैराब करनाः

हदीस 2199:- उरवा رضي الله عنه रिवायत करते हैं, एक अन्सारी का हज़रत ज़ुबैर رضي الله عنه से झगड़ा हो गया। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः ऐ ज़ुबैर! अपनी ज़मीन सैराब करने के बाद बाक़ी पानी छोड़ दिया करो। अन्सारी बोला, चूंकि वह आप के फूफीज़ाद भाई हैं ना? आपने फ़रमायाः ऐ ज़ुबैर! तुम सैराब करते जाओ यहां तक कि पानी दीवार तक पहुंच जाए फिर रोक लो। ज़ुबैर رضي الله عنه कहते हैं, मेरा ख़्याल है यह आयत "فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ" इसी के हक़ में नाज़िल हुई।

बाब 1476:- बुलन्द खेत वाले का टख़नों तक पानी भर लेनाः

हदीस 2200:- उरवा बिन ज़ुबैर رضي الله عنه रिवायत करते हैं, एक अन्सारी का ज़ुबैर رضي الله عنه से नहर के मस्अला पर झगड़ा हो गया, जिससे खजूरों के दरख़्त सैराब करते थे। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "ऐ ज़ुबैर! अपनी ज़मीन सैराब कर लो फिर दस्तूर के मुताबिक़ अपने हमसाए के लिये छोड़ दो।" अन्सारी बोला पड़ा चूंकि वह आप की फूफी के बेटे हैं इसलिये? आप के चेहरे का रंग बदल गया (फ़रमाया): "सैराब कर लो, फिर रोक दो यहां तक कि पानी दीवार तक पहुंच जाए।" ज़ुबैर को आपने पूरा पूरा हक़ दिलवाया। ज़ुबैर कहते हैं, ख़ुद की क़सम! यह आयत "فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ" इसी के मुताल्लिक़ उतरी। इब्ने शहाब कहते हैं अन्सार और जुम्ला लोगों ने रसूलुल्लाह ﷺ के इस क़ौल "सैराब करो यहां तक कि (पानी) खेत की दीवारों को जा छूए" का मतलब यह लिया कि टख़नों तक पानी पहुंच जाए।

बाब 1477:- पानी पिलाने का अज्रः

हदीस 2201:- अबू हुरैरा رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः एक आदमी जा रहा था कि उसे सख़्त प्यास लगी। वह एक कुएं में उतरा और पानी पीने लगा। जब बाहर निकला तो एक कुत्ते को हांपते देखा जो प्यास की वजह से कीचड़ चाट रहा है। उस ने सोचा कि इसे भी वैसी ही प्यास लगी होगी जैसे मुझे लगी थी, चुनान्चे उस ने अपना मोज़ा पानी से भरा, उसे अपने मुंह में लेकर ऊपर चढ़ा और कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह तआला ने उसकी नेकी क़ुबूल की और उसे बख़्श दिया।" लोगों ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! क्या जानवरों में भी हमारे लिये अज्र है? फ़रमायाः "हर एक जानदार में सवाब है।"

हदीस 2202:- अस्मा बिन्ते अबू बकर رضي الله عنها रिवायत करती हैं, नबी करीम ﷺ ने सूरज ग्रहण की नमाज़ पढ़ी और फ़रमायाः "दोज़ख़ मेरे क़रीब कर दी गई यहां तक कि मैंने कहा ऐ रब! क्या मैं भी अहले दोज़ख़ में से हूंगा? इसी असना में मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी, मैंने महसूस किया कि उसे एक बिल्ली नोच रही है। आपने पूछा यह क्या है? फ़रिश्ते बोलेः इस ने बिल्ली को बांध कर रखा और वह भूक से मर गई थी।"

हदीस 2203:- अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "एक औरत एक बिल्ली को बांध कर रखने और उसे भूका मारने की वजह से अज़ाब में मुब्तला की गई और दोज़ख़ में दाख़िल की गई।" आपने फ़रमायाः "अल्लाह तआला ज़्यादा जानता है, न तो उस ने खाने को कुछ दिया और न पीने को, जबकि उसे बांध (भी) रखा था और न ही उसे छोड़ा कि ज़मीन के कीड़े मकोड़े खाकर गुज़ारा कर लेती।"

बाब 1478:- जो यह समझता है कि हौज़ और मशक का मालिक उसके पानी का ज़्यादा हक़दार हैः

हदीस 2204:- सहल बिन सअद رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में एक प्याला लाया गया। आपने नोश फ़रमाया जबकि आपकी दाएं जानिब एक कमसिन लड़का था और बड़ी उम्र के लोग आपके बाएं जानिब थे। फ़रमायाः बेटे! क्या तुम इजाज़त देते हो मैं यह प्याला उन बड़े बूढ़ों को दे दूं? वह बोला या रसूलल्लाह! मैं आपके पस ख़ोरदा के लिये अपने ऊपर किसी को तरजीह नहीं दे सकता चुनान्चे वह प्याला आपने उसे दे दिया।

हदीस 2205:- अबू हुरैरा رضي الله عنه रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने फ़रमायाः उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्ज़ए क़ुदरत में मेरी जान है, मैं क़यामत के दिन हौज़े (कौसर) पर कुछ लोगों को इस तरह रोकूंगा जिस तरह अजनबी ऊंटों को रोका जाता है। "تَذُودَانِ" का मतलब है रोकेंगे।

हदीस 2206:- इब्ने अब्बास رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "अल्लाह तआला इस्माईल की वालिदा पर रहम फ़रमाए, अगर वह ज़मज़म को छोड़ देतीं या फ़रमाया अगर पानी से चुल्लू न भरतीं तो यह एक बहता हुआ चश्मा होता। जुरहम उनके पास आकर कहने लगे, क्या आप हमें अपने पास ठहरने की इजाज़त देती हैं? फ़रमाया, हां लेकिन पानी में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा। लोग बोले, अच्छा।"

हदीस 2207:- अबू हुरैरा رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "अल्लाह तआला क़यामत में तीन आदमियों से न कलाम फ़रमाएगा और न उनकी तरफ़ देखेगा। एक वह जिस ने किसी सामान के मुताल्लिक़ क़सम खाई कि इसकी क़ीमत इससे ज़्यादा मिल रही थी जबकि वह अपनी क़सम में झूटा है। दूसरा वह जिस ने अस्र के बाद लोगों का माल हड़प करने की ग़र्ज़ से झूटी क़सम खाई। तीसरा वह जिस ने ज़रूरत से ज़्यादा पानी रोक रखा तो अल्लाह तआला फ़रमाएगाः आज मैंने अपना फ़ज़्ल रोक लिया है, जिस तरह तू ने ज़ाइद पानी रोक लिया था जबकि उसे तू ने पैदा नहीं किया था।"

बाब 1479:- चरागाह को अल्लाह और उसके रसूल के अलावा कोई महफ़ूज़ नहीं कर सकताः

हदीस 2208:- इब्ने अब्बास رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "चरागाह मुक़र्रर करने का हक़ सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल को है।" वह (सअब बिन जस्सामा) बयान करते

हैं हमें मालूम हुआ है कि नबी करीम ﷺ ने बक़ीअ को और उमर رضي الله عنه ने शरफ़ और रबज़ा को चरागाह क़रार दिया है।

बाब 1480:- नहरों से लोगों और चौपायों का पानी पीनाः

हदीस 2209:- अबू हुरैरा رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "घोड़ा किसी के लिये सवाब, किसी के लिये हिफ़ाज़त और किसी के लिये गुनाह का बाइस है। उसके लिये सवाब का बाइस है जिन ने अल्लाह की राह में घोड़ा रखा और उसकी रस्सी बाग़ या चरागाह में दराज़ करे। जिस क़दर वह बाग़ या चरागाह से चरेगा उसी क़दर उसको सवाब मिलेगा और अगर उसकी रस्सी टूट जाए और वह एक बुलन्दी या दो बुलन्दियों तक दौड़े तो उसके हर क़दम और दूरी पर सवाब मिलेगा और अगर वह नहर के क़रीब से गुज़रे और उससे पानी पी ले अगर्चे उसका इरादा पानी पिलाने का न था तो भी उस पर नेकी मिलेगी लिहाज़ा यह इसलिये अज्र का सबब है। अगर कोई शख़्स जो मालदारी और सवाल से बचने के लिये घोड़ा बांधे और उसकी गर्दन और उसकी पीठ के मुताल्लिक़ अल्लाह तआला ने जो हुक़ूक़ मुक़र्रर किये हैं उन्हें न भूले तो उसके लिये बचाव का बाइस है और जो उसे (घोड़े को) फ़ख़्र व ग़ुरूर की वजह से या मुसलमानों से दुशमनी की ग़र्ज़ से बांधे तो यह उसके लिये बाइसे गुनाह होगा। आपसे गधों की बाबत पूछा गया तो आपने फ़रमायाः "इसके मुताल्लिक़ मुझ पर कोई (ख़ास) आयत नाज़िल नहीं हुई अल्बत्ता वह जामेअ और बे-मिस्ल आयतः "فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ" "जो शख़्स ज़र्रा बराबर नेकी करेगा तो देख लेगा और जो ज़र्रा बराबर बुराई करेगा तो भी देख लेगा।"

हदीस 2210:- ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी رضي الله عنه रिवायत करते हैं, एक शख़्स रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आपसे गिरी पड़ी चीज़ के मुताल्लिक़ पूछा। फ़रमायाः "उसकी थैली और उसकी मुहर पहचान लो, फिर उसकी एक साल तक ख़ूब तश्हीर करो। अगर उसका मालिक मिल जाए तो बेहतर वरना तुम्हारी मर्ज़ी जैसे चाहो करो।" उसने पूछा गुमशुदा बकरी? तो फ़रमायाः "वह तुम्हारी, तुम्हारे भाई या भेड़िये की है।" उसने पूछा गुमशुदा ऊंट? तो फ़रमायाः "तुम्हें उससे क्या? उसके साथ उसकी मशक और उसकी झोली है, पानी पर पहुंच जाएगा और दरख़्त से खा लेगा और बिल-आख़िर उसका मालिक उसे पा लेगा।"

बाब 1481:- सूखी घास और लकड़ी फ़रोख़्त करनाः

हदीस 2211:- ज़ुबैर बिन अवाम رضي الله عنه रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "तुम में से कोई रस्सी लेकर लकड़ियों का गट्ठा बनाए और उसे बेचे और अल्लाह तआला उसकी आबरू बचाले तो इससे कहीं बेहतर है कि वह लोगों से मांगे, वह दें या न दें।"

हदीस 2212:- अबू हुरैरा رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "तुम में से किसी का लकड़ियों का गट्ठा पीठ पर लादना इससे बदरजहा बेहतर है कि वह किसी से मांगे वह उसे दे या न दे।"

हदीस 2213:- अली इब्ने तालिब رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मुझे रसूलुल्लाह ﷺ के साथ बदर में माले ग़नीमत में से एक ऊंटनी मिली, आपने मुझे एक ऊंटनी और दी। उन्हें मैंने एक दिन एक अन्सारी के दरवाज़े पर बिठाया और मैं सोच रहा था कि उन दोनों पर इज़्ख़िर (घास) लाद कर ले जाऊं ताकि

बेच सकूं। मेरे हमराह बनी कैनुक़ाअ का एक सुनार था ताकि उससे (सय्यदा) फ़ातिमा ؓ (से निकाह) के वलीमा में मदद लूं। हमज़ा ؓ बिन अब्दुल मुत्तलिब उसी घर में शराब नोशी कर रहे थे और उनके साथ एक गाने वाली गा रही थी: "أَلَا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ" "ऐ हमज़ा! आगाह हो फ़र्बा ऊंटनियां ले लो" हमज़ा उन दोनों ऊंटनियों की तरफ़ तलवार लेकर झपट पड़े और उनके कोहान और कूल्हे क़ाट दिये, फिर उनके कलेजे निकाल लिये। मैंने इब्ने शहाब से पूछा कोहान का क्या हुआ? क्या काट लिये गए? इब्ने शहाब के मुताबिक़ हज़रत अली ने कहा: मैंने बहुत ही दहशतनाक मंज़र देखा। मैं नबी करीम ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, आपके पास ज़ैद बिन हारिसा ؓ बैठे थे। मैंने आपको माजरा कह सुनाया, आप उठ कर चल दिये और ज़ैद भी साथ चले और मैं भी हमराह हो लिया। आप हमज़ा के पास गए और सख़्त नाराज़ हुए। हमज़ा ने निगाहें उठा कर कहा: क्या तुम मेरे बाप दादा के ग़ुलाम हो। आपने यह सुना तो वापस लौट आए। यह शराब की हुरमत नाज़िल होने से पहले का वाक़िआ है।

बाब 1482:- जागीरें बख़्शना:

हदीस 2214:- अनस ؓ रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने बहरैन में जागीरें देने का इरादा किया। अन्सार ने कहा (हम न लेंगे) जब तक हमारे मुहाजिर भाइयों को यह जागीरें अता न हों। आपने फ़रमाया: "(अगर) मेरे बाद तुम देखो कि तुम पर औरों को तरजीह दी जाती है तो मुझ से आ मिलने तक सब्र से काम लेना।"

बाब 1483:- जागीरों की सनद लिखना:

अनस ؓ का कहना है, नबी करीम ﷺ ने अन्सार को बुलाया ताकि उन्हें बहरैन की जागीरें बख़्शी जाएं। उन्होंने कहा हमारे क़ुरैशी भाइयों के लिये (जागीरें) लिखये लेकिन आपके पास इतनी जायदाद न थी। आपने फ़रमाया: "अनक़रीब देखोगे तुम पर औरों को तरजीह दी जाएगी तो तुम सब्र करना यहां तक कि मुझ से आ मिलो।"

बाब 1484:- पानी के नज़्दीक ऊंटनियों को दूहना:

हदीस 2215:- अबू हुरैरा ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "ऊंटनियों का हक़ बनता है कि उन्हें पानी के क़रीब दूहा जाए।"

बाब 1485:- खजूरों के बाग़ में अगर किसी की गुज़रगाह या पानी का कोई चश्मा हो:

नबी करीम ﷺ का इरशाद है: जिस ने पेवन्द के बाद दरख़्त बेचा तो फल बेचने वाले का है, गुज़रगाह और चश्मा बेचने वाले का है यहां तक कि वह रास्ता ख़त्म हो जाए यही हुक्म अरिय्या वाले का है।

हदीस 2216:- अब्दुल्लाह (बिन उमर) ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते हुए सुना: "जिस ने खजूर का दरख़्त पेवन्द लगने के बाद ख़रीदा तो उसका फल फ़रोख़्त करने वाले का है लेकिन अगर ख़रीदार पहले ही मशरूत कर दे (तो उसका है)। जिस ने ग़ुलाम ख़रीदा और उसके पास माल वग़ैरा है तो वह उस (बेचने वाले) का है मगर जबकि ख़रीदार पहले ही मशरूत करले।"

हदीस 2217:- ज़ैद बिन साबित ؓ रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने अंदाज़े से ख़ुश्क खजूर अराया के इवज़ बेचने की इजाज़त दी है।

हदीस 2218:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ؓ रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने मुख़ाबरा,

मुहाक़्ला, मुज़ाबना और फलों की नफ़ा बख़्श हालत ज़ाहिर होने से पहले बेचने से मना फ़रमाया है और दरख़्त पर लगा फल दिरहम व दीनार के इवज़ बेचना चाहिये अल्बत्ता अराया की इजाज़त है।

हदीस 2219:- अबू हुरैरा ﷺ रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने अंदाज़े से ख़ुश्क खजूर के इवज़ पांच वस्क़ या पांच से कम में बैअ अराया की इजाज़त दी है।

हदीस 2220:- राफ़ेअ बिन ख़दीज ﷺ और सहल बिन अबी हस्मा ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने मुज़ाबना यानी दरख़्त पर लगे फल को टूटे हुए फल के बदले बेचने से रोका है लेकिन अराया वालों रुख़सत है।

अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है।

क़र्ज़ लेना, क़र्ज़ देना, तसर्रुफ़ रोकना और मुफ़लिस हो जाना

बाब 1486:- जो शख़्स कोई चीज़ उधार ख़रीदे, उसके पास दाम न थे या उस वक़्त मौजूद न थे:

हदीस 2221:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ﷺ रिवायत करते हैं, मैं नबी करीम ﷺ के हमराह एक ग़ज़वा में शरीक हुआ। आपने फ़रमाया: "क्या तुम यह मुनासिब समझते हो कि अपना ऊंट मेरे हाथ बेच दो।" मैंने अर्ज़ किया हां, चुनान्चे मैंने उसे बेच दिया। जब मदीन पहुंचे तो मैं सुबह ऊंट लेकर आप की ख़िदमत में पहुंचा और आप ने उसकी क़ीमत दे दी।

हदीस 2222:- अअमश रिवायत करते हैं, हम ने इब्राहीम नख़ई के पास सलम में गिरवी का ज़िक्र किया तो वह बोले मुझ से असवद ने बहवाला सय्यदा आयशा ﷺ ज़िक्र किया कि रसूलुल्लाह ﷺ ने एक यहूदी से कुछ अरसे के लिये ग़ल्ला ख़रीदा और अपनी लोहे की ज़िरह उसके पास गिरवी रखी।

बाब 1487:- जो शख़्स लोगों का माल अदा करने या हज़म करने की नियत से ले:

हदीस 222:- अबू हुरैरा ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो शख़्स अदा करने के इरादे से लोगों से माल लेता है अल्लाह तआला उसकी तरफ़ से अदायगी का एहतमाम करता है और जो हड़प कर जाने की नियत से ले अल्लाह तआला उसे बरबाद कर देता है।"

बाब 1488:- क़र्ज़ अदा करना:

इरशादे ख़ुदावन्दी है: "अल्लाह तआला तुम्हें उनके मालिकों को अमानतें सिपुर्द करने का हुक्म देता है और जब कभी फ़ैसला करो तो इन्साफ़ के साथ करो। अल्लाह जो तुम्हें नसीहत करता है वह बेहतर है, बिला शुबहर अल्लाह सुनने देखने वाला है।"

हदीस 2224:- अबू ज़र (ग़िफ़ारी) ﷺ रिवायत करते हैं, मैं नबी करीम ﷺ के हमराह था। जब आपने उहुद पहाड़ की तरफ़ देख कर फ़रमाया: "मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि यह पहाड़ सोने का हो जाए और तीन दिन से ज़्यादा एक दीनार भी मेरे पास रहे मगर यह कि क़र्ज़ अदा करने की ग़र्ज़ से रख छोडूं।" फिर फ़रमाया: "जो लोग ज़्यादा मालदार हैं वही ज़्यादा मुहताज हैं मगर वह लोग जो इस तरह ख़र्च करें।" अबू शिहाब ने आगे और दाएं बाएं इशारा किया और ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं और फ़रमाया: "अपनी जगह ठहरे रहो।" आप थोड़ी दूर आगे गए, मैंने कुछ आवाज़ सुनी। मैंने आपके

पास जाना चाहा मगर आपका हुक्म कि यहीं ठहरे रहो यहां तक कि मैं तुम्हारे पास आऊं याद आ गया। जब आप तशरीफ़ लाए तो मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! वह क्या आवाज़ थी जो मैंने सुनी? फ़रमायाः "क्या तुम ने सुन लिया था?" अर्ज़ किया हां। फ़रमायाः "मेरे पास जिब्रईल ﷺ आए थे और कहा आप की उम्मत में अगर कोई इस हाल में मरे कि किसी को खुदा का शरीक न ठहराता हो तो वह जन्नती है।" मैं बोला, अगर वह यह यह काम करे? उन्होंने कहाः "हां।"

हदीस 2225:- अबू हुरैरा ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "अगर मेरे पास (कोहे) उहुद के बराबर सोना हो तो मुझे यह हरगिज़ पसन्द नहीं कि तीन दिन गुज़र जाएं और उस में से कुछ भी मेरे पास रह जाए सिवाए उसके जो मैं क़र्ज़ अदा करने के लिये रख लूं।"

बाब 1489:- ऊंट क़र्ज़ लेनाः

हदीस 2226:- अबू हुरैरा ؓ रिवायत करते हैं, एक शख़्स ने रसूलुल्लाह ﷺ से (क़र्ज़ का) तक़ाज़ा किया और आप से सख़्ती और बदतमीज़ी से पेश आया। सहाबा ने उसे मारना चाहा। आप ने फ़रमायाः "उसे कुछ न कहो, जिस ने कुछ लेना हो वह ऐसी बातें करने का हक़ रखता है। उसे एक ऊंट ख़रीद कर दे दो।" लोगों ने कहा, उससे ज़्यादा उम्र का ऊंट मिलता है। फ़रमायाः "दे दो, तुम में बेहतर वह है जो हुस्ने अदायगी का एहतमाम करे।

बाब 1490:- नर्मी से तक़ाज़ा करनाः

हदीस 2227:- हुज़ैफ़ा ؓ रिवायत करते हैं, मैंने नबी करीम ﷺ को फ़रमाते हुए सुना कि "एक आदमी मर गया तो उससे कहा गयाः तू क्या कहा करता था? अर्ज़ गुज़ार हुआ कि मैं लोगों से तिजारत करता तो मालदार से दरगुज़र करता और तंगदस्त को मोहलत देता, पस उसे बख़्श दिया गया।" हज़रत अबू मसऊद ने इसे नबी करीम ﷺ से सुना है।

बाब 1491:- क़र्ज़ के ऊंट के इवज़ उससे बड़ी उम्र का ऊंट दिया जा सकता है?

हदीस 2228:- अबू हुरैरा ؓ रिवायत करते हैं, एक शख़्स नबी करीम ﷺ के पास अपने ऊंट का तक़ाज़ा लेकर आया तो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "इसे ऊंट दे दो।" लोगों ने कहा बड़ी उम्र का ऊंट तो है (फ़रमाया दे दो) वह शख़्स बोला आपने मेरा हक़ पूरा दे दिया अल्लाह तआला आप को भरपूर जज़ा दे। आपने फ़रमायाः "वही इसे दे दो क्योंकि लोगों में बेहतर वह है जो अहसन तरीक़े से क़र्ज़ अदा करे।"

बाब 1492:- अच्छे तरीक़े से क़र्ज़ा चुकानाः

हदीस 2229:- अबू हुरैरा ؓ रिवायत करते हैं, किसी का एक ख़ास उम्र का ऊंट नबी करीम ﷺ के ज़िम्मे क़र्ज़ था। वह शख़्स मांगने आया तो आपने फ़रमायाः "इसे दे दो।" लोगों ने कहा उससे बड़ी उम्र का है। फ़रमायाः "वही दे दो।" उस ने कहा, आपने मुझे पूरा पूरा दिया ख़ुदा आप को पूरा अज्र दे। नबी करीम ﷺ ने फ़रमायाः "तुम में बेहतर वह है जो क़र्ज़ अच्छी तरह अदा करे।"

हदीस 2230:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ؓ रिवायत करते हैं, मैं नबी करीम ﷺ की ख़िदमत में गया जबकि आप मस्जिद में तशरीफ़ फ़रमा थे। मिस्अर कहते हैं ग़ालिबन चाश्त का वक़्त था। फ़रमायाः "दो रकअत नमाज़ पढ़ो।" मेरा आप पर कुछ क़र्ज़ था, आपने वह दिया और कुछ ज़्यादा भी।

बाब 1493:- जो क़र्ज़ ख़्वाह को कम दे या वह दरगुज़र करदे तो जाइज़ हैः

हदीस 2231:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, उनके वालिद जंगे उहुद में शहीद हो गए और वह मक़रूज़ थे, क़र्ज़ ख़्वाहों ने तक़ाज़ा किया और शिद्दत से किया। मैं रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में आया, आपने क़र्ज़ ख़्वाहों से फ़रमाया: "बाग़ का फल ले लो और बाक़ी क़र्ज़ माफ़ कर दो।" लेकिन वह न माने। आपने बाग़ उन्हें न दिया और फ़रमाया: "हम सुबह तुम्हारे पास आएंगे।" जब तशरीफ़ लाए तो बाग़ में घूमे फिरे और बाग़ में बरकत के लिये दुआ फ़रमाई। फिर मैंने बाग़ का फल काटा तो उनका सारा क़र्ज़ा भी अदा हो गया और खजूर भी बच रहीं।

बाब 1594:- जब कोई शख़्स क़र्ज़ ख़्वाह से बात चीत करे या क़र्ज़ में खजूर या किसी और चीज़ के बदले खजूर अंदाज़े से दे:

हदीस 2232:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मेरे वालिद का इन्तिक़ाल हो गया और एक यहूदी का तीस वस्क़ क़र्ज़ छोड़ गए। जाबिर ने उससे मोहलत मांगी लेकिन उस ने न दी। जाबिर ने रसूलुल्लाह ﷺ को बताया ताकि आप सिफ़ारिश कर दें। आप तशरीफ़ लाए, यहूदी से बात की और फ़रमाया: "क़र्ज़ के बदले उसके दरख़्तों का फल ले लो।" उस ने इन्कार किया। रसूलुल्लाह ﷺ बाग़ में दाख़िल हुए और चले फिरे और आपने मुझ से फ़रमाया: "फल उतार लो।" पस उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ के लौटने के बाद खजूरें तोड़ीं। क़र्ज़ ख़्वाह को तीस वस्क़ खजूर दे दिये और सतरह वस्क़ बच भी रहे। जाबिर रसूलुल्लाह ﷺ के पास आए ताकि आप को सूरतें हाल से आगाह करें तो आप नमाज़े अस्र अदा कर रहे थे। जब आप फ़ारिग़ हुए तो खजूरों के बच रहने का बताया। आपने फ़रमाया: "इब्ने ख़त्ताब को भी बता दो।" वह उमर رضي الله عنه के पास गए और माजरा कह सुनाया। हज़रत उमर बोले: जब रसूलुल्लाह ﷺ बाग़ में टहल रहे थे मैं उसी वक़्त समझ गया था कि खजूरों में बरकत होगी।

बाब 1495:- जिस ने क़र्ज़ से पनाह मांगी:

हदीस 2233:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها से रिवायत हैं, रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़ में दुआ मांगते तो कहते: "या अल्लाह! मैं गुनाह और क़र्ज़ से तेरी पनाह मांगता हूं।" किसी ने अर्ज़ किया, क्या बात है आप क़र्ज़ से अकसर पनाह मांगते हैं। फ़रमाया: "जब कोई शख़्स मक़रूज़ होता है तो जब बात करता है झूट बोलता है और जब वादा करता है तो ख़िलाफ़ वर्ज़ी करता है।"

बाब 1496:- मक़रूज़ की नमाज़े जनाज़ा:

हदीस 2234:- अबू हुरैरा رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: जिस ने माल छोड़ा वह वुर्सा का और जिस ने क़र्ज़ छोड़ा वह हमारे ज़िम्मे है।"

हदीस 2235:- अबू हुरैरा رضي الله عنه रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "मैं दुन्या और आख़िरत में हर मोमिन का ज़्यादा ख़ैर ख़्वाह हूं। अगर तुम चाहो तो यह आयत तिलावत करो: "النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ" (नबी मुसलमानों पर उनकी ज़ात से ज़्यादा क़रीब और मेहरबान हैं।) चुनान्चे जो मोमिन मर जाए और माल छोड़ जाए वह उसके वुर्सा का है और जो कोई क़र्ज़ और अहल व अयाल छोड़ जाए वह मेरे पास आएं मैं उनका ज़िम्मेदार हूं।

बाब 1497:- मालदार का टाल मटोल से काम लेना ज़ुल्म है:

हदीस 2236:- अबू हुरैरा رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मालदार का

टाल मटोल से काम लेना ज़ुल्म है।"

बाब 1498:- साहिब हक़ को तक़ाज़ा करने का हक़ है:

इरशादे नबवी है: "साहिबे माल का ताख़ीर करना उसकी सज़ा और रुस्वाई को जाइज़ बना देता है।" सुफ़यान का कहना है कि बेइज़्ज़त करने का मतलब यह है कि वह कहे तुम ने बहुत देर की और सज़ा क़ैद कर देना है।

हदीस 2237:- अबू हुरैरा رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ के पास एक शख़्स तक़ाज़ा करने आया और सख़्ती से पेश आया। सहाबा ने उसे झिड़कने का इरादा किया। आपने फ़रमाया: "उसे छोड़ दो इसलिये कि हक़दार को ऐसा करने का हक़ हासिल है।"

बाब 1499:- बैअ, क़र्ज़ और अमानत में अगर कोई शख़्स अपना माल (बेजिन्सेही) मुफ़लिस के पास देखे तो वह दूसरे क़र्ज़ ख़्वाहों की निस्बत उसका मुस्तहिक़ है। हसन कहते हैं जब दीवालिया हो जाए और वह मशहूर हो जाए तो उसका आज़ाद करना, बेचना ख़रीदना कुछ भी जाइज़ नहीं। सईद बिन मुसय्यब कहते हैं, जिस ने दीवालिया होने से पहले अपना हक़ ले लिया उसके मुताल्लिक़ हज़रत उस्मान رضي الله عنه का फ़ैसला यह है कि वह उसका है और जिस ने अपना माल (बेजिन्सेही) उसके पास देख लिया वह उसका हक़दार है।

हदीस 2238:- अबू हुरैरा رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया या यह कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से सुना: "अगर किसी ने अपना माल किसी के पास बेजिन्सेही देख लिया जो दीवालिया बन गया तो वही उसका ज़्यादा हक़दार है।

बाब 1500:- जो क़र्ज़ ख़्वाहों को कल परसों पर टाल दे तो बाज़ ने इसे टाल मटोल नहीं गरदाना: जाबिर رضي الله عنه बयान करते हैं, मेरे वालिद के क़र्ज़ ख़्वाहों ने क़र्ज़ के मुतालबा में सख़्ती बरती। रसूलुल्लाह ﷺ ने उन्हें कहा वह बाग़ का फल क़बूल करलें लेकिन वह न माने। चुनान्चे आपने न उन्हें बाग़ हवाले किया और न फल उतरवाए। फ़रमाया: "कल तुम्हारे हां आऊंगा।" सुबह हुई तो आप मेरे पास तशरीफ़ लाए, बाग़ के फल के लिये दुआए बरकत फ़रमाई जिससे मैंने सारा क़र्ज़ा उतार दिया।

बाब 1501:- जिस ने दीवालिये या तंगदस्त का माल बेच कर क़र्ज़ ख़्वाहों में तक़सीम कर दिया या उसे ख़र्च करने के लिये दे दिया:

हदीस 2239:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, एक शख़्स ने अपने गुलाम को अपनी वफ़ात के बाद आज़ाद किया तो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मुझ से इसे कौन ख़रीद करता है?" चुनान्चे नुऐम बिन अब्दुल्लाह رضي الله عنه ने उसे ख़रीदा, आपने उसकी क़ीमत लेकर फिर उसे दे दी।

बाब 1502:- मुअय्यना मुद्दत के वादे पर क़र्ज़ देना या बैअ करना:

इब्ने उमर رضي الله عنهما के नज़्दीक मुअय्यना मुद्दत के वादे पर क़र्ज़ लेने में कोई हर्ज नहीं अगर्चे उसको उसके रुपयों से ज़्यादा मिलें मगर वह मशरूत न हो। अता और अम्र बिन दीनार कहते हैं वह क़र्ज़ में मुद्दते मुअय्यना का पाबन्द रहेगा। लैस कहते हैं मुझे जाफ़र बिन रबीआ ने बहवाला अब्दुर्रहमान बिन हुरमुज़, अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत की और उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ के हवाले से बताया कि आप ने बनी इसराईल के एक शख़्स का वाक़िआ सुनाया। उस ने किसी से क़र्ज़ लिया तो उस ने मुक़र्ररा मीआद

तक उसे कर्ज़ दिया और आख़िर तक हदीस बयान की।

बाब 1503:- कर्ज़ में कमी करने की सिफ़ारिश करना:

हदीस 2240:- जाबिर रज़ि. रिवायत करते हैं, अब्दुल्लाह (जाबिर के वालिद) शहीद हुए और बाल बच्चे और कर्ज़ छोड़ गए। मैंने कर्ज़ ख़्वाहों से दरख़्वास्त की कि कुछ कर्ज़ा माफ़ कर दें लेकिन वह न माने। मैं रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में पहुंचा और आप से उन लोगों को सिफ़ारिश करने के लिये कहा लेकिन वह फिर भी न माने। तब आपने फ़रमाया: "हर क़िस्म के खजूर अलग अलग रखो यानी अज़्क़ बिन ज़ैद, लीन और अजवा को अलग अलग कर लो। फिर उन कर्ज़ ख़्वाहों को बुलाओ ताकि मैं तुम्हारे पास आऊं।" चुनान्चे मैंने इसी तरह किया, फिर रसूलुल्लाह ﷺ तशरीफ़ लाए और खजूरों के ढेर पर बैठ गए और हर शख़्स को तौल कर देते रहे हत्ता कि सारा कर्ज़ उतर गया और खजूर वैसे ही रहे जिस तरह पहले थे गोया किसी ने उन्हें छुआ तक नहीं। (और एक दफ़ा ऐसा हुआ) मैं नबी करीम ﷺ के साथ एक जंग में पानी भरने वाले ऊंट पर सवार हो गया। वह ऊंट थक गया और मैं पीछे रह गया। रसूलुल्लाह ﷺ ने पीछे से एक डंडा मारा और फ़रमाया: "इसे मेरे हाथ बेच दो और तुम्हें मदीना तक इस पर हक़ रहेगा।" जब हम मदीना के क़रीब आए तो मैंने इजाज़त चाही। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! मैंने नई शादी की है। आपने फ़रमाया: "कुंवारी से या बेवा से?" मैंने अर्ज़ किया बेवा से, चूंकि (मेरे वालिद) अब्दुल्लाह शहीद हो गए और कमसिन बच्चियां छोड़ गए हैं इसलिये मैंने बेवा से शादी की ताकि वह उन्हें इल्म व अदब सिखाए। फिर फ़रमाया: "अपने घर वालों के पास जाओ।" मैंने अपने मामूं से ऊंट फ़रोख़्त करने का ज़िक्र किया, उस ने मुझे सख़्त सुस्त कहा। मैंने उन्हें ऊंट के थक जाने, आपके मोअजिज़े और डंडा मारने के बारे में बताया। जब रसूलुल्लाह ﷺ मदीना पहुंच गए तो मैं ऊंट लेकर आप की ख़िदमत में पहुंच गया। आपने मुझे ऊंट की क़ीमत और ऊंट इनायत फ़रमाया, और दूसरों के साथ माले ग़नीमत में से भी हिस्सा दिया।

बाब 1504:- माल ज़ाए करने की मुमानिअत:

इरशादे ख़ुदावन्दी है: "और अल्लाह न फ़साद को पसन्द करता है और न फ़सादियों के हालात सुधारता है।" नीज़ फ़रमाने इलाही है: "(क़ौम ने शुऐब अलै. से कहा) क्या तुम्हारी नमाज़ तुम्हें यह हुक्म देती है कि हम इन बुतों की परस्तिश छोड़ दें जिन्हें हमारे बाप दादा पूजते चले आए हैं या हम अपने मालों में अपनी मर्ज़ी से तसर्रुफ़ न करें।" इरशादे रब्बानी है: "अपना माल फ़ातिरुल अक़्ल लोगों को न दो।" और इसी हालत में तसर्रुफ़ात रोकने और धोका देने की मुमानिअत।

हदीस 2241:- इब्ने उमर रज़ि. रिवायत करते हैं, एक शख़्स ने नबी करीम ﷺ की ख़िदमत में अर्ज़ किया, मैं लेन देन में बहुत धोका खा जाता हूं। आपने फ़रमाया: "जब तुम ख़रीद व फ़रोख़्त करो तो कह दिया करो कि मुझे धोका न देना, चुनान्चे वह शख़्स इसी तरह कह दिया करता था।"

हदीस 2242:- मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ि. रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह तआला ने तुम पर मां की नाफ़रमानी, बच्चियों के ज़िन्दा दरगोर करने और बरतने की चीज़ें न देने को हराम फ़रमाया। और तुम्हारे लिये बिला वजह क़ील व क़ाल, कसरत से सवाल करना और असराफ़ को नापसन्द किया है।"

बाब 1505:- ग़ुलाम अपने आक़ा के माल का निगरान है वह उसकी इजाज़त

के बग़ैर उसके माल में तसर्रुफ़ न करे:

हदीस 2243:- अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते हुए सुना: "तुम में से हर शख़्स हाकिम है और उससे उसकी रिआया के मुताल्लिक़ पूछा जाएगा। ख़लीफ़ा हाकिम है उससे उसकी रिआया के मुताल्लिक़ पूछा जाएगा। मर्द अपने घर का हाकिम है उससे उसकी रिआया के बारे में सवाल जवाब होगा। औरत अपने शौहर के घर की निगरान है उससे उसकी रिआया के मुताल्लिक़ पूछा जाएगा। नौकर अपने मालिक के माल का मुहाफ़िज़ है उससे उसकी रिआया के ज़िम्न में पूछ गछ होगी।" इब्ने उमर رضي الله عنهما कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से यह भी सुना है और समझता हूं कि आप ने यह भी फ़रमाया: "औलाद अपने बाप के माल में इख़्तियार रखती है उससे भी पूछा जाएगा पस तुम में से हर शख़्स किसी न किसी दरजे में हाकिम है और तुम में से हर एक से उसकी रिआया के बारे में पूछ गछ होगी।"

अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है।

झगड़े फ़साद का बयान

बाब 1506:- मक़रूज़ को गिरफ़्तार करके ले जाना, मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान झगड़ा:

हदीस 2244:- अब्दुल्लाह बिन मसऊद رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मैंने किसी को रसूलुल्लाह ﷺ के तरीक़े के ख़िलाफ़ एक आयत पढ़ते हुए सुना। मैंने उसका हाथ पकड़ा और आपके पास ले आया। आप ने फ़रमाया: "तुम दोनों अच्छा पढ़ते हो।" शुअबा कहते हैं, मेरा ख़्याल है आपने यह फ़रमाया: "इख़्तिलाफ़ न करो इसलिये कि तुम से पहली उम्मतों ने इख़्तिलाफ़ बढ़ाया तो तबाह हो गई।"

हदीस 2245:- अबू हुरैरा رضي الله عنه रिवायत करते हैं, दो आदमियों ने एक दूसरे को गाली दी, उन में एक मुसलमान और दूसरा यहूदी था। मुसलमान ने कहा क़सम है उस ज़ात की जिसने मुहम्मद (ﷺ) को सारी दुन्या पर फ़ज़ीलत बख़्शी। यहूदी बोला क़सम है उस ज़ात की जिसने मूसा (عليه السلام) को सारी दुन्या पर फ़ज़ीलत अता की। मुसलमान ने यह सुना तो यहूदी के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। यहूदी नबी करीम ﷺ की ख़िदमत में आया और जो वाक़िआ उसके और मुसलमान के दरमियान हुआ था वह अर्ज़ किया। रसूलुल्लाह ﷺ ने मुसलमान को बुलाया और उससे यह बात पूछी, उस ने अर्ज़ कर दी। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मुझे मूसा (عليه السلام) पर फ़ज़ीलत न दो, क्योंकि क़यामत के दिन जब लोगों पर ग़शी तारी होगी तो मैं भी उन्हीं लोगों के साथ बेहोश हो जाऊंगा। सबसे पहले मुझे होश आएगा तो मूसा عليه السلام अर्श का कोना पकड़े दिखाई देंगे। मैं नहीं जानता वह बेहोश होकर मुझ से पहले होश में आ जाएंगे या अल्लाह तआला ने उनको बेहोशी से मुस्तस्ना कर दिया है।"

हदीस 2246:- अबू सईद ख़दरी رضي الله عنه रिवायत करते हैं, एक बार रसूलुल्लाह ﷺ तशरीफ़ फ़रमा थे। एक यहूदी आया और बोला ऐ अबुल क़ासिम! आपके नाम लेवा ने मुझे थप्पड़ मारा है। आपने दरयाफ़्त फ़रमाया: "किस ने मारा?" कहा एक अन्सारी ने। आपने फ़रमाया: "उसे बुलाओ।" फिर पूछा क्या तुम ने (वाक़ई) इसे मारा? वह (अन्सारी) बोला कि मैंने इसे बाज़ार में यूं क़सम खाते सुना कि क़सम है उस ज़ात की जिस ने मूसा (عليه السلام) को (जुम्ला नौअ) बशर पर बुज़ुर्गी अता की। मैंने

कहा ऐ ख़बीस! क्या मुहम्मद ﷺ पर भी? और मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसके मुंह पर (थप्पड़) दे मारा। नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "पैग़म्बरों को एक दूसरे पर फ़ज़ीलत न दो इसलिये कि लोग क़यामत के दिन सब बेहोश हो जाएंगे। सबसे पहले ज़मीन चीर कर मैं बाहर निकलूंगा तो उस वक़्त मूसा (अलै०) अर्श का पाया थामे हुए नज़र पड़ेंगे। मुझे मालूम नहीं वह बेहोश होने वालों में होंगे या उनके लिये पहली (कोहे तूर वाली) बेहोशी ही काफ़ी रहेगी।"

हदीस 2247:- अनस रज़ि० रिवायत करते हैं, एक यहूदी ने एक लौंडी का सर दो पत्थरों से कुचल डाला। तफ़्तीश की गई कि यह किस की हरकत है? क्या फुलां फुलां ने ऐसा किया? बिल-आख़िर एक यहूदी का नाम निकला तो लौंडी ने सर को जुंबिश दी। उस ने इक़रारे जुर्म किया, रसूलुल्लाह ﷺ ने हुक्म दिया और उसका सर भी दो पत्थरों के दरमियान कुचला गया।

बाब 1507:- बाज़ के नज़्दीक कम अक़्ल और बेवक़ूफ़ का मामला मरदूद है:

अगर्चे हाकिमे वक़्त ने उसे तसर्रुफ़ात से मना न किया हो। जाबिर रज़ि० रसूलुल्लाह ﷺ के हवाले से नक़्ल करते हैं कि आपने मुमानिअत से पहले सदक़ा देने वाले का सदक़ा वापस कर दिया और फिर आपने उसे ममनूअ क़रार दे दिया। इमाम मालिक का कहना है, अगर कोई शख़्स मक़रूज़ है और उसके पास सिर्फ़ एक गुलाम के अलावा और कुछ न हो और वह उसे आज़ाद कर दे तो जाइज़ नहीं। जिस ने किसी कमज़ोर और फ़ातिरुल अक़्ल का माल बेच कर उसकी क़ीमत उसे दे दी और उसे कहा हिफ़ाज़त और एहतियात से रखो। अगर वह इसके बाद भी माल ज़ाए करदे तो हाकिमे वक़्त उसे तसर्रुफ़ात से रोक सकता है क्योंकि रसूलुल्लाह ﷺ ने माल के इतलाफ़ से रोका है। और उस शख़्स से जिसे लेन देन में धोका दिया जाता था आप ने फ़रमाया: "जब तुम लेन देन करो तो कह दिया करो मुझे धोका न देना।" और रसूलुल्लाह ﷺ ने उसका माल नहीं लिया।

हदीस 2248:- अब्दुल्लाह बिन दीनार रिवायत करते हैं, मैंने इब्ने उमर रज़ि० से सुना एक शख़्स को लेन देन में धोका दिया जाता था तो उससे रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम लेन देन करो तो लोगों से कह दिया करो कि मुझे धोका न दो।" चुनान्चे वह इसी तरह कह देता था।

हदीस 2249:- जाबिर रज़ि० रिवायत करते हैं, एक शख़्स ने अपना गुलाम आज़ाद किया, जिस के सिवा उसके पास माल न था। नबी करीम ﷺ ने उसकी आज़ादी मुस्तरद कर दी और उसे नुऐम बिन नह्हाम रज़ि० ने ख़रीद लिया।

बाब 1508:- मुद्दई और मुद्दआ अलैहि का एक दूसरे के मुताल्लिक़ गुफ़्तगू करना:

हदीस 2250:- अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो जान बूझ कर झूटी क़सम इस मक़सद के लिये खाए कि अपने मुसलमान भाई का माल हज़्म कर जाए तो अल्लाह तआला उसे इस हाल में मिलेगा कि वह उस पर नाराज़ होगा।" अशअस कहते हैं ख़ुदा की क़सम! यह कुछ आप ने मेरे मुताल्लिक़ फ़रमाया। मेरे और एक यहूदी के दरमियान मुश्तरिका ज़मीन थी, उस ने मेरे हक़ का इन्कार कर दिया। मैं उसे रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में ले गया। आपने मुझ से फ़रमाया: "तुम्हारे पास कोई गवाह है?" मैंने कहा नहीं। आपने यहूदी से फ़रमाया: "क़सम खाओ।" मैंने अर्ज़ किया वह तो क़सम खा लेगा और मेरा माल मार लेगा, तब अल्लाह तआला ने आयत: "إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا" नाज़िल फ़रमाई। यानी जो लोग अल्लाह के

अहद और अपनी क़समों के बदले दुन्यावी पूंजी ख़रीदते हैं।

हदीस 2251:- कअब बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं, उन्होंने इब्ने अबी हदरद ﷺ से अपना क़र्ज़ा मस्जिद में तलब किया। दोनों की आवाज़ बुलन्द हुई हत्ता कि रसूलुल्लाह ﷺ ने उसे सुन लिया। आप अपने हुजरे में थे, आप हुजरे का पर्दा उठा कर बाहर तशरीफ़ ले आए और आवाज़ दी: "ऐ कअब!" कअब ने अर्ज़ किया लब्बैक या रसूलल्लाह! आपने फ़रमाया: "इस क़दर अपना क़र्ज़ा माफ़ कर दो।" इशारे से बताया कि निस्फ़ माफ़ कर दो। कअब ने कहा मैंने माफ़ कर दिया। आपने इब्ने अबी हदरद से फ़रमाया: "उठो, इनका क़र्ज़ा चुका दो।"

हदीस 2252:- अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल क़ादिर रिवायत करते हैं, उन्होंने उमर ﷺ को कहते सुना कि मैंने हिशाम बिन हकीम बिन हिज़ाम को सूरए "अल-फ़ुरक़ान" उसके ख़िलाफ़ पढ़ते हुए सुना जिस तरह मैं पढ़ता था या रसूलुल्लाह ﷺ ने मुझे पढ़ाई थी। क़रीब था कि मैं जल्द बाज़ी से काम लेता लेकिन मैंने उन्हें मोहलत दी। जब वह नमाज़ पढ़ चुके तो मैंने उनके गले में चादर डाली और उन्हें रसूलुल्लाह ﷺ की बारगाह में ले गया और कहा कि यह उस तरह तिलावत नहीं करते जिस तरह आपने मुझे सिखाई। आपने फ़रमाया: "उसे छोड़ दो।" फिर उसे कहा पढ़ो। आपने फ़रमाया: "इसी तरह आयत उतरी है।" फिर मुझ से फ़रमाया: "पढ़ो।" मैंने पढ़ी तो फ़रमाया: "इसका नुज़ूल इसी तरह हुआ है, क़ुरआने मजीद सात तरीक़ों पर नाज़िल हुआ है जिस तरह तुम्हें आसानी हो पढ़ो।"

बाब 1509:- मालूम होने पर मुजरिमों और झगड़ालुओं को घर से निकाल देना:

हज़रत उमर ﷺ ने हज़रत अबू बकर ﷺ की बहन को मातम करने पर घर से निकाल बाहर कर दिया।

हदीस 2253:- अबू हुरैरा ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मैंने इरादा किया कि नमाज़ का हुक्म दूं और जब नमाज़ खड़ी हो तो मैं उन लोगों के घरों को जाऊं जो नमाज़ में शरीक नहीं होते और उनके घर जला डालूं।

बाब 1510:- मय्यत के वसी का दावा करना:

हदीस 2254:- सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, अब्द बिन ज़म्आ ﷺ और सअद बिन अबी वक़्क़ास ﷺ ज़म्आ की लौंडी के लड़के का मुक़द्दमा रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में ले गए। सअद ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! मेरे भाई ने मुझे वसियत की थी कि जब मैं मक्का पहुंचूं और ज़म्आ की लौंडी के लड़के को देखूं तो उसे अपने क़ब्ज़े में ले लूं, क्योंकि वह मेरा बेटा है। अब्द बिन ज़म्आ ने अर्ज़ किया वह मेरा भाई है और मेरे बाप की लौंडी का बेटा है, मेरे बाप के बिस्तर पर पैदा हुआ। रसूलुल्लाह ﷺ ने उस (लड़के) की शक्ल व शुबाहत उतबा की सी देखी तो फ़रमाया: "ऐ अब्द बिन ज़म्आ! तू ही इसका हक़दार है, लड़का उसी का है जिसके बिस्तर पर पैदा हुआ और ऐ सौदा! तुम उससे पर्दा किया करो।"

बाब 1511:- जिस से ज़रर का अन्देशा हो उसे बांध कर रखना:

इब्ने अब्बास ﷺ ने इकरमा को क़ुरआने मजीद, सुनन और फ़राइज़ सिखाने की ग़र्ज़ से कैद किया था।

हदीस 2255:- अबू हुरैरा ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने नज्द की तरफ़ लशकर रवाना फ़रमाया। लोग बनी हनीफ़ा के सुमामा बिन उसाल को जो अहले यमामा का सरदार था गिरफ़्तार

करके लाए और मस्जिद के एक सुतून से बांध दिया। फिर उसके पास रसूलुल्लाह ﷺ तशरीफ़ लाए और पूछाः "ऐ सुमामा! तुम्हारे पास क्या है?" कहा, ऐ मुहम्मद! मेरे पास माल है। फ़रमायाः "सुमामा को रिहा करदो।"

बाब 1512:- हरम में किसी को बांधनाः

नाफ़ेअ बिन अब्दुल हारिस ने सफ़वान बिन उमय्या से एक मकान क़ैदख़ाना के लिये इस शर्त पर ख़रीदा कि अगर हज़रत उमर ؓ राज़ी हो गए तो सौदा पक्का वरना सफ़वान को चार सौ दीनार मिलेंगे, इब्ने ज़ुबैर ؓ ने मक्का में लोगों को क़ैद किया।

हदीस 2256:- अबू हुरैरा ؓ रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने नज्द की तरफ़ लशकर रवाना फ़रमाया। वह लोग बनी हनीफ़ा के सुमामा बिन उसाल को (गिरफ़्तार करके) ले आए और उसे मस्जिद के एक सुतून से बांध दिया।

बाब 1513:- मक़रूज़ का तआक़ुब करते रहनाः

हदीस 2257:- कअब बिन मालिक अन्सारी ؓ रिवायत करते हैं, अब्दुल्लाह बिन अबी हदरद ؓ उनका मक़रूज़ था, चुनान्चे वह उसे मिले और उसके पीछे लग गए और दोनों ने बात चीत की और दोनों की आवाज़ बुलन्द हुई। रसूलुल्लाह ﷺ उनके क़रीब से गुज़रे तो फ़रमायाः "ऐ कअब!" और अपने हाथ से इशारा करते हुए फ़रमाया आधा (क़र्ज़ा) छोड़ दो। तो उन्होंने आधा क़र्ज़ ले लिया और आधा माफ़ कर दिया।

बाब 1514:- क़र्ज़ का तक़ाज़ा करनाः-

हदीस 2258:- ख़ब्बाब ؓ रिवायत करते हैं, मैं अहदे जाहिलियत में लोहार था और आस बिन वाइल के ज़िम्मे मेरे कुछ दिरहम क़र्ज़ थे। मैं उसके पास तक़ाज़ा करने की नियत से आया लेकिन उस ने कहा मैं उस वक़्त तक न दूंगा जब तक कि तुम मुहम्मद (ﷺ) का इन्कार न करोगे। मैंने कहा, ख़ुदा की क़सम! यह नहीं हो सकता, मैं मुहम्मद ﷺ का इन्कार नहीं कर सकता यहां तक कि अल्लाह तआला तुम्हें मारे और फिर ज़िन्दा करे। वह बोला तो फिर मुझे छोड़ दो यहां तक कि मैं मर जाऊं और फिर उठाया जाऊं और माल व औलाद मुझे मिलें तो मैं तुम्हारा क़र्ज़ा उतार दूंगा। उस पर यह आयत नाज़िल हुईः "اَفَرَاَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا" (क्या तुम ने उसे नहीं देखा जो मेरी आयात को झुटलाता और कहता है मुझे माल और औलाद ज़रूर मिलेंगे।)

अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है।

किताबुल लुक़ता (गिरी पड़ी चीज़ का उठाना)

बाब 1515:- और जब उसका मालिक सही निशानियां बता दे तो उसे वापस करदेः

हदीस 2259:- सुवैद बिन ग़फ़ला रिवायत करते हैं, मैं उबय बिन कअब ؓ से मिला, उन्होंने बताया मैं एक सौ दीनार की थैली लेकर रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। आपने फ़रमायाः "इसे एक साल तक ख़ूब मुश्तहिर करो।" मैं उसका तश्हीर करता रहा लेकिन उसे पहचानने वाला न मिला। फिर मैं दूसरी बार आपके पास आया, आपने फ़रमायाः "(मज़ीद) एक साल तक मुश्तहिर करो।" मैंने उसकी तश्हीर की मगर पहचानने वाला न मिला। मैं तीसरी बार आपकी ख़िदमत में गया, आपने

फ़रमाया: "इस का बरतन, गिनती और बंधन ज़हन में रखो, अगर इसका मालिक मिल जाए तो बेहतर वरना इसे अपने काम में ले आना।" चुनान्चे मैंने उससे फ़ायदा उठाया। (शुअबा कहते हैं) मैं उसके बाद (सलमा से) मक्का में मिला। उन्होंने कहा याद नहीं कि तीन साल या एक साल एलान करने को फ़रमाया था।

बाब 1516:- गुमशुदा ऊंट:

हदीस 2260:- ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी ﷺ रिवायत करते हैं, एक आराबी रसूलुल्लाह ﷺ के पास आया और आप से गिरी पड़ी चीज़ के मिलने के मुताल्लिक़ पूछा। फ़रमाया: "एक साल तक उसकी तशहीर करो, फिर उसकी थैली और सर-बंधन को याद रखो, अगर कोई आकर निशानियां बताए तो ठीक वरना उसे ख़र्च कर लो।" उस ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! गुमशुदा बकरी? फ़रमाया: "वह तुम्हारी या तुम्हारे भाई की है और या फिर भेड़िये के लिये।" उस ने पूछा गुमशुदा ऊंट? आपके चेहरए अनवर का रंग बदल गया और फ़रमाया: "तुम्हें उससे क्या वास्ता? उसका जूता और उसकी मशक उसके हमराह है, वह पानी के पास जाएगा और दरख़्तों के पत्ते खाएगा।"

बाब 1517:- गुमशुदा बकरी:

हदीस 2261:- ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी ﷺ रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ से गिरी पड़ी चीज़ की बाबत पूछा गया। आपने फ़रमाया: उसकी थैली और बंधन ज़हन में रखो, फिर साल भर लोगों को कहते रहो।" यज़ीद कहते हैं, अगर कोई पहचानने वाला न मिले तो उठाने वाला ख़र्च करले लेकिन वह उसके पास अमानत ही होगी। यहया कहते हैं, मैं नहीं जानता कि यह हदीस में था या अपनी तरफ़ से बढ़ा दिया गया। फिर (साइल ने) पूछा गुमशुदा बकरी के मुताल्लिक़ आप क्या फ़रमाते हैं? फ़रमाया: "उसे पकड़ लो वह तुम्हारी, तुम्हारे भाई या भेड़िये की है।" यज़ीद के नज़्दीक उसकी भी तशहीर करे। फिर भूले भटके ऊंट के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया गया? फ़रमाया: "उसे छोड़ दो क्योंकि उसके पास अपना जूता और अपनी मशक है वह पानी के पास उतरता और दरख़्त के पत्ते चरता है यहां तक कि उसका मालिक उसे ढूंड लेता है।

बाब 1518:- अगर गुमशुदा चीज़ का मालिक साल भर न मिले तो वह उसी की है जिसे मिली है:

हदीस 2264:- ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी ﷺ रिवायत करते हैं, एक शख़्स रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में आया और आप से गिरी पड़ी चीज़ के मुताल्लिक़ पूछा। आपने फ़रमाया: "उसकी थैली और बंधन को पहचान लो, फिर एक साल तक उसके मुताल्लिक़ लोगों से पूछते रहो, अगर उसका मालिक आ जाए तो बेहतर वरना तुम्हें इख़्तियार है।" उस ने पूछा गुमशुदा बकरी? फ़रमाया: "वह तुम्हारी, तुम्हारे (मुसलमान) भाई या (फिर) भेड़िये की है।" फिर उस ने गुमशुदा ऊंट की बाबत पूछा? फ़रमाया: "तुम्हें उससे क्या? उसका अपना मोज़ा और अपनी मशक है वह पानी के पास जाता, दरख़्त (के पत्ते) खा लेता है यहां तक कि उसका मालिक उसे पा लेता है।

बाब 1519:- दरिया में लकड़ी या कोड़ा वग़ैरा मिलना:

लैस कहते हैं मुझे जाफ़र बिन रबीआ ने अब्दुर्रहमान बिन हुरमुज़ के हवाले से अबू हुरैरा ﷺ की एक रिवायत सुनाई। रसूलुल्लाह ﷺ ने बनी इसराईल के एक शख़्स का ज़िक्र फ़रमाया और पूरी हदीस बयान की। वह बाहर निकला शायद कोई जहाज़ उसका माल लेकर आए, उस की नज़र एक

लकड़ी पर पड़ी। उस ने ईंधन की ग़र्ज़ से उसे ले लिया, जब उसे फाड़ा तो उस में उसे अपनी रक़म और एक चिट्ठी मिली।

बाब 1520:– रास्ते में खजूर मिलनाः

हदीस 2263:– अनस ﷛ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ रास्ते में गिरी हुई खजूर से गुज़रे तो फ़रमायाः "मुझे अगर इसके सदक़ा होने का गुमान न होता तो मैं इसे खा लेता।" (दूसरी सनद) अबू हुरैरा ﷛ रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने फ़रमायाः "मैं अपने घर जाता हूं तो अपने बिस्तर पर गिरी हुई खजूर पाता हूं। उसे खाने को उठाता हूं लेकिन इस ख़दशा के पेशे नज़र कि शायद सदक़ा की हो उसे फेंक देता हूं।

बाब 1521:– अहले मक्का की गुमशुदा चीज़ का एलान कैसे हो?

ताऊस बहवाला इब्ने अब्बास ﷠ रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत करते हैं: "मक्का में गिरी पड़ी चीज़ वही उठाए जो उसका एलान करे।" ख़ालिद, इकरमा के हवाले से और वह इब्ने अब्बास से रसूलुल्लाह ﷺ की एक हदीस रिवायत करते हैं: "वहां (मक्का) की गिरी हुई चीज़ को उठाना उसी के लिये जाइज़ है जो उसे मुश्तहिर करे।" अहमद बिन सअद बयान करते हैं, हम से रौह ने बहवाला ज़करिया, अम्र बिन दीनार, इकरमा और इब्ने अब्बास हदीस बयान की, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "न वहां (मक्का) का दरख़्त काटा जाए, न शिकार भगाया जाए और न एलान करने की नियत के अलावा गिरी पड़ी चीज़ उठाई जाए और न वहां की घास काटी जाए। अब्बास ﷛ ने कहा या रसूलल्लाह! मगर इज़्ख़िर। फ़रमायाः "चलो इसकी इजाज़त है।"

हदीस 2264:– अबू हुरैरा ﷛ रिवायत करते हैं, जब अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह ﷺ के हाथों मक्का फ़तह कराया तो आप लोगों के दरमियान खड़े हुए, अल्लाह तआला की हम्द व सना बयान की। फिर फ़रमायाः "अल्लाह ने मक्का से हाथी को रोक दिया, अपने पैग़म्बर और मुसलमानों को उस पर क़ाबू दिया। मुझ से पहले किसी के लिये मक्का हलाल नहीं हुआ और मेरे लिये भी दिन की एक घड़ी हलाल किया गया और मेरे बाद किसी के लिये हलाल नहीं। पस न इसका शिकार भगाया जाए, न इसका कांटा उखेड़ा जाए, न वहां की गिरी पड़ी चीज़ उठाई जाए मगर यह कि एलान करना मतलूब हो। जिस का कोई आदमी वहां क़त्ल हो जाए तो उसे इख़्तियार है या तो वह ख़ूंबहा ले या फिर बदला।" अब्बास ﷛ बोले मगर इज़्ख़िर की रुख़सत दीजिये क्योंकि हम इसे अपनी क़ब्रों में बिछाते और छतों पर डालते हैं। आपने फ़रमायाः "अच्छा इज़्ख़िर काट सकते हो।" अहले यमन में से अबू शाह नामी शख़्स खड़ा हुआ और कहा या रसूलल्लाह! यह मुझे तहरीर कर दीजिये। आपने हुक्म दिया कि इसके लिये लिख दो। वलीद बिन मुस्लिम कहते हैं, मैंने औज़ाई से अबू शाह की बात के मुताल्लिक़ पूछा कि इसका क्या मतलब है? या रसूलल्लाह! मुझे लिख दीजिये। उन्होंने जवाब दिय, यह खुतबा जो आप से सुना था।

बाब 1522:– किसी का जानवर उसकी इजाज़त के बग़ैर न दूहा जाएः

हदीस 2265:–अब्दुल्लाह बिन उमर ﷠ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "कोई शख़्स किसी का जानवर उसकी इजाज़त के बग़ैर न दूहे। तुम में से किसी को यह पसन्द है कि कोई तुम्हारे गोदाम में आकर उसका कोठा तोड़े और ग़ल्ला उठा कर चलता बने। उनके जानवरों के थन उन के लिये खाने के ख़ज़ाने जमा करते हैं, लिहाज़ा कोई किसी का जानवर उसकी इजाज़त के बग़ैर न दूहे।"

बाब 1523:- जब गुमशुदा चीज़ का मालिक साल बाद आए तो उसे लौटा दे क्योंकि वह उसके पास अमानत थी:

हदीस 2266:- ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी ﷺ रिवायत करते हैं, किसी ने रसूलुल्लाह ﷺ से गिरी पड़ी चीज़ के मुताल्लिक़ पूछा। आपने फ़रमाया: "साल भर उसकी तशहीर करते रहो, फिर उसके बरतन, बंधन को पहचान लो और उसे ख़र्च कर लो। अगर उसका मालिक आ जाए तो उसे वापस कर दो।" लोगों ने पूछा गुमशुदा बकरी? फ़रमाया: "उसे पकड़ लो क्योंकि वह तुम्हारे लिये या तुम्हारे भाई के लिये या भेड़िये के लिये है।" लोगों ने पूछा या रसूलल्लाह! गुमशुदा ऊंट? आप नाराज़ हुए यहां तक कि आप के दोनों रुख़सारे मुबारक सुर्ख़ हो गए या यह कहा कि आप का चेहरए अनवर सुर्ख़ हो गया। फिर फ़रमाया: "तुम्हें ऊंट से क्या वास्ता? जबकि उसके साथ उसका मोज़ा और उसकी मशक होती है, यहां तक कि उसका मालिक उसे ढूंड लेता है।"

बाब 1524:- क्या गिरी पड़ी चीज़ इसलिये उठा ली जाए कि वह ख़राब न हो और ग़लत आदमी के हाथ न पहुंचे:

हदीस 2267:- सुवैद बिन ग़फ़ला रिवायत करते हैं, मैं सलमान बिन रबीआ और ज़ैद बिन ज़ौहान के हमराह जंग में शरीक था। मुझे एक कोड़ा मिला। किसी ने कहा इसे फेंक दो। मैंने कहा नहीं बल्कि इसका मालिक मिल जाएगा, वरना मैं फ़ायदा उठाऊंगा। जब हम वापस लौटे तो हज किया और मदीना मुनव्वरा गए तो मैंने उबय बिन कअब ﷺ से पूछा। उन्होंने कहा, मैंने नबी करीम ﷺ के ज़माने में एक थैली पाई जिस में सौ दीनार थे। मैं उसे रसूलुल्लाह ﷺ के पास ले आया। आपने फ़रमाया: "इसकी एक साल तक तशहीर करो।" चुनान्चे मैंने उसे साल भर मुश्तहिर किया, फिर आपके पास आया तो फ़रमाया: "इसे एक साल (और) मुश्तहिर करो।" मैंने मुश्तहिर किया। फिर हाज़िर हुआ तो फ़रमाया: "(मज़ीद) एक साल मुश्तहिर करो।" जब चौथी बार आप की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो फ़रमाया: "इसकी तादाद और इसका बंधन और बरतन याद रखो, अगर इसका मालिक आ गया तो बेहतर वरना इससे फायदा उठाओ।"

हदीस 2268:- शुअबा कहते हैं, इसके बाद मक्का में सलमा से मिला तो उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम कि उन्हों (सुवैद) ने तीन साल कहा था या एक साल?

बाब 1525:- जिस ने गुमशुदा चीज़ की ख़ूब तशहीर की, और हाकिम के सिपुर्द न की:

हदीस 2269:- ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी ﷺ रिवायत करते हैं, एक आराबी ने रसूलुल्लाह ﷺ से गिरी पड़ी चीज़ की बाबत पूछा। आपने फ़रमाया: "एक साल तक उसे मुशतहिर करो। अगर कोई उसके बरतन और बंधन की निशानी बताए तो बेहतर है वरना ख़र्च कर लो।" उस ने गुमशुदा ऊंट के मुताल्लिक़ पूछा तो आपके चेहरे का रंग बदल गया और फ़रमाया: "तुम्हें ऊंट से क्या? उसका अपना हौज़ और मोज़ा है, वह पानी के पास आता और दरख़्त (के पत्ते) चरता है। तुम उसे छोड़ दो यहां तक कि उसका मालिक उसे ढूंड ले। (उस ने) भूली भटकी बकरी के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया। फ़रमाया: "वह तुम्हारे, तुम्हारे भाई या भेड़िये के लिये है।"

बाब 1526:- चरवाहे से दूध लेना:

हदीस 2270:- अबू बकर ﷺ रिवायत करते हैं, मैं (मदीना की तरफ़ हिजरत के दौरान) जा

रहा था, एक चरवाहा देखा जो अपनी बकरियां हांक रहा था। मैंने उससे पूछा तुम किस के चरवाहे हो? उस ने कुरैश के किसी शख़्स का नाम लिया जिसे मैं पहचानता था। मैंने पूछा तुम्हारी बकरी में दूध है? बोला हां। मैंने कहा क्या तुम मेरे लिये दूध दोगे? उस ने कहा हां, चुनान्चे मैंने उसे दूहने को कहा। उस ने रेवड़ से एक बकरी पकड़ी, मैंने उसे थन गर्द व गुबार से साफ़ करने को कहा और अपने हाथ साफ़ करने को भी। उस ने ऐसा ही किया, अपना एक हाथ दूसरे पर रगड़ा और एक प्याला दूध निकाला। मैंने रसूलुल्लाह ﷺ के लिये एक छागल रखी हुई थी जिस का मुंह कपड़े से बन्द था। उससे मैंने दूध में पानी डाला यहां तक कि उसका निचला हिस्सा ठंडा हो गया। मैं आप के पास उसे लेकर गया और नोश करने को कहा। आपने उसे नोश फ़रमा लिया और मैं बहुत खुश हुआ।

अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है।

किताब फ़िल मज़ालिम वल-ग़ज़ब (ज़ुल्म और लूट खसोट)

बाब 1527:- इरशादे बारी तआला है: "अल्लाह को ज़ालिमों के ज़ुल्म से बेख़बर न जानो, उन्हें अल्लाह तआला सिर्फ़ उस दिन तक मोहलत दे रहा है जिस दिन उनकी आंखें पथरा जाएंगी और लोग नज़रें झुकाए दौड़ रहे होंगे।" "मुक्नेउ" और "मुक्मेहु" के एक ही मानी हैं। मुजाहिद कहते हैं "मुहतिईन" के मानी हैं टिकटिकी बांधने वाले और बाज़ कहते हैं तेज़ दौड़ने वाले, उनकी पल्कें नहीं झपकेंगी। उनके दिल अक़्ल से ख़ाली होंगे। "ज़वाउन" से मुराद वह ख़ाली जगह जिस में अक़्ल न हो और लोगों को उस दिन से डराइये जिस दिन अज़ाब आएगा, जिन लोगों ने ज़्यादती की वह कहेंगे ऐ हमारे रब! हमें थोड़ी सी देर की मोहलत दे, हम तेरी पुकार सुन लेंगे और रसूलों की पैरवी कर लेंगे। क्या तुम ने क़सम खा ली थी कि तुम्हें ज़वाल नहीं आएगा और तुम उन लोगों के घरों में रहे जिन्होंने अपनी जानों पर ज़ुल्म किया और तुम्हें मालूम हो गया कि हम ने उनके साथ क्या किया और हम ने तुम्हें उनकी मिसालें सुनाईं और वह बुरी चालें चल रहे हैं और अल्लाह के पास भी ख़ुफ़िया तदबीरें हैं अगर्चे उनकी चालों से पहाड़ सरक जाएं और यह गुमान न करना कि अल्लाह तआला अपने वादे की ख़िलाफ़ वर्ज़ी करेगा, बेशक अल्लाह तआला ग़ालिब और इन्तिक़ाम लेने वाला है।

बाब 1528:- ज़ुल्म का बदला:

हदीस 2271:- अबू सईद ख़ुदरी رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब अहले ईमान दोज़ख़ से निकल आएंगे तो जन्नत और दोज़ख़ के दरमियान एक पुल पर रोक दिये जाएंगे और उन ज़्यादतियों का बदला लिया जाएगा जो उन्होंने एक दूसरे पर रवा रखी थीं। जब वह पाक साफ़ हो जाएंगे तो उन्हें जन्नत में दाख़िल होने की इजाज़त मिल जाएगी। क़सम है उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़ए (कुदरत) में मुहम्मद (ﷺ) की जान है, हर एक जन्नत का मसकन दुन्या के मस्कन से बेहतर मालूम होगा।'

बाब 1529:- इरशादे ख़ुदावन्दी है: "आगाह रहो, ज़ालिमों पर अल्लाह की लअनत है।"

हदीस 2272:- सफ़्वान बिन मुहरिज़ माज़िनी رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मैं इब्ने उमर رضي الله عنهما के हमराह एक बार उनका हाथ थामे जा रहा था। एक शख़्स सामने आया और कहा: आपने सरगोशी के मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह ﷺ से क्या सुना है? आपने कहा मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते हुए सुना: "अल्लाह तआला बन्दए मोमिन को क़रीब बुलाएगा और उस पर पर्दा डाल कर उसे छुपा लेगा। फिर

फ़रमाएगाः तुझे फ़ुलां फ़ुलां गुनाह याद हैं? वह कहेगाः हां ऐ मेरे परवरदिगार! यहां तक कि उससे तमाम गुनाहों का एतेराफ़ करा लेगा तो वह मोमिन दिल में सोचेगा कि वह हलाक हो गया। अल्लाह तआला फ़रमाएगाः मैंने दुन्या में तेरे गुनाहों को छुपाया और आज बख़्शता हूं। फिर नेकियों का परवाना उसे दिया जाएगा। लेकिन जो काफ़िर और मुनाफ़िक़ हैं तो उनके मुतअल्लिक़ गवाह कहेंगे कि यही वह लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार को झुटलाया और आगाह रहो ज़ालिमों पर अल्लाह की लअनत है।"

बाब 1530:– कोई मुसलमान न किसी पर ज़ुल्म करे और न ज़ुल्म होने दे:

हदीस 2273:– अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, न तो उस पर ज़ुल्म करे और न उसे ज़ालिम के हवाले करे। जो शख़्स अपने भाई की हाजत रवाई में रहता है तो अल्लाह तआला उसकी ज़रूरियात पूरी करता है। जो शख़्स किसी मुसलमान से मुसीबत दूर करे तो अल्लाह तआला क़यामत के दिन उसकी मुसीबतें दूर करेगा, जिसने किसी मुसलमान की पर्दा पोशी की तो अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐब छुपाएगा।"

बाब 1531:– अपने भाई की मदद करो ख़्वाह ज़ालिम हो या मज़लूम:

हदीस 2274:– अनस ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "अपने मुसलमान भाई की मदद करो ख़्वाह ज़ालिम हो या मज़लूम।"

हदीस 2275:– अनस ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "अपने ज़ालिम या मज़लूम भाई की मदद करो।" लोगों ने कहा या रसूलल्लाह! मज़लूम की मदद का मफ़हूम तो वाज़ेह है लेकिन ज़ालिम की मदद का क्या मतलब? फ़रमायाः "उसका हाथ पकड़ लो।" (ज़ुल्म से बाज़ रखो)

फ़ायदा:– हदीस 2273 से 2277 तक पांचों ऐसी हैं कि अगर आज भी हम इन पर अमल पैरा हो जाएं तो मुआशरे में हर तरफ़ ही सुकून व इत्मिनान की हवाएं चलने लगें। हर फ़र्द सुकून का सांस लेने लगे और दुन्या में ही जन्नत की बहारें महसूस होने लगें। किसी पर ज़ुल्म न करना, किसी को ज़ालिम के हवाले न करना, अपने मुसलमान भाइयों की हाजत बरारी में मशग़ूल रहना, मुसलमान भाई से मुसीबत को दूर करना, मुसलमान की ऐब पोशी करना, मज़लूम की मदद करना, ज़ालिम को ज़ुल्म से रोकना, मुसलमान भाई की बीमार पुर्सी करना, जुम्ला अहले इस्लाम को एक ही घर के अफ़राद की तरह समझ कर सब का ख़ैर ख़्वाह बन कर रहना, इन में से कौन सी बात है जो हमारे अन्दर पाई जाती है? जब हम उखुव्वत व मुहब्बत के सारे असबाक़ ही भुला बैठे तो आख़िर हमारा मुआशरा ज़ुल्म व जूर, लूट खसोट, अफ़रा तफ़री और नफ़रत व कदूरत की भट्टी न होता तो और क्या होता? ख़ुदाए ज़ुल मनन हमें इस्लामी तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ मरहम फ़रमाए। आमीन।

बाब 1532:– मज़लूम की मदद:

हदीस 2276:– बरा बिन आज़िब ﷺ रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने हमें सात बातों का हुक्म दिया और सात बातों से रोका है। फिर उन्होंने मरीज़ की अयादत करने, जनाज़े के साथ जाने, छींकने वाले को जवाब देने, सलाम का जवाब देने, मज़लूम की मदद करने, दावत को क़ुबूल करने और क़सम निभाने का ज़िक्र किया।

हदीस 2277:– अबू मूसा अशअरी ﷺ रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने फ़रमायाः एक मुसलमान दूसरे के लिये इमारत की मानिन्द है कि एक दूसरे के लिये बाइसे तक़्वियत होता है और

अपनी उंगलियों को मिला कर बतलाया।

बाब 1533:- ज़ालिम से बदला लेना:

जैसा कि इरशादे ख़ुदावन्दी है: "अल्लाह तआला फ़ुहश बात को पसन्द नहीं करता मगर वह कि जिस पर ज़ुल्म ढाया गया हो। अल्लाह तआला सुनने जानने वाला है, जब उन पर ज़ुल्म होता है तो बदला ले लेते हैं।" इब्राहीम का कहना कि सहाबा ज़लील होने को नापसन्द करते और जब उन्हें क़ुदरत हासिल होती तो माफ़ी दे देते थे।

बाब 1534:- मज़लूम का माफ़ कर देना:

जैसा कि इरशादे ख़ुदावन्दी है: तुम एलानिया नेकी करो या पोशीदा, या बुराई से दरगुज़र करो बेशक अल्लाह तआला दरगुज़र करने वाला और क़ुदरत वाला है और बुराई का बदला बस बुराई है, जिस ने माफ़ किया और एहसान किया तो उसका अज्र अल्लाह के ज़िम्मे है। बेशक अल्लाह तआला ज़ालिमों को पसन्द नहीं करता, जिस शख़्स ने ज़ुल्म का बदला लिया तो उस पर कोई मलामत नहीं। मलामत तो उन पर है जो लोगों पर ज़ुल्म करते हैं और ज़मीन पर बग़ावत करते हैं, ऐसे लोगों के लिये दर्दनाक अज़ाब है अल्बत्ता जो शख़्स सब्र करे और माफ़ कर दे तो यह अज़ीमुश्शान काम है और आप ज़ालिमों को देखेंगे कि जब उन्हें अज़ाब नज़र आएगा तो कहेंगे क्या वापसी की कोई सबील है?"

बाब 1535:- ज़ुल्म क़यामत में तारीकी की सूरत में होगा:

हदीस 2278:- अब्दुल्लाह बिन उमर رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "ज़ुल्म, क़यामत के दिन सख़्त तारीकी की रूप में होगा।"

बाब 1536:- मज़लूम की बद-दुआ से बचना और डरना:

हदीस 2279:- इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने मुआज़ बिन जबल رضی اللہ عنہ को यमन की तरफ़ भेजा तो फ़रमाया: "मज़लूम की बद-दुआ से डरो क्योंकि उसकी बद-दुआ और अल्लाह तआला के दरमियान कोई हिजाब नहीं होता।"

बाब 1537:- जिस ने किसी पर ज़्यादती की और मज़लूम उसे माफ़ कर दे तो क्या उस ज़ुल्म को बयान करना ज़रूरी है:

हदीस 2280:- अबू हुरैरा رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस ने किसी की इज़्ज़त या माल पर ज़्यादती की हो वह आज ही माफ़ी मांग ले क़ब्ल इसके कि वह दिन आए जब न दीनार होंगे और न दिरहम, अगर अच्छे आमाल होंगे तो उस ज़ुल्म के इवज़ काट लिये जाएंगे और अगर नेकियां न होंगी तो मज़लूम के गुनाह उसके खाते में डाल दिये जाएंगे।"

बाब 1538:- जब कोई शख़्स किसी का ज़ुल्म माफ़ कर दे तो रुजूअ नहीं कर सकता:

हदीस 2281:- सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا रिवायत करती हैं, आयत: "اِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا" (और अगर कोई औरत अपने ख़ाविन्द के डर या बेतवज्जुही से ख़ैफ़ ज़दा हो) की तशरीह यूं की है, किसी की औरत हो और वह उसके पास ज़्यादा आना जाना नहीं रखता और उसे छोड़ देना चाहे तो औरत कहती है, मैंने तुझे अपना हक़ माफ़ कर दिया। यह आयत इसी मौक़ा पर नाज़िल हुई।

बाब 1539:- अगर कोई किसी को इजाज़त दे या माफ़ी दे और यह वाज़ेह न करे कि कितनी इजाज़त या माफ़ी दी:

हदीस 2282:- सहल बिन सअद साइदी ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में मशरूब पेश किया गया, आपने उसको नोश फ़रमा लिया। आपके दाहिनी जानिब एक लड़का था और बाएं तरफ़ बड़ी उम्र के लोग थे। आपने उस बच्चे से कहा: "क्या तुम इजाज़त देते हो कि मैं इन लोगों को दे दूं?" लड़के ने कहा नहीं ऐ अल्लाह के रसूल! ख़ुदा की क़सम! (आप के पस ख़ोरदा से) अपने हिस्से में किसी को तरजीह नहीं दे सकता। रावी कहते हैं आपने वह प्याला उसी को दे दिया।

बाब 1540:- जुल्मन ज़मीन हथियाने वाले का गुनाह:

हदीस 2283:- सईद बिन ज़ैद ﷺ रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते सुना: "जिसने ज़ुल्मन किसी की ज़मीन पर क़ब्ज़ा कर लिया उसे सात ज़मीनों का तौक़ पहनाया जाएगा।"

हदीस 2284:- अबू सलमा ﷺ रिवायत करते हैं, मेरे और कुछ लोगों के दरमियान झगड़ा था। उन्होंने सय्यदा आयशा ﷺ को बताया तो उन्होंने फ़रमाया: ऐ अबू सलमा! ज़मीन से बचो, क्योंकि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस ने एक बालिश्त भर किसी की ज़मीन हथियाई तो उसे सात ज़मीनों का तौक़ पहनाया जाएगा।

हदीस 2285:- सालिम ﷺ अपने वालिद (अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ) से रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "जिस ने किसी की ज़मीन पर नाजाइज़ क़ब्ज़ा किया, उसे क़यामत में सात ज़मीनों तक धंसाया जाएगा।

बाब 1541:- जब कोई किसी चीज़ की इजाज़त दे तो जाइज़ है:

हदीस 2286:- जब्ला रिवायत करते हैं, हम मदीना में इराक़ वालों के साथ थे। हम लोग क़हत में मुब्तला हुए। इब्ने ज़ुबैर ﷺ हमें खजूर खिलाते थे। इब्ने उमर ﷺ हमारे पास से गुज़रते तो कहते रसूलुल्लाह ﷺ ने दो खजूरें मिला कर खाने से रोका है मगर जबकि कोई अपने (मुसलमान) भाई को इसकी इजाज़त दे।

हदीस 2287:- अबू मसऊद ﷺ रिवायत करते हैं, अबू शुऐब अन्सारी के पास एक ग़ुलाम था जो गोश्त बेचता था। अबू शुऐब ने उससे कहा पांच आदमियों का खाना तय्यार करो ताकि मैं रसूलुल्लाह ﷺ की दावत कर सकूं और आप समेत पांच आदमी होंगे। उन्होंने नबी करीम ﷺ के चेहरे पर भूक के आसार देखे थे इसलिये उन्होंने आप को बुलाया था लेकिन एक और आदमी भी साथ हो लिया जो मदऊ नहीं था। नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "यह मेरे साथ चला आया क्या तुम इसे इजाज़त देते हो?" उन्होंने कहा हां।

बाब 1642:- इरशादे ख़ुदावन्दी कि: "वह सख़्त झगड़ालू है।"

हदीस 2288:- सय्यदा आयशा ﷺ रिवायत करती हैं, नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह तआला को वह शख़्स सबसे ज़्यादा नापसन्द है जो बहुत झगड़ालू है।"

बाब 1543:- वह जो नाजाइज़ अमदन झगड़े:

हदीस 2280:- ज़ौजए मुतहहरा सय्यदा उम्मे सलमा ﷺ करती हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने अपने घर के दरवाज़े पर झगड़ने की आवाज़ सुनी। आप बाहर तशरीफ़ लाए और फ़रमाया: "मैं भी आख़िर इन्सान हूं, मेरे पास कई लोग मुक़द्दमात लेकर आते हैं और बाज़ उन में बहुत ही चर्ब ज़बान होते हैं। मैं सोचता हूं कि वही सच्चा है चुनान्चे मैं उसके हक़ में फ़ैसला कर देता हूं। अगर मैं किसी एक के हक़

में फ़ैसला कर दूं (और वह हक़ पर न हो) तो उसके लिये वह आग का टुकड़ा है, अगर पसन्द करे तो लेले वरना छोड़ दे।"

बाब 1544:- झगड़ते वक़्त बदकलामी करना:

हदीस 2290:- अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अलआस رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस में यह चार ख़सलतें हों वह मुनाफ़िक़ है या जिस में चारों में से कोई एक ख़सलत हो तो उस में निफ़ाक़ का उतना ही हिस्सा है, यहां तक कि उसे छोड़ दे। जब बोले तो झूट कहे, वादा करे तो ख़िलाफ़ वर्ज़ी करे, जब मुआहिदा करे तो धोका दे और जब झगड़े तो गालियां बके।"

बाब 1545:- अगर मज़लूम को ज़ालिम का माल मिल जाए तो उसे ले सकता है:

इब्ने सीरीन कहते हैं कि अपने हक़ के मुताबिक़ ले सकता है और यह आयत तिलावत की: "अगर तुम तकलीफ़ पहुंचाओ तो उतनी ही जितनी तुम्हें पहुंची।"

हदीस 2291:- सय्यदा आयशा رضی اللہ عنہا रिवायत करती हैं, हिन्द बिन्ते उतबा बिन रबीआ आई और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! अबू सुफ़यान एक बख़ील आदमी हैं, अगर मैं उनका माल लेकर बच्चों को खिलाऊं तो इस में कोई मुज़ायक़ा तो नहीं? आपने फ़रमाया: "अगर उन्हें दस्तूर के मुताबिक़ खिलाओ तो कोई हर्ज नहीं।"

हदीस 2292:- उक़बा बिन आमिर رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, हम ने नबी करीम ﷺ से अर्ज़ किया आप हमें कहीं भेजते हैं और जहां हम क़याम करते हैं वहां के लोग मेहमानदारी नहीं करते। इसके मुताल्लिक़ आप का क्या हुक्म है? आपने फ़रमाया: "अगर तुम किसी के हां क़याम करो और वह मुनासिब तरीक़े से अपने फ़राइज़े मेज़बानी सरअंजाम दें तो बेहतर वरना उन से अपना मेहमानी का हक़ वुसूल करो।"

बाब 1546:- सायबान के नीचे बैठना:

नबी करीम ﷺ और आप के असहाब सक़ीफ़ा बनी साइदा में बैठे।

हदीस 2293:- इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہما रिवायत करते हैं, उन्हें इब्ने उमर رضی اللہ عنہما ने बताया: जब अल्लाह तआला ने अपने रसूल ﷺ को उठा लिया तो अन्सार सक़ीफ़ा बनी साइदा में मिल बैठे। मैंने हज़रत अबू बकर رضی اللہ عنہ से कहा, हमारे साथ चलिये चुनान्चे हम उनके साथ बनी साइदा के सायबान में गए।

बाब 1547:- कोई भी अपने हमसाए को अपनी दीवार में खूंटी गाड़ने से न रोके:

हदीस 2294:- अबू हुरैरा رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "कोई अपने हमसाए को दीवार में खूंटी गाड़नेस से न रोके।" हज़रत अबू हुरैरा कहा करते थे, क्या वजह है मैं तुम्हें इस हदीस से मुन्हरिफ़ पाता हूं, लिहाज़ा ख़ुदा की क़सम! मैं तुम्हें यह हदीस बराबर सुनाता रहूंगा।

बाब 1548:- रास्ते में शराब बहाना:

हदीस 2295:- अनस رضی اللہ عنہ रिवायत करते हैं, मैं अबू तल्हा رضی اللہ عنہ के मकान पर लोगों को शराब पिला रहा था और उस ज़माने में लोग खजूर की शराब पीते थे। रसूलुल्लाह ﷺ ने एक शख़्स को फ़रमाया जाकर एलान कर दो "शराब हराम क़रार दे दी गई है।" अनस कहते हैं, मुझे अबू तल्हा ने कहा, बाहर जाकर यह शराब बहा दो, चुनान्चे मैंने बाहर निकल कर शराब बहा दी। उस दिन मदीना की गलियों में शराब (ही शराब) बह रही थी। बाज़ लोगों ने समझा कि एक (पूरी) क़ौम क़त्ल कर दी

गई है जिसके पेट में शराब थी। इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फ़रमाई: "वह लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किये, उन पर जो कुछ खा चुके कोई मलामत नहीं।"

बाब 1549:- घरों के सहन और रास्ते में बैठना:

सय्यदा आयशा رضي الله عنها बयान करती हैं, अबू बकर رضي الله عنه ने अपने घर के सहन में मस्जिद बनाई, जहां वह नमाज़ पढ़ते और कुरआने मजीद की तिलावत किया करते थे। मुशिरकों की औरतें और बच्चे उनके पास आ जाते और (देख) सुनकर खुश होते। रसूलुल्लाह ﷺ उन दिनों मक्का मुकर्रमा में रिहाइश पज़ीर थे।

हदीस 2296:- अबू सईद खुदरी رضي الله عنه रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "तुम रास्तों में बैठने से बचा करो।" लोगों ने कहा हमारे लिये इसके अलावा कोई चारए कार नहीं क्योंकि हम वहीं बैठते और बात चीत करते हैं। आपने फ़रमाया: "अगर वहां बैठना नागुज़ीर है तो रास्ते का हक़ अदा करो।" लोगों ने पूछा रास्ते के क्या हुकूक़ हैं? फ़रमाया: "नज़र नीची रखना, तकलीफ़ देने से परहेज़ करना, सलाम का जवाब देना, अच्छी बातों का हुक्म देना और बुरी बातों से रोकना।"

बाब 1550:- रास्ते में कुंवां खोदना जबकि उससे किसी को तकलीफ़ न हो:

हदीस 2297:- अबू हुरैरा رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "एक दफ़ा कोई शख़्स रास्ते में जा रहा था। उसे सख़्त प्यास लगी, उस ने एक कुंवां देखा, उस में उतर कर पानी पिया और बाहर निकला तो एक कुत्ते को हांपते देखा जो प्यास के मारे कीचड़ चाट रहा था। उस ने दिल में सोचा कि इसे भी वैसी ही प्यास लगी है जिस तरह मुझे लगी हुई थी। चुनान्चे वह कुंएं में उतरा, अपना मोज़ा पानी से भरा और कुत्ते को पिलाया। अल्लाह तआला ने उसके काम की क़दर की और उसे बख़्श दिया।" लोगों ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! क्या जानवरों में भी हमें सवाब मिलता है? फ़रमाया: "हर तर जिगर रखने वाले (जानदार) में सवाब है।"

फ़ायदा:- इन्सान को चाहिये कि हर वक़्त नेकी करने में कोशां रहे क्योंकि क्या मालूम खुदा को कौन सी नेकी पसन्द आ जाए और उसके बाइस बेड़ा पार हो जाए। नीज़ हत्तल इम्कान दूसरों पर तरस खाए, मजबूरों के काम आए। बेकस लोगों को सहारा दे और मुसीबत में फंसे हुए अफ़राद को मुसीबत से निकालने की कोशिश करता रहे ताकि मजबूरी, बेकसी और मुसीबत में खुदा उसके काम आए और उसके लिये मददगार खड़े करदे। ख़ास तौर पर क़ब्र और हश्र की मजबूरी व बेकसी को मद्दे नज़र रखते हुए अपने लिये सहारा पैदा करे और उसकी सबसे बेहतरीन सूरत यही है कि आज खुदा के मजबूर और बेकस बन्दों के काम आए और उनके दुख दूर करने में कोशां रहे।

जिस को ग़मे जहां में भी याद रहे ग़मे बेकसां
मेरी तरफ़ से हमनशीं जाके उसे सलाम दे

बाब 1551:- रास्ते से तकलीफ़ देह चीज़ें हटाना:

हम्माम, अबू हुरैरा رضي الله عنه से और वह रसूलुल्लाह ﷺ से नक़्ल करते हैं: रास्ते से तकलीफ़ देह चीज़ों का हटा देना यह भी (एक तरह का) सदक़ा है।

बाब 1552:- बाला ख़ानों में ऊंचे और नीचे झरोके और रौशनदान रखना:

हदीस 2298:- उसामा बिन ज़ैद رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, एक बार रसूलुल्लाह ﷺ मदीना के एक टीले पर चढ़े, फिर फ़रमाया: "क्या तुम (भी) देख रहे हो जो मैं देखता हूं? मैं तुम्हारे घरों में

फ़ितने पानी की तरह बरसते हुए देख रहा हूं।

हदीस 2299:- अब्दुल्लाह बिन अब्बास رضي الله عنه रिवायत करते हैं, मेरी यह ख़्वाहिश रही कि हज़रत उमर رضي الله عنه से उन दो अज़्वाजे रसूल के बारे में पूछूं जिन के मुताल्लिक़ इरशादे खुदावन्दी है: "अगर तुम दोनों रुजूअ करलो (तो बेहतर है) तुम्हारे दिलों में कजी पैदा हो गई।" मैं उनके साथ हज पर गया, वह रास्ते से हट गए तो मैं भी छागल लेकर उनके साथ मुड़ा। वह रफ़ए हाजत को गए, वापस आए तो मैंने छागल से उनके हाथों पर पानी डाला और उन्होंने वुज़ू किया। (इसी दौरान) मैंने पूछा ऐ अमीरुल मोमिनीन! रसूलुल्लाह ﷺ की बीवियों में से वह दो कौन थीं जिनके मुताल्लिक़ आयत: "إِنْ تَتُوبَا" नाज़िल हुई? उन्होंने जवाब दिया ऐ इब्ने अब्बास! तुम पर हैरत है (तुम्हें मालूम नहीं) वह आयशा और हफ़्सा हैं। फिर हज़रत उमर मुतवज्जह हुए और हदीस बयान करते हुए फ़रमाया: मैं और मेरा अन्सारी पड़ोसी बनी उमय्या बिन ज़ैद के मुहल्ले में रहते थे, जो मदीना के हवाली था और हम दोनों बारी बारी रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में आते थे। एक दिन वह और एक दिन मैं हाज़िर होता। जब मैं जाता तो पूरी सूरते हाल से उस अन्सारी को आगाह करता और जब वह जाता तो वह मुझे आकर बताता। हम कुरैशी लोग औरतों पर ग़ालिब रहते थे, जब हम अन्सार के पास आए तो देखा कि उनकी औरतें उन पर ग़ालिब रहती थीं। हमारी औरतों ने भी उनकी औरतों के अतवार अपनाने शुरू कर दिये। मैंने अपनी बीवी को एक बार डांटा तो उस ने भी बुलन्द आवाज़ से ज़वाब दिया। उसका यह अंदाज़ मुझे नागवार गुज़रा। वह बोली मेरा जवाब तुम्हें नागवार क्यों गुज़रा? हालांकि खुदा की क़सम! नबी करीम ﷺ की बीवियां आप को भी जवाब देती हैं और उन में से एक तो आप से रात भर जुदा रहती है। मैं यह सुन कर घबरा गया और कहा कि जिस ने भी यह किया उस ने बहुत नुक़सान उठाया। मैं कपड़े बदल कर हफ़्सा के पास आया और कहा ऐ हफ़्सा! क्या तुम में से कोई रसूलुल्लाह ﷺ को रात भर नाराज़ रखती है? कहा हां। मैंने कहा, तुम घाटे में रही और तबाह हो गई हो। क्या तुम्हें इसका डर नहीं कि जिससे रसूलुल्लाह ﷺ नाराज़ हों, अल्लाह तआला उससे नाराज़ होता है और तुम हलाक हो जाओ गी। आप से ज़्यादा गुफ़्तगू और जवाब देने से बचो और आप से जुदा होने से बचो और जो भी ज़रूरत हो मुझे कह दिया करो और हां तुम्हें यह ज़ुअम भी नहीं होना चाहिये क्योंकि पड़ोसन तुम से ज़्यादा ख़ूबसूरत और आप को ज़्यादा प्यारी है, मुराद इससे आयशा थीं। उस ज़माने में इसका आम चर्चा था कि ग़स्सान के लोग हम से जंग के लिये घोड़ों की नअल बन्दी में मसरूफ़ हैं। मेरे साथी अपनी बारी के दिन रसूलुल्लाह ﷺ के पास गए, इशा के वक़्त वापस लौटे। दरवाज़े पर ज़ोर से दस्तक दी और कहा, उमर सो रहे हो? मैं सटपटा कर बाहर निकल आया, बोले बहुत बड़ा हादिसा हो गया। मैंने पूछा, ग़स्सानी चढ़ दौड़े? कहा नहीं बल्कि उससे भी बड़ा हादिसा रूनुमा हुआ है क्योंकि रसूलुल्लाह ﷺ ने अपनी बीवियों को तलाक़ दे दी है। मैंने बोला हफ़्सा तू घाटे में रह गई, मुझे पहले से डर था कि ऐसा होकर रहेगा। मैंने कपड़े पहने और फ़ज्र की नमाज़ नबी करीम ﷺ के साथ जाकर अदा की। आप अपने बाला ख़ाने में तशरीफ़ ले गए और वहां अकेले रहते। मैं हफ़्सा के पास गया, वह रो रही थी। मैं ने पूछा, क्यों रो रही हो? क्या मैंने तुम्हें पहले ख़बरदार नहीं किया था? क्या आपने तुम्हें तलाक़ दे दी? कहा, मैं नहीं जानती, आप बाला ख़ाने में हैं। मैं बाहर निकल कर मिंबर के पास आया, लोग मिंबर के आस पास बैठे हुए थे और बाज़ रो रहे थे। मैं थोड़ी देर उनके पास बैठा, फिर मुझ पर अफ़सोस ने

ग़लबा पाया तो मैं उस बाला ख़ाने के क़रीब आया जहां आप तशरीफ़ फ़रमा थे। मैंने आप के एक हबशी ग़ुलाम से कहा उमर के लिये (ज़ियारत की) इजाज़त मांगो। वह ग़ुलाम अन्दर गया और नबी रसूलुल्लाह ﷺ से तबादलए ख़्याल किया, बाहर आकर उस ने कहा, मैंने आप से तुम्हारा ज़िक्र किया मगर आप ख़ामोश रहे, चुनान्चे मैं लौट आया और उस भीड़ में जा बैठा जो मिम्बर के पास बैठे थे। फिर ज़हनी अज़ियत ग़ालिब आ गई, उठ कर ग़ुलाम के पास आया और कहा, उमर के लिये इजाज़त तलब करो, उस ने वही किया और कहा। मैं फिर उस गिरोह में आ बैठा। फिर रंज ने ग़लबा पाया तो उठा और हबशी ग़ुलाम के पास गया और कहा उमर के लिये इजाज़त मांगो, फिर उस ने पहले की तरह बयान किया। जब मैं घर आने के लिये पलटा तो यकायक ग़ुलाम ने बुलाया और कहा आप को रसूलुल्लाह ﷺ ने (मिलने की) इजाज़त दे दी है। मैं आप की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो देखा कि आप बोरिये पर लेटे हुए हैं और आप के जिस्म और बोरिये के दरमियान कोई बिस्तर न था। बोरिये के निशान आप के जिस्मे अतहर पर ज़ाहिर थे और एक तकिया भी रखा हुआ था जिस में खजूर की छाल भरी हुई थी। मैंने सलाम अर्ज़ किया और फिर खड़े खड़े पूछा क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक़ दे दी है? आपने नज़र मेरी तरफ़ उठाई और फ़रमाया: नहीं। फिर मैंने खड़े खड़े (आप का) दिल बहलाने की ख़ातिर कहा, या रसूलुल्लाह! देखिये हम क़ुरैशी लोग औरतों पर ग़ालिब रहते थे, फिर जब हम ऐसे लोगों के पास आए जिन पर उनकी औरतें ग़ालिब रहती हैं, फिर सारा माजरा कह सुनाया, तो नबी करीम ﷺ मुस्कुरा दिये। फिर मैंने आप से कहा, काश! आप देखते कि मैं हफ़सा के पास गया और उससे कहा तुम्हें मालूम होना चाहिये कि तुम्हारी पड़ोसन यानी आयशा तुम से ख़ूबसूरत है और आप को ज़्यादा अज़ीज़ है, आप फिर मुस्कुरा दिये। मैंने जब आप को मुस्कुराते देखा तो मैं बैठ गया। मैंने आपके घर का बग़ौर जाइज़ा लिया तो ख़ुदा की क़सम! सिवाए तीन कच्ची खालों के कुछ नज़र न आया। मैंने अर्ज़ किया आप दुआ कीजिये ख़ुदा तआला आप की उम्मत पर वुस्अत करे क्योंकि अहले फ़ारस व रोम को ख़ूब ख़ुशहाली हासिल है और उन्हें दुन्या दी गई है हालांकि वह अल्लाह की बन्दगी नहीं करते। उस वक़्त आप तकिया लगाए हुए थे, आपने फ़रमाया: "ऐ ख़त्ताब के बेटे! क्या तुम्हें इस में शक है कि उन्हें उनकी नेकियों की जज़ा इसी दुन्या में दे दी गई है।" मैंने अर्ज़ किया मेरे लिये बख़्शिश की दुआ फ़रमाइये। (दरअस्ल) नबी करीम ﷺ उस राज़ की वजह से अपनी अज़्वाज से अलग हो गए थे जो हफ़सा ने आयशा पर आश्कार कर दिया था और आपने फ़रमाया मैं (कामिल) एक माह अपनी अज़्वाज के पास नहीं जाऊंगा क्योंकि आप बहुत रंजीदा थे। जब अल्लाह तआला ने आप को मुतनब्बेह किया उस वक़्त उन्तीस दिन बीत चुके थे। आप सबसे पहले आयशा के पास गए, आयशा ने आप से कहा कि आपने तो एक माह हमारे पास न आने की क़सम खाई थी और अभी तो उन्तीस रातें ही गुज़री हैं जिन्हें मैं गिन रही हूं। आपने फ़रमाया: महीना उन्तीस दिन का भी होता है और वह महीना (वाक़ई) 29 दिन का था। सय्यदा आयशा बयान करती हैं जब आयते तख़्यीर नाज़िल हुई तो सबसे पहले आपने मुझ से पूछा: "मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, ज़रूरी नहीं कि तुम मुझे फ़ौरन जवाब दो बल्कि तुम अपने वालिदैन से मशवरा कर लो।" सय्यदा आयशा कहती हैं आप को यक़ीन था कि मेरे वालिदैन मुझे अलाहिदगी का मशवरा नहीं देंगे। फिर आपने आयत: "يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِلٰى قَوْلِهٖ عَظِيْمًا" तक तिलावत की। मैंने अर्ज़ किया मैं इस बाब में वालिदैन से क्या मशवरा लूंगी, मैं तो

अल्लाह तआला, उसके रसूल और आख़िरत को महबूब रखती हूँ। फिर आपने तमाम औरतों को यही इख़्तियार दिया और उन सब ने वही जवाब दिया जो हज़रत आयशा ने दिया था।

हदीस 2300:- अनस ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने एक माह अपनी अज़्वाज के पास न जाने की क़सम खाई। (इसी अर्सा में) आप के पांव में मोच आ गई, इसलिये आप बाला ख़ाने में चले गए। हज़रत उमर ؓ हाज़िर हुए और पूछा क्या आपने अपनी अज़्वाजे मुतह्हरात को तलाक़ दे दी है? फ़रमाया नहीं, बल्कि एक माह के लिये "ईला" किया है, चुनान्चे उन्तीस दिन आप ठहरे रहे फिर उतरे और अपनी अज़्वाज के पास तशरीफ़ ले गए।

बाब 1553:- जो शख़्स अपना ऊंट बलात (मस्जिद के दरवाज़े पर बिछे हुए पत्थर) या मस्जिद के दरवाज़े पर बांध दे:

हदीस 2301:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ मस्जिद में दाख़िल हुए, तो मैं आपके पास गया और ऊंट को बलात के कोने में बांध दिया। मैंने अर्ज़ किया यह आप का ऊंट है, आप बाहर तशरीफ़ लाए और ऊंट के पास घूमने लगे और फ़रमाया: "क़ीमत और ऊंट दोनों तुम्हारे हैं।"

बाब 1554:- किसी क़ौम की कूड़ी के पास ठहरना और पेशाब करना:

हदीस 2302:- हुज़ैफ़ा ؓ रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को देखा या कहा रसूलुल्लाह ﷺ एक क़ौम की कूड़ी पर आए और खड़े होकर पेशाब किया।

बाब 1555:- जो कोई कांटों की डाली और दीगर तकलीफ़ देह चीज़ों को रास्ते से हटा दे:

हदीस 2303:- अबू हुरैरा ؓ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "एक शख़्स रास्ते पर जा रहा था, उस ने कांटों भरी शाख़ देखी तो उस ने उसे उठा लिया। अल्लाह तआला ने उसकी क़द्र अफ़्ज़ाई की और उसे बख़्श दिया।

बाब 1556:- अगर आम रास्ते में इख़्तिलाफ़ पैदा हो जाए और उसके मालिक वहां इमारत बनाना चाहें तो रास्ते के लिये सात गज़ छोड़ें:

हदीस 2304:- अबू हुरैरा ؓ रिवायत करते हैं, जब लोगों ने आम रास्ते के बारे में इख़्तिलाफ़ किया तो रसूलुल्लाह ﷺ ने सात गज़ (ज़मीन) छोड़ देने का हुक्म जारी फ़रमाया।

बाब 1557:- मालिक की इजाज़त के बग़ैर लूटना:

उबादा ؓ कहते हैं हम ने नबी करीम ﷺ से इस अम्र पर बैअत की थी कि हम लूट मार नहीं करेंगे।

हदीस 2305:- अदी बिन साबित के नाना अब्दुल्लाह बिन यज़ीद अन्सारी ؓ रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने लूट मार करने और मुस्ला करने से मना फ़रमाया।

हदीस 2306:- अबू हुरैरा ؓ रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "कोई ज़ानी मोमिन होते हुए ज़िना नहीं करता और मोमिन होते हुए शराब नहीं पीता, न कोई मोमिन होते हुए चोरी करता है और न ही कोई मोमिन होते हुए इस तरह लूट मार मचाता है कि लोग उसकी तरफ़ नज़रें उठा कर देख रहे हों।

बाब 1558:- सलीब तोड़ना और सुवर मारना:

हदीस 2307:- अबू हुरैरा رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "उस वक़्त तक क़ियामत क़ायम न होगी जब तक इब्ने मरयम एक मुन्सिफ़ हुक्मरान के तौर पर नुज़ूल न करेंगे। वह सलीब को तोड़ेंगे, सुवर को क़त्ल कर डालेंगे और जिज़्या माफ़ कर देंगे। माल व दौलत की इस क़दर रेल पेल होगी कि कोई लेने वाला न मिलेगा।

बाब 1559:- क्या शराब के मटके तोड़ दिये जाएं, मशक फाड़ दी जाए:

और अगर कोई शख़्स किसी बुत, सलीब, तंबूरा या किसी भी बे-फ़ायदा लकड़ी की चीज़ को तोड़ डाले तो? क़ाज़ी शुरैह के पास तंबूरा तोड़ने का एक मुक़द्दमा पेश हुआ था, उन्होंने (तावान या हरजाने का) कोई हुक्म न दिया।

हदीस 2308:- सलमा बिन अक्वअ رضي الله عنه रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने ख़ैबर के दिन आग देखी। आपने पूछा कि यह क्यों जल रही है? बताया गया कि पालतू गधों का गोश्त पक रहा है। फ़रमाया: "हांडियां तोड़ दो और गोश्त फेंक दो।" लोगों ने कहा हम हांडियां धो लें और गोश्त फेंक दें। फ़रमाया: "ठीक है धो लो।"

हदीस 2309:- अब्दुल्लाह बिन मसऊद رضي الله عنه रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ मक्का में दाख़िल हुए, उस वक़्त ख़ाना काबा के चारों तरफ़ तीन सौ साठ (360) बुत रखे हुए थे। आपके हाथ में एक लकड़ी थी जिस से आप बुतों को गिराते जाते और यह आयत पढ़ते जाते थे: جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ यानी हक़ आया और बातिल भाग गया।

हदीस 2310:- सय्यदा आयशा رضي الله عنها रिवायत करती हैं, उन्होंने अपने हुजरे के सायबान पर एक तस्वीरदार पर्दा लटका लिया, नबी करीम ﷺ ने उसे फाड़ डाला। सय्यदा आयशा ने उसके दो गद्दे बना लिये और वह दोनों गद्दे घर पर थे जिस पर रसूलुल्लाह ﷺ की नशिस्त होती थी।

बाब 1560:- जो शख़्स माल की हिफ़ाज़त में लड़े:

हदीस 2311:- अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنهما रिवायत करते हैं, मैंने नबी करीम ﷺ को फ़रमाते हुए सुना: "जो शख़्स अपने माल का बचाव करते हुए मारा जाए वह शहीद है।"

बाब 1561:- अगर कोई किसी का प्याला या कोई चीज़ तोड़ डाले:

हदीस 2312:- अनस رضي الله عنه रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ अपनी अज़्वाज (मुतह्हरात) में से किसी एक ज़ौजा के पास थे। उम्महातुल मोमिनीन में से किसी ने ख़ादिम को प्याला देकर भेजा जिस में खाना था। सय्यदा आयशा ने एक हाथ (रश्क के बाइस) उस पर मारा और उसे तोड़ डाला। रसूलुल्लाह ﷺ ने उस प्याले को जोड़ा और उस में खाना रखा, फिर सहाबा से फ़रमाया: खाओ। खाना लाने वाले और प्याले को रोक लिया। जब लोग खाना खा चुके तो सही प्याला वापस किया और शिकस्ता प्याला रख लिया।

बाब 1562:- अगर किसी की दीवार गिरा दे तो वैसी तामीर करदे:

हदीस 2313:- अबू हुरैरा رضي الله عنه रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "बनी इस्राईल में जुरैज नामी एक शख़्स था। वह नमाज़ पढ़ रहा था, उसकी मां आई और उसे आवाज़ दी लेकिन उस

ने जवाब न दिया और दिल में कहा कि नमाज़ पढ़ूं या उसको जवाब दूं। फिर उसकी मां आई और कहा: ऐ अल्लाह! इसे उस वक़्त तक मौत न देना जब तक कि यह किसी फ़ाहिशा औरत के मामला में मुलव्वस न हो। जुरैज एक दिन अपने इबादत ख़ाना में था, एक औरत ने कहा: मैं जुरैज को फांस लूंगी। वह उसके सामने आई और उससे गुफ़्तगू की और दावते गुनाह दी लेकिन उस ने इन्कार किया। वह इस पर एक चरवाहे के पास गई और अपने आप को उसके हवाले कर दिया, चुनान्चे उस ने एक बच्चा जना और उसे जुरैज से मन्सूब कर डाला। लोग जुरैज के पास आए, उसका इबादत ख़ाना तोड़ कर उसे बाहर निकाल दिया और उसे बुरा भला कहा। जुरैज ने वुज़ू किया और नमाज़ पढ़ी, फिर उस लड़के के पास आया और कहा: ऐ लड़के तुम्हारा बाप कौन है? उस ने कहा फ़ुलां चरवाहा। लोगों ने जुरैज से कहा हम तुम्हारा इबादत ख़ाना सोने का बना देंगे। उस ने कहा नहीं वैसा ही मिट्टी का बना दो।"

अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है।

किताबुश शिरकत फ़ित्तआम (खाने में शिरकत का बयान)

बाब 1563:- खाने, ज़ादे राह और साज़ व सामान में हिस्सेदारी और नाप तौल कर बेची जाने वाली चीज़ अंदाज़े से मुट्ठी मुट्ठी करके किस तरह तक़सीम की जाए जबकि मुसलमान इस मामला में कोई क़बाहत न समझें कि कोई यह खा ले और कोई वह, इसी तरह सोना चांदी अंदाज़ से बांटना और मुख़्तलिफ़ खजूरें मिला कर खाना।

हदीस 2314:- जाबिर बिन अब्दुल्लाह ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने साहिल की तरफ़ एक लशकर भेजा, अबू उबैदा इब्ने जर्राह ﷺ अमीरे लशकर मुक़र्रर किये गए। लशकर तीन सौ अफ़राद पर मुश्तमल था और मैं भी उस में शामिल था। हम लोग गए और रास्ते में तोशा ख़त्म हो गया। अबू उबैदा ने हुक्म दिया लशकर के तमाम अफ़राद अपना अपना तोशा एक जगह जमा करदें। चुनान्चे तमाम ज़ादे राह जमा किया गया। दो थैले खजूरों के बने जिस में से रोज़ाना हमें थोड़ा थोड़ा दिया करते थे, हर एक को एक खजूर मिलती। वहब ने कहा एक खजूर से क्या बनता होगा? फ़रमाया उसकी क़दर व क़ीमत का उस वक़्त एहसास हुआ जब बिल्कुल ख़त्म हो गई। फिर हम लोग समुन्द्र के क़रीब गए तो छोटी पहाड़ी की मानिन्द एक मछली नज़र पड़ी। लशकर ने यह मछली अट्ठारह दिन तक खाई। अबू उबैदा के हुक्म के मुताबिक़ उसकी पसलियां खड़ी की गई, फिर ऊंट गुज़ारने का हुक्म दिया चुनान्चे ऊंट उसके नीचे से निकल गया और उसकी पसलियों से नहीं छुआ।

हदीस 2315:- सलमा ﷺ रिवायत करते हैं, लोगों का ज़ादे राह ख़त्म हो गया और लोग मोहताज हो गए। नबी करीम ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अपने ऊंट ज़िब्ह करने की इजाज़त मांगी, आपने उन्हें इजाज़त दे दी। उमर ﷺ लोगों से मिले, उन्होंने सारा माजरा कह सुनाया। उमर ने फ़रमाया ऊंटों के ज़िब्ह हो जाने के बाद गुज़र बसर कैसे होगी? फिर आप रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुए और कहा लोग अपने ऊंट ज़िब्ह करने के बाद किस तरह गुज़ारा करेंगे? आपने फ़रमाया: "लोगों से कह दो वह अपना बचा खुचा तोशा ले आएं।" एक दस्तरख़्वान बिछा दिया गया और उस पर सारा तोशा चुन दिया गया। आपने खड़े होकर बरकत की दुआ की, फिर लोगों को उनका बरतन

लेकर बुलाया और मुट्ठियां भर भर कर लोगों ने लेना शुरू कर दिया। जब लोग लेकर चले गए तो आपने फ़रमायाः "मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मैं उसका रसूल हूं।"

हदीस 2316:- राफ़ेअ बिन ख़दीज ﷺ रिवायत करते हैं, हम नबी करीम ﷺ के साथ अस्र की नमाज़ पढ़ते। फिर ऊंट ज़िब्ह करते और उसका गोश्त दस हिस्सों में तक़सीम होता। हम सूरज गुरूब होने से पहले उसका गोश्त पका कर खा लेते थे।

हदीस 2317:- अबू मूसा अश्अरी ﷺ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "अशअर के लोग जब जिहाद के दौरान तंगदस्त हो जाते हैं या मदीना में उनके बच्चों की ख़ूराक कम पड़ जाती है तो जो कुछ उनके पास होता है उसे वह एक कपड़े में जमा कर लेते हैं, फिर आपस में एक बरतन से तक़सीम कर लेने हैं, पस वह मेरे हैं और मैं उन का हूं।

बाब 1564:- जो माल मुश्तरका हो उसे ज़कात में दोनों काट लें:

हदीस 2318:- अनस ﷺ रिवायत करते हैं, अबू बकर ﷺ ने उन्हें ज़कात के मुताल्लिक़ लिख भेजा जो रसूलुल्लाह ﷺ ने मुक़र्रर फ़रमाई थी। जो माल दो आदमियों का मुश्तरका हो तो वह (ज़कात में) बराबर बराबर एक दूसरे से कर लेंगे।

बाब 1565:- बकरियां तक़सीम करना:

हदीस 2319:- राफ़ेअ बिन ख़दीज रिवायत करते हैं, हम ज़ुल हुलैफ़ा में रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह थे। लोगों को भूक महसूस हुई, उन्हें ऊंट और बकरियां हाथ लगीं। राफ़ेअ कहते हैं रसूलुल्लाह ﷺ पीछे आने वाले लोगों में थे, लोगों ने जल्द बाज़ी की और ग़नीमत की तक़सीम से पहले जानवर ज़िब्ह करके हांडियां चढ़ा दीं। रसूलुल्लाह ﷺ के हुक्म पर हांडियां उलट दी गईं। फिर माले ग़नीमत तक़सीम फ़रमाया तो दस बकरियां एक ऊंट के बराबर मुक़र्रर कीं। उन में से एक ऊंट भाग निकला, लोगों ने पकड़ना चाहा मगर उस ने (लोगों को) थका दिया (यानी ख़ूब तेज़ भागा)। उस वक़्त लोगों में घोड़े बहुत थोड़े थे, किसी ने तीर मारा तो वह रुक गया। फिर फ़रमायाः "यह पालतू भी जंगली जानवरों की तरह होते हैं, जब तुम उन्हें न पकड़ सको तो ऐसा ही किया करो।" (अबाया) कहते हैं, मेरे दादा (राफ़ेअ बिन ख़दीज) ने कहा, हमें ख़दशा है कल दुशमन हम पर चढ़ाई करेंगे और हमारे पास छुरी नहीं, क्या हम उन्हें बांस से ज़िब्ह कर सकते हैं? फ़रमायाः "(हां) जो चीज़ भी ख़ून बहा दे और उस पर अल्लाह का नाम लिया जाए, उसे खा लो मगर दांतों और नाख़ुनों से मत ज़िब्ह करो और अनक़रीब मैं तुम्हें इसकी वजह बताऊंगा, कि दांत हड्डी है और नाखुन हबशियों की छुरी है।"

बाब 1566:- दो खजूर मिला कर खाना ममनूअ है जब तक कि साथी इजाज़त न दे:

हदीस 2320:- इब्ने उमर ﷺ रिवायत करते हैं, नबी करीम ﷺ ने दो खजूरें एक साथ खाने से मना फ़रमाया जब तक कि साथी इजाज़त न दे।

हदीस 2321:- जबला रिवायत करते हैं, हम मदीना में थे और लोग क़हत में मुब्तला हो गए तो इब्ने ज़ुबैर ﷺ हमें खजूरें खिलाते थे। इब्ने उमर ﷺ क़रीब से गुज़रते तो कहते दो खजूरें मिला कर न खाओ क्योंकि रसूलुल्लाह ﷺ ने दो खजूरें एक साथ खाने से रोका है जब तक कि तुम अपने भाई से इजाज़त न ले लो।

पारह दसवां

अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है।

बाब 1517:- चीज़ों को साझियों में मुनासिब क़ीमत के साथ तक़सीम करना:

हदीस 2322:- हज़रत इब्ने उमर رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस ने मुश्तरक ग़ुलाम से अपने साझे का आज़ाद किया या अपना हिस्सा आज़ाद किया और उस (शख़्स) के पास इतनी रक़म हो जो उसकी इन्साफ़ से मुक़र्रर करदा क़ीमत के बराबर हो तो आज़ाद है वरना वह उतना ही आज़ाद होगा जितना उस शख़्स ने आज़ाद किया।" कहा (अय्यूब रावी ने) कि मुझे यह नहीं मालूम कि "उतना ही हिस्सा आज़ाद होगा जितना उस शख़्स ने आज़ाद किया।" यह नाफ़ेअ का क़ौल है या नबी करीम ﷺ की हदीस का हिस्सा है।

हदीस 2323:- बशीर बिन नहीक ने हज़रत अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत की है कि नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "जिस ने मुश्तरक ग़ुलाम को अपने हिस्से का आज़ाद कर दिया तो उसके लिये ज़रूरी है कि उसके माल में से ग़ुलाम को पूरी आज़ादी दिलाए। अगर ग़ुलाम के पास माल न हो तो ग़ुलाम की इन्साफ़ के साथ क़ीमत लगाई जाएगी और मज़दूरी करवाते हुए उसे मशक़्क़त में नहीं फंसाया जाएगा।

बाब 1568:- क्या तक़सीम करने और हिस्सा लेने में क़ुरआ अंदाज़ी की जाए:

हदीस 2324:- आमिर का बयान है कि मैंने हज़रत नोमान बिन बशीर رضي الله عنه से सुना कि नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह तआला की हदों को क़ायम रखने वालों और तोड़ने वालों की मिसाल ऐसी है जैसे कश्ती के सवारों ने अपना हिस्सा तक़सीम कर लिया। बाज़ के हिस्से में ऊपर वाला हिस्सा आया और बाज़ के हिस्से में नीचे वाला। पस जो लोग नीचे थे उन्हें पानी लेने के लिये ऊपर वालों के पास जाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि क्यों न हम अपने हिस्से में सूराख़ कर लें और ऊपर वालों के पास जाने की ज़हमत से बचें, पस अगर वह उन्हें उनके इरादे के मुताबिक़ छोड़े रहें तो सब हलाक हो जाएं और अगर उनके हाथ पकड़ लें तो बच जाएं या सारे बच जाएं।"

बाब 1569:- यतीम और अहले मीरास की शिरकत:

हदीस 2325:- अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह आमिरी उवैसी, इब्राहीम बिन सअद, सालेह, इब्ने शहाब, उरवा ने हज़रत आयशा से पूछा। लैस, यूनुस, इब्ने शहाब, उरवा बिन ज़ुबैर ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा رضي الله عنها से इरशादे ख़ुदावन्दी "وَإِنْ خِفْتُمْ" के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया कि ऐ भांजे! यह उस यतीम लड़की के बारे में है जो अपने वली की निगरानी में हो और वह उसके माल में शरीक हो। पस उसके माल और जमाल के बाइस वली उससे निकाह करना चाहे लेकिन इन्साफ़ के साथ पूरा महर न देना चाहे जितना कि उसे दूसरे लोग देते हों। पस उनके साथ निकाह करने से मना फ़रमा दिया गया, मासिवाए इसके कि उनके साथ इन्साफ़ किया जाए और उनकी हैसियत के मुताबिक़ उन्हें पूरा महर दिया जाए और ऐसे लोगों को हुक्म दिया गया कि उनके सिवा जिन औरतों से चाहें निकाह करलें। उरवा का बयान है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फ़रमाया कि इस आयत के बाद लोगों ने रसूलुल्लाह ﷺ से फ़तवा पूछा तो अल्लाह तआला ने हुक्म नाज़िल फ़रमाया: "وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ" और यह जो अल्लाह

तआला ने "يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ" फ़रमाया है तो यह उसी पहली आयत के मुतअल्लिक़ है कि "अगर तुम डरो कि यतीम लड़कियों के साथ इन्साफ़ न कर सकोगे तो निकाह कर लो जिन औरतों से तुम चाहो।" और दूसरी आयत में अल्लाह तआला का इरशाद है कि "तुम उनके साथ निकाह करने की रग़बत रखते हो।" यानी तुम्हारी रग़बत तो यह है कि अगर किसी की निगरानी में यतीम लड़की हो जो माल और जमाल में कम हो (तो) उसके साथ निकाह नहीं करते (लिहाज़ा) ऐसी यतीम लड़कियों के साथ निकाह करने से भी मना फ़रमा दिया गया जो माल और जमाल वाली हों, मासिवाए इसके कि ... इन्साफ़ के साथ पूरा महर दिया जाए।

बाब 1570:- ज़मीन वग़ैरा में शिरकतः

हदीस 2326:- हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया कि नबी करीम ﷺ ने हर ज़मीन में हक़े शुफ़आ मुक़र्रर फ़रमाया है जब तक तक़सीम न की जाए, हदें क़ायम न की जाएं और रास्ते तब्दील न कर दिये जाएं, वरना फिर शुफ़आ नहीं होता।

बाब 1571:- जब शुरका घर को तक़सीम कर लें तो लौटाने और शुफ़आ करने का हक़ नहीं:

हदीस 2327:- अबू सलमा ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ﷺ से रिवायत की है कि नबी करीम ﷺ ने हर चीज़ में शुफ़आ का फ़ैसला फ़रमाया जब तक तक़सीम न की जाए, हद बन्दी न की जाए और रास्ते तब्दील न कर दिये जाएं वरना शुफ़आ नहीं है।

बाब 1572:- सोने चांदी में शिरकत और जो चीज़ मसरफ़ में आएः

हदीस 2328:- सुलैमान बिन अबू मुस्लिम का बयान है कि मैंने अबुल मिन्हाल से दस्त बदस्त तिजारत के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया कि मैंने और मेरी एक साझी ने एक चीज़ दस्त बदस्त ख़रीदी और एक उधार तो हमारे पास हज़रत बरा बिन आज़िब ﷺ तशरीफ़ ले आए। पस हम ने उन से पूछा तो उन्होंने फ़रमाया कि मैंने और मेरे साझी हज़रत ज़ैद बिन अरक़म ने इस बारे में नबी करीम ﷺ से दरयाफ़्त किया तो आपने इरशाद फ़रमाया कि जो दस्त बदस्त हो उसे ले लो और जो उधार हो उसे छोड़ दो।

बाब 1573:- काश्तकारी में ज़िम्मियों और मुश्रिकों की मुशारकतः

हदीस 2329:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह ﷺ ने यहूदियों को ख़ैबर की ज़मीन अता फ़रमाई कि वह उस में काम करें और खेती बाड़ी करते रहें जिसके इवज़ पैदावार का निस्फ़ उनके लिये होगा।

बाब 1574:- बकरियों को तक़सीम करना और उन में इन्साफ़:

हदीस 2330:- हज़रत उक़बा बिन आमिर ﷺ का बयान है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने उन्हें बकरियां अता फ़रमाई कि उन्हें ज़िब्ह करके सहाबए किराम में उनका गोश्त तक़सीम कर दिया जाए, चुनान्चे एक बच्चा बच रहा तो उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ से इसका ज़िक्र किया, पस आप ने फ़रमाया कि उसे तुम अपने लिये ज़िब्ह कर लो।

बाब 1575:- खाने वग़ैरा में शिरकतः

मन्क़ूल है कि एक आदमी ने सौदा किया तो दूसरे ने उसे आंख का इशारा किया। हज़रत उमर उसे

देख कर समझ गए कि वह उसका साझी है।

हदीस 2331:– ज़हरा बिन मअबद ने अपने जद्दे अमजद हज़रत अब्दुल्लाह बिन हिशाम ﷺ से रिवायत की है, जिन्होंने नबी करीम ﷺ का मुबारक ज़माना पाया और उनकी वालिदए माजिदा हज़रत ज़ैनब बिन्ते हुमैद उन्हें लेकर रसूलुल्लाह ﷺ की बारगाह में हाज़िर हुईं, फिर अर्ज़ गुज़ार हुईं कि या रसूलल्लाह! इसे बैअत कर लीजिये। आपने फ़रमाया कि यह कमसिन है, फिर उनके सर पर हाथ फेरा और उनके लिये दुआ की। चुनान्चे ज़हरा बिन मअबद का बयान है कि उनके जद्दे अमजद हज़रत अब्दुल्लाह बिन हिशाम जब उन्हें लेकर बाज़ार जाते और ग़ल्ला ख़रीदते तो उन्हें हज़रत इब्ने उमर और हज़रत इब्ने ज़ुबैर मिल जाते तो वह हज़रात कहते कि हमें भी शरीक कर लो क्योंकि उनके लिये नबी करीम ﷺ ने बरकत की दुआ की थी, पस यह उन्हें शरीक कर लेते तो अकसर औक़ात वह ऊंट भर ग़ल्ला नफ़ा कमाते और फिर उसे घर भेज देते।

बाब 1576:– लौंडी ग़ुलाम में शिरकतः

हदीस 2332:– हज़रत इब्ने उमर ﷺ से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ ने फ़रमायाः "जो किसी ग़ुलाम को अपने हिस्से का आज़ाद करे तो उसके लिये ज़रूरी है कि अगर उसके पास माल हो तो सारा ही आज़ाद करे यानी जो उसकी क़ीमत इन्साफ़ के साथ मुक़र्रर की गई हो और साझियों को उनके हिस्से देकर उसकी ग़ुलामी का रास्ता साफ़ कर दिया जाए (आज़ाद कर दिया जाए)।"

हदीस 2333:– बशीर बिन नहीक ने हज़रत अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत की है कि नबी करीम ﷺ ने फ़रमायाः "जो किसी ग़ुलाम को अपने हिस्से का आज़ाद करे तो अगर उसके पास है तो सारा ही आज़ाद करदे वरना उसे मज़दूरी के वक़्त मशक़्क़त में न डाला जाए।"

बाब 1577:– क़ुरबानी के जानवरों और ऊंटों में शरीक होनाः और जब एक आदमी दूसरे का उस वक़्त शरीक हो जबकि क़ुरबानी का जानवर रवाना कर दिया हो।

हदीस 2334:– हज़रत इब्ने अब्बास ﷺ फ़रमाते हैं कि नबी करीम ﷺ 4 ज़िल हिज्जा की सुबह को (मक्का मुकर्रमा में) वारिद हुए और हज का एहराम बांधा हुआ था जबकि उसके साथ दूसरी चीज़ (उमरा) को शामिल नहीं किया था। जब हम पहुंच गए तो हमें हुक्म फ़रमाया कि इसे उमरा बनालें और अपनी औरतों से सोहबत करलें, तो सहाबए किराम में इस बात पर चर्चा होने लगा। अता का बयान है कि हज़रत जाबिर ने बताया कि हम में से बाज़ तो इस हालत में मिना जाएंगे कि उनकी शर्मगाहों से मनी टपक रही होगी, हज़रत जाबिर ने अपनी हथेली के साथ इशारा किया। जब यह बात नबी करीम ﷺ तक पहुंची तो आप ख़ुतबा देने खड़े हुए और फ़रमायाः "मुझ तक यह बात पहुंची है कि बाज़ लोग ऐसा और ऐसा कहते हैं हालांकि ख़ुदा की क़सम! मैं उन से ज़्यादा नेक और ख़ुदा से ज़्यादा डरने वाला हूं। अगर मुझे अपने मामले का पहले इल्म होता जो अब हुआ तो मैं क़ुरबानी का जानवर न भेजता और अगर मेरे पास क़ुरबानी का जानवर न होता तो मैं एहराम खोल देता। पस हज़रत सुराक़ा बिन मालिक बिन जुअशुम खड़े होकर अर्ज़ गुज़ार हुए कि या रसूलल्लाह! यह रिआयत सिर्फ़ हमारे लिये है? फ़रमाया कि हमेशा के लिये है। हज़रत जाबिर ने कहा कि हज़रत अली बिन अबू तालिब आ गए, उन में से एक ने कहा कि वह कहते हैं कि मैं उसी की लब्बैक कहता हूं जिसका रसूलुल्लाह ﷺ ने एहराम बांधा है। दूसरे ने कहा कि मैं रसूलुल्लाह ﷺ की तरह हज के लिये

लब्बैक कहता हूं, पस नबी करीम ﷺ ने हुक्म फ़रमाया कि: वह अपने एहराम पर क़ायम रहें और उन्हें क़ुरबानी में शरीक कर लिया।

बाब 1578:- जिस ने तक़सीम के वक़्त दस बकरियों को एक ऊंट के बराबर क़रार दिया:

हदीस 2335:- हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज रज़ि० फ़रमाते हैं कि हम नबी करीम ﷺ के हमराह तिहामा के मक़ाम ज़िल हुलैफ़ा में थे तो हमें ग़नीमत में बकरियां मिलीं और ऊंट। लोगों ने उजलत से काम लेते हुए हांडियों में उनका गोश्त (पकने के लिये) चढ़ा दिया। जब रसूलुल्लाह ﷺ तशरीफ़ लाए तो आप के हुक्म से उन्हें उंडेल दिया गया। फिर आप ने दस बकरियों को एक ऊंट के बराबर शुमार फ़रमाया। चुनान्चे एक ऊंट भाग खड़ा हुआ और लोगों में घुड़ सवार कम होते थे, पस एक आदमी ने उसे तीर मारा और तीर के साथ उसे रोक लिया, चुनान्चे रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया कि: मवेशी भी जंगली जानवरों की तरह वहशी होते हैं, लिहाज़ा जिस पर तुम क़ाबू न पा सको तो उसके साथ ऐसा ही किया करो। अबाया बिन रिफ़ाआ का बयान है कि मेरे जद्दे अमजद अर्ज़ गुज़ार हुए कि या रसूलल्लाह! हमें उम्मीद और ख़दशा है कि कल हमारी दुशमन से मुडभेड़ होगी लेकिन हमारे पास छुरी नहीं है तो क्या हम बांस की लकड़ी से ज़िब्ह कर सकते हैं? आपने फ़रमाया कि: जल्दी करो या देख लो जो चीज़ ख़ून बहा दे और उस पर अल्लाह का नाम लिया जाए तो खा लो मासिवाए दांत और नाख़ुन के और मैं तुम्हें इसकी वजह बताता हूं कि दांत तो हड्डी है और नाख़ुन हबशियों की छुरी है।

अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है

रहन का बयान

बाब 1579:- हालते इक़ामत में रहन रखना:

इरशादे बारी तआला है: "और अगर तुम सफ़र में हो और लिखने वाला न पाओ तो गिरवी हो क़ब्ज़े में दिया हुआ।" (सूरए बक़रह, आयत: 283)

हदीस 2336:- हज़रत अनस रज़ि० ने फ़रमाया कि नबी करीम ﷺ ने अपनी ज़िरह जौ के बदले गिरवी रखी और मैं नबी करीम ﷺ की ख़िदमत में जौ की रोटियां और मुतग़य्यर चर्बी लेकर हाज़िर हुआ तो मैंने आप को फ़रमाते हुए सुना कि आज कल आले मुहम्मद ﷺ के पास अनाज नहीं है मासिवाए एक साअ के हालांकि घर नौ हैं।

फ़ायदा:- इस हदीस से एक तो यह बात साबित हुई कि आले मुहम्मद में आप की अज़्वाजे मुतह्हरात सबसे पहले शामिल हैं। दूसरी बात यह भी मद्दे नज़र रहे कि आप के नौ हुजरों में सिर्फ़ एक साअ जौ होना हक़ीक़ी मजबूरी की बिना पर नहीं था बल्कि यह इख़्तियारी मामला था जो आप की सख़ावत व क़नाअत के बाइस था वरना हक़ीक़ी हाल तो यह था जैसा कि आप ने ख़ुद बता दिया था: "يَا عَائِشَةُ لَوْ شِئْتُ لَسَارَتْ مَعِيَ جِبَالُ الذَّهَبِ" ऐ आयशा! अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चलने लगें। इसी हक़ीक़त को एक दानाए राज़ ने यूं बयान फ़रमाया है:

कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा
उस शिकम की क़नाअत पे लाखों सलाम

बाब 1580:- जिस ने अपनी ज़िरह गिरवी रखी:

हदीस 2337:- अअमश का बयान है कि हम ने इब्राहीम नख़ई के पास ज़िक्र किया कि असलाफ़ का रहन के बारे में क्या मामूल था, तो इब्राहीम नख़ई ने बताया कि अंसवद ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा رضی اللہ عنہا से रिवायत की है कि नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم ने किसी यहूदी से अनाज ख़रीदा और मुक़र्ररा मुद्दत तक अपनी ज़िरह उसके पास गिरवी रखी।

बाब 1581:- हथियार गिरवी रखना:

हदीस 2338:- हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضی اللہ عنہ का बयान है कि रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने कअब बिन अशरफ़ के बारे में फ़रमाया क्योंकि उस ने अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत पहुंचाई थी। पस हज़रत मुहम्मद बिन मस्लमा अर्ज़ गुज़ार हुए कि यह ख़िदमत मैं अंजाम दूंगा और उसके पास जाकर एक दो वस्क़ अनाज लेने का इरादा ज़ाहिर करूंगा। पस उन्होंने उससे एक दो वस्क़ अनाज उधार लेने का इरादा ज़ाहिर किया। उस ने कहा कि अपनी औरतों को गिरवी रख दो। कहा कि हम अपनी औरतों को किस वजह से गिरवी रखें जबकि अरब के हसीन तरीन लोग आप हैं। उस ने कहा तो अपने बेटों को गिरवी रख दो। कहा कि हम बेटों को किस तरह गिरवी रखें कि हर कोई गाली देगा कि एक दो वस्क़ अनाज के बदले गिरवी रखे गए, यह तो हमारे लिये नदामत का बाइस होगा, हां हम अपने हथियार गिरवी रख देंगे। पस यह वापस आने का वादा करके चले आए और फिर उसे क़त्ल कर दिया, फिर नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم की बारगाह में हाज़िर होकर वाक़िआ अर्ज़ कर दिया।

बाब 1582:- सवारी का जानवर और दूध का जानवर गिरवी रखना: मुग़ीरा ने इब्राहीम नख़ई से नक़्ल किया कि खोए हुए जानवर पर चारे के हिसाब से सवारी की जाए और चारे के मुताबिक़ दूध निकाला जाए और रहन में भी यही हुक्म है।

हदीस 2339:- हज़रत अबू हुरैरा رضی اللہ عنہ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया कि: मरहूना जानवर पर ख़र्च के मुताबिक़ सवारी की जाएगी और दूध देने वाले जानवर का दूध पिया जाएगा जबकि वह गिरवी रखा हुआ हो।

हदीस 2340:- हज़रत अबू हुरैरा رضی اللہ عنہ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया कि जानवर पर ख़र्च के मुताबिक़ सवारी की जाएगी जबकि उसे गिरवी रखा हुआ हो और ख़र्चा के मुताबिक़ जानवर का दूध पिया जाएगा जबकि वह गिरवी रखा हुआ हो लेकिन ख़र्चा सवारी करने और दूध पीने वाले पर है।

बाब 1583:- यहूद वग़ैरा के पास रहन रखना:

हदीस 2341:- असवद का बयान है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा رضی اللہ عنہا ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने एक यहूदी से ग़ल्ला ख़रीदा और अपनी ज़िरह उसके पास रहन रखी।

बाब 1584:- जब राहिन और मुर्तहिन में इख़्तिलाफ़ हो तो मुद्दआ अलैहि की पोज़ीशन:

हदीस 2342:- नाफ़ेअ बिन उमर का बयान है कि इब्ने अबी मुलैका ने फ़रमाया कि मैंने हज़रत इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہ के लिये लिखा तो उन्होंने जवाबन तहरीर फ़रमाया कि नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़ैसला फ़रमाया है कि क़सम मुद्दआ अलैहि पर है।

हदीस 2343:- अबू वाइल का बयान है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद رضی اللہ عنہ ने फ़रमाया कि

जो कसम खा जाए वह अपने माल का मुस्तहिक़ हो जाता है और अगर वह क़सम में झूटा हो तो अल्लाह तआला से ऐसी हालत में मुलाक़ात करेगा कि वह उस पर नाराज़ होगा। पस अल्लाह तआला इसकी तस्दीक़ में यह आयत नाज़िल फ़रमाई: "ह जो अल्लाह के अहद और अपनी क़समों के बदले ज़लील दाम लेते हैं।" (सूरए आले इमरान, आयत: 77) फिर अशअस बिन कैस हमारे पास तशरीफ़ लाए और दरयाफ़्त किया कि अबू अब्दुर्रहमान तुम से क्या फ़रमा रहे थे? अबू वाइल का बयान है कि जो उन्होंने फ़रमाया था वह हम ने उन से बयान कर दिया। फ़रमाया कि हक़ीक़त तो यह है कि यह आयत मेरे बारे में नाज़िल हुई क्योंकि खुदा की क़सम! एक आदमी के साथ मेरा कुंएं के बारे में झगड़ा था। हम ने अपना झगड़ा रसूलुल्लाह ﷺ की बारगाह में पेश किया तो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया कि गवाह पेश कर दो या वह क़सम देगा। मैं अर्ज़ गुज़ार हुआ कि वह तो क़सम खाने में कोई झिजक महसूस नहीं करेगा चुनान्चे रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया कि जो क़सम खा जाए वह माल का मुस्तहिक़ हो जाता है और वह क़सम में अगर झूटा है तो अल्लाह तआला से इस हालत में मुलाक़ात करेगा कि वह उस पर नाराज़ होगा। पस अल्लाह तआला ने इसकी तस्दीक़ फ़रमाई और फिर यह आयत तिलावत की: "वह जो अल्लाह के अहद और अपनी क़समों के बदले ज़लील दाम लेते हैं।"

आज़ाद करने का बयान

बाब 1585:– गुलाम आज़ाद करने की फ़ज़ीलत: इरशादे रब्बानी है:

हदीस 2344:– इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मसाहिब सईद बिन मरजाना ने हज़रत अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत की है कि नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: जिस ने किसी मुसलमान गुलाम को आज़ाद किया तो अल्लाह तआला उसके हर उज़्व के बदले आज़ाद करने वाले के हर उज़्व को जहन्नम से बचाएगा। सईद बिन मरजाना का बयान है कि फिर मैं हज़रत अली बिन हुसैन की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो उन्होंने अपने एक गुलाम को आज़ाद करने का क़सद फ़रमाया जिस के अब्दुल्लाह बिन जाफ़र उन्हें दस हज़ार दिरहम या एक हज़ार दीनार देते थे लेकिन उन्होंने उसे आज़ाद कर दिया।

बाब 1586:– किस गुलाम का आज़ाद करना अफ़ज़ल है:

हदीस 2345:– हज़रत अबू ज़र رضي الله عنه फ़रमाते हैं कि मैंने नबी करीम ﷺ से दरयाफ़्त किया कि कौन सा अमल ज़्यादा फ़ज़ीलत रखता है? फ़रमाया कि अल्लाह पर ईमान लाना और राहे खुदा में जिहाद करना। मैं अर्ज़ गुज़ार हुआ कि कौन से गुलाम का आज़ाद करना अफ़ज़ल है? फ़रमाया कि जो क़ीमत में ज़्यादा और मालिकों का पसन्दीदा हो। मैंने अर्ज़ की कि अगर ऐसा न कर सकूं? फ़रमाया कि किसी कारीगर की मदद करो या किसी बेहुनर का काम संवार दो। अर्ज़ गुज़ार हुआ कि अगर यह भी न कर सकूं? फ़रमाया कि लोगों को अपने शर से बचाए रखो क्योंकि यह भी एक सदक़ा है जो तुम अपनी जान के लिये दोगे।

बाब 1587:– गुलाम आज़ाद करना सूरज ग्रहण और दूसरी अलामतों के वक़्त मुस्तहब है:

हदीस 2346:– फ़ातिमा बिन्ते मुन्ज़िर का बयान है कि हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बकर رضي الله عنها ने फ़रमाया कि नबी करीम ﷺ ने सूरज ग्रहण के वक़्त गुलाम आज़ाद करने का हुक्म फ़रमाया है। इसी तरह अली और दरावर्दी ने हिशाम से रिवायत की है।

हदीस 2347:- फ़ातिमा बिन्ते मुन्ज़िर का बयान है कि हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बकर ﷺ ने फ़रमाया कि चांद ग्रहण के वक़्त हमें ग़ुलाम आज़ाद करने का हुक्म दिया जाता।

बाब 1588:- जब दो आदमियों के मुश्तरक ग़ुलाम या मुश्तरक लौंडी को आज़ाद किया जाए:

हदीस 2348:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया कि जो ऐसे ग़ुलाम को आज़ाद करे जो दो आदमियों में मुश्तरक हो तो अगर वह गुंजाइश वाला है तो मुन्सिफ़ाना क़ीमत अदा करके ग़ुलाम को आज़ाद कर दे।

हदीस 2349:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: जिस ने किसी ग़ुलाम में अपना हिस्सा आज़ाद किया तो अगर उसके पास इतना माल हो कि इन्साफ़ के साथ ग़ुलाम की क़ीमत मुक़र्रर की जाए तो यह अदा कर सके। ऐसी हालत में वह दूसरे शुरका को उनके हिस्से अदा करके उसे आज़ाद कर दे वरना ग़ुलाम उतना ही आज़ाद होगा जितना उस ने किया है।

हदीस 2350:- हज़रत इब्ने उमर ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: जिस ने किसी ग़ुलाम में से इतना आज़ाद किया जितना कि उसका हिस्सा है तो उसके लिये ज़रूरी है कि उस सारे को आज़ाद करे जबकि उसके पास इतना माल हो कि उसकी वाक़ई क़ीमत अदा कर सके। अगर उसके पास इतना माल न हो जिस के साथ उसकी मुन्सिफ़ाना क़ीमत अदा की जा सके तो फिर उतना ही आज़ाद कर दे जितना कि उस ने आज़ाद किया।

हदीस 2351:- मुसद्दद, बिश्र ने उबैदुल्लाह से इस हदीस को इख़्तिसार के साथ रिवायत किया है।

हदीस 2352:- हज़रत इब्ने उमर ﷺ से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: जिस ने किसी ममलूक में अपना हिस्सा आज़ाद किया या किसी ग़ुलाम में अपना हिस्सा और उसके पास इतना माल हो जो ग़ुलाम की मुन्सिफ़ाना क़ीमत को पहुंच जाए तो उसे आज़ाद करवा दे। नाफ़ेअ का क़ौल है कि वरना उसी का हिस्सा आज़ाद होगा। अय्यूब रावी का बयान है कि मुझे मालूम नहीं कि यह बात नाफ़ेअ ने कही है या हदीस में है।

हदीस 2353:- हज़रत इब्ने उमर ﷺ उस ग़ुलाम या लौंडी के बारे में फ़तवा दिया करते जो मुश्तरका हो, फिर एक उन में से अपने हिस्से का आज़ाद करना चाहे। वह फ़रमाया करते कि उस शख़्स पर वाजिब है कि उसे मुकम्मल आज़ाद करवाए जबकि उसके पास इतना माल हो कि उसकी मुन्सिफ़ाना क़ीमत अदा की जा सके और वह अपने माल से दूसरे शुरका को उनके हिस्से अदा कर सके और ग़ुलाम को आज़ाद करके उसका रास्ता साफ़ कर दे। हज़रत इब्ने उमर इस को नबी करीम ﷺ से रिवायत किया करते। लैस, इब्ने अबी ज़िअब और इब्ने इस्हाक़ और जुवेरिया और यहया बिन सईद और इस्माईल बिन उमय्या, नाफ़ेअ। हज़रत इब्ने उमर ने इसे इख़्तिसार के साथ नबी करीम ﷺ से रिवायत किया है।

बाब 1589:- जब किसी ने ग़ुलाम को अपने हिस्से का आज़ाद किया: और उसके पास माल न हो तो ग़ुलाम से काम लेते वक़्त मशक़्क़त में न फंसाया जाए बल्कि मुकातबत की तरह हो।

हदीस 2354:- अहमद बिन अबू रजाअ, यहया बिन आदम, जरीर बिन हाज़िम, क़तादा, नज़्र बिन अनस बिन मालिक, बशीर बिन नहीक, हज़रत अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि नबी करीम

ﷺ ने फ़रमाया कि: जिस ने गुलाम में से अपने हिस्से का आज़ाद किया। यज़ीद बिन ज़ुरैअ, सईद, क़तादा, नज़्र बिन अनस, बशीर बिन नहीक, हज़रत अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: जिस ने किसी गुलाम को अपने हिस्से का आज़ाद किया तो उसके लिये ज़रूरी है कि उसे अपने माल के ज़रिये आज़ाद करवा दे जबकि उसके पास माल हो वरना उसकी क़ीमत लगाई जाएगी और उससे मज़दूरी करवाई जाएगी लेकिन बा-मशक़्क़त नहीं। इसी तरह हज्जाज बिन हज्जाज और अबान और मूसा बिन ख़ल्फ़ ने क़तादा से रिवायत की और शुअबा ने इसे इख़्तिसार के साथ रिवायत किया है।

बाब 1590:- आज़ाद करने और तलाक़ देने में ग़लती और भूल:

आज़ाद करना सिर्फ़ रज़ाए इलाही के लिये है और हुज़ूर ने फ़रमाया कि: "हर एक को उसकी नियत का फल मिलेगा जबकि भूलने और ग़लती करने वाले की कोई नियत नहीं होती।"

हदीस 2355:- ज़ुरारा बिन अबू औफ़ा ने हज़रत अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत की है कि नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: अल्लाह तआला ने मेरी ख़ातिर मेरी उम्मत से दरगुज़र फ़रमाई जो उनके दिलों में ख़्यालात आते हैं जब तक वह उनके मुताबिक़ अमल या गुफ़्तगू न करें।

हदीस 2356:- अल्क़मा बिन वक़्क़ास लैसी ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब رضي الله عنه से रिवायत की है कि नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "आमाल का दारो मदार नियत पर है और हर आदमी को नियत का फल मिलेगा। पस जिस की हिजरत अल्लाह और रसूल की तरफ़ है तो वह हिजरत अल्लाह और रसूल की तरफ़ शुमार होगी और जिसकी हिजरत दुन्या हासिल करने या किसी औरत से शादी करने के लिये है तो वह उसी चीज़ की तरफ़ हिजरत शुमार होगी जिसकी तरफ़ हिजरत की।

बाब 1591:- जब कोई अपने गुलाम से कहे कि वह अल्लाह के लिये है और आज़ाद करने में नियत और गवाहों का होना:

हदीस 2357:- कैस ने हज़रत अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत की है कि जब वह दारुल इस्लाम (मदीना मुनव्वरा) की जानिब रवाना हुए तो उनका गुलाम उनके साथ था। रास्ते में दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। जब इसके बाद वह पहुंच गए तो हज़रत अबू हुरैरा नबी करीम ﷺ की बारगाह में बैठे हुए थे तो नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: ऐ अबू हुरैरा! तुम्हारा गुलाम तुम्हारे पास आ गया। अर्ज़ गुज़ार हुए कि मैं हुज़ूर को गवाह बना कर कहता हूं कि यह आज़ाद है। रावी का बयान है कि उन दिनों वह कहा करते थे:

ग़म की शबे दराज़ थी, अज़ बस थीं मुश्किलात
सद शुक्र, घर से कुफ़्र के हम को मिली नजात

हदीस 2358:- कैस का बयान है कि हज़रत अबू हुरैरा رضي الله عنه ने फ़रमाया: जब मैं नबी करीम ﷺ की बारगाह में हाज़िर हुआ तो मैंने (हिजरत करते हुए) रास्ते में कहा:

ग़म की शबे दराज़ थी, अज़ बस थीं मुश्किलात
सद शुक्र, घर से कुफ़्र के हम को मिली नजात

फ़रमाया कि रास्ते में मेरा गुलाम मुझ से बिछड़ गया। उनका बयान है कि जब मैं नबी करीम ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आप से बैअत की तो मैं आपके पास ही था कि गुलमा नमूदार

हुआ। चुनान्चे रसूलुल्लाह ﷺ ने मुझ से फ़रमायाः ऐ अबू हुरैरा! "यह तुम्हारा ग़ुलाम।" मैं अर्ज़ गुज़ार हुआ कि यह रज़ाए इलाही के लिये आज़ाद है, पस मैंने उसे आज़ाद कर दिया। अबू कुरैब ने अबू उसामा से आज़ाद है का लफ़्ज़ रिवायत नहीं किया।

हदीस 2359:– क़ैस बिन अबू हाज़िम का बयान है कि जब हज़रत अबू हुरैरा رضی اللہ عنہ ने हिजरत की और वह दारुल इस्लाम पहुंचना चाहते थे तो उनका ग़ुलाम साथ था। रास्ते में दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं हुज़ूर को गवाह बनाता हूं कि वह अल्लाह के लिये (आज़ाद) है।

बाब 1592:– उम्मे वलद का बयानः हज़रत अबू हुरैरा ने नबी करीम ﷺ से रिवायत की है कि क़यामत की निशानियों से है कि लौंडी अपने आक़ा को जनेगी।

हदीस 2360:– उरवा बिन ज़ुबैर का बयान है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा رضی اللہ عنہا ने फ़रमाया कि हज़रत उतबा बिन अबू वक़्क़ास ने अपने भाई हज़रत सअद बिन अबू वक़्क़ास से अहद लिया कि ज़म्आ की लौंडी के बेटे को अपनी तहवील में ले लेना। हज़रत उतबा ने कहा कि वह मेरा बेटा है। जब ज़माना फ़तह में रसूलुल्लाह ﷺ (मक्का मुकर्रमा में) जल्वा अफ़रोज़ हुए तो हज़रत सअद ने ज़म्आ की लौंडी के बेटे को अपनी तहवील में ले लिया और उसे लेकर रसूलुल्लाह ﷺ की बारगाह में हाज़िर हो गए और उनके साथ हज़रत अब्द बिन ज़म्आ भी हाज़िर हुए। चुनान्चे हज़रत सअद अर्ज़ गुज़ार हुए कि या रसूलल्लाह! यह मेरा भतीजा है जिसके बारे में मुझ से अहद लिया गया था। अब्द बिन ज़म्आ अर्ज़ गुज़ार हुए या रसूलल्लाह! यह मेरा भाई है क्योंकि मेरे वालिद ज़म्आ की लौंडी का बेटा है और उनके बिस्तर पर ही इसकी विलादत हुई है। पस रसूलुल्लाह ﷺ ने ज़म्आ की लौंडी के बेटे को देखा तो वह तमाम लोगों से उस (हज़रत उतबा) के साथ ज़्यादा मुशाबहत रखता था। चुनान्चे आप ने फ़रमाया किः "ऐ अब्द बिन ज़म्आ! यह तुम्हारा है क्योंकि तुम्हारे बाप के बिस्तर पर पैदा हुआ है।" रसूलुल्लाह ﷺ ने यह भी फ़रमाया किः "ऐ सौदा बिन्ते ज़म्आ! तुम इससे पर्दा करना क्योंकि आप ने उसे उतबा के मुशाबह देखा था और हज़रत सौदा नबी करीम ﷺ की ज़ौजए मुतह्हरा थीं।

बाब 1593:– मुदब्बर की बैअः

हदीस 2361:– अम्र बिन दीनार का बयान है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضی اللہ عنہما ने फ़रमाया कि हम में से एक आदमी ने अपने ग़ुलाम को मुदब्बर (मरने के बाद आज़ाद) किया। नबी करीम ﷺ ने उसे बुला कर फ़रोख़्त कर दिया, वह ग़ुलाम पहले साल ही मर गया।

बाब 1594:– वला को बेचना और उसका हिबा करनाः

हदीस 2362:– अम्र बिन दीनार का बयान है कि मैंने हज़रत इब्ने उमर رضی اللہ عنہما से सुना कि रसूलुल्लाह ﷺ ने पहले वला की बैअ और उसे हिबा करने से मना फ़रमाया।

हदीस 2363:– असवद का बयान है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा رضی اللہ عنہا ने फ़रमाया कि मैंने बरीरा को ख़रीदा तो उसके मालिकों ने वला की शर्त रखी। पस मैंने इस बात का नबी करीम ﷺ से ज़िक्र किया, तो आप ने फ़रमाया किः 'उसे आज़ाद कर दो क्योंकि वला तो उसके लिये है जिस ने क़ीमत दी। चुनान्चे मैंने उसे आज़ाद कर दिया, तो नबी करीम ﷺ ने उसे बुलाया और उसके ख़ाविन्द के बारे में उसे इख़्तियार दिया। वह अर्ज़ गुज़ार हुई कि अगर वह मुझे इतना माल भी दे तब भी उसके पास न रहूं और उस ने बग़ैर शौहर रहना पसन्द किया।

बाब 1595:- जब किसी का भाई या चचा कैद हो जाए: अगर वह मुश्रिक हो तो क्या उसका फ़िदया दिया जा सकता है? हज़रत अनस का बयान है कि हज़रत अब्बास ने नबी करीम ﷺ की ख़िदमत में अर्ज़ की कि मैंने अपना और अक़ील का फ़िदया दिया और हज़रत अली का उस माल में हिस्सा था जो उन्हें अपने भाई अक़ील और अपने चचा हज़रत अब्बास से मिला था।

हदीस 2364:- इब्ने शहाब ने हज़रत अनस رضي الله عنه से रिवायत की है कि अन्सार के कुछ आदमी रसूलुल्लाह ﷺ की बारगाह में हाज़िर होकर अर्ज़ गुज़ार हुए कि अगर आप इजाज़त मर्हमत फ़रमाएं तो हम अपने भांजे अब्बास का फ़िदया माफ़ कर दें? आपने फ़रमाया कि उनकी तरफ़ एक दिरहम भी न छोड़ो।

बाब 1596:- मुश्रिक गुलाम को आज़ाद करना:

हदीस 2365:- हिशाम का बयान है कि मुझे मेरे वालिदे माजिद उरवा बिन ज़ुबैर ने बताया कि हज़रत हकीम बिन हिज़ाम ने ज़मानए जाहिलियत में सौ ग़ुलाम आज़ाद किये और सौ ऊंट सवारी के लिये दिये थे। जब वह हल्क़ा बगोश इस्लाम हुए तो सौ ऊंट ख़ुदा के लिये दिये और सौ ग़ुलाम आज़ाद किये। उनका बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से पूछा और अर्ज़ गुज़ार हुआ कि या रसूलल्लाह! उनके बारे में इरशाद फ़रमाइये कि मैं कुफ़्र की हालत के अन्दर जो नेक काम किया करता था और उन से मेरा मक़सूद सवाब हासिल करना होता था? उनका बयान है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया कि: "जब तुम ने इस्लाम क़ुबूल कर लिया तो गुज़िश्ता नेकियों का सवाब भी मिलेगा।

बाब 1597:- जो किसी अरबी का मालिक हो जाए तो उसको हिबा करने, बेचने, जिमाअ करने, फ़िदया देने और उसके बच्चों को क़ैद करने का बयान:

इरशादे रब्बानी है: अल्लाह ने एक कहावत बयान फ़रमाई कि एक बन्दा है दूसरे की मिल्क, ख़ुद कुछ इख़्तियार नहीं रखता और एक वह जिसे हम ने अपनी तरफ़ से अच्छी रोज़ी अता फ़रमाई तो वह उस में से ख़र्च करता है छुपे और ज़ाहिर, क्या वह बराबर हो जाएंगे? सब ख़ूबियां अल्लाह को हैं बल्कि उन में अकसर को ख़बर नहीं। (सूरए नहल, आयत: 75)

हदीस 2366:- उरवा बिन ज़ुबैर को मरवान और हज़रत मिसवर बिन मख़रमा ने बताया कि नबी करीम ﷺ खड़े हुए, जब आप की ख़िदमत में हवाज़िन का वफ़द आया और उन्होंने अपने माल और क़ैदियों के लौटाने का मुतालबा किया, तो आप ने फ़रमाया कि मेरे साथियों को तुम देखते हो और मुझे सबसे दुरुस्त बात बहुत ही प्यारी है लिहाज़ा तुम माल या क़ैदियों में से एक चीज़ इख़्तियार कर लो और मैंने इसी लिये तक़सीम में देर की है और नबी करीम ﷺ ने उनका दस से भी ज़्यादा दिनों तक इन्तिज़ार किया जबकि आप ताइफ़ से भी लौट आए। जब उन लोगों पर वाज़ेह हो गया कि नबी करीम ﷺ उन्हें एक ही चीज़ वापस देंगे तो वह अर्ज़ गुज़ार हुए कि हमारे क़ैदी छोड़ दीजिये। पस नबी करीम ﷺ लोगों के दरमियान क़याम फ़रमा हुए और अल्लाह तआला की शायाने शान हम्द व सना बयान करके फ़रमाया: अम्मा बाद! तुम्हारे यह भाई तायब होकर मेरे पास आए हैं। मैं इनके क़ैदी वापस लौटाने चाहता हूं। पस जो तुम में से बतय्यबे ख़ातिर आज़ाद करना चाहे तो उसे चाहिये कि ऐसा कर दे और जो अपना हिस्सा रखना चाहे, यहां तक कि अल्लाह तआला जो हमें फ़य (ग़नीमत) का माल

सबसे पहले अता फ़रमाए तो हम उसकी क़ीमत अदा कर दें लिहाज़ा ऐसा करे। चुनान्चे लोगों ने बतय्यबे ख़ातिर आज़ाद करने के लिये कह दिया। फ़रमाया कि हमें इजाज़त देने वालों और न देने वाले का कोई पता नहीं लगा लिहाज़ा तुम वापस जाओ और बता कर हमारे पास अपने मारूफ़ लोगों को भेजो। पस लोग वापस चले गए, अपने मारूफ़ लोगों से गुफ़्तगू की और वह नबी करीम ﷺ की ख़िदमत में आए और आप को बताया कि वह ख़ुशी से इजाज़त दे रहे हैं। यह ख़बर है जो हवाज़िन के क़ैदियों के बारे में हम तक पहुंची और हज़रत अनस का बयान है कि हज़रत अब्बास ने नबी करीम ﷺ की ख़िदमत में गुज़ारिश की कि मैंने अपना और अक़ील का फ़िदया दिया।

हदीस 2367:– नाफ़ेअ ने इब्ने औन के लिये लिखा कि नबी करीम ﷺ ने बनी मुस्तलिक़ पर हम्ला किया जबकि वह ग़ाफ़िल थे और उनके जानवरों को पानी पिलाया जा रहा था। पस उन में जो लड़ने के क़ाबिल थे उन्हें क़त्ल कर दिया गया नीज़ औरतों और बच्चों को क़ैदी बना लिया गया और हज़रत जुवेरिया उसी रोज़ हासिल हुई थीं। यह हदीस मुझ से हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर رضی اللہ عنہ ने बयान की और वह उस लशकर में शामिल थे।

हदीस 2368:– इब्ने मुहैरीज़ का बयान है कि मैंने हज़रत अबू सईद ख़ुदरी رضی اللہ عنہ को देख कर उन से दरयाफ़्त किया तो उन्होंने फ़रमाया कि हम रसूलुल्लाह ﷺ के हमराह ग़ज़वए बनी मुस्तलिक़ के लिये निकले तो अरब के चन्द क़ैदी हमारे हाथ लगे और हमें औरतों की ख़्वाहिश थी क्योंकि तजर्रुद (तन्हाई) की ज़िनदगी ने हमें तंग कर रखा था लिहाज़ा हम ने अज़ल करने का इरादा किया और रसूलुल्लाह ﷺ से इस बारे में पूछा। फ़रमाया कि: "अगर ऐसा न करो तो कोई हर्ज नहीं है क्योंकि जो जान क़यामत तक पैदा होने वाली हैं वह ज़रूर पैदा होकर रहेगी।"

हदीस 2369:– ज़ुहैर बिन हर्ब, जरीर, उमारा बिन क़अक़ाअ, अबू ज़ुरआ, हज़रत अबू हुरैरा رضی اللہ عنہ फ़रमाते हैं कि मैं हमेशा बनी तमीम से मुहब्बत करता रहूंगा। इब्ने सलाम, जरीर बिन अब्दुल हमीद, मुग़ीरा, हारिस, अबू ज़ुरआ, हज़रत अबू हुरैरा - उमारा, अबू ज़ुरआ, हज़रत अबू हुरैरा رضی اللہ عنہ ने फ़रमाया कि मैं बनी तमीम से तीन बातों की वजह से हमेशा मुहब्बत करता रहूंगा जो मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से सुनी हैं। आप फ़रमाते हैं कि: "वह मेरी उम्मत में दज्जाल पर सबसे सख़्त हैं।" उनका बयान है कि एक दफ़ा उनके सदक़ात का माल आया तो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया कि: "यह हमारी क़ौम के सदक़ात हैं।" और उन में से एक आदमी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा رضی اللہ عنہا का ग़ुलाम था तो हुज़ूर ने फ़रमाया कि: "इसको आज़ाद कर दो क्योंकि यह औलादे इस्माईल है।"

बाब 1598:– अपनी लौंडी को अदब सिखाने और तालीम देने की फ़ज़ीलत:

हदीस 2370:– अबू बुरदा ने हज़रत अबू मूसा अशअरी رضی اللہ عنہ से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस के पास लौंडी हो और वह उस की अच्छे तरीक़े से तर्बियत करे, फिर उसे आज़ाद करके उससे शादी कर ले तो उसके लिये दो गुना अज्र है।"

बाब 1599:– हुज़ूर ने फ़रमाया कि: "ग़ुलाम तुम्हारे भाई हैं, उन्हें वही खिलाओ जो तुम ख़ुद खाते हो":

इरशादे बारी तआला है: "और अल्लाह की इबादत करो और उसका शरीक किसी को न ठहराओ और मां बाप से भलाई करो और रिश्तादारों और यतीमों और मोहताजों और पास के हमसाए और दूर

के हमसाए और करवट के साथी और मुसाफ़िर और अपने गुलाम बांदी से। बेशक अल्लाह को खुश नहीं आता कोई इतराने वाला, बड़ाई मारने वाला।" (सूरए निसा, आयतः 36) "ذِی الْقُرْبٰی" नसबी कुर्ब, "اَلْجُنُبِ الْقَرِیْبِ" क़रीबी हमसाया, "اَلْجُنُبِ" रफ़ीक़े सफ़र।

हदीस 2371:- मअरूर बिन सुवैद का बयान है कि मैंने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी رضی اللہ عنہ को देखा कि उन्होंने जो जोड़ा पहना हुआ था, उनके गुलाम ने भी उसी तरह का जोड़ा पहन रखा था। उन से इस बारे में पूछा तो फ़रमाया कि मैंने एक शख़्स को गाली दी तो उस ने नबी करीम ﷺ से मेरा शिकवा किया। चुनान्चे नबी करीम ﷺ ने मुझ से फ़रमाया किः "क्या तुम ने उसे मां की गाली दी है?" फिर फ़रमाया किः "यह तुम्हारे भाई हैं जिन्हें अल्लाह तआला ने तुम्हारे क़ब्ज़े में दिया है। जिस का कोई भाई उसके क़ब्ज़े में हो तो उसे भी वही खिलाए जो खुद खाता हो और उसे भी वही पहनाए जो खुद पहनता हो और उन से ऐसा मुश्किल काम न लो जो वह कर न सकें। अगर उन्हें किसी मुश्किल काम पर लगाओ तो खुद भी उनकी मदद करो।

फ़ायदाः- गुलामी का दौर तो इस्लाम की बरकत से ख़त्म हो चुका। इस हदीस में रसूलुल्लाह ﷺ ने गुलामों से मुताल्लिक़ा जो तल्क़ीन फ़रमाई है वह आज भी अफ़सरों और अमीरों के लिये दर्से इबरत है। मातहतों, मुलाज़िमों और नौकरों को गाली देने से रोका है और यह भी याद करवाया है कि अगर अल्लाह तआला उनकी जगह तुम्हें और तुम्हारी जगह उन्हें रख देता तो ग़ौर करो तुम कैसा सुलूक चाहते? लिहाज़ा उन्हें अपने भाई समझो, उन्हें हक़ीर न गरदानो। जो खुद खाओ वही उन्हें खिलाओ और जो खुद पहनो वही उन्हें पहनाओ। उन से ज़्यादा मुश्किल काम न लो और अगर उन से मुश्किल काम लेना नागुज़ीर हो तो खुद भी उनके साथ शामिल हो जाओ ताकि काम का बोझ बट जाए और उस काम की शिद्दत का तुम्हें भी पूरी तरह एहसास हो जाए। यह है वह आक़ाई और ज़ेर दस्तों को ख़्याल जिस पर इन्सानियत हमेशा नाज़ करती रहेगी और आप के दर्से उख़ुव्वत पर बेसाख़्ता कहना पड़ जाएगाः

एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़
न कोई बन्दा रहा और न कोई बन्दा नवाज़!

बाब 1600:- जो गुलाम अपने रब की अच्छी तरह इबादत करे और अपने आक़ा का ख़ैर ख़्वाह रहेः

हदीस 2372:- हज़रत इब्ने उमर رضی اللہ عنہ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "जो गुलाम अपने आक़ा का ख़ैर ख़्वाह रहे और अपने रब की अच्छे तरीक़े से इबादत करता रहे तो उसके लिये दुगना अज्र है।"

हदीस 2373:- हज़रत अबू मूसा अशअरी رضی اللہ عنہ से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ ने फ़रमायाः "जिस के पास लौंडी हो, फिर वह उसे अच्छी तरह से अदब आदाब सिखाए और आज़ाद करके उसके साथ शादी करले तो उसके लिये दुगना अज्र है और जो गुलाम अल्लाह तआला का हक़ अदा करे और अपने आक़ाओं का हक़ भी, तो उसके लिये भी दुगना अज्र है।"

हदीस 2374:- सईद बिन मुसय्यब ने हज़रत अबू हुरैरा رضی اللہ عنہ से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "नेक गुलाम के लिये दुगना अज्र है। क़सम उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है, अगर अल्लाह की राह में जिहाद करना, हज करना और वालिदा के साथ नेकी करना न होता तो

ऐसी हालत में मरना पसन्द करता कि मैं ग़ुलाम होता।"

हदीस 2375:– अबू सालेह ने हज़रत अबू हुरैरा رضی اللہ عنہ से रिवायत की है कि नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमायाः "उस शख़्स की क्या ही बात है जो अपने रब की अच्छी तरह इबादत करे और अपने आक़ा की ख़ैर ख़्वाही करे।"

बाब 1601:– ग़ुलाम पर हाथ उठाना नापसन्दीदा है:

नीज़ अब्दी या अमती कहने का बयान और अल्लाह तआला ने फ़रमायाः "और अपने नेक ग़ुलामों और कनीज़ों का।" (24/32) "एक बन्दा है दूसरे की मिल्क।" (16/75) "और दोनों को औरत का ख़ाविन्द दरवाज़े के पास मिला।" (12/25) और फ़रमायाः "ईमान वाली कनीज़ों से।" (4/25) और नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया किः "अपने सरदार के लिये खड़े हो जाओ। अपने रब यानी बादशाह के पास मेरा ज़िक्र करना।" (12/24) और तुम्हारा बादशाह या सरदार कौन है?

हदीस 2376:– नाफ़ेअ ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर رضی اللہ عنہما से रिवायत की है कि नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमायाः "जब ग़ुलाम अपने सरदार का ख़ैर ख़्वाह रहे और अपने रब की अच्छी तरह इबादत करे तो उसके लिये दुगना अज्र है।"

हदीस 2377:– अबू बुरदा ने हज़रत अबू मूसा अशअरी رضی اللہ عنہ से रिवायत की है कि नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमायाः "वह ग़ुलाम जो अपने रब की अच्छी तरह इबादत करता है और उसके आक़ा का जो हक़ है उसे अच्छी तरह अदा करता है और ख़ैर ख़्वाही व फ़रमांबरदारी करता है तो उसके लिये दुगना अज्र है।"

हदीस 2378:– हम्माम बिन मुनब्बेह ने हज़रत अबू हुरैरा رضی اللہ عنہ से रिवायत की है कि नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमायाः "तुम में से कोई यह न कहे कि अपने रब को खाना खिला, अपने रब को वुज़ू करवा, अपने रब को पिला, बल्कि मेरा सरदार और मेरा आक़ा कहना चाहिये और तुम में से कोई अब्दी या अमती न कहे बल्कि मेरा ख़ादिम, मेरी ख़ादिमा और मेरा ग़ुलाम कहना चाहिये।"

हदीस 2379:– हज़रत इब्ने उमर رضی اللہ عنہما से रिवायत है कि नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमायाः "जो किसी ग़ुलाम से अपना हिस्सा आज़ाद करे और उसके पास इतना माल हो जो उसकी मुन्सिफ़ाना क़ीमत को पहुंच जाए तो वह उसके माल से आज़ाद किया जाएगा वरना सिर्फ़ उतना हिस्सा ही आज़ाद होगा।"

हदीस 2380:– हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर رضی اللہ عنہما से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमायाः "तुम में से हर एक निगरान है और उससे उसके मातहतों के बारे में पूछा जाएगा। पस हाकिम लोगों का निगरान है और उससे उन लोगों के मुताल्लिक़ पूछ गछ होगी। आदमी अपने घर वालों का निगरान है और वह उनकी तरफ़ से पूछा जाएगा। औरत अपने ख़ाविन्द के घर और औलाद की निगरान है और उससे उनके बारे में पूछा जाएगा। और ग़ुलाम अपने आक़ा के माल का निगरान है और उससे उसके बारे में पूछा जाएगा। ख़बरदार हो जाओ कि तुम में से हर एक निगरान है और हर एक से उसके मातहतीन के बारे में पूछा जाएगा।"

हदीस 2381:– हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद رضی اللہ عنہما से रिवायत है कि नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमायाः "जब लौंडी ज़िना कराए तो उसे कोड़े मारो, फिर अगर ज़िना कराए तो उसे कोड़े मारो, फिर ज़िना कराए तो उसे कोड़े मारो और तीसरी या चौथी दफ़ा उसे फ़रोख़्त कर दो ख़्वाह

एक रस्सी के बदले बिके।"

बाब 1602:- जब किसी का ख़ादिम खाना लेकर आए:

हदीस 2382:- हज़रत अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया कि: "जब तुम में से किसी का ख़ादिम उसके पास खाना लेकर आए तो अगर किसी वजह से उसे न रोक सके तो उसे एक दो लुक़्मे दे देने चाहियें क्योंकि उस ने मशक़्क़त उठाई है।"

बाब 1603:- गुलाम अपने आक़ा के माल का निगरान है और हुज़ूर ने माल की निस्बत आक़ा की तरफ़ की है:

हदीस 2383:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنه ने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते हुए सुना कि
तुम में से हर एक निगरान है और उससे ज़ेरे निगरानी चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। पस इमाम
निगरान है और उससे उसकी रइयत के बारे में सवाल किया जाएगा और आदमी अपने अहल व अयाल
कर निगरान है और वह अपने मातहत अफ़राद के बारे में पूछा जाएगा और ख़ादिम अपने सरदार के
माल का निगरान है और वह अपनी ज़ेरे निगरानी चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। हज़रत इब्ने उमर
फ़रमाते हैं कि मैंने यह सारी बात नबी करीम ﷺ से सुनी है और मेरे ख़्याल में नबी करीम ﷺ
ने यह भी फ़रमाया: "और आदमी अपने बाप के माल का निगरान है और ज़ेरे निगरानी चीज़ों के बारे
में उससे पूछा जाएगा।" पस तुम में से हर एक निगरान है और हर एक से उस की तहवील के बारे में
पूछा जाएगा।

बाब 1604:- जब गुलाम को मारे तो चेहरे पर मारने से इज्तिनाब करे:

हदीस 2384:- मुहम्मद बिन उबैदुल्लाह, इब्ने वहब, मालिक बिन अनस, इब्ने फ़ुलां, सईद
मक़बुरी, उनके वालिद हज़रत अबू हुरैरा رضي الله عنه ने नबी करीम ﷺ से रिवायत की है। अब्दुल्लाह बिन
मुहम्मद, अब्दुर्रज़्ज़ाक़, मअमर, हम्माम, हज़रत अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ ने
फ़रमाया कि: "जब तुम में से कोई अपने गुलाम के साथ लड़ पड़े तो उसके चेहरे पर मारने से
इज्तिनाब करना चाहिये।"

मुकातबत का बयान

अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है।

बाब 1605:- अपने मुकातब गुलाम पर तोहमत लगाने का गुनाह:
मुकातब की क़िस्तों का बयान और सालाना एक क़िस्त है। इरशादे रब्बानी है: "और तुम्हारे हाथ
की मिल्क बांदी गुलामों में से जो यह चाहें कि कुछ माल कमाने की शर्त पर उन्हें आज़ादी लिख दी जाए
तो लिख दो, अगर उन में कुछ भलाई जानो और इस पर उनकी मदद करो, अल्लाह के उस माल से
जो तुम को दिया।" (24/33) रौह, इब्ने जुरैज ने अता से कहा कि क्या यह मेरे ऊपर वाजिब है कि
गुलाम के पास माल देख कर उसे मुकातब कर दूं? फ़रमाया कि मैं वाजिब ही समझता हूं। अम्र बिन
दीनार ने अता से कहा कि क्या आप इसे किसी से रिवायत करते हैं? जवाब दिया कि नहीं। फिर मुझे
बताया कि मूसा बिन अनस ने उन्हें ख़बर दी कि सीरीन ने हज़रत अनस से मुकातबत का सवाल किया
और वह मालदार थे मगर मुकातबत से इन्कार कर दिया तो यह हज़रत उमर के पास चले गए। उन्होंने

फ़रमाया कि मुकातबत कर लो तो उन्होंने इन्कार कर दिया पस उन्होंने दुर्रे से मारा और यह आयत तिलावत की: "तो उन्हें लिख दो अगर उन में कुछ भलाई जानो।" (24/23) पस उन्होंने मुकातबत कर ली। लैस, यूनुस, इब्ने शहाब, उरवा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फ़रमाया कि बरीरा उनके पास आई जो अपनी मुकातबत में उन से मदद की तलबगार थी क्योंकि उस पर पांच औक़िया चांदी पांच क़िस्तों में मुक़र्रर की गई थी। हज़रत आयशा ने उससे फ़रमाया कि अगर मैं यक मुश्त (एक साथ) अदा कर दूं तो क्या तुम्हारे मालिक तुम्हें बेच देंगे? ताकि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूं और तुम्हारी वला मेरे लिये हो। पस बरीरा अपने मालिकों के पास गई और उन्हें यह बात बताई। उन्होंने कहा कि वला हमारे लिये होगी। हज़रत आयशा ने फ़रमाया कि मैं रसूलुल्लाह की ख़िदमत में हाज़िर हुई और मैंने इस बात का आप से ज़िक्र किया तो रसूलुल्लाह ने उन से फ़रमाया कि उसे ख़रीद कर आज़ाद कर दो क्योंकि वला तो उसी के लिये है जो आज़ाद करे। फिर रसूलुल्लाह खड़े हुए और आपने फ़रमाया कि: "लोगों का क्या हाल है जबकि वह ऐसी शर्तें रखते हैं जो अल्लाह की किताब में नहीं हैं हालांकि जो शर्त अल्लाह की किताब में न हो वह बातिल है और अल्लाह की शर्त ज़्यादा सच्ची और ज़्यादा मज़बूत है।'

बाब 1606:- मुकातब से क्या शर्त करना जाइज़ है:

और जो ऐसी शर्त रखे कि अल्लाह की किताब में न हो तो वह बातिल है। इस बारे में हज़रत इब्ने उमर ने रसूले ख़ुदा से रिवायत की है।

हदीस 2385:- उरवा को हज़रत आयशा ने बताया कि उनके पास बरीरा आई ताकि अपनी मुकातबत में उन से मदद हासिल करे और उस ने अपनी किताबत की रक़म से कुछ भी अदा नहीं किया था। हज़रत आयशा ने उससे कहा कि अपने मालिकों के पास जाओ, अगर वह पसन्द करें तो किताबत मैं अदा कर देती हूं और वला मेरे लिये होगी जबकि मैं ऐसा कर दूं। पस बरीरा ने अपने मालिकों से इसका ज़िक्र किया तो उन्होंने इन्कार कर दिया और कहा कि अगर वह सवाब की ग़र्ज़ से ऐसा करना चाहती हैं तो कर दें लेकिन तेरी वला हमारे लिये होगी। पस उन्होंने इस बात का रसूलुल्लाह से ज़िक्र किया तो रसूलुल्लाह ने उन से फ़रमाया कि उसे ख़रीद कर आज़ाद कर दो क्योंकि वला तो उसके लिये है जो आज़ाद करे। रावी का बयान है कि फिर रसूलुल्लाह खड़े हुए और फ़रमाया कि: "लोगों का क्या हाल है जो ऐसी शर्तें आइद करते हैं कि अल्लाह की किताब में नहीं हैं। अगर ऐसी शर्त सौ दफ़ा भी रखी जाए तो उसके लिये लाहासिल है क्योंकि अल्लाह की शर्त ज़्यादा सच्ची और ज़्यादा मज़बूत है।"

हदीस 2386:- हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर का बयान है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ने आज़ाद करने के लिये एक लौंडी ख़रीदने का इरादा किया। उसके मालिकों ने कहा कि इस शर्त पर कि वला हमारे लिये होगी। रसूलुल्लाह ने फ़रमाया कि: "इस शर्त से तुम्हारे लिये कोई रुकावट नहीं क्योंकि वला उसी के लिये है जो आज़ाद करे।"

बाब 1607:- मुकातब का मदद चाहना और लोगों से सवाल करना:

हदीस 2387:- हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फ़रमाया कि बरीरा मेरे पास आई और कहा कि मैंने नौ औक़िया चांदी के बदले मुकातबत कर ली है कि सालाना एक औक़िया चांदी अदा की जाएगी, पस मेरी मदद कीजिये। हज़रत आयशा ने फ़रमाया कि अगर तुम्हारे मालिक पसन्द करें तो मैं यक मुश्त

अदायगी करके तुम्हें आज़ाद कर देती हूं और ऐसा करने पर तुम्हारी वला मेरे लिये होगी। पस वह अपने मालिकों के पास गई तो उन्होंने इस बात से इन्कार किया। बरीरा ने कहा कि मैंने यह बात उनके सामने रखी तो उन्होंने इन्कार किया मासिवाए इस शर्त के कि वला उनके लिये हो। रसूलुल्लाह ﷺ ने यह सुना तो मुझ से दरयाफ़्त किया, मैंने सारी बात अर्ज़ कर दी। फ़रमाया कि उसे लेकर आज़ाद कर दो और उनकी शर्त मंज़ूर कर लो क्योंकि वला तो उसके लिये है जो आज़ाद करे। हज़रत आयशा फ़रमाती हैं कि फिर रसूलुल्लाह ﷺ लोगों में खड़े हुए और अल्लाह तआला की हम्द व सना बयान करके फ़रमायाः "लोगों का क्या हाल है जो ऐसी शर्तें आइद करते हैं कि वह अल्लाह की किताब में नहीं हैं और जो शर्त अल्लाह की किताब में न हो वह बातिल है ख़्वाह वह सौ शर्तें हों क्योंकि अल्लाह का फ़ैसला ज़्यादा सच्चा और अल्लाह की शर्त ज़्यादा मज़बूत है। लोगों का क्या हाल है जबकि तुम में से कोई यह कहता है कि ऐ फ़ुलां! तू आज़ाद कर दे और वला मेरे लिये होगी हालांकि वला उसके लिये है जो आज़ाद करे।"

बाब 1608:- मुकातब की बैअ जबकि वह राज़ी होः

हज़रत आयशा ने फ़रमाया कि ग़ुलाम के ज़िम्मे जब तक कुछ भी बाक़ी रहे वह ग़ुलाम है। हज़रत ज़ैद बिन साबित ने फ़रमाया कि जब तक एक दिरहम भी बाक़ी रहे। हज़रत इब्ने उमर ने फ़रमाया कि वह ज़िन्दा हो या मुर्दा, ग़ुलाम है जब तक उस की तरफ़ कुछ भी बाक़ी रहे।

हदीस 2388:- अमरा बिन्ते अब्दुर्रहमान का बयान है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा رضی اللہ عنہا से मदद हासिल करने की ग़र्ज़ से बरीरा उनकी ख़िदमत में हाज़िर हुई। उन्होंने उससे फ़रमाया कि अगर तुम्हारे मालिक चाहें तो मैं क़ीमत यक मुश्त अदा कर दूं और ऐसा करके तुम्हें आज़ाद कर दूं। बरीरा ने इस बात का अपने मालिकों से ज़िक्र किया तो उन्होंने कहा कि वला हमारे लिये होगी। अमरा का बयान है कि हज़रत आयशा ने इस बात का रसूलुल्लाह ﷺ से ज़िक्र किया तो आप ने फ़रमाया किः "उसे ख़रीद कर आज़ाद कर दो क्योंकि वला तो उसी के लिये है जो आज़ाद करे।"

बाब 1609:- जब मुकातब किसी से कहे कि मुझे ख़रीद कर आज़ाद कर दो और वह इसी लिये ख़रीदेः

हदीस 2389:- ऐमन ने कहा कि मैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा رضی اللہ عنہا की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और मैंने कहा कि मैं उतबा बिन अबू लहब के पास था। वह मर गया तो मैं उसके बेटों को विरासत में मिला। उन्होंने मुझे इब्ने अबी अम्र के हाथों बेच दिया तो इब्ने अबी अम्र ने मुझे आज़ाद कर दिया और बनू उतबा ने वला की शर्त रखी थी। हज़रत आयशा ने फ़रमाया कि बरीरा मेरे पास आई थी और उस ने मुकातबत की हुई थी तो उस ने कहा कि मुझे ख़रीद कर आज़ाद कर दो। उन्होंने हां कर ली, उस ने कहा कि वह उस वक़्त तक फ़रोख़्त नहीं करेंगे जब तक वला की शर्त अपने लिये न रखें। उन्होंने फ़रमाया कि मुझे तो इस बात की हाजत नहीं है पस यह बात नबी करीम ﷺ ने सुन ली या आप तक पहुंची तो आप ने हज़रत आयशा से फ़रमाया या हज़रत आयशा ने ज़िक्र किया जो बरीरा ने बताया था। आप ने फ़रमाया कि उसे ख़रीद कर आज़ाद कर दो और उसके मालिकों को शर्त रखने दो और नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया किः "वला तो उसी के लिये है जो आज़ाद करे और इसके ख़िलाफ़ ख़्वाह कोई सौ शर्तें रखता फिरे।"

हिबा का बयान

बाब 1610:– हिबा करने की फज़ीलत और उसकी रग़बत दिलानाः

हदीस 2390:– हज़रत अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ ने फ़रमायाः "ऐ मुसलमान औरतो! कोई पड़ोसन अपनी पड़ोसन को हक़ीर न समझे (और उसके लिये कुछ भेजे) ख़्वाह वह बकरी का खुर ही क्यों न हो।"

हदीस 2391:– उरवा ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा رضي الله عنها से रिवायत की है कि उन्होंने उरवा से फ़रमायाः ऐ भांजे! हम एक चांद का इन्तिज़ार, फिर दूसरे चांद का, फिर तीसरे चांद का और यूं मुतवातिर दो महीने गुज़र जाते, रसूलुल्लाह ﷺ के घरों में आग न जलाई जाती। मैं अर्ज़ गुज़ार हुआ कि ख़ाला जान! फिर आप ज़िन्दा किस तरह रहती थीं? फ़रमायाः दो काली चीज़ों यानी खजूर और पानी से, मासिवाए इसके कि रसूलुल्लाह ﷺ के अन्सारी हमसाए थे। उनके पास चन्द दूध वाली बकरियां थीं, चुनान्चे वह रसूलुल्लाह ﷺ के लिये अपनी बकरियों के दूध से भेज देते तो आप हमें पिला देते।

बाब 1611:– थोड़ी चीज़ हिबा करनाः

हदीस 2392:– अबू हाज़िम ने हज़रत अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत की है कि नबी करीम ﷺ ने फ़रमायाः "अगर मुझे एक दस्ती या खुर के लिये दावत दी जाए तो मैं पसन्द करूंगा और अगर बतौर हदिया मेरे लिये दस्ती या खुर ही भेजा जाए तो मैं ज़रूर कुबूल करूंगा।"

बाब 1612:– जो अपने दोस्तों से कोई चीज़ मांगेः हज़रत अबू सईद से रिवायत है कि रसूले ख़ुदा ने फ़रमायाः अपने साथ मेरा हिस्सा भी रखना।

हदीस 2393:– हज़रत सहल बिन सअद رضي الله عنه से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ ने हज़रत सहल के ज़रिये एक मुहाजिर औरत के लिये कहला भेजा, जिसका ग़ुलाम बढ़ई का काम करता था कि अपने ग़ुलाम से कहो कि वह हमारे लिये मिंबर तय्यार कर दे। चुनान्चे उस ने अपने ग़ुलाम को हुक्म दिया तो वह जंगल की तरफ़ गया और झाउ की लकड़ी काट कर आप के लिये मिंबर तय्यार कर दिया। जब वह बना चुका तो औरत ने नबी करीम ﷺ के लिये पैग़ाम भेजा कि मिंबर तय्यार हो गया है। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया कि उसे मेरे पास भेज दो। पस लोग उसे उठा कर नबी करीम ﷺ की बारगाह में ले आए और उसे वहां रख दिया गया जिस जगह आप हज़रात देख रहे हैं।

हदीस 2394:– हज़रत अबू क़तादा رضي الله عنه फ़रमाते हैं कि मैं एक रोज़ नबी करीम ﷺ के बाज़ असहाब के साथ मक्का मुकर्रमा के रास्ते में एक मंज़िल पर बैठा हुआ था और रसूलुल्लाह ﷺ हम से आगे उतरे हुए थे और लोगों ने एहराम बांधा हुआ था जबकि मैं ग़ैर महरम था। पस हम ने एक जंगली गधा (गोरेख़र) देखा और मैं अपनी जूती गांठने में मसरूफ़ था। लोगों ने मुझे उसके बारे में कुछ न बताया हालांकि वह दिल से चाहते थे कि कहीं मैं उसे देख लूं। पस मैंने उधर तवज्जुह की तो उसे देख लिया। मैं अपने घोड़े की तरफ़ खड़ा हुआ, उस पर ज़ीन कसी, फिर सवार हो गया लेकिन अपना कोड़ा और नेज़ा भूल गया, पस मैंने उन से कोड़ा और नेज़ा पकड़ाने के लिये कहा। उन्होंने जवाब दिया कि ख़ुदा की क़सम! हम आप की किसी चीज़ से मदद नहीं करेंगे। चुनान्चे मुझे गुस्सा आया, पस मैं उतरा और दोनों चीज़ें लेकर सवार हो गया। पस मैंने गोरख़र पर हम्ला करके उसे पछाड़ लिया। फिर ज़िब्ह

करके उसे ले आया, फिर वह लोगों के सामने रख दिया तो वह खाने लगे। फिर उन्हें उसके खाने के बारे में शक हुआ क्योंकि उन्होंने एहरात बांधा हुआ था। हम रवाना हो गए और उसका एक बाज़ू मैंने अपने पास छुपा रखा था। जब हम रसूलुल्लाह ﷺ के पास पहुंच गए तो हम ने इस बारे में दरयाफ़्त किया, फ़रमाया कि: "क्या तुम्हारे पास उस में से कुछ है?" मैंने अस्बात में जवाब दिया और वह बाज़ू हुज़ूर की ख़िदमत में पेश कर दिया। पस आप ने वह तनावुल फ़रमाया यहां तक कि वह ख़त्म हो गया और आप ने एहराम बांधा हुआ था। इसकी ज़ैद बिन असलम, अता बिन यसार ने हज़रत अबू क़तादा से रिवायत की है।

बाब 1613:- जिस ने पानी मांगा:

हज़रत सहल का बयान है कि हुज़ूर ने मुझ से फ़रमाया: "पानी लाओ।"

हदीस 2395:- अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान का बयान है कि मैंने हज़रत अनस رضی اللہ عنہ को फ़रमाते हुए सुना कि रसूलुल्लाह ﷺ हमारे इसी ग़रीब ख़ाने में जल्वा अफ़रोज़ हुए और पानी मांगा। हम ने आप के लिये एक बकरी को दूहा, फिर उस में अपने इस कुंएं का पानी मिलाया और आप की ख़िदमत में पेश कर दिया। हज़रत अबू बकर आप के बाएं जानिब, हज़रत उमर सामने और एक आराबी दाएं जानिब था। जब आप फ़ारिग़ हुए तो हज़रत उमर अर्ज़ गुज़ार हुए कि यह हज़रत अबू बकर हैं, चुनान्चे आप ने आराबी को दिया और फ़रमाया कि दाएं जानिब वाले हैं। दाएं जानिब वालों को याद रखो उस वक़्त से यही तरीक़ा राइज है। यह आप ने तीन दफ़ा फ़रमाया।

बाब 1614:- शिकार का हदिया क़ुबूल करना:

नबी करीम ﷺ ने हज़रत अबू क़तादा से शिकार की दस्ती क़ुबूल फ़रमाई।

हदीस 2396:- हिशाम बिन ज़ैद बिन अनस बिन मालिक का बयान है कि हज़रत अनस رضی اللہ عنہ ने फ़रमाया कि हम ने एक ख़रगोश को मर्रे ज़हरान के मक़ाम पर भगाया। लोग उसके पीछे दौड़ते दौड़ते थक गए तो मैंने उसे पकड़ लिया और लेकर हज़रत अबू तल्हा की ख़िदमत में हाज़िर हो गया। उन्होंने उसे ज़िब्ह किया और उसकी सुरीन या दोनों रानें रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में भेज दीं। उनका बयान है कि कोई शक नहीं कि आप ने उन्हें क़ुबूल फ़रमा लिया। मैं अर्ज़ गुज़ार हुआ कि उस में से खाया? फ़रमाया कि उस में से खाया और फिर फ़रमाया कि उसे क़ुबूल फ़रमा लिया था।

हदीस 2397:- उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उतबा बिन मसऊद ने हज़रत इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہما से रिवायत की है कि हज़रत सअब बिन जस्सामा ने रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में बतौर हदिया गोरख़र भेजा जबकि आप अबवा या वद्दान के मक़ाम पर थे। चुनान्चे आप ने उसे वापस लौटा दिया, जब आप ने उनके चेहरे की हालत देखी तो फ़रमाया: "मैं इसे तुम्हारी तरफ़ कभी न लौटाता लेकिन मैं हालते एहराम में हूं।"

बाब 1615:- हदिया क़ुबूल करना:

हदीस 2398:- उरवा बिन ज़ुबैर ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा رضی اللہ عنہا से रिवायत की है कि लोग अपने हदिये भेजने के लिये हज़रत आयशा की बारी का इन्तिज़ार किया करते थे और इस तर्ज़े अमल से उनका मक़सूद रसूलुल्लाह ﷺ की ख़ुशनूदी हासिल करना होता था।

हदीस 2399:- सईद बिन ज़ुबैर का बयान है कि हज़रत इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہما ने फ़रमाया कि

हज़रत इब्ने अब्बास की ख़ाला हज़रत उम्मे हुफ़ैद ने नबी करीम ﷺ की ख़िदमत में पनीर, घी और गोह का हदिया भेजा। पस नबी करीम ﷺ ने पनीर और घी में से खाया और नफ़रत के बाइस गोह को छोड़ दिया। हज़रत इब्ने अब्बास ने फ़रमाया कि उसे (गोह को) रसूलुल्लाह ﷺ के दस्तरख़्वान पर खाया गया और अगर वह हराम होती तो रसूलुल्लाह ﷺ के दस्तरख़्वान पर न खाई जाती।

हदीस 2400:- मुहम्मद बिन ज़ियाद का बयान है कि हज़रत अबू हुरैरा رضی اللہ عنہ ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में जब खाना पेश किया जाता तो आप दरयाफ़्त फ़रमा लेते कि यह हदिया है या सदक़ा। अगर यह कहा जाता कि सदक़ा है तो अपने असहाब से फ़रमाते कि खा लो और ख़ुद तनावुल न फ़रमाते और अगर कहा जाता कि हदिया है तो रसूलुल्लाह ﷺ भी हाथ बढ़ा देते और लोगों के साथ तनावुल फ़रमाते।

हदीस 2401:- क़तादा का बयान है कि हज़रत अनस बिन मालिक رضی اللہ عنہ ने फ़रमाया कि नबी करीम ﷺ की ख़िदमत में गोश्त पेश किया गया और कहा गया कि यह बरीरा को सदक़ा के तौर पर दिया गया था। फ़रमाया कि: "यह उसके लिये सदक़ा और हमारे लिये हदिया है।"

हदीस 2402:- क़ासिम बिन मुहम्मद ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा رضی اللہ عنہا से रिवायत की है कि उन्होंने बरीरा को ख़रीदने का इरादा किया तो मालिकों ने वला की शर्त रखी। पस नबी करीम ﷺ से इसका ज़िक्र हुआ तो नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया कि उसे ख़रीद कर आज़ाद कर दो क्योंकि वला तो उसी के लिये है जो आज़ाद करे और उस (बरीरा) के लिये गोश्त भेजा गया तो नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया कि: "यह बरीरा को सदक़े के बतौर दिया गया है लिहाज़ा उसके लिये सदक़ा और हमारे लिये हदिया है।" और अब्दुर्रहमान का बयान है कि उसे उसके ख़ाविन्द के बारे में इख़्तियार दिया गया जो आज़ाद था या ग़ुलाम। शुअबा का बयान है कि मैंने अब्दुर्रहमान से उसके ख़ाविन्द के बारे में पूछा, फ़रमाया कि मुझे नहीं मालूम कि वह आज़ाद था या ग़ुलाम।

हदीस 2403:- हफ़सा बिन्ते सीरीन का बयान है कि हज़रत उम्मे अतिया رضی اللہ عنہا ने फ़रमाया कि हज़रत आयशा के पास नबी करीम ﷺ तशरीफ़ फ़रमा हुए और फ़रमाया: "क्या तुम्हारे पास खाने की कोई चीज़ है?" अर्ज़ की कि नहीं, मासिवाए उस गोश्त के जो उम्मे अतिया ने उस (बरीरा) के लिये बतौर सदक़ा भेजा है। फ़रमाया कि: "सदक़ा तो अपनी जगह पर जा पहुंचा।"

बाब 1616:- जो अपने साहब के लिये तोहफ़ा भेजे और तोहफ़ा भेजने में उसकी ख़ास बीवी की बारी का लिहाज़ रखे:

हदीस 2404:- उरवा बिन ज़ुबैर का बयान है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा رضی اللہ عنہا ने फ़रमाया कि लोग मेरी बारी के रोज़ अपने हदिये भेजा करते। हज़रत उम्मे सलमा ने बताया कि मेरी सौकनें जमा हुई और उन्होंने हुज़ूर से इस बात का ज़िक्र किया लेकिन आप ने जवाब से एराज़ फ़रमाया।

हदीस 2405:- उरवा बिन ज़ुबैर ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा رضی اللہ عنہا से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह ﷺ की अज़्वाजे मुतह्हरात के दो गिरोह थे। एक गिरोह हज़रत आयशा, हज़रत हफ़सा, हज़रत सफ़िया और हज़रत सौदा पर मुश्तमल था और दूसरे में हज़रत उम्मे सलमा और रसूलुल्लाह ﷺ की बाक़ी अज़वाजे मुतह्हरात थीं जबकि मुसलमानों को हज़रत आयशा से रसूलुल्लाह ﷺ की मुहब्बत का इल्म था। जब उन में से किसी के पास हदिया होता और वह उसे रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में

भेजना चाहता तो उसे रख छोड़ता, यहां तक कि जब रसूलुल्लाह ﷺ हज़रत आयशा के घर में होते तो हदिया भेजने वाला रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हज़रत आयशा के घर अपना हदिया भेजता। पस हज़रत उम्मे सलमा के गिरोह ने आपस में गुफ़्तगू की और हज़रत उम्मे सलमा से कहा कि आप रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में अर्ज़ करें कि हुज़ूर लोगों से यह फ़रमा दें कि जो रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हदिया पेश करना चाहे वह भेज़ दिया करे, अगर्चे आप अपनी अज़्वाजे मुतहहरात में से किसी के घर जल्वा अफ़रोज़ क्यों न हों। पस हज़रत उम्मे सलमा ने इसी तरह अर्ज़ कर दिया जैसा कि उन से कहा गया था तो आपने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। चुनान्चे उन्होंने उन से पूछा तो उन्होंने बता दिया कि हुज़ूर ने मुझ से कुछ भी नहीं फ़रमाया, चुनान्चे उन्होंने कहा कि फिर अर्ज़ करना। हज़रत सिद्दीक़ा का बयान है कि अपनी बारी के रोज़ उन्होंने फिर बात की लेकिन आपने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने उन से पूछा तो कहा कि मुझ से कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि फिर अर्ज़ करना यहां तक कि कुछ इरशाद फ़रमाएं। पस जब उनकी बारी आई तो यह फिर अर्ज़ गुज़ार हुई। आप ने उन से फ़रमाया कि मुझे आयशा के बारे में तकलीफ़ न दो क्योंकि मेरे पास वही नहीं आती जब मैं अपनी किसी बीवी के कपड़ों में हूं सिवाए आयशा के। हज़रत सिद्दीक़ा का बयान है कि वह अर्ज़ गुज़ार हुई कि या रसूलल्लाह! मैं आप को ईज़ा देने से तौबा करती हूं, फिर उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ की साहबज़ादी हज़रत फ़ातिमा को बुलाया और उन्हें रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में यह कहने के लिये भेजा कि आप की अज़्वाजे मुतह्हरात ख़ुदा का वास्ता देती हैं कि अबू बकर की बेटी के बारे में इन्साफ़ फ़रमाइये। चुनान्चे उन्होंने अर्ज़ की तो आपने फ़रमायाः ऐ बेटी! क्या जिस से मैं मुहब्बत करता हूं तुम्हें उससे मुहब्बत नहीं? अर्ज़ गुज़ार हुई कि क्यों नहीं। पस यह उनके पास वापस गई और उन्हें जवाब बता दिया। उन्होंने फिर वापस जाने के लिये कहा तो यह इन्कार कर गईं। फिर उन्होंने हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश को भेजा, वह हाज़िरे ख़िदमत हुईं और गर्म लहजे में अर्ज़ गुज़ार हुई कि आप की बीवियां अल्लाह का वास्ता देकर अर्ज़ करती हैं कि इब्ने अबू क़ुहाफ़ा की बेटी के बारे में इन्साफ़ फ़रमाइये और उनकी आवाज़ बुलन्द हो गई यहां तक कि हज़रत आयशा पर बरस पड़ीं जो वहां बैठी हुई थीं और उन्हें बुरा भला कहा तो रसूलुल्लाह ﷺ ने हज़रत आयशा की तरफ़ देखा कि यह क्या कहती हैं। हज़रत आयशा भी गोया हुईं और हज़रत ज़ैनब को जवाब दिया, यहां तक कि उन्हें ख़ामोश कर दिया गया और नबी करीम ﷺ ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की तरफ़ देखते हुए फ़रमाया कि यह अबू बकर की बेटी है। इमाम बुख़ारी फ़रमाते हैं कि हज़रत फ़ातिमा के वाक़िए में आख़िरी बात मन्क़ूल है, हिशाम बिन उरवा एक आदमी, ज़ुहरी, मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से और अबू मरवान, हिशाम, उरवा से रिवायत है कि लोग अपने हदिये भेजने के लिये हज़रत आयशा की बारी का इन्तिज़ार किया करते थे और हिशाम एक क़ुरशी, एक मवाली से ज़ुहरी, मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन हारिस बिन हिशाम, हज़रत आयशा ने फ़रमाया कि मैं नबी करीम ﷺ के पास थी कि हज़रत फ़ातिमा ने अन्दर आने की इजाज़त मांगी।

फ़ायदाः– हज़रत आयशा सिद्दीक़ा رضي الله عنها की बड़ी शान है। यूं तो तमाम अज़्वाजे मुतह्हरात ही उम्मते मुहम्मदिया की मां हैं लेकिन उन में से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा رضي الله عنها वह हैं जो महबूबे रब्बुल आलमीन की महबूबा हैं। अहादीसे मुतह्हरा के अन्दर उनके बेशुमार फ़ज़ाइल व ख़साइस मज़्कूर हुए हैं जो यहां बयान नहीं किये जा सकते। तबर्रुकन यहां चन्द बातें इख़्तिसार के साथ अर्ज़ करता हूं व

बिल्लाहित तौफ़ीक़।

1- इस हदीस में रसूलुल्लाह ﷺ ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मुताल्लिक़ बात करने पर उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा رضي الله عنها से फ़रमायाः "لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ" मुझे आयशा के बारे में ईज़ा न पहुंचाओ।

2- मज़कूरा इरशाद की वजह बयान करते हुए आपने फ़रमायाः "فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي ثَوْبِ امْرَأَةٍ إِلَّا عَائِشَةَ" क्योंकि मुझ पर वही नहीं आती जब मैं अपनी किसी बीवी के कपड़े में हूं मासिवाए आयशा कि। गोया जिस को परवरदिगारे आलम ने जुम्ला अज़्वाजे मुतह्हरात में इम्तियाज़ी मक़ाम दे रखा है तो मैं उसे इम्तियाज़ी मक़ाम क्यों न दूं?

3- इसी हदीस में आपने हज़रत आयशा की यह ख़ूबी भी बयान फ़रमाईः "إِنَّهَا بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ" यानी यह अबू बकर की बेटी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ رضي الله عنه ने रसूलुल्लाह ﷺ की ख़ातिर जो जानी व माली कुरबानियां पेश कीं और रिफ़ाक़त का जो हक़ अदा किया वह अपनी मिसाल आप है। रहमते दो आलम ﷺ को भी इस बात का पूरा पूरा एहसास था लिहाज़ा साफ़ साफ़ फ़रमा दिया कि यह मेरे यारे ग़ार की बेटी है।

4- यह हज़रत सिद्दीक़ा वही तो हैं رضي الله عنها कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई गई तो उनकी पाक दामनी की गवाही एक बच्चे ने दी। हज़रत मरयम पर उनकी क़ौम ने तोहमत लगाई तो उनकी पाक दामनी की शहादत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी लेकिन जब हज़रत आयशा رضي الله عنها पर तोहमत लगाई गई तो परवरदिगारे आलम ने सूरए नूर की अट्ठारह (18) आयतें नाज़िल करके इनकी पाक दामनी की खुद गवाही दी।

5- यही हज़रत आयशा सिद्दीक़ा رضي الله عنها हैं जिनके मुताल्लिक़ सरवरे कौन व मकां ﷺ ने फ़रमाया किः दो तिहाई दीन अपनी मां हुमैरा से हासिल करो।

6- यही हज़रत आयशा सिद्दीक़ा رضي الله عنها हैं जिन से दो हज़ार दो सौ दस अहादीस मरवी हैं। जिन में से एक सौ चौहत्तर (174) मुत्तफ़िक़ अलैहि हैं। चव्वन (54) वह हैं जो सिर्फ़ बुख़ारी शरीफ़ में हैं। अड़सठ (68) वह हैं जो सिर्फ़ मुस्लिम शरीफ़ में हैं और बाक़ी दीगर कुतुबे अहादीस में हैं।

7- हज़रत आयशा सिद्दीक़ा رضي الله عنها वही हैं जिन की गोद में रसूलुल्लाह ﷺ का विसाल हुआ। उनका मुक़द्दस हुजरा ही क़यामत तक आप की आरामगाह बना। वह इनका ही काशानए अक़दस था जिस में रौज़ए रसूल तामीर हुआ। जहां रोज़ाना सत्तर हज़ार फ़रिश्ते सुबह को और सत्तर हज़ार फ़रिश्ते शाम को बारी बारी सलात व सलाम के फूल निछावर करने आते रहते हैं। इसी रौज़ए पाक के मुताल्लिक़ तो कहा गया हैः

हाजियो! आओ शहंशाह का रौज़ा देखो
कअबा तो देख चुके, कअबे का कआ देखो

बाब 1617:- जो हदिया वापस न किया जाएः

हदीस 2406:- अज़रा बिन साबित अन्सारी का बयान है कि मैं सुमामा बिन अब्दुल्लाह के पास गया तो उन्होंने मुझे खुश्बू दी और फ़रमाया कि हज़रत अनस رضي الله عنه खुश्बू वापस नहीं किया करते और हज़रत अनस का कहना है कि नबी करीम ﷺ खुश्बू वापस नहीं फ़रमाया करते थे।

बाब 1618:– जो ग़ायब चीज़ के हिबा करने को जाइज़ समझे:

हदीस 2407:– उरवा का बयान है कि हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा ؓ और मरवान ने उन्हें बताया कि नबी करीम ﷺ की ख़िदमत में जब हवाज़िन का वफ़्द हाज़िर हुआ तो आप लोगों के दरमियान खड़े हुए, फिर अल्लाह तआला की सना बयान की जो उसके लायक़ है। फिर फ़रमाया: अम्मा बाद! तुम्हारे यह भाई हमारे पास तौबा करके आए हैं और मैं यह मुनासिब समझता हूं कि उनके क़ैदी उन्हें वापस दे दूं। पस जो तुम में से बख़ुशी ऐसा करना चाहता है तो वह कर दे और जो अपना हिस्सा बाक़ी रखना चाहता है यहां तक कि अल्लाह तआला हमें सबसे पहले जो फ़य (ग़नीमत) का माल अता फ़रमाए उस में से हम उसे देदें। लोग अर्ज़ गुज़ार हुए कि हम बख़ुशी आप को इजाज़त देते हैं।

बाब 1619:– हिबा का बदला लेना:

हदीस 2408:– उरवा बिन ज़ुबैर का बयान है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ؓ ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह ﷺ हदिया को क़ुबूल फ़रमाते और उसका बदला दिया करते थे। वकीअ और मुहाज़िर इसे हिशाम, उरवा और हज़रत आयशा की सनद से रिवायत नहीं करते।

बाब 1620:– बेटे के लिये हिबा करना:

जब कोई अपने बेटे को कोई चीज़ दे तो जाइज़ नहीं यहां तक कि बेटों में इन्साफ़ करे और दूसरों को भी उतना ही दे और उस पर कोई गवाही न दे। नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया कि: अपनी औलाद के दरमियान अतियात में इन्साफ़ करो और क्या वालिदैन अता करके वापस ले सकते हैं? और अपनी औलाद के माल से दस्तूर के मुताबिक़ खा सकते हैं लेकिन हद से तजावुज़ न किया जाए। नबी करीम ﷺ ने हज़रत उमर से एक ऊंट ख़रीदा फिर वह हज़रत इब्ने उमर को देकर फ़रमाया कि इसका जो चाहो करो।

हदीस 2409:– हुमैद बिन अब्दुर्रहमान और मुहम्मद बिन नोमान बिन बशीर ने हज़रत नोमान बिन बशीर ؓ से रिवायत की है कि उनके वालिदे माजिद उन्हें लेकर रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ गुज़ार हुए कि मैंने अपने इस बेटे को गुलाम दे दिया है। फ़रमाया कि: "क्या तुम ने अपने हर बेटे को ऐसा ही दिया है?" अर्ज़ की कि नहीं। फ़रमाया: "तो इसे वापस करो।"

बाब 1621:– हिबा में गवाह बनाना:

हदीस 2410:– आमिर का बयान है कि मैंने हज़रत नोमान बिन बशीर ؓ से सुना कि वह मिंबर पर फ़रमाते थे कि मेरे वालिदे माजिद ने मुझे एक अतिया दिया। पस हज़रत अमरा बिन रवाहा ने कहा कि मैं उस वक़्त तक राज़ी नहीं जब तक रसूलुल्लाह ﷺ को गवाह न बनाओ। यह अर्ज़ गुज़ार हुए कि मैंने अपने बेटे को जो अमरा बिन्ते रवाहा से है एक अतिया दिया है। या रसूलल्लाह! वह मुझ से कहती हैं कि आप को गवाह बनाओ। फ़रमाया कि: "क्या तुम ने अपने तमाम बेटों को ऐसा ही दिया है?" अर्ज़ गुज़ार हुए कि नहीं। फ़रमाया: "तो अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के दरमियान इन्साफ़ करो।" पस वह वापस लौट आए और अपना अतिया वापस ले लिया।

बाब 1622:– ख़ाविन्द का बीवी को और बीवी का ख़ाविन्द को हिबा करना:

इब्राहीम ने कहा जाइज़ है और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि वह दोनों वापस नहीं लौटाएंगे और नबी करीम ﷺ ने अपनी अज़्वाजे मुतह्हरात से इजाज़त तलब फ़रमाई कि हालते मर्ज़ के अन्दर

हज़रत आयशा के घर में क़याम फ़रमाएं और नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "हिबा की हुई चीज़ को वापस लौटाने वाला क़य को खाने वाले की तरह है।" ज़ुहरी ने उस शख़्स के बारे में कहा जिसने अपनी बीवी से कहा कि अपने महर का कुछ हिस्सा या सारा मुझे हिबा कर दो। फिर थोड़े अरसे बाद वह उसे तलाक़ दे देता है तो औरत हिबा से फिर जाती है। उन्होंने फ़रमाया कि उसे पूरा महर दिया जाएगा जबकि उस ने धोका दिया हो और अगर उसने ख़ुशी से माफ़ किया हो और ख़ाविन्द के दिल में भी कोई चालाकी न थी तो जाइज़ है। इरशादे बारी तआला है: "फिर अगर वह दिल की ख़ुशी से महर में से तुम्हें कुछ देदें।" (4/4)

हदीस 2411:- उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा رضي الله عنها से रिवायत की है कि जब नबी करीम ﷺ पर गिरानी गुज़रने लगी और आप का मर्ज़ बढ़ गया तो आपने हालते मर्ज़ के अन्दर मेरे घर में क़याम फ़रमाने की इजाज़त तलब की तो उन्होंने इजाज़त दे दी। पस आप दो आदमियों के दरमियान (सहारा लेकर) तशरीफ़ लाए और आप के पांव ज़मीन के साथ लग रहे थे और आप हज़रत अब्बास और एक दूसरे आदमी के दरमियान थे। उबैदुल्लाह का बयान है कि मैंने हज़रत इब्ने अब्बास से इसका ज़िक्र किया जो हज़रत आयशा ने फ़रमाया था, तो उन्होंने मुझ से फ़रमाया कि क्या तुम उस आदमी का नाम जानते हो जिस का हज़रत आयशा ने नाम लिया? मैंने कहा कि नहीं। फ़रमाया कि वह हज़रत अली बिन अबू तालिब थे।

हदीस 2412:- हज़रत इब्ने अब्बास رضي الله عنهما से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया कि: अपनी हिबा की हुई चीज़ को वापस लेने वाला कुत्ते की तरह है जो क़य करके फिर उसे खा लेता है।

बाब 1623:- औरत का शौहर के होते हुए दूसरे को हिबा करना और आज़ाद करना:

यह जाइज़ है जबकि औरत बेवक़ूफ़ न हो, अगर औरत बेवक़ूफ़ हो तो जाइज़ नहीं है। इरशादे बारी तआला है: "और बेवक़ूफ़ों को अपने माल न दो।"

हदीस 2413:- अब्बाद बिन अब्दुल्लाह का बयान है कि हज़रत अस्मा رضي الله عنها ने फ़रमाया कि मैं अर्ज़ गुज़ार हुई: या रसूलल्लाह! मेरे पास माल नहीं है मगर वही जो मुझे हज़रत ज़ुबैर ने दिया है तो क्या मैं उस में से ख़ैरात किया करूं? फ़रमाया कि: "ख़ैरात करो और रोक कर न रखो वरना तुम्हें देना भी रोक लिया जाएगा।"

हदीस 2414:- फ़ातिमा ने हज़रत अस्मा رضي الله عنها से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "ख़र्च करो और गिन कर न दो वरना अल्लाह तआला भी तुम्हें गिन कर देगा और हाथ न रोको वरना अल्लाह तआला भी तुम से अपना हाथ रोक लेगा।"

हदीस 2415:- कुरैब मौला इब्ने अब्बास को हज़रत मैमूना बिन्ते हारिस رضي الله عنها ने बताया कि उन्होंने एक लौंडी आज़ाद की और नबी करीम ﷺ से इजाज़त न ली। जब उनकी बारी का दिन आया तो अर्ज़ गुज़ार हुई कि या रसूलल्लाह! क्या आप को मालूम है कि मैंने अपनी लौंडी को आज़ाद कर दिया है? फ़रमाया: "क्या तुम यह काम कर चुकी हो?" अर्ज़ गुज़ार हुई कि हां। फ़रमाया कि: "अगर तुम उसे अपने मामूं को देतीं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अज्र मिलता।" बक्र बिन मुज़र, उमर, बुकैर ने कुरैब से रिवायत की है कि हज़रत मैमूना ने उसे आज़ाद कर दिया था।

हदीस 2416:- उरवा का बयान है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा رضي الله عنها ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह

ﷺ जब सफ़र का इरादा फ़रमाते तो अपनी अज़्वाजे मुतह्हरात के दरमियान क़ुरआ डालते कि आप के साथ जाने के लिये किस का नाम निकलता है और आपने उनके दरमियान एक रात दिन की बारी मुक़र्रर फ़रमाई हुई थी, मासिवाए इसके कि हज़रत सौदा बिन्ते ज़म्आ ने अपनी बारी हज़रत आयशा ज़ौजा नबी करीम ﷺ को दी हुई थी और इससे उनका मक़सूद रसूलुल्लाह ﷺ की रज़ामन्दी हासिल करना था।

बाब 1624:– किस से हदिया की इब्तिदा की जाए:

बक्र, अम्र, बुकैर, कुरैब मौला इब्ने अब्बास का बयान है कि हज़रत मैमूना ज़ौजा नबी करीम ﷺ ने अपनी लौंडी आज़ाद कर दी तो आप ने उन से फ़रमाया कि: "अगर तुम अपने किसी मामूं को देतीं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अज्र मिलता।"

हदीस 2417:– बनी तैम बिन मुर्रा के फ़र्द तल्हा बिन अब्दुल्लाह का बयान है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा رضي الله عنها ने फ़रमाया कि मैं अर्ज़ गुज़ार हुई: या रसूलल्लाह! मेरी दो पड़ोसन हैं तो मैं उन में से किस के लिये हदिया भेजूं? फ़रमाया कि: "उन में से जिस का दरवाज़ा तुम्हारे ज़्यादा क़रीब हो।"

बाब 1625:– जो किसी वजह से हदिया क़ुबूल न करे:

उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का बयान है कि हदिया तो रसूलुल्लाह ﷺ के ज़मानए मुबारक में हदिया होता था और आज तो रिश्वत है।

हदीस 2418:– हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास رضي الله عنهما ने हज़रत सअब बिन जस्सामा लैसी رضي الله عنه से सुना जो नबी करीम ﷺ के असहाब से थे कि उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में वहशी गधे के गोश्त का हदिया पेश किया जबकि आप अबवा या वद्दान के मक़ाम पर हालते एहराम में थे तो हुज़ूर ने उसे वापस कर दिया। हज़रत सअब का बयान है कि हदिया वापस होने के बाइस जब हुज़ूर ने मेरे चेहरे की हालत देखी तो फ़रमाया: मैं तुम्हारे तोहफ़े को कभी रद्द न करता लेकिन हालते एहराम में हूं।

हदीस 2419:– उरवा बिन ज़ुबैर का बयान है कि हज़रत अबू हुमैद साइदी رضي الله عنه ने फ़रमाया कि नबी करीम ﷺ ने क़बीला अज़्द के एक शख़्स को जिसे इब्ने उतबिया कहा जाता है, सदक़ा वुसूल करने के लिये आमिल बना कर भेजा। जब वह वापस लौटा तो कहा कि यह माल आप का है और यह मुझे तोहफ़े मिले हैं। फ़रमाया: "अच्छा तुम अपने बाप के घर में बैठ रहते या अपनी मां के घर में, फिर देखते कि तुम्हें कोई तोहफ़े देता है या नहीं। क़सम है उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है तुम में से कोई शख़्स उस में से नहीं लेगा मगर वह क़यामत के रोज़ उसे अपनी गर्दन पर उठा कर हाज़िर होगा। अगर वह ऊंट हुआ तो बिलबिलाता होगा। गाय हुई तो डकराती होगी और बकरी हुई तो मिमयाती होगी। फिर अपना हाथ बुलन्द फ़रमाया यहां तक कि हम ने बग़लों की सफ़ेदी देख ली और तीन मर्तबा कहा कि ऐ अल्लाह! क्या मैंने तेरा हुक्म पहुंचा दिया?"

बाब 1626:– जब कोई हिबा या वादा करे और चीज़ देने से पहले मर जाए:

उबैदा का क़ौल है कि अगर हिबा करने वाला मर जाए तो हदिया अलाहिदा कर दिया जाएगा और मौहूब लहु ज़िन्दा हो तो उसके वारिसों के लिये है और अगर अलाहिदा न किया हो तो हिबा करने वाले के वारिसों के लिये होगा। हसन बसरी का क़ौल है कि दोनों में से ख़्वाह कोई पहले मर जाए वह मौहूब लहु के वारिसों का होगा जबकि क़ासिद ने उस पर क़ब्ज़ा कर लिया हो।

हदीस 2420:- हज़रत जाबिर ﵁ का बयान है कि नबी करीम ﷺ ने मुझ से फ़रमाया कि अगर बहरैन का माल आ गया तो मैं तुम्हें इतना दूंगा, तीन मर्तबा फ़रमाया। वह माल नबी करीम ﷺ की वफ़ात तक नहीं आया। पस हज़रत अबू बकर ने एक मुनादी को हुक्म दिया तो उस ने मुनादी की कि जिस से नबी करीम ﷺ ने वादा फ़रमाया या क़र्ज़ देना हो तो वह हमारे पास आ जाए। पस मैं उनकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहा कि नबी करीम ﷺ ने मुझ से वादा फ़रमाया था पस मुझे तीन लप भर कर दीं।

बाब 1627:- गुलाम और सामान पर किस तरह क़ब्ज़ा किया जाए:

हज़रत इब्ने उमर का बयान है कि मैं एक सरकश ऊंट पर सवार था तो उसको नबी करीम ﷺ ने ख़रीद लिया और फ़रमाया कि: "ऐ अब्दुल्लाह! यह तुम्हारा है।"

हदीस 2421:- इब्ने अबी मुलैका ﵁ का बयान है कि हज़रत मिसवर बिन मख़रमा ﵁ ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह ﷺ ने क़बाएं तक़सीम फ़रमाई और उन में से हज़रत मख़रमा को कुछ न दिया। पस हज़रत मख़रमा ने फ़रमाया कि ऐ बेटे! रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में मेरे साथ चलो, पस मैं उनके साथ गया। फ़रमाया कि अन्दर जाकर हुज़ूर को मेरे पास बुला लाओ। उनका बयान है कि मैं हुज़ूर को बुलाने गया, आप उनके पास तशरीफ़ लाए और आप के ऊपर उन में से क़बा थी। फ़रमाया कि: "यह हम ने तुम्हारे लिये रख छोड़ी थी।" रावी का बयान है कि उन्होंने उसकी तरफ़ देखा तो हुज़ूर ने फ़रमाया: "मख़रमा राज़ी हो गया।"

बाब 1628:- किसी ने कोई चीज़ हिबा की, दूसरे ने क़ब्ज़ा कर लिया और यह न कहा कि मैंने क़ुबूल की:

हदीस 2422:- हुमैद बिन अब्दुर्रहमान ﵁ का बयान है कि हज़रत अबू हुरैरा ﵁ ने फ़रमाया: एक आदमी रसूलुल्लाह ﷺ की बारगाह में हाज़िर होकर कहने लगा कि मैं हलाक हो गया। फ़रमाया कि: "तुम्हें क्या हो गया है?" अर्ज़ की कि मैं रोज़े की हालत में अपनी बीवी से सोहबत कर बैठा। फ़रमाया कि: "क्या गुलाम आज़ाद कर दोगे?" अर्ज़ की कि नहीं। फ़रमाया कि: "क्या तुम इतनी इस्तिताअत रखते हो कि मुतवातिर दो महीने के रोज़े रखो?" अर्ज़ गुज़ार हुआ कि नहीं। फ़रमाया कि: "क्या तुम्हें तौफ़ीक़ है कि साठ मिस्कीनों को खाना खिला दो?" अर्ज़ की कि नहीं। पस एक अन्सारी अरक़ में खजूरें लेकर हाज़िरे बारगाह हो गया। अरक़ खजूरें मापने का एक पैमाना होता था। फ़रमाया कि: "इन्हें ले जाओ और ख़ैरात कर आओ।" अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह! क्या अपने से ज़्यादा ज़रूरत मन्दों को दूं? क़सम है उस ज़ात की जिस ने आपको हक़ के साथ मबऊस फ़रमाया, इन दोनों संगिस्तानों के दरमियान हम से ज़्यादा हाजतमन्द और कोई नहीं। फ़रमाया: "तो ले जाओ और अपने घर वालों को खिला दो।"

बाब 1629:- जब कोई अपना क़र्ज़ा किसी को हिबा करे:

शुअबा ने हकम से नक़्ल किया कि यह जाइज़ है और हज़रत हसन बिन अली अलैहिमस्सलाम ने अपना क़र्ज़ा हिबा किया। नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया कि: "जिस पर किसी का क़र्ज़ा हो तो अदा करदे या माफ़ करवाले।" हज़रत जाबिर का बयान है कि मेरे वालिद माजिद को शहीद कर दिया गया और उन पर क़र्ज़ था, तो नबी करीम ﷺ ने क़र्ज़ ख़्वाहों से दरयाफ़्त किया कि वह मेरे बाग़ की

खजूरें कुबूल कर लें या मेरे बाप का क़र्ज़ माफ़ कर दें।

हदीस 2423:- इब्ने कअब बिन मालिक का बयान है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ﷺ ने उन्हें बताया कि उनके वालिद को ग़ज़वए उहुद में शहीद कर दिया गया था, पस क़र्ज़ ख़्वाहों ने अपने हुकूक़ के मुतालबे में सख़्ती से काम लिया तो मैं रसूलुल्लाह ﷺ की बारगाह में हाज़िर होकर अर्ज़ गुज़ार हुआ कि उन से पूछिये कि मेरे बाग़ का फल (खजूरें) लेकर मेरे वालिद का बोझ हल्का कर दें। उन्होंने इन्कार कर दिया तो रसूलुल्लाह ﷺ ने उन्हें मेरा बाग़ न दिया और न उनके लिये फल तुड़वाया बल्कि फ़रमाया कि मैं कल तुम्हारे पास आऊंगा। अगले रोज़ अलस्सुबह आप तशरीफ़ ले आए, एक दरख़्त के गिर्द फिरे और उसके फलों के लिये दुआए बरकत की, पस मैंने उन्हें तोड़ा तो मैंने उनके हुकूक़ उन्हें अदा कर दिये और हमारे लिये भी काफ़ी खजूरें बच रहीं। फिर मैं रसूलुल्लाह ﷺ की बारगाह में हाज़िर हुआ और आप बैठे हुए थे तो मैंने यह बात आप को बता दी। रसूलुल्लाह ﷺ ने हज़रत उमर से फ़रमाया जो वहां बैठे हुए थे कि ऐ उमर! सुनो, वह अर्ज़ गुज़ार हुए कि ऐसा क्यों न होता और हम जानते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं ख़ुदा की क़सम आप ज़रूर अल्लाह के रसूल हैं।

बाब 1630:- एक चीज़ चन्द आदमियों को हिबा करनाः

हज़रत अस्मा ने क़ासिम बिन मुहम्मद और इब्ने अबी अतीक़ से कहा कि मुझे अपनी बहन हज़रत आयशा से ग़ाबा में जो तर्का मिला और हज़रत मुआविया जिसके मुझे एक लाख दिरहम देते थे, वह तुम दोनों के लिये है।

हदीस 2424:- अबू हाज़िम ने हज़रत सहल बिन सअद ؓ से रिवायत की है कि नबी करीम ﷺ की ख़िदमत में मशरूब पेश किया गया तो आपने नोश फ़रमाया जबकि आप के दाएं जानिब एक लड़का और बाएं तरफ़ उम्र रसीदा हज़रात थे। आप ने लड़के से फ़रमाया कि: "अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो उन्हें दे दूं।" वह अर्ज़ गुज़ार हुआ कि या रसूलल्लाह! मैं आप की अता के बारे में किसी को अपनी ज़ात पर तरजीह नहीं दूंगा पस वह उसके हाथ में दे दिया गया।

बाब 1631:- मक्बूज़ा, ग़ैर मक्बूज़ा, तक़्सीम शुदा और ग़ैर तक़्सीम शुदा चीज़ का हिबा करनाः नबी करीम ﷺ ने अपने असहाब को हवाज़िन की ग़नीमत दी और वह तक़्सीम नहीं फ़रमाई थी। साबित, मिस्अर, मुहारिब, हज़रत जाबिर फ़रमाते हैं कि मैं मस्जिद के अन्दर नबी करीम ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आप ने मेरा क़र्ज़ा चुका कर मज़ीद माल अता फ़रमाया।

हदीस 2425:- मुहारिब का बयान है कि मैंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ﷺ को फ़रमाते हुए सुना कि सफ़र के दौरान मैंने नबी करीम ﷺ से एक ऊंट का सौदा किया। जब हम मदीना मुनव्वरा में आ गए तो फ़रमाया कि मस्जिद में आना, फिर दो रकअतें पढ़ीं और क़ीमत तौल दी। शुअबा का बयान है कि मेरे ख़्याल में क़ीमत तौल दी और मज़ीद अता फ़रमाया। उस में से कुछ हिस्सा मेरे पास रहा यहां तक कि यौमुल हर्रा में उसे अहले शाम ने छीन लिया।

हदीस 2426:- अबू हाज़िम ने हज़रत सहल बिन सअद ؓ से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में मशरूब पेश किया गया। आप के दाएं जानिब एक लड़का और बाएं जानिब उम्र रसीदा हज़रात थे। पस आपने लड़के से फ़रमाया कि: "क्या तुम मुझे इजाज़त देते हो कि मशरूब उन्हें

दे दूं?" लड़का अर्ज़ गुज़ार हुआ कि ख़ुदा की क़सम! आप से मिलने वाले अपने हिस्से के बारे में किसी को अपने ऊपर तरजीह नहीं दूंगा, पस वह उसके हाथ में दे दिया गया।

हदीस 2427:- अबू सलमा का बयान है कि हज़रत अबू हुरैरा ﷺ ने फ़रमाया कि किसी शख़्स का रसूलुल्लाह ﷺ पर क़र्ज़ था। हुज़ूर के असहाब उस पर हम्ला आवर होने को थे तो आप ने फ़रमाया कि: जाने दो क्योंकि हक़दार को बोलने का हक़ है और फ़रमाया कि उतनी ही उम्र का उसे ऊंट दे दो। वह अर्ज़ गुज़ार हुए कि उतनी उम्र का ऊंट तो नहीं मिलता मगर ज़्यादा उम्र का मिलता है। फ़रमाया कि: "वही ख़रीद कर उसे दे दो क्योंकि तुम में बेहतर आदमी वह है जो अच्छी तरह अदा करता है।"

बाब 1632:- जब चन्द आदम कोई चीज़ किसी कौम को हिबा करें:

हदीस 2428:- उरवा का बयान है कि मरवान और हज़रत मिसवर बिन मख़रमा ﷺ ने उन्हें बताया कि नबी करीम ﷺ की ख़िदमत में मुसलमान होकर जब हवाज़िन का वफ़्द हाज़िर हुआ और उन्होंने अपना माल और अपने क़ैदी लौटाने का मुतालबा किया तो हुज़ूर ने फ़रमाया कि मेरे साथियों को तुम देख रहे हो और मुझे सबसे पसन्द वह बात है जो ज़्यादा सच्ची हो, लिहाज़ा एक चीज़ इख़्तियार कर लो, माल या क़ैदी और इसी लिये मैं तुम्हारा मुन्तज़िर था और नबी करीम ﷺ ने उनका दस रोज़ से ज़्यादा इन्तिज़ार फ़रमाया यहां तक कि ताइफ़ से लौट आए। जब उन पर बख़ूबी वाज़ेह हो गया कि नबी करीम ﷺ दोनों में से एक ही चीज़ लौटाएंगे तो अर्ज़ गुज़ार हुए कि हमारे क़ैदी लौटा दीजिये। पस आप मुसलमानों में खड़े हुए, अल्लाह तआला की सना बयान की जो उसकी शान के लायक़ है, फिर फ़रमाया: "अम्मा बाद! तुम्हारे यह भाई हमारे पास तौबा करके आए हैं और मेरा इरादा है कि इनके क़ैदी इन्हें वापस दे दूं, पस जो तुम में से पसन्द करे वह बख़ुशी ऐसा करदे और जो अपना हिस्सा रखना चाहे तो हम उसे मुआवज़ा दे देंगे। जो भी सबसे पहले अल्लाह तआला ने हमें फ़य (ग़नीमत) का माल अता फ़रमाया और वह ऐसा करे।" लोग अर्ज़ गुज़ार हुए कि या रसूलल्लाह! हम इन्हें आज़ाद करने पर रज़ामन्द हैं। आप ने उन से फ़रमाया कि हमें नहीं मालूम कि किस ने इजाज़त दी और किस ने न दी लिहाज़ा तुम चले जाओ और इस बारे में बता कर अपने मारूफ़ लोगों को हमारे पास भेजो। लोग वापस गए और अपने मारूफ़ लोगों से गुफ़्तगू की। फिर वह नबी करीम ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुए और आप को बताया कि वह बरज़ा व रग़बत इजाज़त दे रहे हैं। यह है ख़बर जो हवाज़िन के क़ैदियों के बारे में हम तक पहुंची। यह आख़िरी क़ौल ज़ुहरी का है यानी فَهٰذَا الَّذِيْ بَلَغَنَا.

बाब 1633:- जिस को हदिया दिया जाए और उसके पास लोग बैठे हों तो हक़दार वही है:

हज़रत इब्ने अब्बास से मन्क़ूल है कि पास बैठने वाले शरीक होते हैं लेकिन यह सही नहीं है।

हदीस 2429:- अबू सलमा ने हज़रत अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत की है कि नबी करीम ﷺ ने किसी से एक ऊंट क़र्ज़ लिया। क़र्ज़ ख़्वाह आया और उस ने सख़्ती से तक़ाज़ा किया। आपने फ़रमाया कि: "हक़दार को बात करने का हक़ है।" फिर उसे बेहतर ऊंट देकर फ़रमाया कि: "तुम में से अफ़ज़ल वह है जो बेहतर तरीक़े से अदा करता है।"

हदीस 2430:- अम्र बिन दीनार ने हज़रत इब्ने उमर ﷺ से रिवायत की है कि एक सफ़र में वह नबी करीम ﷺ के हमराह थे और वह हज़रत उमर के एक सरकश ऊंट पर सवार थे और वह

नबी करीम ﷺ से आगे बढ़ जाता था। पस मेरे वालिदे मोहतरम ने फ़रमाया कि ऐ अब्दुल्लाह! नबी करीम ﷺ से तो कोई भी आगे नहीं बढ़ता। नबी करीम ﷺ ने उन से फ़रमाया कि यह मुझे बेच दो। हज़रत उमर अर्ज़ गुज़ार हुए कि यह आप ही का है। पस आपने उसे ख़रीद लिया, फिर फ़रमायाः "ऐ अब्दुल्लाह! यह तुम्हारा है, पस इसका जो चाहो करो।"

बाब 1634:- जब किसी आदमी को ऊंट हिबा किया और वह उस पर सवार हुआ तो जाइज़ है:
हुमैदी, सुफ़यान, अम्र, हज़रत इब्ने उमर رضي الله عنهما फ़रमाते हैं कि एक सफ़र में हम नबी करीम ﷺ के हमराह थे और मैं एक सरकश ऊंट पर सवार था तो नबी करीम ﷺ ने हज़रत उमर رضي الله عنه से फ़रमाया कि इसे मेरे हाथों फ़रोख़्त कर दो। चुनान्चे आपने उसे ख़रीद लिया, फिर नबी करीम ﷺ ने फ़रमायाः "ऐ अब्दुल्लाह! यह तुम्हारे लिये है।"

बाब 1635:- वह हदिया जिस का पहनना नापसन्द होः

हदीस 2431:- नाफ़ेअ का बयान है कि हज़रत इब्ने उमर رضي الله عنهما ने फ़रमाया कि हज़रत उमर رضي الله عنه ने एक रेशमी हुल्ला मस्जिद के दरवाज़े पर बिकता हुआ देखा तो अर्ज़ गुज़ार हुए कि या रसूलल्लाह! काश आप इसे ख़रीद लें ताकि जुम्आ और वफ़्द के रोज़ पहना करें। फ़रमाया किः "इन्हें वही पहनता है जिसका आख़िरत मे कोई हिस्सा न हो।" फिर हुल्ले आए तो रसूलुल्लाह ﷺ ने हज़रत उमर को उन में से एक हुल्ला दिया। अर्ज़ गुज़ार हुए कि आप मुझे पहनाते हैं जबकि आपने हुल्लए उतारद के बारे में ऐसा फ़रमाया था। फ़रमाया किः "मैंने तुम्हें यह पहनने के लिये नहीं दिया है।" पस हज़रत उमर ने वह अपने उस मुश्रिक भाई को पहना दिया जो मक्का मुकर्रमा में था।

हदीस 2432:- नाफ़ेअ ने हज़रत इब्ने उमर رضي الله عنهما से रिवायत की है कि नबी करीम ﷺ हज़रत फ़ातिमा के घर तशरीफ़ ले गए लेकिन अन्दर दाख़िल न हुए। जब हज़रत अली आए तो हज़रत फ़ातिमा ने उन से ज़िक्र किया। पस उन्होंने नबी करीम ﷺ से ज़िक्र किया तो फ़रमाया किः "मैंने उसके दरवाज़े पर धारीदार पर्दा देखा है। भला मुझे दुन्या से क्या सरोकार।" पस हज़रत अली आए और उन से इसका ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि हुज़ूर इस बारे में जो चाहें फ़रमा सकते हैं। हज़रत अली ने कहा कि इसे अहले बैत के फ़ुलां फ़र्द के लिये भेज दीजिये, इसकी उन्हें ज़्यादा हाजत है।

हदीस 2433:- ज़ैद बिन वहब رضي الله عنه का बयान है कि हज़रत अली رضي الله عنه ने फ़रमाया कि नबी करीम ﷺ ने मेरी तरफ़ एक रेशमी हुल्ला तोहफ़े के तौर पर भेजा तो मैंने उसे पहन लिया। मैंने हुज़ूर के चेहरए अनवर पर नाराज़गी देखी तो उसे फाड़ कर अपनी क़रीबी औरतों में तक़सीम कर दिया।

बाब 1636:- मुश्रिकों का हदिया क़ुबूल करनाः
हज़रत अबू हुरैरा رضي الله عنه ने नबी करीम ﷺ से रिवायत की है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा رضي الله عنها के साथ हिजरत की तो ऐसे गांव में दाख़िल हुए जहां का बादशाह ज़ालिम व जाबिर था। उस ने कहा कि उन्हें हाजरा رضي الله عنها दे दो और हुज़ूर की ख़िदमत में बकरी का ज़हर आलूद गोश्त पेश किया गया। अबू हुमैद رضي الله عنه का बयान है कि ऐला के बादशाद ने हुज़ूर के लिये सफ़ेद ख़च्चर का तोहफ़ा पेश किया तो आप ने उसे चादर अता फ़रमाई और उनके दरिया का कुछ हिस्सा उसके लिये लिख दिया।

हदीस 2434:- क़तादा رضي الله عنه का बयान है कि हज़रत अनस رضي الله عنه ने फ़रमाया कि नबी करीम

ﷺ की ख़िदमत में सुन्दुस का जुब्बा पेश किया गया और आप रेशम से मना फ़रमाया करते थे। लोग इस पर बड़े हैरान थे तो आपने फ़रमायाः "क़सम है उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़े में मुहम्मद की जान है, जन्नत में सअद बिन मुआज़ के रूमाल इससे ज़्यादा ख़ूबसूरत हैं।" सईद, क़तादा رضي الله عنه ने हज़रत अनस رضي الله عنه से रिवायत की है कि रूमा के अकैद ने नबी करीम ﷺ की ख़िदमत में तोहफ़ा भेजा था।

हदीस 2435:- हिशाम बिन ज़ैद ने हज़रत अनस बिन मालिक رضي الله عنه से रिवायत की है कि एक यहूदी औरत ने नबी करीम ﷺ की ख़िदमत में बकरी का ज़हर आलूद गोश्त पेश किया तो आपने उस में से तनावुल फ़रमाया, फिर उसे लाया गया और कहा गया कि उसको क़त्ल कर दें। रावी का बयान है कि मैं रसूलुल्लाह ﷺ के तालू में हमेशा उसका असर देखता रहा।

हदीस 2436:- अबू उस्मान का बयान है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर رضي الله عنهما ने फ़रमाया कि हम एक सौ तीस अफ़राद नबी करीम ﷺ के हमराह थे। नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया किः "क्या तुम में से किसी के पास खाना है?" एक आदमी के पास साअ के लगभग आटा था तो वह गूंधा गया। फिर एक मुश्रिक, बिखरे हुए बालों वाला, दराज़ क़द रेवड़ को हांकता हुआ आ गया। नबी करीम ﷺ ने उससे बकरी बेचने य अतिया देने के लिये पूछा या फ़रमाया कि हिबा। उस ने कहा नहीं बल्कि बेचता हूं तो उससे एक बकरी ख़रीद ली। फिर उसे बनाया गया और नबी करीम ﷺ ने कलेजी को भूनने का हुक्म फ़रमाया। खुदा की क़सम! एक सौ तीस अफ़राद में से एक भी न बचा जिस को नबी करीम ﷺ ने कलेजी में से हिस्सा न दिया हो। अगर कोई हाज़िर था तो उसे हिस्सा दे दिया गया और जो मौजूद न था उस के लिये हिस्सा रख दिया गया। फिर उसे दो बर्तनों में डाल लिया। पस तमाम लोगों ने शिकम सेर हो कर खा लिया और दो बर्तनों में गोश्त बच रहा जो हम ने ऊंट पर लाद लिया या जो कुछ फ़रमाया।

बाब 1637:- मुश्रिकों के लिये हदियाः इरशादे रब्बानी है:

"अल्लाह तुम्हें उन से मना नहीं करता जो तुम से दीन में न लड़े और तुम्हें तुम्हारे घरों से न निकाला कि उनके साथ एहसान करो और उन से इन्साफ़ का बरताव बरतो।" (8/60)

हदीस 2437:- अब्दुल्लाह बिन दीनार رضي الله عنه का बयान है कि हज़रत इब्ने उमर رضي الله عنهما ने फ़रमाया कि हज़रत उमर ने एक आदमी को रेशमी हुल्ला बेचते हुए देखा तो नबी करीम ﷺ की ख़िदमत में अर्ज़ गुज़ार हुए कि इस हुल्ले को ख़रीद कर जुम्आ के रोज़ पहना कीजिये और जब वफ़्द आया करें। फ़रमाया किः "इसे वह पहनता है जिसका आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं।" फिर रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में चन्द हुल्ले लाए गए तो आपने उन में से एक हुल्ला हज़रत उमर के लिये भेज दिया। हज़रत उमर अर्ज़ गुज़ार हुए कि मैं इसे कैसे पहनूं जबकि इनके बारे में आपने ऐसा फ़रमाया है। फ़रमाया किः "मैंने यह तुम्हारे पहनने के लिये नहीं दिया बल्कि इसे फ़रोख़्त कर दो या किसी को पहना दो।" पस हज़रत उमर ने वह मक्का मुकर्रमा में अपने उस भाई के लिये भेज दिया जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे।

हदीस 2438:- उरवा का बयान है कि हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बकर رضي الله عنها ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह ﷺ के अहदे मुबारक में मेरी वालिदा मेरे पास आई जबकि वह मुश्रिका थीं। पस मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से फ़तवा पूछा और अर्ज़ कर दिया कि वह इस्लाम की तरफ़ राग़िब हैं तो क्या मैं अपनी वालिदा से सिला रहमी करूं? फ़रमाया किः "हां अपनी वालिदा से सिला रहमी करो।"

बाब 1638:- किसी के लिये जाइज़ नहीं कि अपनी हिबा की हुई चीज़ और सदक़ा को वापस ले:

हदीस 2439:- सईद बिन मुसय्यब ﷺ ने हज़रत इब्ने अब्बास ﷺ से रिवायत की है कि नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया कि: "अपनी हिबा की हुई चीज़ को वापस लेने वाला अपनी क़य को खाने वाले की तरह है।"

हदीस 2440:- इकरमा ने हज़रत इब्ने अब्बास ﷺ से रिवायत की है कि नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया कि: "यह बुरी मिसाल हमारे लिये नहीं है कि जो अपनी हिबा की हुई चीज़ को वापस लौटाए वह कुत्ते की तरह है जो अपनी क़य को खा लेता है।"

हदीस 2441:- ज़ैद बिन असलम के वालिद माजिद ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ﷺ को फ़रमाते
हुए सुना कि मैंने एक आदमी को राहे खुदा में जिहाद करने के लिये घोड़ा दिया तो जिसके वह पास था
उस ने उसे ख़राब कर दिया। पस मैंने इरादा किया कि उससे ख़रीद लूं और मुझे ख़्याल था कि वह
सस्ता बेचने वाला है। पस मैंने इस बारे में नबी करीम ﷺ से दरयाफ़्त किया तो फ़रमाया कि: "उसे
न ख़रीदो ख़्वाह वह तुम्हें एक ही दिरहम में दे क्योंकि अपने सदक़े को वापस लौटाने वाला कुत्ते की
तरह है जो अपनी क़य को चाट लेता है।"

बाब 1639:- हिबा की गवाही एक भी काफ़ी है:

हदीस 2442:- इब्ने जुरैज ने अब्दुल्लाह बिन उबैदुल्लाह बिन अबी मुलैका से रिवायत की है कि
बनी सुहैब मौला इब्ने जुदआन ने दो घरों और एक हुजरे का दावा किया कि रसूलुल्लाह ﷺ ने यह
सुहैब को अता फ़रमाए थे। पस मरवान ने कहा कि तुम्हारे इस दावे की गवाही कौन देता है? उन्होंने
कहा कि हज़रत इब्ने उमर ﷺ पस उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने शहादत दी कि यक़ीनन रसूलुल्लाह
ﷺ ने सुहैब को दो मकान और एक हुजरा अता फ़रमाया था, पस मरवान ने उनकी शहादत पर उन
लोगों के हक़ में फ़ैसला कर दिया।

बाब 1640:- उमरा और रुक़ुबा के बारे में अक़वाल:
मैंने तुम को घर में उम्र भर के लिये बसा दिया, यह उमरा है कि मैंने इसे उसके लिये कर दिया
और "إِسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا" यानी तुम्हें ज़मीन में बसाया।

हदीस 2443:- अबू सलमा का बयान है कि हज़रत जाबिर ﷺ ने फ़रमाया कि नबी करीम
ﷺ ने उमरा के बारे में फ़ैसला फ़रमाया कि: "यह उसी का है जिस को हिबा किया गया है।"

हदीस 2444:- बशीर बिन नहीक ने हज़रत अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत की है कि नबी करीम
ﷺ ने फ़रमाया कि उमरा जाइज़ है। अता, हज़रत जाबिर ﷺ ने नबी करीम ﷺ से इसी तरह
रिवायत की है।

बाब 1641:- जिस ने लोगों से घोड़ मुस्तआर लिया:

हदीस 2445:- क़तादा का बयान है कि मैंने हज़रत अनस को फ़रमाते हुए सुना कि मदीना
मुनव्वरा में हमले का ख़तरा महसूस हुआ तो नबी करीम ﷺ ने हज़रत अबू तल्हा से घोड़ा मुस्तआर
लिया जिसको मंदूब कहते थे और सवार हो गए। जब आप वापस लौटे तो फ़रमाया कि: "हम ने तो
कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी और हम ने तो इसे (घोड़े को) दरिया की तरह पाया है।"

बाब 1642:- दुल्हन के लिये ज़ुफ़ाफ़ के मौक़ा पर कोई चीज़ उधार लेनाः

हदीस 2446:- अब्दुल वाहिद बिन ऐमन ने अपने वालिदे माजिद से रिवायत की है कि वह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा رضی اللہ عنہا की ख़िदमत में हाज़िर हुए जबकि उन्होंने क़ित्र का कुर्ता पहना हुआ था जिसकी क़ीमत पांच दिरहम थी। उन्होंने फ़रमाया कि मेरी इस लौंडी को देखो कि यह मुझे घर में ऐसा कुर्ता पहनने से मना करती है हालांकि रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم के अहदे मुबारक में मेरे पास इन में से कुर्ता होता था। जब मदीना मुनव्वरा में किसी औरत को आरास्ता करने की ज़रूरत होती तो वह मुझ से आरियतन मंगवा लिया जाता था।

बाब 1643:- दूध देने वाले जानवर की फ़ज़ीलतः

हदीस 2447:- अअरज ने हज़रत अबू हुरैरा رضی اللہ عنہ से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमायाः "कैसा अच्छा अतिया है दूध देने वाली साफ़ ऊंटनी और दूध देने वाली साफ़ बकरी जो सुबह को बर्तन भर दें और शाम को भी बर्तन भर दें।"

हदीस 2448:- अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़, इस्माईल, मालिक की रिवायत में "نِعْمَ الصَّدَقَةُ" है।

हदीस 2449:- इब्ने शहाब का बयान है कि हज़रत अनस बिन मालिक رضی اللہ عنہ ने फ़रमायाः जब मुहाजिरीन मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा में आए तो उनके पास कोई चीज़ न थी और अन्सार साहिबे ज़मीन व जायदाद थे। अन्सार ने अपनी ज़मीन उन्हें दे दी कि सालाना फल लिया करें और उस में मेहनत व मशक़्क़त किया करें और हज़रत अनस की वालिदा माजिदा उम्मे सुलैम जो अब्दुल्लाह बिन अबू तल्हा की वालिदा भी हैं, पस हज़रत अनस की वालिदा ने रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم की ख़िदमत में खजूर के चन्द दरख़्त पेश कर रखे थे और रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने वह उम्मे ऐमन को अता फ़रमा दिये थे जो हज़रत उसामा बिन ज़ैद की मौलात थीं। इब्ने शहाब का बयान है कि मुझे हज़रत अनस बिन मालिक ने बताया कि नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم जब जंगे ख़ैबर से फ़ारिग़ हुए और मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो मुहाजिरीन ने अन्सार को उनकी जायदादें वापस कर दीं जो उन्हें काश्तकारी के लिये उन्होंने दी थीं। चुनान्चे हज़रत अनस की वालिदा को भी नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم ने उनके दरख़्त वापस कर दिये और उम्मे ऐमन को अपने पास से नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم ने अपने बाग़ से चन्द दरख़्त अता फ़रमा दिये। अहमद बिन शबीब, उनके वालिद, यूनुस ने इसी तरह रिवायत की है लेकिन इस में "مَكَانَهُنَّ مِنْ خَالِصِهٖ" है।

हदीस 2450:- कब्शा सलूली ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर رضی اللہ عنہما को बयान करते हुए सुना कि रसूलुल्लाह صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमायाः "चालीस अच्छी आदतों में से सबसे आला आदत किसी को दूध की बकरी देना है और जो इन आदतों के मुताबिक़ अमल करे, सवाब की नियत से और वादा करने वाले को सच्चा समझते हुए तो अल्लाह तआला उसको जन्नत में दाख़िल करेगा।" हज़रत हस्सान का बयान है कि हम दूध वाली बकरी को देने के अलावा जिन आदतों को शुमार कर सके वह यह हैं। सलाम का जवाब देना, छींकने वाले को जवाब देना, रास्ते से तकलीफ़ देह चीज़ को हटा देना वग़ैरा और हम पन्द्रह से ज़्यादा ख़साइल को शुमार नहीं कर सके।

हदीस 2451:- अता का बयान है कि हज़रत जाबिर رضی اللہ عنہ ने फ़रमाया कि हम में से बाज़ हज़रात के पास ज़ायद ज़मीनें थीं तो उन्होंने कहा कि हम इन्हें तिहाई, चौथाई और निस्फ़ उजरत पर देते हैं। पस नबी करीम صلی اللہ علیہ وسلم ने फ़रमाया किः "जिसके पास ज़मीन है तो उसको चाहिये कि ख़ुद

काश्त करे या अपने भाई को देदे। अगर वह लेने से इन्कार करे तो अपनी ज़मीन को रोक रखे।"
मुहम्मद बिन यूसुफ़, औज़ाई, ज़ुहरी, अता बिन यज़ीद, हज़रत अबू सईद ख़ुदरी رضي الله عنه फ़रमाते हैं कि एक
आराबी ने नबी करीम ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर होकर हिजरत के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया:
"तेरी ख़राबी हो, हिजरत का मरहला बड़ा दुश्वार है। क्या तुम्हारे पास कोई ऊंट है?" कहा, हां।
फ़रमाया: "क्या तू उसे ख़ैरात करता है?" कहा, हां। फ़रमाया कि: "क्या ऊंटनी कुछ दूध देती है?"
अर्ज़ गुज़ार हुआ कि हां। फ़रमाया: "तो दरिया के उस पार अपना काम करते रहो क्योंकि अल्लाह
तआला तुम्हारे आमाल में से ज़रा भी ज़ाए नहीं करेगा।"

हदीस 2452:– ताऊस का बयान है कि मुझे सबसे बड़े आलिम यानी हज़रत इब्ने अब्बास رضي الله عنهما
ने बताया कि नबी करीम ﷺ ऐसी ज़मीन की तरफ़ निकले जिस में फ़सलें लहलहा रही थीं। फ़रमाया
कि: "यह किस की है?" लोगों ने अर्ज़ की कि फ़ुलां ने किराए पर ली है। फ़रमाया कि: "अगर वह
किसी को ख़ैरात कर देता तो उसके लिये मुक़र्ररा किराया लेने से ज़्यादा बेहतर होता।"

**बाब 1644:– अगर कोई कहे कि मैंने दस्तूर के मुताबिक़ ख़िदमत करने के
लिये तुझे यह लौंडी दी तो जाइज़ है:** बाज़ लोगों का कहना है कि यह आरियत है और अगर
कहे कि मैंने तुझे यह कपड़ा पहनाया तो यह हिबा करना है।

हदीस 2453:– हज़रत अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "हज़रत
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा के साथ हिजरत की तो उस ने उन्हें हज़रत हाजरा दीं।" कहा कि
क्या आप को मालूम है कि अल्लाह तआला ने काफ़िर को ज़लील किया और ख़िदमत के लिये लौंडी दी।
इब्ने सीरीन, हज़रत अबू हुरैरा رضي الله عنه ने नबी करीम ﷺ से रिवायत की है कि उनकी ख़िदमत के लिये
हज़रत हाजरा दीं।

बाब 1645:– जब कोई सवारी के लिये घोड़ा दे तो वह उमरा और सदक़ा की तरह है: बाज़
लोगों का क़ौल है कि इस में रुजूअ का इख़्तियार है।

हदीस 2454:– ज़ैद बिन असलम ने अपने वालिदे माजिद को फ़रमाते हुए सुना कि हज़रत उमर
رضي الله عنه ने राहे ख़ुदा में किसी को सवारी के लिये घोड़ा दिया। पस मैंने देखा कि वह फ़रोख़्त हो रहा है।
पस मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से पूछा तो फ़रमाया कि: "उसे न ख़रीदो और अपने सदक़े को वापस न
लौटाए।"

अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है।

गवाही का बयान

बाब 1646:– इस बारे में कि गवाह पेश करना मुद्दई का ज़िम्मा है:

"ऐ ईमान वालो! जब तुम एक मुक़र्ररा मुद्दत तक किसी क़र्ज़ का लेन देन करो तो उसे लिख लो
और चाहिये कि तुम्हारे दरमियान कोई लिखने वाला ठीक ठीक लिखे और लिखने वाला लिखने से इन्कार
न करे जैसा कि उसे अल्लाह ने सिखाया है तो उसे लिख देना चाहिये और जिस पर हक़ आता है
लिखाता जाए और अल्लाह से डरे जो उसका रब है और हक़ में से कुछ रख न छोड़े। फिर जिस पर
हक़ आता है अगर बे-अक़्ल या नातवान हो या न लिखा सके तो उसका वली इन्साफ़ से लिखाए और

दो गवाह कर लो अपने मर्दों में से। फिर अगर दो मर्द न हों तो एक मर्द और दो औरतें, ऐसे गवाह जिन को पसन्द करो कि कहीं उन में से एक औरत भूले तो उस एक को दूसरी याद दिलाए और गवाह जब बुलाए जाएं तो आने से इन्कार न करें और इसे भारी न जानें कि क़र्ज़ छोटा हो या बड़ा उसकी मीआद तक लिखत कर लो। यह अल्लाह के नज़्दीक ज़्यादा इन्साफ़ की बात है। इस में गवाही ख़ूब ठीक रहेगी और यह उससे क़रीब है कि तुम्हें शुबह न पड़े मगर यह कि कोई सरे दस्त का सौदा दस्त बदस्त हो तो उसके न लिखने का तुम पर गुनाह नहीं और जब ख़रीद व फ़रोख़्त करो तो गवाह कर लो और न किसी लिखने वाले को ज़रर दिया जाए न गवाह को (या न लिखने वाला ज़रर दे और न गवाह) और जो तुम ऐसा करोगे तो यह तुम्हारे लिये फ़िस्क़ होगा और अल्लाह से डरो और अल्लाह तुम्हें सिखाता है और अल्लाह सब कुछ जानता है।" (सूरए बक़रा, आयतः 282) नीज़ इरशादे रब्बानी हैः "ऐ ईमान वालो! इन्साफ़ पर ख़ूब क़ायम हो जाओ, अल्लाह के लिये गवाही देते, चाहे उस में तुम्हारा अपना नुक़सान हो या मां बाप या रिश्तादारों का जिस पर गवाही दो वह ग़नी हो या फ़क़ीर हो। बहरहाल तो अल्लाह को इसका सबसे ज़्यादा इख़्तियार है तो ख़्वाहिश के पीछे न जाओ कि हक़ से अलग पड़ो और अगर तुम हेर फेर करो या मुंह फेरो तो अल्लाह को तुम्हारे कामों की ख़बर है।" (सूरए निसा, आयत 135)

बाब 1647:- जब कोई किसी की सफ़ाई बयान करते हुए कहे कि हम तो उसे अच्छा जानते हैं या मैं तो उस में भलाई ही देखता हूं:

हदीस 2455:- इब्ने शहाब का बयान है कि मुझे उरवा बिन ज़ुबैर, सईद बिन मुसय्यब, अल्क़मा बिन वक़्क़ास और उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने हदीसे आयशा के बारे में बताया कि उन में से बाज़ का बयान दूसरे बाज़ की तस्दीक़ करता है। जबकि इफ़्तिरा परदाज़ों ने उन पर तोहमत लगाई तो रसूलुल्लाह ﷺ ने हज़रत अली और हज़रत उसामा को बुलाया क्योंकि वही के आने में देर हो गई थी और आप अपनी बीवी को जुदा कर देने के बारे में मश्वरा करना चाहते थे। हज़रत उसामा अर्ज़ गुज़ार हुए कि हम तो भलाई के सिवा और कुछ नहीं जानते। बरीरा ने कहा कि मैंने तो इसके सिवा और कुछ नहीं देखा कि वह लड़की हैं, कमसिन हैं, आटा गूंध कर सो जाती हैं और बकरी आकर उसे खा जाती है। पस रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया कि: "उसके बारे में कौन मेरी मदद करता है जिस ने मेरी बीवी के सिलसिले में मुझे अज़ियत पहुंचाई है? खुदा की क़सम! मैं अपनी बीवी में भलाई के सिवा और कुछ नहीं देखता और उन्होंने ऐसे फ़र्द के मुताल्लिक़ यह कहा जिस को मैं भला ही समझता हूं।"

बाब 1648:- छुपे हुए आदमी की गवाहीः

अम्र बिन हुरैस ने इसे जाइज़ रखा और कहा कि झूटे और दग़ाबाज़ के साथ ऐसा ही किया जाता है। शअबी, इब्ने सीरीन, अता और क़तादा का क़ौल है कि सुन लेना भी गवाही है। हसन बसरी का क़ौल है कि वह कहे कि मैंने देखा तो कुछ नहीं लेकिन ऐसा सुना है।

हदीस 2456:- सालिम का बयान है कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنهما को फ़रमाते हुए सुना कि रसूलुल्लाह ﷺ और हज़रत उबय बिन कअब अन्सारी उस बाग़ के इरादे से रवाना हुए जिसके अन्दर इब्ने सय्याद रहता था। जब रसूलुल्लाह ﷺ अन्दर दाख़िल हुए तो आप खजूर के तनों की आड़ लेकर चलते रहे कि इब्ने सय्याद को आप की आमद का इल्म न हो, इससे पहले कि आप उसे देखें। इब्ने सय्याद अपने बिस्तर पर चादर तान कर लेटा हुआ गुनगुना रहा था। इब्ने सय्याद की वालिदा

ने खजूरों की आड़ में छुपते हुए नबी करीम ﷺ को देख लिया तो उस ने इब्ने सय्याद से कहा: ऐ साफ़! यह मुहम्मद हैं, पस इब्ने सय्याद ख़ामोश हो गया। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया कि अगर वह उसी हाल पर छोड़े रखती तो कुछ ज़ाहिर होता।

हदीस 2457:- ज़ुहरी ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा رضي الله عنها से रिवायत की है कि हज़रत रिफ़ाआ क़ुरज़ी की बीवी नबी करीम ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ गुज़ार हुई कि मैं रिफ़ाआ के पास थी तो उन्होंने मुझे तलाक़ दे दी। जब मुझ पर तलाक़ पड़ गई तो मैंने अब्दुर्रहमान बिन ज़ुबैर से शादी कर ली और उनके पास कपड़े के फुंदने की तरह है। फ़रमाया कि: "शायद तुम रिफ़ाआ के पास वापस जाना चाहती हो लेकिन यह उस वक़्त तक नहीं हो सकता जब तक उसका और वह तुम्हारा ज़ायक़ा न चख ले।" हज़रत अबू बकर उस वक़्त आपके पास बैठे हुए थे और हज़रत ख़ालिद बिन सईद दरवाज़े पर इजाज़त का इन्तिज़ार कर रहे थे। चुनान्चे उन्होंने कहा कि ऐ अबू बकर! क्या आप इस औरत की बात नहीं सुन रहे हैं जो नबी करीम ﷺ के हुज़ूर आवाज़ बुलन्द कर रही है।

बाब 1649:- गवाह गवाही दे और दूसरे कहें कि हमें तो इल्म नहीं:

इन हालात में गवाह के कहने पर फ़ैसला सादिर किया जाएगा। हुमैदी ने कहा कि यह उसी तरह है कि हज़रत बिलाल ने ख़बर दी कि नबी करीम ﷺ ने कअबा में नमाज़ पढ़ी है और फ़ज़्ल ने कहा कि नहीं पढ़ी, तो लोगों ने हज़रत बिलाल की गवाही तसलीम की। इसी तरह दो गवाहों ने गवाही दी कि फ़ुलां के फ़ुलां शख़्स पर हज़ार दिरहम हैं और दूसरे हज़रात ने गवाही दी कि एक हज़ार पांच सौ दिरहम हैं तो फ़ैसला ज़्यादा पर किया जाएगा।

हदीस 2458:- अब्दुल्लाह बिन अबी मुलैका ने उक़बा बिन हारिस से रिवायत की है कि उन्होंने अबू इहाब बिन अज़ीज़ की बेटी से निकाह किया। पस उनके पास एक औरत आई और उस ने कहा कि मैंने उक़बा को दूध पिलाया है और उसे भी जिस से शादी की गई है। हज़रत उक़बा ने उससे कहा कि मुझे तो आपके दूध पिलाने का इल्म नहीं और न कभी आपने मुझे बताया। फिर उन्होंने अबू इहाब वालों के पास एक आदमी सूरते हाल मालूम करने के लिये भेजा तो उन्होंने कहा कि हमें उसके दूध पिलाने का कोई इल्म नहीं। पस एक सवार को मदीना मुनव्वरा की तरफ़ नबी करीम ﷺ की ख़िदमत में रवाना किया गया और उस ने पूछा तो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया कि: "जब यह कहा गया तो निकाह कैसा?" पस उस औरत को जुदा कर दिया गया और उस ने दूसरे आदमी से शादी कर ली।

बाब 1650:- इन्साफ़ पसन्द लोगों की गवाही: इरशादे रब्बानी है:

"और इन्साफ़ पसन्द लोगों को अपनों में से गवाह बनाओ और गवाहों में से जिन को तुम पसन्द करो।"

हदीस 2459:- अब्दुल्लाह बिन उतबा का बयान है कि मैंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब رضي الله عنه को फ़रमाते हुए सुना कि रसूलुल्लाह ﷺ के अहदे मुबारक में लोगों का मुवाख़िज़ा वही के ज़रिये होता था और वही का सिलसिला अब मुन्क़तअ हो गया है और अब तुम्हारे आमाल का जो ज़ाहिर होंगे हम तुम्हारा मुवाख़िज़ा करेंगे। चुनान्चे जिस से हमें भलाई ज़ाहिर होगी तो उसको अमन देंगे और अपने क़रीब कर लेंगे और हमें किसी के बातिन से कोई ग़र्ज़ नहीं है क्योंकि दिलों का हिसाब लेने वाला अल्लाह तआला है और जिस से हमें बुराई ज़ाहिर हुई तो उसे हम अमन नहीं देंगे और न हम उसकी तस्दीक़ करेंगे और अगर्चे वह कहे कि उसका बातिन अच्छा है।

बाब 1651:– नेक चलनी कब साबित होती है:

हदीस 2460:– साबित का बयान है कि हज़रत अनस ﷺ ने फ़रमाया कि नबी करीम ﷺ के पास से एक जनाज़ा गुज़रा तो लोगों ने उसका भलाई के साथ तज़्किरा किया। आप ने फ़रमाया कि वाजिब हो गई। फिर दूसरा जनाज़ा गुज़रा तो लोगों ने उसका ज़िक्र बुराई के साथ किया, या इसके अलावा कुछ और कहा तो फ़रमाया कि वाजिब हो गई। पस लोग अर्ज़ गुज़ार हुए कि या रसूलल्लाह! इसके लिये क्या चीज़ वाजिब हो गई और उसके लिये क्या चीज़ वाजिब हो गई? फ़रमाया कि: "अहले ईमान की गवाही जो ज़मीन में अल्लाह के गवाह हैं।" .

हदीस 2461:– अब्दुल्लाह बिन बुरैदा का बयान है कि अबुल असवद ने फ़रमाया कि मैं मदीना मुनव्वरा गया तो वहां बीमारी फैली हुई थी और लोग जल्दी जल्दी मर रहे थे। पस मैं हज़रत उमर ﷺ के पास बैठा हुआ था कि एक जनाज़ा गुज़रा तो लोगों ने उसकी तारीफ़ की। पस हज़रत उमर ने फ़रमाया कि वाजिब हो गई। फिर दूसरा जनाज़ा गुज़रा तो लोगों ने तारीफ़ की। हज़रत उमर ने फ़रमाया कि वाजिब हो गई। फिर तीसरा जनाज़ा गुज़रा और लोगों ने उसकी बदगोई की तो फ़रमाया कि वाजिब हो गई। मैं अर्ज़ गुज़ार हुआ कि ऐ अमीरुल मोमिनीन! क्या चीज़ वाजिब हो गई? फ़रमाया कि मैं वही कह रहा हूं जो नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया कि जिस मुसलमान के बारे में चार मुसलमान भी अच्छी गवाही दें तो अल्लाह तआला उसको जन्नत में दाख़िल फ़रमाएगा। हम अर्ज़ गुज़ार हुए कि अगर तीन हों? फ़रमाया कि तीन पर भी। मैंने अर्ज़ की कि अगर दो हों? फ़रमाया कि दो पर भी। फिर हम ने आप से एक के बारे में नहीं पूछा।

फ़ायदा:– मालूम हुआ कि सच्चे मुसलमान भी ज़मीन पर अल्लाह की तरफ़ से गवाह हैं। जिस फ़ौत होने वाले मुसलमान के नेक होने की चार या तीन या दो मुसलमान भी गवाही दें तो उसके लिये जन्नत वाजिब हो जाती है। लिहाज़ा हर मुसलमान को चाहिये कि वह नादार लोगों से हमदर्दी करे और हर एक के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आए ताकि लोग उसे अच्छा समझें और उसके हक़ में अच्छी गवाही दें। चुनान्चे हमारा दस्तूरुल अमल यह होना चाहिये:

वह काम कर उम्र ख़ुशी से कटे तेरी!
वह बात कर कि याद तुझे सब किया करें!

बाब 1652:– नसब, रज़ाअत, मुस्तफ़ीज़ और पुरानी मौत की गवाही देना:

और नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया कि: "मुझे और अबू सलमा को सुवैबा ने दूध पिलाया और इसका सुबूत देना।"

हदीस 2462:– उरवा बिन ज़ुबैर का बयान है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ﷺ ने फ़रमाया कि अफ़लह ने मुझ से अन्दर आने की इजाज़त मांगी तो मैंने उन्हें इजाज़त न दी। फ़रमाया कि क्या तुम मुझ से पर्दा करती हो हालांकि मैं तुम्हारा चचा हूं। मैंने कहा कि यह कैसे? कहा कि तुम्हें मेरी भावज ने मेरे भाई के दूध से पिलाया। पस उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में रसूलुल्लाह ﷺ से पूछूंगी। आप ने फ़रमाया कि: "अफ़लह ने सच कहा, उसे इजाज़त दे देना।"

हदीस 2463:– हज़रत इब्ने अब्बास ﷺ से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ ने हज़रत हमज़ा की साहबज़ादी के बारे में फ़रमाया कि: "वह मेरे लिये हलाल नहीं है क्योंकि रज़ाअत से भी वह रिश्ते

हराम हो जाते हैं जो नसब से हराम होते हैं। वह तो मेरी रज़ाई भतीजी है।"

हदीस 2464:- उमरा बिन्ते अब्दुर्रहमान का बयान है कि उन्हें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ﷺ ज़ौजए नबी करीम ﷺ ने बताया कि रसूलुल्लाह ﷺ उनके पास थे कि उन्होंने एक आदमी की आवाज़ सुनी जो हज़रत हफ़सा के दरवाज़े पर अन्दर आने की इजाज़त मांगता था। हज़रत आयशा ने फ़रमाया, मैं अर्ज़ गुज़ार हुई कि या रसूलल्लाह! यह तो आप घर में आने की इजाज़त मांग रहा है। हज़रत सिद्दीक़ा का बयान है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया कि मेरे ख़्याल में फ़ुलां है जो हफ़सा का रज़ाई चचा है। फिर हज़रत आयशा अर्ज़ गुज़ार हुई कि अगर फ़ुलां ज़िन्दा होता जो मेरा रज़ाई चचा था तो वह मेरे पास आता। चुनान्चे रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया कि: "हां, बेशक रज़ाअत भी उन रिश्तों को हराम कर देती है जो नसब से हराम होते हैं।"

हदीस 2465:- मसरूक़ का बयान है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ﷺ ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह ﷺ मेरे पास तशरीफ़ लाए और मेरे पास एक आदमी था। फ़रमाया कि ऐ आयशा! यह कौन है? मैं अर्ज़ गुज़ार हुई कि मेरा रज़ाई भाई। फ़रमाया कि: "ऐ आयशा! ग़ौर से देख लिया करो कि तुम्हारा भाई कौन है, क्योंकि रज़ाअत तो बचपन के दूध से साबित होती है।" इसी तरह इब्ने महदी ने सुफ़यान से रिवायत की है।

बाब 1653:- तोहमत लगाने वाले, चोर और ज़ानी की गवाही: इरशादे बारी तआला है:

"और उनकी गवाही कभी कुबूल न करो और वही फ़ासिक़ हैं मगर जो तौबा कर लें।" (24/4,
5) और हज़रत उमर ने अबू बकरा, शिबल बिन मअबद और नाफ़ेअ पर हद जारी की जिन्होंने मुग़ीरा
पर तोहमत लगाई थी और फ़रमाया कि जो तौबा करे तो मैं उसकी गवाही कुबूल कर लूंगा। और इसे
अब्दुल्लाह बिन उतबा, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, सईद बिन जुबैर, ताऊस, मुजाहिद, शअबी, इकरमा,
ज़ुहरी, मुहारिब बिन दसार, शुरैह और मुआविया बिन क़ुर्रा ने जाइज़ शुमार किया है। अबू ज़िनाद का
क़ौल है कि हमारे नज़्दीक मदीना मुनव्वरा में यह है कि तोहमत लगाने वाला अगर अपने बयान से फिर
जाए और अपने रब के हुज़ूर तौबा करले तो उसकी शहादत कुबूल की जाएगी। शअबी और क़तादा का
क़ौल है कि जब कोई अपने आप को झुटलाए तो उसे कोड़े मारे जाएंगे और उसकी गवाही कुबूल की
जाएगी। सुफ़यान सौरी का क़ौल है कि जब ग़ुलाम को कोड़े मारे गए, फिर आज़ाद कर दिया गया तो
उसकी गवाही जाइज़ है और अगर महदूद सज़ा याफ़्ता को क़ाज़ी बना दिया जाए तो उसका फ़ैसला
करना जाइज़ है और बाज़ लोगों का क़ौल है कि तोहमत लगाने वाले की गवाही जाइज़ नहीं है अगर्चे
तौबा करले और फिर कहा कि दो गवाहों के बग़ैर निकाह जाइज़ नहीं है लेकिन महदूद सज़ा याफ़्ता
लोगों की गवाही से निकाह किया तो जाइज़ है और अगर दो ग़ुलामों की गवाही से शादी की तो जाइज़
नहीं है और महदूद सज़ा याफ़्ता, ग़ुलाम और लौंडी की शहादत को रमज़ान का चांद देखने में जाइज़
रखा है और किसी का तौबा करना कैसे मालूम होगा और नबी करीम ﷺ ने ग़ैर शादी शुदा ज़ानी
को एक साल के लिये जिला-वतन किया और नबी करीम ने हज़रत कअब बिन मालिक और उनके दोनों
साथियों के साथ कलाम करने से मना फ़रमा दिया था, यहां तक कि पचास रोज़ गुज़र गए।

हदीस 2466:- इब्ने शहाब ने उरवा बिन ज़ुबैर से रिवायत की है कि एक औरत ने फ़तह मक्का के दिनों में चोरी की तो उसे रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में पेश किया गया। फिर आप ने हुक्म

फ़रमाया तो उसका हाथ काट दिया गया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ﵂ ने फ़रमाया कि उस ने ख़ूब तौबा निभाई और शादी कर ली। इसके बाद जब वह औरत मेरे पास आती तो मैं उसकी हाजत रसूलुल्लाह ﷺ से बयान कर दिया करती थी।

हदीस 2467:- उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद ﵁ से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने ग़ैर शादी शुदा ज़ानी के बारे में हुक्म फ़रमाया कि उसे सौ कोड़े मारे जाएं और एक साल के लिये जिला-वतन किया जाए।

बाब 1654:- ज़ुल्म व जूर पर अगर गवाह बनाया जाए तो गवाही न दे:

हदीस 2468:- शअबी ने हज़रत नोमान बिन बशीर ﵁ से रिवायत की है कि मेरी वालिदए माजिदा ने मेरे वालिदे मोहतरम से उनके माल में से मेरे लिये कोई चीज़ हिबा करने को कहा। चुनान्चे जब उनके दिल में आया तो एक चीज़ मुझे हिबा कर दी। वालिदए मोहतरमा ने कहा कि मैं उस वक़्त तक राज़ी नहीं हूं जब तक नबी करीम ﷺ को गवाह न बना लिया जाए। पस उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा क्योंकि मैं लड़का था और मुझे लेकर नबी करीम ﷺ की बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ की कि इसकी वालिदा यानी बिन्ते रवाहा मुझ से कहती हैं कि कोई चीज़ इसको हिबा कर दूं। फ़रमाया कि: "इसके सिवा क्या तुम्हारा कोई और भी बेटा है?" अर्ज़ गुज़ार हुए कि हां। रावी का बयान है कि मेरे ख़्याल में आप ने फ़रमाया कि: "मुझे ज़ुल्म पर गवाह न बनाओ।" अबू हरीज़ ने शअबी से रिवायत की है कि मैं ज़ुल्म पर गवाही नहीं देता।

हदीस 2469:- हज़रत इमरान बिन हुसैन ﵁ से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "सबसे बेहतर मेरा ज़माना है, फिर जो इनके क़रीब होंगे।" हज़रत इमरान ने फ़रमाया कि मुझे यह मालूम नहीं कि नबी करीम ﷺ ने अपने बाद दो क़रनों का ज़िक्र फ़रमाया या तीन का। नीज़ नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया कि: "तुम्हारे बाद ऐसी क़ौम है कि वह ख़्यानत करेंगे और अमानतदार नहीं होंगे। वह गवाही देंगे हालांकि उन्हें गवाह बनाया नहीं जाएगा। मिन्नत मानेंगे लेकिन उसे पूरी नहीं करेंगे। उनके जिस्मों से फ़रबही ज़ाहिर होगी।"

हदीस 2470:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद ﵁ से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया कि: "बेहतरीन लोग मेरे ज़माने के हैं, फिर जो लोग उनके क़रीब हैं, फिर जो लोग उनके क़रीब हैं और फिर ऐसे लोग आएंगे कि उनकी गवाही उनकी क़सम से आगे बढ़ेगी और उनकी क़सम उनकी गवाही से। इब्राहीम नख़ई का क़ौल है कि गवाही और अहद पर हमें पीटा जाता था।

बाब 1655:- झूटी गवाही के बारे में:

अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का इरशाद है: "झूटी गवाही नहीं देते।" (25/72) और गवाही छुपाने के मुताल्लिक फ़रमाया: "और गवाही न छुपाओ और जो गवाही छुपाएगा तो अन्दर से उसका दिल गुनहगार है और अल्लाह तुम्हारे कामों को जानता है।"(2/283) यानी गवाही के वक़्त अपनी ज़बानों को मरोड़ते हो।

हदीस 2471:- उबैदुल्लाह बिन अबू बकर बिन अनस का बयान है कि हज़रत अनस ﵁ ने फ़रमाया कि नबी करीम ﷺ से कबीरा गुनाहों के बारे में पूछा गया तो फ़रमाया कि: "अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक करना, वालिदैन की नाफ़रमानी करना, किसी जान को क़त्ल करना और झूटी गवाही देना।" इसी तरह गुंदर, अबू आमिर, बहज़, अब्दुस्समद ने शुअबा से रिवायत की है।

हदीस 2472:- अब्दुर्रहमान बिन अबू बकरा ने हज़रत अबू बकरा से रिवायत की है कि नबी करीम ने फ़रमायाः "क्या मैं तुम्हें तीन सबसे बड़े कबीरा गुनाह न बता दूं?" लोग अर्ज़ गुज़ार हुए कि या रसूलल्लाह! क्यों नहीं। फ़रमाया किः "(1) अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक करना और (2) वालिदैन की नाफ़रमानी करना।" फिर बैठ गए हालांकि आप टेक लगाए हुए थे। फिर फ़रमाया किः "ख़बरदार हो जाओ कि (3) झूट बोलना।" रावी का बयान है कि आप बार बार यही कहते रहे यहां तक कि हम ने कहा, काश आप ख़ामोश हो जाएं। इस्माईल बिन इब्राहीम, जुरैरी ने अब्दुर्रहमान से इसी तरह रिवायत की है।

बाब 1656:- अंधे का गवाही देना या उसका हुक्म देनाः

और अपना निकाह करना या किसी का निकाह करवाना या उसका ख़रीद व फ़रोख़्त करना या अज़ान वग़ैरा उन चीज़ों का क़ुबूल करना जो आवाज़ से पहचानी जाती हैं। क़ासिम, हसन, इब्ने सीरीन, ज़ुहरी और अता ने उसकी शहादत को जाइज़ कहा है। शअबी का क़ौल है कि उसकी शहादत जाइज़ होगी जबकि आक़िल हो। हकम का क़ौल है कि बाज़ बातों में जाइज़ होगी। ज़ुहरी का क़ौल है कि अगर तुम हज़रत इब्ने अब्बास को देखो कि वह किसी बात की गवाही दे रहे हैं तो क्या उसे रद्द कर दोगे? और इब्ने अब्बास एक आदमी को भेजा करते, जब सूरज ग़ुरूब हो जाता तो इफ़्तार करते और जब उन से कहा जाता कि फ़ज्र तुलूअ हो गई तो दो रकअत पढ़ा करते। सुलैमान बिन यसार का बयान है कि मैंने हज़रत आयशा से अन्दर आने की इजाज़त तलब की तो उन्होंने मेरी आवाज़ पहचान कर फ़रमाया कि सुलैमान अन्दर आ जाओ क्योंकि तुम मेरे ग़ुलाम हो जब तक तुम्हारे ज़िम्मे कुछ भी बाक़ी है। उमर बिन जुंदुब ने निक़ाब वाली (पर्दा पोश) औरत की गवाही को जाइज़ क़रार दिया है।

हदीस 2473:- हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का बयान है कि नबी करीम ने एक शख़्स को मस्जिद में क़ुरआने करीम पढ़ते हुए सुना तो फ़रमाया किः "अल्लाह तआला इस पर रहम फ़रमाए कि इसने फ़ुलां फ़ुलां सूरत की फ़ुलां फ़ुलां आयतें मुझे याद करवा दीं जो मेरे ज़हन से साक़ित हो गई थीं।" अब्बाद बिन अब्दुल्लाह ने हज़रत आयशा से जो रिवायत की उस में यह ज़्यादा है कि नबी करीम मेरे घर में नमाज़ पढ़ रहे थे तो आप ने अब्बाद की आवाज़ सुनी जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे। पस फ़रमाया कि ऐ आयशा! क्या यह अब्बाद की आवाज़ है? मैं अर्ज़ गुज़ार हुई कि हां। कहा किः "ऐ अल्लाह! अब्बाद पर रहम फ़रमा।"

हदीस 2474:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि नबी करीम ने फ़रमायाः "बिलाल तो दौराने रात अज़ान पढ़ता है लिहाज़ा तुम खाते पीते रहा करो, यहां तक कि अज़ान हो या फ़रमाया कि यहां तक कि तुम इब्ने उम्मे मकतूम की अज़ान सुनो और हज़रत इब्ने उम्मे मकतूम नाबीना थे लिहाज़ा उस वक़्त तक अज़ान नहीं पढ़ा करते थे जब तक लोग यह बता न दें कि सुबह हो गई है।

हदीस 2475:- अब्दुल्लाह बिन अबी मुलैका का बयान है कि हज़रत मिसवर बिन मख़रमा ने फ़रमाया कि नबी करीम की ख़िदमत में चन्द क़बाएं आईं तो मुझ से मेरे वालिदे मोहतरम हज़रत मख़रमा ने फ़रमाया कि मेरे साथ हुज़ूर की ख़िदमत में चलो, शायद आप उन में से हमें भी इनायत फ़रमा दें। मेरे वालिदे माजिद दरवाज़े पर जा खड़े हुए और बातें करने लगे। पस नबी करीम

ﷺ ने उनकी आवाज़ को पहचान लिया, लिहाज़ा आप बाहर तशरीफ़ ले आए और आप के साथ एक कबा थी। चुनान्चे आपने उसकी खूबियां दिखाई और फिर फ़रमाते हैं: "यह तुम्हारे लिये रख छोड़ी थी, यह तुम्हारे लिये रख छोड़ी थी।"

बाब 1657:- औरतों की गवाही:

इरशादे रब्बान है: "फिर अगर दो मर्द न हों तो एक मर्द और दो औरतें।" (2/282)

हदीस 2476:- अयाज़ बिन अब्दुल्लाह ने हज़रत अबू सईद खुदरी رضی اللہ عنہ से रिवायत की है कि नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया कि: "क्या औरत की गवाही मर्द की गवाही के निस्फ़ जैसी नहीं है?" हम अर्ज़ गुज़ार हुए कि क्यों नहीं। फ़रमाया कि: "यह उसकी अक़्ल की कोताही के बाइस है।"

बाब 1658:- लौंडियों और गुलामों की गवाही:

हज़रत अनस ने फ़रमाया कि गुलाम की गवाही जाइज़ है जबकि आदिल हो और शुरैह व ज़ुरारा बिन औफ़ा ने इसको जाइज़ रखा है। इब्ने सीरीन का क़ौल है कि उसकी गवाही जाइज़ है मासिवाए इसके कि गुलाम अपने आक़ा की गवाही दे। हसन बसरी और इब्राहीम नख़ई ने इसको मामूली बातों में जाइज़ कहा है। शुरैह का क़ौल है कि तुम सब लौंडी गुलाम की औलाद हो।

हदीस 2477:- इब्ने अबी मुलैका ने हज़रत उक़बा बिन हारिस رضی اللہ عنہ से रिवायत की या मैंने उन से सुना कि उन्होंने उम्मे यहया बिन्ते अबी इहाब से शादी की। रावी का बयान है कि एक स्याह फ़ाम लौंडी आई और उस ने कहा कि मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया है। पस इस बात का नबी करीम ﷺ से मैंने ज़िक्र किया तो आपने मेरी तरफ़ से मुंह फेर लिया। मैं दूसरी तरफ़ से आया और फिर अर्ज़ गुज़ार हुआ। फ़रमाया कि: "यह निकाह कैसे हो सकता है जबकि वह तुम दोनों को दूध पिलाने का दावा करती है।" चुनान्चे आपने उसे रखने से मना फ़रमा दिया।

बाब 1659:- दूध पिलाने वाली की गवाही:

हदीस 2478:- इब्ने अबी मुलैका का बयान है कि हज़रत उक़बा बिन हारिस رضی اللہ عنہ ने फ़रमाया कि उन्होंने एक औरत से शादी की। चुनान्चे एक औरत आई और उस ने कहा कि मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया है। पस मैं नबी करीम ﷺ की बारगाह में हाज़िर हो गया। फ़रमाया कि: "क्यों कर हो जबकि यह कहा जाता है।" उसे अपने से जुदा कर दो या ऐसे ही अल्फ़ाज़ फ़रमाए।

बाब 1660:- औरतों का एक दूसरी की अदालत बयान करना:

हदीस 2479:- ज़ुहरी ने उरवा बिन ज़ुबैर, सईद बिन मुसय्यब, अल्क़मा बिन वक़्क़ास और उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उतबा से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा رضی اللہ عنہا ज़ौजए नबी करीम ﷺ के बारे में रिवायत की है जबकि बोहतान तराशों ने उन पर तोहमत लगाई और अल्लाह तआला ने उन्हें उससे बरी फ़रमाया। ज़ुहरी का बयान है कि हर एक ने हदीस का एक हिस्सा बयान किया है और बाज़ उन में से दूसरे की निस्बत ज़्यादा याद रखने वाला और बयान करने में दूसरे से ज़्यादा क़ाबिले एतेमाद है और मैंने उन में से हर एक की बयान करदा हदीस को याद रखा है जो उन्होंने हज़रत आयशा से रिवायत की है और उनके बयानात एक दूसरे की तस्दीक़ करते हैं। उनका गुमान है कि हज़रत आयशा ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह ﷺ जब सफ़र पर निकलने का इरादा फ़रमाते तो अपनी अज़्वाजे मुतह्हरात के दरमियान क़ुरआ डालते, लिहाज़ा जिसका नाम निकल आता तो आप उसे अपने साथ ले

जाते। चुनान्चे कूच के रोज़ आपने हमारे दरमियान कुरआ डाला तो मेरा नाम निकला और मैं आप के साथ रवाना हुई और यह हुक्मे पर्दा से बाद की बात है। मुझे हौदज में बिठा कर सवार किया जाता और उसी में उतारा जाता। हम रवाना हो गए, यहां तक कि जब रसूलुल्लाह ﷺ अपने इस ग़ज़वा से फ़ारिग़ हो गए और हम वापस मदीना मुनव्वरा के क़रीब आ पहुंचे तो एक रात जब कूच का हुक्म दिया गया तो मैं उठी और लशकर से एक तरफ़ चली गई। जब मैं क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग़ होकर अपनी जगह वापस आई और अपने सीने पर हाथ फेरा तो देखा कि मेरा हार टूट कर गिर गया है जो अज़्फ़ार के टुकड़ों का था। पस मैं अपने हार को तलाश करने लगी तो उसकी तलाश ने मुझे रोके रखा। पस वह लोग आए जो मुझे सवार किया करते थे और उन्होंने मेरे हौदज को उठा कर ऊंट पर रख दिया, जिस पर मैं सवार हुआ करती थी। वह समझे कि मैं उसके अन्दर मौजूद हूं और उन दिनों औरतें कम वज़न हुआ करती थीं। न भारी होतीं और न उन पर गोश्त चढ़ता क्योंकि ख़ूराक बहुत कम खाती थीं। लिहाज़ा जब उन लोगों ने हौदज को उठाया तो उन्हें बोझ की कमी का एहसास न हुआ, पस उन्होंने हौदज उठा कर रख दिया और उन दिनों मैं नौउम्र लड़की थी, पस वह ऊंट को उठा कर रवाना हो गए। मुझे हार उस वक़्त मिला जब लशकर रवाना हो गया। मैं उनकी मंज़िल पर आई तो वहां कोई भी न था। मैंने अपनी उस जगह का क़स्द किया जहां मैं थी। मेरा ख़्याल था कि जब वह मुझे नहीं पाएंगे तो मेरी तलाश में वापस लौटेंगे। मैं बैठी हुई थी कि नींद ने मुझ पर ग़लबा किया और मैं सो गई। और हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल सुलमी फिर ज़ुकवानी लशकर के पीछे थे। वह सुबह के वक़्त मेरी जगह के पास आए और सोए हुए इन्सान की स्याही देखी तो मेरे पास आए और उन्होंने हुक्मे पर्दा से पहले मुझे देखा और उनके "इन्ना लिल्लाहि वइन्ना इलैहि राजिऊन" कहने से मैं जाग उठी। उन्होंने अपने ऊंट को बिठाया और उसका पैर दबाए रखा तो मैं सवार हो गई। पस वह सवारी की मुहार पकड़ कर चलते रहे यहां तक कि लशकर तक पहुंच गए जबकि लोग ऐन ज़ुहर के वक़्त पड़ाव कर चुके थे। पस जिसको हलाक होना था वह हलाक हुआ और बोहतान लगाने वालों की सरपरस्ती अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल कर रहा था। पस हम मदीना मुनव्वरा पहुंच गए और मैं एक महीने तक बीमार रही। तोहमत लगाने वालों की बात फैलती रही और मुझे दौराने अलालत शक गुज़रता था क्योंकि नबी करीम ﷺ का मुझ पर लुत्फ़ व करम हसबे मामूल नहीं रहा था। आप अन्दर तशरीफ़ लाते, सलाम करते और फ़रमाते कि तुम्हारा क्या हाल है। बाक़ी मुझे इस बारे में कुछ पता न था। मैं कमज़ोरी की हालत में उम्मे मिस्तह के साथ बाहर निकली और हम रात के वक़्त ही क़ज़ाए हाजत के लिये निकला करती थीं क्योंकि हमारे घरों के क़रीब बैतुल ख़ला नहीं होते थे और क़दीम अहले अरब के मुताबिक़ ही पाकीज़गी की ख़ातिर हम में यही रिवाज था। पस मैं और उम्मे मिस्तह बिन्ते अबू रुहम जा रही थीं तो वह अपनी चादर में उलझ कर गिर पड़ीं तो उन्होंने कहा: मिस्तह का बुरा हो। मैंने उन से कहा कि आपने बुरी बात कही, क्या आप उस शख़्स को बुरा भला कह रही हैं जो ग़ज़वए बदर में शरीक हुआ था। उन्होंने कहा कि मोहतरमा! क्या तुम ने नहीं सुना जो उन्होंने कहा? फिर उन्होंने मुझे तोहमत लगाने वालों की बात बताई। चुनान्चे मेरी बीमारी में मज़ीद इज़ाफ़ा हो गया। जब मैं घर के अन्दर दाख़िल हुई तो रसूलुल्लाह ﷺ मेरे पास तशरीफ़ लाए, सलाम किया और फ़रमाया कि तुम्हारा क्या हाल है? मैं अर्ज़ गुज़ार हुई कि मुझे मेरे वालिदैन के पास जाने की इजाज़त दे दीजिये, मेरा इरादा उस वक़्त यह था कि

उनके सामने इस ख़बर की तस्दीक़ करूं। पस रसूलुल्लाह ﷺ ने मुझे इजाज़त मरहमत फ़रमा दी तो मैं अपने वालिदैन के पास आ गई। मैंने अपनी वालिदा माजिदा से कहा कि लोग क्या कहते फिर रहे हैं? फ़रमाया कि बेटी! इन बातों की परवाह न करो। ख़ुदा की क़सम! कोई हसीना हो, ख़ाविन्द भी उसे चाहे और उसकी सौकनें हों तो अकसर ऐसा होता है। मैंने कहा: सुब्हानल्लाह! लोग ऐसी बात कहते हैं। वह फ़रमाती हैं कि वह रात मैंने ऐसे गुज़ारी कि आंसू थमते न थे और नींद क़रीब फटकती न थी। जब सुबह हुई तो रसूलुल्लाह ﷺ ने हज़रत अली बिन अबू तालिब और हज़रत उसामा बिन ज़ैद को बुलाया जबकि वह़ी आने में देर हो गई थी। उन से अपनी बीवी को जुदा कर देने के बारे में मशवरा करना था। हज़रत उसामा ने ऐसा इशारा किया जो अज़्वाजे मुतह्हरात से हुज़ूर की मुहब्बत का इल्म होने की बिना पर था। चुनान्चे हज़रत उसामा अर्ज़ गुज़ार हुए कि या रसूलल्लाह! आप की ज़ौजए मुतह्हरा में ख़ुदा की क़सम हम भलाई के सिवा और कुछ नहीं देखते। रहे हज़रत अली बिन अबू तालिब तो वह अर्ज़ गुज़ार हुए कि या रसूलल्लाह! अल्लाह तआला आप पर तंगी नहीं करेगा और औरतें इनके सिवा भी बहुत हैं, बाक़ी यह लौंडी आप को हक़ीक़त बताएगी। फिर रसूलुल्लाह ﷺ ने बरीरा को बुलाया और फ़रमाया: "ऐ बरीरा! क्या तू ने आयशा में ऐसी बात देखी है जो तुझे शुबह में डाले?" बरीरा अर्ज़ गुज़ार हुई कि क़सम है उस ज़ात की जिस ने आप को हक़ के साथ मबऊस फ़रमाया, मैंने इन में कोई बात ऐसी नहीं देखी जिस को छुपाऊं। बात सिर्फ़ इतनी है कि यह नौउम्र लड़की हैं। अकसर ऐसा होता है कि आटा गूंध कर सो जाती हैं और बकरी आकर उसे खा जाती है। पस रसूलुल्लाह ﷺ उठ खड़े हुए और उस रोज़ अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल के मुक़ाबले पर मदद तलब करते हुए रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "कौन है जो उस शख़्स के मुक़ाबले पर मेरी मदद करता है जिस ने मुझे मेरी बीवी के बारे में अज़ियत पहुंचाई है? ख़ुदा की क़सम! मैं अपनी बीवी में भलाई के सिवा और कुछ नहीं देखता और जिस आदमी का ज़िक्र करते हैं मैं उस में भी भलाई ही देखता हूं और वह मेरे घर में दाख़िल नहीं होता मगर मेरे साथ।" पस हज़रत सअद बिन मुआज़ खड़े होकर अर्ज़ गुज़ार हुए कि या रसूलल्लाह! उसके मुक़ाबले पर मैं आप की मदद करता हूं। अगर वह औस से है तो हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे और अगर वह हमारे ख़ज़्रजी भाइयों से है तो आप हमें जो हुक्म फ़रमाएं हम आप के हुक्म की तामील करेंगे। पस हज़रत सअद बिन उबादा खड़े हो गए जो ख़ज़्रज के सरदार थे और इससे पहले वह नेक आदमी थे लेकिन क़बायली हमियत ने उन्हें उभारा और कहने लगे कि तुम ग़लत कहते हो, ख़ुदा की क़सम! तुम उसे क़त्ल नहीं कर सकते और न इस बात पर क़ुदरत रखते हो। पस हज़रत उसैद बिन हज़ीर खड़े होकर कहने लग कि ख़ुदा की क़सम! हम उसे ज़रूर क़त्ल करेंगे, मालूम होता है कि तुम भी मुनाफ़िक़ हो इसी लिये मुनाफ़िक़ो की तरफ़ से झगड़ते हो। पस औस और ख़ज़्रज के दोनों क़बीले भड़क उठे और भिड़ने को तय्यार हो गए और रसूलुल्लाह ﷺ मिंबर से उतर आए और उन्हें चुप कराने लगे, यहां तक कि वह चुप कर गए और आप भी ख़ामोश हो गए। फ़िर उस रोज़ भी मैं रोती रही कि न आंसू थमते थे और न नींद आती थी। सुबह के वक़्त मेरे वालिदैन मेरे पास आए और मुझे रोते हुए दो रातें और एक दिन गुज़र गया था, मैं यहां तक गुमान करती थी कि रोने से मेरा जिगर फट जाएगा। उन्होंने फ़रमाया कि वह दोनों मेरे पास तशरीफ़ फ़रमा थे और मैं रो रही थी कि अन्सार की एक औरत ने अन्दर आने की इजाजत मांगी। मैंने उसको इजाज़त दे दी तो वह बैठ कर मेरे साथ

रोने लगी। इसी दौरान रसूलुल्लाह ﷺ तशरीफ़ ले आए और बैठ गए जबकि बोहतान के रोज़ से लेकर आज तक मेरे पास इससे पहले बैठे नहीं थे नीज़ एक महीना गुज़र गया था कि आप की तरफ़ इस बारे में कोई वही नाज़िल नहीं हुई थी। फिर आपने तशह्हुद पढ़ कर फ़रमाया: "ऐ आयशा! मुझे तेरे बारे में यह ख़बर पहुंची है। अगर तुम इस बात से बरी हो तो अनक़रीब अल्लाह तआला तुम्हें बरी कर देगा और अगर तुम से ग़लती हो गई है तो अल्लाह से मग़फ़िरत चाहो और उसकी तरफ़ ताइब हो जाओ, क्योंकि बन्दा जब अपने गुनाह का एतेराफ़ करे, फिर तौबा करे तो अल्लाह तआला उसकी तौबा क़ुबूल फ़रमा लेता है। जब रसूलुल्लाह ﷺ अपनी गुफ़्तगू ख़त्म कर चुके तो अचानक मेरे आंसू थम गए और एक क़तरा भी महसूस नहीं होता था। मैंने अपने वालिदे माजिद से अर्ज़ की कि मेरी जानिब से रसूलुल्लाह ﷺ को जवाब दीजिये। फ़रमाया कि खुदा की क़सम! मेरी समझ में नहीं आता कि मैं रसूलुल्लाह ﷺ से क्या कहूं। वह फ़रमाती हैं कि मैं कमसिन लड़की थी और क़ुरआने करीम का ज़्यादा हिस्सा भी नहीं पढ़ा था। पस मैं अर्ज़ गुज़ार हुई कि खुदा की क़सम! मुझे मालूम हो गया है कि आप ने वह बात सुन ली है जो लोग बयान करते फिरते हैं और वह आप के दिलों में समा गई है और आप हज़रात ने उस ख़बर को सच्चा जान लिया है। इन हालात में अगर मैं आप से यह कहूं कि मैं इससे बरी हूं और अल्लाह जानता है कि मैं ज़रूर बरी हूं तो आप इस बारे में मेरी तस्दीक़ नहीं करेंगे और अगर मैं इस बात का आप से एतेराफ़ कर लूं और यह खुदा जानता है कि मैं ज़रूर इससे बरी हूं तो आप ज़रूर मेरी तस्दीक़ कर देंगे। खुदा की क़सम! मैं अपनी और आप की मिसाल नहीं पाती मगर हज़रत यूसुफ़ के वालिदे मोहतरम वाली जबकि उन्होंने कहा था: "तो सब्र अच्छा और अल्लाह ही से मदद चाहता हूं उन बातों पर जो तुम बता रहे हो।" (12/18) फिर मैंने बिस्तर पर करवट बदल ली और मैं उम्मीद रखती थी कि अल्लाह तआला मुझे बरी फ़रमा देगा लेकिन खुदा की क़सम! मैं यह गुमान भी नहीं कर सकती थी कि मेरे मुताल्लिक़ वही नाज़िल होगी क्योंकि मैं इससे अपने आप को बहुत घटिया समझती थी कि मेरे बारे में क़ुरआन की ज़बान में कलाम फ़रमाया जाए। हां मुझे यह उम्मीद थी कि रसूलुल्लाह ﷺ को नींद की हालत में ऐसा ख़्वाब दिखा दिया जाएगा कि अल्लाह तआला मुझे बरी फ़रमा देगा। पस खुदा की क़सम! आप उस जगह से हिले भी न थे और न घर वालों में से कोई बाहर निकला था कि आप पर वही का नुज़ूल शुरू हो गया और आप पर वही हालत तारी हो गई जो नुज़ूले वही के वक़्त हुआ करती थी कि सर्दी के दिनों में भी चेहरए अनवर से मोतियों की तरह पसीना टपकने लगता था। जब रसूलुल्लाह ﷺ उस कैफ़ियत से बाहर हुए तो आप हंस रहे थे। पस पहला कलिमा जो आप से सादिर हुआ यानी मुझ से फ़रमाया कि: "ऐ आयशा! खुदा का शुक्र अदा करो कि उस ने तुम्हें बरी फ़रमा दिया है।" मेरी वालिदा माजिदा ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह ﷺ के लिये खड़ी हो जाओ। मैंने कहा कि खुदा की क़सम! मैं इनके लिये खड़ी नहीं हूंगी और न किसी का शुक्र अदा करूंगी सिवाए खुदा के। पस अल्लाह तआला ने यह वही नाज़िल फ़रमाई: बेशक वह कि यह बड़ा बोहतान लाए हैं तुम्हीं में की एक जमाअत है।" (24/11) जब अल्लाह तआला ने मेरी बराअत में यह वही नाज़िल फ़रमा दी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फ़रमाया, जो मिस्तह बिन उसासा को उनके साथ अपनी क़राबत के बाइस माली इमदाद दिया करते थे: खुदा की क़सम! अब मैं कभी मिस्तह को माली इमदाद नहीं दूंगा, इसके बाद कि उस ने आयशा के लिये ऐसा कहा है। पस अल्लाह तआला ने यह वही नाज़िल

फ़रमाई: "और क़सम न खाएं वह जो तुम पर फ़ज़ीलत वाले और गुंजाइश वाले हैं।" (24/22) पस हज़रत अबू बकर ने कहा: क्यों नहीं, मैं तो यही चाहता हूं कि अल्लाह तआला मेरी मग़फ़िरत फ़रमा दे। पस जो वज़ीफ़ा यह मिस्तह को दिया करते थे वह जारी कर दिया और रसूलुल्लाह ﷺ ज़ैनब बिन्ते जहश से भी मेरे बारे में पूछा करते। चुनान्चे फ़रमाया कि: "ऐ ज़ैनब! तुम क्या जानती हो और तुम ने क्या देखा है?" वह अर्ज़ गुज़ार हुई कि या रसूलल्लाह! मैं अपनी समाअत व बसारत को महफ़ूज़ रखती हूं, मैं तो उन में भलाई ही देखती हूं। हज़रत सिद्दीक़ा ने फ़रमाया कि वही मेरी हम-उम्र थीं लेकिन उनकी परहेज़गारी के बाइस अल्लाह तआला ने उन्हें बचा लिया। फ़लैह, हिशाम बिन उरवा हज़रत आयशा से और अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने इसी के मिस्ल रिवायत की है। फ़ुलैह, रबीआ बिन अबू अब्दुर्रहमान और यहया बिन सईद ने क़ासिम बिन मुहम्मद बिन अबू बकर से इसी तरह रिवायत की।

बाब 1661:– जब एक आदमी किसी की पाकी बयान करे तो काफ़ी है:

अबू जमीला का बयान है कि मुझे पड़ा हुआ एक लड़का मिला। जब मुझे हज़रत उमर ने देखा तो फ़रमाया कि कहीं यह मुसीबत न बन जाए, गोया मुझे मुत्तहिम ठहराते थे। अरीफ़ी ने कहा कि यह तो नेक आदमी हैं। फ़रमाया यह बात है तो ले जाओ और इसका ख़र्च हमारे ज़िम्मा है।

हदीस 2480:– हज़रत अबू बकरा رضی اللہ عنہ फ़रमाते हैं कि एक आदमी ने नबी करीम ﷺ के हुज़ूर दूसरे आदमी की तारीफ़ की तो फ़रमाया कि: "तुम्हारी ख़राबी हो, तुम ने तो अपने साथी की गर्दन काट दी।" यही बार बार फ़रमाया। फिर इरशाद हुआ कि: "अगर तुम में से किसी को अपने भाई की तारीफ़ करनी ही पड़ जाए तो कहना चाहिये कि मेरे ख़्याल में फ़ुलां ऐसा है और अल्लाह उसका हिसाब लेने वाला है और मैं अल्लाह तआला के मुक़ाबले पर किसी को बे-ऐब नहीं कह सकता। अगर उसके मुताल्लिक़ कुछ जानता हो तो कहे कि मेरे ख़्याल में वह ऐसा ऐसा है।"

बाब 1662:– तारीफ़ में मुबालग़ा करना मकरूह है, जो जानता हो वही कहना चाहिये:

हदीस 2481:– बुरैद बिन अब्दुल्लाह का बयान है कि हज़रत अबू मूसा अशअरी رضی اللہ عنہ ने फ़रमाया कि नबी करीम ﷺ ने सुना कि एक आदमी दूसरे की तारीफ़ में मुबालग़ा कर रहा है तो फ़रमाया कि: "हलाक कर दिया तुम ने उस आदमी की कमर तोड़ कर रख दी।"

बाब 1663:– बच्चों का बालिग़ होना और उनकी गवाही: इरशादे बारी तआला है:

"और जब तुम में लड़के जवानी को पहुंच जाएं तो वह भी इज़्न मांगें।" (24/59) और मुग़ीरा ने कहा कि जब मुझे एहतेलाम होना शुरू हुआ तो मेरी उम्र बारह साल थी और औरतों का बालिग़ होना हैज़ से है जैसा कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का इरशाद है: "और तुम्हारी औरतों में जिन्हें हैज़ की उम्मीद न रही।" (65/4) हसन बिन सालेह का बयान है कि मैंने अपनी एक पड़ोसन को देखा कि इक्कीस साल की उम्र में नानी या दादी हो गई थी।

हदीस 2482:– नाफ़ेअ ने हज़रत इब्ने उमर رضی اللہ عنہما से रिवायत की है कि उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ के हुज़ूर ग़ज़वए उहुद के वक़्त खुद को पेश किया जबकि वह चौदह बरस (14) के थे तो मुझे इजाज़त न दी। फिर मैंने अपने आप को ग़ज़वए ख़न्दक़ के वक़्त पेश किया जबकि मैं पन्द्रह साल का था, तो मुझे इजाज़त मरहमत फ़रमा दी। नाफ़ेअ का बयान है कि मैं उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास गया जबकि वह ख़लीफ़ा थे और उन से यह हदीस बयान की तो फ़रमाया कि यह नाबालिग़ और बालिग़

के दरमियान हद है और अपने उम्माल के लिये लिख भेजा कि जो पन्द्रह साल का हो जाए उसे फ़ौज में शामिल किया जा सकता है।

हदीस 2483:- अता बिन यसार ने हज़रत अबू सईद ख़ुदरी ؓ से रिवायत की है कि उन तक नबी करीम ﷺ से यह बात पहुंची है कि आपने फ़रमायाः जुम्आ के रोज़ गुस्ल करना हर बालिग़ के लिये ज़रूरी है।

बाब 1664:- हाकिम का क़सम से पहले मुद्दई से पूछना कि तुम्हारे पास गवाह हैं?

हदीस 2484:- हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "जो क़सम खाए और उस क़सम में झूटा हो ताकि उसके ज़रिये एक मुसलमान का माल हज़्म करे तो अल्लाह तआला से ऐसी हालत में मुलाक़ात करेगा कि वह उस पर नाराज़ होगा।" रावी का बयान है कि इस पर हज़रत अशअस बिन क़ैस ने कहा कि ख़ुदा की क़सम! यह तो मेरे मुताल्लिक़ है क्योंकि मेरे और एक यहूदी के दरमियान ज़मीन का झगड़ा था। पस मैं नबी करीम ﷺ की बारगाह में हाज़िर हो गया तो रसूलुल्लाह ﷺ ने मुझ से फ़रमाया किः "क्या तुम्हारे पास गवाह हैं?" मैं अर्ज़ गुज़ार हुआ कि नहीं। आपने यहूदी से फ़रमाया कि तुम क़सम खाओ। वह फ़रमाते हैं कि मैं अर्ज़ गुज़ार हुआ कि या रसूलल्लाह! यह तो क़सम खा जाएगा और मेरा माल जाता रहेगा। उनका बयान है कि इस पर अल्लाह तआला ने यह हुक्म नाज़िल फ़रमाया। "बेशक जो अल्लाह के अहद और अपनी क़समों के बदले ज़लील दाम लेते हैं।" (3/77)

बाब 1665:- अमवाल और हुदूद में क़सम मुद्दआ अलैहि पर हैः

नबीए करीम ﷺ ने फ़रमाया किः "तुम्हारे गवाह हों वरना उसकी क़सम होगी। क़ुतैबा, सुफ़यान, इब्ने शुब्रुमा का बयान है कि अबू ज़िनाद ने मुझ से गवाह की गवाही और मुद्दई की क़सम के बारे में गुफ़्तगू की तो मैंने कहा कि अल्लाह तआला फ़रमाता हैः "और दो गवाह कर लो अपने मर्दों में से, फिर अगर दो मर्द न हों तो एक मर्द और दो औरतें, ऐसे गवाह जिन को पसन्द करो कि कहीं उन में से एक औरत भूले तो उस एक को दूसरी याद दिलाए।" (2/282) मैंने कहा कि जब गवाह की गवाही और मुद्दई की क़सम किफ़ायत करती है तो इस बात की क्या ज़रूरत रह जाती है कि एक औरत दूसरी को याद दिलाए? नीज़ दूसरी औरत को याद दिलाने का क्या बनाया जाएगा?

हदीस 2485:- इब्ने अबे मुलैका का बयान है कि हज़रत इब्ने अब्बास ؓ ने लिखा कि नबी करीम ﷺ ने मुद्दआ अलैहि की क़सम पर फ़ैसला फ़रमाया।

बाब 1666:- झूटी क़सम का वबालः

हदीस 2486:- अबू वाइल का बयान है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद ؓ ने फ़रमाया कि जो माल हड़प करने के लिये क़सम उठा जाए, वह अल्लाह तआला से इस हालत में मुलाक़ात करेगा कि वह उस पर नाराज़ होगा। फिर अल्लाह तआला ने इसकी तस्दीक़ में यह आयत नाज़िल फ़रमाईः "बेशक जो अल्लाह के अहद और अपनी क़समों के बदले ज़लील दाम लेते हैं।" (3/77) फिर हज़रत अशअस बिन क़ैस हमारे पास तशरीफ़ लाए और फ़रमाया कि अबू अब्दुर्रहमान तुम से क्या बयान कर रहे थे? पस हम ने बयान कर दिया जो उन्होंने फ़रमाया था। इन्होंने फ़रमाया कि सच कहा, यह आयत हमारे बारे में नाज़िल हुई कि मेरे और एक आदमी के दरमियान किसी चीज़ पर झगड़ा था, तो हम अपने

झगड़े को रसूलुल्लाह ﷺ की बारगाह में ले गए। पस फ़रमाया कि तुम्हारे दो गवाह हों या वह क़सम खाएगा। मैं अर्ज़ गुज़ार हुआ कि उसे तो क़सम खाने में कोई झिजक महसूस नहीं होगी। चुनान्चे नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया कि: "जो क़सम खाकर अपने आप को माल का मुस्तहिक़ बनाए और वह उस क़सम में झूटा हो, तो अल्लाह तआला से इस हालत में मुलाक़ात करेगा कि वह उस पर नाराज़ होगा।" तो अल्लाह तआला ने इस बात की तस्दीक़ फ़रमाई और फिर इस आयत को पढ़ा।

बाब 1667:– जब कोई दावा करे या तोहमत लगाए तो गवाह तलाश करना और गवाहों के लिये भाग दौड़ करना उस पर है:

हदीस 2487:– इकरमा ने हज़रत इब्ने अब्बास رضي الله عنهما से रिवायत की है कि बिलाल बिन उमय्या ने नबी करीम ﷺ के हुज़ूर अपनी बीवी पर शरीक बिन सहमा के साथ तोहमत लगाई। चुनान्चे नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया कि गवाह पेश करो या तुम्हारी पीठ पर हद्द जारी की जाएगी। वह अर्ज़ गुज़ार हुए कि या रसूलल्लाह! जब हम में से कोई अपनी बीवी के साथ किसी मर्द को देखे तो क्या वह गवाह तलाश करने के लिये जाए? आप बराबर यही फ़रमाते रहे कि गवाह पेश करो वरना तुम्हारी पीठ पर हद्द क़ायम की जाएगी। फिर लिआन की हदीस बयान फ़रमाई।

बाब 1668:– अस्र के बाद क़सम खाना:

हदीस 2488:– हज़रत अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया कि: "तीन शख़्स ऐसे हैं कि न अल्लाह तआला उन से कलाम फ़रमाए, न उनकी तरफ़ देखे और न उन्हें पाक फ़रमाएगा और उनके लिये दर्दनाक अज़ाब होगा। एक वह आदमी जिसके पास रास्ते में ज़ायद पानी हो और वह उसकी मुसाफ़िरों के लिये मुमानिअत कर दे। दूसरा वह आदमी जो किसी के हाथ पर बैअत करता है तो सिर्फ़ दुन्या के लिये। अगर वह उसे देता है तो यह वादे पर क़ायम रहता है वरना उसे पूरा नहीं करता। तीसरा वह आदमी जो अस्र के बाद अपनी किसी चीज़ का सौदा करे और अल्लाह की क़सम खाए कि उसे इतनी क़ीमत में मिल रही है ताकि वह उसे ख़रीदे।

बाब 1669:– मुद्दआ अलैहि जहां क़सम दे वहीं क़सम ली जाए और उसे दूसरी जगह नहीं ले जाना चाहिये:

मरवान ने हज़रत ज़ैद बिन साबित को मिंबर पर क़सम खाने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो इसकी अपने मकान पर क़सम खाऊंगा। चुनान्चे हज़रत ज़ैद वहीं क़सम खाने लगे और मिंबर पर जाने से इन्कार कर दिया। पस मरवान इस बात पर ताज्जुब करन लगा और नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया कि तुम्हारे दो गवाह हों या वह क़सम खाएगा। इसमें किसी जगह की तख़सीस नहीं फ़रमाई है।

हदीस 2489:– अबू वाइल ने हज़रत इब्ने मसऊद رضي الله عنه से रिवायत की है कि नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "जो ऐसी क़सम खाए कि उसके ज़रिये किसी का माल हड़प करे तो अल्लाह तआला से ऐसी हालत में मिलेगा कि वह इस पर नाराज़ होगा।"

बाब 1670:– जब क़सम खाने में लोग एक दूसरे से जल्दी दिखाएं:

हदीस 2490:– हज़रत अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ ने कुछ लोगों से क़सम खाने के लिये, तो वह एक दूसरे पर सबक़त ले जाने लगे लिहाज़ा आप ने कुरआ अंदाज़ी का हुक्म फ़रमाया कि कौन उन में से क़सम खाएगा।

बाब 1671:- जो अल्लाह के अहद और अपनी क़समों के बदले ज़लील दाम लेते हैं:

हदीस 2491:- अबू इस्माईल सकसकी का बयान है कि उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा رضي الله عنه को फ़रमाते हुए सुना कि एक आदमी ने बाज़ू में अपना सामान लगाया और उसने अल्लाह की क़सम खाई कि उसने इतने की ली है हालांकि उतने की ली न थी। इस पर यह आयत नाज़िल हुई: "बेशक जो अल्लाह के अहद और अपनी क़समों के बदले ज़लील दाम लेते हैं।" (3/77) हज़रत इब्ने अबी औफ़ा ने फ़रमाया कि दलाली खाने वाला सूद ख़ोर और ख़ाइन है।

हदीस 2492:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद رضي الله عنه से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "जिस ने झूटी क़सम खाई ताकि किसी शख़्स का माल हड़प कर जाए या यह फ़रमाया कि अपने भाई का, तो वह अल्लाह तआला से ऐसी हालत में मुलाक़ात करेगा कि वह उस पर नाराज़ होगा।" और अल्लाह तआला ने कुरआने करीम में इसकी तस्दीक़ नाज़िल फ़रमाई: "बेशक जो अल्लाह के अहद और अपनी क़समों के बदले ज़लील दाम लेते हैं।" (3/77) फिर हज़रत अशअस से मेरी मुलाक़ात हुई तो फ़रमाया कि आज अब्दुल्लाह तुम से क्या बयान कर रहे थे? मैंने अर्ज़ कर दिया कि यह कुछ। फ़रमाया कि यह तो मेरे बारे में नाज़िल हुई है।

बाब 1672:- क़सम किस तरह ली जाए:

अल्लाह तआला ने फ़रमाया: "वह अल्लाह की क़समें खाते हैं।" नीज़ इरशाद है: "फिर ऐ महबूब! तुम्हारे हुजूर हाज़िर हों, अल्लह की क़सम खाते हुए कि हमारा मक़सूद तो भलाई और मेल मुहब्बत ही था।" (4/62) कहा जाता है "بِاللهِ وَتَاللهِ وَوَاللهِ" और नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "जो अस्र के बाद झूटी क़सम खाए और ख़ुदा के सिवा किसी की क़सम न खाए।"

हदीस 2493:- हज़रत तल्हा बिन उबैदुल्लाह رضي الله عنه फ़रमाते हैं कि एक आदमी पीछे से आकर रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और वह इस्लाम के बारे में पूछ रहा था। पस रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया कि पांच नमाज़ें रोज़ाना रात दिन में। अर्ज़ गुज़ार हुआ कि क्या इसके अलावा भी मुझ पर नमाज़ फ़र्ज़ है? फ़रमाया: नहीं मगर जो तुम अपनी ख़ुशी से पढ़ो। फिर रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया कि: रमज़ान के रोज़े। अर्ज़ की कि क्या इनके अलावा भी मुझ पर रोज़े हैं? फ़रमाया: नहीं मगर जो तुम अपनी ख़ुशी से रखो। रावी का बयान है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने उससे ज़कात का ज़िक्र फ़रमाया। अर्ज़ गुज़ार हुआ कि क्या इसके अलावा भी मुझ पर ज़कात है? फ़रमाया: नहीं मगर जो तुम अपनी ख़ुशी से दो। फिर वह आदमी पीठ फेर कर जाने लगा और कह रहा था कि ख़ुदा की क़सम! न मैं इस में इज़ाफ़ा करूंगा और न इन में से घटाऊंगा। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया कि अगर यह सच्चा है तो नजात पा गया।

फ़ायदा:- इस हदीस से साबित हुआ कि अगर कोई मुसलमान मज़कूरा चन्द बुन्यादी आमाल पर पूरी तरह कारबन्द हो जाए तो इस्लाम के यही बुन्यादी अरकान उसकी नजात के ज़ामिन बन जाते हैं। हम में ख़ामी यही है कि अव्वलन तो नेकियों के क़रीब जाते ही नहीं और अगर कोई नेकी करते भी हैं तो अपने पैदा करने वाले को राज़ी करन के लिये नहीं बल्कि लोगों में नेक मशहूर होने के लिये करते हैं और इस नामवरी की ख़्वाहिश के साथ उस नेकी को करने का हमें सही मानों में शुऊर भी नहीं होता। यहां भी सिर्फ़ नाम या दाम की जुस्तजू में बात सिर्फ़ ख़ाना पुरी की हद तक ही रहती है। ख़ुदाए जुल

मनन हमें फ़िक्रे आख़िरत से नवाज़े और अपनी रज़ा के लिये काम करने का शुऊर बख़्शे। आमीन

हदीस 2494:- हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर رضی اللہ عنہ से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ ने फ़रमायाः "जिस ने क़सम खानी हो तो अल्लाह की क़सम खाए या चाहिये कि ख़ामोश रहे।"

बाब 1673:- जो क़सम के बाद गवाह पेश करेः

नबी करीम ﷺ ने फ़रमायाः "हो सकता है कि तुम में एक दूसरे की निस्बत दलील को बेहतर तरीक़े से पेश करता हो।" ताऊस, इब्राहीम नख़ई, शुरैह का क़ौल है कि सच्ची गवाही क़ुबूल किये जाने की झूटी क़सम से ज़्यादा मुस्तहिक़ है।

हदीस 2495:- हज़रत उम्मे सलमा رضی اللہ عنہا से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया किः "तुम मेरे पास जमा होते हो तो शायद तुम में से एक दलील पेश करने के मामले में दूसरे से ज़्यादा चौकस हो, लिहाज़ा उसकी बात पर अगर मैं किसी के हक़ में उसके भाई की चीज़ का फ़ैसला कर दूं तो उसे न ले क्योंकि मैं आग का टुकड़ा दे रहा हूंगा।"

बाब 1674:- जो वादा पूरा करने का हुक्म देः और अल्लाह तआला ने हज़रत इस्माईल का ज़िक्र फ़रमाया कि वह वादे के सच्चे थे और इब्नुल अशवअ ने वादा पूरा करने का हुक्म दिया और हज़रत मिसवर बिन मख़रमा का बयान है कि मैंने नबी करीम ﷺ से सुना कि अपने एक दामाद का ज़िक्र फ़रमाया कि उस ने मुझ से जो वादा किया उसे पूरा किया। इमाम बुख़ारी का बयान है कि मैंने इस्हाक़ बिन इब्राहीम को देखा कि इब्ने अशवअ की हदीस से दलील पकड़ते थे।

हदीस 2496:- उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह को हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास رضی اللہ عنہما ने बताया और फ़रमाया कि मुझे हज़रत अबू सुफ़यान ने बताया कि हिरक़ल ने उन से कहा कि मैं तुम से पूछता हूं कि वह (नबी) तुम्हें किन बातों का हुक्म देता है? तुमने बताया कि वह तुम्हें नमाज़, सच बोलने, पाक दामन रहने, वादा पूरा करने और अमानत अदा करने का हुक्म फ़रमाता है। उस ने कहा कि नबी की सिफ़त यही होती है।

हदीस 2497:- नाफ़ेअ बिन मालिक बिन अबू आमिर ने अपने वालिदे माजिद से और उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा رضی اللہ عنہ से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "मुनाफ़िक़ की तीन निशानियां हैं, जब बात करे तो झूट बोले, जब अमानत उसके सिपुर्द की जाए तो ख़्यानत करे और जब वादा करे तो ख़िलाफ़ वर्ज़ी करे।"

हदीस 2498:- मुहम्मद बिन अली का बयान है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضی اللہ عنہما का बयान है कि जब नबी करीम ﷺ ने वफ़ात पाई तो हज़रत अबू बकर के पास हज़रत अला बिन अल-हज़रमी के पास से माल आया। पस हज़रत अबू बकर ने फ़रमाया कि जिसका नबी करीम ﷺ पर क़र्ज़ या जिससे हुज़ूर ने कोई वादा फ़रमाया हो तो वह हमारे पास आ जाए। हज़रत जाबिर फ़रमाते हैं कि मैंने कहाः रसूलुल्लाह ﷺ ने मुझ से वादा फ़रमाया था कि तुम्हें इतना माल दूंगा। चुनान्चे उन्होंने तीन मर्तबा अपने हाथ फैलाए। हज़रत जाबिर फ़रमाते हैं कि उन्होंने मेरे हाथों में पांच सौ अशरफ़ियां दीं, फिर पांच सौ, फिर पांच सौ।

हदीस 2499:- सईद बिन जुबैर का बयान है कि मुझ से हिबरा के एक यहूदी ने पूछा कि हज़रत मूसा ने कौन सी मुद्दत पूरी की थी? मुझे तो मालूम नहीं यहां तक कि अल्लामए अरब की ख़िदमत में

पहुंच कर उन से पूछ न लूं। मैंने जाकर हज़रत इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہ से पूछा तो फ़रमाया कि उन्होंने लम्बी और पाकीज़ा मुद्दत पूरी की थी क्योंकि अल्लाह के रसूल जो फ़रमाते हैं वही करते हैं।

बाब 1675:– मुश्रिकीन से गवाही वग़ैरा के मुताल्लिक़ न पूछा जाए:

शअबी का क़ौल है कि एक मज़हब वालों की गवाही दूसरे मज़हब वालों के बारे में जाइज़ नहीं क्योंकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया है: "तो हम ने उनके दरमियान बैर और बुग़्ज़ डाल दिया।" (5/14) हज़रत अबू हुरैरा ने नबी करीम ﷺ से रिवायत की है कि अहले किताब की न तस्दीक़ करो और न तकज़ीब बल्कि कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और जो उस ने नाज़िल फ़रमाया।

हदीस 2500:– उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उतबा का बयान है कि हज़रत इब्ने अब्बास رضی اللہ عنہ ने फ़रमाया: ऐ मुसलमानो! तुम अहले किताब से किस तरह पूछते हो जबकि तुम्हारी किताब वह है जो नबी करीम ﷺ पर नाज़िल हुई है। अल्लाह तआला की तरफ़ से आने वाली ख़बरों में सबसे नई है जिस को तुम पढ़ते हो और मिलावट से पाक है जबकि अल्लाह तआला ने तुम्हें बता दिया कि अहले किताब ने अल्लाह के लिखे में तब्दीली कर दी और किताब को अपने हाथों से बदल दिया और कहा कि यही अल्लाह के पास से है ताकि उनके ज़रिये ज़लील पूंजी ख़रीदें। क्या जो इल्म तुम्हारे पास आया है उस में तुम्हें उन से पूछने से मना नहीं फ़रमाया गया? ख़ुदा की क़सम! हम ने तो हरगिज़ उन में से किसी को नहीं देखा कि जो तुम पर नाज़िल हुआ उसके बारे में पूछता हो।

बाब 1676:– मुश्किलात के अन्दर क़ुरआ डालना: इरशादे रब्बानी है:

"जब वह अपनी क़लमों से क़ुरआ डालते थे कि मरयम किस की परवरिश में रहे।" (3/44) हज़रत इब्ने अब्बास का बयान है कि सब के क़लम बहाव में बह गए और हज़रत ज़करिया का क़लम बहाव में रुका रहा। पस हज़रत ज़करिया ने उनकी परवरिश फ़रमाई। "فَسَاهَمَ" क़ुरआ अंदाज़ी की। "مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ" क़ुरआ डालने वालों में। हज़रत अबू हुरैरा का बयान है कि नबी करीम ﷺ ने कुछ लोगों से क़सम के लिये फ़रमाया तो उन में से हर एक जल्दी करने लगा। पस आप ने फ़रमाया कि इनके दरमियान क़ुरआ अंदाज़ी की जाए कि क़सम कौन खाएगा।

हदीस 2501:– हज़रत नोमान बिन बशीर رضی اللہ عنہ से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह की हुदूद के बारे में नर्मी बरतने वाले और उन में मुब्तला होने वाले की मिसाल उन लोगों जैसी है जिन्होंने कश्ती में क़ुरआ अंदाज़ी की तो बाज़ के हिस्से में नीचे वाला हिस्सा आया और बाज़ के हिस्से में ऊपर वाला। पस नीचे वालों को पानी के लिये ऊपर वालों के पास जाना होता था, तो उन्होंने इसे ज़हमत शुमार करते हुए एक बिसौला लिया और कश्ती के निचले हिस्से में एक शख़्स सूराख़ करने लगा। तो वह उसके पास आए और कहा कि तुझे क्या हो गया है? कहा कि तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ़ होती थी और पानी के बग़ैर गुज़ारा नहीं। पस अगर उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया तो उसे बचा लिया और ख़ुद भी बच जाएंगे और अगर उसे छोड़े रखा तो उसे हलाक करेंगे और अपनी जानों को भी हलाक करेंगे।"

हदीस 2502:– ज़ुहरी ने ख़ारिजा बिन ज़ैद अन्सारी से रिवायत की है कि हज़रत उम्मुल अला رضی اللہ عنہا ने उन्हें बताया जो उनकी रिश्ता की औरतों से थीं और जिन्होंने नबी करीम ﷺ से बैअत की थी कि जब अन्सार ने मुहाजिरीन की रिहाइश के बारे में क़ुरआ अंदाज़ी की तो हज़रत उस्मान बिन

मज़ऊन हमारे हिस्से में आए। चुनान्चे हज़रत उम्मुल अला फ़रमाती हैं कि हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन हमारे पास रहने लगे और वह बीमार हो गए तो हम उनकी तीमारदारी करते रहे। यहां तक कि जब उनकी वफ़ात हो गई तो हम ने उनके कपड़ों का उन्हें कफ़न दिया। रसूलुल्लाह ﷺ हमारे पास तशरीफ़ ले आए, मैंने कहा कि ऐ अबू साइब! आप पर अल्लाह की रहमत है। मैं गवाही देती हूं कि आप पर अल्लाह तआला ने करम फ़रमाया। पस नबी करीम ﷺ ने मुझ से फ़रमाया कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि अल्लाह तआला ने इन पर करम फ़रमाया है? मैं अर्ज़ गुज़ार हुई कि मेरे मां बाप आप पर कुरबान, या रसूलल्लाह! मैं तो नहीं जानती। इस पर रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः खुदा की क़सम! उस्मान की तो वफ़ात हो गई और मैं उनके लिये भलाई की उम्मीद रखता हूं लेकिन मैं भी अपने आप नहीं जानता हालांकि मैं अल्लाह का रसूल हूं कि उनके साथ क्या होगा? वह अर्ज़ गुज़ार हुई कि खुदा की क़सम! इसके बाद मैं कभी किसी की पाकीज़गी बयान नहीं करूंगी और इस सानिहा से मुझे सदमा पहुंचा था। वह फ़रमाती हैं कि मैं सो गई तो मैंने हज़रत उस्मान के लिये एक चश्मा देखा जो जारी है। पस मैंने रसूलुल्लाह ﷺ की बारगाह में हाज़िर होकर आप को बताया तो फ़रमाया कि यह उनका अमल है।

हदीस 2503:- उरवा बिन ज़ुबैर का बयान है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा رضي الله عنها ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह ﷺ जब सफ़र का इरादा फ़रमाते तो अपनी अज़्वाजे मुतह्हरात के दरमियान क़ुरआ अंदाज़ी करते। पस जिसका उन में से नाम निकल आता उसको अपने साथ ले जाते थे और आप ने अपनी हर बीवी के लिये एक रात दिन की बारी तक़सीम फ़रमाई हुई थी मासिवाए हज़रत सौदा बिन्ते ज़म्आ के कि उन्होंने अपनी बारी हज़रत आयशा ज़ौजए नबी करीम ﷺ को दे रखी थी और इससे उनका मक़सूद रसूलुल्लाह ﷺ की खुशनूदी हासिल करना था।

हदीस 2504:- हज़रत अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "अगर लोगों को मालूम होता कि अज़ान और पहली सफ़ का सवाब क्या है तो क़ुरआ अंदाज़ी के बग़ैर और कोई रास्ता न पाते और क़ुरआ अंदाज़ी करना पड़ती, अगर वह जानते कि नमाज़ के लिये पहले आने में कितना सवाब है तो एक दूसरे पर सबक़त ले जाते और अगर जानते कि इशा और फ़ज्र की जमाअत में कितना सवाब है तो उन में ज़रूर शामिल होते ख़्वाह घुटनों के बल चलना पड़ता।"

सुलह का बयान

अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है।

बाब 1677:- लोगों के दरमियान सुलह करवाने के बारे में: इरशादे रब्बानी है: "उनके अकसर मशवरों में कुछ भलाई नहीं मगर जो हुक्म दे ख़ैरात या अच्छी बात या लोगों में सुलह करने का। और जो अल्लाह की रज़ा चाहने को ऐसा करे उसे अनक़रीब हम बड़ा सवाब देंगे।" (4/114) और इमाम का अपने साथियों समेत सुलह करवाने के लिये लड़ाई की जगहों पर जाना।

हदीस 2505:- अबू हाज़िम ने हज़रत सहल बिन सअद رضي الله عنه से रिवायत की है कि बनी अम्र बिन औफ़ के लोगों का आपस में झगड़ा हो गया तो नबी करीम ﷺ अपने चन्द असहाब को लेकर

उनकी जानिब तशरीफ़ ले गए। चुनान्चे नमाज़ का वक़्त हो गया और नबी करीम ﷺ अभी पहुंचे नहीं थे और हज़रत बिलाल आ गए थे तो हज़रत बिलाल ने नमाज़ के लिये अज़ान कही। चूंकि नबी करीम ﷺ तशरीफ़ फ़रमा नहीं हुए थे तो वह हज़रत अबू बकर की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ गुज़ार हुए कि नबी करीम ﷺ को किसी चीज़ ने रोक लिया और नमाज़ का वक़्त हो गया है तो क्या आप लोगों की इमामत फ़रमाएंगे? फ़रमाया कि हां अगर तुम चाहते हो। पस नमाज़ खड़ी हुई और हज़रत अबू बकर आगे हो गए। फिर नबी करीम ﷺ आ गए और आप सफ़ों में से गुज़रते हुए पहली सफ़ में आ खड़े हुए। लोगों ने तालियां बजाईं, यहां तक कि जब ज़्यादा बजाने लगे मगर हज़रत अबू बकर नमाज़ में इधर उधर देखा नहीं करते थे लेकिन उन्होंने देखा तो नबी करीम ﷺ उनके पीछे थे। चुनान्चे आपने हाथ से इशारा किया और उन्हें उसी तरह नमाज़ पढ़ाते रहने का हुक्म फ़रमाया। हज़रत अबू बकर ने अपना हाथ उठाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर उल्टे पांव पीछे आ गए, यहां तक कि सफ़ में आ मिले और नबी करीम ﷺ ने आगे बढ़ कर लोगों को नमाज़ पढ़ाई। जब आप फ़ारिग़ हो गए तो लोगों की जानिब मुतवज्जह होकर फ़रमाया: "ऐ लोगो! जब नमाज़ में कोई बात आ जाए तो तुम तालियां बजाने लगते हो हालांकि ताली बजाना औरतों के लिये है, जो नमाज़ में कोई बात देखे तो चाहिये कि सुब्हानल्लाह कहे क्योंकि जो उसे सुनेगा वह मुतवज्जह हो जाएगा। ऐ अबू बकर! तुम्हें लोगों को नमाज़ पढ़ाने से किस चीज़ ने रोका जबकि मैंने इशारा कर दिया था?" अर्ज़ गुज़ार हुए कि इब्ने अबी कुहाफ़ा की यह मजाल नहीं है कि नबी करीम ﷺ के आगे होकर नमाज़ पढ़ाए।

हदीस 2506:- हज़रत अनस رضي الله عنه ने फ़रमाया कि नबी करीम ﷺ से कहा गया कि क्या ही अच्छा होता कि आप अब्दुल्लाह बिन उबय के पास तशरीफ़ ले जाते। पस नबी करीम ﷺ एक गधे पर सवार होकर उसकी जानिब रवाना हो गए और कितने ही मुसलमान भी आप के साथ चल दिये और वह ज़मीन शूर थी। जब नबी करीम ﷺ उसके क़रीब पहुंचे तो उस ने कहा कि दूर रहिये, ख़ुदा की क़सम! आप के गधे की बदबू ने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई है। एक अन्सारी ने जवाब दिया कि ख़ुदा की क़सम! रसूलुल्लाह ﷺ के गधे की बू तुम से ज़्यादा पाकीज़ा है। अब्दुल्लाह की क़ौम का एक आदमी उस पर भड़क उठा और दोनों की आपस में बदकलामी होने लगी। फिर दोनों के साथी उनकी हिमायत में मशग़ल हो गए और वह डंडों, हाथों और जूतों से एक दूसरे को मारने लगे। हमें ख़बर पहुंची है कि इस पर यह आयत नाज़िल हुई: "और अगर मुसलमानों के दो गिरोह आपस में लड़ें तो उन में सुलह करवा दो।" (49/9)

बाब 1678:- लोगों के दरमियान सुलह कराने वाला झूटा नहीं है:

हदीस 2507:- हुमैद बिन अब्दुर्रहमान को उनकी वालिदा माजिदा हज़रत उम्मे कुल्सूम बिन्ते उक़बा رضي الله عنها ने बताया कि उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते हुए सुना कि: "लोगों में सुलह करवाने वाला झूटा नहीं है। उसकी नियत अच्छी है या वह अच्छी बात कहता है।"

बाब 1679:- इमाम का अपने साथियों से कहना कि हमारे साथ चलो ताकि सुलह कराएं:

हदीस 2508:- अबू हाज़िम ने हज़रत सहल बिन सअद साइदी رضي الله عنه से रिवायत की है कि अहले

कुबा आपस में लड़ने लगे, यहां तक कि एक दूसरे पर पत्थरों की बारिश बरसाने लगे। पस रसूलुल्लाह ﷺ को यह बात बताई गई तो फ़रमाया कि: "हमारे साथ चलो ताकि उन में सुलह करवाएं।"

बाब 1680:- इरशादे रब्बानी है कि अगर वह दोनों आपस में सुलह कर लें और सुलह बेहतर है:

हदीस 2509:- उरवा बिन ज़ुबैर ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा رضی اللہ عنہا से रिवायत की है कि आयत: "और अगर कोई औरत अपने शौहर से ज़्यादती या बे-रग़बती का अन्देशा करे।" (4/128) की तफ़सीर में फ़रमाया कि अगर वह शख़्स अपनी बीवी में ऐसी बात देखे जिस को वह पसन्द न करे यानी तकब्बुर व गुरूर वग़ैरा और उसे जुदा करना चाहे तो औरत उससे कहती हो और जो मेरी चीज़ आप चाहें तक़सीम कर दें, हज़रत सिद्दीक़ा ने फ़रमाया कि अगर दोनों रज़ामन्द हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं है।

बाब 1681:- अगर लोग ज़ुल्म की सुलह पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं तो ऐसी सुलह मरदूद है:

हदीस 2510:- उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह का बयान है कि हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी رضی اللہ عنہما ने फ़रमाया कि एक आराबी आकर अर्ज़ गुज़ार हुआ कि या रसूलल्लाह! हमारे दरमियान अल्लाह की किताब के मुताबिक़ फ़ैसला फ़रमा दीजिये। उसका मुख़ालिफ़ खड़ा होकर अर्ज़ गुज़ार हुआ कि सच कहा, हमारे माबैन अल्लाह की किताब के मुताबिक़ ही फ़ैसला फ़रमाइये। फिर दूसरे आराबी ने कहा कि मेरा बेटा इसके पास मज़दूरी करता था तो उस ने इसकी बीवी के साथ ज़िना किया। मुझ से लोगों ने कहा कि तेरे बेटे को संगसार किया जाएगा तो मैंने अपने बेटे का फ़िदया एक सौ बकरियां और लौंडी की सूरत में अदा कर दिया। फिर मैंने अहले इल्म से पूछा तो उन्होंने कहा कि तेरे बेटे को सौ कोड़े मारे जाएंगे और एक साल की जिला वतनी होगी। पस नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया कि "मैं तुम्हारे दरमियान ज़रूर अल्लाह की किताब के मुताबिक़ फ़ैसला करूंगा। लौंडी और बकरियां तुम्हें वापस दी जाएंगी और तुम्हारे बेटे के लिये सौ कोड़े और एक साल की जिला वतनी है और ऐ उनैस! तुम कल इस आदमी की बीवी के पास जाना और उसे संगसार कर देना।" चुनान्चे अगले रोज़ हज़रत उनैस उसके पास गए और उसे संगसार कर दिया।

हदीस 2511:- हज़रत आयशा सिद्दीक़ा رضی اللہ عنہا से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो हमारे इस दीन में कोई ऐसी नई बात पैदा करे जो इस में न हो तो वह रद्द है।" इसे अब्दुल्लाह बिन जाफ़र मख़रमी और अब्दुल वाहिद इब्ने औन ने सअद बिन इब्राहीम से रिवायत किया है।

बाब 1682:- किस तरह लिखा जाए कि यह सुलह नामा है फ़ुलां और फ़ुलां के दरमियान अगर्चे उनके क़बीले और नसब की तरफ़ मन्सूब न किया जाए:

हदीस 2512:- अबू इस्हाक़ का बयान है कि हज़रत बरा बिन आज़िब رضی اللہ عنہ ने फ़रमाया कि जब रसूलुल्लाह ﷺ ने हुदैबिया वालों से सुलह की तो हज़रत अली ने उनके दरमियान सुलह नामा लिखा। चुनान्चे लिखा कि मुहम्मद रसूलुल्लाह ﷺ, तो मुश्रिकों ने कहा कि मुहम्मद रसूलुल्लाह न लिखो। अगर आप रसूल होते तो हम आप से क्यों लड़ते? आपने हज़रत अली से फ़रमाया कि इसे मिटा दो। हज़रत अली अर्ज़ गुज़ार हुए कि मैं तो इसे नहीं मिटा सकता। पस रसूलुल्लाह ﷺ ने अपने दस्ते मुबारक से इसे मिटा दिया और उन से इस बात पर सुलह करली कि वह और उनके असहाब तीन दिन

के लिये (मक्का मुकर्रमा में) दाख़िल हो सकते हैं और उस में दाख़िल नहीं होंगे मगर हथियार छुपा कर। पस उन से पूछा गया कि جُلُبَّانَ السِّلَاحِ का मतलब क्या है, तो फ़रमाया कि चमड़े का थैला और जो उस में हो।

हदीस 2513:- अबू इस्हाक़ का बयान है कि हज़रत बरा बिन आज़िब رضي الله عنه ने फ़रमाया कि नबी करीम ﷺ ने ज़ू क़अदा में उमरे का इरादा फ़रमाया तो आपके मक्का मुकर्रमा में दाख़िले से अहले मक्का मानेअ हुए, यहां तक कि उनके साथ फ़ैसला हुआ कि उस में सिर्फ़ तीन दिन ठहरें। जब मुआहिदा लिखा जा रहा था तो लिखा कि यह वह है जिसका अल्लाह के रसूल मुहम्मद ने फ़ैसला किया। उन्होंने कहा कि हम इसे तसलीम नहीं करते क्योंकि अगर हम आप को अल्लाह का रसूल समझते तो रोकते क्यों? बल्कि आप तो मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह हैं। फ़रमाया कि मैं रसूलुल्लाह हूं और मैं मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूं। फिर आपने हज़रत अली से फ़रमाया कि मुहम्मद रसूलुल्लाह को मिटा दो। अर्ज़ गुज़ार हुए कि नहीं, ख़ुदा की क़सम! मैं तो आपको कभी नहीं मिटाऊंगा। पस रसूलुल्लाह ﷺ ने मुआहिदे को ले लिया और लिख दिया कि यह वह है जो मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने फ़ैसला किया कि मक्का मुकर्रमा में हथियार लेकर दाख़िल नहीं होंगे मगर थैले में छुपा कर और अगर यहां का कोई शख़्स उनके साथ जाना चाहे तो नहीं जाएगा और अगर उनके साथियों में से कोई यहां रहना चाहे तो उसे रोका नहीं जाएगा। जब वह उस में दाख़िल हुए और मुक़र्ररा मुद्दत गुज़र गई तो हज़रत अली के पास आकर कहने लगे कि अपने साहब से कहिये कि हमारे पास से चले जाएं क्योंकि मुद्दत ख़त्म हो गई है। पस नबी करीम ﷺ निकल आए और हज़रत हमज़ा की साहबज़ादी ऐ चचा, ऐ चचा! कहती हुई पीछे आ रही थी। तो हज़रत अली ने लेकर उसका हाथ पकड़ लिया और हज़रत फ़ातिमा رضي الله عنها से फ़रमाया कि अपने चचा की बेटी को ले लो। तो उन्होंने उसे सवारी पर बिठा लिया। उसके बारे में हज़रत अली, हज़रत ज़ैद और हज़रत जाफ़र में झगड़ा हुआ। हज़रत अली ने कहा कि मैं ज़्यादा हक़दार हूं कि यह मेरे चचा की बेटी है। हज़रत जाफ़र ने कहा कि मेरी भतीजी है और इसकी ख़ाला मेरे निकाह में है। हज़रत ज़ैद ने कहा कि यह मेरी भतीजी है। पस नबी करीम ﷺ ने उसका ख़ाला के हक़ में फ़ैसला किया और फ़रमाया कि ख़ाला मां की जगह है और हज़रत अली से फ़रमाया कि: "तुम मुझ से और मैं तुम से हूं और हज़रत जाफ़र के लिये फ़रमाया कि तुम सूरत और सीरत में सबसे ज़्यादा मेरे साथ मुशाबहत रखते हो और हज़रत ज़ैद से फ़रमाया कि तुम हमारे भाई और हमारे मददगार हो।"

बाब 1683:- मुश्रिकीन से सुलहः

इस बारे में हज़रत अबू सुफ़यान से रिवायत है। हज़रत औफ़ बिन मालिक ने नबी करीम ﷺ से रिवायत की है कि फिर तुम्हारे और बनी असफ़र (रूमियों) के दरमियान सुलह हो जाएगी। और इस सिलसिले में हज़रत सहल बिन हुनैफ़, हज़रत अस्मा और हज़रत मिसवर ने हुज़ूर से रिवायत की। मूसा बिन मसऊद, सुफ़यान बिन सईद, अबू इस्हाक़, हज़रत बरा बिन आज़िब ने फ़रमाया कि नबी करीम ﷺ ने हुदैबिया के रोज़ मुश्रिकीन से तीन बातों पर सुलह की कि (1) मुश्रिकीन से जो आएगा उसे उनकी तरफ़ लौटाया जाए। और (2) मुसलमानों में से जो आएगा उसे लौटाया नहीं जाएगा और (3) मक्का मुकर्रमा में आइन्दा साल दाख़िल होंगे, उस में तीन रोज़ क़याम करोगे और उस में कोई दाख़िल

नहीं होगा मगर हथियारों को ग़िलाफ़ में डाल कर, जैसे तलवार, कमान वग़ैरा। पस हज़रत अबू जंदल अपनी बेड़ियों में लड़खड़ाते हुए आ गए तो इन्हें उनकी तरफ़ लौटाया गया। रावी का बयान है कि मुअम्मल ने सुफ़यान से अबू जंदल का ज़िक्र नहीं किया और "اِلَّا بِجُلُبِ السِّلَاحِ" कहा।

हदीस 2514:- नाफ़ेअ ने हज़रत इब्ने उमर رضی اللہ عنہ से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह ﷺ उमरा के इरादे से निकले तो कुफ़्फ़ारे क़ुरैश उनके और बैतुल्लाह के दरमियान हाइल हो गए, तो आपने हुदैबिया के मक़ाम पर क़ुरबानी ज़िब्ह की, सर मुंडवा लिया और उनके साथ फ़ैसला किया कि अगले साल उमरा किया जाएगा और तलवार के सिवा कोई दूसरा हथियार लेकर नहीं आएंगे और उस में नहीं ठहरेंगे मगर जितने दिन कुफ़्फ़ार चाहें। चुनान्चे अगले साल उमरा किया और मुआहिदे के मुताबिक़ उसके अन्दर दाख़िल हुए। जब तीन रोज़ गुज़र गए तो उन्होंने चले जाने के लिये कहा लिहाज़ा चले आए।

हदीस 2515:- बशीर बिन यसार ने हज़रत सहल बिन हस्मा رضی اللہ عنہ से रिवायत की है कि अब्दुल्लाह बिन सहल और मुहय्यिसा बिन मसऊद बिन ज़ैद ख़ैबर की तरफ़ गए और उन दिनों उनके साथ सुलह थी।

बाब 1684:- दियत में सुलह करना:

हदीस 2516:- हुमैद का बयान है कि हज़रत अनस ने इन्हें बताया कि हज़रत रुबैअ बिन्ते नज़र ने एक लड़की के सामने वाले दांत तोड़ दिये तो उन्होंने दियत का मुतालबा किया। यह माफ़ी के ख़्वास्तगार हुए तो उन्होंने इन्कार कर दिया। पस वह नबी करीम ﷺ की बारगाह में हाज़िर हुए तो आपने क़िसास का हुक्म फ़रमाया। हज़रत अनस बिन नज़र अर्ज़ गुज़ार हुए कि या रसूलल्लाह! क्या रुबैअ के दांत तोड़े जाएंगे? नहीं, क़सम उस ज़ात की जिस ने आप को हक़ के साथ मबऊस फ़रमाया उसके दांत नहीं तोड़े जाएंगे। फ़रमाया कि ऐ अनस! अल्लाह की किताब क़िसास कहती है। पस वह लोग राज़ी हो गए और माफ़ कर दिया। पस नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया कि अल्लाह के बन्दों में से वह भी हैं कि अगर वह अल्लाह के भरोसे पर क़सम खा लें तो अल्लाह उसे सच्चा कर देता है। फ़ज़ारी, हुमैद, हज़रत अनस। इस में इतना ज़्यादा है कि वह लोग दियत लेने पर रज़ामन्द हो गए।

फ़ायदा:- अल्लाह तआला के मुक़र्रर करदा क़ानून और क़ुरआने मजीद की वाज़ेह तसरीह के मुताबिक़ हज़रत रुबैअ बिन्ते नज़र رضی اللہ عنہا पर दांत तोड़ने का क़िसास लाज़िम आता था क्योंकि जिस लड़की के दांत तोड़े गए थे, उसके रिश्तादार दियत पर रज़ामन्द नहीं हो रहे थे। इसके बावुजूद हज़रत रुबैअ के भाई हज़रत अनस बिन नज़र رضی اللہ عنہ बारगाहे रिसालत में अर्ज़ गुज़ार होते हैं: "يَارَسُوْلَ اللهِ لَا وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا" ऐ अल्लाह के रसूल! नहीं, उस ज़ात की क़सम जिस ने आप को हक़ के साथ मबऊस फ़रमाया, इस (रुबैअ) के अगले दांत नहीं तोड़े जाएंगे। क़ानूने ख़ुदा की ज़द में होने के बावुजूद क़सम खाकर यह अर्ज़ की है। बिल-आख़िर यही हुआ कि उन लोगों ने क़िसास माफ़ कर दिया। इस पर रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَّوْ اَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَاَبَرَّهٗ" यानी बेशक अल्लाह के बन्दों में कोई ऐसा भी होता है कि अगर वह अल्लाह के भरोसे पर क़सम खा बैठे तो अल्लाह तआला उसे सच्चा कर दिखाता है। हज़रत अनस बिन नज़र رضی اللہ عنہ ऐसे ही निकले। औलिया अल्लाह में क़यामत तक ऐसे सैफ़े लिसान हज़रात होते रहेंगे और ऐसे हज़रात हक़ व सदाक़त के आला निशानात

होते हैं और इन बुज़ुर्गों के नक़्शे क़दम ही का नाम तो सिराते मुस्तक़ीम है जिस पर चलने का परवरदिगारे आलम ने हमें हुक्म दिया है। अल्लाह तआला दुन्या व आख़िरत में हमें अपने ऐसे बुज़ुर्गों से वाबस्ता रखे। आमीन।

बाब 1685:- हुज़ूर ने इमाम हसन बिन अली के मुताल्लिक़ फ़रमायाः

मेरा यह बेटा सरदार है और शायद अल्लाह तआला इसके ज़रिये दो अज़ीम गिरोहों में सुलह करवा देगा और इरशादे रब्बानी है कि उनके दरमियान सुलह करवा दो।

हदीस 2517:- अबू मूसा का बयान है कि मैंने इमाम हसन बसरी को फ़रमाते हुए सुना कि इमाम हसन बिन अली पहाड़ों की तरह फ़ौजें लेकर हज़रत मुआविया के मुक़ाबले पर आए तो हज़रत अम्र बिन अल-आस ने कहा कि मैं उनके साथ ऐसे लशकर देखता हूं कि उस वक़्त तक पीठ नहीं फेरेंगे जब तक अपने मद्दे मुक़ाबिल का सफ़ाया न कर दें। तो हज़रत मुआविया ने उन से फ़रमाया और ख़ुदा की क़सम! वह उन दोनों में से बेहतर थे यानी हज़रत अम्र से, कि अगर इन्होंने उनको और उन्होंने इनको क़त्ल कर दिया तो लोगों में से इनकी बीवियों और जायदादों का वाली वारिस कौन बनेगा? लिहाज़ा उनकी तरफ़ क़ुरैश के बनू अब्दे शम्स से दो आदमी अब्दुर्रहमान बिन समुरा और अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन कुरैज़ भेजे। पस उन से कहा कि दोनों इमाम हसन के पास जाओ और उन्हें सुलह पर रज़ामन्द करो और उन से गुफ़्तगू करके इस तरफ़ माइल करो। दोनों आए, इनके पास पहुंचे और गुफ़्तगू करके सुलह के तलबगार हुए। हज़रत हसन बिन अली ने फ़रमाया कि हम अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हैं। यह माल हम ने पाया है और यह उम्मत अपने ख़ून में लिथड़ी हुई है। उन दोनों ने कहा कि वह आपके सामने सुलह पेश करते हैं और आप से यही तलब करते और चाहते हैं। फ़रमाया कि इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? दोनों ने कहा कि हम इसके ज़िम्मेदार हैं। जब भी उन्होंने ज़िम्मेदारी के लिये फ़रमाया तो उन्होंने कहा कि हम ज़िम्मेदार हैं। पस उन्होंने उससे सुलह की ली। हसन बसरी फ़रमाते हैं कि मैंने हज़रत अबू बकरा को फ़रमाते हुए सुना कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को मिंबर पर देखा और हसन बिन अली उनके पहलू में थे। चुनान्चे हुज़ूर कभी लोगों की जानिब तवज्जुह फ़रमाते और कभी उन्हें देखते और फ़रमाते हैं किः "मेरा यह बेटा सरदार है और शायद इसके ज़रिये अल्लाह तआला मुसलमानों की दो बहुत बड़ी जमाअतों में सुलह करवा देगा।" मुझ से अली बिन अब्दुल्लाह ने कहा कि हमारे लिये इमाम हसन का हज़रत अबू बकरा से समाअ इसी हदीस से साबित हुआ।

फ़ायदाः- इमामे आली मक़ाम हसने मुज्तबा बिन अली मुर्तज़ा رضی اللہ عنہ की बड़ी शान है कि अल्लाह के महबूब ने उनके मुताल्लिक़ फ़रमायाः "إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ" बेशक मेरा यह बेटा सरदार है। सरदारी का सबसे बड़ा सुबूत आपने यह पेश फ़रमाया कि हज़रत मुआविया رضی اللہ عنہ के साथ इज्तिहादी इख़्तिलाफ़ के बाइस जब तरफ़ैन के अज़ीम लशकर एक दूसरे के मुक़ाबले पर सफ़ आरा हो गए और इसके बावुजूद कि आपका पलड़ा हर लिहाज़ से भारी नज़र आ रहा था लेकिन इस मौक़ा पर आपने उम्मते मुहम्मदिया की ख़ैर ख़्वाही का अदीमुल मिसाल सुबूत पेश करते हुए एक भी मुसलमान का ख़ून न बहने दिया और हज़रत मुआविया से चन्द शराइत पर सुलह करके कारे ख़िलाफ़त उनके सिपुर्द कर दिया। यहां यह बात भी मद्दे नज़र रहे कि रसूलुल्लाह ﷺ ने तरफ़ैन की फ़ौजों के लिये فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ

"الْمُسْلِمِينَ" फ़रमा कर दोनों गिरोहों के मुसलमान होने पर मुहर लगा दी है। क्योंकि वह इज्तिहादी इख़्तिलाफ़ था कुफ़्र और इस्लाम की लड़ाई नहीं थी। लिहाज़ा हज़रत मुआविया और उनके साथियों पर ज़बाने तअन दराज़ करना किसी मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। हां हज़रत मुआविया से इज्तिहादी ग़लती हुई और मुज्तहिद हर हालत में मुसीब होता है। वल्लाहु तआला आलम।

बाब 1686:– क्या इमाम सुलह का इशारा कर सकता है:

हदीस 2518:– अमरा बिन्ते अब्दुर्रहमान का बयान है कि मैंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा رضي الله عنها को फ़रमाते हुए सुना है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने दरवाज़े पर झगड़ने की आवाज़ सुनी, आवाज़ बहुत बुलन्द थी। जबकि एक दूसरे से कह रहा था कि कुछ क़र्ज़ माफ़ कर दे और दूसरा कह रहा था कि ख़ुदा की क़सम! मैं ऐसा नहीं करूंगा। पस रसूलुल्लाह ﷺ उनकी तरफ़ निकले और फ़रमाया कि: "वह क़सम खाने वाला कहां है जो कह रहा था कि मैं नेकी नहीं करूंगा?" अर्ज़ गुज़ार हुआ कि या रसूलल्लाह! मैं हूं और जो वह चाहे उसे देता हूं।

हदीस 2519:– अब्दुल्लाह बिन कअब बिन मालिक ने हज़रत कअब बिन मालिक رضي الله عنه से रिवायत की है कि उनका कुछ क़र्ज़ अब्दुल्लाह बिन अबू हदरद असलमी पर था। जब यह उन्हें मिले तो उन्होंने इन्हें इल्ज़ाम दिया यहां तक कि दोनों की आवाज़ें बुलन्द हो गईं। पस नबी करीम ﷺ उनके पास से गुज़रे तो फ़रमाया: ऐ कअब! फिर अपने हाथ से इशारा किया गोया निस्फ़ के लिये फ़रमा रहे हैं। चुनान्चे उन्होंने निस्फ़ क़र्ज़ ले लिया और निस्फ़ छोड़ दिया।

बाब 1687:– लोगों के दरमियान सुलह कराने और इन्साफ़ करने की फ़ज़ीलत:

हदीस 2520:– हज़रत अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया कि: "सूरज तुलूअ होते ही आदमी के लिये अपने हर जोड़ का सदक़ा देना ज़रूरी हो जाता है और लोगों के दरमियान इन्साफ़ करना भी सदक़ा है।"

बाब 1688:– इमाम सुलह का इशारा करे और वह इन्कार करे तो वाज़ेह हुक्म के मुताबिक़ फ़ैसला करदे:

हदीस 2521:– उरवा बिन ज़ुबैर का बयान है कि हज़रत ज़ुबैर फ़रमाते हैं कि उन्होंने एक अन्सारी के साथ झगड़ा किया जो ग़ज़वए बदर में रसूलुल्लाह ﷺ की तरफ़ से शरीक हुआ था। एक पथरीली ज़मीन की नाली पर झगड़ा था जिस से दोनों पानी पिलाया करते थे। रसूलुल्लाह ﷺ ने हज़रत ज़ुबैर से फ़रमाया कि: "ऐ ज़ुबैर! तुम पानी पिला लो, फिर अपने हमसाए की तरफ़ भेज दो।" पस अन्सारी ने नाराज़ होकर कहा: या रसूलल्लाह! वह आपके फूफी ज़ाद भाई हैं। पस रसूलुल्लाह ﷺ के चेहरे का रंग बदल गया और फ़रमाया कि पानी पिला लेना और फिर रोक लेना, यहां तक कि मुंडेरों तक लबरेज़ हो जाए। पस इस दफ़ा रसूलुल्लाह ﷺ ने हज़रत ज़ुबैर को पूरा हक़ दिलवाया और पहले रसूलुल्लाह ﷺ ने हज़रत ज़ुबैर को ईसार करने का हुक्म दिया था, जिस में इनकी और अन्सारी की रिआयत थी। जब अन्सारी ने रसूलुल्लाह ﷺ को नाराज़ कर दिया तो आपने सरीह हुक्म के ज़रिये हज़रत ज़ुबैर को उनका पूरा हक़ दिलवाया। उरवा का बयान है कि हज़रत ज़ुबैर ने फ़रमाया कि मेरे ख़्याल में यह आयत इसी बारे में नाज़िल हुई है: "तो ऐ महबूब! तुम्हारे रब की क़सम, वह

मुसलमान न होंगे जब तक अपने आपस के झगड़े में तुम्हें हाकिम न बनाएं।" (4/65)

बाब 1689:- क़र्ज़ ख़्वाहों और मीरास वालों में सुलह कराना और अंदाज़े से देना:

इब्ने अब्बास का बयान है कि अगर दो साथियों में से एक क़र्ज़ और दूसरा माल लेकर फ़ैसला करलें तो कोई मुज़ायक़ा नहीं। अगर एक साथी का दीवालिया हो जाए तो उसे अपने साथी से मुतालबे का हक़ नहीं है।

हदीस 2522:- वहब बिन केसान का बयान है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضی اللہ عنہ ने फ़रमाया कि मेरे वालिदे माजिद ने वफ़ात पाई और उन पर क़र्ज़ था तो मैंने क़र्ज़ ख़्वाहों से पेशकश की कि लगा हुआ फल लेलें तो उन्होंने इन्कार किया क्योंकि उन्हें क़र्ज़ के बराबर नज़र न आया। मैं नबी करीम ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आप से इसका ज़िक्र किया। फ़रमाया कि तुम फल तोड़ कर खलयान में रखना। मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को बताया तो आप तशरीफ़ ले आए और आपके साथ हज़रत अबू बकर व हज़रत उमर थे। आए उस पर बैठ गए और बरकत की दुआ की, फिर फ़रमाया कि अपने क़र्ज़ ख़्वाहों को बुलाओ। पस मैंने उन्हें पूरा हक़ दिया कि उनका मेरे वालिद पर कोई क़र्ज़ न रहा बल्कि मैंने सब अदा कर दिया और तेरह (13) वस्क़ खजूरें बच रहीं जिन में सात अजवा और छः लौन या छः अजवा और सात लौन थीं। पस मैं मग़रिब के वक़्त रसूलुल्लाह ﷺ से मिला और यह बात आपको बताई तो आप हंस पड़े और फ़रमाया कि जाकर अबू बकर व उमर को भी बता दो। दोनों ने कहा कि हम तो उसी वक़्त जान गए थे जब रसूलुल्लाह ﷺ ने दुआ की थी कि अनक़रीब यही होगा। हिशाम, वहब ने हज़रत जाबिर से नमाज़े अस्र रिवायत की है। नीज़ हज़रत अबू बकर और हंसने का ज़िक्र नहीं किया और फ़रमाया कि मेरे वालिदे माजिद ने तीस वस्क़ क़र्ज़ा छोड़ा था। इब्ने इस्हाक़, वहब ने हज़रत जाबिर से नमाज़े ज़ुहर रिवायत की है।

बाब 1690:- क़र्ज़ और नक़द माल के ज़रिये सुलह करना:

हदीस 2523:- अब्दुल्लाह बिन अबू कअब का बयान है कि हज़रत कअब बिन मालिक رضی اللہ عنہ ने उन्हें बताया कि उन्होंने इब्ने हदरद से मस्जिद में क़र्ज़ का मुतालबा किया जो रसूलुल्लाह ﷺ के अहदे मुबारक में उन पर था। पस उन दोनों की आवाज़ें ऊंची हो गई, यहां तक रसूलुल्लाह ﷺ ने उसे सुना और आप काशानए अक़दस में जल्वा अफ़रोज़ थे। पस रसूलुल्लाह ﷺ उनके पास बाहर तशरीफ़ ले आए, यहां तक कि आपके हुजरे का पर्दा हट गया। पस कअब बिन मालिक को आवाज़ देते हुए फ़रमाया कि ऐ कअब! वह अर्ज़ गुज़ार हुए कि या रसूलल्लाह! मैं हाज़िर हूं। चुनान्चे आपने दस्ते मुबारक से इशारा फ़रमाया कि निस्फ़ माफ़ कर दो। हज़रत कअब अर्ज़ गुज़ार हुए कि या रसूलल्लाह! मैंने ऐसा ही कर दिया। फिर रसूलुल्लाह ﷺ ने (मक़रूज़ से) फ़रमाया कि जाओ और अदा कर दो।

शर्तों का बयान

अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है।

बाब 1691:- इस्लाम, अहकाम और ख़रीद व फ़रोख़्त में कौन सी शर्तें जाइज़ हैं:

हदीस 2524:- उरवा बिन ज़ुबैर ने मरवान और हज़रत मिसवर बिन मख़रमा رضی اللہ عنہما से सुना जो

रसूलुल्लाह ﷺ के असहाब से रिवायत करते हैं। फ़रमाया कि जिस रोज़ सुहैल बिन अम्र ने मुआहिदा लिखवाया और सुहैल बिन अम्र ने नबी करीम ﷺ के सामने यह शर्त रखी थी कि हमारा कोई शख़्स तुम्हारे पास नहीं जाएगा, ख़्वाह वह तुम्हारे दीन पर क्यों न हो मगर उसे हमारी तरफ़ लौटाना होगा और हमारे और उसके दरमियान हाइल नहीं होगे। मुसलमानों को यह शर्त नागवार गुज़र रही थी और वह नाराज़ हुए और सुहैल ने इसके बग़ैर सुलह से इन्कार कर दिया। पस नबी करीम ﷺ ने इसी वजह से उस रोज़ हज़रत अबू जंदल को उसके बाप सुहैल बिन अम्र की तरफ़ लौटा दिया था और आदमियों में से इस मुद्दत के अन्दर कोई नहीं आया मगर उसे लौटा दिया गया, ख़्वाह वह मुसलमान होकर आया और जो मुसलमान औरतें हिजरत करके आतीं और हज़रत उम्मे कुल्सूम बिन्ते उक़बा बिन अबी मुऐत भी उन्हीं में से हैं जो रसूलुल्लाह ﷺ की तरफ़ आईं और वह नौजवान थीं। पस उनके अहल आए और नबी करीम ﷺ से उनकी वापसी का मुतालबा किया लेकिन उन्हें उनकी तरफ़ नहीं लौटाया गया क्योंकि अल्लाह तआला ने उनके बारे में हुक्म नाज़िल फ़रमाया था कि जब मुसलमान औरतें तुम्हारे पास हिजरत करके आएं तो उनका इम्तिहान ले लिया करो और अल्लाह उनके ईमान को ख़ूब जानता है। उरवा का बयान है कि मुझे हज़रत आयशा ने बताया कि रसूलुल्लाह ﷺ इस आयत के बाइस उनका इम्तिहान लिया करते। उरवा का बयान है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फ़रमाया कि उन से इस शर्त का इक़रार लिया जाता और रसूलुल्लाह ﷺ ज़बानी कलामी उससे फ़रमा देते कि मैंने तुम्हें बैअत कर लिया और ख़ुदा की क़सम! रसूलुल्लाह ﷺ के दस्ते मुबारक ने बवक़्ते बैअत हरगिज़ किसी औरत के हाथ को मस नहीं किया और उन्हें बैअत नहीं किया जाता था मगर ज़बानी।

हदीस 2525:- ज़ियाद बिन इलाक़ा का बयान है कि मैंने हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह رضی اللہ عنہ को फ़रमाते हुए सुना कि रसूलुल्लाह ﷺ ने मुझे कई शर्तों पर बैअत किया जिन में से एक यह है कि हर मुसलमान की ख़ैर ख़्वाही करूं।

हदीस 2526:- अबू हाज़िम का बयान है कि हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह رضی اللہ عنہ ने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से नमाज़ क़ायम करने, ज़कात अदा करने और हर मुसलमान की ख़ैर ख़्वाही पर बैअत की।

बाब 1692:- जब कोई पेवन्द लगाने के बाद खजूर का दरख़्त बेचे:

हदीस 2527:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर رضی اللہ عنہما से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस ने पेवन्द लगाने के बाद खजूर का दरख़्त फ़रोख़्त किया तो उसका फल बाए का होगा मगर यह कि ख़रीदार कोई और शर्त रखे।"

बाब 1693:- बैअ में शर्तें रखना:

हदीस 2528:- उरवा बिन ज़ुबैर को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा رضی اللہ عنہا ने बताया कि उनके पास बरीरा अपनी मुकातबत में मदद हासिल करने की ग़र्ज़ से हाज़िर हुई और उसने अपनी किताबत में से कुछ भी अदा नहीं किया था। हज़रत आयशा ने उससे फ़रमाया कि अपने मालिकों के पास जाओ और उन से कहो कि मैं तुम्हारी किताबत अदा कर देती हूं लेकिन तुम्हारी वला मेरे लिये होगी। पस बरीरा ने अपने मालिकों से इसका ज़िक्र किया तो उन्होंने इन्कार कर दिया और कहा कि अगर वह सवाब के लिये ऐसा

करना चाहें तो करलें लेकिन तेरी वला हमारे लिये होगी। पस उन्होंने इसका रसूलुल्लाह ﷺ से ज़िक्र किया तो आपने फ़रमाया कि "उसे ख़रीद कर आज़ाद कर दो क्योंकि वला तो उसके लिये है जो आज़ाद करे।"

बाब 1694:- जब बेचने वाला एक ख़ास मक़ाम तक जानवर पर सवारी करने की शर्त रखे तो जाइज़ है:

हदीस 2529:- आमिर का बयान है कि मैंने हज़रत जाबिर رضی اللہ عنہ को फ़रमाते हुए सुना कि मैं अपने ऊंट पर सवार होकर सफ़र कर रहा था, जो थक गया था। पस नबी करीम ﷺ गुज़रे, उसे मारा, फिर उसके लिये दुआ की तो वह ऐसा तेज़ चलने लगा कि कभी न चला था। फिर फ़रमाया कि क्या इसे एक औक़िया में बेचते हो? मैंने इन्कार कर दिया। फिर फ़रमाया कि एक औक़िया में बेचते हो? पस मैंने उसे बेच दिया और अपने घर वालों तक उस पर सवार होकर पहुंचने की शर्त रखी। जब हम मदीना मुनव्वरा पहुंच गए तो मैं ऊंट लेकर हाज़िर हो गया और आपने मुझे क़ीमत अदा फ़रमा दी। जब मैं वापस लौट आया तो आपने मेरे पीछे आदमी बुलाने के लिये भेजा। फ़रमाया किः "हम तुम्हारा ऊंट नहीं लेते, लिहाज़ा अपना ऊंट ले लो क्योंकि वह तुम्हारा माल है।" शुअबा, मुग़ीरा, आमिर, हज़रत जाबिर से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने उसकी पीठ पर मुझे मदीना मुनव्वरा तक की इजाज़त दी। इस्हाक़, जरीर ने मुग़ीरा से रिवायत की है कि फिर मैंने उसको बेच दिया, इस शर्त पर कि मदीना मुनव्वरा पहुंचने तक उसकी पीठ पर सवार हूंगा। अता वग़ैरा ने नक़्ल किया कि तेरे लिये इसकी पीठ मदीना मुनव्वरा तक है। ज़ैद बिन असलम ने हज़रत जाबिर से रिवायत की कि वापस पहुंचने तक इसकी पीठ तुम्हारे लिये है। अबू ज़ुबैर ने हज़रत जाबिर से रिवायत की कि तुम मदीना मुनव्वरा तक इस की पीठ पर सवारी करो। आमश, सालिम, हज़रत जाबिर से रिवायत की कि इस पर तुम अपने घर वालों तक पहुंचो। उबैदुल्लाह और इब्ने इस्हाक़, वहब, हज़रत जाबिर ने फ़रमाया कि नबी करीम ﷺ ने उसे एक औक़िया में ख़रीद लिया। इसी तरह ज़ैद बिन असलम ने हज़रत जाबिर से रिवायत की है। इब्ने जुरैज और अता वग़ैरा ने हज़रत जाबिर से रिवायत की कि आपने मुझ से उसे चार दीनार में ख़रीद लिया और यह दीनार के हिसाब से एक औक़िया के बराबर है जबकि एक दीनार दस दिरहम का हो। मुग़ीरा, शअबी, हज़रत जाबिर इस रिवायत में क़ीमत मज़कूर नहीं। और इब्ने मुन्कदिर और अबू ज़ुबैर ने हज़रत जाबिर से रिवायत की। आमश, सालिम ने हज़रत जाबिर से रिवायत की कि एक औक़िया सोना। अबू इस्हाक़, सालिम, हज़रत जाबिर की रिवायत में दो सौ दिरहम हैं। दाऊद बिन क़ैस, उबैदुल्लाह बिन मक़सम, हज़रत जाबिर फ़रमाते हैं कि उसे मुझ से तबूक के रास्ते में ख़रीदा। मेरे ख़्याल में फ़रमाया था कि चार औक़िया में। अबू नज़रा ने हज़रत जाबिर رضی اللہ عنہ से रिवायत की है कि उसे बीस दीनार में ख़रीदा। इमाम बुख़ारी ने फ़रमाया कि एक औक़िया वाला शअबी का क़ौल अकसर रिवायात में है, लिहाज़ा कसरत के बाइस मेरे नज़्दीक वही ज़्यादा सही है।

बाब 1695:- मामलात में शर्तें रखनाः

हदीस 2530:- आरज से हज़रत अबू हुरैरा رضی اللہ عنہ ने फ़रमाया कि अन्सार नबी करीम ﷺ की ख़िदमत में अर्ज़ गुज़ार हुए कि हमारे और हमारे भाइयों के दरमियान खजूर के दरख़्त तक़सीम फ़रमा

दीजिये। आपने इन्कार फ़रमा दिया। अन्सार ने मुहाजिरीन से कहा कि आप मेहनत की ज़िम्मेदारी लेलें और हम आप को फलों में शरीक कर लेते हैं। मुहाजिरीन ने कहा हमें आप की बात मंज़ूर है।

हदीस 2531:- नाफ़ेअ से हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह ने ख़ैबर के यहूदियों को ज़मीन दी कि उस में बाग़ और काश्तकारी करें, जिसके इवज़ पैदावार का निस्फ़ हिस्सा उनके लिये होगा।

बाब 1696:- निकाह के वक़्त महर में शर्तें रखना:

हज़रत उमर ने फ़रमाया कि हुक़ूक़ शराइत के लिहाज़ से होते हैं और तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम ने शर्त रखी होगी और हज़रत मिसवर का बयान है कि मैंने नबी करीम को अपने एक दामाद का ज़िक्र फ़रमाते हुए सुना कि आपने उनकी रिश्तेदारी की तारीफ़ फ़रमाई। फ़रमाया कि: "उस ने मुझ से जो बात की उसे सच कर दिखाया और जो मुझ से वादा किया उसे मेरे साथ निभाया।"

हदीस 2532:- हज़रत उक़बा बिन आमिर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फ़रमाया: "वह शर्तें पूरी की जाने का सबसे ज़्यादा हक़ रखती हैं जिन के ज़रिये तुम औरतों की शर्मगाहों को हलाल समझते हो।"

बाब 1697:- मुज़ारअत में शर्तें रखना:

हदीस 2533:- हंज़ला ज़ुर्की का बयान है कि मैंने हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज को फ़रमाते हुए सुना कि अन्सार में सबसे ज़्यादा ज़मीन हमारे पास थी तो हम उसे किराए पर दिया करते थे तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस ज़मीन से पैदावार हासिल हुई और उससे न हुई, पस हमें उससे रोका गया हो और न सिक्कों से मना किया गया।

बाब 1698:- जो शर्तें निकाह में जाइज़ नहीं हैं:

हदीस 2534:- हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी करीम ने फ़रमाया: "कोई शहरी देहाती के लिये फ़रोख़्त न करे और न दलाली खाओ और न अपने भाई के सौदे पर बढ़ा कर सौदा करो और न उसकी मंगनी पर मंगनी करो और न कोई औरत अपनी बहन की तलाक़ चाहे ताकि उसके बर्तन को भी ख़ुद वह संभाले।"

बाब 1699:- जो शर्तें हुदूद में जाइज़ नहीं हैं:

हदीस 2535:- हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी ने फ़रमाया कि एक आराबी रसूलुल्लाह की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ गुज़ार हुआ कि या रसूलल्लाह! मैं आप को अल्लाह का वास्ता देकर अर्ज़ करता हूं कि अल्लाह की किताब के मुताबिक़ मेरा फ़ैसला फ़रमा दीजिये। फ़रीक़े सानी अर्ज़ गुज़ार हुआ जो उससे ज़्यादा समझदार था कि हां, अल्लाह की किताब के मुताबिक़ हमारे दरमियान फ़ैसला फ़रमाइये और मुझे इजाज़त दीजिये। चुनान्चे रसूलुल्लाह ने फ़रमाया कि कहो। अर्ज़ गुज़ार हुआ कि मेरा बेटा इसके पास मज़दूरी करता था तो उसने इसकी बीवी के साथ ज़िना किया और मुझे बताया गया कि तुम्हारे बेटे को संगसार किया जाएगा तो मैंने सौ बकरियां और एक लौंडी देकर छुड़ा लिया। फिर मैंने अहले इल्म से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि तेरे बेटे के लिये सौ कोड़े और एक साल की जिला वतनी है और उस औरत को संगसार किया जाएगा। पस रसूलुल्लाह

ने फ़रमाया कि: "क़सम है उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है, मैं तुम्हारा फ़ैसला अल्लाह की किताब के मुताबिक़ ही करूंगा। लौंडी और बकरियां तुम्हें वापस मिलेंगी और तुम्हारे बेटे के लिये सौ कोड़े और एक साल की जिला वतनी है और ऐ उनैस! सुबह तुम उस औरत के पास जाना। अगर वह एतेराफ़ करले तो उसे संगसार कर देना।" रावी का बयान है कि सुबह को यह उसके पास गए तो औरत ने एतेराफ़ कर लिया। पस रसूलुल्लाह के हुक्म से उसे संगसार कर दिया गया।

बाब 1700:- मुकातब के साथ क्या शर्तें जाइज़ हैं जबकि वह आज़ाद होने की शर्त पर बिकने के लिये रज़ामन्द हो:

हदीस 2536:- अब्दुल वाहिद बिन ऐमन मक्की के वालिदे माजिद ने फ़रमाया कि मैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो उन्होंने फ़रमाया कि मेरे पास बरीरा आई जो मुकातबा थी और उस ने कहा कि ऐ उम्मुल मोमिनीन! मुझे ख़रीद कर आज़ाद फ़रमा दीजिये क्योंकि मेरे मालिक मुझे बेचना चाहते हैं। इन्होंने हां करली तो उस ने कहा कि मेरे मालिक मुझे उस वक़्त तक नहीं बेचेंगे जब तक मेरी वला की शर्त अपने लिये न रखें। फ़रमाया कि फिर मुझे तुम्हारी क्या हाजत है। पस नबी करीम ने यह बात सुन ली या किसी ने आप तक पहुंचाई तो फ़रमाया कि बरीरा का क्या क़िस्सा है। फिर फ़रमाया कि उसे ख़रीद कर आज़ाद कर दो अगर्चे वह लोग जो चाहें शर्तें रखें। हज़रत सिद्दीक़ा ने फ़रमाया कि फिर मैंने उसे ख़रीद कर आज़ाद कर दिया जबकि उसके मालिकों ने उसकी वला की शर्त रखी थी। पस नबी करीम ने फ़रमाया कि वला तो उसके लिये है जो आज़ाद करे, अगर्चे कोई सौ शर्तें रखता फिरे।

बाब 1701:- तलाक़ में शर्तें रखना:

इब्ने मुसय्यब, हसन बसरी, अता का बयान है कि तलाक़ का लफ़्ज़ शुरू में कहा या बाद में लेकिन निफ़ाज़ शर्त के मुताबिक़ होगा।

हदीस 2537:- अबू हाज़िम का बयान है कि हज़रत अबू हुरैरा ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह ने क़ाफ़िले वालों से जाकर मिलने और शहरी का देहाती के लिये बैअ करने से मना फ़रमाया है और इससे कि कोई औरत अपनी बहन की तलाक़ की शर्त रखे और यह कि कोई आदमी अपने भाई के सौदे पर सौदा करे नीज़ दलाली लेने और जानवर को बेचने के लिये थनों में दूध छोड़ने से मना फ़रमाया है। इसी तरह मुआज़, अब्दुस्समद ने शुअबा से रिवायत की है। गुंदर और अब्दुर्रहमान ने कहा कि मना फ़रमाया गया है। आदम ने कहा कि हमें मना फ़रमाया गया है। नज़र और हज्जाज बिन मिन्हाल ने कहा कि मना फ़रमाया गया।